

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

प्रतियोगी राजनीति विज्ञान

(प्रथम खण्ड)

(POLITICAL SCIENCE, VOL. I)

(भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए)

डॉ. जी. पी. नेमा

आचार्य एवं अध्यक्ष

राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग अध्ययन मण्डल

डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर

एवं

डॉ. डी. सी. त्रिपाठी

एच ए, एल एल एच, डी पी एच एच आर आर, डी टी एल ए,

डी पी एस, आर सी आर एन एच पी (यू के), पी एच डी

दिल्ली कर्पोरेट अकादमी, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार

कॉलेज बुक डिपो

जयपुर

प्रतियोगी राजनीति विज्ञान

(Political Science Vol. I)

•

डॉ जी पी नेमा

डॉ डी सी विनोदी

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers. No part of this book may be reproduced / translated by any means without written permission of the publishers. This book is sold subject to Jaipur jurisdiction only. Due care and diligence has been taken while editing and printing the book, neither the authors nor the publishers / distributors of the book hold any responsibility for any mistake.

Published by College Book Depot, 83 Tripolia Bazar, Jaipur 2

Type-setting by Sudha Computers, Jaipur 16

Printed at Laxmi Printers, Jaipur

प्राक्कथन

‘राजनीति विज्ञान’ सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण विषय होने के साथ-साथ लोकप्रिय विषय भी है। आज के ‘वैश्वीकरण’ और ‘अन्तर्राष्ट्रीयतावाद’ तथा ‘एक विश्व’ की कल्पना में इस विषय को शीर्ष स्थान प्राप्त है और इसीलिए घर, परिवार, आंगन, चौखट, चौराहे और बाजारों में पान वालों और थड़ी-ठेले वालों के इर्द-गिर्द लोग राजनीति के चर्चित विषयों पर चर्चा करते हुए मिल जावेंगे। आज के समाज की यह स्थिति राजनीति विज्ञान की लोकप्रियता का ज्वलंत उदाहरण है।

इतना ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एवं राज्यों की राज्य-स्तरीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजनीति विज्ञान परीक्षार्थियों का चहेता विषय है तथा अधिकांश परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में विषय चुनते समय ‘राजनीति विज्ञान’ को प्राथमिकता देते हैं।

इस रुझान को देखते हुए प्रस्तुत पुस्तक आई. ए. एस. तथा विभिन्न राज्य सेवा प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लाभार्थ लिखी गई है। पुस्तक में विषय के प्रथम प्रश्न पत्र ‘राजनीतिक सिद्धान्त तथा भारतीय राजनीति’ का विवेचन किया गया है।

पुस्तक के प्रारम्भ में, पाठ्यक्रम के खण्ड ‘क’ से सम्बन्धित विभिन्न अध्याय दिए गए हैं जिनमें राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के उपागम, राज्य के सिद्धान्त, राज्य प्रभुसत्ता, प्रजातंत्र तथा मानव अधिकार, राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त, राजनीतिक विचारधाराएं, शक्ति तथा आधिपत्य के सिद्धान्त, भारतीय राजनीतिक विचार एवं पश्चात्य राजनीतिक विचारों की व्याख्या है।

खण्ड ‘ख’ से सम्बन्धित ‘भारतीय सरकार एवं राजनीति’ के विभिन्न अध्यायों में भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप एवं राजनीति, भारत

के राष्ट्रवादी आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक आयाम, सांविधानिक विकास के क्रम में ब्रिटिश शासन के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, सिद्धान्त तथा व्यवहार में भारत की कार्यपालिका प्रणाली, भारत में संसद तथा संसदीय समितियों की भूमिका तथा कार्य, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, देश में कार्यरत विभिन्न सांविधानिक संस्थाएँ और आयोग, राजनीतिक दल व्यवस्था एवं दवाव समूह, भारतीय राजनीति में वर्ग, आयोजन तथा आर्थिक विकास एवं पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है। पुस्तक में प्रामाणिक एवं अधुनातन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। आशा है पुस्तक प्रतियोगी परीक्षार्थियों तथा राजनीति विज्ञान के सामान्य पाठकों एवं इस विषय में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

हम उन सभी देशी-विदेशी पुस्तकों के लेखकों-प्रकाशकों, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों, भारत सरकार के विभिन्न प्रकाशनों एवं उन सभी सहयोगियों के आभारी हैं जिनका इस पुस्तक में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग लिया गया है। श्री प्रकाश नारायण नाटाणी सर्वाधिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने अधिक परिश्रम से पाण्डुलिपि तैयार की है और हमें पूर्ण संतोषप्रद सामग्री संयोजित करके दी है।

पुस्तक के प्रकाशक श्री पी. सी. जैन का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पुस्तक को सुन्दर साज-सज्जा के साथ शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयास किया है। आशा है, यह पुस्तक विषय के विद्वानों एवं प्रतियोगी पाठकों को पसन्द आवेगी।

लेखकद्वय

अनुक्रमणिका

1. राजनीतिक सिद्धान्त : अध्ययन के उपागम 1	
<i>(Approaches to the Study of Political Theory)</i>	
राजनीति विज्ञान का अर्थ (1) राजनीति विज्ञान की परिभाषा (2) राजनीति विज्ञान की प्रकृति (5) राजनीति विज्ञान का क्षेत्र (7) राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक सिद्धान्त में भेद (10) राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के उपागम (11) परम्परागत उपागम (11) आदर्शमूलक या मानवीय तथा दार्शनिक उपागम (11) ऐतिहासिक उपागम (12) व्यवहारवादी या अनुभविक उपागम (13) उत्तर व्यवहारवादी उपागम (16) अन्तर्विषयी उपागम (17) 'अन्तर्विषयी उपागम' हेतु अन्य समाजशास्त्रीय विषयों का राजनीति विज्ञान से सह सम्बन्ध (18) राजनीति विज्ञान : एक विज्ञान के रूप में मान्यता (19)	
2. राज्य के सिद्धान्त 21	
<i>(Theories of State)</i>	
संविदात्मक या सामाजिक संविदा का सिद्धान्त (21) उदारवादी सिद्धान्त (23) नव उदारवाद (24) मार्क्सवादी एवं साम्यवादी सिद्धान्त (25) उपनिवेशोत्तर (26)	
3. राज्य प्रभुता 27	
<i>(State Sovereignty)</i>	
सम्भुता का अर्थ और उसकी परिभाषा (27) सम्भुता की विशेषताएँ (28) सम्भुता के विभिन्न रूप (29) आस्टिन का सम्भुता सिद्धान्त (31) सम्भुता का बहुलवादी या अनेकतावादी सिद्धान्त (33) मार्क्सवादी सिद्धान्त (37)	
4. प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकार 38	
<i>(Democracy and Human Rights)</i>	
प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त - प्राचीन तथा समकालीन (38) मानव अधिकार के सिद्धान्त मानव-अधिकारों का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य (43) मानव अधिकारों का उदारवादी परिप्रेक्ष्य (44) संयुक्त राष्ट्रसंघ और मानव अधिकार (45) न्याय के सिद्धान्त (46) भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था (47) न्याय के सार्वभौमिक एवं स्थिर आधार तत्व (49) कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन (49) समानता (49) समानता तथा स्वतन्त्रता का सम्बन्ध (51) नये सामाजिक आन्दोलन (51) संघर्ष एवं सुधार (52) क्रान्ति (52) राजनीतिक बाधता (54) नये सामाजिक आन्दोलन (54) कुछ प्रमुख विचारधाराएँ (55)	
5. राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त 57	
<i>(Theories of Political Culture)</i>	
द्वितीय विश्व के देशों में संस्कृति तथा राजनीति (63) भारत की राजनीतिक संस्कृति (64)	
6. राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त 65	
<i>(Theories of Political Economy)</i>	
अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन (65)	

13. राष्ट्रवादी आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक आयाम 224
 (Social-Economic Dimensions of the Nationalist Movement)
 साम्प्रदायिक समस्या तथा विभाजन की माँग (224) मुस्लिम साम्प्रदायिकता (228) हिन्दू साम्प्रदायिकता (231) पिछड़ी जाति के आन्दोलन, ट्रेड यूनियन तथा किसान आन्दोलन, नागरिक अधिकार आन्दोलन (232)
14. संवैधानिक विकास : ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण घटनाएँ 235
 (Landmarks in Constitutional Development during British Rule)
 क्रिप्स मिशन (238) भारतीय स्थापना अधिनियम, 1947 (239)
15. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ 243
 (Salient Features of the Indian Constitution)
 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दार्शनिक मान्यताएँ (243) प्रस्तावना (243) मूल अधिकार और कर्तव्य (246) संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार (248) समानता का अधिकार (248) स्वतन्त्रता का अधिकार (251) मौलिक अधिकार : एक समीक्षा (259) मौलिक कर्तव्य (259) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (261) निर्देशक सिद्धान्त : सांविधानिक प्रावधान (261) निर्देशक तत्वों की आलोचना (265) निर्देशक तत्वों की उपलब्धियाँ (266) भारतीय संघवाद : सघ और ठसका राज्य-धेत्र (267) भारतीय संघवाद की प्रकृति : सिद्धान्त और व्यवहार में क्या भारत एक संघ है ? (267) संविधान की व्यवस्थाएँ (271) जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्था (279) आयोजना में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध (279) क्या राज्यों की स्थिति 'नगण्यपालिकाओं' जैसी है ? (280) केन्द्र-राज्य विवाद के मुख्य कारण (281) केन्द्र राज्य मतपेदों को दूर करने के सुझाव (282) राज्य स्वायत्तता की ठठठी माँग (283) व्यवहार में सहकारी संघवाद (284) संसदीय प्रणाली (286) लोकसभा का अध्यक्ष (289) संसद की शक्तियाँ एवं कृत्य (292) दोनों सदनों के परस्पर सम्बन्ध (293) भारतीय संसद की सर्वोच्चता (295) संसद की कार्यप्रणाली (296) संसदीय समितियाँ (297) संशोधन प्रक्रिया (303)
16. सिद्धान्त तथा व्यवहार में कार्यपालिका प्रणाली 306
 (The Executive System in Theory and Practice)
 राष्ट्रपति (306) राष्ट्रपति की शक्तियाँ (310) राष्ट्रपति की आपानकालीन शक्तियाँ (312) राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति (316) राष्ट्रपतियों का आचरणगत पक्ष (319) उपराष्ट्रपति (319) प्रधानमन्त्री (321) प्रधानमन्त्री के अधिकार और उत्तरदायित्व (323) प्रधानमन्त्री की वास्तविक स्थिति (330) मन्त्र परिषद् (331) राज्यपाल (335) राज्यपाल की शक्तियाँ (337) राज्यपाल की स्व-विवेकीय शक्तियाँ (339) केन्द्रीय अधिकर्ता के रूप में भूमिका (339) राज्यपाल की भूमिका : गिरती छवि (340) मुख्यमन्त्री तथा राज्य मन्त्रपरिषद् (341) मन्त्रपरिषद् (343) राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मन्त्रपरिषद् के सम्बन्ध (344) नौकरशाही (344)
17. संसद तथा संसदीय समितियों की भूमिका तथा कार्य 345
 (Role and Function of the Parliament and Parliamentary Committee)
 पारस्परिक सम्बन्ध के आधार (345) संसदीय नियन्त्रण (345) सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन (348) वित्त पर संसदीय नियन्त्रण : लोक लेखा समिति तथा अनुदान समिति (349)
18. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 354
 (The Supreme Court and the High Courts)
 उच्चतम न्यायालय (354) उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (355) भारत में न्यायिक पुनरावलोकन (360) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता (362) उच्च न्यायालय (363) अधीनस्थ न्यायालय (364) व्यवस्थापिका न्यायपालिका सम्बन्ध (364) जनहित याचिका (367)

19. **संवैधानिक संस्थाएँ/आयोग 368**
(Statutory Institutions/Commission)
- संघ लोक सेवा आयोग (368) निर्वाचन आयोग (370) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (375) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (376) राष्ट्रीय महिला आयोग (378) पिछड़ा वर्ग आयोग (380) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (380)
20. **राजनीतिक दल व्यवस्था एवं दबाव समूह 382**
(Political Party System & Pressure Groups)
- दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार (382) भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ (384) समग्र रूप से भारतीय दल प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ (387) वर्तमान में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल (388) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (389) भारतीय जनता पार्टी (390) भारतीय साम्यवादी दल (393) भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) (395) जनता दल (395) जनता दल (समाजवादी) (397) विखण्डन तथा क्षेत्रीयकरण (398) भारत में विपक्ष की भूमिका (406) दबाव समूह (408) दबाव-समूह और राजनीतिक कार्य-व्यवहार अथवा दबाव-समूहों की तकनीक (408) दबाव-समूह का महत्व (410) भारत में दबाव-समूह : विकास और विशेषताएँ (411) भारत में दबाव-समूहों के विभिन्न प्रकार और उनका प्रभाव (411) भारत में दबाव-समूहों की प्रकृति, भूमिका, विशेषताएँ और पारचात्य हित-संगठनों में उनकी भिन्नता (415) भारत में दबाव-समूह की भूमिका (416) मिली-जुली सरकारों की राजनीति का स्वरूप (417) निर्वाचन व्यवहार की प्रवृत्तियाँ (417)
21. **भारतीय राजनीति में वर्ग 420**
(Class in Indian Politics)
- भारत की राजनीति में जाति एवं सजातीयता (420) भारत की राजनीति में वर्ग (425) साम्प्रदायिकता की राजनीति (425) क्षेत्रवाद (427) पिछड़ा वर्ग तथा दलित आन्दोलन (431) लिंग न्याय हेतु संघर्ष (432) लैंगिक समानता : एक ज्वलन्त प्रश्न (437)
22. **आयोजन तथा आर्थिक विकास 440**
(Planning and Economic Development)
- योजना आयोग और सरकार का सम्बन्ध (444) आर्थिक नियोजन की चुनौतियों के सन्दर्भ में प्रशासनिक सुधार (445) राष्ट्रीय विकास परिषद् (447) उदात्तीकरण के युग में आयोजना एवं आर्थिक सुधारों के राजनीतिक आयाम (449)
23. **आधार स्तर पर प्रजातन्त्र 455**
(Democracy on Grassroots)
- पंचायती राज व्यवस्था (455) 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (457) पंचायती राज की प्रमुख समस्याएँ (466) पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुझाव (467) प्रांतीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य नियंत्रण (468) नगर शासन (470) महानगर (470) नगर निगम (470) 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 (474) नगरपालिका (475) अधिसूचित क्षेत्र, समितियाँ एवं नगर क्षेत्र समितियाँ (479) इन्फ्रामेट्र ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट एवं छावनी बोर्ड (479) भारत में नगरीय स्वशासन की प्रमुख समस्याएँ (481) भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव (482) नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण (484) आधार स्तर के आन्दोलन तथा महिलाओं को अधिकार देना (488)

राजनीतिक सिद्धान्त : अध्ययन के उपागम (Approaches to the Study of Political Theory)

"सुसंस्कृत मानव प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, किन्तु अब वह कानून एवं न्याय को स्वीकार नहीं करता तो यह निरुत्पन्न प्राणी बन जाता है। यदि कोई मानव सभ्य में रहने योग्य नहीं होता अथवा जो स्वयं को अज्ञानविहीन मानकर सभ्यता की अपेक्षा नहीं रखता, वह या तो एक पशु है अथवा देवता।" —आस्तू

आस्तू (Aristotle) का यह कथन इस बात का परिचायक है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज में रहकर ही उसका विकास संभव है। समाज से मानव-जीवा के विभिन्न पक्ष तथा—सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आदि सभी प्रभावित एवं विकसित होते हैं। इन्हीं विभिन्न पक्षों के अध्ययन के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विज्ञान-विज्ञानों का प्रादुर्भाव हुआ है। राजनीति विज्ञान में मनुष्य समाज में रहते हुए राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है। राज्य एक राजनीतिक सभ्यता है जिसके द्वारा मनुष्य के राजनीतिक सम्बन्धों का सुचारु रूप से संचालन होता है, अतः राजनीति विज्ञान अध्ययन का मुख्य विषय बन जाता है। राजनीति विज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है।

राजनीति विज्ञान का अर्थ (Meaning of Political Science)


राजनीति विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द 'पोलिस' से हुई है तथा 'पोलिटिक्स' शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान् आस्तू ने किया। 'शूनै-शूनै' 'राष्ट्र-राज्यों' के विकास के साधन-साधन 'राजनीति विज्ञान' का विकास होता गया तथा राजनीति विज्ञान राज्य से सम्बन्धित विषयों का विज्ञान कहा जाने लगा।

राजनीति विज्ञान को केवल राज्य के अध्ययन तक ही सीमित रखने की सार्कोर्ण सक्तत्वा बाद में विकसित हुई जो परम्परा के रूप में अनेक वर्षों तक प्रचलित रही। आस्तू ने इस सन्दर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। के. आर्. जम्बवाल के अनुसार, "आस्तू ने राजनीति शास्त्र को 'मूल विज्ञान' की भन्ना दी और उसमें न केवल राजनीतिक सभ्यता, राज्य या नगर को शामिल किया वरन् उसमें परिवार, समाज एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की, जो समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आती हैं, को शामिल किया। आस्तू द्वारा ऐसा लिखना स्वभाविक था, क्योंकि उसके समय में यूनानी नगर—राज्य व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के पहलू से सम्बन्ध रखते थे और उदात्त राज्य राज्य और समाज में विभाजन देखा नहीं था। राजनीति विज्ञान का विकास अन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति राज्य के विशेष विज्ञान या राज्य सरकार के विज्ञान के रूप में होता गया।"

राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, जिसके अन्तर्गत मानव समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन होता है। मनुष्य द्वारा निर्मित अनेक संगठन होते हैं जैसे—परिवार, कुल, जाति, सभ्यता, धार्मिक सभ्य राज्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आदि, किन्तु संसार में मनुष्य जिस एक संगठन के अंतर्गत रहते हैं वह संगठन है—राज्य। राज्य आधुनिक युग में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण संगठन है। 'राज्य' नामक इसी संगठन का मुख्य रूप से अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान की यह सक्तत्वा शूनै-शूनै विकसित होती गई तथा इसने अब अधिक व्यापक रूप धारण कर लिया है। आर्जन्समैन के मतानुसार, "यद्यपि राज्य को राजनीति विज्ञान का अब भी मुख्य विषय माना जाता है, तथापि वर्तमान में राजनीतिक व्यवहार शासक और शासितों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों पर अधिक बल दिया जाने लगा है।"

राजनीति विज्ञान की परिभाषा (Definition of Political Science)

राजनीति विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह विषय मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के विषय में विभिन्न मत हैं। विद्वानों ने इसे अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। यह मतभेद इन विद्वानों द्वारा विभिन्न पक्षों पर विशेष बल देने के कारण उत्पन्न हुआ है। कोई विद्वान् राज्य पर अधिक बल देता है तो अन्य विद्वान् सरकार अथवा राज्य एवं सरकार दोनों पर अथवा व्यक्ति के राजनीतिक जीवन या उससे सम्बद्ध समस्याओं अथवा शक्ति या नीति-निर्माण प्रक्रिया पर बल देते हैं। इस प्रकार परिभाषा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, उस पर देशकाल का प्रभाव पड़ा है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हम निम्नांकित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—



उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाईं निम्नलिखित हैं—

(क) परम्परागत उपागम (Traditional Approach)

1. राज्य का अध्ययन

गार्नर (Garner) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरम्भ और अंत राज्य है।"

ब्लशली (Bluntshli) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका सम्बन्ध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं? उनका आवश्यक रूप क्या है? उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है?"

गुडनॉव (Goodnow) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान राज्य नामक सगठन की व्याख्या उसके स्मिर एवं गत्यात्मक दोनों रूपों में करता है।"

एक्टन (Acton) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान राज्य एवं उसके विकास के लिये अपरिहार्य दशाओं से सम्बन्धित है।"

गेरीज तथा जकारिया (Garies & Zacharia) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान एक व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धान्तों का अध्ययन करता है जिसके अनुसार राज्य समग्र दृष्टि से सगठित होता है तथा प्रभुसत्ता का उपयोग किया जाता है।"

स्पष्ट है इन परिभाषाओं में राज्य को ही राजनीति विज्ञान का केन्द्र बिन्दु मान कर अधिक महत्व दिया गया है और सरकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये परिभाषाएँ एकांगी कही जाती हैं, क्योंकि राज्य के साथ इनमें अन्य सम्बद्ध पक्षों को पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

2. सरकार का अध्ययन

सीले (Secley) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसन्धान करता है जिस प्रकार सम्पत्ति-शास्त्र सम्पत्ति का, जीवशास्त्र जीव का, बीजगणित अकों का तथा ज्यामितिशास्त्र स्थान एवं परिमाण का।"

लीकॉक (Leacock) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है।"

एच जी जेम्स के अनुसार, "राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किन्तु राज्य में सरकार भी अनन्तर्निहित है। सरकार राज्य के उद्देश्य को पूरा करने का यत्न है। वह राज्य को मूर्त रूप प्रदान करता है।"

क्रोसे (Croce) के अनुसार, "कल्पना की अपेक्षा जो वास्तविकता की छोज में है उनके लिये राज्य सरकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सरकार ये ही उसे पूर्ण रूप प्राप्त होता है।"

इस प्रकार राज्य अमूर्त संस्था है सरकार उसे मूर्त रूप प्रदान करती है अतः सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय होना चाहिए। यह मत भी एकांगी है, क्योंकि इसके अनुसार राज्य एवं अन्य मानवीय तत्वों की अपेक्षा की गई है।

3 राज्य एवं सरकार का तुलनात्मक अध्ययन

पॉल जैनेट (Paul Janet) के अनुसार, "सामाजिक विज्ञानों का वह अंग जो राज्य और सरकार के सिद्धान्तों का विवेचन करता है राजनीति विज्ञान है।"

डिमॉक (Dimock) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान राज्य और उसके यांत्रिक साधन सरकार से सम्बन्धित होता है।"

गिल्क्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याएँ होती हैं।"

गैटेल (Gettel) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के उन संगठनों से सम्बन्धित है जो राजनीतिक इच्छाओं और सरकार एवं उनके कार्यों का निर्माण करते हैं।"

इन परिभाषाओं में राज्य और सरकार के अध्ययन पर विशेष बल देते हुए प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की परिभाषाओं में समन्वय स्थापित किया गया है।

4 मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन

लास्की (Laski) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों में मानव-जीवन का अध्ययन है।"

हरमन हैलेट (Herman Hallet) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के सम्पूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव सम्बन्धी आधारभूत मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है।"

विलोबी (Willoughby) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान संगठन की दृष्टि से समाज का अध्ययन है जिसमें समाज व्यवस्थित और प्रगतिशील जीवन व्यतीत करता है।"

इन परिभाषाओं में मानवीय परत को महत्व दे कर, उपरोक्त सभी प्रकार की परिभाषाओं के एकांगी दृष्टिकोण के दोषों के निराकरण का प्रयास किया गया है। राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएँ मानव-जीवन को प्रभावित करती हैं।

(छ) आधुनिक उपागम (Modern Approach)

पारम्परगत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने के लिये अपनाया जाता रहा किन्तु बीसवीं शताब्दी में इसके विकट असंतोष व्यक्त किया जाने लगा जो अमेरी विद्वान् ग्राहम वालास (Graham Wallace) की 1908 में प्रकाशित पुस्तक 'राजनीति में मानव स्वभाव' (Human Nature in Politics) तथा अमेरिकी विद्वान् आर्थर बेन्टले (Arthur Bentley) की पुस्तक 'शासन की प्रक्रिया' (The Process of Government) में प्रखर रूप से प्रकट हुआ। वालास ने कहा है— "राजनीति विज्ञान का अध्ययन अभी तक असंतोषजनक दशा में है। राजनीति के सभी विदाकी राजनीतिक संस्थाओं की विवेचना करते हैं, किन्तु मानव के विशेषण की अपेक्षा करते हैं।" आर्थर का मत था कि "हमें एक प्राणहीन राजनीति विज्ञान मिला है क्योंकि उसमें प्रशासनिक संस्थाओं की केवल बाह्य विशेषताओं की औपचारिक व्याख्या ही मिलती है।"

प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के पश्चात् अमेरिकी विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नवीन दृष्टि से कर पुनः परिभाषित किया जाने लगा। ये परिभाषाएँ विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न पक्षों पर बल देकर की गईं जो अधिक व्यापक एवं व्यापकवादी हैं। राजनीति विज्ञान के इस आधुनिक उपागम पर 'व्यवहारवादी' (Behaviouristic) आन्दोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने इस तथ्य पर बल दिया कि वर्तमान युग में समस्त मानव जीवन ने एक इकाई का रूप ग्रहण कर लिया है अतः इसमें व्यवहारवादी की विशेषतायें संक्षेप में जोड़ी जाती हैं। मानव-जीवन के विविध पक्षों—राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। अतः राजनीति विज्ञान को केवल राजनीतिक क्रियाकरताओं के अध्ययन तक सीमित न कर, उसमें मानव-जीवन के अन्य पक्षों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समाजपरक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में 'अन्तःअनुशासनात्मक उपागम' (Inter Disciplinary Approach) को अपनाये जाने पर बल देता है।

4. प्रतियोगी राजनीति विज्ञान (खण्ड 1)

इस आधुनिक ढांगम के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा में उन साधनों और प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया जिनके आधार पर राजनीतिक सम्पूर्ण कार्य करता है, जैसे—'शक्ति', 'प्रभाव', 'सत्ता', 'नियंत्रण', 'निर्णय', 'मूल्य' आदि। आधुनिक ढांगम के अनुसार परिभाषाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. मानवीय क्रियाओं का अध्ययन

क्विन्सी राइट (Quincy Wright) के अनुसार "राजनीति एक ऐसी कला है जो एक वर्ग के हितों को सिद्ध हेतु अन्य वर्ग के विरोध में लोगों को प्रभावित तथा नियंत्रित करती है।"

कैटलिन (Calline) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान नियंत्रित समाज में उन कार्यों का अध्ययन करता है जो नियंत्रण में प्रयुक्त होते हैं।"

पीटर मार्केल (Peter Markel) के अनुसार, "राजनीति का महत्व इस दृष्टि में निहित है कि समाज में मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के आधार पर राजनीतिक ढांगों से स्वयं का भाग कैसे निर्मित करता है।"

स्टीचन वासबी (Stephen Wasby) के अनुसार, "राजनीतिक वैज्ञानिक मुद्दों नौ बजे में रात के पाँच बजे तक जो कुछ करता है, वही राजनीति विज्ञान है।"

इन परिभाषाओं में समूहित समाज में मानवीय क्रियाओं के अध्ययन को राजनीति विज्ञान माना गया है तथा मत्स्यगत तत्वों की उल्लेख की गई है।

2. शक्ति का अध्ययन

लासवेल एव कैपलान (Lasswell and Kaplan) के अनुसार, "एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति (Power) की रूप-रचना और उपयोग का अध्ययन है।"

हारम हेनर के अनुसार, "आज का राजनीति विज्ञान मुख्यतः राजनीतिक शक्ति की प्रतीति तथा एव विद्वानों की समस्या पर विचार करता है।"

उल्मर (Ulmer) के अनुसार, "सभी सामाजिक विद्वानों में शक्ति की धारणा से इतना सम्बन्धित कोई नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान।"

हुस्जर एव स्टीवेन्सन (Huszar and Stevenson) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के अध्ययन का श्रेष्ठ मुख्यतः मनुष्यों तथा राज्यों में परस्पर सम्बन्ध है।"

रॉबसन (Robson) के अनुसार, "शक्ति एक ऐसा आधारभूत विचार है जो राजनीति विज्ञान के सभी पक्षों को एक सूत्र में आवद्ध कर लेता है।"

इन्के आर्टिस्टिक मेरियम वेब, रसेल कार्टरिन्ग, मैकडवेल, गार्गेनो आदि विद्वानों ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन बताया है। इनके अनुसार 'शक्ति' (Power) का अर्थ 'सैनिक शक्ति' नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व है। ये परिभाषाएँ स्वभावी हैं, क्योंकि शक्ति राजनीति विज्ञान के चरों (Variables) में से एक है, किन्तु अस्वभावी नहीं।

3. पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन

रॉबर्ट ए. डहल (Robert A. Dahl) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान समूहित मानव समाज की व्यवस्था में विद्यमान राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है।"

की (Key) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान शक्ति और शक्ति के प्रभुत्व एवं अर्थात्ता के मानवीय सम्बन्धों का अध्ययन करता है।"

बर्ट्रैंड (Bertrand) के अनुसार, "पारस्परिक सम्बन्धों से रहने वाले व्यक्तियों के मध्य स्थित अन्तर्गत राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है।"

ये परिभाषाएँ भी स्वभावी हैं, क्योंकि ये राज्य, सरकार एवं अन्य राजनीतिक सम्बन्धों की उल्लेख करती हैं।

4. नीति-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन

डेविड ईस्टन (David Easton) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान उन प्रक्रिया का अध्ययन है जिनके अनुसार सम्पूर्ण समाज के निचे मूल्यों का अङ्गीकृत रूप में आवरण किया जाता है।"

लुईस फ्रीमन (Luice Freeman) के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध व्यक्ति में व्यक्ति एवं व्यक्ति के विद्यमान से है।"

नीति-निर्माण प्रक्रिया (Decision Making Process) केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं, अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण है। नीति-निर्माण में मूल्यों का निर्धारण विशेष महत्व रखता है। ईस्टन के अनुसार नीति का तात्पर्य समाज के उन निर्णयों एवं क्रियकलापों से है जिनसे सामाजिक मूल्यों का निर्धारण होता है। अधिसत्ता द्वारा निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। समाज के सदस्यों में व्यक्ति के कार्यकलापों का प्रभाव देखा जाता है अतः डेविड ईस्टन ने नीति, अधिसत्ता एवं समाज के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के लिये आवश्यक सपझकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किन्तु ईस्टन की विचारधारा में कुछ कमियाँ हैं, जैसे—राजनीतिक-अराजनीतिक में भेद करने, समाज पर नीति-निर्धारण के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा निर्णय-प्रक्रिया के व्यक्तिपरक (Subjective) होने की कठिनाइयाँ।

राजनीति विज्ञान की परम्परागत एवं आधुनिक उपागमों में सपस्यकारी परिभाषा

परम्परागत एवं आधुनिक उपागमों में उचित समन्वय स्थापित करने हेतु उनमें पिनाक और स्मिथ (Pennock and Smith) का प्रयास प्रशंसनीय है। इनके अनुसार, "राजनीति विज्ञान समाज के उन सभी प्रभावों, सम्भाव्यों तथा सगुणताएक रूपों से सम्बन्धित होता है जिन्हें उस समाज में मुख्यतया की स्थापना और संचालण, अपने सदस्यों के सामूहिक कार्यों के सम्पादन तथा उनके मतपेदों का समाधान करने के लिये सर्वाधिक अतर्वेशित (Inclusive) और अतिथि (Latent) माना जाता है।"

डॉ. इकबाल नाउषण ने पिनाक एवं स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा को सर्वथा उचित नतलते हुए कहा है कि "राजनीति विज्ञान उन कार्यकलापों का अध्ययन करता है, जिनका सम्बन्ध उसके जीवन के राजनीतिक राज्य सरकार, राजनीतिक सम्भाव्यों, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि पहलुओं से होता है। यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन का राजनीतिक पहलू उनके अन्य पहलुओं को और अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलू को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।"

राजनीति विज्ञान की प्रकृति

(Nature of Political Science)

राजनीति विज्ञान नामकरण से भ्रष्ट होता है कि इस विषय को विज्ञान माना जाता है किन्तु इस प्रश्न पर काफी विवाद है कि "क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है?" विद्वानों का एक वर्ग इसे विज्ञान की श्रेणी में रखता है तथा दूसरा क्लास में। एक तीसरा वर्ग है जो इसे प्राकृतिक विज्ञान न मानकर, सामाजिक विज्ञान कहता है। हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि इसे किस सीमा तक विज्ञान कहा जा सकता है पानु इसके पूर्व विभिन्न मतों का संक्षेप में उल्लेख कर राजनीति विज्ञान की प्रकृति सम्बन्धी मतपेद स्पष्ट करने चाहिये। जर्मन विद्वान् हाजेनशार्फ, रेजन्कोफर, ट्रोत्स्के, वॉन मोहल आदि का यह दृढ़ मान्यता है कि राजनीति विज्ञान, विज्ञान है। अरस्तू ने इसे जहाँ "सर्वोच्च विज्ञान माना है, वहीं बर्नार्ड शॉ ने "मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान" कहा है। बोर्दो, हॉम्बर, मॉटेस्कुयू, ब्राइस, ब्लाशली, हरमन फाइजर, लास्की आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान स्वीकार किया है, लेकिन बवलू काप्रे, मट्लैण्ड, वियर्ड मोम्बू, बर्क, बोगन आदि विद्वानों की मान्यता है कि इसे विज्ञान कहना उचित नहीं है।

वियर्ड का मत है कि "राजनीति का विज्ञान बनाना न तो वांछनीय है और न ही सम्भव।" कैटलिन का कथन है "अभी तक कोई ऐसा बस्तु नहीं है जिसको किसी मान्य अर्थ में राजनीति विज्ञान कहा जा सके।" फोका के अनुसार, "हम यह नहीं सोचते कि राजनीति विज्ञान ने अपनी वर्तमान दशाओं में अब तक धात्विक रूप में वैज्ञानिक रणगण पर प्रवेश कर लिया है।" बोगन के अनुसार, "राजनीति का विज्ञान से सीधा सम्बन्ध असामयिक और सदिग्ध है।" विद्वानों का तीसरा वर्ग इसे सीमित अर्थ में विज्ञान मानने को सहमत है। सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि "राजनीति के विज्ञान होने का अस्तित्व उसी अर्थ में और उसी सीमा तक है जैसे नैतिक विज्ञान का अस्तित्व है।"

विज्ञान क्या है?—अमेरिकन दिक्शनरी के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करती है और सामान्य नियमों को खोज निकालने का प्रयत्न करती है। विज्ञान में प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन का कार्य कर अन्त में भविष्यवाणी की जाती है। चेम्बर्स दिक्शनरी के अनुसार "वह ज्ञान जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली-भाँति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धान्त में समाहित हो, विज्ञान कहलाता है।" प्रत्येक विज्ञान अपने अन्वेषण के विषय, तथ्य एवं सामग्री के सम्बन्ध में दो प्रक्रियाएँ करता है—एक में कारण और दूसरे में प्रभावों का वर्णन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है।

कला क्या है?—कला ऐसा ज्ञान होता है जिसका उद्देश्य मनुष्य-जीवन को सुन्दर बनाना होता है। एक विद्वान् का कथन है—"सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् की साधना कला है।" कला का उद्देश्य अतीत के जीवन का चित्रण करते हुए भविष्य के लिये मार्गदर्शन करना तथा उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना करना होता है।

राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं है—उजनीति विज्ञान को निम्न कारणों से विज्ञान नहीं माना जाता है—

(1) सर्वमान्य तथ्यों का अभाव—विज्ञान में तथ्यों पर मतभेदका पाई जाती है, जैसे—गुरुत्वाकर्षण का नियम एवं $H_2 + O \rightarrow H_2O$ अर्थात् दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलने पर पानी बन जाता है, लेकिन उजनीति विज्ञान के सभी नियमों एवं तथ्यों पर विद्वानों में गहरा मतभेद विद्यमान है।

(2) प्रयोग एवं परीक्षण का अभाव—विज्ञान में प्रयोग एवं परीक्षण किया जाना आवश्यक है, लेकिन उजनीति विज्ञान में मानव से सम्बन्धित अध्ययन किये जाने के कारण न तो नमूना (Sample) ही लिया जा सकता है और न ही किसी सिद्धान्त का प्रयोग बार-बार किया जा सकता है। ब्राडस (Bryoc) ने लिखा है कि "भौतिक विज्ञानों में एक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बार-बार प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु उजनीति में एक प्रयोग बार-बार नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएँ पुनः पैदा नहीं की जा सकती, जैसे—कोई एक ही नदी में पुनः नहीं गिर सकता।" मानव-प्रकृति की भिन्नता तथा परिस्थितियों की विविधता के कारण सिद्धान्त भी बदलते रहते हैं। मानवीय स्वभाव, विवेक, इच्छा, व्यवहार आदि सभी में भिन्नताएँ पाई जाती हैं।

(3) कार्य-कारण सम्बन्धों का अभाव—विज्ञान में निश्चित कारण और परिणाम निकलता है। जैसे—कोई वस्तु ऊपर से पड़े तो नीचे गिरेगी, लेकिन उजनीति विज्ञान में किसी निश्चित घटना के निश्चित कारण नहीं होते।

(4) भविष्यवाणी का अभाव—पदार्थ विज्ञान के अध्ययन के आधार पर निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रयोग एवं परीक्षण सम्भव है। उजनीति विज्ञान में किसी भी रूप में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

(5) मानवीय स्वभाव की परिवर्तनशीलता—उजनीति विज्ञान में ही नहीं वरन् सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिकता का महत्वपूर्ण बाधक तत्व मानवीय स्वभाव की परिवर्तनशीलता है इसीलिए इसमें प्रयोग, परीक्षण, कार्य-कारण सम्बन्ध, भविष्यवाणी आदि सम्भव नहीं है।

(6) आत्मपरकता—उजनीति विज्ञान के अध्ययन में अध्ययनकर्ता आत्मपरक दृष्टिकोण रखता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसंधानकर्ता का दृष्टिकोण वस्तुपरक होता है।

(7) वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अभाव—विज्ञान का अध्ययन वस्तुनिष्ठ (Objective) तरीके से किया जाता है। उजनीति विज्ञान का अध्ययन आत्मनिष्ठ (Subjective) ढंग से होता है, क्योंकि इसमें मानव तटस्थ नहीं रह सकता। पदार्थ के अध्ययन में अनुसन्धान का अपना व्यक्तित्व एवं मूल्य कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन उजनीति विज्ञान को अनुसंधानकर्ता का व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, शिक्षा, सामाजिक वातावरण आदि प्रभावित कर सकते हैं।

(8) राजनीति विज्ञान के अर्थ एवं नामकरण पर मतभेद—उजनीति विज्ञान के अर्थ और नामकरण पर ही उजनीति विज्ञान के विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। यह कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ती ही परिभाषाएँ हैं, जिनके विषय के विद्वान्। विषय को सम्बोधित करने के लिए 'उजनीति शास्त्र', 'उजनीति दर्शन', 'उजनीति विज्ञान' आदि नामों का प्रयोग किया जाता है।

विद्वान् मानते हैं कि उजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। कान्टे (Comte) का मत है कि "उजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धान्तों एवं निष्कर्षों के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिनके आधार पर भविष्य के लिए सही निष्कर्ष निकाले जा सके।" बर्क ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा है कि "जिस प्रकार हम सौन्दर्य विज्ञान को विज्ञान की सजा नहीं दे सकते, उसी प्रकार उजनीति विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता।"

राजनीति विज्ञान, विज्ञान के रूप में (Political Science as a Science)

उजनीति विज्ञान को तथा सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान नहीं माना जा सकता, लेकिन आरन्स, बोदो, हॉब्स, मटियव्यु, सेविम, ब्लारली, जैलैनेक, गार्नर जैसे विद्वान् इसे सामाजिक विज्ञान स्वीकार करते हैं। सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा है कि "जिस प्रकार नैतिकता एक विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा उसी मीमांसा तक राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है।" ब्राडस ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हुए कहा है कि "उजनीति विज्ञान उसी अर्थ में विज्ञान है जिस अर्थ में ऋतु विज्ञान है।" ये विद्वान् अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(1) सर्वमान्य तथ्य—उजनीति विज्ञान में अनेक तथ्य ऐसे हैं, जिन पर विद्वानों में एकमत है, जैसे—प्रखरत्व शासन अन्य शासनो से श्रेष्ठ है, न्यायाधीश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, न्यायी कर्मचारियों की नियुक्ति निष्पक्ष निकाय द्वारा हो आदि। इस प्रकार उजनीति शास्त्र में बहुत से सर्वमान्य तथ्यों का विकास हो चुका है। मुनरो ने ठीक कहा है कि "आज बहुत से उजनीतिक विद्वान् जिन्हें हम सयोग का मानव प्रवास को ठपन समझते हैं, वस्तुतः उजनीतिक नियम के तुल्य हैं।" लॉर्ड ब्राडस के मतानुसार, "मानव-प्रकृति की प्रकृतियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा एक ही प्रकार से कार्य करता है।"

(2) प्रयोग का परीक्षण सम्बन्ध—राजनीति विज्ञान में प्रयोग एवं परीक्षण प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सम्भव नहीं है, लेकिन राजनीति विज्ञान में अपनी तरह से प्रयोग एवं परीक्षण होते रहते हैं। गार्नर ने लिखा है कि "प्रत्येक नये कानून का निर्माण संस्था की स्थापना और प्रत्येक नीति का प्रारम्भ इस दृष्टि से एक प्रयोग ही होता है कि यह उस समय तक अस्थायी या प्रस्ताव रूप में समझा जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दें।" पर्यवेक्षण के आधार पर राजनीति शास्त्र में अनेक निष्कर्ष निकलते हैं। मटिस्व्यू ने 'Spirit of Laws' और बाइस ने 'Modern Democracy' नामक पुस्तक की रचना पर्यवेक्षण के आधार पर की है।

(3) कार्य-कारण सम्बन्ध सम्बन्ध—राजनीति विज्ञान में कार्य-कारण सम्बन्धों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकती, लेकिन विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन के बाद कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अरस्तू ने अपने महान ग्रन्थ 'पोलिटिक्स' में घातियों के सामान्य और विशिष्ट कारण दिए हैं और यिरव की अधिकांश घातियों के पीछे ये कारण विद्यमान रहे हैं—राज्य की शक्ति पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का कार्य-क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। सोक्रेटज शासन में जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है यदि सभी निष्कर्ष कार्य-कारण पद्धति से निकलते हैं। गार्नर के अनुसार, "प्रत्येक नये कानून का निर्माण, नई संस्था की स्थापना और नई बात का प्रारम्भ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक यह अस्थायी समझा जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दें।"

(4) भविष्यवाणी सम्बन्ध—जिकिस्ता विज्ञान और मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी कभी-कभी गलत निकल जाती है, फिर भी उन्हें विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। अतः राजनीति विज्ञान की भविष्यवाणी भी कभी गलत निकल जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे विज्ञान नहीं मानें। डॉ. इरमन फाइजर ने लिखा है, "हम निश्चयपूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, परन्तु सम्भावनाएँ तो व्यक्त कर सकते हैं।" इसलिए सॉर्डि बाइस ने राजनीति विज्ञान की तुलना अन्तरीक्ष विज्ञान जैसे अदिकसित तथा अपूर्ण विज्ञान से की है।

(5) क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विषय—राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित हो चुका है। इसमें राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं के विचारों आदि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है।

अतः राजनीति विज्ञान को एक आदर्शात्मक विज्ञान कहा जा सकता है।

राजनीति विज्ञान कला के रूप में (Political Science as an Art)

राजनीति विज्ञान को सभी विद्वान कला स्वीकार करते हैं, फिर चाहे बवल जैसे विद्वान इसे पिछड़ी हुई कला के रूप में ही स्वीकार करते हों। बर्नार्डो ने लिखा है, "राजनीति विज्ञान विज्ञान की अपेक्षा एक कला अधिक है। इसका काम राज्य के सम्बन्धों में व्यावहारिक पथ-प्रदर्शन करना है।" कला के माध्यम से किसी भी यन्त्र को सुन्दरतम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान कला है, क्योंकि राज्य प्रत्यक्ष में है, कल्याणकारी है और मानवीय जीवन को सुन्दर बनाने का प्रयास भी करता है।

राजनीति विज्ञान सर्वोच्च जीवन तथा किसी ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप देने की एक श्रेष्ठ कला है। राजनीति विज्ञान मनुष्य द्वारा उत्पन्न ज्ञान को राज्य के निर्माण में सहायता है। राजनीति विज्ञान द्वारा हम मानव के राजनीतिक जीवन का सुन्दर चित्रण कर सकते हैं।

निष्कर्ष—इस प्रकार राजनीति विज्ञान वास्तुतः कला और विज्ञान दोनों को श्रेणी में आता है। यह मानना निराधार है कि राजनीति विज्ञान मात्र कला की श्रेणी में आता है, क्योंकि विज्ञान एवं कला में कोई अन्तर्विरोधी नहीं होता। बिलियम एडमिण्ड के अनुसार, "विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है।" केप्लिन राजनीति विज्ञान को 'कला, दर्शन और विज्ञान' तीनों मानता है। सामवेले के मतानुसार, "राजनीति विज्ञान, कला, विज्ञान और दर्शन का एक संगम है।"

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र

(Scope of Political Science)

परिभाषा की भाँति राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी लेखकों ने विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। उदाहरणार्थ, बर्नार्डो के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध राज्य के आधारों से है, अतः यह उसकी आवश्यक प्रकृति, विभिन्न स्वरूपों, अभिव्यक्तियों एवं उसके विकास का अध्ययन करता है।" गार्नर के अनुसार, "राजनीति शास्त्र का विषय-क्षेत्र तीन भागों में विभाजित है—प्रथम, राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का अनुसंधान; द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और उनके इतिहास तथा रूपों की चोखण एवं तृतीय, उपर्युक्त खोज तथा चोखण के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का प्रस्तावना अनुमान लगाना।" थ्रेडरिच पोलेक के अनुसार, "राजनीति विज्ञान के दो भाग होते हैं—सैद्धांतिक राजनीति

विज्ञान और व्यावहारिक राजनीति विज्ञान। प्रथम भाग में राज्य के मूल तत्वों, सिद्धान्तों और आदर्शों पर विचार किया जाता है जबकि दूसरे भाग में उन साधनों का विवेचन होता है जिनके द्वारा राज्य अपनी शक्ति को अभिव्यक्त और प्रयुक्त करता है।" गिलक्राइस्ट ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के सम्बन्ध में तीन तत्वों पर बल दिया है—(i) राज्य का वर्तमान स्वरूप (ii) राज्य का ऐतिहासिक स्वरूप एवं (iii) राज्य का भवित्वा स्वरूप।" विलोबी ने माना है कि "राजनीति विज्ञान तीन बातों पर विचार करता है—राज्य, प्रशासन तथा विधि।"

राजनीति विज्ञान की क्षेत्र सम्बन्धी परिभाषाओं में हमारे समक्ष तीन विचारधाराएँ आती हैं—(1) इस विचारधारा के अनुसार केवल राज्य, (2) केवल सरकार और (3) राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन। किन्तु यह ध्यान रखने योग्य है कि परिभाषा की भौतिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम मानव-तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकते अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन-क्षेत्र में राज्य, सरकार एवं मनुष्य तीनों ही आते हैं।

राज्य का अध्ययन—राजनीति विज्ञान राज्य का सर्वांगीण और सर्वकालिक अध्ययन है। इसमें राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य दोनों स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य का वर्तमान स्वरूप, सगठन, अर्थव्यवस्था, टेरिटरि, कार्यक्षेत्र आदि शामिल है। राज्य के स्वरूप के अन्तर्गत राजतन्त्र, प्रजातन्त्र आदि सरकारों की विवेचना की जाती है। सरकार के सगठन की दृष्टि से विभिन्न अंगों और उनसे सम्बन्धित सिद्धान्तों का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से व्यक्तिवाद, समाजवाद, गाँधीवाद आदि विभिन्न सिद्धान्त राजनीति विज्ञान का विषय है। इस प्रकार देश का कुशल प्रशासन, स्थानीय स्वशासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, कूटनीति, सन्धि-समझौते, विस्फोट आदि से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राज्य के तात्कालिक स्वरूप और सगठन से मनुष्य को सहाय नहीं होता अतः प्रारम्भ से ही वह आदर्श राज्य का स्वप्न लेता रहा है। प्लेटो, आस्तू, मूर आदि ने आदर्श राज्य का चित्रण किया है।

सरकार का अध्ययन—सरकार वह उपकरण है जो राज्य के स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति करता है। राज्य अमूर्त वस्तु है और सरकार उसका मूर्त रूप, अतः सरकार के अध्ययन के अभाव में राज्य का अध्ययन कोई महत्व नहीं रखता। राजनीति विज्ञान में सरकार के विभिन्न अंगों, उनके सगठन, कार्यक्षेत्र, उन अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध, राजनैतिक दल, जनमत, स्थानीय शासन तथा दबाव-गुट्टों (Pressure Groups) का विवेचन भी किया जाता है।

मनुष्य का अध्ययन—राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत मनुष्य के अधिकारों, राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों, मनुष्य तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के वे क्रिया-कलाप, जिनका सम्बन्ध राज्य और शासन से है, इस विषय की अध्ययन सामग्री है। राज्य मानव प्रगति का सूचक है। राजनीति विज्ञान में परिवर्तन, विद्रोह, सामाजिक एवं बौद्धिक वातावरण आदि का क्रम भी ध्यान में रखना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं सम्बन्धों का अध्ययन—राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के सर्वांगीण अध्ययन के साथ-साथ मानव-तत्व और अपुनिक वातावरण का अध्ययन करता है। एनएसइकोनीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेन्ट ने अपने 'Political Science' नामक लेख में राजनीति विज्ञान की प्रतिपाद्य सामग्रियों का विवेचन करते हुए लिखा है कि "आज राजनीति विज्ञान में प्रधानतः राजनैतिक शक्ति की पूर्ति, उसके दृष्टिकोण और वितरण की समस्या एवं इन प्रक्रियाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा भौतिक, जलवायु सम्बन्धी, जनन, प्राकृतिक, आर्थिक, सैनिक, नैतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय वातावरण और कानून के अनुसार जनशक्ति राज्य-सम्पदा का स्वरूप धारण करती है। इसमें महत्वपूर्ण राजनैतिक समुदायों, विशेषकर राजनैतिक दलों के सगठन और कथों का वर्णन एवं विवेचन किया जाता है।"

सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभ के युनेस्को (UNESCO) के एक सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर विचार किया गया था। युनेस्को के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय-क्षेत्र निम्नलिखित प्रमुख चार शाखाओं में विभाजनीय माना गया है—

- (1) राजनैतिक सिद्धान्त (Political Theory) में राजनैतिक विचारों का इतिहास तथा राजनैतिक सिद्धान्त सम्मिलित हैं।
- (2) राजनैतिक संस्थाएँ (Political Institutions) में संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रदेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनैतिक संस्थाएँ सम्मिलित हैं।
- (3) राजनैतिक दल (Political Parties) में राजनैतिक दलों, समुदाय, जनमत, दबाव समूह, सरकार एवं प्रशासन में जनता के योगदान आदि का अध्ययन निहित है।
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations) में अन्तर्राष्ट्रीय सगठन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्मिलित हैं।

राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं क्षेत्र के परम्परागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अन्तर

(1) परम्परागत दृष्टिकोण मूल्यों पर आधारित है तथा उसमें व्यक्तिनिष्ठता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है और यह वस्तुनिष्ठ है। (2) परम्परागत दृष्टिकोण अद्वैतात्मक है, किन्तु आधुनिक दृष्टिकोण पक्षार्थकारी है। (3) परम्परागत दृष्टिकोण में राजनीतिक समस्याओं पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्तियों के व्यवहार पर बल दिया जाता है। (4) आधुनिक दृष्टिकोण अन्तर्विषयी उपागम (Inter-Disciplinary Approach) अपनाता है, जबकि परम्परागत दृष्टिकोण राजनीतिक अध्ययन तक सीमित है। (5) आधुनिक एवं परम्परागत दृष्टिकोण क्रमशः प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं पर बल देते हैं। (6) परम्परागत दृष्टिकोण कल्पना पर आधारित है, किन्तु आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है।

रोलॉ पिरोट्ट एवं डेविड स्पिंग का मत है कि—“ये दोनों विज्ञानशास्त्रों राजनीति विज्ञान की विषय-वस्तु के दो पहलू मात्र हैं।”

नाम विभेद (Terminological Distinctions)

राजनीति विज्ञान के नामकरण पर प्रायः मतभेद है। इसे राजनीति (Politics), राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy) तथा राजनीति विज्ञान (Political Science) आदि नामों में पुकारा गया है। राजनीति विज्ञान ही सर्वमान्य है तथापि यह देखा जाना आवश्यक है कि विभिन्न नामों के अर्थ में क्या अन्तर है और इस विज्ञान को राजनीति विज्ञान ही क्यों कहा जाये।

राजनीति (Politics)

प्राचीन काल में ‘राजनीति’ शब्द का प्रयुक्त था। अस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम ‘राजनीति’ (Politics) रखा था। प्राचीन मूलान के निवासियों के लिए राजनीति अर्थात् नगर-राज्य का वैज्ञानिक अर्थ राज्य एवं शासन का विज्ञान था और इस शब्द से राजनीति विज्ञान के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों का बोध होता था। यद्यपि मैलिनिक, होल्जन्डोर्फ, सिजर्विक आदि कुछ आधुनिक लेखकों ने भी ‘राजनीति’ नाम प्रयुक्त किया है, तथापि इस शब्द का प्रयोग केवल व्यावहारिक राजनीति के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है—शासन सम्बन्धी नीति, चुनाव-प्रणालि आदि का अध्ययन। राजनीति शब्द में वाल्टकी, तोड-फोड, दसतीय संगठन, नेतृत्व आदि की भावना निहित है, संगठित अध्ययन का बल नहीं है। प्रचलित रूप में हम राजनीतिज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जो शासन की तत्कालीन समस्याओं में विशेष रुचि प्रकट करता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राजनीति विज्ञान का ज्ञाता हो अतः राजनीति (Politics) में प्रशासकीय क्रियाओं का वर्णन किया जाता है जबकि राजनीति विज्ञान (Political Science) उस सम्पूर्ण विषय का नाम है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार और मनुष्यों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न पहलुओं के अन्तर्गत किया जाता है।

कतिपय लेखक राजनीति को दो भागों में—सैद्धान्तिक राजनीति (Theoretical Politics) और अनुप्रयुक्त राजनीति (Applied Politics) में विभाजित करने के पक्ष में हैं। फ्रेडरिक पोलक (Fredrick Pollack) ने राजनीति शब्द का व्यापक प्रयोग करते हुए इसका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है—

सैद्धान्तिक राजनीति	व्यावहारिक राजनीति
(क) राज्य सिद्धान्त (राज्य के मूल तत्त्व गुण धर्म, उत्पत्ति एवं आदर्श आदि की व्याख्या तथा विवेचन)।	(क) राज्य का व्यावहारिक तथा वास्तविक रूप और शासन व्यवस्था का अध्ययन।
(ख) सरकार के सिद्धान्त (शासन सम्बन्धी समस्याओं, विभाग व्यवस्था, विधि, राज्य-कार आदि के सिद्धान्तों का अध्ययन)।	(ख) शासन के वास्तविक और व्यावहारिक रूप का अध्ययन, सरकार की कार्य-प्रणाली का वर्णन और विवेचन।
(ग) विधि निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त (कानून की उत्पत्ति, उद्देश्य, विकास आदि की व्याख्या)।	(ग) विधि और विधि निर्माण प्रणाली, अदालतों आदि।
(घ) कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धान्त।	(घ) व्यक्तिगत रूप में राज्य का सिद्धान्त (कूटनीति, शांति, युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध)।

राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy)

कठिन विद्वान् राजनीति को 'राजनीतिक दर्शन' कहते हैं, किन्तु प्रो. गिलक्राइस्ट के अनुसार, "राजनीतिक दर्शन शब्द बहुत संकुचित है।" उनके मत में राजनीतिक दर्शन सम्पूर्ण राजनीति नहीं है तथा केवल राज्य की प्रकृति के मूलभूत सिद्धान्तों, नागरिकता, कर्तव्य और अधिकारों के सैद्धान्तिक पक्ष पर राजनीतिक आदर्शों से सम्बन्ध रखता है। इस मान्यता को स्वीकार करने पर जो विषय सामग्री राजनीति विज्ञान की है, वह राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत नहीं आती। गिलक्राइस्ट के अनुसार, "राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन को मौलिक मान्यताओं पर राजनीति विज्ञान आधारित है। राजनीतिक दर्शन को बहुत-सी ऐसी सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है जो उसे राजनीति शास्त्र से प्राप्त होती है अतः इन दोनों में विभाजन नहीं किया जा सकता, परन्तु आधुनिक प्रथा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट है, जबकि राजनीतिक दर्शन के अर्थ में वह स्पष्टता नहीं आ पाई है।" जे. एच. हेलोवेल (J H Hellowel) के अनुसार, "राजनीतिक दर्शन की दृष्टिकोणीयता इसमें नहीं है कि तथ्य कैसे घटित होते हैं ब्रितीनो इसमें कि राजनीति में क्या घटित होता है और क्यों?" सिम्रविद के अनुसार, "राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध मुख्यतः कुछ मनोवैज्ञानिक आधारों पर पारस्परिक सम्बन्धों की उभय व्यवस्था के निर्माण करने से है जो सभ्य मानव के समाज में होना चाहिए।" राज्य का व्यर्थत्व क्या हो, इस विषय पर जो विचारक मनन करते और निष्कर्ष निकालते आते हैं, वे राजनीतिक दर्शन के सिद्धान्त कहे जाते हैं। व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अणुअणुवाद आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में अन्तर है, परन्तु इस विभेद को स्पष्ट करना कठिन है। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान अधिक व्यापक है और इसका अर्थ सुनिश्चित बन चुका है, इसलिए राज्य सम्बन्धी अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहना उचित है।

राजनीति विज्ञान (Political Science)

राजनीति अथवा राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा 'राजनीति विज्ञान' शब्द अधिक उपयुक्त है। इससे राज्य सम्बन्धी सभी पहलू के ज्ञान का बोध होता है। इसमें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनीति दोनों ही सम्मिलित हैं। सैद्धान्तिक पक्ष से इसका सम्बन्ध राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य आदि से है जबकि व्यावहारिक पक्ष से इसका सम्बन्ध राजनीतिक समस्याओं के समझन तथा उनके कारणों से है। डॉ. इकबाल नापणग के अनुसार, "राजनीति शास्त्र शब्द के अधिप्राय में एक ऐसी व्यापकता एवं सुनिश्चितता है जो राजनीतिक दर्शन में नहीं पाई जाती, इसलिए राज्य सम्बन्धी कार्यों के अध्ययन को राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहना उचित समझते हैं।"

राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक सिद्धान्त में भेद

(Distinction between Political Science, Political Philosophy & Political Theory)

'राजनीति शास्त्र' अथवा 'राजनीतिक विज्ञान' के नामकरण पर पर्याप्त मतभेद है। समाज विज्ञानों में राजनीतिक विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसकी कोई निश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली नहीं है। इसकी शब्दावली की विविधता, अनिश्चितता एवं अस्पष्टता के कारण इस विषय को समझने में अनेक प्राथमिकी उत्पन्न हुई हैं। जेलेनिक के अनुसार, "ऐसा कोई विज्ञान नहीं जिसे एक अच्छी शब्दावली की इतनी आवश्यकता हो जितनी कि राजनीति विज्ञान को इसकी शब्दावली ऐसी है जो निश्चित व्यक्तियों को भी समझ में नहीं आती। इन नामपदों का सही अर्थ जाने बिना यह निश्चित करना कठिन है कि 'राजनीति विज्ञान' को कौनसा नाम देना उपयुक्त होगा? अतः इन नामपदों की व्याख्या कर उनका 'राजनीति विज्ञान' से भेद स्पष्ट करना उचित है।

कठिन विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय राजनीतिक विचारकों के उन सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं और समस्याओं की समझने में सहायक होते हैं। वे विद्वान् इस विषय को 'राजनीतिक सिद्धान्त' के नाम से पुकारते हैं। उनका मत है कि यह विषय राजनीतिक जीवन के तथ्यों का अध्ययन न कर उनके आधार पर सामान्य नियमों के निर्धारण का प्रयत्न करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक बुद्धिमत्ता को छोड़कर है। इनका दृष्टिकोण है कि यह विषय महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों का विवेचन सत्यान्वेषण की दृष्टि से करता है और हमारे समक्ष ऐसे नैतिक मूल्यों तथा मान्यताओं को प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर हम समाज के राजनीतिक कार्यों एवं बर्तव्यों का निर्णय कर उनका सफलता एवं विफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं अतः यह विषय 'राजनीतिक सिद्धान्त' के नाम से पुकारा जाता है, किन्तु 'राजनीतिक सिद्धान्त' की समीक्षा करते हुए कान्टे (Comte) का कथन है कि 'राजनीति विज्ञान के विरोध में ही अध्ययन विधियों, सिद्धान्तों एवं निष्कर्षों के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। इसमें विचारों की निरन्तरता का अभाव है। इसमें उन तथ्यों का अभाव है जिनके आधार पर मध्यम के नियमों के निष्कर्ष निकाले जा सकें।' एस. एन. डूबे के अनुसार, "राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन से तत्कृत सिद्ध है। दर्शन मूल्यों

से सम्बन्धित आधारभूत समस्याओं की विवेचना करता है। उसके अनर्गत विभिन्न मूल्यात्मक सिद्धान्तों के मध्य तार्किक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। उसके सिद्धान्तों अथवा निष्कर्षों का सम्बन्ध तात्कालिक तथ्यों अथवा घटनाओं से नहीं होता। सिद्धान्त की प्रकृति इससे भिन्न होती है। वास्तविक घटनाओं अथवा तथ्यों के विरलेषण से जो सामाजिककरण (सामाजिक नियम) निकाले जाते हैं, सिद्धान्त कहलाते हैं। किसी सिद्धान्त का अनुभव के आधार पर अथवा वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। उन सिद्धान्तों के आधार पर घटनाओं के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। किसी सिद्धान्त को सिद्ध अथवा असिद्ध किया जा सकता है, किन्तु किसी दार्शनिक सिद्धान्त का परीक्षण नहीं किया जा सकता। उसे या तो स्वीकार कर लिया जाये अथवा त्याग दिया जाये।"

अतः गिस्टराइट के अनुसार, "विवेक तथा प्रयोग के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है।" अधिकांश विद्वान् इस विषय के लिए "राजनीति विज्ञान" शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं।

राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन के उपागम

(Approaches to the Study of Political Theory)

समुक्त राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद है। इसी मत-भिन्नता के कारण इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों या उपागमों (Approaches) का अनुसरण एवं समर्थन भिन्न प्रकार से प्रयोजित किया है। आगस्ट कांटे, गिस्, व्हाली, ब्राइस, हल्लोन्ड आदि विद्वानों का प्रयास हम दिशा में उल्लेखनीय रहा है। इन अध्ययन-उपागमों को कतिपय विद्वान् दो भागों में विभाजित करते हैं—(1) आगमनात्मक उपागम (Inductive Approach) तथा (2) निगमनात्मक या आदर्शमूलक उपागम (Deductive or Normative Approach) जबकि अन्य विद्वान् इन्हें दो पृथक् वर्गों में विभक्त करते हैं—(1) परम्परागत (Traditional), (2) आधुनिक (Modern) या समकालीन (Contemporary)।

परम्परागत उपागम

(Traditional Approaches)

परम्परागत प्रमुख उपागम हैं—दार्शनिक, कानूनी, अवलोकनात्मक, ऐतिहासिक एवं प्रयोगात्मक। परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के संस्थात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, आधुनिक अध्ययन उपागम में मानक-व्यवहार को महत्व दिया जाता है। आधुनिक उपागमों में प्रमुख हैं—(1) मनोवैज्ञानिक (Psychological) उपागम, (2) मानवीय या अदार्शमूलक (Normative) उपागम (3) संरचनात्मक प्रक्रियात्मक (Structural Functional) उपागम तथा (4) व्यवहारवादी (Behavioural) उपागम। डॉ. इकबाल नायण के अनुसार—"राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है तथापि यह शक्य है कि राजनीति विज्ञानों को हाद सुनिश्चित विज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक स्वरूप की यह अनिश्चितता उसकी अध्ययन पद्धतियों में भी पाई जाती है।"

1. आदर्शमूलक या मानवीय तथा दार्शनिक उपागम

(Normative or Humanistic & Philosophical Approach)

अर्थ एवं व्याख्या

आदर्शमूलक उपागम को मानवीय तथा दार्शनिक उपागम भी कहा जाता है। पद्धति या विधि की दृष्टि से इसे निगमनात्मक उपागम (Deductive Approach) माना जाता है। निगमनात्मक उपागम में सामान्य सिद्धान्तों या मान्यताओं के सत्य होने की कल्पना पूर्व में हो कर की जाती है और उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः इस उपागम में हम सामान्य सिद्धान्त से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं।

इसमें तर्क एवं कल्पना का अधिक आश्रय लिया जाता है। इसमें पूर्व मान्यताओं को सत्य मानकर विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं पर उन्हें लागू कर अपने मानकों (Norms) का औचित्य सिद्ध किया जाता है जैसे—राज्य की आदर्श कल्पना कर उसे वर्तमान राज्य के संदर्भ में उचित सिद्ध करना। इस उपागम के अनुसरण करने वालों में प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, गिस्, सिम्ब्रिक, ब्रेटले, बोसकि आदि प्रमुख हैं। प्लेटो की 'रिपब्लिक' (Republic) तथा थॉमस मूर की 'यूटोपिया' (Utopia) राजनीति विज्ञान के आदर्शमूलक उपागम के उदाहरण हैं। प्लेटो ने एक काल्पनिक आदर्श राज्य की और थॉमस मूर ने स्वर्गिक राज्य का चित्रण कर उन्हें आदर्श माना है। इस उपागम का अनुप्रयोग 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी के उपयोगितावादी एवं आदर्शवादी विचारकों ने किया था। आधुनिक युग में रूसो, काण्ट, हीगल, ग्रीन, अरविन्द आदि दार्शनिकों ने इस उपागम का अनुसरण किया है। आदर्शमूलक उपागम में जीवन की वास्तविकता की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। इससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नैतिकता का समावेश हो जाता है। इस उपागम पर सर्वाधिक आग्रह सिम्ब्रिक तथा सेट ने किया है। सिम्ब्रिक के अनुसार, "राजनीति विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य आदर्शों को निर्धारित करना

और भविष्य के लिये मार्गदर्शन करना है।" सेट के अनुसार, "जीवन की सामान्य क्रियाओं में व्यस्त लोगों के लिए ज्येठे एक उतम निदान है।"

आदर्शमूलक उपागम के लाभ (Merits of Normative Approach)

यह विवेक एवं तर्क पर आधारित होने के कारण बुद्धि को विकसित करता है। इसमें वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं पर पूर्व कल्पित मान्यताओं को सत्य मानकर प्रयुक्त किया जाता है तथा इन संस्थाओं के दोष बतलाये जाते हैं तथा उनके निराकरण प्रस्तुत किये जाते हैं। यह कार्य तर्क और विवेक पर आश्रित होता है जिससे बुद्धि विकसित होती है। दूसरे वर्तमान राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाओं में इस उपागम से नैतिकता का समावेश होता है, क्योंकि कल्पित आदर्श नैतिक होते हैं।

आदर्शमूलक उपागम के दोष, त्रुटियाँ एवं परिसीमारें

(Demerits, Errors and Limitations of Normative Approach)

इस उपागम का त्रुटि यह है कि इसमें प्रयुक्त पूर्व धारणाएँ एवं आदर्श काल्पनिक होते हैं और उनका व्यावहारिक जीवन से कम सम्बन्ध होता है, इसलिए सीले और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस उपागम को अशुद्ध और त्याज्य माना है। लास्की के अनुसार, "किसी भी प्रकार की पूर्व में कल्पित राजनीति आगे चल कर अवश्य ही भग हो जाती है, क्योंकि उसका आरम्भ ही सुविचारित नहीं होता।" ब्रशली के अनुसार, "यह उपागम केवल कल्पना पर आधारित है जिसका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं।" ज्येठे की राज्य की कल्पना या थॉमस मूर की स्वर्गिक कल्पना व्यवहारवादी नहीं है, अतः आदर्शमूलक उपागम के प्रयोग में इसकी परिसीमारों के कारण गलत निष्कर्ष निकलने की आशंका रहती है। आदर्शों के प्रयोग से निष्कर्ष व्यावहारिक तथ्यों के विपरीत निकल जाते हैं जिसके कारण इस उपागम की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इस उपागम में मूल्यों का आश्रय लिया जाता है जिसके कारण तटस्थता एवं दस्तुनिष्ठता के अभाव में इसमें वैज्ञानिकता नहीं आ पाती। आत्मपरक (Subjective) दृष्टिकोण के कारण यह निष्पक्ष उपागम नहीं है।

आदर्शवादी उपागम की त्रुटियों का निराकरण

इसका उपयोग अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी उपागम के साथ इसका सीमित प्रयोग अपेक्षित है। इस उपागम से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आदर्शों, मूल्यों एवं सद्व्यवहार का समावेश तभी हो सकता है जब वर्तमान तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाये। समुचित अनुप्रयोग द्वारा आदर्शवादी उपागम राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकता की पुनर्चना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

2. ऐतिहासिक उपागम (Historical Approach)

अर्थ एवं व्याख्या

सर फ्रेडरिक फोल्क ने ऐतिहासिक उपागम का अर्थ एवं व्याख्या करते हुए कहा है— "ऐतिहासिक उपागम में यह खोज की जाती है कि संस्थाओं का क्या रूप रहा है एवं उनका क्या रूप बनता जा रहा है और इस प्रयास में वह संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप का व्याख्या करने का अपेक्षा यह अधिक ध्यान रखती है कि उनका भूतकालीन स्वरूप क्या था तथा वर्तमान स्वरूप कैसे निर्मित हुआ?" यह कथन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप में ऐतिहासिक उपागम को अपनाने का औचित्य प्रकट करता है। राजनीति विज्ञान में इसका विवेचन किया जाता है कि राज्य क्या था वह क्या है और क्या होगा? इस दृष्टि से वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विवेचन हेतु अतीत का अध्ययन करना अपरिहार्य हो जाता है, अतएव इस उपागम का प्रयोग वर्तमान की तुलना भविष्य से करने हेतु किया जाना वांछनीय है।

गितलब्राइट के अनुसार, "इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है वरन् यह भविष्य के पथ-प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यह वह ध्रुव है जिसके चारों ओर राजनीति विज्ञान की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं।" यह कथन ऐतिहासिक उपागम का समर्थन करता है। लास्की (Laski) ने तो यहाँ तक कहा है कि— "सम्पूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है।" अतीत की घटनाएँ असम्बद्ध रूप से घटित नहीं होती, बल्कि अनवरत चलने वाली अटूट शृंखला के रूप में घटित होती हैं जिनके आधार पर भविष्य के पथ-प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जिम्मर्न (Zimmern) के अनुसार, "यह पूत का संपर्क है जो मनुष्यों और समाजों को वर्तमान क्षणों के लिए तैयार करता है। वर्तमान भौतिक चिन्ताओं और जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण होता जायेगा, पूत से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता बढ़ती जायेगी।" इस प्रकार राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक अध्ययन से अतीत के प्रकाश में वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है तथा जटिल समस्याओं के समाधान की प्रेरणा प्राप्त होती है। ओकशॉट के अनुसार, "ऐतिहासिक अध्ययन से उचित राजनीतिक शिक्षा अर्पित रहती है।" ऐतिहासिक उपागम से राजनीति

विज्ञान का परम्परा प्राचीन रही है। आसू इस उपागम का महत्व समझता था। लास्की, मैकिगवेली, माण्टेस्स्यू, होब्स, कार्न मावर्न, वेबर, कॉट्टे, हार्वर्ट स्पेन्सर, मॉर्गन आदि विद्वानों ने भी इस उपागम का अपने दृष्टिकोण से उपयोग किया है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक उपागम के अनुयायी बोको, सेविघे, हेनरी मैन्, सोले, गिस्तकाइस्ट, प्रोमैन् आदि प्रमुख हैं। सेट ने इस उपागम के लाभ बताते हुए कहा है—“ऐतिहासिक उपागम से हमारा मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है, हमारे परिदृश्य (Perspective) में सुधार होता है और घटनाओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति ऐतिहासिक बनती है।”

ऐतिहासिक उपागम की परिसीमाएँ

(Limitations of Historical Approach)

ऐतिहासिक उपागम की परिसीमाएँ निम्नांकित प्रकार से हैं—

(1) ऐतिहासिक उपागम के अनुप्रयोग में तत्कालीन परिस्थितियों एवं अव्ययनकर्ता की भावनाओं से प्रभावित होकर अशुद्ध राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सोले के अनुसार, “इस अध्ययन-उपागम में ‘हम जैसा चाहते हैं’ उसके प्रकाश में प्रायः ‘जो है’ उसको समझने और समझाने का प्रयत्न करने लगते हैं।” (2) इस उपागम में व्यक्ति-अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता। सिज़विक के अनुसार, “इतिहास यह निर्णय नहीं कर सकता कि राजनीतिक जीवन में क्या अच्छा तथा क्या बुरा है और क्या उचित, अनुचित है? यह निर्णय करना दर्शन का काम है।” (3) इतिहास हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधनों को खोजने में अधिक सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि अतीत का वर्तमान से सम्बन्ध का सही ज्ञान हमें नहीं हो पाता। (4) यह उपागम तर्कसम्पन्न रूप से प्रयुक्त होने में ही उपयोगी हो सकता है। इतिहास द्वारा राजनीतिक तथ्यों का संकलन मात्र होता है, किन्तु उनसे राजनीतिक निष्कर्ष उतार तथ्यों को ठक और विवेक की कसौटी पर परख कर ही निकाले जा सकते हैं। (5) व्यावहारिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक युग की बहानाइयों और समस्याएँ भिन्न होती हैं। (6) इसके अनुकरण से निवृत्तिवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है और हम सामाजिक विकास के अपरिवर्तनीय नियमों के समूह स्वयं को असहाय समझने लगते हैं। (7) आत्यन्तिक रूप में इस उपागम के अनुसरण से ‘अतीत में खो जाने’ की आशंका बनी रहती है जिससे रूढ़िवादिता की सर्वोच्च भावना विकसित होती है। (8) इस उपागम के विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन नहीं हो पाता। बार्कर का मत है कि “इस उपागम से विकास की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, किन्तु परिणाम का मूल्यांकन नहीं हो पाता। ‘क्या था’ और ‘कैसे हो गया’ इसका अभिलेख मिल जाता है किन्तु ‘क्या होना चाहिए’ इसका ज्ञान नहीं हो पाता।”

ऐतिहासिक उपागम के प्रयोग में सावधानियाँ

(Precautions in the Use of Historical Approach)

(1) ऐतिहासिक घटनाओं की अतीत एवं वर्तमान की बाह्य समानताओं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ऊपरों समानताएँ एवं सादृश्य (Superficial Resemblance and Parallels) से भ्रम उत्पन्न होने की आशंका रहती है, जैसे—रूस एवं चीन की साम्यवादी क्रांति की समानता से उनके अन्तर का ज्ञान नहीं होता। (2) इस उपागम की मान्यता है कि वर्तमान अतीत का परिणाम है तथा भविष्य वर्तमान का, किन्तु यह केवल सापेक्ष (Relative) सत्य है क्योंकि कभी-कभी अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की घटनाएँ असम्बन्ध हो सकती हैं अतः प्राकृतिक विज्ञान की भाँति इस उपागम में सामान्यीकरण अर्थात् नियम निर्धारण द्वारा भविष्य कथन किया जाना संभव नहीं होता, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। (3) रूढ़िवादिता के दोष से बचने हेतु निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। (4) निवृत्तिवादी होने से सावधानी रखनी चाहिए। इस दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना नितान्त वांछनीय है। (5) इस उपागम के प्रयोग में असावधानी से कभी-कभी झूठी आशंकादिता उत्पन्न हो जाती है अथवा निराशावादिता उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है, अतः ऐसी मनोदशा से बचना चाहिए। (6) राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सर्वत्र इस उपागम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सिज़विक के अनुसार, “यदि यह नहीं सोचता कि व्यावहारिक राजनीति की समस्याओं का सही हल ज्ञात करने में ऐतिहासिक उपागम का प्राथमिक प्रयोग होना चाहिए”, अतः इस उपागम का प्रयोग विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. व्यवहारवादी या आनुभविक उपागम

(Behavioural or Empirical Approach)

व्यवहारवाद का अर्थ (Meaning of Behaviouralism)

व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण का एक विशेष उपागम है। इसे द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसकी उत्पत्ति प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व ग्राहम वालास,

बैटसे आदि द्वाय की गई। 1908 में प्रकाशित ब्रह्म बालस की पुस्तक 'Human Nature in Politics' तथा आदर बैटसे की पुस्तक 'The Process of Govt.' में राजनीति विज्ञान के परम्परागत अध्ययन ढांगों का विशेष हुआ है। 1925 से अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय जॉन्स मेरियम के प्रयास में व्यवहारवादी आन्दोलन का केंद्र बन गया। यह ढांगम राजनीति विज्ञान के सन्दर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। 'राजनीतिक व्यवहार' के अध्ययन से यह राजनीति टसखी साधनओं, प्रतिस्पर्धाओं आदि के सम्बन्ध में सत्यान्वय वैज्ञानिक व्याख्याएँ और परिणाम तथा उनकी सञ्चालन परामर्शों विकसित करना चाहता है। व्यवहारवादी अनुभववाक्य एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिगत मूल्यों, मानवीय विचारों, कल्पनाओं आदि का विवेचन नहीं है। इस दृष्टि में यह परम्परावादियों के विरुद्ध विरुद्ध है। डेविड ईस्टन के अनुसार, "व्यवहारवादी परम्परागत दृष्टिकोण के प्रति मात्र व्यवहारवादी विरोध नहीं है बल्कि यह एक व्यावहारिक क्रान्ति है।" रॉबर्ट ए. डहल के अनुसार, "व्यवहारवादी क्रान्ति परम्परागत राजनीति विज्ञान की उपन्यासों के प्रति असन्तोष का परिणाम है। इनका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है।" असु व्यवहारवाद के अर्थ में सभी दृष्टिकोण समान नहीं हैं। कदियर विद्वानों के अनुसार, यह एक मनोदशा या मानसिकता (Mood) है ता दूसरे अन्य विद्वानों की दृष्टि से इसके अन्तर्निहित विचार, सिद्धान्त और कार्यविधियाँ हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध और 1960 के बीच में व्यवहारवाद के साथ ही यह ढांगम एक चुनौती, एक अभिभवका और सुधार आन्दोलन के रूप में माना जाता रहा है। इसके अनुयायियों ने इसे एक अनुभववाक्य विज्ञान (Empirical Science) बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। डहल (Dahl) के अनुसार, "व्यवहारवादी मार्ग की प्रमुख पहचान उनका दृष्टि किये जते बने उद्देश्य का स्वरूप है और वह है वैज्ञानिकता।" डॉ. इकबल नयापा के अनुसार, "व्यवहारवाद का प्रयोग राजनीति विज्ञान क अध्ययन में एक पद्धति (Method) के रूप में भी किया गया और एक मार्ग (Approach), दृष्टिकोण या शैली के रूप में भी किया गया है तथा इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपपत्ति इसमें है कि इसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप दिये जते में सद्गता मिली है।—व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का प्रयोग अब इतना व्यापक एवं उच्च स्तर पर होने लगा है कि व्यवहारवादी पद्धति से बढ़कर अब एक मार्ग (Approach) बन गया है एवं व्यवहार के अन्तर्गत नई अध्ययन पद्धतियाँ विकसित हो गई हैं जिनमें सर्वेक्षण-सर्वेक्षण-पद्धति (Survey Research Method), वैयक्तिक समस्य-अध्ययन पद्धति (Case Study Method) एवं अवलोकन पद्धति (Observation Method) प्रमुख हैं।" अतः व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान क अध्ययन का लक्ष्यीय ढांगम स्वीकार कर लिया गया है जिससे राजनीति विज्ञान ही नहीं समस्त सामाजिक विज्ञान समृद्ध और विकसित हो रहे हैं। अतएव यह ढांगम समस्त परम्परागत अध्ययन-ढांगमों के विरुद्ध एक क्रान्ति के रूप में विकसित हुआ है।

व्यवहारवादी ढांगम की प्रमुख विशेषताएँ

(Main Features of Behavioural Approach)

व्यवहारवादी ढांगम की विशेषताएँ डेविड ईस्टन ने अपने लेख 'व्यवहारवाद का प्रदत्त अर्थ (The Current Meaning of Behaviouralism)' में बताई हैं—

- (1) नियमन (Regularisation)—व्यवहारवादियों की मान्यता है कि कुछ व्यक्तियों में मनुष्य कुछ निश्चित विधि से व्यवहार करता है जिसका नियमन कर उन्हें व्याख्या या परिष्कृत करने में सिद्धान्तों के रूप में प्रकृत किया जा सकता है। इन व्यवहारों के सामान्य तथ्यों की छात्रक सामान्यीकरण किया जा सकता है।
- (2) सत्यापन (Verification)—इस ढांगम द्वारा सगृहीत तथ्यों का सत्यापन पुनः जाँचकर किया जा सकता है।
- (3) तकनीक का प्रयोग (Use of Techniques)—तथ्यों को रकड़ करने हेतु विभिन्न तकनीकों, जैसे—समस्य-समस्य-परिष्कार, सहाय्य-परिष्कार, विश्लेषण विस्तारण आदि का प्रयोग किया जाता है।
- (4) परिमाणिकरण (Quantification)—सांख्यिकी (Statistics) का प्रयोग कर रकड़ित तथ्यों का परिमाणिकरण किया जाता है जिससे दो या अधिक चरों (Variables) का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है जिसमें निष्कर्ष अधिक स्पष्ट निकाले जा सकते हैं।
- (5) मूल्य-निर्धारण (Value Determination)—पदवि व्यवहारवादी ढांगम में मूल्यों से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तदर्थ नैतिक मूल्यों का अनुपयोग सावधानी से किया जाता है।
- (6) व्यवस्थान (Systemisation)—सगृहीत तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है जिससे समान्य सिद्धान्तों एवं निष्कर्षों का निर्माण किया जा सके।
- (7) वैज्ञानिक प्रकृति (Scientific Nature)—व्यवहारवादी अध्ययन का यह आशय रहता है कि वह वैज्ञानिक हो। उसमें साधनों की अनेक मानव-व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

(8) समग्रता (Integration)—इस उपागम में मानव-व्यवहार को समग्र मानकर उसका एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। समग्रता के कारण ही मानव-व्यवहार में मौलिक एकाता पाई जाती है।

इन विशेषताओं को व्यवहारवादी उपागम के आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह उपागम वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल देता है। यह अन्तर्विषयी अनुसन्धान (Inter-Disciplinary Research) को प्रोत्साहित करता है। इसमें संश्लेषण और अपेक्षा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह उपागम तुलनात्मक अध्ययन को उपयोगी मानता है। व्यवहारवादी उपागम का वैज्ञानिक अनुसन्धान के निष्कर्षों के आधार पर निरन्तर परीक्षा किया जा रहा है। इस उपागम से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, फलतः उसके वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है तथा सिद्धान्त-निर्माण को महत्वपूर्ण माना गया है। किर्क पैट्रिक (Kirk Patrick) के अनुसार, "व्यवहारवादी उपागम वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार्य है। अब ऐसा नहीं रह गया है जिसका मतवाह्य अर्थ लगा लिया जाय, अतः यह शब्द निश्चित हो चला है और राजनीतिक जीवन के अध्ययन हेतु इस उपागम में सम्पादित पूर्व धारणाओं, क्रियाविधियों, तकनीकों और लक्षणों को पहचानना सम्भव है।"

व्यवहारवाद की सीमाएँ (Limitations of Behaviouralism)

(1) राजनीतिक पहलू की उपेक्षा—व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बताने के प्रयास में विषय के राजनीतिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। व्यवहारवाद का यह तर्क कि अनुभवजन्यता के द्वारा राजनीतिक घटनाओं को सारतत्ता से समझा जा सकता है, सही नहीं है। प्रायः सभी वर्तमान राजनीतिक व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञान के वास्तविक मूल्यों को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। उपयुक्त सिद्धान्त मानव को मौलिक आवश्यकताओं की व्याख्या करता है। मिथ्या राजनीति का लक्ष्य वैयक्तिक हितों को बढ़ाया देता है। व्यवहारवाद का सम्बन्ध मिथ्या राजनीति से है क्योंकि मूल्य-निरपेक्षता विज्ञान के अध्ययन में मौलिक नहीं है।

(2) अपूर्ण विश्लेषण पद्धति—राजनीति विज्ञान में शोध का लक्ष्य 'क्या है' का पता लगाकर 'क्या होना चाहिए' को बताना है। यह पद्धति जीवन के पहलू का विश्लेषण करती है। व्यवहारवाद केवल 'क्या है' का अध्ययन करता है, 'क्या होना चाहिए' के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। वास्तविकता का चित्रण करना अनुचित नहीं है, किन्तु केवल मानसिकता को सामने लाकर रख देना तथा उसके निराकरण के लिए कोई उपाय न बताना एक सैदानिक त्रुटि है।

(3) विशेषाभास से परिपूर्ण—व्यवहारवाद के सिद्धान्त एवं व्यवहार में विशेषाभास पाया जाता है। व्यवहारवादी एक ओर मूल्य-निरपेक्ष होने का दावा करते हैं तथा दूसरी ओर प्रमुख व्यवहारवादी जैसे—डहल तथा लिपेट मूल्यों पर बल देते हैं। अमेरिका की प्रजातांत्रिक सरकार सबसे अच्छी सरकार है जैसे मूल्य आधारित विचार विचारधर्मों के लिए संकट उत्पन्न कर देते हैं। सच तो यह है कि राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषणकर्ता मूल्य-निरपेक्ष होकर घटनाओं का विश्लेषण करे यह सम्भव नहीं है। राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक सत्ताओं का अध्ययन करते समय मूल्य-निरपेक्ष होगा, यह अनुचित धारणा है।

(4) राजनीतिक क्रियाओं की ध्याख्या करने में असफल—व्यवहारवादी साहित्य राजनीतिक क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता। वे सभी क्रियाएँ राजनीतिक हैं जिनका उद्देश्य समान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। व्यवहारवादी साहित्य इन क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता। अधिकांश व्यवहारवादी व्यक्तियों की स्वार्थी प्रवृत्तियों एवं उन क्रियाओं की ध्याख्या करते हैं जिनका उद्देश्य वैयक्तिक हितों का पोषण है, जो मिथ्या राजनीतिक क्रियाएँ हैं। जनवल्याण राजनीति का प्रमुख लक्ष्य है, किन्तु व्यवहारवाद इसकी उपेक्षा करता है।

(5) उत्तर प्रजातंत्र के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण—लियोस्ट्रास का मत है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण उत्तर प्रजातंत्र के प्रति पक्षपात पूर्ण है। लिपेट का मत है कि "व्यवहारवादी मान्यताओं को मान लेने से अच्छे समान की श्रेष्ठ का प्रश्न जो हम सदियों से उठाते आये हैं, समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यवहारवादियों के अनुसार, अमेरिका ने यह प्राप्त कर लिया है जो दूसरे देश नहीं प्राप्त कर सके। उनके विचार से अमेरिकी जनतंत्र सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था है।"

(6) तकनीक पर अत्यधिक बल—तकनीक पर अत्यधिक बल देने से विषय-वस्तु की उपेक्षा होती है।

(7) काल्पनिक अध्ययन—क्रियचयन के अनुसार, "इसकी वैज्ञानिकता की धुन का परिणाम राजनीति से बचने के रूप में निकला है।"

(8) नीति-निर्धारण में असमर्थ—मूल्यों की उपेक्षा से यह उपागम राजनीतिक नीति-निर्धारण में सहायक नहीं होता।

व्यवहारवाद एक पूर्ण पद्धति न होकर अन्य पद्धतियों की नीति जीवन के सभी पक्षों का विश्लेषण न कर केवल एक ही पक्ष का विश्लेषण करता है।

उत्तर-व्यवहारवादी उपागम की विशेषताएँ

(Characteristics of Post Behavioural Approach)

(1) अध्ययन की तकनीकों की विषय वस्तु (Subject Matter) को अधिक महत्व—व्यवहारवादी उपागम में अध्ययन की तकनीक पर अधिक बल दिया जा रहा है। किन्तु उत्तर-व्यवहारवादी उपागम में तकनीक का अपेक्षा अध्ययन की विषय-वस्तु को प्रमुखता दी जाती है। एम. एन. दुबे का अनुसार, "उत्तर-व्यवहारवादी तकनीक की अपेक्षा विषय-वस्तु को अधिक महत्व दी है। इन दोनों में से एक का परीक्षा" करना आवश्यक हो ले तकनीक को छोड़ जा सकता है। तकनीक वैज्ञानिक हो अपना न हो, अन्वेष यह आवश्यक है कि अनुसंधान का विषय सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए।"

(2) सामाजिक परिवर्तन पर बल (Stress over Social Change)—व्यवहारवादी पण्डितों के साथ जुड़ गया था लेकिन उत्तर-व्यवहारवादीयों को मान्यता है कि सामाजिक संरचना तथा स्थितियों के स्थाय पर सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता को अध्ययन जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन को गति एवं दिशा प्रदान की जाती चाहिए।

(3) मूल्यों के प्रति जागरूकता (Awareness of Values)—उत्तर-व्यवहारवादी उपागम मूल्यों के प्रति जागरूक रहता है। इसका अर्थ परम्परागत मूल्यों के साथ परीक्षा, परिवर्तन तथा उनके पहलू किये जाने पर रहा है क्योंकि मूल्य मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में सहायक रहते हैं।

(4) मनीषियों का दायित्व (Responsibility of the Scholars)—उत्तर-व्यवहारवादी में इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि मनीषी या बुद्धिजीवी विद्वानों को अपना यह दायित्व समझना चाहिए कि वे अपने ज्ञान को क्रियाशील बनाने और उसे कार्यरूप में परिणत करने में सहायक दें।

(5) परिस्थितियों के औचित्य को दृष्टिगत रखना (To keep in view the Justifiability of Circumstances)—उत्तर-व्यवहारवादी उपागम में अनुसंधान का यह दायित्व बनता है कि राजनीति में व्युत्पन्न प्रभावों को ठेकरा न कर ठास प्रकट करते हुए परिस्थितियों का औचित्य एवं अनौचित्य का निर्धारण कर, राजनीति को उचित दिशा प्रदान करें।

(6) तथ्यों की प्रासंगिकता का निरूपण (Relevance of the Facts)—अन्वेषण या अध्ययन के तथ्यों को वर्णन करने तक सीमित न रखकर उत्तर-व्यवहारवादी उपागम उन तथ्यों की प्रासंगिकता दर्शाने को भी अपना दायित्व समझता है।

(7) समन्वयवादी दृष्टिकोण (Attitude for Synthesis)—राजनीति विज्ञान के अति परम्परावादी तथा अति वैज्ञानिक अध्ययन-उपागमों में परस्पर समन्वय का प्रदान उत्तर-व्यवहारवादी उपागम करता है। वैज्ञानिकता का साथ राजनीतिक मूल्यों का समन्वय ही अध्ययन को पूर्णता दे सकता है।

5 अन्तर्विषयी उपागम

(Inter Disciplinary Approach)

अन्तर्विषयी उपागम का अर्थ एवं महत्व

(Meaning and Significance of Inter Disciplinary Approach)

'अन्तर्विषयी' उपागम अर्थात् 'अन्तर-अनुशासनात्मक उपागम (Inter Disciplinary Approach) का अर्थ राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में यह है कि राजनीति विज्ञान अन्य अधिकांश विषयों से घनिष्ठतः सम्बंधित है अतः इन विषयों से सम्बन्ध (Correlate) पर इसका अध्ययन करना चाहिए। यह धारणा आधुनिक काल में अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। गार्नर के अनुसार, "हम दूसरे सहायक विज्ञानों का सहाय्य अध्ययन किये बिना राजनीति विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीकी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते, जिस प्रकार गणित के बिना मात्र विज्ञान और रसायनशास्त्र के बिना जीव विज्ञान का। राजनीति विज्ञान ऐसा समाज विज्ञान नहीं है जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन में व्यक्ति का अध्ययन करता है। अन्य समाज विज्ञान भी व्यक्ति के भिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरणतः समाज विज्ञान मानव समाज, उसके रीति-रिवाजों, परम्पराओं आदि का अध्ययन करता है नीतिशास्त्र मानव की नैतिकता, आचरण और व्यवहार के औचित्य और अनौचित्य का अध्ययन करता है इतिहास भूकालीन घटनाओं सभ्यता और संस्कृति के विकास का अध्ययन करता है मनोविज्ञान मानव के मनोवैज्ञानिक, राजन प्रवृत्तियों और भावनाओं का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान व्यक्ति को राजनीतिक समस्याओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है अतः किसी एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञानों से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। उसका अध्ययन अन्य समाजशास्त्रों के संदर्भ में पूर्ण माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का यह उपागम अन्तर्विषयी उपागम की सही पहलू करता है। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि सामाजिक विज्ञान मानव-समाज के

अध्ययन से सम्बन्धित होते हैं और राजनीति विज्ञान मन्त्र के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। योग्य एवं सत्याज का मत है कि—“राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिये अन्य विद्वानों अथवा ज्ञान की अन्य शाखाओं की महत्वदा आवश्यक है।” सिद्धान्तिक के अनुसार, “यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यन्त लाभदायक होगा कि हम उस विज्ञान का अन्य विद्वानों या विषयों से सम्बन्ध मालूम करें और यह जानने का प्रयास करें कि उक्त विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और स्वयं उनमें अन्य विषयों को क्या दिया है?” ये कथन राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विद्वानों में अंतर्निर्भरता, अंतःसम्बन्ध तथा उनके परस्पर आदान-प्रदान की अनवरत प्रक्रिया को प्रकट करते हैं एवं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के ‘अन्तर्विषयी उपागम’ की महत्ता सिद्ध करते हैं।

अन्तर्विषयी उपागम का विकास (Development of Inter-Disciplinary Approach)

प्लेटो (Plato) का ‘रिपब्लिक’ (Republic) यद्यपि राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है, तथापि वह न्यायशास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, शिक्षा, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर लिखी गई रचना भी है। अरस्तू (Aristotle) की रचना ‘पोलिटिक्स’ (Politics) में राजनीति विज्ञान के विवेचन के साथ-साथ अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के सहसम्बन्ध की भी प्रकट किया गया है। कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’ राजनीति के अतिरिक्त न्याय, कर नीति, प्रशासन, समाज आदि विभिन्न सामाजिक पक्षों का विवेचन प्रस्तुत करता है, अतः प्राचीन काल से ही राजनीतिक उपागम का शक्ति-शक्ति विकास होता आया है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के राजनीतिक दर्शन में आर्थिक व्यवस्था को आधार माना गया है। आधुनिक काल में व्यवहारवादी आन्दोलन का प्रादुर्भाव प्रथम विश्वयुद्ध के बाद हुआ जिसने जीवन को सम्पूर्ण इकाई मानते हुए पूर्ण ज्ञान और विषयों की एक-दूसरे की अन्तर्निर्भरता पर बल दिया है।

अन्तर्विषयी उपागम का प्रभाव (Impact of Inter-Disciplinary Approach)

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आन्दोलन का उदय हुआ और जिसने युद्धोत्तरकाल (1945 के बाद) तथा हाल ही के वर्षों में एक व्यापक क्रान्ति का रूप ग्रहण कर लिया है, उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि मानव का सामाजिक जीवन एक सम्पूर्ण इकाई है और जीवन के विभिन्न पक्षों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, फलतः वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत ‘अन्तः-अनुशासनात्मक’ (Inter-Disciplinary Approach) पर अधिक बल दिया जाता है और परिणामस्वरूप ज्ञान की जिन नवीन शाखाओं का उदय हुआ है, उनमें प्रमुख है—राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology), राजनीतिक मनोविज्ञान (Political Psychology), राजनीतिक अर्थमिति (Political Econometrics) आदि। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में स्थापित ‘समाज विज्ञान और शोध परिषद’ (The Social Science & Research Council) सभी समाज विद्वानों का एक इकाई के रूप में गठन कर रही है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है, उन्होंने राजनीति-विज्ञान की अन्य समाज विद्वानों से घनिष्ठता को और अधिक बढ़ा दिया है। यह कथन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के समस्त उपागमों में नवीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम के रूप में ‘अन्तर्विषयी या अन्तः-अनुशासनात्मक उपागम’ को महत्त्वपूर्ण मानता है।

‘अन्तर्विषयी उपागम’ हेतु अन्य समाजशास्त्रीय विषयों का राजनीति विज्ञान से सह-सम्बन्ध

(Correlation of Other Social Sciences with Political Science for Inter-Disciplinary Approach)

1. समाजशास्त्र (Sociology)

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध अन्तर्विषयी उपागम हेतु उपयोगी है। दोनों में बहुमूल्य सामग्री का आदान-प्रदान होता है और दोनों अंतर्निर्भर एवं अंतःसम्बन्धित हैं। गिडिंग्स के अनुसार, “जिन लोगों ने समाजशास्त्र के आदि सिद्धान्तों को नहीं समझा है, उनके लिये राजनीति शास्त्र पढ़ना उसी प्रकार निष्फल होगा, जिस प्रकार न्यूटन के नियमों को न जानने वाले को ज्योतिष पढ़ाना।” गिडिंग्स के अनुसार, “समाजशास्त्र राज्य के संगठन के सम्बन्ध में जनकक्षी के लिये राजनीति विज्ञान पर निर्भर रहता है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का बड़ा श्रेणी है। समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक जीवन के जिन तथ्यों और नियमों का अध्ययन तथा प्रतिपदन किया जाता है, उन्हें राजनीति विज्ञान प्रायः ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है।” कैटलिन के अनुसार, “राजनीति और समाजशास्त्र अखण्ड हैं और वास्तव में ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पक्ष हैं।”

2. इतिहास (History)

इतिहास एवं राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध इन विद्वानों के कथनों से प्रकट होता है—

सेले (Seeley) के अनुसार, “राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है तथा इतिहास राजनीति विज्ञान का मूल है।”

ब्राइस (Bryce) के अनुसार "राजनीति विज्ञान इतिहास एवं राजनीति के बीच की कड़ी है और वह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। यह इतिहास से अपनी प्रामाण्य प्राप्त करता है और राजनीति में उस सामग्री का उपयोग करता है।"

बर्गस (Burgess) के अनुसार "यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास का सम्बन्ध तोड़ दिया जाये तो उनमें से अगर एक भोगा नहीं तो पण अवश्य हो जायेगा और दूसरा कुड़े का ढेर मात्र रह जायेगा।"

3. भूगोल (Geography)

बोदी (Bodin) के अनुसार "विविध प्रकार की भौगोलिक स्थिति के लिये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।"

ब्राइस (Bryce) के अनुसार "किसी भी देश में भौतिक परिस्थितियों और उताग्रीधकार में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण उस राष्ट्र की राजनीतिक समस्याओं को इस प्रकार प्रभावित करती है कि उस राष्ट्र के शासन को एक विशेष प्रकार का चित्र प्रदान हो जाता है।"

4. अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का पश्चिम सम्बन्ध 18वीं शताब्दी में ही स्वीकार किया जाने लगा, जब राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र का अंग समझा जाता था। बौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में इन दोनों विषयों का सामंजस्य ईसा पूर्व की शताब्दियों में प्रतिष्ठित हो चुका था। बी. एन. अबादी का मत है, "अर्थशास्त्र जीवन के साधन प्रदान करता है जो राजनीति विज्ञान उन साधनों के उचित उपयोग की शिक्षा प्रदान करता है।" आरमु ने अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की शाखा माना है। प्राचीन यूनान में उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) के नाम से पुकारा जाता था। बियर्ड (Beard) के अनुसार "अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक तथा आत्मपाक बनकर रह जाता है। राजनीति को समझना तथा पूर्ण ज्ञान के साथ निर्णय करना तभी संभव है जबकि अर्थ से सम्बन्धित प्रकरणों पर गभीरता से विचार किया जाये।" थॉर्स मार्क्स के अनुसार "किसी युग में सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों ही करती है।"

5. मनोविज्ञान (Psychology)

वाटसन (Watson) के अनुसार "मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है।" इस कथन से मनोविज्ञान का राजनीति विज्ञान से धनिष्ठ सम्बन्ध उजागर होता है। ब्राइस के अनुसार "राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं।" बार्कर (Barker) के मतानुसार "मनुष्य के बच्चों के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं के निराकरण में मनोविज्ञान का प्रयोग फैशन हो गया है। हमारे पूर्वज पहले जीव विज्ञान की दृष्टि से राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते थे किन्तु अब मनोविज्ञान की दृष्टि से राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हैं, अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान से सम्बन्धित कर 'अन्तर्विषयी उपागम' के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना उपयुक्त रहता है।"

6. लोक प्रशासन (Public Administration)

बीसवीं शताब्दी में लोक प्रशासन एक पृथक् समाज विज्ञान के रूप में अस्तित्व में आया। लोक प्रशासन एक ऐसा समाज विज्ञान है जो राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन से सम्बद्ध प्रक्रिया का अध्ययन करता है। प्रो. विल्सन के अनुसार "यद्यपि यह सत्य है कि राजनीति प्रशासन के लिये भूमि या क्षेत्र प्रस्तुत करती है तथापि इन दोनों विषयों के प्रतिपाद्य विषय पृथक्-पृथक् हैं तथा उन्हें परस्पर मिश्रित करने की बुद्धि नहीं की जानी चाहिए।" अतः अन्तर्विषयी अध्ययन उपागम अन्तर्गत समय इन दोनों विषयों का परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध ही किया जाना कारगर है जिससे कि उनका पृथक् अस्तित्व बना रहे और वे परस्पर एक-दूसरे का संवर्धन करते रहें।

7. अन्य सामाजिक विज्ञान (Other Social Sciences)

उपरोक्त समाज विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे—नीतिशास्त्र (Ethics), विधिशास्त्र (Law), मानव-विज्ञान या नृविज्ञान (Anthropology), साहित्य (Literature), शिक्षा (Education) आदि से भी राजनीति विज्ञान का सहसम्बन्ध उनके अध्ययन हेतु अन्तर्विषयी उपागम के अनुप्रयोग की सहायताएँ उन्मुक्त करते हैं।

राजनीति विज्ञान : एक विज्ञान के रूप में मान्यता

(Political Science : Recognition as a Science)

राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी एक निश्चित शास्त्रीय अध्ययन पद्धति है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक कार्य-कलापों का अध्ययन निम्न दृष्टि से किया जाता है सभी प्रकार के तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है, उस ज्ञान को एकरूपता के साथ नियमबद्ध करने का प्रयास राजनीति के विद्वानों द्वारा किया जाता है। लॉर्ड

ब्राइस (Bryce) ने अमेरिका की राजनीति विज्ञान परिषद के अध्यक्ष पद से बान्ते हुए कहा था कि—“राजनीति प्रौढ विज्ञान के समान हा एक विज्ञान है। वह इस अर्थ में विज्ञान है कि मनुष्य का प्रवृत्तियों में एकरूपता और निर्दिष्टता होता है जिससे हम मनुष्य के कार्यों से सम्बन्धित नियम बना सकते हैं। जिन कारणों से मनुष्य आनुक परिस्थितियों में एक कार्य इस समय करता है, उन्हीं परिस्थितियों में नियमानुसार उसने वही कार्य भूतकाल में भी किया होगा। कारणों की एकत्र कर उनमें अपेक्षा सम्बन्ध निकाला जा सकता है उनका नियमित ढंग से जमा कर उनका अध्ययन किया जा सकता है और यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उन कार्यों को करने में सहायक प्रवृत्तियाँ साधारणतया एकरा हा थीं।”

राजनीति का एक विज्ञान मानने वालों के प्रमुख तर्क हैं—

(1) विज्ञान का भावत राजनीति विज्ञान भा व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का भाव है। राज्य, सरकार तथा उसके स्वरूपों का अध्ययन और राजनीतिक विचारधारण राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित रहना है। (2) अवलोकन एवं पराष्ट राजनीति विज्ञान में उतम विज्ञानों का भीति होना सम्भव है। विश्व की प्रयोगशाला में सपान के साथ राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं। प्रत्येक नवन कानून, रीति, मस्या आदि सरकार के स्वरूप में किया गया नवन प्रयोग हा है। यद्यपि पूर्ण विज्ञानों का भीति राजनीतिक पराष्ट नहीं किया जा सकत, तथापि वे प्रयोग के रूप ता है हा। (3) कार्य-कारण सम्बन्धों का यद्यपि राजनीति विज्ञान में अन्य धनात्मक विज्ञानों का भीति निधारण नहीं किया जाता, तथापि वाय-वाराण मृत्तु का छात्र में राजनीति विज्ञान को खोज करता है। (4) मानव-स्वभाव के कारण यद्यपि मानव क राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन हात रहत है और उनमें जड़ वस्तु की भीति व्यावहारिक एकरूपता नहीं होता, तथापि कुछ राजनीतिक नियम एस है जिनमें एकरूपता पाइ जाता है। (5) भविष्यवाणी का क्षमता यद्यपि राजनीति विज्ञान में अन्य विज्ञानों को भीति न हा, तथापि वह राजनीतिक परिस्थितियों आदवा सम्भवनाएँ तो व्यक्त करता हा है। डा फ़िन् (Finer) के अनुसार, “इन निश्चय रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकत, किन्तु सम्भवनाएँ हा व्यक्त कर हा सकत है।”

राज्य के सिद्धान्त (Theories of State)

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में राजनीति विज्ञान में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं। प्रमुख सिद्धान्तों की जानकारी इस प्रकार है।

1 सविदाभूलक या सामाजिक समझौता का सिद्धान्त (The Contractual or The Social Contract Theory)

राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धान्त ने राजनीति विज्ञान को गभीर रूप से प्रभावित किया है। डॉ. इकबाल नारायण के अनुसार "सामाजिक समझौते का सिद्धान्त मुख्यतः राज्य की उत्पत्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त है। इसका प्रयोग राज्य के स्वरूप, प्रयोजन एवं उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिये किया गया है।" राज्य की उत्पत्ति के साथ शासक और शासित के सम्बन्धों की विवेचना के लिए इस सिद्धान्त का व्यापक प्रयोग हुआ है। मूल रूप में यह सिद्धान्त राज्य के दैवी दृष्टिकोण के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया थी। इसके प्रतिपादक यह सिद्ध करना चाहते थे कि राज्य का स्रोत कोई अमानवीय सत्ता न होकर उनको अनुपति है जिन पर राज्य अपनी सार्वभौमिकता (Sovereignty) का प्रयोग करता है।

समझौता सिद्धान्त की व्याख्या

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य ईश्वरीय (Divine) रचना तथा स्वाभाविक (Natural) सभ्यता न होकर एक कृत्रिम (Artificial) संस्था है जिसका जन्म व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप हुआ है। मनुष्य ने अपनी चिन्ताओं से मुक्त होने के लिए जान-बूझकर स्वेच्छिक रूप से राज्य को स्थापित किया है। राज्य के अस्तित्व से पहले मनुष्य प्राकृतिक (Natural) अर्थात् अराजनीतिक (Non Political) अवस्था में रहता था और इस अवस्था की असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए ही उन्होंने राज्य का निर्माण किया। समझौते द्वारा सभ्य समाज अर्थात् राज्य का जन्म हुआ। इन तत्वों को निम्नांकित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) प्राकृतिक अवस्था (Stage of Nature)—सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना से पूर्व का जो काल था, वह प्राकृतिक अवस्था का था। प्राकृतिक अवस्था के सम्बन्ध में समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादक प्रायः एकमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं था। प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे का शत्रु था। यह 'अन्यकारपूर्ण और कष्टपूर्ण' स्थिति थी। 'जिसकी ताटी उसकी पैस' (Might is Right) वाली कहावत चरितार्थ होती थी। यह अवस्था निरन्तर युद्ध की अवस्था थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन हर समय संकट में रहता था अतः मनुष्य का जीवन एकाकी पार्श्विक और पतित था। दूसरी ओर, कुछ विचारकों का मत है कि प्राकृतिक अवस्था 'आदर्श, सरलता और परमसुख की अवस्था थी जिसमें लोग स्वयंसेवक आनन्द का उपयोग करते थे। इन विचारकों के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था शान्ति युवा मंत्री पूर्ण थी। यह मानव जीवन का स्वर्णिम काल था। प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं था और न ही मानव निर्मित किसी कानून का अस्तित्व था। मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का नियमन अस्पष्ट प्राकृतिक नियमों (Natural Laws) द्वारा होता था। डॉ. इकबाल नारायण के अनुसार, "मनुष्य का यह जीवन यस्तुतः अच्छा था अथवा बुरा, इस पर लेखकों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह अवस्था आदर्श एवं सुखदायक थी और उस समय आनन्द ही आनन्द था। अन्य विचारकों का मत है कि यह अवस्था असुविधाजनक एवं असह्य थी, परन्तु यह सब स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों ने इस समस्या को छोड़ दिया और आपस में समझौता करके राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जीवन व्यतीत करना असुविधाजनक होने लगा था।"

(ख) समझौता (Contract)—प्राकृतिक अवस्था के अंत में अनेक असुविधाएँ पैदा हो गईं और मनुष्य ने समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की। समझौता क्यों हुआ और समझौते की प्रकृति क्या थी, इन स्थितियों पर विचारकों में मतभेद है। हॉब्स के अनुसार, मनुष्य ने जीवन की रक्षा के लिए लॉक के अनुसार, मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए और स्तूसो के अनुसार, मनुष्य ने सभ्यता की बढ़ती हुई पेचीदागी के कारण विकृत प्राकृतिक दशा को छोड़ने के लिए आपस में समझौता कर राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। कुछ विचारकों के अनुसार समझौता केवल एक हुआ और इसी में समाज और राज्य दोनों की एक साथ स्थापना हुई, परन्तु अन्य विचारकों के अनुसार समझौते दो हुए जिनमें एक से समाज और दूसरे से सरकार की स्थापना हुई। जो विचारक सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं, उनके मतानुसार यह समझौता व्यक्तिगतों ने आपस में एक-दूसरे से किया। राजा का कोई पक्ष नहीं था, लेकिन जो विचारक सरकारी समझौते में विश्वास करते हैं उनके अनुसार, इस समझौते में एक पक्ष में जनता थी और दूसरे पक्ष में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति थे।

(ग) नागरिक समाज (Civil Society)—समझौते के फलस्वरूप प्राकृतिक अवस्था का अंत हो गया और राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। मानव समाज एव राज्य का जन्म हुआ। इस अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार एव प्राकृतिक कर्तन हमेशा के लिए समाप्त हो गए और उनका स्थान मनुष्य के नगरिक अधिकारों तथा राज्यों के कर्तव्यों ने प्रत्यक्ष कर लिया।

समझौते के स्वरूप का विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार लोगों को अपने समस्त अधिकार त्यागने पड़े तो अन्य विद्वानों के विचारों में लोगों को कुछ अधिकारों का परिपालन करना पड़ा। कुछ विद्वानों के विचार से एक समझौता हुआ जबकि दूसरों के अनुसार दो समझौते हुए, लेकिन इस बात से सच्ची सहमत है कि लोगों को सुरक्षा प्राप्त हुई और समझौते द्वारा राज्य का निर्माण हो गया। समझौता सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति किसी संविदा या समझौते से हुई, मानव के सामाजिक स्वभाव रक्षित या ईश्वर द्वारा नहीं।

समझौता सिद्धान्त की आलोचना

(Criticism of Social Contract Theory)

17वीं एव 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धान्त बहुत ही लोकप्रिय हुआ और राजनीतिक कल्पना का मुख्य विषय बना रहा। हुकर (Hooker), मिल्टन (Milton), ग्रेमियस (Grotius), वुल्फ (Wolf), कांट (Kant), ब्लैकस्टोन (Blackstone), स्पिनोसा (Spinoza) आदि विचारकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है, परन्तु 18वीं शताब्दी के अन्त के और 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। ह्यूम (Hume), जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham), ब्लुन्चली (Bluntschli), बर्क (Burke), ऑस्टिन (Austin), ग्रीन (Green), पोलक (Polak) आदि लेखकों ने इस सिद्धान्त पर अनेक प्रहार किये। ह्यूम ने कहा कि यह सिद्धान्त ऐतिहासिक दृष्टियों के साथ मेल नहीं खाता। बेन्थम के अनुसार, "मैं मौलिक अनुकूल्य को अधिपतन के साथ विदा करता हूँ और मैं इसे उन लोगों के मनोरंजन के लिए छोड़ता हूँ जो यह सोचते हैं कि उन्हें इससे अवसरपकता है।" सर हेनरिजन के अनुसार, "हॉब्स ने समाज और सरकार की उत्पत्ति का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उससे बढ़कर अर्थहीन बात और कुछ नहीं हो सकती।" ब्लुन्चली ने इस सिद्धान्त को "मदकर मूल" बतलाया है। ग्रीन इसे एक कल्पना (Fiction) के रूप में देखते हैं। वूल्फे के अनुसार, "यह सिद्धान्त सरासर झूठा है।" इस प्रकार राजनीति राज्य के अनेक विद्वानों ने इसे एक निरर्थक निरादर्क और सारहीन सिद्धान्त सिद्ध करने की चेष्टा की है।

आलोचकों के प्रहार से राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक समझौता सिद्धान्त निराश हो चुका है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त को वैधानिक, अनैतिहासिक, दार्शनिक दृष्टिकोण से असत्य तथा कल्पना दृष्टिकोण से व्यर्थ एव अरक्ष्य कहा गया है।

समझौता सिद्धान्त का औचित्य अथवा मूल्यांकन

(Justification and Evaluation of Contractual Theory)

यदि समझौता सिद्धान्त की प्रत्येक दृष्टि से आलोचना की गई है, तबपि यह सर्वथा महत्वहीन नहीं है। यह सिद्धान्त सहमति और अनुमति की राज्य का आधार मानता है, रक्षित अथवा रक्षण की आवश्यकता इच्छा को नहीं। इसीलिए मनु का कथना है कि "इसने राज्य को मानवीय सत्ता बढकर निकला राजन का विशेष किया है और प्रजातन्त्रीय शासन के विकास में योग दिया है।" दूसरे, इस सिद्धान्त द्वारा प्रमुखता सम्बन्धी आपुनिक एकरूपिक विचारधारा के विकास में सहयोग मिला है। यदि हॉब्स (Hobbes) के विचारों के आधार पर ऑस्टिन के कल्पित प्रमुख सिद्धान्त के प्रतिपदन की प्रेरणा निम्नी है तो स्तूसो की सामान्य इच्छा (General Will) द्वारा स्पष्ट-सामान्य के विचारों को अर्ज्व बन मिला। इस सिद्धान्त ने व्यावहारिक राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। टॉमो,

इस सिद्धान्त ने दैवी अधिकारों के सिद्धान्त को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस तथ्य पर बल दिया गया है कि राज्य ईश्वरीय इच्छा का फल नहीं है बल्कि इसके निर्माण में मानवीय शक्ति का हाथ है। चौथे इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप इतिहास में अनेक उदेल-पुदेल और सामाजिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गणतन्त्रिता सिद्धान्त के आधार पर ही 1689 में ब्रिटिश जनता ने राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया था, 1776 में अमेरिका में क्रांतिकारियों के विरुद्ध एक सहर टूट गई थी। इस सिद्धान्त ने गत दो शताब्दियों में विश्व इतिहास को धारा को एक नयी दिशा प्रदान की है और मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण हाथ बैठाया है, लेकिन राज्य को उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त अपायम्य रहा है।

2 उदारवादी सिद्धान्त (Liberal Theory)

इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों में जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और हार्वर्ट स्पेंसर के नाम प्रमुख हैं। यह सिद्धान्त 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता के चरम पर था। इस सिद्धान्त को अहस्तक्षेप" या "लैसैज फेयर (Laissez Faire) का सिद्धान्त भी कहा जाता है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह जो चाहे कर सके।

उदारवादी या व्यक्तिवादी सिद्धान्त की व्याख्या

उदारवाद एवं व्यक्तिवाद पर्यायवाची माने जाते रहे हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक आवश्यक दुर्गुण है और मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी जीव है। प्रकृतिक नियम के अनुसार सबसे पहले वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है अतः मानव में सही मार्ग-दर्शन के लिए यद्यपि यह बाध्यनीय नहीं, पर आवश्यक जरूर है कि राज्य का कामपन रक्षा जाए। राज्य मानव की अपराधी एवं पारिविक प्रवृत्तियों पर एक आवश्यक नियंत्रण है। गार्नर के अनुसार, "व्यक्तिवादियों की यह मान्यता है कि राज्य का अस्तित्व अपराधी की उपस्थिति पर ही आधारित है अतः राज्य का प्रमुख कर्तव्य रक्षा और अपराधों को रोकना हो जाता है न कि विकास और उन्नति।"

व्यक्तिवादी राज्य के कार्य-क्षेत्र पर शोक लगाना चाहता है। राज्य के कार्य एवं कानून नागरिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप है अतः राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जाना चाहिए। फ्रीमैन (Freeman) के अनुसार, सबसे अच्छी सत्तारूढ़ यह है जो सबसे कम शासन करती है। फ्रीमैन हिल फ्रीन के अनुसार, राज्य का कार्य केवल पुलिस कार्य सम्पन्न करना, अपराधियों को पकड़ना और सम्पत्तियों पर अतिक्रमणपूर्वक अमल करवाना नहीं है, अपितु राज्य को यथाशक्ति व्यक्तियों के लिये उनकी बौद्धिक तथा नैतिक प्रवृत्तियों में जो कुछ संयंत्रित है, उसे प्राप्त करने का साधन अवसर प्रदान करना है। व्यक्तिवादी राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते। वे केवल राज्य के कार्यों को कम कर देने के पक्ष में हैं ताकि व्यक्ति को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके। राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो। राज्य का कार्य नकारात्मक (Negative) है और यह यह है कि व्यक्ति की भावुकता उन्नति के मार्ग में जो बाधाएँ हो उन्हें हटा दे (To hinder the hindrances)। मानव की भलाई करना अपेक्षा उसकी उन्नति का प्रवर्धन करना राज्य का कार्य नहीं है। राज्य को मूल रूप से एक पुलिस राज्य होना चाहिए। व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य को समग्र में शांति और व्यवस्था (Law and Order) देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा (Defence) तथा नागरिकों के ज्ञान और माल की हिफाजत (Protection) करनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज, वायनाताय और अक्रयबध, अस्पताल इत्यादि छोलेना राज्य का कार्य नहीं है।

व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सभी उदारवादी अपना व्यक्तिवादी एकमत नहीं हैं। हार्वर्ट स्पेंसर ने राज्य के तीन कार्य सुनाए हैं—(1) व्यक्ति की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना। (2) व्यक्ति की आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करना (3) विधिवत सम्पादित सविदाओं का पालन करवाना।

कुछ व्यक्तिवादी राज्य को कुछ अन्य कार्य सौंपने को सहमत हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य हैं—(1) राज्य एवं नागरिकों की बाह्य आक्रमण से रक्षा। (2) नागरिकों की आपसी सुरक्षार्थ व्यक्तियों को शारीरिक हानि आदि से बचना। (3) सम्पत्ति को सूट मार एवं हानि से रक्षा करना। (4) व्यक्तियों की सविदाओं को भंग करने वालों से रक्षा करना। (5) अपाहिजों एवं अशक्तों की रक्षा करना। (6) संक्रामक रोगों को रोकना और उनके फैल जाने पर व्यक्तियों की समुचित सहायता करना। अतिस दो कार्यों को सब व्यक्तिवादी स्वीकार नहीं करते।

व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Laissez Faire Theory)

(1) राज्य व्यक्ति के लिए अहितकर नहीं है। राज्य समाज के हितों की पूर्ति करता है अतः समाज के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। गार्नर के अनुसार, "आज के जटिल एवं साध्य जीवन में राज्य का कार्य व्यक्तियों को केवल

दबाना नहीं है और न केवल ठनका निपेधात्मक नियमन करना है। राज्य का मूल्य दबावपूर्ण दण्ड की अपेक्षा बहुत अधिक है। वह सार्वजनिक भलाई का सम्भालन कायम करता है, उसे प्रोत्साहित करता है और कार्यान्वित करता है।”

(2) व्यक्तिवाद का आर्थिक दृष्टिकोण औद्योगिक युग में सही नहीं माना जा सकता। व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था पूँजीवाद को जन्म देती है जिसमें मजदूरों की भलाई नहीं हो सकती। गिलब्राइस्ट के अनुसार, व्यक्तिवाद आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए पूर्णतः अनुपयोगी सिद्ध हुआ है।

(3) यह सिद्धान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हेतु सहयोग के स्थान पर सभ्यता का समर्थन करता है। यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व है और दूसरे व्यक्तियों से उसका सम्बन्ध नहीं है, पर यह धारणा निर्मूल है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति का हित समाज या राज्य के हित से अलग नहीं है।

(4) स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ हस्तक्षेप का अभाव नहीं, अपितु उन व्यवस्थाओं का होना है जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास सम्भव हो सके। स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ बाँटनीय तथा लागूकारी कार्य करने की सुविधाएँ हैं। सरकार अपने कार्यों द्वारा हमें विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करती है। आवश्यक प्रतिबन्ध के अभाव में वास्तविक स्वतन्त्रता का अस्तित्व नहीं रह सकता।

(5) समाज में व्यक्ति समाज रूप से समर्थ योग्य धनी एवं शक्तिशाली नहीं होते। यदि राज्य निर्बलता की सबला से और गुणों से समाज सभ्य आदर्शों की रक्षा न करे तो समाज में अन्याय एवं अशांति का बोलबाला हो जाए।

(6) व्यक्तिवादी यह नहीं यतनाते हैं कि जीवन-समय के लिए किसे सबसे उपयुक्त प्राणी माना जाय, सर्वाधिक धनी बुद्धिमान या शक्तिशाली को? फिर वे इस पर मौन हैं कि समाज में बच्चों, रिक्तों तथा बीमारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वभावतः दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते।

(7) प्राणीशास्त्र के अनुसार जीवन-समय के नियम मनुष्यों पर पूर्णतया लागू नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य पशु न लेकर एक विवेकशील और नैतिक प्राणी है।

(8) आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद शोषण का प्रथम देता है और उपभोक्ताओं के हितों के दमन में सहायता करता है। व्यक्तिवादियों के आर्थिक सिद्धान्त के परिणामस्वरूप लोग भूखों मरते हैं, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है और सभ्यता तथा स्वास्थ्य की मूल्यवस्था नहीं होती।

(9) व्यक्तिवादी स्वभाव से मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं, परन्तु यह अस्वाभाविक तर्क है। मनुष्य में त्याग तथा समाज सेवा की भावना होती है।

(10) व्यक्तिवादी राज्य तथा सरकार में भेद नहीं करते।

(11) व्यक्तिवादियों का यह झंझना है कि व्यक्ति स्वयं अपने हित को सबसे अधिक समझता है, किन्तु मादक पदार्थों का सेवन करने वाले तथा व्यभिचारी अपने हित की चिन्ता नहीं करते। इन पर राज्य का नियन्त्रण होना बाँटनीय है।

व्यक्तिवादी सिद्धान्त आज लगभग मृतप्राय हो चुका है, किन्तु इसके गुण आज समाजवादी युग में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। गिलब्राइस्ट के अनुसार, “आत्म-विश्वास बढ़ाने में अनावश्यक सरकारी विरोध बढ़ाने में, व्यक्ति को समाज का अमूल्य अंग बनाने में व्यक्तिवादी सिद्धान्त ने आधुनिक विचारधारा पर अपना अस्मिन् प्रभाव डाला है।” हस्तक्षेप सम्बन्धी कानूनों को निरस्त करने में इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण योगदान है। बीसवीं शताब्दी में बढ़ते हुए अधिनायकवाद ने आज व्यक्ति की स्वतन्त्रता को समाप्त कर उसे राजनीतिक दासता के जगल में फँसाने का प्रयास किया है। साम्यवाद, फासीवाद, नज़ीवाद जैसी तानाशाही प्रवृत्तियों के विरोधस्वरूप राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति पुनः अग्रद्वार ले रहा है। सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism) के विरुद्ध व्यक्ति की यह प्रतिक्रिया आधुनिक व्यक्तिवाद (Modern Individualism) कहलाती है।

3. नव-उदारवाद

(Neo-Liberalism)

ताम्बे सभ्य तक उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची माना जाता रहा, किन्तु अब इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जाता। अब यह माना जाता है कि व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग है, किन्तु दोनों एक नहीं हैं। सेबाइन ने लिखा है कि लगभग 1830 तक उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विरोध भेद नहीं था, क्योंकि उस समय तक ये दोनों विचारधाराएँ व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थीं, लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई। प्रश्न जैसे उदारवादियों के द्वारा सत्कारत्मक स्वतन्त्रता पर जोर देने से समाज के सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए राज्य के द्वारा समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाने लगी। इसके साथ माना जाने लगा कि यदि जनकल्याण के सत्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना या व्यक्तियों के जीवन पर नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक है तो राज्य के द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

नव-उदारवाद को लोकतन्त्र का नाम दे दिया जाता है, किन्तु यह सीमित जर्ष में ही सही है। आधुनिक लोकतन्त्र बहुसंख्यक वर्ग की रक्षा में विश्वास करता है जबकि नव-उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति अधिक जागरूक है। इस प्रकार नव-उदारवाद लोकतन्त्र से अधिक हो जाता है। उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है तथा व्यक्तिवाद और लोकतन्त्र भी इसमें शामिल है। इसके मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं—1 इतिहास तथा परम्पराओं का विरोध 2 मानवीय स्वतन्त्रता की धारणा में विश्वास 3 मानवीय विवेक में आस्था 4 व्यक्ति साम्य तथा समान और राज्य साम्य 5 व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास 6 धर्मनिरपेक्षता में विश्वास 7 समाज और राज्य को कृत्रिम संगठन मानना 8 शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध 9 कानून की प्रधानता में विश्वास 10 अन्तर्देशीय और विश्व शक्ति में विश्वास एवं 11 लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन।

4 मार्क्सवादी एवं साम्यवादी सिद्धान्त (Marxian & Communist Theory)

मार्क्सवादी सिद्धान्त मार्क्स के अनुयायियों अर्थात् साम्यवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धान्त के समर्थक एंजिल्स (Engels), लेनिन (Lenin), स्टालिन (Stalin) माओ (Ma) आदि साम्यवादी नेताओं ने इसका विकास किया। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणापत्र (Communist Manifesto) में कहा था—“राज्य सम्पूर्ण बुर्जुआ वर्ग के सामान्य उद्देश्यों का प्रबन्ध करने के लिये उसकी कार्यकारिणी समिति है।” मार्क्सवादियों साम्यवादियों के लिये राज्य सामान्य हितों का पोषक नहीं अतः यह व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं। इसके लिए राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका उद्देश्य बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करने हेतु हुआ है। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स (1818-1883) तथा फ्रेडरिक एंजिल्स (1820-1895) नामक दो प्रसिद्ध विचारकों ने एक क्रान्तिकारी विचारधारा का प्रवर्तन किया जो मार्क्सवाद के नाम से लोकप्रिय हुई। यह विचारधारा क्रान्तिकारी थी। रूस, चीन आदि देशों में इस विचारधारा के आधार पर क्रान्तियाँ हुईं और वहाँ साम्यवादी शासन-व्यवस्था स्थापित हुईं।

मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति

एस एर टुपे के अनुसार “मार्क्स का राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपना पृष्ठ सिद्धान्त है। वह अरास्तू के मत से सहमत नहीं है कि राज्य एक प्राकृतिक समस्या है और न वह यह मानता है कि राज्य को रचना ईश्वर ने की थी। वह हॉब्स, लॉक, रुसो आदि द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सन्धि सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं करता है। यद्यपि मार्क्स के सिद्धान्त में शक्ति का महत्व है तथापि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति-सिद्धान्त की वह उस रूप में नहीं मानता जिस रूप में अन्य विद्वानों ने उसका प्रतिपादन किया है। वह विकासवादी सिद्धान्त से सहमत नहीं है। वह यह मानता है कि राज्य का जो स्वरूप आज देखने को मिलता है वह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है किन्तु राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवादी सिद्धान्त को वह स्वीकार नहीं करता।” मार्क्स के अनुसार आदिमानव समाज राज्यविहीन था न कोई शासक था न शासित, इसलिये उस आदिमानव की समाज-व्यवस्था को मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था कहा है। कालान्तर में आदिम सामाजिक व्यवस्था का विघटन होने लगा फलतः उत्पादन के तरीकों के विकास में शोषण को सम्भव बना दिया। इस प्रकार समाज में वर्ग-भेद उत्पन्न हो गया। बुद्धि वर्ग-भेद और वर्ग-शासन ने राज्य को जन्म दिया, इसलिये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त को मार्क्सवादी वर्ग सिद्धान्त भी कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के शोषण से हुई है।

मार्क्सवादी-साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की प्रकृति के स्वरूप के लक्षण हैं—(i) राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। (ii) राज्य वर्गसमर्थक का परिणाम है। (iii) राज्य शोषण का यन्त्र है। (iv) राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित है। (v) राज्य स्थायी संस्था नहीं है वह अस्थायी संस्था है। (vi) साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का धीरे धीरे लप हो जायेगा।

राज्य का उद्देश्य—राज्य की ऐतिहासिक भूमिका के आधार पर मार्क्स और एंजिल्स की यह अवधारणा बनी कि “राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना नहीं है। पूरे इतिहास में वर्ग-शोषण को कायम रखना ही उसकी भूमिका रही है।” लोकतन्त्र के विषय में मार्क्स का दृष्टिकोण अनुकूल था। यह लोकतन्त्र की व्यवस्था को सामन्ती युग की निरंकुश राजतन्त्रीय व्यवस्था से अच्छा समझता था। 19वीं शताब्दी में मार्क्स ने यूरोप के उन सभी राजनीतिक सभ्यों का समर्थन किया और सर्वहारा वर्ग के निरंकुश राजतन्त्र को उन्मूलित करने एवं प्रजातन्त्र की स्थापना करने का आह्वान किया किन्तु मार्क्स की यह धारणा थी कि केवल लोकतन्त्र की स्थापना से ही शोषण विहीन समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, अपितु इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रजद्वर वर्ग राज्य को पूँजीपतियों के हाथों से छीनकर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले।

मार्क्सवादी सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Marxian Theory)—राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धान्त की आलोचना विद्वानों ने निम्नांकित प्रकार से की है—

(1) राज्यविहीन समाज की अवधारणा केवल भ्रम है—राज्यविहीन समाज की स्थापना का आदर्श एव वर्गहीन तथा शोषणमुक्त समाज का निर्माण कोरी कल्पना है, क्योंकि साम्यवादी देशों में शोषण, भ्रष्टाचार, वर्ग-भेद आदि पूर्णतया विलुप्त नहीं हो सका है। मनुष्य को नियंत्रित एवं अनुशासित रखने हेतु राज्य की सत्ता की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। वर्तमान में रूस एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी व्यवस्था की विफलता इसका प्रमाण है कि साम्यवादी अधिनायकत्व से लोग सन्तुष्ट नहीं थे।

(2) राज्य एक नैतिक सस्या है, वर्गीय संस्था नहीं—मार्क्स की यह अवधारणा कि “राज्य कुछ अल्पसंख्यकों या बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करता है और सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है” एक मिथ्या एव आधारहीन विचार है। वस्तुतः राज्य एक नैतिक सस्या है जो सभी व्यक्तियों के विकास में सहायक होती है।

(3) राज्य स्थायी है, अस्थायी नहीं—मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार यह मानना कि अधिनायकत्व एक सन्नमकालीन व्यवस्था है और शीघ्र ही राज्य का लोप होकर वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायेगी, कोरी कल्पना है। रूस का उदाहरण साक्षी है कि वहाँ 1917 से अब तक राज्य का लोप नहीं हुआ बल्कि साम्यवादी व्यवस्था का ही लोप हो गया है।

(4) मार्क्सवादियों द्वारा मार्क्सवाद का परित्याग—स्वयं कट्टर मार्क्सवादियों ने भी मार्क्सवाद का परित्याग कर दिया है। मार्क्सवाद की यह कल्पना केवल भ्रम रही है कि समस्त विश्व में साम्यवादी व्यवस्था कायम होने के बाद साम्यवादी देशों में अधिनायकवादी राज्य समाप्त हो जायेगा। साम्यवाद का नेतृत्व करने वाले देश रूस ने भी साम्यवाद का परित्याग कर ‘ग्लामनोस्त’ व ‘पेरिस्त्रोयका’ की गोर्बाचोव की नीति अपनाई है।

(5) सामाजिक परिवर्तन क्रान्ति द्वारा न होकर संवैधानिक परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है—साम्यवादियों की यह धारणा मिथ्या निकली कि सामाजिक परिवर्तन केवल क्रान्ति द्वारा ही संभव है, बल्कि अनेक लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक साधनों से भी परिवर्तन हुए हैं। संवैधानिक परिवर्तन अधिक स्थायी होते हैं और क्रान्तिमूलक परिवर्तन अस्थायी।

(6) राज्य केवल बुर्जुआ वर्गों का ही नहीं, जनसाधारण (सर्वहारा) का भी हो सकता है—मार्क्सवादी सिद्धान्त की यह धारणा निर्मूल है कि राज्य केवल अल्पसंख्यक सुविधाभोगी बुर्जुआ वर्गों का हित साधन करता है, जनसाधारण का नहीं। विश्व के प्रजातांत्रिक राज्यों के कर्षण और उपलब्धियों से मार्क्स की यह धारणा मिथ्या सिद्ध होती है, क्योंकि राज्य यदि कुछ सुविधाभोगी वर्गों के द्वारा जनसाधारण के शोषण में योग देता है, तो यह कृषि उद्योगपति, व्यापार-व्यवसाय, कला, साहित्य आदि के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के कार्य कर जनसाधारण का हित-साधन भी करता है।

5. उपनिवेशोत्तर

(Post Colonial)

जो देश उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के अधीन रहने के बाद स्वतन्त्र हुए, वे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। परम्परागत मार्क्सवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासशील देशों में राज्य की भूमिका का विवरण नहीं मिलता, फिर भी सन्दर्भित मार्क्सवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत इन देशों की राजनीति पर विचार किया जाता है। विकासशील देशों में एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के अलावा लेटिन अमेरिका के वे देश भी शामिल हैं जो इनमें बहुत पहले स्वाधीन हो गए थे, परन्तु पूँजीवादी देशों के दबाव के कारण अब तक अपना विकास नहीं कर पाये थे। इन्हें ‘तांसरी दुनिया के देश भी कहा जाता है। विकासशील देशों में साधारणतया पूँजीवादी ढंग के औद्योगिक विकास का प्रयत्न किया जाता है, अतः इनमें स्थानीय पूँजीपति वर्ग कामगार वर्ग का शोषण करता है। दूसरी ओर, विश्व के विकसित राष्ट्र विक्रमशील देशों के पूँजीपति वर्ग के साथ मिलकर अपने शोषण का क्रम बनाए रखते हैं। बहुउद्देशीय निगमों की गतिविधियाँ, सैनिक सहायता या तकनीकी सहायता के बदले में प्राप्त होने वाली रियायतें विकासशील देशों में अन्तर्दृष्टीय पूँजीवादी शोषण के आधुनिक प्रमुख उदाहरण हैं। अतः मार्क्सवाद के अनुसार विक्रमशील देशों की शोषित राष्ट्रों के नाते विश्व के सर्वहारा वर्ग के साथ मिलकर पूँजीवाद के विरुद्ध लड़ाई सँझनी चाहिए।

राज्य सम्प्रभुता (State Sovereignty)

'सम्प्रभुता' अथवा 'प्रभुसत्ता' अंग्रेजी शब्द 'Sovereignty' का हिन्दी पर्याय है। यह शब्द अपने मूल रूप 'सुपरेनुस' (Superenus) से बना है जिसका अर्थ है—श्रेष्ठ या सबसे ऊपर। इसका तात्पर्य राज्य की परम-शक्ति अथवा सम्प्रभुता से है। यह सम्प्रभुता राज्य का प्राण है। यह राज्य का ऐसा विशेषगुणक चिह्न है जिसके आधार पर राज्य को अनेक समुदायों से पृथक् किया जाय है।

सम्प्रभुता का अर्थ और उसकी परिभाषा (Meaning and Definition of Sovereignty)

'सम्प्रभुता' राज्य की सर्वोच्च इच्छा-शक्ति का पर्याय है। राज्य के सभी व्यक्ति और सम्पार्य इसके अधीन होते हैं। यह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता। सम्प्रभुता बाह्य तथा आन्तरिक दोनों पक्षों की दृष्टि से सर्वोपरि होती है। स्ट्रॉय के मतानुसार "जब इस शब्द का प्रयोग राज्य के साथ किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ धनुर बनाने वाली सर्वोपरि शक्ति से होता है।"¹ सम्प्रभुता को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसके दोनों स्वरूपों आन्तरिक सम्प्रभुता (Internal Sovereignty) एवं बाह्य सम्प्रभुता (External Sovereignty) को पृथक्-पृथक् समझ लेना चाहिए। आन्तरिक सम्प्रभुता से तात्पर्य है कि आन्तरिक रूप से राज्य परम श्रेष्ठ है। इसके अधीनस्थ प्रदेश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए इसके आदेश सर्वथा मान्य हैं। राज्य के समूह नागरिकों और संगठनों पर राज्य की निर्वाण सत्ता होती है। राज्य के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों और व्यक्तिसमूहों को राज्य की इच्छा के अधीन रहना पड़ता है। राज्य के अन्तर्गत ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो राज्य का अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर सके, अतः आन्तरिक क्षेत्र में राज्य सर्वोपरि होता है। गार्नेर के अनुसार "प्रत्येक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य में कोई ऐसी व्यक्ति, समाज अथवा समुदाय होता है जिसे कानून के रूप में सामूहिक इच्छा का निर्माण करने और उसे क्रियान्वित करने की सर्वोच्च सत्ता अर्थात् आज्ञा देने और उसे पालन कराने की अतिम शक्ति प्राप्त होती है।"² आन्तरिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता के समान बाहरी क्षेत्र में राज्य की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। बाह्य कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से सम्प्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य के बाहर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस पर वह आश्रित हो अर्थात् राज्य को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे सम्बन्ध स्थापित करे—चाहे वह मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखे चाहे युद्ध की घोषणा करे और चाहे तटस्थ नीति का अनुसरण करे। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और सन्धियों का राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मानना उस राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। लास्की के अनुसार "आधुनिक राज्य प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य होता है अतः वह अन्य राष्ट्रों के समक्ष स्वतन्त्र होता है। वह अपनी तद्विषयक इच्छा को इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।"³

आन्तरिक और बाह्य दोनों रूपों में पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न होने पर ही सम्प्रभुता का सृजन होता है। सोल्दाक के अनुसार "राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानून शक्ति सम्प्रभुता है।"⁴ बर्नेस के अनुसार "राज्य के सब

1 Strong, C. F. Modern Political Constitutions, p. 7

2 Garner, J. W. Introduction to Political Science

3 Laske A Grammar of Politics.

4 Soltau An Introduction of Politics.

(5) अव्यक्तिता—प्रभुता असम्पन्नित मानी गई है अर्थात् राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है दो नहीं। सम्प्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं होता।

(6) एकता अथवा अविभाज्यता—सम्प्रभुता अविभाज्य होती है। सम्प्रभुता के विभाजन का अर्थ उक्त विनाश होता है। रूसो के अनुसार "सम्प्रभुता का विभाजन केवल एक घेरा है। गैरिल के अनुसार, "यदि सम्प्रभुता सम्पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि यह विभाजित है तो उस प्रदेश में एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व पाया जाएगा।" यदि सम्प्रभुता के विभाजन को मान लेता अन्वय रूप से हमें उस देश में अनेक सर्वोच्च इच्छार्थ माननी पड़ेंगे जो सम्भव नहीं है। कोल्हून (Colhoun) के अनुसार, "सम्प्रभुता सम्पूर्ण है उसे विभाजित करना उचित नरस का देना है। वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता है और अर्द्धप्रभुत्व की बात करना ठीक वैसा ही है जैसे कि आधे बर्ग अथवा आधे त्रिभुज की बातें करना।" सम्प्रभुता की विशेषता उसकी अपनी एकता है। विभाजित, खण्डित शक्ति, सत्त्व तथा सापेक्ष सम्प्रभुता प्रभुत्व-पक्षता के सर्वथा विपरीत है।

आधुनिक काल में कुछ लेखक सम्प्रभुता का अविभाज्यता को स्वीकार नहीं करते। बहुलवादियों (Pluralists) ने प्रभुता के अंशमय सिद्धान्त की कठु अप्पोजना की है। ये सम्प्रभुता को निरकुरा नहीं मानते। मैदाइवर, पामेट आदि कुछ अमेरिकी लेखक अविभाज्यता के सिद्धान्त को अस्वीकार करते हैं। लविल के अनुसार, "एक ही राज्य में दो प्रभुत्व-सम्पन्न अधिकार एक ही प्रजा का भिन्न-भिन्न मंगलों में आदेश दे सकते हैं।" लॉर्ड ब्राइस के मतानुसार, "वैधानिक राजसत्ता या सम्प्रभुता समान अधिकारियों में विभाजित हो जा सकती है।" हेमिल्टन और मेडिसन जैसे सचवादियों का मत है कि सम्प्रभु शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो सकता है और सभ राज्य इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। चिसहाम बनाम ज्योरजिया (Chisholm Vs. Georgia) के मुकदमे (1792) में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धान्त की पुष्टि की थी। इस मुकदमे में यह प्रतिपादित किया गया था कि "राज्यों ने शासन को जिन शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया है उनके सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका सम्प्रभु है, किन्तु सत्ता शक्तियों के सम्बन्ध में सम्प्रभुता अमेरिकी सभ के प्रत्येक राज्य में निहित है।" राजनीति विज्ञान के अन्य विचारक जैसे—स्टोरी, वुली, हर्ब, होटन, डि टाकविल आदि ने इसी मत का समर्थन किया है। इनके अनुसार सम्प्रभुता का विभाजन हो सकता है। प्रोमैन की मान्यता है कि "साम्बन्धक आदर्श की पूर्णता के लिए सम्प्रभुता का विभाजन जरूरी है।"

एक सभ-राज्य में भी सम्बन्धक रूप से दो राज्य नहीं हो सकते। सभ केवल एक ही राज्य होता है और इसलिए उसमें सम्प्रभुता भी एक ही होती है। सभ की इकाईयाँ राज्यों के नाम से सम्बोधित नहीं की जा सकती। कैलहन कहते हैं कि "यह समझने में कोई बर्तनाई नहीं होनी चाहिए कि सम्प्रभुता से सम्बन्धित शक्तियों को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है और अन्वय-जलन अंगों को अपना-अपना कार्य करने के लिए किस तरह विभाजित किया जाए। यह भी प्रयोग किया जा सकता है कि सम्प्रभुता कुछ या अनेक भागों में बाँटी जाए, किन्तु बाँटने के बाद वह सम्प्रभुता रह सकेगी, वह समझ से बाहर की बात है।"

सम्प्रभुता के विभिन्न रूप (Different Kinds of Sovereignty)

(1) नाममात्र की अथवा औपचारिक सम्प्रभुता—कुछ देशों में नाममात्र के सम्प्रभु होते हैं। सभदीय व्यवस्थाओं में वैधानिक रूप से राज्य के सभी अधिकार नाममात्र सम्प्रभु में निहित होते हैं। अधिकारों का कार्यान्वयन उसके नाम पर किया जाता है जैसे—इंग्लैण्ड का सम्राट या साम्राज्ञी। इन समस्त अधिकारों का उपयोग धारणिक कार्यकारी अथवा मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। शासक नाममात्र का प्रधान रहता है। उसके हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं होती। वह वैधानिक प्रधान होता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संविधान के अनुसार ब्रिटेन की सम्प्रभुता राजा या राणी में निहित है परन्तु व्यावहारिक रूप से इस प्रभुता का उपयोग वहीं का मंत्रिमण्डल करता है। भारतीय संविधान में भी वास्तविक शक्तियों प्रधामंत्री एवं उसके मंत्रिमण्डल को प्राप्त हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार भले ही हों किन्तु संविधान निर्माताओं का उद्देश्य उसे सभदीय जनतन्त्र का वैधानिक अध्यक्ष बनाने का था। ऐसे अनेक उदाहरण और देशों में भी पाए जा सकते हैं।

(2) कानूनी सम्प्रभुता (Legal Sovereignty)—राज्य की सर्वोच्च सत्ता जिसका निर्णय कानूनी तौर पर सबके लिए बाध्यकारी हो कानूनी सम्प्रभुता कही जाती है। सम्प्रभुता का आशय उस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से है

1 *General Introduction to Political Science*
2 *Lowell Philosophy of Politics*
3 *Lord Bryce Modern Development*

जिसे वैधानिक रूप से अंतिम आदेश देने की शक्ति प्राप्त हो। गार्नर के अनुसार, "कानूनी सम्प्रभु वह शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके, वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों व नैतिकता के सिद्धांतों का तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके।"¹ कानूनी सम्प्रभु के पास असौम्य शक्ति होती है और उसकी आज्ञा ही कानून होती है। वकील इसी प्रकार की सम्प्रभुता में सम्बन्ध रखते हैं। कानूनी सम्प्रभुता नैतिक-सिद्धान्त और जनमत द्वारा सीमित नहीं की जा सकती। कानूनी सम्प्रभुता के आदेश कानून कहलाते हैं और न्यायालय उन्हीं का अनुकरण करते हैं। रिचो (Ritchie) के अनुसार, "वैध-प्रभु कानूनी रूप में वकील का सम्प्रभु है और वह एक ऐसा कानूनी सम्प्रभु है जिसके परे वकील और न्यायालय देखने से इनकार करते हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट तथा एंगो दोनों मिलकर कानूनी सम्प्रभु है। कानूनी दृष्टि से पार्लियामेंट की शक्ति असौमित है।" डायसी के अनुसार, "ब्रिटिश पार्लियामेंट कानूनी रूप से एक बच्चे को बालिग घोषित कर सकती है, मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को घरदोह का अपराधी ठहरा सकती है, किसी अवैध बच्चे को वैध करार दे सकती है और यदि उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में अपना न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।"²

(3) राजनीतिक सम्प्रभुता (Political Sovereignty)—वर्तमान में कानूनी सम्प्रभुता एवं राजनीतिक सम्प्रभुता में अन्तर किया जाता है। कानूनी सम्प्रभुता सैद्धांतिक रूप में असौम्य हो सकती है, पर वास्तविक रूप में प्रायः ऐसा नहीं पाया जाता। कानूनी सम्प्रभुता निश्चित होती है। कानूनी सम्प्रभु ही कानून की आँखों में सर्वशक्तिमान है, परन्तु विलसन के अनुसार, "इस सर्वोच्च शक्ति का व्यवहार में कभी प्रयोग नहीं होता।"³ डायसी के अनुसार, "कानूनी सम्प्रभु के पीछे एक दूसरा सम्प्रभु होता है जिसके सम्मुख कानूनी सम्प्रभु को झुकना पड़ता है।"⁴ यह शक्ति ही राजनीतिक सम्प्रभु है।

गार्नर के अनुसार, "यद्यपि कानूनी सम्प्रभु के पीछे एक अन्य शक्ति रहती है जो कानूनी दायरे पर अज्ञान, असंगठित और कानूनी आज्ञा के रूप में राज्य की इच्छा को प्रदर्शित करने में भले ही असमर्थ हो, तथापि उसके पास ऐसी शक्ति होती है जिसके शासन-आदेशों को व्यवहार में कानूनी सम्प्रभु शिरोधार्य करता है और जिसकी इच्छा ही राज्य में सर्वत्र मान्य होती है। सम्पूर्ण जनता राजनीतिक सम्प्रभुता की सृष्टि करती है।" यह सम्भव है कि कानूनी सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में मतभेद उत्पन्न हो जाए, किन्तु इन दोनों के संघर्ष में कानूनी सम्प्रभु की भला ही मान्य होगी, इसलिए कानूनी सम्प्रभु की सत्ता सर्वप्रथम है। राजनीतिक सम्प्रभु के आदेशों की उच्चता के बावजूद न्यायालय केवल कानूनी सम्प्रभु के आदेशों को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विचारक सम्प्रभुता की अवस्थिति को ही स्वीकार नहीं करते। मैटिल की मान्यता है कि "कानूनी सम्प्रभु के पीछे किसी राजनीतिक सम्प्रभु की खोज का प्रयत्न ही सम्प्रभुता की सम्पूर्ण धारणा को नष्ट कर देता है और वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की एक सूची बनकर रह जाती है।"⁵ कुछ लेखक राजनीतिक सम्प्रभुता को अनिश्चित मानते हैं। लॉक के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जिस छद्म सम्प्रभुता की वैधानिक धारणा की ठोस निश्चितता को लौटाता है, उसी समय सब कुछ अस्पष्ट हो जाता है। आधुनिक राज्य में व्यक्तियों का एक विशेष समूह जो कानून और विधान सम्बन्धी असौम्य अधिकारों से मुसज्जिन रहता है एक निश्चित और जानने योग्य समूह है। विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह जिसकी इच्छा वास्तव में सर्वोच्च होती है विशेषण करने पर एक अस्पष्ट जटिलता में विलीन होता है।"⁶

राजनीतिक सम्प्रभु यह शक्ति है जो कानूनी सम्प्रभु का स्वरूप बदल सकता है। दार्पण्य तक उसकी इच्छा मान्य होती है, अतः कानूनी सम्प्रभु के अतिरिक्त भी एक राजनीतिक सम्प्रभु सभी राज्यों में सदैव होता है। सिद्धांत के अनुसार, "एक अर्थ में किसी भी देश की जनता को राजनीतिक शक्ति का अंतिम आश्रय-स्थल कहा जा सकता है।"⁷ लास्की के कथनानुसार, "राज्य की इच्छा वास्तव में सरकार की इच्छा है, क्योंकि जिन नागरिकों पर वह शासन करती है वे उस इच्छा को स्वीकारते हैं। प्रत्येक सरकार को उन लोगों के निर्णय को ध्यान में रखना चाहिए जो उनके कार्यों के परिणामों को सहन करेंगे, अतः जनता की इच्छा एक ऐसी शक्ति है जिसके विरुद्ध अंगील नहीं हो सकती।"⁸

(4) लोकप्रिय या जनप्रिय प्रभुता (Popular Sovereignty)—लोकप्रिय या जनप्रिय प्रभुता का विकास 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में हुआ। इसका जन्म राज्यों के दैवी अधिकार के विरुद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप दैवी

1. Garner - Political Science & Govt.

2. Dicey, J : German Philosophy and Politics.

3. Wilson - The Elements of Modern Politics.

4. Dicey, J - German Philosophy and Politics.

5. Geuel - Introduction to Political Science.

6. Leacock - Elements of Political Science.

7. Sidgwick : Elements of Politics.

8. Laick - A Grammar of Politics.

सिद्धान्त का अन्त हो गया। प्रान्स में इसके प्रमुख समर्थक रुसो और अमेरिका में जैफरसन थे। ठनीराखी और बीसवीं शताब्दी में इस जनप्रिय सम्प्रभुता का विकास शीघ्रता से हुआ। आधुनिक युग में लोकप्रिय प्रभुता लोकतन्त्र का आधार और पर्याय बन चुकी है। यह माना जाता है कि लोकप्रिय प्रभुता निर्वाचक मण्डल में निहित होती है। सम्प्रभुता चुनाव के समय अपना भाग अदा करती है जब सविधान के अनुसार नगरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। प्रजातन्त्र में भी संपुची जनता प्रभुत्व का उपयोग नहीं करती। वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि राज्य की सम्प्रभुता को दल अथवा सगठन के आधार पर क्रियान्वित करते हैं। गार्नर के अनुसार "लोकप्रिय प्रभुता का अर्थ निर्वाचन समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता और यह उन्हीं देशों में सम्प्रभु है जिनमें व्यापक मतधिकार की प्रणाली प्रचलित है और वैध रूप में स्थापित उपायों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वयन होता है।"

लोकप्रिय सम्प्रभुता का स्वरूप निर्धारण करना बर्तन है, किन्तु जनताधिक व्यवस्थाओं में जनमत के अभाव को अवहेलना सम्भव नहीं है। यह सिद्धान्त राज्य और उसके शक्ति को जन-सत्तात्मक आधार देता है। डॉ. आर्सेवॉल्ड के अनुसार इस सिद्धान्त में सत्यात है—(i) गरीबी भी सरकार का अस्तित्व अपने हित के लिए नहीं होता जनहित ही उसका सच्चा अन्तिम उद्देश्य है। (ii) जान-बूझकर जनमत को दबाने या कुचलने से क्रान्ति की सम्भावनाएँ बलवती हो जाती हैं। (iii) जनमत को प्रकट करने के कानूनी किन्तु सरल साधनों को व्यवस्था होना उचित है। (iv) जल्दी-जल्दी चुनाव दाय तथा स्थानीय स्थायत शासन, जनमत संघ (Referendum), प्रारम्भिक (Initiative) और प्रत्याह्वान (Recall) अर्थात् जन-प्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार (Recall) द्वारा जनमत के प्रति अधिक प्रत्यक्ष रूप से उतरादायी होना चाहिए। (v) राज्य-सत्ता का प्रयोग सरकार द्वारा सवैधानिक तरीकों से होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं।"

(5) यथार्थ एवं वैध सम्प्रभुता (De-facto and De-jure Sovereignty)—यथार्थ सम्प्रभुता वह होती है जिसका अनुभव सम्प्रभु जनता अथवा शासक किया करते हैं। इसके विपरीत वैध सम्प्रभुता कानूनी मर्यादा के अन्तर्गत मान्य होती है। सामान्यतया दोनों प्रकार की सम्प्रभुताएँ एक-दूसरे में मिश्रित रहती हैं। वैध सम्प्रभु यथार्थ सम्प्रभु भी हो सकता है। कई बार कानूनी सभ्यता द्वारा होता है और गरीबी का अधिकारी सम्राट अन्य। उदाहरणार्थ 1935 में इटली ने एथीओपिया पर कब्जा करके राजा को राज्यभ्युत् कर दिया था, लेकिन विश्व के अन्य राष्ट्रों ने एथीओपिया के पुराने सम्राट हेल सिलतासी को ही यहाँ का राजा माना। इटली को इस वास्तविक विजय को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसी शलन में राजनीतिक विचारक पदव्युत् राजा को वैध प्रभु (De-jure) और मुरोतिनी को वहाँ का यथार्थ राजा (De facto) मानते रहे। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो वास्तव में शक्ति को क्रियान्वित करता है और अपने आदेशों की पालना दूसरों से करता सकता है तथा जिसके आदेशों का बहुसंख्यक लोग स्वेच्छापूर्वक पालन करते हैं, उसे यथार्थ सम्प्रभु कहा जाता है। लॉर्ड बाइरा के अनुसार, "एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों का वह समूह जो अपनी इच्छा अथवा सबकी इच्छा को क्रियान्वित कर सकता है, चाहे वह वैध हो अथवा अ-वैध यथार्थ शासक है।" वास्तविक शासक या प्रभुसत्ताधारी वे ही हैं जिनका वस्तुतः आज्ञापालन किया जाता है।

1. आस्टिन का सम्प्रभुता-सिद्धान्त (Austin's Theory of Sovereignty)

सम्प्रभुता के सम्बन्ध में 19वीं शताब्दी के विख्यात अंग्रेज दार्शनिक जॉन आस्टिन ने विशद रूप से विचार किया और बतलाया कि कानूनी रूप से सम्प्रभुता क्या होता है, इसलिए आस्टिन को सम्प्रभुता सिद्धान्त का सबसे बड़ा ध्याख्याता माना जाता है। आस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता अन्य किसी की आज्ञा नहीं मानता। सम्प्रभुता के रहने पर ही कोई समाज एक स्वतन्त्र राज्य बन सकता है। सम्प्रभु एक व्यक्ति भी हो सकता है अथवा एक समूह भी। आस्टिन के अनुसार, "यदि किसी समाज का अधिकतर भाग एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का स्वभावतः पालन करता है और उस निश्चित व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा नहीं माननी पड़ती तो उस समाज में वह व्यक्ति सम्प्रभुता सम्पन्न होता है और वह समाज उस व्यक्ति सहित एक स्वतन्त्र राज्य कहलाता है।" आस्टिन द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता की इस मान्यता का विवेचन करने पर यह लक्षण प्रकट होते हैं—

(1) प्रत्येक राज्य में एक निश्चित व्यक्ति सर्वोच्च होता है और अधिकतर व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने के अध्यास्त होते हैं। प्रत्येक स्वतन्त्र राजनीतिक समाज में सम्प्रभुता शक्ति का अस्तित्व आवश्यक है। (2) सम्प्रभुता सदैव

1 Lord Bryce Modern Developments.
2 Austin J Lectures on Jurisprudence

एक निश्चित मानक-श्रेष्ठ अथवा समूह (Determinate Human Superior) होता है। किसी अनिश्चयात्मक समूह को सम्प्रभु नहीं कहा जा सकता। (3) यह निश्चित मानक-श्रेष्ठ किसी अन्य उच्चाधिकारी की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसकी इच्छा का सभी लोगों द्वारा पालन किया जाता है। सम्प्रभु की आज्ञाएं अन्यायपूर्ण और अविचारपूर्ण होने पर भी वैध होती हैं और उनका विरोध नहीं किया जा सकता। (4) सम्प्रभु की आज्ञा का समाज पूर्ण रूप से अनुपालन करता है, फलतः यह अनुपालन न होकर एक आदत के रूप में होता है। थोड़े समय के लिए यदि किसी के हाथ में आज्ञा प्रदान करने की शक्ति आ जाए तो उसे सम्प्रभु नहीं कहा जा सकता। (5) सम्प्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। इसके बिना किसी कानून का अस्तित्व नहीं रह सकता। सम्प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाले को दण्ड दिया जाता है। (6) सम्प्रभुता अविभाज्य होती है। उसका विभाजन करने का मतलब उसे समाप्त करना है। सम्प्रभुता निरपेक्ष होती है, उस पर सीमाएँ नहीं होती।

आस्टिन ने सम्प्रभुता को निश्चित, स्वेच्छाचारी, स्थायी, सर्वव्यापी, असौमिit और अविभाज्य माना है। उसका सम्प्रभुता-सिद्धान्त एक वकील के दृष्टिकोण का द्योतक है।

आस्टिन के सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of Austin's Theory of Sovereignty)

आस्टिन के सम्प्रभुता और विधि सम्बन्धी सिद्धान्तों की बहुत तीव्र आलोचना निम्नांकित विन्दुओं पर हुई—

(1) समाज में निश्चित जनश्रेष्ठ को खोजना कठिन है—सर हेनरी मैन् के अनुसार इतिहास में शासकों का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसे आस्टिन का 'निश्चयात्मक सम्प्रभु' कहा जा सके। तानाशाह भी अनेक नैतिक प्रभावों, जनता की परम्पराओं और परम्परागत कानूनों से प्रभावित अथवा प्रतिबंधित होते थे। परम्पराएँ और ऐति-रिवाज युगों के विकास का परिणाम होते हैं जिन्हें किसी भी निश्चयात्मक व्यक्ति या 'निर्वाय' द्वारा बताया नहीं जा सकता।

(2) आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता—आज जिस सम्प्रभुता में विश्वास किया जाता है वह आस्टिन के 'निश्चयात्मक सम्प्रभु' की धारणा से मेल नहीं खाती। संघात्मक राज्यों में यह पता लगाना असम्भव है कि निश्चयात्मक प्रभुसत्ता कहाँ स्थित है? यदि अमेरिका के संविधान में सशोधन करने वाले निर्वाय को सम्प्रभु माना जाए तो यह गलत होगा, क्योंकि वह 'निश्चयात्मक' नहीं होगा है। अमेरिकी संविधान में तो आस्टिन के 'निश्चयात्मक सम्प्रभु' की खोज निकालने का प्रयास एक अर्थहीन प्रयास ही है, क्योंकि वहाँ न तो कौनिस सर्वोच्च है न कार्यपालिका, न न्यायपालिका और न संविधान ही।

(3) सम्प्रभुता असौमिit नहीं—आस्टिन ने अपने सिद्धान्त में पूर्ण रूप से अनुराँ और वैधानिक दृष्टिकोण अनगना है तथा सम्प्रभुता के दारुणिक पहलु की उपेक्षा की है। यह विचारणीय है कि यदि सम्प्रभु की आज्ञाओं का पालन केवल 'आदेशन' किया जाना है तो उसे असौमिit मानना अतर्किक होगा।

(4) कानून सम्प्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता—उसके अनुसार कानून सम्प्रभु का आदेश मात्र है। लासकी का आरोप है कि कानून को केवल 'आदेश मात्र' मानना दो न्यायवेला के लिए 'बल की छान खींचना' है। प्रत्येक समाज में ऐति-रिवाजों का महत्त्व होता है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्राचीन राज्यों में सामाजिक प्रदाएँ और परम्पराएँ ही कानून का काम करती थीं। यदि हम ब्रिटिश बर्मेन्सता की स्थिति को देखें तो पढ़ेंगे कि यद्यपि सैदाविक दृष्टि से संसद में राजा द्वारा उसे परिवर्तित किया जा सकता है और इच्छानुसार मोड़ा जा सकता है, यद्यपि व्यवहार में सम्प्रभु द्वारा अधिकांश बर्मेन्सता को स्वयं की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना नहीं बदला जा सकता।

(5) सम्प्रभु कानूनों का निर्माता नहीं—वर्तमान अनुसंधानों ने यह निश्चित कर दिया है कि सम्प्रभु कानूनी का निर्माता नहीं होता। कानून सामाजिक आवश्यकता की अतिरिक्त होते हैं। जेम्स ह्यूम्स एवं लासकी का तर्क है कि राजा कानून नहीं बनाता, वरन् कानून ही राजा को बनाता है।

(6) शक्ति को अत्यधिक महत्त्व—कानून को आज्ञा करने वाले को दण्डित किए जाने की बात बहुर अस्टिन ने शक्ति के तत्व पर अधिक बल दिया है, पर वास्तविकता यह है कि हम कानून का पालन दण्ड के भय से नहीं, वरन् कानून के अनुसंधान करण करने की इच्छा से करते हैं।

(7) सम्प्रभुता अविभाज्य नहीं—आस्टिन ने सम्प्रभुता को अविभाज्य माना है। लॉर्ड इन मत से सहमत नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कानून का विभजन किया जाता है। ऐसे विभाजन के बिना कोई भी सरकार प्रभावशाली बनने में सक्षम नहीं रह सकती। सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं—कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इन प्रकार राज्य में केवल एक ही सम्प्रभु मानने की अपेक्षा तीन सम्प्रभु मानने होंगे। दूसरे शब्दों में अन्य अनेक हकदारों में शक्ति का होना है। सरकार के ये तीनों अंग एक-दूसरे से इतने पृथक् और स्वतंत्र होते हैं कि कितने हकदारों

के इतलछे के बोई भी अंग अपने कार्यों का संवायन कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि सम्प्रभुता अधिपान्य है? अस्तित्व के सम्पर्क यह अवश्य कह सकते हैं कि विधानन कार्यों का होता है न कि इच्छा का। इच्छा एक इच्छा के रूप में रहती है क्योंकि राज्य के विभिन्न अंग परस्पर विरोधी रूप में कार्य नहीं कर सकते।

(8) सम्प्रभुता निरपेक्ष नहीं—अस्तित्व ने सम्प्रभुता को निरपेक्ष और असीमित माना है। बहुलवादियों का तर्क है कि वैधानिक रूप से सम्प्रभुता असीमित माना जाए, किन्तु व्यवहारतः उसके प्रत्येक पहलू पर राजनीतिक और ऐतिहासिक रणधरणी स्थायी रहती है। सेमनी स्टोचन के अनुसार सम्प्रभुता आंतरिक और बाह्य रूप से सीमित है। आंतरिक रूप से इसलिए कि प्रत्येक व्यवस्थापिका कुछ सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। उसके स्वरूप का निर्धारण उन तत्वों द्वारा होता है जो समाज के रूप को निर्धारित करते हैं। बाह्य रूप से राज्य की सम्प्रभुता अन्तर्राष्ट्रीयतावाद से सीमित है। आज राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधियों द्वारा बंधे हुए होते हैं। विश्व-राज्य की कल्पना ने राज्य को सम्प्रभुता को अपनी टेग पहुँचाने की है।

अस्तित्व के सिद्धान्त का औचित्य एवं महत्व
(Justification and Importance of Austin's Theory)

विशेष आलोचनाओं के बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि अस्तित्व ने सम्प्रभुता के जिस कानूनी पहलू पर बल दिया है वह महत्व का है। उसके द्वारा सम्प्रभुता के सैद्धांतिक और राजनीतिक रूपों को अनिश्चितता निश्चितता का रूप प्रदान कर लेती है फिर कानून की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में किसी न किसी व्यक्ति या समुदाय की सर्वोच्च सत्ता विद्यमान रहती है।

2 सम्प्रभुता का बहुलवादी या अनेकवादी सिद्धान्त (Pluralistic Theory of Sovereignty)

राज्य सम्प्रभुता के विषय में दो विचारधाराएँ हैं—(क) दार्शनिक एवं (ख) विरलेषणात्मक या एकत्ववादी। दोनों विचारधाराओं में सम्प्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति और उसे पूर्णतः अनर्पित एवं अधिपान्य माना गया है। एकतावादी सिद्धान्त के अनुसार सम्प्रभुता समाज राजनीतिक सत्ता अथवा समस्त वैधानिक सत्ता का मूल स्रोत है। एकत्ववादी सिद्धान्त राज्य की प्रारंभिक सीमाओं के अन्तर्गत सब सत्तों को राज्य की उत्पत्ति मानता है और स्वीकार करता है कि वे अपने अस्तित्व के लिए राज्य की इच्छा पर निर्भर हैं। जिन शक्तियों का वे विभिन्न रूप प्रयोग करते हैं उनकी स्वीकृति उन्हें राज्य द्वारा प्रदान होती है। हेसियो के अनुसार, "बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, वह विभिन्न स्रोतों में विभाजित है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए।"

एकतावादी सम्प्रभुता सिद्धान्त पर बहुलवादी आक्रमण

बहुलवाद सम्प्रभुता के निरंकुश, असीमित, अनर्पित और अधिपान्य सिद्धान्त के विरुद्ध एक विद्रोह है। यह अस्तित्व के एकतावाद (Monism) तथा हीगस के आदर्शवाद (Idealism) के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने राज्य के जिसे सर्वोच्च रूप को अर्पित किया है और राज्य को जिस प्राति निरंकुश तथा असीमित बताया है उसे सम्प्रभुता का एकत्ववादी या अद्वैतवादी सिद्धान्त (Monistic View of Sovereignty) कहते हैं और इसी विचारधारा के विरुद्ध 19वीं शताब्दी में बहुलवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ जो इस सिद्धान्त पर कठोर प्रहार करती है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार सम्प्रभुता अधिपान्य एवं निरंकुश नहीं है। सम्प्रभुता समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में विद्यमान रहती है। सम्प्रभुता की बहुलवादी विचारधारा को दैतवादी विचारधारा कहते हैं। इसके सम्पर्कों में दुर्छाँम, द्यूयवी, क्रैज, बार्कर, लिण्डसे मैकाइवर एवं मिस फॉलेट वरलेष्ट्रीय हैं।

बहुलवादी विचारक एकतावादी निरंकुश सम्प्रभुता सिद्धान्त को आवश्यकता से अधिक शक्तिपूर्ण और कानूनी मानते हैं। सम्प्रभुता के इस परम्परागत सिद्धान्त को उन्होंने हानिकारक, निरर्थक और त्याज्य ठहराया है जो दार्शनिक सम्प्रभुता को सर्व शक्तिमान, अधिपान्य, अदेय और सर्वव्यापक मानते हैं वे बहुसत्तावादियों के मत में जो सिद्धान्तात् सत्य होते हुए भी व्यावहारिक रूप से गलत और असम्भव हैं। आधुनिक बहुलवादी सम्प्रभुता के अद्वैतवादी और राजतन्त्रात्मक स्वरूप पर कठोर प्रहार करते हुए विश्व के विधानों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि सम्प्रभुता अनेक स्थानों पर स्थित है। सम्प्रभुता विधानों और सीमित है चूँकि यह आन्तरिक रूप से राज्य के उपाधिकारी सत्तों में आंशिक रूप से निवास करती है और बाह्य रूप से भी उस पर अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के बन्धन हैं। बार्कर के अनुसार, "आज के युग में कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त इतना अधिक निस्सार और निष्फल सिद्ध नहीं हुआ है जितना

एकलवादी सम्प्रभुता सिद्धान्त।¹ द्यूवी की दृष्टि से सम्प्रभुता का सिद्धान्त कपोल-कल्पित, निस्सार और भ्रूण्योन है, अतः उसे लोक-नियमों के साहित्य से निकाल फेंकना ही अधिक श्रेयस्कर है। सम्प्रभु राज्य मर चुका है गद्यवा अपनी मौत की अंतिम घड़ियाँ गिन रहा है। लिण्डसे ने कहा है कि "यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रभुता के सिद्धान्त का अन्त हो चुका है।"²

तास्की बहुसत्तावाद के प्रमुख समर्थक थे। उनका कहना है कि "सम्प्रभुता के वैध सिद्धान्त को राजनीतिक दर्शन के लिए खानूनी बनाना असम्भव है।"³ वे मानते हैं कि "यदि सम्प्रभुता की सम्पूर्ण अवधारणा का अंत कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए एक स्थायी लाभ होगा।" ब्रेब के अनुसार, "सम्प्रभुता के सिद्धान्त को राजनीतिक दर्शन से निकाल देना चाहिए।" मैटिल के अनुसार, "अनेकवादी इससे इनकार करते हैं कि राज्य असाधारण संगठन है। उनका मत है कि अन्य समुदाय समान रूप से महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हैं। समुदाय अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए उसी प्रकार सम्प्रभु है, जिस प्रकार राज्य अपने उद्देश्य के लिए है। वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि राज्य अपनी सीमाओं में कुछ समूहों के विरुद्ध अपनी इच्छा को सक्रिय रूप नहीं दे सकता। वे इससे इनकार करते हैं कि राजा द्वारा बल-प्रयोग का अधिकार उसे किसी प्रकार का कोई श्रेष्ठतर अधिकार प्रदान करता है। वे सब समूहों के समान अधिकारों पर समान बल देते हैं, जो अपने सदस्यों की वफादारी के पात्र हैं और जो समाज में बहुमूल्य कार्य सम्पादन करते हैं, फलस्वरूप सम्प्रभुता बहुत से समुदायों में विभाज्य होनी चाहिए। वह अधिभाज्य इकाई नहीं है और राज्य को सर्वोच्च या असंमित नहीं माना जा सकता।"⁴ इस प्रकार बहुसत्तावादियों ने अपने तर्कों का आक्रमण प्रभुता के एकल सिद्धान्त पर किया है। उनका कहना है कि वर्तमान राज्य जटिल है और अपने कार्य-भार से दबा जा रहा है। इस दबाव के कारण राज्य के कार्यों में दील आती जा रही है। आर्थिक कार्य करने से राज्य की कार्यकुशलता दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, अतः कार्यकुशलता लाने के लिए एक विकेंद्रीकृत राज्य आवश्यक है। वार्ट के अनुसार, वर्तमान राज्यों में ऐसा लगता है जैसे केन्द्र को पछापात हो गया हो और शीर्ष बिन्दुओं पर रक्तहोना महसूस होती हो। मैकडवर् ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सर्वसामर्थ्य का अर्थ है; अयोग्यता और असामर्थ्य।⁵

बहुसत्तावादी द्वारा एकलवाद पर आक्रमण का विवेचन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है—

1. विभिन्न संघों (संगठनों) का दृष्टिकोण

बहुसत्तावादी विचारों का जन्म मध्य युग में हुआ, जबकि द्यूवीय व्यापारियों और शिल्पियों के स्वराज्यी संघों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे, धीरे-धीरे राजतंत्र के उदय के साथ इन संघों का लोप हो गया। बहुसत्तावाद के प्रारम्भिक विचारक गर्क (Gierke) तथा मैटलैण्ड (Maitland) थे जिन्होंने मध्यकालीन युग में इस सिद्धान्त का सूत्रपात किया। उनके अनुसार समाज में जो विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं, वे मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। समुदायों का अपना व्यक्तित्व होता है। खानूनों के निर्माण में इन समुदायों का अपना योग होता है। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक इच्छा होती है तथा उनकी अपनी सामूहिक चेतना होती है। वे राज्य में होते हुए भी राज्य से स्वतंत्र होते हैं। यद्यपि ये दोनों लेखक राज्य की धारण प्रभुता को नहीं मानते, तथापि उनकी उच्चतर वैधानिक स्थिति को स्वीकार करते हैं। वे सभाज के अन्तर्गत संघों के सहयोग के लिए एक संयोजक के रूप में राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं।

दुर्खीम (Durkheim) प्राचीन व्यावसायिक संघों का पुनर्जीवित करना चाहता था। उसके अनुसार व्यावसायिक संघों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए और उन्हें आर्थिक नियंत्रण का स्रोत माना जाए। मैकडवर् ने अपनी पुस्तक 'The Modern State' में बहुसत्तावाद का समर्थन किया है। उसके अनुसार समाज के अनेक संघों में से राज्य एक सभ्य है, यद्यपि उसके कर्तव्य कुछ विशिष्ट प्रकार के हैं। संघ राज्य की भाँति समाज के लिए स्वाभाविक हैं, अतः राज्य को उनका निर्माण करने वाला नहीं माना जा सकता। मैकडवर् के अनुसार, "आज विशाल संस्यारें न राज्य का भाग हैं और न उसकी प्रजा मात्र। वे अपने स्वयं के अधिकार के आधार पर विकसित होती हैं। वे अधिकारों का प्रयोग उसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार राज्य स्वयं करता है। व्यावसायिक संघ के सदस्य राज्य की अपेक्षा अपने व्यावसायिक संघों के प्रति अधिक भक्ति प्रदर्शित करते हैं। वित्त और उद्योग, वाणिज्य और कृषि जैसे संघ स्वयं को राज्य के दास न समझकर उसके मालिक बनने की चेष्टा में रहते हैं, अतः राज्य को चाहिए कि सांस्कृतिक संगठनों में अपने अधिकारों को कायम रखते हुए गैर-राजनीतिक संगठनों में से एक स्थान अपने लिए प्राप्त कर ले।"⁶

2 अन्तर्राष्ट्रीयता तथा राज्य

बहुसत्तावादियों के अनुसार राज्य का एकत्व और निरंकुशता-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का मूल कारण है। सत्ता के सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं। उनके आर्थिक हित एक-दूसरे से संपुक्त हैं। इतना होते हुए भी प्रत्येक राज्य को अपनी-अपनी सम्प्रभुता पर गर्व है। इसी सम्प्रभुता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े और विश्वयुद्ध होते हैं। कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि दुनियाँ में कोई ऐसी सार्वभौम प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता नहीं है जो इन प्रश्नों का समाधान कर सके। केवल एक ही उपाय है कि राष्ट्रीय राज्यों की सम्प्रभुता का उन्मूलन कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, विश्व-शान्ति कायम नहीं हो सकती और संपुक्त राष्ट्र संधि की वही दशा हो सकती है जो राष्ट्र संधि की हुई थी।

3 कानूनी दृष्टिकोण

इसवी और क्रेब ने बहुसत्तावाद को कानूनी दृष्टि से देखा। इसवी के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और राज्य की अपेक्षा अधिक ध्यातक है। कानूनी सम्प्रभु को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसका निरूपण वर्तमान में कानून द्वारा किया जाता है। राज्य का कर्तव्य इन कानूनों को बल देना है। सच तो यह है कि कानून राज्य को संगठित करते हैं न कि राज्य कानून को। इसी तरह कानून राज्य को सीमित करता है राज्य कानून को नहीं अतः इन लेखकों की मान्यता है कि राज्य के अधिकारों पर बल न देकर कर्तव्यों पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य राजनीतिक शक्ति के रूप में एक कानूनी यंत्र है। यह कानून की सीमाओं में रहता है और कानून को स्थायी रखने के लिए ही यह जीवित रहता है। इसका उद्देश्य आज्ञा देना न होकर सेवा करना है। इसको विरोधता सम्प्रभुता में निहित न होकर जनहित में है।

बहुलवाद की आलोचना (Criticism of Pluralistic Theory)

(1) सम्प्रभुता का विभाजन उसके नष्ट करना है। राज्य से प्रभुत्व-शक्ति को छीनकर बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य समुदायों के मध्य सहयोग और संतुलन रखने का कार्य करे। यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति को छीन लेने के बाद यह किस प्रकार सम्भव हो सकेगा कि राज्य विभिन्न समुदायों के मध्य सहयोग और संतुलन स्थापित करे। बहुसत्तावादियों के पास इसका कोई निश्चित सार्थक उत्तर नहीं है।

(2) बहुलवादी सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए हैं। होगल और उसके कुछ अनुयायियों को छोड़कर सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त के समर्थकों में से किसी ने राज्य को निरंकुश नहीं बतलाया है। उदाहरणार्थ—बोर्दो, होमर, बेन्थम आदि विचारकों का विरोध करना अनैतिक नहीं है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य की सम्प्रभुता सीमित और त्वाज्य है। गैटिल के अनुसार राज्य अपना कर्तव्य स्वीकार कर सकता है अपने कार्यों पर स्वयं बंधन लगा सकता है और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दे सकता है। यह सारा कार्य वह अपनी कानूनी सम्प्रभुता का परित्याग किए बिना कर सकता है¹ अद्वैतवादियों या एकत्ववादियों का इतना कहना है कि जब राज्य किसी निश्चित क्षेत्र में कानूनी सत्ता स्थापित करता है तो उस क्षेत्र में वह अन्य सब सामाजिक सत्तों से श्रेष्ठ और उच्च होता है। डॉ. आशीर्वादम के अनुसार, "अद्वैतवादी राजु जिस पर बहुलवादी प्रहार करते हैं बहुत हद तक एक कल्पनात्मक जीव है।"²

(3) बहुसत्तावाद के विरोधियों का कहना है कि राज्य को सम्प्रभुता के बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता। सम्प्रभु राज्य के बिना समुदाय संघर्षरत हो जायेंगे। बहुलवाद का अन्तिम परिणाम अराजकतावाद में होगा। सम्प्रभुता का विभाजन हो जाने से वह नष्ट हो जाएगी और समाज में अशांति तथा अव्यवस्था के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहेगा। इस स्थिति से समाज के समस्त व्यक्तियों और वर्गों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्राकृतिक अवस्था की दशा लौट आएगी। इस तरह सभ्यता और विकास को पीछे धकेलने की स्थिति पैदा हो जाएगी, अतः यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की सम्प्रभुता अविभाज्य और अखण्ड रहे। राज्य ही अपनी सम्प्रभुता के बल पर विभिन्न समुदायों के पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से या शक्ति द्वारा सुलझा सकता है तथा उनके अनुचित कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है।

(4) बहुलवादी सर्व-शक्तिमान राज्य का विरोध करते हुए अंत में राज्य की सर्वोपरिता स्वीकार कर लेते हैं। कोकर का कहना है कि बहुलवादी सभी आवश्यक सत्तों को पूर्ण समानता की स्थिति प्रदान करने की इच्छा रखते हुए परिश्रमिताय

1 Maciver The Modern State

2 Clavel; Introduction to Political Science

3 Ashirvatham; Political Theory

राज्य को प्रथम स्थान देने के लिए विवश हो जाते हैं। गिरके और मेटलैण्ड संघों को वास्तविक व्यक्तिव्य प्रदान करते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से ऊपर सर्वोच्च समूह है। पालवाकर सभी संघों और संस्थाओं को राज्य के अधीनस्थ मानते हैं।

(5) नैतिकता, रीति-रिवाज आदि से सम्बन्धित आपत्तियों का राज्य की सम्प्रभुता से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये आपत्तियाँ शासन की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध हैं। राज्य और शासन के सम्बन्ध में भ्रान्ति में पड़कर वे आन्तरिक ठंडाई गई हैं।

(6) बहुलवादियों का यह विचार भ्रामक है कि समाज के विभिन्न संघ एक समानान्तर रेखा पर चलते हैं, उनके कार्य-क्षेत्र अलग हैं, उनमें एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वे एक-दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों का अतिक्रमण करते हैं। सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू एक-दूसरे से सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, सभी आर्थिक पक्षों का राजनीतिक पहलू होगा और सभी राजनीतिक पक्षों का आर्थिक पहलू।

(7) बहुलवादियों का कानूनी दृष्टिकोण भ्रामक है। यद्यपि उनका कहना ठीक है कि कानून का स्रोत तथा उसकी वैधता राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, तथापि वे यहाँ अद्वैतवादी विचारधारा को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अद्वैतवादी या एकत्ववादी यह स्वीकार करते हैं कि कानून के विभिन्न स्रोत हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वैधानिक मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब वे राज्य द्वारा स्वीकृत कर लिए जाएँ। एकत्ववादी कानून के औपचारिक तत्वों पर विशेष ध्यान देते हैं जबकि बहुलवादी इन्हें स्वीकार नहीं करते। एकत्ववादियों के अनुसार कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है जिसे न्यायालय लागू करते हैं, लेकिन बहुलवाद कानून के लिए इस विधाधी मान्यता को आवश्यक नहीं समझते। डॉ. इब्राल नारयण के अनुसार, "बहुसमुदायवादी विचारधारा के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण से राज्य की सिद्धि अनन्यता की नहीं है और उसकी सम्प्रभुता को अनन्य एवं अविभाजनीय नहीं माना जा सकता।"¹

(8) यदि बहुलवादियों के मतानुसार समाज में विभिन्न संस्थाओं में प्रभुसत्ता को बाँट दिया जाए तो वे इतनी शक्तिशाली हो जाएँगी कि राज्य या अन्य कोई शक्ति उन्हें अपने नियन्त्रण में नहीं ले सकेगी जिससे अनेक गम्भीर समस्याएँ पैदा हो जाएँगी। यदि समाज में विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सम्प्रभुता प्रदान कर दी जाए तो इससे समाज विघटन की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थाओं में पारस्परिक विवाद बढ़ जायेंगे।

(9) अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर बहुलवादियों द्वारा सम्प्रभुता के सिद्धान्त का विरोध सही नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय आचार, व्यवहार और कानूनों का आदर करना चाहिए, लेकिन इन सीमाओं को कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और राज्य कानून के रूप में इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि जन्मत अथवा नैतिकता के दबाव से राज्य उनका पालन करता है तो ऐसा वह स्वेच्छा से करता है और इससे उसकी सम्प्रभुता खण्डित नहीं होती। यदि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों या कानूनों अथवा नियमों या संधियों का विरोध करने की टान ले तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राज्य को ऐसा करने से रोक सके।

बहुलवादी विचारधारा का औचित्य और महत्व

(Justification and Importance of Pluralistic Theory)

इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर कि राज्य-प्रभुत्व का परम्परावादी सिद्धान्त सही है, बहुलवादी विचारधारा के महत्व को स्वीकार करना पड़ता है। बहुलवादी विचारधारा ने व्यक्ति और समुदाय का महत्व दर्शाकर एक उपकार किया है। राज्य की शक्ति को सीमित करके तथा कानून की शक्ति पर बल देकर उन्होंने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है जो प्रभुत्व की आलोचना नहीं है, बल्कि राजनीतिक संगठन का एक स्वतंत्र सिद्धान्त है। यद्यपि राज्य के प्रभुत्व पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं हो सके, तथापि उसे नैतिक मर्यादाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। बहुलवादी सिद्धान्त का इसमें पर्याप्त बल है कि राज्य के प्रभुत्व सिद्धान्त का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहिष्कार होना चाहिए। इस क्षेत्र में उसने बुर्ग और नव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई सुधार नहीं किया। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और विचारधाराओं के साथ धनधानी करने के कारण मानवता की विनाशक युद्धों का मुख देखना पड़ा है। मिस फॉलेट के अनुसार, "बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं। वे संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करने एवं अपने कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में स्वायत्तता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थानीय जीवन को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में हैं।" मैरियम एवं बार्नर्स के अनुसार, "बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य की सम्प्रभुता के सिद्धान्त का त्याग किया गया है और न ही इसका त्याग किया जा सकता है।"

1. डॉ. इब्राल नारयण: राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त, पृ. 541.

3. मार्क्सवादी सिद्धान्त

(Marxist Theory)

मार्क्स का विश्वास था कि जैसे ही पूँजीपति वर्ग पूरे तरह नष्ट हो जाएगा, राज्य विनष्ट हो जाएगा और ऐसा समाज पैदा होगा जिसमें न तो राज्य होगा और न कोई वर्ग। ऐसे समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और अपनी आवश्यकतानुसार पाएगा। मार्क्स का यह विश्वास था कि इस सामाजिक स्थिति में पैदा हुआ नया इंसान स्वाभाविक एवं स्वतः स्मूर्त रूप से समाज के सामान्य हित के अनुरूप अपने हित दान सकेगा।

ऐसी स्थिति में मार्क्स राज्य की प्रभुत्व सत्ता को समाप्त कर, समता पूर्ण समाज की स्थापना करना चाहता था। उसके राजनीतिक दर्शन में प्रभुसत्ता की धारणा का महत्व गौण नजर आता है।

4. सार्वभौमीकरण तथा राज्य

(Globalisation and the State)

यन्त्रागत विचार माह्न एवं संचार के साधनों के कारण सारा विश्व एक हो गया है। विज्ञान की प्रगति के कारण हुए इस परिवर्तन से राज्यों की सम्प्रभुता और सीमाओं के सम्बन्ध में नई अवधारणा जन्म लेने लगी है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का भी किसी देश से महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहता है। आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन द्वारा किए जा रहे वैश्वीकरण आदि के कारण एक देश के हित दूसरे देश से सयुक्त होते जा रहे हैं। यद्यपि संसार के सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं, तथापि प्रत्येक राज्य को अपनी सम्प्रभुता पर गर्व है। इस गर्व पूर्ण सम्प्रभुता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़े और विश्वयुद्ध होते हैं, परन्तु अभी तक विश्व में ऐसी कोई सार्वभौम सत्ता नहीं है जो इन परिस्थितियों से विश्व को राहत दिला सके। एक ही उपाय है कि राज्यों की सम्प्रभुता का दम्यूलन कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा विश्व में शान्ति स्थापित होने में कठिनाई होगी। कभी तो ऐसा सागता है कि कहीं सयुक्त राष्ट्र संघ का दशा राष्ट्र संघ जैसी न हो जाए। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के महान समर्थक सास्की के अनुसार राज्य बाह्य प्रभुसत्ता पर रोक लगाना आवश्यक है। वस्तुतः सार्वभौमीकरण हो जाने के कारण एक सुसंगठित, एकीकृत और प्रभावशाली विश्व संगठन की नितान्त आवश्यकता है।

□□□

प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकार

(Democracy and Human Rights)

प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन

(Democratic Theory : Classical and Contemporary)

आधुनिक युग 'प्रजातन्त्र का युग' है। विश्व के अधिकतर देश प्रजातन्त्र के समर्पक होने में गौरव अनुभव करते हैं फिर चाहे वे पूंजीवादी हों या साम्यवादी। यूनेस्को की लोकतन्त्र पर विरोधियों की एक समिति ने कहा था कि—'आज इतिहास में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि कहीं भी लोकतन्त्र विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। लोग अपने विरोधियों पर लोकतन्त्र का शत्रु होने का आरोप लगाते हैं, किन्तु जिन समस्याओं का वे स्वयं समर्पण करते हैं उन्हें वे पूर्णतः लोकतन्त्रिक मानते हैं।' प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही 'प्रजातन्त्र' विश्व के राज्यों में व्यापक स्थान ग्रहण करता गया है और आज शासन का यह स्वरूप विश्व-व्यापी बन चुका है।

प्रजातन्त्र का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Democracy)

प्रजातन्त्र की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गई है। अब्राहम लिंकन ने प्रजातन्त्र को सरकार का ऐसा रूप माना है जिसमें शासन 'जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा' होता है। सीले के अनुसार, 'प्रजातन्त्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक का योगदान होता है' (Democracy is a Govt. in which everyone has a share.) ब्राडस के कथनानुसार, "हेरोडोटस के समय से ही जनतन्त्र का अर्थ उस शासन-पद्धति से समझा जाता है जिसमें राज्य की प्रशासनिक शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में न होकर, सम्पूर्ण समाज के हाथ में होती है।" गर्नर के कथनानुसार, "जनतन्त्र सरकार का वह रूप है जिसका निर्माण तथा प्रबन्ध इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है कि कम से कम प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो किसी अणुपाय में दण्डित होने के कारण या किसी देश में निरक्षरता के कारण अयोग्य न समझा जाता हो, उन व्यक्तियों का चुनाव करने की शक्ति प्राप्त होगी जिनके द्वारा वे कानून बनाए जाते हैं जो नागरिकों को प्रशासित करते हैं। प्रत्येक नागरिक की निर्वाचक के रूप में समान आवाज होगी।"

प्रजातन्त्र में शासन जनता की स्वकृति से चलता है। इसमें शासक-वर्ग सारे देश की जनता का प्रतिनिधि होता है किन्तु 'जनता' शब्द का अर्थ निश्चित और स्पष्ट नहीं है। ब्राडस ने योग्य नागरिकों के बहुमत की प्रबन्ध इच्छा को प्रजातन्त्र का आधार माना है। प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्व की स्वतन्त्रता दी जाती है। यह निश्चित नहीं रहता कि उसके मत को मान्यता मिलेगी अथवा नहीं। प्रजातन्त्र में बहुमत को दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रथम यह कि अल्पसंख्यकों की अपेक्षा उनका मत सही होने की सम्भावना रहती है। बहुमत की शक्ति अल्पमत की अपेक्षा अधिक होती है। प्रशासन की सफलता का मापदण्ड जन-कल्याण माना जाता है। मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास को पूर्ण अवसर प्रदान करने की व्यवस्था ही शासन का श्रेष्ठ रूप समझी जाती है। प्रजातन्त्रत्मक शासन सर्वसम्मति से संचालित नहीं होता, उसमें लोगों के अलग-अलग विश्वास और विचार होते हैं। इन विचारों तथा विश्वासों के बीच संपर्क होने के बाद वास्तविक सत्य प्रकट होता है। समानता के सिद्धान्त पर आधारित लोकतन्त्रत्मक समाज में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं तथा किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता।

प्रजातन्त्र का व्यापक अर्थ—विभिन्न देशों और कालों में प्रजातन्त्र के विभिन्न पद्धतियों पर बत दिया जाता रहा है अतः इसका अर्थ समझने के लिए इसके शासनिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य स्वरूपों को समझना आवश्यक है।

1. प्रजातन्त्र का शासनिक पद्धत—ईराना के अनुसार, "लोकतन्त्र राज्य संचालन का वह है, जिसमें प्रमुख शक्ति सन्धि रूप से जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन सम्बन्धी मामलों पर अन्तः अन्तः नियंत्रण

रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासनमूत्र स्थापित किया जाये।" प्रजातन्त्र शासनिक दृष्टि से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसमें जनता अपनी सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष पद्धति में स्वतंत्र और अप्रत्यक्ष पद्धति में निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता शासन का संचालन करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रजातन्त्र का प्रत्यक्ष रूप विदेशी राज्यों में सम्भव नहीं रहा है। प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक देश में सम्पूर्ण जनता प्रत्यक्षतः शासन कार्य में भाग नहीं ले पाती। 'स्विट्जरलैण्ड' में प्रत्यक्ष और प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का सम्मिश्रण किया गया है। राज्यों के विराल आकार के कारण सभी देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

2. प्रजातन्त्र का राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू—राजनीतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग का अधिकार जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग को होता है, अतः इस व्यवस्था में राजसत्ता पर किसी एक वर्ग का अधिकार न होकर शासन कार्य बहुमत द्वारा संचालित किया जाता है और कानून धरी लागू किए जाते हैं जो सामान्य जनमत के अनुकूल होते हैं, परन्तु लोकतन्त्र एक शासन प्रणाली ही नहीं है, यह एक उच्चकोटि का सामाजिक आदर्श भी है। सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतन्त्र समस्त व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करता है। लोकतन्त्रात्मक समाज में नस्ल, रंग, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जिस समाज में भेदभाव, छुआछूत तथा द्वेषों को पुरुषों की अपेक्षा निम्न समझा जाता हो उसे लोकतन्त्रात्मक शासन नहीं कहा जा सकता।

3. प्रजातन्त्र का नैतिक पहलू—लोकतन्त्र ध्यापक अर्थ में एक नैतिक आदर्श और मानसिक दृष्टिकोण है। जेफरसन (Jefferson) के अनुसार, "लोकतन्त्रात्मक शासन का आधार यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना शासन अपने-आप करने की और औसत नागरिक में सामाजिक हित की दृष्टि से शासकों को चुनने की योग्यता होती है।" लोकतन्त्र जनसाधारण की गरिमा में विश्वास रखता है। दार्शनिक काण्ट (Kant) के अनुसार, "इस प्रकार काम करो कि मानवता के साथ प्रत्येक मामले में चाहे वह तुम्हारे व्यक्तित्व की बात हो अथवा दूसरे की, व्यक्ति का व्यक्तित्व सदैव सम्पन्न रहे, साधन नहीं।"

4. प्रजातन्त्र का आर्थिक पहलू—राजनीतिक जनतन्त्र की सफलता आर्थिक प्रजातन्त्र पर निर्भर है। आर्थिक प्रजातन्त्र समाजता का पर्यायवाची है। समाज में जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक प्रजातन्त्र वास्तविक रूप में सफल नहीं हो सकता। जब तक राजनीतिक अधिकारों के साथ आर्थिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक प्रजातन्त्र का सफल होना संदेहास्पद है। इसे परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि प्रजातन्त्र एक विशेष प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, एक आर्थिक आदर्श है।

प्रजातन्त्र के भेद (Types of Democracy)

(क) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र—जब व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप में सार्वजनिक विषयों पर अपना मत प्रकट करें तो ऐसे शासन को प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र कहते हैं। यूनान के नगर राज्यों का प्रजातन्त्र शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था, सभी स्वतंत्र व्यक्ति आम सभाओं में एकत्रित होते और उन्हें कार्यनिष्ठ करते, राजदूतों से मिलते और जूरियों के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार के लोकतन्त्र का पुनर्जन्म मध्य युग में इटली के नगर राज्यों में हुआ था। स्विट्जरलैण्ड के फोरैस्ट कैंटन्स (Forest Cantons) में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र था और वर्तमान में भी है। 18वीं शताब्दी में रूसो ऐसे शासन का प्रबल समर्थक था। वह अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र को पसन्द नहीं करता था, किन्तु आधुनिक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र को लागू करने के मार्ग की कठिनाइयों को वह महसूस करता था। उसका कहना था कि शुद्ध लोकतन्त्र के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है और इनका एक साथ प्राप्त होना कठिन है। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक आवश्यकताएँ हैं—(1) एक छोटा राज्य जिसके नागरिक आसानी से एक जगह एकत्रित हो सकें और जिसमें प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिकों को आसानी से पहचान सके, (2) व्यवहार की एकदम सादगी, (3) पद प्रतिष्ठा और सम्पत्ति में पर्याप्त समानता, (4) बहुत कम विलासप्रियता या विलासहीनता।

(ख) अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र—आजकल प्रत्येक देश में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का प्रचलन है। इसके अनुसार वास्तविक शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है। जे. एस्. मिल के अनुसार, "अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सम्पूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन-सत्ता का प्रयोग चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा करता है।" राज्य की इच्छा का निर्माण सर्वसाधारण प्रत्यक्षतः नहीं करते, बल्कि वे अपनी इच्छा अपने प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त करते हैं जिनका एक निश्चित अवधि के बाद निर्वाचन होता है और सर्वसाधारण

इन्हें प्रतिनिधियों द्वारा देश का शासन करते हैं। इस प्रकार कानूनों का निर्माण जन-प्रतिनिधियों द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र इस विचार पर आधारित है कि जनता के सभी सदस्य राजधानी में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, किन्तु वे अपने प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित माने जा सकते हैं। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में सना जनता में ही निवास करती है। इसमें शासन और शासितों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और दोनों के उद्देश्यों में एक-रूपता रहती है। इस तरह अधिकार और राजनीतिक स्वतन्त्रता में सामंजस्य बना रहता है।

प्रजातंत्र के गुण (Merits of Democracy)

1. स्वतन्त्रता एवं समानता पर आधारित—प्रजातंत्र स्वतन्त्रता, समानता तथा प्रातृत्व की उच्च भावनाओं पर आधारित है। यह समाज के सभी सदस्यों को स्वतन्त्रता तथा समानता के अधिकार प्रदान करता है और जति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करता। प्रजातंत्र ने वर्षों से चली आ रही इस परम्परा को नकार दिया है कि कुछ लोग शासन करने के लिए और कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। प्रो. डायसी के अनुसार, "लोकतंत्र में अधिकारों की समानता तथा परिस्थितियों, भावनाओं और आदर्शों की एकता होती है। प्रजातंत्र ने साधारण मनुष्य में विद्यमान हीनता की भावना (Inferiority Complex) को समाप्त कर, एक उन्मुक्त तथा समतावादी समाज की जन्म दिया है।"

2. जन-सहमति पर आधारित—प्रजातंत्र एक कुशल व्यवस्था है जिसमें सम्पूर्ण जनता को सुख की वृद्धि करने का अवसर मिलता है। यह जन-सहमति पर आधारित शासन-व्यवस्था है।

3. स्थायी शासन—जन-सहमति पर आधारित होने के कारण ही जनतन्त्रात्मक शासन अन्य शासन-प्रणालियों से स्थायी होता है। इसमें जनसाधारण अपनी इच्छानुसार शासकों को बदल सकता है जिसके कारण क्रान्तियों का जितना भय अन्य राज्यों में होता है उतना प्रजातंत्र में और वह भी विशेषकर त्विद्वज्जलैण्ड जैसे प्रजातंत्र में नहीं रहता।

4. श्रेष्ठ शासन—जे. एस. मिल तथा लॉर्ड ब्राइस दोनों प्रजातंत्र की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। मिल के अनुसार, "प्रजातंत्र प्रणाली में समस्त जनता अथवा उसका विशाल भाग समय-समय पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करता है।" इसमें समस्त शक्ति जनता में निहित रहती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार समय प्राप्त होने पर कार्य कर सके।

5. सामाजिक गुणों का पोषक—प्रजातंत्र शासन का शिक्षात्मक मूल्य है। यह प्रणाली जनसाधारण में राजनीतिक चेतना जाग्रत करती है, आत्म-विश्वास, उदारता और सहयोग की भावनाओं को सुदृढ़ बनाती है।

6. राष्ट्रीय भावना का प्रेरक—प्रजातंत्र ऐसी शासन-व्यवस्था है जो राष्ट्रीय भावना तथा देशप्रेम को जाग्रत करती है। जनतंत्र में प्रत्येक नागरिक यह समझता है कि कानून तथा शासन के स्वरूप का वह स्वयं निर्माता है, अतः शासकगण उसके भाग्य निर्माता न होकर सेवक होते हैं।

7. वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा—प्रो. गैटिल के अनुसार, "लोकतंत्र में सम्प्रभुता शक्ति पर आधारित न होकर सहमति पर स्थित रहती है। यहाँ 'व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए है' इस सिद्धान्त को न मानकर 'राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है' इस सिद्धान्त को मानता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सर्वप्रथम रूप से अधिक सुरक्षा की सम्भावना है। इस व्यवस्था में जनता का विकास तथा उसके उन्नति सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न करना माना जाता है।"

8. सुधार-प्रेरक—प्रजातंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए वातावरण बनाने में सफल होता है। पिछले वर्षों में सत्तार में जितने सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हुए उतने राजतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हो पाए। लोकतंत्र का एकमात्र ध्येय जनकल्याण है और सामाजिक असमानता तथा पुण्ये अनुपयोगी रीति-रिवाजों को जन-सहमति से समाप्त कर, इसमें सच्चे जनकल्याण के लिए प्रयास किए जाते हैं।

9. सामाजिक एकता का साधन—लोकतंत्र सामाजिक एकता का उत्कृष्ट साधन है। डीवी (Dewey) के अनुसार, "प्रजातंत्र ऐसी सामाजिक संगठन के आदर्शों के अत्यन्त निकट है जिसमें व्यक्ति तथा समाज का सावयव सम्बन्ध रहता है। व्यक्ति समाज का उसी तरह अटूट अंग माना जाता है जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग। इस सावयव (Organic) एकता का अनुभव व्यक्ति केवल लोकतंत्र में ही कर सकता है चूँकि इस व्यवस्था में व्यक्ति अपने अन्दर सामाजिक इच्छा और आकांक्षाओं का अनुभव करता है और प्रत्येक नागरिक राज्य सत्ता में भागीदार रहता है।"

प्रजातन्त्र के दोष (Demerits of Democracy)

1. **कार्यभंगिक एवं आदर्शवादी**—प्रजातन्त्र के सिद्धान्त कार्यात्मिक और आदर्शवादी हैं, जिनका आधार जनसाधारण की समानता है। प्रागैतिहासिकों के अनुसार प्रजातन्त्रात्मक समानता कोरी कल्पना है और परिवारों तथा जातियों की प्राकृतिक उच्चता के सिद्धान्त को तथ्यों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। जर्मन, इटैलियन तथा जापानियों ने जर्मनीय उच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए विभिन्न देशों तथा राज्यों में प्राकृतिक असमानता को दृष्टिमान माना है। प्रजातन्त्र जीव-विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत है।

2. **अयोग्य व्यक्तियों का शासन**—शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक योगदान की दृष्टि से समाज के सभी व्यक्ति या वर्ग समान नहीं हो सकते। गरीब-अमीर, मूर्ख-बुद्धिमान, शिक्षित-अशिक्षित सभी प्रजातन्त्रात्मक शासन में समान होते हैं। अंग्लोफ़ोनो के अनुसार प्रजातन्त्र में गुण का महत्त्व न होकर संख्या का महत्त्व अधिक होता है। वोटों को गिना जाता है, ताँसा नहीं जाता। ऐसे शासन में विवेकहीन व्यक्तियों का सम्मान होता है और योग्य व्यक्ति उपेक्षित रह जाते हैं। इस शासन में मूर्खों तथा अशिक्षितों की संख्या अधिक पायी जाती है। यह बहुमत का शासन है यही कारण है कि प्रजातन्त्र अयोग्य और अशिक्षित लोगों का शासन कहा जाता है।

3. **प्रतिनिधियों का शासन से अनभिन्न होना**—प्रजातन्त्र को अज्ञानी, अशिक्षित तथा अयोग्य व्यक्तियों का शासन मानने का कारण यह है कि इसमें शक्ति-शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहती है जिन्हें शासन-कार्य का ज्ञान नहीं होता। प्लेटो के कथनानुसार, "शासन एक कला है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता, निपुणता तथा अनुभव की आवश्यकता है।" प्रजातन्त्र में अधिकांश ऐसे लोग शासक बन जाते हैं जो शासन का कौशल भी नहीं जानते। किन्हीं क्षेत्रों में कार्य सौंपने से पूर्व यह आवश्यक है कि कार्य करने वाले व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव तथा कार्य-शुगतता आदि पर ध्यान दिया जाए, परन्तु जनतंत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव में ऐसी किसी योग्यता पर विचार नहीं किया जाता और केवल लोकप्रियता को ही कर्माटी माना जाता है।

4. **निर्वाचन में विवेक का अभाव**—चुनाव में मत देते समय जनता विवेक से काम नहीं लेती, बल्कि जो उसे बहका देता है या उसके हाथों में पैसा धपा देता है, उसे ही चुनाव क्षेत्र में समर्पण देकर सफल बना देती है। चुनावों के अनुभव बतलाते हैं कि निर्वाचक अपने प्रतिनिधियों का सही चुनाव नहीं कर पाते। प्रजातन्त्र की राजनीति में तर्क और विवेक का अभाव रहता है।

5. **जनता का राज्य कहना अनुचित**—यह कहना सिद्धान्त रूप से गलत है कि प्रजातन्त्र सम्पूर्ण जनता का राज्य है। व्यावहारिक रूप में चुनाव सद्गता और राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना, किसी राजन्य में आसान नहीं है। जनसाधारण के पास इतना धन नहीं होता कि वह चुनाव सद्गता कर सके। केवल धनी लोग ही चुनाव के अखाटों में आते हैं और विधानसभाओं के सदस्य बनकर शासन पर कब्जा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जनतंत्र में धनी लोग व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के सदस्यों को खरीद लेते हैं और जनता का शासन अपने आदर्श का मञ्जोल बनकर रह जाता है।

6. **प्रायः सम्पूर्ण जनता द्वारा मतदान में उदासीन होना**—मतदाता चुनाव के मामलों में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। सभी देशों में बहुत कम मतदाता ऐसे पाए जाते हैं जो अपने मतदाताकार का उचित प्रयोग करते हैं। अधिकांश जनता बिना सोचे-विचारे ही वोट दे आती है और मतदाताओं की एक बड़ी संख्या वोट का प्रयोग नहीं करती। अमेरिका जैसे सफल जनतन्त्रात्मक देश में औसतन 50-60 प्रतिशत मतदाता ही मतदान में भाग लेते हैं। समस्त विशालतम प्रजातन्त्रिक देश भारत में 60 से 70 प्रतिशत मतदाता मतदान में भाग लेते हैं।

7. **निर्वाचन में अनैतिक साधनों का प्रयोग**—नैतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र में झूठ, जालसाजी आदि का बोलबाला रहता है। राजनीतिक प्रचार के लिए झूठे वायदे किये जाते हैं, झूठे कार्यक्रम बनाए जाते हैं और अनैतिक कार्यों का प्रथम लिया जाता है।

8. **धन आयातित अत्याचारपूर्ण शासन**—प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता और समानता का अभाव होता है। प्रजातन्त्र के नेता स्वार्थीसिद्धि के लिए जनता को गुमराह करते हैं और उन्हें झूठा धन दिखाकर उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण करते हैं। इस दृष्टि से प्रजातन्त्र को बहुमत का अत्याचारपूर्ण शासन (Tyranny) कहना असंगत नहीं है।

9. **अस्थायी सरकारें**—प्रजातन्त्र में सरकार अधिक स्थायी नहीं रहती। दलबन्दी के कारण पार्टियों के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन होते रहते हैं, फलस्वरूप सरकार बार-बार बनती है और बिगड़ती है। शासन प्रणाली स्थायी न रहकर अस्थायी बन जाती है और शासन नीतियों में निश्चितता और दृढ़बद्धता नहीं रहती।

10. **छापीली एवं अपव्ययी शासन-प्रणालि**—प्रजातन्त्रात्मक शासन अन्य शासनों की अपेक्षा खर्चीला एवं अपव्ययी है। शासन निर्वाचन तथा प्रतिनिधियों के वेतन एवं पत्तों पर काफी व्यय होता है। मन्त्री अन्ध-धुन्ध खर्च करते हैं। प्रजातन्त्रात्मक सरकार में कार्यपालिका की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है।

11 कार्य की गति एवं क्षमता असतोषजनक—गुणों की अपेक्षा सख्या पर बल देने से प्रजातन्त्र में सर्वत्र अक्षमता रहती है। प्रशासन में कार्य-कुशलता और द्रुत कार्य का अभाव रहता है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया इतनी सम्भी होती है कि जिन कानूनों के निर्माण में कुछ दिन लगने चाहिए उनमें वर्षों लग जाते हैं। सरकारी विभागों में कार्य की गति मन्द होती है।

12 राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा—प्रजातान्त्रिक देशों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राष्ट्रीय हितों की स्थानीय हितों के लिए बलिदान किया गया है। 'शक्ति, अधिकार और सरक्षण की होड़ में कुछ लोगों के साथ के लिए समग्र राष्ट्र के हितों की अपेक्षा की जाती है। सामुदायिक भावना का अभाव रहता है, जिससे राष्ट्रीय एकता सकट में पड़ जाती है। पार्श्व देशों में एक प्रवृत्ति अधिक जोर पकड़ती जा रही है कि संगठित अल्पसंख्यक समुदाय उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जनहित की अवहेलना करते हैं। भारत में भाषावार पुनर्गठन के प्रश्न पर जो बहदर उठा था, वह इसी का ज्वलन्त उदाहरण है।"

प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ या परिस्थितियाँ

(Essential Conditions or Circumstances for the Success of Democracy)

प्रजातन्त्र प्रत्येक देश में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। प्रो. हर्नशा (Hearnshaw) के अनुसार प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें ये हैं—(1) व्यक्तियों में सच्चाई तथा समानता की भावना का होना, (2) व्यक्ति शिक्षित हो, (3) व्यक्तियों में राष्ट्रीय स्वार्थों के प्रति रुचि हो, (4) शक्तिशाली जनमत एवं (5) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में व्यक्तियों की स्वतन्त्रता प्राप्त होना।

फ्रांसिस कोकर (Francis W Coker) की दृष्टि में लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं—(1) नागरिक भावना, (2) बौद्धिक तथा नैतिक उत्साह, (3) समान आर्थिक अवसर, (4) स्वतन्त्र वाद विवाद एवं (5) व्यक्तियों की स्वतन्त्रता।

प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक जे. एस. मिल के अनुसार प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—(1) जनता में प्रजातन्त्र शासन क्रियान्वित करने की तीव्र अभिलाषा एवं पूर्ण योग्यता, (2) जनता प्रजातन्त्र के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सपर्य को तत्पर होनी चाहिए एवं (3) जनता द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यों का बुद्धिमानी तथा ईमानदारी से पालन की इच्छा।

विस्तार और स्पष्टता की दृष्टि से प्रजातन्त्र की सफलता की आवश्यक शर्तें निम्नांकित हैं—

1. वैधानिक परम्पराएँ—प्रजातन्त्र में उद्देजित वातावरण को वैधानिक परम्पराओं के विकास द्वारा 'अगाध जल के समान शान्त' बनाया जाना आवश्यक है। प्रजातन्त्र की खुली आलोचना करने वाले लेखी और सर नार्मन एंजिन का विश्वास है कि यदि कुछ शैलियाँ और वैधानिक व्यवस्थाएँ क्रियान्वित की जाएँ तो प्रजातन्त्र मुश्किल रूप से तथा सफलता के साथ चलाया जा सकता है।

2. बौद्धिक आवश्यकताएँ—प्रजातन्त्र में शासन का उत्तरदायित्व जनसाधारण का होता है अतः आवश्यक है कि जनता का बौद्धिक स्तर उच्च हो। जनता में इतनी सहज बुद्धि होना चाहिये कि वह सही सरकार का निर्वाचन कर सके और देश की सभी आवश्यकताओं को धली-धौंधी समझ सके। जनता में निर्गम शक्ति होना चाहिए ताकि देश का सम्पूर्ण उपस्थित समस्याओं के समाधान हेतु वह उचित एवं यथयत्नकूल निर्णय ले सक। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रजा में समुचित शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार होना आवश्यक है। डॉ. इकबाल नायण ने बौद्धिक दृष्टि से जनता में प्रजातन्त्र की सफलता हेतु दो गुणों का होना आवश्यक बतलाया है—(1) जनता की समझदारी (Common Sense) एवं (2) जनता में निर्गम-शक्ति की सफलता।

3. समानता एवं सावधानी—जनता कितनी ही सुरक्षित और उदारमना क्यों न हो, जब तक वह आनस्य एवं उदासीनता से घिरे रहेगी तब तक प्रजातन्त्र की सफलता संदिग्ध है। निरन्तर सजग एवं सावधान रहने से ही प्रजातन्त्र की रक्षा हो सकती है।

4. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता—प्रजातन्त्र शासन समानता के स्वर्णिम सिद्धान्त पर आधारित है। इसके लिए आवश्यक है कि समस्त प्रजा को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानताएँ उपलब्ध हों। समानता में जन्म, जाति, रंग, सम्पदा, धर्म आदि के भेद के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान अवसर प्राप्त हों और सबके साथ कानून, न्याय तथा अवसर की दृष्टि से समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक क्षेत्र में सब को अर्थ सम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षा प्राप्त हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र का प्रथम है। जनता की नैतिक स्वतन्त्रताएँ प्रजातन्त्र के शासन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इनके द्वारा निर्वाह जनमत-समूह में सहयोग मिलना है।

5. राज्य में शान्ति और सुरक्षा—युद्ध और अशान्ति की व्यवस्था तानाशाही को जन्म देती है। शान्ति और मुख्यतया की निष्पत्ति में ही प्रजातन्त्र शासन प्रणाली स्थापित हो सकती है।

6. राजनीतिक चेतना—जनतन्त्र की राजनीति जनसाधारण की राजनीति होती है, अतः जनसाधारण में सार्वजनिक धर्मों के प्रति सामान्य जागृति होनी चाहिए उनमें देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और देश की उन्नति के लिए सब कुछ कर-गुजरने की उत्कृष्ट क्षमिता होनी चाहिए। एक सफल प्रजातन्त्र की जनता अपनी सत्कार्य और सार्वजनिक राजनीति में निरत रहने सेती है और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सदैव जागरूक रहती है।

7. राजनीतिक शिक्षा—जनतन्त्र में जनता में वैधानिक तत्परता का होना बाँझनीय है। उसमें आँख खोलकर अपनी राजनीतिक समस्याओं पर वाद विवाद करने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं पर अच्छी तरह से विचार-विचारों करने की राजनीतिक शिक्षा के बिना जनतन्त्र अर्थात् राष्ट्रीय तत्वों के हाथों में आकर हानिकारक होता है।

8. स्थानीय स्वायत्त की आवश्यकता—राजनीतिक शिक्षा के लिए आवश्यक है कि जनता को स्थानीय स्वायत्तता की संस्थाओं द्वारा प्रजातन्त्र की व्यावहारिक शिक्षा दी जाए। प्रजातन्त्र अधिकतर उन्हीं राज्यों में सबसे अधिक सफल होता है जहाँ स्थानीय स्वतन्त्र की संस्थाओं को अधिकतम अवसर दिया जाता है।

9. राजनीतिक दलों की आवश्यकता—प्रजातन्त्र सरकार सबसे अधिक "जनताधिक क्रियाशीलता और विवर की राजनीतिकता के दुर्भाग्यों से जनता की रक्षा करती है।" राजनीतिक दल शासन व्यवस्थाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व और क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। वे जनपद का निर्माण करते हैं।" एक विकासशील जाति में राजनीतिक दलों का स्वयं सिद्धान्तों पर चर्चना आवश्यक है। उनके कार्यक्रम वगैरह अपना क्षेत्रीय नहीं होने चाहिए।

10. नैतिक आवश्यकता—ईशान के अनुसार "लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का रूप अनिवार्यतः धार्मिक होता है।" इसका अर्थ यह है कि लोकतन्त्र में सफलता हेतु उसका व्यक्तियों के अच्छे चारित्रिक आधार पर अवलम्बित रहना बाँझनीय है।

मानव अधिकार के सिद्धान्त : मानव-अधिकारों का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य (Theories of Human Rights : Marxist Perspective of Human Rights)

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार विश्व के तत्कालीन लोकतांत्रिक देशों के सविधानों द्वारा नागरिकों को दिये गये अधिकार व्यावहारिक महत्व नहीं रखते। स्टालिन के अनुसार, "एक भूधे और बेरोजगार व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई महत्व नहीं है। सच्ची स्वतन्त्रता वहीं सम्भव है जहाँ शोषण, बेरोजगारी, भिखावृत्ति या कल के लिये चिन्ता की समस्या नहीं है।" मार्क्स-अधिकारों का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य केवल सविधान में नागरिकों के अधिकारों को व्याख्या कर देने में विश्वास नहीं करता, बल्कि इस तथ्य पर बल देता है कि उन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। यह केवल नागरिकों को समता ही प्रदान नहीं करता बल्कि विश्वास दिलाता है कि वे शासन के शोषण से मुक्त हो गये हैं। यह नागरिकों को कल्पन करने का अधिकार ही नहीं देता अपितु ऐसी व्यवस्था में विश्वास करता है कि प्रत्येक नागरिक को कार्य दिया जाये। पारवात्य लोकतंत्रों में नागरिक अधिकारों का स्वरूप व्यक्तिवादी (Individualistic) है, वहीं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में उनका स्वरूप समाजवादी (Socialistic) है। नागरिक अथवा मानव-अधिकारों की मार्क्सवादी योजना पूरे समाज को केन्द्र मानती है। उसका आर्थिक ध्येयवादा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका आधार समाजवादी व्यवस्था है जो नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) पर आधारित है। व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं व्यक्तिगत सत्ता के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। उसका केन्द्र एक ऐसा समाज है जिसमें सब काम करने वाले लोग किसान और मजदूर हैं। वह समाज सम्यक और विघ्न वगैरह में विभाजित नहीं होता। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य व्यक्ति को अधिकार इस रूप में प्रदान करता है कि उनका प्रयोग कर वह अपने कल्याण के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज का भी कल्याण कर सके। अधिकारों की मार्क्सवादी अथवा साम्यवादी (Communist) अवधारणा अधिकारों के साथ ही उनकी पूर्ति के लिये ठोस साधनों में विश्वास करती है। पारवात्य लोकतांत्रिक सविधान में जो अधिकारों की उदारवादी (Liberal) अवधारणा के प्रतीक माने जाते हैं, केवल अधिकारों की धर्या है, साधनों की नहीं। मार्क्सवादी अवधारणा के पौष्टिक परिप्रेक्ष्य सविधानों के अधिकार-धर्या को कागजों महत्व का बतलाते हैं, व्यावहारिक महत्व का नहीं।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख आवश्यक है। कारपिस्की के अनुसार "अधिकार देने के साथ-साथ हमारा रुसी सविधान नागरिकों पर समाज और राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य आरोपित करता है। रुसी संघ के नागरिकों के कर्तव्य अधिकारों के साथ-साथ चलते हैं। पूँजीवादी देशों की तरह रुसी सविधान बिना अधिकारों के किसी पर कर्तव्य नहीं लादता। अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य हैं। रूप के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसे

काम मिले साथ ही ठमका भी यह कर्तव्य है कि वह काम करे।" मार्क्सवादी सम्प्रदाय अधिकारों की सर्वव्यापकता में विश्वास करता है।

मार्क्सवादी विचारधारा नागरिक अधिकारों के साथ इस शर्त को आरोपित करती है कि अधिकार सर्वहारा वर्ग (Proletariat) के हितों से नहीं उठकरेंगे और उन अधिकारों से समाजवादी व्यवस्था (Socialistic Order) को बल मिलेगा। मार्क्सवादी अवधारणा नागरिकों के सार्वजनिक संगठन सम्बन्धी अधिकार पर भी प्रतिबन्ध लगाती है। तदनुसार साम्यवादी दल को संविधान के अन्तर्गत विशेष स्थिति प्रदान की जाती है और उसे राज्य एवं सर्वहाराधाराण तथा सर्वहारा वर्ग का मुख्य संगठन माना जाता है।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार व्यवस्था की विशेषता यह है कि जहाँ उदारवादी व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों (Civil Rights) को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ मार्क्सवादी व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है और नागरिक अधिकारों को गौण। वास्तविक स्वतन्त्रता तभी सम्भव हो सकती है जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो। प्रायः उदारवादी लोकतान्त्रिक देशों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, लेकिन मार्क्सवादी साम्यवादी धारणा इसे आवश्यक नहीं मानती।

इस साम्यवादी (मार्क्सवादी) परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों की व्यवस्था सोवियत सघ के विघटन के बाद एवं गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई 'ग्लासिनोस्त व पेरिस्त्रोयका' की उदारवादी नीतियों के अवलम्बन से अब रूप में समाप्त हो गई है, किन्तु अभी चीन (साम्यवादी), उत्तरी कोरिया एवं क्यूबा में यह व्यवस्था विद्यमान है।

मानव अधिकारों का उदारवादी परिप्रेक्ष्य (Liberal Perspective of Human Rights)

उदारवादी परिप्रेक्ष्य में मानव के मूलभूत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रहती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके और पूर्ण आत्म-सम्मान का जीवन बिता सके। व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक दोनों अधिकार प्राप्त होने चाहिए। व्यक्ति के ये अधिकार पूर्ण अथवा अनियन्त्रित नहीं हो सकते, क्योंकि मानव-स्वभाव में अच्छाईयाँ और बुराईयाँ दोनों होती हैं और व्यक्ति के स्वयं तथा समाज और राज्य के हित के लिये यह आवश्यक है कि उन अधिकारों पर उचित और न्यायसंगत नियन्त्रण लगाये जायें। देश और समाज के लिए अर्वाचिन्त तत्त्वों पर अंकुश रखना आवश्यक है। नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किये जायें उन्हें समुचित न्यायिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए अर्थात् कार्यपालिका की क्षमता भी संभावित निरकुशता के विरुद्ध और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका अधिकार-सम्पन्न हो। मानव-अधिकारों के उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों का आसय स्पष्टता से समझ लेना चाहिये।

नागरिक या असैनिक अधिकार और स्वतन्त्रताएँ (Civil Rights and Liberties)

नागरिक अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तिगतों के जान-माल से है। इन अधिकारों के अभाव में सभ्य जीवन का विकास सम्भव नहीं है। यद्यपि समय और स्थान के अनुसार नागरिक अधिकार बदलते रहते हैं, तथापि सभ्य समाजों में नागरिकों को कुछ न्यूनतम नागरिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं, जैसे—जीवन रक्षा का अधिकार, समानता और स्वतन्त्रता का अधिकार, स्वतन्त्र भ्रमण का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, भाषण और प्रकाशन का अधिकार, सभा और सम्मेलन का अधिकार, धर्म और अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार आदि। सुव्यवस्थित राज्य का यह कर्तव्य है कि यह इन नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं (Civil Rights and Liberties) की रक्षा करे और यह सुनिश्चन करे कि व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमण न तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा हो और न सरकार के द्वारा ही। व्यक्ति को इन मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के उपभोग का अवसर तभी प्राप्त हो सकता है जब ये राज्य के कानून द्वारा मान्य और सुरक्षित हों। एक उदार लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता और कानून में परस्पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है जिसमें स्वतन्त्रता के प्रति अधिक झुकाव होता है। उदार लोकतन्त्र में उसी आचरण की आशा होती है जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होगा। यदि व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ते हैं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का उल्लंघन करते हैं तो उनके प्रति न्यायपालियों में कार्यवाही की जा सकती है। नागरिकों को आम जनता एवं सरकार से भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उदार लोकतन्त्र में विधि-शासन (Rule of Law) की स्थापना होती है जिसमें कानून के समक्ष सरकारी कर्मचारी अथवा साधारण व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता है।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों में अंतर (Difference between Civil and Political Rights)

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में अंतर है। व्यक्ति द्वारा राजनीतिक अधिकारों का उपयोग अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं होना, अपितु नागरिक के रूप में होता है और वे उसे राज्य की सम्पूर्ण शक्ति को वैध अधिव्यक्ति तथा प्रशासन में अधिकार प्रदान करते हैं। राजनीतिक अधिकार वे समूह हैं जिनके माध्यम से वे एक नागरिक राज्य के संविधान तथा कानूनों के द्वारा देश की सरकार के साथ सहोदर बनने का अधिकार प्राप्त करता है। राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से ही लोकतन्त्र कार्यरत रहता है और एक लोकतांत्रिक संविधान ही लोगों को यथार्थ रूप में राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। नागरिक अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तियों के जन्म-मरण से है। इन अधिकारों में अनुर्णसमिति में सभ्य जीवन सम्भव नहीं है। ये अधिकार जीवन के व्यक्तिगत क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वर्तमान समय और स्थान के अनुसार नागरिक अधिकार (Civil Rights) बदलते रहते हैं तथापि सभी सभ्य देशों में न्यूनतम नागरिक अधिकार अक्षर पड़े जाते हैं। एक उदारवादी मुष्कलसिद्ध राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण न तो अन्य व्यक्तियों द्वारा होता है और न राज्य सरकार द्वारा ही।

ई अधिकार ऐसे होते हैं जो दोनों वर्गों में सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु नागरिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों पर अत्रि नही समझा जा सकता क्योंकि नागरिक अधिकार व्यक्ति के आधारभूत या मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) हैं जो उसे मनुष्य के नाते मिलने चाहिए। आधारभूत अधिकारों की रक्षा के लिये आवश्यक उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन उपायों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपाय है—अविलम्ब निष्पत्ति न्यायिक कार्यवाही (Fair trial without undue delay), सरक्षण की व्यवस्था अधिकारों या स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिये अनिवार्य है अतः ऐसी स्वतन्त्र न्यायपरिषद की व्यवस्था होनी चाहिए जो कार्यपरिष्कार के प्रत्येक अङ्क में पूर्णतः स्वतन्त्र हो। दूसरा उपाय है कि जूरी (Jury) द्वारा अभियोग की सुनवाई की व्यवस्था हो और अपराधी को यह जानने का अधिकार हो कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है? इसके अनिश्चित उसे यह अधिकार हो कि वह अपने विरुद्ध अभियोग की सुनवाई खुली अदालत में करा सके और अपने बचाव के लिए वकील को सहायता ले सके।

कुछ प्रमुख मानव अधिकार (Some Major Human Rights)

प्रमुख मानव-अधिकार ये हैं—(1) जीवन का अधिकार (Right to Life), (2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Liberty), (3) सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property), (4) समानता का अधिकार (Right to Equality), (5) सामाजिक अधिकार (Social Rights), (6) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Religious Rights) एवं (7) राजनीतिक अधिकार (Political Rights)।

संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार (United Nations and Human Rights)

मानव-अधिकारों की उदारवादी अवधारणा (Concept) का सर्वोत्तम प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र की 'मानव अधिकारों की घोषणा' (Declaration of Human Rights) में है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान रखे गये हैं और प्रस्तावना में मानव के मूल अधिकारों, मानव की गरिमा और महत्व में सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के स्वी-पुहच के समान अधिकारों में आस्था दोहराई गई है। चार्टर में मानव अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है।

चार्टर में मानव अधिकारों की व्यवस्था—संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (Charter) में किसी अन्य विषय पर इतना अधिक बल नहीं है जितना मानव-अधिकारों और मानव-स्वतन्त्रताओं पर दिया गया है। चार्टर के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनेक उद्देश्यों में से एक यह है कि जाति, भाषा, लिंग अथवा धर्म का कोई भेद भाव किये बिना सबके लिये मानव-अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्मान को प्रोत्साहित किया जायेगा। अनुच्छेद 35 में इन अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के प्रति 'सर्वत्र सम्मान और उनके पालन में संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य' माना गया है। अनुच्छेद 56, 62 और 76 भी मानव अधिकारों की संरक्षण देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को यह वैधानिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मानव अधिकारों की रक्षा करें। मानव-अधिकारों की घोषणा—चार्टर के दायित्वों को निभाते हुए महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा (Declaration of Human Rights) को स्वीकार किया। इस घोषणा में तीन धार्य हैं।

जिनमें नगरिक और राजनैतिक अधिकारों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित हैं। घोषणापत्र की 3 से 21 तक की धाराओं में विभिन्न नगरिक और राजनैतिक अधिकारों का समन्वय है। इन मानव अधिकारों को लोकतांत्रिक सविधानों में बराबर मान्यता दी जाती रही है। घोषणापत्र की 22 से 27 तक की धाराओं में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिये गये हैं जिनको मनुष्य के अल्पसंख्यक और स्वतंत्रता के निरन्तर आवश्यक माना गया है। घोषणापत्र की 28 से 30 तक की धाराओं में यह स्वप्न दिखाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी सामाजिक और अन्तःराष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें विश्व-शांति और सुरक्षा हो तथा व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो। घोषणा में यह स्मरण करवाया गया है कि अधिकारों के साथ बर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, जिनका पालन किये बिना हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। कर्तव्य द्वारा मान्य न होने पर इन घोषणापत्र का अनाग महत्व है। जिन प्रकार नैतिकता के अदरों और नियम कर्तव्य द्वारा मान्य न होने पर लोगों को उद्दण्ड व्यवहार करने को बाध्य करते हैं, उसी प्रकार मानव के अधिकारों का यह घोषणापत्र नहीं और सरकारों को मानव-अधिकारों के पालन की प्रेरणा देता है।

न्याय के सिद्धान्त

(Theories of Justice)

भारत में मनु ने अति प्रचलित युग में ही विचारों की वे दो श्रेणियाँ बतला दी थीं जिन्हें आज टॉरनी (Civil) और फौजदारी (Criminal) की मंज़ा देते हैं। न्यायिक निष्पक्षता और सत्यता पर मनु ने अत्यधिक बल दिया और कहा, "जिस सभा (न्यायालय) में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं।" कौटिल्य ने उचित न्याय-व्यवस्था को राज्य का प्राण मानते हुए कहा है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य ने यह सुनिश्चित मत प्रस्तुत किया कि न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना है। न्यायप्रिय शासक के निरन्तर आवश्यक है कि वह असामाजिक तत्वों और अश्वत्थमा टपन करने वाले लोगों को दण्डित करे। कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में 'धर्मस्थान' तथा 'कण्टक स्थान' नामक दो प्रकार के न्यायनयों का उल्लेख किया है जिन्हें आपूर्तिक दौबारा और फौजदारी न्यायलयों के समान कहा जा सकता है। कौटिल्य ने न्यायिक सभ्यता एवं प्रक्रिया का वर्णन किया है। सभी भारतीय प्रजाओं में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि न्याय करने वाला अधिकारी निष्पक्ष रहे। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रचलित भारत की न्याय-व्यवस्था धर्म से प्रभावित थी। न्यायलयों के सदस्यों को योग्यता में उनकी धर्म-सम्बन्धी बातें करने को महत्व दिया जाता था। किसी विवाद का निर्णय धर्मसम्मत हो, इसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं।

न्याय की परिभाषाएँ (Definitions of Justice)

आगस्टाइन (Augustine) के अनुसार, "न्याय एक व्यवस्थित और अनुरक्षित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था माँग करती है।"

दॉमस एक्वीनास (Thomas Aquinas) के अनुसार, "न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार दिये जाने की निश्चित एवं समान इच्छा है।"

प्लेटो (Plato) के अनुसार, "न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना है जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। नगरिक को अपने 'धर्म की चेष्टा तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति ही राज्य का न्याय है।"

आर्नोल्ड ब्रेचेट (Arnold Brecht) के अनुसार, "न्याय की धारणा वैधित्व स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और वह एक ऐसे बर्तन की धारणा है जिसके कई उलट होते हैं।"

समाजशास्त्र के विरक्वोरा के अनुसार, "न्याय वह क्रियारहित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस परिस्थिति को रोका जाता है अथवा उनका किये जाता है जिससे अन्धकार की शक्त और स्थिति बढ़ती है।"

ह्यूम (Hume) के अनुसार, "न्याय के उदय का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है।"

न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूप (Various Forms of the Concept of Justice)

पारम्परिक रूप से न्याय की दो अवधारणाएँ प्रचलित थीं हैं—नैतिक एवं कर्तव्य, जबकि आज न्याय की अवधारणा के मुख्य रूप हैं—कानूनी, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। इनकी व्याख्या इस प्रकार है—

(1) प्राकृतिक न्याय (Natural Justice)—इस न्याय के अनुसार मनुष्य को अपने शिष्यवृत्तियों में पूर्ण स्वतंत्र एवं स्वयंसेवा करना चाहिए और इस पर कोई बाधा नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता है। डॉ. इकबाल कायदा के अनुसार, "प्राकृतिक विचारधारा के कारण ही सब मनुष्यों का सर समान माना जाना चाहिए। यह कहना चाहिए कि समाज की ओर से व्यक्ति के प्राकृतिक हित में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी समतलता नष्ट हो सके। इस आधार पर न्याय को इस रूप में माना गया है जो व्यक्ति प्राकृतिक

स्वतन्त्रता एवं समानता के आधार पर समाज में स्वतः व्यवस्था बनाये रखने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहाय हो।”

(2) नैतिक न्याय (Moral Justice) — परम्परागत रूप में न्याय की अवधारणा को नैतिक रूप से अपनाया जाता है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों के समुचित गव्यन्तन के लिए कुछ सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय और अन्तिम प्राकृतिक नियम हैं। इन नियमों के अनुसार जीवन-यान ही नैतिक न्याय है। यदि हमारा आचरण इन नियमों के प्रतिरूढ़ होता है तो वह नैतिक न्याय के विरुद्ध है। नैतिक न्याय के कुछ मुख्य अंग हैं—सत्य भावण, प्राणिमात्र के लिए दया व्यवहार, सज्ज-पालन, उदारता, दानशीलता एवं सदाचरण।

(3) कानूनी न्याय (Legal Justice) — न्याय की अवधारणा के कानूनी रूप को प्राचीन और मध्यकाल में ही नहीं आधुनिक काल में भी मान्यता प्राप्त है। आज कानूनी न्याय एक सर्वमान्य अवधारणा है और प्रत्येक राज्य से यह आशा की जाती है कि वह कानूनी न्याय की स्थापना के लिए समुचित संगठन और प्रक्रिया अपनाये। विश्व के सभी देशों के न्यायसतय कानूनी न्याय की प्रस्थापना करते हैं। कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। कानूनी न्याय में सभी नियम एवं कानूनी न्याय की अवधारणा को दो अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है—प्रथम कानूनों का निर्माण एवं द्वितीय कानूनों का क्रियान्वयन। यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार जो कानून बनाए वे न्यायोचित होने चाहिए और सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि निर्मित कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी व्यवस्था के अनुसार दण्डित किया जाना चाहिए।

(4) राजनीतिक न्याय (Political Justice) — राजनीतिक न्याय की मँग है कि राज्य-व्यवस्था के सभी सदस्यों को ऐसे अवसर सुलभ हों कि वे राज्यव्यवस्था को सगण समान रूप से प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाए कि सभी व्यक्तियों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक न्याय की प्राप्ति एक प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ मुख्य साधन हैं—प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, बलक मतधिकार, सभी लोगों को विचार, भाषण, सम्मेलन, सगठन आदि की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, निष्पक्ष रूप से सार्वजनिक पदों की सुलभता आदि। राजनीतिक न्याय की मँग है कि देश की राजनीति में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं हो।

(5) सामाजिक न्याय (Social Justice) — सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिकों के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और प्रत्येक नागरिक को आत्मविकास के पूर्ण अवसर सुलभ हों। सामाजिक न्याय की मँग है कि समुचित जीवन-यापन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का सृजन हो, राजनीतिक सत्ता अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा समानता पर आधारित समाज की स्थापना का प्रयत्न करे। आधुनिक काल में सामाजिक न्याय का विचार स्तोत्रिय होता जा रहा है, क्योंकि साम्यवाद या समाजवाद में सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया है। इसीलिए विश्व के कठोड़ो लोगों ने समाजवाद को किसी न किसी रूप में अपना लिया है। समाजवाद के प्रति आकर्षण का कारण उसमें निहित सामाजिक न्याय के प्रति तत्परता है। उनके विद्वानों ने सामाजिक न्याय के प्रति तत्परता के आधार पर मार्क्सवाद को 'नवीन युग का एक नया धर्म' कहा है।

(6) आर्थिक न्याय (Economic Justice) — आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का अंग है। आर्थिक न्याय का अधिप्राय है कि सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विषेद की दीवार खड़ी हो जाए और धनिक व्यक्ति दूसरों के श्रम का शोषण करे अथवा उन्हें अपने से बहुत नीचा मानते हुए उनके जीवन पर अशुभित अधिकार स्थापित करे। आर्थिक न्याय की यह मँग है कि सर्वप्रथम समाज के सभी व्यक्तियों को अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी हों और तब कुछ व्यक्तियों द्वारा विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। आर्थिक न्याय यह इजाजत नहीं देता कि एक ओर लोग आलीशान मकानों में रहे तो दूसरी ओर झोपड़ियों की कतारें हों। आर्थिक न्याय की स्थापना का मार्ग तब तक प्रशस्त नहीं हो सकता, जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार को सीमित नहीं कर दिया जाए।

भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की व्यवस्था

भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था इस प्रकार की गई है—

(क) सामाजिक न्याय के सुलभता गानवीय सिद्धांत को संविधान के अनेक कक्षों में मान्यता मिली है। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की दिष्टि के विविध अंगों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत भूमि पर कानून के समक्ष सभी नागरिक ही समान नहीं हैं, बल्कि उनकी सामान संरक्षण भी प्राप्त है।

अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, दस्य, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के स्थान पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सब नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छात्राध्यक्ष का तथा अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार का अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा कारखानों में बच्चों से काम कराने का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अन्तर्गत अल्पसङ्ख्यकों के शिक्षा और सङ्स्कृति सम्बन्धी हितों तथा अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सम्पत्ति और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बीमारी, बुढ़ापे, बेकारी आदि अशुभ की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के कार्यसाधक प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति के लिए सहायता उपलब्ध करे। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबन्ध, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार-सहिता, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति और अनुच्छेद 47 आहार पुष्टि और जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य आदि मूल सिद्धान्त हैं जिनका अनुपालन भारत में सामाजिक न्याय को साकार एवं सफल कर सकता है।

(ख) आर्थिक न्याय की व्यवस्था करते हुए संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से कहा गया है कि वह अपनी नीति का संचालन ऐसा करे जिससे समान रूप से सभी नर-नारियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार विभक्त हो जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित सम्भव हो सके, आर्थिक व्यवस्था ऐसी चले कि धन का उत्पादन तथा वितरण के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर केन्द्रण न हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों का दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी को ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े जो उसकी आयु अथवा शक्ति के उपयुक्त न हो, शैशव तथा किशोर अवस्था का शोषण, नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक न्याय की स्थापना की प्रबल चेष्टाएँ की गई हैं। 'समाजवादी ढंग का समाज', 'लोकहितकारी राज्य' और 'मिश्रित अर्थ-नीति' जैसे पदों में आर्थिक न्याय की भावना व्यक्त होती है। भारतीय राज्य आर्थिक क्षेत्र में किन्हीं अनौचित्य की ओर न जाकर, राष्ट्रीय सत्य तक पहुँचने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहता है।

(ग) राजनीतिक न्याय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना, साम्प्रदायिक निर्वाचनों का अन्त और अनुच्छेद 19 से 22 के अन्तर्गत विविध स्वातन्त्र्य अधिकारों तथा अनुच्छेद 32 के अधीन सवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप दिया गया है।

आर्नोल्ड ब्रेचेट और न्याय की अवधारणा

(Arnold Brecht & Concept of Justice)

राजनीति विज्ञान के विद्वानों में प्रमुख रूप से न्याय-सिद्धान्त का विवेचन आर्नोल्ड ब्रेचेट की पुस्तक 'Political Theory' में मिलता है। उनके अनुसार, "न्याय की अवधारणा वींछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह एक ऐसे कर्तव्य की तरह है जिसके कई तन्त्र होते हैं।" न्याय के सम्बन्ध में हमारी अवधारणा सांता सम्प्रदाय की परम्परागत सत्ताओं पर आधारित होती है अथवा वह परम्परागत सत्ताओं से आगे बढ़ी हुई होती है। प्रथम स्थिति में उसे 'परम्परागत न्याय' (Traditional Justice) एवं दूसरी स्थिति में उसे 'अपरम्परागत न्याय' (Trans-Traditional Justice) कहा जाता है।

परम्परागत न्याय (Traditional Justice)—आर्नोल्ड ब्रेचेट के अनुसार, न्याय की परम्परागत अवधारणा सामाजिक जीवन के प्रचलित रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होती है। इन प्रथाओं, परम्पराओं आदि के अनुसार जो कुछ होता है, उसे न्याय समझा जाता है। इस प्रकार की मूलभूत प्रथा अथवा सत्ताओं में पाँच प्रमुख हैं—एक पत्नी विवाह प्रथा, परिवार, निजी सम्पत्ति, पैतृक धन के सम्बन्ध में उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा समझौता करने की स्वतन्त्रता और समझौते की बाध्यकारी शक्ति। परम्परागत न्याय की धारणा इन पाँच प्रमुख अधिकारों पर अवलम्बित है। इन आधारभूत सत्ताओं के अनुसार किए जाने वाला आचरण न्याय-भावना के अनुसार समझा जाता है। इन सत्ताओं के औचित्य को चुनौती नहीं दी जाती है। आर्नोल्ड ब्रेचेट के अनुसार परम्परागत न्याय-भावना में निम्नलिखित तन्त्र शामिल हैं—(1) व्यक्ति जाने-अनजाने परम्परागत मान्यताओं और सत्ताओं की तर्कसंगत समझता है, (2) वह उनका प्रयोग क्रमिक तर्क द्वारा कुछ निश्चित पूर्व-कल्पनाओं को प्राप्त करने के लिए करता है, (3) इनके आधार पर व्यक्ति ऐसे नियमों-विनियमों को स्वीकार करता है जो सामाजिक जीवन में स्थिरता, निश्चिन्तता और औचित्य बनाए रखते हैं, (4) वह इन परम्परागत मान्यताओं और सत्ताओं का प्रबल समर्थन करता है, इनके विरुद्ध आलोचना सहन नहीं करता, उनका प्रतिवाद करता है।

अपराधगत न्याय (Trans Traditional Justice) — जब व्यक्ति न्याय की परम्परागत मान्यताओं और सभ्यताओं से बंधे रहने के बजाय उनकी अपने दृष्टिकोण से आलोचना और मूल्यांकन करता है तो वह अपराधगत अथवा परम्परागत न्याय को अवधारणा को अपनाना है। अपराधगत या परम्परागत न्याय का दृष्टिकोण स्वीकार करे हुए व्यक्ति पूर्व मान्यताओं और सभ्यताओं की उपरोक्त पर अपनी दृष्टि से विचार प्रस्तुत करता है और देखा है कि कौनसा मान्यताएँ तथा सादर्य हस्त-लिखित सामाजिक सिद्धांत में सामाजिक हित के अनुकूल है। ऐसी उपयोगी मान्यताओं और सभ्यताओं को ही हम प्रदान करने वाली ध्येयता को यह न्याय को ध्येयता मानता है। व्यक्ति विचार करता है कि अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में कौनसा उदाय उपयुक्त है और उसकी प्रति के लिए कौन से साधन उपयुक्त है।

न्याय के सार्वभौमिक एवं स्थिर आधार तत्त्व (Universal and Invariant Postulates of Justice)

अर्नोल्ड बेचेट (Arnold Brecht) ने अपनी पुस्तक 'Political Theory' में न्याय के सार्वभौमिक एवं स्थिर तत्त्वों को लिखा है—(1) न्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व सत्य है। दार्शनिक रूप में न्याय की माँग है कि सत्य और सम्बद्ध सिद्धांत सभी कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। व्यक्तिगत रूप में न्याय की माँग है कि विभिन्न व्यक्तिगत और सामूहिक के सम्बन्ध में उन्हीं सिद्धांतों को प्रयुक्त करें जिन्हें हम सत्य मानते हैं। (2) हम मूल्यों के अन्तर्गत प्रामाण्य (Generality of the system of values) स्थापित करें अर्थात् विभिन्न मामलों पर विचार करते हुए न्याय की एक ही अवधारणा को लागू करें। ऐसा न करे कि एक मामले में न्याय की एक अवधारणा को तथा दूसरे मामले में न्याय की दूसरी अवधारणा को लागू करें। (3) न्याय की माँग है कि कानून के समस्त सभ्यता के साथ सम्बन्ध का व्यवहार किया जाए। यह अनुचित और अत्याचारपूर्ण होगा कि एक प्रकार की स्थितियों में मनमाँ ढंग से भ्रम किया जाए अथवा भ्रम उत्पन्न भया या निराशा के आभास पर लोगों के साथ भेद भावपूर्ण व्यवहार हो। (4) उचित हकालत के अन्तर्गत व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अंकुश नहीं लगाया जाए। (5) जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाए अर्थात् न्याय की माँग है कि प्रकृति की प्रतिबंधितताओं के प्रति सम्मान किया जाए। जिन कानूनों अथवा आदेशों की अनुपानता व्यक्ति के लिए सम्भव हो उनकी अन्वेषण करने पर उसे दण्डित करना अत्याचारपूर्ण है।

कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन, (Means of Achieving Legal Justice)

कानूनी न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान हैं—(1) न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता का प्रावधान हो वह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। (2) न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतन्त्र व्यवस्था हो उन्हें चुनना ही चाहिए। (3) न्यायाधीशों को उच्च और आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित हों। (4) न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिले और परीक्षा का अवसर सुलभ हो। (5) न्यायाधीशों का कार्यकाल लम्बा हो अर्थात् वे सदाचार पर्यन्त और इतने तक अपने कार्य में रूचि बनी रहे। (6) न्यायाधीशों को अर्थात् प्रवृत्त या अयोग्यता की स्थिति में केवल व्यवस्थापिका द्वारा विशेष कारणों से महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके ही उन्हें हटाया जा सके। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की हटाव विशेष कारणों से महाभियोग के लिए अनुरोध प्राप्ति के बाद व्यवसाय का निषेध हो और यह आलोचना नहीं हो जानी चाहिए। (7) न्याय की समानता के तथ्य व्यवस्था हो कि पामुक्त लोगों के साथ वे उचित रूप से अपना जवान-निर्वाह कर सकें। (8) न्याय की समानता के तथ्य पर ध्यान दिया जाए। यह आवश्यक है कि विरोधाधिकारों की समाप्ति हो और गरीबों के लिए विशुद्ध कानूनी सहायता को व्यवस्था हो एन (8) यथासाध्य जूरी (Jury) व्यवस्था कायम की जाए।

समानता (Equality)

स्वतन्त्रता की तरह समानता शब्द का अर्थ भी प्रायः ही राजनीति विज्ञान में इस शब्द की व्याख्या इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाजवादी नारों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रायः लोग समानता का अर्थ यह समझते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं। जनसाधारण समझता है कि मनुष्य समान पैदा होते हैं क्योंकि प्रकृति ने उन्हें समान बनाया है इसलिए वे समान हैं अथवा होने चाहिए। अठारहवीं शताब्दी की इस मान्यता पर आधारित अमेरिका का स्वतन्त्रता की घोषणा में उल्लेख है कि—“सब मनुष्य आजाद और समान पैदा होते हैं।” प्रायः के अधिकांशों के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि “मनुष्य स्वतन्त्र और समान पैदा होते हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में समान और स्वतन्त्र हैं। तथा कि “मनुष्य स्वतन्त्र और समान पैदा होते हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में समान और स्वतन्त्र हैं किन्तु समाज की यह धारणा आज के युग में अत्यव्यवहारिक है। प्रत्येक व्यक्ति ने समान पैदा होता है न वह समान है किन्तु यह कहना कि सभी मनुष्य समान हैं, उतना ही गलत है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। समानता के सिद्धान्त

समानता तथा स्वतन्त्रता का साध्य (Relation of Equality and Liberty)

राजनीति विज्ञान में समानता एवं स्वतन्त्रता एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, किन्तु व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से अनेक विचारक समानता तथा स्वतन्त्रता को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं। समानता की उपस्थिति में स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और उसका अर्थ असमानता बन जाता है। डी. टाकविल तथा लॉर्ड एक्टन दोनों इस प्रकार के विचारक हैं जो स्वतन्त्रता तथा समानता को एक-दूसरे का विरोधी मानते हैं। उनके अनुसार समानता स्वतन्त्रता की शत्रु है। लास्की का बहना है कि लॉर्ड एक्टन तथा टाकविल का निष्कर्ष अत्यन्त चामतावादी है। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि—“समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतन्त्रता को आशा ही व्यर्थ हो गई है।” वास्तव में स्वतन्त्रता एवं समानता एक-दूसरे की पूरक और साथ-साथ रहने वाली राजनीतिक धारणाएँ हैं। आरतोरवदम् के अनुसार, “स्वतन्त्रता के पुनराविर्भाव (टाकविल एवं लॉर्ड एक्टन) का यह विचार कि स्वतन्त्रता और समानता एक-दूसरे के विरोधी हैं, गलत है। प्रथम के क्रान्तिकारी कोई मूर्ख नहीं थे कि जिन्होंने ‘स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व’ का नाश बुलन्द किया। ये तीनों शब्द एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। यदि स्वतन्त्रता को अपना सत्य प्राप्त करना है तो यह जरूरी है कि समानता किसी न किसी रूप में उनके साथ रहे।”

स्वतन्त्रता एवं समानता को एक साथ रखने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। राज्य में न वर्गीय होना चाहिए और न धन के आधार पर कार्य का वितरण। आधुनिक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शक्ति का मूल आधार धन है। अधिकांश जनता जिनकी इज्जत करती है और जिनके पीछे-पीछे चलती है, उनको इज्जत और नेतृत्व का कारण धनका ज्ञान या गुण न होकर उनके धन की शक्ति है। ये पूँजी के आधार पर अपनी इच्छाओं का पूर्ति करते हैं। समाज के उत्पादन के साधन उनकी अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित होते हैं। समाचार-पत्रों पर अपने नियंत्रण से वे राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। समाज की आर्थिक शक्ति ऐसे हाथों में आकर मजदूर-वर्ग के लिए घातक सिद्ध होती है। इस प्रकार जहाँ ज्यादा आर्थिक असमानताएँ हैं, वहाँ स्वतन्त्रता की अनुपति और उपयोग उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। इन सब परिस्थितियों के आधार पर लास्की का मत है कि “राजनीतिक स्वतन्त्रता तब तक यथार्थ नहीं हो सकती जब तक उसके साथ आर्थिक समानता न जुड़ी हुई हो, क्योंकि राजनीति आगे चलकर आर्थिक शक्ति के हाथ की कठपुतली बन जाती है।”

नये सामाजिक आन्दोलन (New Social Movements)

समय परिवर्तनशील है। मनुष्य के विचार एवं दृष्टिकोण समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के लिए समाज में आन्दोलन होते हैं और फलस्वरूप समाज में सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन भी आवश्यक हो जाते हैं। राजनीतिक परिवर्तन राज्य की संरचना/संगठन, संस्थाओं एवं नागरिकों के मनोवैज्ञानिक वैचारिक परिवर्तन के रूप में होते हैं। यह राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है।

राजनीतिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Political Change)

राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थाओं में नागरिकों के विचार एवं दृष्टिकोण के परिवर्तन को कहते हैं। इसमें राज्य व्यवस्था, राजनीतिक मूल्य, मानक, संगठन, उद्देश्य, संरचनाओं एवं संवैधानिक नीतियों के परिवर्तन मुख्य होते हैं। जिस एव मूर ने परिवर्तन शब्द को सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा है कि—“सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना, समाज का आकार, उनके अंगों की रचना, संतुलन और उनके ढंग में परिवर्तन है।” यह परिवर्तन राजनीतिक हो या सामाजिक इसका मुख्य कारण क्या है? जनता इसे क्यों चाहती है? आदि तथ्यों को जानना आवश्यक है। परिवर्तन बाढ़ हो या आन्तरिक, यह प्रकृति एवं समाज दोनों से सम्भव होता है। राजनीतिक परिवर्तन समाज के विभिन्न समूहों के मध्य अन्तःक्रिया द्वारा, पुरानी रूढ़ि-पीढ़ी समाप्त होने से एवं बदलते परिवेश से सम्भव है। राजनीतिक परिवर्तन समाज में मई-नई शैक्षणिकी के विकास, व्यवहार एवं युद्ध, राजद्रोह, वशावरण समाप्त होने से राजनीतिक नेताओं के उदय-पतन, धार्मिक संघर्ष, सामूहिक विकास से सम्भव होता है। कुछ परिवर्तन औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से भी सम्भव होते हैं।

राजनीतिक परिवर्तन के प्रकार (Kinds of Political Change)

विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार बताये हैं। प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन ये हैं—1. संवैधानिक परिवर्तन, 2. राजनीतिक संगठन में परिवर्तन जैसे—राज्य संगठन, संस्था आदि में परिवर्तन, 3. प्रशासनिक परिवर्तन, जैसे—सत्ता-शक्ति परिवर्तन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में परिवर्तन, 4. शासन परिवर्तन, राजनीतिक दल, गुटबन्दी, दबाव समूह आदि में परिवर्तन, 5. क्रान्तिकारी परिवर्तन 6. विकासवादी परिवर्तन आदि।

राजनैतिक परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Political Change)

राजनैतिक परिवर्तन का राजनैतिक समाजशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजनीतिक सामाजिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिवर्तनों का अलग-अलग प्रभाव बताया है। सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक समूहों आदि के परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक हितों पर पड़ता है। आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव साम्राज्यों के सिद्धान्त पर, आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी का अभिवृद्धि एवं उत्पन्न पर प्रभाव पड़ता है। समाज सभ्यताओं के परिवर्तन का सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन से राजनीतिक सधर्ष उत्पन्न होता है। सधर्ष की प्रकृति सामाजिक समूहों को प्रमुखता देकर शक्ति सञ्चालन में परिवर्तन लाती है जिससे अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तन होता है। इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन मनुष्य के जीवन के सम्पूर्ण परिवर्तन का सञ्चालक बनता है।

सधर्ष एवं सुधार (Conflict and Reforms)

उन्नति एवं विकास ईश्वरों के कारण होता है। ईश्वरों से सधर्ष का जन्म होता है। सधर्ष की उत्पत्ति एवं सुधार मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था सधर्षों का मुख्य कारण है।

राजनैतिक एवं सधर्ष (Politics and Conflict)

सधर्ष की उत्पत्ति का मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता है। राजनीति का प्रत्यक्ष पहलू सधर्ष लिये होता है। मनुष्य की आवश्यकताएँ असीम होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य प्रयास करता है। प्रयास करने में विभिन्न समूह एवं विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है जिनकी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इन समूहों की आवश्यकता में टकराव उत्पन्न होता है जो सधर्ष के जन्मदाता होते हैं। क्विन्सी राइट ने राजनीति की परिभाषा में कहा है—“राजनैतिक एक कला है जिसमें प्रत्येक समूह एक-दूसरे समूह पर नियन्त्रण रखकर उन्नति का प्रयास करता है। यही उन्नति एवं नियन्त्रण सधर्ष का कारण होती है।” बर्ट्रेंड रूससेल ने सधर्ष को राजनीति की जड़ माना है।

राजनैतिक सधर्ष के रूप (Forms of Political Conflict)

दो व्यक्तियों द्वारा समान वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न सधर्ष का स्वरूप है। ये वस्तु विभिन्न रूपों में होती है उसी अनुसार सधर्ष के रूप भी भिन्न-भिन्न होते हैं, यथा—मानसिक सधर्ष, वैचारिक सधर्ष, सामूहिक सधर्ष आदि। मानसिक या बौद्धिक सधर्ष में मनुष्य को मन्त्रस्थिति का ज्ञान नहीं होता है। वह अनिर्णय की स्थिति में रहता है। सामूहिक सधर्षों में समूह या संगठन में कोई समझौता या सलाह-संवाय एक मूल न होने से पैदा होता है। विचार भिन्नता से भी सधर्ष उत्पन्न होता है।

विचारों में सधर्ष के दो रूप होते हैं—1. हिंसात्मक सधर्ष एवं 2. अहिंसात्मक सधर्ष। प्रथम सधर्ष में मनुष्य मत-भेद दूर करने के लिए युद्ध का चुनाव करता है। युद्ध में हिंसा आवश्यक है, अतः यह सधर्ष हिंसात्मक सधर्ष कहलाता है। राजनीति में भी हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ रही है। वर्तमान में होने वाले चुनाव सधर्ष की पराकाष्ठा हैं। द्वितीय सधर्ष में युद्ध या हिंसा का उपयोग नहीं होता, उसमें विचारों का युद्ध होता है जिसका निदान समझौते, बैठक, अध्यास मन्त्रिषालन के अनुष्ण कार्यवाही द्वारा किया जाता है। सधर्ष की प्रकृति के आधार पर एक वर्गीकरण खुला सधर्ष एवं गुप्त सधर्ष का रूप में किया जाता है। खुले सधर्ष में युद्ध, मतदान, लोकमत को सम्मिलित किया जाता है गुप्त सधर्ष में धड़यत्, धाखाधड़ी, जसूसी गुटबन्दी आदि आते हैं। लोकतन्त्र में सधर्ष आवश्यक होता है।

सधर्ष का संगठन (Organisation of Conflict)

प्रतियोगिता की भाँति जीत-हार रूपी सधर्ष के दो संगठन हैं—1. शून्य सधर्ष (Zero Struggle) एवं 2. अशून्य सधर्ष (Non zero Struggle), जैसे—प्रतियोगिता में एक की हार दूसरे की जीत सुनिश्चित होती है उन्ही प्रकार शून्य सधर्ष (Zero Struggle) में प्रतियोगी समान होते हैं, अर्थात् जिने जीत क दखियार हने हैं उतने ही हार के दखियार होते हैं। उनका अन्तर शून्य होता है। अशून्य सधर्ष प्रतियोगिता में विकल्प विषय होते हैं। राजनीति में चुनाव इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

राजनैतिक सधर्ष में सुधार (Political Conflict Reforms)

सधर्षों में कमी लाने, समाप्त करने हेतु इनमें सुधार आवश्यक है। सधर्षों में सुधार के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

1. त्याग भावना—सधर्षों का समाप्त करने की उन्नत प्रणाली त्याग की भावना है। यदि दो व्यक्तियों में अद्वय राष्ट्र में सधर्ष है तो एक व्यक्ति अद्वय राष्ट्र द्वारा सधर्ष को त्यागना इसका समाधान है।

2. सन्धि—सन्धि करना संपर्क समाप्ति का शान्तिपूर्ण तरीका है। सन्धि अथवा समझौते द्वारा दोनों वर्ग एक-दूसरे से सहमत होकर मध्य का मार्ग अपना लेते हैं।

3. समर्पण—संपर्क के समाधान का तरीका समर्पण भी है। इसमें एक दल या समूह अपनी माँग को समाप्त कर अपने आप को समर्पित कर संपर्क समाप्ति को घोषणा कर देता है।

4. वार्तालाप—वार्तालाप द्वारा संपर्क टाला जा सकता है। दोनों पक्षों के संपर्क में कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता कर दोनों पक्षों में वार्ता कराकर मध्यम मार्ग से संपर्क टाला जाता है।

5. सर्वमान्य निर्णय—संपर्क में सर्वमान्य निर्णय द्वारा संपर्क बर्त-दल-राष्ट्र को सुकाया जाता है। छाड़ी संपर्क इसका उदाहरण है।

क्रान्ति (Revolution)

परिवर्तन का एक रूप क्रान्ति जो अंग्रेजी के 'Revolution' शब्द का पर्यायवाची है। विभिन्न रूपों में इस शब्द का प्रयोग होता है, यथा—परिभ्रमण, परिक्रमण, घूर्णन, चक्र, परिवर्तन, क्रान्ति आदि। 'दो अमेरिकन सोसियल एनसाइक्लोपीडिया' के अनुसार, "क्रान्ति किसी राष्ट्र में विस्तृत परिवर्तन को सबाहक होती है जिसमें अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। फलस्वरूप उस देश के नागरिकों के जीवन मूल्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं।"

राजनीतिक क्रान्ति का अर्थ (Meaning of Political Revolution)

राजनीतिक समाजशास्त्र में इस अवधारणा का विशेष महत्व है। इसका प्रयोग राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल से होता आया है। सभी विद्वान इसका प्रयोग 1789 से मानते हैं। सर्वसम्मत परिभाषा के अनुसार, "क्रान्ति शासन की संरचना, समर्थन का आधार एवं कार्यों में परिवर्तन असंवैधानिक रूप से किया गया स्वरूप है जिसमें परिवर्तन विशिष्ट वर्ग एवं नागरिकों द्वारा हिंसा अथवा हिंसात्मक धमकी द्वारा किया जाता है।" टी. एच. ग्रीन के अनुसार, "क्रान्ति शब्द को न केवल आधुनिक आन्दोलनों पर लागू करना चाहिए जिसने मानव स्वतन्त्रता को विस्तृत किया हो, बल्कि उन सब हिंसक परिवर्तनों पर लागू किया जाना चाहिए जिनका मूल उद्देश्य परिवर्तन हो। ये सब सैनिक क्रान्तियाँ जिनका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, मानकों तथा उद्देश्यों में परिवर्तन हो क्रान्ति की अवधारणा में सम्मिलित होते हैं।"¹

राजनीतिक क्रान्तियों के प्रकार (Kinds of Political Revolution)

राजनीतिक परिवर्तन के तरीकों को राजनीतिक क्रान्ति कहते हैं, जिनमें धन, शक्ति, सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन सम्मिलित है। ये परिवर्तन वैधानिक व्यवस्था द्वारा शान्तिपूर्वक एवं संविधान का उल्लंघन कर असंवैधानिक रूप से किये जा सकते हैं। राजनीतिक क्रान्ति के दो स्वरूप होते हैं—1. शान्तिपूर्ण क्रान्ति एवं 2. खूनी क्रान्ति। प्रथम राजनीतिक क्रान्ति को विद्वान मानने से इनकार करते हैं। सभी विद्वान राजनीतिक व्यवस्था एवं सिद्धान्तों के निर्माण को ही राजनीतिक क्रान्ति मानते हैं। राजनीति के सेछक शान्तिपूर्ण अथवा अहिंसात्मक राजनीतिक क्रान्ति को मानने से सहमत नहीं हैं। महात्मा गाँधी द्वारा कभी भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए हिंसात्मक उद्यम नहीं अपनाया गया, अतः अहिंसात्मक राजनीतिक क्रान्ति को भी क्रान्ति के प्रमुख स्वरूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्यों के आधार पर दो प्रकार की राजनीतिक क्रान्ति प्रमुख हैं—1. विकासशील आधुनिक राजनीतिक क्रान्ति एवं 2. अविकसित राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपरक क्रान्ति। आधुनिक विश्व के राष्ट्रों में नई राजनीतिक व्यवस्थाएँ विकसित हो रही हैं। उससे हुए राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन को विकासवादी राजनीतिक क्रान्ति कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विकास से हुए परिवर्तनों में सत्ता में निष्ठा एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन भी हो यह सन्देहास्पद रहता है। निष्ठा परिवर्तन से हुए राजनीतिक परिवर्तन को अविकसित राजनीतिक क्रान्ति कहते हैं। इसके निम्नांकित प्रमुख कारण हैं—1. विदेशी प्रभुत्व द्वारा राजनीतिक क्रान्ति, 2. आन्तरिक राजनीतिक क्रान्ति, 3. सैनिक क्रान्ति, सेना की बगावत, 4. पराजित राष्ट्रों को स्वतन्त्रता देना एवं 5. युद्ध।

राजनीतिक क्रान्तियों के कारण (Causes of Political Revolution)

अरस्तू के अनुसार क्रान्तियों के कारणों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—1. भौतिक कारण 2. साधारण कारण एवं 3. विशेष कारण। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भिन्नता राजनीतिक क्रान्ति का, भौतिक कारण है। राजनीतिक क्रान्तियों के साधारण कारणों में निम्नांकित मुख्य हैं—1. नेता-शासक की स्वार्थपरता, 2. राजनीतिक सम्मान का लालच, 3. उच्च मनोभावना का विकास, 4. दर-दबाव, 5. शोषण, 6. शासक संपर्क, 7. चुनावी धोखे एवं 8. जातिगत समस्यार। राजनीतिक क्रान्तियों के विशेष कारणों में धार्मिक पहलू, लोकतन्त्र के अत्याचार, शक्ति सत्ता का दुरुपयोग, कुल संपर्क परिवार के झगड़े आदि आते हैं।

राजनीतिक क्रान्ति के रोक के उपाय**(Preventive Measures of Political Revolution)**

राजनीतिक क्रान्ति के रोक के प्रमुख उपाय हैं—1. शक्ति का विकेंद्रीकरण 2. राजनीतिक शक्ति-सत्ता के पदों का समान वितरण 3. देश-भक्ति का विकास 4. नौकरत्व में घातिलों पर रोक 5. नागरिकों से सद्व्यवहार 6. दण्ड की कठोर व्यवस्था आदि ।

राजनीतिक दाय्यता**(Political Obligation)**

राज्य न दो आन्तरिक दृष्टि से और न ही बाह्य रूप से पूर्ण है। सभी दृष्टिकोणों से राज्य सम्पूर्ण का विचार औचित्य पूर्ण नहीं रहा है। राज्य की राजनीतिक शक्ति के प्रयोग पर जहाँ व्यावहारिक प्रतिबंध व्यवस्था है वहाँ किसी भी सम्प्रभु को अन्य राज्यों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा है। यदि वे ऐसा न करेगा तो वह उनका साथ संपर्क में उतर आयेगा। संपर्क का जोखिम कोई भी राज्य नहीं उठा सकता। द्रुवगति से एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय उभर रहा है जिसके अपने विशिष्ट नैतिक मानदण्ड एवं ढाँचे स्थापित हैं। ये मानदण्ड राज्य के व्यवहार एवं गतिविधियों पर नैतिक तोमर लगाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक ऐसा बृहद् रूप प्रकट हो रहा है जो राज्य सम्प्रभुता के बाह्य पक्ष को पर्याप्त सन्तुष्ट कर लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशालिता वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय समाज में दलसम्बन्धी दण्ड व्यवस्था पर निर्भर करती है। आज से कुछ वर्षों पूर्व सत्तार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले यह संप्रभुता का बाद में संप्रभुता यह संप्रभुता स्थापित हुए जिनके माध्यम से निर्णयों और प्रतिबंधों को लागू करने की व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। ये व्यवस्थाएं प्रारम्भ में भले ही अल्प-विकसित रही हों, लेकिन अब उनका क्रमिक विकास होना जा रहा है। यद्यपि संप्रभुता यह संप्रभुता विश्व शक्ति सम्बन्धी अपने मौलिक उद्देश्य में विरत रूप से सकल नहीं रहा है, फिर भी अनेकानेक अन्तर्राष्ट्रीय संपर्कों को कम करने तथा उन्हें मर्यादित करने में इस सत्ता को विशेष सफलता मिली है। मानवता के मूल्यों पर वह राज्यों की स्वार्थ सिद्धि को नियंत्रित करने की आशा का परिचायक है।

आन्तरिक दृष्टि से राज्य की सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति के विचार को अभाव पहुँचा है। किसी भी समाज में ऐसे अनेक समूह एवं समुदाय हैं जो कुछ निश्चित क्रियाओं को सम्पादित करते हैं। ये राज्य शक्ति के प्रयोग पर व्यावहारिक तोमर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त शासकों को समाज में 'क्रान्ति' की भावी संभावनाओं पर सदैव ध्यान देना होगा है अन्तः लोकमत भा आज एक सशक्त शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। यह सत्य है कि यह पूर्ण रूप से संगठित न हो, परन्तु कोई भी सम्प्रभु शक्ति उसका उन्मूलन करने की स्थिति में नहीं है। उदाहरण के लिए इस्लाम में सत्तार सम्प्रभु है। वह ऐसा कानून बना सकता है कि प्रत्येक शिशु अथवा धनवान व्यक्ति को मतपत्रिका प्राप्त होगी, लेकिन व्यवहार में वह ऐसा कानून अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर ही बना सकता है। यह सही है कि बाध्यकारी शक्ति राज्य का एक महत्वपूर्ण सहाय है, लेकिन उसके अत्यधिक प्रयोग राज्य के उद्देश्य को ही ध्वस्त कर देता है। मैकडवेल के अनुसार, "बाध्यकारी शक्ति राज्य का एक मापदण्ड है उसका सार नहीं।" नागरिकों को उत्प्रेरित करने से पहले स्वयं राज्य को अनुसूचित होना होगा। यह आवश्यक है कि बाध्यकारी शक्ति-संपूर्ण लागू करने से पहले स्वयं राज्य की अपनी शक्ति का संशोधन का ध्यान रखना चाहिए।

नये सामाजिक आन्दोलन**(New Social Movements)**

सोल्हवीं शताब्दी में सामाजिक जागरण और सुधार आन्दोलन हुए तथा परिचयी यूरोप के राष्ट्रों पर यह राज्यों (Nation States) का उदय हुआ। परिणामस्वरूप यूरोप के राष्ट्रों पर आधुनिकीकरण (Modernisation) प्रारम्भ हो गया। युग परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक विचारों में गम्भीर परिवर्तन होने लगे। मैकडवेली (Machiavelli) की प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। उसने मध्य युग के विचारों से अलग हटकर आधुनिक व्यक्तिवाद और यह राज्य की स्थाना में योग दिया, अनुभूति प्रधान ऐतिहासिक पद्धति को अन्तर्गत और राज्य के प्रकृतियुक्त सिद्धान्त की नैतिकता के बंधनों से मुक्त किया। उसने संविधान प्रणाली के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और सामन्तवाद (Feudalism) पर प्रहार करके सर्वोच्चतन्त्र केन्द्रिय शक्ति की प्रतिष्ठा की। इस नई धारा में राजनीतिक विचारक यह राज्य की प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करते लगे तथा यह राज्य का ऐसा स्वरूप समझे आया जो धर्मनिरपेक्ष (Secular) होने के साथ-साथ सम्प्रभुता (Sovereignty) सम्पन्न था।

सत्रहवीं शताब्दी में मुख्यतः दो राजनीतिक विचारधाराएँ उठीं—निरंकुशवाद की समर्थक और निरंकुशवाद विरोधी। बोदों (Bodin) एवं हॉब्स (Hobbs) ने निरंकुशवाद का समर्थन किया और लॉक (Lock) ने सार्वभौमिक राजतन्त्र

(Constitutional Monarchy) का पथ लिया। रूसो (Rousseau) ने लोकप्रिय सम्प्रभुता की बात की तथा मॉण्टेस्क्यू (Montesque) ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिये। कुछ समय बाद फ्रांस में क्रांति हुई जो स्वतंत्रता, समानता और भावतुल्य के सिद्धान्तों पर आधारित थी। जो सारे यूरोप में फैल गए। राष्ट्रीयता का विचार प्रबल हुआ और जनता में राजनीतिक चेतना आई। विभिन्न देशों में निरंकुरा शक्तियों के विरुद्ध क्रांति हुई। क्रांतिकारियों की उभार और फ्रेंच की प्रतिक्रिया के रूप में इंग्लैण्ड में बर्क और अमेरिका में हेमिल्टन (Hamilton) तथा मडिसन (Madison) ने विचार व्यक्त किए। इससे क्रान्तिवादी प्रक्रिया का जन्म हुआ। फ्रांसीसी क्रांति और लोकतंत्रिय सिद्धान्त के गुणों के बीच विवाद पैदा हो गया। बर्क के विरुद्ध थॉमस पेन (Thomas Paine) ने लोकप्रिय सम्प्रभुता का प्रबल समर्थन किया। इस काल में औद्योगिक क्रांति ने मानव के आचार और विचार में पूर्ण परिवर्तन कर दिया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का स्थान औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने ले लिया। व्यक्ति गाँव छोड़कर नगरों में आने लगे। औद्योगिक प्रगति ने यूरोप को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित किया, अतः 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी विचारधारा की प्रमुखता रही। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा। पूँजीपतियों एवं श्रमिकों के हित टकराये। शोषण के परिणामस्वरूप मजदूरों की दशा दयनीय बन गई जिसे देखकर मानवतावादियों (Humanists) ने कल्पनाविवादी समाजवाद की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समाजवादी (Socialist) और साम्यवादी (Communist) सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार हुआ। यातायात और आवागमन के साधनों का विकास होने पर सारा विश्व एक परिवार बन गया। संसार के मजदूर विश्वव्यापी संगठनों में संगठित होने लगे। विश्व साम्राज्यवाद की समाप्ति ने पूँजीपति (Capitalist) देशों को संगठित कर दिया और वे साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रवाह को रोकने के लिए प्रयत्न करने लगे। विश्व दो खेमों (Camps) में बँट गया और राजनीतिक विचारधाराएँ भी दो भिन्न तथा विपरीत दिशाओं में बह निकली।

कुछ प्रमुख विचारधाराएँ

(Some Important Ideologies)

डार्विन (Darwin) के सिद्धान्त के प्रभाव से राजनीतिक विचारकों ने विकास की भाषा में सोचना प्रारम्भ कर दिया। फलतः धर्म तथा मानव सम्बन्धी परम्परागत धारणाएँ गिरने लगीं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 20वीं शताब्दी तक अनेक राजनीतिक विचारक हुए। उनके साथ अनेक विचारधाराओं का उत्कर्ष और अपकर्ष हुआ। मॉण्टेस्क्यू, बाइको, झूझ, बर्क आदि विचारकों ने अपनी तर्क शक्ति से सामाजिक समझौते सिद्धान्त को कसौटी पर कसा। यह कसौटी पर खरा नहीं उतरा, अतः उसकी उपयोगिता सम्यक्त हो गई। प्रमुख विचारधाराओं का सार निम्नलिखित है—

उपयोगितावाद (Utilitarianism)

18वीं शताब्दी में उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। यह विचारधारा मूलतः इंग्लैण्ड का राजनीतिक दार्शनिकता की उपज थी। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से अधिकाधिक सुख की कामना करता है तथा दुःख से बचना चाहता है अतः श्रेष्ठ राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। झूझ, प्रीस्टले (Presley) तथा हचिसन (Hutchison) आदि ने इस विचारधारा का प्रवर्तन किया। जेरेमी बेन्थम (J Bentham) इसके मुख्य समर्थक एवं व्याख्याता थे तथा जे एम मिल (J S Mill) ने इसकी पुनर्समीक्षा की।

आदर्शवाद (Idealism)

परिवर्तित परिस्थितियों में उपयोगितावाद निष्फल रहा। उसके स्थान पर आदर्शवादी विचारधारा की स्थापना हुई। जर्मनी के दार्शनिक काण्ट (Kant) तथा हीगल (Hegel) ने राज्य को एक अनिवार्य नैतिक संस्था माना। राज्य सर्वशक्तिमान है तथा उसमें और व्यक्ति में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। इन विचारकों ने सभ्यता पालन को स्वतंत्रता और राज्य को अधिकारों का जन्मदाता माना। इंग्लैण्ड के टी एच ग्रीन (T H Green) ने उदारवादी आदर्शवाद (Liberal Idealism) की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा ने राज्य और उसके समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जीवशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। कुछ विचारकों ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन को अधिक सही माना। हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) जीवशास्त्रीय दृष्टिकोण का और बेजहॉट (Boghot) मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक माना जाता है।

माक्सवाद (Marxism)

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कार्ल मार्क्स (Karl Marx) और एंजिल्स (Angels) के सिद्धान्तों ने राजनीतिक विचारधारा का कायाकल्प कर दिया और राज्य के चिन्तन पर व्यापक प्रभाव डाला। मार्क्स के पहले कुछ विचारकों ने समाजवादी सिद्धान्तों का समर्थन किया। कल्पनाविवादी विचारक साइमन (Simon) फोरियर (Fourier) ओबेन (Owen) आदि ने विकासवादी अहिंसात्मक और शान्तिवादी समाजवाद का प्रतिपादन किया, किन्तु मार्क्स के पदार्पण ने इसे बेगपूर्व

हितात्मक और क्रान्तिकारी रूप दे दिया। मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उसने समाजवाद को वैज्ञानिक अभ्रय प्रदान किया।

पुनर्रचनावाद (Revisionism)

मार्क्स तथा एंजिल्स से प्रेरणा लेकर विचारकों ने सामाजिक पुनर्रचना के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धान्त ग्रेट-ब्रिटेन की धरती के लिए उपयुक्त सिद्ध हुए। इन्होंने विभिन्न समाजवादी आन्दोलनों का सूत्रपात किया। इनमें फेबियनवादी आन्दोलन प्रथम उल्लेखनीय है।

फेबियनवाद (Fabianism)

इस सिद्धान्त ने क्रान्ति और अहिंसा से दूर वैधानिक उपायों द्वारा समाजवाद की स्थापना का आग्रह किया। यह विनाश की अपेक्षा सुधार की महत्व देता है। विकासवादी समाजवाद का एक अन्य स्कूल (विचारधारा) 'समष्टिवादी समाजवाद' कहा जाता है। इसके राज्य समाजवाद, समूहवाद आदि नाम भी हैं। यह परिवर्तन की क्रमिकता में विश्वास रखते हुए यह चरचा है कि समाजवादी क्रान्ति रक्तपात और हिंसा के बिना नाई जये। इसी सिद्धान्त की एक मुख्य शाखा पुनर्विचारवादों के रूप में बर्नस्टीन (Bernstein) द्वारा प्रतिपादित की गई। इनमें मार्क्स के सिद्धान्त को बहुत आलोचना करते हुए आग्रह किया कि मार्क्स के क्रान्तिकारी पहलु को अपेक्षा विकासवादी पहलु पर जोर दिया जाना चाहिए और परिवर्तित परिस्थितियों में मार्क्सवादी सिद्धान्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने चाहिए।

सिन्डीकेलवाद (Syndicalism)

19वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में फ्रांस के आन्दोलन के गर्भ में सिन्डीकेलवाद का जन्म हुआ। यह एक क्रान्तिकारी विचारधारा है जो शक्ति और विकास को अर्जित करते हुए क्रमिकी को बन्धन मुक्त करना चाहती है। यह सिद्धान्त उद्योगों का संचालन एवं स्वामित्व राज्य के हाथ में न देकर मजदूरों के हाथ में देना चाहता है।

ग्रेगी समाजवाद (Guild Socialism)

उत्ते समाजवाद का अग्रणी सत्कारण कहा जा सकता है। यह फेबियनवाद और सिन्डीकेलवाद के बीच की विचारधारा है जिसका प्रतिपादन 20वीं शताब्दी की प्रथम दो दशकियों में हुआ। सामान्य रूप से इसका उद्देश्य उद्योग कार्य में लगे व्यक्तियों के स्वराज्य की स्थापना करना तथा वर्तमान वेतन-प्रदा का अन्त करना है। इसके अनुसार एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिसमें क्रमिकी को रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शक बन हो सके। यह पूँजीवादी व्यवस्था और प्रदेशिक प्रतिनिधित्व का अन्त करके कार्यो के आधार पर क्रमिकी के मूल बनाना चाहता है।

अराजकतावाद एवं गाँधीवाद (Anarchism and Gandhism)

अराजकतावाद और गाँधीवाद दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएँ हैं। अराजकतावाद किमी निश्चित सिद्धान्त का नाम नहीं बल्कि एक आधारभूत विचार का शीर्षक है जिसे कई विचारकों ने अपने-अपने तरीकों से व्यक्त किया है। इस विचारधारा को यह आधारभूत मान्यता है कि शक्ति किसी भी रूप में एक गुण है, अतः अत्यन्तनीय एवं अन्तर्वर्षक है। इसके मन्तानुसार न्याय की स्थापना के लिये राज्य को समूह नष्ट करके उसके स्थान पर स्वतन्त्र सत्ता का संगठन किया जाना चाहिए। अराजकतावादी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से अन्ध है, जो गुणकारी राज्य के कारण पैदा होती है। गाँधीवादी विचारधारा एक अर्थ में अराजकतावादी नहीं जा सकती है। यह आधुनिक केन्द्रोपकृत राज्य को व्यक्ति की व्यवस्था का राहु समझती है। गाँधीवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति और निर्बाध प्रतिस्पर्धा पर आधारित वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐसे नवीन समाज की रचना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।

फासीवादी (Fascism)

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय फासीवादी राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। यद्यपि इसकी मूल धारणाएँ पूर्ववर्ती राजनीतिक चिन्तन में प्राप्त होती हैं। फासीवाद किन्ना सैद्धांतिक या उसने अधिक व्यावहारिक था। यह राज्य की सर्वोपकारवादी प्रकृति में विश्वास करता था। इसके अनुसार राज्य ही सब कुछ है। राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इस विचारधारा के समर्थकों ने युद्ध की प्रशंसा की तथा अनेक कारणों से उसे मान्य समाज के लिए उपयोगी बताया है।

उक्त सभी राजनीतिक विचारधाराएँ आधुनिक राजनीतिक चिन्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राजनीतिक संस्कृति के सिद्धान्त (Theories of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा राजनीतिक समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति की समस्या का ज्ञान अनिवार्य है। राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता का परिभरण सत्ता की क्रियाशीलता के सन्दर्भ में राजनीतिक अभिवृत्तियों की समस्या महत्वपूर्ण है एवं इसकी रचना का प्रभावशाली उपाय है—एक ऐसा भावात्मक एवं अभिवृत्तिमूलक पर्यावरण उत्पन्न व विकसित किया जाए जो राजनीतिक सत्ता को क्रियाशील कर सके। जब इस इच्छा भावनात्मक एवं अभिवृत्तिमूलक पर्यावरण की स्थापना एक यथार्थ बन जाती है एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थायी बन जाती है। जब राजनीतिक व्यवस्था को दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से पृथक् भारत है तो इसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं।

राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति शब्द 'राजनीति' एवं 'संस्कृति' दो शब्दों से मिलकर बना है। विभिन्न विद्वान् इसे अलग-अलग नम्य से सम्बोधित करते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए डी. बी. टेलर ने लिखा है कि "संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य आदतों एवं शक्तियों का समावेश रहता है जिसे मानव समाज के एक सारंग्य होने के नाते प्राप्त करता है।" 1 टेलर की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति एक सामाजिक देन है। मैकडारर एवं पैज के अनुसार, "संस्कृति हमारे दैनिक प्रतिदिन के रहन-सहन की प्रकृति, संहिता, धर्म, कला, मनोरंजन तथा उपयोग सम्बन्धी अभिव्यक्ति है।" 2

संस्कृति की अवधारणा इन विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है 3—1 संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित (Transmit) होती रहती है 2. भोला हुआ व्यवहार होने के कारण यह एक सामूहिक धारणा है 3 इसकी प्रकृति आदर्शात्मक होती है, 4 यह व्यक्तिगत सम्पत्ति न होकर समाज की धरोहर है 5 यह आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है 6 इसमें समयानुकूल परिवर्तित होने एवं पर्यावरण से सहायोजन करने की क्षमता होती है। 7 प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है अतः विभिन्न समाजों की संस्कृतियों में भिन्नता पाई जाती है 8 मानव उपलब्धि के रूप में संस्कृति एक प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है 9 यह अति-वैयक्तिक (Super individual) तथा अति-अवयव (Super organic) है 10 यह सार्वभौमिक (Universal) है।

राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय उन विशिष्ट आदतों विश्वासों रीति-रिवाजों कौशलों भावात्मकों अभिवृत्तियों कलाओं या रुझानों और मूल्यों में होता है जिन्हें राजनीतिक मानव राजनीतिक व्यवस्था से सीख लेता है और उसे अपनी आदतों और मनोभावों में उतार लेता है। आम्पड इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहते हैं। उन्होंने इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया है। जी. ए. आम्पड एवं सिडनी वर्न के अनुसार, "राजनीतिक व्यवस्था एवं इसके घटकों के प्रति विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्तियों तथा व्यवस्था में स्वयं की भूमिका के प्रति मनोवृत्तियों का आशय राजनीतिक संस्कृति है।" 4 प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति का एक व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) सार होता है जो नीतियों, अर्थ एवं सभ्यताओं को अनुशासन एवं व्यक्तिगत धर्मों को सामाजिक सन्दर्भ प्रदान करता है। लुसियन डब्ल्यू.

1 E. B. Taylor The Origin of Culture p 1

2 MacIver & Page Society p 499

3 Dharmveer Political Sociology p 68

4 G. A. Almond and Sydney Verba The Civic Culture p 12.

पाद के अनुसार, "राजनीतिक सस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं मनोभावों का कुलक है जो राजनीतिक क्रियाओं को अर्थ एवं सुव्यवस्था प्रदान करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अन्तर्निहित पूर्व धारणाओं एवं नियमों को बताता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक आदर्श तथा सक्रियशील मान्यताएँ, दोनों सम्मिलित हैं अतः राजनीतिक सस्कृति राजनीति के मनेवैज्ञानिक एवं व्यक्तिपरक पहलुओं का समुचित प्रकार में आविर्भाव है।"¹ हॉज मुन्टाज के अनुसार, "राजनीतिक सस्कृति उन रूपों की ओर ध्यान आकर्षित करती है जिनका पूर्वानुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा इन समूह के सदस्यों के सामान्य विश्वासों, नियामक सिद्धान्तों, उद्देश्यों एवं मूल्यों से लगाया जा सकता है चाहे उस समूह का आकार कुछ भी हो।"²

राजनीतिक सस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं विश्वासों का योग है जिससे कि उनका राजनीतिक व्यवहार निर्धारित होता है, अतएव राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व बहुत सीमा तक राजनीतिक सस्कृति पर निर्भर रहता है।

राजनीतिक सस्कृति की प्रकृति (Nature of Political Culture)

राजनीतिक सस्कृति सामान्य सस्कृति का एक अंग है और एक व्यक्ति तथावा समूर्ण समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से राजनीतिक सस्कृति का नाम दिया जा सकता है। यह एक समाज की ऐतिहासिक विरासत होती है और कुछ सीमा तक राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा अनेक राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होती है। राजनीतिक सस्कृति के प्रमुख लक्षण तथा विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. राजनीतिक सस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा—राजनीतिक सस्कृति का मूल आधार व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य और विश्वास हैं। ये मूल्य और विश्वास सामान्य नैतिक धारणाओं के अंग होते हैं और इन्हें अन्य भौतिक तत्वों की भाँति कोई मूर्त स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। इन्हें समझा और अनुभव किया जा सकता है।

2. राजनीतिक सस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप—राजनीतिक सस्कृति, सामान्य सस्कृति का एक अंग है और सामान्य सस्कृति के ही समान अनेक तत्वों का सामूहिक एवं समन्वित रूप है। ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिस्थितियों, समाज की सामान्य सस्कृति, विचारधारणें, राजनीतिक व्यवस्था और इनके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक संरचना आदि के द्वारा राजनीतिक सस्कृति के आधार के रूप में कार्य किया जाता है।

3. राजनीतिक सस्कृति में गतिशीलता—राजनीतिक सस्कृति यदि एक ओर ऐतिहासिक विरासत तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संरचना के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक सस्कृति के कुछ तत्व स्थिर नहीं बल्कि विकसमान होते हैं। इस दृष्टि से सभी राजनीतिक सस्कृतियाँ आवश्यक रूप से गतिशील होती हैं। इसमें से कुछ मन्द परिवर्तनशीलता और कुछ तीव्र परिवर्तनशीलता की स्थिति को अपनाती हैं।

4. राजनीतिक सस्कृति में आस्थाएँ एवं विश्वास—आनुभविक आस्थाओं या विश्वासों का सम्बन्ध व्यक्ति की विश्व के बारे में राजनीतिक समझ से है अर्थात् इसका सम्बन्ध इससे है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में स्वयं किस प्रकार के विश्वास रखेगा? इससे राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति का अभिप्राय या उद्देश्यता का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति स्वयं यह विश्वास रखने लग जाता है कि आम चुनाव में उसका मत देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वह सामान्यतया मत देने ही नहीं जाएगा। राजनीतिक सस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की अनुभविक आस्थाओं और विश्वासों का है।

5. मूल्य अभिवृत्तियाँ—मूल्य अभिवृत्तियाँ, शासन क्रिया या सरकार द्वारा उन व्यक्तित्वगत सदस्यों, जिन्हें अभिवृत्ति करना या पाना है तथा वे सार्वजनिक लक्ष्य जिन्हें राजनीतिक समाज के लिए प्रयत्न करना है सम्बद्ध आस्थाएँ और विश्वास हैं। राजनीतिक समाज के व्यक्ति स्वयं अपने लिए और समूर्ण राष्ट्र के लिए किस प्रकार की मूल्य अभिवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभिवृत्ति कबन-एव व्यवस्था और स्थायित्व में हो सकती है तो किसी अन्य समाज में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की केवल अवस्था, हिंसा और अराजकता की स्थिति में ही लोग चढ़ते हैं। राजनीतिक समाज ऐसा हो सकता है जिसमें व्यक्ति इसको कोई चिन्ता नहीं करते कि उनका शासन निरक्षर है या लोकतान्त्रिक। उनकी शक्ति हो सकती है कि उनका समाज समय के साथ धीरे धीरे नहीं तुल्य बन-बढ़ जाए चाहे उसके लिए शासन कोई भी साधन अपनाए, उन्हें इसकी चिन्ता नहीं रहती है।

1 L. W. Fye *Aspects of Political Development*, p. 104-105

2 *Henri Eulau Op. cit.*, p. 87

राजनीतिक संस्कृति में इन सशर्तों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह हर राजनीतिक संस्कृति में समान रूप से पाए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि हर राजनीतिक संस्कृति में इन सशर्तों में मात्रात्मक अन्तर पाये जाते हैं और इस कारण, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा एक ही होते हुए भी हर व्यवस्था में उसकी मात्रा या अंश अलग-अलग पाया जाता है।

संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति (Culture and Political Culture)

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति मूल रूप से समाज की संस्कृति से प्रभावित होती है। उस समाज की संस्कृति विरासत, उसके आदर्श और उसके मूल्य व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को धारा को निर्धारित कर देते हैं। एम. पी. सर्ना के अनुसार, "किसी देश की राजनीतिक संस्कृति एक तरह से उसकी सामान्य संस्कृति के समान होती है।" सिद्धनी वर्मा के अनुसार, "राजनीतिक संस्कृति और समाज की अपेक्षाकृत अधिक सामान्य संस्कृति का एक अधिभूत पहलू है।" एक व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास उसके अन्य विश्वासों का अंग होते हैं और सामान्य संस्कृति के मूल्यों एवं विश्वास से राजनीतिक संस्कृति अप्रभावित नहीं रह सकती। व्यक्ति के सौन्दर्यिक व्यवहार की प्रवृत्तियों उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी समाज के गणराज्य सौन्दर्यिक जीवन में नैतिक मूल्य गहरे हैं तो शासन एक सीमा से बाहर नैतिक मूल्यों को अवहेलना का साहस नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो तब जन-विरोध के रूप में इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के अनर्गल विश्वास की पालना रखते हैं तो उनके द्वारा अपने राजनीतिक नेताओं पर विश्वास किया जा सकेगा और शासन के दौंचे के अनर्गल शासक वर्ग के व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान का आवागण करते हुए पारस्पर सहयोग करेंगे। भारतीय और पश्चात्य समाज के राजनीतिक व्यवहारों में अन्तर का प्रमुख कारण यह है कि दोनों समाजों की सौन्दर्यिक संस्कृति, आस्थाएँ और आदर्श एक-दूसरे से भिन्न हैं। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति की इस विवेचना से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का नियमन करती है दूसरी ओर राजनीतिक संस्कृति भी सामान्य संस्कृति को प्रभावित करती है।

इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों एक-दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करती रहती हैं। सामान्य संस्कृति व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक संस्कृति अपेक्षाकृत सीमित अवधारणा है। प्रथम में व्यक्ति की सम्पूर्ण मूल्य व्यवस्था, आस्थाएँ और विश्वास सम्मिलित होते हैं, दूसरी में व्यक्ति के केवल राजनीतिक क्रिया से या राजनीतिक वस्तुओं से सम्बन्धित मूल्य आस्थाएँ और विश्वास आते हैं।

राजनीतिक संस्कृति के आयाम (Dimensions of Political Culture)

1. राष्ट्रीय एकस्यता—प्रत्येक राष्ट्र की अलग पहचान होती है। उसका अपना व्यक्तित्व होता है। राष्ट्रीय जीवन में उसे अलग पहचान अपना अलग व्यक्तित्व होने से सामाजिक व्यवस्था के मुक्त रूप से सजाना में सहायता मिलती है। उसी के अनुरूप विकास की दिशा निर्धारित की जा सकती है और उसे गति दी जा सकती है। प्रत्येक नागरिक द्वारा इस राष्ट्रीय एकस्यता के साथ एकाकार हो जाने से राजनीतिक संस्कृति में निश्चय उत्पन्न हो जाता है।

2. अन्य नागरिकों के साथ एकस्यता—राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि व्यक्तियों का अपने अन्य नागरिक साधियों के साथ तादात्म्य कैसा है? जिस समाज में व्यक्ति अपने अन्य साधियों के साथ राजनीतिक सौन्दर्यिक रूप से एकाकार हो जाते हैं वही राजनीतिक व्यवस्था मुक्त रूप से चलती है और उसमें पर्याप्त गतिशीलता बनी रहती है।

3. शासन निर्णयों में आस्थाएँ—राजनीतिक संस्कृति के प्रथम दो आयामों को जोसता उपलब्ध करने में इसका महत्व होता है कि जनता सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आशावान रहती है या निराश हो जाती है। सरकार सबको समुह नहीं कर सकती, फिर भी अधिकांश व्यक्तियों की भाँगी का दृष्टि रूप में रूपान्तरण हो जाए तो राजनीतिक संस्कृति में विभाजन करने वाली शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है।

4. निर्णय की प्रक्रिया में भूमिका—राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आयामों में से एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि किसी समाज में वहाँ के व्यक्तियों की शासन की निर्णय की प्रक्रिया में क्या भूमिका है? क्या वे उदासीन हैं? या वे प्रभावशाली हैं और सशक्त हैं? यदि जन-साधारण राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं, वह राजनीतिक व्यवस्था ऐसे निर्णय लेगी जिससे जन-साधारण को अधिक लाभ पहुँचे।

राजनीतिक संस्कृति के प्रकार (Kinds of Political Culture)

एक राजनीतिक व्यवस्था की समस्त जनसंख्या भी एक से अधिक राजनीतिक संस्कृति हो सकती है। संतुलित राजनीतिक संस्कृति की सजातीयता की मात्रा आनुभविक छोज का विषय है। एक राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सामान्य सहमति हो सकती है अथवा उनमें शिक्षा स्तर, भौगोलिक अधिवास, सामाजिक और

आर्थिक प्रस्थिति एवं धार्मिक विश्वास के आधार पर भेद हो सकते हैं। जब एक राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दिग्विप्यासों का एक समूह ऐसी स्थिति ग्रहण कर लेता है कि उसे अन्य से अलग किया जा सकता है, उसे 'राजनीतिक उपसंस्कृति' कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत जब इस प्रकार की उपसंस्कृति प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो राजनीतिक व्यवस्था का एकीकरण संकट में पड़ सकता है। राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें यहाँ निम्नानुसार विवेचित किया जा रहा है—

1. सत्ता एवं शक्ति के आधार पर—सत्ता और शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियों होती हैं—

(अ) अभिजनात्मक (Elite) संस्कृति (ब) जन (Mass) संस्कृति। अभिजनात्मक संस्कृति के मूल्य राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं और इसी पर उसकी कार्यकुशलता निर्भर होती है। जन-संस्कृतियों सदैव अनेक तथा असमरस होती हैं। प्रायः इन दोनों संस्कृतियों के मूल्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। राज संस्कृति ही इसका निर्णय करती है कि सामान्य जनो से अभिजनो में भरो, पद ग्रहण आदि कैसे होगा? सामाजिकरण प्रक्रियाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। जब इन उप संस्कृतियों में अन्तर काफी गहरा और विस्तृत होता है या राज संस्कृति का प्रभाव दुर्बल पड़ जाता है, तो उस अवस्था में दृष्ट विघटन, सचर्य आदि व्यवस्था जन्य व्याघ्रों के फैलने का भय रहता है। अभिजनात्मक तथा जन संस्कृतियों के बीच मध्यम वर्ग का एक ठोस स्तर होता है और वह दोनों संस्कृतियों में सन्तुलन बनाए रखता है, इसलिए इन दोनों उप संस्कृतियों के सचर्य की भावना कम हो जाती है।

2. निरन्तरता की दृष्टि से—निरन्तरता की दृष्टि से संस्कृति परम्परागत और आधुनिक हो सकती है। आमण्ड एवं कोलमैन के अनुसार सभी संस्कृतियों में इसका मिश्रित रूप पाया जाता है। रिम ने इनसे विकसारीय या सभ्यताकालीन समाज भी कहा है। गतिशीलता एवं परिवर्तन की दृष्टि से कई लेखकों ने संस्कृतियों का वर्गीकरण किया है और लिखा है कि संस्कृतियों मन्द परिवर्तनवादी या स्थिरवादी तथा क्रान्तिकारी या प्रगतिशील हो सकती हैं, परन्तु यह निर्धारित करना कठिन होता है कि कौनसी संस्कृति स्थिरवादी है अथवा कौनसी संस्कृति परिवर्तनशील है। राजनीतिक संस्कृति को कुछ लेखकों ने प्रजातन्त्रात्मक, साम्यवादी, समाजवादी तथा एकतन्त्रवादी संस्कृतियों में बाँटा है।

3. सर्वांग समता की दृष्टि से—सर्वांग समता की दृष्टि से वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृतियों को तीन विशुद्ध रूपों में बाँटा है—

(अ) सकुचित राजनीतिक संस्कृति—यह आदिम समाजों में होती थी। राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य कर्ता विभिन्न योग्यता वाले नहीं होते। एक ही व्यक्ति एक साथ सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्य करता रहता है। इनके प्रतीक स्थानीय होते हैं। सोचने का दायरा और शैली सकुचित होती है।

(ब) प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति—इस राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति आर्थिक रूप से उदासीन रहता है। वह मानता है कि उसे माँगें नहीं रखनी हैं, आन्दोलन नहीं करने हैं। निवेशों के बारे में वह साम्यवादी तथा निर्गन्तों के बारे में संवेत रहता है।

(स) सहभागि राजनीतिक संस्कृति—इस संस्कृति में व्यक्ति संवेत और जागरूक रहता है। वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। वह राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय अंग होता है और व्यवस्था के निवेशों और निर्गन्तों दोनों ही प्रकार के कार्यों में वह भाग लेता है, परन्तु यह तीनों प्रकारों की संस्कृति भी विशुद्ध नहीं होती। एक राजनीतिक संस्कृति में दूसरी राजनीतिक संस्कृति के तत्व मिल जाते हैं। मिश्रित रूप तीन प्रकार के होते हैं—सकुचित प्रजाभावी, प्रजाभावी सहभागि, सकुचित सहभागि। वाइसमैन के अनुसार सर्वांगसमता के तीन मानक निष्ठा, उदासीनता तथा अनगव हैं।

4. राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका की दृष्टि से—आमण्ड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुई होती है अतः राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के सन्दर्भ में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्नांकित चार भागों में संस्कृतियों का बँटवारा किया है—

(अ) आँग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था—आमण्ड ने इस संस्कृति को अच्छा बताया है, क्योंकि इसमें राजनीतिक साध्य एवं साधनों का बँटवारा पाया जाता है और इसमें परम्परागत, आधुनिक तथा धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का तन्मेल पाया जाता है। आमण्ड के अनुसार, यह संस्कृति बहुमूल्ययुक्त, मुक्त, विवेकसम्पन्न एवं प्रदोगात्मक है।

(ब) महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था—इसने आमण्ड के अनुसार आँग्ल-अमेरिकी संस्कृति की अपेक्षा कम गुण पाये जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ तत्व परम्परागत हैं, वहाँ विवेकी हैं और वहाँ राजनीतिक संस्कृति का धुवीकरण पाया जाता है। इस संस्कृति में असन्तुलित विकास के कारण अनेक उप-संस्कृतियाँ पनप गई हैं जिसमें उग्रता पायी जाती है। आमण्ड के अनुसार इस संस्कृति में राजनीतिक नेताओं की श्रद्धा समद और चुनौतियों में कम रहती है और वे जनता के सामने अपने प्रति सम्मान जाग्रत करने, अपने कार्यक्रमों में जनता की अगुआई बनाए रखने, उपदेश और चेहवनी देने के लिए आते हैं।

(स) अन्वेषणी राजनीतिक व्यवस्था—यहाँ नगरीय में आधुनिक संस्कृति पायी जाती है और प्राणों में आधुनिक संस्कृति लाने का प्रयास किया जाता है अतः यहाँ मिश्रित राजनीतिक संस्कृति की व्यवस्था पायी जाती है और सप्त बान्सा मूल्यों तथा विषयों पर आधारित होता है।

(द) सर्वोपकारवादी राजनीतिक व्यवस्था—सर्वोपकारवादी राज्यों में ऐच्छिक सभ नहीं बनाये जा सका है। राज्य राष्ट्रों पर सारकारी अधिकरणों का नियंत्रण रहता है और शासन की सम्पूर्ण शक्ति ऐसे अधिकारी तंत्र में रहती है जिन एक ही विचार बाल्य राजनीतिक दल निर्माण करता है परिणामस्वरूप उनकी राजनीतिक संस्कृति देखने में सामन्तव्यवहारी दिखती है किन्तु उनका सामन्तव्य बनावटी है।

राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएँ (Characteristics of Political Culture)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है।—

1 राजनीतिक संस्कृति विचार अभिवृत्तियों, विचारों, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उनकी अभिव्यक्तियों की स्थिति निर्धारकों का सेट होती है। उसका सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था के मानकों तथा सदस्यों के साथ होता है। ये किसी समाज के ऐतिहासिक अनुभव होते हैं जिन्हें समाजोत्थरण की प्रक्रियाओं द्वारा जीवन बनाए रखा जाता है।

2 सुत्तियन पंड ने कहा है "राजनीतिक संस्कृति अभिवृत्तियों, विचारों तथा मनोभावों का समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अर्थवत्ता और मुख्यतया प्रमाण करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अनभिहित पूर्वधारणाओं एवं विषयों का बगला है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक आदर्श तथा सक्रियशील मानक दोनों ही शामिल होते हैं।"

3 रोबे क अनुमय राजनीतिक संस्कृति अद्युक्तों की धारणा का आधार है तथा विश्वामों और मनोभावों का एक रूप है।

4 यह व्यक्तिगत मूल्यों, विचारों तथा सवैगमक अभिवृत्तियों का प्रतिमान है।

5 इसके द्वारा शक्ति और शक्ति के स्वरूप प्रयोग, प्रकार, औचित्यपूर्णता, केन्द्रोत्थरण आदि निर्धारित किए जाते हैं।

6 आज युवाओं की धारणा उन रूपों की ओर इंगित करती है जिनका पूर्वानुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के सदस्यों के विचारों, विचारक सिद्धान्तों, उद्देश्यों एवं मूल्यों से लगाया जाता है चाहे उस समूह का आकार कैसा भी हो।

7 राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। सामान्य संस्कृति में मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, धर्म, प्रथाएँ तथा दूसरी धारणाएँ शामिल होती हैं जिसका प्रवेश सचेतन या अवचेतन मन, मरितीय, धित्त, धारणाओं और व्यवहार में होता है। सामान्य संस्कृति को रसायन बनने, प्रसारित करने और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

8 राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अपेक्षा प्रगतिशील और रुढ़िवादी होती है। भारत की वर्तमान राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति की अपेक्षा अधिक गत्यात्मक एवं प्रगतिशील मानी जाती है क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमारी संस्कृति अभी भी धुआँ-धूँट के रोग से ग्रस्त है।

9 सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति में क्षेत्रीय एवं उद्यम स्तरों पर क्षेत्रीय शासक एवं शासितों में अन्तर है।

10 राजनीतिक संस्कृति के विश्लेषण में विभिन्न वर्गों, दलों, समूहों, सभों, सम्प्रदायिक दलों आदि से सम्बन्धित आराजनीतिक संस्कृति को अग्रहण नहीं की जा सकती।

11 प्रत्येक पीढ़ी सामाजिकरण के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को प्राप्त कर उसमें संशोधन एवं परिवर्तन करती है। इस प्रकार परम्परा और आधुनिकता का सघर्ष चलता रहता है। यह द्वन्द्व विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को अधिक प्रगति करता है।

12 राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति से व्याप्त और प्रभावित रहती है। वह उससे मार्ग निर्देशित (Guided) प्रतिबन्धित (Restricted) एवं गत्यात्मक (Dynamic) तथा स्थैतिक (Static) बनती है।

13 राजनीतिक संस्कृति सार्वजनिक घटनाओं एवं व्यक्तिगत कार्यों का आधार होती है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को सम्बन्ध में सहायता मिलती है। सतर्क राजनीतिक विश्लेषण को राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति, राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक नेताओं पर प्रभाव की मात्रा, दिशा आदि का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ विधि का शासन (Rule of Law) प्रजातंत्र का स्वरूप, औचित्यता विचारवाद, राष्ट्रवाद आदि की प्रकृति राजनीतिक संस्कृति के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

14 राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, लक्ष्यों, नागरिक प्रशिक्षण, जनमत के तटबंध, राजनीतिक कर्ताओं की सभायित प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है।

15 समाज राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचनाओं को भिन्न विधियों से कार्य करने में राजनीतिक संस्कृति की सहायता से मदद करता है।

16 राजनीतिक संस्कृति एक अर्थ में समाज से सम्बद्ध समूह के मनोविज्ञान का अभिज्ञान है। वही व्यक्ति और समूह को आवृत करने वाली प्रभावशाली पृष्ठभूमि है।

17 राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पक्षों को समग्रित करने वाला तत्व होने के कारण उसके समस्त क्रिय-कलापों को ठीकी समप्रता में देखा जा सकता है।

राजनीतिक संस्कृति के स्वरूप (Types of Political Culture)

सदृश एवं शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को दो भागों में बाँटा जा सकता है—1. जन-राजनीतिक संस्कृति (Mass Political Culture) एवं 2. सभ्यजन राजनीतिक संस्कृति (Elite Political Culture)।

जहाँ राजनीतिक संस्कृति सामान्य जनता की राजनीतिक संस्कृति है जबकि सभ्यजन राजनीतिक संस्कृति सभ्यजनों की राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति का यह भेद सामान्य जनो से सभ्यजन जनो में भर्ती कैसे होती है? इस जानकारी से स्पष्ट होता है। आसम्बद्ध एवं वर्गों के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की निम्नांकित श्रेणियाँ होती हैं—1. अमिश्रित या विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति (Pure Political Culture) एवं 2. मिश्रित राजनीतिक संस्कृति (Mixed Political Culture)।

1. अमिश्रित या विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति—इस संस्कृति के तीन उपवर्ग हैं—

(अ) संकुचित राजनीतिक संस्कृति (Parochial Political Culture)—संकुचित राजनीतिक संस्कृति परम्परागत (Traditional) समाज में पाई जाती है। इसमें व्यक्तियों के प्रति सहजानात्मक अभिमुखन (Cognitive Orientation) का अभाव होता है। व्यक्ति संकुचित होता है क्योंकि वह अपने को परिवार में और अपने समुदाय में उलझा हुआ पाता है। राजनीतिक व्यवस्था की केन्द्रीय समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत का परम्परागत ग्रामीण समाज।

(ब) प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति (Subjective Political Culture)—इसमें व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवस्था और निर्गत प्रक्रियाओं के प्रति अभिमुखन उच्च स्तर का होता है लेकिन निवेश नितान्त निम्न स्तर का होता है। यह प्रक्रियाओं और स्वयं के प्रति राजनीतिक अभिनेता के रूप में उनका भावात्मक या अनुसारात्मक और मूल्यात्मक अभिमुखन (Evaluative Orientation) है। यहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता या अभिनेता के रूप में व्यक्तियों की स्थिति आवरणक रूप से निर्दिष्टता की होती है।

(ग) सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Participant Political Culture)—इसमें व्यक्ति स्वयं को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय और सहभागिता की भूमिका में पाता है। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था का प्रति व्यक्ति के सज्जानात्मक, अनुसारात्मक और मूल्यात्मक अभिमुखन अत्यन्त उच्च स्तर के होते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वह अपनी सक्रियतात्मक भूमिका के प्रति सजग होता है। सहभागी राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों का अभिमुखन निवेश और निर्गत दोनों के प्रति होता है।

2. मिश्रित राजनीतिक संस्कृति—इसे आसम्बद्ध एवं वर्गों ने चार उपभागों में विभाजित किया है—

(अ) संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति (Parochial Subjective Political Culture)—इसमें व्यक्ति को सरकार की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी होती है लेकिन उसे इसका बोध नहीं होता है कि वह किन रूपों में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उसकी अपनी महती राजनीतिक भूमिका होता है अथवा वह स्वयं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है यह भावना उसमें अस्पष्ट और अविकसित होती है।

(ब) प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति (Subjective Participant Political Culture)—इसमें कुछ नागरिक उच्च स्तर का राजनीतिक अवबोधन रखते हैं तथा वे सक्रिय होते हैं लेकिन शेष सामूहिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। औसत नागरिक यह जानता है कि उसे सक्रिय होना चाहिए और राजनीतिक व्यवस्था में उसे सहभागी बनना चाहिए, लेकिन उसे नीतियों के विनिश्चय अथवा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त कम मिल पाता है।

(स) सहभागो-संकुचित राजनीतिक संस्कृति (Participant Parochial Political Culture) — ये राजनीतिक संस्कृति में निरेश संस्थाएँ सामूहिक रूप से स्थानीय होती हैं, जैसे—जातीय-जन-जातीय सभ, लेकिन राष्ट्रीय निर्गत संस्थाएँ अत्यन्त विकसित होती हैं। इसमें निवेश निर्गत संस्थाओं, दबाव समूहों, रक्षित हितों एवं हित समूहों के दबाव में रहना है।

(द) नागरिक राजनीतिक संस्कृति (Civil Political Culture) — इन राजनीतिक संस्कृतियों के अलावा आमण्ड और बर्न ने एक अन्य प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की चर्चा की है। इसे जन-संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति के सभी तीन आदर्श प्रतिपादों की विशेषताओं को यह समझाई करता है। यह एक सभ निदेशात्मक और सहमत सहयोगी और निष्पक्ष अभिवृत्तियों के सहनेषण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रजावाची और सहभागो अभिमुखन संशक्त होते हैं। इन राजनीतिक संस्कृति में जहाँ एक तर्क प्रजावाची अभिमुखन राजनीतिक अभिजन के पर्याप्त अभिक्रम और स्वतन्त्रता के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तर्क सहभागो अभिमुखन राजनीतिक अभिजनों को इसके लिए विवश करते हैं कि वे लोकिय शीपनाओं के अधीन कार्य करें।

राजनीतिक सहभागिता (Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में राजनीतिक सत्ता कुछ चोड़े से चुने हुए सम्पानत्रजों के हाथों में रहती है, लेकिन इन सम्पानत्रजों का यही प्रयत्न होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में अधिक-अधिक लोगों को सहभागिता हो। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जितने अधिक नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता होती है राजनीतिक सत्ता को उतना ही अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। सहभागिता राजनीतिक सत्ता को औचित्यता प्रदान करती है। जिस समाज में राजनीतिक सहभागिता को मात्र कम होती है वहाँ अत्यवस्था या अराजकता पैदा होने की पर्याप्त सम्भावना रहती है। राजनीतिक सहभागिता का आशय है कि राजनीतिक सत्ता में अधिक-अधिक लोगों का सहयोग एवं कार्य हो। प्रजातन्त्रिक व्यवस्था में इसका महत्व और अधिक होता है, क्योंकि प्रजातन्त्र में जनता सरकार को अपनी सहमति देती है अथवा दी गई सहमति वापिस भी लेती है।

राजनीतिक सहभागिता का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित किया जा सकता है। हरबर्ट मैक म्लान्सी के अनुसार, "राजनीतिक सहभागिता को उन स्वेच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जा-नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" ¹ इस परिभाषा में क्लब के सदस्यों की राजनीतिक वार्तालाप जैसी आकस्मिक क्रिया से लेकर राजनीतिक दलों के सदस्यों की सक्रिय क्रियाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं।

तृतीय विश्व के देशों में संस्कृति तथा राजनीति (Culture and Politics in Third World Countries)

किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधार उसकी राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति से गजनीतिक व्यवस्था का धारि निर्माण होता है। राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक संस्कृति का एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध है और दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति समयानुसार बदलती रहती है। जहाँ राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति की मूल मान्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था पर राजनीतिक संस्कृति के अनुसार बदलाव हेतु अतिरिक्त दबाव बना रहता है। प्रेबियल ए. आमण्ड के अनुसार, "हर एक राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक क्रियाओं के अभिविद्यमान के विभिन्न प्रतिपादों में निहित होती है।" ¹

समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों और परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन हमें प्रेरित करता है कि राजनीतिक संस्कृति के क्षेत्र पर दृष्टिपात करें, तो अवगत होता है कि देश के लोगों की राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति कुछ आस्थाएँ एवं दृष्टिकोण होते हैं, जिन्हें वे सीखते हैं और भागीदार होते हैं। हमें यह जानना है कि राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में नागरिक क्या सोचते हैं और किस प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं? साथ ही यह किन उद्देश्यों का अनुसरण करने को प्राथमिकता देते हैं? अतः लोगों के जीवन का प्रायात्मक आयाम हमारे अध्ययन का सगत भाग बन जाता है। ²

1 Herbert Mc Glasby : Political Participation Quoted from David Mills, op cit., Vol 12, p 253-254
2 G. A. Almond : Comparative Political System in Journal of Politics, Vol 18 (1956), p 391-409

भारत की राजनीतिक संस्कृति

(Political Culture of India)

भारत की राजनीतिक संस्कृति के सम्बन्ध में पश्चिमी विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिन पर काड़ीवाद विवाद रहा है। उनमें माइल वीनर व मोरिस जॉस के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति—वीनर के अनुसार भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है—1. विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति एवं 2. जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति।

विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति उन लोगों की है जो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। यह राजनीतिक संस्कृति दिल्ली में पाई जाती है। इस पर विशिष्ट वर्ग का आधिपत्य है। इस विशिष्ट वर्ग में समद सदस्य, योजना आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के नेता तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी शामिल हैं। इस विशिष्ट वर्ग में वे लोग हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय है, जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित एवं धर्मनिरपेक्ष विचारक हैं। यह वर्ग आधुनिक विचारों का है। इसका राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक अभिवृत्तियाँ एवं राजनीतिक धारणाएँ, शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण आदि सामान्य जनो से भिन्न है, इसलिए इस विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति सामान्य वर्ग की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न है। इस राजनीतिक संस्कृति का उदय स्वाधीनता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। स्वतन्त्रता के बाद भारत में एक अन्य संस्कृति का विकास हुआ है जो ग्रामीण स्तर से जिला एवं राज्य स्तर तक पाई जाती है। वीनर ने इसे जन राजनीतिक संस्कृति कहा है। इसके अनुसार स्वतन्त्रता के बाद जन साधारण को सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। वयस्क मताधिकार के द्वारा राजनीतिक सम्दाओं में जन-सहभागिता हुई जिससे इन व्यक्तियों के राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक धारणाएँ, राज्य तथा सरकार के प्रति दृष्टिकोण विशिष्ट वर्ग से भिन्न हैं। वीनर ने इस राजनीतिक संस्कृति के उदय के तीन प्रमुख कारण बताये हैं—1. सरकार के कार्यों का अधिक विस्तार, 2. सत्ता का विकेंद्रीकरण, 3. सत्ता का जनतंत्रीकरण।

राजनीतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रान्तीयता, जातीयता तथा सांप्रदायिकता की भावना अधिक पाई जाती है। वीनर के अनुसार विधान सभा तक की राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनमें जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा प्रान्तीय एवं क्षेत्रीय हितों की प्राथमिकता देने की तीव्र भावना होती है। स्वतन्त्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग की गयी तथा 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हुई तथा नये राज्यों के निर्माण की माँग उठी, फलतः नये राज्यों का निर्माण हुआ। परिवहन तथा संचार के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाली जातियों को एक-दूसरे से सम्पर्क हुआ जिसमें जातीय भेदभाव बढ़ा तथा राजनीतिक दलों ने जाति का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति को आधार बनाया और विभिन्न निर्वाचनों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर मतदाताओं के समर्थन को प्राप्त करने हेतु धर्म तथा जाति को एक साधन के रूप में अधिकधिक प्रयोग किया है, अतः जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति में स्त्रीयता एवं स्थानीयता की प्रधानता है।

□□□

राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त (Theories of Political Economy)

अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त : प्राचीन तथा समकालीन (Theories of Economy : Classical and Contemporary)

प्राचीन विचारधारा

प्राचीन अर्थशास्त्रियों में बाणिज्यवादियों का विचार था कि किसी देश में सोना चाँदी के कोष में वृद्धि होना ही उस देश के आर्थिक विकास का मापदण्ड है। इसी आधार पर उन्होंने आर्थिक विकास के लिए निर्यात पर पर्याप्त बल दिया। एडम स्मिथ के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग अधिकाधिक उत्पादन कर लाभ प्राप्त कर सकें और जिसके परिणामस्वरूप स्तोक क्षत्याण में वृद्धि हो। एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि यदि देश में उत्पादन की मात्रा तीव्र होगी तो आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, अन्यथा आर्थिक विकास सम्भव नहीं होगा। कार्ल मार्क्स ने सहकारिता के सिद्धान्त का समर्पण किया। उन्होंने कहा है कि पूँजीवादी को साम्यवाद के द्वारा देश में स्तोक क्षत्याण व आर्थिक विकास साया जा सकता है। जे. एस. मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कुपरिणामों को दिखाकर यह विचार प्रकट किया कि सहकारिता के सिद्धान्त को महत्व देना चाहिए। सहकारिता ही आर्थिक विकास का माप है।

आधुनिक विचारधारा

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी आर्थिक विकास का मापक माना है। उन्होंने आर्थिक विकास के माप के लिए किसी एक तत्व पर नहीं, बल्कि अन्य कई तत्वों पर बल दिया है और कहा है कि इन तत्वों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। उन्होंने इन तत्वों को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है—(1) राष्ट्रीय आय, (2) गरीब जनता को अधिक लाभ, (3) सामान्य एवं वास्तविक विकास दर, (4) प्रति व्यक्ति आय एवं (5) सकल राष्ट्रीय उत्पादन।

अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त

आर्थिक विकास और किसी देश को अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। उनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं—

(1) एडम स्मिथ के सिद्धान्त

एडम स्मिथ सम्भवतया पहला विद्वान था जिसने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रों का धन' में करारोपण के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से विचार किया। उसने करारोपण को किसी भी अच्छी कर पद्धति के लिए पार सिद्धान्त प्रतिपादित किए—(1) समानता या समता का सिद्धान्त, (2) निरिपता का सिद्धान्त, (3) सुविधा का सिद्धान्त एवं (4) गिरावृत्तिका का सिद्धान्त। बाद के लेखकों ने करारोपण के अन्य सिद्धान्त भी प्रस्तुत किये जो इस प्रकार हैं—(1) उत्पादकता का सिद्धान्त, (2) लोच का सिद्धान्त, (3) सरलता का सिद्धान्त, (4) विविधता का सिद्धान्त, (5) समन्वय का सिद्धान्त, (6) बाँटनीयता का सिद्धान्त एवं (7) एककृपा का सिद्धान्त।

(2) हैकशर ओहलिन का सिद्धान्त

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना, किन्तु इन अर्थशास्त्रियों ने मात्र श्रम को ही उत्पादन का साधन माना था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के अन्य साधनों को भी लागत विश्लेषण में सम्मिलित किया है। इनमें प्रमुख स्थान हैकशर को दिया जाता है। हैकशर के विचारों की विस्तृत व्याख्या ओहलिन ने की और इस सिद्धान्त को 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का हैकशर ओहलिन सिद्धान्त' कहा है। हैकशर ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यक शर्तों को इस प्रकार वर्णित किया है—(1) भिन्न-भिन्न सापेक्ष दुर्लभता अर्थात् विनिमय की स्थितियों में उत्पादन के साधनों की सापेक्ष कीमतों में भिन्नता, (2) विभिन्न वस्तुओं में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों के बीच अनुपातों में भिन्नता एवं (3) सामान्यतया अलग-निर्गत गुणक के रूप में अपरिवर्तनीय रहने हैं।

हैकशर का मत है कि विदेशी व्यापार उत्पादन के उन्नत साधनों को बढ़ती हुई दुर्लभता को उत्पन्न करता है जो अन्यथा आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किये जा सकते हैं। ओहलिन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के सामान्य साम्य सम्बन्धी सिद्धान्त पर आधारित है और इसी का एक विस्तार मात्र है। मूल्य का सामान्य साम्य सिद्धान्त अर्थशास्त्र में अपना विरोध महत्त्व रखता है। उसके अनुसार यह माना जाता है कि किसी वस्तु की कीमत उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। एक वस्तु की माँग पर अनेक तथ्यों का प्रभाव पड़ता है जैसे—उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ, प्राथमिकताएँ, इच्छाएँ, उनकी आय, अन्य वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी कीमत आदि। वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादन के साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होती है। जहाँ वस्तु की माँग और उसकी पूर्ति के बीच साम्य स्थापित हो जाता है वहाँ उसकी कीमत निर्धारित हो जाती है। वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। लाभ की सीमान्ता भी लागत में शामिल होती है। किसी वस्तु की उत्पादन लागत उन सभी साधनों की कीमत का योग होती है जो वस्तु के उत्पादन में सहयोगी बनते हैं। हैकशर ओहलिन की प्रमुख मान्यता है कि समाधनों की भिन्नता के कारण ही विभिन्न देशों में उत्पादन लागतों एवं वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर होता है तथा यही अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है।

(3) हैरड-डोमर का सिद्धान्त

हैरड-डोमर के आर्थिक विकास सिद्धान्त की परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में आय का सन्तुलित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर है तो प्रति वर्ष सन्तुलन के इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त क्रय शक्ति की मात्रा उतनी होनी चाहिए जो विनियोग द्वारा बढ़ाए गए उत्पादन को खपाने के लिए पर्याप्त हो।

(4) महालनोबिस सिद्धान्त

महालनोबिस मॉडल विकास नियोजन का चार क्षेत्रीय अर्थमिर्मित मॉडल है। इस मॉडल में भारत में 5,600 करोड़ रुपये की धनराशि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 5 प्रतिशत विकास दर एवं 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई। अनुमानित धन राशि को अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्रों में इस प्रकार विदरित करने का प्रयास किया गया जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र अन्य राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 11 मिलियन अतिरिक्त व्यक्ति हो सके, इसीलिए इस मॉडल को आर्थिक विकास के मॉडल के स्थान पर वितरण मॉडल की सजा दी गई।

(5) कोन्स का सिद्धान्त

कोन्स ने अपनी पुस्तक 'रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा की सामान्य सिद्धान्त' में प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त को बटु अग्लोचर करते हुए एक नया रोजगार तथा आय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार बेरोजगारी प्रभावपूर्ण माँग की कमी अथवा उपयोग एवं निवेश पर किए गए व्यय की कमी के कारण होती है।

(6) अमर्त्य सेन का सिद्धान्त

अमर्त्य सेन के कल्याणकारी सिद्धान्त के सम्बन्ध में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस ने कहा है कि "कल्याणकारी अर्थशास्त्र" में भी सेन के योगदान और उनके सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के प्रयोग ने अकाल के लिए जिम्मेदार आर्थिक प्रक्रियाओं को समाप्त करने में मदद की है। उन्होंने अर्थशास्त्र और दर्शन के उपकरणों के संयोजन से महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं पर एक नैतिक आयाम दिया है।" अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के कल्याणकारी सिद्धान्त में इन तथ्यों को महत्वपूर्ण, ने ठगारा किया है—(1) निर्धनता और अकाल, (2) सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण, (3) सेन मुजर्दाक, (4) विषमता पर पुनर्विचार एवं (5) आर्थिक विकास और सामाजिक अयसर।

(7) गाँधीवादी सिद्धान्त

महात्मा गाँधी कोई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं थे।¹ इसलिए उन्होंने विकास का कोई माडल तैयार नहीं किया, परन्तु उन्होंने भारत के विकास के लिए कृषि, कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि के लिए कुछ नीतियों का समर्थन अवश्य किया। अन्वय्य श्रोमन्नायक ने 1944 में गाँधीवादी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की और बाद में 1948 में उसको पुष्टि की। ये प्रकाशन गाँधीवादी आयोजन या विकास के ढाँचे का आधार है। गाँधीवादी योजना का मूल उद्देश्य भारतीय जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को उन्नत करना है ताकि 10 वर्षों के अन्दर न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके। गाँधीवादी योजना भारत के गाँवों को आर्थिक दशा उन्नत करना चाहती है। इसलिए कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर उद्योगों के विस्तार पर बल देती है।

(8) नेहरूवादी सिद्धान्त

1977 से पूर्व तक भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का आधार नेहरू की विनियोग रणनीति थी जिसे विकास का नेहरू मॉडल कहा जाता है। नेहरू मॉडल में भारी उद्योग को अर्थव्यवस्था का आधार माना गया और नेहरू चाहते थे कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की जाए ताकि विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जा सके। एक मजबूत बुनियाद प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्व रखती है क्योंकि इसके बिना आर्थिक विकास का भ्रम ही नहीं उठता। नेहरू की विकास रणनीति के फलस्वरूप भारत विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों में दसवाँ स्थान प्राप्त कर सका। इसी पहली पाँच पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान हुई प्रगति के सम्बन्ध में छोटी पञ्चवर्षीय योजना के प्रारूप में लिखा था कि, "यह वस्तुतः बड़े गर्व की बात है कि इस काल के दौरान एक अवहट्ट एवं पराश्रित अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया और इसे अधिक आत्मनिर्भर बनाया गया।"²

(9) राव मनमोहन सिद्धान्त

विकास का एक-मनमोहन मॉडल 1991 में भारत में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विकास के लिए एक नई रणनीति अपनाना था जिसमें निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया जाए। देश के स्तर पर दो परिवर्तन किए गए। प्रथम, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोले दिए गये। दूसरे बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों लगाने की इजाजत दी गई। इनके अलावा भी आर्थिक नीति में कई परिवर्तन किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंहायक और पूर्व वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा चालू किए गए विकास के राव-मनमोहन माडल में निजी क्षेत्र को बड़ा कार्य भाग अदा करने पर बल दिया गया।

राजनीतिक विचारधाराएँ (Political Ideologies)

प्रत्येक विचारक ने अपने-अपने दृष्टिकोण से राजनीतिक विचारधारा पर अध्ययन किया है। उदाहरणियों ने अपने दृष्टिकोण से तथा अन्य विचारधाराओं तथा—समाजवाद, साम्यवाद, फ़ासीवाद, गाँधीवाद व अणुशक्त्यावाद के विचारकों ने अपनी विचारधारा को अपने दृष्टिकोण से व्यक्त किया है प्रत्येक विचारधारा की प्रकृति अलग है। यहाँ इसी दृष्टि से विचारधाराओं का विवेचन किया जा रहा है। इससे पूर्व विचारधारा की प्रकृति सम्बन्धी जानकारी दी जा रही है।

विचारधारा की प्रकृति (Nature of Ideology)

पेटी, एण्डरसन एवं क्रिस्टोल के अनुसार, "एक राजनीतिक विचारधारा राज्य की प्रकृति की विविधताओं को बनाने वाले विचारों की एक व्यवस्था होती है और यह उस राज्य के अन्तर्गत शासन एवं नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करती है। ऐसी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का एक समुच्चय होती है।" एलेन बाल के अनुसार, "राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विचारों को स्पष्ट, सम्बद्ध और व्यवस्थित प्रणाली होगा है।" राजनीतिक समस्याओं से सम्बन्धित विस्तृत विचार जब व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) राजनीतिक विचारधारा सामाजिक वक्तव्य के रूप में अन्तःक्रिया का प्रतिफल होती है। (2) आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रारम्भ प्रशासकीय क्रान्ति से माना जाता है जिसमें सर्व प्रथम स्वतन्त्रता, सभ्यता और प्रभुत्व का नारा दिया गया था। (3) राजनीतिक विचारधाराओं में परस्पर अन्तर पाया जाता है। (4) राजनीतिक विचारधाराओं में सिद्धान्त तथा उनकी क्रियान्विति के लिए कार्य पद्धति निर्धारित होती है। (5) राजनीतिक विचारधाराओं में नैतिकता को स्वीकार किया जाता है। (6) राजनीतिक विचारधारा सत्य को पूर्ण तरह अभिव्यक्त नहीं करती है। (7) राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म, विकास तथा उत्कर्ष सामाजिक परिवर्तन में होता है। (8) राजनीतिक विचारधाराओं का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है। (9) राजनीतिक विचारधारा सामान्यतया परिवर्तन, निष्पत्ति और अनुशासन कायम करने का कार्य करती है। (10) राजनीतिक विचारधाराओं में संगठन, शक्ति और सुदृढ़ता स्थापित करने की अनर्घी क्षमता होती है। (11) कुछ राजनीतिक विचारधारा बुद्धिपरक होती हैं तथा वे विवेकपूर्ण सामाजिक मूल्यों का विरोध करती हैं। (12) कुछ विचारधारा राजनीतिक समस्याओं को वैधता प्रदान करने में भी सहायक होती हैं। (13) इस जगत् में राजनीतिक विचारधारा को अन्तर्राष्ट्रीय या राजनीति में विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने का अर्थपूर्ण माना है। राष्ट्रीय शक्ति और राजनीतिक विचारधारा में गहव सम्बन्ध होता है। यह राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे राष्ट्रीय शक्ति का आधारभूत तत्व कहा जाता है।

उदारवाद

(Liberalism)

अन्य विचारधाराओं की भाँति उदारवाद विचारधारा निश्चित और अन्तर्बद्ध विचारधारा नहीं है। यह न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और न ही किसी एक युग के सत्य जुड़ी हुई विचारधारा है। यह एक दर्शन नहीं है, बल्कि अनेक विचारों का संगम है। यह एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम तथा नीतिगत की एक सुलझी हुई प्रवृत्ति है जिसके अन्तर्गत अनेक सम्बन्ध, आदर्श एवं सामर्थ्य विद्यमान हैं। उदारवाद का उद्देश्य सत्य ईश्वर है और यहाँ उदारवाद का उद्देश्य अनुदारवाद के विरोध स्वरूप एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ था, इसीलिए अनेक व्यक्ति उदारवाद को अनुदारवाद का विरोध तथा प्रवृत्ति एवं परिवर्तन का पर्यायवाची मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जब

ब्रिटेन में लम्बे समय से चली आ रही सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं, परम्पराओं एवं रुढ़ियों को बनाये रखना चाहते थे, उस समय उदारवाद के द्वारा सुधार, परिवर्तन और प्रगति का समर्थन किया गया, लेकिन उदारवाद को प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं माना गया है। इसके विपरीत उदारवाद परिवर्तन के लिये क्रान्ति के मार्ग को अपनाने के विपरीत है। लोकतन्त्र को उदारवाद का नाम दे दिया जाता है, जो सीमित अर्थ में सही है। आपुनिक लोकतन्त्र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के प्रति जागरूक है। उदारवाद लोकतन्त्र से कुछ अधिक हो जाता है। उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का सन्देश देता है और व्यक्तिवाद तथा लोकतन्त्र भी इसमें शामिल है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर अब तक दो प्रकार की विचारधाराएँ रही हैं। एक विचारधारा राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केन्द्र और अपने आप में एक साध्य मानती है, लेकिन दूसरी विचारधारा इसका प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है राज्य नहीं, इसलिए उदारवाद द्वितीय प्रकार की विचारधारा का पुंज है जो इस तथ्य पर बल देता है कि समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं वा केन्द्र व्यक्ति है, राज्य समाज और अन्य मस्यारों इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं।

उदारवाद का उदय (Rise of Liberalism)—राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में उदारवाद के उदय के कारण निम्नांकित हैं—

1. **नवजागरण (Renaissance)**—प्राचीन युग में यूनानी जीवन के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन को आधारभूत रूप में महत्व प्राप्त था। उनके चिन्तन का रूप लौकिक था। प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर ली थी, लेकिन मध्य युग में पारलौकिक दृष्टिकोण को अपना लिया गया और चिन्तन का एकमात्र केन्द्र ईश्वर हो जाने के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों में कोई प्रगति सम्भव नहीं हो सकी। मध्य युग में व्यक्ति को पुनः दिया गया, लेकिन आपुनिक युग के प्रारम्भ में लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिन्तन पर गई और नवजागरण के नाय से एक नैतिक चिन्तन का आन्दोलन प्रबल हो गया, परिणामस्वरूप लोगों के विचारों, आदर्शों और चिन्तन पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आने लगा। नवजागरण ने व्यक्तियों के दृष्टिकोण को एक ओर लौकिक बनाया, दूसरी ओर व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व दिया जाने लगा। नवजागरण ने व्यक्ति स्वातन्त्र्य पर बल देकर उदारवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

2. **धर्म सुधार (Reformation)**—मध्य युग धार्मिक निरकुशता के लिए प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक क्षेत्र में पोप की निरकुशता का बोलबाला था और पोप राज्यों का जो अर्थ बतलाते थे, वही प्रायोगिक माना जाता था। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरम्भ हुई और मार्टिन लूथर, ज़िगली तथा काल्विन जैसे धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरकुशता का विरोध प्रारम्भ हो गया। धर्म सुधार ने परम्पराओं के बन्धन तोड़कर आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मार्टिन लूथर ने बताया था कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार धर्म सुधार ने उदारवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

3. **औद्योगिक क्रान्ति और पूंजीपति धर्म का उदय**—मध्य युग में आर्थिक जीवन स्वतन्त्र नहीं था। कृषक सामन्तों के अधीन हुआ करते थे और दस्तकारी तथा व्यापार पर अनेकानेक नियन्त्रण थे। दस्तकारों पर उनकी श्रेणियों का नियन्त्रण हुआ करता था, जो 'गिल्ड' कहलाती थीं। धर्म आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया करता था। अनेक धार्मिक तथा नैतिक नियम प्रचलित थे। 18वीं सदी के अन्त में औद्योगिक क्रान्ति होने से घसतुओं का बढ़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा जिससे तेजी से समृद्धि आयी और आर्थिक जीवन के नियन्त्रण समाप्त होने लगे। समाज में जो नवीन समृद्धिशाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था उसका उद्देश्य अधिकधिक सम्पत्ति अर्जित करना था। यह वर्ग उन समस्त नियमों और प्रतिबन्धों का विरोध करने लगा जो अधिकधिक सम्पत्ति के अर्जन में बाधक बने हुए थे। यह नवीन समृद्धिशाली वर्ग सामाजिक जीवन में धीरे-धीरे अधिक प्रभावशाली होता चला गया और उसने अपने बढ़े हुए प्रभाव से स्वीकार करवा लिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक कोई प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहिए। आर्थिक स्वतन्त्रता की भावना ने उदारवाद को जन्म दिया।

4. **निरकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया**—उदारवाद के जन्म के लिए प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरकुशतावादी शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोपीय इतिहास में निरकुश राजतन्त्र सर्वत्र प्रसिद्ध था। इनमें से अनेक राज्यों के शासकों ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर स्वयं को ईश्वर का अवतार मान लिया था। इनमें से कुछ सरकारें इतनी अधिक निरकुश एवं अमर्यादित हो गयी थीं कि "उनके अर्थाधीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार के धोखे निर्धारित करते थे तथा मुर्दों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के धसों की व्यवस्था

की आज्ञा देते थे।" इस प्रकार निकुरातवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी। ऐसे समय में जॉन लॉक, मिल, स्पेन्सर तथा ग्रीन जैसे विद्वानों के द्वारा व्यक्ति स्वातन्त्र्य की उद्घोषणा ने उदारवाद का शखनाद फूंक दिया।

उदारवाद के मूल सिद्धान्त (Main Principles of Liberalism)

1. इतिहास तथा परम्पराओं का विरोध—उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, सत्ता या सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है जो बुद्धिसंगत न हो, फिर चाहे वह कितना ही प्राचीन क्यों न हो तथा उसे कितना ही पवित्र क्यों न समझा जाता रहा हो। इंग्लैण्ड के उपयोगितावादी उदारवादियों ने उपयोगिता के नाम पर पहले से चली आ रही व्यवस्था का खण्डन किया है। उनके प्रभाव के कारण 19वीं सदी में इंग्लैण्ड के जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उदारवादी सदैव ही विद्यमान व्यवस्था के विरोधी नहीं रहे हैं और आज वे बहुत सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाये रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं।

2. मानवीय स्वतन्त्रता की धारणा में विश्वास—उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म में स्वतन्त्र उत्पन्न होता है और स्वतन्त्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छायुगी सत्ता का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये और ऐसा बाधावरण हो कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव मानव जीवन पर निकुरातवादी विचारों का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतन्त्रता का समर्थन करते रहे हैं। हेगल लास्की के अनुसार, "स्वतन्त्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, क्योंकि इसका जन्म ही समाज के किसी वर्ग द्वारा अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों के विरोध में हुआ है।"

3. मानवीय विवेक में आस्था—उदारवादी विचारधारा का प्रमुख तन्त्र मानवीय विवेक में आस्था है। ईसापूर्व ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर बन्धनों में जकड़ रखा था और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते थे, वही प्रामाणिक थे, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों का अन्धानुसरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर चिन्तन मनन प्रारम्भ कर दिया। जॉन लॉक और टामस पेन ने समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा था कि "हमारा अपना मन ही अपना चर्च है।" इस प्रकार उदारवाद का विश्वास है कि भावना पर विवेक की प्रभुता दी जानी चाहिए।

4. व्यक्ति साथ्य तथा समाज और राज्य साधन—उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है। यह व्यक्ति को साथ्य मानकर आगे बढ़ता है। इसके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक कल्याण तथा उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास सबसे अधिक महत्व रखता है। समाज और राज्य तो साधन मात्र हैं और उनका महत्व उसी सीमा तक है, जहाँ तक वे इस साथ्य की पूर्ति में सहायक होते हैं।

5. व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास—उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति के कुछ जन्मजात अधिकार हैं, जिन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कहा जा सकता है। उनका कथन है कि इन अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय सत्ता, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई है, वरन् ये तो इन सत्ताओं के अस्तित्व के पूर्व से विद्यमान रहे हैं और समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा के लिये ही हुई है। इस सम्बन्ध में लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है जिसके अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार, जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता के अधिकार हैं।

6. धर्म-निरपेक्ष राज्य का आदर्श—उदारवाद का धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास है। इसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी एक विशेष धर्म की प्रभुता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने प्रारम्भ से धार्मिक सहिष्णुता और स्वतन्त्रता की अन्वेषण बलन्द की। जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। 18वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिकों ने चर्च और राज्य को पृथक् करने के लिए आन्दोलन किया था, परिणामस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस और सपुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। उत्तरार्द्ध यूरोप के सभी देशों में धर्मनिरपेक्षता की लहर तेजी से चल पड़ी। धर्मनिरपेक्षता उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है।

7. समाज और राज्य कृत्रिम सगठन—उदारवाद समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं, वरन् कृत्रिम मानते हैं और उनका विचार है कि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया गया है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। समाज और राज्य का सगठन उनके द्वारा अपनी निश्चित योजना के अनुसार किया गया। व्यक्तियों की यह अधिकार है कि वे समाज और राज्य के सगठन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकें।

8. शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन—उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता आया है। यह इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून की प्रधानता होनी चाहिए। शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतनी सीमा तक बाध्य होना चाहिए, जितनी सीमा तक शासित वर्ग। यदि शासक वर्ग मनमानी करता है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता तो ऐसी स्थिति में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन उदारवाद की धारणा है कि किसी परिवर्तन हेतु शान्तिपूर्ण और वैधानिक उपाय ही अपनाये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में 1688 की इंग्लैण्ड की मौलिकपूर्ण क्रांति उनका आदर्श है।

9. अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-शान्ति में विश्वास—उदारवाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरुत्साहता को नहीं मानता और विश्व-शान्ति तथा विश्व-सन्तुलन के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को धीरे-धीरे शान्ति से प्रगति करनी चाहिए और उसे अन्य राष्ट्रों को वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिये। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय धर्मनाम की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्यों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर अपना उत्कर्ष करते रहना चाहिए।

10. लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन—लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का महत्वपूर्ण विचार है। उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचार के विरुद्ध प्रतिरोधका स्वरूप हुआ है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को उन पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है। वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यह है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हो और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने के अधिकार नहीं हों। इसी उदारवादी विचार को अधिव्यक्ति देते हुए फ्रांस के 'मानवीय अधिकारों की घोषणा' में कहा गया है—“राष्ट्र ही तत्त्व सम्पूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से प्राप्त नहीं हो।”

राज्य के उद्देश्य और कार्यों के सम्बन्ध में उदारवाद (Liberalism between Aims & Works of the State)—राज्यों के उद्देश्यों और कार्यों के सम्बन्ध में उदारवादियों का कभी एक दृष्टिकोण नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में उनकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार सदैव परिवर्तित होती रही है। उदारवाद के प्रमुख रूप से दो रूप हमारे सामने आते हैं—(1) परम्परागत उदारवाद एवं (2) आधुनिक जनतन्त्रात्मक उदारवाद।

परम्परागत उदारवाद (Traditional Liberalism)—मूल रूप में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन और उसकी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतन्त्र आन्दोलन के रूप में हुआ था, फलतः परम्परागत उदारवाद का मूल तत्त्व स्वतन्त्रता रहा है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को इस परम्परागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। प्रो. डेविडसन ने अपने परम्परागत उदारवाद के निम्नांकित नौ मूल सिद्धान्त बतलाये हैं—

1. नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberty)—नागरिक स्वतन्त्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है, इसलिए व्यक्तियों पर व्यक्तियों को नहीं, बल्कि कानूनों को प्रभुत्व प्राप्त होना चाहिए। मध्य युग की सामन्ती व्यवस्था में सामन्त वर्ग के विशेषाधिकारों का सर्वत्र बोसबाता था। व्यक्तियों को अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामन्त वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनपाने तरीके से सताया जाता था। उन्हें कारागृह में डाल दिया जाता था और उनकी सम्पत्ति को छीन लिया जाता था अर्थात् उनका शोषण होता था। नागरिक स्वतन्त्रता के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और यह माना कि व्यक्तियों को इच्छानुसार जीने का अधिकार मिलना चाहिये।

2. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Individual Liberty)—उदारवादियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बल दिया है। उनके द्वारा इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वयं अपने सम्बन्ध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये। व्यक्तियों के जीवन और उनके रहन-सहन में राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सामाजिक हित की दृष्टि से हस्तक्षेप विहित आवश्यक न हो गया हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत विचार और भाषण की स्वतन्त्रता, रहन-सहन की स्वतन्त्रता, धार्मिक विश्वास तथा आराधना की स्वतन्त्रता आदि पर विशेष बल दिया गया है।

3. सामाजिक स्वतन्त्रता (Social Liberty)—उदारवाद में सामाजिक स्वतन्त्रता का भी विशेष महत्त्व रहा है। सामाजिक स्वतन्त्रता से तात्पर्य है कि जन्म, सम्पत्ति, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। सामाजिक के सभी व्यक्तियों को विकास के लिये समान और पर्याप्त अवसर मिलने चाहिये, क्योंकि इनके अभाव में स्वतन्त्रता का उपयोग सम्भव नहीं है। विशेष प्रकार के पद, पेशे, व्यवसाय, उच्च शिक्षा, बुद्धिधर्म तथा निगम अथवा समुदाय को सदस्यता वरानुगत गुणों पर आधारित न होकर इनके द्वार सबके लिये खुले होने चाहिये।

4. वित्तीय स्वतन्त्रता (Financial Liberty)—मध्य युग के निरंकुश शासकों द्वारा अनेक बार जनता पर मनमाने कर आरोपित किये जाते थे, परिणामस्वरूप नागरिक चेतना के उदय के साथ इस तथ्य पर बल दिया गया कि नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाये जाए। उदारवादी सम्पत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसीलिए उनके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को होना चाहिए। उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। 19वीं सदी के अन्त में अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम इतना प्रबल हो लेकर प्रारम्भ हुआ था और उसका प्रसिद्ध नारा था 'बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं' (No Taxation, without Representation)।

5. आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Liberty)—परम्परागत उदारवाद के सन्दर्भ में आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि व्यक्तियों को आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मध्य युगीन सामन्ती राज्यों ने भूमि, वस्तुओं तथा सम्पत्ति के द्रव्य-विप्रेषण, भाड़े पर श्रमिक रखने तथा धन उधार लेने और देने पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे थे। उदारवादियों ने उन्हें हटाने की माँग की तथा इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा 'अहस्तक्षेप की नीति' (Policy of Laissez Faire) अपनायी जानी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 'मुक्त प्रतियोगिता' के विचार को अपनाया जाना चाहिये। वस्तुओं के मूल्य और उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर, माँग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिये। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में 'संविदा की व्यवस्था' प्राप्त होनी चाहिये। साथ ही उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति के लिये सघन एवं समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

6. जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (Racial and National Liberty)—उदारवादी विचारक राष्ट्री के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के समर्थक थे तथा भौगोलिक एवं प्रशासकीय क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे, किन्तु यह जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का समर्थन यूरोपीय राष्ट्रों तथा गोरी जातियों तक ही सीमित रहा है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (International Liberty)—उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है तथा शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिकाधिक समीप आने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

8. राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Liberty)—राज्य के कर्षों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतन्त्रता है और इसके अन्तर्गत ये चार बिन्दु सम्मिलित हैं—नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने का अधिकार। उदारवाद की राजनीतिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की पर्यायवाची कही जा सकती है।

9. पारिवारिक स्वतन्त्रता (Domestic Liberty)—इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के गठन एवं स्वच्छन्द पारिवारिक जीवन बिताने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये। इसके साथ त्रियों को विवाह तथा सम्पत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिये। बच्चों को विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत माता-पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये। माता-पिता को उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिये निश्चित रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये।

उदारवाद की आलोचना (Criticism of Liberalism)—परम्परागत उदारवाद की उसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद की आलोचना की जाती है, क्योंकि परम्परागत उदारवाद व्यक्तिवाद की तरह ही आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है, परन्तु उदारवाद की आलोचनाएँ भी की गयी हैं। उदारवाद के इन आलोचकों में एडमण्ड बर्क का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एडमण्ड बर्क के अनुसार उदारवाद को कुट्टि यह है कि इसके द्वारा इतिहास और परम्पराओं को उचित महत्त्व प्रदान नहीं किया गया। परम्पराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव होता है तथा अतीत से सम्बन्ध तोड़ लेना न तो सम्भव है और न ही उचित। आज का जीवन भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इस दर्शन में मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है जो वास्तव में अनुचित है। मानवीय घटनाचक्र के निर्धारण में बुद्धि को अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा एवं संयोग अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते का परिणाम है और न ही यह कोई व्यावसायिक ढंग की समझौते है जिसे इच्छानुसार भंग किया जा सकता है। वस्तुतः राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास तथा महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील एक शाश्वत संस्था है। आदर्शवादी एवं फसीवादी विचारक

उदारवाद की आलोचना करते हुए करते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही जाती है, वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणत कर देगी। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिये व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना नितान्त आवश्यक है।

उदारवाद का महत्व (Importance of Liberalism)—आज उदारवादी दर्शन की आलोचना की जाती है, परन्तु 19वीं सदी में यूरोप तथा अमेरिका में उदारवादी दर्शन प्रभावशाली रहा है और इस दर्शन ने इन राष्ट्रों के इतिहास को भी प्रभावित किया है। इसने यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमेरिका के औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया तथा इससे इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। इसके द्वारा मुक्त व्यापार पर बल दिया गया जिसके फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देश एक-दूसरे के समीप आये हैं और एक विश्व बाजार का निर्माण हुआ है। इसमें धर्म तथा राजनीति को एक-दूसरे से पृथक् कर धर्म निरपेक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ जो आज के प्रगतिशील युग का प्रतीक है। इसने विरोधाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अन्त कर स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतन्त्र का पुनर्जीवित किया। आज की संसदीय संस्थाएँ तथा वयस्क मतधिकार का सिद्धान्त इस उदारवादी दर्शन की ही देन माने जाते हैं। इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का समर्थन कर विभिन्न जातियों को राष्ट्रीय स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योग दिया है। उदारवाद की एक विशेषता यह रही है कि इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया गया। यदि परम्परागत उदारवाद पूँजीवाद का सहायक दर्शन रहा है तो आज का उदारवाद समाजवाद के अधिक समीप जान पड़ता है। उदारवाद को लोकतन्त्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और आर्थिक प्रगति का दर्शन कहा जा सकता है। परिचयी देशों में अमेरिकी सभ्यता उदारवादी दर्शन की ही धोतक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

समाजवाद

(Socialism)

समाजवाद के विभिन्न अर्थ लागू जाते हैं जो देश, काल एवं विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित हैं। लेडलर ने अपनी पुस्तक 'A History of Socialist Thought' में बताया है कि एक सामान्य विद्यार्थी से पूछे जाने पर वह समाजवाद के रूप से कम से कम 57 प्रकार बताएगा। यह ओवन और सेंट साइमन के कार्त्तिक समाजवाद, स्मोलर (Schmoller) और बिन्गमर्क के राज्य समाजवाद, किन्से और माइसिस के ईसाई समाजवाद, बर्नार्ड शा और सिडनी वेब के फैबियनवाद, बर्नस्टीन के संशोधनवाद, कोल और हाम्सन के श्रेणी समाजवाद, सेनिन और ट्राट्स्की के बोल्शेविक्यु, स्टालिन और गण्डो के साम्यवाद का उल्लेख करेगा। अपने अपने मैकडोनाल्ड, एस. जी. वेल्स, कार्ल काट्स्की (Kautsky) एवं विलियम मोरिस द्वारा लिखे गए कुछ पृष्ठ भी पढ़ें होंगे। यह यह अवश्य जानना है कि समाजवादी चिन्तन के केन्द्र में मार्क्स और एन्गिल्स की रचनाएँ हैं, लेकिन वह यह बताने में असमर्थ रहेगा कि इतनी विचारधाराओं की उत्पत्ति क्यों हुई? इनमें कौन सी विचारधाराएँ छद्मवैज्ञानिक हैं तथा इन विचारधाराओं में क्या अन्तर है? यह सच है कि समाजवाद की विभिन्न धाराएँ निम्न पड़ी हैं, लेकिन उनमें कुछ समान तत्व ऐसे हैं जिनके आधार पर उन्हें समाजवाद की विभिन्न शाखाएँ कहा जा सकता है और इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में मार्क्स और एन्गिल्स ने रूस और चीन में मार्क्सवाद को क्रायान्वित किया। गैर-मार्क्सवादी समाजवाद के प्रणेता के रूप में लैसले का नाम है। यहाँ समाजवाद के कुछ रूप दिये जा रहे हैं। ये मूलतः समाजवादी विचारधाराएँ हैं। कुछ अन्य विचारधाराएँ भी हैं जिन्हें समाजवादी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी जानकारी करना एवं समाजवाद से उनकी पृथक्ता एवं समीपता बताना आवश्यक है। इस दृष्टि से अराजकतावाद, फरसीवाद एवं गाँधीवाद का उल्लेख करना आवश्यक रहेगा।

समष्टिवाद

(Collectivism)

समष्टिवाद एवं राजकीय समाजवाद दोनों पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की परिभाषा के अनुसार समष्टिवाद या राज्य समाजवाद "वह नीति या सिद्धान्त है जो जनताधिक द्वारा समष्टि के अन्त की अपेक्षा अधिक अच्छे वितरण और उत्पादन में विश्वास करता है।" समाजशास्त्र के विश्वकोश के अनुसार, "समष्टिवाद व्यक्तिवाद के विरोधी सिद्धान्तों का साधन्य नाम है।" सामाजिक प्रगति के आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम, सार्वजनिक कल्याण का सिद्धान्त और एक आदर्श व्यवस्था के लिए समष्टिवाद एक सुहाव है। प्राथमिक तौर पर इस शब्द का प्रयोग समाजवाद, साम्यवाद, भ्रमसंघवाद और बोल्शेविकवाद जैसे अधिकाधिक नियन्त्रण की व्यापक योजना के लिए सामान्य लेबिल है। समष्टिवादी मार्क्स से प्रभावित अवश्य हैं, लेकिन वे कट्टर मार्क्सवादी नहीं हैं। समष्टिवाद पूँजीवाद को बुरा और अन्याय पूर्ण समझता है तथा उसका अन्त भी करना चाहता है। यह कार्य समाजवाद की स्थापना शान्तिमय और वैध उपायों और विकास द्वारा ही संभव है। पूँजीवाद हिंस्र, क्रान्ति एवं बर्गमुद्र को अनिवार्य समझता है। समष्टिवाद का कथन है कि प्रजातन्त्र के माध्यम से ही समाजवाद स्थापित जा सकता है, क्योंकि प्रजातन्त्र आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। समष्टिवाद राज्य को एक आवश्यक संस्था के रूप में सदा के लिए स्वीकार भी करता है।

समष्टिवाद के उद्देश्य—समष्टिवाद एक शोषणविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। समाज रूप में इसके लक्ष्य को निर्माकृत विन्दुओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है—

(1) उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति, (2) प्रमुख उद्योगों एवं सामाजिक सेवाओं पर सामाजिक नियंत्रण, (3) उत्पादन का सामान्य आवरणकटाओं के आधार पर निर्धारण, (4) समाज में व्यक्तिगत लाभ की भावना के स्थान पर सार्वजनिक लाभ की भावना को बढ़ावा, (5) समाज में प्रतिपोगिता के स्थान पर सामूहिक सहयोग की भावना पर बल, (6) राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की समान रूप से पुष्टि, (7) निर्वन वर्ग और श्रमिकों के दूनोपम मजदूरी की दरों का निर्धारण, (8) उत्पादन के मुख्य साधनों पर केंद्रीय प्रजातांत्रिक सत्ता का नियंत्रण, (9) उद्देश्यों को प्राथमिक के लिए शांतिपूर्ण रखरहीन और क्रमिक उपायों का अवलम्बन, (10) वर्ग सघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य पर जोर एवं (11) प्रजातंत्र एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास।

समष्टिवादी अपने उन उद्देश्यों के औचित्य को इन कारणों से सिद्ध करते हैं—उनका जवादसत प्रसार पूर्वजवाद एवं उस पर आधारित समाज व्यवस्था पर है। उनका कथन है कि पूंजीवादी व्यवस्था भयंकर आर्थिक विषमताओं को जन्म देती है। इसके कारण एक ओर केवल वर्ग सघर्ष की ज्वलता प्रज्वलित होती है, मनुष्यों में मनोमन्य घृणा, ईर्ष्या एवं विषाद को जन्म मिलता है तथा दूसरी ओर दुष्ट, दलितता, भ्रष्ट शोषण बढ़ते जाते हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि समाज में समानता समाप्त हो जाता है और मनुष्य कष्टमय जीवन बिताते हैं। समष्टिवाद प्रजातंत्र को पूर्ण देखा चाहते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ ही नहीं एक धोखा भी है।

समष्टिवाद क्यों?—यद्यपि समष्टिवाद की परम्परा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही मिलती है, लेकिन यह मूलतः 20वीं शताब्दी की विचारधारा है। आधुनिक युग में समष्टिवाद के उदय के कठिन प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए सी. ई. एम. जोह ने बताया है कि वे प्रमुखतः दो हैं—प्रथम मार्क्सवाद और दूसरा व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इन कारणों के मूल में पूंजीवादी व्यवस्था छिपी हुई है जिसके विरुद्ध समाजवादी आन्दोलन छिड़ गया। समष्टिवाद के जन्म का प्रमुख कारण व्यक्तिवाद से उत्पन्न दोषों के निपटारा से बाहर होना है। व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया जिससे राष्ट्रीय क्षेत्र में शोषण और फलस्वरूप समाज में गरीब और अमीर दो वर्गों का निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला हुआ। उन्हें मार्क्स का वर्ग-सघर्ष का सिद्धान्त और सर्वप्रथम वर्ग का अधिनायकत्व शक्ति नहीं लगा। उन्हें इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप भी टांक नहीं लगा, क्योंकि इससे एक वैश्विक साम्राज्यवाद की स्थापना का उन्हें भय लगा इसलिये मार्क्सवादियों का राज्य के मुझ जाने का सिद्धान्त भी उन्हें अप्रिय लगा, इसलिये उन्होंने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो मार्क्स द्वारा पूंजीवाद की की गई बुझियों से तो समझत हो, लेकिन साथ ही मार्क्स की पद्धति का अनुकरण न हो, अन्तः विरुद्ध के रूप में समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद का सिद्धान्त सामने आया।

समष्टिवाद के मूल सिद्धान्त—ये निम्नलिखित हैं—

(1) सामाजिक द्विपक्षानुगतों के क्षेत्र में राज्य—समष्टिवादी राज्य को आवश्यक मन्ता मानते हैं। उनके लिए समाज परिवर्तन का माध्यम राज्य है। वे केवल राज्य के वर्तमान पूंजीवादी स्वरूप को बदलने के पक्ष में हैं। वे मार्क्सवादियों की भाँति राज्य को एक वर्ग की सत्ता नहीं मानते, बल्कि उसे वे सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता मानते हैं। वे व्यक्तिवादियों की भाँति राज्य को न आवश्यक बुझ मानते हैं और अणुवकटावादियों की भाँति इसे न एक अनावश्यक बना ही। वे राज्य को एक नकारात्मक अर्थात् मानते हैं। इनके अनुसार प्रजातंत्रोप राज्य अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में राज्य का प्रतिनिधि होता है और वह अन्य सामाजिक संस्थाओं की अनेक आधुनिक औद्योगिक समाज के हितों के साथ सहसम्बन्धीक तथा प्रभावकारी ढंग से व्यवहार करते हैं समर्थ है। प्रजातंत्रोप राज्य का स्वाभाविक कार्य समूचे राज्य के पौरिक हितों की अभिवृद्धि एवं परिणामितानुर्णन एवं न्यायपूर्ण व्यवहार के राष्ट्रीय अन्दरों की रक्षा करके व्यक्तिगत कार्य को संभित करना तथा उनकी कमी को पूर्ति करना है। वह दुर्बलों की सहायता तथा सबलों के अन्यदों का दमन करता है और ऐसी सामूहिक सुविधाएँ प्रदान करता है जो अकेले व्यक्तियों तथा छोटी संस्थाओं के द्वारा सम्भव नहीं है। वर्तमान राज्य विकसित देशों में इस प्रकार के कार्य करने लगे हैं। वे अश्रितों की व्यवस्था करते हैं, सिविल एवं बानधों के क्रम पर प्रतिक्रिया लागते हैं, श्रमिक पदार्थ निषेध की व्यवस्था करते हैं, जनस्वस्थता की रक्षा करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था एवं डाक का प्रबन्ध करते हैं और देश की स्वाभाविक समृद्धि की रक्षा करते हैं। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत आर्थिक जीवन में जो प्रवृत्तियाँ निम्नती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास और परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रबन्ध का केंद्रीकरण करते हैं। प्रथम में सार्वजनिक आर्थिक कार्यों का विस्तार स्वाभाविक होगा। राष्ट्रीय सार्वभौम स्वयं उन सेवाओं के निरूपण करेंगी जो परम आवश्यक हैं, जैसे—सड़कें, रेल, वायुयान, बैंक, सामाजिक बीमा, मुनिस्तिर्निर्णय, जल, प्रकाश और अन्य स्थानीय उद्योगों वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे, अन्य सार्वभौम विद्या, कारखानों के मन्थियों तथा मजदूरों के पारस्परिक विवादों के निर्वय के लिए हस्तक्षेप करेंगे। समष्टि के समुचित विकसन हेतु अधिकतम कर लगाने का प्रबन्ध किया जाएगा।

(2) कल्याणकारी राज्य में विश्वास—समूह समष्टिवादियों का दृष्टिकोण व्यक्तिवाद तथा साम्यवाद दोनों से विभन्न है तथा यह राज्य को कल्याणकारी संस्था मानते हैं जिनका सत्य सार्वजनिक हित है, अतः राज्य को निषेधात्मक कार्यों के स्थान पर सकारात्मक एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्य करने चाहिए।

(3) पूंजीवाद का विरोध—समष्टिवाद पूंजीवाद के विरुद्ध है और पूंजीवादी व्यवस्था पर इसका आरोप है कि इसने समाज को असंतुलित अव्यवस्थित एवं विभन्न बना दिया है।

(4) उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण—समष्टिवादी मानते हैं कि सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय तभी सम्भव है जबकि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाए। ये चाहते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य के नियंत्रण से साथ राज्य क्षेत्र में होगा जिससे मजदूरों को उचित वेतन मिलेगा तथा विद्यमान की सुविधाएँ प्रशस्त होंगी। ये वितरण व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं ताकि सारे समाज को उससे लाभ मिल सके।

(5) जनतन्त्र एवं शक्तिपूर्ण तरीकों में आस्था—समष्टिवादी जनतन्त्र, वैधानिकता एवं शक्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास करते हैं। ये यथार्थ में विकासवादी हैं और क्रान्ति के स्थान पर ये विकास के रास्ते को स्वीकार करते हैं। इनकी मान्यता है कि व्यवस्था मताधिकार से लोगों में चेतना आती है और बहुमत प्राप्त कर कानूनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यद्यपि ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तथापि इनके लिए ससद सबसे उपयुक्त स्थान है। ये पूंजीवादियों को मुझावना देने के पक्ष में हैं और वैचारिक दृष्टि से इन्हें उदात्त कहा जा सकता है, क्योंकि ये विचारक अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संगठन निर्माण की स्वतन्त्रता, व्यवस्था मताधिकार, एवं जनतांत्रिक सरकार के पक्ष में हैं।

(6) आर्थिक क्षेत्र में राज्य के कार्यों की अपेक्षा—पूँक समष्टिवादी वैश्विक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को परिवर्तित कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना जाना चाहते हैं, अतः ये राज्य को इसके लिए साधन और माध्यम स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि देश के सारे साधनों को राज्य के अधीन कर उनका उपयोग सुनियोजित ढंग से सामूहिक हित में किया जाए। समाज का दुर्बल वर्ग विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है। दुर्बल वर्ग के लोगों को राज्य की ओर से ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ प्राप्त हों, काम करने के घंटे कम हों, वेतन ज्यादा हो, सुविधाएँ अधिक हों एवं महासम्भव इन्हें कर भार से मुक्त रखा जाए या कम से कम कर इन पर लगाए जाएं। इसी प्रकार दूसरी ओर अधिक सम्पन्न व्यक्तियों पर उनकी सम्पन्नता के अनुपात में अधिक कर भार रखा जाए। समष्टिवादी अनुपातित आय पर अधिकधिकार कर लगाने के पक्ष में हैं।

(7) व्यक्ति और समाज के मध्य आंगिक सम्बन्धों की स्थापना—समष्टिवादी यूनानी विचारधारा से प्रभावित हैं जिसके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है अर्थात् व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य के अन्तर्गत सम्भव है और दोनों का उद्देश्य भी एक है। समष्टिवादी व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों को उसी प्रकार मानते हैं जिस प्रकार हमारे अंगों का हमारे शरीर से सम्बन्ध होता है।

आलोचना एवं भ्रष्टाचार—समष्टिवाद की दो दृष्टियों से आलोचना प्रस्तुत की जाती है—एक, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण एवं दूसरा, साम्यवादी दृष्टिकोण है। व्यक्तिवादी विचारकों का कथन है कि समष्टिवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का शत्रु है। उनके अनुसार, "व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा और समष्टिवाद एक गुलाम राज्य की स्थापना करेगा। समष्टिवादी चिन्तन को लागू करने से यह परिणाम निकलेगा कि आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता राज्य में केन्द्रित हो जावेगी, परिणामस्वरूप नीकरशाही को बढ़ावा मिलेगा और हाताकूट दल का अधिनायकत्व स्थापित हो जावेगा।" व्यक्तिवादी विचारक यह कहते हैं कि सामाजिक क्रियाकलाप राज्य के अधीन होने से व्यक्ति में कार्य करने की लगन एवं शक्ति का हास होगा। आर्थिक क्षेत्र में समष्टिवादियों पर आरोप लगाया जाता है कि इनकी योजना से उत्पादन घट जाएगा और कोई ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा।

साम्यवादी दृष्टिकोण से समष्टिवाद पर आरोप लगाये जाते हैं। साम्यवादी मानते हैं कि समष्टिवादी आँग से खेल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं रखते और राज्य को सार्वजनिक हित की संस्था मानते हैं। साम्यवादी कहते हैं कि संसदों और विधान सभाओं में आस्था रखना धोखा है, क्योंकि ये पूंजीवादियों को संभारें हैं। ये संभारें पूंजीवाद का कभी छाया नहीं कर सकतीं, ये उनके द्वारा पोषित हैं। राज्य जो कि समाज के आर्थिक रूप से प्रबल वर्ग की कठपुतली है, वह भला कैसे सार्वजनिक हित में कार्य कर सकता है। इनका कहना है कि यथार्थ में समष्टिवाद पूंजीवाद का दूसरा रूप होगा और यह और खतरनाक है, क्योंकि यह गीढ़ का चोला पहना हुआ शेर है।

फैबियनवाद

(Fabianism)

फैबियनवाद एक विशुद्ध अंग्रेजी विचारधारा है जिसकी प्रवर्तक जनवरी 1884 में स्थापित एक फैबियन सोसाइटी थी। यह सोसाइटी कुछ ऐसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित की गई थी जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। इन पर

हैनरी जार्ज के सिद्धान्त, मार्क्स के सिद्धान्त एवं जॉन स्टुवर्ट मिल के व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के अन्तर्गत विवक्षित होने वाले समाष्टवाद का प्रभाव पड़ा था। जार्ज बर्नार्ड शा और सिडनी वैब जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके प्रारम्भिक सदस्यों में से थे। अन्य सदस्यों में प्रो. ग्राहमवाला, एच. जी. वेल्स, श्रीमती. एनीबेसेन्ट, कर्ल जेलास्की, विलियम क्लर्क, जे. आर. मैकडोनाल्ड थे। इस सोसाइटी ने समस्त शिक्षित मध्यवर्ग की जनता में समाजवाद को प्रसारित करना अपना लक्ष्य बनाया।

एडवर्ड आर. पीस ने अपनी पुस्तक 'History of the Fabian Society' में उस सामान्य समझौते का उल्लेख किया है जिससे प्रारम्भिक फैबियन समाजवादी प्रतिज्ञाबद्ध थे। उसके अनुसार, "इस सोसाइटी के सदस्य यह मानते हैं कि प्रतियोगिता की प्रणाली में सुख-सुविधाएँ कम व्यक्तियों को मिलती हैं और अधिक जनता को कष्ट मिलता है, इसलिए समाज का पुनः संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के समस्त व्यक्तियों का सुख एवं कल्याण सुनिश्चित हो सके। शा द्राघ तैयार किए गए घोषणा-पत्र से जो सितम्बर, 1884 में स्वीकार किया गया, सोसाइटी ने स्पष्ट शब्दों में समाजवाद को स्वीकार किया और कहा कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राज्य को प्रत्येक उत्पादन विभाग से अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए।" स्वयं जार्ज बर्नार्ड शा के अनुसार फैबियन लोग क्रान्तिवादी शब्दावली के विनाश का त्याग कर सामान्य पार्लियामेन्टरी ढंग पर व्यावहारिक सुधार के लिए कठिन श्रम करने हेतु उद्योग हो गए। सन् 1887 में फैबियनवादियों ने अपने समाज का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया—फैबियन समाज समाजवादियों का समाज है जिसका उद्देश्य समाज को पुनर्गठित करना है। यह नया संगठन भूमि तथा उद्योग धर्मों की व्यक्तिगत तथा वर्ग के स्वामित्व से बाहर निकल कर समाज को उसके स्वामी बना कर किया जाता है जिससे सामान्य लाभ के लिए कार्य करें। इस रीति से ही प्राकृतिक तथा मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए हुए लाभों का समस्त जनता में समानता के आधार पर वितरण किया जाता है। सिडनी वैब ने इतिहास को लोकतन्त्र की अदम्य प्रगति बताते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन जनतन्त्रिय पद्धति द्वारा ही सम्भव हैं, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन हृदय से होता है और जनतन्त्रिय पद्धति द्वारा ही हृदय परिवर्तन सम्भव है।

फैबियनवाद की विशेषताएँ—फैबियनवाद लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है। फैबियनवादी विचारक लोकतन्त्र और समाजवाद को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानते हैं। फैबियनवाद न तो मार्क्स को ही पूर्ण रूप से सही मानता है जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद पर आधारित है और न ही यह लोकतन्त्र का वह अर्थ समझता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर सामाजिक विषमता को प्रोत्साहन मिलता है। यह हर प्रकार के विशेषाधिकारों एवं अनार्जित आय का विरोध करता हुआ सामाजिक न्याय को व्यवस्था करता है।

फैबियनवादी उद्योगों के साथ-साथ भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। बर्नार्ड शा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि का सार्वजनिक स्वामित्व समाजवाद की प्रथम दशा है। उनका कथन है कि विश्व के अधिकतर भाग का अब भी औद्योगिकरण नहीं हुआ है और इससे उन देशों में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का कोई औचित्य ही नहीं है। भूमि के राष्ट्रीयकरण से ही वहाँ की समस्याओं का समाधान सम्भव है। प्रो. कोकर के अनुसार, "राज्य (पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका के 19वीं सदी के प्रजातन्त्रिय राज्य) के द्वारा किए जाने वाले कार्य के औचित्य तथा प्रभावकारिता में अटल विश्वास था। यह राज्य जनता का प्रतिनिधि एवं सरलक, जनता का अधिपति, व्यवसायी, प्रबन्धकर्ता, संचिप, यहाँ तक की उसके सहायक भी है। इन हैसियतों में वर्तमान राज्य बिना किसी क्रान्तिकारी परिवर्तनों के यदि निर्दोष नहीं तो कम से कम विश्वासपात्र अवश्य बनाए जा सकते हैं। मताधिकार का विस्तार करने, राज्य कर्मचारियों को विशेष रूप से सुदृढ़ बनाने और शिक्षा के सुयोग समान कर देने के सम्बन्ध में परिवर्तन कर देने की आवश्यकता है। इन सुधारों के अतिरिक्त राजनीतिक मशीनरी में कोई मौलिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यदि प्रजातन्त्र के नाशिक इन सत्ताओं का जो उनके पास हैं, पर्याप्त रूप में उपयोग करें तो वे अपनी राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा शान्ति-शान्ति भूमि तथा औद्योगिक पूँजी दोनों से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ को समाज के हाथों में सौंप सकेंगे।"

फैबियनों की एक समाजवादी योजना है जिसके मुख्य तत्व हैं—(1) उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना, (2) उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत उपयोग की व्यवस्था, (3) इस व्यवस्था का निर्माण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाए रख कर, (4) सत्ता का विकेंद्रित स्वरूप जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय और स्थानीय स्वामित्व की व्यवस्था, (5) भुखमरो एवं बेरोजगारी के विरुद्ध राज्य सरकार की गारंटी, (6) सरकार पर श्रमिकों का वर्चस्व एवं (7) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समाजवादी उपयोग।

1. Edward R. Pease - History of the Fabian Society, p. 32.

2. George Bernard Shaw, Sidney Webb, William Clark - Fabian Essays in Socialism & Fabian Society Tracts, Vols. 1-2.

3. कोकर: वही, पृ. 101.

फैबियनवाद और मार्क्सवाद में समानता एवं अन्तर

फैबियनवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है और दोनों में इस दृष्टि पर सहमति है कि पूँजीवाद एक घृणित सस्या है तथा इसके समाप्त करने की आवश्यकता है। दोनों एक शोषण-विहीन एवं वर्ग-विहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं लेकिन दोनों में मूल अन्तर है जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक भी है। सैद्धांतिक दृष्टि से फैबियन लोग मार्क्स के वर्ग-सम्पर्क के सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं और न ही वे भविष्य में मध्यम वर्ग के साथ में ही विश्वास रखते हैं। वे राज्य के मुर्दा जाने में विश्वास नहीं रखते। वे इसे न केवल कार्पनिक एवं अत्यावहारिक मानते हैं बल्कि इसे अनावश्यक भी समझते हैं। वे राज्य को समाज का मित्र मानकर चलते हैं और उसे सामाजिक गतिविधियों एवं उनके परिवर्तनों के केन्द्र में अवस्थित करते हैं। फैबियन मार्क्स के श्रम सम्बन्धी और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्तों के स्थान पर समाज को वस्तुओं का मूल्य उत्पन्न करने का प्रधान कारण मानते हैं। वे यह कहते हैं कि मूल्य सामाजिक परिस्थितियों की उपज है अतः उसमें होने वाली वृद्धि का साथ समाज को मिलना चाहिए। फैबियन सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में विश्वास नहीं रखते।

व्यावहारिक दृष्टि से दोनों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अन्तर है। फैबियन समाज परिवर्तन के लिए शान्तिपूर्ण तरीकों को मान्यता देता है जबकि मार्क्सवादी इनकी सम्भलता में सन्देह करते हैं। फैबियनवादी विश्वास करते हैं कि धीरे धीरे विप्लवावादी प्रक्रिया से जनतन्त्रात्मक एवं अहिंसात्मक मार्ग द्वारा समाजवाद की स्थापना हो सकती है। श्रीमती एनीबेसेन्ट के अनुसार, 'ऐसी कोई देखा-बिन्दु नहीं होगी जिसे पार कर समाज व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर होता है। परिवर्तन सदैव अधिम दिशा की ओर होता रहता है और हमारा समाज समाजवाद के मार्ग पर सही बढ़ रहा है।

आलोचना एवं मूल्यांकन—फैबियनवाद की अनेक दृष्टियों से कटु-आलोचना की गई है। प्रोफेसर बाबर् के अनुसार, 'फैबियन समाज समाजवादी सगठन का सबसे कम स्पष्ट एवं अनिश्चित सिद्धान्त है। व्यावहारिक तथा सिद्धान्त रूप में यह एक झूठे झूठे के नीचे है जो अपने उद्देश्यों के विषय में कोई सन्देह प्रकट नहीं करना चाहता। फैबियनवाद अपनी सम्भलता के लिए चास्ताबी पर निर्भर करता है।' कहा गया है कि यह समाजवाद है ही नहीं, बल्कि एक उदारवादी लोकतन्त्रवाद है, क्योंकि यह खुले रूप में शोषक वर्ग का मुकाबला करने के लिए कभी मैदान में उतरता ही नहीं, फिर भी अपनी सम्भलता पर निश्चित मात्र सन्देह नहीं करता। यह अपने बुद्धिवातुयों से काम निकालता है और एक अर्थ में यह छतारनाक सिद्धान्त है, क्योंकि यह शोषक वर्ग पर प्रहार नहीं करता और सहजश्रितत्व की बात करता है। सहजश्रितत्व का सिद्धान्त तो केवल बुर्जुआ वर्ग के हित में ही जाता है और श्रमिक वर्ग इसके नीचे पिस्तता रहता है।

यह कहा जाता है कि 'फैबियनवाद' उपदेशक अधिक है और कार्यक्रम में कम है। वेब ने कहा था कि फैबियनवाद समाजवादी विचारों को समाज के सभी वर्गों के पास पहुँचाना चाहता है और उनके मतिस्थ को बदलना चाहता है लेकिन क्या समाजवादी विचारों की आवश्यकता बुर्जुआ वर्ग के लिए है? वह इन विचारों को क्यों स्वीकार करने लगा। हृदय परिवर्तन और मतिस्थ परिवर्तन की बातें सोचो नजर आती हैं, इसीलिए एजिन्स ने फैबियनों को धार्मिक युग का उपदेशक कहा है जो क्रांति से डरते हैं। यह सही है कि फैबियनवाद एक समाजवादी आन्दोलन के रूप में उभर कर सामने नहीं आया। यद्यपि इसका समाजवादी चिन्तन को कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है फिर भी समाजवादी इतिहास में इसको स्थान प्राप्त है।¹ फैबियनवाद की देन यही है कि इसने समाजवाद को बौद्धिक धरातल प्रदान किया है और जो व्यक्तिवाद और साम्यवाद से पिछे हुए थे उन्हें समाजवाद की ओर गम्भीरता से सोचने के लिए बाध्य किया है।

संशोधनवाद या पुनर्विचारवाद और बर्न्स्टीन

(Revisionism and Edward Bernsten, 1850-1932)

कार्ल मार्क्स के बाद उसके दर्शन को लेकर उसके समर्थक कई गुटों में बँट गए। इसके अनेक कारण थे। मार्क्स के उन देशों में रहने वाले अनुयायी जहाँ जनतन्त्र अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, मार्क्स के कुछ सिद्धान्तों जैसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष एवं क्रांति की अपरिहार्यता आदि विचारों से आवश्यक नहीं थे और वे मार्क्सवाद को जनताधिकारियों के अन्तर्गत ढालना चाहते थे। कुछ दूसरे अन्य समर्थक अपने-अपने देशों की भौतिकवादी ऐतिहासिक, आर्थिक, सामूहिक आवश्यकताओं के अनुरूप मार्क्सवाद को ढालना चाहते थे। कुछ अन्य लोगों ने मार्क्स के सिद्धान्तों पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने क्रांति के सिद्धान्त को एक विकासशील रूप देने का प्रयत्न किया, जबकि दूसरों ने इसके अहिंसात्मक स्वरूप को अधिक महत्व दिया। जिन लोगों ने मार्क्सवाद के क्रांतिकारी पहलू की अपेक्षा इसके विकासवादी पहलू पर अधिक जोर दिया और मार्क्सवाद को परिस्थित परिवर्तियों के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया, उनमें प्रमुख संशोधनवादी (Revisionist) हैं। जिन लोगों ने मार्क्सवाद का संशोधन किया उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति एडवर्ड बर्न्स्टीन हैं।¹ बर्न्स्टीन तो संशोधन का जनक ही कहा गया है। यहाँ संशोधनवाद की परिभाषा देना उपयुक्त रहेगा—

जोर्डन स्काफ के अनुसार, "पुनर्विचारवाद एक ऐतिहासिक विचार है जिसके तथम बार जर्मन सोशियल डेमोक्रेसी में गत शताब्दी के अंत में एडवर्ड बर्नस्टीन के कानों को प्रगुत किया गया था। भ्रान्तिपूर्ण क्रान्ति विरोधी पुनर्विचारवाद मार्क्सवाद के सशोधन के कार्यों का आदर्श स्तुन करता है।" कोकर के अनुसार, "एक सशोधनवादी के लिए समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए समाज का अर्थ है व्यक्तिगत पूंजीवाद पर राज्य का प्रतिबन्ध। यह प्रतिबन्ध व्यक्तिगत स्वामित्वा के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में राज्यीय हस्तक्षेप का रूप ले सकता है अथवा पूंजी के किसी भाग विशेष में व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर राज्य के स्वामित्व की स्थापना का रूप ले सकता है।"¹

एडवर्ड बर्नस्टीन के विचार—बर्नस्टीन का जन्म जर्मनी के जर्मन नगर में हुआ था। जर्मनी में गाथा प्रजातंत्र की विचारधारा बर्नस्टीन के जन्म के पहले ही प्रचारित थी और उसका नेतृत्व फर्डिनेन्ड लेसली का था। लेसली Universal Germanmens Association का नेता था जिसका उद्देश्य समाज में वर्ग सघर्ष का शान्तिपूर्ण, वैधिक एवं जनतांत्रिक पद्धति से दूर करना था। 1864 में लेसली की मृत्यु हो गई और वेबिन और ले बुकनेय ने सगठन का नेतृत्व किया। बर्नस्टीन 22 वर्ष की आयु में जर्मनी की Social Democratic Party में शामिल हो गया। 1878 में समाजवाद विरोधी कानून के पारित होने पर उसे जर्मन छोड़ना पड़ा और वह दो दशकों तक स्विट्जरलैण्ड और इंग्लैण्ड में निर्वासित रूप में रहा। इंग्लैण्ड में जब वह आया तो मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसने एजित्व से सम्पर्क बनाए रखा। वह इंग्लैण्ड में फैबियनों के सम्पर्क में भी आया। उसके विचारों का एक और सञ्चन है जिसका सशिव अमेरी अनुवाद 'Evolutionary Socialism' के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसकी एक 'Problem of Socialism' नामक लेखमाला भी प्रकाशित हुई है।

बर्नस्टीन पूंजीवादी विनाश के विनाश को आवश्यक नहीं मानता था। वह मार्क्स की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं था कि विकास की अपनी प्रक्रिया के द्वारा पूंजीवाद का विनाश अवरयथावी है। बर्नस्टीन ने बताया कि जिस प्रकार से पूंजीवाद का विकास हो रहा है उसमें उसके विनाश के बीज नहीं हैं, इसलिए उसने जर्मन सामाजिक जनतांत्रिक दल को चेतावनी दी कि उसे ऐसा कोई योजना नहीं बनानी चाहिए जो इस मान्यता पर निर्मित हो कि पूंजीवाद का विनाश पूर्व निर्दिष्ट है। बर्नस्टीन ने मार्क्स की अलोचना करते हुए उसके चिन्तन में अनेक स्वप्नलोकिय तन्वों को दूँदा। उसने लिखा कि "यद्यपि मार्क्स और एजित्स के मैनीफेस्टों में सामाजिक विकास की प्रक्रिया सही है, लेकिन उसका समय निर्धारण ठाक नहीं है। उसने कहा कि सामाजिक दशाएँ उस तरीके से नहीं बदलती हैं जिसका कि मैनीफेस्टों में उल्लेख किया गया है। बर्नस्टीन ने बताया कि मार्क्स की यह भविष्यवाणी कि गरीब ज्यादा गरीब होते जाएँगे, गलत साबित हुई है। उसने बताया कि पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ छोटे-छोटे पूंजीपतियों का विकास हुआ है और मध्यम वर्ग की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है।" उसने उक्त कि समाज में पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है। उसने मार्क्स के इस कथन को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया कि केवल श्रमिक वर्ग ही पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध बग़ावत कर सकता है। उसने बताया कि पूंजीवाद से समाजवाद की ओर आवर्तन शान्ति-शान्ति होता है और समाज स्वयं पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध जाग्रत होता है। उसके कथन का सार यह था कि परिवर्तन की दिशा में केवल श्रमिक का ही नहीं अपितु सारे समाज का योगदान होता है, इसलिए सर्वोपार्थक्य वर्ग के अधिनायकत्व की धारणा वृथा एवं अतृप्य है।

बर्नस्टीन समाजवादी आन्दोलन को आपुनिक प्रजातंत्रिक आन्दोलन की श्रेणी में मानता था। वह इस निश्चय पर पहुँचा कि समाजवाद की स्थापना वर्ग सघर्ष का प्रतिफल नहीं होगी, बल्कि श्रमिक वर्ग को लोकतंत्र की ओर मोड़कर उसके जीवन-स्तर को उन्नत करने से होगी। वह इस राय का था कि श्रमिकों में राजनीतिक जागृति आनी चाहिए तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए जाग्रह रहना चाहिए। उन्हें अपने व्यावसायिक एवं औद्योगिक सगठनों को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

बर्नस्टीन समाजवाद और प्रजातंत्र की एक-दूसरे का पूरक समझता था। उसके अनुसार, "बिना कुछ प्रजातंत्रिक परिणामों एवं संस्थाओं के आज का समाजवादी सिद्धान्त वास्तव में सम्भव नहीं होगा। जिस-देह मजदूर आन्दोलन तो होगा, किन्तु सामाजिक प्रजातंत्र नहीं। आपुनिक समाजवादी आन्दोलन और उसकी सैद्धान्तिक व्याख्याएँ प्रसिद्ध की महान् क्रान्ति तथा औचित्य की उन भावनाओं का प्रतिफल है जो उस क्रान्ति के द्वारा मजदूरों के आन्दोलन तथा मजदूर आन्दोलन में सामान्यतः स्वीकार कर ली गई है। प्रजातंत्र और समाजवाद में परस्पर अन्तर्विरोध नहीं है। प्रजातंत्र समाजवाद की शक्ति है। प्रजातंत्र समाजवाद का केवल साधन ही नहीं उसका सार भी है।" बर्नस्टीन ने मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की सर्वोपरि बताया। उसने बताया कि समाज की प्रगति का आधार उत्पादक शक्तियों ही नहीं है, बल्कि कानूनी व्यवस्थाओं, नैतिक मान्यताओं, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों, भौतिकीय एवं ऐतिहासिक अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। जिस-देह, मार्क्स और एजित्स ने इनके गौण तन्वों के रूप में अवरय स्वीकार किया था, लेकिन

1. कोकर : आपुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 107.

2. Edward Bernstein : Evolutionary Socialism, p. 9.

3. Bernstein : Evolutionary Socialism, p. 166.

बर्नस्टीन ने इन्हें अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसने अपनी पुस्तक 'Evolutionary Socialism' में लिखा है कि "आधुनिक समाज प्राथमिक समाजों के आदर्शों से कहीं अधिक ऊंचा उठा हुआ है। ये आदर्श आर्थिक तत्वों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विज्ञान, कला तथा अन्य सामाजिक सम्बन्ध भी इन आदर्शों के क्षेत्र में आते हैं। ये विभिन्न तन्त्र आज आर्थिक तत्वों पर इतने आधारित नहीं हैं जितने प्राचीन काल में थे। आधुनिक आदर्शों का विशेषकर नैतिक आदर्शों का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, वे आर्थिक तत्वों पर आधारित नहीं हैं।"

मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त की भी बर्नस्टीन ने ज़ाने-जाने की है। बर्नस्टीन का बयान है कि "जिस प्रकार अणु सिद्धान्त किसी शिल्पकला के सन्दर्भ या कुरूपता को नापने के लिए अक्षय है उसी प्रकार मार्क्स का श्रम सिद्धान्त श्रम के उत्पादन को मापने के लिए अक्षय है।" प्रो. कोकर ने बर्नस्टीन द्वारा मार्क्स के मुख्य सिद्धान्त की आलोचना को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "मार्क्स के मूल्य सिद्धान्त का खण्डन कर। समय बर्नस्टीन ने उस प्रश्न की ओर निर्देशना किया जो 'कैपिटल' ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में मार्क्स के मन पर पारित हुआ था। उसका उत्तर देता है। 'कैपिटल' के इस खण्ड में बाजार मूल्य को उत्पादन की लागत के, जिसमें अक्षय मुद्रा भी शामिल है, के बराबर माना गया है, किन्तु पहले के खण्डों में विनिमय-मूल्य (Exchange Value) उठाया था माना गया है जो उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। समस्त पूँजी का सामाजिक मूल्य उस समस्त श्रमजन्य के बराबर है जो उसके उत्पादन में लागू है और पूर्ण उत्पादन पूर्ण मजदूरी से जितना अधिक है वह पूर्ण सामाजिक बढोत्तरी (Surplus) है जो श्रमिक द्वारा उत्पन्न की गई है, परन्तु जो उसके अन्यायपूर्ण ढंग से छीन ली गई है। बर्नस्टीन का यह विचार था कि श्रम निर्मित मूल्य के कितने भी सिद्धान्त के आधार पर हम वितरण के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। मूल्य सिद्धान्त श्रम के उत्पादन के विभाजन में न्याय या अन्याय का निर्णय करने के लिए किसी आदर्श का स्थापित करने में उतना ही असमर्थ है, जितना किसी मूर्ति को सुन्दरता या कुरूपता का निर्णय करने के लिए अणु-सिद्धान्त (Atomic Theory)। आज जिन उद्योगों में अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) की दर ऊँची है इन्हें उनमें श्रेष्ठतम अवस्था वाले मजदूर दिखाई देते हैं और जिन उद्योगों में अतिरिक्त मूल्य की दर निम्न है उनमें मजदूर दिनभर अवस्था में हैं। साम्यवाद या समाजवाद के लिए वैज्ञानिक आधार का समर्थन इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता कि मजदूर को उसके काम की उपज का पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं होता। संशोधनवादी सामान्यतः मार्क्स के मूल्य-सिद्धान्त को अस्वीकार करते हैं बर्नस्टीन का अनुसंधान करते हैं। जहाँ तक उस सिद्धान्त में यह माना जाता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य मजदूरों के प्रयत्नों से निर्धारित होता है और जिस अतिरिक्त मूल्य का पूँजीपति शोषण करते हैं उसका निर्धारण ठा अतिरिक्त भाग से होता है जो उत्पादन में से मजदूरों देने के बाद बचा रहता है परन्तु वे इसका खण्डन नहीं करते कि अतिरिक्त मूल्य होता है या अतिरिक्त भाग उस बढोत्तरी का भाग है जो पूँजीपति को वस्तुओं की बिक्री से धन प्राप्त होता है उसमें से जो धन वे वस्तुओं को मूल्य देने में खर्च करते हैं, उसे घटाकर बचती है।

आलोचना एवं मूल्य-सिद्धान्त—संशोधनवादियों की, जिनमें बर्नस्टीन प्रमुख है आलोचना फैसिलिटी की तरह व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों दृष्टियों से की जा सकती है। व्यक्तिवादी तब पर व्यर्थ में समाजवाद को उदारवाद से जोड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाते हैं। उनका बयान है कि संशोधनवादियों ने उदारवादी चिन्तन को समाजवाद से सम्बद्ध कर इसे प्रमित किया है। उस समाजवादी और साम्यवादी आलोचक संशोधनवादियों यह आरोप लगाते हैं कि इन्होंने समाजवाद को सन्ने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाया। इन्होंने कुछ मूलभूत तत्वों जैसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त, सर्वद्वारा धर्म ने अधिनायकत्व आदि को दुकरा कर, समाजवाद के तार को मुला दिया है और अपनी बौद्धिक प्रशंसा के आधार पर समाजवाद का नाम लेकर प्रचलित पूँजीवादी व्यवस्था के औचित्य को बनाए रखा है। मार्क्स पर प्रशंसा के कारण बर्नस्टीन को पुत्रपुत्री, मध्य विन्नेरियन उदारवाद से सम्बद्ध कर दिया गया है। इन आलोचनाओं के बावजूद बर्नस्टीन ने अनेक देशों के समाजवादी आन्दोलन पर गहन प्रभाव पड़ा है। उसका जर्मन सामाजिक जनतन्त्र पर गहरा प्रभाव रहा है और आज भी यह वृद्धि की दिशा में है, यद्यपि हिटलर के शासन-काल में उसे गहरा धक्का लगा था। उसने समाजवाद को उन्नत कर आदर्शों की अवस्था में पहुँचाया और यह जर्मन सामाजिक जनतन्त्र के कार्यक्रम का भाग भी बना। अलेक्जेंडर ग्रे ने उरो क्रान्तिवादी तक बला दिया जिसने एक यथार्थवादी की दृष्टि से समाजवाद को देखा और इसे सुरक्षित बनाने के लिए मार्क्स का संशोधन भी कर दिया।¹ उसने समाजवाद को जनतन्त्र के साथ जोड़कर अनेक जनतन्त्रीय देशों में इसे सम्मानजनक सिद्धान्त बना दिया। अन्त में, बर्नस्टीन की एक बहुत बड़ी देन यह बही जा सकती है कि उसने समाजवाद को सन्ने के लिए क्रान्ति की धारणा को अनावश्यक ही नहीं बताया, बल्कि मार्क्स के इस सिद्धान्त को कि प्रगति सामाजिक परिस्थितियों के विपटन पर आधारित है, गलत साबित करने का प्रयास किया।

1 Edward Bernstein - Evolutionary Socialism, p 37

2 Gray, Alexander - The Socialist Tradition, p 406

3 Gray Alexander : The Socialist Tradition, p 408

उपलब्ध होने चाहिए। प्रोफेसर कोकर के अनुसार इस प्रकार फासिज्म की सम्पूर्ण विचारधारा में प्रभुत्व-मय्यन्त राज्य तथा दुर्बिकार शासन के विचारों का प्राधान्य है। राष्ट्र के सर्वसत्तात्मक श्रेणीबद्ध संगठन द्वारा व्यक्तियों के समस्त विशिष्ट हितों का दमन होना चाहिए। नागरिकों के राजनीतिक दायित्व उनके अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह फासिस्ट सर्वसत्तावाद (Totalitarianism) है जो व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र को राज्यसत्ता से विमुक्त नहीं मानता।

फासिस्टों ने लोकतन्त्रवादियों द्वारा प्रतिपादित 'स्वतन्त्रता', 'समाप्ता' और 'प्रातुत्व' के स्थान पर 'दायित्व' 'अनुशासन' और 'श्रेणीबद्ध संगठन' ये तीन नारे दिए। उन्होंने भतया कि इटली को कानून, व्यवस्था और कार्यकुशलता की आवश्यकता है और न कि स्वतन्त्रता, समाप्ता और प्रातुत्व के पिसे-पिटे और अर्गहीन नारों की। उन्होंने यह कहा कि वास्तविक स्वतन्त्रता ऐसी राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत समभव है जो दुइता के साथ इन तीनों नारों को लागू कर सके।¹

राष्ट्रीय समाजवाद या नाजीवाद

(National Socialism or Nazism)

नाजीवाद और फासीवाद में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है। जर्मनी, जहाँ नाजीवाद पनपा और फासीवाद के घर इटली को आन्दोलिक और बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप ही ये दो विचारधाराएँ ढाली गई हैं। दोनों देशों की परिस्थितियों में बहुत कुछ अनुरूपता थी, अतः दोनों विचारधाराओं में समानता है। दोनों में जो अन्तर कहा जा सकता है वह दो देशों की परिस्थितियों के अन्तर का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह अन्तर मौलिक नहीं है।²

जर्मन परिस्थितियों एवं नाजीवाद

जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होकर 1919 को वर्साय की संधि को मानने के लिए मजबूर किया गया था। यह संधि अत्यंत सखि थी। जर्मनी को इस संधि के परिणामस्वरूप भयंकर आर्थिक, क्षेत्रीय एवं सामरिक हानि के साथ उसके राष्ट्रीय स्वाधीनता को जबरदस्त घोट पहुँचाई गई थी। जर्मनी राष्ट्र विलगिता उठा था, उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली थी। वर्साय संधि के उपरान्त सरकारें अस्थिर हो गई थीं, वे कोई भी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूँढने में सक्षम नहीं थीं। उसे एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीयता के उन्मूलन हुए स्तन को खीला सके और राष्ट्रीय हानि को संगठित कर अपने छोटे हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। 1920 में जर्मन मजदूर दल का संगठन किया गया जिसने राष्ट्रीय समाजवाद अथवा नाजीवाद को जन्म दिया। परिस्थितियों के कारण मजदूर दल की प्रकृति समाजवादी न होकर अधिकारवादी राष्ट्रीय होती चली गई और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इसे जातीय रंग भी मिल गया। इसने जर्मन जाति को आर्य जाति घोषित किया और उसके झण्डे के नीचे सभी गैर यहूदी को एकत्रित किया गया। हिटलर ने सभी वर्गों—किसान, मजदूर, छोटे एं बड़े पूँजीपतियों, उद्योगपतियों, वैतनयोगी, कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों आदि सभी से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से संबद्ध करने का झूठा वायदा किया। यह मजदूर दल आगे चल कर राष्ट्रीय समाजवादी दल कहलाया जिसे 1920 के चुनाव में जर्मन ससद में 12 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन इसके उपरान्त इसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई। 1930 में इस दल को 130 स्थान मिल गए। सन् 1932 में तो यह जर्मनी का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, इसे ससद में 37 प्रतिशत मत एवं 230 स्थान प्राप्त हुए। हिटलर प्रभावशाली और कुशल नेता सिद्ध हुआ। उसने अपने शुंआधार प्रचार कार्य में वर्साय की संधि को धर्मना की एवं जर्मनी को गौरवशाली बनाने पर जोर दिया। उसने जर्मनी का एक सामरिक शक्ति बनाने पर बल दिया और साथ ही माँग की कि क्षतिपूर्ति की शर्तें समाप्त कर दी जाएँ एवं यहूदियों को जर्मनी से निकाल बाहर किया जाए। उसका प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया कि उसे 29 जनवरी, 1933 को जर्मनी का चांसलर बनने के लिए आमन्त्रित किया गया। एक बार सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने सर्वोच्चकारी राज्य की स्थापना की और स्वयं वहाँ का शासक बन गया। नाजीवाद की प्रतिपादित द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में हुई, क्योंकि हिटलर का उद्देश्य युद्ध के सत्तार में जन्मे अधिपत्य को स्थापित करना था।³ हिटलर को, 'चन्द्री', 'हुँ', 'सक्ति', 'वर्साय', 'श्री', 'सक्ति', 'श्री', 'सम्मान', 'करने', 'के', 'दिए', 'आधी', 'श्री', '। द्वितीय विश्व युद्ध जिसे उसने प्रारम्भ किया था, प्रारम्भिक वर्षों में हिटलर एवं मुसोलिनी के पक्ष में रहा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई। 1945 का अप्रैल माह निर्णायक सिद्ध हुआ। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन जनरलों को आत्म-समर्पण के लिए बाध्य कर दिया। हिटलर ने 30 अप्रैल, 1945 को दुर्गति से बचने के लिए आत्महत्या कर ली।

नाजीवाद के सिद्धान्त—नाजीवाद के सिद्धान्त एवं स्रोत वही हैं जो कि फासीवाद के हैं। जिन परिस्थितियों में इन विचारधाराओं का उदय हुआ वे भी समान थीं। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में इटली जिन राज्यों के साथ था, लेकिन उसके साथ किए गए वायदे पूरे न किए जाने के कारण वह धीरे अमन्युष्ट था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त वहाँ की स्थिति काबू के बाहर हो चली थी। आर्थिक स्थिति विगड़ गई थी और इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ था। दोनों ही देशों को आर्थिक स्थिति विगड़ चुकी थी, सरकारें इसे नियन्त्रण में लाने में असमर्थ थीं, जनसाधारण शुब्ध एवं उत्तेजित था, वर्साय की संधि को राष्ट्रीय असम्मान समझा जाता था लेकिन

1 कोकर - आधुनिक राजनीतिक विचार, पृ 304

2 Coker Recent Political Thought, p 486.

जर्मन राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि कुछ पृथक् और अनेक तत्वों से मिश्रित थी। जातीय श्रेष्ठता और विस्तारवाद के मध्य में नाजी राज्य है जो नाजीवाद की मूल संस्कृति है। नाजी राज्य एक सर्वाधिकारी राज्य था जिसका लक्ष्य साम्राज्य विस्तार था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा 'मेन केम्फ' में शिशुण सत्थाओं, समाचार-पत्रों, चर्चाओं आदि पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही है। उसने रक्त की शुद्धता पर जोर दिया है। उसका कथन है कि 'प्रत्येक लड़के-लड़की को इस तथ्य का अहसास होना चाहिए और जब तक उसे यह ज्ञान न हो जाए उसे स्कूल अथवा कॉलेज छोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं हिटलर ने कला पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसने कहा कि "सर्वाधिकारी राज्य कला से पृथक् अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उसकी माँग है कि कलाकारों को राज्य के प्रति सकलतक नीति अपनी चाहिए।" रोजनवर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि "जर्मन विरवविद्यालयों से विना किसी मर्पादा के अध्ययन को विद्यार्थन स्वतंत्रता समाप्त कर दी जानी चाहिए और उसके स्थान पर सच्ची स्वतंत्रता अर्थात् राष्ट्र की सर्वाधिक शक्ति बनाने की स्वतंत्रता प्रतिष्ठापित कर दी जानी चाहिए, ऐसा हिटलर के अधीन जर्मनी में कर दिया गया।"

विज्ञान और अर्थव्यवस्था नाजी राज्य में मर्यादित थी। अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य के अधीन थी। राज्य ने ममस्त अर्थव्यवस्था को जैसा चाहा काम में लिया। अर्थव्यवस्था युद्ध-अर्थव्यवस्था की ओर इसी दृष्टि से उत्पादन होता था। सारे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की स्वायत्तता नष्ट कर दी गई थी। इनका उपयोग नाज़ीवाद के समर्थन के लिए किया जाता था। नाजीवाद जैविक सिद्धान्त की दृष्टि से राष्ट्र को एक जीव मानता है और जीव की जीवित रखने के लिए उसका पोषण आर्थिक समृद्धि एवं विकास उसका विस्तार मानता है। इस प्रकार का विस्तार एक राष्ट्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। नाजीवाद सीमितपन में विश्वास करता है। वह राज्य की कोई निश्चित सीमा नहीं मानता। प्रो. सेबाइन ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राचीन राज्य इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि वे अपने स्थान का विस्तार करें। राज्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उसकी एक आत्मायी सीमा-रेखा होती है। वह सतत विकास में शक्ति का एक बिन्दु मात्र होती है। श्रेष्ठ सीमाना वह है जो विकास के अनुकूल हो, जो दूसरे राज्यों में प्रवेश करने तथा सीमा-घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल होता है। प्रगति सधर्ष के माध्यम से ही होती है। श्रेष्ठ जाति हीन जातियों का शोषण करके अपने जीवन-स्तर को ऊँचा रखे और हीन एवं अधीनस्थ जातियों को इस बात के लिए विवश कर दिया जाए कि वे बहुत हल्के स्तर का जीवन बिताएँ। एक शक्ति सारे समाज पर शासन स्थापित करे। सारा समाज नियंत्रण के कुछ क्षेत्रों में बाँट दिया जाए और प्रत्येक क्षेत्र पर एक नियंत्रणकारी शक्ति शासन करे।

आलोचना एवं मूल्य-कर्म—फासीवाद एवं नाजीवाद को राजनीतिक दर्शन कम और राजनीतिक विवेक अधिक है। सेबाइन के अनुसार, कुछ लोगों के मत में, फासिस्टवाद और राष्ट्रीय समाजवाद (हिटलरवाद) दर्शन नहीं है। उनकी पद्धतियों में भीड़ के मनोविज्ञान और आतंक का चित्रण था। उनके नेताओं का एक ही उद्देश्य था—शक्ति को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। फासीवादी और नाजीवाद धीरे अतृष्टिपूर्ण हैं। इनके अनुसार सारा राज्य केवल इनके चिन्म में है, शेष सब गिन्या है और इनके विचार में जो इनके साथ नहीं है वे धेर शत्रु हैं इसलिए उनका खान्पा करना आवश्यक है।

दोनों फासीवाद और नाजीवाद जातीयता के पोषक और लोकतन्त्र के विरोधी हैं। यद्यपि फासीवाद के लिए इतना नहीं कहा जा सकता जितना की नाजीवाद के लिए कि यह जातीयता का पोषक है। मुसोलिनी श्रेष्ठ व्यक्तियों (Elites) की बात कहता था और केवल उन्हें ही शासन-प्रक्रिया से सम्बद्ध करना था। उसने सर्व-साधारण को तिरस्कृत कर देखा। दोनों ही विचारधारणें लोकतन्त्र की घोर विरोधी हैं। दोनों ही विचारधारणें युद्ध और हिंसा पर जीवित हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनका भोजन युद्ध और हिंसा है। द्वितीय विश्व महायुद्ध इन दोनों विचारधारणों के उत्कर्ष का ही परिणाम रहा है। ये नीतियों के पशु महामानव के विद्यमान के लिए अस्तित्व के लिए सधर्ष का दार्शनिकी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। नाजीवाद को राष्ट्रीय समाजवाद कहा गया है लेकिन इसका स्वरूप न राष्ट्रीय है और न समाजवादी। यह हिटलरवाद है जो एक व्यक्ति की तानाशाही का दूसरा नाम है। इनकी शब्दावली में राष्ट्रीयता का अर्थ आर्य-जाति की प्रभुता से है और समाजवाद का अर्थ जर्मन सर्वहारा राष्ट्र के विकास पर आच्छादित वर्चस्व से है। सच तो यह है कि यहाँ राष्ट्रीयता और समाजवाद दोनों ही शब्दों का अर्थ बदल गया है। फासीवाद और राष्ट्रीय समाजवाद की प्रशासक सैद्धान्तिक स्तर पर करना कठिन प्रतीत होता है। इनके प्रभाव के सम्बन्ध में यह अवश्य कहा जा सकता है कि प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त इटली और जर्मनी में उत्पन्न स्थिति का सामना केवल मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाह ही कर सकते थे। जब प्रतिनिधि सम्मार्थ तथा उदार राश्ट्रीय नीतियाँ इच्छा-रहित और कार्य-शक्ति के अभाव में विच्छन्न रहती हैं अथवा सामुदायिक हितों के सम्मने राष्ट्रीय हितों की हत्या होने देती हैं, तब जनता किसी भी ऐसे व्यक्ति के निकृता शासन में रहने के लिए तैयार हो जाती है, जो चाहे जिस प्रकार सत्ता हस्तगत करे और चाहे जिस प्रकार शासन करे, परन्तु मुख्यतः कथन रख सके, सुशासन स्थापित कर सके और देश के अन्दर और बाहर उसके लिए आदर प्राप्त कर सके।

हिटलर और मुसोलिनी ने अन्य समय में जो कुछ क्रमशः जर्मनी और इटली को दिया वह शायद किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत कदापि सम्भव नहीं है। जर्मनी और इटली का इतना जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक निर्माण हुआ

कि यूरोप और विश्व इनसे घात उठे। इन देशों के निवासियों में एक नवीन आध्यात्मिक एकता का निर्माण किया गया और जनता में अमूर्तपूर्ण जोश का संचार हुआ। " ऐतिहासिक सफलता का श्रेय फासिस्ट और नाजी दलों के उतम संगठनों एवं मुसोलिनी और हिटलर के प्रभावशाली नेतृत्व को है। तांत्रशही राष्ट्र को तीव्रगति से आर्थिक और सामरिक निर्माण भी कर सकती है और फिर ठसे गर्त में ले भी जा सकती है—इन दोनों का सबूत हमें फासीवाद और नज़ावाद में मिलता है।

मार्क्सवाद (Marxism)

मार्क्सवाद समाजवाद की घम सीमा है। समाजवादी को घम सीमा पर लाने का श्रेय कार्ल मार्क्स को है। इसमें एजित की भी अहम भूमिका धानी जाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार, "साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में अवश्य ही एक पद्धति या सिद्धान्त है। यह उन नियमों को स्थापित करता है जिनके द्वारा पूर्वीवादी को समाजवाद में बदला जा सकता है।"

मार्क्सवाद की विशेषताएँ—मार्क्सवाद की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—(1) मार्क्स का समाजवाद इतिहास के विकास और उसकी भौतिकवादी व्यवस्था पर आधारित है (2) यह सामाजिक परिवर्तन के नियमों की व्याख्या करता है (3) मार्क्सवाद एक भौतिकवादी विचारधारा है, (4) इस वाद के अनुसार पदार्थ ही विचारों के स्रोत होते हैं एवं (5) यह वाद वर्ग-संघर्ष पर आधारित एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है।

मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धान्त—इस विचारधारा के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—(1) द्रव्यात्मक भौतिकवाद (2) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (3) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, (4) वर्ग संघर्ष, (5) सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एवं (6) साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना।

मार्क्सवाद के प्रमुख ग्रन्थ—मार्क्सवाद के प्रमुख ग्रन्थ हैं—(1) साम्यवादी घोषणा-पत्र, (2) कार्ल मार्क्स वैन्यू श्रास एण्ड प्रोफिट, 1865 (3) एन्जिल्स सोशियोलिज्म यूरोपियन एण्ड साइंटिफिक, 1880 एवं (4) दास कैपिटल।

अराजकतावाद (Anarchism)

इस विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक विलियम गोडविन हैं। इसके अन्य समर्थक जोसेफ प्रोथा, माइकल बाकुनिन्, पीटर क्रोपोटकिन हैं। फ्रांसिस कोकर के अनुसार, "अराजकतावादी सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक सत्ता किसी भी रूप में अनावश्यक एवं अवाञ्छनीय है। आधुनिक अराजकतावाद में राज्य के सैद्धान्तिक विरोध के साथ वैयक्तिक सम्पत्ति की सत्ता का विरोध तथा संगठित धार्मिक सत्ता के प्रति शत्रुता का भाव भी समाविष्ट है।"

अराजकतावाद की धार्यताएँ—अराजकतावाद की मान्यताएँ इस प्रकार हैं—(1) यह विचारधारा सम्पत्ति का विरोध करती है (2) यह विचारधारा राज्य विहीन समाज की स्थापना का उपाय चाहती है (3) यह विचारधारा धर्म का विरोध करती है (4) इस विचारधारा के अनुसार मानव स्वभाव से अच्छा है सहयोगी है एवं सामाजिक है (5) यह विचारधारा स्वतन्त्रता एवं समानता में विश्वास करती है एवं (6) यह विचारधारा सहकारिता के आधार पर ऐच्छिक एवं अस्थायी समुदाय का निर्माण करने में विश्वास करती है।

इस प्रकार अराजकतावाद राज्य सम्पत्ति तथा धर्म के अस्तित्व का विरोधी है।

गाँधीवाद

(Gandhism)

गाँधीवाद जीवन के अनेक क्षेत्रों में महामा गाँधी के राजनीतिक, तात्विक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक मान्यताओं एवं अधिप्रयोगों का विश्लेषण है। गाँधीवाद में सिद्धान्त भी है और व्यवहार भी है। गाँधीवाद के मूलमूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं—(1) ईश्वर सभी प्रकार के मूल्यों का आधार है अतः इसकी सत्ता में दृढ़ आस्था (2) मानवीय आत्मा की समानता में विश्वास रखना, (3) सत्याग्रह क्रान्ति का अस्त्र (4) सामूहिक अहिंसा का सिद्धान्त, (5) मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा की अखण्डता का सिद्धान्त, (6) समाज, राज्य अथवा किसी सत्ता का हित उन व्यक्तियों से अलग नहीं है जिन्हें उसका निर्माण हुआ है (7) साम्य से साधन का अधिक महत्त्व है क्योंकि साम्य दिशा प्रदान करता है तो साधन का सम्बन्ध साक्षात् रूप में जीवन से है एवं (8) अन्तः अनुभूति ज्ञान का उच्चतम रूप है। डॉ. राममनोहर लोहिया के अनुसार, महात्मा गाँधी दार्शनिक-उदारवादी तथा बहुलवादी थे। यद्युत महात्मा गाँधी का सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवन में तरह-तरह की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान से था। उनकी बुद्धि आध्यात्मिक रहते हुए भी व्यावहारिक थी। गाँधीवाद के प्रमुख व्याख्याकारों में डॉ. जवाहरलाल नेहरू डॉ. राममनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे एवं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मुख्य हैं।

शक्ति तथा अधिमत्य के सिद्धान्त (Theories of Power and Hegemony)

अभिजन सिद्धान्त, समूह सिद्धान्त और शक्ति सिद्धान्त, ये तीनों सिद्धान्त अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत लोकप्रिय हुए और प्रत्येक ने अपने आप में एक सम्पूर्ण राजनीतिक सिद्धान्त होने का दावा किया।¹ अभिजन सिद्धान्त का आधार था कि प्रत्येक समाज में दो अलग-अलग वर्ग होते हैं—(1) कुछ ऐसे थोड़े व्यक्ति जिनके पास क्षमता होने से उन्हें समाज में नेतृत्व का अधिकार मिला होता है एवं (2) असंख्य ऐसे जन साधारण हैं जो भाग्य से उनके नेतृत्व के समाज में शामिल होना लिखा कर गए हैं।

इनमें प्रथम वर्ग अभिजनों का कहलाता है। राजनीतिक अभिजन सिद्धान्त का विकास 1950 के दशक में अमेरिका में समाज विज्ञानियों सुम्पीटर जैसे अर्थशास्त्रियों, लासेस जैसे राजनीति वैज्ञानिकों और सी. राइट मिल्स जैसे समाजशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न रूपों में हुआ और उसके सूत्र फ्रासीवाद के पूर्व अनेक यूरोपीय विचारकों द्वारा शुरू हुए थे। इनमें इटली के निवासी बिल्फ्रेडो पैरेटो और गोटानो यास्का स्विस-जर्मन, राबर्ट मिचेल्स और स्पेनवासी जॉर्ज आर्टेगा वार्ड गैसट प्रमुख थे। पैरेटो (Pareto) की मान्यता थी कि प्रत्येक समाज का शासन एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में होता है जिसके पास सम्पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लेने के आवश्यक गुण होते हैं।

पैरेटो (Pareto)

पैरेटो के अनुसार जो लोग समाज और राज्य के उच्चतम शिखरों व स्थानों पर पहुँच जाते हैं, वास्तव में वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन लोगों को 'अभिजन' का नाम दिया गया है। अभिजन वर्ग में उन सभी सफल व्यक्तियों को गिना जा सकता है जो प्रत्येक धन्ये में तथा समाज के प्रत्येक स्तर पर शिखर तक पहुँच जाते हैं। पैरेटो के अनुसार डॉक्टरों, वकीलों, वैज्ञानिकों एवं चोरों और वेश्याओं के भी अभिजन होते हैं। वह यह मानता है कि विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक स्तरों पर मिलने वाले अभिजन सामान्यतया समाज के एक ही वर्ग से बनते हैं—जो अमीर है वही बुद्धिमान भी है और जो बुद्धिमान है उसके पास गणित को समझने, संगीत में पारंगत होने तथा उच्च नैतिक चरित्र रखने आदि की क्षमता होती है। पैरेटो के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं—(1) एक उच्च वर्ग जिसे हम अभिजन वर्ग कहते हैं और जो शासक अभिजन और शासन के बाहर के अभिजन इन दो उपवर्गों में बाँटे जा सकते हैं (2) एक निम्न वर्ग अर्थात् गैर अभिजन वर्ग है। इनमें पैरेटो के अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु शासक अभिजन वर्ग था, जिसके बारे में पैरेटो का विश्वास था कि वह बल प्रयोग और चालाकी दोनों के मिश्रित आधार पर शासन करता है। उसने इन दोनों में से बल प्रयोग को अधिक महत्व दिया है।

सिद्धान्त के मूल स्रोत—पैरेटो ने अभिजन वर्ग में परिवर्तन होते रहने की संकल्पना का विकास किया। उनके अनुसार इतिहास कुलीन वर्गों का शमसान है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन अनवरत रूप से उच्च स्तर से निम्न और निम्न से उच्च स्तर की ओर जाते रहते हैं अतएव पैरेटो को सबसे अधिक चिन्ता यह थी कि अभिजन वर्ग के नष्ट हो जाने के कारण समाज में जो असन्तुलन पैदा हो जाता है उसे किस प्रकार से रोक्कर जाए। इसने अपनी रचनाओं में अभिजन वर्ग में होने वाले निम्न प्रकार के परिवर्तनों एवं प्रत्यावर्तनों की बात कही है। उसके अनुसार कभी शासक वर्ग के विभिन्न समूहों तक परिवर्तन की यह प्रक्रिया सीमित रहती है और कभी अभिजन वर्ग तथा गैर अभिजन वर्ग के बीच परिवर्तन एवं प्रत्यावर्तन होता दिखाई देता है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन में व्यक्ति निम्न स्तर से ऊपर उठकर तत्कालीन अभिजन वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं और निम्न वर्ग के व्यक्ति मिलकर नये अभिजन वर्गों का निर्माण करते हैं तथा शासक अभिजन वर्ग के विरुद्ध शक्ति के संघर्ष में लग जाते हैं। शासक वर्ग की जिस अवधि के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है और नये अभिजन वर्ग की रचना होती है उसके कारणों का उल्लेख करते हुए पैरेटो कहता है कि "विभिन्न प्रकार के अभिजन वर्गों के मनोविज्ञान में परिवर्तन होता रहता है।" पैरेटो ने अपनी 'अवशेषों' की संकल्पना विकसित की है। 'अवशेषों' से पैरेटो का आशय वास्तविक रूप में उन गुणों से है जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन में ऊँचा

उठ सकता है। उाने 'अवशेषों' के छ गुणों की एक तालिका तैयार की है। वह उनमें से दो प्रकार के गुणों को अधिक महत्वपूर्ण 'अवशेष' मानता है। उसने उनका नाम 'मिश्रित तत्व' (Combination) और 'समुच्चय सातत्य' (Persistence of Aggregates) दिया है। यह मानता है कि इन्हीं की सहायता से शासक वर्ग अपने आप को सत्ता में बनाए रखने में सफल होता है। साम्राज्य शास्त्रों में 'मिश्रित तत्व' नाम के अवशेष का अर्थ 'पालाकी' और 'समुच्चय सातत्य' नाम के अवशेष का अर्थ बल प्रयोग है। पीटो ने 'अभिजन' के इन दो वर्गों को 'संदेरियों' (Speculators) एवं किराया जीवियों (Rentiers) का नाम दिया है। पीटो के अनुसार एक वे हैं जो पालाकी से शासन करते हैं तथा दूसरे बल प्रयोग द्वारा शासन करने वाले हैं। यहाँ मैकियावेली द्वारा मुझाए गए उन दो शासक वर्गों के नाम याद आते हैं जिन्हें उसने 'सिद्धों' और 'लोमहड़ियों' का नाम दिया था। बल प्रयोग को न्यायोचित अथवा विवेक सम्पन्न ठहराने के लिए अभिजन शब्द 'सापत्तियों' (Derivations) अथवा 'मिथकों' (Myths) का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा जनता की दृष्टि में उनके वे काम तर्क-सम्पन्न कार्यों की श्रेणी में गिने जाएँ और वे जनता को निपटवण में रख सकें।

मोस्का (Mosca)

पीटो को पीति मोस्का भी अभिजन वर्ग में प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त में विश्वास करता है। आदेश देने की अभिवृत्ति और राजनीतिक नियन्त्रण का प्रयोग करने की क्षमता को वह अभिजन वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। उसके अनुसार शासक वर्ग में जब यह अभिवृत्ति कम हो जाती है और शासक वर्ग से बाहर के लोग जब इन अभिवृत्तियों को विकसित करते हैं तब पुराने शासक वर्ग की पदवृत्ति और उनके स्थान पर नये शासक वर्ग की स्थापना आवश्यक हो जाती है। मोस्का का मानना है कि यह एक प्रकार का सामान्य नियम है कि स्वयं समय तक शासन कर लेने के बाद शासक वर्ग या तो जन साधारण को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाता या जो सुविधाएँ वह देता है वे जन साधारण को दृष्टि में महत्वहीन हो जाती हैं अथवा किसी नए धर्म का उत्थान हो जाता है अथवा समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक शक्तियों में ऐसा कोई परिवर्तन आ जाता है और इस स्थिति में सत्ता परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। मोस्का आदर्शवाद तथा मानवतावाद का उतना कठोर आलोचक नहीं है जितना पीटो, साथ ही बल प्रयोग पर भी उतना अधिक आग्रह नहीं है। वह एक गतिशील समाज में और समझने-बुझाने के द्वारा परिवर्तन साने के तरीके में विश्वास रखता है। उसने शासक अभिजनों को यह सलाह भी दी है कि वे जनमत में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक व्यवस्था को धीरे धीरे उन परिवर्तनों के अनुसार ढालने की कोशिश करें। मोस्का ने अभिजन वर्ग में सम्मिलित सामाजिक समूहों के गठन की गहराई से व्याख्या की है और अन्य 'सामाजिक शक्तियों' को संतुलित करने और उनके प्रभाव को सीमित करने में उन सामाजिक शक्तियों को, जिनको पीटो ने 'शासक वर्ग से बाहर' का अभिजन वर्ग बताया था, भूमिका को स्पष्टीकार किया है।

मोस्का ने अभिजन वर्ग में 'उप-अभिजन वर्ग' की संकल्पना दी जिससे उसका अर्थ लोक सेवकों, औद्योगिक व्यवस्थापकों, वैज्ञानिकों और विद्वानों के नये मध्यम वर्ग (अभिजन वर्ग) से था और जिसे उसने समाज के प्रशासन का आवश्यक तत्व बताया। उसके अनुसार किसी भी राजनीतिक अवयव का स्थायित्व नैतिकता, कुशाग्रबुद्धि और कार्य कुशलता के उस स्तर पर निर्भर करता है जिसे समाज का दूसरा स्तर प्राप्त कर चुका होता है।

मिचेल्स (Mitschels)

जिन अन्य ध्यवित्तियों ने अभिजन सिद्धान्त को आगे बढ़ाया है उनमें रोबर्टो मिचेल्स और ओट्टोवा वार्ड गैसेट के नाम प्रमुख हैं। रोबर्टो मिचेल्स का नाम 'स्वल्पतंत्र के सौह नियम' (Iron Law of Oligarchy) के सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है जिसे यह इतिहास के सौह नियमों में एक ऐसा नियम मानता है जिसके पजों से अधिक से अधिक लोकतांत्रिक सत्ताओं और उन सत्ताओं में अधिक, वे अधिक, प्राथमिक, राजनीतिक दल गठन कर नहीं निकल सके हैं।¹

इस नियम का सबसे ज्यादा समर्थन सगठन के तत्व द्वारा मिलता है। सगठन के बिना आधुनिक युग में आन्दोलन अथवा राजनीतिक दल सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सगठन वास्तव में स्वल्पतंत्र का ही दूसरा नाम है। मिचेल्स लिखता है "मनुष्यों के प्रत्येक ऐसे सगठन में जो निश्चित सत्तों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है अन्तर्बर्तित स्वल्प तांत्रिक प्रवृत्तियाँ मौजूद रहती हैं स्वल्पतंत्र महान सामाजिक समुच्चयों के सामान्य जीव का एक पूर्ण निश्चित रूप होता है। मनुष्यों के बहुमत के लिए, गुलामी की अपनी शास्वत मनोवृत्ति के कारण, एक अल्पसङ्ख्यक वर्ग के प्रभुत्व को मानना उसकी अपनी पूर्व नियति है।"²

सामाजिक जीवन के सभी रूपों में नेतृत्व एक आवश्यकता है। सभी व्यवस्थाओं और सभ्यताओं में कुलीनतंत्र को विशेषताओं का प्रदर्शन होता है।² जैसे किसी आन्दोलन या राजनीतिक दल का विस्तार बढ़ता है तब उतरदायी नेताओं के एक आन्तरिक समूह के हाथों में सत्ता सौंप दी जावे और समय के साथ-साथ सगठन के सदस्य उन्हें निर्देशित

1 एल्फ्रेड द ग्रेजिया टैबर्टो मिचेल्स फर्स्ट लेक्चर्स इन पोलिटिकल सोसियोलॉजी, पृ 142

2 रोबर्टो मिचेल्स वही 11 32 390 400 402

भारतीय राजनीतिक विचार (Indian Political Thought)

प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक भारत में मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, शुक्राचार्य, वीदित्य, राममोहन राय, दयालन्द सरस्वती, दाना भाई नीरोन्दी, महादेव गोविन्द रानडे, बासु मंगलकर, तिलक, स्वामी विवेकानन्द, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, एम. एन. राय, भीमराव अम्बेडकर, राममनोहर लोहिया, तथा स्वामी नेईकर एवं अन्य ऐसे राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाया है। यहाँ इन विचारकों के प्रमुख विचारों की जानकारी दी जा रही है।

मनु (Manu)

वैदिक काल में मनु नामक राजर्षि हुए जिनकी कृति 'मनुस्मृति' को स्मृतियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन भारतीय साम्यता के ऐतिहासिक विकास में मनु की 'मनुस्मृति' और याज्ञवल्क्य की 'याज्ञवल्क्य स्मृति' का योगदान रहा है। मनु और याज्ञवल्क्य द्वारा मानव धर्म पर लिखे गए इन दो नीति-ग्रन्थों ने हिन्दुओं की सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ये स्मृतियाँ प्राचीन वैदिक परम्परा के सुविख्यात ग्रन्थों और ऋषियों द्वारा लिखी गईं तथा वे सम्पूर्ण धर्म-संहिताएँ हैं, जिनमें आर्य जाति के सभी वर्गों और समूहों के लिए धार्मिक नियम दिए गए हैं।

मनु के राजनीतिक विचार

राज्य सम्बन्धी विचार

मनु ने मनुस्मृति के सातवें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानी गई है। उसमें सामाजिक अनुबन्ध-सिद्धान्त का अग्रगण्य होना है। यह उल्लेख है कि वैदिक काल में जब विश्व में कोई राजा नहीं था, बलवानों के शक्त से लोग इधर-उधर भागते-फिरते थे। उनकी रक्षा के लिए ईश्वर ने इन्द्र, याग्य, सूर्य, अग्नि, यरुण, चन्द्रमा, कुबेर आदि देवताओं के सारभूत अंशों से राजा का निर्माण किया तथा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति हुई। यद्यपि यह राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धान्त (Divine Origin of State) है, तथापि सामाजिक सविदा की भावना इसमें अन्तर्निहित है। मनु और याज्ञवल्क्य ने राज्य के सावयव स्वरूप की कल्पना की है। दोनों ने राज्य को राजर्षी माना है। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं—(1) स्वामी (राजा), (2) मन्त्री, (3) पुर (अर्थात् किसे, पाकोटे आदि में सुरक्षित राजधानी), (4) राष्ट्र, (5) कोष, (6) दण्ड एवं (7) मित्र। मनुस्मृति में राजतन्त्र का उल्लेख है, अतः प्रतीत होता है कि उस काल में राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली ही प्रमुखतया विद्यमान थी। मनु के अनुसार राजा के कार्यक्षेत्र में सभी वर्गों से स्वधर्म और सामान्य कानूनों का अनुपालन करना, राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य को बाह्य विघ्नण से मुक्त रखना, मनुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए आवश्यक कानून बनाना, विभिन्न समूहों तथा परिवारों एवं आर्थिक समूहों के बीच उठने वाले विवादों का निर्णय करना, वैश्वको को व्यापार-वृद्धि-प्रशुभपालन आदि के लिए विवश करना, युद्धों को बाह्यण सेवा के लिए बाध्य करना, वर्ग-संघर्ष को रोकना, शिरा का प्रसार करना, राजकीय व्यय के लिए विविध कर संग्रह, आपराधियों को दण्ड देना आदि सम्मिलित हैं।

राजा सम्बन्धी विचार

मनु ने अनेक देवताओं के सारभूत नियम अंश को लेकर राजा की सृष्टि करने का जो उल्लेख किया है उससे राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त में विश्वास प्रकट होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा में दैवी अंश की कल्पना की गई है। मनुस्मृति में यहाँ तक लिख दिया गया है कि विभिन्न देवता राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और राजा स्वयं एक महान् देवता बन जाता है। मनु के अनुसार राजा बाह्यणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे। राजा जितेन्द्रिय बने,

शासन सन्ध्या विचार

मनु ने शासन सन्ध्या सिद्धान्तों, मन्त्रियों राजा और मन्त्रियों के सम्बन्धों, राजा द्वारा मन्त्रियों से पारामर्श अथवा मन्त्रणा की प्रक्रिया और महत्त्व, राज्यकर्मचारियों आदि पर पर्याप्त प्रकारा जाता है। मनु का अभिमत है कि शासन का सर्वोपरि सत्य प्रजा की हर प्रकार से हित-साधना है। मनु ने कहा है कि शासन धर्म, अर्थ और काम के पालन में स्थापना करे, राजा (शासन) अमल भूमि और वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे, प्राप्त भूमि और वस्तुओं को रक्षा करे, रक्षित भूमि और वस्तुओं का संवर्धन करे और जो वृद्धि हो उसका सुधारों में दान करे ताकि प्रजा में संतोष और लोकप्रियता का विस्तार हो। राज्य के रक्षण, शत्रुओं का वध, दुष्टों का दमन, प्रजा का हितवर्धन, राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का समुचित नियन्त्रण और निरीक्षण, प्रशासन का उन्मूलन आदि ये मूल सिद्धान्त और सत्य जिन्होंने पूर्ति की दिशा में शासन को चलाना चाहिए। मनु ने राजा को राजकर्म में पारामर्श देने के लिए मन्त्रियों की व्यवस्था की है। 'मन्त्रि-परिषद' शब्द का उल्लेख मनुस्मृति में नहीं आया है। मनुस्मृति में 'सचिव, और पाण्डवत्व्य स्मृति में 'मन्त्री' शब्द आये हैं। मनुस्मृति में 'सचिवान्' अर्थात् सचिव शब्द के बहुवचन का प्रयोग हुआ है जिससे मन्त्रि-परिषद अथवा मन्त्रिमण्डल का अर्थ लिया जा सकता है। मनु के अनुसार अकेले आदमी के लिए सरल काम भी सुविध्य हो जाता है, अतः शासन के जटिल कार्यों के निर्वहन में पारामर्श और सहायता के लिए राजा को मन्त्री नियुक्त करने चाहिए। मनु और पाण्डवत्व्य ने मन्त्रणा के महत्व को समझा है और दृढ़ अवस्था दी है कि राजा को शासन-कार्य में मन्त्रियों से एकमत में अलग-अलग अथवा आवश्यकतानुसार समुक्त मन्त्रणा करने चाहिए। मन्त्री इतने ही नियुक्त करने चाहिए जिनसे कार्य चल सके। मन्त्रियों को उनकी आवश्यकतानुसार धर्म सौचना चाहिए। मन्त्रणा में गोपनीयता के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाता चाहिए।

राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्बन्ध में भी मनु ने नीति-सुराल व्यवस्था दी है। यह निर्देश है कि प्रशासनिक नीति और कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कर्मचारी और अधिकारी वर्ग ईमानदार, अनुभवी, बुद्धिमान और कर्तव्य-परायण होने चाहिए, प्रष्ट अधिकारियों के प्रति राजा को कठोर व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मन्त्रवृत्त गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रदेशिक प्रशासन सन्ध्या विचार

मनु ने भूमिगत आधार पर राज्य को पुर (अथवा दुर्ग) और राष्ट्र में विभाजित किया है। पुर या दुर्ग से आराय राजधानी से है जो चारों ओर से सुरक्षित सुविधाओं से शत्रु और हर प्रकार से स्वस्थ भू-भाग में बनाई जानी चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए राष्ट्र को छोटी-बड़ी मन्त्रियों और क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्रामों के अलग-अलग संगठनों की व्यवस्था है। ग्राम को सबसे छोटी इकाई माना गया है जिसके अधिकारी को ग्रामिक कहा गया है। मनु के अनुसार ग्रामिक का मुख्य कार्य ग्राम में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व को एकत्रित कर 10 ग्राम के अधिकारी के पास भेजना है। सभी संगठनों के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। 10 ग्रामों के संगठन के अधिकारी को दस ग्रामपति और 20, 100 तथा 1,000 ग्रामों के अधिकारियों को क्रमशः विराटी, राती (राताध्यक्ष) और सहस्रपति कहा गया है। इन सभी अधिकारियों के कार्य और दायित्व अपने अधीनस्थ और उच्चधिकारियों के प्रति उसी प्रकार माने गए हैं जैसे ग्रामिक के 10 ग्रामपति के प्रति। सभी अधिकारियों के वेतनों का उल्लेख है। राष्ट्र में ग्रामों के अलावा नगरों का उल्लेख भी आया है, जो काफी कम थे। नगर के अधिकारी को 'स्वार्थ चिन्तक' नाम दिया गया है जिसका स्पष्ट आशय यही है कि वह अधीनस्थ प्रजा के हितों की चिन्ता करना सर्वोपरि कर्तव्य माने।

परिषद अथवा विधायिका

मनुस्मृति में 'परिषद' शब्द आया है जिसका आशय विद्वान् व्यक्तियों की विधायिका से है। यह उल्लेख है कि परिषद में तीन से दस सदस्य होने चाहिए। कम से कम तीन व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग वेद का प्रकाण्ड पण्डित हो। यदि परिषद में समुचित विद्वान् 10 व्यक्ति मिलें तो वेदों के शास्त्र 3 व्यक्तियों को पर्याप्त माना गया है, अन्यथा एक व्यक्ति ही उचित समझा गया है बरातें कि वह राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करने की क्षमता रखता हो। मनुस्मृति में कुन्द, जाति, श्रेणी और जनपद नामक जनता की सभा संस्थाओं का भी उल्लेख है और राजा का यह कर्तव्य बतलाया गया है कि वह उन सभाओं द्वारा अपने लिए बनाए गए नियमों को स्वीकृति प्रदान करे। मनु ने राजा के न्यायपूर्ण आचरण पर बल दिया है। दण्ड को न्याय का स्थापक माना है। लोग दण्ड के कारण स्थिर रहते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह देश, काल, अपराध की गुरुता आदि पर विचार करके अपराधियों को उचित दण्ड दे। दण्ड शक्ति के बल पर राजा राज्य कर सकता है। प्रजा का रक्षक दण्ड ही है। समुचित दण्ड व्यवस्था के

मनु का मूल्यांकन एवं देन

यद्यपि मनु ने अपने समय में प्रचलित राजनीतिक विचारों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया है, तथापि उनका मन्त्र प्रमुखतः 'धर्मशास्त्र' है। मान्य-धर्म पर लिखी गई उनकी स्मृति में हिन्दुओं की सामाजिक एवं धार्मिक पद्धतियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।

कौटिल्य
(Kautilya)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का स्पष्ट वैज्ञानिक एवं विन्दु मन्त्र है जिसके आधार पर तत्कालीन राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त होता है। इस मन्त्र ने भारत के राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अनेक मुद्दों को दूर कर दिया है। सानेटोरे (B. A. Saletore) ने चार कारणों से इस मन्त्र को महत्वपूर्ण माना है।¹ प्रथम, इस मन्त्र में शा विषय से सम्बन्धित सभी मन्तव्यों का गार दिया हुआ है। रचनाकार व्यावहारिक उद्देश्य को लेकर चलता है। दूसरे, यह मन्त्र यथार्थवादी है तथा उन समस्याओं पर विचार करता है जिन्का सामान्य मनुष्य को इसी लोक में करना होता है। तीसरे, अर्थशास्त्र ने राजनीति को धर्म से मुक्त करने देखा है तथा चौथे, इसके रचयिता ने भारत को एक सुदृढ़ और केन्द्रीकृत शासन दिया, जिसके सम्बन्ध में पहले के विचारक अनिश्चित थे। चन्द्रगुप्त का गुप्त विष्णुगुप्त है। उन्होंने मन्दराज के राजा मन्त्र का उन्मूलन कर चन्द्रगुप्त को भाग सम्राट बनाया था। अन्तर्राष्ट्र (मुद्राराक्षस) के आधार पर कौटिल्य या चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधानमन्त्री था।² कौटिल्य या चाणक्य ने उन्मीतिशास्त्र के प्रसिद्ध मन्त्र 'अर्थशास्त्र' की रचना की।

अर्थशास्त्र का काल

चन्द्रगुप्त मौर्य का समय 325 ई. पूर्व है, अतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचनाकाल तीसरी शताी ई. पू. निर्धारित किया गया है। 200 ई. पू. तक अथवा सुमराल की समाधि पर्वण 'अर्थशास्त्र' (कौटिल्य कृत) समाहित हो चुका था, अतः कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' एक भ्रमाणिक रचना है। कौटिल्य ने अपने इस मन्त्र में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि "मनुष्य जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं, वे दोनों अर्थ हैं, अतः यह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के साथ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है।"³ इस व्यापक अर्थ में अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है।

अर्थशास्त्र की सामान्य प्रकृति—अर्थशास्त्र शाक और वृहस्पति की चिन्ता से आरम्भ होता है। इसमें उस समय की वर्तमान समाज राजनीतिक विचारों की समालोचना की गई है। यह उन राज्यों के लिए एक निर्देशक है जो भूमि को जीवना चाहते हैं। कौटिल्य के मतानुसार अर्थशास्त्र के प्रकाल में एक व्यक्ति न केवल औरित्य मितव्ययता एवं सौहार्दपूर्ण कार्य को सम्पन्न कर सकता है, किन्तु वह अनुचित अहितव्ययता पूर्ण और असुन्दर कार्यों को छोड़ भी सकता है। उन्होंने इस मन्त्र की रचना तत्कालीन धर्मशास्त्रों और शास्त्रों के विज्ञान के आधार पर की है। इसके द्वारा उन्होंने मन्दराज और मन्दराज के अग्नि भूमि का उद्धार अपने क्रोध से किया है, ठसी विष्णुगुप्त ने इस अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है जिनमें 15 अध्याय एवं 6000 श्लोक हैं। 'अर्थशास्त्र' संस्कृत भाषा तथा गण एवं पर दोनो विधाओं में लिखा गया है। राजनीति की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यह एक विचित्र रूप है और विशिष्ट विज्ञान के सभी माध्यमों तथा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके प्रथम अधिकरण का नाम 'विनयाधिकरण' है, जिसमें 20 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम 'विद्या समुद्देश्य' है जिसमें राजा के लिए आवश्यक सभी विद्याओं का संक्षेप में वर्णन है। इसके अन्य अध्यायों में युद्ध, संयोग, इन्द्रियों की विजय, अमात्यों का वर्णन, मन्त्री और पुणेहितों का विवेचन, अमात्यों के मन की बात को सुनकर पता लगाने, गुप्तचरों के प्रकार एवं उनके कार्य, मन्त्रण, दूतों का विवेचन, राजपुरुषों की रक्षा आदि हैं। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों के क्रमशः नाम हैं—(1) विनयाधिकरण, (2) अन्यस प्रचार, (3) धर्मसौय्य, (4) कण्टशोषण, (5) योगवृत्त, (6) मण्डलयोगिन्, (7) बाहुगुण्य, (8) व्यवसायिकारक, (9) अधिपारत्वर्म्, (10) सौधामिक, (11) सघवृत्त, (12) अवलियम्, (13) दुर्बलम्बोपाय, (14) औपनिषदक एवं (15) अधिकरण।

अर्थशास्त्र में एक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए कुछ क्रमिक सोपानों को ध्यान में लिया गया है। तथ्यों का वर्णन स्थान, प्रक्रिया एवं प्रभाव आदि के सन्दर्भ में है। स्थान-स्थान पर पूर्व वर्णित लोगों को सन्दर्भित किया गया है तथा

¹ Saletore, B. A. : Ancient Indian Political Thought & Institutions, p. 54
² डॉ. निरंजनसिंह, प्राचीन भारत का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 199
³ कौटिल्य : अर्थशास्त्र, 1-13.7

वैकल्पिक नीतियों एवं कार्यों को बताया गया है। तत्कालीन जटिल राजनीतिक वातावरण को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने अपने निजी शब्दों का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र को उस समय स्थित राजनीति के प्रयोग पर ही आधारित नहीं रखा, वरन् अपने उस व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान पर अश्रित रखा जो उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करने पर प्राप्त किया था।

सामाजिक व्यवस्था—अर्थशास्त्र का प्रारम्भ समाजों के उदरेश्य की परीक्षा से होता है वकि मानवीय अस्तित्व की योजना में त्रयी, अन्वीक्षिकी वार्ता और दण्ड का सही स्थान निर्धारित किया जा सके। ये सभी मानवीय ज्ञान के प्रकार हैं। इनके द्वारा जीवन के सब धर्म एवं महान् कार्यों को आसानी से पूरा किया जाता है। प्रश्न में स्वाभाविक एवं कृत्रिम शास्त्रों, धर्म और अधर्म, नप और अनप तथा उचित और अनुचित के बीच अन्तर बतलाया गया है। यह प्रश्न मोक्ष व्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था का आधार मानकर चलता है। इसमें सभी के सामान्य उदरेश्यों का वर्णन किया गया है। सत्यवादिता, शुद्धता, सहिष्णुता, क्षमशीलता तथा किसी को नुकसान न पहुँचाना आदि व्यवहार व्यक्ति को स्वर्ग से जाते हैं। एक सुशिक्षित स्वामी अनुशासित रूप से कार्य करते हुए तथा श्रेष्ठ सकार की सहायता प्राप्त करते हुए समस्त पृथ्वी का निर्वाह रूप से उपयोग करता है। प्रश्न में पार्षदों, पुरोहितों, मन्त्रियों आदि की योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं और गुणवर्तों द्वारा मन्त्रियों के चरित्र एवं आचरण की परीक्षा करने आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त राजा और सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य बतलाए गए हैं। राज्य के विभिन्न विभागों का वर्णन है जो अलग-अलग अभ्यस्त के अधीन रहकर अपने सेबीवर्ग प्रक्रिया तथा प्रशासन का नियमन करते हैं।

कानून, न्याय एवं दण्ड व्यवस्था—अर्थशास्त्र के कुछ अध्यायों में नागरिक कानून की व्यवस्था की गई है। इसमें समझौतों एवं सचिदाओं की कानूनी प्रक्रिया का वर्णन और वैधानिक जगहों की सुव्यवस्था के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उसके बाद फौजदारी कानून अर्थात् कष्टक शोषण का वर्णन किया गया है तथा ऐसे अनेक प्रयास वर्णित किए गए हैं जिनके द्वारा कारागृहों, व्यापारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य जनता की रक्षा का ज सके। इसके कुछ अध्याय शान्ति और युद्ध नीति, बाढ़ छठरे की प्रकृति, आक्रमणकारियों एवं शक्तिशाली राज्यों के कार्य, युद्ध और रणनीति तथा राज्यों को समाप्त करने के गुण तथाओं एवं साम्राज्य को बढ़ाने के साधनों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दण्ड नीति को सभी पुरुषों का स्रोत माना गया है। जीवन और सम्पत्ति की रक्षा तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन केवल एक मुख्यवस्तुत्व एवं सुखशासित समाज में हो सकता है। दण्डपर सत्कार में धर्म, अर्थ काम और मोक्ष को धारण करने वाला होता है। जब तक वह इनकी रक्षा करता है, वह उन्निरीक्षित होते हुए जीवन को आनन्ददायक बनाने में मदद करता है, किन्तु जब दण्डपर कमजोर होता है और सन्नभुता की रक्षा नहीं कर पाता तो भौतिक एवं आदिभौतिक अस्तित्व के ये साधन जीवन को नष्ट कर देते हैं। राज्य शक्ति के अभाव में मानवीय आत्मा दुःखित हो जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती। वर्णाश्रम धर्म तथा अर्थ और काम सम्पूर्ण सत्कृति और सत्यता के आधार हैं इसलिए इनकी स्थापना हेतु अर्थशास्त्र ने राज्यशक्ति का समर्थन किया है। प्रश्न ने उन विभिन्न आपतियों का वर्णन किया है जो साम्राज्य को एकिकृत करने में आन्तरिक और बाह्य रूप से आ सकती हैं। आन्तरिक कोष वह होता था जो मन्त्री, पुरोहित, सेनपति और युवराज द्वारा उत्पन्न किया जाता था। अनेक सक्त सपों, श्रेणियों एवं नियमों द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। स्वामी के आत्मदोष अनेक बार सक्तों के कारण बन जाते हैं, अतः उसे अपनी भावनाओं, ब्रोध, कामरता आदि के प्रति आन्तरिक सजगता रखने को कहा गया है। राजा को असुवि जीवन की विशेषताएँ अपने व्यवहार में से पूर्ण रूप से समाप्त करने का निर्देश है। कौटिल्य के कथनानुसार, "जिम व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियन्त्रण नहीं है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा चाहे वह सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी ही क्यों न हो।"

सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार—जहाँ तक सरकार के रूपों का सम्बन्ध है अर्थशास्त्र इतना अधिक विस्तृत नहीं है। उसका मुख्य उदरेश्य स्थायी केन्द्रीयकृत एवं कार्यकुशल सरकार प्रस्त करना था जो जनता को शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक बन सके। इसमें उन गणगण्यों का विशेष किया गया है जो शक्तिशाली सरकार रखने में असमर्थ होते हैं। ये कमजोर गणराज्य विघ्नकारी प्रकृतियों एवं बाह्य आक्रमणों को आमंत्रित करते हैं। एकता और सगठन प्रत्येक राज्य का एक मुख्य आधार माना गया है। इसके अभाव में वह राज्य किसी भी सेना के द्वारा जीता जा सकता है। गणराज्य यदि शक्तिशाली है तो अर्थशास्त्र उसका आदर करने को तैयार है।

मन्त्री—मन्त्रियों की व्यवस्था एवं देखरेख पर अर्थशास्त्र ने पर्याप्त जोर दिया है। राजा की सत्ता के लिए सर्वाधिक गम्भीर खतरा और सभ्यता के विनाश का स्रोत मन्त्रियों की महत्वाकांक्षा होती है। यही कारण है कि मन्त्रियों के आचरण के लिए उच्च मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इस पद के लिए उच्च योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। मन्त्रियों के द्वारा राज्य के सारे कार्य सम्पदित किए जाते हैं। उनके हाथ में प्रमुख शक्तियाँ निहित रहती हैं इसलिए अर्थशास्त्र ने स्वामी को इनके विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए सजग रहने को कहा है। यदि राजा को यह अन्देरा हो कि आन्तरिक और बाह्य

समुद्रों से उदासी हार निश्चित है उसे राज्य छोड़ देना चाहिए अपनी जीवन रक्षा के बाद वह पवित्र में कभी भी रुकित पना का संकेत। आन्तरिक संकट बाह्य संकट की अपेक्षा अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि इनकी गति सोंप को तरह होगी है उन् राजा को इन्हें विकसित होने से रोकने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। पारस्परिक धृणा, पक्षपात विरोध आदि राज्यों को नष्ट करते हैं। मंत्रि परिषद में मंत्रियों की सख्या तथा सामर्थ्य एव यथावश्यकता होनी चाहिए। कौटिल्य ने राज्य के मुख विभाग निर्धारित किए हैं जिनके प्रभारी मंत्री होने चाहिए। मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों से ही राजा को परामर्श करने से गौरवमयता बनी रहती है। कौटिल्य ने राजा को अकेले ही निर्णय लेना निर्मिद किया है।

राजा—अर्थात् राजा ने राजा की कुलीनता पर पर्याप्त जोर दिया है क्योंकि सड़कों का मुकाबला करने वाली जनता प्रत्येक कुलीन राजा के प्रति स्वयंनिर्भर प्रकृत करती है। इस दृष्टि से कमजोर किन्तु कुलीन राजा को एक निम्न कुल वाले किन्तु शक्तिशाली राजा से ब्राह्मण माना गया है। राजा चाहे शक्तिहीन हो, किन्तु वह राज्य का प्रतीक एव सभी धार्मिक अनुष्ठानों का आधार है।

कौटिल्य ने एक अदार्ता राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि "वह ऊँचे कुल का हो, उसमें देवा बुद्धि और शक्ति हो, वह बृद्धजनों को सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्य पालन करने वाला हो, परस्पर विरोधी बात न करे, क्रुद्ध हो, उग्रम सक्षय बहुत ठीक हो, उसमें अत्यधिक उत्साह हो, वह अपने सामन्तों को वश में करने को सामर्थ्य रखता हो, उसकी बुद्धि हो, उसकी परिषद छोटी न हो और वह नियन्त्रण का पालनकर्ता हो।" राजा के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कौटिल्य का मत है कि "प्रजा के मुख में राजा का मुख है प्रजा के द्वि में राजा का द्वि है। राजा के लिए प्रजा के मुख से भिन्न अपना मुख नहीं है प्रजा के मुख में ही उसका मुख है।"

वस्तव में अर्थात् राजा को एक सैद्धांतिक प्रत्येक कहने की अपेक्षा यह राजनीति की व्यावहारिक पुस्तिका माना जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। कौटिल्य ने बड़े साम्राज्य की रचना का स्वयं देखा था जो चारुवात महीम शब्द द्वारा वर्णित किया गया। इसकी संभार विमानय या सेकर समुद्रों तक थी। अर्थात् राजा ने सार्वभौम सघट और आधिपत्य के स्थान पर देश तथा चक्रवर्ती शाही का प्रयोग किया है। स्वयंसेवक साम्राज्य को अपने जीवनकाल में प्राप्त करने के लिए जिन राजनीतिक नियमों एवं सिद्धान्तों की रचना कौटिल्य को आवश्यक प्रतीत हुई उसे उन्होंने अर्थात् राजा में संग्रहित किया। सार्व साम्राज्य कौटिल्य के सभाना का एक साकार रूप था। इसके अधिकांश सिद्धान्तों को प्रशासन द्वारा अपनाया गया और अर्थात् राजा के लिए पाठ्य-पुस्तक बन गई। इसके द्वारा राजनीति पर नियत धर्म के प्रभाव को दूर किया गया। इसने अनेक एम तत्वों को सम्मुख रखा जो शास्त्रिकताएँ थीं किन्तु मानव ज्ञान का विषय नहीं बन पाई थीं। अर्थात् राजा में धर्म राज्य को स्थापना के लिए आवश्यक साधनों, उपायों एवं प्रक्रियाओं की विस्तार के साथ उल्लेख करने की चेष्टा की। यह कहा जा सकता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य का निर्माण कौटिल्य के अर्थात् राजा के आधार पर किया, उसके प्रशासनिक धर्म की योजना अर्थात् राजा के पृष्ठों पर अंकित थी। कुण्डराय के शब्दों से कहा जा सकता है कि "अर्थात् राजा की खोज ने प्राचीन भारत स सम्बन्धित ज्ञान को समृद्ध बनाने में पर्याप्त योगदान किया है।"

कौटिल्य के राजनीतिक विचार

कौटिल्य का अर्थात् राजा मूल रूप से राजनीतिक प्रत्येक है। इसकी विषय वस्तु मनुष्यों से युक्त भूमि की प्राप्ति और उस भूमि के उचित रूप से पालन करने का उपाय तथा साधन है। इसमें राज्य शास्त्र (Political Science) और अर्थशास्त्र (Economics) दोनों विषय आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र का अंश इसका क्षेत्र में आ जाता है। राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप

कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक समझौते के सिद्धान्त (Social Contract Theory) को स्वीकार किया है। कौटिल्य ने हीमन द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था के लक्षणों को मान्यता दी है। वे उस काल में मनुष्य के जीवन को अस्थिर, आश्रित, यातनायुक्त एवं पशुवत् मानते हैं। इस युग का व्यक्ति स्वार्थ साधन के लिए दूसरे के बिनाश में लगा हुआ था। प्राकृतिक अवस्था से तग होकर उसने राज्य का निर्माण किया तथा राजा का स्थापन करा दिया कि यदि वह प्रजा के योग-क्षेम की व्यवस्था के अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाएगा तो उसे लागू धन और जन की सहायता देना बन्द कर देगे और वह उनका राजा नहीं रहेगा। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का अर्थ अर्थ है। इस सिद्धान्त में लोक धित पर जनता का अधिकार माना है। उनके अनुसार राजा द्वारा बिना प्रजा की पूर्व अनुमति के उस पर कर नहीं लगाए जा सकते थे। वह धन एकत्रित करने और उसे खर्च करने का अधिकार नहीं रख सकता था।

1 कौटिल्य अर्थशास्त्र, 6 1

2 कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1 4

3 M. V. Krishna Rao Op Cit p 13

बर्तमान धर्म के धर्मियों की अन्वेषण नहीं कर सकता। राजा की जो दिनचर्या बर्तमान है उसके अनुसार राजा को ऐसा आचरण करने का अवसर मिला गया है जिसे अन्य कर्मचारी अपना आदर्श बना सकें। राजा को अपने रात-दिन के आठ घण्टे करने का कहा गया है कि दिन के आठ घण्टों में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं—प्रथम भाग में दुर्लभ विभाग और राज्य की आवश्यक्य का निरीक्षण, दूसरे में पुरा तथा जनपद के निवासियों के मुकदमों की सुनवाई तीसरे में स्नात, भोजन और स्वाध्याय, चौथे में वर विभाग का निरीक्षण तथा विभिन्न विभागध्यक्षों की नियुक्ति, पाँचवें में मन्त्रिपरिषद के साथ मन्त्रण और गुणवर्तियों से गुणवत्ता प्रदान करने में इच्छानुसार विचार एवं विचार, सातवें में हाथी, घोड़े एवं हस्तों की देखभाल और आठवें में सेनान्तिक के साथ परामर्श सम्बन्धी चर्चा होती है। दिन की शेष रात को भी 8 घण्टों में बँटा गया है। इसके प्रथम भाग में राजा गुणवर्तियों का निरीक्षण करे, द्वितीय में स्नात, भोजन और स्वाध्याय करे तीसरे में संघ ध्वनि के साथ रनियात में प्रवेश करे, चौथे एवं पाँचवें भाग में शयन करे, छठे भाग में गाथा बजाना करे, सातवें में संघ ध्वनि के साथ रनियात में प्रवेश करे, चौथे एवं पाँचवें भाग में शयन करे, छठे भाग में गाथा बजाना करे तीसरे में संघ ध्वनि के साथ रनियात में प्रवेश करे। आठवें भाग में आन्तरिक एवं पुरोहितों का आशीर्वाद ग्रहण करे तथा घेत ज्योतिषी एवं तन्त्रियों से शरीर के व्याख्य पर विचार-विमर्श करे। प्रातःकाल बठड़े बानी गाय तथा बैल की परिभ्रमा करके दरवार में प्रवेश करे। इस प्रकार कौटिल्य राजा के दिन-रात के कार्यक्रम में 24 घण्टों को 16 चक्रों (प्रत्येक घण्टी 1½ घण्टे की है) में विभक्त करता है और रात की चर्चा का पृथक् उल्लेख करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विवेचन की अन्वेषण एक व्यावहारिक पन्थ अधिक है, इसमें राजा की शुरुआत तथा उसके राज भवन के प्रबन्ध के साधन में विस्तार से विवरण प्राप्त होता है।

उत्तराधिकार का प्रश्न

कौटिल्य के मतानुसार सामान्यतः राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राज्यद का अधिकारी माना चाहिए, किन्तु केवल ज्येष्ठता राज्यद की योग्यता नहीं मानी गई है, अन्य राज्योपज गुणों एवं योग्यताओं का होना आवश्यक है। कौटिल्य ने राजकुमारों को बुद्धिमान् आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। बुद्धिमान् राजकुमार उसे कहा गया है कि जो भित्तों से चर्च और अर्थ की शिक्षा को विधिवत् ग्रहण करते और उसको आचरण में उतार ले। जो राजकुमार धर्म और अर्थ को समझने के परचाउ उसके अनुभार कार्य नहीं करे उसे आहार्य बुद्धि कहा है और जो प्रतिदिन विपत्ति होने के उपर्य सोचे और धर्म तथा अर्थ के विरुद्ध आचरण करे उसे दुर्बुद्धि कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार दुर्बुद्धि को कभी भी राज्यद नहीं देना चाहिए। कौटिल्य ने उत्तराधिकार की सीमाओं का विस्तार राज्यद की स्थिति तक किया है। उनका मत है कि राजा की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार, राजकुमार का पुत्र, राजकुमार के पुत्र आदि के अभाव में राजकुमार अथवा राजमहिषी को राज्यद पर अधिकार करना चाहिए। उत्तराधिकार के प्रश्न पर कौटिल्य ने रक्त की शुद्धता पर बहुत जोर दिया है।

मन्त्रिपरिषद

राज्य की कार्यपालिका में राजा के अतिरिक्त उसके सलाहकार, अनेक मन्त्री, अनाथ एवं अन्य उच्चाधिकारी होते हैं। ये सभी केन्द्रीय कार्यपालिका के अंग हैं। कौटिल्य का विचार था कि कोई कार्य प्रारम्भ करने के पहले उसके सम्बन्ध में मन्त्र-निर्णय कर लेना चाहिए। मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में कौटिल्य का विचार है कि "राजा को तीन अथवा चार मन्त्रियों से मन्त्रण करनी चाहिए। उसे समय परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार मन्त्रियों को रचना चाहिए।"

कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद की कार्य प्रणाली का उल्लेख किया है। उसके अनुसार मन्त्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होता है। उसे राज्य के 18 तैयों में से एक माना गया है। मन्त्रिपरिषद की अध्यक्षता राजा द्वारा नहीं की जाती चाहिए। उसकी बैठकें अध्यक्ष की देख-रेख में होनी चाहिए। उस युग में राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार मन्त्रिपरिषद की बैठकें बुलाता था। ये बैठकें सामान्यतः स्वतंत्र रूप से हुआ करती थीं। मन्त्रिपरिषद के अध्यक्ष का पद पर्याप्त महत्वपूर्ण था। मन्त्रिपरिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इस सम्बन्ध में कौटिल्य का कहना है कि अत्यन्त आवश्यक कार्य उपरिष्ठ होने पर राजा को मन्त्रिपरिषद की बैठक बुलानी चाहिए। मन्त्रिपरिषद की इस बैठक में जिस विषय की पुष्टि बहुमत द्वारा होती हो, उसी निर्णय को कार्यान्वित करने वाले उपर्यो को अपनाता चाहिए। कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद की साथ और निर्णय को गुप्त रखने पर पर्याप्त जोर दिया है। मन्त्रियों का वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित करना उचित माना गया है, पर वेतन निर्धारित करते समय यह भी जरूरी माना गया है कि वेतन की मात्रा इतनी हो जो मन्त्रियों के उपयुक्त भरण-पोषण के लिए पर्याप्त हो। यह वेतन इतना कम नहीं होना चाहिए कि मन्त्री को अपने आश्रित परिवार के भरण-पोषण के लिए दूसरे अनुचित साधनों का आश्रय लेना पड़े। वेतन कम होने पर कार्यकर्ता कुपित हो जाते हैं, फलस्वरूप राज्य का विनाश होता है।

स्थानीय प्रशासन

कौटिल्य ने स्थानीय प्रशासन के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उस समय राज्य के दो भाग किए जाते थे—दुर्ग और जनता। कौटिल्य ने दुर्ग को पुर अथवा नगर का पर्यायवाची माना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग को चार भागों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक भाग के लिए एक स्थानिक नाम का कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए। स्थानिक के अधीन गोप नामक कर्मचारी रखे गए हैं। उस युग में इन कर्मचारियों को उन सगठनों के ऊपर नियुक्त किया जाता था जो 10, 20, 40 कुटुम्बों के सदस्यों से सगठित किए जाते थे। इन गणों का यह काम था कि वे अपने अधीन कुटुम्बों के सदस्यों की जनगणना करें, उनकी आय-व्यय का ब्यौटा रखें तथा उससे अपने स्थानिक को परिचित करावें। स्थानिक इस सूचना को नागरिक तक पहुँचाता था। नागरिक नगर के अध्यक्ष को कहते थे। उसका मुख्य कर्तव्य अपने नगर में शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे अनेक कार्य सम्पन्न करने होते थे, जैसे रात्रि में राहगीरों के ठहरने के नियम बनाना और रात्रि के समय नगर में आगमन सम्बन्धी नियम बनाना और उन्हें त्रिपरिचित करना आदि। स्थानीय प्रशासन का दूसरा अंग जनपद था। कौटिल्य के अनुसार जनपद के मध्य और अन्त में दुर्ग होने चाहिए जो आपसित बल में अपने जनपद के निवासियों और बाहर से आने वाले व्यक्तियों के भोजन की दृष्टि से पर्याप्त सम्पन्न हो। जनपद की रक्षा के लिए कौटिल्य ने विभिन्न बस्तियों बनाने की योजना प्रस्तुत की है। उनके कथनानुसार शासन कार्य एवं राजकोष के सचय की दृष्टि से दस गाँवों के बीच सत्रहवा, दो सौ गाँवों के बीच छत्रवटक, चार सौ गाँवों के बीच प्रोगमुख और आठ सौ गाँवों के बीच स्थानीय नाम की बस्तियाँ बनानी चाहिए। कौटिल्य का कहना था कि जनपद में एक अथवा दो कोस के अन्तर पर ग्राम की स्थापना करनी चाहिए ताकि वे एक-दूसरे की रक्षा करने में समर्थ हों। इन गाँवों में अधिकतर सछत्रा रिण्डियों एवं किसानों की होनी चाहिए। एक गाँव में कम से कम सौ और अधिक से अधिक पाँच सौ घर होने चाहिए। ग्राम के शासन का सञ्चालन गाँव के वृद्धों एवं प्रथमिक के द्वारा किया जाना चाहिए।

न्यायिक व्यवस्था

कौटिल्य ने स्वधर्म पालन को मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। इस कर्तव्य को पूरा करने की व्यक्ति इस लोक वा सुख और परलोक का आनन्द प्राप्त कर सकता है। स्वधर्म पालन का कर्तव्य ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरा करने के लिए इच्छुक नहीं होगा, जब तक ऐसा करने के लिए उसे पुरस्कृत या दण्डित न किया जावे। ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाना अत्यन्त आवश्यक है। कौटिल्य का मत है कि उचित न्याय विवरण करने के लिए सरकार द्वारा न्याय की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण केंद्रों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा की जा सके। न्याय कार्य को कौटिल्य ने दो क्षेत्रों में विभक्त किया है—व्यवहार (दीवानी) और कष्टक शोधन (फौजदारी)। प्रथम क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिकों के पारस्परिक सम्पर्क को लिया जाना चाहिए। नागरिकों के मध्य होने वाले कलह के मूल कारणों को खोज कर न्यायालय को उनकी विवेचना करना और निर्णय के आधार पर दोषों की उचित दण्ड देना चाहिए। निर्दोषों को उसके अधिग्राह दिग्गने की चेष्टा की जानी चाहिए। दूसरे क्षेत्र में मनुष्य जीवन के उस अंश को लिया गया है जिसमें व्यक्ति का राज्य के कर्मचारियों, व्यापारियों एवं व्यावसायियों तथा कुछ विशेष क्रेडिट के कुछ व्यक्तियों से सम्बन्ध रहता है। इन विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा सामान्य लोगों का शोषण किया जाता है। उन्हें इस शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना किया जाना जरूरी है। ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में ब्रह्मशः दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों का क्षेत्र है। मनु ने व्यवहार के क्षेत्र को निर्धारित करके उसके विषयों को सूचीबद्ध किया है, किन्तु कौटिल्य ऐसा न करके उनका अलग वर्गन करते हैं। इस क्षेत्र में जो विभिन्न विषय आते हैं, वे—स्त्री, पुरुष की धर्म व्यवस्था, परस्त्री हरण एवं परस्त्री का परपुरुष से सम्बन्ध, दाय भाग, अश्र विभाग, पुत्र विभाग, वधु विवाद, ऋण लेखन न देना अथवा बिना दिए माँगना, स्वामी रहित वस्तु का विक्रय, साझे का व्यापार, दान, वेतन, प्रतिज्ञा का भंग करना, दास कार्य ब्रह्मविक्रय विवाद, पशु स्वामी तथा पशु विवाद, सीमा विवाद, डाक-चोरों, भावपंड, कठोर वचनों का प्रयोग आदि। इन विभिन्न विवादों को सुनाने के लिए कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया है। न्यायालय छोटे और बड़े विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। इन न्यायालयों की स्थापना विभिन्न बस्तियों में की जानी चाहिए तथा इनमें विवादों को सुनने और उन पर निर्णय देने के लिए तीन न्यायाधीश और तीन अनाथ होने चाहिए। स्थानीय महत्व के विवादों को सुनाने के लिए स्थानीय न्यायालयों की स्थापना करना बताया। न्याय कार्य का सम्पादन ग्राम के वृद्धों एवं ग्राम सामन्तों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि किसी विषय पर वे एक मत न हो सके तो गाँव के धार्मिक लोगों से अनुमति लेकर निर्णय लेना चाहिए। न्याय के क्षेत्र में मध्यस्थता के मिश्रण को पर्याप्त महत्व दिया गया है। विवाद में सम्बन्धित दोनों पक्ष किसी व्यक्ति को मध्यस्थ बनाकर उससे विवादप्रस्त विषय का निर्णय कर सकते हैं। मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को अनिवार्य

समझा जाता चाहिए। कौटिल्य ने न्यायालयों की कार्य प्रणाली का विस्तार के साथ वर्गी किया है। उनके मतानुसार अर्थ प्रस्थापों एवं साधुओं को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस स्वतन्त्रता के हानि करने वाले प्रत्येक न्यायाधीश एवं कर्मचारी को दण्ड का भोग्य माना गया। कौटिल्य के अनुसार, "भट्टा जो बितनी पुरानी हो जाए उसके प्रमाणित हो जाने पर दोषी को अवश्य दण्ड दिया जाए और अपकारी को छोड़ना नहीं चाहिए।" कौटिल्य पूर्व निर्धारित विचारों पर निर्णय लेने का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति साक्ष्य द्वारा सच्चा प्रमाणित हो जाए उसे ही सच्चा माना जा चाहिए। व्यवहार क्षेत्र में कौटिल्य ने साक्षी का पर्याप्त महत्त्व बताया है। वे साक्ष्य को लिखित प्रमाण, भोग प्रमाण और साक्षी प्रमाण इन तीनों भागों में विभाजित करते हैं। प्रमाणों की सत्यता को परखने के लिए उन्होंने भिन्न-भिन्न तरीके बताए हैं। महत्त्वपूर्ण अभियोगों में चर्चे द्वारा प्राप्त सूचनाएँ भी उपयोगी थीं। अपराधों का दूसरा क्षेत्र कौटिल्य द्वारा कण्टक शोधन कहा गया है। इसके अन्तर्गत उन उपायों का वर्णन है जिन्होंने राज्य के व्यवसायों एवं दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा हो सके। कौटिल्य का मत है कि यदि राज्य के विभिन्न व्यवसायियों पर निवन्त्रण न लगा गया तो वे प्रजा का हाश्वण्य एवं पीड़न करने लगेंगे। कम लेना, बिक्री के माल में गिरावट कराना, असली के नाम पर घटिया देना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना आदि क्रियाओं से व्यापारी वर्ग भोली भानी प्रजा को टण्डन करता है इसलिए उन पर निवन्त्रण रचना अनिवार्य है। कौटिल्य ने व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है और बताया है कि जो इन नियमों का उन्मूलन करेगा वह राज्य के दण्ड का भोग्यदार होगा। व्यावसायियों की भौतिक राज्य के कर्मचारियों पर बड़ा निवन्त्रण रखने की बात कही गई है ताकि वे स्वार्थता होकर अपने कर्तव्य पालन के मार्ग से हट न जाएँ। इस मार्ग की देखरेख के लिए चरों को व्यवस्था की गई है। कौटिल्य के अनुसार दुष्ट कर्मचारियों को उनके दोष के अनुसार दण्ड देकर उनके आचरण की निरन्तर शुद्धि करना चाहिए ताकि राज्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रजा का कल्याण कर सकें। दुष्ट जनों से राज्य की सुरक्षा एवं शान्ति भंग होने की आशंका रहती है। चोर, डाकू, व्यभिचारी, बंधक, धानक आदि होने पर लोगों का जीवन निर्भयता एवं सुख के साथ व्यतीत नहीं हो सकता। राज्य को इन दुष्ट जनों से प्रजा की रक्षा के लिए पुनिता एवं चर्चा आदि की नियुक्ति करनी चाहिए। अपराधी कर्मचारियों को दण्ड देने को व्यवस्था की गई है। शत्रुओं अपना बरभ्रात्यों से बहुमूल्य भान सुतने वाले कर्मचारियों को मृत्यु दण्ड देने और कम कीमत वाली वस्तुएँ सुराने पर केवल जुमाना करने का उन्मेष है।

दण्ड व्यवस्था

अपराधों को दण्ड देते समय किन तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि दण्ड को निर्धारित करते समय अपराध की मात्रा, अपराधी की सामर्थ्य, अपराधी का वर्ग, अपराधी में सुधार की सम्भावनाओं आदि बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दण्डों को तीन भागों में विभक्त किया है—अर्द्धदण्ड, शारीरिक दण्ड और अचारागर (कात्याय) दण्ड। अर्ध दण्ड के अन्तर्गत हम ठर दण्डों को समझ सकते हैं जो जुमाने के रूप में अपराधियों को देने पड़ते थे। ये पण के आठवें भाग से लेकर सहस्रों पण तक निर्धारित किए जा सकते थे। अर्धशास्त्र के अध्यायन से पण लगता है कि आर्थिक दण्ड का प्रयोग दीवानी अभियोगों तथा कम महत्त्व के फौजदारी अभियोगों में किया जाता था। जो मनुष्य जाल बिछाकर, धँसाकार या अन्य किसी प्रकार से शरारत राजकीय मृग, पशु, पक्षी, मछली आदि पकड़े उससे उनकी भीमता वस्तुतः की जाती चाहिए तथा उन पर उठा ही जुमाना किया जाना चाहिए। शिल्पियों की छोटी मोटी वस्तुओं की घोर पर एक सौ पण का और छेती के सामान सुतने वाले पर दो सौ पण का जुर्माना करने को कहा गया है। कौटिल्य शारीरिक दण्ड को कायदण्ड का नाम देते हैं। अपराध के अनुसार यह दण्ड छोटा-बड़ा होता है। दण्डों में बैत माल, बोटे लगाए, रस्सी से मारना, उन्हें लटकाना, हाथियों से कुचलना कर प्राण लेना, हाथ पैर आदि अंगों को कटवाना, शरीर एवं शरीर पर जलते हुए अण्डे रखकर प्राण लेना, जल में डुबाना शरीर को खाल निकलवाना तथा वष कर देना प्रमुख थे। तीसरे प्रकार का दण्ड अचारागर दण्ड और बन्दीगृह के अधिकारी को अचारागराध्यक्ष कहा गया है। उस समय बन्दीगृहों में स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाती थी। इसमें अनेक कोठारियाँ होती थी तथा इनकी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाता था। बन्दीगृह में रहने वाले अपराधियों को सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। उनकी समता के अनुसार उनसे काम लिया जाता था। समय-समय पर उनके आचरण तथा व्यवहार की जाँच की जाती थी और उसके आधार पर उनसे सलूक किया जाता था। बन्दीयों पर कठोर अनुशासन रखा जाता था। कौटिल्य ने दण्ड सिद्धान्त में विशेष परिस्थितियों को पर्याप्त महत्त्व दिया है। उदा. मृग में दण्ड के भय से आतंक पैदा करने की चेष्टा की जाती थी, अपराधी को अपमानित एवं सज्जित किया जाता था। बन्दीयों के आचरण को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए जाते थे।

आर्थिक व्यवस्था

अर्थशास्त्र में राजनीति के साथ उन विषयों का भी अध्ययन किया गया है जो धन से सम्बन्ध रखते हैं।

राज्य कोष—कौटिल्य ने राज्य के लिए कोष को अत्यन्त उपयोगी माना है। व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत कार्य धन के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता जो राज्य सम्पन्न जैसा महान् कार्य इसके बिना कैसे सम्पन्न किया जा सकता है? राज्य कोष के आधार पर ही सेना का संगठन करता है और अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। कोष वृद्धि के लिए राज्य को क्या उपाय अपनाने चाहिए, इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने राज्य के कोष-संचय के लिए कई मार्ग बताए हैं। इन मार्गों को अन्ध-शरीर और अन्ध-मुख नाम की दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य ने इन दोनों श्रेणियों में आने वाले आय के सधनों की व्याख्या की है। कौटिल्य ने आपत्काल में कोष संचय के लिए कुछ विशेष सिद्धान्तों की रचना की है। सकटकाल में राज्य के कार्य को चलाने के लिए विशेष स्रोतों से आय प्राप्त की जाना का व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए राज्य क जिन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है और जहाँ अन्न का उत्पादन पर्याप्त होता है उनसे राजा अन्न का एक-तिहाई या एक चौथाई भाग माँग सकता है। दूसरे, उत्पन्न अनाज में से बीज तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए छोड़ कर अधिक अनाज को खरीदा जा सकता है। तीसरे, समहर्ता किसानों को सजाकर गमों में फसल बना सकता है चौथे व्यापारियों से धन माँगा जा सकता है। पाँचवें, पशु रखने वालों से उनके पशुओं की आधी आय राज्य को देने के लिए कहा जा सकता है। छठे, धन एकत्रित करने के लिए गुप्तचरों की सहायता ली जा सकती है। सातवें धार्मिक सन्स्थाओं के आध्यक्ष धन संग्रह में राज्य की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार सकटकाल में राज्यकोष के लिए धन एकत्र किया जाता है।

कोष संचय के अतिरिक्त कौटिल्य ने उन कारणों का भी उल्लेख किया है जिनसे कोष को समृद्ध बनाने में सहायता प्राप्त होता था। प्रथम राज्य के निवासियों को सब तरह से सम्पन्न और समृद्ध होना चाहिए। दूसरे, निवासियों का आचरण तथा व्यवहार भ्रष्टाचार रहित हो। तीसरे, राज्य की आय का कर्मचारियों या किसी के द्वारा अपहरण न किया जाए। चौथे, राज्य के कर्मचारियों की संख्या केवल उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। पाँचवें, राज्य का उद्योग तथा व्यापार उन्नत होना चाहिए। छठे, राज्य में अन्न का उत्पादन अधिक होना चाहिए। कौटिल्य ने उन विभिन्न मार्गों का उल्लेख किया है जिनमें होकर राज्य को सचिव निधि का व्यय होता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस धन को गलत कार्य में नहीं लगाना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि देव पूजा, सिद्ध पूजन, दान, अन्तर्पुर, राजकोष रसोई, दूध, कोष्टागार, शस्त्रागार, पशु गृह, उद्योग-धंधों में कार्य करने वाले, बेगार, पैदल अश्वरोही, हस्तारोही, और रथरोही सन, गौ मण्डल, पशु, मृग, पक्षी तथा सर्प आदि जन्तुओं का संग्रह, कान्ठ, तृण, बगीचों की रक्षा आदि के कार्यों में राजकोष का व्यय होना चाहिए। इन विभिन्न विषयों में धन की कितनी मात्रा लगाई जाए, वह भी कौटिल्य ने निश्चित किया है। सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में कौटिल्य ने जो लिखा है कि वह अत्यन्त स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं विस्तृत है।

कौटिल्य ने कोष को वृद्धि के कारणों की भाँति कोष के क्षय के कारणों का भी उल्लेख किया है। उनके मतानुसार आठ कारणों से कोष का क्षय हो सकता है। ये हैं—प्रतिबन्ध, प्रयोग, व्यवहार, अवस्तर, परिहान, उपभोग परिवर्तन और अपहार। जब लाभदायक कार्यों में धन को नहीं लगाया जाता अथवा लाभकारी कार्यों में लगाने पर धन का प्रत अप को राजकोष में जमा नहीं कराया जाता तो यह प्रतिबन्ध कहलाता है। कोष क्षय के दूसरे तथा तीसरे कारण क अनुसार राजकोष के धन को सार्वजनिक कार्यों में लगाने की अपेक्षा निजी लाभ के कार्यों में तथा निजी व्यवहार में लगाया जाता है। ऐसा करने से राजकोष घटता जाता है। अवस्तर के अनुसार राज्य के धन को समय पर एकत्रित नहीं जाता था। जब भुगतान का समय नहीं होता है तब उसको उगाही की जाती है। राज्य के कर्मचारी सार्वजनिक समर्पित का उपभोग स्वयं करते हैं अथवा दूसरों से कराते हैं। जब राजकोष के द्रव्यों की द्रव्यों में बदल दिया जाता है तो उसकी क्षति का सातवीं कारण परिवर्तन पैदा हो जाता है। अपहार के अन्तर्गत प्राप्त धन को जमा नहीं किया जाता और व्यय किए बिना यह लिख दिया जाता है कि व्यय कर दिया गया। इन समस्त कारणों से सार्वजनिक धन का अन्वयण होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय (वैदेशिक) सम्बन्ध

मण्डन सिद्धान्त—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कौटिल्य ने राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करने के लिए मण्डन सिद्धान्त का अन्वय लिया है। उन्होंने राज्यों का अरि राज्य, मित्र राज्य, उदासीन राज्य तथा मध्यम राज्य के रूप में विभाजन किया है। इनमें से प्रत्येक राज्य का एक मण्डल होता है और उसमें ये चारों प्रकार के राज्य सम्मिलित रहते हैं। इन राज्यों को अनाग-अन्नाग प्रकृतियाँ होती हैं और वे मिलकर वृहद् मण्डल की रचना करती हैं। मण्डल सिद्धान्त के अनुसार मण्डल का केन्द्रीय राजा 'विजिगिषु' राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को शत्रु समझते हैं आ' उन्हें जटकर अपना राज्य तोषा में मिल्नने की इच्छा रखता है। मण्डल सिद्धान्त के आधार पर कौटिल्य ने किसी राज्य के मित्र एवं शत्रु राज्य होने की व्याख्या की है।

बाह्यगुण नीति—अन्तर्देशीय सम्बन्धों का संचालन ठपठपों एवं बाह्यगुण के आधार पर किया जाता है। ये उपाय पार होते हैं—साम् दाम् दण्ड और वेद। इनके अतिरिक्त छ गुण या लक्षण होते हैं—सन्धि विभक्त यान् आसन सश्रय तथा दैधी भाव। कौटिल्य ने इन उपायों तथा गुणों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इन्हीं प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए इनके प्रयोग के अवसरों की व्यवस्था की है। इन छ लक्षणों में सन्धि का आराध समझौता विग्रह का अर्थ युद्ध यान् का तात्पर्य शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना आसन का अर्थ तटस्थता संश्रय से अधिप्राय बलवान् का आश्रय लेना है और दैधी भाव से तात्पर्य सन्धि और युद्ध का एक साथ प्रयोग करना है। इन छ गुणों से समन्वित नीति परिचित विरोध के अनुकूल अपनाई जानी चाहिए।

सेना एवं युद्ध

कौटिल्य ने सैनिक बल को राज्य की सम्पत्तियों में स्थान दिया है। उन्होंने सेना के छ प्रकारों का वर्णन किया है। ये हैं—मौल सेना जो राजधानी की रक्षा करती थी, भृत्य सेना जो सेतन भोगी सैनिकों से पूर्ण होती थी, श्रेणी सेना जो विभिन्न प्रदेशों में रखी जाती थी, मित्र बल अर्थात् मित्र राजा की सेना, शत्रु बल अर्थात् शत्रु राजा की सेना और अटवी बल अर्थात् जंगल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना। सेना के इन प्रकारों की उपयोगिता उतरेतर पटती जाती है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान मित्र बल को तथा अन्तिम स्थान अटवी बल को दिया जा सकता है। सेना में वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया। कौटिल्य का कड़ा है कि युद्ध विद्या में कुशल एवं विनयशील शारीर सेना सबसे अच्छी होती है। कौटिल्य ने घ्यूह तथा दुर्ग बना कर युद्ध करने के लिए कहा है। उनका मत है कि सेना की छाया से पौरव सौ धनुष की दूरी पर दुर्ग बनाया जाए अथवा भूमि की सुविधा के अनुसार घ्यूह बनाया जाए और युद्ध किया जाए। घ्यूह अनेक प्रकार के बनाए जा सकते थे। इनका वर्णन करने के लिए कौटिल्य ने यह बताया है कि अमुक घ्यूह के विरुद्ध अमुक घ्यूह की रचना विजय प्राप्ति के लिए फलदायक रहेगी। कौटिल्य ने युद्धों को प्रक्रियाओं के आधार पर चार भागों में विभाजित किया है—प्रकाश युद्ध धर्म युद्ध कूट युद्ध और तृष्णी युद्ध। इन चारों प्रकार के युद्धों का परिचिति के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य सेना के चार अंगों—पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ में हस्तिबल (हाथियों की सेना) को श्रेष्ठ मानते हैं। पैदल सैनिकों में वंशानुगत सैनिक (मौल), वैतनिक (भृत्य), श्रेणीगत तथा मित्र एवं कषायली सैनिकों को क्रमशः उच्चतर मानते हैं। सेना मुख्यतः शक्ति की ही होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार शत्रु पर विजय पाने हेतु तीन शक्तियाँ अपेक्षित हैं—(1) उत्साह शक्ति, (2) प्रभाव शक्ति एवं (3) मन्त्र शक्ति। मन्त्र शक्ति से तात्पर्य परामर्श सेना है। इनमें उत्साह शक्ति ही श्रेष्ठ होती है।

दूत एवं गुप्तचर

अन्तर्देशीय सम्बन्धों एवं राज्य की आन्तरिक शान्ति-व्यवस्था के लिए गुप्तचरों तथा दूतों का होना अत्यान् महत्वपूर्ण माना गया है। कौटिल्य ने दूतों को राजा का मुख कहा है क्योंकि इनके माध्यम से वह अपनी बात अन्य राजाओं से कह पाता है तथा उनकी बात को सुन पाता है। कौटिल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा अधिकारों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया है—निसुहार्थ, परिमितार्थ एवं शासनहर। इन तीनों प्रकार के दूतों के अधिकार तथा नियति के सम्बन्ध में कौटिल्य ने पर्याप्त लिखा है।

धर्म और नैतिकता

कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रकार से राजनीतिकों के लिए निर्देशक ग्रन्थ है जिसके अनुशीलन के बाद वे राज्य को स्थापना करने तथा उसे बनाए रखने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि ग्रन्थ द्वारा किसी आदर्श व्यवस्था का वर्णन किए जाने की अपेक्षा केवल व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार किया जाता। कौटिल्य के ग्रन्थ में हमें नैतिकता और धर्म की पूर्ण अवहेलना प्राप्त नहीं होती क्योंकि उनका अर्थशास्त्र शब्दों से पहले वेदों तथा स्मृतियों में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त इसमें राजा को पुरोहित की नियुक्ति करना अनिवार्य माना गया है। उसने ब्राह्मणों को स्मृतियों की भीति सामाजिक तथा कानूनी विशेषाधिकार सौंपे हैं। इस सबसे यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य राजनीति को धर्म और नीति से वंचित नहीं करना चाहते थे। कौटिल्य ने राजा के स्वयंभवाचारी बनने के मार्ग में अनेक प्रतिबन्ध लगाए हैं। उनका कहना है कि राजा को सदैव जन कल्याण के कार्य करने चाहिए और जो कर लगाया जाए वह न्यायोचित हो। राजा को अपने मंत्रियों पर कड़ा नियन्त्रण रखना चाहिए, वह सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करे तथा जिन लोगों ने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन किया है, उन्हें दण्ड दे। अर्थशास्त्र का राजा धर्म शास्त्रों एवं नीति शास्त्र के सुस्थापित सिद्धान्तों के अधीन कार्य करता है। इस रूप में वह अत्याचारी नहीं हो सकता। भारतीय जनता अत्याचारी शासन को सहन करने की अभ्यस्त नहीं थी। धर्म से बँधा हुआ होने के कारण राजा प्रायः समस्या पर अपने मंत्रियों एवं परामर्शदाताओं से राय लेता था।

कौटिल्य का मूल्यांकन एवं देन

डॉ. नाहर के अनुसार "कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत को शासन-पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का विशद विवेचन है। ई. पू. चौथी शताब्दी के इतिहास के लिए इस ग्रन्थ से अच्छी सहायता मिलती है।¹ डॉ. आर. एस. त्रिपाठी के अनुसार "कौटिल्य अथवा चाणक्य चन्द्रगुप्त का प्रमुख मन्त्री था। उसका अर्थशास्त्र राजनीति और शासन पर एक अपूर्व ग्रन्थ है। इसके सैद्धान्तिक रूप के बावजूद भी भारतीय साहित्य में इसका स्थान अद्वितीय और अद्वितीय है।² डॉ. पी. एल. भार्गव के अनुसार "मेगस्थनीज का भारत-वृत्तान्त उस 'मूल का बड़ा सर्वोच्च चित्र देता है जिसकी अनेक अंशों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूर्ति होती है।³ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तकों में कौटिल्य का प्रमुख स्थान है। सालेटीरों के अनुसार "प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है।⁴ रामास्वामी ने 'अर्थशास्त्र' के महत्व को इस प्रकार प्रकट किया है, "कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' कौटिल्य के पूर्व की रचनाओं में यत्र-तत्र बिखरी हुई राजनीतिक जातुर्ष एवं प्रशासन-कला के सिद्धान्तों का संग्रह है। कौटिल्य ने प्रशासन-कला के एक पृथक् एवं विशिष्ट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में उनकी नवीन रूप में व्याख्या की है।⁵ कृष्णगुप्त का भी ऐसा ही मत है, "अर्थशास्त्र का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसने भारतीय पारलौकिकता की ओर राजनीति के आकर्षण की प्रवृत्ति के दोष का निराकरण किया है।⁶ वर्तमान राजनीतिक मदर्श में भी कौटिल्य के राजनीतिक चिन्तन की प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। बन्दोपाध्याय के अनुसार, "महाकाव्यों और पुराणों के महापुरुषों के बाद भारतीयों का अन्य किसी नाम से इतना अधिक परिचय नहीं है जितना की चाणक्य के नाम से है। भारत में शासन-कला, कृत्नीति के विचारदियों एवं जिज्ञानियों को कौटिल्य की नीतियाँ बतलाई जाती हैं।"⁷

मानवेन्द्र नाथ राय

(Manvendra Nath Roy)

मानवेन्द्र नाथ राय जिनके बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य था, अत्यन्त उच्च कोटि के विद्वान् और विचारक तथा एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता थे। उन्होंने विपुल साहित्य लिखा और लगभग छह हजार पृष्ठों की एक विराट पुस्तक 'आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक परिणाम' (The Philosophical Consequences of Modern Science) लिखी।

जीवन परिचय (Life-Sketch)

एस. एन. राय (1886-1954) अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में बंगाल के ब्रान्तिकारी राष्ट्रवादी आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द घोष, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सावरकर आदि उग्रपथ के पक्षकों ने उन्हें प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति से दुःख होकर उन्होंने ब्रान्तिकारी दल से नाता जोड़ लिया। भारत में मराठ ब्रान्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के आकांक्षी यतीन्द्र मुखर्जी का बायाँ हाथ बनने का उन्हें मौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ब्रान्तिकारी के रूप में 1910 और 1915 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर जर्मनी ने भारत में अशांति उत्पन्न करने की चाल खेली ताकि ब्रिटिश सेनाओं का ध्यान बँट जाए। जर्मनी ने गुप्त रूप से भारत में ब्रान्तिकारी दल को धन और शस्त्र भेजने की व्यवस्था की। शस्त्रों की गुप्त सहायता प्राप्त करने के लिए राय 1915 में 'डच इंडियन' के लिए पलायन कर गए। उद्देश्य में असफल रहने पर वे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में घूमते रहे और 1917 में वे मैक्सिको जा पहुँचे। मैक्सिको में उन्होंने समाजवादी शक्तियों को संगठित करने में विशेष रुचि ली और उन्हीं के प्रभाव से मैक्सिको के समाजवादी आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय दिशा में मोड़ा। राय मैक्सिको में समाजवादी दल की नेशमल कन्फ्रेंस के प्रधान चयरमैन बन गए। माइकेल बोरोदिन ने उन्हें मार्क्सवाद की ओर प्रेरित किया। राय ने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की। 1919 में वे रूस गए और एक दशहन्दी तक साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय (Communist International) के घनिष्ठ सम्पर्क में रहे। अपनी बौद्धिक प्रतिभा से उन्होंने लेनिन को बड़ा प्रभावित किया। 'मार्क्स इन्स्टीट्यूट' के पूर्वान्वय विभाग (Oriental Department of the Moscow Institute) के प्रधान के रूप में राय ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रभावित करने की चेष्टा की और भारत में साम्यवादी दल की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। 1927 में उन्हें एक प्रतिनिधि मण्डल के नेता के रूप में चीनी साम्यवादी दल को परामर्श देने के लिए चीन भेजा गया। उन्होंने

- 1 डॉ. एच. एम. नाहर : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 8.
- 2 डॉ. आर. एस. त्रिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 115.
- 3 डॉ. पी. एल. भार्गव : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ. 173.
- 4 Salestere B. A. : Ancient Indian Thought & Institutions, p. 54
- 5 Ramaswami, T. N. : Essentials of Indian State Craft, p. 1.
- 6 Krishna Rao, M. V. : Studies in Kautilya, p. 172.
- 7 Bandhopadhyaya, N. C. : Kautilya, p. 1.

चीनी साम्यवादियों को सताह दी कि वे अपनी सामाजिक आधारभूमि को विस्तृत करने के लिए कृषि क्रान्ति को योजना (Plan of Agrarian Revolution) पर अमल करें।

राय एक मौलिक और स्वतंत्र विचारक थे। साम्यवादी जगत् पर रूस का एकाधिकार उन्हें रुचिकर नहीं था। 1928 में तृतीय साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व के रूसी एकाधिकार का उन्होंने विरोध किया। स्टालिन की उपवागपसीय विचारधारा उनकी आलोचना की शिकार बनी। फलस्वरूप 1928 में राय को कॉमिन्टर्न से निकाल दिया गया। राय नाम बदल कर भारत सौट आए, लेकिन कानपुर बंद्यन्व केस के सम्बन्ध में 1931 में उन्हें लगभग 6 वर्ष के लिए कारागार में दस दिया गया। 15 वर्ष के निर्वासन और 6 वर्ष के कारावास के बाद 1936 में मानवेन्द्र नाथ राय सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में वृत्त पड़े। उन्होंने गाँधीवाद के विरुद्ध अभियान तीव्र कर दिया; उन्होंने गाँधीवाद को एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन बताया जिसका 'सामाजिक समन्वय का सिद्धान्त' अल्पावधारिक था। राय कांग्रेस में रहे लेकिन गाँधीवादी नेतृत्व से कटई समुह न हो सके अतः शुभ्य होकर उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर ही League of Radical Congressmen बनाई। 1940 में राय ने अपने साधियों सहित कांग्रेस को सदा के लिए छोड़ दिया और अपनी अलग रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (Radical Democratic Party) की स्थापना की। उका साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत (Independent India) जिसकी नींव वे 1937 में ही डाल चुके थे, कांग्रेस को रीति-नीति पर कठोर प्रहार करता रहा। इस पत्र को आगे चलकर 1949 में 'रेडिकल ह्यूमनिस्ट (Radical Humanist)' नाम दिया गया। राय ने आरोग्य संग्रामा कि गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस धरखा कातने वालों का संघ बननी जा रही है। राय ने वैज्ञानिक राजनीति (Scientific Politics) की वकालत की। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि यह आन्दोलन उनकी दृष्टि में कांग्रेस के औद्योगिक और पूँजीवादी सारथकों द्वारा संगठित था। राय ने गाँधी को फासिस्ट और कांग्रेस को भारतीय पूँजीवाद द्वारा पोषित सत्ता बताया। 1946 में राय की विचारधारा में एक आधारभूत परिवर्तन आया। 1947 में उन्होंने अपने दल को भंग कर दिया और वे अपने 'नवीन दर्शन (New Philosophy)' को पूर्णता देने में लग गए जो 'मौलिक मानववाद (Radical Humanism)' के नाम से विख्यात है। 1954 में राय की मृत्यु हो गई।

राय और रोमांटिक क्रान्तिवाद (Roy and Romantic Revolutionism)

राय अपने चिन्तन के प्रथम काल (1901-1915) में एक रोमांटिक क्रान्तिकारी रहे। यकिमचन्द्र के आनन्द मठ के सामाजिक आदर्शवाद ने उन्हें अनुप्राणित किया। वे 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism)' से प्रभावित थे। राय पर आनन्द मठ और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा तथा अन्य आतंकवादियों के समान वे यह विश्वास करने लगे कि आतंकवादी दवायों से ब्रिटेन को भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उत्कट साहसी क्रान्तिकारी सारात्र के बल पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं जो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक सकें। हथियार एकत्र करने के लिए भूमिगत आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए और संगठन के कार्य के लिए आवश्यक घन राजनीतिक इकैती के साधनों से प्राप्ति किया जा सकता है। राय के अनुसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए क्रान्तिकारी हिंसात्मक साधनों को अपनाना हेय नहा है। यद्यपि तत्कालीन आतंकवादी राय के इन विचारों से प्रभावित हुए, तथापि यह क्रान्तिकारी या आतंकवादी आन्दोलन मुद्रिजीवियों को प्रभावित न कर सका, क्योंकि इस आन्दोलन में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का नितान्त अभाव था। यह मध्यमवर्गीय युवा वर्ग तक ही सीमित था, जन-साधारण का समर्थन इसे नहीं मिला।

राय और मार्क्सवाद (Roy and Marxism)

मार्क्सवादी के रूप में राय का द्वितीय जीवनकाल 1917 से 1946 तक रहा जिसमें प्रारम्भिक चरण में अर्थात् 1917 से 1930 तक उन पर रुडिवादी साम्यवाद का रण घड़ा रहा, अगले चरण में 1930 से 1939 के दौरान वे एक रेडिकल कांग्रेसी (Radical Congressmen) रहे और तीसरे चरण अर्थात् 1940 से 1946 के दौरान उनकी चिन्तन शैली एक मौलिक लोकतन्त्रवादी (Radical Democrat) की रही। राय का मार्क्सवादी स्वरूप एक-सा न रहा बल्कि समय के साथ उसमें परिवर्तन आते गए, उन्होंने लेनिन, स्टालिन आदि साम्यवादी महारथियों के विचारों और क्रिया-कलापों का अध्यानुकरण नहीं किया। फलस्वरूप रूसी साम्यवाद के साथ उनके मतभेद बढ़ते चले गए और 1928 में वे 'कॉमिन्टर्न' से निष्कासित कर दिए गए।

मार्क्सवाद की आलोचना

(1) मार्क्सवाद में दो परस्पर विरोधी और असंगत प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। एक प्रवृत्ति शोषण की निन्दा करती है तो दूसरी प्रवृत्ति इन्द्रात्यक शोषकवाद और वर्ग-संघर्ष पर बहुत अधिक बल देती है। राय को मार्क्स की प्रथम उदाहरण प्रवृत्ति ही रुचिकर थी जिसने मार्क्स को ससार में शोषित और पीड़ित वर्ग का प्रमुख हितैषी बना दिया

था। रूस के साम्यवादी यद्यपि शोषण की निन्दा करते थे, लेकिन उनका विशेष आग्रह मार्क्स का इन्द्रात्मक भौतिकवाद और वर्ग-सर्पण था। उपर्युक्त कथना था इस प्रवृत्ति में निम्न का अर्थ सर्वाधिकारवाद अथवा तानाशाही का विकास है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रेमी राय ने मार्क्सवादियों अथवा रूसी साम्यवादियों की सर्वाधिकार प्रवृत्ति को पसन्द नहीं किया। अपनी इन मान्यताओं के कारण ही राय रूसी साम्यवादी शासन का समर्थन नहीं कर सके और साम्यवादी आन्दोलन तथा मार्क्सवाद से अलग हो गए।

(2) राय मार्क्सवाद की वैज्ञानिक पद्धति के प्रशंसक थे। उसे कट्टरपथ का रूप देना उन्हें स्वीकार न था, अतः स्वाभाविक था कि लेनिन और उसके अनुयायियों से, जो मार्क्सवाद को एक कट्टरपथ बनाने के पथ में थे। राय का अभिमत था कि मार्क्सवाद को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए। मार्क्सवाद को समय के अनुकूल एक सर्वोच्च और गतिरहित दर्शन बनाना होगा जिसमें अपरपथक लक्ष्यमान बना रहे। मार्क्सवाद को यदि कट्टरता और सखीता के धेरे में बाँध दिया गया तो उसकी जीवन शक्ति का हानि हो जाएगा।

(3) राय ने मार्क्स के इन्द्रात्मक दर्शन का विरोध किया और इसे मानव-प्रवृत्ति के मार्ग में बाधक माना। राय ने मार्क्स के इस विश्वास से असहमति प्रकट की कि इतिहास उत्पन्न-साधनों के विकास से उत्पन्न घटनाओं की गृहणा है।

(4) राय के अनुसार, इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या भी दोषपूर्ण है क्योंकि वह सामाजिक प्रक्रिया में मानसिक क्रिया को बहुत कम स्थान देती है। मानवेंद्र नाथ राय ने मार्क्सवाद की नई व्याख्या करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि इतिहास में वैचारिक और भौतिक दो समानांतर प्रक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। चिन्तन एक शारीरिक प्रक्रिया है जो शरीर तथा परिवेश की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है किन्तु यह उत्पन्न हो जाने पर विचार अपने निजी विकास नियम का अनुसरण करते हैं। विचारों की गति तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को इन्द्रात्मक गति के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है, किन्तु राय का स्पष्ट मत है कि किसी भी विरिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भ में सामाजिक घटनाओं तथा विचार आन्दोलनों के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।

(5) राय ने मार्क्स के वर्ग-सर्पण के समाजशास्त्र (Sociology of Class-Struggle) में सन्देह प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि मानव इतिहास में विभिन्न सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा है और अपने-अपने लक्ष्यों की खोज में लगे रहते हैं लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि सामाजिक एकता और बन्धन के दृत्व विशेष प्रयत्न रहे हैं। इन शक्तिशाली तत्वों के कारण समाज मुख्य रूप से एक ठक टिका हुआ है।

(6) राय ने मार्क्स की इस धारणा को गलत बताया है कि "मध्यम वर्ग (Middle Class) का स्तोप हो जाएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत मध्यम वर्ग का विकास हुआ है और आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ रही है। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व इतिहास में मध्यम वर्ग का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व रहा है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।"

(7) मार्क्सवाद के विरुद्ध राय की एक गम्भीर अपत्ति यह रही है कि उसमें नैतिक नियमों के चमत्कार के निर कोई स्थान नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन व्यक्ति को अनेकित स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करता। यह दर्शन व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता देता है कि वह ऐतिहासिक आवश्यकता को समझ ले और स्वयं को उसके समक्ष प्रसन्नत-पूर्वक समर्पित कर दे। राय ने कहा, स्वतन्त्रता की यह धारणा तो गुलामी की धारणा है जिस पर चलने से समाज 'स्वेच्छानुगत गुलामी' का समूह बन जाएगा। समाज के विकास में नैतिक शक्ति की अवहेलना करना मार्क्सवाद का गम्भीर दोष है।

राय का मौलिक मानववाद (Roy's Radical Humanism)

'कॉमिन्टर्न' से निष्प्रसृत होने और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करने के बाद मानवेंद्र नाथ राय मार्क्सवाद से हटते गए। भारतीय राष्ट्रीय कमिंस में रहते हुए उन्होंने गौरीवंशी नेतृत्व की कट्टर आलोचना की। जब उन्होंने देखा कि कमिंस में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है तो उन्होंने कमिंस का परित्याग करके दिसम्बर, 1940 में अपनी पृथक् 'रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी' का गठन किया। 1945-1946 के निर्वाचनों में इस पार्टी को मजबूत प्रयत्न नहीं हो सके। राय को विश्वास था कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और दार्शनिक क्रांति नहीं आरम्भ होगी तब तक मौलिक लोकतन्त्र (Radical Democracy) के सिद्धान्तों को नहीं समझ सकते, अतः उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को पण करके अपनी सम्पूर्ण शक्ति भारतीय पुनर्जागरण के प्रसार में लगा दी जिसका उद्देश्य मौलिक मानववाद के विकास के निर मार्ग प्रशस्त करना था। अपने जीवन के अन्तिम सात वर्षों में अर्थात् 1947 से 1954 की अवधि में वे भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मौलिक मानववाद (Radical Humanism) के विज्ञान के रूप में विख्यात हुए। राय ने अपने मानववाद को मौलिक इतिहास कहा, क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनका मानववाद पूर्ववर्ती और साम्यवादी सभी विचारों को दूर प्रतिरक्षित मानववाद से भिन्न है। पहले के मानववादी व्यक्ति को किसी अति-प्रगतिशील और अति-प्राकृतिक सत्ता के अधीन करने की इच्छा की धारणा से नहीं बचा पाए थे और आधुनिक मानववादी अपने दर्शन में

मनुष्य को बौद्धित केन्द्रीय स्थान नहीं दे सके। राजा राममोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द घोष, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मा गाँधी आदि मानवता के उपासक थे, लेकिन राय का मानवतावाद धिन्ना था। राय ने स्वतन्त्रता के तीन आधार स्तम्भ बताए—मानववाद, व्यक्तिवाद और विवेकवाद। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है अतः वह स्वतन्त्रता को कमाना करता है। स्वतन्त्रता के मार्ग में कठिनाइयाँ और बाधाएँ आती हैं जिनके लिए औशिक रूप से प्रकृति और औशिक रूप से मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने वन्य धर्म और जादू ने मानव स्वतन्त्रता को सीमित किया है। धर्म ने अपना बुद्धिवादी चरित्र छोड़कर अपनी कठोरता और कट्टरता से मानव स्वतन्त्रता और मानव सम्पत्ता को आघात पहुँचाया है। परिवार, राज्य, कर्मनू, विवाद और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक सम्सार भी अपने रुढ़िवादी और गतिहीन रुढ़ के कारण मानव स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधाएँ पहुँचाती रही हैं।

राय ने अपने नव-मानववाद में व्यक्ति को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व-बन्धुत्व की दीक्षा दी। उन्होंने लोगों को 'प्रेम और विश्वास के राष्ट्रपद' का सदस्य बनाना चाँहिए जिसे भौगोलिक सीमाओं ने दूषित न किया हो। डॉ. वर्मा के अनुसार, "नवीन मानववाद का दृष्टिकोण विश्व राज्यवादी है। उसके समाज-दर्शन में राष्ट्रवाद अन्तिम अवस्था नहीं है। राष्ट्रवाद का आधार जातिगत विभेद है और जिस सीमा तक वह सामाजिक समस्याओं को उपेक्षा करता है वहाँ तक प्रतिक्रियावादी है, इसलिए राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व-बन्धुत्व की आवश्यकता है। अविन्द टैगोर तथा गाँधी की नीति राय भी मानव जाति के सहकारिता मूलक सपने में विश्वास करते हैं।— नवीन मानववाद स्वतन्त्र मनुष्य के समाज तथा विराटी के आदर्श को साकार करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध है।" राय ने विश्व-सप का उल्हास के साथ समर्पण किया। उनके अनुसार, "नवीन मानववाद विश्वराज्यवादी है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतन्त्र व्यक्तियों का विश्व-राज्य राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परिबद्ध नहीं होगा। वे राज्य पूँजीवादी, फार्मीवादी, समाजवादी, साम्यवादी अथवा अन्य प्रकार के क्यों न हों। राष्ट्रीय राज्य मानव के बीसवीं शताब्दी के पुनर्जीकरण के आघात से विलुप्त हो जाएँगे।" राय ने विश्व-राज्यवाद तथा अन्ताराष्ट्रीयतावाद के बीच भेद किया। उन्होंने आध्यात्मिक समाज अथवा विश्व-राज्यवादी मानववाद का समर्पण किया। अन्ताराष्ट्रीयतावाद में प्रयुक्त राष्ट्रीय राज्यों के अस्तित्व का विचार है जबकि राय का विश्वास था कि एक सच्ची विश्व सरकार की स्थापना राष्ट्रीय राज्यों का निराकरण करके ही की जा सकती है।

राय और मौलिक लोकतन्त्र (Roy and Radical Democracy)

राय पूँजीवादी लोकतन्त्र और साम्यवाद के विरुद्ध थे क्योंकि इन दोनों के द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हास होना है। राय के अनुसार वर्तमान सामाजिक ढाँचा ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपने जनसिद्ध अधिकार अर्थात् स्वतन्त्रता का समुचित उपयोग नहीं कर पाता। राज्य एक ऐसा संगठन है जिसने एक बाध्यकारक सत्ता का रूप ग्रहण कर लिया है। राज्य का निर्माण स्वतन्त्र और ज्ञानिपूर्ण जीवन के लिए मनुष्यों के सहकारी प्रयोग द्वारा हुआ है। यह शक्ति पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित है। राय ने 19वीं शताब्दी के उदारवादी लोकतन्त्र को एक ऐसा औपचारिक लोकतन्त्र माना है। जहाँ विश्व के बहुमूल्यक राजनेता और विद्वान राजनीतिक दलों को लोकतन्त्र की अनिवार्यता मानते हैं वहाँ राय ने सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को टुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यदि नैतिक उत्थान करना है तो वर्तमान दल-पद्धति को समाप्त करना होगा। विश्व के नैतिक पतन का एक मूल कारण वर्तमान दल-पद्धति है। राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियानों द्वारा जन-साधारण को धार्मिक राजनीतिक शिक्षा नहीं देते, अपितु राजनीतिक घालनाजियाँ और कुशिला सिखाते हैं। इन दलों से जन-साधारण में विवेक जाग्रत नहीं होता, बल्कि उनकी उर्ध्वछल भावनाएँ उमड़ती हैं। ये दल जनता को ठकसा कर इस प्रकार का धातारण पैदा करते हैं जिसमें राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक समस्याओं पर विवेकपूर्ण विचार सम्भव नहीं होता। राजनीतिक दलों का उद्देश्य शासन-सत्ता के लिए छान-झण्टी करना है, उन्हें जनता के आस्तविक हितों की ओर झुकाए नहीं होती। जिनेब्स न्यम्बरकण न्यरायण आदि सर्वोदयो विचारक राजनीति को समाज के रोगों का मूल कारण मानते हुए उसके स्थान पर लोक-नीति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे और सभी राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते थे तथा गाँवों की स्वशासो और आत्म-निर्भर इकाइयाँ बनाना चाहते थे। मुख्य अन्तर यही है कि वे स्थायत शासन ग्राम गणराज्यों के स्थान पर 'जन समितियों (Peoples Committees) को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। राय की मान्यता थी कि जन-समितियों अथवा स्थानीय व्यक्तियों की समितियों के विकास स दल-विहीन यथार्थ लोकतन्त्र अर्थात् सर्गात लोकतन्त्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। जन-समितियों के माध्यम से सर्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में जन-साधारण को अधिकधिक भाग मिल सकेगा। उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपने मौलिक से यह धारणा निकाल फँकनी चाहिए कि राजनीति का एकमात्र रूप 'सत्ता-प्रधान राजनीति' है।

राय और राष्ट्रवाद (Roy and Nationalism)

मानवेंद्र नाथ राय श्राप्थ में मार्क्सवादी रहे और बाद में मौलिकतावादी। ये विचारधारार राष्ट्रवाद से भेद नहीं खाती, अतः स्वाभाविक है कि राय ने राष्ट्रवाद को एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति बताया हुए प्रत्येक समाज और प्रत्येक देश

को इससे बचने का संदेश दिया। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिश सत्ता के साथ कांग्रेस के सहयोग की नीति से राय को बड़ा कष्ट पहुँचा। उनकी धारणा थी कि युधिष्ठिराचार्य प्रसंगीय अथवा अधिनायकत्व की स्थानना के लिए लड़नी है जबकि मित्र-राष्ट्र लोकतन्त्र की रक्षा के लिए युद्ध है, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मित्र-राष्ट्रों की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। राष्ट्रीय हित और गौरव की आड़ लेकर ब्रिटिश सरकार से सौदेबाजी न करके, प्रसंगीय कथ अन्त करने के लिए कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहायता देनी चाहिए। जब कांग्रेस ने इन्हीं कोई परवाह न की और गाँधी के नेतृत्व में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चलाया तो मानवेन्द्रनाथ को निराशा हुई। उन्होंने कांग्रेस को एक 'फ़ासिस्ट संगठन' (Fascist Organisation) तक कह दिया और ब्रिटिश सत्ता से अपील की कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' को निरमत्तापूर्वक कुचल दिया जाय। राय का यह व्यवहार निःसंदेह देशद्रोहपूर्ण, अराष्ट्रीय और घोर निन्दनीय था। वे इस बात को भूल गए कि ब्रिटिश सत्ता अनेक दशाब्दियों से भारतीयों को स्वरासन देने अथवा उत्तरदायी शासन की म्पना करने के बारे में कैसे झूठे आश्वासन देती आ रही थी और अंग्रेजों ने देश के स्वाधीनता आन्दोलन को दबाने के लिए लोगों पर कितने अत्याचार किए थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की डिमाण्ड करके और राष्ट्रवादियों को कुचलने की अपील करके राय ने अपने उच्चतम पक्ष पर सर्वे के लिए कनक रूपी धब्बा लगा लिया।

राय का मूल्यांकन एवं देन

मानवेन्द्र नाथ राय आधुनिक भारत में दर्शन और राजनीति के विद्वान् थे, पर दुर्भाग्य यह है कि उनकी प्रतिभा अक्सर अज्ञान की धूल में छिपी रहती है। राय ने भारतीयता को न केवल एक धर्म और आध्यात्मिक दर्शन का दुष्प्रदूषक माना, बल्कि उन्होंने राष्ट्रवाद को पुनः और सङ्गठन-आदर्श बताया तथा यहाँ तक कह दिया कि 'राष्ट्रवाद की परतय भारतीय स्वतन्त्रता की शक्ति है।' वास्तव में राय के दृष्टिकोण और चिन्तन-दिशा का निर्माण अहंकारपूर्ण साम्यवादी बुद्धिवाद में भरा हुआ था। वे मूल्य-विहीन बुद्धिवादी थे, अतः भारतीय राष्ट्रवाद की दबी हुई भावनाओं को परंपरानुसार वे आसन्न रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस को फ़ार्मीवादी संगठन बनाना और ब्रिटिश हुकूमत से 'भारत छोड़ो आन्दोलन' को कुचल देने की अपील करना राय का एक ऐसा दुष्कर्ष था जो उनके अज्ञानपूर्ण रूप को प्रकट करता है। राय ने यह मानकर भूल की कि भारतीयता एक ऐसी सभ्यता है, जो अनेक अज्ञानपूर्ण रूपों को प्रकट करती है। राय ने यह मानकर भूल की कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, जो अनेक अज्ञानपूर्ण रूपों को प्रकट करती है। राय ने भारतीय सभ्यता को न समझ पाने की भूल की। अपने को आधुनिक मानने की सन्नद्धता में उन्होंने भारतीय सभ्यता और गाँधीवाद के विरुद्ध जहर उगलना और स्वयं को ऐसे बुद्धिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जिसे भारतीय समाज में समुचित स्थान मिलना कठिन है।

महात्मा गाँधी

(Mahatma Gandhi)

पूर्व और परिवर्तन के जिस समन्वय का अंतरिम स्वामी विवेकानन्द ने किया था उसे व्यापक अर्थ पर आगे बढ़ने का कार्य गाँधी, आर्यभट्ट, रवीन्द्र और नेहरू ने किया। इन्हीं अन्तर्गत एक ही कार्य प्राणी की, किन्तु इनके प्रयत्न पूर्व और परिवर्तन को निकट लाने, इसीलिए इनके युग को एक 'संश्लेषण या समन्वय का युग' (The Era of Synthesis) कहते हैं। इन सभी विचारियों ने समन्वय और सहिष्णुता पर बल देते हुए राष्ट्र-निर्माण के वैचारिक और व्यावहारिक प्रयत्न पर अपनी भूमिका निभायी। महात्मा गाँधी ने सर्वोदय का जो मंत्र प्रकृत अर्थ पर अन्तर्गत और विनोबा भवे ने आगे बढ़ाया। आचार्य विनोबा 'सर्वोदय के प्रतीक' बन गए। जहाँ-जहाँ नेहरू, अणुबहाग, नरसिंह, राममोहन लोहिया आदि ने भारत के लिए समाजवाद के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए तो मानवेन्द्र नाथ राय का नाम सर्वप्रथम रूप से 'मानवतावाद' के साथ जुड़ गया।

महात्मा गाँधी : जीवन-परिचय (Mahatma Gandhi : Life-Sketch)

मोहनदास करमचन्द गाँधी (1869-1948) का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को काटियावाड़ स्थित पोरेबन्दर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचन्द पोरेबन्दर राज्य के दीवान थे। उनकी माता पुतली बाई नेक और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। 1876 में गाँधीजी अपने माता-पिता के साथ राजकोट चले गए जहाँ उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई और 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। 1881 में उन्होंने हाईस्कूल किया और 16 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहान्त हो गया। 1884-85 में कुसागति में पढ़कर उन्होंने चेम्बे-छिन्ने मॉस-मिशन किया, लेकिन उनका सत्यवादी मन इस को छोड़ नहीं सका। उन्होंने अपने माता-पिता से खना-याचना कर अपने दोषों का परिचय किया, असत्य का त्याग कर सत्य का वाचन किया।

गाँधीजी 1887 में मैट्रिक पास करने के बाद कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 में इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर होकर भारत लौटे। राजकोट और मुम्बई में उन्होंने वकालत की, किन्तु उन्हें विस्मय का समाप्त करना पड़ा। गाँधीजी की असफलता का मुख्य कारण यह था कि वे चट्टकाली और बदलते की ऐतिहासिक नीति

दृष्टि से असह्य मानते थे। अन्त में दादा अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी नामक एक मुस्लिम व्यापारिक संस्था जो दक्षिण अफ्रीका में चौ. बानूनी कार्यवाही की देखरेख के लिए उन्हें नियुक्ति मिली और वे 1893 में डारबन पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका में गैटान के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका में गए थे केवल एक वर्ष के लिए ही, किन्तु रह गए बीस वर्ष। अफ्रीका में उन्होंने उस अत्याचार और अन्याय को देखा जो वहाँ की गरीबी सारकार प्रवासी भारतीयों पर रण और जातिभेद के नाम पर कर रही थी। 1893 से 1914 तक गाँधीजी ने वहाँ गरीबी सारकार के विरुद्ध अपना अहिंसात्मक युद्ध सझा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के समय तक गाँधीजी ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी के रूप में अधिक सक्रिय रहे। 1914 में भारत लौटने पर मुम्बई की जनता ने गाँधीजी को 'महात्मा' की उपाधि दी। 1915 में ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें 'केसरी हिन्दू' स्वर्ण पदक प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गाँधीजी भारत में ही रहे और उन्होंने देश की आजादी के लिए कठोर संघर्ष किया। 1915 में गाँधीजी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 'सत्याग्रह आश्रम' (जो बाद में साबरमती के नाम से प्रसिद्ध हुआ) की स्थापना की। भारत में महात्मा गाँधी ने जो गतिविधियाँ आरम्भ की वे ब्रिटिश सरकार को आशय के प्रतिभूत थीं। 1917 में उन्होंने भारतीय मजदूरों को बन्दूक बनकर श्रम करने हेतु देश के बाहर भेजने की नीति का विरोध किया। उसी वर्ष वे चील भागलों में फागू भ्राने धाने श्रमिकों को दशक की जीव बरने के लिए चम्पारन (बिहार) गए। चम्पारन के सत्याग्रह ने बीस साल से राजीक किसानों को प्रभावित किया। यह सत्याग्रह का व्यापक प्रयोग था जिसमें एक शताब्दी से चले आने वाले अन्याय पर अहिंसक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ। फरवरी, 1919 में गाँधीजी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की प्रविज्ञा 1। 6 अप्रैल, 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई तथा भारतव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया गया। पंजाब में उनके प्रवेश पर लागू गए प्रतिबन्ध को तोड़ने पर उन्हें दिसती पहुँचने से पूर्व गिराफ्तार कर लिया गया और मुम्बई से जाकर छोड़ दिया गया। देश के कई भागों में दंग-फोड़ और हिंसात्मक घटनाएँ होने पर गाँधीजी ने 18 अप्रैल को सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया। गाँधीजी ने 'नवजीवन' गुजराती मासिक और 'यंग इण्डिया' (Young India) अंग्रेजी सप्ताहिक का सम्पादन अपने हाथ में ले लिया। जनवरी, 1920 में गाँधीजी वायसराय के पास एक सिंहरण्डल लेकर गए जिसमें टर्की के सुल्तान (पुसलमानों के खलीफा) को इस्लाम के परिवर्तन पर अपने एकाधिकार से वंचित न करने सम्बन्धी दबाव ब्रिटिश सरकार पर डालने की माँग की गई। 1 अगस्त को गाँधीजी ने वायसराय के नाम पर सिखकर केसरी हिन्दू पदक, जुलु-मुद्ध पदक तथा बोअर-मुद्ध पदक धारण लौटा दिये। सितम्बर में सन्ना राजपराय को अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कसकता विशेष अधिवेशन में गाँधीजी ने पंजाब की घटनाओं तथा खिलाफत के समर्थन में असहयोग कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली। नवम्बर में उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। नागपुर में हुए कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में गाँधीजी ने सभी वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा भारतीयों द्वारा स्वराज्य प्राप्ति को कथित या सत्य निरधारित किया। 1920 से मृत्यु-पर्यन्त गाँधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन के सख्त मार्गदर्शक चिन्तक सभी कुछ रहे। उन्होंने 1921, 1930 और 1942 के महान् असहयोग आन्दोलनों में भारतीयों को सक्रिय किया। कई राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और अन्त में 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। हिन्दू मुस्लिम एकता तथा सहअस्तित्व के वे महान् समर्थक रहे। यह दुर्भाग्य था कि उनके अथक् प्रयासों के बावजूद स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व कुछ वर्षों में हिन्दू और मुसलमानों के बीच विषेद की छाई गहरी होती गई इमगण परिणाम निकला—भारत का विभाजन। 1947 में भारत खण्डित हो गया। महात्मा गाँधी को इससे गहरा चक्का लगा। इसी स्थिति में 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक हिन्दू ने उन्हें बन्दूक की गोतियों से घायल कर दिया और होठों पर ईश्वर का नाम लिए वे शहीद हो गए।

गाँधीजी को मृत्यु उठके जीवन की तरह अवसर नहीं गई। उनकी मौत से वे विचार और सिद्धान्त और अधिक सजीव हो उठे जिनके लिए वे जीवनभर लड़े। मृत्यु के बाद महात्मा गाँधी अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो उठे और यही कारण है कि सत्सरा में करोड़ों व्यक्ति आज उनके विचारों और सिद्धान्तों से प्रभावित हैं।

गाँधी का आध्यात्मिक आदर्शवाद (Gandhi's Spiritual Idealism)

महात्मा गाँधी के आध्यात्मिक आदर्शवाद में ईश्वर सत्य, नैतिकता, साधन की श्रेष्ठता, अहिंसा आदि का विशिष्ट स्थान है और उपयुक्त होगा कि हम इयें से प्रत्येक का पृथक् विवेचन करें, पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि गाँधीजी के आध्यात्मिक दर्शन में ये विभिन्न पहलु कोई विच्छेदी हुई कड़ियाँ नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से गुंथे हुए थे।

1. ईश्वर की अवधारणा (The Concept of God)

गाँधीजी के जीवन और जितन में ईश्वर के प्रति अदृष्ट विश्वास था। वस्तुतः उनके लिए ईश्वर और सत्य अथवा सत्य और ईश्वर में कोई भेद न था। उनका कहना था कि सत्य ईश्वर है, सत्य का विशेष ईश्वर का विशेष है। गाँधीजी का विश्वास था कि ईश्वर में आस्था जीवन को निखारती है और हृदय में ज्ञान तथा प्रकाश का सागर

उंहेलतो है। ईश्वर-भक्ति जीवन को पवित्र, उदार और सहिष्णु बनाती है। हम ईश्वर को बुद्धि से नहीं माप सकते, तर्क को कसौटी पर नहीं कस सकते, विज्ञान के नियमों से नहीं समझ सकते, वरन् श्रद्धा के बल पर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। श्रद्धा ही वह प्रकारा किरण फैलती है जिसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार सम्भव हो। यदि हम अपने इन्द्रिय में ईश्वर की उपस्थिति के सत्य की जाँच करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने अन्दर जीवन्त श्रद्धा का विकास करना चाहिए। गाँधीजी ने कहा कि ईश्वर एक सर्वव्यापक सत्य है। ईश्वर शुभ-अशुभ का मालिक है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह भुगु है। ईश्वर ने बुराई पैदा की है, पर वह स्वयं उससे अछूता है। बुराई से मुक्त करना ईश्वर-ज्ञान प्राप्त करने का एक सबल मार्ग है। गाँधीजी ने ईश्वर को मानवता से पृथक् नहीं माना। उन्होंने ईश्वर शब्द का अर्थ विस्तार से किया और उसे 'दरिद्रनारायण' कहकर पुकारा जिसका अर्थ है 'गरीबों का ईश्वर'। उन्होंने 'स्वर्ग के भगवान' को धरती पर उतार दिया, उसे अलौकिक से लौकिक बना दिया, दूसरे शब्दों में ईश्वर का सामाजिकरण और मानवीकरण कर दिया। गाँधीजी ने ईश्वर को महान् लोकतन्त्रवादी कहा, क्योंकि उसने हमें बुराई और अच्छाई के बीच अपना चुनाव खुद कर लेने की खुली छूट दे रखी है।

2. सत्य की अवधारणा (The Concept of Truth)

महात्मा गाँधी का सम्पूर्ण जीवन सत्यमय था। सत्य के सामने वह समझौता नहीं करते थे, सत्य और ईश्वर में वह भेद नहीं मानते थे। गाँधी दर्शन से सत्य को हटाने का प्रयत्न किया जाए तो यह एक असम्भव कार्य होगा। गाँधीजी का आग्रह था कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और कार्य सत्य के लिए होना चाहिए। सत्य के अभाव में हम किसी नियम का शुद्ध पालन नहीं कर सकते। वाणी, विचार और आचार का सत्य होना सत्य है। सत्य की अर्चना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। गाँधीजी सापेक्ष सत्य अर्थात् साधन स्वरूप सत्य में और शुद्ध सत्य में स्पष्ट भेद मानते थे। उनकी मान्यता थी कि सापेक्ष सत्य वह सत्य है जिसे हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में देखते हैं। वह सम्पूर्ण सत्य नहीं होता। जो एक प्रकार की परिस्थितियों में सत्य हो सकता है, सम्भव है वह भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सत्य न हो। शुद्ध सत्य अन्तिम सत्य है। वही है, वही था और वही रहेगा। सत्य के शुद्ध अर्थ में गाँधीजी सत्य और ईश्वर को एक ही मानते थे। वे ईश्वर को पूजा सत्य के रूप में करते थे। इस अर्थ में सत्य मानव जीवन का सत्य बन जाता है। गाँधीजी का मत था कि 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' का सिद्धान्त एक हृदयहीन सिद्धान्त है जिससे मानवता को बड़ी हानि पहुँचाई है। वास्तविक सत्य और मानवीय सिद्धान्त तो 'सभी व्यक्तियों का अधिकतम सुख' का है और यह सिद्धान्त पूर्ण आत्म-बलिदान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। नगे को दान, भूखे को अन्न दान और बेघर को आश्रय दान करना सत्य है। यही ईश्वर है और इसे प्राप्त करना चाहिये।

3. साधन तथा साध्य की अवधारणा (The Concept of Means and Ends)

गाँधीजी ने साध्य को जितना महत्व दिया उतना ही साधन को। गाँधी दर्शन में इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। साध्य का उँचा होना कसबे नहीं है। साधन की ठच्छता एवं नैतिकता आवश्यक है और सच पूछा जाए तो साधन का अधिक महत्व है, क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता है उस कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म जरूर साध्य होता है, इसलिए जो हाथ में होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।¹ महात्मा गाँधी के अनुसार, "साधनों की तुलना बीज से की जा सकती है और साध्य की वृक्ष से और जो अटूट सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है वही साध्य और साधन के बीच है।" साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए अन्यथा एक की अपवित्रता दूसरे को प्रदूषित कर देती है। गाँधीवाद में 'साधनों की पवित्रता' का विचार उसे मार्क्सवाद से भिन्न करता है। जहाँ मार्क्सवाद एक वर्गहीन समाज के आदर्श की प्राप्ति के लिए हिंसा और क्रान्ति का उपदेश देता है वहीं गाँधीजी के अनुसार खून की बूँद गिरते ही जिस बीज पर वर्गहीन समाज मिले वह बीजमत महीनी है। गाँधीजी की आस्था खून का बहाव गिराए बिना ही स्थापित होने वाले वर्गहीन समाज में है। साधनों की पवित्रता का यह विचार राजनीति को गाँधीजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मनी जा सकती है, पर दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक राजनेता 'मैक्रियावेली राजनीति' के उपासक हैं।

4. कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धान्त (Theories of Karma and Re-birth)

महात्मा गाँधी का कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त में पूरा विश्वास था। उनका कहना था कि कर्म का सिद्धान्त स्वतन्त्रता का सिद्धान्त है जो हमें अच्छे और बुरे में चुनाव करने की स्वतन्त्रता देता है। हमारी स्वतन्त्रता हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में गाँधीजी ने कहा था कि उन्हें इस सिद्धान्त में उतना ही विश्वास है जितना कि अपने दर्दमान शरीर के अस्तित्व में।

5. अहिंसा की अवधारणा (The Concept of Non-violence)

गान्धीजी का अनुभव था कि मानवीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं का हल अहिंसा है। अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली है। अहिंसा एक-दूसरे के प्रति प्रेम और आदर को जन्म देती है तथा सभी मनुष्यों को समान सपने को प्रेरणा देती है। गान्धीजी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सभी परिस्थितियों में किया और घृणा तथा शंकाओं पर विजय पाने में सफल हुए। गान्धीजी ने जिस अहिंसा का प्रतिपादन किया वह निषेधात्मक धारणा न होकर बलवन्त एक विषेधात्मक शक्ति है। वह बुराई को अच्छाई से जीतने का सिद्धान्त है जिसमें कोई बदले की भावना, कोई बद-बन्द, कोई प्रतिकार नहीं है, कोई सगठित मुद्र या गुण इत्यादि नहीं है।

गान्धीजी के अनुसार यह अहिंसा का औसिक अर्थ है। अहिंसा में इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दु आते हैं। "कुविचार हिंसा है। उदात्तरी मिथ्या-धारण किसी को बुरा चाहना हिंसा है। जगत् को जिस चीज की आवश्यकता है, उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।" गान्धीजी का अहिंसा की अवधारणा, मन् वचन और कर्म से सम्बन्धित है।¹ गान्धीजी के अनुसार अहिंसा सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। अहिंसा के तीन रूप हो सकते हैं—जाग्रत अहिंसा (Enlightened Non-violence), औचित्य अहिंसा (Reasonable Non-violence) तथा पीड़ितों की अहिंसा (Non-violence of the Cowards)। जाग्रत अहिंसा वह है जो व्यक्ति में अन्तर्हिंसा की पुकार पर स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। इसे व्यक्ति अपने आन्तरिक विषयों को उत्कृष्टता अथवा नैतिकता के कारण स्वीकार करता है। अहिंसा में असम्भव को भी सम्भव में बदल देने की अपार शक्ति निहित होती है। औचित्य अहिंसा वह है जो जीवन के किसी क्षेत्र विशेष में आवश्यकता पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अपनाई जाए। यद्यपि यह अहिंसा दुर्बल व्यक्तियों की है, तथापि इसका पालन ईमानदारी और दृढ़ता से किया जाए तो काफी शक्तिशाली और साधनात्मक सिद्ध हो सकती है। पीड़ितों की अहिंसा दरपोक और क्षयों की अहिंसा है, यह 'निष्क्रिय अहिंसा' (Passive Non-violence) है। महात्मा गान्धी के अनुसार अहिंसा एक दर्शन नहीं है बल्कि कार्य करने की एक पद्धति है, हृदय-परिवर्तन का साधन है। उन्होंने अहिंसा को वैयक्तिक आचरण तक सीमित न रखकर मानव-जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लागू किया। गान्धीजी की अहिंसा पारलौकिक शक्ति या मोक्ष प्राप्ति का ही साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक समन्वय और पारिवारिक निर्माण का साधन है। यह मानव हृदय की दिव्य ज्योति है।

6. धर्म सम्बन्धी अवधारणा (The Concept of Religion)

धर्म से महात्मा गान्धी का अभिप्राय और किसी औपचारिक रुढ़िगत धर्म से नहीं है, बल्कि विश्व के व्यवस्थित नैतिक अनुशासन से है। गान्धीजी का धर्म 'सम्प्रदायवाद' को नहीं मानता था, वह मानव-समाज का शाश्वत तत्व है जो हिन्दूत्व, इस्लाम और ईसायतद से परे है। गान्धीजी ने हिन्दू धर्म में गहरी आस्था प्रकट की, क्योंकि यह धर्म अन्य सब धर्मों के साथ ज्ञातिपूर्वक रहने में विश्वास करता है और इस प्रकार का कोई दावा नहीं करता कि सत्य एकमात्र उसी में है। "सब धर्म एक-दूसरे के साथ शान्ति से रहें, हर एक आदमी के लिए अपना निज धर्म बना रहे, यही हिन्दू धर्म है।" गान्धीजी ने हिन्दूवाद के आध्यात्मिक नैतिक सार को ग्रहण किया। हिन्दू धर्म में आस्था रखते हुए उन्होंने इसकी आचरण सम्बन्धी रुढ़ियों, पाठ्यपुस्तकों या प्रतिष्ठानों का पक्ष नहीं लिया। महात्मा गान्धी के लिए धर्म और नैतिकता पर्यायवाची शब्द थे। उनकी दृष्टि में नैतिकता के आधारभूत सिद्धान्त सत्य और अहिंसा थे। उन्होंने इन दो सिद्धान्तों को 11 सिद्धान्तों में विवक्षित किया और इन सिद्धान्तों से पूर्ण एक गीत गान्धीजी की प्राक्कालीन और सम्प्रकाशीन प्रार्थनाओं में गाया जाता था। ये 11 सिद्धान्त थे—अहिंसा, सत्य, आसत्य, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर-त्रय आस्ताद, सर्वत्र-भय-वर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी, स्पर्श-पावना। इनमें प्रथम पाँच हिन्दूवाद और जैन धर्म के आधारभूत नैतिक सिद्धान्त हैं तथा अन्य 6 इन्हीं सिद्धान्तों में से निकले हैं जो समय की आवश्यकताओं के अनुकूल ढाले जा सकते हैं। गान्धीजी यद्यपि सभी धर्मों को सत्य मानते थे, किन्तु उनका यह विश्वास नहीं था कि वे सर्वथा बुद्धिहीन हैं। सभी धर्म मनुष्यकृत हैं, अतः उनमें अपूर्णता रहना स्वाभाविक है। धर्म-परिवर्तन में उन्हें कोई आस्था नहीं थी। उनके आश्रय में मुसलमान, ईसाई और पण्डित सभी थे, लेकिन उन्होंने किसी को हिन्दू बनने या धर्म परिवर्तन करने को नहीं कहा। भारत में ईसाई सन्तों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा "जो मानवतावादी कार्य उन्होंने किया है वह उतम है, लेकिन उसका मूल्य जाता रहेगा यदि वे अपना उद्देश्य दूसरों को ईसाई बनाने का रखेंगे।" महात्मा गान्धी का कहना था कि धर्म की आराधना के लिए हमें किसी गुफा उद्देश्य अथवा किसी पर्वत-शिखर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म की अभिव्यक्ति समाज में हमारे कार्यों में होनी चाहिए। गान्धीजी ने धर्म का मानवीकरण और सामाजिकरण किया। उन्होंने पीड़ितों, असहायों और अपावप्रस्त लोगों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। प्रार्थना की शक्ति में अपना अहिंसा विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति प्रार्थना कोई याचना (Petition) नहीं बल्कि ईश्वर का यशोमान है और आत्म की आवाज है। प्रार्थनाओं से व्यक्ति

सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)—सत्याग्रह को अच्छी तरह समझने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध में उसका अन्तः समझ लेना जय्युक्त है। इन दोनों में मूलभूत अन्तर निम्नलिखित हैं—

(1) निष्क्रिय प्रतिरोध का मूलसूत्र राजनीतिक शासक है, जबकि सत्याग्रह नैतिक शासक है जिसका आधार है शारीरिक शक्ति को अपेक्षा आत्म-शक्ति को श्रेष्ठता। (2) निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल का शासक है जबकि सत्याग्रह का प्रयोग वे लोग कर सकते हैं जिनमें बिना मारे मरने का साहस है। (3) निष्क्रिय प्रतिरोध में उद्देश्य होता है प्रतिपक्षी को इतना परेशान करना कि वह हार माने से, जबकि सत्याग्रह का उद्देश्य है प्रेम और धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करके विरोधी का हृदय परिवर्तन करना और उसकी भूल सुधारना। (4) निष्क्रिय प्रतिरोधी के लिए प्रेम की गुंजाइश नहीं, जबकि सत्याग्रह में प्रणु, दुर्भावना आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार "सत्याग्रह गत्याग्रह है, निष्क्रिय प्रतिरोध स्थित्यात्मक है।" (5) निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा से सामान्य रूप से दूर रहा जाता है क्योंकि दुर्बल व्यक्ति हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह उचित अवसर पर हिंसात्मक उपचारों के प्रयोग के विरुद्ध नहीं है। दूसरी ओर सत्याग्रह किसी रूप में अनुकूलता परिस्थिति में हिंसा के प्रयोग की आज्ञा नहीं देता। (6) निष्क्रिय प्रतिरोध में आन्तरिक शुद्धता का अभाव है। सत्याग्रह की तरह वह स्वयंसेवी की शुद्धता को आवश्यक नहीं मानता और प्रयोग करने वाले व्यक्तिओं के चरित्र की नैतिकता की उपेक्षा करता है। दूसरी ओर सत्याग्रह में उद्देश्य सिद्ध और सत्याग्रही के आन्तरिक गुणों में धनिक सम्बन्ध है। (7) निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग रणवैश्वीय नहीं हो सकता। सत्याग्रह की तरह उसका प्रयोग अपने पवित्र सम्बन्धियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। दुर्बलता और निराशा की भावना से उपयुक्त निष्क्रिय प्रतिरोध नैतिक दुर्बलता को बढ़ाता है। दूसरी ओर सत्याग्रह सदैव आन्तरिक शक्ति पर जोर देता है और वास्तव में उसका विकास करता है। (8) निष्क्रिय प्रतिरोध की अपेक्षा सत्याग्रह अन्त्या और अत्याचार का अधिक प्रभावशाली और निश्चित विरोध है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि प्रतिरोध सदैव सक्रिय होता है।

सत्याग्रह की तकनीक—सत्याग्रह को विभिन्न प्रणालियाँ हैं। इसकी तकनीकें बहुमुखी हैं। सबसे पहले सत्याग्रही समाज का विरोध करता है अर्थात् सत्यकारीपूर्वक बिना किसी पूर्वाग्रह के शिक्षण का अध्ययन करता है। यह देखता है कि शिक्षण करने वाला स्वयं इस शिक्षण को दूर करने के लिए आतुर है या नहीं। सत्याग्रह का कर्तव्य है कि वह पहले अन्यायी को समझाए-बुझाए। समझाने-बुझाने के सारे प्रयासों में असफल हो जाने के बाद वह जिस अन्याय के विरुद्ध मोर्चा लेना चाहता है उसका आवश्यक प्रचार प्रारम्भ करता है। प्रचार के साथ वह उन सभी तत्वों का ध्यान रखता है जो अन्याय के शिकार हैं। सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने से पहले सत्याग्रही पीड़ित पक्ष को अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करता है ताकि शोषक और शोषित के बीच कोई समझौता हो सके। सत्याग्रह आन्दोलन में गोपनीयता का अभाव रखा जाता है। सत्याग्रह विरोधी का आदर करते हुए चलता है। उसका उद्देश्य विरोधी को नीचा दिखाना नहीं होता, क्योंकि उसे नीचा दिखाने से वह कभी अपने सहायुगी और चेतना प्राप्त नहीं कर सकता। सत्याग्रही मुर्दा का विरोध करता है क्योंकि वह नहीं। सत्याग्रह आन्दोलन में अन्तर्गतता की आवश्यकता का विशेष महत्व है। सत्याग्रह को नैतिक युद्ध की सीरी चालों की जानकारी होनी चाहिए। मर्दान्ता उसमें कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए।

महात्मा गाँधी ने समय-समय पर सत्याग्रह अर्थशास्त्र से नए-नए आख दिए, क्योंकि वे मानते थे कि सत्याग्रह की आत्मा घड़ी रहती है केवल आख बदल जाता है। गाँधीजी ने जिन अर्थों का प्रयोग किया उनमें असहयोग भावक अर्थ प्रमुख है। यह असहयोग इतना ही सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार, धरना, नागरिक अवज्ञा, हिंसा, उपवास आदि साधनों के माध्यम से किया जाता है।

पन्द्रह-सूत्री निर्माणकारी रचनात्मक कार्यक्रम—महात्मा गाँधी ने निर्माणकारी कार्यक्रमों को सत्याग्रह का एक अभिन्न अंग बताया। गाँधीजी ने जो पन्द्रह-सूत्री निर्माणकारी कार्यक्रम बताए वे सार्वभौमिक इस प्रकार हैं—छात्री का प्रचार प्रसार, प्रायोगिक को प्रोत्साहन, मन्-स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान, नुनियारी शिक्षा, श्रौद्ध शिक्षा, नारी उद्वार, समय प्रथम-सेवा, राष्ट्र भाषा प्रचार, मातृभाषा-प्रेम, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन, साम्प्रदायिक एकता, अछुतौदार, नशाबन्दी आदिवासी सेवा, मजदूर, किसान एवं विधवाओं का संगठन बनाना।

विदेशी आक्रमण और युद्ध के विरुद्ध सत्याग्रह—महात्मा गाँधी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह को प्रभावशालीता में पूरी आस्था प्रकट की। उनका अभिप्राय था कि विदेशी आक्रमण और युद्ध के विरुद्ध सत्याग्रह के अर्थ का प्रयोग किया जाना चाहिये। युद्ध से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। सत्याग्रह युद्ध के समान प्रबल प्रभावशाली साधन है तथा उससे श्रेष्ठ है। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध गाँधीजी ने अहिंसा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। उन्होंने एबीसीनिया के निवासियों, चैको, पोलैंड तथा आक्रमण से पीड़ित अन्य पक्षों को परामर्श दिया कि वे आक्रमणकारियों के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति अपनाएँ। गाँधीजी की दृढ़ मान्यता थी कि अहिंसात्मक प्रतिरोध अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग से आक्रमणकारी पर निरन्तर ऐसा 'आक्रमण' करता रहता है जिसमें अन्तिम विजय उसकी होती है।

स्वराज्य राज्य अराजकता

(The Swarajya ~The State The Anarchy)

महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में बिखरे हुए रूप में आदर्श अहिंसक समाज का रूपरेखा को समझाया था। एक आदर्श जनतंत्रवाणी समाज में वे यद्यपि किसी रूप में राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे, लेकिन व्यवहारवाद विचारक होने के नाते उन्होंने 1946 में स्पष्ट रूप से कहा था कि सत्ता में क्या बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है यदि हम इस प्रकार के आदर्श अहिंसक समाज के लिए निरन्तर कार्य करते रहे तो ऐसे समाज का आविर्भाव इस सामाजिक तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारा हो।

राज्य हिन जनतंत्र—राज्य के सम्बन्ध में गांधीजी की विचार दार्शनिक अराजकतावाणी थे। उनका मत था कि राज्य एक आवश्यक दुर्गुण है जो मानव-जावन के नैतिक मूल्यों पर आघात करता है। गांधीजी का तर्क था कि प्रत्येक राज्य में सरकार सत्ता का भय दिखाकर नागरिकों से कार्य करवाती है और उन्हें कानून के अनुसार चलन का बाध्य करती है। शासन व्यवस्था चाहे कितनी ही लोकतन्त्री हो, राज्य की जड़ में सदैव हिंसा होती है अर्थात् गणतंत्रों का शासन करने का प्रवृत्ति होता है। राज्य के विरोध में गांधीजी का दूसरा सबल तर्क यह था कि राज्य एक बाध्यकार शक्ति है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास को कुण्ठित करती है। राज्य व्यक्तित्व का विनाश करके मनुष्य मात्र को सबसे बड़ी हानि पहुँचाता है। राज्य का विरोध में गांधीजी का तीसरा मुख्य तर्क यह था कि अहिंसा पर आधारित किसी आदर्श समाज में राज्य सर्वथा अनावश्यक है। यद्यपि बाकुनिन, क्रोपोटेकिन तथा अन्य अराजकतावाणी राज्य की अनावश्यक समझते थे, लेकिन उनका मुक्तिवादी के विपरीत गांधीजी की मुक्तिवादी पूर्णतः नैतिकता प्रधान थी।

गांधीजी द्वारा कल्पित आदर्श अहिंसक समाज—महात्मा गांधी ने राज्य-सत्ता में अविश्वास व्यक्त करते हुए एक आदर्श अहिंसक समाज का कल्पना की। उन्होंने कहा कि यह आदर्श समाज विकेंद्रित समाज होगा। सत्ता उसका प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता होगा। गांधीजी ने कल्पना की कि आदर्श जनतंत्र लाभ स्वतन्त्रता और स्वशासित सत्याग्रह ग्राम-समाजों का सघ होगा। अहिंसक समाज में सघ और समुदायों का संगठन स्वेच्छा का आधार पर होगा। गांधीजी ने आदर्श ग्राम-समुदायों का अपने लेखों में बर्णन किया है। अराजकतावाणी समाज का एकता महत्वपूर्ण साधन होगा। धर्म का सामाजिक नाति-भावना धर्म युक्ति की अन्तर्गत पर प्रभाव डालेगा और स्वतन्त्रता तथा सामाजिक एकता का सामंजस्य करेगा।

राज्य रहित समाज का सम्पन्ना—गांधीजी स्वर्णल कल्पनावादी नहीं थे। वे आमुल-युल एक व्यावहारिक विचारक सन्त और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने एक आदर्श का कल्पना की, लेकिन व्यवहार में यही आशा प्रकट की कि हम उस आदर्श की ओर पहुँचने का प्रयत्न करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। समाज राज्य रहित तभी बन सकता है जब मनुष्य पूरा तरह आत्म-समया बन जाए और समाज का प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बिना राज्य के करन ना। इसलिए 1931 में राज्य रहित समाज के बारे में उन्होंने कहा कि, "जावन में आदर्श क्या पूरा तरह कार्यान्वित नहा हाता।" वास्तव में गांधीजी का मत था कि राज्य रहित समाज के आदर्श की मनुष्य अपने जावन में पूरा तरह कार्यान्वित नहीं कर सकेगा। 1946 में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी इस प्रश्न में कोई रुचि नहीं है और सत्ता में कहीं भी बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है परन्तु उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि लोगों द्वारा इस प्रकार के समाज का लिए निरन्तर कार्य करने से ऐसे समाज का आविर्भाव उस सामाजिक तक हो सकता है जो लोगों के लिए कल्याणकारा हो।

संसदीय लोकतंत्र—गांधीजी ने प्रचलित लोकतंत्र में अविश्वास व्यक्त किया। संसदीय लोकतंत्र की उनकी आलाचना का मुख्य आधार यह था कि उसमें ईमानदारी और दौंग तथा प्रदर्शन की अधिष्ठा है। परिणाम का राज्य नाममात्र के लोकतंत्र है। उनमें लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रति वास्तविक लगाव नहीं पाया जाता। संसदीय का हाड का पूज्यवाद साम्राज्यवाद तथा शोषण का राजनीतिक अस्थिरता और नैतिकता तथा दुर्बल नृत्व का यही कारण है। गांधीजी ने संसदीय की जननी ब्रिटिश संसद की कटु आलाचना करते हुए उसे बौद्ध की सजा दी, क्योंकि उसने कभी कोई अच्छा काम अपने-आप में नहीं किया। गांधीजी का कहना था कि यदि मतदाता समझदार हैं और अच्छे स अच्छे सत्य चुनकर संसद को भेजते हैं, एसी संसद का काम इतना अच्छा होना चाहिए कि दिन-प्रतिदिन उसका तब बहता नजर आए और लोगों पर उसका असर पड़ता जाए, लेकिन इसका तलता हा रहा है और सभी लोग इससे सहमत हैं कि संसद के सदस्य अधिष्ठा में दौंग और स्वार्थी होते हैं। गांधीजी ने प्रधानमन्त्री के नेतृत्व का उपहास उड़ाया। प्रान्मन्त्री का पार्लियामेंट का उठना चिन्ता नहीं हाता जितना अपनी सत्ता की होती है।

निर्वाचन—महात्मा गांधी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे, लेकिन उसका प्रचलित स्वरूप से उन्हें कोई आकर्षण न था। चुनावों द्वारा एक शोषण-कारण वर्ग जन्म लेता है जिसके द्वारा व्यक्ति का नैतिक पत्रन कर दिया जाता है। स्वराज्य पर गांधीजी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि "स्वराज्य से मरा अर्थ है उन वयस्क मनुष्यों का

अधिकतम संख्या की अनुमति द्वारा भारत का शासन जो भारत में उत्पन्न हुए हों या बस गए हों, जिन्होंने शरीर-श्रम द्वारा राज्य की सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का कष्ट उठाया हो।" गाँधीजी ने कहा कि यदि अपने विवेक के अनुसार शक्तिमान बनाने की उन्हें स्वतंत्रता होती तो राज्य का शासन उन प्रतिनिधियों के हथ में होता जिनको जाता चुनरी और हटा सकती। उनका स्पष्ट मत था कि चुनाव का उम्मीदवार वही हो सकता है जो स्वाधीन होकर, समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर, चुनाव लड़ना चाहता है।¹ चुनाव के उम्मीदवारों को पदलेलुपता, आत्म-विश्वास, विरोधियों की निन्दा और मतदाताओं के मनोवैज्ञानिक शोषण से बचना चाहिए, जो मात्र के निर्वाचनों में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। उम्मीदवार को वोट उसकी सेवा के फलस्वरूप मिलना चाहिए, न कि वोट माँगने से। गाँधीजी ने कहा कि संसद सदस्यों को अपना जीविकोपार्जन अपने घसीने की कमाई से करना चाहिए। इन लोगों को राष्ट्रीय उदाय की तुलना में अधिक नहीं मिलना चाहिए।

मताधिकार के सम्बन्ध में गाँधीजी का कहना था कि वयस्क मताधिकार को व्यापक बनाना चाहिए, लेकिन मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता सम्पत्ति या पद नहीं अनिवार्य शरीर-श्रम होना चाहिए। शारीरिक श्रम एक ऐसी क्रिया है जो हर एक को अवसर प्रदान करती है कि वह शासनतन्त्र और राज्य के कल्याण में हिस्सा ले सके। मतदाताओं की आयु-मर्यादा के सम्बन्ध में गाँधीजी 21 या 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों के मताधिकार के पक्ष में थे, लेकिन वे अपने जैसे नूढ़े आदमी को इस अधिकार से अलग रखना चाहते थे।

बहुमत एवं अल्पमत—गाँधीजी का लोकतन्त्र आध्यात्मिक लोकतन्त्र था, अतः उनकी मान्यता थी कि सामान्य मामलों में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने चाहिए, लेकिन इसे सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य में किसी पार्षिक अथवा मौसमिक समुदाय से सम्बन्धित मामलों में निर्णय का अधिकार उसी समुदाय को होना चाहिए। महत्वपूर्ण मामलों में बहुमत अल्पमत की उपेक्षा नहीं कर सकता, बल्कि उसका ध्यान रखना आवश्यक है। अहिंसक जनता द्वारा स्थापित गाँधीजी के लोकतन्त्र में लोग भेदों की तरह कार्य नहीं कर सकते। उसमें विचारों और कार्यों की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहुमत कोई निर्णय क्यों न करे, उसके लिए दास-भाव नहीं होना चाहिए। अनन्तरात्मा सम्बन्धी मामलों में बहुमत के नियम के बारे में कोई स्थान नहीं हो सकता। कोई विचारधारा सही निर्णय के एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती। हम सब गलती कर सकते हैं और बहुधा हमें अपने निर्णयों को बदलना पड़ता है, अतः आवश्यक है कि हम अपने विरोधी के विचारों को समझे और यदि उनको स्वीकार न करें तो उनका आदर अवश्य करें।

अपराध और दण्ड, जेल, पुस्तिस, सैन्य न्याय आदि—गाँधीजी चाहते थे कि राज्य के कार्य न्यूनतम हों और व्यक्ति अधिकधिकार आत्म-निर्भर बनें, लेकिन वे मानव-समजौती से अवगत थे, अतः अपराध का उपचार चाहते थे। एक अहिंसक राज्य में अपराधी को बदलने की भावना से दण्ड नहीं देना चाहिए। दूसरों को डराने पकाने के लिए दण्ड देना उचित नहीं है। दण्ड का उद्देश्य होना चाहिए—सुधार। ये मृत्यु-दण्ड के विपक्ष में थे। उनका कहना था कि अहिंसा के सिद्धान्तों द्वारा अनुशासित राज्य में अपराधी को जेल भेजा जाना चाहिए जहाँ उसे सुधार जा सके। गाँधीजी जेलों को अहिंसक बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि जेलों को सुधारात्मक संस्थाओं में बदल दिया जाए जिनमें नए कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि जेलों से बाहर आने पर वे आत्म-निर्भर बन सकें। गाँधीजी ने जेलों के सुधार के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा—“सभी जेलों को हाथ-करवा सस्याओं के रूप में परिणित कर देना चाहिए और जहाँ सम्भव हो सके वहाँ कपास की उपज अच्छे कपड़े बनाने के लिए प्रारम्भ कर देना चाहिए। कैदियों को विकृत माना जन्म चाहिये और उन्हें अमराधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। जेल कर्मचारियों को कैदियों पर अत्याचार करना छोड़ देना चाहिए। उनके स्थान पर उन्हें मित्र और प्रशिक्षणदाता बन जाना चाहिए।” गाँधीजी व्यावहारिक व्यक्ति थे, अतः उन्होंने माना कि उनके अहिंसक राज्य में पुस्तिस की आवश्यकता होगी, लेकिन इस अहिंसक राज्य में पुस्तिस अहिंसा में पूर्ण आस्था रखेगी। वे जनता के सेवक होंगे, मासिक नहीं।

गाँधीजी यद्यपि सैनिक व्यवस्था के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि सैनिक व्यवस्था को हटा देना ठीक नहीं होगा। न्याय-व्यवस्था के सन्दर्भ में उनका विचार था कि राज्य इस कार्य को सम्पूर्णतः अपने पास न रखकर, पचायतों को सौंप दे। न्याय-व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कहा कि “न्याय व्यवस्था को सस्ता बनाना चाहिये।”

राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की धारणा और राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी विचार

(The Concept of Nationalism and Internationalism and Ideas about Nation-building)

महात्मा गाँधी भारत के व्यापक क्षेत्र में राजनीति को लेकर आए। देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में एक अभूतपूर्व मैनानो के रूप में उनकी भूमिका रही, अतः भारतीय जनता ने उन्हें राजनीतिक नेता और देश-भक्त राष्ट्रवादी के रूप में

जना-माना। गांधीजी राष्ट्रवादी थे, लेकिन जो राष्ट्रवाद आज दुनियाँ के लिए "F" हो रहा है और जिसे संसार की शक्ति के लिए भारी खतरा उत्पन्न कर दिया है, उस राष्ट्रवाद के गांधीजी समर्थक नहीं थे। उनका राष्ट्रवाद नैतिक साम्राज्य, जीवन की सहिष्णुता तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित था। उनका राष्ट्रवाद उनके विश्व-प्रेम का एक अंग था। गांधीजी विश्व को पंगु और पीड़ित भारत का दाग बरग नहीं चाहते थे, उसकी सेवा के लिए साहस, धैर्यमय और आत्म-विश्वासी भारत को भेंट करना चाहते थे। उनका जहन था कि "यूरोप के चरणों पर लौटता हुआ भारत मानवता को क्या आशा दे सकता है?" गांधीजी के राष्ट्रवाद में एक ओर भारत के पीड़ित एवं दीन-दुखियों के उद्धार का भाव था और दूसरी ओर भारत को विश्व भातृत्व का, विश्व सेवा का एक प्रबल साधन बनाने की आकांक्षा थी। गांधीजी का राष्ट्रवाद प्रेम, अहिंसा और बन्धुत्व से परिपूर्ण था। गांधीजी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि यदि हम भारत को एक राष्ट्र बनाएँ चाहते हैं तो हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'हरिजन' में उन्होंने लिखा— "यदि हम भारतीय राष्ट्रियता का उत्थान प्राप्त करना है तो हम क्षेत्रीयता की जड़ों को तोड़ना ही होगा।"

स्वतन्त्रता का दर्शन (Philosophy of Freedom)

गांधीजी के हृदय में राजनीतिक स्वतन्त्रता की उत्कृष्ट कामना थी। वे स्वराज्य को सत्य का एक अंग मानते थे, अतः स्वतन्त्रता उनके लिए एक पवित्र वस्तु थी। उनका विश्वास था कि स्वराज्य संपर्क के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साम्राज्यवादी देशों को उन्होंने यह चेतावनी दे दी कि दूसरों पर साम्राज्य स्थापित करने की लालसा उनका नैतिक पतन कर देगी। गांधीजी ने नितक के इस वचन को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए स्वराज्य-प्राप्ति उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधीजी राजनीति का स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहते थे, वे सर्वोदय के उपासक थे, उनका स्वराज्य लाखों करोड़ों दलितों के लिए था। गांधीजी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के अर्थ में स्वतन्त्रता का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए अर्पण कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत और नागरिक दोनों स्वतन्त्रताओं का पक्ष लिया। उन्होंने भाषण और लेख की स्वतन्त्रता को स्वराज्य की आधारशिला माना।

गांधीजी के आर्थिक विचार (Economic Ideas of Gandhiji)

गांधीजी ने सामाजिक आर्थिक विचारों की कोई निश्चित योजना प्रस्तुत नहीं की, वरन् समय-समय पर जो भाषण दिए और लेख लिखे, उनसे हमें उनके सामाजिक आर्थिक दर्शन का बोध होता है।

सरक्षता या प्रत्यास द्या मिद्वान्त

गांधीजी समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त चाहते थे, लेकिन मार्क्सवादी प्रोलेटेरियन क्रान्ति के पक्ष में नहीं थे। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गांधीजी ने 'सरक्षता का सिद्धान्त' (Principle of Trusteeship) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उदात्तधिकार में भारी सम्पत्ति मिलती है अथवा किसी ने व्यापार-उद्योग के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया है वह सम्पत्ति भारत में उस व्यक्ति को न होकर सारे समाज की है, अतः यह उचित होगा कि जिस व्यक्ति ने सम्पत्ति का संचय किया है वह स्वयं को सम्पत्ति का स्वामी न समझ कर दूसरों समझे। सम्पत्ति उसके पास रहे, वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उसमें से वाञ्छित खर्च करे और शेष को समाज की धरोहर समझे, जिसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सम्पत्ति पर ही व्यक्ति अपना अधिकार समझे और धन का शेष भाग राष्ट्र का मानते हुए सभी के कल्याण पर खर्च करने को तयार रहे।

औद्योगीकरण

गांधीजी बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार बड़े पैमाने के उत्पादन से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का उपयोग मनुष्य को आलसी बना देता है और वह परिश्रम से कटारने लगता है। गांधीजी ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया अर्थात् ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रमिक अपना स्वामी हो। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के शोषण और हिंसा के लिए कोई अवसर नहीं होगा। महान्ता गांधी का विश्वास था कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले गरीब देश के लिए मशीनों का उपयोग लाभप्रद नहीं होगा। अधिक जनसंख्या को काम पर लगाने की दृष्टि से उत्पादन की ऐसी प्रणालियाँ काम में लानी होंगी जिनमें अधिकधिक श्रमिकों को खपत हो। इसका यह अर्थिप्राय नहीं है कि वे मशीनों द्वारा संचालित उद्योगों के विरोधी थे। व्यावहारिक होने के नाते गांधीजी अदसंधवाद और पद्यार्थवाद में संधि करते हुए चले। अन्तिम रूप में उनका आग्रह था कि बड़े पैमाने के उद्योगों को कुटीर उद्योगों का प्रतिद्वन्दी न बनाकर उनका सहायक बनना चाहिये। उद्योगों के क्षेत्र में गांधीजी प्रयोगोद्योगों और छोटे उद्योगों को प्रथमिकता दामिए देते थे कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले विकासशील देशों में छोटे उद्योगों से न केवल पूर्ण रोजगार की व्यवस्था होती है, बल्कि काम करने वालों को अधिक आत्म-सन्तोष प्राप्त होता है। ऐसे उद्योगों द्वारा विदेशों से महंगी और पैटेंट मशीनों मँगाने का व्यय बचता है तथा देश की आत्म-निर्भरता में वृद्धि होती है। उत्पादन व्यय

सुरक्षा, शोषण और प्रदूषण रहित वातावरण इन सभी दृष्टिकोणों से संपु-उद्योग व्यवहारों और वांछनीय लगता है, किन्तु यह बहिष्कृत और तिरस्कृत है। भारत में गांधीवाद का अनुसरण कम होता है किन्तु उन्कर प्रकार अधिक किया जाता है। विवेकीकरण

गांधीजी केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध वे क्योंकि ठाकुर विश्वास था कि इसकी नींव हिंसा पर आधारित है, अतः उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि उत्पादन को अनेक स्तरों पर छोटे पैमाने पर चलाया जाय, परों में छोटी इकाइयों स्थापित की जाय। विकेंद्रित व्यवस्था को वे लोकतन्त्र का जीवन इकाय समझते थे। उनके अनुसार "अहिंसात्मक राज्य की स्थापना के लिए कारखाने वाली सभ्यता की कोई आवश्यकता नहीं है।" गांधीजी स्वयं की भीड़-राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक नहीं थे। वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे लोकतन्त्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त व्यापारगत स्वतन्त्रता, स्वशासन और संपु-स्वीय उद्योगों के लिए यह बाधक सिद्ध होगा।

अर्थव्यवस्था के प्रति नैतिक दृष्टिकोण

गांधीजी ने आर्थिक विचारों को नैतिक अंतर्भावित प्रदान की। उनके अनुसार सच्चा अर्थशास्त्र कभी उच्चतम नैतिक मानदण्ड के विरुद्ध नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र को न्याय-भावना से परिपूर्ण होना चाहिये। वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति अपना राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर अक्षर करता है, अनैतिक है, इसलिए पापपूर्ण है। मनुष्य अपने लिए भौतिक साथ की आशा से काम करने को प्रेरित हो, इस प्रकार का विचार पतन की ओर ले जाने वाला है। गांधीजी ने मनुष्य के धार्मिक सम्बन्धों का आधार धर्म को नहीं, प्रेम को बनाया और कहा कि मालिक अपने नीकर से जितना काम प्रेमपूर्ण व्यवहार से ले सकता है उतना आर्थिक प्रलोचन या दबाव से नहीं।

गांधीजी का सामाजिक चिन्तन

(Social Thought of Gandhiji)

गांधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त दुःसुखों पर प्रहार करते हुए समाज का नव-निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि 'अस्पृश्यता हिन्दू समाज का घोर अधिहास है। इसने समाज में दरारें पैदा करके, इसे कमजोर कर डाला है। यह 'पापमूलक संस्था' किसी धर्म का अंश नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है।' अस्पृश्यता एक पुनः है जो हिन्दू समाज को अन्दर ही अन्दर टूट जा रहा है। अपने प्रयास में उन्हें सफलता मिली और स्वतन्त्र भारत के संविधान में किसी भी रूप में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया। गांधीजी ने घोषणा की कि अस्पृश्यता-निवारण के बिना स्वराज का अर्थ नहीं है। गांधीजी ने अशुद्धों से जिन्हें वे हरिजन कहते थे, प्यार किया तथा उनकी सेवा करने के लिए खड़े हुए। गांधीजी ने हरिजनों को उपदेश दिया कि वे शांति न खाएँ, शांति न पीएँ, जुआ न खेलें, अपने दुर्बलताओं को दूर करें और दूसरों को छोड़ें। मुझे स्वतन्त्र होकर न करें। इससे अनेक भीषणताएँ फैली हैं। गांधीजी ने पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता के दोषों को गिनाया जिसमें व्यक्ति की सम्पत्ति और समृद्धि उसकी प्रतिष्ठता की सूचक होती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रगति तो नैतिकता, सत्य और अहिंसा की प्रगति में निहित है। भौतिकवादी सभ्यता नैतिक विनाश की ओर ले जाने वाली है। हमें आध्यात्मिक आचरण को प्रयत्न देनी चाहिए। सदा जीवन और उच्च विचार—यह हमारा आदर्श होना चाहिए। भारतीय नारी की दुर्दशा से गांधीजी दुःखी थे। यह दलील मान्य नहीं थी कि स्त्रियाँ बुद्धि तथा योग्यता में पुरुषों से किसी प्रकार कम हैं। वे इतिहास को साक्षी मानकर कहते थे कि प्राचीन भारत में जीवन के अनेक क्षेत्रों में पुरुषों से स्त्रियों आगे थीं और सामाजिक जीवन में उन्होंने अपने को ऊपर उठाया है। स्त्री मुस्लिमान आत्म-त्याग है और स्त्री तथा पुरुष का समाज दर्जा है और एक के अस्तित्व का अविच्छिन्न दूसरे के बिना सिद्ध नहीं होता। गांधीजी ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और आज्ञा देने का पक्ष लिया। गांधीजी ने पदों प्रथा पर आपत्त किया। स्त्रियाँ अपने असली रूप में आएँ और फिर सन्देश दें। गांधीजी ने स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता का पोषण ही नहीं किया, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की भी वकालत की। उन्होंने स्त्रियों के महाधिकार का पक्ष लिया।

गांधीजी ने एक और सामाजिक समस्या—विधवा पुनर्विवाह पर ध्यान दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए। गांधीजी को बाल विवाह मान्य नहीं थे। उन्होंने समाज-सुधारकों से अनुरोध किया कि वे इसका विरोध करें। बाल विवाह से दम्पति के स्वास्थ्य का ह्रास होने के अतिरिक्त बच्चे अधिक पैदा होते हैं। भारत में बाल-विधवाओं के अस्तित्व का एक प्रमुख कारण बाल विवाह है। यह हमारे सामाजिक, नैतिक तथा शारीरिक ह्रास का भी प्रमुख कारण है। गांधीजी की धारणा थी कि मदिरापान बहुत बड़ी बुराई है। उनकी दृष्टि से शराबी और चोर एक ही पैली के पट्टे-बट्टे हैं क्योंकि जहाँ चोर केवल धन सम्पत्ति चुराता है वहीं शराबी न केवल अपनी सम्पत्ति को, बल्कि अपनी तथा अपने पड़ोसी की इज्जत को भी जोखिम में डालता है। चूँकि मदिरा पान से शरीर तथा

आत्मा दोनों की रूढ़ि होती है, इसलिए व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही यह सर्वाधिक हानिकारक है। गाँधीजी गौरवा के हिमायती थे। उनकी राय में गौरवा का अर्थ मनुष्य, पशु तथा पक्षी तीनों की सेवा है। गाँधीजी को विश्वास था कि भारतवासियों की बहुत सी सामाजिक समस्याओं का समाधान उच्चतर शिखा पद्धति से हो सकता है—ऐसी पद्धति जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। गाँधीजी स्वीकार करते थे कि पशुपति देश में सामाजिक सुधारों को स्थापित करना स्वाधीनता को स्थापित करना है। गाँधीजी ने समाज सुधारकों को चेतावनी दी कि उनका काम कठिन और ठकाने वाला है और निस्वार्थ भावना से समाज सेवा करना आसान नहीं होता। समाज सेवी को शान्त तथा धैर्यवान होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति किसी राष्ट्र की अमूल्य निधि होता है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के वैचारिक आधार (1932-40 में महात्मा गाँधी की सक्रियता)

राष्ट्रीय आन्दोलन में व्यस्त रहने के कारण गाँधीजी उसके वैचारिक पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे पाए। विद्वान् लेखक धर्मपाल ने अपने एक शोधपूर्ण लेख में इस प्रकार को अभाव उधारते हुए यह सिद्ध किया है कि 1932-40 के पूरे समय में गाँधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन के अनेक वैचारिक आधारों को स्पष्ट करने में लगे थे। 1919 से 1931 तक के समय को भारतीय जन के एकत्रिकरण को ऐसे दौर के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्वयं को, तथा अंग्रेजों को और सारे सत्ता को यह आपास करा दिया था कि ब्रिटिश राज के खिलाफ और उनके नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में जो सपर्ष छिड़ा है, वह स्पष्टतः राजनीतिक स्वाधीनता की ओर बढ़ रहा है। 1933 से शुरू होकर 1940 तक पूरे अंग्रेज के साथ चले दौर के निकट भविष्य में सम्भावित आजादी के लिए महात्मा गाँधी द्वारा उसकी अन्वेषित और सत्त्वय का स्वरूप प्रस्तुत करने के प्रयास के दौर पर देखा जा सकता है। एक नया दौर 1932 में शुरू हुआ जब 'दलित वर्गों' के नाम से परिभाषित समूहों को हिन्दुओं से अलग करने की अभियानों द्वारा रची गई रणनीति के खिलाफ गाँधीजी ने अपना उपवास शुरू करने का फैसला लिया। उपवास शुरू होने के कुछ दिनों के अन्दर 'दलित वर्गों' और ग्रेष हिन्दुओं के प्रतिनिधियों के बीच मामला सुलझा लिया गया। इस अवसर पर 25 सितम्बर, 1933 को मुम्बई में हिन्दुओं की ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि "आज से हिन्दुओं में किसी को जन्म के आधार पर अलग नहीं मना जाएगा और अब तक जिन्हें ऐसा माना जाता रहा है, उन्हें कुँओं, विद्यालयों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सभ्यताओं के उपयोग के मामले में वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य हिन्दुओं को प्राप्त हैं।"

1934 में उन्होंने कहा—'अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान में अब अलग नाम से विहित लोगों को रमने अस्पृश्यता के अमूल्य से ज्यादा का समावेश होने लगा है। शहर में रहने वाली के लिए गाँव अलग बन गए हैं और इस व्यापक अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए प्रामाणिक टटोरों का नवजीवन अधिक जरूरी हो गया है।' अस्पृश्यता अमूल्य के प्रयासों, शहर और गाँव के बीच खाई कम करने की कोशिश और प्रामाणिक टटोरों के पुनर्जीवन की पहलू ने ब्रिटिश ढंगों वाली विद्यमान शिक्षा पद्धति को व्यर्थता का स्पष्टता से साक्षात्कार करा दिया और सभी स्तरों पर उपयोगी पद्धति को जल्द प्रकट हुई। पहले कदम के रूप में वह पद्धति सामने आई जिसे गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा कहा जाता है और जो हाथ के काम के माध्यम से प्रदान की जाती है। 1934 से 1940 को शुरूआत तक, गाँधीजी स्वयं की गाँधी सेवा सभ के सदस्यों तथा लोगों के साथ ऐसे विचारों के लिए प्रयुक्त कर रहे थे जो नर भारत की क्रियाशीलता के लिए उनकी दृष्टि से अपेक्षित मार्ग से संस्थाओं और संरचनाओं से पुनर्कृत सम्बन्धित थे। सितम्बर, 1939 में यूरोप में युद्ध शुरू होने के साथ भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में नाटकीय बदलाव आया। भारतीय राष्ट्रीयता और ब्रिटिश सत्ता में टकराव आसान दिखने लगा। अन्य कारणों के सम्मिश्रित प्रभाव से, गाँधीजी ने फरवरी, 1940 में सभ को सन्तुष्ट की कि वह खुद को सिकोडे ले। राजनीति में भाग लिए बिना वह एक सततकोटा विद्यलय या रोष सभा बन सकती है, इसलिए गाँधीजी की इच्छा थी कि वह सुपरिचित ढंग से उन सार्वनाओं, सम्बन्धों और राजतंत्र के आधारों पर काम करें, जिसे वे स्वयं और एक सभ्यता के दौर पर गाँधी सेवा सभ निम्नले छ वर्षों से सक्रियता से सतत रहा है। जन्ती ही यह पृष्ठभूमि में पड़ गया। गाँधीजी ने नया सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया और बाद में अंग्रेजों से कहा 'भारत छोड़ो'। फलतः देशवासियों गिरफ्तारियाँ हुईं और भारत विभाजन की सम्भावना सामने आई तथा 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

महात्मा गाँधी का मूल्यांकन एवं देन

गाँधीजी का मूल्यांकन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने हमें एक नैतिक पीढ़े प्रदान की, हमारे आन्दोलन को जगजा और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। गाँधीजी ने राष्ट्र में यह अनुभूति पैदा की कि हम निराल हैं पर बुद्ध नहीं, हम शान्ति हैं, पर भाग्य के भरोसे नहीं हैं, हम पशुपति हैं, पर उस पशुपतिता की संकल्पों को पूरा किए बिना हम न होंगे। गाँधीजी ने राष्ट्र को मार्ग बतया और अहिंसक सत्याग्रह का अर्थ प्रदान किया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में गहरे परिवर्तन किए। जीवन की एक व्यापक धारणा के कारण सामाजिक, आर्थिक, अर्थिक क्षेत्रों में क्रांति की।

उन्होंने विचारों को जगत्प्रायः सामाजिक कुपितियों के विनाश की गति को देख कर दिया और अछूतों तथा उत्पीड़ितों को आश्वस्तन दिया। उन्होंने किसानों की ओर निजत्व के भाव से देखा, गृह-उद्योगों का उद्धार किया और देशी कलाओं को पुनर्जीवन प्रदान किया।¹ डॉ. रामकृष्णन के अनुसार, "गंधीजी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति के महान् देवता के रूप में सदैव स्मरण किए जावेंगे जिनके बिना पण ब्रह्म विश्व को शान्ति-भावन न होगी।" डॉ. राजेन्द्रप्रसाद के अनुसार, "भारतीय राजनीति की और दुनियाँ के सारे पीड़ित इन्सानों को गंधीजी की देन वह अतोन्मत्ता तरीका है जो उन्होंने बुद्धि से रहने के लिए बताया और इन्फेजल किया। उन्होंने भारत को तथा दुनियाँ को युद्ध की जगह एक नैतिक साधन दिया। उन्होंने राजनीति को अन्ततः से उठाकर आदर्शवाद पर पहुँचा दिया, जिसमें लक्ष्य चाहे जितना अच्छा हो, पर शुद्ध साधनों के अन्ततः और किसी तरह से साधन किसी भी हासल में उचित नहीं ठहराये जा सकते। उन्होंने सत्य को राजनीति में सबसे ऊँचा रखा।" रामकृष्णसिंह दिन्कर के अनुसार, "गंधीजी राजनीतिक पुरुष एवं धनुष्य के उद्धारक तथा नए मूल्यों के संस्थापक थे।"

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

(Dr. B. R. Ambedkar)

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के धिन्तक, दूरदर्शी, वरासी वक्ता, ओजस्वी लेखक तथा भारतीय सविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध पराक्रमी योद्धा की भाँति संग्राम कर दीन-हीनो तथा दलितों की सामाजिक अवस्था सुधारने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म और शासन-पौषण अछूतों के शरीर परिवार में हुआ था। उस समय सुआचरुत का प्रभाव सारे देश में फैला हुआ था, फिर भी उन्होंने जोश एवं लगन के साथ द्विप्राय प्राप्त की। स्वतन्त्र भारत के ये प्रथम कानून मंत्री बने।

डॉ. अम्बेडकर : जीवन परिचय (Dr. Ambedkar · Life Sketch)

महाराष्ट्र के महार परिवार में इन्टोर के पास मद्र छात्रनी में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉ. अम्बेडकर (1891-1956) ने सुआचरुत की पीडा बचपन से ही महसूस की थी। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। उनके पिता का नाम रामजी सरूपाल था जो कबीर के अनुयायी होने के कारण जाति-प्रथा को नहीं मानते थे। डॉ. अम्बेडकर के बचपन का नाम भीम सरूपाल था। उनकी शिक्षण-दीक्षा महाराष्ट्र में हुई। 1907 में उन्होंने सतारा से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त कर उन्होंने मुम्बई के एलफिन्स्टन कॉलेज से उच्च शिक्षा पाकर अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से 1915 में एच. ए. (अर्थशास्त्र) कर 1916 में लन्दन के 'स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस' में प्रवेश किया, किन्तु उन्हें बड़ौदा राज्य के 'सेना सचिव' पद पर कार्य करने हेतु भारत आना पड़ा। 1920 में वे पुनः लन्दन चले गए और 1921 में एच.एस.सी. करने के बाद वहीं से उन्होंने 'The Problems of the Rupee' शोध ग्रन्थ लिखकर पी. एच. डी. की उपाधि ली और वकालत की 'बा एट लॉ' की उपाधि ली।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत आकर स्वतन्त्र रूप से वकालत का अपना काम शुरू कर दिया, पर समाज के ठेकेदार उन्हें अछूत हो सम्पन्ने थे। उनकी ध्यात्मसाधक कुशलता पर किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारी उनको किन्नाह किए रहते थे। एक कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होने पर सहयोगियों को यह गवारा नहीं हुआ कि वे एक पढ़े से पानी पीएँ। अपनी योग्यता के बल पर अम्बेडकर ने छात्रों को अपना प्रशंसक बना लिया था। 1927 में उन्होंने मुम्बई से 'बहिष्कृत भारत' समाचार पत्र निकाला और 1930 में उन्होंने अखिल भारतीय 'दलित वर्ग सघ' (All India Depressed Class Association) का अध्यक्ष पद सम्भाला तथा हिन्दुओं की जाति प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1931 में लन्दन में प्रथम और द्वितीय 'गोलमेज सम्मेलन' (Round Table Conference) में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया तथा भारत की विधान परिषदों में हिन्दुओं से पृथक् दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की माँग की। यद्यपि डॉ. अम्बेडकर देश की स्वतन्त्रता हेतु किए जा रहे आन्दोलन के समर्थक थे, किन्तु महाराष्ट्र गंधी एवं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दलितों के पक्षधर होने के कारण उनका मतभेद था। डॉ. अम्बेडकर दलितों के पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग करते थे जबकि गंधीजी इस पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग को हिन्दुओं को विभाजित करने का बह्यन्त्र मानते थे और उसका विरोध करते थे। डॉ. अम्बेडकर के मतभेद गंधीजी एवं कांग्रेस से कटुतर होते गए। गंधीजी दलितों के हिन्दुओं से पृथक् प्रतिनिधित्व का विरोध करते रहे जबकि अम्बेडकर पृथक् प्रतिनिधित्व के प्रबल पक्षधर बने रहे। अन्ततः अम्बेडकर सफल हुए जब 1932 में 'मैकडोनाल्ड पंचायत' द्वारा सरकार ने अस्पृश्यों (अछूतों) को स्वर्ण हिन्दुओं से पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान किया, किन्तु 'पूना समझौते' (Poona Pact) पर उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े। जिसमें कहा गया कि कोई अस्पृश्य नहीं। सम्पूर्ण दलित वर्ग (अछूत) हिन्दु हैं, उनसे अलग नहीं।

1. रामकृष्ण सुपन, वही, पृ. 177-78.

डॉ. अम्बेडकर ने 1936 में 'स्वतंत्र मजदूर दल' (Independent Labour Party) की स्थापना कर दलितोंद्वारा एवं मजदूर किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य प्रारम्भ किया। इस दल के तत्वावधान में 1937 का चुनाव लड़ा गया और इस दल ने अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित 15 स्थानों में से 13 स्थानों पर विजय प्राप्त की। मुम्बई विधानसभा के सदस्य के रूप में अम्बेडकर ने किण्वेदार बानू, हदगान विरोधी विधेयक का तीव्र विरोध किया और मजदूरों के लिए सत्याग्रह के अधिकार की वकालत की। 'स्वतंत्र मजदूर दल' को अम्बेडकर ने 'अखिल भारतीय अनुसूचित जाति सभ' (All India Scheduled Caste Federation) का रूप दे दिया। 7 अगस्त, 1942 को उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद (Council) का सदस्य मनोनीत किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने 1942 में मुम्बई विधानसभा में देश भक्ति के समर्पन में कहा—“मेरा विरोध कुछ मामलों में सर्वानु हितुओं से है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की रक्षार्थ अपना जीवन समर्पित कर दूँगा।” यद्यपि अम्बेडकर ने 1942 के गाँधीजी द्वारा प्रवर्तित 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का विरोध किया था, तथापि यह विरोध देश की स्वतन्त्रता का विरोध न होकर इस स्वतन्त्रता के लिए गाँधीजी एवं कांग्रेस द्वारा अपनाई गई रणनीति से था। डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। उनकी देश भक्ति में किसी को संदेह नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के सहयोग से वे 'सविधान सभा' (Constituent Assembly) के सदस्य निर्वाचित हुए और उन्हें 'सविधान प्रारूप समिति' (Constitution Draft Committee) का अध्यक्ष बनाया गया। इस दायित्व का उन्होंने पूर्ण योग्यता से निर्वहन किया और सविधान निर्माण में उनके अपूर्ण योगदान के कारण उन्हें 'आधुनिक युग का मनु' कहा गया। 3 अगस्त, 1949 को डॉ. अम्बेडकर भारत सरकार के विधि मंत्री (Law Minister) बने और 'हिन्दू कोड बिल' (Hindu Code Bill) के निर्माण में उनका योगदान रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू से उनके मतभेद बढ़ते गए जिसके कारण 27 सितम्बर, 1951 को उन्होंने मंत्रिमण्डल से स्टीसा दे दिया। हिन्दू धर्म में दलितों (अद्वुतों) की असम्मानजनक स्थिति उनके स्वाभिमान को सझ नहीं थी, अतः उन्होंने 5 लाख दलित अनुशासितों सहित 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर धर्मपरिवर्तन कर लिया। 6 दिसम्बर, 1956 को अम्बेडकर का निधन हो गया।

सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता और दलितोंद्वारा

डॉ. अम्बेडकर ने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू धर्म के चतुर्थी वर्ग से उनकी अस्मर्यता तदाकथित दलित वर्ग के पिछड़ेपन का मूल कारण है। जब तक इस अस्मर्यता को मिटाया नहीं जाता, सामाजिक समानता का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें। डॉ. अम्बेडकर का विरोध छुआछूत के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि यह भारत-भूमि में जातिवाद और वर्गभेद को मिटा देना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए मैदान में आकर लड़ने का फैसला किया और 1927 में पहाड़ पर एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। चारदार ताताब से सामूहिक रूप में पानी पीया गया। उन्होंने गुजरात में बालाराम मन्दिर में अद्वुत के प्रवेश पर निषेध के विरुद्ध एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। समय के साथ अस्मर्यता पर डॉ. अम्बेडकर के प्रहार तेज होते गए। विदेशी शासन से मुक्ति के सपने में डॉ. अम्बेडकर अन्य राष्ट्रीय नेताओं से पीछे न थे। वे यह मानते थे कि स्वराज्य मिलने पर सामाजिक समानता लाने की दिशा में समुचित प्रगति हो सकती है।

सविधान रचना

संसद—सविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने प्रजातान्त्रिक एवं संसदीय प्रणाली का समर्पण किया। डॉ. अम्बेडकर का मत था कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस व्यवस्था में सभी को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने द्विसदनीय विधानमण्डल का पक्ष लिया। संसद के कार्यकाल के सम्बन्ध में चादविवाद के समय के टी. राह ने सुझाव दिया था कि आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद संसद का निर्वाचन केवल अवशिष्ट समय के लिए होना चाहिए न कि पूरी अवधि के लिए, किन्तु यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि चुनाव कोई मामूली कार्य नहीं है। इसमें अत्यधिक व्यय होता है और यह किसी रूप में उचित नहीं होगा कि सरकार छोटी अवधिओं के लिए चुनाव करकर जनता पर व्यय का अनावश्यक बोझ डाले। डॉ. पट्टिप्सोतारमैया और अन्य सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि संसदकाल के दौरान संसद की अवधि अकेले राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि संसद की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। विशिष्ट समिति ने इस सुझाव में कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई। फलस्वरूप डॉ. अम्बेडकर ने यह संशोधन रखा कि संसद की अवधि 'संसद के कानून द्वारा' (By Parliament by Law) बढ़ाई जा सकती है न कि 'राष्ट्रपति द्वारा' (Not by President) जो स्वीकार कर लिया गया।

राष्ट्रपति—डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति को साविधानिक अध्यक्ष बनाने का पक्ष लिया। राष्ट्रपति की स्वेच्छा का क्षेत्र क्या है? इस पर डॉ. अम्बेडकर ने सविधान सभा में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि सविधान में राष्ट्रपति के स्वीच्छक कृत्य नहीं, बल्कि स्वीच्छक परामर्शिकार (Prerogatives) हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी व्याख्या इस प्रकार व्यक्त की—संसद

के विघटन के सम्बन्ध में अमेरीकी साविधानिक विधि-वेताओं का कोई निश्चित मत नहीं है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि सम्राट अथवा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को मन्त्रणा स्वीकार कर लेनी चाहिए यदि वह देखे कि सदन अदम्य हो गया है अथवा सदन स्तोकेन्चा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस सम्बन्ध में एक मत यह है कि प्रधानमंत्री अथवा मन्त्रिमण्डल ऐसा परामर्श दे अथवा न दे परन्तु यदि राष्ट्रपति के अनुसार सदन स्तोकेन्चा का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से सदन का विघटन कर सकता है। ये राष्ट्रपति के परमाधिकार हैं। ये देश के प्रशासन के अन्तर्गत नहीं आते।

संघीय कार्यपालिका—सविधान सभा में संघीय कार्यपालिका के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त वाद-विवाद के उपरान्त सविधान की धारा 74 के अन्तर्गत एक संघीय मन्त्रि-परिषद् हो जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देना हो। मन्त्रि-परिषद् ही देश की वास्तविक कार्यपालिका हो और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाए।

मन्त्री की योग्यताएँ—एक मन्त्री की योग्यताएँ (Qualifications) क्या हों यह विषय सविधान-सभा में रोचक वाद-विवाद का विषय रहा। मोहम्मद ताहिर ने प्रस्ताव किया कि ऐसे किसी व्यक्ति को मन्त्री नियुक्त न किया जाए जो अपनी नियुक्ति के समय सदन का निर्वाचित सदस्य न हो, किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि यदि कोई योग्य व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र में किसी कारणवश पराजित हो गया हो तो उसे इस आधार पर मन्त्री बनाना अनुचित न होगा कि वह अपनी नियुक्ति से 6 माह की अवधि के भीतर किसी न किसी प्वाव क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हो सके। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि किसी गैर-संसद सदस्य को मन्त्री बनाने की सुविधा 6 माह तक सीमित रखी गई है। अम्बेडकर का दूसरा प्रस्ताव के. टी. शाह ने रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल में से की जाती चाहिए। अम्बेडकर ने सविधान में ऐसी व्यवस्था का उल्लेख करने के विचार से असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण सम्भव और व्यापारिक है कि चुनाव से सदन में कभी ऐसे अनेक दल आ जाएँ जिनमें से किसी का बहुमत न हो। इस स्थिति में, श्री शाह द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर आपाण करने से सरकार का निर्माण असम्भव हो जाएगा। अम्बेडकर ने के. टी. शाह के सुझाव को इस आधार पर अमान्य ठहराया कि संवत्कालीन अवस्था में यदि किसी मिश्रित मन्त्रिमण्डल (Coalition Ministry) के निर्माण की आवश्यकता हो, जिसमें अल्पसंख्यक दल को लेना पड़े तो शाह के प्रस्ताव के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल का निर्माण नहीं हो सकेगा।

आपातकालीन प्रावधान—सविधान में इन आपात-उपबन्धों से सम्बद्ध अध्याय की सभा में और बाहर जितनी कटु-आलोचना की गई उतनी और किसी अध्याय की नहीं, किन्तु सविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का स्पष्ट मत था कि देश के हित में स्वतन्त्रता की अपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। केन्द्र को इस दृष्टि से सर्वोच्च-शक्ति-सम्पन्न इसलिए होना चाहिए कि राज्य तथा सभ को इकाईयों बाह्य आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति नहीं रखती और आन्तरिक विस्तार को सुलझाने के सम्बन्ध में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपात-काल में विकर्ण सत्ता विनाश का कारण बन सकती है। डॉ. अम्बेडकर ने यह महत्वपूर्ण तर्क दिया कि "केन्द्र ही सम्पूर्ण देश को समान भलाई के लिए कार्य कर सकता है, अतः केन्द्र को आपातकाल में राज्य सरकारों की शक्तियाँ ग्रहण करने का अधिकार दे देना व्यापारिक है।" सविधान के प्रारूप की प्रस्तावना करते समय डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति को इन शब्दों में स्पष्ट किया—"भारत के प्रारूप सविधान में भारत राष्ट्र का अध्यक्ष जिस अधिकारों को बताया गया है उसे 'सभ का राष्ट्रपति' की सजा दी गई है। इस उपाधि से अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान आता है, परन्तु सजा की समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित शासन प्रणाली के साथ प्रारूप में परिकल्पित शासन-प्रणाली का साम्य नहीं है दोनों में मौलिक भेद है। अमेरिका में अध्यात्मिक शासन है और कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रपति में स्थित है तथा प्रशासन सत्ता उभरी के हाथों में है। भारत में राष्ट्रपति का स्थान खाली होगा जो ब्रिटिश सम्राट का सविधान के अन्तर्गत है। यह राज्याध्यक्ष तो होगा, किन्तु कार्यपालिका का मुखिया नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, शासक नहीं, वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान अनुष्ठानिक मुद्रा का है जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय प्रख्यात किए जाते हैं।"

निवारक नजरबन्दी अनुच्छेद—सविधान सभा में निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी अनुच्छेद को सविधान में शामिल करने का तर्कसम्पत उत्तर देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था धंग करने वाले देश की रक्षा सेवाओं (Defence Services) में गहबड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों का विशेष करना कार्यपालिका के लिए आवश्यक हो सकता है। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को राज्य के हितों पर वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती है।"

धार्मिक स्वतन्त्रता—धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार चर्चित रहा। सविधान सभा में यह तर्क दिया गया कि धार्मिक स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति और धर्म निरपेक्ष राज्य की धारणा—ये परस्पर विरोधी अवधारणाएँ हैं। डॉ. अम्बेडकर ने सदन में एक स्थल पर स्पष्ट किया कि "धर्म-निरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं है कि हम धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसका अर्थ है कि यह संसद देश के नागरिक पर विशेष धर्म लादने का अधिकार नहीं रखती। यह एक परिसीमा सविधान स्वीकार करता है।"

संविधान सरोधन—संविधानिक उपचार का अधिकार सम्बन्धी अनुच्छेद संविधान-सभा में रोचक और महत्वपूर्ण विवाद का विषय बना। इस अनुच्छेद के महत्व की व्यख्या करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौनसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जावेगा, इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है और मुझे प्रसन्नता है कि सदन ने इसके महत्व को समझा। भविष्य में कोई ससद इस अनुच्छेद में अंकित त्रुटियों को छीन नहीं सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की सहाय निश्चयने की शक्ति सम्भर की इच्छा से बनाई गई किसी विधि पर अत्रिब नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार संविधानिक सरोधन द्वारा छीना जा सकता है। संविधानिक सरोधन कले की विधि संविधान द्वारा निर्धारित है। मेरे विचार में यह व्यक्ति की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण परिमाण है।"

नीति-निर्देशक तत्व—राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त आधुनिक संविधानिक प्रशासन की नवीन विशेषता है और संविधान-निर्माता अदरिशा गाण्ड्य के संविधान से प्रभावित हुए थे, क्योंकि उसमें एक अध्याय राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों पर है। इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों के महत्व को इंगित करते हुए संविधान सभा में प्रथम सभिवि के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने यह विचार व्यक्त किया था—

"निर्देशक सिद्धान्त उन अनुच्छेद-पत्रों के समान हैं जिन्हें उपनिवेशों के गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों के नाम जारी किए जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत ये अनुदेश-पत्र भारतीय गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को जारी किए थे जिन्हें निर्देशक अथवा सिद्धान्त कहा जाता है अनुदेश-पत्र का दूसरा नाम है। अन्तः इतना है निर्देशक सिद्धान्त कार्यपालिका एवं विधान-मण्डल दोनों के कार्य का निर्देशन करते हैं। यथाप्राय को सत्ता के प्रयोग में स्वच्छन्द नहीं रखना चाहिए। सत्ता का प्रयोग करत समय उसे इन निर्देशक सिद्धान्तों का आदार करना होगा, वह इनकी अवहेलना नहीं कर सकता।" गणतन्त्रत्मक भारत के राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता के सम्बन्ध में मौलाना हसरत मोहनी ने यह प्रभाव रखा कि "प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र गाण्ड्य" शब्द प्रस्तावना में रख देने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत राष्ट्र-मण्डल का सदस्य बना रहेगा तो वह हॉलैंड की तरह ब्रिटेन के अधीनस्थ एवं गणतन्त्रत्मक अधिपत्य (A Republic Dominion under Britain) होगा, परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने महामति प्रकट करते हुए स्पष्ट किया कि 'सम्पन्न' (Sovereign) शब्द 'स्वतंत्रता' (Independence) का अभिव्यक्ति करता है और एक स्वतंत्र देश किसी दूसरे स्वतंत्र देश के साथ किसी स्थिति में बँधता है तो वह इस कारण द्विपक्ष रूप में कम प्रभुत्व-सम्पन्न (Less Sovereign) नहीं हो जाता। अन्त में संविधान सभा द्वारा मौलाना हसरत मोहनी का सरोधन अस्वीकार कर दिया गया और भारत को एक सम्प्रभुत्व लोकतन्त्रत्मक गाण्ड्य (A Sovereign Democratic Republic) घोषित कर दिया गया।

संविधान की प्रस्तावना—'प्रस्तावना' में लिखित 'हम भारत के लोग' (We the People of India) शब्द पचा के विषय रहे। एच.एन. राह ने कहा कि 'हम भारत के लोग' शब्द समुचित नहीं, क्योंकि संविधान निर्माता सभा सदस्य मन्त्रीधर के आचार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई, परन्तु विशिष्ट समिति (The Special Committee) का अभिमत था कि 'भारत के लोग' शब्दों का अर्थ भारत की जनता (The People of India) से है और संविधान निर्माता सभा भारत की जनता के नाम पर बोल रही है, लेकिन राष्ट्र-मण्डन को भारत की सदस्यता ने संविधान सभा के अनेक सदस्यों की शकलु बना दिया था अन्त पूर्णता बननी ने यह सरोधन रखा कि इसकी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाए कि सम्प्रभुत्व भारत की जनता में लिखित है। पूर्णता बननी के सरोधन प्रस्ताव का महावीर त्यागी द्वारा जोरदार समर्थन किया गया, लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने ठर्क-समर्थन उठार दते हुए कहा कि 'प्रस्तावना' इस बात को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर देती है कि सम्प्रभुत्व भारत की जनता में लिखित है और संविधान सभा इस बात को सम्पूर्ण भारत की तरह से घोषित कर रही है। यद्यपि संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक प्रतिनिधि सभा (A Representative Body) है। अमेरिकन संविधान अनसूचित एक और छोटी सत्ता द्वारा दैवर किया गया था और जब वह सत्ता संपुक्त राज्य अमेरिका की जनता की तरह से संविधान की घोषणा कर सकती थी तो भारत की बड़ी संविधान सभा के निरर्देशकता करना उचित है कि वह सम्पूर्ण भारत की जनता की तरह से बोलें। सभा में डॉ. अम्बेडकर का ठर्क ही मान्य हुआ और पूर्णता बननी का सरोधन अस्वीकार कर दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु प्रवचन—डॉ. अम्बेडकर और उनके समान विचारधारा वाले सदस्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और जनजातियों के तिर विशेष प्रवचन किए गए और इनको कुछ रिशतों दी गई। एकमात्र यही उपाय था जिससे अवसरों की समानता के मूलभूत अधिकार को मजबूत प्रदान की जा सकती था। ये रिशतों जाति के आधार पर दी गईं और इसका कारण यह था कि जाति-प्रथा के कारण ही टर्नित वर्ग के लोग इन्ने सिद्ध हुए थे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उन्नत बनाते हेतु डॉ. अम्बेडकर ने उनके लिए सवैधानिक प्रावधान कराये और कानून बनवाये बल्कि उनके जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार हेतु प्रयास किये। दलित कहलाने वाला यह वर्ग अपनी बुरी आदतों और हीन भावना के कारण हिन्दू समाज में हीन समझा जाता है। इस तथ्य को समझते हुए डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें अपनी बुरी आदतों (सवर्ण जातियों से भौगना, नशा करना, गंदे कपड़े पहनना, मुर्दा जानवा का मौस खाना, शूट बोलना, निरक्षर रहना आदि) को त्याग कर सम्मानपूर्ण जीवन बिताने की प्रेरणा दी। उन्होंने तीन विन्दुओं पर बल दिया—(1) अछूत संगठित हों, (2) वे शिक्षित हों (3) वे अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। उन्होंने अपनी अछूत जाति 'महार' के सम्मेलन में कहा था कि "यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो मनुष्य और जानवर में कोई अन्तर नहीं है।" महार महिलाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि "यदि तुम्हारे पति और सड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी महापुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए आवश्यक है। यदि तुम लिखना-पढ़ना जान जाओ तो बहुत उन्नति होगी, जैसे तुम होगी, वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अच्छे कार्यों की ओर अपना जीवन मोड़ दो। तुम्हारे बच्चे इस समाज में चपकते हुए हों। कभी यह मत सोचो कि तुम अछूत हो। साफ-सुथरे रहो। जिस प्रकार के कपड़े सवर्ण स्त्रियाँ पहनती हैं तुम भी पहनो। यह देखो कि वे साफ हैं।" उन्होंने 'महार वतन' कानून का विरोध किया क्योंकि इसके द्वारा महारों को बपुआ मजदूर एवं दास की श्रेणी में लाया गया था। उन्होंने सवर्ण एवं अछूतों में सपत्ता साने हेतु 'समता सैनिक दल' की स्थापना भी की। दलितों के लिये पुण्य प्रतिनिधित्व की भी माँग कर उन्होंने हिन्दू समाज की असमानता को दूर करने का प्रयास किया। सविधान के अनुच्छेद 15, 16 व 17 द्वारा उन्होंने असम्यक्ता को भी-बान्नी व अपराध मानने का प्रावधान कराया।

पुण्य स्त्रियों को सपानता

डॉ. अम्बेडकर ने पुरुष एवं स्त्रियों की सपानता के लिये काफी काम किया। पहले उन्होंने जिन कानूनों का मसौदा तैयार किया, हिन्दू कोड बिल उनमें से एक था जिसे उन्होंने 1951 में संसद में पेश किया। इसमें सम्पत्ति और विवाह के मामलों में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिलाया गया। 1951 में उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। वह उनकी मेहनत का फल था कि आगे चलकर हिन्दू कोड बिल चार भागों में बँट कर पास हो गया। इस बिल का उद्देश्य हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में सुधार करना है। इस कानून के द्वारा स्त्री-पुरुष को तत्सक की व्यवस्था की गई तथा स्त्रियों को पैतृक सम्पत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर का मूल्यांकन एवं देन

डॉ. अम्बेडकर अपने जीवन के अन्तिम समय तक सामाजिक न्याय और दलित-उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें औद्योगिक और जाति-धर्म के भेदभाव से घृणा थी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पूर्व-घोषणा के अनुसार नागपुर में दो लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। गौतम बुद्ध भारत में जन्मे थे और उनके धर्म में जाति-धर्म अथवा छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में 17 पुस्तकों की रचना की। अन्तिम दिनों में उन्होंने 'गोस्पल आफ बुद्ध' का लेखन कार्य किया। 5 दिसम्बर 1956 की मध्य रात्रि को अम्बेडकर का देहावसान हो गया। उनका निधन हरिजन समाज के लिए शोक का कारण था। नेहरूजी ने उनकी मृत्यु पर कहा कि डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज के किए गए दमनात्मक कार्यों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। डॉ. अम्बेडकर के विचार आज उतने ही समीचीन और सार्थक हैं जितने की पहले थे। गाँधीजी ने उनके सम्बन्ध में कहा था कि "धर्म में डॉ. अम्बेडकर के नाम के साथ चाहे किसी विशेषण का प्रयोग हो, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।" डॉ. अम्बेडकर को "दलित वर्ग का मसीहा या पैगम्बर" कहा गया है क्योंकि वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों-उद्धार के लिए संघर्ष किया और सवर्णों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। डॉ. बी. पी. वर्मा के अनुसार, "डॉ. अम्बेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अभूतपूर्व सैनानी थे। भारत के दलित वर्ग के लिए 20वीं सदी में जो कार्य उन्होंने किया वह अनूपाय है, इसलिए उन्हें 'दलितों का मसीहा' कहा जाता है। उनकी तुलना अमेरिका के महान् नीग्रो नेता पाल राबिनसन से की जा सकती है जिसने अमेरिका के श्वेत लोगों के विरुद्ध समस्त नीग्रो प्रजाति का आक्रोश व्यक्त किया।"¹

राजनीतिक विचार (Political Thoughts)

प्लेटो

(Plato, 427-347 B.C.)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

प्लेटो को यूनान का महान् दार्शनिक माना जाता है। उनके विचारों का राजनीतिक विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो का जन्म ईसा से 427 वर्ष पूर्व एथेन्स के एक कुलीन परिवार में हुआ था। परिचयी जगत् में सर्व प्रथम आदर्श राज्य (Utopia) की काल्पनिक योजना प्रस्तुत करने वाले इस विद्वान् दार्शनिक की माता का नाम परिक्लियनी और पिता का नाम एरिस्तोन था। प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्लेटो सुक्रात के चरणों में शिष्य बन आठ वर्ष तक अध्ययन करता रहा। उसने राजनीति विज्ञान और दर्शन पर लगभग 38 ग्रन्थ लिखे। इसमें से उसके प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार हैं—(1) टी रिपब्लिक (386 B.C.), (2) टी स्टेट्स मैन (360 B.C.), (3) टी लाज (347B.C.)। 81 वर्ष की आयु में उनका देहत्याग हो गया।

रिपब्लिक

विश्व के सभी विद्वान् 'रिपब्लिक' को प्लेटो की महान्तम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। इस पुस्तक में प्लेटो ने अनेक विषयों का वर्णन किया है। "प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा का इसमें विशद् विवेचन है। मानव के कर्मानुसार सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का इसमें उल्लेख है। इतिहास का दर्शन इसमें विद्यमान है। राज्यों के उत्थान और पतन की चक्रवर्त्यक व्याख्या द्वारा उनके पीछे वर्तमान आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की भोमांसा इसमें मिलती है। इस ग्रन्थ में शील की विशिष्टता बड़ी उत्कृष्ट शैली में प्रतिपादित कर प्लेटो ने मानव जीवन को एक उच्चतम घणतल पर ले जाने का प्रयास किया है। दार्शनिक तत्वों का पर्याप्त ऊहापोह इसमें दृश्य है। इन सभी विषयों को एक सूत्र में गाँठित एवं संयोजित करने वाली प्लेटो की 'रिपब्लिक' पुस्तक दर्शन की एक आध्यात्मिक कृति है।¹

(1) रिपब्लिक में यणित न्याय-सिद्धान्त—प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना में न्याय-सिद्धान्त को अत्यन्त महत्त्व दिया है। न्याय-सिद्धान्त एक ऐसी औषधि है जो समाज से अशांति, अव्यवस्था, कर्तव्य-विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि व्याधियों को दूर कर सकती है। प्लेटो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सतोंपपूर्वक अपना निरिचत कार्य करता रहे। उसकी दृष्टि में यही सामाजिक न्याय है जिसे सामाजिक जीवन का सच्चा सिद्धान्त कहा जा सकता है। प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय के झूठे सिद्धान्तों को समाज से दूर कर, सच्ची न्याय धारणा को प्रतिष्ठित करना था। प्लेटो की रिपब्लिक का आरम्भ और अन्त न्याय के वास्तविक स्वरूप की भोमांसा से होता है। उसने अपने सामन्त-नौन प्रचलित न्याय सिद्धान्तों की घन्घनी उड़ाई। उनमें से तीन प्रमुख सिद्धान्त ये थे—(i) न्याय की परम्परावादी अथवा सेरेन्स का सिद्धान्त, (ii) न्याय की उदवादी अथवा हेसोपेक्स का सिद्धान्त एवं (iii) न्याय की व्यवहारवादी अथवा गनार्का का सिद्धान्त।

न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ—प्लेटो के न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) प्लेटो का न्याय बाह्य जगत् की वस्तु न होकर आन्तरिक स्थिति है। यह व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है।
- (2) उसका न्याय अहस्तरोप के सिद्धान्त से सजुक्त है। आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे।

- (3) प्लेटो का सामाजिक न्याय कार्य-विशेषीकरण का सिद्धान्त है। मनुष्य की तीन प्रवृत्तियों-ज्ञान, साहस और पृथक् के आधार पर प्लेटो ने समाज को शासक, सैनिक और उत्पादक तीन वर्गों में बाँटा है।
- (4) प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासन द्वारा की गई है। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक-वर्ग में सम्पत्ति तथा नारी के साम्यवाद की व्यवस्था है जो निस्वार्थ समाज-सेवा की परिस्थिति का निर्माण कर सकेगी।
- (5) प्लेटो का सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धान्त है। कार्यों और गुणों के आधार पर विभाजित समाज के तीन वर्ग भिन्न-भिन्न होते हुए भी सामाजिक एकता के प्रतीक हैं।
- (6) प्लेटो ने व्यक्ति एवं समाज दोनों स्तरों पर न्याय के गुणों को सम्पत्ति के लिए एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत किया है।
- (7) प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है, अतः उसका न्याय सिद्धान्त एक नैतिक मान्यता है, कानूनी नहीं है।
- (8) प्लेटो का न्याय मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है तथा बड़े व्यक्ति के ध्येयत्व का गुण और समाज की सामञ्जस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है।
- (9) व्यक्तिगत स्तर पर न्याय व्यक्ति की अपनी आत्मा में बुद्धि के शासन द्वारा समन्वय की स्थापना है। सामाजिक स्तर पर वह व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने कार्य करते हुए दूसरों के कर्तव्यों में बिना हस्तक्षेप किए सामाजिक एकता को बनाए रखता है।

(2) रिपब्लिक में वर्णित शिक्षा सिद्धान्त—प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का विवेचन किया है कि कैसे ने 'रिपब्लिक की शिक्षा' को सर्वोत्कृष्ट कृति की श्रद्धा दी है। प्लेटो ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से अनुशासित होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना पाता है और उसके अनुसार अपने को ढालता है।

प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएँ—प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एपेस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों के गुणों को सम्मिलित किया है तथा दोनों के दोषों को दूर करने की कोशिश की। उसने एपेस की बौद्धिक शिक्षा के साथ स्पार्टा का सम्यक्त शारीरिक शिक्षण जोड़कर शिक्षा को व्यक्तित्व और राष्ट्र दोनों के विकास का माध्यम माना है। उसने स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्पण किया है। प्लेटो स्त्रियों और पुरुषों को समान शिक्षा को सफल करते हुए उत्पादक और श्रमिक वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित रखना चाहता है। यह सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की योजना रखता है, किन्तु सभी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं और जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की शक्ति है। प्लेटो ने अपनी प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा योजना में शिक्षा के पाठ्यक्रम का विस्तार से विवेचन किया है।

(3) रिपब्लिक में वर्णित साम्यवाद का सिद्धान्त—प्लेटो अपने साम्यवाद को राज्य के दो वर्गों—शासकों तथा सैनिकों तक सीमित रखता है। यह तृतीय बड़े वर्ग अर्थात् जन साधारण के लिए साम्यवादी व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। प्लेटो की साम्यवाद की योजना दो भागों में विभाजित है—(1) सम्पत्ति का साम्यवाद एवं (2) परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद।

सम्पत्ति का साम्यवाद—प्लेटो शासकों तथा सैनिकों के लिए सम्पत्ति का निषेध करता है। यह इन दोनों वर्गों को राज्य के अधिभावक के नाम से सम्बोधित करता है। उसका विश्वास है कि सम्पत्ति व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकती है। सम्पत्ति पर शासकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए जिससे उनके मन और मस्तिष्क से सम्पत्ति के प्रति मोह को दूर किया जा सके। यह शासकों के लिए सम्पत्ति को अनैतिक बताते हुए कहता है कि एक व्यक्ति के हाथ में सम्पत्ति और शासन की शक्ति केन्द्रित रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियों उत्पन्न कर सकता है। उसके अनुसार शासक तथा सैनिक वर्ग निजी सम्पत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। उसने रिपब्लिक में इनकी दिनचर्या का वर्णन दिया है।

परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद—प्लेटो ने अधिभावकगण के लिए निजी सम्पत्ति का निषेध करने के साथ उन्हें निजी परिवार का त्याग कर सारे राज्य को अपना बृहत् परिवार मानने के लिए कहा है। इसमें प्लेटो का उद्देश्य यह है कि शासक और सैनिक वर्ग कथन के समान कामिनी के मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पूरी तन्त्र पालन करते रहें। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से प्रबल होता है। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का नारी जाति विभुक्ति तर्क भी है। प्लेटो के समय में यूनान में नारी जाति की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। प्लेटो की यह मान्यता थी कि नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र

अधिक व्यक्त और विस्तृत होना चाहिए। जैसे में परिवार सम्बन्ध की योजना तीन बच्चों से प्रभावित की थी—(1) वह परिवार के एक एक सम्बन्धितों हुए प्रभावों से अभिप्रेत वहाँ की मुक्ति खोजना चाहिए। (2) वह तब तक नहीं की मुक्ति तथा सम्बन्धितों का पछानना था। (3) उक्त सम्बन्ध प्रवि के निर प्रकृत शक्ति की दृष्टि से जैसे की वह व्यक्त वास्तव्य लाती थी।

(4) रिपब्लिक में वर्णित अर्थों एम्—जैसे के समय में दून में एकद्वैतिक अग्रवक्त व्यक्त थी। उन्नी की प्रतिक्रिया स्वयं करने एक 'अर्थों एम्' की कल्पना का उसे 'रिपब्लिक' में प्रस्तुत किया। उसने अर्थों एम् की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की धेना की है। जैसे व्यक्ति और एम् में संवत्तु और संव का सम्बन्ध पनपना है। उसका विस्तार है कि जो गुण और विशेषता अन्य मात्र में व्यक्त में पाई जाती है, वे विद्यमान रूप में एम् में पाई जाती है। एम् मूल्य व्यक्त की कल्पना का बह रूप है, अर्थात् कल्पना (वेन) जन्ने पूर्ण रूप में जब वह प्रकृत होती है तो वह एम् का स्वयं धरा का लेटी है। एम् व्यक्ति की विशेषताओं का विद्य रूप है। जिन प्रकृत का अर्थात् मानव्य कल्पना का निर्माण बनना, साक्ष और विवेक के टोन टवों में हुआ है, उन्नी प्रकार एम् को उपन करने में टोन वक्त महत्त्व होते हैं—(1) अधिगत टव, (2) सैत्तिक टव एवं (3) दार्शनिक टव।

(5) रिपब्लिक में दामन का निर्देश—जैसे के रूप सिद्धात्तु रिप, दौस, अर्थों एम् अर्थ के विवेक के स्तर में यह विचार करना टरलेगी है कि उसने अन्ती 'रिपब्लिक' में कानून और लोकमत के प्रभाव को विन्दन छान दिया है।

(6) जैसे और फार्मवद—जैसे की फार्मवदों का अग्रवक्त विचार व्यक्त था है। उसे इतिहास में प्रथम परिष्कार होने का श्रेय प्राप्त है। जैसे के फार्मवद में एम् से टवों हेम एम् में है बर्ती टववदों है उन्नी व्यक्ति का कोई स्थान न हो। इसमें एक टव के विपक्ष किन्ती अन्य टव का अस्तित्व सर्वथा नहीं किया जाता। जैसे का फार्मवद प्रकृत विरोधी है। जैसे ने प्रकृत को अज्ञानियों का शक्त बना है। जैसे के फार्मवद में उसके सिद्धा सम्बन्ध अर्थ के विचारों का महत्त्व है। वह एम् की सर्वोच्च और कुटिलता में विस्तार व्यक्त है। जैसे के अनुसार व्यक्त को एम् में जन्ने बर्तवों का एम्प करना चाहिए। उन्नी व्यक्त के अधिकारों को महत्त्व नहीं दिया।

स्टेडमैन

जैसे ने उन्नी कानून पर नर दृष्टिकोण से विचार किया है। इसमें उसने व्यक्त की टवनी भावना नहीं की किन्ती उसने 'रिपब्लिक' में की थी। इसमें निम्न संविधानों का संकेत निम्न है। जैसे के इन्ने व्यक्त विर नर विचार अधिगत उन्नी पूर्ण और सुनिश्चित है।

(1) स्टेडमैन में अर्थों शक्त और कानून महत्त्वों विचार—'स्टेडमैन' जैसे की एकद्वैतिक रक्त नहीं है। इसमें अधिगत परिष्कारों पर विचार किया गया है और इसका मुख्य विषय अर्थों शक्त कल्पना उन्नी है। 'स्टेडमैन' में जैसे ने उन्नीटा अर्थात् शक्तों को सर्वोच्च शक्त का अधिकारी माना है। उसने विचार में यह किन्ती किया है कि एक उन्नीटा कल्पना सेवकरी टव वास्तव्य से बहकर है कर्त्तिक प्रकृत सम्बन्ध होने के बजाय वही यह निर्णय करता है कि वह अन्ती रक्तियों का कब और जिन कल्पों में प्रयोग करे। जैसे ने अन्ने विचार के आगे काम में विधि शक्त के अन्तर पर निम्नकृत अर्थात् निरपेक्ष का संरोपण किया है। उसने स्पष्टता किया है कि एकद्वैतिक संवद में सक्षम विधि या कानून संविधानवद और महत्त्व के वस्तु बन्तु की मरदा अधिगत रक्तियों के निर स्थान होता है। दूननी टवों का विधि की प्रकृत में विस्तार था। स्टेडमैन में जैसे कानून को अधिगत स्थान देता है।

(2) स्टेडमैन में एम् का वर्गीकरण—जैसे ने अन्ने 'स्टेडमैन' में एम् का जो वर्गीकरण किया है वह 'रिपब्लिक' में विर नर वर्गीकरण से निम्न निर दूर है। उन्नी एम् वर्गीकरण निम्निका है—

एम् के प्रकार	शक्तों की संख्या	शक्त के रूप
(1) कानूनप्रिय या कानून से सम्बन्धित एम्	(i) एक व्यक्त का शक्त	उपग्र
	(ii) कुछ व्यक्तियों का शक्त	कुत्तित टव
	(iii) बहुत से व्यक्तियों का शक्त	प्रकृत
(2) कानून दान सम्बन्धित न होने वाले एम्	(i) एक व्यक्त का शक्त	निम्नकृत
	(ii) कुछ व्यक्तियों का शक्त	अन्तर
	(iii) बहुत से व्यक्तियों का शक्त	अधिकारों प्रकृत

लाज

'लाज' प्लेटो का अतिम ग्रन्थ था। इसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के एक वर्ष बाद हुआ। समाजशास्त्रीय और धार्मिक विश्लेषण की दृष्टि से यह प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना है। 'लाज' में प्रतिपादित मुख्य सिद्धान्त निम्नांकित हैं—

(1) आत्म संयम का महत्व—प्लेटो के अनुसार आत्म-संयम के कारण विवेक अबाधित रूप से अपना कार्य करता है। यह राज्य की आधारशिला है। आत्म संयम पर आधारित न होने वाला राज्य अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। यदि व्यवस्थापक ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जिससे लोग आत्म संयमी बनें तो इनसे तीन आदर्शों की प्राप्ति होगी है—(1) स्वतन्त्रता (2) एकता एवं (3) सुखवृद्ध। प्लेटो के अनुसार आत्म संयम राज्य को पूर्ण और दोषहीन बना सकता है।

(2) कानून विषयक सिद्धान्त—प्लेटो ने 'लाज' में कानून की पुनर्परीक्षा की है। उसने कानून के स्वरूप आवश्यकता स्वभाव आदि पर प्रकाश डालते हुए राज्य में कानून की प्रभुता स्थापित की है। वह कानून का शासन स्थापित करना चाहता है क्योंकि कानून दर्शन तथा ज्ञान का साकार रूप है। मनुष्य को दो कारणों से कानून की आवश्यकता होती है—(1) प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक द्विती को समझने की क्षमता नहीं होती एवं (2) यदि वह समझ भी जावे तो अपने वैयक्तिक स्वार्थों और वासनाओं के कारण उसके अनुकूल आचरण नहीं करता। जग के अनुसार 'कानून' से व्यक्ति मयकी भलाई ध्याति की भलाई की पूर्व शर्त को अपना कर्तव्य मानता है।

(3) इतिहास की शिक्षाएँ—'लाज' में प्लेटो ने बताया है कि हमें भूतकालीन अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वह इतिहास के आधार पर एक निश्चित शासन प्रणाली का समर्थन करता है जिसमें राज्य की सत्ता और जनता की सहमति को स्वीकार करता है। इतिहास के उदाहरणों के आधार पर उसने कानून के नियम और मिश्रित संविधान की व्यवस्था को पुरा किया है।

(4) मिश्रित राज्य—प्लेटो ने 'लाज' में जिस आदर्श राज्य की विवेचना की है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता मिश्रित संविधान अथवा मिश्रित राज्य का सिद्धान्त है। 'लाज' में वर्णित आदर्श राज्य के निर्माण के लिए राजा और प्रजा धनी और निर्धन बुद्धिमान और शक्तिशाली सभी व्यक्तियों और वर्गों का सहयोग आवश्यक है।

(5) राज्य की भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या—प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कान्यनिक भौगोलिक रूपरेखा खींची है। उसका मत है कि राज्य सागर तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि सागर तट के निकट होने से विदेशी व्यापारियों की उस पर सदैव गिद्धदृष्टि लगी रहेगी और रक्षा के लिए बहुत अधिक सैनिक व्यय करना पड़ेगा। उसके अनुसार राज्य चारों ओर से सुगन्धित सौपाओं से घिरा हुआ हो जिससे उस पर सुगमता से विदेशी आक्रमण न हो। उसने राज्य की जनसंख्या 5040 निश्चित की थी।

(6) सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ—प्लेटो सामाजिक क्षेत्र में मिश्रित व्यवस्था को पसन्द करता था। वह विभिन्न तत्वों के सामंजस्य का पक्षपाती था। उसके अनुसार विवाह विभिन्न वर्णों और चरित्रों का मिलन होना चाहिए और सम्पत्ति निजी स्वामित्व एवं सार्वजनिक नियंत्रण में होनी चाहिए। शक्तियों को स्वेच्छा से अपने धन का कुछ भाग निर्धनों को देना चाहिए ताकि नागरिकों में वर्ग-समर्थ उत्पन्न न हो।

(7) विवाह तथा परिवार विषयक विचार—'रिपब्लिक' की भाँति 'लाज' में यह स्वीकार किया गया है कि स्त्रियों एवं पुरुषों को समान शिक्षा पाने एवं समस्त कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो ने 'लाज' में स्त्रियों के सामंजस्य को स्थापन कर दिया था। वह इस विचार को त्याग देता है कि स्त्रियों सब की सम्पत्ति होनी चाहिए। प्लेटो का मत है कि विवाह का उद्देश्य वैयक्तिक आनन्द नहीं अपितु राज्य का हित होना चाहिए। विवाह के बाद पति-पत्नी को विवाह के प्रथम दस वर्ष तक राज्य के निरीक्षकों की व्यवस्था में रहना चाहिए। उसने राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की है। इसके लिए उसके तीन सुझाव हैं—(1) महिला निरीक्षक द्रष्ट फटकार द्वारा पति-पत्नी को अधिक मतान पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें, (2) अधिक सतान पैदा करने वाले माता-पिता को राजकीय सम्मान और विशेषाधिकार दिए जाएँ एवं (3) 35 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले अविवाहितों या सन्तान नहीं व्यक्तियों पर कर लगाया जाए। प्लेटो के अनुसार सन्तान पैदा करना केवल भौतिक और राजकीय आवश्यकता ही नहीं बल्कि नैतिक आवश्यकता है।

(8) शैक्षणिक तथा धार्मिक संस्थाएँ—'लाज' में प्लेटो ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसमें पाठ्यक्रम को सामान्य रूपरेखा 'रिपब्लिक' की भाँति ही है। उसके द्वारा समस्त नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का विचार व्यक्त किया गया है। प्लेटो धर्म को सत्यगत रूप देना चाहता है। उसने 'लाज' में धार्मिक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्लेटो नास्तिकता का विरोध करता है।

(9) प्लेटो के आदर्श राज्य का सर्वांग रूप—प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 'लाज' में आदर्श राज्य का जो सम्पूर्ण चित्र खींचा है उसकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(1) आत्म संयम का महत्व, (2) कानून का सिद्धान्त, (3) मिश्रित संविधान,

(4) राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या, (5) सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ (इसमें सम्पत्ति एवं आर्थिक व्यवस्था, श्रम-विभाजन, शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था और स्थानीय शासन को सम्मिलित किया गया है), (6) विवाह एवं परिवार विषयक विचार (7) शिक्षा और धार्मिक संस्थाएँ। इनके अतिरिक्त प्लेटो ने शान्ति एवं युद्ध, ऐतिहासिक शिक्षा, अपराध एवं दंड आदि पर राज में विराट् विवेचन प्रस्तुत किया है।

अरस्तू

(Aristotle, 384-322 B.C.)

जीवन-परिचय (Life Sketch)

अरस्तू यूनान का महान् दार्शनिक राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था। उसके राजनीतिक विचारों का पश्चिम के राजनीतिक चिन्तन एवं सम्पूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। अरस्तू का जन्म यूनान के स्टेगिरा नामक नगर में 384 ई. पू. में हुआ था। उसके पिता निकोमैकस मसोडोनिया के राज्य दरबार में चिकित्सक रह चुके थे। 18 वर्ष की आयु में वह एथेन्स जाकर प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में भर्ती हो गया और 347 ई. पू. में प्लेटो के देहवसन तक वहीं रहा। ठमकी मृत्यु 322 ई. में हुई।

अरस्तू के ग्रन्थ (Works of Aristotle)

उसने सभी विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे। उसके द्वारा लिखित ग्रन्थों की संख्या लगभग 400 बताई जाती है। उसके विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रन्थ इस प्रकार हैं—(1) राजनीति पर—'पॉलिटिक्स' एवं 'दो कन्स्टीट्यूशन्'। (2) साहित्य में—'आद्योपम और साल', 'प्रोपैगैटिक्स', 'पौडैटिक्स' एवं 'रोटैटिक्स'। (3) दर्शन पर—'फिजिक्स डे एरिना' या 'एयर मैटा फिजिक्स' एवं 'कैटेगोरिज़'। (4) भौतिक विज्ञान पर—'मैटैफिज़िक्स'। (5) रीति विज्ञान पर—'हिन्नेटिज़ अथ एनीमस'।

(1) अरस्तू के राज्य सम्बन्धी विचार—'पॉलिटिक्स' की प्रथम पुस्तक में अरस्तू ने राज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन किया है। उसके राज्य सम्बन्धी विचार बाई दस वर्ष बाद भी प्रागणिक हैं। अरस्तू यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक सत्ता है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं तथा यह सभी सत्ताओं में श्रेष्ठ है। उनके राज्य विषयक विचारों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

(क) राज्य का प्रादुर्भाव—अरस्तू के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक सत्ता है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। वह कहता है कि "मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही गणसंघीय जीवन के लिए बना है।" उसने राज्य के विकास की तीन स्थितियाँ बताई हैं¹—(1) गृहस्थी, (2) ग्राम एवं (3) नगर राज्य (पॉलिस)।

(ख) राज्य एक स्वाभाविक सत्ता—प्लेटो की भाँति अरस्तू का यह मानना है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है अपितु यह एक प्राकृतिक समुदाय है। अरस्तू राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसका बिना मनुष्य का जीवन सम्भव नहीं है। अरस्तू के अनुसार, "जो व्यक्ति राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है अथवा दबङ्ग।"

(ग) राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में है—अरस्तू राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं, अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अग में निपट हुए हैं। उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य का विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(घ) राज्य मनुष्य से पहले—अरस्तू का कहना है कि 'राज्य मनुष्य से पहले' है। इस सम्बन्ध में उसका तर्क है कि राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग है अर्थात् राज्य और व्यक्ति का बड़ा सम्बन्ध है या शरीर का उसके अंगों से होता है। समग्र पहले आता है और अंग बाद में, इस सद्भूत के आधार पर राज्य पहले हुआ।

(ङ) राज्य अंतिम और पूर्ण सत्ता—अरस्तू नगर राज्य को मानव सभ्यता का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता है। परिवार और ग्राम के बाद राज्य में मानव के विकास लक्ष्य की पूर्ति होती है। अरस्तू के अनुसार, नगर-राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाया। उसकी दृष्टि में वह सामाजिक विकास का चरम रूप है। परिवार से आरम्भ होने वाला विकास नगर राज्य में परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है।

(च) राज्य का नैतिक स्वभाव—अरस्तू यह प्रतिपादित करता है कि राज्य का स्वभाव नैतिक है अर्थात् राज्य का प्रकृति एक सावयवी जीवनधारा के समान है। प्रत्येक सावयवी जीवन का विकास स्वाभाविक रूप में होता है। उसका कार्य उसके विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं। यह प्रक्रिया राज्य पर भी लागू होती है। उसके समस्त कार्य उसके अंगों से मिलकर होते हैं एवं सावयवी जीवन का निर्माण होता है उसी प्रकार राज्य नगर प्रकार के अंग-व्यवहारों एवं समुदायों से मिलकर बना हुआ एक सम्पूर्ण राज्य है।

(छ) राज्य का आत्मनिर्भर होना—आरतु राज्य को विशेषता यह मानता है कि यह आत्मनिर्भर इकाई है; वह अपने 'आचार शास्त्र' में लिखता है कि "आत्म-निर्भरता यह गुण है जिसके द्वारा स्वतः जीवन बाह्यीय बन जाता है तथा उसमें कोई अभाव नहीं रह जाता।" नगर राज्य को 'आत्म-निर्भर' कहने से आरतु का यही अभिप्राय है कि नगर उच्च सम्पत्तियों और कलाकरणों की पूर्ति करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। उसका अनुसार आत्म-निर्भर राज्य व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास कर सकता है।

(ज) राज्य का एकत्व और बहुत्व—उसका सिद्धान्त है कि राज्य नागरिकों का नियंत्रण एवं नियमन को तथा अन्य कार्यों के लिए वह उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करे। उसकी दृष्टि में एकत्व ही राज्य का आदर्श स्वरूप नहीं है। आरतु के अनुसार राज्य का स्वरूप बहुत्व में है।²

(झ) राज्य के उद्देश्य और कार्य—आरतु का विश्वास है कि मनुष्य का उद्देश्य जीवन नहीं अपितु एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है और इस श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का राज राज्य का उद्देश्य है। राज्य सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक नैतिक संगठन है, अर्थात् उसका कार्य अपने सदस्यों की अधिकतम भलाई करना है। आरतु का मत है कि "राज्य की सत्ता उच्च जीवन के लिए है न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए।"³

(ञ) राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध—आरतु ने व्यक्ति और राज्य में गहरा सम्बन्ध बताते हुए राज्य और व्यक्ति की तुलना कई दृष्टिकोणों से की है। एक व्यक्ति के समान राज्य को सहस्र आत्म-नियंत्रण तथा न्याय के गुण प्रदर्शित करने होंगे हैं। राज्य व्यक्ति के समान आत्म-निर्भर और नैतिक जीवन व्यतीत करता है। वह नैतिक विषयों का पालन करता है और व्यक्ति के समान ही अपने सभी सदस्यों को नैतिक विधि मानने के लिए बाध्य करता है।

(2) आरतु के द्वारा प्रया सम्बन्धी विचार—आरतु के दासता सम्बन्धी विचार उसकी रुढ़िवादिता के प्रमाण हैं क्योंकि उस समय दास-प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का विशेष अंग थी। यूनान का आर्थिक ढाँचा इस प्रकार का था कि वहाँ भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों के हाथ में था जो परिश्रम नहीं कर सकते थे। वे सारा परिश्रम दासों से करवाते थे। यूनान में दासों की भारी संख्या थी तथा दास वहाँ की राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जाते थे। आरतु के अनुसार दास प्रथा के कारण से—(1) दास-प्रथा को आरतु स्वाभाविक व्यवस्था मानता था, (2) दास-प्रथा से दोनों पक्षों को लाभ होता था एवं (3) आरतु नैतिक दृष्टि से दास-प्रथा को आवश्यक मानता था।

दासता के प्रकार—आरतु दासों के दो प्रकार बताता है—(1) स्वाभाविक दास एवं (2) वैधानिक दास। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि और अयोग्य होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं। युद्ध में अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बन्दी वैधानिक दास कहलाते हैं।

(3) आरतु के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार—सम्पत्ति सम्बन्धी विचार व्यक्त करते हुए आरतु ने कहा है कि सम्पत्ति परिवार का आवश्यक अंग है। उसके बिना दैनिक जीवन सम्भव नहीं है। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की भीति सम्पत्ति को आवश्यकता स्वाभाविक है। सम्पत्ति जो परिवार का आवश्यक अंग है उसका स्वामित्व जल्दी है। सम्पत्ति और परिवार मानव की प्रकृति दत्त हैं। मनुष्य को सुख प्राप्त करने को भोजन चाहिए, विद्या के लिए मकान और प्रकृति द्वारा दी गई सदी-गर्मी से बचने के लिए षड्र चाहिए। ये सम्पत्ति के भाग हैं। आरतु ने सम्पत्ति को दो भागों में बाँटा है—(1) निजीव—इस सम्पत्ति में धन, मकान, खेत, छल्लिहान आदि आते हैं। (2) सजीव—इस सम्पत्ति में दास और सेवक आदि आते हैं। आरतु के अनुसार परिवार के लिए दोनों प्रकार की सम्पत्ति उपयोगी होती है।

(4) आरतु के परिवार सम्बन्धी विचार—आरतु के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान है। यह वह आधारशिला है जिस पर सामाजिक जीवन का भवन स्थिर रहता है। यहाँ से व्यक्ति का जीवन प्रारम्भ होता है। परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पराशराला है। परिवार में बालक माता की गोद और पिता के संरक्षण में पालित-पोषित होकर नागरिकता की प्रथम शिक्षा ग्रहण करता है और यही पर उसे जीवन सम्पन्न में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। उसके अनुसार परिवार एक छोटा समान है जहाँ मनुष्य के जीवन को शिक्षित होने का अवसर मिलता है। आरतु के अनुसार परिवार का स्वरूप पैतृक है और परिवार के सदस्यों का कार्य अलग होता है। पुरुष परिवार का संचालक और शासक है। वह स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान और समर्थ होने के कारण परिवार पर पूर्ण विदग्घण रखता है। आरतु के अनुसार परिवार के सदस्यों में परस्पर पूर्णतया मित्रता का वातावरण होना चाहिए।

(5) आरतु के नागरिकता सम्बन्धी विचार—आरतु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो न्याय अथवा राज्य के विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में भाग ले। उस समय राज्य के सभी नागरिक साधारण सभा के सदस्य होते थे और

1 Foster Master of Political Thought p 129

2 Barker Politics, p 40-42.

3 Aristotle Politics (Barker's Trans) p 118

यह सप्ताह वर्ष में कम से कम एक बार समग्रतः हुंकर राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करती थी तथा विधिविधीय सम्बन्धी कार्य करता थी। एदेन में यह सर्वोच्च सत्ता होती थी और सप्ताह के सदस्य के नये प्रत्येक एदेन वाली राजसत्ता में भाग लेता था। किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न माघाएण सप्ताह के सदस्य होते थे और न ही राज्य प्रशासन में भाग लेते थे। यूनान के किसी राज्य में विदेशियों, दासों, स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता के अधिकार नहीं थे। यूनानी नागरिकता अपुनिक नागरिकता को अपेक्षा अधिक संकुचित थी।

(6) अरस्तू के कानून सम्बन्धी विचार—अरस्तू ने अपने ग्रन्थ 'पॉलिटिक्स' में कानून को राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उसके अनुसार राज्य में सर्वोपयोगी शासन का इस्तेमाल धर्मिय सम्बन्ध है कि वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा शासित हो अथवा सर्वश्रेष्ठ कानूनों द्वारा क्योंकि वह शासन अपने प्रजासत्तों को पनाई के लिए कानून के अनुसार होता है। अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता को श्रेष्ठ शासन का एक विह माना है। उसने कानून को उन मामल बन्धों का सामूहिक नाम दिया जिनके अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का नियमन होता है। वह कानून तथा विवेक बुद्धि को समान तथा पर्यायवाची मानता है। उसके अनुसार विवेक बुद्धि मानव कार्यों के नियमन के लिए एक आध्यात्मिक बंधन है। एक तरह से नीति और कानून को सम्मानार्थक सहाय है। अरस्तू के मत में नीति के समान कानून का एक विरिचत रूप्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए राज्य के नागरिक प्रयत्नशील रहते हैं। अरस्तू का कहना है कि इस सम्बन्ध में सशुद्धता का महत्वपूर्ण स्थान है, जो लिखित कानूनों को घोषित करने के साथ अलिखित प्रथाओं और रीतिरिवाजों को बनाता है। कानून के स्वरूप को बनाते हुए अरस्तू का कहना है कि आदर्श कानून प्राकृतिक होते हैं। वह सविधान के लिए कानूनों की आवश्यकताओं पर बल देता है।

(7) अरस्तू के न्याय सम्बन्धी विचार—अरस्तू 'पॉलिटिक्स' में न्याय को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताता है। उसने न्याय का अर्थ नैतिक कार्य का व्यवहार रूप में प्रकट कराना बताया है। अरस्तू के अनुसार सम्पूर्ण जन का उद्देश्य नैतिक कल्याण है। न्याय समस्त गुणों का समूह है। वह न्याय का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके दो भेद करता है—(1) सामान्य न्याय एवं (2) विशेष न्याय। न्याय में नैतिक गुण एवं अच्छाई के सभी काम आ जाते हैं। अच्छाई के सभी कार्यों, सभी मद्दतों तथा समग्र संपुता को ही अरस्तू सामान्य न्याय समझता है। विशेष न्याय में अरस्तू का तात्पर्य पनाई के विशेष रूपों से है। इन न्याय को वह अनुनातिक समानता के अर्थ में लेता है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को को मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति इस ढंग में आती है। उसने इसके दो उपविधा किए हैं—(क) विवरणानुसृत न्याय एवं (ख) सुधारानुसृत न्याय। विवरणानुसृत न्याय में अरस्तू ने बताया है कि राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्याय पूर्ण रीति में करे। अरस्तू के अनुसार सुधारानुसृत न्याय एक नागरिक से दूसरे नागरिक के सम्बन्ध को निर्दिष्ट करता है।

(8) अरस्तू के शिक्षा सम्बन्धी विचार—अरस्तू के अनुसार शिक्षा आदर्श राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है। आदर्श राज्य के निर्माण और स्थापित के लिए उपयुक्त शिक्षा पद्धति पराम आवश्यक है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को सविधान के अनुकूल बनाना है ताकि राज्य और नागरिकों में किसी प्रकार का द्वेष न रहे और नागरिकों के मानसिक स्तर को उन्नति हो।

शिक्षा के तीन मूल सिद्धान्त—अरस्तू ने शिक्षा के तीन मूल सिद्धान्त बताए हैं—(1) सभी नागरिकों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था (2) शिक्षा द्वारा नागरिकों को चरित्रवान बनाना और (3) शिक्षा द्वारा नागरिकों को सविधान के अनुकूल बनाना।

(9) अरस्तू का सविधानों का वर्गीकरण—अरस्तू ने सविधानों का वर्गीकरण दो सिद्धान्तों के आधार पर किया है—(1) सत्ता अर्थात् शासन सत्ता किसे धरिनी है, स्थित है? एवं (2) तब या उद्देश्य अर्थात् राज्य का उद्देश्य सामूहिक हित है या स्वार्थ साधन? उसके वर्गीकरण का चर्चा इस प्रकार किया जा सकता है—

सविधान का रूप या शासकों की संख्या	सामान्य राज्य जो सामूहिक हित की चेष्टा करते हैं	श्रेष्ठ राज्य जो सामूहिक हित की चेष्टा करते हैं
एक व्यक्ति का शासन कुछ व्यक्तियों का शासन अनेक व्यक्तियों का शासन	राजतंत्र या एकांत कुर्मानतंत्र संवतंत्र	निरुद्ध शासन अन्यतंत्र या सत्तवी तंत्र अधिकारी तंत्र

उसने अपने वर्गीकरण को पूर्णरूप से व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त अरस्तू ने अपन वर्गीकरण के ये आधार बताए हैं—(1) आर्थिक आधार, (2) मौखिक गुणों का आधार एवं (3) कार्य प्रणाली का आधार।

आर्थिक आधार में उसने धनिकतन्त्र में धनिकों का तथा जनतन्त्र में गरीबों का शासन बताया है। गुणों के आधार पर उसने जनतंत्र में सभ्यतन्त्र एवं स्वतन्त्रता के तत्व पर धनिक तंत्र में धन पर कुलीन तंत्र में गुणों पर तथा संघत जनतन्त्र में धन एवं स्वतन्त्रता के तत्व पर बल दिया है। शासन प्रणाली की दृष्टि से उसने बताया है कि कहीं ऊँचे पदों पर सम्पत्ति वाले व्यक्ति ही शासन करते हैं तो कहीं मनुष्यी सम्पत्ति वाले भी शासन में भाग ले सकते हैं।

(10) सर्वश्रेष्ठ ध्यायहासिक राज्य या सर्वोत्तम संविधान—अरस्तू ने अपने सर्वोत्तम अथवा आदर्श संविधान का वास्तविक उदाहरण नहीं दिया है। उसने श्रेष्ठता की दृष्टि से शासन प्रणालियों अथवा संविधान या राज्यों का जो क्रम निश्चित किया है वह है—(1) आदर्श राजतन्त्र (Ideal Royalty), (2) विशुद्ध कुलीनतन्त्र (Pure Aristocracy) (3) मिश्रित कुलीनतन्त्र (Mixed Aristocracy), (4) संघत जनतन्त्र (Polity), (5) अधिकतम उदारजनतन्त्र (Most Moderate Democracy), (6) अधिकतम उदार धनिकतन्त्र (Most Moderate Oligarchy), (7) जनतन्त्र तथा धनिकतन्त्र के बीच के दो प्रकार, (8) अति जनतंत्र (Extreme Democracy), (9) अति धनिक तंत्र (Extreme Oligarchy) एवं (10) तानाशाही (Tyranny)। अरस्तू ने क्रमानुसार उक्त संविधानों की जो सूची दी है उसमें अत्युत्तम भयत जनतन्त्रीय संविधान (Polity) ही उत्तम संविधान है।

(11) आदर्श राज्य—अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषता है—“कानूनों की प्रभुता तथा एक समुचित और समुचित मात्रा में सम्पत्ति एवं निम्नी पारिवारिक जीवन उपलब्ध है।” अरस्तू ने कहा है कि जो शासन अपनी प्रजा की भलाई हेतु होता है वह कानून के अनुसार होता है। ठाका आधार मानव प्रकृति के स्वरूप पर निर्भर होता है। उसके आदर्श राज्य की विशेषताएँ निम्न-लिखित प्रकार से हैं—

- (i) राज्य का धार आवश्यकतानुसार होना चाहिए। यह न इतना छोटा हो कि आजीविका कठिन हो जाए और न इतना बड़ा कि व्यक्ति विलासिता का जीवन बिताए।
- (ii) आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र और उनकी योग्यता पृथगी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अरस्तू की धारणा है कि आदर्श राज्य में मनुष्य और नागरिक गुण समान होने से सभी अच्छे नागरिक होंगे।
- (iii) जनसंख्या न बहुत अधिक हो और न बहुत कम।
- (iv) अरस्तू ने आदर्श राज्य में 6 प्रकार की आवश्यकताएँ मुख्य मानी हैं—भोजन, कला-कौशल, शास्त्र सम्पत्ति, सार्वजनिक देव पूजा और सार्वजनिक हित का निपारण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने राज्य में छह वर्ग कृषक, शिल्पी, योद्धा, सम्पत्तिशाली वर्ग, पुरोहित और प्रशासक होना आवश्यक माना है।
- (v) अरस्तू आदर्श राज्य में शिक्षा पर ध्यान देता है। आदर्श राज्य का उद्देश्य एक शुभ जीवन की प्रति है और शुभ जीवन के लिए व्यक्ति का चरित्रवान, स्वाय और कर्तव्य-परायण होना आवश्यक है। यह कर्म शिक्षा के द्वारा हो सकता है।
- (vi) अरस्तू अपने आदर्श राज्य के लिए अन्य विशेषताओं का भी वर्णन करता है जैसे—बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए रक्षा के अच्छे साधन, राज्य में पानी, सड़कों एवं किलों आदि की सुन्दर व्यवस्था आदि।

(12) अरस्तू के क्रान्ति सम्बन्धी विचार—अरस्तू के अनुसार क्रान्ति का अर्थ है संविधान में हर छोटा-बड़ा परिवर्तन। यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में पूर्ण परिवर्तन होता है या आंशिक, संशुद्ध होता है या बिना किसी विशेष घटना के। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसे हम पूर्ण क्रान्ति भी कहा दे सकते हैं किन्तु जब संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में परिवर्तन होता है इसे आंशिक क्रान्ति कहा जाना चाहिए। संविधान में परिवर्तन निर्वाचन द्वारा, धोखे से सशस्त्र विद्रोह से अथवा अन्य रक्तहीन उपायों द्वारा हो सकता है। अरस्तू ने क्रान्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके 5 प्रकार बताए हैं—(1) आंशिक और पूर्ण क्रान्ति, (2) रक्त पूर्ण और रक्तहीन क्रान्ति, (3) व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत क्रान्ति, (4) वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रान्ति एवं (5) वैचारिक क्रान्ति।

मैकियावेली

(Machiavellie, 1469 1527)

जीवन परिचय (Life Sketch)

बौद्धिक पुनर्जागरण ने लोगों के जीवन में नई चेतना, स्वतन्त्रता के लिए एक नवीन प्रेम और जीवन में नवीन मूल्यों के प्रति अनुसारा पैदा कर दिए। ज्ञान और पुनर्निर्माण के ऊष्णकाल में मैकियावेली पैदा हुआ था, जिसने विश्व को नई

सूत्रबद्ध और दिला प्रदान की। मिक्लेले मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था। उनका पिता वकील था। 1490 में मैकियावेली ने एक साधारण प्रशासकीय पद पर कार्य शुरू किया। 1498 से 1512 तक उसने फ्लोरेंस की 'कोसिल ऑफ टैन' के सचिव पद पर कार्य किया। उसने अपना शेष जीवन लखन कार्य में व्यतीत किया। 1527 में उनका देहवसान हो गया।

मैकियावेली के ग्रन्थ (Works of Machiavellie)

मैकियावेली ने दो महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिन्हें कदापि उपेक्षा नप सकती। इनमें से पहला है 'डिस्कॉर्सेस ऑन लिवि (Discourses on Lvy) (2) दी प्रिंस (The Prince)।

मैकियावेली युग शिरो के ग्रन्थ में

मैकियावेली के चिन्तन पर उसके युगन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए उस दशक के विद्वान् हनिंग ने लिखा है कि "यह प्रतिष्ठा सम्पन्न फ्लोरेंस निवासी चालकिक कार्य में अन्त बन्त का शिरो था।"

(1) मैकियावेली के मानव स्वभाव सम्बन्धी विचार—मैकियावेली की धारणा थी कि मनुष्य जन्म से बुरा होता है। अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण वह अधोगति को प्रवृत्त होता है। मानव प्रकृति में दो स्वार्थी एवं दुष्ट होते हैं। मैकियावेली का विश्वास था कि मनुष्य की स्वार्थी भावना और उसके अहंकार उसके सारे क्रियाकलापों के मूल में होते हैं। वह विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त होता है तथा परोपकार जैसी धारणाओं से अपरिचित होता है। उसने लिखा है कि "सामान्यतः मनुष्यों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है वे क्रूर, चतुर, धिक्कृत और स्वार्थी निम्न होते हैं। वे तभी तक अपने बने रहते हैं जब तक सम्पत्ता उनके पास है। वे तभी तक अपने लिए अपना गुण सम्पत्ति जीवन अति का बलिदान करते के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वस्तु में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है लेकिन जैसे ही यह आवश्यकता निकल आती है वे अपने विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं।—मनुष्य उसी समय तक किसी से प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है लेकिन जब वे अपनी कार्य स्वार्थी सिद्ध नहीं देखते तब वे विश्वास कर देते हैं। मैकियावेली का यह वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है कि "मनुष्य निष्ठा की मृत्यु का दुष्ट असाती से घृणित है, पर निष्पक्ष का हानि नहीं झुंटा।"

(2) मैकियावेली के धर्म और नीतिक्रम सम्बन्धी विचार—उपरोक्त ग्रन्थ में मैकियावेली ने सर्वप्रथम उपरोक्त को धर्म एवं नीतिक्रम में पृथक् रखने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। मैकियावेली के अनुसार धर्म-न्याय, धर्म-अर्थ, लोक-पालक, अत्याचार, शत्रु-मित्र आदि के विचार दार्शनिक मनुष्य के लिए हैं। राजा का इनका दाम नहीं हाना चाहिए। उसके अनुसार मर्यादा राजा वगैरे हैं जो शक्ति, धोखा और पक्षपात लेकर आते, शत्रु की तरह शक्तिशाली हैं और मर्यादा को तरह चलाते हैं।

(3) मैकियावेली के राज्य सम्बन्धी विचार—मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम मत्ता है जिस मनुष्य न अपनी अनुविषयों को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के अविषय का कारण मनुष्य का स्वार्थी प्रवृत्त है और राज्य की मुख्य विशेषता उसके निरन्तर विस्तार है। मैकियावेली नगर राज्य की अपेक्षा निरन्तर विकासशील राज्य मानने का उदाहरण था। स्वार्थी को राज्य की उत्पत्ति का कारण बताते हुए मैकियावेली यह स्वीकार करता है कि राज्य की मर्यादा असम्भव परिस्थितियों को सांठित करने के लिए हुई थी। वह स्वार्थी के अतिरिक्त यह बतलाता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरगत न होकर समाज के मन का परिणाम है। मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थीता को सांठित एवं नियंत्रित करने के लिए बलशाली बाह्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो राज्य को पूर्ण की शक्ति है।

उसने बतलाया है कि आदर्श राज्य को किसी दायव से राज्य को शक्ति सम्पन्न और अतिशय बढ़ाना चाहिए। उसने बतलाया कि "मनुष्य मानवता और मनुष्य के अर्थों से निरन्तर बचता है, अतः राज्य को इन दोनों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। उसने राजा का यह शिष्टा ची है कि उस दायव को दूर सर्वेष्ट पक्ष रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमता का अनुचित लाभ न उठाए।"

(4) मैकियावेली के सरकार सम्बन्धी विचार—राज्य तब तक अथवा सरकारों का कार्यकारण मैकियावेली ने इस उद्देश्य से किया है कि अदरों कायम किया जा सके। अतः वा अनुमान करते हुए उसने सरकारों का उनका शुद्ध एवं अशुद्ध रूप मानकर छ पापों में विभक्त किया है—सामान्य रूप—(1) राज्य (2) कुलीनत्व एवं (3) गणतन्त्र। विद्वान् रूप—(1) आत्मशासन (2) वर्चस्व एवं (3) शोषण।

(5) नागरिक सेवा और सैनिक शक्ति सम्बन्धी विचार—मैकियावेली की मान्यता है कि शासक को नागरिकों की शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहिए, भंडे के उद्देश्यों पर अतिरिक्त रहना सख्तवक्त है। उसे जहाँ कुलीन वर्ग से अर्थ है, वहाँ भंडे के सिद्धियों से घृणित है। मैकियावेली के विचार से इटली में उस समय अशांति का मुख्य

वारंग भाड़े के सिपाही थे। मैकियावेली मानता था कि फ्रांस को अपनी रोना का राष्ट्रीयकरण करने से लाभ हुआ है। मैकियावेली का विचार था कि 17 से 40 वर्ष की आयु के बीच के समस्त सभ्य नागरिकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त होने चाहिए।

(6) साम्राज्यवाद या राज्य भ्रंश सम्बन्धी विचार—मैकियावेली के मतानुसार राज्य को प्रसरणशील होना चाहिए। अपना सीमा रेखा बढ़कर राजा को चाहिए कि वह दूसरे राज्यों को आत्मसत्ता को और साम्राज्य विस्तार द्वारा अपने यौत्स्य का परिचय दे। मैकियावेली के अनुसार विधोक्तापण या दूदीकरण से राज्य में एकरूपता आ जाती है। मनुष्य स्वभाव से महन्-वादी है और एक दूरदर्शी राजा का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह नई भूमि पर अधिभार करे नए उपनिवेश बसाए साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाए तथा शान्ति और सुरक्षा को व्यवस्था करे।

(7) सम्प्रभुता और विधि सम्बन्धी विचार—मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से 'सम्प्रभुता' शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया, किन्तु उसने राजा की शक्तियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसमें सम्प्रभुता का आभास होता है। मैकियावेली स्वयं परिवर्तन चाही था इसलिए उसने स्थायी तथा अखण्ड सम्प्रभुता की बात नहीं की है। उसकी सम्प्रभुता एकात्मक, सैनिक, धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से संपुर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मैकियावेली भीषित सम्प्रभुता की आवश्यकता को स्वीकार करता है। विधि के सम्बन्ध में मैकियावेली के विचार संकुचित हैं। वह नागरिक विधि के अस्तित्व को स्वीकार करता है और विधियों को शासक के प्रभाव का माध्यम मानता है। उसके अनुसार राज्य-विहीन समाज में विधियाँ न होने से पूर्ण अराजकता थी। उसके अनुसार विधियों का मुख्य कार्य सामंजस्य एवं सम्बन्ध को स्थापना करना है। उसके अनुसार सभी विधियाँ नागरिक हैं जो शासक के द्वारा प्रणीत होती हैं।

(8) सर्वशक्तिशाली विधिकर्ता या विधापक—मैकियावेली ने विधापक के कार्य एवं महत्व को बहुत ही सतत भाव से ध्यान दिया है। उसके अनुसार सभ्य राज्य की स्थापना एक आदमी के द्वारा की जा सकती है। मैकियावेली के अनुसार "हमें सामान्य नियम के रूप में यह मान लेना चाहिए कि किसी गणराज्य अथवा राजतंत्र का संगठन अथवा उसकी पुरानी समस्याओं का सुधार तभी सम्भव है जब वह व्यक्ति के द्वारा किया जाए। यहाँ तक है कि जिस व्यक्ति ने इस संविधान की कल्पना की हो वही उसे कार्यान्वित भी करे।"

मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक

मैकियावेली को 'आधुनिक राजनीति का जनक' कहा जाता है। इनके उसमें मध्ययुग और आधुनिक युग का सम्बन्ध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक माना है। प्रो. जोस उसे राजनीतिक सिद्धान्तवादी न मानते हुए आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तों के पिता की मन्ना से विभूषित करता है। मैकियावेली राजनीतिक विचारों के इतिहास में अमर स्थान रक्षता है क्योंकि वह पहला राजनीतिज्ञ है जिसने मध्ययुग के विचारों का छटन प्रारम्भ किया था और आधुनिक विचारधारा का श्रेणीगत किया यद्यपि उसे आधुनिक युग का पूर्ण प्रतिनिधि कहना अत्युक्तिपूर्ण है। मैकियावेली की स्थिति एक ऐसे विचारक की है जो मध्ययुग और आधुनिक युग की सीमाओं पर उत्पन्न हुआ था और जिसने मध्य युग के साथ सम्बन्ध विच्छेद करके आधुनिक सिद्धान्तों से नाता बनाया। उसके चिन्तन में ये तत्व ऐसे हैं जो उसे आधुनिक राजनीतिक चिन्तक के रूप में स्थान प्रदान करते हैं—(1) उसने राजनीतिक चिन्तन को वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। (2) उसने धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर राजनीति को धर्म के नियन्त्रण से बाहर किया। (3) उसने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। (4) उसको ही सम्प्रभु राष्ट्रीय राज्य के सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय दिया जा सकता है। यह एक आधुनिक अवधारणा है। (5) उसने मध्ययुगीन कल्पनावेद से ऊपर उठकर यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। (6) उसको आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रणी विचारक माना जाता है। (7) उसने अपने चिन्तन में यद्यपि सशक्त राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन व्यवहार में वह गणतंत्रात्मक-जनतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक था। इन कारणों से मैकियावेली को 'यथार्थवादी विचारक' और 'आधुनिक राजनीतिक विचारक' के रूप में जाना जाता है।

हॉब्स

(Hobbes, 1588-1679)

जीवन-परिचय (Life Sketch)

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनुभववादी सिद्धान्त की प्रधानता 17वीं और 18वीं शताब्दी में रही है। इस सिद्धान्त का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने किया। टॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल, 1588 को इंग्लैण्ड के दक्षिणी तट पर स्थित माज्मस्तो नगर में हुआ था। अपने बाल्यकाल में हॉब्स अध्ययनशील एवं अनुशासित स्वभाव का किन्तु इराफोक था। उसने राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित और दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया था। 1679 में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

(4) हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों सम्बन्धी विचार—हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार आदि कालीन अवस्था में मानव-जीवन की रक्षा के लिए उपयोगी व्यवहार स्वातन्त्र्य या जो प्रत्येक व्यक्ति में स्वभावतः निहित है। व्यक्ति को अपने जीवन प्राण के लिए किसी को लूटने या मार डालने की स्वतन्त्रता थी। दो, एच. हसले ने इसे अधिकार को शेर का अधिकार' कहा है। प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्राकृतिक नियम थे जिनका पालन करने में प्राकृतिक अधिकार प्रजि क उद्देश्य की पूर्ति होती थी। हॉब्स का मत है कि मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबसे एक-दूसरे को हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है जिससे जीवन असुरक्षित हो जाता है। हॉब्स ने प्राकृतिक नियमों को 'शर्तों की धाराओं का नाम दिया है। उसने 19 प्राकृतिक नियम गिनाए हैं। हॉब्स के तीन नियमों का सार यह है कि 'दूसरों के साथ रूप वैया हो करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो।' उसके कुछ नियम इस प्रकार हैं—(1) प्रत्येक व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ निष्पक्ष चलना चाहिए। (2) प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को अपने समान सम्झना चाहिए। (3) किसी व्यक्ति को कर्म, शब्द, मुद्रा या शब्दों द्वारा दूसरे के प्रति घृणा प्रकट नहीं करनी चाहिए। (4) भविष्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक को उन दूसरे मनुष्यों की पिछली वृत्तियों को क्षमा कर देना चाहिए जो परचाप करके क्षमा चाहते हैं।

(5) हॉब्स के आत्म रक्षा की प्रकृति और बुद्धिसंगत आत्म रक्षा सम्बन्धी विचार—हॉब्स के अनुसार, मनुष्य अपने जीवन-शर्तों को कायम रखने और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। आत्म-रक्षा का उद्देश्य मनुष्य ने जैविक अस्तित्व को कायम रखना है। इसमें साहचर्य शुभ है और जो असाहायक है वह अशुभ है। हॉब्स को यह स्पष्ट मालूम था कि आत्म-रक्षा का सिद्धान्त इतना आसान नहीं था जैसा कि वह अब तक माना गया है। जीवन में अत्याचार नहीं है जिसमें साथ ही एक समय में हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया जाए। जीवन में अत्याचार का साधन की खोज करनी पड़ती है। वृत्ति सुरक्षा के साधन कम हैं इसलिए जीवन-समर्थ अनन्त है। मानव प्रकृति की मूल आवश्यकता सुरक्षा की इच्छा है। इस इच्छा को शक्ति की इच्छा से पूरक नही किया जा सकता है। हम में आज सुरक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी नित्यव्रति शासित करने की जरूरत है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य निरन्तर सुरक्षा की आवश्यकता का अनुभव करता है। वह मानव प्रकृति में अभिलाषा और विवेक इन दो सिद्धान्तों की चर्चा करता है। इच्छा अथवा अभिलाषा के कारण मनुष्य उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है जिनमें अन्य व्यक्ति चाहते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे निरन्तर सम्पर्क रहते हैं, लेकिन विवेक अथवा बुद्धि द्वारा मनुष्य पारस्परिक सम्पर्कों को मूलना सीखते हैं। विवेक बताता है कि अत्याचार का उद्देश्य सभी प्राप्त किया जा सकता है जब शर्तें हो।

(6) हॉब्स के राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप सम्बन्धी विचार—हॉब्स बुद्धिवादी है। उसके मतानुसार जब मनुष्य जान जाता है कि उसके 'मृत्यु का भय पारंपरिक प्रयोगों के कारण है तो विवेक उसे मार्ग दिखाता है। जब वह यह सिद्धान्त मान लेता है कि 'तु भी दूसरों के साथ यथा न कर जो तू अपने साथ दूसरों द्वारा किया जाना अन्यायपूर्ण समझता है। हॉब्स मानता है कि यदि मनुष्य स्वभाव से ही शक्तिपूर्ण होता और बिना किसी सौम्य शक्ति या शक्ति के रह सता तो शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती पर मनुष्य ऐसा नहीं है। वह अपनी भावनाओं और अपने सवर्गों को नियंत्रण में नहीं रख सकता। उसकी स्वार्थी वृत्तियाँ सम्पर्क के बाध होती रहती हैं। अतः स्वभावतः एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय की आवश्यकता पड़ती है जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखकर उनको अनुशासन बद्ध करे। हॉब्स ऐसी सत्ता अथवा शक्ति राज्य में पाता है जिसकी इच्छा समस्त व्यक्तियों की इच्छाओं की प्रतिनिधि होती है और जिसमें यह सामर्थ्य होती है कि वह सबसे विवेक के अनुसार आचरण कराए और ऐसा न करने वाले को दण्ड दे। हॉब्स के मतानुसार राज्य एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। उसके अनुसार एक राज्य की स्थापना तब होती है जब अनेक व्यक्ति एक-दूसरे से यह समझौता करते हैं कि सामस्त व्यक्ति उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के कार्य को अपना कार्य समझेंगे जिसे उनके अधिकार प्राण ने अपना प्रतिनिधि चुना है पर उन्हीं से किसी ने उसके पक्ष में मत दिया हो या विरोध में। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शक्तिपूर्वक और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे। यह समझौता इस प्रकार हुआ है मानो प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति ने यह कहा हो कि 'मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम अपने इस अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर दो।' इस तरह जब समुदाय एक व्यक्ति में समुक्त हो जाता है। इसे राज्य या लेटिन भाषा में 'सिविटास' (Civitas) कहते हैं। हॉब्स के अनुसार यही उस महान लेविथायान या देवता का जन्म है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्रछाया में हमारी शान्ति तथा सुरक्षा निर्भर है।

(7) हॉब्स के प्रभुसत्ता सम्बन्धी विचार—हॉब्स प्रभुसत्ता का प्रचण्ड समर्थक है। उसकी प्रभुसत्ता का आधार सामाजिक संविदा है। स्पष्ट या अपष्ट किसी रूप में संविदा या अनुबंध से प्रभुसत्ता प्राप्त होती है। हॉब्स का 'लेविथायान'

अथवा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शासक निरक्षर है। उसका आदेश कानून है। उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। प्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थाई एवं अद्वैत है। राज्यादा न्याय-सम्मत और कानून-सम्मत होती है। उसका हस्तक्षेप कार्यो और विचारों पर होता है। बौद्धों ने प्रभुमता पर जो मर्यादाएँ लगाई हैं उन्हें हॉब्स दृष्टा देता है। गेंटिल के अनुसार "शास्य व अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसे प्रभुमता में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो।"¹

हॉब्स के अनुसार सम्भुता सभी विधेयानुक्त कानूनों की श्रोत है। व्यक्ति सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा वैयक्तिक शक्तियों का परित्याग कर देते हैं, अथवा स्वाभाविक रूप से उन सब की तरह एक विधि-निर्माण की शक्ति सम्भु के पास रह जाती है। सम्भु समाज को ओर से यह श्रद्धापूर्वक निर्णय करता है कि सामाजिक शक्ति और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए?

(8) हॉब्स के नागरिक कानून सम्बन्धी विचार—सामान्य नागरिक विधियाँ सम्भु की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं। विधियाँ में पुरातन नियमों अथवा देवताशक्त परम्पराओं का नहीं, बल्कि सम्भु की दृढ़ सङ्कल्प-श्रिया प्रधान है। विधि सम्भु की शक्ति की शोचक है जो प्रजाजन के लिए कर्मियों की घोषणा करती है। विधियाँ मानव व्यवहार को विनियमित करने एवं उसका मानदण्ड प्रस्तुत करती हैं। ये उस सम्भु का आदेश हैं जिन्होंने अपने शक्ति का पक्ष चरने की क्षमता है। प्रजा इन विधियों को नैतिक मूल्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसलिए मानती है कि वे सम्भु की इच्छा को अभिव्यक्ति हैं। हॉब्स के अनुसार विधि के दो विभाग हैं—(1) विद्वत्प्राप्त या निषेधात्मक एवं (2) आदेशात्मक या दण्डात्मक। प्रथम विभाग में नागरिकों को वैध-अवैध कार्यों का ध्यान बतलाया जाता है और दूसरे विभाग में राज के अधिकारों को, जनता के प्रति अनुरोधानुसार क्या दण्ड विधान है, इसकी व्याख्या की जाती है। सम्भु विधि का मातृ श्रोत और व्याख्याकार है।

(9) हॉब्स के राज्य तथा चर्च सम्बन्धी विचार—हॉब्स यह स्वीकार नहीं करता कि अन्य कोई सच्चा राज्य के समकक्ष है। वह धर्म को विधि एवं शासन के नियन्त्रण में मानता है। उसने चर्च को पूर्ण तरह नागरिक शक्ति के अधीन कर दिया। हॉब्स ने धर्म का आधार अदृश्य शक्ति का भय बना है। मनुष्य शरत्त्व नरक के भय में कण्ठता है और आध्यात्मिक सजा उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाती है, अथवा उससे अनुसार राज्य को इस खतरों से अपनी तथा प्रजा को रक्षा करना चाहिए।

(10) हॉब्स के व्यक्तिवाद सम्बन्धी विचार—निरपेक्ष सम्भुता का समर्थक होते हुए भी हॉब्स व्यक्तिवादी है। वह मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवादी है जिसके उद्गारों का प्राथमिक सूत्र व्यक्ति है। अस्तु के समान समाज नहीं। 'उसकी विचारधारा में व्यक्ति अलग इकाई है और राज्य बाहर की एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें इच्छा के भ्रम में बंधी है और उनके समान स्वार्थों में साम्यस्य स्थापित करती है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थ से भिन्न किसी सच्चा का उद्देश्य न हो सकता है और न होना चाहिए। हॉब्स पहला दार्शनिक या जिसे व्यक्ति के हित को एवं उसके अहित होने के अधिकार को सर्वोपरि माना।' हॉब्स का निरक्षरवाद कट्टर नहीं है। नागरिक विधियों के संरक्षण में स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। 'लेखिकापान' अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता। सेवान के अनुसार "हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद का अर्थ पूर्णरूप से अपुनिक है। इस दृष्टि से हॉब्स आगामी युग का विचारक समझ लिया गया था।"² हॉब्स व्यक्ति के हित का समर्थक होने के कारण प्रबल व्यक्तिवादी था।

जॉन स्टुअर्ट मिल

(John Stuart Mill, 1806-1873)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

विख्यात वेदमतादी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपरोक्तानुसार के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। 20 मई, 1806 को लन्दन में जेम्स मिल को उसके पिता ने बचपन से ही वेदम के अर्थों के अनुसार ज्ञानों का पूरा प्रयत्न किया था। जेम्स के कठोर अनुशासन में स्टुअर्ट मिल ने बाल्यवस्था से गहन अध्ययन में रूचि ली। मात्र 8 वर्ष की अवस्था तक उसने जेनेरोसिय, हेरोडोरस, आइसोक्रैटस के ग्रन्थों का और प्लेटो के छ सत्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 11 वर्ष की अवस्था में उसे निजी ट्राय लेटिन में लिखित 'रोमन शासन का इन्वेंटरी' पढ़ने को दिया गया। 13 वर्ष की अवस्था में उसने एडम स्मिथ और रिचर्डों की अर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें, लॉक और तथा मनोविज्ञान के जटिल विषयों का गहन अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। वह बचपन से अपने कठोर बौद्धिक अनुशासन में रहा कि उसकी प्रबलनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पाई, वह प्राकृतिक सौन्दर्य से दूर रहा और बाल्य-मुलम मनीषा भी उसे नहीं मिल पाया। 14 वर्ष की आयु में उसे वेदम के छोटे भाई के साथ एक वर्ष के लिए प्रेषित भेजा गया। वहाँ उसे

1 Gentle "No writer has taken a more extreme view than Hobbes of the absolute nature of sovereignty"
2 महान्त राजनीतिक दर्शन का इतिहास, खण्ड 1, पृ 421

धूमने और प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेने का अवसर मिला। बाद में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम, यात्रा के प्रति आकर्षण और फ्रेंच भाषा के प्रति अनुराग—ये जीवन-पर्यन्त उसके साथ रहें।

अति कुशाग्र-बुद्धि और मेधावी मिल ने अध्ययन और कार्य करने की तीव्र आकांक्षा थी। प्रौंस से लौटकर उसने जैन आस्टिन और रोमन कानून तथा अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की। वह विभिन्न सभ्य-सोसायटियों में भाग लेने लगा और शीघ्र ही उसने पाषण्ड्य-कला में निपुणता प्राप्त करली। 16 वर्ष की अवस्था में वह 'उपयोगितावादी सोसाइटी (Utilitarian Society) का सदस्य बन गया और लगभग साठे होन वर्ष तक वह खाद विवादों में प्रमुख वक्ता रहा। 17 वर्ष की अवस्था में ईस्ट इण्डिया कम्पनी में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त हुआ और सन् 1856 में अपने विभाग का अध्यक्ष बन गया। दो वर्ष बाद वह पद निवृत्त हो गया। नौकरी के च्यस्त काल में भी उसने अपनी साहित्यिक गतिविधियों में शिथिलता नहीं आने दी।¹ अनवरत श्रम और बौद्धिक व्यापार के फलस्वरूप युवावस्था में ही मिल को हृत्के हृदय रोग का सामना करना पड़ा। उसने बर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि का रहन अध्ययन किया। इन महाकवियों की रचनाओं को पढ़कर मिल में जीवन की अधिक मार्मिक वस्तुओं और मानव-मस्तिष्क की सूक्ष्म क्रियाओं के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उसके स्वभाव और चिन्तन में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। डेविडसन के अनुसार, "उसके हृदय में एक नवीन मानव का आविर्भाव हुआ जिसमें अधिक गहरी सहानुभूति थी, जिसका बौद्धिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक था, जिसने मानव की आवश्यकताओं को अधिक समझा था और जिसने बुद्धि के साथ भावनाओं की तृप्ति के महत्व को अनुभव किया था।" मिल 59 वर्ष की अवस्था में मंगद का सदस्य निर्वाचित हुआ। वह सन् 1865 से 1868 तक मंगद सदस्य के रूप में आयरलैण्ड में धूमि-सुधार किसानों की स्थिति, महिला गताधिकार, बौद्धिक कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि के सम्बन्ध में अत्यन्त क्रियाशील रहा। लॉक्सभा में ठम विचारक के रूप में उसने विशेष ख्याति अर्जित की। उसने समस्याओं पर स्वतन्त्र और निर्भीक विचार व्यक्त किए। शासन और विरोधी दलों ने उसे पूरा सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ग्लेहस्टन ने कहा था "जब मिल का प्राण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी सत्ता का प्रवचन सुन रहा हूँ।"

रचनाएँ और यद्धति

मिल ने अपने सघर्षपूर्ण जीवनकाल में न्यायशास्त्र, अध्ययन-शास्त्र, आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र—सभी महत्वपूर्ण विषयों पर लिखा। उसकी कृतियाँ उसके जीवकाल में ही प्रकाशित हो गई थीं और कुछ मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। उसके प्रमुख ग्रन्थ हैं—

- 1 Plato's Dialogues, 1834
- 2 The System of Logic, 1841
- 3 Some Unsettled Questions in Political Economy, 1844
- 4 The Principles of Political Economy, 1848
- 5 Enfranchisement of Women, 1853
- 6 On the Improvement in the Administration of India, 1858
- 7 A Treatise of Liberty, 1859
- 8 Parliamentary Reforms, 1859
- 9 Considerations of Representative Government, 1860
- 10 Utilitarianism, 1861
- 11 Examination of Hamilton's Philosophy, 1865
- 12 August Comte and Positivism
- 13 Subjection of Women, 1869
- 14 Autobiography, 1873
- 15 Three Essays on Religion, 1874
- 16 Letters, 1910

मिल के उपयोगितावादी विचार

(MIL) on Utilitarianism)

जेम्स मिल के प्रयत्नों और बेन्थम के प्रति उसकी श्रद्धा ने स्टुअर्ट मिल को कट्टर उपयोगितावादी बना दिया। बेन्थम के उपयोगितावादी सिद्धान्त पर आलोचकों ने निरूहता और हेतुता के आरोप लगाये थे। मिल ने आलोचकों के प्रहार का जोरदार उत्तर देते हुए उपयोगितावाद में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए तथा उसमें अनेक नए सुधारकारी तत्वों का समावेश कर दिया जिसके फलस्वरूप मूल सिद्धान्त प्रायः सम्पूर्ण सा हो गया। बर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कॉम्टे, डार्विन, स्पेंसर आदि के प्रभाव तथा इंग्लैण्ड की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण मिल के प्रारम्भिक बेन्थमवादी विचारों में शै शनै परिवर्तन आता गया और उसने नवीन सिद्धान्तों पर बल देना शुरू कर दिया। उपयोगितावाद की रक्षा करने के प्रयत्नों में उसने इतन संशोधन कर दिये कि उसका स्वरूप ही बदल गया। बेपर के अनुसार, "उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने सम्पूर्ण उपयोगितावाद को एक तरफ फेंक दिया।"² उसने उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया और राजनीतिक विचार के क्षेत्र में इसे प्रायः अन्तिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है। मिल उपयोगितावाद पर विचार उसके प्रख्यात निबन्ध 'Utilitarianism' में उपलब्ध है।

1 William Eberstein Great Political Thinkers p 530 531

2 Weyper Op Cit (Hindi) p. 141

मिल द्वारा उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा

(Mill's Restatement of Utilitarianism)

आरम्भ में मिल बेन्थम के सिद्धान्त के आधार पर आगे बढ़ा। उसने बेन्थम के समान सुख की प्राप्ति और दुःख की विमुक्ति को व्यक्ति का अभीष्ट माना। उपयोगितावाद की परिभाषा देते हुए उसने लिखा—“वह मत, जो उपयोगितावाद अथवा अधिकतम सुख के सिद्धान्त को नैतिकता का आधार समझता है, यह मानना है कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में वह सुख की वृद्धि करता है। जो कार्य सुख से विपरीत दिशा में जाता है वह गलत है। सुख का अर्थ आनन्द की प्राप्ति और दुःख का अभाव। दुःख का अर्थ है पीड़ा या कष्ट तथा आनन्द का अभाव। इस सिद्धान्त द्वारा स्थापित नैतिक मापदण्ड को अधिक स्पष्ट करने के लिए इससे अधिक कहना अनावश्यक है, विशेष रूप से यह कि सुख और दुःख की धारणाओं में क्या सम्मिलित है और उनका उद्देश्य क्या है? यह एक खुला प्रश्न है, परन्तु ये पूर्ण व्याख्याएँ जीवन के उस सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करतीं जिस पर नैतिकता का यह सिद्धान्त आधारित है कि सुख और दुःख से मुक्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य है समस्त वांछनीय वस्तुएँ, जिनका उपयोगितावादी योजना में बड़ा स्थान है जितना अन्य किसी योजना में वांछनीय इसलिए है कि यह उनमें सुख का निवास है अथवा वे सुख-वृद्धि या दुःख-निवृत्ति का साधन हैं।”¹ मिल ने बेन्थम के सुखवाद को स्वीकार किया किन्तु कालान्तर में उनके विचारों में शक्ति-शक्ति एक ब्रह्मि हुईं नया उसका विचार ऐसा हो गया जिसमें बेन्थम तथा उसके उपयोगितावादी चिन्तन में गहरे अन्तर उभर आए। यह देखना उपयुक्त होगा कि कहाँ तक वह बेन्थम के साथ है और कहाँ तक उससे पृथक् रहा। उसके द्वारा किया गया बेन्थम के सिद्धान्त का रूपान्तर निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट हो सकेगा—

1. सुखों में मात्रात्मक तथा गुणात्मक अन्तर है—बेन्थम सुखों और दुःखों के मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता था गुणात्मक भेद को नहीं, किन्तु मिल ने इन दोनों भेदों को स्वीकार किया है। उसने कहा है कि सुख और दुःख के गुणात्मक अन्तर को मानना पूर्णतः उचित है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर इसलिए प्राप्त करने योग्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ और तृप्त हैं। शारीरिक सुखों की तुलना में मानसिक सुख श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे अधिक स्थायी और सुस्थिर होते हैं। मिल के अनुसार सुखों में केवल कम या अधिक का अन्तर नहीं होता, बल्कि उनके गुणों का भी अन्तर होता है। वे अपने महत्त्व के आधार पर उच्च अथवा निम्न हो सकते हैं। सुसम्बन्ध और परिष्कृत रीतियों वाले व्यक्तियों को जिनसे सुख मिलता है वह सुख मूढ़ व्यक्तियों के इन्द्रियोन्मुख आनन्द से अधिक श्रेष्ठ होता है।

2. सुखों की गणना-पद्धति में परिवर्तन—मिल द्वारा सुखों में गुणात्मक भेद मान लेने से बेन्थम का सुखवादी मापदण्ड खण्डित हो जाता है। सुखों को मापने अथवा उनका मूल्यांकन करने के बेन्थमवादी प्रयत्नों का मूल्य नहीं रहता। बेन्थम सुख की मात्रा को सुखवादी गणना पद्धति में मापना चाहता था जबकि मिल का मत था कि विद्वानों के प्रमाण ही सुखों की जाँच अथवा निर्णय के सही आधार हैं। “दो सुख प्रदान करने वाली विधियों की प्राग्ज्ञता का निर्णय उन्हीं व्यक्तियों द्वारा हो सकता है जिन्हें दोनों अनुभवों का ज्ञान हो।”²

3. बेन्थम के सिद्धान्त का उद्देश्य सुख या आनन्द-प्राप्ति और मिल का शान्तिनता और सम्मान पर बल—बेन्थम के अनुसार, “मिल को धारणा थी कि आनन्द गुण तथा मात्रा दोनों में मिल होते हैं।” उसके अनुसार, जीवन का अन्तिम उद्देश्य उपयोगितावादी नहीं, वरन् शान्तिनता (Dignity) है। अपना पुस्तक ‘आनन्द-निबन्धों’ में यह लिखता है कि व्योम्बवाद का प्रभाव सामान्य विचारधारा द्वारा कठिनाई से पहचाना जाता है। वह हम्बोल्ट (Humboldt) के स्वयं अनुभव (Self Realisation) के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। मिल का मत है कि “केवल यही महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या करता है? यह भी महत्त्वपूर्ण है कि उसके काम करने के शीर्षक क्या हैं?” मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नैतिक मस्यन घोषित किया है। राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं, वरन् व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना है। मिल उपयोगितावाद को रखा हममें पूर्ण परिवर्तन लाकर कर सकता है।

4. मिल की नैतिकताएँ बेन्थम से अधिक सन्तोषजनक—सम्मान अथवा शान्तिनता का उपयोगितावादी विचार मिल को नैतिक बाधा के अनुपयोगितावादी विवेचन की प्रेरणा देता है। बेन्थम ने नैतिक बाधा का कारण मनुष्य की स्वार्थपरता को माना है, परन्तु मिल का विचार इससे भिन्न है। उसके अनुसार, भय स्मृति, स्वार्थ, नैतिकता में उसी प्रकार बाधा पहुँचता है जिस प्रकार प्रेम सहानुभूति तथा धार्मिक भावना में। मिल अधिक स्वार्थवादी प्रतीत होता है। वह टी एच हॉन के विचार को स्वीकार करता है जिसके अनुसार सार्वजनिक कर्तव्यों तथा उतारदायित्वों का जन्म टाँकिक आधार पर व्यक्तिगत अधिकारों तथा हितों से नहीं हो सकता। मिल के अनुसार नैतिक बाधा की भावना उपयोगितावादी सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती। उसकी नैतिकताएँ बेन्थम से अधिक सन्तोषजनक हैं।

1 *Wagner Political Thought*, p. 115

2 *Mill Utilitarianism*, p. 10

5. स्वतन्त्रता उपयोगिता से अधिक उच्च और मौलिक—बेन्थम के उपयोगितावाद में मिल एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। बेपर के अनुसार, "मनुष्य की आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का विचार उसे स्वतन्त्रता के अनुपयोगितावादी विश्लेषण की ओर अपसर करता है। सच्चे उपयोगितावादी के लिए स्वतन्त्रता उपयोगिता से निम्न है, परन्तु मिल के लिए स्वतन्त्रता उपयोगिता से उच्च और मौलिक है।"

6. सुखों की प्राप्ति अपत्यक्ष ढंग से होती है—मिल ने 'अधिकतम व्यक्तिवों के अधिकतम सुख' की कल्पना को स्वीकार करते हुए इसमें बेन्थम की व्याख्या की त्रुटि को दूर करने की चेष्टा की है। बेन्थम के अनुसार, राज्य के कार्यों की माफ-तौल करते समय विस्तार पर भी बल दिया जाना चाहिए अर्थात् यह देखना चाहिए कि राज्य को कितनी जनसंख्या को उस कार्य से सुख पहुँचेगा। यह प्रश्न अविचारित रह गया था कि एक व्यक्ति के सुख की खोज में लगे रहने पर वह अन्य व्यक्तिवों को सुख किस तरह पहुँचा सकेगा। मिल ने इसका समाधान करते हुए बदलावा कि यद्यपि अपना अधिकतम सुख प्राप्त करने की लालसा व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य रहता है, तथापि वह सामाजिक हित के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम सुख का रूप धारण कर लेता है। प्रारम्भ में व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है कि उसे उम्मीद सुख प्राप्त होता है किन्तु बाद में बड़े सुख साध्य बन जाता है।

7. मिल का सिद्धान्त नैतिक, बेन्थम का राजनीतिक—अन्य दृष्टिकोण से मिल की धारणा बेन्थम की धारणा से भिन्न है। बेन्थम अधिकतम सुख के सिद्धान्त को एक राजनीतिक सिद्धान्त समझता था, नैतिक नहीं। उसकी रूचि इसमें अधिक थी कि "विधि-निर्माता और शासक सामाजिक नीतियों के निर्धारण तथा विधि निर्माण में इसका प्रयोग करें।" मिल के अनुसार, "जब तक व्यक्ति के अपने और दूसरों के आनन्द की तुलना का प्रश्न है, उपयोगितावाद की माँग है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहना चाहिये जैसे वह एक निष्पक्ष तथा करुणशील दरारक हो। ईसा मसीह के स्वर्णिय नियम में हमें उपयोगितावादी आचार शास्त्र की पूर्ण आत्मा के दर्शन होते हैं। जैसा आचरण आप दूसरे से चाहते हैं वैसा ही आचरण दूसरों के साथ करना और अपने पहुँचियों से वैसा ही गेम करना जैसा आप स्वयं से चाहते हैं यही उपयोगितावादी नैतिकता का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है।"

8. मिल द्वारा अन्तःकरण के तत्व पर बल—मिल ने अन्तःकरण का अर्थ आत्मानुभूति दियों (Intuitionists) की तरह किसी अन्तःनैतिक शक्ति से नहीं लिया। उसने कहा कि अन्तःकरण भावनाओं वा एक पिण्ड है जिसे हमारे पापाचार के कारण दुःख पहुँचता है एवं सदाचार के नियमों का उल्लंघन करने से हमें परचातापी की आग में जलना पड़ता है। यही अन्तःकरण का तत्व है चाहे उसके स्वरूप और मूल में हमारे विचार कुछ भी हों। मिल ने अन्तःकरण के तत्व को "मान्यता के कल्याण की भावना" की सहा दी और इसे दूसरों के दुःख-सुख की चिन्ता कहकर पुकारा। उसने इसे एक स्वाभाविक भावना माना।

मिल के उपयोगितावादी विचारों का मूल्यांकन

मिल और बेन्थम के उपयोगितावादी विचारों में गहरा अन्तर है। मिल बेन्थम के विचारों में परिष्कार और सशोधन करने हुए बेन्थम की मौलिक मान्यताओं पर कुठारपात कर देता है। मिल ने उपयोगितावाद के राजनीतिक स्वरूप को मुलाकर उसे नैतिक जीवन के अनुकूल बनाने की चेष्टा में बेन्थम के सुखवाद के मौलिक विचारों को अस्वीकार कर दिया। उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा करने में उसने उसका स्वरूप विकृत कर दिया। यद्यपि गुणात्मक पहलु पर जोर देने से उपयोगितावादी विचारधारा में मानवीयता का अधिक समावेश हुआ है तथापि इससे बेन्थम का मापक चक्र टारन-ध्वस्त हो गया। सुखों के गुणात्मक अन्तर को किस प्रकार नापा जाए, यह भी एक जटिल प्रश्न बन गया है। श्री सेबाइन के अनुसार, "उसने अपने सचवाद में सुख के उच्च और निम्न स्तर पर नैतिक सिद्धान्त और जोड़ दिया। इसका अधिप्राय यह हुआ कि इसने उपयोगितावाद को पूर्णरूप से एक अनिश्चित सिद्धान्त बना दिया। सुखों के गुण को परखने का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था और यदि यह किया भी जाता तो वह सुख नहीं होता है।" बेन्थम का उपयोगितावाद परम्परागत नैतिक मान्यताओं के मूल्यांकन की कसौटी है जबकि मिल का उपयोगितावाद एक ऐसा सिद्धान्त है जिससे उसके बौद्धिक-स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है, मैक्सवी (Maxcy) के अनुसार "मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेन्थम की मान्यताओं का अंश कम रह गया है।" मिल ने अपनी विशाल-हृदयता से उपयोगितावाद को नैतिक जीवन के अनुकूल बनाया और कुछ काल के लिए जनता को भुग्ध कर दिया, किन्तु अन्त में इसके कारण उत्पन्न असंगतियों ने उसकी ख्याति को ठेस पहुँचाई। उपयोगितावाद की रक्षा में तर्कशास्त्र का खजाना खाली करने वाले मिल से उपयोगितावाद का पक्ष प्रबल न हो सका। उसने बेन्थम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद के आलोचकों को शांत कर दिया, परन्तु बदले में बहुसंख्यक आलोचकों को जन्म दिया जो इस पवित्रित और सशोषित उपयोगितावाद के विरुद्ध वक्त्रों की बौध्दर करने लगे। मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद में नैतिक सिद्धान्तों का समावेश कर इसे मानवीय बनाने का सराहनीय कार्य अवश्य किया, लेकिन दार्शनिकता की ओर बढ़ने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उपयोगितावाद की व्यावहारिकता समाप्त हो गई।

मिल की स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of Liberty)

मिल के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों का समावेश उसकी पुस्तक 'On Liberty' में है। मिल के मनप राज्य का वर्णन बहुत बड़ा गया था और साकार जनहित के नाम पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विविधोन्नत करने वाले कानून बनाने लगे थे। सामाजिक व्यवस्थान द्वारा सामान्य जनता को सुख-सुविधा के प्रदाय में ब्रिटिश सरकार जिम प्रकार वैयक्तिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने लगी थी ठमने। जल को यह प्रय हो गया था कि जनता का बहुमत अथवा लोकप्रिय शासन कर्तृ भूतकर्मनीन निकुरा शासन के समान अतदापी और स्वेच्छा-धारी न बन जाए। उनका विश्वास था कि राज्य द्वारा अधिक अधिकारियों के निर्माण का अर्थ है—व्यक्ति और उसकी स्वतन्त्रता पर अधिक प्रतिक्रम्य द्वारा राज्य के समग्र नागरिक के व्यक्तित्व का हनन। उसकी मान्यता थी कि राज्य को वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के शासन के नाम पर बहुमत द्वारा अन्याय पर मनचढ़े प्रतिक्रम्य लगाना अथवा नैतिकता के नाम पर अमुचित कानूनों को दोष देना सर्वदा अवैधनीय है। अपने इनमें विचारों के कारण मिल ने मानव-स्वतन्त्रता का व्यक्तित्वों स्वरूप का प्रयोग करने दिया।

मिल के चिन्तन में व्यक्ति का स्थान

मिल व्यक्ति का भुगतार है। उनका सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन व्यक्ति के मूल्य पर आधारित है। मिल व्यक्ति को सामाजिक प्राणी स्वेच्छा करता है उदा यह विश्वास भी व्यक्त करता है कि व्यक्ति समाज के हित में स्वेच्छा से योग नहीं देगा। "व्यक्ति ये हितों को व्यक्ति ही समझ सकता है, न कि समाज। अपने सर्वोत्तम हित को व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से जानता है और वही उसे सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त कर सकता है।" मिल का विश्वास है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकसित करने और सुख बनाने की स्वतन्त्रता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और मण्डितक का स्वामी है इसलिए उसे अपने सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज अथवा राज्य को व्यक्ति के अन्वयण पर कोई प्रतिक्रम्य नहीं लगाना चाहिए।

व्यक्ति की राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा होना आवश्यक है

मिल को धारणा थी कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना मनुष्य का धर्म है, किन्तु इस धर्म की प्रतिक्रम्य में राज्य और समाज द्वारा कुछ बाधाएँ पैदा की जाती हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। इन बाधाओं के निराकरण की अवस्था ही स्वतन्त्रता है। समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन अमुचित है। समाज यह बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी मान्य धर्मशास्त्रों को तोड़कर नवीन धर्मशास्त्रों की स्थापना करे। यदि कोई ऐसा दुष्कृत्य करता है तो समाज के पक्ष में उसे पकड़ने के लिए दखल रहते हैं, पर समाज को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। समाज को व्यक्ति के अन्वयण के उस भाग का नियंत्रण करना उचित है जो दूसरों से सम्बन्धित हो। व्यक्ति अपना अपने शरीर का तथा अपने मण्डितक का स्वयं स्वामी है, अतः समाज की निकुराता से व्यक्ति की रक्षा होनी चाहिए।

मिल की स्वतन्त्रता का स्वयंम

मिल ने जिस स्वतन्त्रता का पक्ष-पोषण किया है, वह एक व्यक्तिक स्वतन्त्रता है। उसका विरोध है कि स्वतन्त्रता के अभाव में किसी प्रकार का आत्म-विकास नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता और आत्म-विकास का यही सम्बन्ध उनके अध्यापन का केन्द्रबिन्दु है और उसका तर्क है कि समाज को प्रसन्नता के लिए स्वतन्त्रता अनिवार्य है। "आत निवर्त" में स्वतन्त्रता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मिल ने लिखा है कि "मानव जति किसी घटक की स्वतन्त्रता में केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है और वह है अन्याय। सभ्य समाज के किसी सदस्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए हो सकता है कि उसे दूसरों की हानि पहुँचाने से रोका जाए। उसका अपना भौतिक या नैतिक हित इसका पर्याप्त औचित्य नहीं है। व्यक्ति को किसी काम के निर्वहण करने या न करके के लिए विवश करना इस आधार पर उचित नहीं माना जा सकता कि ऐसा करना उस व्यक्ति के हित में है या ऐसा करने से उसके हित में बृद्धि होगी या ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण है।" समाज मानव आचरण के उसी अंश को नियंत्रित कर सकता है जो दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्धित हो। स्वयं अपने धर्मों में उसकी स्वतन्त्रता अधिकारता निरपेक्ष है।

"मिल की दूसरी परिभाषा के अनुसार अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट स्वतन्त्रता है। आज यदि यह समझे हैं कि अनुक व्यक्ति का अनुक पुत्र को पार करना उदरनाक है इस पर एक लाजकर अल्प उचित करते हैं। स्वतन्त्रता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है तथा किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं में डूबने की नहीं हो सकती। स्वतन्त्रता की यह परिभाषा नियंत्रण के लिए दाबका खुला रहती है। यदि एक बार यह मान लिया जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा को अपने अन्तर्गत लाइ जान सकता है और स्वतन्त्रता उसी को कहते हैं जो अपनी इच्छा होती है, तब अन्वेषण-पक्षी

मनुष्य को नर्क में जाने से बचाने के कार्य और उसे मुक्ति दिलाने के प्रयत्न भी उचित हैं। मिल के अनुसार व्यक्ति पर स्वतंत्र होने के लिए दबाव भी डाला जा सकता है। यहाँ बड़ अतिकारी हो जाता है। उसकी ये परिभाषायें भी बेव्यव की परिभाषायों से भिन्न हैं।" मिल की स्वतंत्रता का स्वरूप तब रक्षितशाली बन जाता है जब हम देखते हैं कि वह अलग पुरुषों और स्त्रियों की उन्नीं चाहता है, क्योंकि उसका विचार है कि सभी आदर्श और तर्क समत बस्तुएँ व्यक्तिगत स आती हैं और व्यक्तियों से आनी चाहिए।

मिल के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों के दो प्रकार—मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं—(1) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Thought and Expression) एवं (2) कार्यों की स्वतंत्रता (Freedom of Action)।

1 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Thought and Expression)—विचारों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में मिल के तर्क प्रभावशाली हैं। मिल के अनुसार समाज और राज्य को व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हानी चाहिए, फिर चाहे वे विचार समाज के अनुकूल हो या प्रतिकूल। मिन के वैचारिक स्वतंत्रता के तर्कसंगत मत निम्न निम्न रूप में निम्न प्रकार हैं—

1 विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबन्ध लगाना है और सत्य पर प्रतिबन्ध का अर्थ समाज को उपयोगिता का हाना करना है परिणामस्वरूप समाज का पतन अवश्यम्भावी है।

2 अभिव्यक्ति द्वारा सत्य विचारों को पुष्टि होती है। दमनकारी उपायों द्वारा सत्य को बाधित नही किया जा सकता। उभे नितानिबन्ध समाज का सन्तुलन है फलस्वरूप सामाजिक प्रगति अवश्य अपेक्ष्य होगी है।

3 सत्य के अनेक रूप होते हैं। समाजगत एक पक्ष सत्य के एक पहलू को देखता है और दूसरा पक्ष दूसरे पहलू को। सत्य के समग्र रूप को मान्यता के लिए उदा जिनके अधिक दृष्टिकोण से देखने की स्वतंत्रता दी जाएगी उतना अच्छा होगा। ये विविध दृष्टिकोण एक-दूसरे क पूरक होते हैं जिनके सम्बन्ध में सार्वजनिकता का पता चलता है और सम्पर्कमय परिस्थितियों समाज होती है।

4 यदि कोई व्यक्ति आशिक सत्य बोसता है तथा मिथ्या भावना करता है फिर भी राज्य का उसका विचार स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जना जब उसके दृष्टि को समझ जाएगी, तब उराका सम्पर्क नहीं करेगी। यदि कोई व्यक्ति सन्तुली है तो तम अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि सन्तुली व्यक्ति किसी नई विनम-पद्धति का अविष्कार करने में सफल हो जाए।

5 यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत है तो उसके व्यक्त होने देने में समाज की हानि नहीं है। इसमें समाज द्वारा स्वीकृत सत्य का स्वरूप और विद्योण। भाषणों की तुलना करके हग सत्य को परख सकते हैं। मिथ्या और सत्य में विरोधाभास है अतः सत्य को एक सजीव रूप से समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है।

6 तर्क-नुष्टि से सत्य की परख होती है, ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या एवं अन्ध-विश्वासपूर्ण पाप्यारों का अन्त होता है।

2 कार्यों की स्वतंत्रता (Freedom of Action)—वैचारिक स्वातंत्रता का महत्वपूर्ण पक्ष कार्य की स्वतंत्रता है। मिल का मत है कि "विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि इन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो।" दृष्टि सकल्प, हृष्टि—ये मनुष्य के अविभाज्य अंग हैं और कार्यों द्वारा मनुष्य अपना अनुदाय समाज को देता है। यह अनुदाय उसके व्यक्तित्व का मानवीय तत्व है सामाजिक प्रगति का अन्तन्त्यम साधन है।

मिल के इन विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव-जीवन के दो पहलू हैं—व्यक्तिगत और सामाजिक। इसके अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है—(1) स्व-सम्बन्धी कार्य (Self regarding Actions) एवं (2) पर-सम्बन्धी कार्य (Other regarding Actions)। व्यक्ति के स्व-सम्बन्धी कार्य वे हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों की परिधि व्यक्ति स्वयं है जैसे—कपड़े पहनना, शिशा प्राण करना सिगरेट पीना, पान खाना आदि। व्यक्ति को ऐसे कार्यों का अपनी इच्छानुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इनमें राज्य का हस्तक्षेप बाँधनीय नहीं है। व्यक्ति को स्व-सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्रता न देना उसे पशु बनाना है। व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव समाज की प्रगति के लिए छतरा बन जाता है। पर-सम्बन्धी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है क्योंकि यद्यपि व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है तथापि इसके द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति समाज में अपद्रव्य और अनैतिकता को प्रोत्साहन देता है अथवा ऐसे समाजों का निर्माण करता है जिनसे सामाजिक शान्ति और सुरक्षा भंग होती हो तो राज्य को अधिकार है कि वह उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे, लेकिन वहाँ तक नहीं तक यह हस्तक्षेप

व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक हो। अपना पूर्ण अधिकार करने वाले व्यक्तिगत कार्य मिन के अनुसार, राज्य द्वारा प्रतिबन्धित हो सकते हैं, जैसे—आत्महत्या का कार्य। मिन ने कार्यों की स्वतन्त्रता को चरित्र-निर्माण और सामाजिक विकास की दृष्टि से न्यायपूर्ण बतलाया है। चरित्र-निर्माण में व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा के बजाय किया गया मकल्प कार्य रूप में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों लाभ देता है। बुद्धि अर्थात् अदना क्रियाओं को रोकने के लिए राज्य को परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए।

मिल की स्वतन्त्रता के मूलभूत तत्त्व—मिल द्वारा प्रतिपादित की गई स्वतन्त्रता के प्रमुख उल्लेख ये हैं—(1) यह नव्यरात्मक स्वतन्त्रता है, विधेयात्मक नहीं। कानून का अभाव ही स्वतन्त्र माना गया है। (2) मिल द्वारा स्वतन्त्रता की एक अध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। (3) समाज से पृथक् रहकर व्यक्ति स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। मिल की स्वतन्त्रता की धारणा समाज की व्यक्तिवादी धारणा पर आधारित है। (4) मिल द्वारा स्वतन्त्रता के पक्ष में दिए गए तर्क उपयोगितावाद सिद्धान्तों का अतिक्रमण करते हैं। जब मिल कहता है कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा सम्पूर्ण मानव-जाति के विरुद्ध की जानी चाहिए तो उसका उपयोगितावादी आधार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। (5) मिल निरुद्धे हुए राष्ट्र के लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। (6) राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा सकता है।

मिल की राज्य सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of the State)

मिल की मान्यता है कि राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम है। राज्य के यांत्रिक सिद्धान्त (Mechanistic Principles) यदि मानव इच्छा अथवा मानव व्यक्तित्व की अपेक्षा करते हैं, तो वे अपूर्ण हैं। मिन ने राज्य और उसकी समस्याओं को स्वाभाविक मानने वालों तथा उन्हें अविचार और मानव प्रयासों का फल समझने वालों के बीच का मार्ग प्रशन्न किया है। उसका विश्वास है कि राज्य का विकास हुआ है। यह विकास जड़ वस्तुओं की तरह नहीं होकर, चेतन वस्तुओं के समान हुआ है, राज्य की उत्पत्ति मानव-चित्त के लिए हुई है, क्योंकि जितने राजनीतिक समूह हैं उन सबका अस्तित्व सार्वजनिक कल्याण के लिए है। सभी समाज अपने अस्तित्व की प्रत्येक आवश्यकता में अपना स्वरूप व्यक्ति के स्वैच्छिक प्रयत्नों द्वारा ग्रहण करते हैं, अतः अन्य वस्तुओं की भाँति इन्हें व्यक्ति द्वारा अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। यह मनुष्य की दृष्टि और बुद्धि पर निर्भर करता है। राजनीतिक यंत्र स्वयं कार्य नहीं करता। सामान्य व्यक्तियों द्वारा उसका निर्माण होता है और उन्हीं के द्वारा उसका संचालन होता है। यह उनके सुपचाप रहने से नहीं, बल्कि सक्रिय योगदान से क्रियाशील होता है, अतः राज्य को उन व्यक्तियों के गुणों और शक्तियों के अनुकूल ढाला जाना चाहिए जो इसके संचालन के लिए उपयुक्त हों।

राज्य के सञ्चालक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए मिल ने व्यक्तियों के कर्तव्यों में राज्य के हस्तक्षेप को पूर्णतः निषिद्ध न ठहरा कर, वैयक्तिक विकास की कुछ स्थितियों में उसका हस्तक्षेप अनिवार्य माना है। उसकी मान्यता है कि व्यक्ति के सुख के लिए समाज का सुख आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन-समर्पण में सभी व्यक्ति समाज में समाप्त नहीं हैं। यदि राज्य सभी व्यक्तियों के जीवन को सुखी बनाना चाहता है और प्रत्येक को आत्म-विकास की सुविधाएँ देना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह समाज में व्याप्त विषमताओं और भिन्नताओं को दूर करे। मिन चाहता है कि भूमि, उद्योग, श्रम आदि पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं रहना चाहिए। स्पर्धावाद न होते हुए भी मिन के हृदय में सम्भवतः समाजवाद के प्रति प्रबल सहानुभूति विद्यमान है, क्योंकि उसे उस समाजवाद से कोई सहानुभूति नहीं है जो भूमि के राष्ट्रीयकरण का समर्थक हो। वह सम्पत्ति का उत्तम प्रबन्ध पक्षधर नहीं है जितना बेन्दम है।

मिल के अनुसार राज्य को यथासम्भव इन कार्यों से अपना सम्बन्ध रखना चाहिए—(1) राज्य का अतिक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति से देश की रक्षा के लिए सेना की व्यवस्था करे। (2) सार्वजनिक सुरक्षा को व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबन्ध करे। (3) अत्यन्त उपयोगी एवं कम से कम कानून बनाने के लिए विधान-मण्डल का निर्माण करे। (4) कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों को दण्डित करने के लिए न्यायालयों की स्थापना करे। (5) व्यक्ति को उम्रका महत्व बतलाए और इसके लिए प्रचार करे। (6) चेतनवी देने का काम करे और इस तरह सम्भावित दुर्घटनाओं को ओर सकेत करे।

मिल की शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of Best Form of Government)

मिल के अनुसार शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह नहीं है जो अत्यधिक कुशल हो, अपितु वह है जो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो और सर्वसाधारण को नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराती हो। श्रेष्ठ शासन की प्रदान विशेषता यह है कि वह जनता के गुणों और बुद्धि का विकास करने वाली हो।

शासन सार्वजनिक कार्य के लिए संगठित व्यवस्था का नाम ही नहीं है, वरन् इसका मानव-मस्तिष्क पर उनपर और गहरा प्रभाव होना चाहिए। शासन का मूल्य उसके दायों द्वारा अंग्रेज बना चाहिए। शासन की सार्वजनिक मनुष्यों एवं अन्य मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव से भावने जानी चाहिए। शासन की उत्पत्ति की प्रथम कमीटी यह जौंच्य है कि वह नागरिकों में गार्गीयक एवं नैतिक गुणों का कहीं तक संचार करती है? उनके चरित्रिक एवं नैतिक विचारों के लिए कितना प्रयास करती है? इनसे सर्वश्रेष्ठ रूप में जियावित करने वाली शासन प्रणाली ही 'शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली' मानी जाएगी। उक्त शासन की एक कमीटी है कि उससे द्वारा शासितों में किस माथा तक वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से गुणों की वृद्धि होगी है। केवल प्रशासन के क्षेत्र में शासन की सफलता उसकी उतपत्ति का विद् नहीं है।

मिल की प्रतिनिध्यात्मक शासन सम्बन्धी धारणा

(Mill's Concept of Representative Government)

मिल के साथ प्रजातन्त्रवाद प्रगति पर था किन्तु शासन की सम्पूर्ण बुनियाद तथा ससद का उच्चवर्गीय अधिपत्यात्मक चिन्ता के विषय थे। व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रयत्न समर्थन करने के बाद मिल ने अपना ध्यान ऐसे शासन का ओर केन्द्रित किया जिसमें व्यक्ति का तत्त्वा प्रतिनिधित्व सम्भव हो और प्रजातन्त्रिक नियमों के अनुसार प्रत्येक योग्यता प्राप्त व्यक्ति इसका अवसर प्राप्त कर सके। मिल ने कहा कि भव्य प्रजातन्त्र यह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन-कार्य में भाग लें। सार्वभौम आदर्श शासन यह है जिसमें सर्वोच्च नियन्त्रण शक्ति या सम्पूर्णता पूरी समाज की योग्यतायुक्त इकाई में निहित हो और प्रत्येक व्यक्ति इस सम्पूर्णता के निर्माण में केवल योग्य ही न दे करन् समर्थ आने पर सार्वजनिक पद ग्रहण कर तथा शासन में भाग लेकर अपना कर्तव्य पूरा करे, पर चूँकि यह प्रयोग सम्भव नहीं है और आज के विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं चल सकता अतः मिल की दृष्टि में सर्वोच्च शासन अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अर्थात् प्रतिनिधि शासन (Representative Government) होना चाहिए। यद्यपि प्रजातन्त्र का यह रूप योग्ययुक्त नहीं है पर मिल का विश्वास है कि शासन का स्वल्प मनुष्य द्वारा निर्धारित होता है अतः 'मनुष्य द्वारा निर्धारित अन्य चीजों की भाँति इसके अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी।'

प्रतिनिधि शासन का सिद्धान्त—मिल के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक सरकार यह है जो तीन शर्तों को पूरा करे—1. वे लोग जिनके लिए ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए, ऐसी सरकार को स्वीकार करने के इच्छुक हों या इतने अनिच्छुक न हों कि इसके स्थापना में बाधा पैदा करें। 2. ऐसी सरकार के स्थापित्व के लिए जो कुछ कर्तव्य आवश्यक हो वह सब करने के लिए वे इच्छुक और योग्य हों। 3. ऐसी सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से जो कुछ सरकार चाहे यह करने के लिए वे तत्पर और योग्य हों। शासन की जो आवश्यक शर्तें हों वे उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हों।

प्रतिनिध्यात्मक सरकार में उपयुक्त तीन के अतिरिक्त निम्न तत्व हैं—

- (1) सम्पूर्ण या उनकी संख्या के बड़े भाग के लोगों का सरकार के कार्यों में सहयोग। (2) सम्पूर्ण या उनकी संख्या के बहुत बड़े भाग के लोगों के द्वारा में नियन्त्रण शक्ति। (3) समय-समय पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा लोगों का प्रतिनिधित्व। (4) अन्तिम नियन्त्रण शक्ति का सविधान में स्थापन और सविधान लिखित न हो तो व्यावहारिक रूप से जनता द्वारा उसका प्रयोग। (5) राज्य की सत्रिय राजनीति में नैतिकता या स्वयं परम्पराएँ। (6) वे सभी तत्व जो एक अच्छी सरकार के लिए आवश्यक होते हैं जिन्का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। (7) सरकार के अगों में कार्यों का विशिष्ट बँटवारा। (8) एक संगठित विरोधी दल। (9) आनुपातिक प्रतिनिधित्व। (10) सार्वजनिक मताधिकार। (11) निष्पक्ष न्यायपालिका। (12) अल्पसंख्यकों की रक्षा।

मिल ससद में संगठित विरोध के पक्ष में है क्योंकि ऐसा न होने पर सरकार सही रूप में प्रतिनिधित्व न कर, केवल निरकुश बहुमत पर आश्रित हो जाएगी। प्रशासकीय अग अथवा कार्यपालिका की निरकुशता पर अकुश रखों के लिए वह एक सजग एवं सतर्क व्यवस्थापिका चाहता है जो कार्यपालिका के कार्यों की सुलभ आलोचना करे और जलूत पड़ने पर अविश्वास प्रस्ताव पास कर, उसे पंग करने में सक्षम हो। मिल ने लिखा है—'प्रतिनिधि सभा (पार्लियामेण्ट) वह है जिसमें राष्ट्र के सामान्य मत का ही प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक अग के मत का प्रतिनिधित्व हो, सम्भवतः राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग और योग्य व्यक्तियों के विचारों का प्रतिनिधित्व हो, जहाँ विचारों पर स्वच्छन्द चार विवाद और उनका मन्थन ही देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के सही प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त वकता प्राप्त कर सके, लोगों के विरोधों को अनिच्छा के कारण न तुकरा कर, विवेक और तर्क तथा सत्यता के द्वारा चुनौती दी जाए, वहाँ राष्ट्र का प्रत्येक दल या जनमत अपनी-अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सके और सही या गलत विचारों को परख करने का अवसर प्राप्त कर सके, वहाँ राष्ट्र के मान्य विचारों की प्रत्यक्ष रूप में सरकार के सम्मुख अधिष्ठावित हो सके, जहाँ सरकार को उसकी गृहियों के लिए सुझाया जा सके और सरकार बिना शक्ति प्रयोग किए अपदस्थ होना स्वीकार करे तथा जिसमें सभी प्रतिनिधि सही रूप में ईमानदारी के साथ चुने गये हों।'

संसद में प्रतिनिधियों की स्थिति के बारे में मिल के विचार बर्क से मिलते-जुलते हैं। वह प्रतिनिधियों को जनता का प्रत्यायुक्त (Delegate) मात्र नहीं मानता, बल्कि उसकी राय में वह एक उप-प्रदर्शक और शिक्षाप्रद व्यक्ति होना चाहिए। यदि उसे अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए छोटी-मोटी समस्याओं पर संघर्ष करना पड़े तो उसे निर्भोक्त रूप से अपनी सम्मति प्रकट करनी चाहिए। प्रतिनिधि-शासन प्रणाली का प्रमुख दोष झूठी प्रतिज्ञाएँ करना है जो वह अपनी दृष्टि से दूर करना चाहता है। मिल की मान्यता है कि चरित्रवान व्यक्ति राज्य की जीवन शक्ति होते हैं और जिस शासन में व्यक्तियों के विकास के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हैं वह शासन-व्यवस्था उपयुक्त नहीं हो सकती, फिर चाहे प्रशासनिक दृष्टि से वह कितनी सराम और कुशल क्यों न हो। निरंकुश शक्ति सम्पन्न और सन्तान पूर्ण होने पर इन्हींलिए आदर्श नहीं माना जा सकता है कि उसमें नागरिकों के चारित्रिक विकास की उपेक्षा की जाती है। प्रतिनिधि शासन वाला लोकतन्त्र श्रेष्ठ इसलिए है कि अन्य किसी शासन-व्यवस्था की अपेक्षा उसमें व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास को प्रयत्न सम्भावना होती है।

द्विधात्मक सरकार के कार्य—मिल के अनुसार, "निर्वाचित प्रतिनिधि-परिषद का कार्य शासन का नियंत्रण और निरीक्षण मात्र है। इस परिषद को सक्रिय रूप में कानून-निर्माण अथवा शासन कार्य नहीं करने चाहिए।" मिल ने प्रतिनिध्यात्मक सरकार के जिन मुख्य कर्तव्यों का उल्लेख किया है, वे इन प्रकार हैं—1. प्रतिनिधि-शासन व्यक्तियों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे जिसमें सत्य की खोज करके तदनुकूल अपने विचारों का निर्माण कर सके। 2. शासन ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिससे व्यक्तियों का धार्मिक सुधार हो सके। 3. इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा बन्दों का निर्माण कम से कम किया जाए, क्योंकि कानून से प्रतिबन्ध रतने हैं। शासन को अधिक कानून बनाकर नागरिकों के वैयक्तिक जीवन में, अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीवन के अधिकतर परलू सरकार के विनियमों के बिना रहने चाहिए। कानून-निर्माण का कार्य विधायिका सभा को दिया जाना चाहिए। 4. प्रतिनिधि सभा को इन महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करना चाहिए—सरकार पर दृष्टि रखना, उन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालना, उसके आसक्तिजनक कार्यों को रोकना एवं उनका औचित्य सिद्ध करना, विश्वासयोग्य शासकों को पदच्युत कर उनके उत्तरदायित्वों को नियुक्त करना, सरकार के हेतु कार्यों की निन्दा करना आदि। संसद में जनता की या वर्ग की सत्तायुक्त पर विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद होना उपयोगी है। 5. मिल के अनुसार, "प्रतिनिधि-निकायों के कार्य को इन विवेकसम्पन्न सौमार्थों के अन्तर्गत रखकर लोकप्रिय नियंत्रण का लाभ उठाया जा सकता है और महत्वपूर्ण कुशल व्यवस्थापन तथा प्रशासन प्राप्त हो सकता है। इन क्षेत्रों को मिलाने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि नियंत्रण एवं आलोचना यंत्र को वास्तविक प्रशासन यंत्र से अलग रखा जाए। इसमें पहले को जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाए तथा दूसरे को विशेष ज्ञान एवं कुशलता-प्राप्त थोड़े से व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाए जो राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों।"

निर्वाचन के सम्बन्ध में मिल के विचार

प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचनों द्वारा होता है। अतः मिल ने प्रतिनिधि-शासन पर विचार व्यक्त करते समय निर्वाचनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने कहा कि निर्वाचित-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरकार के सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान और क्षमतावान व्यक्ति ही पहुँच सकें। योग्य व्यक्ति ही शासन का संकलन करनी प्रकृत कर सकते हैं। मिल ने निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिनमें शासकों का चुनाव अज्ञानी एवं विवेकहीन जनता के हाथों में न पड़े सके और जिनसे सामूहिक सामान्य बुद्धि द्वारा शासक के दोष कम हो जाएँ। मिल ने इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) और बहुल मतदान (Plural Voting) का सुझाव दिया। मिल की आशा थी कि "अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक ठम्मीद्वारा के लिए आवश्यक गुणों को समुचित महत्व मिल सकेगा और विवेकहीन जनता के बहुमत के दोष दूर हो सकेंगे।" अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए मिल ने सुझाव दिया कि कुल मतदाताओं की संख्या में संसद की प्रतिनिधि संख्या का भाग देकर मतों की औसत संख्या निकाल लेनी चाहिए और मतों की एक ऐसी संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद कोई प्रत्याशी संसद की सदस्यता प्राप्त कर सके। मिल के निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विचार निम्नानुसार हैं—

1. मताधिकार एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है सभी को नहीं दिया जाना चाहिए। प्रजातन्त्र को बड़ा धरप अनपढ़ और मूर्ख व्यक्तियों से है, अतः आवश्यक है कि मताधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जो एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। केवल वयस्क हो जाने से कोई मत देने का अधिकार नहीं हो सकता।

2. मताधिकार प्रदान करने में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मिल महिन्ना मताधिकार (Right of Vote to Women) की वकालत करने वाले प्रथम बौद्धिक विचारकों में हैं। उन्ने यह बहुत अत्यायुक्त प्रतीत होता था कि महिलाओं को मतदान अधिकार से वंचित रखा जाए। उन दिनों ब्रेट-ब्रिटेन में नारी का स्थान पर की चारदीवारी तक सीमित था। मिल नारी को सम्पन्न में वही स्थान प्रदान करना चाहता था जो पुरुषों को प्राप्त था। उसने

कहा कि "गहिलाओं को अयोग्यता जिसी भ्रम उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का कारण नहीं है, बल्कि यह उनकी शक्तियों की सामता का परिणाम है। यदि नारी और पुरुष में कोई अंतर है तो भी पुरुष की अपेक्षा नारी को मतदान का अधिकार की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से पुरुष को तुलना में निर्वल होने के कारण उसे अपने सूरक्षा के लिए वामन और समान्य पर निर्भर रहना पड़ता है।"

3 निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुत मतदान के आधार पर होना चाहिए। बहुत मतदान (Plural Voting) को विपरीत मिल् ने शिक्षित व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में बराबर अधिकार दिलाने हेतु को।

4 विद्वान को मूल्य से अधिक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को कम से कम एक तथा अधिक से अधिक पाँच मत देने का अधिकार उचित है। मिल् ने समान्य को वर्गों में विभक्त कर यह निर्दिष्ट कर दिया कि किस वर्ग को कितने मत देने का अधिकार मिलना चाहिए।

5 मिल् ने गुण मतदान का विरोध नहीं हुए खुले मतदान को उचित ठहराया। मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता एवं समझौती से किया जाना चाहिए। अतः इसमें गोपनीयता रखना 'किसी गुण-गुण दिए जाने वाले अनुचित कार्य' के समान है।

6 मिल् ने सुझाव दिया कि ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति जो बौद्धिक दृष्टि से योग्य हों, अच्छे लेखक या सामाजिक कार्यकर्ता हों, जिनको अपने वर्गों के कारण हर जिले में प्रतिनिधि प्राप्त कर ली हो तथा किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, तो उन्हें योग्यता के आधार पर चुन लेना चाहिए।

7 समान्य को तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने की दृष्टि से द्वि-राजनीय समझ उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धभाव के कारण निम्न सदन पर कार्यभार बँट जाता है यह उच्च सदन द्वारा हल्का किया जा सकता है। मिल् द्वितीय सदन में कुछ सुधार चाहता था।

8 उच्च विचार का कि मतदाताओं के लिए शिक्षा को योग्यता के साथ सारकारी सम्पत्ति की योग्यता (Property Qualification) निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि सम्पत्तिवान मतदाता सम्पत्तिहीन मतदाताओं से अधिक उदारदयित्वपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग करेंगे।

मिल् का योगदान और स्थान

(Mill's Contribution and Place)

यह सत्य नहीं है कि मिल् ने किरों नए सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया। उसके सिद्धान्त में समाप्ति नहीं है और उसके विचार में अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का मिश्रण है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यह देखना अधिक शिष्ट होगा कि उसने जो कुछ लिखा है उसमें सत्य कितना है? उसकी विधेयात्मक देने क्या है और अपने युग की तन्त्रे किस प्रकार प्रभावित किया है और यदि लेखकों की योग्यता का निर्णय इस तथ्य से होता है कि नीति पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है तो मिल् का स्थान निश्चित रूप से ऊँचा है। एक न्यायशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक के रूप में वह एक अचरित समझा जाता था।

मिल् ने एक घड़ी से अधिक समय तक राजनीतिक चिन्तन के हर क्षेत्र को प्रभावित रखा और उसके प्रयोगों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त हुआ। मिल् ने उपयोगितावाद के तर्कशास्त्र को विकसित किया और आगमनात्मक पद्धति (Inductive Method) की वृष्टियों दूर की। बेन्थम के उपरान्त उपयोगितावाद के बहुत से आलोचक उत्पन्न हुए और इस विचारधारा के सम्बन्ध में भ्रम पैदा हुए। मिल् ने उन सब आलोचकों को निरस्त किया तथा उनके द्वारा फैलाये गये भ्रमों का अन्त किया। आज उपयोगितावादी अर्थशास्त्र अलग विषय बन गया है। मिल् ने उपयोगितावाद की एक बड़ी वृष्टि को दूर किया। बेन्थम ने सुख को गुणात्मक नहीं केवल मात्रात्मक बतलाया था। मिल् ने कहा कि सुखों में गुणात्मक अन्तर होता है। उपयोगितावादी विचारधारा को मिल् की यह एक जबरदस्त देन थी। मिल् इस बात के लिए प्रशंसा का पात्र है कि उसने स्वतन्त्रता की उपयोगितावादी कल्पना प्रस्तुत की। प्रजातन्त्र सम्बन्धी मिल् के आलोचनात्मक विचारों का महत्व आज न्यून का त्यों बना हुआ है। आधुनिक प्रजातन्त्रिक देशों में वे दोष पाए जाते हैं, जिनकी ओर मिल् ने संकेत किया था। मिल् के इस कथन को चुनौती देना कठिन है कि "सुदृढ़ आधार के बिना प्रजातन्त्र का भवन अधिक दिन खड़ा नहीं रह सकता तथा सार्वजनिक शिक्षा के बिना सबके लिए मताधिकार निरर्थक है।" प्रजातन्त्र को सफलता के लिए दिए गए उसके सुझाव प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका व्यावहारिक पथ सफल है। प्रजातन्त्र की प्रयोगात्मक दिशा में मिल् ने बहुमूल्य योगदान किया है। नारी स्वतन्त्रता सम्बन्धी उसके विचारों की सत्यता का प्रमाण यह है कि लगभग सभी देशों ने उसके विचारों पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। राजनीतिक चिन्तन को मिल् की सर्वोच्च देन उदात्त व्यक्तिवाद है जिसे उदारवाद कहा जा अधिक उपयुक्त होगा।

(3) होगल के राष्ट्रीय राज्य, अन्तर्राष्ट्रीयवाद और युद्ध सन्ध्यायी विचार

होगल के राज्य सम्बन्धी विचारों से यह स्पष्ट है कि वह राष्ट्रीय राज्य (Nation State) का समर्थन करते हुए उसे मान-संगठन का सर्वोच्च रूप मानता है। वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रथवा विश्व व्यापी संगठन के राष्ट्रीय राज्य के ऊपर होने की कल्पना नहीं करता। होगल की दृष्टि में राज्य के लिए महत्वपूर्ण द्रव्य आत्म रक्षा का है। अपना अस्तित्व वापस रखने के लिए राज्य कोई कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्र है। होगल के अनुसार "राज्य स्वयं पूर्ण मलिन्य है जो अन्धकार और भ्रष्टाचार, लज्जा और दुःखपूर्ण लम्पटपण और धांधले वाली अर्थ के भागात्मक नियमों को श्रेष्ठिकार नहीं करता।" राज्य को अन्य राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने में कोई आकर्षित नहीं होती बरन्तें उससे उमरी सुरक्षा वापस रहती हो। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ऐसे प्रभुता सम्पन्न राज्यों के साथ होते हैं जो यह विश्वास करते हैं कि अपना हित उचित है तथा अपने हित के विरुद्ध कार्य करना पाप है अर्थात् जब राज्यों की विचार इच्छाएं आपसी सम्झौते से पूर्ण नहीं हो पाती तो विवाद को केवल युद्ध द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। होगल का मत है कि युद्ध को पूर्ण भ्रष्टाचार नहीं मानना चाहिए। वह युद्ध को पूर्ण दुष्कर्ष नहीं मानता। होगल अर्थात् राष्ट्रवादी होने के कारण किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं वस्तु का समर्थन नहीं करता। होगल के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के विचारों पर स्पष्टतया आक्रान्तता की छाप है।

(4) होगल के दण्ड और सम्पत्ति सन्ध्यायी विचार

होगल की मान्यता है किसी अधिभार के उत्तरदाय होने पर राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपराधी को दण्ड करे। उसकी दृष्टि में दण्ड का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि दण्ड का अभिप्राय केवल यही है कि जिस अधिभार की अवज्ञा द्वारा जिस व्यक्ति के प्रति तथा समाज एवं न्याय-विधान के प्रति अत्याचार हुआ है उसका बदला लिया जा सके। होगल के अनुसार जब किसी अधिभार का अतिक्रमण हो उस अधिभार की स्थापना का एक मात्र उपाय है—"प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति पर किए गए अत्याचार का सार्वजनिक निराकरण और द्वितीय, उनके माध्यम से समाज और न्याय के नियमों पर अनधिभार रोहा का निराकरण।" सम्पत्ति के विषय में होगल की मान्यता थी कि व्यक्तिव की पूर्णता के लिए उसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की इच्छा क्रियाशील रह सकती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के अभाव में व्यक्तिव का विकास सम्भव नहीं है। होगल के अनुसार सम्पत्ति का निर्माण राज्य अथवा समाज नहीं करता प्रत्युत वह मानव व्यक्तिव की अनिवार्य अग्रस्था है।

(5) होगल के संविधान सन्ध्यायी विचार

होगल के अनुसार संविधान कोई आवश्यक कृति नहीं होती, बल्कि उसका निर्माण समान सामाजिक, राजनीतिक सारासों के भीतर अनेक पीढ़ियों के नियन्त्रण करने वाले जन समूहों की आदतों के अनुपालन से होता है। होगल ने संविधानात्मक शक्तियों को तीन भागों में बांटा है—(1) विधायी, (2) प्रशासनिक एवं (3) राजतन्त्रात्मक।

(6) होगल के इतिहास सन्ध्यायी विचार

होगल के अनुसार "इतिहास सत्य आत्मा के आत्म-शोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है।" इतिहास का मार्ग मानव विवेक द्वारा प्रस्तुत होना चरता है और विश्व इतिहास विश्व का निर्णय है। इस निर्णय से यही अर्थ है कि एक जाति की दूसरी जाति पर विजय जैसा एक जाति से दूसरी जाति में "विजय चेतना के न्यूनान्तरित होने से है। होगल ने विश्व इतिहास को स्वाधीनता की अभूति की चार अवस्थाओं में विभक्त किया है—(1) धोबीत्व, (2) यूनायी, (3) रोमान एवं (4) जर्मनी। होगल के अनुसार इतिहास की अपनी समस्याएँ होती हैं जिनके लिए उसके अपने समाधान होते हैं। होगल के अनुसार, "इतिहास मुद्रिमानों का पथ प्रदर्शन करता है तथा मुहूर्तों को धरीठटा है।" इतिहास का प्रवाह और मानव-समाज की व्यवस्थाओं का विकास निरन्तर नियमों के अनुसार होता है।"

(7) होगल के स्वतन्त्रता सन्ध्यायी विचार

होगल के राजनीतिक चिन्तन का अधिक विवादस्पद विषय उसका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सन्ध्यायी विचार है। होगल ने स्वतन्त्रता को व्यक्ति के "जीवन का सार मानने हुए कहा था कि "स्वाधीनता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है जिसे आवधिकार करना उसकी मनुष्यता को अस्वीकार करता है, इसलिए स्वाधीन होने का अर्थ है अपने अधिकारों और कर्तव्यों को वित्ताजित दे देना, क्योंकि राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु स्वाधीनता का प्रतीक नहीं हो सकती। होगल के अनुसार राज्य स्वयं में एक साध्य होते हुए स्वतन्त्रता को प्रसारित करने का एक साधन है। विश्वात्मा का सार तत्व स्वतन्त्रता ही है और स्वतन्त्र चेतना को प्रगति विश्व का इतिहास है। जर्मन जाति को सार्वभूम्य इस चेतना को अनुभूति हुई कि मनुष्य एक मनुष्य के नाते स्वतन्त्र है। होगल के अनुसार स्वतन्त्रता सामाजिक है जिसकी प्राप्ति सामाजिक कार्यों में प्राप्त होने से होती है। समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना कोई स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है। सेबाइन के अनुसार,

“हींगल का विश्वास था कि स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवहार समझना चाहिए। वह उस सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता है जो समुदाय के नैतिक विकास के आधार पर उत्पन्न होती है। वह ‘‘क्रियात प्रतीति की वस्तु नहीं है।’’ वह एक प्रकार की स्थिति है जो व्यक्ति को समुदाय की नैतिक और वैधानिक सम्भावनाओं के माध्यम में प्राप्त होती है, अतः उसे स्वैच्छा अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षमता को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों के निष्पादन में लगा देने में है।¹

कार्ल मार्क्स

(Karl Marx, 1818-1889)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

वैज्ञानिक समाजवाद के उन्मादक कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को स्वयं लोक से निकालकर एक जनक्रान्ति के रूप में इस प्रकार बदल दिया है कि आज का युग समाजवाद का युग कहलाने लगा है। कार्ल मार्क्स का जन्म एक मुझी मध्यम वर्गीय परिवार में परिष्करी एशिया के ट्रीविन नगर में 5 मई, 1818 को हुआ था। उसका पिता एक साधारण वकील तथा माता एक यहूदी महिला थी। मार्क्स बचपन में प्रतिभाशाली था। 1836 में मार्क्स ने न्यायशास्त्र के अध्ययन के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1841 में उसने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। 1849 में मार्क्स लंदन में बस गया और अपने जीवन के शेष 34 वर्ष वहीं बिताए। 1883 में मार्क्स का निधन हो गया।

मार्क्स के ग्रन्थ (Works of Marx)—कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण रचनाएँ ये हैं—

(1) दी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी (1847) (The Philosophy of Poverty, 1843)

(2) दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (1848) (The Communist Manifesto, 1848)

(3) दास कैपिटल (1867) (Das Capital, 1867)

(4) क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस (Class Struggle in France)

1. मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद सम्बन्धी विचार

मार्क्सवादी समाजवाद को सर्वप्रथम समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से सम्बोधित किया जाता है। मार्क्स अपने समाजवाद को वैज्ञानिक मानता है, क्योंकि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स का दर्शन धिगट तथा सुगमबन्ध है। केटलिन के अनुसार, ठाकुरा क्रान्तिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर स्थित है, वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धान्त पर, आर्थिक सिद्धान्त इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आर्थिक व्याख्या मार्क्स हंगमन के इन्द्रवाद पर और इन्द्रवाद भौतिकवादी आध्यात्मिक पिदा पर स्थित है। स्पष्टतः मार्क्स की विचारधारा के चार आधार स्तम्भ हैं—(1) इन्द्रात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism), (2) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History), (3) वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त (Theory of Class Struggle) एवं (4) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)।

(1) इन्द्रात्मक भौतिकवाद

कार्ल मार्क्स का सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन इन्द्रात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त पर आधारित है। इन्द्रात्मक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन की वह आधारभूता है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी लेते हैं। शार्ल हिस्ट्री ऑफ़ दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ दी सोशलिस्ट मूनिमन में अधिकृत रूप से कहा गया है कि “इन्द्रवाद की सहायता से दल प्रत्येक स्थिति के प्रति सही दृष्टिकोण बना सकता है। सामर्थ्य घटनाओं के आन्तरिक सम्बन्धों को समझ सकता है, उनकी दिशा को जान सकता है कि वे वर्तमान में किस प्रकार और किस दिशा में चल रही हैं, वह यह भी देख सकता है कि परिवर्त्य में उनकी दिशा क्या होगी?”² मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ इस जगत् का आधार है। भौतिक जगत् की वस्तुएँ तब घटनाएँ परस्पर अवलम्बित हैं। भौतिक जगत् में परिवर्तन होता रहता है। कुछ प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं, कुछ नष्ट होती हैं तो कुछ की पुनरावृत्ति होती है। यह विकास क्रम निरन्तर चलता रहता है। मार्क्स कहता है कि विकास की पृष्ठभूमि में समस्त प्राकृतिक पदार्थों में एक आर्थिक विरोध रहता है जिससे भौतिक जगत् का विकास होता है। इसके तीन अंग होते हैं—(1) वात (2) प्रतिवाद एवं (3) संवाद अथवा संश्लेषण।

1. सेगल, राजनीतिक दर्शन का इतिहास, खण्ड 2, पृ. 616.

2. Quoted in Carew Theory and Practice of Communism, p. 28.

मार्क्स का भौतिक दृष्टांत का सिद्धान्त विकासवाद का सिद्धान्त है। उदाहरणार्थ यदि गेहूँ के दाने (पदार्थ) के द्रव्य का अध्ययन करें तो विदित होगा कि उसका विकास हो रहा है। उसे जमीन में गाड़ देने से उसका वह रूप नष्ट हो जाता है यह अकुर के रूप में प्रकट होता है। अकुर अपनी स्थिति पर स्याई नहीं रहता, उसका विकास एक लहलहाते पौधे के रूप में होता है। इस सर्घर्ष पूर्ण स्थिति का परिणाम यह होता है कि गेहूँ के एक दाने के विकास के द्वारा अनेक दाने उग आते हैं। विकास का यह दृष्टांतिक सिद्धान्त भौतिकवादी है। यदि गेहूँ का बीज 'वाद' है तो पौधा उसका प्रतिवाद है और पौधे का नष्ट होकर नए दानों का जन्म 'संघर्ष अथवा 'सश्लेषण' है। यही सर्घर्ष विकास के सोपान के रूप में प्रमत्त चलता रहता है। यह सर्घर्ष बाह्य न होकर आंतरिक होता है।

(2) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या

मार्क्स के अनुसार "वैध सम्बन्धों और राज्य के रूपों को न तो स्वतः उनके द्वारा समझा जा सकता है न ही मानव मस्तिष्क की सामान्य प्रगति द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है बल्कि वह जीवन की भौतिक अवस्थाओं के मूल में निगम लेती है।" भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विधियों के सामान्य स्वरूप का निरूपण करती है। मनुष्यों को चेतना उनके अस्तित्व का निरूपण नहीं करती, प्रत्युत् उनका सामयिक अस्तित्व उनकी चेतना का निरूपण करता है। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएँ उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके व्यापार उद्योग और कला दर्शन और रीतियों, आचरण परम्पराओं, नियम, धर्म और शैक्तिकता मार्क्स के अनुसार जीवन की भौतिक अवस्थाओं के द्वारा प्रभावी रूप प्रकट करती हैं। जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उसका आशय वातावरण, उत्पादन वितरण और वितरण से है और उसमें उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त के अनुसार, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञानिन्दी जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण अर्थात् उत्पादन तथा वितरण के तरीकों में परिवर्तन के कारण होती है सत्य तथा न्याय के अमूर्त विचारों का भंगना की इच्छा के कारण नहीं। उनके कारण उनके युग की आर्थिक व्यवस्था में पाये जा सकते हैं उनके दर्शन में नहीं। वस्तुतः आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक चरण के अनुक्रमण में एक समुचित राजनीतिक स्वरूप और समुचित वर्ग का आकार है, इसलिए मार्क्स का दर्शन वह ऐतिहासिक सिद्धान्त है जो विकास के स्वाभाविक रूप को उपस्थित करता है। मार्क्स कहता है कि उत्पादन एवं उत्पादन शक्ति के विकास से दृष्टवादी भावना का जन्म होता है और दृष्टवादी भौतिकवाद के सिद्धान्त के अनुसार इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग सर्घर्ष का इतिहास है। इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मार्क्स उत्पादात्मक सम्बन्धों अथवा आर्थिक दशाओं के आधार पर इतिहास को पाँच युगों में विभाजित करता है—(1) आदिम साम्यवाद का युग (2) दास युग, (3) सामतवादी युग (4) पूँजीवादी युग एवं (5) समाजवादी युग।

मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवाद में मनुष्य कदमल या फल खाकर अथवा शिकार के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादन तथा उपभोग करता था अतः समाज वर्ग सर्घर्ष से रहित था। दास युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान हुए। भूमि के स्वामित्व की समस्या से सामतीवर्ग का जन्म हुआ। इस तरह अब समाज में दो वर्ग हो गए। एक स्वामी वर्ग और दूसरा दास वर्ग। सर्घर्ष के फलस्वरूप नवीन सामतवादी युग का जन्म हुआ। इसमें राजाओं के हाथ में शासन आ गया। उन्होंने अधीनस्थों को भूमि प्रदान की और वे बदले में सामान्त राजा को आर्थिक और सैनिक सहायता देने लगे। छोटे किसान सामन्तों से भूमि लेकर कृषि करते थे एवं बदले में अनाज लगान के रूप में देते थे। उत्पादन के साधनों पर सामन्त राजा और सामन्तों का अधिकार होने तथा किसानों की दशा खराब होने के कारण इस युग में सामन्त और कृषक दो वर्ग बन गए। सामतवादी युग में सर्घर्ष डीना स्वाभाविक था। इसके बाद पूँजीवाद का विकास हुआ। यह औद्योगिक युग था। हाथ का काम इस युग में मशीन से होने लगा। इससे कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। इस युग में उत्पादन के साधन पूँजीपतियों के हाथों में चल गए। पूँजीपतियों के अत्यधिक शोषण से समाज में दो वर्ग पूँजीपति और श्रमिकों के बन गए। इनमें आपस में सर्घर्ष होना स्वाभाविक होने से मार्क्स के अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों पर श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा तथा उत्पादन के समस्त साधनों का सामाजिकरण कर दिया जाएगा। पूँजीपतियों के विनाश के बाद श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व समाप्त हो जाएगा और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के इस काल विभाजन के मूल में मार्क्स की यह धारणा निहित है कि जब तक पूर्ण उत्पादन की स्थिति नहीं आती, सभी समाज बदले रहेंगे। यह मानव इतिहास की पूँजी वर्ग सर्घर्ष को मानता है।

(3) वर्ग सर्घर्ष का सिद्धान्त

मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग-सर्घर्ष का सिद्धान्त ऐतिहासिक भौतिकवाद की उपनिधि है और यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त के अनुकूल है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संगठन का आधार उत्पादन प्रक्रिया में व्यक्ति का स्थान है। वर्ग संगठन के अपने सिद्धान्त में 'मार्क्स मुख्य रूप से ऐसे दो वर्गों की कल्पना करता है जो आधुनिक समाज में

एक मात्र उपाय मार्क्स के अनुसार क्रान्ति है और इस क्रान्ति द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य में वर्ग सघर्ष का अन्त हो जाएगा और सभी को समाज में स्वतन्त्र विकास के लिए शान्त होगी—“प्रत्येक व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास।”

स्त्रादिमीर इलियच लेनिन

(V. I. Lenin, 1870-1924)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

स्त्रादिमीर इलियच लेनिन रूप की बोल्शेविक क्रान्ति के कर्णधार थे। उन्होंने अपनी अनेक वृत्तियों के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धान्त और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। लेनिन का जन्म 1870 एवं उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन ने मार्क्स और एंजिल्स के विचारों को प्रामाणिक मार्ग दर्शक के रूप में स्वीकार किया तथा उसी समाजवादी क्रान्ति के विचार को व्यावहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था की व्यावहारिक रूप में चलाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धान्त की नई व्याख्या प्रस्तुत की।

साम्यवादी दल की भूमिका

लेनिन ने एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ के नाते यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण सर्वहारा वर्ग को सचेत तथा (संघटित और संगठित होने में काफी अधिक समय लगेगा और इसमें बहुत-सी कठिनाइयाँ आएँगी। पूँजीपति लोग कभी श्रमिक नेताओं को भिन्न-भिन्न प्रलोभन देकर और श्रमिक वर्ग को छोटी-छोटी सुविधाएँ एवं रियायतें देकर क्रान्ति के मार्ग से विमुख करने का प्रयत्न करेंगे। लेनिन ने साम्यवादी दल के लिए ‘क्रान्ति की अग्र पंक्ति’ (Vanguard of Revolution) की भूमिका निर्धारित की। लेनिन के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था में समाज धनी और निर्धन दो वर्गों में बँट जाता है तथा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं। इसी कारण प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल बनते हैं और ये प्रतिस्पर्धी दल वर्गीय आधार के अनुसार भिन्न-भिन्न नीतियों को प्रोत्साहन देते हैं। इनमें साम्यवादी दल सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीवादी दल सत्ता में होते हैं, इसलिए यहाँ साम्यवादी दल प्रमुख विपक्ष का दायित्व निभाता है; इसके अतिरिक्त उसका कार्य जन साधारण में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। वहाँ यह दल क्रान्तिकारी सघर्ष को आगे बढ़ाकर पूँजीवादी व्यवस्था को गिराने का काम करता है। क्रान्ति के पश्चात् जब साम्यवादी दल सत्ता में आ जाता है तब उसकी भूमिका में परिवर्तन हो जाता है। क्रान्ति के पश्चात् यह दल समाजवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए ‘सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व’ (Dictatorship of the Proletariat) स्थापित करता है। इस व्यवस्था में किसी प्रतिस्पर्धा करने वाले दल के अस्तित्व को सहन नहीं किया जाता। इस स्थिति में पुराना पूँजीपति वर्ग पराजित अवस्था में होता है फिर भी उससे यह खतरा सदैव बना रहता है कि यह वर्ग प्रति क्रान्ति (Counter Revolution) करके पुनः सत्ता में आने का प्रयत्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में साम्यवादी दल का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह पुराने पूँजीपति वर्ग तथा प्रति क्रान्तिकारी शक्तियों का दमन करके वर्ग भेद मिटाने का प्रयत्न करे। सत्ता में आने पर साम्यवादी दल उत्पादन के सारे प्रमुख संसाधनों को सामाजिक स्वामित्व में लाकर समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। यह दल उत्पादन की शक्तियों के पूर्णतया विकास के उद्देश्य से तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान देता है तथा समाज के सभी स्वस्थ काम करने योग्य व्यक्तियों को श्रम करना अनिवार्य बना देता है। लेनिन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘स्टेट एण्ड रिवोल्यूशन’ (State and Revolution) में लिखा है “समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र में निर्धारित किए जाते हैं—सबसे अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार (From each according to his capacity, to each according to his need)।” इसमें सभी लोग कामगार होते हैं, इसलिए समाज वर्ग होना ही जाता है। उत्पादन की शक्तियों सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं अतः इसमें सब कामगारों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव हो जाता है तथा समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना पूर्णरूप से खत्म हो जाती है।

साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष

लेनिन के अनुसार विकसित देशों के पूँजीपति अपने देशों की मडियों में लाभ कमा लेने के पश्चात् अल्प विकसित देशों पर अपनी गिद्ध दृष्टि डालते हैं, जहाँ उन्हें कच्चा माल कौड़ियों के मोल मिल जाता है तथा तैयार माल मुँह मारंगी बेमती पर बिक जाता है। ये पूँजीपति अपने देश के मजदूरों को छोटी-छोटी रियायतें, लाभ या सात्त्विक देकर शान्त कर देते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर के अल्प विकसित राष्ट्रों का भापूर शोषण शुरू कर देते हैं, अतः लेनिन ने सुझाव दिया कि बीसवीं शताब्दी में अल्पविकसित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध बड़ी भूमिका अदा

माओ-त्से-तुंग (Mao-Tse-Tung)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

अपने जीवनकाल में पुरान-पुरख बन जाने वालों की सख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। माओ-त्से-तुंग इनमें से एक थे। मध्य चीन के दक्षिण में स्थित हुनान प्रान्त के शाओशान गाँव में चीन और जापान के बीच समर्थ छिड़ने के एक वर्ष पहले 26 दिसम्बर 1893 को माओ का एक किसान परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता माओ शुन चेङ लम्बे, तगढ़े किसान थे जो कर्बदारों से मुक्ति पाने के लिए सेना में भरती हो गए, किन्तु एक साल की नौकरी के बाद वह पर लौट आए और मूअरों और चावल के व्यापार से उन्होंने नया जीवन आरम्भ किया। कुछ ही वर्षों में वह एक सम्पन्न किसान बन गए। माओ के पिता का स्वभाव कठोर था, जबकि उनकी माता बेन ची मेई ममता और दया की भूमि थी। माओ त्से-तुंग पिता की अपेक्षा अपनी माता के अधिक नजदीक थे। बचपन से माओ अपनी धुन के पक्के थे और उन काम करते थे सोच विचार कर करते थे। माओ-त्से-तुंग पाँच वर्ष की आयु से खेलों के कामकाज में अपने पिता का हाथ बंटाने लगे थे। सात वर्ष की आयु में उन्हें एक निजी शिक्षक के यहाँ लिखना पढ़ना सोखने के लिए भेजा गया ताकि यह इतिहास किताब रख सके और चिट्ठी-पत्री लिख सके, लेकिन माओ का मन किताबों में रम गया। 14 वर्ष की आयु में 1907 में माओ का अपने से चार वर्ष बड़ी लड़की से पहला विवाह हुआ। माओ ने स्वीकार किया कि अपनी परनी पत्नी से उनकी कभी नहीं पटी और अन्त में उन्होंने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया। 1911 में वह ट्रेड्स परीक्षा में सफल हुए। माओ को देशव्यापी निर्धनता, भ्रष्टाचार और शोषण का अहसास था। ये विदेशियों द्वारा बार किए गए राष्ट्रीय अपमान से परिचित थे। इन सबने उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने इस शाताब्दी की चीन की पहली क्रांति देखी और उसमें भाग लिया और सेना में भरते हो गए। मुनयात सेन के नेतृत्व में 1911 में हुई इस क्रांति ने 267 वर्ष पुराने मौजूदा साम्राज्य को उखाड़ फेंका। सून के राष्ट्रपति बनने पर माओ ने सेना छोड़ दी। उसके बाद उनका जीवन कुछ समय के लिए अव्यवस्थित रहा और अन्त में उसने हुनान स्टेट कॉलेज में प्रवेश लेकर डिग्री प्राप्त की। 1918 में वे पीकिंग गए और विरयविद्यालय पुस्तकालय में नौकरी कर ली। यहीं वे चीन के बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवृत्त सम्पर्क में आए। 1920 में उन्होंने हुनान में एक साम्यवादी संगठन की स्थापना की।

डॉ. मुनयात सेन के नियम पर 1925 में च्यौंग काई शेक ने कॉमिटींग का नेतृत्व सम्भाला। सोवियत सघ ने इस आशा से च्यौंग का समर्थन किया कि वे उत्तरी चीन के युद्ध-लोलुपों को उखाड़ फेंकने में समर्थ होंगे, किन्तु जब च्यौंग ने श्याई के कम्युनिस्टों पर प्रहार किया तो च्यौंग और कम्युनिस्टों के बीच घूट पड़ गई। सितम्बर 1927 में माओ ने च्यौंगशा में विफल कृषक क्रांति का नेतृत्व किया। माओ अपने सहयोगियों सहित च्यौंग काँग पर्वतमाला में शरण लेने पर विवश हुए। अगस्त, 1929 में माओ ने क्वांगसी में सोवियत साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद माओ और उनके साथियों को कदम-कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 1931-33 के बीच च्यौंग काई शेक ने कम्युनिस्टों के सफाए के लिए ऐतिहासिक अभियान संचालित किया। माओ की दूसरी पत्नी को कॉमिटींग ने मृत्यु दण्ड दिया। च्यौंग की सेना का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि कम्युनिस्टों को लम्बे कूच का निर्णय करना पड़ा। अक्टूबर, 1934 में कोई 90,000 स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने शरणाग्रों और रसद सहित माओ के नेतृत्व में 6,000 मील लम्बी यात्रा आरम्भ की। इनमें से केवल 8,000 ही 1935 में येनान स्थित माओ की अपेक्षा सुरक्षित अर्धे तक पहुँच गए। अनेकों की मृत्यु हो गई और अन्य राश छोड़ गए। स्वयं माओ को किसानों के सहायण में अपने बच्चे छोड़ने पड़े जिनसे वह फिर कभी नहीं मिल सका, किन्तु इस अभियान से माओ को ठोस अनुभव प्राप्त हुआ। उसे किसानों की बहिर्गर्हियों का बोध हो गया और वह जान गया कि उनके असन्तोष से कितरा प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। 1946 में चीन में व्यापक गृहयुद्ध छिड़ गया।

च्यौंग के पास यद्यपि विशाल सेना थी, किन्तु वह माओ के सैनिकों के छापामार युद्ध का मुकाबला नहीं कर सका। जनवरी, 1949 में कम्युनिस्टों का पीकिंग पर अधिकार हो गया। उसके बाद नानकिंग का पतन हुआ और अक्टूबर 1949 में माओ ने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। उसी वर्ष वह अपनी प्रथम विदेश यात्रा पर मास्को गये। उसने दूसरी और अन्तिम विदेश यात्रा 1957 में की जो मास्को की थी। गणराज्य की स्थापना के बाद माओ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष बना। 1958 में उसने राष्ट्राध्यक्ष का पद त्याग शाओ ची के पक्ष में छोड़ दिया। 1959 के बाद शेष विश्व के प्रति चीन का रुख उत्तरोत्तर आक्रामक होता गया जो इसका प्रतीक था कि माओ की नीति आन्तरिक मामलों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की ओर झुक रही थी। 1963 से अध्यक्ष माओ अपनी क्रांति की घाणना का एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के मुक्ति आन्दोलनों के

लिए निर्धारित करने लगा। सोवियत सभ से चीन के सम्बन्ध दलदलतेर बिगड़ते गए और इस बिगड़ का प्रभाव चीनी नेतृत्व पर पड़ा। यद्यपि 1961 में माओ ने लॉर्डे माँटगोमरी से कहा था कि वह 73 वर्ष से अधिक जीना नहीं चाहता, किन्तु वह यह सहन नहीं कर सका कि उसके नेतृत्व को कोई चुनौती दे और 73 वर्ष पूरा करने के पहले उसने एक और क्रान्ति का नेतृत्व किया। यह था 1966 की महान् सांस्कृतिक क्रान्ति जिसमें माओ के लाल रक्षकों ने माओ विरोधियों को चुन-चुनकर मौत के पाट उतार दिया। उसके मृत्यु पर्यन्त (एप्रिल 8, 9 सितम्बर, 1976) वह अपनी लगातार बीमारी के बावजूद चीन का नेतृत्व करता रहा।

चीनी मार्क्सवाद (माओवाद) के प्रमुख सिद्धान्त

माओवाद चीन की परिस्थितियों के अनुकूल मार्क्सवाद-लेनिनवाद का माओवादी चीनी-संस्करण है। माओ ने अपने मनचाहे ढंग से मार्क्सवाद-लेनिनवाद को प्रतिपादित किया और उसे चीन में ऐसी व्यावहारिक दिशा प्रदान की जिसमें न केवल पूँजीवादी विरुद्ध बल्कि स्वयं साम्यवादी जगत् को खतरा पैदा हो गया है। चीन में माओ को देवता तुल्य, वर्तमान शताब्दी का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति और मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सर्वोत्तम प्रवक्ता तथा उसके विचारों का रचनात्मक विरोध पाप और अपराध माना जाता था, परन्तु अब ऐसा नहीं है। माओ के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

1. सशस्त्र क्रान्ति आज उतनी आवश्यक है जितनी मार्क्स या लेनिन के समय में थी। माओ का मार्ग है—क्रान्ति द्वारा गृहयुद्ध महकना और चोट पर चोट करते हुए अन्ततोगत्वा साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर अधिकार जमा लेना। माओ की दृष्टि में सर्वहारा वर्ग क्रान्ति की सचालक शक्ति है और इस वर्ग को शक्ति प्रयोग के लिए छापामार युद्धों का आश्रय लेना चाहिए। चीन के गृहयुद्ध अर्थात् व्यंग्कई शोक के विरुद्ध संघर्ष में माओ ने छापामार युद्धों की प्रभावशालिता को सिद्ध कर दिखाया और आज यह एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध प्रणाली के रूप में सुनिश्चित है। माओ ने स्टालिनोत्तर रूसी शासकों पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया और कहा कि वे क्रान्ति के पथ से विचलित हो गए हैं। माओ की एक बड़ी देन यह मानी जा सकती है कि उसने क्रान्ति के नेतृत्व में किसानों को सम्मिलित किया। यद्यपि रूसी क्रान्ति में किसान सम्मिलित थे, लेकिन नेतृत्व केवल श्रमिकों के हाथ में था।

2. माओवाद साम्यवाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। वह पूँजीवाद के हाथ पर साम्यवाद का महल खड़ा करना चाहता है। माओ की मान्यता के अनुसार दो महायुद्ध पारंगत पूँजीवाद की जर्जरित कर चुके हैं, अब उसे एक और प्रवल धक्का देना है और यह लड़खड़ाती हुई दीवार अपने अन्त गिर जाएगी। साम्यवादियों को चाहिए कि वे पूँजीवादी देशों में क्रान्तियों, युद्धों और संघर्षों को भड़काएँ। माओ के अनुसार यद्यपि पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में अन्तर्विरोध है, लेकिन इनमें एक आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ पूँजीवाद के अन्तर्विरोध का अन्त केवल युद्ध और शक्ति द्वारा हो सकता है, वहाँ समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्विरोध शान्तिपूर्वक दूर किए जा सकते हैं।

3. माओवाद शक्ति का दर्शन (Philosophy of Power) है। राजनीतिक शक्ति के सम्पूर्ण प्रयोग से मनुष्यों के हृदय परिवर्तन कर सभी सामाजिक शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। माओ के शक्तिवादी विचार मार्क्स की इन मौलिक धारणा के प्रतिकूल थे कि आर्थिक परिस्थितियाँ मानव-विचारों और सभ्यताओं का निर्माण करती हैं। माओ का कहना था कि विचारों से समाज का निर्माण होता है और विचारों के बदलने से शक्ति का महत्व है। मौलिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नला से उत्पन्न होती है और बन्दूक से कोई वस्तु उत्पन्न की जा सकती है।

4. माओवाद युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति के प्रयोग का संदेश देता है। माओ के लिए शक्ति तथा सन्तुलितता की धारणा का कोई महत्व नहीं है। माओ के अनुसार अगला महायुद्ध सम्पूर्ण साम्राज्यवादी पूँजीवाद का पूर्ण रूप से विध्वंस करने वाला होगा। प्रथम महायुद्ध ने सोवियत क्रान्ति की सूक्ष्मता का निर्माण किया, द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन की क्रान्ति सम्पन्न हुई और अब तृतीय महायुद्ध सम्पूर्ण विश्व में समाजवाद के प्रदुर्भाव के लिए घटपुष्प का निर्माण कर देगा।

5. उस समय विरुद्ध विरोधी शक्तियों में विभाजित था। एक ओर साम्राज्यवादियों का शक्ति का जिसमें अमेरिका और उसके साथी तथा अन्य प्रतिस्पर्धावादी देश थे। दूसरी ओर साम्राज्यविरोधियों का है जिसमें साम्यवादी जगत् और चीन थे। इन दोनों शक्तियों से पृथक् तटस्थ राष्ट्रों का कोई स्थान नहीं। तटस्थता केवल धोखे की गुंडिया है। यदि भारत ने माओ के इस विचार का सही मूल्यांकन किया होता तो वह चीन के निर्लज्ज आक्रमण के प्रति आरम्भ से चेष्टे में न रहता। सोवियत सभ के विखण्डन से माओवादी विचारधारा विमूढान्वित हो गई और रूस पूँजीवादी राष्ट्र अमेरिका की ओर हटका।

6 माओवाद लोकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद (Democratic Dictatorship) का पक्ष-पोषण करता है। उसकी रचनाओं 'New Democracy', 'On Coalition Government', 'The Present Position and Task Ahead', 'The Peoples Democratic Dictatorship' आदि के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि माओवाद साम्यवादियों के लिए लोकतन्त्र और गैर साम्यवादियों के लिए अधिनायकतन्त्र है और यह मिलकर लोकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद हो जाता है। माओवाद लोकतन्त्रात्मक इसलिए है कि यह 'जनता' के हितों की पूर्ति के लिए शासन करता है और अधिनायकवाद इसलिए है कि यह ज्ञानि विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। माओ को उदारवाद, सहअस्तित्व जैसे शब्दों से घृणा है। माओ के दर्शन में प्रतिक्रियावादियों और गैर साम्यवादियों के प्रति उदारता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। माओ की दृष्टि में राज्य एक विशेष वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने का साधन है, अतः राज्य का कर्तव्य है कि श्रमिक वर्ग के हितों के विरोध में तत्वों को निर्ममापूर्वक कुचल दे।

7 माओ ध्यात्म-पूजा का प्रतिष्ठापक है लेकिन ने यह स्वीकार किया था कि दल के उच्च सिद्धान्तों का प्रतिपादन बख्त उच्च स्तर के व्यक्ति कर सकते हैं, किन्तु उसने व्यक्ति-पूजा स्वीकार नहीं किया, पर माओ को 'बचनी और करनी' में अन्तर था। माओ ने एक ओर तो 'सैकड़ों फूलों के एक साथ खिलने' की बात कही, पर दूसरी ओर अपने कटोर अधिनायकवाद की इस प्रकार स्थापना की कि चीन में माओ सबसे बड़ा देवता अर्थात् भगवान बन गया। केवल माओ को तन्त्रशाही रही जिसका हर शब्द अन्तिम सत्य का उद्घोषक था। माओ ने अपने विरोधियों को सांस्कृतिक क्रान्ति के नाम पर खत्म कर देने में कोई कसर नहीं रखी। चीनी गणराज्य के अध्यक्ष लिये शओ ची और चीन के सुरक्षा मन्त्री लिन-बियाओ जैसे शक्तिशाली भी इस सांस्कृतिक क्रान्ति के शिकार हुए। माओ ने चीन का 'माओकरण' करने का पूरा प्रयत्न किया और 'माओ की लाल पुस्तक' का पाठ घर घर में किया जाना अनिवार्य बना दिया। इस लाल पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार हैं—(1) मुझ में राष्ट्र की तुलना में मनुष्य का महत्व अधिक है, क्योंकि निर्माणक वस्तु मनुष्य है न कि राष्ट्र, (2) सेना में राजनीति को अन्य सैनिक कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये, (3) माओवाद सच्ची राजनीति तथा सच्चा अर्थशास्त्र है अतः इसे सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिये, (4) माओवाद सच्चा आदर्शवाद है एवं (5) ज्योतन्त्र विचारों और रचनात्मक व्यावहारिकता को कौरे किताबों, काल्पनिक तथा सिद्धान्तवादी विचारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

माओ के अनुसार प्रत्येक चीनी साम्यवादी को इन चार इच्छाओं को स्वीकार करना चाहिये—(1) सबसे अच्छा राभी यह है जो राजनीतिक चैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। (2) उसी साथी को श्रेष्ठ मानना चाहिए जो तीन-आठ (त्रि-अष्टक) को कार्य प्रणाली के लिए उत्तम हो। इस त्रि-अष्टक का अधिप्राय तीन प्रवृत्तियों और आठ चारित्रिक गुणों से है—(अ) अपनी सही राजनीतिक प्रकृति को पकड़े रहना (आ) अपने कर्तव्यपालन में श्रम और सादगी का परिचय देना (इ) अपनी मुस्काहियों में लचीलापन कायम रखना। आठ चारित्रिक गुणों में एकता, सतर्कता, निरचर्यमकता, सक्षमता आदि सम्मिलित है (3) वह साथी श्रेष्ठ है जो सैनिक प्रशिक्षण की दृष्टि से उन्म हो एवं (4) जो सैनिकों के लिए जीवन व्यवस्था करने में निपुण हो।

8 माओ ने समाजवादी क्रान्ति के लिए जिस पद्धति को विकसित किया उसे 'टून टून (Fight, Fight), टा, टा, टा, टा (Talk, Talk, Talk, Talk) सिद्धान्त' कहते हैं। इसका अधिप्राय है कि सर्वप्रथम विरोधी पर आक्रमण कर उसे इतना निर्बल बना देना चाहिए, कि वह लड़ने के सिद्धान्त को छोड़कर भेज पर बातचीत के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिनों तक समझौता-वार्ता चलनी चाहिए, लेकिन समझौते की शर्तें ऐसी रखी जानी चाहिए कि शत्रु उन्हें स्वीकार करने को तयार न हो। उसके ऐसा करने पर उस पर शान्ति भंग का आरोप लगाया चाहिए और इस आरोप का प्रचार करना चाहिए। इसी समय शत्रु पर पुनः भयकर आक्रमण कर उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लेना चाहिये। सक्षम से पहले लड़ो, फिर निर्बल बनाकर बातचीत करो और तब वार्ता भंग करके पुनः लड़ो और अधिकार जमा लो।

माओ के कुछ अन्य विचार

ज्ञान—अपने सामाजिक व्यवहार में मनुष्य विभिन्न प्रकार के सपनों में व्यस्त रहता है और अपनी सफलताओं और असफलताओं से प्रचुर अनुभव प्राप्त करता है। मनुष्य की पाँच ज्ञान-द्रियों—आँख कान नाक जीभ और त्वच—के जरिए उसके महिष्क पर वस्तुगत बाह्य जगत् की असंख्य घटनाओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है। ज्ञान शुरू में इन्द्रिय-ग्राह्य होता है। धारणात्मक ज्ञान अर्थात् विचारों की स्थिति में तब तक पहुँचा जा सकता है जब इन्द्रिय-ग्राह्य ज्ञान काफी मात्रा में प्राप्त कर लिया जाता है। यह ज्ञान-प्राप्ति की एक प्रक्रिया है तथा ज्ञान प्राप्ति की समुची प्रक्रिया मजिल है—एक ऐसी मजिल जो हमें वस्तुगत पदार्थ में मनोगत चेतना की ओर ले जाती है। मनुष्य का ज्ञान व्यवहार को करायें के जरिए छलांग भर कर एक नई मजिल पर पहुँच जाता है। यह छलांग पूर्ववर्ती छलांग से अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति की पहली छलांग अर्थात् वस्तुगत बाह्य जगत् को प्रतिबिम्बित करने के बीच बनने वाले विचारों, सिद्धान्तों, नीतियों, योजनाओं अथवा उपायों का सही अथवा गलत होना साबित करती है। सच्चाई को परखने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। सही ज्ञान की प्राप्ति केवल पदार्थ से चेतना की तरफ जाने और फिर चेतना से पदार्थ को तरफ लौटने की प्रक्रिया को, अर्थात्

व्यवहार से ज्ञान का आर और ज्ञान से व्यवहार का ओर जाने की प्रक्रिया को बार-बार दृष्टाने से हाव है। यथा- नावमवा का ज्ञान-सिद्धान्त अथवा इन्द्रात्मक भौतिकवाद का ज्ञान-सिद्धान्त है।

आध्यात्म—आशवाद और आध्यात्मवात् दुनियाँ में सुगम चले है क्योंकि इनमें मनुष्य वस्तु वस्तुगत यथाय का आधार बनाए बिना अथवा वस्तुगत यथार्थ का कसौटी पर पड़े बिना मन चाह अनगल बनें का स्वतंत्र है। दूसरी तरफ भौतिकवाद और इन्द्रात्मक वास्तव में प्रयत्न साध्य चले है। इसमें वस्तुगत यथाय का आधार बनाना और उस कसौटी पर पारखना जरूरी है। यदि कोई प्रयत्न नया करेगा तब उसके लिए आशवाद और आध्यात्मवाद का उड़ में गिरने का सम्भावना बना रहेगा।

विश्लेषण—जब हम बिना चांच का अध्ययन करें ता हमें उसका अन्तर्वस्तु का परिष्कार करना चाहिए, उसका बाह्य रूप का अन्तर्वस्तु का देखी तरफ घुटवने के लिए नागरिक मानित चालें तथा एक बार देखें धर का लेने पर हमें उस चांच का अन्तर्वस्तु का दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। विश्लेषण का यथा पद्धति एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति है।

अन्तर्विरोध—किसी वस्तु का विकास का मूल कारण उसका बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। उसका आन्तरिक अन्तर्विरोध में निहित होता है। य जन्मार्थक अन्तर्विरोध हर वस्तु में निहित रहता है इसलिए हर वस्तु गतिमान और विकासशील होता है। किसी वस्तु के भीतर विद्यमान अन्तर्विरोध उसके विकास का मूल कारण होता है जबकि उसके और अन्य वस्तुओं के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध और पारस्परिक प्रभाव उसके विकास का मूल कारण होता है।

अनुशासन—जन्म में जन्मार्थ केन्द्रापत्ता से जुड़ा रहता है और आजका अनुशासन से। य दान एक ही वस्तु के दो विवरण पानु है जा परस्पर विरोधा है और एकाग्रता या तथा हम इनमें से एक को देखें का दूसरे पर स्वपरीय और नह देना चाहिए। जन्म का काम आजका अनुरक्षण, जनवाद, केन्द्रापत्ता के बिना जा चल सकता। हयात जनवादी केन्द्रापत्ता जनवाद और केन्द्रापत्ता का एकता टपा आजकी और अनुशासन का एकता से बना है। इस व्यवस्था में जन्म कायक जनवादी और आजका के उभोका करता है लेकिन उसे समाजवादी अनुशासन की मांगों के अन्तर्गत रहना पड़ता है।

नीतिबान—यह दुनिया दुम्हारी है यह हमारा है लेकिन अन्तर्गतवा यहा तुम्हारा हा हागा। हम नीतिबान का अन्तर्विरोध और जावन शक्ति से भरपूर सुबह या नी बने का मूल्य का वह अपना विद्वान का पुरवहार मानने में हा। हयात जशाए तुम पर लगा हुआ है। हमें यह समझने में अपने तमाम नीतिबानों का मूल्य करना चाहिए कि हमारा दान अब बहल गारा है। हम छोड़े से समय में इस स्थिति को बुनियादी रूप में नहीं बन सकत वना मात्र अपना युवा पादा और समस्त जना के सपुक्त प्रयत्नों द्वारा और स्वयं अपने नुजबान के भासे काम करके कुछ दारदियों में हम अपने देश का मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने से भावपूर्ण एक आदर्श समाज तक पहुँचने का मांग प्रशस्त हा गया है किन्तु इस आदर्श का वास्तविक रूप देने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा।

निर्दोष—काम करने लायक हो सब को समान काम के लिए समान वतन के सिद्धान्त के अन्तर्गत जन के माँवों पर तेनव हानि का मौज्य दा। यह कार्य श्रमविशेष हा जाना चाहिए।

सहित्य—कला एव सहित्य का समालोचना के दो माध्यम रहते हैं—एक राजनीतिक माध्यम और दूसरा कलात्मक माध्यम। सभा वर्गसमाजवादी हर वर्ग अपने स्वयं का राजनीतिक और कलात्मक माध्यम हाव है लेकिन सभा समाजों में सभा वर्ग हमारा राजनीतिक माध्यम का प्रमुख स्थान देते हैं और कलात्मक माध्यम का नहीं। हम जिस चांच का मांग करते हैं वह राजनीति और जन का एकता विषय-वस्तु और रूप का एकता क्रान्तिवादी राजनीतिक विषयवस्तु और यथासम्भव अधिक पूरा कलात्मक रूप का एकता। व कलाकृतियाँ जिनमें कलात्मक प्रतिभा का अभाव होता है किन्तु शक्तिहीन होती हैं फिर चाहे वे राजनीतिक दृष्टि से किन्ता प्रगतिशील क्यों न हों। इसलिए हम ऐसा कलाकृतियों का समर्थन का जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण गलत होता है तथा पास्टरबक एव नरबासा जैसे शैली का उन कलाकृतियों का जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण गलत होता है किन्तु जिनमें कलात्मकता का अभाव हो वह कृत्रिम किन्ता हा प्रगतिशील क्यों न हों, विरोध करते हैं। सहित्य और कला का प्रयत्न पर हम इन दोनों माँवों पर सभ्य करना चाहिए।

अध्ययन—ज्ञान एक वैज्ञानिक वस्तु है और इस मानने में बईमानी या घमंड का अनुभव नहीं दा जा सकता। उल्टा दमनवादी और तन्त्र का दृष्टिकोण गिरण रूप से अकारणक है। अन्तर्गत अध्ययन का शत्रु है। जब तक हम आत्मदृष्टि से नया नही टाढ़ लेते तब तक हम कुछ नहीं साधें परेंगे। हमें सत्य के लिए तत्पर रहने और सिध्दान्त का अर्थक करार करने का स्वयं अननन चाहिए।

मास्कुनि और सम्बन्ध—मूलभूत सिद्धान्तों का दृष्टि से समर्थन के सभा चट्टों का कला एक है लेकिन हर देश का कला का एक विशाल राष्ट्रीय रूप और उसका राष्ट्रीय शैली हाव है किन्तु इस कुछ व्यक्ति नहा माँवने। व अन्तर्गत कला के राष्ट्रीय गुण का अस्वीकार करते हैं और परिश्रम की अन्तर्गत यह साचकर करते हैं कि परिश्रम हर प्रकार से उपम है। व पूरा परिश्रमकरण का वक्तव्य करते हैं—काना कला, काना समाज, चित्रकला, नाटक गान और नृत्य और सहित्य

सबका अपना ऐतिहासिक महत्व है। चीनी संस्कृति को उखाड़कर लाने जो लोग पूर्ण परिष्कृतकरण का आग्रह करते हैं उनका कहना है कि चीनी चीनों के अपने नियम नहीं हैं, इसलिए वे उनका अध्ययन करने या उनका विकास करने के लिए प्रारतुन नहीं है। यह चीनी वंश के प्रति राष्ट्रीय नकारात्मकता की प्रकृति है। हमें अय देशों की संस्कृति सीखनी चाहिए और उनमें दक्षता प्राप्त करना चाहिए। हमारे लिए विशेष रूप से यह आवश्यक है कि मूलभूत सिद्धान्त में निपुणता प्राप्त करें। मार्क्सवाद एक मूलभूत सिद्धान्त है जिसका जन्म पश्चिम में हुआ है। इस सम्बन्ध में हम यह अन्तर कैसे करें कि क्या चीनी है क्या पश्चिमी? अतएव हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जहाँ आधुनिक संस्कृति का प्रश्न है, पश्चिम का मानदण्ड हमारे ऊँचा है। हम पीछे छूट गए हैं।

मूल्योंकन

माओ तो युग क्रान्तिदृष्टा और क्रान्तिवादी किसान थे। यदि माओ न होते तो चानी क्रान्ति न होती। अंग्रेजी या रूसी मूल्योंका या क्रान्ति का जो अर्थ है चीनी में, य मिंग शब्द का उससे भिन्न अर्थ है—शासक वर्ग को शासन करने के दैवी अधिकार से वंचित कर देना शुद्ध राजनीतिक अर्थ है। शताब्दियों से चीनी किसान दबा हुआ था। उसे समाज में कोई अधिकार प्राप्त न था। समय-समय पर उसने राजवशों की गद्दी से उतार दिया था, परन्तु इससे कोई परिवर्तन नहीं आया था। सभी चीनी सिद्धान्तवादियों की भाँति चीनी सिद्धान्तवादियों ने राजवशों के पतन को लेकर एक सिद्धान्त गढ़ रखा था। यह ईश्वरीय सिद्धान्त है अर्थात् यह ईश्वर की इच्छा थी कि अमुक राजवश का पता हो, तो वह हुआ। इस सिद्धान्त से स्वयं की सन्तुष्टि कर चीन का ब्राह्मण वर्ग निर्दिष्ट हो जाता था, परन्तु किसान पिम्पला रहता था और माओ और उसके कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्थिति बदल दी। सन् 1926 में उसने सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि किसान आगामी क्रान्ति का बाहक होगा। उन्होंने किसानों को बताया कि सामान्यवादी (जो उस समय केवल बीना स्तम्भ थे) क्रान्ति करती होगी, बाकी सब सामान्यवादियों की पूजा करते रहेंगे। राजवशों को गद्द करने से कुछ नहीं होगा। आवश्यक यह है कि राज्य को पुतानी व्यवस्था को तोड़ दिया जाए। चीनी किसान ने माओ के सन्देश को समझा और उसका अनुसरण किया। माओ का विलक्षण योगदान यही है कि उसने विशाल चीनी किसान-समाज में जनवादी चेतना उत्पन्न की। 18 वर्ष के भीतर साठ करोड़ चीनी किसानों ने जनशक्ति का रूप ग्रहण कर लिया और समाज की काया पराट दी, जैसा चीनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

माओ ने क्रान्ति का दो अर्थ दिए—प्रथम, क्रान्ति शासकवर्ग को शासनधिकार से वंचित करती है, द्वितीय, क्रान्ति शासन के विभागों और मन्त्रियों को अगण्य करती है। माओ इसके लिए बहुत उत्सुक था कि चीनी क्रान्ति का दूसरा विच्छेद पुताने विचारों पुतानी आदर्शों, पुतानी रीतियों और पुतानी संस्कृति से सम्बन्ध करे। माओ का प्रमुख योगदान अधिष्ठान के मार्क्सवादी सिद्धान्त की समाज पर व्यवहार में परिणत करना था। वह पहला कम्युनिस्ट था जिसने ऐसा किया। उसके जीवन के अन्तिम वर्ष पुताने दौड़े के खिलाफ क्रान्तिकारी सघर्ष का संगठन करने में बीते। उसके निन्तार क्रान्ति के प्रयोग उसके जन-अधिकार अधिष्ठान पर आक्रमण जारी रखने के लिए उसके पार्टी के पुरे जाने के प्रयत्न इसी 'दूसरे विच्छेद' के उद्देश्य थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि दूसरा विच्छेद कायम रह सकता है।¹

दुर्भाग्यवश माओ के अतिराज्य क्रान्तिवादी और विस्तारवादी विचार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुए। आर्य के आणविक युग में माओवाद जैसी शक्ति, हिंसा और वर्ग सघर्ष को अत्यधिक प्रोत्साहन देने वाली विचारधारा मान्यता को महाविनाश के बगर पर ला सकती है। हिटलर और मुसोलिनी की तरह 'युद्ध और शक्ति के गीत गाता' भयोत्पादक है। माओ ने इस तथ्य को अपेक्षा कर दी थी कि मार्क्सवादी साम्यवाद की जन्मभूमि सोवियत रूस तक समय की गति को पहचान कर सहअस्तित्व की बात करने लगा है और 'युद्ध की अनिवार्यता' में उस्तका विश्वास शिथिल पड़ने लगा है। माओ भूल गए कि आणविक युद्ध में विजेता और विजित दोनों का महाविनाश होगा। शक्ति प्रदर्शन चाहे वह माओवादी हो या कोई अन्य यद्दी, निर्जित रूप से सम्पूर्ण मान्यता के लिए घातक है और मार्क्स की इस मौलिक धारणा के विरुद्ध है कि आर्थिक शक्तियाँ मानव-विचारों और सत्ताओं का निर्माण करती हैं।

□□□

भारतीय राष्ट्रवाद (Indian Nationalism)

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध राजनीतिक-राष्ट्रवादी चेतना के फलने-फूलने और एक संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्भव और विकास का काल था। इस काल में भारत में ऐसे महानुष्ठ हुए जिन्होंने देश में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय चेतना जाग्रत की। इनमें से महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं की जानकारी आगे दी जा रही है।

दादाभाई नौरोजी

(Dadabhai Naoroji)

गोखले के अनुसार "वह उच्चतम कोटि की देश-भक्ति के एक पूर्णतम उदाहरण थे। कंग्रेस की स्थापना से पूर्व 40 वर्षों तक वे भारत में सार्वजनिक जीवन को संगठित करते रहे और कंग्रेस की स्थापना के बाद 20 वर्षों में अधिक समय तक वे राष्ट्रीय भारत के सर्वमान्य नेता रहे। जीवन के हर क्षेत्र में दादाभाई को सम्मान मिला और, देशवासियों ने प्रेमपूर्वक उन्हें 'भारत का पितामह' (Grand Old Man of India) की उपाधि दी। दादाभाई भारत में राजनीतिक जागृति के अग्रदूत तथा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लोकवित्त, वैदेशिक व्यापार, राष्ट्रीय आय, जमीन समस्याओं में गहरी रचि की। उनका 'निर्गम का सिद्धान्त' (Drain Theory) भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक चिन्तन में उतना विस्फोटक बन गया था जितने मार्क्स के 'शोषण' और 'वर्ग संघर्ष' के सिद्धान्त मार्क्सवादी तथा समाजवादी क्षेत्रों में बन गए हैं।"¹

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

दादाभाई नौरोजी (1825-1917) का जन्म मुम्बई में 4 सितम्बर, 1825 को हुआ। उनके पिता नौरोजी फाल्गुजी दौर्दा एक गरीब पारसी थे और उनकी माता का नाम भाणिक बाई था। उनके नाम के साथ जुड़ा 'भाई' (भाता) शब्द उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। दादाभाई का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में सोहराबजी श्राफ की कन्या गुलबाई के साथ हो गया। दादाभाई ने 'एलफिन्स्टन सस्नान' में अपनी शिक्षा प्राप्त की। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने शिक्षा सम्बन्धी अनेक पारितोषिक जीते। दादाभाई के प्राध्यापक उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे और प्रो. अप्लेंग ने उन्हें 'भारत की आशा' (The Promise of India) कहा था। दादाभाई नौरोजी की सार्वजनिक जीवन में रचि शीघ्र ही प्रसुटित होने लगी। 1853 में अपने कुछ सहयोगियों सहित उन्होंने मुम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1854 में वे एलफिन्स्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे प्रथम भारतीय प्राध्यापक थे जो देश के किसी सम्मानित कॉलेज में नियुक्त हुए थे। 1855 में उन्होंने कॉलेज से त्यागपत्र देकर व्यापार शुरू कर दिया। 1868 में अपने कुछ साथियों के सहयोग से उन्होंने लन्दन में ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की स्थापना की जिसकी शाखाएँ मुम्बई कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े भारतीय नगरों में खोली गईं।

1873 में दादाभाई भारतीय वित्त के सम्बन्ध में नियुक्त फासेट प्रवर समिति (Fawcett Select Committee) के सम्मुख उपस्थित हुए। 1874 में बड़ौदा के दीवान बने। 1875 में वे मुम्बई कारपोरेशन के सदस्य बने और 1885 में मुम्बई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद (Bombay Provincial Legislative Council) के अतिरिक्त सदस्य (Additional Member) बने। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्य-क्षेत्र बनाया तब तक वे वहाँ रहकर भारतीय हितों के लिए लड़ सके। 1892 में केंद्रीय फिन्सवरी से चुनाव लड़कर वे ब्रिटिश लोकसभा के सदस्य बने तबकि इस महानु सभा में वे भारत के हितों का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। वे ब्रिटिश संसद के 1892 से 1895 तक सदस्य रहे। इसके बाद उन्हें 'उपल कमीशन' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह

1 विश्व-रत्न प्रसाद वर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृ. 132.

कमीशन भारत सरकार के सैनिक-आर्थिक खर्चों की जांच के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था और इसमें दादाभाई का बड़ा हाथ था। दादाभाई और उनके सहयोगी चार्ल्स ब्रेहलाफ के निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश सेवकभंग में यह प्रस्तावित पातित हो सका कि साम्राज्य सेवाओं (Imperial Services) के लिए इंग्लैण्ड और भारत में सम-समय परीक्षाएँ हों। कुछ पुरुषों में दादाभाई नौरोजी ने बर्मिस से अपना नाता जोड़ा और जीवन-पर्यन्त उसका सेवक भी तथा उसे विकास की संतुष्टियों पर उद्यते हुए स्वराज्य प्राप्ति के उद्देश्य तक ले गए। वे 1886, 1893 और 1906 में क्रमशः कोलकाता बर्मिस, लाहौर कॉलेज और पुन कोलकाता बर्मिस अधिवेशन के सभापति रहे। 40 वर्ष के अघक परिश्रम से उन्होंने बर्मिस के जन्म से पूर्व भारत में सर्वांगत सार्वजनिक जीवन को जन्म दिया और इसके उपरान्त पर्याप्त समय तक वे भारत के राष्ट्रीय नेता रहे। भारत में समर्थन का हास या निष्कासन (Economic Drain) उनके वक्तव्य का मुख्य विषय रहा था और उन्होंने भोजन पर व्यय कम करने और स्वयंपत्त शासन, स्वदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन' (Poverty and Un-British Rule in India) के अन्तर्गत आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को लिया। यद्यपि ब्रिटिश शासन के प्रति अपने जीवन की सन्ध्या में दादाभाई का रवैया कठोर हो गया और उन्होंने स्वराज्य को बर्मिस का ध्येय धोषित किया, लेकिन उन्होंने कभी द्वान्ति और हिंसात्मक उपायों का पक्ष नहीं लिया। उदार और सांविधानिक प्रयागों में उनका आजीवन अटूट विश्वास बना रहा। दादाभाई ने त्याग और सेवामय जीवन व्यतीत किया तथा देशवासियों के लिये राष्ट्र को ऊँचा उठाने का महान् आदर्श रखा। 30 जून 1917 को इन्का स्वर्गवास हो गया। भारत एव इंग्लैण्ड ने दादाभाई को श्रद्धांजलि अर्पित की।

दादाभाई नौरोजी का राजनीतिक दर्शन

(Political Philosophy of Dadabhai Naoroji)

दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक विचार सत्कालीन उदारवादी-मितवादी चिन्तन से प्रभावित थे। उन्हें ब्रिटिश न्याय-प्रियता में विश्वास था, लेकिन अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वे ब्रिटिश शासन के प्रति बठोर हो गए। ब्रिटिश उपेक्षावृत्ति और शोषणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध तीव्र आलोचना करने के बावजूद उदार और सांविधानिक उपायों में उनकी मूल्य-पर्यन्त अटूट आस्था बनी रही। दादाभाई ने निरंकुश साम्राज्यवादी व्यवस्था को रोक मानते हुए शासन की नैतिक शक्ति में विश्वास प्रकट किया और भारतीय आकांक्षाओं तथा यहाँ की समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनता में स्वस्थ चेतना जागृत करने का प्रयास प्रयत्न किया। उनके राजनीतिक विचारों को हम निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं—

राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार का पोषण

दादाभाई नौरोजी का जीवन सात्विक मान्यताओं और उच्च आदर्शों से अनुप्राणित था। उन्होंने ध्यस्तितगत सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नैतिक शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले अथवा जीवन का कोई कार्यक्षेत्र चुने, उसका आधार नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता किसी कार्य या किसी सत्ता को स्थायित्व दे सकती है। राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार की उन्होंने वकालत की और कहा कि न्याय, उदारता एवं मानवता की आधारशिलाओं पर राजनीतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है। कोई राजनीतिक व्यवस्था यदि यह पारंपरिक बल पर आधारित है तो कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकती। नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं में तदात्म्य हो, तभी राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व होने की आशा की जा सकती है। 1893 में लाहौर कॉलेज के अध्यक्षीय भाषण में नौरोजी ने कहा था कि किसी साम्राज्य का निर्माण अन्ध-शस्त्रों के बल पर किया जा सकता है, लेकिन उसका परिष्करण केवल शाश्वत नैतिक शक्ति के आधार पर सम्भव है अतः सैनिक अथवा आन्वबल को अपेक्षा शेष सक्रियताओं और पारस्परिक विश्वास को राजनीतिक शक्ति का आधार बनाया जाए। यदि इंग्लैण्ड ने पारंपरिक बल और उतेजना की नीति का अनुसरण किया तो यह उसे साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर करेगा।

ब्रिटिश चरित्र और शासन-व्यवस्था की प्रशंसा तथा निर्भीक आलोचना

दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश-प्रशासन, ब्रिटिश-संस्थाओं और ब्रिटिश-चरित्र की जहाँ उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की, वहाँ उसकी निर्भीक आलोचना भी की। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि यदि ब्रिटिश जनता अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनी रही और न्याय, निष्पक्षता तथा स्वाधीनता की अपनी परम्परागत परिपाटी के अनुसार कार्य करती रही तो भारत निश्चय ही स्वशासन-प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। 1906 में कोलकाता बर्मिस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अपने मत के मूल सिद्धान्त को निम्नांकित शब्दों में पुनः दोहराया—“ब्रिटिश सरकार की अधीनता में हमारे साथ कोई बड़ा जुल्म नहीं होता। अन्य शासकों की तुलना में इस शासन में हम अधिक सुखी हैं। हमें जो वुराई इस शासन में दिखाई देती है या जिसकी हम हिंसात्मक करते हैं, उसका मूल कारण इतल में आने वाले यूरोपीय अफसरों का अज्ञान है। इस देश में प्रचलित सम्प्रदायों, धार्मिक और सामाजिक विचारों तथा रीतियों के सम्बन्ध में यह अफसर ऐसे कानून

और नियम बना सकते हैं, जो इस देश के लिए हानिकारक हों और इसके बावजूद वे ठन्त तक यह समझते रह सकते हैं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया है। उन्हें अधिकारी ठीक समझते हैं, लेकिन देशवासी गलत मानते हैं अतः यदि हम इस तरह की एक सत्त्वा हो, हम सुधार के सुझाव दे सकते हैं।¹ दादाभाई नौरोजी के अनुसार भारत की जनता को अपने दुखों के आगे ब्रिटिश शासन की अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए। इस देश में ब्रिटिश शासन के स्थापित्व को मानकर आगे कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि उसी पर हमारी आशाएँ निर्भर हैं। भारत का भाग्य ब्रिटिश शासन के साथ जुड़ा हुआ है और किसी अन्य शासन को हम अपने सिर पर नहीं लादना चाहते।

ब्रिटिश शासन के इस गुण-गान के पीछे दादाभाई के हृदय में गीतों हुकुमद का भय नहीं था। वह एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे जो भारत की आवाज, गोंग और आवश्यकता को सचत भाषा में रखना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोषों को उजागर किया, उनकी भाषा में चेतावनी, तीखेपन और आक्रोश की भी गूँज रही लेकिन वह ऐसी कर्षों नहीं रही जिससे हिमा या क्रान्ति को प्रोत्साहन मिले और इंग्लैण्ड तथा भारत की जनता के बीच कटुता बढ़े। दादाभाई ने ब्रिटिश शासन प्रणाली की कमियों की ओर संकेत करते हुए निर्भीकतापूर्वक कहा कि "वर्तमान शासन-प्रणाली भारतीयों के लिए विनाशकारी और निकुरा है तथा इंग्लैण्ड के लिए आत्मघाती और उसके राष्ट्रीय चरित्र, आदर्शों एवं परम्पराओं के प्रतिवृत्त है। इसके विपरीत यदि सच्चे अर्थ में ब्रिटिश मार्ग अपनाया जाए तो इससे ब्रिटेन और भारत दोनों लाभान्वित होंगे।"² दादाभाई ने चेतावनी दी कि निकुरा और स्वेच्छाकारी शासन स्थाई नहीं रह सकता, क्योंकि बुद्धि और दृष्टि शासन-व्यवस्था विनाश की ओर अग्रसर होती है। उन्होंने इस शासन-व्यवस्था को "ड्रूर स्वाग" की समानता देते हुए इसमें आमूल परिवर्तन की माँग की। ईस्ट इण्डिया एगोसिएशन के 2 मई, 1867 के समापन में दादाभाई ने स्पष्ट किया कि दक्षिण ब्रिटिश शासन के कारण भारत की शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से लाभ पहुँचा है, लेकिन उपलब्ध ठाँकड़े यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि इंग्लैण्ड की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने में भारत का विशेष योगदान रहा है। दादाभाई ने यह बताया कि इंग्लैण्ड को भारत से प्रतिवर्ष कितना धन प्राप्त होता है और किस तरह भारतीय शासन में भारतीयों को भर्ती नहीं की जाती। दादाभाई ने सेल्सवरी के इन शब्दों को दोहराया कि "अन्याय बनवान से बनवान का नाश कर देना।"³ 3 सितम्बर, 1880 को भारत के राज्य अवर सचिव लुई मालेट को अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि भारतीयों को ब्रिटिश महानदार न्यायनिष्ठा और चरित्र में विश्वास है, इसलिए वे (भारतवासी) ब्रिटिश शासन के भ्रष्ट बने हुए हैं। विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं हुआ है जिसमें विवेकता के रूप में अंग्रेजों की भाँति शक्तियों के कल्याण को अपना कर्तव्य माना हो। यदि वर्तमान निर्गम बन्द कर दिया जाए और देश के विधि-निर्माण कार्य में भारतीय प्रतिनिधियों को अपनी उम्र देने का अवसर प्रदान किया जाए तो भारत को ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत एक ऐसे अधिस्थ की आशा हो सकती है जो उनके इतिहास के महानतम और सबसे गौरवशाली युग में बढ़ा-बढ़ा हो।⁴

ब्रिटिश लोकमत को भारतीय समस्याओं के प्रति जगाने की चेष्टा और भावी अनिष्ट की स्पष्ट चेतावनी

दादाभाई ने भारत के पक्ष में अत्यन्त प्रचार किया। उन्हें विश्वास था कि यदि ब्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति और भारतीय समस्याओं तथा मानव के प्रति सही जानकारी दी गई और भारत के बारे में ब्रिटिश जनता का अज्ञान मिटा दिया गया तो दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हो जाएँगे और दोनों को इससे स्थाई लाभ पहुँचेगा। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश सिविल के सहयोग के बिना भारत के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड में स्वस्थ लोकमत नहीं बनाया जा सकेगा और न ब्रिटिश समुदाय के सदस्य भारत के सुधारों की आवश्यकता समझ सकेंगे। अतः दादाभाई ने दृष्टान्त सी बनरजी आदि के सहयोग से 'सत्यम इण्डियन सोसाइटी' की स्थापना की जिसका उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीयों का सम्पर्क बढ़ाना था। 1 दिसम्बर, 1866 को 'ईस्ट इण्डिया एगोसिएशन' की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश जनता और सरकार को ईस्ट इण्डिया से सम्बन्धित मामलों का सही ज्ञान कराना था और भारत के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी लोग इसके सदस्य बन सकते थे। दादाभाई ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और जनता के सामने सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश का प्रश्न उठाया और यह प्रस्ताव किया कि भारत तथा इंग्लैण्ड दोनों स्थानों में सिविल सर्विस के लिए एक साथ प्रतिदोषिता-परीक्षा आरम्भ करने की व्यवस्था हो। विपरीत आलोचक प्रायः यह अग्रणी किया करते थे कि भारतीय उदारवादी-पूर्व पक्षों के योग्य नहीं हैं। उन्हें यह भ्रम था कि योग्यता, ईमानदारी और कार्य-क्षमता की दृष्टि में अंग्रेजों की तुलना में भारतीय अनुपयुक्त हैं, लेकिन दादाभाई नौरोजी को भारतीयों की योग्यता और कार्य-क्षमता में पूर्ण विश्वास था और वे नहीं चाहते थे कि यूरोपीय एशियाई जातियों के सम्बन्ध में जो अन्तर्गत बातें कहा करते थे उन्हें दोहराएँ। दादाभाई ने "भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता के प्रमाण" नामक पुस्तिका प्रस्तुत करते हुए अकार्य प्रमाण पत्र दिए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि शासन

1 आर. सी. मसानी - पृ. 25

2 Poverty and Un-British Rule in India, p 236.

3 Poverty and Un-British Rule in India, p 201-202.

के विभिन्न विभागों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त शिराक भारतीयों ने योग्यता और ईमानदारी से काम किया और बर रहे हैं। इस पुस्तिका के प्रतिष्ठित अधिकारियों की समितियों का रोचक संग्रह था। दादाभाई ने स्वयं शब्दों में ब्रिटिश शासन और जनता को बताया कि "भारत की विभिन्न सर्विस में भारतीयों को भर्ती न करना वैसा ही होगा, जैसा इंग्लैण्ड की विभिन्न सर्विस में अंग्रेजों को भर्ती न करना। अतः भारत की विभिन्न सर्विस में अंग्रेजों के समान ही भारतीयों को अधिकार मिलना चाहिए।"

दादाभाई तीरोजी ने कहा कि नीतिका और संवैधानिक विधि दोनों का तत्त्वज्ञान है कि इंग्लैण्ड भारत पर भारतवासियों के कल्याण के लिए शासन करे। ब्रिटिश शासन का कर्तव्य है कि भारत में फैली हुई विपन्नता, निर्गम कर्मों आदि को दूर किया जाए। भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक कर्मों से छुटकारा दिलाने में ब्रिटिश-जरीज की तैयारी है। उन्होंने कहा कि दोनों के लिए यह स्थायी है कि "भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण और निर्देशन के अन्तर्गत अपना प्रशासन स्वयं चलाने दिया जाए।"¹

निरंकुश साम्राज्यवाद पर प्रहार

भारत और अंग्रेजों के हित एक-दूसरे के पूरक हैं—इस पर बल देते हुए दादाभाई तीरोजी ने ब्रिटिश निरंकुश साम्राज्यवाद की नैतिक मुराहमों का पर्दाकार किया। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद न केवल प्रशासनिक मुराहमों का बल्कि गहरी वित्तीय हानियाँ का जनक है और यह कल्पक स्थिति है कि भारत के आर्थिक साधनों का अन्ध-पुन्ध निर्गम होने से भारत की गरीबी बढ़ रही है, भारतीयों की जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। दादाभाई ने इस पर खेद प्रकट किया कि ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक जनता के साथ अहंकार और अन्यायपूर्ण व्यवहार करने की आदत पड़ गई है। दादाभाई ने भविष्यद्वेष की भाँति चेतावनी दी कि "इंग्लैण्ड ने साम्राज्यिक शासन के लिए जो धोलापूरी संघर्ष किए हैं उसका इतिहास गौरवपूर्ण है किन्तु यही इंग्लैण्ड अब भारत में अंग्रेजों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहा है जो निरंकुश शासन में प्रतिष्ठा तथा अभ्यस्त है जिसे असाहिष्णु, अहंकार तथा निरंकुश शासन की स्वैच्छाचारिता न दुर्गुण धर कर गए हैं और जिन्हें इसके अतिरिक्त सौविधानिकता के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण मिल रहा है। क्या यह सम्भव है कि जब ये अंग्रेज अधिकारी निरंकुशता की आसों और प्रशिक्षण लेकर स्वदेश वापस जाएँगे, तो वे इंग्लैण्ड के चरित्र और संस्थाओं को प्रभावित नहीं करेंगे? भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतवासियों को उठाने के बजाय सतित होकर एशियाई विविधता के स्तर तक पहुँच रहे हैं। क्या यह उस स्थिति का खेल है जो समय आने पर उन्हें दिखा देना चाहती है कि उन्होंने भारत में जो दुराचरण किया है उसका क्या फल हुआ है? अभी इंग्लैण्ड पर इस नैतिक अधःपतन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, किन्तु यदि समय रहे उससे उदा कुप्रभाव को फैलने से नहीं रोका जो उसकी जनता को उत्तेजित कर रहा है तब प्रकृति उससे ठम अवचरण का बदला लेगी जो उसने भारत में किया है।"²

स्वशासन और स्वराज्य

दादाभाई को यह देखकर प्रामाणा हुई कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की जड़ें गहरी होती जा रही हैं और उन्होंने जो भीज बोए थे, अब उनमें फल निकलने लगने से तथा एक मया भारत पैदा हो रहा था। दादाभाई को इससे शोच हुआ था कि इतनी श्रमियों और सौविधानिक धारणाओं के बावजूद ब्रिटिश शासन भारत के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाए हुए था, अतः उन्होंने भारतीय युवकों का आह्वान किया कि वे भारतीय शासन-प्रणाली के सुधार की माँग करें। 18 मार्च 1904 को 'भारत में कु-शासन' विषय पर दादाभाई ने एक प्रभावशाली भाषण दिया। इसके बाद स्वशासन की माँग की गई। सन् 1898 इण्डियन सोसाइटी में दादाभाई ने घोषणा की कि "वर्तमान अपमानजनक दायी और विध्वंसक शासन-प्रणाली को सुधारने का एक तरीका है—ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन स्वशासन।" लॉर्ड कर्जन के 'बंग-भंग' से जब भारतीय जनता में असन्तोष की आग पड़क उठी तो सन् 1905 स्थित भारतीयों की एक सभा के अध्यक्ष पद से दादाभाई तीरोजी ने अपने जीवन का सम्भवतः सर्वाधिक जोरशीला और सारगर्भित भाषण दिया। उन्होंने गर्जन की कि "भारतीयों ने एकमत होकर, पूरी ईमानदारी और हार्दिक के साथ यह घोषणा कर दी कि वे इस समय जिस शासन प्रणाली के अधीन हैं उसे आगे बढ़ाने नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन-प्रणाली की मुराहमों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति बनी रही तो देश में विद्रोह अवश्यभावी है।" दादाभाई ने अपने इस विख्यात भाषण में निम्नलिखित ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय शब्द कहे— "50 साल से अधिक पहले मार्टिन र्टुअर्ट एरफिनटन ने कहा था कि भारतीयों पर उदा विद्वानों द्वारा शासन चलाना अनुचित है, जिनके आधार पर गुलामी और जंगली जातियों का शासन चलाया जाता है। दुर्भाग्य से

1 Poverty and Un-British Rule in India, p 219
2 वही पृ. 214-125 (विषयगत प्रवाद कार्य से उद्धृत, वही, पृ 130)

अंग्रेजों को उन अधिकारों को क्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। दादाभाई की राजनीतिक पद्धति में शान्तिप्रियता, विवेक, सन्तुष्टि, समय और अहिंसा की प्रधानता थी। वे यह नहीं चाहते थे कि कोई आन्दोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण करे अथवा असन्तुष्ट एवं असह्य रूप में चले। दादाभाई यह जानते थे कि अंग्रेजों की नदी अतिसन्तुष्टि की भाषा रामजत दे, लेकिन वे यह जानते थे कि भारतीय तत्त्वान्ति परिस्थितियों में वाटन की स्थिति में नहीं थे वे लगातार शोक कर विद्रोह शरणाओं को जगाने का प्रयत्न कर सकते थे। दादाभाई को यह अनुभूति थी कि भारत का राजनीतिक मुक्ति के लिए समर्थ बड़ा सत्त्व चलेगा और इस सत्त्व रखने की सौदियों शरीर-शरीर एक-एक करके बढ़ते होंगे। अभी प्रारम्भिक स्थिति थी, अन्तिम समर्थ को नहीं। सांविधानिक आन्दोलन की दादाभाई की प्राण शोधने और फोतेजशाह मेहता जैसे उदारवादिओं की भाषणा से अधिक और व्यावहारिक थी। दादाभाई के सांविधानिक आन्दोलन में स्वदेशी और बहुधकार के लिए स्थान था। उन्होंने इन दोनों का प्रभावपूर्ण समर्थन किया और 'बग-भाग' से उत्पन्न बलात्कार में बौद्धों की समिति स प्रस्ताव पारित करवाया जिसमें 'नीति' के उद्देश्यों और अनुशासकीय दोनों पक्ष सन्तुष्ट हो गए। स्वराज्य की भाषा और उसे पाने के लिए स्वदेशी, बहुधकार के उद्देश्यों को उद्देश्य करने के कारण दादाभाई के उद्देश्य में दोषों पक्षों के अभाव विचार समझे जाने लगे। दादाभाई के उद्देश्यों का उद्देश्यपूर्ण मान से निरास और 'जुग' लेकर अधिक उच्च हो गए और उनकी भाषा कठोर होती गई। उनकी आस्था में उच्च रहकर करने वाली हो गई लेकिन दादाभाई ने अपना सन्तुष्ट नती हासिल। उन्होंने 'संविधान' और 'हिमालय' प्रकृति को 'नीति' का भाषा तथा सांविधानिक आन्दोलन के मार्ग से बंध विचलित नहीं हुए।

बाल गंगाधर तिलक
(Bal Gangadhar Tilak)

सांविधानी ने कहा था कि "हमारे समय के किसी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने।" प्रारम्भिक दिनों के राष्ट्रीय मंच पर बाल गंगाधर तिलक का अद्वितीय स्थान था और स्नेह तथा सम्मान से उन्हें 'लोकमान्य', 'जनता के प्रिय नायक', सर्व सम्मानित बहुधकार पुकारा जाता था— लोकमान्य तिलक का राजनीतिक मन्त्र—'स्वशासन मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा"—भारतीयों के होंठों पर था। तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक आन्दोलन को सांविधानिक बनाने के लिए धार्मिक जोरा का प्रयोग किया।

जीवन परिचय (Life-Sketch)

लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कौण्डविले के तलागिरी स्थान पर ऐसे महाराष्ट्रीय पितृपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसका सम्बन्ध पेशवाओं से था। बाल्यावस्था से तिलक मेधावी और प्रखर बुद्धि के थे। 1877 में उन्होंने एन.एन. की बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कॉलेज जीवन से ही उनकी गहरी मार्क्सवादी भावों की आरंभ बढ़ती गई और जब 18-से पुछा गया कि गणित में एम.ए. न करके (चूंकि तिलक को गणित में अत्यधिक रुचि थी) वे बताने क्यों पड़ रहे हैं उनका उत्तर था—'मैं अपना जीवन देश के जन-जागरण में लगाना चाहता हूँ और मेरा विचार है कि इस काम के लिए सभ्यता अथवा विज्ञान की किसी उपाधि को अपेक्षा कानून का ज्ञान उपयोगी होगा। मैं ऐसे जीवन की वसुधा नहीं कर सकता जिसमें मुझे ब्रिटिश शासकों से संघर्ष न करना पड़े।' अपने सार्वजनिक जीवन के चार दशकों में तिलक ही सांविधानी विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में प्रसफुटित हुईं। एक शिक्षाशास्त्र के रूप में उन्होंने पूना न्यू इंग्लिश स्कुल दक्षिण शिशा समाज (Deccan Education Society) तथा फर्ग्युसन कॉलेज के व्यवस्थापक के रूप में श्रमार्थि अर्जित की। अपने परिश्रम से उन्होंने महाराष्ट्र में एक शैक्षणिक क्रांति उत्पन्न कर दी। ओरिएण्टल सोसाइटी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने वाले एक विद्वत्पूर्ण विचार 'वेदों का उद्गम स्थल उत्तरी ध्रुव' (The Arctic Home of the Vedas) के कारण दश-विदेश में उनका श्रमार्थि फैल गई। उनके 'गीता रहस्य' ग्रन्थ से उनकी श्रमार्थि में वृद्धि हो गई थी।

लोकमान्य तिलक ने आर्थिक अन्याय के विरुद्ध लोहा लिया। 1896 के अकाल में लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया और कानून के मंच से आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपने महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जैसे—बितीय विकेन्द्रीकरण स्थायी बन्दबन्ध आदि। 1889 में कांग्रेस में अपने प्रवेश के बाद कांग्रेस के कार्य-कलापों में तिलक ने भूमिका अदा की। उदारवादियों की नीतियों से असन्तुष्ट तिलक ने अपनी शक्ति महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आन्दोलन को सुसंगठित करने में लगाई और भारतीय नवयुवकों में यह भाव भरने का चेष्टा की कि देश अपनी स्वतन्त्रता किसी की दया के बल पर नहीं, अपनी सामर्थ्य के बल पर अर्जित करे। 'अपने 'केसरी' तथा 'मराठा' नामक पत्र तथा 'शिवाजी और गणपति उत्सवों' द्वारा उन्होंने जाता में देशभक्ति

विचार था कि यदि वार्ता सफल न हुई तो आन्दोलन को पुनः छेड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और योजना असफल हो गई।

तिलक की समाज-सुधार पद्धति

लोकमान्य तिलक को समाज-सुधारकों का छद्म पसन्द नहीं था। उन्हें इससे कह था कि समाज-सुधारक पारिवारिक विचारों को हिन्दू समाज में दृढ़ करना चाहते थे और हिन्दू धर्म तथा समाज के प्रति इनमें भ्रूण और उपेक्षा के भाव थे। तिलक परिवर्तन के पक्षपाती थे लेकिन उन आधारों को नहीं भंगना चाहते थे जो सुदृढ़ नहीं थे। सामाजिक परिवर्तन और सुधारों को स्वीकार करते हुए वे इस पक्ष में नहीं थे कि भारतीयों का परिचयोंकरण कर दिया जाए। तिलक उन लोगों के विरोधी थे जो समाज-सुधार का आधार वेद-पुराणों में ढूँढते थे और तिलक को उनके पाठ्यपत्र का पण्डित बनाने में कठिनाई नहीं हुई।¹ तिलक इसके विरोधी थे कि राज्य द्वारा कानून बना कर सामाजिक सुधार लाया जाए। तिलक सामाजिक सुधारों के स्वाभाविक विकास के हामी थे और यह नहीं चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तनों का निः। परिचय में मिले। डॉ. कुमुद रानी का मत है कि "तिलक का कहना था कि हमारा उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करना तथा नगरपालिका की प्राप्ति होना चाहिए। स्वतन्त्र की प्राप्ति के बाद सामाजिक परिवर्तनों का क्रम आरम्भ करना चाहिए।"

सामाजिक दर्शन

तिलक के सामाजिक दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्य थे—(1) वे सामाजिक परिवर्तन के विरोधी नहीं थे वरन् उन सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते थे जो परिचय के अन्धानुकरण से होता, (2) तिलक ने राजनीतिक जागरण और राजनीतिक सुधारों को सामाजिक सुधारों की तुलना में प्राथमिकता दी, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दो मोर्चों पर शक्ति को विभाजित करना उन परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं था, (3) सामाजिक सुधार सहज और स्वाभाविक रूप में होने चाहिए ताकि समाज में असन्तोष न फैले और सामाजिक सगठन में बाधा न पड़े एवं (4) तिलक नहीं चाहते थे कि भारत के सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र पर विदेशी नीकरशाही का नियन्त्रण हो जाए। तिलक का एक निश्चय सामाजिक दर्शन था जो ठोस और पर्यायवाची भूमि पर आधारित था। वे उदार परम्परावादी थे। उनमें रुढ़िवादिता देखने को मिलती थी, क्योंकि तत्कालीन समाज वैसा था और उस समाज को अपने साथ लेकर विदेशी हुकूमत के खिलाफ शक्तिशाली मोर्चा बनाना आवश्यक था। तिलक एक प्रजातन्त्रवादी नेता थे जो जनमत का निरुद्ध करने में विश्वास नहीं करते थे। बदलते समय के अनुसार रुढ़िवादिता में भारतीय आधारों में आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाए यह उन्हें अमोघ था। तिलक सामाजिक परिवर्तन क्रमिक और सावधानी रूप में पसन्द करते थे तथा परिचयीकरण की प्रवृत्ति के विरोधी थे।

तिलक के शैक्षणिक विचार और कार्य

(Educational Ideas and Works of Tilak)

लोकमान्य तिलक के मतानुसार, "पढ़ना-लिखना, सीख लेना ही शिक्षा नहीं है शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए, हमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव दे।" लोकमान्य तिलक महान शिक्षा-शास्त्री थे। वे और आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा-आन्दोलन के प्रणेता थे। शिक्षा के सम्बन्ध में नरमदलील नेताओं के विचारों से तिलक सन्तुष्ट नहीं थे। नरम दल भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के लिए अग्रजों के प्रति कृतज्ञ था, जबकि तिलक और उनके उग्रवादी सहयोगियों की शिक्षायत थी कि यह प्रणाली छात्रों को देश की सही स्थिति से अविगत रखती है और उन्हें जीवन में किसी जीविका के लिए तैयार नहीं करती। तिलक शिक्षा उसी को मानते थे जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, उसमें देश के सच्चे नागरिक गुणा का संचार करे और पूर्वजों का ज्ञान और अनुभव दे। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम का अंग रही थी और बंगाल के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में इस स्थान दिए जाने से पहले तिलक, आगरकर तथा चिपलूंगकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। फलस्वरूप पूना में न्यू इंगलिश स्कूल और फर्रुखन कॉलेज की स्थापना हुई तथा दक्षिण शिक्षा समाज का निर्माण किया गया। तिलक के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा, देशवासियों मनमातान्तर से उन्हें उठकर समगित हो सकेंगे और देश की शक्ति को बढ़ा सकेंगे। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो व्यावहारिक था और देशवासियों के स्वाभाविक विकास में सहायक था। राष्ट्रीय शिक्षा के सन्दर्भ में तिलक के मुख्य विचार बिन्दु निम्नांकित थे—

(1) उद्योग एवं प्राथमिक शिक्षा शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अंग बने

तिलक ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में चलने वाली पाठ्य-पुस्तकों से छात्रों को शिक्षा का भ्रम ज्ञात नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ, उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता कि आयात-निर्यात की शोषक नीति से विदेशी हुकूमत भारत का दण्ड बन

रही है और भारतीयों की जीविका छीन रही है। जहाँ दूसरे देशों में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है वहाँ भारतीय शिक्षण साम्राज्य केवल अफसर पैदा करने के लिए बनी है। तिलक ने इसका आग्रह किया कि शिक्षण-पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए।

(ii) धार्मिक शिक्षा पर बल

कान्फ़ेन्स आन्दोलन में क्रान्तिकारी और नैतिक संपर्क करने वाले वर्ग प्राचीन ग्रंथों तथा प्राचीन कीर्तियों से प्रेरणा पाते दिखाई देते हैं। तिलक धार्मिक शिक्षा पर जोर देते थे और कहा करते थे कि "किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है, यदि वह उसमें अन्तर्भिन्न है? धार्मिक शिक्षा का अभाव इसका कारण है कि देशभर में मिशनरियों (इंग्लिश पादरियों) का प्रभाव बढ़ गया है।" तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक को मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और धार्मिक कलह को दूर करने की कुंजी है। हिन्दुओं को सच्चे हिन्दु धर्म और मुसलमानों को सच्चे इस्लाम की शिक्षा देने से एक-दूसरे के धर्म के लिए सम्मान और सहिष्णुता का प्रसार होगा। तिलक के अनुसार चित्र-निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्ष (Secular) शिक्षा पर्याप्त नहीं है उसके लिए धार्मिक शिक्षा आवश्यक है।

(iii) स्वतन्त्र देशों जैसी शिक्षा प्रणाली पर बल

तिलक के अनुसार भारतीय शिक्षण-संस्थाओं में यदि स्वतन्त्र देशों जैसी शिक्षा-प्रणाली चालू की जाए तो इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। कुछ गैर सरकारी शिक्षण साम्राज्य तिलक के विचारों के अनुरूप शिक्षण-क्रम रखने को तैयारी थी, लेकिन उन्हें भय था कि ऐसा करने से उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता बन्द हो जाएगी, अतः तिलक ने नियंत्रण दिया कि "हमें अपने स्वतन्त्र स्वयं स्थापित करने चाहिए और अपना काम निःस्वार्थ भाव से शुरू करना चाहिए।" तिलक चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस काम को हाथ में ले, परन्तु कांग्रेस कोई खाता ठठठने को तैयार नहीं थी।

(iv) मातृभाषा को प्रधानता

तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। वे कहते थे कि "आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी लिख लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किन्तु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाधता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। अंग्रेजी हमें सीखनी है, पर उसकी शिक्षा अनिवार्य करने का कोई कारण नहीं है। मुस्लिम राज में हमें फारसी सीखनी होती थी, पर उसे सीखने के लिए बाधता नहीं थी।"

(v) एक लिपि, एक राष्ट्रभाषा का समर्थन

तिलक का विश्वास था कि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयता की अविचार्य रात है, अतः उन्होंने इसकी पैरवी की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए। उनके शिष्य सरकार ने, जो इसी भाषा सम्बन्धी नीति के समर्थक थे वहाँ तक कि सदन के एक सम्मेलन में उन्होंने इसका आग्रह किया कि स्वतन्त्र के प्रस्ताव को अंग्रेजी में नहीं, भारत की सार्वजनिक भाषा हिन्दी में लिखा जाए। तिलक राष्ट्रीय एकता और भाषा-भेद से विभाजित देश को एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। धारतब में तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। दिसम्बर, 1950 में काशी गगरी प्रचारिणी सभा में एक भाषण में उन्होंने कहा कि देवनागरी न केवल सभी आर्य भाषाओं की लिपि बने बल्कि राष्ट्रभाषा की लिपि भी बने। तिलक ने देश की भाषा समस्या पर विचार किया। उन्होंने देख लिया कि इसके मार्ग में क्या बाधाएँ हैं और उनका हल ढूँढ निकाला। बालान्तर में ये बाधाएँ उपस्थित हुईं और विधान-निर्मात्री परिषद ने उन्हें उसी उपाय से दूर किया जो तिलक ने सुझाया था। तिलक जाते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी-अपनी लिपि पर अडेंगे। उन्होंने देशवासियों से समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता के समक्ष क्षेत्रीय विरोधों को दबा देने की अपील की। राजनीति और जेल में कैदे रहने के कारण तिलक को एक लिपि और राष्ट्रभाषा का आन्दोलन चलाने के लिए समय नहीं मिला, पर उन्होंने सूर रूप में एक विचार प्रस्तुत कर दिया जिसका विकास बाद में हुआ। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने का विरोध किया।

(vi) अंग्रेजी की महत्ता स्वीकार करना

राष्ट्रीय शिक्षा के यह-धोखे होते हुए भी तिलक अंग्रेजी के महत्त्व को अस्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि विदेशी भाषा की शिक्षा छात्र समझ नहीं सकते, अन्यथा अंग्रेजी शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रगति और जागृति में प्रमुख रूप से सहयोगी है। अंग्रेजी सम्बन्धी तिलक के विचारों से ध्वनित होता है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में चर्चार्थवादी विचारक थे।

तिलक का राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy of Tilak)

तिलक भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान करके बर्षों के एक जन-आन्दोलन के रूप में परिणत कर दिया। तिलक ने जन नेताओं के सामने एक रचनात्मक कार्यक्रम विकसित किया। उनके अनुसार "एशिया तथा ससार की शान्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि भारत को 'म' शासन प्रदा। करके पूर्व में स्वतन्त्रता का गढ़ बना दिया जाए।" तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे, लेकिन उन्होंने हिंसा और रक्तपात को प्रोत्साहन नहीं दिया। तिलक के राजनीतिक दर्शन को निम्नलिखित बिन्दुओं में समझा जाना चाहिए—

तिलक के राजनीतिक चिन्तन के आधार

तिलक ने यथार्थवादी व्यावहारिक नेता की भूमिका अदा की। उदारवादियों की निर्दिष्ट नीति को प्रतिजिया के रूप में तिलक ने सम्पूर्ण देश को मूल और गतिशील विचार देकर जन-जागरण उत्पन्न किया। वे मैकिन्गवेली और हॉयस की भाँति यथार्थवादी नहीं थे अथवा उन्होंने प्लेटो, अरस्तू या सिंसरो की भाँति सर्वोत्तम राज्य के लक्षणों और सम्बन्धों का विवेचन नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की राजनीतिक दारुणा से मुक्ति था और एक व्यावहारिक राजनीतिक नेता के रूप में उनके कार्यकलाप रहे, उनकी चिन्तनधारा बली। तिलक के राजनीतिक चिन्तन में भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख धारणाओं तथा आधुनिक यूरोप के राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक विचारों का समन्वय देखने को मिलता है।¹ तिलक के राष्ट्रदर्शन में एक ओर भारतीय चिन्तन की आधारभूत धारणाओं के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर आधुनिक पारंपार्य राष्ट्रवादी एवं लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की राष्ट्रियता की परिभाषा से तिलक सहमत थे। 1919 और 1920 में उन्होंने विल्सन (Wilson) की 'आत्म-निर्णय' की धारणा को स्वीकार करते हुए भारत में इसके व्यावहारिक प्रयोग की माँग की थी। तिलक मैजिनी और बर्क के विचारों से प्रभावित थे। तिलक के राष्ट्रवाद का दर्शन आत्मा की सर्वोच्चता के वेदान्तिक आदर्श और मैजिनी, बर्क, मिल तथा विल्सन की धारणाओं का समन्वय था। इस समन्वय को तिलक ने 'स्वराज्य' शब्द द्वारा व्यक्त किया।²

तिलक का चिन्तन आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित था अतः स्वाभाविक था कि उन्होंने स्वराज्य की नैतिक और आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की। तिलक ने स्वराज्य को केवल एक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक धर्म भी माना। राजनीतिक रूप में उन्होंने स्वराज्य का अर्थ स्वशासन (होम रूल) बताया, किन्तु नैतिक सन्दर्भ में इसका अर्थ आत्म-निपटण की पूर्णता माना जो कि सबसे बड़ा स्व-धर्म है। स्वराज्य का आध्यात्मिक महत्त्व बताते हुए तिलक ने कहा कि इसका आशय आत्मिक स्वतन्त्रता से है। स्वराज्य की प्राप्ति आत्मा की स्वतन्त्रता के आधार पर ही हो सकती है। वस्तुतः तिलक ने राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की स्वतन्त्रता की कामना की।

तिलक का राष्ट्रवाद और पुनरुत्थानवाद

तिलक की राष्ट्रियता पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी थी। उन्होंने वेदों और गीता से आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का सन्देश दिया और भारत की प्राचीन परम्पराओं के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना करनी चाही। 13 दिसम्बर 1919 को 'मराठा' के अंक में उन्होंने लिखा कि "राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुनरुत्थान के प्रति असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपना सत्याजनों को अंग्रेजियत के ढाँचे में नहीं ढालना चाहते, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अंग्रेजीकरण नहीं करना चाहते।" तिलक ने कहा कि भारतीय वेदों और गीता के महान् सन्देशों से नई शक्ति और नई सृष्टि ग्रहण करें, क्योंकि तभी राष्ट्र वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकेगा जिसके बल पर ब्रिटिश नौकरशाही से लोहा लेकर, स्वराज्य की स्थापना सम्भव होगी। सुधार के नाम पर प्राचीन का अनादर राष्ट्रियता के पतन का सूचक है। यदि भारत में राष्ट्रियता का प्रसार करना है तो प्राचीन सस्कृत या पुनर्जागरण अनिवार्य है।

तिलक ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा बताया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में आदिम जातियों में अपने कबीले के प्रति जो शक्ति रहती थी उसी का आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का सम्बन्ध सर्वोच्च और अनुभूतियों से होता है। जो आन्विक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं। जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है वही स्वस्थ राष्ट्रवाद है। तिलक की मान्यता थी कि विचारधाराओं, जटिल-भेदों, मत-मतान्तरों आदि के कारण देश में राष्ट्रियता की भावना उस तेजी से नहीं पनप सकती जिस तेजी से यह समान भाषा, समान धर्म और समान सस्कृत वाले देश में पनप सकती है। उन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के लिए आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया। ये तत्व प्राचीन काल से ही भारत में

1. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, बही, पृ. 197

2. तिलक 'मराठा' पत्र

विद्यमान थे पर अब आवश्यकता उन्हें जगाने और संगठित करने की थी। लोकप्रान्य तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राष्ट्रीयता के आवेश को आध्यात्मिक रंग देने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को उत्पन्न किया और शिवजी की उपासना का पथ भी शुरू किया। गणपति उत्सव द्वारा उन्होंने एक धार्मिक उत्सव को सामाजिक एवं राजनीतिक अर्थ दिया तथा शिवजी उत्सव द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को संगठित करने का काम किया। तिलक के अनुसार उत्सव प्रतीक का काम करते हैं जिनसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। उत्सवों का दोहरा महत्व है—एक ओर तो इनके माध्यम से एकता की भावना अभिव्यक्त होती है और दूसरी ओर उत्सवों में भाग लेने वाले व्यक्ति यह अनुभव करते लगते हैं कि उनका संगठन और उनकी एकता को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि देशवासियों के भावों में तीव्रता खाते हैं तथा उनकी राष्ट्रवादी भावना को प्रसृत नहीं होने देते। इसे राष्ट्रवाद का प्रतीकत्वक प्रदर्शन कहा जा सकता है जिससे सांस्कृतिक अभिवृद्धि होती है और समूह राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। तिलक ने प्राचीन उत्सवों को आधुनिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बना कर राजनीतिक और नेतृत्व प्रतिभा का सबल उदाहरण दिया।

तिलक का राजनीतिक उपवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद

तिलक का राष्ट्रवाद उग्र और तेजस्वी था तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उन्हें उग्रवादी राजनीति तथा राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। तिलक ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी निकरुश नीति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के निकरुश कार्यों को 'केसरी' में कठोर आलोचना प्रकाशित की। उन्होंने स्पष्ट मत रखा कि ब्रिटिश सरकार पर प्रार्थनाओं और नम्र विवेदन का कोई असर होने वाला नहीं है अतः हमें अपनी माँगों को 'इक' (Right) के रूप में रखना चाहिए तथा दबावकारी उग्र साधनों (हिंसात्मक नहीं) का आश्रय लेकर विदेशी हुकूमत को यह सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए कि भारतीयों की माँगों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। 1905 में बंगाल-विभाजन पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का विगुल फूँकने का अवसर मिला जिसका उपयोग उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने तथा ऐसे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का सञ्चालन करने के लिए किया जिसमें सभी वर्ग और जातियों का योगदान हो और जो देश के हर नगर और गाँव तक फैला हो। बंग-भंग की घटना के बाद 'लाल-बाल-पाल' भारत में उग्र राष्ट्रीयता की विमूर्ति बन गए। पन्ना, महाराष्ट्र और बंगाल संगठित रूप में सरकार की नीति-नीति पर आक्रमण करने लगे।

ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई पर उग्रवादी आन्दोलन तेजी पकड़ता गया। तिलक ने 'स्वराज्य' का मंत्र फूँका। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए तिलक तथा उनके उग्रवादी साथियों ने इन चारों पर जोर दिया—(1) स्वदेशी (Swadeshi), (2) बहिष्कार (Boycott), (3) राष्ट्रीय शिक्षा (National Education) एवं (4) निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)। यह चारों नव राष्ट्रीय दल के माध्यम से किया जाने लगा जिसका मुख्य अग्रगण्य तिलक थे। 1905 से 1909 तक इस दल ने राष्ट्रीय शिक्षा, दलित वर्ग-उत्थान, राष्ट्रीय पत्रों की स्थापना आदि के विभिन्न आन्दोलन चलाए। तिलक ने अपने प्रयासों से काँग्रेस को एक जन-आन्दोलन में परिणत कर दिया और स्वाधीनता सपना सिद्धित चर्चा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चे-बच्चे की जमान पर यह नारा गूँज गया—“स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे।”

तिलक का उग्रवादी इच्छा काँग्रेस के उदारवादियों से मेल नहीं खा सका। 1907 के सूरत काँग्रेस अधिवेशन विवेक से पूर्व एक भाषण में तिलक ने कहा कि “हमारा उद्देश्य स्वराज्य है और इसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। हमारा राष्ट्र आत्मक्यादी दमन के लिए नहीं है। आप मौरू और कायर न बनें। जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना होगा। हमारा उद्देश्य पुनर्निर्माण है, हमारा स्वराज्य का आदर्श विशिष्ट लक्ष्य है जिसे जन-समुदाय समझे। स्वराज्य में जनता का शासन जनता के लिए होगा। उदारवादियों डरिए मत। बहिष्कार दलित राष्ट्रों के लिए साधन है। हमारा तीसरा आदर्श राष्ट्रीय शिक्षा है जिसके सम्बन्ध में पिछली काँग्रेस ने प्रस्ताव किया था।” तिलक का विश्वास रागठन-शक्ति और आत्मनिर्भरता में था। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वह राजनीतिक आन्दोलन चला कर सरकार पर दबाव डाले और मातृभूमि के लिए कष्ट एवं त्याग सहन करे। 2 जनवरी 1906 को कोलकाता में अपने एक भाषण में तिलक ने घोषणा की कि “प्रार्थनाओं और विरोध के दिन समाप्त हो गए हैं। हमारी प्रार्थनाओं को शासन नहीं सुनेगा क्योंकि उनके पीछे दृढ़ संकल्प का अभाव है। शासन में परिवर्तन की आशा मत कीजिए। प्रार्थना प्रसन्नता से प्रदान करना, प्रतिरोध (Prayer, Please and Protest) कोई ठीक काम नहीं करेगा। क्या आप यह आशा करते हैं कि विगुल निकरुश तंत्र से वे प्रबुद्ध तंत्र की ओर बढ़ेंगे? ब्रिटिश जनता को शिक्षा देना बर्बाद है शब्दों से उन्हें आप सन्तुष्ट नहीं कर सकते। बंग-भंग की शिकायत भारत का भावी आधार है। स्वदेशी हमारी अन्तिम पुकार है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे फिर चाहे शासन कितनी ही अनुसूची कर दे। शासन से मोर्चा खिंचने के दो उपाय हैं—“स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा।”

अत्याचारी हो जाते हैं, क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जानती। अगर वह एक होकर ऐसा करे तो शासक उसके सामने टिके रहने में असमर्थ होंगे।¹ तिलक 'केसरी' में ऐसे लेख लिखते रहे जिनमें किसानों, मजदूरों, कारीगरों, दूकानदारों, जुलाहों, चोरी आदि की सुरक्षा और उन्नति के लिए चिन्ताएँ व्यक्त की गई थीं। यह कहा गया था कि ये जातों के मुख्य अंग हैं और उनकी दशा में सुधार होना चाहिए।² जन-शक्ति को व्यक्त करते हुए केसरी के एक लेख में उन्होंने लिखा कि "अगर 500 लोग चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह वर्ष में एक बार एकत्रित हो और प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें तो सरकार कोई प्रार्थना स्वीकार न करेगी। ऐसा प्रार्थना-पत्र तभी लज्जदार हो सकेगा जबकि प्रान्तों, जिलों, नगरों और गाँवों से प्रार्थना-पत्र इकट्ठा सम्पन्न करे।" शिक्षितों से उनका आग्रह था "आप जनता के स्वाभाविक नेता हैं। आपको उनकी झीपड़ियों तक जानना चाहिए, उन्हें सम्पन्न चाहिए, उन्हें संगठित करना चाहिए और उनकी दशा में सुधार करना चाहिए। स्वयं को जनता से इसलिए अलग सम्पन्न कि हमने कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं, भूर्खतापूर्ण है। हम उनमें में हैं और हमें उनमें के बीच रहना चाहिए।"

तिलक का कहना था कि यदि जनता संगठित होती है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है तो शासक आतङ्क नती बन पाते और जनमत को सन्तुष्ट करने की फिक्र में पड़ते हैं। तिलक ने पत्रकारिता द्वारा जनता में चेतना फैलाने और उसे स्वायत्त के प्रति सचेत किया।

पेरिस-शान्ति सम्मेलन को ज्ञापन

तिलक ध्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे जो राष्ट्र के हित के लिए कोई अवसर नहीं चूकते थे। अवसर आने पर वे अखेटेन-पत्र की पद्धति का भी प्रयोग करते थे। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर पेरिस में हुए शान्ति सम्मेलन के अध्यक्ष को उन्होंने एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सम्मेलन में सरकार द्वारा भनोनीत व्यक्ति (बीकानेर भेरा और एम. पी. मिन्हा) भारत का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस ज्ञापन में तिलक ने एशिया और विश्व की राजनीति में भारत की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया और भारत के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार की माँग की।

1919 के अधिनियम के प्रति तिलक का रुझ और कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का धोरण-पत्र

1919 के मोष्टफोर्ड सुधारों के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक ने व्यावहारिक राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए कहा कि नौकरशाही द्वारा भारत को जो दिया जा रहा है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना आन्दोलन जारी रखना चाहिए ताकि 'स्वराज्य' का सपना प्राप्त किया जा सके। तिलक ने गाँधीजी की 'अशर्त' सहयोग की पेशकश पसन्द नहीं की; उनका तर्क था कि सहयोग एक पर्याय नहीं, पारस्परिक होगा है। "सत्ताधारियों को यह धोरण करने दो कि वे किस प्रकार हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं और हम उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यदि वे सहयोग करते हैं तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे।" अमृतसर कांग्रेस में तिलक, गाँधी आदि के विचारों को सम्मान देते हुए यह घोषित की कि मोष्टफोर्ड सुधार यद्यपि अपर्याप्त, असन्तोषजनक और निराशाजनक हैं, लेकिन देश को उन्हें क्रियान्वित करने में अपना सहयोग देना चाहिए ताकि पूर्ण स्वराज्य की पथारी पर स्थापना हो सके।

तिलक ने अमृतसर कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप कार्य शुरू किया और मोष्टफोर्ड सुधार योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाली विधान-परिषदों के लिए चुनाव लड़ने हेतु 'कांग्रेस लोकतन्त्री दल (कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी) की स्थापना की। 20 अप्रैल, 1920 को इस दल का धोरण-पत्र जारी किया गया जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे—(1) कांग्रेस में आस्था, (2) प्रजातन्त्र का आरम्भ, (3) शिक्षा का प्रसार, (4) सत्ताधिकार का विस्तार, (5) धार्मिक सहिष्णुता, (6) राष्ट्रध्वज के निर्माण, 7) स्वायत्त, (7) 1919 के अधिनियम का बहिष्कार, (8) शिक्षा, आन्दोलन। और संगठन का नारा, (9) सामाजिक और धार्मिक न्याय प्रदान करना, (10) श्रमिकों को उचित वेतन, (11) रेलों का राष्ट्रीयकरण, (12) नागरिक सेना एवं (13) भाषाई आधार पर प्रान्तों का गठन।

क्या तिलक भारतीय अशान्ति के जनक थे?

सर वेलेन्टाइन शिरोले ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया अनरेस्ट' (भारतीय अशान्ति) में तिलक को 'भारतीय अशान्ति का जनक' (Father of Indian Unrest) की सजा दी है और कहा है कि वह कट्टर हिन्दू धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद के महान् पुजारी थे तथा सरकार के प्रति जनता में ईष फैलाने वाले अप्रदूतों में से एक थे।

तिलक के चिन्तन उनकी कार्य-शैली और उनके कार्यकलापों के विवरण से स्पष्ट होता है कि तिलक का उद्देश्य किसी सरासरी विद्रोह को फैलाना नहीं था। तिलक हिंसक क्रान्ति पैदा नहीं करना चाहते थे। तिलक जनता को इस सीमा तक उभर नहीं करना चाहते थे कि वह हथियारों का सहारा ले। तिलक वैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर भारतीय जनता

काँग्रेस से मुक्त होकर सावरकर विलक के लोकतांत्रिक स्वराज दल में सम्मिलित हो गए और बाद में हिन्दू महासभा को सदस्यता स्वीकार कर ली। दिसम्बर, 1937 में वे अहमदाबाद अधिवेशन में हिन्दू महासभा के प्रधान चुने गए। अग्यराता के तीन वर्षों में बीर सावरकर ने हिन्दुओं में हिन्दू राष्ट्रवाद और संगठन की भावना का संचार करने के लिए परिश्रम किया। 26 फरवरी, 1966 को इनका देहान्त हो गया।

हिन्दुत्व का सिद्धान्त

(Theory of Hindutva)

बीर सावरकर हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र के समर्थक थे तथा हिन्दू सांस्कृतिक और दार्शनिक उपलब्धियों में उन्हें विश्वास था। उनके जीवन जेल में निकलकर लेकिन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग का जो अवसर मिला, उन्होंने हिन्दुओं को संगठित करने एवं राष्ट्रवाद की भावनाएँ भरने का प्रयास किया। हिन्दुओं का पुनरुत्थान उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिन्दुत्व में हिन्दू की परिभाषा करते हुए कहा कि "हिन्दू वह है जो सिन्धु नदी से समुद्र तक सम्पूर्ण भारतवर्ष को अपनी मित्रभूमि और पुण्यभूमि मानता है।" सावरकर ने हिन्दुत्व अथवा हिन्दू होने की तीन कर्मादिष्टियाँ बताईं—

(I) राष्ट्र अथवा प्रादेशिक एकता—सावरकर का विश्वास था कि प्रादेशिक सन्निभता एकता की भावना का सञ्चार करती है। एक हिन्दू के मन में मित्यु से बहुराज्य तक और हिमालय से कनकपुरा तक सम्पूर्ण भौगोलिक प्रदेश के प्रति अनुप्राण होता है।

(II) जाति अथवा स्वतः सच्चन्द्र—हिन्दू वह है जिसकी नसों में उन लोगों का रक्त बहता है जिसका मूल स्रोत वैदिक सनातनधर्म के हिमालय प्रदेश में बसने वाली जाति थी। सावरकर ने किसी जातिगत या नस्लगत श्रेष्ठता का सिद्धान्त प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि इस तथ्य पर बल दिया कि सदियों के ऐतिहासिक जीवन के फलस्वरूप हिन्दुओं में ऐसी जातिगत विशेषताएँ विकसित हो गई हैं जो जर्मनों, चीनियों अथवा इण्डोपोषियादियों से भिन्न हैं।

(III) संप्रकृति—जिस व्यक्ति को हिन्दू सभ्यता और संप्रकृति पर गर्व है वह हिन्दू है।

उन्होंने कमिंस ट्राय प्रतिपादित 'भारतीय राष्ट्रवाद के विचार से असहमति प्रकट की जिसके अनुसार राष्ट्रवाद प्रादेशिक होता है अतः भारत में उत्पन्न और पोषित सभी व्यक्ति बिना जाति और भेदभाव के भारतीय राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सावरकर ने कहा कि राष्ट्रीयता के लिए प्रजातीय, धार्मिक तथा अन्य एकता का होना अनिवार्य है। यदि जनता पर प्रादेशिक राष्ट्रीय भावनें जाएँ, जैसा कि पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया में किया गया, तो राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता।

सावरकर ने कहा कि हिन्दुत्व वह बन्तु है जिसे खोया नहीं जा सकता। हिन्दुओं में सदियों से जो विशेषाण और प्रजातिक तत्व विकसित हो चुके हैं, उनके आधार पर हिन्दुत्व को पहचान सकते हैं और जाति खो देने के बाद यह विनष्ट नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्र जैसा न कुछ है और न हो सकता है। इस देश में हिन्दू राष्ट्र रहा है और भविष्य में हिन्दू राष्ट्र ही रहेगा। सावरकर ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता से पीड़ित होकर बताया कि मुसलमान और ईसाई भारत को इस तरह प्यार नहीं कर सकते जिस तरह हिन्दू करते हैं। ऐसा कहने में सावरकर के हृदय में मुस्लिम जमात के प्रति घृणा नहीं थी। सावरकर हिन्दुओं और मुसलमानों में प्रेम और सहिष्णुता का वातावरण देखना चाहते थे लेकिन भारत में सदियों से मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश हुकूमत तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि विदेशों से आई जाति भारत को उतना प्यार नहीं कर सकती जितना इसी देश में जन्मी हुई जाति। सावरकर उन मुसलमानों के प्रति पूर्ण आदर रखते थे जिनके हृदय में भारत से प्रेम था, जो भारत के लिए उसी प्रकार मर मिटने को तैयार थे जिस प्रकार हिन्दू। सावरकर ने कहा कि मुसलमानों का भारत भूमि के साथ कोई भावनात्मक सम्बन्ध नहीं है। सावरकर का कथन उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को पीड़ा पहुँचाने वाला था जो भारत से प्यार करते थे देश के विभाजन को आत्मघातक मानते थे और जिनमें साम्प्रदायिकता नहीं थी। बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं से पृथक् मुस्लिम राज्य के निर्माण की माँग ने सावरकर के विचारों को सत्य सिद्ध कर दिया।

सावरकर की तुष्टीकरण की नीति में विश्वास नहीं था। वे मुसलमानों के सहयोग का स्वागत करते थे लेकिन उन्हें विश्वास था कि स्वराज्य मुसलमानों के सहयोग के बिना प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि "हिन्दू अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए यथासामर्थ्य संपर्क करते रहेंगे। यदि तुम साथ देते हो तो तुम से मिलकर संघर्ष करेंगे यदि तुम साथ नहीं देते तो तुम्हारे बिना लड़ते रहेंगे और यदि तुम विरोध करोगे तो उन विरोध के बावजूद युद्ध जारी

रखेंगे।" सावरकर ने मिश्रित विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जिसमें अङ्ग्रेजों के बालक सर्वत्र हिन्दू बालमैत्री के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप रत्नागिरी जिले में जो मिश्रित विद्यालय स्थापित हुए उनके प्रभाव स्वरूप वहाँ विदेशी मिशनरियों द्वारा हिन्दुओं को ईसाई बनाए जाने से व्यक्तियों की संख्या नगण्य हो गई और अनेक मिशनरियों को अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा। सावरकर ने हिन्दुत्व का सेवा और राष्ट्र की सेवा के बीच पतन-मग्न-मध्य स्थापित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जितना हिन्दू होगा, वह उतना देश-भक्त होगा। स्वतन्त्र और स्वयंसेवा भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हिन्दुत्व का विकास किया जाए। हिन्दुत्व मानव-सम्पत्ता का प्रवास दे सकती है। सावरकर ने यह कहा कि यदि हिन्दुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और अन्य जातियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वह हिन्दुत्व के लिए अहितकर होगा। सावरकर ने राजनीति का हिन्दूकरण कर दिखाया। 'यौं सावरकर ने हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में देश को राजनीति के हिन्दूकरण तथा हिन्दुओं के सैनिकीकरण का नारा दिया।' उनका इस नारे को सर्वोपरि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का द्योतक मान गया, पर वास्तविकता यह थी कि सावरकर हिन्दुत्व के पुनर्जागरण में आस्था रखते थे, हिन्दू सामाजिक संगठन में प्रवेश करके बुराईयों को मुक्त करने के आकांक्षी थे, मुसलमानों के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं था। उनको पूर्णतः ही जो मुस्लिम लीग जैसे कट्टरपंथी धार्मिक सम्प्रदाय तथा ब्रिटिश शासन को 'भूट डालो और राष्ट्र करो' की नीति से। सावरकर चारते थे कि समानता की यह रखने वाले मुसलमान देश के विभाजन की भाँति त्याग कर संगठित और शक्तिशाली भारत के निर्माण का प्रयास करें।

सावरकर और अहिंसा

(Savarkar and Non-Violence)

यौं सावरकर क्रान्तिकारी थे जिन्होंने गांधीवादी अहिंसा में विश्वास नहीं था। डॉ. वर्मा के अनुसार, "सावरकर विरुद्ध अहिंसा के पक्ष के आलोचक थे और उसे भिन्नियों का पक्ष मानते थे। उनका कर्तव्य था कि सत्ता और देवदुर्लभ की दुनियाँ में हिंसा को अपनाते ही आवश्यकता नहीं रहेगी, किन्तु अन्तर्विरोधी और बुराईयों से पूर्णतः इस जगत् में न्याय के प्रति की गई हिंसा उचित है।" सावरकर का विश्वास था कि यदि अन्य जातियाँ रहें, तो सैनिक शक्ति से सम्पन्न राज्य प्राप्ति और यश का अर्थ कर सकते हैं, दुर्बल राज्यों की पतन और पराधीनता का मुख देखना पड़ता है। अपने मत की पुष्टि उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर की। जब भारत में अहिंसकवादी आन्दोलन की प्रधानता रही तो उसे हूणों और शर्कों ने रौंद डाला, इसीलिए सावरकर ने हिन्दुओं के सैनिकीकरण का समर्थन किया और दृष्टिपूर्वक मद्रास के दौरे पर हिन्दुओं को सैनिकों में प्रवेश करने की सलाह दी, शक्ति वे आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग सीख लें। सावरकर ने स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा का समर्थन किया। क्रान्तिकारी सावरकर को दाम्पत्य की बौद्धिक कष्ट फिकने के लिए हिंसात्मक साधनों का आश्रय लेने में तनिक भी हिचक न थी। उन्होंने क्रान्तिमयी विचारों का समर्थन तथा अहिंसक साधनों का उपहास किया।

अखण्ड भारत

यौं सावरकर ने आज़ेबन अखण्ड भारत को कामना की। अपने अष्टक प्रदासों के बावजूद सावरकर देश का विभाजन नहीं रोक सके। कांग्रेस ने देश के विभाजन की योजना स्वीकार की और सावरकर ने कहा—"हे देशवासियों! भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका जन्म राष्ट्र को सुसंगठित करने के लिए हुआ था, अपने लक्ष्य के साथ विरसताप किया है। उसने अपने अस्तित्व के औचित्य को खो दिया है तथा कृत्रिम राष्ट्रवादी रोग का शिकार बनकर, देश को राष्ट्रीय अखण्डता पर आपात किया है।" देश का विभाजन हो जाने पर सावरकर ने अखण्ड भारत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी और अगस्त 1947 में एक हिन्दू सम्मेलन आयोजित करके अपने मध्यस्थी धारण में हिन्दुओं में असीन की कि वे पश्चिमवर्ती को इसी प्रकार स्वीकार न करें जिस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन को स्वीकार नहीं किया था।

सावरकर का योगदान एवं मूल्योक्ति

सावरकर के उग्र और क्रान्तिकारी विचारों, हिन्दुत्व के प्रति असौम्य जोश आदि के कारण उन पर छोटकरी की गई, पर उन्हें अपने भारत देश से अगाध प्यार था, अपने देश के लिए सब कुछ त्याग देने की तनमें तन्मय थी और वे किसी कीमत् पर देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों से घृणा नहीं की, उन्होंने साम्प्रदायिकता को ठपारा नहीं, पर उन्हें यह महन नहीं था कि हिन्दुओं के साथ विश्वासघात किया जाए, हिन्दुओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए, हिन्दुओं की सम्पत्ति लूटी जाए, हिन्दू मौज्जिदों को इन्जब पर हाथ डाला जाए और हिन्दुओं को निर्बल और अशक्त बनाए रखने के प्रयास सफल हों। वे अत्यधिक जोशीले थे और जोश के प्रवाह में बहकर ऐसा कह देते थे जिन्होंने व्यस्तता प्रस्तुत करना सम्भव था।

1. शिवकुमार गोयल, हिन्दुत्व, दिनांक 24 मई, 1970 में प्रकाशित लेख 'स्वतन्त्र यौं सावरकर की कुछ मूल्योक्तियाँ'।

जब कॉंग्रेस 1937 के चुनावों में भाग लेने को तैयार हुई तब जयप्रकाश ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया। 1942 में गाँधीजी ने 'क्रो और मोरो' का आह्वान किया। उस समय जयप्रकाश इनामौरा जेल में नजरबन्द थे। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। वे 18 सितम्बर, 1943 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए। उन्हें एक अप्रैल, 1946 को जेल से रिहा किया गया। उनकी सेवाओं और त्याग से प्रभावित होकर 1946 में गाँधीजी ने कॉंग्रेस के परचात् उन्होंने सरकार में किसी पद पर बने रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई जिसे प्रजा समाजवादी पार्टी का रूप लिया। 1952 में विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाए जा रहे सर्वोदय आन्दोलन की तरफ आकर्षित हुए। वे दलगत और सत्ता की नीति से निराश हो गए थे। सर्वोदय आन्दोलन से उन्हें व्यावहारिक जीवन में उतरने का अवसर मिला। अप्रैल, 1954 में उन्होंने अपने जीवन को सर्वोदय आन्दोलन के प्रति समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। प्रजा रोशलिस्ट पार्टी के नेता पद का त्याग करते उन्होंने 1954 में शंभर में एक आश्रम स्थापित किया और सर्वोदय आन्दोलन एवं शमोत्थान के लिए नए कार्यक्रमों को शुरूआत की। 1970 और 1972 के बीच उन्होंने अपना समय और शक्ति बिहार के भुजपुर जिले में नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने में लगाई। 1972 के आरम्भ में इनके आदर्शों से प्रेरित होकर चम्पल पार्टी के 400 छात्रों ने इनके सनस आत्म-समर्पण कर दिया।

मार्च, 1974 में बिहार में उत्पन्न विद्रोह के फलस्वरूप जयप्रकाश को पुनः राजनीति में उतगा पड़ा। सरकार की नीतियों के विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने छात्र सभ्य समिति का नेतृत्व किया। यह सभ्य एक वर्ष जारी रहा। जून, 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दत्तानोब प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने के लिए दोषी ठहराया था, तब विपक्षी दल के नेताओं ने उनके त्याग-पत्र की माँग की थी। गैर-कम्प्युनिस्ट विरोधी दल के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में दिल्ली में 23 जून, 1975 को बैठक बुलाई। बैठक में श्रीमती गाँधी से त्याग-पत्र माँगने के लिए विशाल आन्दोलन के कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया। 26 जून, 1975 को देश में आन्तरिक आपत्त स्थिति घोषित कर दी गई और जयप्रकाश नारायण और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को नजरबन्द कर दिया गया। गम्भीर रूप से बीमार पड़ जाने पर 12 नवम्बर, 1973 को जयप्रकाश को जेल से रिहा कर दिया गया। 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा की गई। जयप्रकाश आगे आए और जनता पार्टी के गठन में सक्रिय सहायता की। जनता पार्टी ने चुनावों में विजय प्राप्त की और केन्द्र में नई सरकार बनाई। जयप्रकाश को चुनावों के परचात् 'लोकनायक' के नाम से जाना जाने लगा। जेल में बन्दी होने के दौरान उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई। विशिष्ट उपचार के लिए मई, 1977 में वे अमेरिका गए और स्वास्थ्य लाभ के बाद स्वदेश लौट आए।

अस्वस्थ होने के बावजूद वह अपने विवेक और दूरदर्शिता से राष्ट्र को दिशा निर्देश देते रहे। राष्ट्रीय मामलों में वे रुचि लेते रहे और अपने अनुभव और राय देते रहे। जनता सरकार के विभिन्न घटकों की आपसी फूट से वे निराश होते गए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जनता सरकार आपसी फूट के कारण जन-आकांक्षाओं पर सखी नहीं उठती है। जयप्रकाश का 8 अक्टूबर, 1979 को निधन हो गया।

आधुनिक लोकतन्त्र पर विचार (Thought on Modern Democracy)

जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतन्त्र और उसकी राजनीति पर प्रहार करते हुए फरवरी, 1970 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने दीक्षित भाषण में कहा था कि "आज की राजनीति में विशृंखलता फैलती जा रही है। दलों के अदरों के विस्तार का अपेक्षा उनका स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण, आदर्शों का अवमूल्यन, व्यक्तिगत तथा विशेष हितों के लिए दल-निष्ठा का परिवर्तन, विधायकों का क्रय-विक्रय, दल की आन्तरिक अनुशासनहीनता, दलों के बीच अवसरवादी मित्रता तथा सरकार की अस्थिरता आदि आज के विचारणीय विषय बन गए हैं।" जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतन्त्र की समस्या नैतिक समस्या है। लोकतन्त्र के लिए सविधानों, शासन-प्रणाली, दलों और चुनावों का महत्त्व है, लेकिन जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का समुचित विकास नहीं हो जाता तब तक वे नाशित फल नहीं दे सकतीं। लोकतन्त्र का सफल संचालन तभी सम्भव है जब देश के नागरिक सतर्क हों, अहिंसावादी, स्वतन्त्रता-प्रेमी हों तथा दमन का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने की उनमें क्षमता हो, वे सहयोग और सहअतिव्यय में पूरा विश्वास रखते हों, उनमें दूसरों के विचारों को सुनने, समझने तथा सहज करने की क्षमता हो, वे कर्तव्यपरायण हों, उनमें उदारतापूर्वक की भावना हो और सीधा तथा सरल जीवनयापन करने में वे श्रद्धा रखने हों तथा मानव अधिकार और समानता की भावना से पूर्ण हों।

जयप्रकाश की दृष्टि में आधुनिक ससदीय पद्धति अनुपयुक्त है जो दलगत राजनीति पर कार्य करती है और "अनुभव यह बतलाता है कि आज के व्यापक निर्वाचनों में, जिनमें शक्तिशाली केन्द्र-नियन्त्रित दलों द्वारा प्रचुर धन और कथपुर्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है, मरदावा की अपेक्षा दलों और प्रचार-साधनों के पीछे निहित शक्ति तथा हितों का

प्रतिनिधित्व होता है।¹ जयप्रकाश के अनुसार मौजराही मानव्य होती जा रही है तथा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर जनता को निर्भरता बढ़ रही है। प्रशासन का रैखीय सेवक का न होकर स्वामी का होना चाहिए। व आधुनिक लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की भूमिका स असनुष्य है। यह दलगत राजशाही जनता के नैतिक चरित्र को गिराती है और उसे स्वतंत्र मनुष्य विचार और अभिव्यक्ति का स्वाभाविक प्रयत्न नहीं करती। राजनैतिक दल और उनकी कार्यप्रणालि इस प्रकार है कि जनता उनके आगे आहाप्य बन गई है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार आज का भारत लोकतंत्र नहीं दलतंत्र (Partycracy) है जहाँ धन, सगठन और प्रचार पर आधारित राजनैतिक दल प्रभुत्व प्रस्था है जयप्रकाश के अनुसार सांसद से लेकर ग्राम-पंचायत तक वास्तविक लोकतंत्र के मुञ्ज के लिए और मार्गीकृत की भाँति पैदा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर एक साथ सत्याग्रह चलाया जाना चाहिए राजनैतिक दलों के विरुद्ध लिए गए सत्याग्रह स जनता यह सत्याग्रह पाएंगे कि वे सत्याग्रह के स्वामी हैं अथवा सत्य सेवक हैं। जयप्रकाश का यह मुद्दा यह था कि राजनैतिक दलों को स्वयं एक आत्म-निरोधक अध्यादेश (Self denying Ordinance) पास करा जाए जिससे कहा गया है कि स्थानीय शासकों के गणतंत्रों स स्वयं को दूर रखें और वे जन-इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल हों। उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन होंगे।

जयप्रकाश आधुनिक निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध थे। उनका विश्वास था कि वे निर्वाचन जनता की नियंत्रणकारी शक्ति नहीं रखते। वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालि में दोष है। इनका जनता को कोई वास्तविक शिक्षा प्राप्त नहीं होती। इस का आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओं के शक्तिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक है कि आम चुनावों की पद्धति को सत्याग्रह दिया जाए। वर्तमान निर्वाचित सभ्य कार्य करते रहें उनमें से कुछ सभ्य समाचार से बच लिए जाएँ। शक्ति का हर प्रयोग और प्रशासन का विकेंद्रिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्थानीय स्वशासन के केंद्र तथा शासकों का स्थान नहीं होती और जब तक कि सत्कार के विधिगत अर्थों में वैधानिक तथा सत्ता सम्बन्ध न हों। ग्राम-सभा तथा मतदाता-परिषद के माध्यम से चुनाव होने चाहिए। इस सम्बन्ध में जयप्रकाश नारायण ने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है—मतदाता परिषद द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार का नाम उस क्षण को सभ्य मतदाताओं को प्रेषित किए जाएँ और तत्पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार के नाम पर मतदान हो। जयप्रकाश के अनुसार निर्वाचन विकल्पों में स कोई विकल्प अस्वीकार्य है—

(1) "सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार के सम्बन्ध में एक घोषणा प्रेषित की जाए कि ग्राम-सभा उत्पत्त पर सभ्य ३ दिन उसे प्रतिनिधि के रूप में प्रेषित चाहती है। ऐसी सभ्य उम्मीदवारों में से जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हों उस मत स राज्य-निर्वाचन का सभ्य (जिससे लिए वह चुना गया है) के लिए सभ्य पश्चित किया जाए।

(2) ग्राम-सभा की बैठक स प्रत्येक उम्मीदवार को मिलने वाले मतों को नोट किया जाए ताकि पूरे निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन ग्राम-सभ्यों की बैठक में प्रत्येक उम्मीदवार को सभ्य मत मिले जा सकें और सर्वाधिक मत-प्राप्त व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हो।"²

जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तावित यह निर्वाचन-पद्धति ग्राम-सभा को प्रशासकीय मशीनरी का मूल आधार मानकर चलता है और लोकतंत्र के ऊपरी स्तर को विन्य स्तर से मिलाती है।³ जयप्रकाश जी के शब्दों में यह ग्राम-सभाओं को स्थानीयता से ऊपर उठती है और उन्हें सम्मान, शक्ति एवं मज्जल प्रदान करती है। नागरिक मतदाता परिषद और ग्राम-सभा के माध्यम से निर्वाचन में सघटित रूप से भाग ले सकला है। उनके अनुसार राज्य का डाका ग्राम-सभ्य पर आधारित होना चाहिए न कि पृथक् बिछे हुए मतदाता। हमारे लोकतंत्र की मुख्य समस्या यह है कि हम किसी प्रकार "मनुष्य को मनुष्य के सम्पर्क में लाएँ ताकि वे परस्पर सार्थक, विकेंद्रिक और निर्यन्त्र सम्बन्ध रखते हुए रह सकें। जयप्रकाश नारायण दल-निरपेक्ष लोकतंत्र के सम्पर्क से तथा इस बात को मानते थे कि मतदाताओं का कर्तव्य मतदान के साथ सम्पत्त नहीं हो जाना, धार्मिक निर्वाचन प्रतिनिधि और मतदाता के बीच नियमित सम्पर्क रहना चाहिए ताकि वे उपात्तित्व का निरोध कर सकें।

जनतंत्र समाज (Jantantra Samaj)

1954 से जयप्रकाश नारायण दलीय राजनीति से विमुख रहे पर अपने चिन्तन को ध्यावहारिक जाण पहचाने की आकांक्षा रही और परिणामस्वरूप अप्रैल, 1974 में जनतंत्र समाज के रूप में एक निर्दलीय सघटन 3 स्तर में अया। जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से 1973 में कुछ बुद्धिजीवी राजधानी में एकत्रित हुए और एक निर्दलीय सघटन बनाने की योजना बनाई। जयप्रकाश के नेतृत्व में यह सघटन 13 अप्रैल, 1974 को पूरा हुआ जब राजधानी के गाँधी स्मृति-प्रतिष्ठान

1 Ja prakash Narain, Soc & istm Sarvodaya and Democracy p 215
 2 निर्मला उपाध्याय के लेख से उद्धृत, वही पृ. 52
 3 वही पृ. 53

ने बताया कि महात्मावाद भारतीय सस्कृति का विरोधी नहीं है। भारतीय सस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित रखने हुए ही देश में समाजवाद ला सकते हैं। भारत की परम्पराएँ होणायत्री नहीं हैं। भारत में बन्धुत्व और सहयोग को सर्वोपरि सम्मान दिया गया है। भारतीय परम्परा में इसके प्रति कभी विरोध नहीं रहा है कि जीवन की सुख-सुविधाओं में दूसरों को भागेदार बनाए जाए। प्राचीन भारत का ग्राम्य-चरित्र समाजवादी था। भारत की समुक्त परिवार प्रणाली और जाति-परम्परा में हमें समाजवादी ढंग का प्रकृतियों के सधन दिखाई देते हैं। यद्यपि समाजवाद के समकित आर्थिक सिद्धान्तों का निर्माण परिवर्तन में हुआ है तथापि इनके सम्बन्धित आचारपूर्ण आदर्शवाद भारतीय सस्कृति का अंग है।

1974-75 के बिहार-आन्दोलन और परवर्ती परिस्थितियों के सन्दर्भ में जयप्रकाश के विचार

मार्च 1974 में जयप्रकाश ने ऐतिहासिक बिहार-आन्दोलन को जन्म दिया जो 25 जून 1975 का श्रीमती गींधी गौधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद शान्त पड़ गया और मार्च 1977 में जाता पार्टी की सरकार को स्थापना के बाद से 1979 के मध्य तक चला रहा। जयप्रकाश ने बिहार-आन्दोलन जिस उद्देश्य से प्रारम्भ किया जो बिहार ध्वस्त किए और आन्दोलन के बाद की परिस्थितियों में जो संदेश दिया उनसे हमें उनके विचार दर्शन का, धर्ममय सन्दर्भों में महत्वपूर्ण बोध होता है। बिहार-आन्दोलन के उद्देश्य और जयप्रकाश के विचार बिन्दु निम्नान्वित हैं—

बिहार आन्दोलन

सामाजिक राजनीति में संशय लेने के बाद जयप्रकाश नारायण भारतीय लोकतंत्र की विसर्गितियों को भूल ही वे बिहार के सर्वोदय आन्दोलन का अपने प्रयोग से उन्हें उन्मत्त कर दिए। भारत में लोकतंत्र का संकट एक विस्फोटक स्थिति में पहुँच गया था। जयप्रकाश नारायण ने देखा लिया था कि समाज की विषमताओं का सर्वोदय के समय-व्यय के सिद्धान्त के आधार पर निदान कर पाना मुश्किल है तब उनकी निगाह लोकतंत्र की पद्धति में उन सुधारों पर केन्द्रित हो गई जिन्से उसकी विषमताओं को दूर किया जा सके। हिन्दु का केन्द्रीयकरण देश को तानाशाही की तरफ धकेल सकता है। इस व्यय उद्योग के दौरान गुजरात आन्दोलन हुआ और छात्र-शक्ति के प्रति उसमें विश्वास नष्ट होने से भर गया। बिहार-आन्दोलन ने यह देखा कि जो दिशा महान की ठाका मूल जयप्रकाश नारायण की उद्योग में है।

क्रान्ति की उनके भाषणों में व्यापक व्याख्या हुई। "यह सधर्ष केवल सीमित उद्देश्यों के लिए नहीं हो रहा है। उसके उद्देश्य बहुत दूरगामी हैं। भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय तथा शोषण आदि का अन्त करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रान्ति करना, नया बिहार बनाना और अन्ततोगत्या नया भारत बनाना।" इस व्याख्या में सधर्ष को किसी दिशा में विलोम दूर तक आगे बढ़ाने की बुनियाद थी। जहाँ सत्कारों (बिहार में जयप्रकाश) के आन्दोलन पर स्थापित) के लिए जो कार्यक्रम तय किया गया था वह आन्दोलन में शामिल लोगों से हिम्मत और आदर्शवादी मूल्यमान की माँग करता था। कार्यक्रम था—जनता सरकार को समाज में केन्द्री हर अनीति और अन्याय के लिए सधर्ष करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सोलिंग तथा मूल्य का प्रशासकीय कानून पर अमल, अनुचित बेरोजगारी पर रोक, भूमिहीनों के लिए बासगीत और खेती लायक भूमि का प्रसार, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था, मजदूरों को उचित मजदूरी, घर पर उद्योग, मुनाफाखोरी और सुदृक्षोरी पर नियंत्रण, गाँव के लिए आवश्यक योजना का गाँव में सधर्ष और उसकी उचित मूल्य पर बिन्ने हर बच्चे बच्चों को उपायकर शिक्षा, योग्य का इलाज, झगड़ों का आपसी निपटारा, पुआपुआ, तिलक, देहेज, कर्षणीय के, भेदभाव का अन्त, आदिवासी एरिजन मुसलमान एबी के साथ समान और समानपूर्ण व्यवहार आदि। दिशावर के बाद गाँव स्तर पर संगठन को ले जाओ और समितियों तथा जनता सरकार आदि इकाइयों गठित करो व' काय हाथ में ले लिया गया था, लेकिन इकाइयों सज्ज स्थ से उहाँ प्रखण्डों में गठित हो पाई जहाँ युवा व' जन्म-सधर्ष समितियों वित्री प्रचार आदर्श से जुड़े व्यक्तियों के नेतृत्व में काम कर रही थी पर जनता सरकारों या सधर्ष समितियों के लिए जो कार्यक्रम तय किया गया था उसके छोटे अंश पर अमल होना शुरू हो गया। इसकी वजह निम्नलिखित थी। बिहार में तत्कालीन परिस्थितियाँ इतनी क्रान्तिकारी नहीं मनी थी कि यह कार्यक्रम अमल में लाया जा पाता, पर आन्दोलन बिहार के समाज को इस दिशा में नितर आगे बढ़ा रहा था। आन्दोलन अपनी नियति पर पहुँच कर समाज नहीं हुआ, बल्कि उन कारणों से अवरुद्ध हो गया था जो उसके नियंत्रण में बाधक थे।

25 जून 1975 को श्रीमती गौधी द्वारा राष्ट्रीय आपात-स्थिति घोषित कर देने और जयप्रकाश सहित देश में श्रीमती गौधी पक्ष के सभी शीर्षस्थ नेताओं को जेल में बाल देने के कारण बिहार आन्दोलन शान्त पड़ गया। मार्च 1977 में श्रीमती गौधी और उनकी सरकार का जो अप्रत्याशित पतन हुआ वह बिहार आन्दोलन जयप्रकाश, भारतीय जनता और लोकतंत्र की विजय थी। जन-शक्ति ने निरकुशता पर सम्पूर्ण शक्ति से प्रहार कर उसे धराशायी कर दिया था। जाता पार्टी की सरकार आने के बाद जयप्रकाश ने यह सलाह दी कि वे सरकार से रचनात्मक सहयोग करें। बिहार आन्दोलन का उद्देश्य किसी प्रकार की हिंसक क्रान्ति अथवा लोकप्रिय सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं था। जयप्रकाश ने कहा था कि "बिहार आन्दोलन

जनता को शिक्षित और संगठित करने की कोशिश कर रहा है ताकि जनता अपने कर्म से अपने जीवन में परिवर्तन ला सके और उसे बेहतर बना सके। सामाजिक परिवर्तन का यह पथ है जिसमें थोर परम्परागत राजनीति ने बहुत कम ध्यान दिया है। राजनीति, कानून और प्रशासन की प्रक्रिया अपोजीटा और विकास पर अग्रित रही है। कानून या त्रिपक्षीय जनता के सक्रिय संयोग के बिना नहीं हो सकता। जब तक जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरण पैदा ही होता वह संगठित नहीं हो सकती। बिहार आन्दोलन सघर्ष समितियों और जनता सरकार के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।”

बिहार आन्दोलन अनेक कमजोरियों का शिकार बना। इसमें छात्र अक्रियता पर ज्यादा बल दिया गया। प्रयोग क्षेत्र आग बूझ लेकिन शहरी क्षेत्र नहीं। फिर भी आन्दोलन जयप्रकाश के व्यक्तिगत बल बहुत दूर तक केन्द्रित हो गया। उसका फल यह हुआ कि अत्याचरण के बावजूद जयप्रकाश सक्रिय नहीं हो पा रहा थे, उनके हार्दिक विरोधी भी नहीं हो पाये थे। जनता पार्टी ने लोकनायक की आशाओं पर तुल्यतुल्य किया और उन्हें कहना पड़ा कि “जनता पार्टी हमारे आन्दोलन के गर्भ से पैदा हुई है, इसलिए उसकी सफलता विफलता के लिए हम जिम्मेदार हैं, विशेषकर वे युवा और उच्च शिक्षित जिन्होंने आन्दोलन में जनता पार्टी के निर्माण में तथा उसको विजयी बनाने के अभियान में हिस्सा लिया है। जनता पार्टी जिस दंग से और जिस रूप से बनी है वह अपनी वर्तमान गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। जनता पार्टी में जो अभिभाषार्थ जनता ने की वही वे पूरी नहीं हुई। रूपा आज कुछ हाथों में केन्द्रित है। जब तक सत्ता या केन्द्रीयकरण रहेगा, तब तक तानाशाही का खतरा बना रहेगा, इसलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक समागमार्ज के हल की दिशा में वह विशेष कुछ नहीं कर पाई है। इस कारण जनता में असन्तोष फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, युवा जनता को तथा अन्य आन्दोलनकारी युवा संगठनों को क्या करना चाहिए, या एक विधायनीय प्रश्न है।”

सेना संविधान के लिए

अप्रैल, 1975 के अन्तिम सप्ताह में अपनी ठंडीसा यात्रा के दौरान जयप्रकाश ने विचार प्रकट किया कि सशस्त्र संविधानों को अंतर्गत आहार नहीं माननी चाहिए जिसे सरकार ने गम्भीरता से लिया और तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री ने उसे ‘देशद्रोह’ बताया। जयप्रकाश की मंशा कभी नहीं रही कि सेना विद्रोह पर उठे। जयप्रकाश ने केन्द्रीय गृहमंत्री के आरोप का जवाब देते हुए स्पष्टीकरण किया “मैं इस सम्भवना को और इशारा किया था कि देश में विद्रोह प्रकट की तानाशाही प्रवृत्तियों प्रज्वलन का गला घोटने का प्रयास कर सकती हैं, ऐसी स्थिति में सेना का कर्तव्य देश, उर्ध्व श्वर और उसके संविधान के प्रति है। देश के समर्थन या मूर्च्छित कानूनों में भले ही स्पष्ट रूप में यह न निष्ठा हो मगर का यह कर्तव्य है कि वह अधिनायकत्व को खतरों से देश को बचाए अणु कोई दलीय सरकार या दलीय नेता अथवा दल और सत्ता के हितों को आगे-बढ़ाने के लिए सेना का हस्तोन्मुख करना चाहे तो सेना का यह कर्तव्य है कि वह अपना उपयोग न होने दे।”

जयप्रकाश नारायण ने सेना के सम्बंध में एक और स्पष्टीकरण किया—“मैं प्रायः इस तथ्य को और इशारा करता हूँ जो कि ऐतिहासिक तथ्य है कि एक हिसाबक क्रान्ति तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कि सत्ताह्वय दल का विघटन नहीं होता और अधिकांश सेनारों या तो तटस्थ रहें या फिर क्रान्ति के पक्ष में चली जाएँ। मैंने यह बताया है कि एक शान्तिपूर्ण क्रान्ति में सेना को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि सत्ताधारी एक शान्तिमय क्रान्ति को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल करे तो सेना को इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए। मैंने नागरिक अध्यक्षता की अवस्था में सशस्त्र सेनाओं के उपयोग की आलोचना की है, क्योंकि ऐसी गड़बड़ी में असीमक सशस्त्र दल होने हैं। अगर इस सचका मतलब देशद्रोह होता है तो मुझे उस अपराध के कटपरे में खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं।”

पुलिस के सिन्डिकले में उन्होंने कहा कि वर्तमान आन्दोलन में पुलिस ने ब्यादा बल का प्रयोग किया है। “मैं यह अणु फर्न समझता हूँ कि पुलिस को यह समझाऊँ कि मैं उन्हें विद्रोह करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन्हें अपना फर्न पूरा करना चाहिए मगर उन्हें ऐसी आह्वान नहीं माननी चाहिए जो गैर-कानूनी हो या उनके अन्तःकरण के विरुद्ध। मैं नहीं मानता कि यह सखानक है। मगर यदि है तो यह शान्तिपूर्ण क्रान्ति का हिस्सा है।” जयप्रकाश नारायण का मत था कि आन्दोलनकारियों को पुलिस के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सघर्ष उनके साथ नहीं है। वे राज्य के स्थायी कर्मचारी हैं और सरकार बदलने पर वे सेवा में रहेंगे। जयप्रकाश नारायण ने यह मत बताया कि उन्होंने सेना या पुलिस को जनता आन्दोलन में शामिल होने के लिए कहा है।

दलीय चरित्र सुधार

जून, 1978 में जनता पार्टी के जतिर सुधार सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में लोकनायक ने कहा कि “मैं अपने देश के भविष्य के बारे में आश्वस्त हूँ कि चाहे जो अन्दरूनी कमजोरियाँ, झगड़े, मतभेद नजर आते हैं, उन सबके बावजूद हम इकट्ठे रहेंगे और जहाँ भी राष्ट्रहित का प्रश्न आएगा वहाँ हम सब एक होंगे। आज जो हो रहा है मैं उसकी देखभाल हूँ

और उसमें घबराता नहीं है कि छोटी-छोटी पार्टियाँ बन कर और उनके आपस के अस्थिर गठन-घटनों के आधार पर प्रसंग में जैसे राजनीति चली जाती वहाँ न चले और एक मजबूत सत्ता रहे जिनके हाथ में सत्ता हो और तात्का विकल्प जो हा यह उसी प्रकार का हो तो एक तरफ जनता पार्टी है, उसमें बहुत-सी पार्टियाँ विलीन हो गई हैं, लेकिन विलीन होकर उन्होंने अपना अस्तित्व कायम रखा है। उनको यह है कि वे बाहर अपने संगठनों को तोड़ डालें सभी जनता पार्टी का सही मापने में एकैका हो सकता है। नहीं तो डर रहता है कि वे आपस में मतभेद के कारण पार्टी छोड़कर चले जाएँगे—अपना पर बनाकर रखा है पहले से और वहाँ कुछ काम चलता है यह सब खत्म होना चाहिए और जनता पार्टी में सबसे मिलाकर सही मापने में एक पार्टी बनाना चाहिए। जो उनमें हों उनकी वफादारी जनता पार्टी के साथ हो और वे जो परिवर्तन उद्देश्य या कार्यक्रम साना चाहते हों, वह साने का प्रयत्न अन्दर से करें। बाहर गुट बनाकर और पार्टियाँ बनाकर और उनमें जनता पार्टी में आकर कुछ बल देकर उसमें अपनी दुकानियों को बल देना गलत है।

जनसमिति, जनतापति का दर्शन

मार्च 1977 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की कैबिनेट सरकार के पतन के कुछ दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने अकाराधायी के एक भेटवार्ता में 'लोकतंत्र' को निर्वाण गति से चलाने की एक धानी लोगों के हाथ में सौंपने की कोशिश की। कैबिनेट सत्ता से हट चुकी थी—जयप्रकाश नारायण का एक तात्कालिक लक्ष्य पूरा हो चुका था, पर उन्होंने बिना समय गँवए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को सामने रख दिया। जयप्रकाश नारायण ने प्रथम धरण के रूप में जनसमितियों को स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह मुझसे नया नहीं था। 1974 में 'लोकतंत्र के लिए युवा' नामक एक अधिपान में जयप्रकाश ने युवकों के बीच निगमानी समितियों के गठन का प्रयास किया था। उन समितियों का स्वरूप सीमित था। चुनाव के दौरान होने वाले ब्रह्मचर्य आदि पर युवक नजर रखें। वह काम ज्यादा फैल नहीं सका। बिहार आन्दोलन की लम्बी अवधि में जयप्रकाश ने इस कार्यक्रम को विस्तृत ढंग से सोचा। चुनावी निगमानी की सीमाएँ तोड़ी और चुनाव के बाद जाँचे हुए प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच सवाद और सम्पर्क के आयाम इसमें जोड़े। मार्च 1977 के चुनाव अधिपान में उन्होंने इस विचार को रखा। 20 मार्च, 1977 के फैसले ने परिस्थिति बदल दी। यह फैसला कैबिनेट को अस्थोकृत या जनता पार्टी को स्विकृत किए जाने तक ही सीमित नहीं था, उसने रोटी और प्रगति के बदले सरकार और सत्तारूढ़ दल के हाथ में अपनी व्यक्तिगत आजादी और देश के लोकतंत्र को गिरवी रखने से इनकार किया और बताया कि लोकतंत्र का अर्थ 'जनता के साथ पर' चलने वाली सरकार नहीं है, बल्कि जनता की इच्छा द्वारा चलने वाली सरकार है।

जनसमितियों की जिम्मेदारियाँ कुछ इस प्रकार होंगी। अपने स्तर पर यह निगमानी करना कि सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम उनकी पोषित नीति के अनुरूप ही चलती रहें। पिछड़े वर्गों के लिए बाई गई कल्याणकारी योजनाएँ निर्बाध रूप से लागू होती रहें, नागरिकों और विशेषकर पिछड़े वर्गों के अधिकारों को रक्षा करना, अपने क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन कर भेजे गए प्रतिनिधियों से हर तीन महीने में एक बार मिलना तथा प्रतिनिधियों से उनके वर्तमान काम और भविष्य की योजनाओं का निवेदन प्राप्त करना तथा अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं पर उनमें विचार विमर्श करना, वहाँ में एक बार इन प्रतिनिधियों से उनकी आय और सम्पत्ति का ब्यौटा लेना, स्थानीय अत्याचारों, अन्यायों तथा स्थानीय झगड़ों की पुलिस और अदालत की कम से कम मदद लेते हुए सुलझाने का प्रयत्न करना, स्थानीय विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए स्थानीय प्रशासकीय एजेंसियों की मदद लेना, मदद करना और जबरन पढ़ने पर जनता को संगठित करके शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह के जरिए प्रशासन और समाज को गलत कार्यों से विरत करना और सही कार्यों को ताक प्रेरित करना।

संगठन के ढाँचे को चार स्तरों में बाँटा गया—देहाती इलाकों में गाँव को तथा शहरी इलाकों में 150 से 200 परिवारों की सभा को बुनियादी इकाई माना गया। दूसरे स्तर में पंचायत और शहर की 8 से 10 हजार तक की आबादी के मोहल्ले को शामिल किया गया। तीसरे स्तर में प्रखण्ड और वार्ड तथा चौथे स्तर में ससदीय चुनाव क्षेत्र आया। बुनियादी इकाई का गठन गाँवजन की उर्ध्वस्थिति में सर्वानुमति से किया जाएगा। इसमें 5 से 15 सदस्य चुने जाएँगे। सावधानी बरती जाएगी कि इसमें स्त्रियाँ, हरिजन और अन्य कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। समिति का काम से कम आधा भाग युवाओं का हो। समिति का एक सयोजक रहेगा। यह समिति किसी राजनीतिक पार्टी की समिति का रूप न ले, इसलिए यह ध्यान रखा जाएगा कि इसमें आने वाले सदस्य चाहे किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध हों या न हों, वे पूरे समाज के विश्वासपात्र हों, लेकिन सयोजक का गैर-राजनीतिक होना आवश्यक माना गया है। प्रांतीय स्तरीय जनसमितियों के संयोजकों और हर गाँव से एक अन्य प्रतिनिधि को मिलाकर पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रखण्ड या ससदीय स्तर की समिति में क्षेत्र की हर पंचायत समिति के तीन या चार सदस्य होंगे। यह माना गया है कि प्रखण्ड या ससदीय स्तर की समितियों के सदस्य लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव लड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। शहरी स्तर का संगठन इसी ढाँचे पर खड़ा किया जाएगा। इस तरह कोशिश की जाएगी कि ये जनसमितियाँ देश को राजनीतिक प्रवृत्ति का एक इकाई अंग बन सकें और मतदाताओं और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच आम जनता

और प्रशासन के बीच एक मजबूत पुल की भूमिका निभा सके। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि "सरकार में जाने या कुर्सी सम्भालने के बाद गलती किसी व्यक्ति से हो सकती है इसलिए उसे यह सुझाव देना चाहिए कि दूसरे ठामने या उसके सहयोगियों का गठन सरकार के हित में कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल आज सत्ता में हैं उनमें मुझे आशा है कि वे इस तरह के कदम का स्वागत करेंगे। इन समितियों को वे अपना विरोधी नहीं, अपने सहयोगी की तरह मानेंगे।"

जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय जनसमिति की स्थापना के लिए उत्सुक थे। उनकी आवश्यकता के कारण यह समिति को विलम्ब से जिसकी पहली बैठक घटना में दिनांक 30-31 जुलाई, 1977 को जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुई। इस समिति में 30 सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें प्रमुख थे—आचार्य कृपलानी, एम. सी. छागना, बी. के. जॉन, नारायण देसाई आदि। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव में मईगाई और बेरोजगारी में वृद्धि और भ्रष्टाचार पर चिन्ता व्यक्त की गई और सरकार से आग्रह किया गया कि केन्द्र और राज्यों की सरक़रें आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में सक्रिय हों—जनता ने उन्हें इसीलिए चुनकर सत्ता सौंपी है। दूसरे प्रस्ताव में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आर्थिक तथा अन्य अपराधियों को नजरबन्द करने के विचार का गलत बताने हुए सभी राजनीतिक बन्धियों को रिहा करने की माँग की गई। अन्य प्रस्ताव में हर्तक़ो तथा अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अनाचारपूर्ण व्यवहार को निन्दा की गई और कहा गया कि ऐसी घटनाओं को कानून और व्यवस्था का मामला बन कर नहीं ठाना जा सकता—सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए।

उद्घाटन भाषण में जयप्रकाश नारायण ने समिति की उपयोगिता, कार्य-विधि और लक्ष्यों की व्याख्या की—

1. समिति जनता और उन प्रतिनिधियों के बीच कड़ी का काम करेगी। यह जनता का कर्तव्य है कि उसके निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कर्तव्य पथ से च्युत न होने पाएँ।

2. जनशक्ति को संगठित और विवर्धित करना समिति का कर्तव्य है—जो उसे उदाहरण प्रस्तुत करके करना है।

3. जनसमितियों को राजनीति, जाति या वर्गों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और दलित तथा शोषित वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

हर गाँव और मोहल्ले में जनसमिति बनाने का आन्दोलन चलाना नहीं, पर जनसमितियों के दर्शन में हमें लोकतन्त्र के हाथ सराफ़त रखा कवच का बोध होता है जो महत्वपूर्ण है।

नेतृत्व, लोकतन्त्र, योग्यता एवं शासन-प्रणाली पर जयप्रकाश के विचार

जुलाई, 1978 में एक साक्षात्कार में लोकनायक जयप्रकाश ने नेतृत्व की आवश्यकता, लोकतन्त्र के लिए भारतीयों की योग्यता, भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली, जनता पार्टी का संगठन एवं कर्तव्य आदि पर प्रबल ज्ञान जो निम्नांकित प्रकार से है—

नेतृत्व—"बिना नेतृत्व के व्यक्ति संगठित नहीं हो सकते हैं। जब गोकुल दूब रहा था तब कुत्ता न होते तो उसका उच्चारण न होता। जब नेतृत्व दिया तो सभी उस पर चले गए। नेता जो भारतीय मूल्यों की मानना हो और जिसके प्रति भारतीय जनता की श्रद्धा हो, उसका अनुसरण व्यक्ति कर सकते हैं फिर चाहे वह कितना ही ऊर्ध्वतकरी कार्यक्रम या विचार रखे।" "दक्षिण भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है यदि वह प्रभावशाली हो और उत्तर की स्वीकार्य हो—दक्षिण के निवासी को भारतीय नहीं मानते, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तर के जिस बात की कहें उसे दक्षिण के निवासी मानें, यह नहीं हो सकता। आज भारतीयता यदि है तो (अपने शुद्ध रूप में नहीं कह सकते पर बदलाव के साथ करें) वह दक्षिण में ही है। उत्तर में मुस्लिम शासन की वजह से फर्क पड़ गया है। आज तक हमनामवर लोग अन्दर रहे उनका भी अस्तर पड़ा है। जो बाहर से आए थे वे भारत के मुद्दबन्ने सांस्कृतिक दृष्टि से कम थे, पर वे यहाँ समाज हो गए। आज के भारत में हमें सोचना पड़ेगा कि भाषा की नीति को किस तरह बनारें कि दक्षिण की शिरोधार्यी ठमने हो सके। विभिन्न भाषाओं के लिए केन्द्र में स्थान किन्तु तरह हो यह सोचना चाहिए।"

क्या हिन्दुस्तानी लोकतन्त्र के योग्य है?—हम लोकतन्त्र के योग्य नहीं, यह गलत बहस है। हमारे जैसा लोकतन्त्र एशिया में और कहीं नहीं है—जापान और इराक़ल को छोड़कर जिनमें नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, स्थापित सत्ता से असहमति को आजादी और उस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अधिकार सविधान सम्मत है।

"हम लोकतन्त्र के योग्य हैं इसका एक और प्रमाण है। जब इमर्जेन्सी लागू हुई थी, लाखों व्यक्ति उत्तर भारत में गिरफ्तार हुए थे और दमन के जो उपाय किए गए थे वे इमर्जेन्सी के आवश्यक अंग नहीं थे। कर्जिस ने उसको बदोस्त किया—पुराने कर्जिस ने भी जनता को जब मौक़ा मिला उसने चुनाव में जबाब दिया। अतः लोकतन्त्र कोई विदेशी चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ लगा दिया गया हो। इस मिट्टी में उनकी गाधार है, यार्दे है, वे हमारे मानस में कम करतें हैं। माघ भारत में साम्राज्यवाद का केन्द्र रहा। लिच्छवियों का गणतन्त्र वैशाली। जनपदीय लोकतन्त्र वज्रसंघ। यह अनाधिक

और लोकतान्त्रिक परम्परा है कि वे लोकतन्त्र जैसे अन्य लोकतन्त्र थे, वैसे ही नागरिक पर लागू होते थे दस्यु पर नहीं। पुनः व को पढ़ते हयारे यहाँ रही है।"

भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली—सम्प्रा... वर्गीय भारत में ससदीय लोकतन्त्र को जगह राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए। जयप्रकाश जी इसके विरुद्ध थे—“हमारे देश में एकात्मक सरकार नहीं हो सकती—राष्ट्रपति प्रणाली का तानशाही में बदल जाना असमंजस है। उसमें एक व्यक्ति होता है जिसके चारों ओर व्यक्ति होते हैं। यह ठीक है कि बिना एक व्यक्ति के नेतृत्व में ससदीय लोकतन्त्र नहीं चल सकता, परन्तु हमारे देश में जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें राष्ट्रपति प्रणाली लोकतन्त्र से अलग चली जाएगी। हमारे यहाँ विभिन्नताएँ हैं, भाषावार राज्य हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति प्रणाली के पैर मजबूत नहीं हो सकते।”

दलीप संगठन और कर्तव्य—लोकनायक का विचार था कि “आज हमारे विषयकों पर जनता का अक्रुश नहीं रहा। शराबक असहमति को निरस्तारु करना गलत है।” जयप्रकाश के अनुसार पार्टी के बाहर के संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए। “मैं बराबर इसके पक्ष में रहा हूँ। जनता पार्टी के घटक अपने बाहर के संगठनों को समाप्त नहीं करना चाहते। वे सही मायने में एकीकरण नहीं चाहते हैं और अवसरवादिता से काम से रहे हैं।”

जयप्रकाश नारायण ने शिखर राजनीति की क्षमताहीनता की ओर ध्यान दिलाया। “नेता उसके साथ चिपके रहेगे तो व्यक्ति सरकार से नहीं जुड़ सकेगे। राजनीतिक आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। आज खेती में नुकसा। हो रहा है क्योंकि गाँव और शहर का असन्तुलन हमारी राजनीति में ध्यात रहा है। कारण यह है कि जो राजनीति में गाँव से आए हैं वे शहर में वैसी नीतियाँ निरचित करते हैं जो मध्य वर्ग और उसके हितों को सामने रखती हैं। मजदूर वर्ग या भूमिहीन श्रेणियों का संगठन होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के श्रमिकों के बीच उनके अपने नेता होने चाहिए—उम्मीद थी कि यह सघर्षवाहिनियों के माध्यम से होगा, पर मैं अपनी बीमारी के कारण निर्देश नहीं दे सका।” सम्पूर्ण क्रान्ति की मेरी धारणा में ऐसा मथन चाहिए जिसमें सब मिल जाएँ और नई चीज तैयार हो। यह शिखर राजनीति में चलते रहने पर नहीं हो सकता है। जयप्रकाश नारायण आगे की ओर देखते रहे जबकि राजनीति का चरित्र पीछे की ओर लौट रहा है। वह निराशावादियों की तरह यह नहीं मानते थे कि इस देश को सेना या पुलिस ठोक कर सकती है। “सैनिक या पुलिस तख्ता पलट तभी सम्भव होगा, जब आर्थिक गतिरोधक हो जाए और आर्थिक सकट हो। जब हम बंध रहे हैं यह छुटता नहीं दिखाई पड़ता है।”

भूदान आन्दोलन की एक नया आयाम

1957 में बम्बई में आयोजित परिषदाई देशों के समाजवादियों के सम्मेलन में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राज्यसत्ता के जरिए समाजवाद साने की कोशिश मानव-जाति की ‘कल्याणकारी राज्य’ तक से जा सकती है, आजादी, समता और भाईचारे तक नहीं। इस अवसर पर जे. पी. ने भूदान आन्दोलन के जरिए लोकशासित को जाग्रत करने की सम्भावनाओं को रेखांकित किया। भूदान आन्दोलन धीरे-धीरे सघात हो गया जिसके दो कारणों थे—मन्त्रियों और सरकारी मशीनरी के आन्दोलन का अन्तर्गत हिस्सा मान लिए जाने पर, भूदान का नैतिक पक्ष कुण्ठित हो गया। दूसरे आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने भूदान या भूमि वितरण के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। असफलताओं के बावजूद भूदान से जितनी जमीन बँटी उतनी शायद कोई राज्य सरकार सीमाबन्दी कानून के अधीन ही बँटा सकी है।

1970 में मुम्बईपुर की जनसभा में जे. पी. ने भूदान आन्दोलनों को नया आयाम दिया। ग्राम प्राप्ति की पुष्टि और स्वायत्त की स्थापना जल्दी है, जिसके लिए ग्राम सभा की स्थापना जमीन का बौखली हिस्सा भूमिहीनों में बाँटना, ग्रामकोष की स्थापना और शान्ति सेना की स्थापना की जाए। नक्सलपथी समस्या के संदर्भ में जे. पी. ने बासगीत जमीन के पर्वे दिखलाने, मजदूरों की समस्याएँ समझने और सुलझाने और शक्तिशाली तत्वों के शोषण से गरीबों की बचाने के लिए खुद काम करने का सकल्प किया। मुसहरी प्रखण्ड जे. पी. की प्रयोगशाला बना।

जयप्रकाश नारायण का योगदान एवं मुष्पौकन

डॉ. वर्मा के अनुसार “जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के क्षेत्र में सुविख्यात व्यक्ति रहे हैं। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने भारत में समाजवादी आन्दोलन को ब्रैड्रैस के झण्डे के नीचे चल रहे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम के साथ सज्ज कर दिया। नरेन्द्रदेव तथा जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा को जाता को साम्राज्यवादी राजनीतिक आधिपत्य तथा देशी सामन्तवाद की दासता से मुक्त करवाने की दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने समाजवादी दर्शन की दो बुद्धों का समन्वय बनाया—राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम तथा सामाजिक क्रान्ति। भारत के जन्मिंत माणोण समाज की विकसाल दरिद्रता के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने उन सामाजिक तथा दान्त्रिक बन्धनों के उन्मूलन पर बल दिया जो कृषि के उत्पादन में बाधा डाल रहे थे।”¹

सुभाषचन्द्र बोस

(Subhash Chandra Bose, 1897-1945)

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

सुभाषचन्द्र बोस (1897-1945) का नाम भारत के इतिहास में स्वतंत्र अक्षरों में अंकित है और उन्होंने भारत को आजादी के लिए सब कुछ न्योत्रा कर दिया। उनके महान् त्याग के कारण जनता ने उन्हें 'नेता' की उपाधि से सुशोभित किया। अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य शौर्य द्वारा उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए विदेश में, बिना किसी साधन और सहायता के एक विरह्य सगठन तैयार करके सत्तार में कर्म-साधना का एक आदर्श उदाहरण कर दिया। वह प्रतिभासम्पन्न छात्र थे। आई सी एस की परीक्षा पास की, पार्लू गई, 1921 में त्याग्य दे दिया और 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में कूट पड़े।

वह महात्मा गाँधी के विचारों से महमत न हो सके। भगभेट साधन और लक्ष्य का था। महात्मा गाँधी अपनी आत्मशक्ति की शेरना से कार्य करते थे, जबकि बोस बुद्धि एवं तर्क से चलते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि गाँधीजी को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ था और उनकी योजना में स्पष्टता का अभाव रहता था। गाँधीजी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता सज्जन की गति से मुभाष को बड़ी निराशा हुई और वे नती कार्यक्रम निरचित करने के लिए विचार करने लगे। चिदाचक्रताम के रूप में उन्हें एक योग्य नेता प्राप्त हो गया। मुभाष की योग्यता का प्रमाण और सगठन शक्त अश्लीय की। सरकार ने उन्हें अपनी ओर मिलाते कर परसक प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली। मुभाष की गतिशीलता से आक्रिय सरकार ने उन्हें नरखन्द करके 1925 में मारने जेल भेज दिया। निष्क को छोड़कर अन्य किसी नेता ने इतना कष्ट मन्न नहीं किया जिन्ना मुभाष ने। उन्हें उस बार कागगर में दण्डा गया और जीवन के अठ वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। मुभाष को समझौतावदी रवैया पसन्द न था, वे प्रवृत्ति से विरोधी थे।

महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन में मुभाष को निष्ठा नहीं थी, तथापि उन्होंने इसमें सहयोग किया और जेल गए पर जब 1934 में गाँधीजी ने आन्दोलन को वृत्ति से लिये तो मुभाष ने आग्रोसा भरे शब्दों में कहा—“इसका यह मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में गाँधीजी असफल रहे हैं।” कारणवश मैं बोस का त्याग्य छत्रण हो गया, अतः सरकार ने उन्हें यूरोप जात्र शिक्षिता करने की अनुमति प्रदान की। यूरोप में उन्होंने विभिन्न राजनीतियों में भ्रम की और उनके समस्त भारत की स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया। वॉरस लड़ते पर 1938 में उन्हें हंगेरु काँग्रेस का सम्पत्ति निर्वाचित किया गया। वॉरस के अनेक नेताओं से उनका टंत्र मतभेद रहा। 1939 में उन्होंने डॉ. पट्टाभिसाहायजी को पराल कर वॉरस का सम्पत्ति चला किया। जब मुभाष का विशेष बढता गया तो उन्होंने पर से त्याग्य देकर 'चार्लर्ड ब्लॉक' नामक दल का सगठन किया। शीघ्र ही उनके इच्छे के नीचे बहुत से नवयुवक सम्मिलित हो गए। सरकार ने उन्हें नरखन्द कर लिया। इस पर उन्होंने सरकार को चेतावनी भुप प्र दिया—“मुझे मुक्त कर दो, अन्यथा मैं संवित रहने से इनकार कर दूंगा। इसका निश्चय करना मेरे बरा में है कि मैं संवित रहूँ या मर जाऊँ। शहीदी का शू। धर्म का बीज होता है। मुझे आत्र अवरय मर जाना चाहिए, जिससे भारत स्वतंत्र और प्रजाती हो। अपने देशवासियों को मुझे गरी, बल्ल, शै—मूलतः, गरी, दास्य, मनुष्य के लिए समस्त पत्ता प्राप्त है। इस पर का सरकार पर प्रत्येक पत्ता। मुभाष के असहयोग और जवाहरलाल नेहरू-आन्दोलन के मय से उन्हें मुक्त कर दिया गया।

जेल से मुक्त होते ही मुभाष जन-आन्दोलन को संगठित करने में लग गए। महायुद्ध शुरु होने पर उन्होंने आन्दोलन के लिए जनता का आह्वान किया और यह माँग रखी कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थानित की जाए जिसे गोपी सरकार तुल्य अपनी सभी शक्तियाँ हस्तान्तरित कर दे। बोस के इन कथनों से आक्रिय होकर सरकार ने उन्हें उनके मकसद में नरखन्द कर दिया और कठोर पहरा बीटा दिया, लेकिन मुभाष पुनित की आँखों में धून आँककर गप्य हो गए। यह रहस्य बाद में खुला कि वे घर से छद्मवेश में गप्य होकर कबूत होते हुए पेरिस शक्य जर्मनी और जर्मन गए हैं। जब मुझ पूर्व में जर्मन नित्र एशों की सेनाओं को धून ज्य रहा था। भारत की युद्धनी से छुटकारा दिग्गने के लिए जर्मन को सहायता से भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से मुभाष ने आजाद हिन्द फौज अथवा भारतीय उद्योग सेना (Union Liberation Army) का सगठन किया। 'अप हिन्द', 'दिल्ली राने' और 'मान किया हमारा है' अदि उनके नारे थे। मुभाष के सेनापतित्व में आजाद हिन्द फौज ने फरवरी, 1944 में भारत पर उदारद्व की ओर से आक्रमण किया और इम्फल (आसाम) पर अधिकार कर लिया। आजाद हिन्द फौज इम्फल से जगने न वह सही और जर्मन की हार होने लगी। अगस्त, 1945 में जर्मन ने आजादों की महारक शक्ति के साथ धुने टंक दिए और जर्मन के अधीन रूपों प्रदेशों पर अंग्रियों का कब्जा हो गया। मुभाष को टोकियो भागना पड़ा, किन्तु उल्ले में वायुयान दुर्घटना में उनका शान्त हो गया।

सुभाष चन्द्र बोस के राजनीतिक चिन्तन की पृष्ठभूमि

सुभाष कर्मयोगी थे, राजनीतिक दार्शनिक अथवा मैट्रानिक विचारक नहीं। उनके लिए यह जगत् 'कर्म-क्षेत्र' था। प्रारम्भिक अवस्था में बोस वेदान्त दर्शन के प्रशंसक थे, किन्तु कालान्तर में वे सामाजिक और राजनीतिक चार्थवादों बन गए। 'शक्ति' को उन्होंने सम्मान दिया। भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी थी। भारतीय भौतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पतनोन्मुख इसलिए हुए कि उन्होंने भाष्य और प्राकृतिक शक्तियों में अत्यधिक विश्वास किया, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के सम्बन्ध में उदासीनता प्रकट की, सन्तोष को भावना रखी और अहिंसा के पीछे घातल बने रहे।¹ बोस ने भारत के राजनीतिक इतिहास में मुस्लिम शक्ति की सर्वोपरिता को चुनौती दी; उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 'मुस्लिम ध्वज्या' थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारत के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनों से हिन्दुओं का मुस्लिम शासन के साथ सहयोग था। भारतीय समाज को समन्वयकारी शक्ति ने विदेशी तत्वों को भारतीय समाज में अंतर्गता कर दिया, केवल अग्रज इसके अपवाद थे।

सुभाष बोस के राजनीतिक विचार

राजनीतिक चार्थवाद में विश्वास—सुभाष ने गांधीजी की तरह 'राजनीति के आध्यात्मिकरण' की बात नहीं कही। उन्हें राजनीति और नैतिक प्रश्नों को अथवा धार्मिक तथा राजनीतिक मामलों को मिश्रित करना पसन्द न था। उनका विश्वास राजनीतिक सौदेबाजी में था। उन्होंने जीवन में कहा—राजनीतिक सौदागरों का रहस्य यह है कि आप वास्तव में जितने शक्तिशाली हैं उससे अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। अपनी आवाज को बलाशाली शक्तियों में रक्षना चाहिए। ब्रिटिश सत्ता के सामने विनम्र शब्दावली उन्हें पसन्द नहीं आई। उनका विचार था कि महात्माजी की, जो अपने देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजनीतिक शक्ति के स्वर में बोलना चाहिए था। यदि गांधी स्ट्रॉनिंग, मुसोलिनी अथवा इटलर की भाषा में बोलते तो ब्रिटिश सत्ता उनकी बात को समझती और सम्मान देती। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुभाष सशस्त्र संघर्ष के समर्थक थे और आजाद हिन्द फौज का गठन करके तथा देश को गुलागो से मुक्त कराने के लिए सैनिक अभियान चलाकर अपने विचार को साकार कर दिखाया।

सुभाष ने भीषण विचार था कि राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग और कष्ट सहने की आवश्यकता है। देशवासियों को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कड़े से भरे रास्ते पर चलना पड़ेगा, घोर कष्टों से जुझना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए महान नैतिक तैयारियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि नैतिक बल के अभाव में कष्ट सहने और त्याग करने की क्षमता नहीं आ सकती।

पूर्ण स्वाधीनता के उपासक—सुभाष औपनिवेशिक स्वराज्य' के विरोधी थे। वे नेहरू रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं हुए और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1929 के काँग्रेस-प्रस्ताव पर उन्होंने इसी शर्त पर हस्ताक्षर किए कि यदि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार न किया तो काँग्रेस के अगले अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतन्त्रता' का लक्ष्य घोषित किया जाएगा। सुभाष को मनोकामना 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूरी हुई। 'पूर्ण स्वाधीनता' के लिए पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन। चला, अन्य नेताओं के साथ सुभाष जेल गए, पर जब आन्दोलन मध्य में गांधी-इरविन समझौते से भंग हो गया, तो इस समझौतावादी नीति से उन्हें बहुत शोक हुआ। सुभाष पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए इतने अधीर थे कि वे किसी भी डिमिशन अथवा शिथिल नीति को सहने नहीं कर सकते थे। उसकी दृष्टि में अहिंसा की नीति समयानुकूल नहीं थी। उन्हें यह विश्वास था कि अहिंसा से भारत को स्वतन्त्रता मिल सकती है इसलिए काँग्रेस की नीति से निराश होकर सुभाष ने भारत में बाहर सैन्य-संगठन किया और सशस्त्र पर भारत को आजाद कराने का संघर्ष छेड़ा।

गांधीजी की नीति से असहमति, पर गांधी के प्रशंसक—सुभाष यद्यपि महात्मा गांधी की इज्जत करते थे तथापि उन्हें गांधीजी की अहिंसावादी नीति में निष्ठा नहीं थी। वे गांधीजी की धार्मिक राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को संयुक्त नहीं करते थे तथा गांधीजी की तरह धर्म और राजनीति का बन्धन स्वीकार्य न था, वे गांधीजी के दृढ़ चरित्र एवं अथक परिश्रम के प्रशंसक थे और उन्हें 'रघुपति' के नाम से सम्बोधित करते थे। सुभाष गांधीजी के चर्च सम्बन्ध और दृष्टीक्षिप्त के सिद्धान्त के आलोचक थे, किन्तु देश की आजादी के लिए गांधीजी की आवश्यकता को वे अग्रणी करते थे।

दलीय कार्यक्रम—सुभाष को विश्वास था कि गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस संगठन की शक्ति क्षीण होगी और भारत में वामपंथी दल की शक्ति बढ़ेगी, इसीलिए उन्होंने नए दल के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें उनके राजनीतिक विचारों का सार निहित है। इस कार्यक्रम को, जो सुभाष बोस की पुस्तक 'The Indian Struggle' में दिया गया है, डॉ. वर्मा ने अग्र रूप में प्रस्तुत किया है²—

1 Subhash Bose The Indian Struggle, p 192
2 विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, पृ. 399

(1) वह दल किसानों और मजदूरों के हितों का समर्थन करेगा, न कि जमींदारों, पूंजीपतियों और साहूकार वर्गों के निहित स्वार्थों का।

(2) वह भारतीय जनता की पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक मुक्ति के लिए कार्य करेगा।

(3) वह अन्तिम उद्देश्य के रूप में सहायक शासन का समर्थन करेगा, किन्तु कुछ वर्षों तक वह अधिनायकवादी शक्तियों से सम्मन एक मजबूत केन्द्रीय सरकार में विश्वास करेगा जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

(4) देश के खेतिहर तथा औद्योगिक जीवन का पुनर्संगठन करने के लिए उसे राजकीय नियोजन की सुदृढ़ तथा समुचित व्यवस्था में विश्वास होगा।

(5) वह नई सामाजिक व्यवस्था का उन पुनर्गठन शक्ति समाजों के आधार पर निर्माण करने का प्रयत्न करेगा जिनमें गाँव में पंच शासन करते थे। वह जाति जैसी वर्तमान सामाजिक दीवारों को ध्वस्त करने की भी चेष्टा करेगा।

(6) वह आधुनिक रासायन में प्रचलित सिद्धान्तों तथा प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए नई युद्ध-व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा।

(7) वह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने तथा सम्पूर्ण भारत में समान भूमि-व्यवस्था कायम करने की कोशिश करेगा।

(8) वह उस प्रकार के लोकतन्त्र का समर्थन नहीं करेगा जिसकी विषय-वस्तु के शासनकाल के मध्य में इन्फैंट में प्रचलित था। वह ऐसे शक्तिशाली दल के शासन में विश्वास करेगा जो सैनिक अनुशासन के द्वारा परस्पर आबद्ध होगा। जब भारतवासी स्वतन्त्र हो जाएंगे और उन्हें पूर्णतः अपने साधनों पर निर्भर रहना होगा, उस समय देश की एकता को कायम रखने तथा अराजकता को रोकने का यही साधन होगा।

(9) भारत की स्वतन्त्रता के पक्ष को मजबूत बनाने के लिए वह अपने आन्दोलन को भारत के भीतर तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार का सहारा लेगा और उसके लिए विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा।

(10) वह सब उन्नतवादी संगठनों को एक राष्ट्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत संगठित करने का प्रयत्न करेगा जिससे जब कोई कार्यवाही की जाए तो अनेक मोर्चों पर एक साथ कार्य किया जा सके।

फारवर्ड ब्लाक की स्थापना—क्रेसि की अध्यक्षता का परिणाम कर मई, 1939 में सुभाष बोस ने फारवर्ड ब्लाक नामक नया राजनीतिक दल स्थापित किया। फारवर्ड ब्लाक के झण्डे के नीचे सुभाष देश को वामपंथी शक्तिपक्ष को समुक्त करना चाहते थे। इस दल का उद्देश्य था—अहिंसावादी के चक्कर में न पड़ते हुए भारतीय स्वतन्त्रता को शीघ्रतः प्राप्त करने के काम में सलग्न रहना। जनवरी, 1941 में बोस ने फारवर्ड ब्लाक दल के प्रमुख सिद्धान्तों का सार इस प्रकार व्यक्त किया—(1) एक पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा उसके प्राप्ति करने के लिए अविचल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष। (2) एक पूर्णतः आधुनिक समाजवादी राज्य। (3) देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन। (4) उत्पादन तथा वितरण पर सामाजिक स्वामित्व तथा नियंत्रण। (5) व्यक्ति को धार्मिक पूजा-पाठ में स्वतन्त्रता। (6) हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार। (7) हर वर्ग को भाषा विषयक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। (8) नवीन स्वतन्त्र भारत के निर्माण में समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को लागू करना।

आजाद हिन्द फौज की स्थापना—सुभाष ने अपने फारवर्ड ब्लाक दल के माध्यम से देश के नवयुवकों में क्रान्तिकारी भावनाओं का संचार किया। जून, 1940 में बोस की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। उन्होंने सावरकर से कहा कि वे कोसकाला में सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेजों की मूर्तियाँ हटाने का आन्दोलन छेड़ने को उत्सुक हैं। सावरकर ने बड़े छोटे आन्दोलन चलाकर अपनी शक्ति का अपव्यय न करके की सलाह दी और कहा कि उन्हें भारत से बाहर जाकर भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा कर देनी चाहिए और फ्रांसिस्ट तथा नाजी शक्तियों के हाथों में पड़ गए भारतीय कैदियों को सही नेतृत्व देकर देश को स्वतन्त्र कराने के लिए बंगाल की खाड़ी अथवा बर्मा की ओर से सैनिक अभियान करना चाहिए।¹ सरकार की नजरों में धूल झोंक कर वे काबुल पहुँच गए और जर्मनी में हितकर ने उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। जो भारतीय सैनिक जर्मनी और इटली के हाथों में पड़ गए थे उनको मिलाकर सुभाष ने मुक्ति सेना बनाई जिसका कार्यालय ड्रेसडन (जर्मनी) में रखा गया। दिसम्बर, 1941 में जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1942 में टोकियो में आजाद हिन्द फौज के गठन की घोषणा की गई जिसमें 50,000 से अधिक भारतीय सैनिक शामिल हुए। जून, 1943 में बोस ने टोकियो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना व्यर्थ है कि वे अपने साम्राज्य को स्वयं नष्ट कर देंगे। हमें भारत के भीतर और बाहर से स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।² अक्टूबर, 1943 को सुभाष ने आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतन्त्र भारत की स्थायी सरकार बनाई। जापान, जर्मनी, फिलीपीन्स, कोरिया, इटली, चीन, मान्युको और आयरलैण्ड ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी।

जपान ने अण्डमान और निकोबार द्वीप आस्थापी सरकार को दे दिए। सुभाष ने अण्डमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वतन्त्र द्वीप रखा। 30 दिसम्बर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का झण्डा फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिम, पलेल आदि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। सुभाष ने 22 सितम्बर 1944 को 'शहीद दिवस' मनाया और अपने सैनिकों से कहा—'हमारी मातृभूमि स्वतन्त्रता की लोख में है। तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतन्त्रता देता हूँ। यह स्वातन्त्र्य देवी की माँग है।' जर्मनी ने हार मानती और अगस्त 1945 में जपान ने घुटने टेक दिए। जापा के अधीन जो प्रदेश थे, वे अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। सुभाष को टोकियो को तरफ पलायन करना पड़ा और हवाई दुर्घटना में उनका देहान्त हो गया।

जवाहरलाल नेहरू

(Jawaharlal Nehru, 1889-1964)

महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध में कहा था कि "जहाँ उनमें एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहाँ एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी भी है। -- वे एक निरभ्र, निष्कलक और निर्दोष सरदार हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुगुणित है।" जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव-मुक्ति के प्रति सेवाएँ पिराम्पणीय रहेंगी। स्वाधीनता सपना के योद्धा के रूप में वे भारतीयों के और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।¹ इसमें सन्देह नहीं कि पं. नेहरू की मृत्यु से हमारे देश के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। पं. नेहरू को यह विशेषता थी कि एक राजनीतिज्ञ होते हुए भी वे मैकिपावेलीय राजनीति से बहुत दूर थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में "जवाहरलाल ने राजनीतिक सपर्य के क्षेत्र में, जहाँ बहुधा छल और आत्मप्रवचन पत्रि को विकृत कर देते हैं, शुद्ध आचरण के आदर्श का निर्माण किया।"²

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

पं. जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में एक सम्पन्न कश्मीरी परिवार में हुआ था। वे मोतीलाल नेहरू और स्वरूपरानी के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता देश के प्रसिद्ध वकील थे। 15 वर्ष की आयु में 1905 में उन्हें इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध 'हैरी स्कूल' में प्रविष्ट कराया गया, 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया, जहाँ से उन्होंने विज्ञान में आगर्स की परीक्षा पास की तथा 1912 में वे 'इनर टेम्पल' से वकील बने। अपने छात्र जीवन में नेहरू भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में दिलचस्पी लेते रहे। 1904 में जपान के हाथों रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की पराजय ने नेहरू के हृदय में भारत राष्ट्र की स्वतन्त्रता के सपने भर दिए।

भारत लौटने पर जवाहरलाल नेहरू ने सकासत शुरू की, लेकिन शीघ्र ही वे राजनीतिक सर्गमियों की तरफ बढ़ चले। 1912 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई जो इस रूप में फलीपूत हुई कि गांधीजी ने जवाहर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यह भविष्यवाणी कर दी कि 'मेरे मरने के बाद जवाहरलाल मेरी ही भाषा बोलेंगे।' 1916 में उनका विवाह कमला कौल से हुआ। उनके एक पुत्री हुई, इन्दिरा प्रियदर्शिनी, जिसने भारत के प्रधानमंत्री पद को गुशोधित किया। 1918 में नेहरू होमरूल लीग के सदस्य बने और 1920 में वे भारत के किसानों की समस्याओं तथा अस्वास्थ्यों में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। "1920 का साल नेहरू के राजनीतिक जीवन में निर्णयात्मक मोड़ का था"³ और उनके दिमाग में "गांधी की नंगी-धुजी जनता की भारत की तस्वीर" बनी रही। 1922 में वे इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने। 1927 में अन्तर्राष्ट्रीय गणतान्त्रिक आन्दोलन के साथ उनके व्यापक और दीर्घकालीन सम्पर्कों की शुरुआत हुई। सुमेल में हुए परिद्वित राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1928 में साइमन कमीशन (Simon Commission) के विरुद्ध लखनऊ के प्रदर्शनों में उन्होंने पुलिस की लाठियों खाईं और Independence League की स्थापना की। 1929 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उनकी अध्यक्षता में अर्द्धपत्रि को पूर्ण स्वायत्त का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया। जवाहरलाल 1936, 1937 और 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

नेहरू ने देश का दौरा किया और भारतीयों में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए एक अभिलाषा पैदा कर दी। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान उनका 9 वर्ष से अधिक का समय जेलों में कटा। 1931 तथा 1936 में क्रमशः उनके पिता तथा पत्नी का देहान्त हो गया। 1938 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में उन्होंने भाग

1 डॉ. रामकृष्ण, नेहरू, पृ. 7

2 हिन्दुस्तान, दिनांक 14 नवम्बर 1970 (सम्पादकीय)।

3 डॉ. मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, जीवनी, पृ. 3 (हिन्दी अनुवाद)।

लिया। 1945 में वे 'शिमला सम्मेलन' में भाग लेने गए। 1946 में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का निर्माण किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत की आजादी की वेला में जवाहरलाल ने अपने भाषण में कहा—“आधी रात के घण्टे के साथ, जबकि तारा सो रहा है, भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर जागेगा। एक क्षण आता है जो इतिहास में कभी ही आता है जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ने हैं जब एक युग समाप्त होता है और जब बहुत दिनों तक दबाई हुई राष्ट्र की आत्मा बोल उठती है। यह उचित ही है कि इस पवित्र अवसर पर भारत की और उसके निवासियों की ओर उससे भी बड़ी मानवता की सेवा का सकल्प लें।”¹ “भारत की सेवा का अर्थ है उन लाखों लोगों की सेवा जो कष्ट सह रहे हैं तथा गरीबी और अज्ञान और रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना।”²

जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक अर्थात् अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 17 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक सबल आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा की जमाने का श्रेय उन्हीं को है। अक्टूबर, 1962 में साम्यवादी चीन के हमले का सद्मा नेहरू को झेलना पड़ा। इससे उन्हें यह आभास हो गया कि शान्ति में पूर्ण आस्था रखते हुए भारत को सैनिक दृष्टि से एक सबल राष्ट्र बनना होगा। जवाहरलाल नेहरू की कृतियों में 'विश्व इतिहास की झलक' तथा 'भारत की खोज' (Glimpses of World History and Discovery of India) प्रसिद्ध हैं। नेहरू एक महान् देशभक्त, कर्मठ रजनेता शान्तिदूत, विलक्षण बुद्धिमान और सुगुंजा पुरुष थे जिन्हें साहित्य, दर्शन एवं प्रकृति से प्रेम था। उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें उनकी 'आत्म-कथा' विशेष उल्लेखनीय है।

विचारों के दार्शनिक आधार

(Philosophical Foundations of Thoughts)

नेहरू का चिन्तन उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गाँधी, एनी बीसेन्ट, बुकर, रसेल, कार्ल मार्क्स, कॉन्ट, स्पेन्सर, आइन्स्टीन, आस्करवाइल्ड, मिल्, बर्नार्ड शॉ आदि से प्रभावित था। नेहरू के चिन्तन और व्यवहार को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका महात्मा गाँधी की रही। गाँधीजी से उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, शान्ति और नैतिकता से परिपूर्ण राजनीति का पाठ पढ़ा, परन्तु वे गाँधीजी की शिक्षाओं और आदर्शों को अटल सिद्धान्तों के रूप में ग्रहण नहीं कर सके। मृत्युपर्यन्त नेहरू मानवतावादी भावना से ओत-प्रोत, भावुक और संवेदनशील रहे लेकिन गाँधीजी की आध्यात्मिकता उनको प्रवेश नहीं कर पाई। न वे पूर्ण नास्तिक रहे न पूर्ण आध्यात्मिकतावादी और न ही पूर्ण भौतिकतावादी। कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी विचारों का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा, लेकिन वे पूर्ण भौतिकवादी नहीं बन सके। उन्होंने भौतिक पदार्थ को अन्तिम सत्य नहीं माना। भौतिक विज्ञान के प्रति, विज्ञान का एक छात्र होने के नाते, उनकी रुचि थी। आइन्स्टीन, प्लैंक तथा हेसेन्बर्ग के भौतिकवादी शोधों का प्रभाव उनके चिन्तन पर पड़ा, लेकिन इस दृष्टि से उन्हें हम कॉन्ट की अपेक्षा स्पेन्सर के अधिक निकट पाते हैं। नेहरू ने यह नहीं माना कि कोई ऐसा जगत् है जो हमारी दृष्टि अथवा चिन्तन से परे है।

नेहरू पर बुद्ध और ईसा के विचारों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने बुद्ध और ईसा के समान मानव आदर्शों और नैतिकता को शक्ति में विश्वास प्रकट किया। नेहरू जीवन-पर्यन्त शान्ति और नैतिकता के उपासक रहे, नेहरू सपर्यय जीवन के उपासक थे जिन्होंने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दी। बौद्ध-दर्शन से प्रभावित नेहरू ने भ्रम समर्पण नहीं किया कि हम ससार का परित्याग कर दें अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर को यातनाएँ दें।

नेहरू मूलतः एक राजनीतिज्ञ थे, हॉब्स या रूसो या सिमरो (Hobbes, Rousseau or Cicero) की भौतिक राजनीतिक दार्शनिक नहीं। राजनीतिक-शक्ति-सम्पन्न होने के कारण उन्हें इस बात के अवसर मिले कि वे अपने विचारों को व्यावहारिक जामा पहना सकें। डॉ. वी. पी. वर्मा के अनुसार, “हम उन्हें एक सामाजिक आदर्शवादी कह सकते हैं जो साधारण व्यक्ति की भावनाओं के लिए एक जनतन्त्रीय दृष्टिकोण में आस्था रखता हो। नेहरू पर गीता का प्रभाव था। गीता के कर्म के सन्देश को उन्होंने अपने जीवन में उठाया और निभाया था। नेहरू ने अपने जीवन, विचारों और कार्यों से देशवासियों और सम्पूर्ण मानव जाति को सन्देश दिया कि फलतः फल की चिन्ता किए बिना, हम यन्त्रपूर्वक अपने कर्म में लगे रहें।”

मानवतावाद (Humanism)

नैतिक आदर्शवाद में नेहरू की गहन आस्था जीवन-भर बनी रही। पीढ़ित और शोधित के प्रति उनके हृदय में प्रीति और सहानुभूति थी। “एक मानव के रूप में उनके चिन्तन में सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और महान् एवं उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था।” नेहरू जीवन-पर्यन्त मानव-जीवन के उच्चतर स्तरों के लिए सपर्यशिल रहे। उनका सन्देश था कि व्यक्ति को व्यावहारिक और अनुभव प्रधान, नैतिक एवं सामाजिक, परोपकारी तथा मानवतावादी

होना चाहिए। उनकी दृष्टि में मानवतावाद आधुनिक युग का आदर्श होना चाहिए। मैकिवालेलीय राजनीति, शोषण अत्याचार और अत्याच को देखकर उन्हें वेदना पहुँचती थी। नेहरू का मानव-अस्तित्व और उसकी सत्ता में विस्थापना था। उनकी अनुभूति थी कि मनुष्य को आत्म-बलिदान को शक्ति अपने पीछे विद्यमान किसी दिव्य तत्व से प्राप्त होती है।

नेहरू मनुष्य के गौरव में विश्वास करते थे, इसीलिए, परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए वे एक तानाशाह बन जाने के प्रलोभन से बचे रहे। वे लोकतान्त्रिक समाजवादी बने रहे, मानवीय मूल्यों में उनकी आस्था नहीं ढगमगाई और साम्यवाद के हिंसक तथा अनीतिक साधनों के प्रति उन्हें आकर्षण नहीं रहा। उन्होंने अन्याय और शोषण से यथारहित भयभीत किया। नेहरू की दृष्टि दूरगामी थी और अपने देश को ऊँची नियति में उन्हें विश्वास था। वे अन्धविश्वासों, धार्मिक सकीर्तनों और ईश्वर-देव आदि दुर्गुणों से मुक्त रहे। देश को राजनीतिक समस्याओं के लिए उन्होंने नैतिक सिद्धान्तों का उपयोग करने की कोशिश की।

अहिंसा (Non violence)

नेहरू को अहिंसा गाँधी के समान कट्टरपंथी नहीं थी। अहिंसा में उन्हें विश्वास था, लेकिन इस सिद्धान्त को उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि किसी भी परिस्थितियों में हिंसा का आश्रय नहीं लिया जाए। नेहरू एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे, अन्त में उन्होंने यह अनुभव किया था कि अहिंसा राष्ट्र के लिए उपयोगी है, पर, अलग पड़ने पर अहिंसा का त्याग आवश्यक है। गाँधीजी के समान उन्होंने यह नहीं माना कि अहिंसा ही सत्य है। उनका विचार था कि एक सरकार के लिए पूर्ण अहिंसा का पालन करना सम्भव नहीं है। व्यक्ति अहिंसा को अपना धर्म बना सकता है लेकिन सरकार नहीं। अहिंसा को एक ऐसी नीति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिसे आवश्यकतानुसार बदला जा सके और छोड़ा जा सके। नेहरू इस बात से पूर्ण रूप में सहमत नहीं थे कि अहिंसा के शास्त्र के माध्यम से सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण सम्भव है। उनका यह विश्वास था कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के निदान के लिए अहिंसा का प्रयोग उपयोगी साधन है, तथापि परिस्थितिवश हिंसा का आश्रय लिया जा सकता है। इस प्रकार अहिंसा का सिद्धान्त सपोता था। अहिंसा के नैतिक तत्व ने उन्हें आकृष्ट किया, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि अहिंसा को एक अटल और सर्वदा सत्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रवाद (Nationalism)

जवाहरलाल नेहरू ने देश को सन्तुलित, सयमशोस और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीयता सम्बन्धी उनकी मान्यता समुचित नहीं थी। उनके अनुसार राष्ट्रपुंमि के प्रति भावुकता से भरे सम्बन्ध को राष्ट्रीयता कहते हैं। उन्होंने कहा "हिन्दुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है और उसमें ऐसी बात है जो मुझे स्वभावतः उकसाती है।"¹ राष्ट्रपुंमि के प्रति नेहरू का ध्या अन्धा नहीं था। मानवता के कल्याण में नेहरू भारत के कल्याण का दर्शन करते थे। वे टैंगोर के समन्वयात्मक विश्ववाद और विश्वबन्धुत्व की भावना से प्रभावित थे। उनका विचार था कि राष्ट्रीयता एक परम्परागत शक्ति है जिसे प्रत्येक देशवासी स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तब यह नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावनाएँ उन पर लादी जा रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता देशवासियों को आपस में जोड़े रहती है। राष्ट्रवाद को नेहरू ने भावात्मक बताया और विश्वास प्रकट किया कि विदेशी शासन के दौड़पन राष्ट्रीयता की भावना महत्वपूर्ण हो जाती है तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को गतिशील रखने के लिए शक्तिशाली प्रेरणा का काम करती है। जब किसी देश पर सङ्कट उपस्थित होता है राष्ट्रवाद अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है।

नेहरू को धार्मिक राष्ट्रवाद से सहानुभूति न थी। दयानन्द, विवेकानन्द, पाल और अरविन्द के राष्ट्रवाद सम्बन्धी धार्मिक दृष्टिकोण से वह सहमत नहीं थे।² जिन्ना ने 'मुस्लिम राष्ट्रीयता' के लिए पैरवी की थी और उन्होंने भारत से अलग एक 'मुस्लिम राष्ट्रीयता' की माँग की थी। नेहरू को यह जानकर दुःख हुआ था और तब उन्होंने कहा था कि "यदि राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तो भारत में तमाम राष्ट्र मौजूद हैं। भारत की राष्ट्रीयता न हिन्दू राष्ट्रीयता है, न मुस्लिम वत् यह विशुद्ध भारतीय है।"³ उनके लिए राष्ट्रवाद आत्म-विस्तार का एक रूप था।⁴ उन्हीं के शब्दों में, "राष्ट्रवाद तत्त्वतः अतीत की उपलब्धियों, परम्पराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है और राष्ट्रवाद जितना शक्तिशाली आज है उतना कभी नहीं था। जब कभी संकट आया है, तभी राष्ट्रवादी भावना का उत्थान हुआ है और जनता ने अपनी परम्पराओं से शक्ति तथा सान्त्वना प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। अतीत और राष्ट्र का पुनरावेषण वर्तमान युग की एक आश्चर्यजनक प्रगति है।"⁵

1 जवाहरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की कहानी, पृ. 63

2 विश्वनाथ प्रसाद : वही, पृ. 383.

3 अशोक महाजन : हिन्दुस्तान, दिनांक 14-11-1971 में लेख—“राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि के अग्रदूत नेहरू”।

4 विश्वनाथ प्रसाद : वही, पृ. 383

नेहरू ने राष्ट्रीय आत्म-निर्णय (National Self-determination) के सिद्धान्त पर बल दिया और सामान्यवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संपर्पशील देश में एक स्वयं शक्ति होती है, लेकिन देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद वही राष्ट्रीयता प्रतिक्रियावादी और विकीर्ण बन सकती है, अतः ऐसी सर्वान् राष्ट्रीयता से बचना चाहिए। नेहरू ने राष्ट्रवाद में मानवता का समावेश किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर धर्म, जाति और सस्कृति का सहारा नहीं लेना चाहिए। नेहरू ने मिस्र, मोरक्को, इण्डोनेशिया, अल्जीरिया, बांगो आदि देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों का स्वागत किया। अरब राष्ट्रवाद के अभ्युदय को उन्होंने शुभ लक्षण बताया।

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Internationalism)

नेहरू अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के पोषक थे। उन्होंने अपने देश को ब्रिटेन को और सम्पूर्ण मानव समाज को व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने कांग्रेस को महसूस कराया कि स्वतन्त्रता के लिए भारतीय संघर्ष एक वैश्विक संघर्ष का भाग था तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे सफल बनाया जा सकता था। "विश्व शान्ति और विश्व सम्प्रदाय के विचार में नेहरू का विश्वास था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य-पत्र के प्रति आस्था दिखाई।"¹ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू जी की धारणा थी कि "हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि विदेशी मानते जैसे शब्द अप्रासंगिक हैं। हम एक-दूसरे पर अधिकारिक अवलम्बित होते जा रहे हैं तथा विश्व के दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। सर्वान् राष्ट्रीयता राजनीतिक कड़ता का एक रूप है। उनका विश्वास था कि युद्ध अवश्यम्भावी नहीं है और शान्ति ही व्यावहारिक है इसलिए उन्होंने गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया।" गुटों से अलग रहने की नीति से नेहरू का आशय यह नहीं था कि "एकगिता (Isolation) के मार्ग पर चला जाए। संसार में शान्ति की स्थापना के लिए नेहरू भारत को विश्व के मामलों में सहायक बनाना चाहते थे। अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रोत्साहन के लिए वे हर सम्भव उपाय करने को तत्पर थे।"

नेहरू का हृदय सर्वोदय की भावना से परिपूर्ण था। वे कहा करते थे—हम सबके मित्र हैं और हमारा कोई शत्रु नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीयता में उनकी आस्था से सभी देश अवगत थे। जून 1955 में मास्को विश्वविद्यालय ने उनकी अभिनन्दन करते हुए कहा था कि नेहरू ने राष्ट्रों के मूल अधिकारों की मान्यता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और मिट्टान्तों को रखा की है और वे एशिया तथा विश्व में तनाव को कम करने के लिए सच्चे दिल से प्रयत्नशील रहे हैं। नेहरू को अन्तर्राष्ट्रीयता की प्रेरणा विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गाँधी जैसे महान् व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी। नेहरू ने कहा था—"मेरी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित है और आधुनिक विश्व विज्ञान, व्यापार और यातायात के साधनों के कारण अन्तर्राष्ट्रीयता की नींव पर खड़ा है। कोई भी राष्ट्र विश्व से विमुख नहीं रह सकता।"² नेहरू की मान्यता थी कि अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना एक स्वतन्त्र देश में पनप सकती है किसी मुलाम देश का दिमाग और ताकत आजादी पाने की कोशिश में लगे रहती है। नेहरू महान् अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे अतः उन्होंने राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयतावादी आदर्श का समर्थन किया। नेहरू अन्तर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण व्यवहार में लागू करना चाहते थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के आचरण का एक नया मौलिक सिद्धान्त दिया जो 'पंचशील' के नाम से विख्यात है। इसमें पाँच सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए—(1) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोत्तम सत्ता के लिए पारस्परिक सम्बन्ध, (2) अनाक्रमण (3) एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप, (4) समानता और पारस्परिक लाभ एवं (5) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग।

विश्व के सभी राज्यों ने (अपवाद स्वरूप कुछ राष्ट्रों को छोड़कर) पंचशील के सिद्धान्तों में आस्था प्रकट की। पंचशील द्वारा नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे नैतिक मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते हैं। इस सिद्धान्त द्वारा उन्होंने मैकियावेली राजनीति और शक्ति-राजनीति में अपनी अनास्था प्रकट की और कहा कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम बल प्रयोग की पूरी तरह बहिष्कृत नहीं कर सकते तो उसे न्यूनतम अवश्य कर सकते हैं। पंचशील के सिद्धान्त के मूल में धारणा यह रही है कि राष्ट्र एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और एक-दूसरे के अधिकारों तथा दावों का शान्तिपूर्वक और सच्चाई के साथ मूल्यांकन करें, किन्तु नेहरू शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। नेहरू के आलोचकों का कहना था कि कश्मीर, गोवा, पाकिस्तान तथा तिब्बत के सम्बन्ध में नेहरू का नैतिक और मानवतावादी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद विकृत होकर तुष्टीकरण की नीति में परिवर्तित हो गया। कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में भारत पर पाकिस्तान और चीन के आक्रमण के आधार पर पंचशील सिद्धान्त की व्यावहारिकता को चुनौती दी गई है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज के आणविक युग में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व ऐसा विचित्र है जिससे मानव सभ्यता की रक्षा हो सकती है, परन्तु यदि पंचशील के सिद्धान्त पर ईमानदारी से अमल किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय तनावों में कमी होगी और संघर्ष के कारणों का उन्मूलन किया जा सकेगा।

1. डॉ. राधाकृष्णन : नेहरू, पृ. 9

2. अशोक महाजन : बरी, हिन्दुस्तान टिनाक 14-11-1971.

अन्य राजनीतिक विचार (Other Political Ideas)

जवाहरलाल नेहरू युग दृष्टा एवं कर्म प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने इस देश को स्वाधीनता, समृद्धि, सौहार्द और सुख के दृष्टि में बनाने का प्रयास किया। जवाहरलाल राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वावलम्बन और शैक्षिक विकास को आवश्यक मानते थे। नेहरू देश को लोकतंत्र और समाजवाद की दिशा में देखते रहे। उन्होंने युद्ध का विरोध करते हुए शांति और अमलमत्ता की नीति में अपना गहन विश्वास प्रकट किया। स्वतंत्र भारत में उन्होंने कल्याणकारी राज्य को नींव डाली।

युद्ध, शांति और तटस्थता (असंलग्नता) पर नेहरू के विचार

नेहरू ने युद्ध का विरोध करते हुए विश्व-शांति को मानव-कल्याण का मार्ग बताया। अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में उन्होंने अपने विचारों और कार्य-कलापों से विश्व-शांति की स्थापना की दिशा में प्रभावशाली और सहायनीय कार्य किया। इतिहास में नेहरू को गहरी रूचि थी। उन्होंने उन कारणों की खोज की जो युद्धों को जन्म देते हैं। उनका कहना था कि किसी न किसी कारणवश हर देश, काल और परिस्थिति में युद्ध होते रहे हैं। नेहरू ने युद्ध के कारणों और स्वरूप का जो चित्र खींचा वह संक्षेप में इस प्रकार था—

(1) एक समय मनुष्य की धर्मन्यता युद्ध का झोटा बी। यूरोप में धर्म युद्ध (Crusades) इसके प्रमाण हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण धार्मिक भ्रमना से प्रेरित थे। बहुत से यूरोपीय देशों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक गणतन्त्रियों के बीच जा सघर्ष हुए उनका स्वरूप धार्मिक था।

(2) युद्धों का दूसरा स्वरूप सामन्तवादी था। उदाहरणार्थ, भारत में राजपूत नैराशों के बीच होने वाले युद्ध अपने चरित्र में मुख्यतः सामन्तवादी थे।

(3) प्रत्येक युग में राजनीतिक सत्ता और गौरव के लिए युद्ध होते रहे हैं तथा आज भी ही रहे हैं।

(4) युद्धों का एक स्वरूप राजनीतिक रहा है। उदाहरणार्थ, सिकन्दर महान् की विजय का स्वरूप राजनीतिक था। एथेन्स और स्पार्टा के बीच के युद्ध राजनीतिक थे।

(5) वर्तमान युग में युद्धों का कारण आर्थिक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हैं।

(6) युद्धों का एक कारण राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच उर्ध्वस्थित वैचारिक मतभेद है। इन वैचारिक और शैक्षणिक मतभेदों के फलस्वरूप शीतयुद्ध प्रवृत्त है जो साराष्ट्र युद्ध का रूप ले सकता है।

नेहरू ने युद्ध और शांति के विषय में विचार प्रकट किए, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और असंलग्नता (Non Alignment) की नीति की वकालत की। वे हार्यों के प्रयोग को हर परिस्थिति में टुकाने का उपदेश देते थे लेकिन मध्याह्नकी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने अक्सर पढ़ने पर राष्ट्र का अथवा विदेशों का ब्यासमय अपनी सम्पूर्ण शक्ति से मुकाबला करने में विश्वास प्रकट किया। पाकिस्तानी एवं चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में नेहरू ने दृढ़ता का परिचय दिया। उनकी निष्ठा समस्या के सम्मानपूर्ण और शान्तिपूर्ण समाधान में बनी रही। नेहरू के अनुसार, "हमें अपनी रक्षा करनी है—और स्वयं को संकटकालीन स्थिति के लिए तैयार रखना है। हमें आक्रमण और अन्य प्रकार के अनाचार का सामना करना है। बुलाई के सामने झुकना नष्ट होता है। बुलाई और आक्रमण का प्रतिरोध करते समय हमें शान्ति बनाए रखनी चाहिए और अपने विरोधियों के मामले में मित्रता का हाथ बढ़ाए रखना चाहिए।" नेहरू ने ऐसी शान्ति का उपदेश कभी नहीं दिया जो हमें कर्तव्य से विमुख करती हो। उनका दृष्टिकोण किन्तु व्यावहारिक और सन्तुलित था—उन्होंने 12 जून 1945 को भारत की शान्तिवादी नीति के संदर्भ में कहा था—“हमारी पड़ती नीति यह होनी चाहिए कि हम भोवण अप्रति (द्वितीय महायुद्ध जैसी) को घटित होने से रोके। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति ऐसी स्थिति बनाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम इसे रोकने में समर्थ हो सकें।”

नेहरू और लोकतंत्र

जवाहरलाल नेहरू और लोकतंत्र को विलग नहीं कर सकते। नेहरू ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया अर्थात् आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को लोकतंत्र की परिधि में लिया। उनका कहना था कि नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता देना ही पर्याप्त नहीं है उन्हें अवसरों की समानता दी जानी चाहिए, आर्थिक विषमताओं का अन्त किया जाना चाहिए। सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक असमानताओं से पूर्ण समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। भूखे व्यक्ति के लिए मताधिकार महत्व नहीं रखता। यदि समाज में ऊँच-नीच, धूल-अधूल के भेदभाव हो, दरिद्रों की कतार हो धन का न्यायपूर्ण वितरण न हो, वर्गभेद का प्रसार हो और मुद्दी भर शिक्षित लोग निरक्षर जन-साधारण को अपने पैरों तले दबाए हों तो लोकतंत्र की बात करना निरर्थक है। नेहरू महत्त्वा भीषे की राजनीतिक उन्नाधिकारी थे, वे साधनों की पवित्रता के सिद्धान्त में निष्ठा रखते थे। नेहरू को जनता से प्यार था, जन-सम्पर्क को वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में नेहरू ने अपनी अविरोध यात्राओं और अगणित भाषणों द्वारा जनता से

सम्पर्क स्थापित करने की प्रणाली विकसित की। उन्होंने यह बताया कि शासकों और शासितों के मध्य विच्छिन्न सम्बन्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होता है। नेहरू ने जनता को अनुशासन और भाग्य की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य था कि जनता में उस सामुदायिक भावना को दृढ़ किया जाए जिसे मैकाइवर (MacIver) ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बताया है।

नेहरू लोकतन्त्र को नैतिक मानदण्डों और मान्यताओं की योजना मानते थे। उन्होंने कहा था कि "मेरे विचार में गणतन्त्र का अर्थ सरकार तथा किसी सम-बन्धन सम्मता से अधिक है। यह जीवन के नैतिक मानदण्डों तथा मान्यताओं की राजता है। गणतन्त्र के लिए अनुशासन, तटस्थता तथा पारस्परिक सद्भावना आवश्यक है। अपनी स्वतन्त्रता के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता के प्रति आदर भाव होना आवश्यक है। गणतन्त्र में परिवर्तन पारस्परिक विचार विमर्श तथा सम्प्रति-बुझने से किए जाते हैं, हिंसक तर्कों से नहीं। गणतन्त्र का अर्थ समानता है। "मैं किसी मज-मजानार अथवा धर्म से ऊँचा हुआ नहीं हूँ, किन्तु मैं मानव की नैतिक आध्यात्मिकता में विश्वास करता हूँ—इसको कोई चाहे धर्म कहे, अथवा न कहे, मैं व्यक्ति की सज्ज गरिमा में विश्वास रखता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को सपना अन्तर दिया जाना चाहिए। मुझे ऐसे सम-समाज में पूरा विश्वास है। एक आदर्श के रूप में इस उद्देश्य को पूरा करना ही संभव है, जिसमें भिन्नता न हो, मुझे धर्म-व्यक्तियों की बेहदगी और निर्धनों की दरिद्रता नहीं भाती।"¹

लोकतन्त्रवादी होने के नाते व्यक्ति के महत्त्व में नेहरू का विश्वास था। मानवता के कृडे-कमकट के दौर पर किसी व्यक्ति को नहीं पैक देना चाहिए। उसे महत्वपूर्ण उद्देश्यपूर्ण माना जाना चाहिए और किसी को चाहे वह राज्य हो अथवा सगठन—व्यक्ति को दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उनका मुख्य सिद्धान्त था कि राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए² नेहरू अपने विरोधियों के विचारों के प्रति सहनशीलता और सम्मान की भावना रखते थे। उनकी दृष्टि में हठजिदिया और रुढ़िवादिवा की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए घातक थी। लोकतन्त्र एक गतिशील विद्यमान है और समयानुकूल परिवर्तनों तथा अनन्यता के साथ लोकतन्त्र का क्षेत्र अधिस्तुतिक विकसित होता जाता है। लोकतांत्रिक भावना की माँग है कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण अपनी विचार-विमर्श, वर्क-वितर्क और शान्तिपूर्ण तर्कों से करें। नेहरू समदीय सरकार को अच्छा इमॉनिर समझते थे कि यह समस्याओं को हल करने का शान्तिपूर्ण उपाय है। नेहरू हर काम को लोकतांत्रिक रूप से करने के समर्थक थे। वे समुचित सांविधानिक साधनों द्वारा अपनी नीति मनवाने और निर्णयों में परिवर्तन करने के प्रयत्नों के पक्ष में थे, लेकिन प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) जैसी आन्दोलनत्मक तकनीक उनकी दृष्टि में अलोकतांत्रिक थी। सर्वोद्योगधरद और हिंसात्मक साधनों के प्रति उनका विरोध इतना उग्र था कि उन्होंने ऐसे समय मुसोलिनी और हिटलर से मिलने तक से इनकार कर दिया था जब विश्व के बड़े राजनीतिज्ञ इन तानाशाहों से मिलने में अपना गौरव समझते थे। नेहरू का विश्वास था कि लोकतन्त्र की बुझिया ऐसी नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। यदि उन्कृष्ट नैतिक परिणाम प्राप्त किया जाए तो लोकतन्त्र के सच्चे सफल में संदेह नहीं है।

एकता और धर्म-निरपेक्षता

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास का विवेकपूर्ण विश्लेषण किया था तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपनी पूरु और सामुदायिकता की विष-बेल के कारण भारत अपने गौरव को खो बैठा है। नेहरू का विश्वास था कि एकता के अभाव में देश अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं रख सकता। यदि हम दल, राज्य, भाषा, जाति आदि को महत्त्व देंगे और अपने देश को भूल जाएँगे तो सर्वनाश की अभ्यन्त्रित करेगा। यदि हम राज्य-भाषा और दल को दूर से अधिक महत्त्व देंगे तो यह राष्ट्र का विनाश होगा। नेहरू ने देश के राजनीतिक एकीकरण को अनर्थात मानते हुए देश की मध्यमक एकता पर बल दिया। विविधता को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पारस्परिक बन्धनों में टूटकर अलग अलग शक्ति छो देना मूर्खता है। विविधता में एकता को बनाए रखने में देश और समाज का कल्याण है, जो गतिविधियों लोगों को एक करती है, उनके प्रसार का प्रयत्न किया जाना चाहिए और जो पूरु दानवी है उनका परिष्कार कर देना चाहिए। भारत में अनुशासन और एकता को प्रथम स्थान दिया जाना आवश्यक है।

नेहरू ने देशवासियों को एकता की समस्या का चुनौती से मुकाबला करने का संदेश दिया। उनका कहना था कि देशवासियों की निष्ठा किसी गुट, वर्ग या दल विरोध के प्रति न होकर राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। नेहरू ने राजनीतिक एकीकरण की अपेक्षा भावनात्मक एकीकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि "राजनीतिक एकीकरण कुछ भीया तक हो ही चुका है, किन्तु मैं जो चाहता हूँ वह इससे अधिक है—भारतीयों का भावनात्मक एकीकरण, जिससे हम सब मिलकर सदुक्त हो सकें और एक शक्तिशाली राष्ट्रीय इकाई बन जाएँ।" जवाहरलाल नेहरू ने धर्म-निरपेक्षता के प्रति अपनी निष्ठा रखी।

1. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, वही, पृ. 106-107

2. डॉ. ए.ए. कृष्णन, वही, पृ. 19

उत्तम अभिमत था कि धर्म-निरपेक्षता का मार्ग एकता को सुदृढ़ करने वाला है। धर्म-निरपेक्षता पर विचार व्यक्त करते हुए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा—“भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ धर्म-हीनता नहीं, इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर थाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है। “हम देश में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता को सहन नहीं करेंगे। हम एक ऐसे स्वतंत्र धर्म-निरपेक्ष राज्य का निर्माण कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक धर्म तथा मत की पूरी स्वतंत्रता तथा समान आदर थाव प्राप्त होगा और प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा समान आदर की सुविधा प्राप्त होगी।”

समाजवाद

नेहरू ने समाजवाद की अपनी विचारधारा विकसित की। उनके अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मायने नहीं रखती। 1955 में अनाड़ी कॉम्रेक्स-अधिবেशन में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका समाजवाद किसी साम्यवाद या अन्य देशों के समाजवाद का अनुकरण नहीं है। “समाजवाद का अर्थ धन का वितरण एवं जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण नहीं है। समाजवादी अर्थ व्यवस्था से लोक कल्याणकारी राज्य सम्भव नहीं बन सकता। आवश्यकता है कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाए धन की वृद्धि हो और अर्जित धन का समुचित वितरण किया जाए।” एवं अन्य स्थल पर उन्होंने कहा कि सत्तार का तथा भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद द्वारा सम्भव दिखाई देता है और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, तब भारतीय नाते से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक दृष्टि से करता हूँ, किन्तु समाजवाद आर्थिक सिद्धान्त से महत्वपूर्ण है। यह एक जीवन-दर्शन है इसलिए मुझे जीवता है। मेरी दृष्टि में निर्णित धर्म और धैर्य ही बेरोजगारी, भारतीय जनता का अघपतन तथा दासता को समाप्त करने का मार्ग समाजवाद से सम्भव है।

अपनी समाजवादी अघपतना पर चलते हुए नेहरू ने नियोजित विकास के अन्तर्गत मिश्रित आर्थिकव्यवस्था को प्रथम दिया। तीव्र आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिक विकास को गति दी, वरन् कृषि और भूमि सुधार द्वारा जमींदारों के शोषण से दबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की चेष्टा की। उनका उद्देश्य एक गरीब आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था जो बिना व्यक्तिगत एकाधिकार तथा पूँजी के केन्द्रीकरण के अधिकतम उत्पादन प्रदान कर सके और शहरी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयुक्त सन्तुलन पैदा कर सके। नेहरू ने जीवन, समाज और सरकार के सम्बन्ध में समाजवाद तथा लोकतांत्रिक साधनों को समुक्त किया और ‘मध्यम मार्ग’ अपनाया। उन्होंने लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना में निश्च प्रकट की। नेहरू के समाजवाद में अभावों से पीड़ित जनता के लिए करुणा थी, सभी के लिए समानता की प्रबल कामना थी।

राष्ट्र और ध्वजिन

नेहरू पर गांधीजी का प्रभाव था, लेकिन उनमें गांधीजी के समान अराजकतावाद से कोई सहानुभूति नहीं थी। राज्य को अनिवार्यता पर उम्मा विश्वास था। नेहरू के अनुसार व्यक्ति और समाज के लिए राज्य का अस्तित्व अपरिहार्य है। गांधी स्वतंत्रता की बुराईयों पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य अनिवार्य है। यदि राज्य रूपी संस्था का अस्तित्व न हो तो ये बुराईयें अराजकता में परिणित होकर समूची मानव-सभ्यता एवं जीवन की सुरक्षा को संकट पैदा कर देंगी। राज्य अपनी ये बुराईयें अराजकता में परिणित होकर समूची मानव-सभ्यता एवं जीवन की सुरक्षा को संकट पैदा कर देंगी। राज्य अपनी बाधाकारी सत्ता द्वारा मनुष्य में व्यक्त पूर्ण, स्वार्थपरता, अराजक प्रवृत्ति और हिंसा पर नियन्त्रण लग सकती है। राज्य के बिना घर वसूल्न नहीं होंगे, जमींदारों को उनका लगा नहीं मिलेगा और व्यक्तिगत सम्पत्ति का लोप हो जाएगा। कानून अपनी सशस्त्र सेनाओं को सहायता से दूसरों को व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रयोग करने से रोकता है। राष्ट्रीय राज्य का अस्तित्व आक्रमक और भूभावनक हिंसा पर आधारित है। राज्य के मूल में हिंसा छिपी है, इस तर्क के आधार पर ये राज्य का परित्याग करने को तैयार न थे। नेहरू का विश्वास था कि हिंसा आधुनिक राज्य और सामाजिक व्यवस्था का प्राण है। आधुनिक राज्य अहिंसा अव्यावहारिक है, हिंसा का पूर्णतः परित्याग एक अव्यावहारिक विचार है।

यह दृष्टिकोण उन्हें स्वीकार न था कि राज्य का कार्य बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अव्यवस्था से व्यक्ति तथा समाज की सुरक्षा मात्र है वरन् व्यक्ति और समाज के शोषण का भार राज्य पर है। नेहरू कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त के प्रति निष्ठावान थे। नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के लिए आधुनिक राज्यों को विविध उतरदायित्व और कार्यों का वहन करना चाहिए, राष्ट्रीय धन के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए, व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए सभी आवश्यक और अधिकाधिक कार्य करने चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू ने नागरिकों के अधिकारों एवं राज्य के प्रति नागरिक कर्तव्यों को समान रूप से उच्च रखा, तथा बिना कर्तव्यों के अधिकारों का मूल्य नहीं रह जाता। राज्य और व्यक्ति साथ और साथ दोनों हैं, दोनों के हित और लक्ष्य परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। मौलिक रूप में राज्य और व्यक्ति सम्पूर्ण इकाई हैं। संगठित राज्य और उसके नागरिकों के बीच कोई शर्ष नहीं हो सकता। राज्य सामाजिक रूप से कार्य करने वाला अवयव है। नेहरू ने इसी सरकार की अन्तर्गत और कुशलता का मापदण्ड यही माना कि वह जनता के जीवन-स्तर को कितना ऊँचा उठाती है। इस जीवन-स्तर

में भौतिक वस्तुएँ जीवन के बौद्धिक और नैतिक मूल्य समाविष्ट हैं। जीवन का सर्वांगीण विकास करना एक अच्छे राज्य की कसौटी है, पर इस उद्देश्य में राज्य की सफलता अपने नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता पर निर्भर है, क्योंकि मानव जीवन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान मानव चरित्र पर निर्भर करता है।

मार्क्सवाद-साम्यवाद (Marxism Communism)

विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के अनुसार "नेहरू के मन में मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अथवा उसके विरोध में जो मानविक साम्यवादी मितलती थी उससे जो संवेगात्मक अनुसृष्ट उत्पन्न हो गया था, वह आयु की वृद्धि तथा समय के गण्य हींग हो गया।"

नेहरू द्वितीय महायुद्ध तक मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद के प्रति आकृष्ट रहे, लेकिन महायुद्ध के बाद यह प्रभाव हींग होने लगा और उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। जैसे-जैसे नेहरू की आयु बढ़ी, प्रशासन की जिम्मेदारियाँ आईं और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की विनाशकारी कार्य-प्रणाली प्रकट हुई, उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण साम्यवाद के प्रति जो झुकाव पैदा हो गया था वह कम हो गया, इसलिए परिचय के उतरादीप राजनीतिज्ञ नेहरू को भारत तथा एशिया के अन्य भागों में साम्यवाद की प्रगति के विरुद्ध अवरोध मानने लगे थे। नेहरू के मार्क्सवादी-साम्यवादी चिन्तन पर दो भागों में विचार करना होगा—प्रथम द्वितीय महायुद्ध तक का चिन्तन एवं द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् का चिन्तन।

उनकी कृतियों 'विश्व इतिहास की झलक' एवं 'भारत की खोज' के अध्ययन से नेहरू पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 'नेहरू और मार्क्सवाद' के लेखक राशि भूषा के अनुसार, "मार्क्सवाद में यकीन करने वाली किसी पार्टी का सदस्य न होने के बावजूद नेहरू ने मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार के लिए कार्य किया।" मार्क्सवाद की ऐतिहासिक भूमिका के सम्बन्ध में नेहरू के अनुसार, "यह इतिहास राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव जीवन और मानव उमंगों की व्याख्या करने का तरीका है।" नेहरू को मार्क्स की विश्व तथा इतिहास की धारणा में प्रशंसा मिली। मार्क्सवादी इतिहास दर्शन के वैज्ञानिक, धर्म-विद्या विरोधी विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा अर्थ-विश्वास विरोधी दृष्टिकोण ने उन्हें प्रभावित किया।¹ "नेहरू ने मार्क्सवादी दर्शन के एकान्तक तथा चिन्तन और पदार्थ का अद्वैतत्व, पदार्थ की निरन्तर गतिशीलता, तत्त्वों के पारस्परिक संपर्क एवं सयोगजनक घटनाओं के कारण तथा उनके व्यक्त प्रभाव, क्रिया, प्रतिक्रिया और उनके संपर्क के माध्यम से उनके क्रमिक विकास तथा परिवर्तनों द्वारा समाज में आने वाली क्रान्तियों का मूल्य-कन करके दृढ़तात्मकता के सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की।"²

मार्क्सवादी दर्शन उन्हें पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं कर सका और न उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सका। समाज-व्यवस्था और वर्गों की राजनीति के सम्बन्ध में नेहरू के विचार मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। नेहरू ने मार्क्स के वर्ग-सपर्ष के सिद्धान्त द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो समाज में घटने वाली घटनाओं का मूल्य-कन करता है। जो मार्क्सवाद पर यह लांछन लगाते हैं वह समाज में अराजक पैदा करता है या वर्ग-सपर्ष को जन्म देता है उन्हें नेहरू ने कहा कि "मार्क्स ने वर्ग-सपर्ष का विचार नहीं किया, उसने यह साबित किया है कि वर्ग-सपर्ष तो पहले से मौजूद है और किसी न किसी रूप में सदा चला आ रहा है। नेहरू ने यह मान्यता प्रकट की कि साम्यवाद और पूँजीवाद के बीच जो विश्व व्यापी सन्घर्ष चल रहा है उसी का हिस्सा भारत का स्वयं-चला सन्घर्ष है।

नेहरू अपने जीवन के सम्बन्धित में मार्क्सवाद-साम्यवाद से दूर हो गए। मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व में उनका विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि साम्यवाद में इन मूल्यों का महत्व नहीं है। फलस्वरूप नेहरू गांधीवाद के अधिकाधिक निकट आते गए और मार्क्सवाद-साम्यवाद के प्रभाव से दूर हटते गए। सिंगपुर में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि "एशिया में साम्यवादी आन्दोलन राहुवाद का राहु है। भारतीय स्थिति के स्पर्ध में नेहरू ने वर्ग-सपर्ष के समाजशास्त्र में विश्वास करना छोड़ दिया और गांधीजी की भाँति वे कहने लगे कि वर्ग-सपर्षों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सकता है।"³

आर्थिक स्तर पर कल्याणकारी राज्य (Welfare State on Economic Level)

जन-कल्याणकारी राज्य के प्रति नेहरू की चिन्तन और व्यवहार रैली का चित्र फ्रैंक मॉरेस (Frank Morriase) ने अपनी पुस्तक 'जवाहरलाल नेहरू जीवनी' में किया है।⁴ नेहरू आर्थिक स्तर पर भारत को जन-कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील थे। समाजवादी का कल्याणकारी राज्य वर्णों से, नेहरू का भारत के लिए आदर्श रहा, उनकी यह धारणा थी कि यह जोर-जबरदस्ती से नहीं, सहमति और विचारों से मुक्त अदान-प्रदान से स्थापना जाना चाहिए।

1. राशि भूषा, नेहरू और मार्क्सवाद, पृ. 28.
2. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, वही, पृ. 331.
3. राशि भूषा, नेहरू और मार्क्सवाद, पृ. 92.
4. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, वही, पृ. 382.
5. फ्रैंक मॉरेस, वही, पृ. 386-396.

नेहरू चाहते थे कि इसके लिए जनता में राजनात्मक कार्यों के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा करना होगा, नियोजित होगा और यह भावना पैदा करनी होगी कि योजना उनके लिए और उनके द्वारा है। पंचवर्षीय योजनाओं को नेहरू की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सावधानी से पालन किया।

नेहरू भारत को जन-कल्याणकारी राज्य बनाने में औद्योगीकरण को महत्वपूर्ण मानते थे। वे औद्योगीकरण की बुझियों के प्रति सजग थे। नेहरू की दृष्टि में भारत की समस्या थी—पूँजी का अभाव और श्रमिकों का यादुरूप्य। उनका कहना था कि उस जन-शक्ति का जो उत्पादन नहीं कर रहा है उपयोग किया जाए। मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो, बहोतों से श्रमिकों को काम में लगाने के उपयोग में लाएँ, न कि बेकारी पैदा करने के। नेहरू ने देश में ध्यान अनुचित आम-सन्तोष को उचित नहीं माना।

देश को आर्थिक स्तर पर जन-कल्याणकारी रूप देने में नेहरू ने सामुदायिक योजना को महत्व दिया। सामुदायिक विकास का गौरी का कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1952 को आरम्भ किया गया। किसानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आज जो काम बड़ा आरम्भ हुआ है, यह एक क्रान्ति का प्रतिकूल है। यह अव्यवस्था पर आधारित क्रान्ति नहीं है अर्थात् गौरी दूर करने के प्रयत्न पर आधारित है। यह भावनों का अवसर नहीं है। हमें भारत को अपनी मेहत से महान् बनाना है।" "सुधरे हुए स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा और समाज सेवा के बड़ते हुए भाव से भारत नवजीवन और विस्तृत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।" नेहरू की कल्याणकारी भावना में 'गौरी' और 'पिछड़ेपन' का स्थान न था।

राम मनोहर लोहिया

(Ram Manohar Lohiya, 1910-1967)

"लोहिया गौधीयों के सत्याग्रह और अहिंसा के अछूट समर्थक थे; लेकिन गौधीवाद को अमूर्त दर्शन मानते थे वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकान्त मानते थे, वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना देखते थे, वे आधुनिकतावादी आधुनिक थे, लेकिन सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे वे विद्रोही और क्रान्तिकारी थे, लेकिन शान्ति और अहिंसा के अमूर्त सहायक थे।"¹

जीवन-परिचय (Life-Sketch)

डॉ. राममनोहर लोहिया (1910-1967) स्वाधीनता संग्राम के सेनानी और भारत में समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी उदाहरण थे। वे समाजवादी विचारों के 'उग्र-प्रचारक' (Fierce Propagandist) माने जाते थे पर मार्क्स को पिछलगा बनने की बजाय वे गौधीवादी समाजवाद के समर्थक थे। 1952 में वे काँग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन (Asian Socialist Conference) सम्पन्न हुआ। 1953 में लोहिया ने 'इक्विटीस्टेन्ट थ्योरी' (Equidistant Theory) नामक पुस्तक लिखी और समाजवादियों को काँग्रेस तथा साम्यवादियों से दूर रहने का पामार्श दिया। जून 1953 में बैतूल अधिवेशन में डॉ. लोहिया ने अपने सहयोगियों से काँग्रेस-सहयोगी नीति की आलोचना की। जब प्रजा समाजवादी दल काँग्रेस के प्रति मैत्री एवं समझौतावादी रुढ़ अपनाता रहा तो लोहिया ने 1955 में नए समाजवादी दल का निर्माण कर लिया जिसका नाम 'भारतीय समाजवादी दल' रखा गया। वे संयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष बने। लोहिया ने भारत की परराष्ट्र नीति की आलोचना की। नेहरू को गुट-निरपेक्षता की नीति पर प्रहार करते हुए उन्होंने माँग की कि भारत को विदेशों में मित्रों को खोज करने चाहिए। डॉ. लोहिया का व्यक्तिगत विवादास्पद रहा। उन पर मार्क्स और गौधी दोनों का प्रभाव रहा, लेकिन न वे पुरे मार्क्सवादी ही बने और न पुरे गौधीवादी ही। वे 'समन्वयवादी विचारधारा' (Synthetic Ideology) के समर्थक थे और चाहते थे कि मार्क्सवाद या गौधीवाद का अन्वयानुकरण न करके उनके सिद्धान्तों की अनुस्यूत बातों को सीखा जाए। राजनीतिक और सामाजिक विचार

डॉ. लोहिया ने इतिहास को 'चक्र' के रूप में व्याख्या की। उन्होंने कहा कि इतिहास अपने निश्चित चक्र के अनुसार घूमता रहता है। इस चक्र में पुनरावृत्ति होती रहती है। लोहिया का विचार विख्यात यूनानी दार्शनिक अरस्तू के 'चक्र सिद्धान्त' (Cyclical Theory) का स्मरण दिलाता है। इतिहास सरल रेखा की भाँति आगे नहीं बढ़ता, बल्कि चक्रवत् गति से प्रभावित होता है। 'समय चक्र' के दौरान एक देश जो उन्नति के चरम शिखर पर है वह पतन के गर्त में गिर सकता है और पतन के गर्त में गिरा हुआ देश उन्नति करने लगे। डॉ. लोहिया की ऐतिहासिक धारणा 'ऐतिहासिक विकास' की धारणा से भिन्न थी।² लोहिया ने मार्क्स की द्रव्यवादी भौतिकवाद की धारणा को स्वीकार किया, किन्तु परम्परावादी मार्क्सवादियों को तुलना में उन्होंने चेतना पर जोर दिया। "लोहिया ऐसे सिद्धान्त की रचना के पक्ष में थे जिनके अन्तर्गत आत्म-अथवा सामान्य उद्देश्यों तथा द्रव्य अथवा आर्थिक उद्देश्यों का परस्पर सम्बन्ध हो कि दोनों का स्वाभाविक अस्तित्व

1 आँकार शाह, लोहिया के विचार, पृ. 10.

2 Ram Manohar Lohiya, *The Wheel of History*, p. 13-51

कायम रह सके।¹ लोहिया ने अपनी पुस्तक 'इतिहास चक्र' (The Wheel of History) में बताया कि इतिहास में जाति और वर्गों का संघर्ष दिखाई देता है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है जबकि वर्गों की आन्तरिक रचना शिथिल होती है और इन दोनों के बीच आन्तरिक क्रिया होती रहती है और वर्ग और जाति के बीच की आन्तरिक हलचल इतिहास को गति देती है। जातियों में गतिहीनता और निरूपण पाई जाती है। जातियों की शक्तिशाली शक्तियों का प्रतिशिथिल चरती है। वर्ग सामाजिक गतिशीलता की शक्तियों के साथ जातियाँ शिथिल होकर वर्गों में परिणत हो जाती हैं और वर्ग परिणत होकर जातियों में बदल जाते हैं।

लोहिया ने गांधीवाद और मार्क्सवाद के सिद्धान्तों की मिलाकर भारतीय समाजवाद का निर्माण करना चाहा। उन्हें पारंपरिक समाजवाद का अनुकरण अधिक नहीं था। उन्होंने मौलिक चिन्तन तथा एशियायी समाजवादियों की पहल पर जोर दिया। प्राचीन समाजवाद को लोहिया ने मृत सिद्धान्त और 'कल की बात' कहा तथा उसके स्थान पर कम्युनिज्म समाजवाद को बकायत को। लोहिया के अनुसार समाजवाद के तीन मुख्य तत्व थे—सभी उद्योगों, बैंकों तथा बांग्ला देशियों का राष्ट्रीयकरण, समूचे संसार में जीवन-स्तर का सुधार तथा एक विश्व संसद की स्थापना। यह समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में था। लोहिया का विश्वास था कि यह समाजवाद सहकारी क्रम और आम सरकार के माध्यम से व्यावहारिक रूप ग्रहण कर सकता था।² 1952 में कॉमिस समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में लोहिया ने गांधीजी के विचारों को समाजवादी चिन्तन में अधिक स्थान देने की बात कही। उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि साम्यवादियों की तरह बड़े कारखाने न लगा कर, नपु मशीनों को महत्व दिया जाए ताकि छोटी लागत लगाकर अधिकधिक मनुष्यों को कार्य मिल सके। अपने समाजवादी सहयोगियों—जयप्रकाश नारायण, अरुण मेहता आदि से उनके नीति-विषयक मतभेद बने रहे। उन्होंने कॉमिस और समाजवादियों के बीच मैत्री की समझौतावादी नीति को अप्रसन्न नहीं माना। जून 1953 में अरुण मेहता ने यह विचार गृहस्था प्रस्तुत की कि 'पिछड़े हुए अर्थव्यवस्था' को क्या 'अनिवार्य मजबूरियों' है? इसमें उन्होंने यह स्पष्टित करने का प्रयत्न किया कि कॉमिस की विचारधारा समाजवादी विचारधारा के निकटतम आती जा रही है। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि ऐसी परिस्थिति में कॉमिस और प्रजा समाजवादी दल में सैद्धान्तिक मैत्री हो जानी चाहिए, लेकिन इसके जवाब में डॉ. रंगहिदा ने अपना 'समानान्तर सिद्धान्त' (Equidistant Theory) रखा और यह मुक्ति प्रस्तुत की कि समाजवादी आज कॉमिस से उल्टे हो दूर हैं बिना साम्यवादियों से और ये समानान्तर रेखाएँ अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों के कारण कभी मिल नहीं सकतीं। लोहिया ने यह पसन्द नहीं किया कि प्रजा समाजवादी दल कॉमिस से मित्रता करे और यह भी नीति-विषयक मुद्दों पर।³

अप्रैल 1966 में कोटा में संयुक्त समाजवादी दल ने अपने अधिवेशन में कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार किया और डॉ. लोहिया के निर्देशों के अधीन राजनीतिक कार्यक्रम तय किया। डॉ. लोहिया ने दल को 7 प्रस्तावों को पारित करने की सलाह दी। उनमें मत था कि इन प्रस्तावों को ध्यानीय करने पर समाजवाद के सार्वभौम सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता था—1. स्त्री-पुरुष समानता की स्वीकृति, 2. रंग-भेद पर आधारित असमानताओं की समाप्ति, 3. न्याय और जाति-सम्बन्धी असमानताओं की समाप्ति, 4. विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति और विश्व सरकार का निर्माण, 5. व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित आर्थिक असमानता का विरोध एवं उत्पादन की योजनाबद्ध वृद्धि, 6. व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध एवं 7. युद्ध शस्त्रों का विरोध तथा सन्तान अन्वेषण के सिद्धान्त की स्वीकृति।

डॉ. लोहिया समाजवादी आन्दोलन के कर्तृ-स्तम्भ थे। उन्होंने भारत की अतन्त्रता की दृष्टि से सौचा था। समाजवादी नेताओं में जयप्रकाश नारायण और डॉ. नरेन्द्रदेव पर जहाँ मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव रहा वहाँ लोहिया पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव अधिक था। लोहिया समाजवादी धारा के गरम प्रवक्ता थे जिनके भाषण-आँकड़ों और आलोचना में भरे रहते थे। लोहिया की विशेषता थी कि "उन्होंने समाजवादी चिन्तन की संस्थाओं को एशियायी दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। वे कभी पंचवटी नहीं गे। उन्होंने कर्म तथा चिन्तन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत विकास की समस्या को सदैव ध्यान में रखा। वे चाहते थे कि मनुष्य के जीवन और स्वभाव की अधिकांशता हो। वे इस पक्ष में नहीं थे कि व्यक्तिगत के विरिष्ट पालू की एकांगी और सीमित वृद्धि हो।"⁴

1. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा; वही, पृ. 447.

2. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा; वही, पृ. 447.

3. लेखकन समीक्षा (जनवरी-मार्च, 1972) उपपत्र गुज का लेख : राष्ट्रीय समाजवादी दल के बदलते अर्थ पृ. 124.

4. वही, पृ. 123.

5. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा; वही, पृ. 443.

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप एवं रणनीति (Nature & Strategy of Indian Freedom Struggle)

राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का पर्याय है। "जब किसी राष्ट्र के नागरिक स्वयं, मेरापुत्र, छान पान, रान-गहन भाषा, साहित्य, मन्त्र, मान्यताओं, जाति समूह और धर्म आदि के अन्तर्गत होते हुए भी सभी को एक समझते हैं और राष्ट्रिय के समर्थ अपने धर्मगत एवं सामूहिक हितों का परित्याग करते हैं यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है।" समाज विज्ञानी ब्रुबेचेज (Brubachets) के अनुसार "साधारण रूप में राष्ट्रीयता देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक श्रेय की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्वयं, जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं के सम्बन्ध प्रदर्शित होते हैं।" 1961 में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की रिपोर्ट (National Integration Conference Report, 1961) के अनुसार "राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के हृदयों में एकता, संगठन, सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रतिक्रिया एवं भावना का विकास किया जाता है।" डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार "राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है, जिसमें साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का यथिष्ठ सम्बन्ध है।"

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 1857 की क्रांति के समय से माना जाता है। 1857 का व्यापक सैनिक विद्रोह अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसे निर्भयता से कुचल दिया गया और सिरियों ने कठोर नियम बन्दूक लागू किये। बामसर, गैरट और मैलेसन द्वारा लिखित कुछ अशर अंग्रेजी दमन नीति को स्पष्ट करते हैं— "हर एक हिन्दुस्तानी जो अंग्रेजों की तरफ से नहीं सड़ रहा था उसे हत्या माना जाए। दिल्ली निवासियों का कर्त्तव्य आत्म हत्या जाए।" ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में गवर्नर जनरल की तत्कालीन दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, "गर्क-गर्व में आग लगाकर लोगों को मार डालना गया। पत्तों देने वाले दल जिलों में गये। पत्तों देने वाले लोग शौकिया थे जिन्होंने कलात्मक ढंग से लोगों को मारा। कई जान लेने के ढंग आविष्कृत किये गये। और सायबर की पुस्तक 'स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध' पर प्रतिक्रिया लगा दिया गया। इससे सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयता की धूम मच गई और जनक्रान्ति की बल मिला।" अंग्रेजी शासकों ने क्रांति के बाद शासन व्यवस्था में सुधार किए और शासन के कार्यों में भारतीयों का सहयोग लेना आरम्भ किया लेकिन सुधारों की गति धीमी थी। कई स्वयंसेवी राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों का सूत्रपात हुआ। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों की स्थापना में अहम भूमिका हलबर्ट बिल की रही। इसके अनुसार भारतीय व्यापारियों को भी यूरोपीय अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया। हेनरी कॉटन के अनुसार, यूरोपियन ड्राग इस न्याय संगत बानून का विरोध करने पर भारतीयों को राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के निर्माण को आवश्यकता महसूस हुई जिसके माध्यम से वे अपनी आवाज सरकार तक पहुँचा सके। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सन् 1883 के अन्तिम माह में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें अखिल भारतीय संगठन को मूर्त रूप देने की अनुशासा की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने भारतीयों को योजना का अनुमोदन किया। डफरिन के बंधनों से आरंभ होकर सर ए. ओ. ह्यूम ने कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों एवं पचास शिक्षित नवयुवकों से स्वातंत्र्य हितार्थ अपील की, फलस्वरूप 28 दिसम्बर, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय

1 V D Savarkar First War of Freedom p 89
2 डॉ. सुधाकर कश्यप - सवैधानिक विकास और स्वतंत्रता संघर्ष पृ. 45

धर्म सुधारक, विचारक एवं सत्यप्रिय व्यक्तित्व—राजा राममोहन राय सर्वधर्म प्रिय एवं सत्यनिष्ठ विचारक थे। उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों का अध्ययन एवं चिन्तन किया। उन्होंने एकेश्वरवाद, पण्य कर्मों से दूर रहने एवं सच्चे, शुद्ध जीवन पर बल दिया। बहल समाज में परमेश्वर की उपासना का ढंग सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए उगपुक्त था। जप, माला और अङ्गुष्ठ रहित जीवन को अपनाकर राजा राममोहन राय ने उत्कृष्ट जीवन बतलाया।

बहुर समाज सुधारक एवं अन्याय विरोधी—राजा राममोहन राय समाज सुधारक थे। सती प्रथा को अमानवीय सम्प्रदाय के तार देते हुए उन्होंने इसके विरुद्ध आन्दोलन चलाया। अतिवादी एवं कट्टर धार्मिकों ने उनका विरोध किया। उनके आग्रह को मानते हुए तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिन ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। जूरी एक्ट 1827 के अनुसार ईसाईयों के मुकदमों के दौरान कोई मुस्लिम या हिन्दू जूरी का सदस्य नहीं बन सकेगा जबकि हिन्दू मुस्लिमों के मुकदमों की सुनवाई के दौरान ईसाई जूरी के सदस्य बन सकते थे। इस कानून का राजा राममोहन राय ने विरोध किया एवं ब्रिटिश सरकार को इसके खिलाफ ज्ञापन भेजा। सेना के भारतीयकरण को भी गंगा राजमोहन राय ने ब्रिटिश शासकों के समक्ष रखा।

आधुनिक युग प्रणेता—तब राजा राममोहन राय आधुनिक युग प्रणेता हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अनुभाषा "राजा राममोहन राय ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। वे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता और राष्ट्र के अमृत हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के द्वारा राजनीतिक जागृति के लिए मार्ग तैयार किया है।"¹

भारतीय राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883)

भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक सांस्कृतिक महानिष्ठा में विश्वास पैदा कर पुनर्जागरण करने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। मूलशर्कर के नाम से पहचाने जाने वाले बौद्धिक व्यक्तित्व का जन्म 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ (सौराष्ट्र) के धौली जगद के टवारा ग्राम में हुआ। उन्होंने मानसिक परतन्त्रता से भारतीयों को मुक्त कराने के लिए हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाकर भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में दूरदर्शी और प्रेरणास्पद कदम उठाया। स्वामी दयानन्द के शब्दों में—“जिस देश में एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व नहीं मिलेगा उसकी एकता लड़खड़ाती रहेगी।” स्वामीजी ने नारी प्रतिष्ठा, शूद्रों के सम्मान, हिन्दू धर्म और बहूपर्य के पालन पर जोर दिया। वेदों पर अदृष्ट श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले स्वामीजी जो यति पूजा के विरोधी थे। वे वेदों के आदेशों पर चलते थे एवं वैदिक मंत्रों से नियमित संध्या एवं हवन करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य सर्वथा सत्य का प्रचार, एकता और समस्त भारतीयों को प्रेमय बनाना था। वे ऐसी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे समाज में कोई प्राणी जीवनपर्यन्त दुःखी न हो।

स्वामीजी स्वराज्य के समर्थक थे। उनका कहना था, “स्वराज्य से अच्छा सुराज्य कभी नहीं हो सकता।” स्वदेशी वस्तुओं और वेशभूषा के समर्थक थे। वे कहते थे—“जब अंग्रेजों ने भारत आकर तुम्हारी वेशभूषा नहीं अपनाया तो तुम्हें अपने देश में ही अपनी वेशभूषा को छोड़ने की क्या आवश्यकता है।” स्वामीजी का विचार था, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से पराधीनता एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत होता है। उन्होंने वेदों का हिंदी में भाष्य किया और शास्त्रार्थ द्वारा ईसाई धर्म का हिन्दू धर्म पर आक्रमण से रक्षा की। उनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश राष्ट्रवाद के लिए बरदान साबित हुई। स्वामी दयानन्द सरस्वती राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नहीं किया था, आ लेखन में कोई बनावट नहीं थी। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित लेखों में उनके द्वारा देश की पराधीनतावश हुई दुर्दशा को पढ़कर पाठक पाबुक्त हो जाते थे। 7 अप्रैल 1875 को मुम्बई में स्वामीजी ने आर्य समाज की स्थापना की। 30 अक्टूबर, 1883 को उनका निधन दूध में डूब पिलाने से हो गया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अवसान के बाद उनके अनुयायियों ने राष्ट्रवाद की उन्नति का क्रम अचरित रखा। लाला लाजपतदाय, स्वामी ब्रह्मानन्द, सरदार भगतसिंह, लाला हरदयाल और भाई परमानन्द आर्य समाज के समर्थक थे। राष्ट्रीयता के क्षेत्र में आर्य समाज के समर्थकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया।

भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान और व्यावहारिक धर्म का प्रचार रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानन्द

स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। काशी देवी क उपासक रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने धार्मिक एवं राष्ट्रीय उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रामकृष्ण

परमहंस का मानना था कि पारशक्त्य सस्कृत से भारतीय सस्कृत श्रेष्ठ है, क्योंकि पारशक्त्य सस्कृति भौतिक है जबकि भारतीय सस्कृति आध्यात्मिक है। वे सभी धर्मों को समाहित धर्मों का अंश मानते थे। रामकृष्ण परमहंस के उद्देश से चन्द्रसेन जैसे विद्वान् एवं नोद्रे जैसे नास्तिक ईश्वर के अनन्य भक्त बन गये। एक सन्त के शब्दों में, "आर्य समाज और धियोसोफिकल सोसायटी को कभी रामकृष्ण परमहंस ने पूरे को। उन्होंने धर्म की व्यावहारिक बनाकर धार्मिक और सांस्कृतिक जगृति उत्पन्न की।" उनका स्वर्गवास 15 अगस्त, 1886 को हुआ। उनके देहावसान के बाद नोद्रे जो विवेकानन्द बने, ने सन् 1886 में रामकृष्ण मिरान की स्थापना की। रामकृष्ण मिरान का स्थापना के पीछे विवेकानन्द का उद्देश्य राष्ट्रवाद के उत्थान के साथ वेदान्त और व्यावहारिक धर्म का प्रचार देश-विदेश में करना था। विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिरान का मुख्य कार्यलय कोलकाता के बेल्लोर में तथा बंगाली एवं अन्नमोहा में मठ स्थापित किए। रामकृष्ण मिरान की शाखाएँ म्यामार, मलाया, अमेरिका, क्राँलका तथा यूरोप में स्थापित की गईं।

विश्व धर्म सम्मेलन शिवागो में—स्वामी विवेकानन्द ने भारतवर्ष में पैदा हुए भ्रमन का आध्यात्मिक उद्देश्य दिए। 1893 में स्वामी विवेकानन्द विश्व धर्म सम्मेलन में शिवागो में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। स्वामी विवेकानन्द ने समाजता के नाते जब सम्मेलन में उपस्थित लोगों को भाई-बहन कहकर पुकारा तो सब स्तब्धित हो गये। विवेकानन्द ने स्पष्ट किया कि भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु है और रहेगा। उनकी पर्यु एवं अध्यात्म अनेके भाषा में कम न थी। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में कहा, "जब तुम हिन्दू धर्म के बारे में नहीं जानते तो हांग कंगू के बारे में फैसला कैसे कर सकते हो?" शिवागो सम्मेलन की विद्वान् शक्तों के उत्कृष्टतम अध्यक्ष स्वामी विवेकानन्द ने भारत का आह्वान किया था—"गर्व से जागो कि हम भारतवासी हैं, और प्रत्येक भारतवासी मेरे भाई है भारतवासी मेरे प्रण है, भारत के देवी-देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का रामाज मेरे बचपन का इन्ना मेरी जयन्ती की फुलवारी, मेरा पवित्र स्वर्ग और मेरे बुढ़ने का कारी है। भाई जाने कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च है, भारत का कल्याण में मेरा कल्याण है।"

भारतीय राष्ट्रवाद का नूतन अध्याय धियोसोफिकल सोसायटी एवं एनी बीसेन्ट

1875 में कमी महिला मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल अलबर्ट ने स्वयंसेवकों में धियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना की। वे स्वामी दयानन्द सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आये थे। उन्होंने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। बटपि आर्य समाज एवं स्वामी दयानन्द ने "स्वधर्मो रक्षणे श्रेय" पर बल दिया, तथापि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने उनके तर्कों का नहीं माना और उनकी क्षतिपूर्ति का कार्य धियोसोफिकल सोसायटी ने पूरा किया। राष्ट्रवाद पर जोर देने एवं पाठशालों के बहाने में न आने के लिए मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल अलबर्ट ने पुरजोर प्रयास किया। मिमेज एनी बीसेन्ट इस सोसायटी की प्रमुख कार्यकर्त्री बन गयी।

एनी बीसेन्ट—एनीबीसेन्ट मूलतः आपस्तम्ब की रहने वाली थी। वे 1893 में भारत में धियोसोफिकल सोसायटी की सदस्या बनकर आई थीं। वे इस सोसायटी की अध्यक्ष बन गईं। वेद व्यवस्था वर्ण व्यवस्था एवं टांगियों में उनकी आस्था थी। उनके अनुसार हिन्दू सस्कृति पारशक्त्य सस्कृति से श्रेष्ठ थी। मिसेन्ट एनी बीसेन्ट ने सेन्ट्रल हिन्दू हाईस्कूल एवं कॉलेज की बाणगसी में स्थापना की। उनका विश्वास मुर्तिपूजा में था एवं वे बाल्य-विवह सही प्रथा के विरुद्ध थीं। इण्डियन होमरूल आन्दोलन को चलाने का श्रेय उनकी की जाता है। इण्डियन नेशनल काँग्रेस में उनकी उत्प्रेरणा भी भूमिका रही। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में उन्हें अध्यक्ष चुना गया।

भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण

भारत में पारशक्त्य सम्पर्क और ब्रिटिश राज्य के विस्तार पारशक्त्य शिक्षा के प्रारम्भ एवं विप्लव के उत्पन्नकरण भारतीय राष्ट्रवाद को अप्रतुर्ण दिशा मिली, परिणामस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रारम्भिक काल में पारशक्त्य सम्पर्क हानिकारक सिद्ध हुआ, परन्तु भारतीयों के मानसिक क्षितिज के विकास के साथ परिवर्तित परिस्थितियों की परिणति एक नये दृष्टिकोण को लेकर हुई। पारशक्त्य सम्पर्क और पारशक्त्य शिक्षा ने भारतीयों के जीवन में शैक्षिक एवं राजनीतिक परिवेश की नींव डाली। भारतीय विद्वानों, विचारकों एवं सुधारकों ने भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति के प्राचीन स्वरूप का समन्वय पारशक्त्य सस्कृति से कर उसे सञ्चलन अयाम बनाया। विदेशी शासकों ने भारतीय अन्दोलन के गौरव की उत्कृष्टता को क्षीण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी ओर पारशक्त्य राजनीतिक सम्प्रदायों, पारशक्त्य चिन्तन ने भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक स्वरूप एवं सामाजिक मूल्यों पर क्रान्तिकारी छान छोड़ी। पारशक्त्य बुद्धिवाद, उदारवाद तथा पुनर्जागरण की लहरों से भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिन्तन प्रभावित हुआ। भारत में नवीन उत्थान के अग्रनिष्ठ कारण थे—

1. पारश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव—अंग्रेजों के सम्पर्क से भारत में पारश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रसार हुआ। सॉर्ट पैकाले ने सॉर्ट विस्विपम बैंडिक के काल में अंग्रेजी सरकार से अप्रार्थ किया कि "भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार जैसी लोकतन्त्रीय शासन प्रवृत्ति की भाँगी बनें।" 1813 में चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीयों में शैक्षणिक प्रचार-प्रसार के लिए एक लाख रुपये खर्च करना तय किया गया। 1833 में सॉर्ट पैकाले ने कहा था, "अंग्रेजी इतिहास में वह गर्व का दिन होगा जब पारश्चात्य ज्ञान में शिक्षित होकर भारतीय पारश्चात्य संस्थाओं की भाँगी बनें।"¹

2. समाचार-पत्र और साहित्य—भारतीय राष्ट्रवाद के उदय, विकास और प्रसार के मूल में अंग्रेजी एवं भारतीय प्रेस की उत्पत्ति-युगीन भूमिका रही। समाचार-पत्रों ने विदेश नीति के विवादों, अन्तर्देशीय विवादात्मक विचारों और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। राजनीतिक संगठनों, नेताओं ने समाचार-पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद पैदा किया। शारदिक अवस्था में प्रेस अंग्रेजी समाचार-पत्र विकासशील थी, लेकिन कालान्तर में विभिन्न भाषी समाचार-पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दमनीय नीति की आलोचना की गई तो अंग्रेज सरकार ने 1879 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार-पत्रों की अधिकाधिक स्वातंत्र्यता पर रोक लगा दी। उस समय हिन्दू पेट्रियोट, हिन्दू मिर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, नवशक्ति तथा सत्या नामक पत्र प्रमुख थे। साहित्य की भूमिका राष्ट्रवाद के उदय में कम नहीं रही। बंकिमचन्द्र चटर्जी के आनन्दमठ, उनके गीत 'वन्दे मातरम्', रवीन्द्रनाथ टैगोर के 'जा गण मन' एवं मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' नामक पुस्तक ने भारतीय राष्ट्रवाद को जाग्रत करने में समर्पित भूमिका का निर्वहन किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटक 'भारत दुर्दशा' ने भारतीयों की दमनीय दशा को प्रस्तुत किया। दादाभाई नौरोजी, रीनबन्धु मिश्रा, लोकमान्य तिलक के साहित्य ने उत्साह एवं राष्ट्रवाद की भावना से पूर्ण कर दिया, फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

3. सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन—18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन हुए। जिन्होंने राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, धर्मोत्थान संघागरी एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की महानता, आध्यात्मवाद के साथ राष्ट्रवाद की प्रोत्साहित करने में सफल हो सके। राजा राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, पी. सी. सरकार, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यादगिरियों द्वारा फैलाये जा रहे दुष्प्रचार से बचने, हिन्दुत्व को अपनाने, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर विश्वास करने, कुरीतियों को त्यागने एवं भारत की महानता प्रचारित कर देशवासियों में स्वाधिन्यम एवं राष्ट्रवाद की लहर जाग्रत की। भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति जनता में विश्वास पैदा किया।

4. यातायात के आधुनिक साधन—अंग्रेजों के अपने व्यापारिक हितों के विकास, भारत के प्रशासन पर अपना नियंत्रण मजबूत करने एवं अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठाने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासकों ने रेलमार्ग, सड़कें एवं संचार व्यवस्था का निर्माण किया, परन्तु ये साधन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को परस्पर निकट लाने में उपयुक्त साबित हुए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन संचालित करना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यातायात के साधनों के विकास ने भारतीयों को सामाजिक रूप से संचालित किया। रेल, सड़क आदि साधनों के सुलभ होने पर राष्ट्रवाद की लहरें सम्पूर्ण देश में जोड़े समय में फैल गई।

5. आर्थिक शोषण—ब्रिटिश उद्योग एवं व्यापार ने आवश्यकतानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। उन्होंने भारत को ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादों की खपत के लिए उचित सप्लाई और उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त के लिए भारत का शोषण किया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर लेकर इंग्लैण्ड भेज देते और उसके द्वारा निर्मित माल का भारत से अत्यधिक महत्त्व जाता था। फलस्वरूप भारतीय उद्योग-धन्धे चौपट हो गए और अंग्रेजों का व्यवसाय उन्नति की ओर अग्रसर हो गया। यथा—विदेशों में भारत की ढाँका की महत्त्व विवर प्रसिद्ध थी, लेकिन अंग्रेजों ने लिदापुल और संकाशापर के कपड़ा उद्योगों की उन्नति के लिए इस उद्योग को नष्ट कर दिया। उस दौरा इंग्लैण्ड में स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त प्रचलित था और 1877 में अयात शुल्क हटा लिया। इससे भारत में विदेशी कपड़े की बिक्री होने लगी। परिणामस्वरूप भारत का कपड़ा उद्योग बन्द हो गया।

6. भारत के उद्योग, व्यापार एवं कृषि का विनाश—भारतीय व्यापार को इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति ने तबाह कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की दमनीय दशा का प्रभाव 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रदर्शित हुआ। मार्क्स ने विवरण देते हुए, इस दुर्दशा को स्पष्ट किया था, "सन् 1780 से 1850 के बीच भारत में ब्रिटेन से आये माल की कुल कीमत 386152 से बढ़कर 80,24,000 पौण्ड हो गई। 1850 में ब्रिटेन का कुली कपड़ा उद्योग का जो माल विदेशों में निर्यात किया जाता था उसका चौथा हिस्सा भारत में पहुँचता था। ब्रिटेन की जनसंख्या का आठवाँ हिस्सा इस उद्योग में लगा

हुआ था और इस उद्योग से ब्रिटेन की कुल आय का बारहवाँ हिस्सा मिलता था।¹ 1818 से 1836 के बीच ब्रिटन ने भारत को चाय का निर्यात किया उसका अनुपात में वृद्धि 1 5200 का। 1824 में ब्रिटेन ने भारत का 60 00 000 गज मलमल बना था, लेकिन 1836 में 6 40 00 000 गज मलमल का निर्यात किया था। मलमल के लिए प्रसिद्ध बांबा का आबादा 1,50 000 से घटकर 20 000 हो गई। एशिया में अपूर्वपूर्व खनिज हुई जिससे भारताय साम्राज्य का पुनः क रूप में पहचाने जान वाले करण और पाख का अस्तित्व समाप्त हो गया। गाँवों का अर्थिक जीवन को असंतुलित एवं अर्थव्यवस्था नष्ट कर दिया गया। कृषि पर अत्यधिक संपन्न लिया गया और विचार के लिए असहयोग का मूख अपनाया गया जिससे कृषि के क्षेत्र का विकास अवरोधक हो गया। कर में प्रायः होने वाला राजी का 0.8 प्रतिशत का न्यूनतम धन सांख्यिक निर्माण पर व्यय किया गया।

7 लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति—लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति ने राष्ट्रीय चेतना को बर्बाद किया। उनका शासन काल 1876-81 भारतीय राष्ट्रीयता के बाजोपेना का समय कहलाता है। 1876 से 1878 तक दार्जिलिंग भारत में भयंकर अंधार पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट को सहायता नहीं दी, इससे भारतीयों में अनेकानेक सारकार के विरुद्ध राय आ गया। लॉर्ड लिटन ने राज्यों, नवजात, महाराज्यों का बहुत बड़ा दरवार किया जिस पर अत्यधिक धन व्यय किया गया एवं घोषणा की गई कि महाराजा विक्टोरिया ने भारत का साम्राज्य का वर्धा धारण कर ला है। भारतीयों द्वारा दरवार का कड़ा आलोचना की गई। लॉर्ड लिटन ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध के लिए द्वितीय अफगान युद्ध में भारत का कराड़ी सहायता नष्ट कर दिया। ब्रिटेन ने शस्त्र विषयक लागू किया जिसका अनुसार भारतीयों का शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस सजा अनिवार्य था, अग्निशक्ति को नहीं। बर्नाकुलर प्रस एक्ट लॉर्ड लिटन की देन था, जिससे भारत के समाचार-पत्र को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। अर्थात् कर का हटाना, भारतीय वस्त्रों पर शुल्ग लगाना एवं अन्य दमनकारी कानून राष्ट्रीयता का ज्वाला को प्रज्वलित करने में कामयाब हुए और समस्त भारतीयों ने अग्निशक्ति स सुरुक्षा पान का दृढ़ निश्चय कर लिया।²

8 भद्रभवनपूर्ण व्यवहार—भारतीयों का साथ पथपाठपूर्ण व्यवहार राष्ट्रीयता के उदय का प्रमुख कारण बना। ब्रिटिश शासक द्वारा भारतीयों का साथ निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था। रेलवे कम्युनिज्म में भारतीय अग्निशक्ति के साथ नडा बैठ सकते थे।

9 1857 की क्रांति—1857 का सैनिक विद्रोह राष्ट्रीयता के उत्पन्न का मूल कारण रहा। गय के सैनिक बल चम्पारनी को मुह स खोलने को नकार मगल पाठे क नृत्य में राज्यापन का प्रथम सत्रय हुआ। बर्नाकुलर क्रांति विफल रही, पर राष्ट्रीय चेतना भारतीय मनोमस्तिष्क पर हवा हो गई।

10 इन्वर्ट विल सभ्यता विवाद—राष्ट्रीयता के उत्पन्न को इन्वर्ट विल ने प्रोत्साहन दिया। लॉर्ड लिटन के शासन काल में 1883 में इन्वर्ट विल कानून बना था। उसने कानून व्यवस्था के विषयक प्रतिष्ठित किया जिसमें कहा गया कि सभा न्यायपालिका को, पाठे वे भारतीयों ही या अग्नि, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय न्यायपालिका अग्निशक्ति को दीर्घित कर सकते थे। इसका अग्निशक्ति ने पुनः विरोध किया। फलस्वरूप 1883 में अग्निशक्ति निति क विरोध के लिए सुन्दरानन्द बनर्जी ने एक काँग्रेस बुलाई, जिसका परिणाम राष्ट्रीयता की जगृति में सहायक रहा।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना

एक क कई प्रांतों और नगरों में अनेक राजनातिक समूहों की नींव डल चुका थी, परन्तु एक अग्नि भारतय राजनातिक समूह का आवश्यकता था। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य एक सेवानिवृत्त सरकार अधिष्ठाए सर ए ओ ड्यूस ने किया, जो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के जनक कहलाए। उन्हें इस समूह के निर्देश दखिल से प्राप्त हुए थे। उस समूह की उत्पत्ति का उद्देश्य असन्तुष्ट भारतीय बुद्धिजीवियों के समान सुरक्षा कवच पेश करना था। सर ए ओ ड्यूस ने 1 मार्च, 1883 को कोलकाता विश्वविद्यालय के सभ्यता की एक पत्र निम्नकार निम्नार्थ पत्र से मगू सब में जुग जन को अपनाया था जिससे एह का बौद्धिक, सामाजिक तथा राजनातिक पुनर्जागरण हो सके एवं व्यवस्थित अनुसन्धान सेना तैयार हो सके। परिणामस्वरूप 1884 में दिवोसंगठन कल्पना हुआ, जिसने दारा क बौद्धिक एवं शिक्षित बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय सभा की स्थापना के विचार को मूर्त रूप देने का निश्चय किया। दिसम्बर 1884 में इंडियन नेशनल यूनिन का स्थापना की गई, जिसके उल्लेखनीय प्रयासों से 28 दिसम्बर, 1885 का मुम्बई का गणकुलदास देवदत्त सम्मेलन पण्डराना में एक काँग्रेस का आयोजन हुआ। इसमें भारत के सब शहरों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नव्य विचार विमर्श एवं वाद विवाद के बाद इस सभा का नाम 'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस' (Indian National Congress) रखा गया।

1. मार्क्स एंडे, सन्ड प्रबन्ध अध्याय-15, अनुच्छेद-5.
2. Ishwari Prasad History of Modern India, p. 308.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य

यद्यपि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए हुई थी परन्तु वही कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता का माध्यम बन। जिन विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई उनका अनुसार कांग्रेस के जनक सर ए. ओ. ह्यूम अवकाश-प्राप्त अग्रज पदाधिकारी थे जिन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी एवं अन्य प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों का विश्वास प्राप्त था। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सैनिक विद्रोह से अग्रज अधिकारियों को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में अतन्त्रोप व्याप्त होता जा रहा। तथा राष्ट्रवाद उभरना शुरू है अतः विद्रोह की ज्वाला पुनः भड़क सकती है। इसी विद्रोह के भय से मुक्ति पाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि उनके विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति न हो और इस समस्या का माध्यम से भारतियों का झगड़ा शब्दों से निकलता रहे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को एक देशव्यापी संगठन द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम मानने वाली दूसरी विचारधारा के समर्थक स्वोकारत है कि कांग्रेस का स्थापना के पीछे देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अस्तित्व था।

1885-1905 कांग्रेस के उद्देश्य, कार्यक्रम, प्रभाव एवं ब्रिटिश दृष्टिकोण

दिनांक 1 मार्च 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व सर ए. ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। उन्होंने कीर्तिकांत त्रिभुवनसहाय के स्नातकों को सम्बोधित करते हुए अपील की—“आप सर्वाधिक रूप से शिक्षित भारतीय हैं। आपको स्वाभाविक रूप से भारत की मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का महत्वपूर्ण साधन माना जाएगा। यदि व्यक्तिगत हो या जातीय महत्वपूर्ण स्रोत अन्दर से होने चाहिए तथा इनका आधार आप ही हैं जो इस देश के साधु, ज्ञानी एवं प्रतिभा सम्पन्न नागरिक हैं। आप देश के प्रिय पुत्र हैं, देश इस कार्य की शुरुआत के लिए आपको देखता है। व्यर्थ में मत जैसे विदेशों भारत तथा उसके बच्चों को प्यार करते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं इस देश का लिए तथा उनके पीछे वे लिए समय एवं धन देते हैं तथा विचार करते हैं। वे अपना शिक्षा एवं सुझावों से सहायता कर सकते हैं। वे इन कार्यकर्ताओं के लिए लाभस्वरूप अपना अनुभव योग्यताएँ तथा ज्ञान प्राप्त करें, किन्तु इसमें जातीयता का आवश्यक गुण नहीं। जातीय कार्य देशवासी स्वयं कर सकते हैं।” “आप इस भूमि के जनक हैं। आप में से 50 व्यक्ति भी आत्म त्याग की शतौपन्नवत शक्ति देश के लिए गर्व एवं पर्याप्त प्यार, पवित्रता एवं निस्वार्थ देशभक्ति की भावना नहीं रखते हैं तो भारत के लिए कोई आशा नहीं रह जाती है। उनके बेटे निम्न एवं आराध्य होकर विदेशी शासकों का साथ में यत्र बने रहेंगे। जब वे व्यवस्था पर पाठ करेंगे तभी स्वतंत्र हो सकते हैं और जब तक नेताओं के विचार निम्न एवं स्थायी रहेंगे, वे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। हर राष्ट्र एक अच्छी सरकार अपनी योग्यता अनुसार रख सकता है। यदि आप देश का सबसे शिक्षित व्यक्ति चुनेंगे तो वह व्यक्तिगत सुख एवं स्वार्थी लक्ष्यों का निरस्वार नहीं कर सकेगा। तुम्हारे लिए एक देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थन होगा। एक अधिक निष्ठा प्रशासन प्रदर्शन में हिंसा होगा तब हम तुम्हारे दोस्त बनने होंगे। पत्र के अन्त में उन्होंने अभिव्यक्त किया कि आम रजिस्ट्रार। एक निस्वार्थ भावना स्वतंत्रता एवं सुखी के पक्ष-प्रदर्शक हैं।” सर ए. ओ. ह्यूम की अपील का शिक्षित भारतीयों द्वारा प्रयुक्त दिया गया। सम्पूर्ण देश में नेताओं से सम्बन्ध स्थापित करने के बाद ह्यूम ने दिसम्बर 1885 में देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों को संगठित कर एक सभा बुलाने का निरवयव किया। ह्यूम ब्रिटेन गये और वहाँ जाकर प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिज्ञों, जैसे लॉर्ड रिपन, जान ड्राइड आदि से समर्थन प्राप्त किया। इन गतिविधियों के उपरान्त डब्ल्यू. सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुम्बई में सम्कृत पाठशाला के भवन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। सर ए. ओ. ह्यूम ने सभा के सचिव के रूप में उत्तरदायित्व निभाया। प्रथम अधिवेशन में 100 सदस्य उपस्थित हुए जिसमें सर्वाधिक मुम्बई के 38 चैम्बर्स के 21 बंगाल एवं पंजाब से तीन-तीन प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सभा में देश के विभिन्न भागों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें बैरिस्टर, व्यापारी भूमि पति मैनेजर, डॉक्टर, धर्मकार, कानून सलाहकार, वकील, अधिकांश एवं सभी धर्मों के अनुयायी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ भागों ब्रिटिश सरकार के समर्थक रखी गईं वे हैं—(i) केन्द्र और प्रान्तों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। निर्धारित सदस्यों को मख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें सभी प्रश्नों पर वोट करने बजाएँ वोट विवाद करने के अधिकार दिए जाए। (ii) उच्च सरकारी नौकरियों को भारतीयों को अवसर दिया जाए। (iii) सैनिक व्यय में कमी की जाए। (iv) एक शाही आयोग भारतीय प्रशासन की जांच करे।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में व्याख्यान और प्रस्तावों की भाषा विनम्र थी इसमें ब्रिटिश शासकों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हुआ था। डब्ल्यू. सी. बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में नम्र स्वर में कहा था— अधिकारी वर्ग के प्रति राजभक्ति का इन्हें प्रदर्शित करती कांग्रेस सिर्फ इतनी माँग करती है कि सरकार के आधार को विस्तृत किया जाए और जनता

को सरकार में उसका उचित हिस्सा दिया जाए।" भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में संगठन को निश्चित आकार देने हेतु कुछ उद्देश्य इन्होंने ही बनाए। नये संगठन के लिए सूचीबद्ध किए उद्देश्य थे—1. ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय हित के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत नियुक्ति और मैत्री भाव को बढ़ाना। 2. राष्ट्रवाद के भावों द्वारा राष्ट्र प्रेमियों के प्रत्यक्ष मित्रतापूर्वक व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रीयवाद से उत्पन्न पक्षपात को दूर करना और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जन्मी भावनाओं को प्रोत्साहित करना। 3. शिक्षित भारतीयों के सामाजिक एवं सामाजिक सुधार से सम्बन्धित विचारों को क्रियान्वित करना। 4. आगामी वर्षों में स्वदेशी राजनीतिक हितों के सार्वजनिक हित में किए जाने वाले कार्य के तदर्थों का निर्धारण करना। समय के परिवर्तित होते रहने के साथ कांग्रेस के लक्ष्य आवश्यकतानुसार बदलते गए। आरम्भ में कांग्रेस ने छोटी माँगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा, किन्तु बाद में अपने उद्देश्यों को व्यापक बनाते हुए स्वशासन की माँग की गई। प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस प्रार्थना पत्र प्रस्ताव आदि पर विस्वास करती थी, आगे चलकर प्रत्यक्ष विधि-आगत्येय आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन तक आ गई।

1885 से 1905 तक कांग्रेस के कार्यक्रम

1885 से 1905 तक कांग्रेस ने अनेक प्रस्ताव अपने अधिवेशनों में पास किए। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होता था। अल्प विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष य माँगें रखी गईं—1. गवर्नर और कायदाशासक को विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, अधिकारियों का बजाए चुने हुए सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए। 2. ब्रिटिश सेना की संख्या कम की जाए और सेना पर होने वाले अत्यधिक व्यय का रोक लगा जाए। 3. भारतीय सचिव को भारत परिषद से हटाया जाए। 4. स्थानीय सभाओं से सरकारी नियंत्रण हटाकर उन्हें शक्तिपूर्ण प्रदान की जाए। 5. नमक कर को हटाया या कम किया जाए। 6. बेरोजगारी को मिटाने, कृषि पर दबाव कम किए जाने के प्रयास किए जाएं। 7. पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए एवं नये उद्योगों की स्थापना हो। 8. कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए। 9. विदेशों में भारतीय हितों की रक्षा की जाए। 10. भारतीय प्रशासनिक सेना (आईसीएस) की पेशेवाई भारत में कराई जाए। 11. भूमि कर में कमी एवं किसानों को जमीनों का शोषण से मुक्त करवाया जाए। 12. कॉर्पोरेट प्रेस एक्ट को हटाया जाए, प्रेस और समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता दी जाए। 13. किसानों का कम ब्याज पर ऋण मुलभ करने के लिए कृषि बैंक खोले जाएं। 14. बड़े पत्तों पर भारतीयों को विशेष अधिकार दिए जाएं। 15. भारत की निर्भरता के कारणों को खोजकर उनको दूर किया जाए। 16. उद्योग व्यवसायिक, टेक्निकल, कॉलेज एवं स्कूल खोले जाएं। 17. सैनिक शिक्षा के लिए भारत में प्रशिक्षण केंद्र लागू करा जाए।

भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के प्रथम युग (1885 से 1905) में कांग्रेस का आन्दोलन झुम, वेदरबर्न, व्योरेराकर बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सर श्रीरामजी मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, रामबिहारी घोष, रामदास, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जैसे अग्र बुद्धिवादी नेताओं के हाथ में रहा। 1896-97 तथा 1899-1900 में अकाल के हालात आ जाने के कारण भारतीयों की दुर्दशा बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों सरकार इसके प्रति बदासीन रुढ़ अपना रही थी। एक करोड़ लोग मारे जा चुके थे और अनवरत लोग भूख से मर रहे थे, परन्तु अंग्रेज अत्र विदेश भिजवा रहे थे। 1901 में कलकत्ता में हुए 17वें अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। इस सन्दर्भ में दुखी होते हुए तत्कालीन कांग्रेस स्वयंसेवक समिति के अध्यक्ष महात्मा जे. एन. राय ने कहा था, "प्रत्येक राजनीतिक प्रश्न मूल रूप से राजनीतिक प्रश्न है और इसमें आर्थिक प्रश्न का समावेश प्रमुख है। शोध ही विश्व के वास्तव में होने वाले जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के भाग का फैसला होगा।" इसी अधिवेशन में दुर्दशाओं की पुनरावृत्ति पर खेद व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दुर्दशाओं के ये कारण बतलाए गए—(अ) देशी उद्योग, व्यवसाय की अवनति, (ब) भारतीय पूँजी का निष्कासन, (स) कर भार में अत्यधिक वृद्धि, (द) प्रशासन के सैन्य एवं नागरिक विभागों में घन का अभाव। कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में देश में साधनों का विकास, खेती में कमी, कृषि विकास और उद्योगों के विकास की माँग उठाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युग में कांग्रेस की नीति उदारवादी थी। मुधारवादी राजनीतिक संगठन की इच्छा थी। कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था किन्तु ब्रिटिश सरकार की जन्मजात व्यापकता तथा प्रजातान्त्रिक भावनाओं में विश्वास था क्योंकि वे अंग्रेजी सभ्यता एवं सभ्यता के आदर्श सचि में बने हुए विभिन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उदारवादी भारत में नीकरवादी के अन्तर्गत एवं शासन में भारतीयों को अधिक अधिकार दिए जाने के पक्षपाती थे। ब्रिटिश संगठनों, सभाओं और अंग्रेजों की सहायता में उनका बहुत विश्वास था। उन नेताओं का मानना था कि भारत सार्वभौमिक उपायों द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति का पालन करते हुए ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करता चला जाएगा।

क्रान्तिकारी आन्दोलन के उदय के कारण

1. **मध्यमवर्गीय आन्दोलन**—क्रान्तिकारी आन्दोलन बंगाल में मध्यम वर्ग में फैला जिसमें परभाव रिद्धा प्राच नवयुवकों ने भाग लिया। नवयुवकों के जोरा ने इस आन्दोलन को गति दी। 'लन्दन टाइम्स' के सवाददाता सर वेलेण्डाइन शिरोल का मत था कि क्रान्तिकारियों में पारिवारिक सम्पत्ता और संस्कृति के विरुद्ध कट्टरपंथी बहनों ने एव अन्य जाति के नवयुवकों ने भाग लिया। गैरत के अनुसार "क्रान्तिकारी आन्दोलन ब्राह्मणों द्वारा आयोजित पद्धत नहीं था, बंगाल और पंजाब में इसके नेता अन्य जाति के थे।"

2. **बॉम्बे की अख्यमता पर तीखे प्रहार**—अखिल भारतीय कॉंग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप नरमवदी था, उसकी कार्यवाही धीमी थी जबकि नवयुवक वर्ग चाहता था कि सक्रिय राजनीतिक आन्दोलन के तर्कें अपनाए जाएं। अरविन्द घोष ने बॉम्बे के तरंगों की अख्यमता पर लेखमाला 1893 में 'इन्दुनकरा' में लिखा, जिसका नाम था 'न्यू लैम्स फॉर ओल्ड'। उन्होंने विधान परिषदों के और भारत तथा इंग्लैण्ड में एक साथ होने वाली परीक्षाओं को हार की मद्द्ई बतलाया और इस प्रकार की बातचीत की हँसी उड़ाई कि ब्रिटिश शासन बरतान है और पराजिता ने हने इंग्लैण्ड का न्यायपूर्ण और उदार शासन को मोद में हाना है। अरविन्द घोष ने चेतावनी दी—'अंग्रेजी राज के दुर्ग की दीवारें अभी फूटी नहीं हैं और गणतंत्र की बली छाया दिन-ब-दिन देश पर छाती जा रही है।' उन्होंने बॉम्बे की मध्यमवर्गीय स्नायों, सार्वजनिक कार्य में भोली तथा हिंसकार्य देश-भक्ति का खोखला दावा करने वाली संस्था कड़ा। वान गंगाधर तिलक तथा ब्रम्ह नेताओं ने बॉम्बे की नरम नीति पर प्रहार किया। फलस्वरूप यहाँ एक बड़े वर्ग में उद्वेग का जन्म हुआ, वहाँ अधिक जोरतने एक छोटे वर्ग की क्रान्तिकारी भावनाएँ उमड़ी और क्रान्ति का दौर चल पड़ा। अतः अखिल भारतीय कॉंग्रेस को अपनी नरमवदी नीति को फिनायन देकर, सक्रिय राजनीतिक आन्दोलन को रूप में स्वीकार करना पड़ा।

3. **आर्थिक कारण**—19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में देश में आर्थिक अमनोष की तरह च्यान हो गयी और जनता भारत सरकार की अर्थ नीति से दुःख हो गयी। अनेक भारतीय अर्थशास्त्रियों ने प्रमाण देकर भारत के शोषण और उसके परिणामों पर प्रकाश डाला। अकाल्य महामारि और भूदानों के कारण जनता की गरीबी बढ़ चुकी थी अतः सहारा पाकर नवयुवक क्रान्ति के मार्ग पर चल पड़े। लॉर्ड वेकल के अनुयायी 'अधिक दरिद्रता और अधिक अमनोष क्रान्ति को जन्म देते हैं।'

4. **सरकार की प्रतिक्रियावदी एव दमनकारी नीति**—क्रान्तिकारी आन्दोलन के विस्फोट में सरकार की प्रतिक्रियावदी और दमनकारी नीति का हाथ रहा। लॉर्ड कर्जन की नीति ने क्रान्ति को प्रोत्साहित किया। पी. सी. राय के अनुसार उग्रवदी आन्दोलन की क्रान्तिकारी मन्त्रालय को लॉर्ड कर्जन को देन कृता अनुपयुक्त नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन के अतिशयिधन सिस्ट्रम एक, भारतीय विध्वंसितालय अधिनिधन तथा बंगाल विभाजन जैसे कार्यों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को बढ़ाने में योग दिया। सरकार ने जन-आन्दोलन को कुचनना चाहा, परन्तु उग्रवाद और क्रान्ति का उतेजक प्रसार हुआ। नवयुवकों ने देखा कि समाजों, जुलूमों, बहिष्कार आदि के तर्क विदेशी हुकूमत पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं फलतः उनकी बड़ी सख्य क्रान्ति के मार्ग पर चल पड़ी जिन्होंने विस्फोटक और हिंसकार्य साधनों को अपनाए शुरू कर दिया।

1908 में भारत सचिव लॉर्ड माले ने वायमराय लॉर्ड मिन्टो को लिखा कि "राज्योह तथा अन्य अपराधों के सन्धय में जो दण्ड दिए जा रहे हैं, उनके कारण में चिन्तित हैं। हम व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था लाने के लिए पोर कठोरता के उपयोग से सफलता नहीं मिलेगी। इसका परिणाम उच्छा होगा और लोग बम का सशर लेंगे।" मॉन्टेग्यु ने 1910 में स्वीकार किया कि "दण्ड संहिता की सख्यों ने लदा नरु चलाने की नीति ने भाषाण और बिगड़े नवयुवकों को शहोद बनाया और बिलवकारों पत्रों की सख्या बढ़ा दी।"

5. **सर्वभारिक आन्दोलन की विफलता**—नाम टन की असाफल्य के कारण भारतीय युवकों का वैधानिक मार्ग में विश्वास नहीं रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि हाद-पीर जोड़ने और प्रथम-पत्र प्रेषित करने से देश को आजादी नहीं मिल सकेगी। आजादी पाने के लिए शक्ति संचित करनी होगी तथा उग्र साधनों का साधन लेकर विदेशी हुकूमत की जड़ उखाड़नी होगी। क्रान्तिकारियों ने कहा, "अंग्रेजी शासक पश्चिम बल का प्रयोग करते हैं पर उचित है।" उन्होंने नया लगाया कि "तलवार हाथ में लो और सरकार को मिया दी।" "जो लक्ष्य नैतिकता के प्रभाव में प्राप्त नहीं हो सकता, वह गोली और बम के प्रयोग से हो सकता है।"

6. **विदेशी क्रान्तिकारी सख्यों से प्रेरणा**—रूस, इटली आदि की युव क्रान्तिकारी सख्यों से भारत के जोरतने नवयुवकों को प्रेरणा मिली। उनमें यह चह पैदा हुई कि देशी क्रान्तिकारी देश-विदेश में गुप्त सख्यों कायम करें और विदेशी सत्ता को उखाड़ दें।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का विकास

क्रान्तिकारी आन्दोलन को निर्देशित एव नियन्त्रित करने वाली कोई केन्द्रीय संस्था नहीं थी, अतः इस आन्दोलन की गतिविधियाँ प्रान्तीय स्तर तक सीमित रही और एक सीमा तक विदेशों में रही।

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन—क्रान्तिकारी विचारधारा व विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ 1899 में मि. रैंड तथा रे. आर्पोरेट को गोली का शिकार बना दिया गया। महाराष्ट्र में वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा गणेश सावरकर और चापेकर बन्धु क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नेता थे। उनका कहना था—“प्राण देने से पूर्व प्राण ले लो।” वामुदेव बलवंत पट्टके तथा चापेकर बन्धु (दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर) महाराष्ट्र में प्रारम्भिक क्रांतिकारी आन्दोलन के पिता थे। वामुदेव पट्टके का जयपोषण था “मै अंग्रेजों को भगा कर जनता का राज कायम करूँगा।” चापेकर बन्धु अपनी कविताओं और श्लोकों द्वारा यह कहते रहे—“मर जाओ किन्तु अंग्रेजों को मार दो, यह देश हिन्दुत्वान् कइस्तता है फिर यहाँ अंग्रेजों का राज्य क्यों है?” चापेकर बन्धुओं ने 1899 में पूना में उपरोक्त दोनों अभिन्न अधिकारियों को हत्या की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन को शक्ति प्रदान की, किन्तु 1905 में वे सन्दन चले गए जहाँ उन्होंने ‘इण्डियन होमरूल सोसायटी’ की स्थापना की। विदेशों में श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारियों के पिता थे।

सावरकर बन्धुओं ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन को सशक्त किया। उन्होंने गणपति उत्सव मनाने के लिए 1899 में ‘मित्र मैला’ नामक सोसायटी की स्थापना की जिसे 1906 में क्रांतिकारी सगठन में बदल दिया गया और उसका नाम ‘अभिनव भारत समाज’ रखा गया। इस समाज की एक शाखा ग्वालियर में ‘नवभारत समाज’ और भवार्थ में ‘अभिनव समाज’ के नाम से स्थापित की गई। 1905, में जब स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा, वीर सावरकर ने पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जिससे दक्षिण भारत में हलचल पैदा हो गई। नवम्बर, 1909 में अहमदाबाद में लेडी मिल्सों की गाड़ी उड़ाने का आरम्भ प्रयास किया गया। ग्वालियर यत्र केम. नाथिक षडयंत्र केस तथा सतारा षडयंत्र केस क्रांतिकारी समाजों से सम्बन्धित थे। जब गणेश सावरकर को देश-निर्वासन का दण्ड मिला तो अभिनव समाज एक एक सदस्य ने जिल्पापीठा जैमसन को गोली मार दी। अभिनव समाज वर्णों से क्रियाशील था। पश्चिम भारत के अनेक भागों में इसकी शाखाओं का जन्म विद्यमान था।

क्रान्तिकारी दामोदर सावरकर, जिनको जनता वीर सावरकर कहती थी, एक महान् क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने इदय में हिन्दू, हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू समाज के प्रति अगाध प्रेम था। वीर सावरकर ने 1905 में भारत में बी. ए. पास करने के बाद 1906 से 1910 तक इंग्लैण्ड में अध्ययन किया और इण्डिया हाउस में रह कर लन्दन के छात्रों में क्रांतिकारी जागृताई फैला दी। क्रांतिकारी प्रतिबन्धियों के आरोप में उन्हें मार्च 1910 में लन्दन में गिरफ्तार किया गया। 1937 में कारावास से मुक्त होने के बाद सावरकर ने हिन्दू महासभा की सदस्यता स्वीकार कर ली। वीर सावरकर का 1966 में देहांत हो गया।

बंगाल में क्रांतिकारी आन्दोलन—बंगाल में बंग-भंग के दिनों में क्रांतिकारी आन्दोलन का विस्फोट हो गया और वीरन्द्र घोष तथा पून्यनाथ दत्त जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। बंगाल में बेकारी पहले फैली हुई थी, अन्त विभाजन ने आग में घी का काम किया। वीरन्द्र घोष, दत्त आदि ने शत्रु उठाने और विदेशी शासन से जुद्ध करने के लिए बंगाल के युवा वर्ग का आह्वान करते हुए क्रांतिकारी प्रचार किया। उन्होंने घोषणा की कि “इस देश में अंग्रेजों की संख्या 1.5 लाख से अधिक नहीं है। यदि आप अपने सकल्प में दृढ़ हैं तो एक दिन में ब्रिटिश शासन का अन्त कर सकते हैं। अपने प्राण दे दीजिए, लेकिन पहले प्राण ले लीजिए।” इन क्रांतिकारी नेताओं ने अगुशीलन समिति का संगठन किया, जिसकी हाथारों बंगाल में फैल गई। बंगाल में क्रांतिकारी आन्दोलन उमड़ उठा एवं अनेक राजनीतिक हत्याएँ कर दी गईं। घोष और दत्त ने ‘युगान्तर’ तथा सध्या नामक क्रांतिकारी-पत्रों द्वारा क्रांतिकारी का प्रचार किया। वीरन्द्र घोष ने अपने एक लेख ‘भारत में पुनः गीता-युग’ (The Age of Geeta Again in India) में लिखा कि “श्रीकृष्ण ने गीता में कहा था कि जब कभी न्याय तथा अत्याचारों को दण्ड देने के लिए है तथा अत्याचार और बेइमानी में वृद्धि होती है तो न्याय की रक्षा के लिए तथा अत्याचारियों को दण्ड देने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। इस समय नेकी नष्ट हो रही है तथा बेईमानी बढ़ रही है। मुझे भर विदेशी डाकू भारत के करोड़ों मनुष्यों का शोषण कर रहे हैं। भारतीयों! डरो मत, ईश्वर असावधान नहीं है। वह अपने बचन का पालन करेगा। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर उसकी शक्ति का प्रयोग करो। जब ईश्वरीय शक्ति मनुष्यों के हृदय में चमकती है तो मनुष्य असम्भव कार्य भी कर लेते हैं।” बंगाल में ‘अगुशीलन’, ‘सरस्वती’, ‘ईस्ट वल्व’, ‘युगान्तर’ जैसी गुप्त शक्तियाँ, ‘बन्दे मातरम्’, ‘न्यू इण्डिया’ प्रमुख थे। बंगाल में ‘अगुशीलन’, ‘सरस्वती’, ‘ईस्ट वल्व’, ‘युगान्तर’ जैसी गुप्त शक्तियाँ स्थापित की गईं। नवयुवकों ने क्रांतिकारी सगठनों के माध्यम से क्रांति का प्रसार किया। 1907 में अनेक समितियाँ स्थापित की गईं। नवयुवकों के निकट उप-गवर्नर की तेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया गया। क्रांतिकारी कदम उठाए गए और मिर्दानपुर के निकट उप-गवर्नर की तेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया गया। दिसम्बर, 1907 में ढाका के भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट रेल्टन पर गोली चलाई गई, किन्तु यह घातक सिद्ध नहीं हुई। जनवरी 1910 में उप-पुलिस अधीक्षक शमशुल आलम की हत्या कर दी गई। राजनीतिक हत्याएँ, राजनीतिक डकैतियाँ, स्टूट स्ट्रोकों पर रोक लगाना आदि सामान्य घटनाएँ बन गईं। बंगाल में क्रांति ने उग्र रूप धारण कर लिया।

पञ्जाब में क्रांतिकारी आन्दोलन—1907 में क्रान्ति की आग पञ्जाब में फैल गई। सरदार अजीतसिंह, भाई परानन्द, उनके छोटे भाई बालमुकुन्द तथा लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का संगठन करने में पहल की, तथापि पञ्जाब का क्रान्तिकारी आन्दोलन बगल और महापट्ट के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समान नहीं था। वहाँ गुप्त सत्कार नहीं खोली गई और न ही राजनीतिक हत्याओं अपना ठेकेदारों का दौर चला। पञ्जाब के प्रमुख क्रान्तिकारियों ने 'अनुमन-मुहिब्याने बतन' नामक एक सत्सा स्यन्धि की जो 'भारत माता' के नाम से प्रचलित थी। 'उपनिवेश-करण विधेयक', जिससे मल्लुगारी में वृद्धि हुई और सम्पत्ति-विभाजन के अधिकारों में हातछेप हुआ, का विरोध करने के लिए सरदार अजीतसिंह और सैफ हदर रिजा ने 'इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन' (Indian Patriots Association) नामक सत्सा की स्थापना की। सरदार अजीतसिंह ने किसानों के विद्रोह के लिए भड़कावा और किसानों ने सत्कार का कर न देने की प्रतिज्ञा की। सत्यपान एव प्रबोधयन्त्र के अनुसार, "सरदार अजीतसिंह, सूफी अम्बानन्द, लाला पिन्डीदास एव लालयन्त्र फलक ने पञ्जाब में जागृति लाने का लिए वनी कार्य किया जो बालन में बकिमयन्त्र यन्त्रों तथा अन्य बगली लेखकों ने किया।" 1912 में लॉर्ड हार्डिन्ग के प्रण लेने का प्रथम क्रान्तिकारियों ने किया। पञ्जाब में क्रान्तिकारी आन्दोलन की अमरिका से लंटे कुछ सिक्खों ने मजबूत किया। पञ्जाब में स्थिति उस समय शान्त हो गई जब गवर्नर जनरल लॉर्ड मिन्टा ने उपनिवेश-करण विधेयक को 'वीटो' (Veto) कर दिया।

विदेशों में क्रान्तिकारी आन्दोलन—भारत के बाहर क्रान्तिकारी क्रियारण हुए। इंग्लण्ड में रघुपती कृष्ण वर्मा और वीर सत्कार नू, प्रस में मंडम कामा ने और अमेरिका में लाला हरदयाल न क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के संगठन में भूमिका निभाई। इन्ग्लैण्ड में रघुपती कृष्ण वर्मा ने 'इंडिया होमवेल सोसियटी' की स्थापना की तथा क्रान्तिकारियों का सुसागठित दल बनाया जिसका केन्द्र 'इंडिया हाउस' था। इन्ग्लैण्ड से भारत में क्रान्तिकारियों को शिक्षण तथा संहित्य करने का प्रथम किया गया। जुलाई 1909 में क्रान्तिकारी दल के एक सदस्य न 'इंडिया हाउस' के सर विलियम बिनी को हत्या कर दा। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दल को छिन्न-भिन्न कर दिया। रघुपती कृष्ण वर्मा के नयुत्व में भारतय क्रान्तिकारण युरोप के अनेक देशों में क्रियारण हुए। क्रान्तिकारी नेता वीरन्द्रय चहोरध्याय ने जर्मनी के विदेश कायलय की सहायता से बर्लिनवासी भारतीयों की एक समिति बनाई और स्वयं उसके सचिव बने। यह समिति 'भारतीय स्वतन्त्रता समिति' के नाम से बना गई। वीरन्द्रय और समिति ने बादाद इन्तखून, पर्सिया और कबुन में अपने प्रचारक मण्डल भेजे जिन्होंने भारतीय सत्सा की दुकड़ियों और भारतीय युद्ध-बन्दियों के बीच काम किया। राजा महेन्द्र प्रथम को मौनता बकनुन्तह और मौताना खेदुल्लाह के माय कबुन भेजा गया जहाँ उन्होंने भारत की अस्थायी सत्कार काई।

लाला हरदयाल अमेरिका पहुंचे जहाँ तरक्याय दास और मोहनसिंह ने परिचयों टट पर बने भारतीय प्रवासियों के बीच क्रान्तिकारी सन्देश दिए। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की और 1 नवम्बर, 1913 से सार्वत्रिक गदर नाटक पर प्रचारित किया। पार्टी ने वही नाम अपना लिया। इसके कार्यक्रमों में सैनिकों के बीच कार्य, अधिकारियों की हत्या, क्रान्तिकारी, साम्राज्यवाद विरोधा संहित्य का प्रकाशन और अस्त्र प्रशिक्षण थे। इसका मुख्य कायलय सत्सा-प्रसिन्धियों में रहा। राष्ट्र-अमेरिका टट और पूर्व के देशों में स्थापित हुई। विचार यह था कि एक सत्सा सरे ब्रिटिश उपनिवेशों में क्रान्ति की जरूर। गदर ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया—आवरपकटा है वीर सिन्धियों की। देल मृत्यु। पुन्सम्बर इहदर। फेसल स्वतन्त्रता। युद्धयन्त्र भारत। वास्तव में विदेशों में क्रान्तिकारी विचारधारा ने अन्धी बने पकड़ा और भारतीय स्वतन्त्रता सत्सा में स्मूर्ति का सत्कार किया। सर वेल्लेन्डन शिपेल के अनुसार इन्ग्लैण्ड-अमेरिका एम्पेसिन्धन और यग इन्डिया एम्पेसिन्धन नामक दो सत्कार भारत की सत्सा राष्ट्रही सत्साओं से सम्बद्ध थी। क्रान्तिकारी आन्दोलन को असम्बन्ध इन्ग्लैण्ड हाथ लगा क्योंकि भारतीय नदामों में पारस्परिक सम्बन्ध का और भारतीय क्रान्तिकारियों तथा विदेशों की गदर पार्टियों से सम्पर्क का अभाव था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सत्कार ने क्रान्तिकारियों से बदला लिया। सत्सा-सत्साओं में गदर पार्टी के नेतृत्वों पर मुकदमे चले, अन्ध अमेरिका में क्रान्तिकारी गतिविधियों की सम्बन्धनों खत्म हो गई।

क्रान्तिकारी आन्दोलन की प्रकृति और कार्य प्रणाली

क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद लाल-बल-माल, धोष आदि के राजनीतिक उद्भव से भिन्न था। उद्भवती उद्भवदियों की राजनीतिक सिद्धान्त की नीति से असन्तुष्ट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय विरोध का प्रतिपादन करते थे, लेकिन यह विरोध शान्तिमय और दबावपूर्ण होता था। क्रान्तिकारी नवयुवक उदर राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण से सम्बन्ध नहीं थे। उनका विचार था कि जो साम्राज्यवाद पशु बल पर आधारित है उसे शान्तिपूर्ण आन्दोलन की सत्सा प्रणाली से नहीं बल्कि हिंसा द्वारा जड़ से उखाड़ सकते हैं। ब्रिटिश सत्कार की प्रतिस्पर्धाकारी और दम्भकारी नीति ने उनकी धारणा को पृष्ठ कर दिया था।

क्रान्तिकारी 'बम नैति' (The Cult of the Bomb) में विश्वास रखते थे। सत्सा को सत्सा से अधिक श्रेष्ठ मानते थे। उनकी दृष्टि में सत्सा की पवित्रता सत्साओं का अस्तित्व थी, अन्ध स्वतन्त्रता प्रशिक्षण के लिए उन्होंने इत्यादि, लूट डरा सत्कारों सम्पत्ति के विनाश, टोड-फोड आदि को अनुचित नहीं समझा। क्रान्तिकारी युवकों का अत्यन्त मित्रान्त्रे थे, क्रान्ति

का पाठ पढ़ाते थे, आन्ध्र-राज्य चलाने का परिधान देते थे और बनों का निर्माण करना सिखाते थे। वे आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, जिसमें भारत के महान् गौरव के गीत होते थे और उसका उद्देश्य भारतीयों में दासता के प्रति घृणा उत्पन्न करना था। वे धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरण से ग्रन्थों की बलि देना और शत्रु के प्राण लेना सिखाते थे। क्रान्तिवागी हत्यारे नहीं थे वे देशभक्त थे जिनमें राष्ट्रीयता घरी हुई थी। वे देशभक्ति, आत्मवाद और बलिदान की भावनाओं से ओत-प्रोत थे। उनमें अपनी मातृभूमि के लिए मर कट्टा देने की तय्यारी थी। मातृभूमि के लिए बलिदान देने को तैयार थे। क्रान्तिकारियों का जीवन अनुशासित था। उनका उद्देश्य विदेशी शासकों के दिल में यह भय पैदा कर देना था कि देशभक्तों की हत्याओं का बर्ताना रखाए होगा। उन्हें राष्ट्र का अचमत्त मंजूर न था, उन्होंने ईश्वर तथा उसके सहायक चैप्टिनेट्स को इसलिए गोली मारी कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं का ख्याल न रखी हूँ उन पर जोर अत्याचार किये थे। चापेकार बन्धु अपने इस कार्य से अमर हो गए। उधमसिंह भावनाओं का ख्याल न रखी हूँ उन पर जोर अत्याचार किये थे। चापेकार बन्धु अपने इस कार्य से अमर हो गए। उधमसिंह ने इंग्लैण्ड में जनरल डायर की हत्या इसलिए की कि उनमें पंजाब के जलियाँवाला बाग में बिना चौकसी दिए निर्दोष और निहत्थ औरतें, बच्चे और बच्चों को गोलीयों से मार दिया था। मदनलाल घोषण ने भारत मन्त्री क ए. डी. री. कर्जन चाहली को इंग्लैण्ड आश्रित में इसलिए गोली मार दी कि गोशा सावरकर को दण्ड दिलाने में उसका हाथ था। शरणार्थी का हत्या इसलिए की गई कि उसने सलाह सत्यमेव जयते पर लाठीचार्ज से बौद्धों की जितसे उनकी मृत्यु हो गई। क्रान्तिकारियों। ईट का जबड़ पत्थर से गोली का जबड़ गोली से देने की नीति अपनाई।

राजद्रोह सम्बन्धी जीव समिति 1918 (Sedition Committee 1918) ने अपने प्रतिवेदन में क्रान्तिकारी कार्यक्रमों का विस्तार से विवरण दिया है। क्रान्तिकारी क्रान्तिजनक साहित्य द्वारा अपने विचारों का प्रचार करा था। विश्वाजी एव भगानी की पूजा द्वारा विदेशी शासकों के हृदय में आतंक उत्पन्न करते थे। क्रान्तिकारियों का आदेश था कि वे मृत्यु की परछाई की भाँति छिपे रहकर विदेशी अधिकारियों पर धातक हमले करें। उन्हें सिखाया गया था कि वे अपने उन भाषणों को न भूलें जो जेलों में वे मार गए या पागल हो गए थे। जीव समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्रान्तिकारियों द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक सार तत्व का उल्लेख इन शब्दों में किया—“यूरोपियों को गोली से मारने का लिए अहिंसा का कार्य की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रूप से राष्ट्र-इधियार तैयार किए जा सकते हैं और भारतीयों को हथियार बना का कार्य सोचने के लिए विदेशों में भेजा जा सकता है। भारतीय सैनिकों की सहायता अवश्य स्वीकारनी चाहिए और उन्हें देशवासियों के कष्टों को दुर्दरा समझनी चाहिए। क्रान्तिकारी-आन्दोलन के प्रारम्भिक व्यय के लिए चन्दा इकट्ठा किया जाना चाहिए परन्तु जैसे ही काम बड़े समाज (अर्थात् सैनिकों) से शक्ति प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस धन का प्रयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिए।”

क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का उतर खाल

क्रान्तिकारियों के राष्ट्रवादी राजनीतिक ढाँकेजनी तथा अमेजी अधिकारियों की हत्या की घटना बढ़ती गयी और अमेज सरकार यह कल्पना कर घबरा रही थी कि कहीं अमेज संगठन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन उग्रवादी क्रान्तिकारियों के हाथों में न चला जाए अतः ब्रिटिश सरकार ने उदारवादिनों से समझौता करने का प्रयास किया और उग्रवादिनों को कुचलना ब्रिटिश सरकार ने एक ओर दो दान चक्र पूरी तैयारी के साथ चनाया और दूसरी ओर साविधान्मि सुधार करने की दिशा में कदम उठाए। राष्ट्रीय आन्दोलन को अन्दर से तोड़ने-फोड़ने के उपाय किए जाने लगे। राष्ट्रियता को क्षीण करने के लिए साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाने लगा। इन कारणों से क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद में शिथिलता आने लगी और जब भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ तो क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की उपयोगिता शुरू हो गयी। गांधीजी की तकनीक ने देशभक्त भारतीयों को प्रभावित किया और क्रान्तिकारी भावना को शान्त कर दिया। आजादी के नींवों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अन्त करने की क्रान्तिकारी असफल चेष्टा में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। गांधीवादी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में हिंसा अथवा उसकी दृक्की विद्यमान रही और ब्रिटिश शासन को हटाने में महती भूमिका अदा की।

क्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता के कारण

1 क्रान्तिकारियों का केन्द्रीय संगठन नहीं था अतः विभिन्न प्रान्तों में उनके क्रान्तिकारी कार्य में समन्वय नहीं स्थापित जा सका। केन्द्रीय संगठन के अभाव में विभिन्न प्रान्तों में उनकी गतिविधियाँ एक-दूसरी से जुड़ी नहीं रने सिराई रहीं और फलस्वरूप यह आन्दोलन अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सका। विभिन्न क्रान्तिकारी नेताओं में परस्पर शरणाग का अभाव रहा।

2 क्रान्तिकारी आन्दोलन जन-आन्दोलन का रूप धारण नहीं कर सका। यह मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक सीमित रहा और इनमें से एक बड़ी संख्या क्रान्ति से दूर रही।

3 क्रान्तिकारी आन्दोलन को चलाने के लिए नेतृत्व सुलभ नहीं हो सका। वैधानिक आन्दोलन से कुशल नेतृत्व को कमी नहीं थी।

4. भारतीय राजनीति के अधिकांश नेता मध्यम वर्ग के थे, जिनका हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं था। उनसे आस्था सौंधधानिक साधनों में थी। वे उपवादी दूर-दूरीके अपना सकते थे, लेकिन हिंसात्मक और विस्फोटक तरीके नहीं। इन नेताओं का क्रान्तिकारी आन्दोलन को सहयोग नहीं मिल सका।

5. क्रान्तिकारी आन्दोलन धनाभाव से परेशान रहा। भारत का धनिक वर्ग लूटमार और हिंसात्मक तरीकों से धरना-गा था। उसने सौंधधानिक तरीकों को आर्थिक सहायता दी पन्तु क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति उसका रुख अपेक्षापूर्ण रहा। बहुसंख्यक हिन्दुओं को भी, जो हिंसात्मक तरीकों के विरोधी रहे हैं, क्रान्तिकारियों से कोई सहानुभूति नहीं थी।

6. अंग्रेजी सरकार की घोर दमन नीति ने भारत में क्रान्तिकारियों को पनपने नहीं दिया। सरकार ने 1907 में राजद्रोहात्मक समाज पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 'सैडिशन मीटिंग्स एक्ट' (Seditious Meetings Act) पारित किया। 1908 में फौजदारी कानून में संशोधन लाकर उपवादी और क्रान्तिकारी नवयुवकों को कठोर दण्ड दिए गए। 1908 में समाचार सम्बन्धी कानून तथा 1910 में प्रेस सम्बन्धी कानून बनाकर उपवादियों द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्रों को बन्द कर दिया गया। 1911 में विद्रोही सभाओं सम्बन्धी कानून पास करके अधिकारियों को अधिकार सौंध दिए गए कि वे अव्यहति सभाओं पर निपटारा रख सकें। उपवादी राजनीतिक बन्दीयों के साथ सरकार ने निर्दयी व्यवहार करना शुरू कर दिया, यथा—भगतसिंह, बाला पार्सी, देश निर्वासन, कठोर शारीरिक यांत्रण। सरकार की दमनकारी नीति ने जनता को भयभीत कर दिया था अतः क्रान्तिकारियों को अपना समर्थन देने से कटपनी रही।

7. क्रान्तिकारी अनुशासित, ठसठाही और बलिष्ठनी प्रकृति के थे, लेकिन विदेशी हुकूमत से लड़ने के लिए उनके पास अस्त्र-शस्त्रों का अभाव था। घोर-छिपे जो हथियार प्राप्त होते थे वे अनर्थगन थे।

8. भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के अवतरण ने क्रान्तिकारी राहुवाद की अयोग्यता शुरू कर दी। फिर भी अहिंसा का वादु क्रान्तिकारी धारणा को नहीं मिटा सका। सरदार भगतसिंह, चण्डेश्वर अजराद और यतीन्द्रनाथ जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रकटों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्त की अत्यन्त चेष्टा में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया।

असहयोग आन्दोलन : प्रस्ताव और कार्यक्रम

अगस्त, 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथों में आ गया। 1919 तक राष्ट्रीय आन्दोलन शिक्षित वर्ग तक सीमित था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसे जन-आन्दोलन बना दिया। उनके नेतृत्व में काँग्रेस जनता का संगठन बन गई। गांधीजी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए अहिंसात्मक संघर्ष चला। मोहनदास करमचन्द गांधी (1869-1948) गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा से, प्रथम महापुरुष के दीर्घ, जनवरी 1915 में अयोध्या से यात्रा आरंभ। गोखले के विचारों ने गांधीजी की प्रभावित किया। वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका विश्वास था। महापुरुष के बीच गांधीजी ने युद्ध प्रयासों में अंग्रेजी सरकार की पूर्ण सहायता की और इसके लिए उन्हें केमरी हिन्दु स्वर्ण पदक से विभूषित किया था, 1919 में रोलेट एक्ट के प्रसन को लेकर शुरू का 'सहयोगी' बाद में 'असहयोगी गांधी' बन गया। 31 दिसम्बर, 1919 को 'दंग इण्डिया' में गांधीजी ने लिखा था कि 'मान्ड फोर्ड' योजना और उसके साथ की गई उद्घोषणा से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ न्याय करना चाहती है और भारतीय जनता को अपने समस्त सन्देहों का अन्त कर लेना चाहिए, अतः हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उनको आलोचना करें, वरन् उनके सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कुछ घटनाओं और युद्धनित परिस्थितियों ने गांधीजी को बाध्य कर दिया कि वे विदेशी हुकूमत का विरोध करें। फरवरी-मार्च, 1920 में काँग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने सरकार के साथ असहयोग तथा मॉन्ट-फोर्ड मुद्दों के अन्तर्गत निर्मित व्यवस्थानिध सभाओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रख दिया।¹

असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव पर काँग्रेस की स्वीकृति (1920) : असहयोग-कार्यक्रम

महात्मा गांधी को यह दृढ़ विश्वास था कि वे हिन्दुओं तथा मुसलमानों को अपने असहयोग आन्दोलन की पदावधि के नीचे एकत्र कर सकते हैं। सितम्बर, 1920 को कोलकाता में काँग्रेस विशेष अधिवेशन में उन्होंने सरकार के प्रति 'अहिंसक असहयोग की नीति' अपनाते का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि काँग्रेस अहिंसक असहयोग की नीति पर अब तक चलोगे, जब तक अत्याय दूर नहीं हो जायेंगे। प्रस्ताव के पर में 1886 और विनय में 884 मत पड़े। पण्डित मदनमोहन मालवीय, विमलचन्द्र पाण्डे, देशबन्धु चितरंजनदास, जिन्ना तथा श्रीमती एनी बेसेन्ट ने प्रस्ताव का विरोध किया। इन नेताओं के इरादों में काँग्रेसियों और अन्तर्गतों के बहिष्कार की योजना के प्रति सहानुभूति नहीं थी। दिल्ली की 3 जुलाई, 1920 को मृत्यु हो चुकी थी। उनके अनुयायियों ने फोर्डपड़े के नेतृत्व में महात्मा गांधी की योजना का विरोध किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपतसिंह गांधीजी के असहयोग-प्रस्ताव के विरुद्ध थे। काँग्रेस का निर्णय

कॉमिश्नर का 'शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वयंज्य प्राप्त करना' घोषित किया गया। कॉमिश्नर का प्रतियोगी सगठन प्रान्तों की भाषा के अनुसार किया गया। मुख्य परिवर्तन थे—विषय-समिति की बैठकों का कॉमिश्नर के खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना तथा उसकी सदस्यता महासमिति के सदस्यों तक सीमित रखना—विषय समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 350 कर दी गई, सभापति, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष समेत 15 सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना।

असहयोग आन्दोलन के कारण

(1) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से असन्तोष—प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीयों ने उन-मन-धन से कॉमिश्नर की सहायता की थी, किन्तु भारतीयों के सन्तोष के लिए जो मॉन्टेग्यू-फोर्ड सुधार योजना प्रकटित की गई, टर्म्स परतर्पण की निगरानी हथ लगी। 1919 के अधिनियम से भारतीय जनता के हित में कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सके। मॉन्टेग्यू सुधार योजना के उलटापाने शासन की स्थापना से स्वशासन को बढ़ावा नहीं मिला। शिष्ट भारतीयों ने इस सुधार योजना को अनुदार तथा अपमानजनक माना, अतः असन्तोष उत्पन्न हुआ।

(2) आर्थिक दुर्दशा—1917 से 1920 तक की अवधि में भारतीयों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे उनमें असन्तोष फैला। मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, प्लेग और इन्फ्लून्जा के प्रकोप ने उनकी आर्थिक क्षमता तोड़ दी। महासमितियों से बहुतांश की जात से हाथ धोना पड़ा और इनके उत्पन्न एवं रोकथाम के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किए वे अपर्याप्त और असन्तोषजनक थे। भारत की जनता कई के बेग्न से दब गई, किसानों तथा मजदूरों की दशा दर्दनाक हो गई। चम्पारन में किसानों और अहमदाबाद में मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा ने महात्मा गाँधी को सत्याग्रह के प्रयोग का अवसर दिया।

(3) अकाल—1917 में अन्वृष्टि के कारण देश में अकाल फैल गया और अनेक व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु के शिकार हो गए। सरकार ने जनता के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं किया, जिससे जन-असन्तोष बढ़ता गया।

(4) सरकार का दमनचक्र—जनता सुधार और सगठन के कर्तव्य का प्रचार करती थी, परन्तु सरकार ने दस 144 और 108 का दौरे आरम्भ कर दिया था। राष्ट्रीय आन्दोलन की वैधानिक धारा को कुचलने के लिए सरकार ने प्रेस एक्ट, सेंटेंस एक्ट, एक्सप्रेसोसिबि सम्प्रेन्स एक्ट, ट्रिनिन्स अफेडिटेड एक्ट आदि दमनकारी कानूनों का अन्वय किया। क्रान्तिकारियों का परीक्षा करना पत्नी और कठोर कठोरता की सजा दी गई। शिष्टियों सभाओं पर रोक लाई गई और राष्ट्रीय नेताओं को अनेक स्थानों पर जले से रोका गया।

(5) रोल्ट एक्ट—युद्धकाल में क्रान्तिकारियों के दमन के लिए भारत सुशा अधिनियम परित किया गया था, जिसकी अवधि युद्ध काल तक थी, किन्तु युद्ध के बाद भी सरकार ने दमनकारी कानूनों का निर्माण जारी रखा। न्यायपीठ सर मिन्नी बलेंट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसका उद्देश्य यह मान्य करना था कि भारत में किस प्रकार और किस सीमा तक क्रान्तिकारी आन्दोलन फैला हुआ था तथा किन उपायों द्वारा उसका अन्त किया जाना सम्भव था। सरकार का उद्देश्य क्रान्तिकारी देशभक्तों को तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की सम्पूर्ण शक्ति को कुचल देना था। अप्रैल 1918 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसकी सिफारिश पर सरकार ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में फरवरी 1919 में दो विधेयक प्रस्तुत किए जिन्हें रोल्ट एक्ट कहा जाता है। देश भर में इन विधेयकों का विरोध 'काले विधेयक' (Black Act) कहकर किया गया, प्रदर्शन किए गए, हड़तालें की गयीं। सी. वाई. चित्तनी के अनुसार, "इन दोनों विधेयकों का विरोध परिषद के गौर सकारण राष्ट्रीय सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों और मनोनित सदस्यों सबने समान रूप से किया किन्तु सरकार अपना बात पर अडि रहने लगी।" रोल्ट एक्ट द्वारा सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को जेलों में डाल देने का अधिकार प्राप्त हो गया। नज़रदोस्तों को यह अधिकार मिला कि वे संदिग्ध क्रान्तिकारियों को मनुष्यी जाँच-पड़ताल के उपरान्त नजरबन्दा के आदेश जारी कर सकें। इन्डियन एवॉल्यूशन एक्ट की उस धारा को समाप्त कर दिया गया जिसके अनुसार पुलिस अधिकारों के सामने दो गवाही सच्य की गवाही नहीं मानी जा सकती थी। रोल्ट एक्ट को 'अनककारी और अपराध अधिनियम' (Anarchist and Revolution Crimes Act) की सजा दी गई। महात्मा गाँधी ने इस अधिनियम के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को 'शोक दिवस' तथा हड़ताल का आन्दोलन किया गया। विरोध में हिन्दुओं और मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया। देश भर में शिष्टियों हड़तालें हुईं, उपवास किए गए। कहीं-कहीं आन्दोलन ने हिंसक रूप ग्रहण किया। दिल्ली में जनता और पुलिस में झगडा हुआ और पुलिस को गोली से अनेक व्यक्ति हताहत हुए। गाँधीजी की सिफारिशों के समाचार से जनता उतेजित हो गई। सरकार ने शान्त आन्दोलन को कठोरता और निर्ममता से दबाने की नीति अपनाई। परब के गवर्नर डायर ने

बंदिगो नेताओं के पंजाब प्रवेश पर निरोध लगा दिया। डॉ. किप्लू तथा डॉ. सत्यपाल को बन्दी बनाकर अज्ञात स्थान पर देज दिया गया जिससे उतेजित अमृतसर के नागरिकों ने जुलूस निकाला। शान्तिपूर्ण जुलूस पर गोतियों चलाई गयीं और उतेजित जनता ने कई अंग्रेजों की हत्या कर दी तथा सार्वजनिक भवनों को आग लगा दी।

(6) जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड—पंजाब में भारत का प्रेस एक्ट तथा सेडीसन एक्ट का प्रयोग किया गया। नती में पानी बन्द कर दिया गया, बिजली बन्द दी गयी, जनता को पेट के बल रोककर चलने को बाध्य किया गया, शिखा के सामने पुराने को नंगा करके पीटा गया, सार्वजनिक राहोंपरों को बन्द कराया दिया गया और वकील चुनने की आशा नहीं दी गई। मदिहास्पद कारण पर व्यक्तिगतों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करना मामूली बात हो गयी। अमृतसर को उतेजित जनता को कुचलने के लिए नगर को सेना के अधिकार में सौंप दिया गया, जिसका सर्वेसर्हा जनरल डायर को उतेजित जनता को कुचलने के लिए नगर को सेना के अधिकार में सौंप दिया गया, जिसका सर्वेसर्हा जनरल डायर था। 13 अप्रैल को शहर में सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया जिसको भूयना जाता को नहीं दी गई। 13 अप्रैल को वीराजी के अवसर पर सरकार की नीति का विरोध करने हेतु जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ, बाग शहर के बीच में था और चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था उसमें अने-जने के लिए एक संकटो गली थी। सभा का कार्य शान्तिपूर्वक चल रहा था तो जनरल डायर 200 देशी और 50 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर आ पहुँचा। बाग के एक मात्र दरवाजे को रोक दिया गया और निर्दोष जनता पर गोतियों की बौछार कर दी गयी। सेना ने गोतियों चमकाना तभी बन्द किया जब कारतूस समाप्त हो गए। अतःकथस्त भीड़ गोली चलने ही तितर बितर होने लगी थी, किन्तु दस मिनट बाद तक निहत्थी भीड़ पर गोतियों की बौछार होती रही। जनरल डायर हथियारों से लैस एक गाड़ी आर्म्डकार गोली चमकाने के लिए स्थायी था सेकिन हांग दरवाजे के कारण गाड़ी बाग में नहीं जा सकी। इस हत्याकाण्ड में अनेक व्यक्ति मार गये और कई घायल हो गए। अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की देखभाल के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया। जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ने देश में आक्रोश की लहर फैला दी, जिसका विस्फोट असहयोग आन्दोलन के रूप में हुआ। जलियाँवाला हत्याकाण्ड के दो दिन बाद सैनिक शासन लागू करके कठोरता पूर्ण व्यवहार किया गया।

(7) खिलाफत आन्दोलन—मुसलमानों के खलीफा तुर्की-मुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीति से भारतीय मुसलमानों में उतेजना फैली और उन्होंने स्वयं को खिलाफत सम्मेलन में संगठित किया। खिलाफत आन्दोलन की माँग थी कि 'टर्की साम्राज्य का संपरण किया जाए और खिलाफत का आध्यात्मिक सभ्यता के रूप में अस्तित्व बना रहे। महात्मा गाँधी ब्रिटिश सरकार के प्रति कट्टर असहयोगी बन गए। उन्होंने तत्कालीन वायसराय की वापसी की माँग की और कहा कि हत्याकाण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तिदों को संपुष्टि दण्ड मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने अपने कार्यों को दचित टहलया। जनरल डायर को नौकरी से अलग कर दिया गया, पंजाब के गवर्नर तथा भारत के वायसराय के कार्यों की साहना की गई। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने जनरल डायर को माफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव लाया गया तथा उसे इनम दिया गया।

असहयोग का योग (1921-22)

अगस्त 1920 में कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ उसको पुष्टि दिनांक 1920 को नागपुर काँग्रेस में हुई। नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य समिति की बैठक 1921 में हर महोने विभिन्न स्थानों पर हुई। महासमिति की पहली बैठक (नागपुर) ने कार्य समिति का चुनाव किया और प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बँटवारा किया। जनवरी 1921 में नागपुर काँग्रेस के स्वागतार्थक सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुरी की पटवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए विलक स्वराज्य कोष में एक लाख रुपये दिये। इस कोष से वकील को 1000 रु और राष्ट्रसेवकों को 50 रु मासिक से अधिक नहीं मिल सकते थे। कोलकाता अधिवेशन के बाद ही गाँधीजी ने भारत की यात्रा कर असहयोग आन्दोलन का प्रचार किया। पंचायतों का निर्माण हुआ जो सन्सतपूर्वक काम करने लगीं। उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए और दो-तिहाई मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। वीसिलों के बहिष्कारों में सहनीय सकलता मिली। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में आशातोत सफलता दिखाई पड़ी। जनवरी 1921 के मध्य तक ही हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण किया गया। काशी विद्यापीठ, बंगाल तथा पंजाब के राष्ट्रीय विद्यालयों और दिल्ली के जामिया मिल्लिया की स्थापना की गयी। चरखा कातना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और चरखा राष्ट्रीय चिह्न बन गया। छतर तथा गाँधी टोपी ने राष्ट्रीय पोशाक का रूप ले लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और राज्य कर्मचारियों ने नौकरियाँ छोड़ दीं। राष्ट्रीय स्वसेवकों को संगठित किया गया। जुलाई 1921 में मुम्बई में काँग्रेस महासमिति की बैठक के बाद छाती बुनने तथा छात्र सम्बन्धी विविध क्रियाओं की ओर देश का ध्यान गया। महासमिति ने यह सलाह दी कि काँग्रेसी 1 अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दें। मुम्बई और अहमदाबाद के मिल मालिकों से अनुरोध किया गया कि वे कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात में रखें और वह ऐसी हो

जिससे गरीब उस कपड़े को खरीद सके। विदेशी कपड़े मँगाने वाली से बड़ा गया कि वे विदेशी रुपये न मगाए और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के बाहर खराने का उद्यम करें।

असहयोग आन्दोलन को खिलाफत आन्दोलन ने समर्थन दिया। 8 जुलाई, 1921 को कराची में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में सेना को भर्ती का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया। मोपता के खिलाफत आन्दोलन ने जोर पकड़ा। सरकार ने अली बन्धुओं को गिरफ्तार कर दो वर्ष की सजा दी। इससे देश में रोष बढ़ गया। जनवरी 1921 में गाँधीजी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों को होली जलाई गई। दिल्ली में नवम्बर 1921 में सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाए इसके निर्णय का भार प्रांतीय काँग्रेस कमेटियों पर छोड़ दिया गया। यह जागरण था कि प्रत्येक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्यक्रम के उस अंश को जो ठम पर लागू होना हो, पूर्ण कर ली हो, वह चरखा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, खदर पहनना हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखना हो, खिलाफत और पञ्च के अन्वयों को दूर करने और स्वायत्त प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखना हो और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्रीयता के लिए क्लृप्त समझना हो।

सरकार का दमनचक्र तेजी से चला और दफा 144 और 108 का दौर आम बात हो गई। राष्ट्रीय नेताओं को अनेक स्थानों पर जाने से रोका गया। मार्च 1921 में नवकाला बाग़ हुआ। मार्च के पहले मन्हा में गृहद्वारा में कुछ सिक्ख इकट्ठे हुए। वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उन पर गोलीयाँ चलाई गई जिसमें जनता के बचनानुसार 195 और सरकार के अनुसार 70 मौतें हुईं। सरकार ने आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की, परन्तु यह अधिक जोर पड़ना गया। 17 नवम्बर, 1921 को ब्रिटिश युवराज के भारत आगमन के विरोध में सर्वत्र प्रदर्शन किया गया। युवराज की आगवाली से सम्बन्ध रखने वाले ठानवों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। युवराज के मुर्खई पदार्थों में चार दिनों तक दंगे और खून-खराबे होने लगे। फलस्वरूप 53 आदमी मारे गए और 400 घायल हुए। ये दंगे सगेजिती नायदू और गाँधीजी के रोके न टुके। गाँधीजी ने अब तक शान्ति स्थापित न हो जाए, जनता की आदतियों का प्रायश्चित्त करने के निमित्त 5 दिन का उपवास किया। देश भर में स्वयंसेवकों के दल संगठित हुए। युवराज 25 दिसम्बर को कोलकाता जाने वाले थे। बंगाल सरकार ने ब्रिगिन्गल लान्सेट-इन्स्ट-एक्ट के अनुसार स्वयंसेवक भर्ती करना गैर कानूनी करार दे दिया था, बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें देशबन्धु दाम, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पञ्जाब की बारी आई। अहमदाबाद जते हुए लाप्पा जी पण्डित मोर्दालाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जेल में बन्द कर दिए गए।¹

काँग्रेस सरकार में सज्जती की गतधीत चली जो असफल रही। 21 दिसम्बर, 1921 को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक राष्ट्रमण्डल वायसराय से मिला। देशबन्धु कोलकाता की अलीपुर जेल में थे। ठाने मध्यमों की टैन्सेन द्वारा बात हुई। शीघ्र ही गाँधी जी से अहमदाबाद में तार द्वारा सम्पर्क करना आवश्यक समझा गया। सरकार इस पर राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया जाए और मार्च 1922 में गोलमेज परिषद बुलाई जाए, जिसमें काँग्रेस की ओर से 22 प्रतिनिधि हों। इस परिषद में मुझा शौजदा पर विचार किया जाए। देशबन्धु दाम की माँग थी कि नए कानून के अनुसार सजा पाए हुए कैदियों को छोड़ दिया जाए। मजहोते के निश्चय का फल यह हुआ कि लाप्पा जी जैसे कैदी और फतेवे के कैदी, जिनमें मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, डॉ. किचनू और अन्य नेता शामिल थे, जेल में रह गये, परन्तु गाँधी जी कलकत्ते के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आर्थिक रूप में इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने माँग पेश की कि फतेवे के कैदियों को छोड़ा जाए और निश्चित्य जारी रखने का अधिकार माना जाए। ये माँग नामजूर कर दी गई। फलतः मजहोते को बाल असफल रण और युवराज के आगमन के सम्बन्ध में बहिष्कार के कार्यक्रम का पालन भारत की जनता ने किया।

दिसम्बर 1921 के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद काँग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति हर्शम अग्रवाल हीं थे। जो हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतिनिधि थे। उनके सभापतित्व में असहयोग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में मुख्य प्रस्ताव पाम हुए जिसमें कहा गया काँग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप भारतीय जनता ने निर्भयता, अल्प-बलिदान और आत्म-सम्मान के मार्ग पर पर्याप्त प्रगति करने के साथ सरकार के सम्मान को बहुत धक्का पहुँचाया है और देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीव्र गति से हो रही है इन्होंने काँग्रेस, कोलकाता के विशेष अधिवेशन द्वारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराए गए प्रस्ताव को स्वीकार बतरी है और दृढ़ निश्चय प्रकट करती है कि जब तक स्वायत्त की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम चलना रहेगा। इस प्रस्ताव के अगले अर्थों में जनता को स्वयंसेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वयंसेवकों के लिए कुछ प्रतिज्ञाएँ निश्चित की गयीं जो इस प्रकार थीं—स्वयंसेवकों को माली करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि—(1) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ का सदस्य होना चाहता हूँ। (2) अब तक मैं सभ का सदस्य नहीं हूँ तब तक वचन और कर्म में अहिंसात्मक

रहूँगा। (3) मुझे साम्प्रदायिक एकता पर विश्वास है और इसकी उन्नति के लिए मैं सदैव प्रयत्न करता रहूँगा। (4) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशी का प्रयोग आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के कते और बुने छदर का इस्तेमाल करूँगा। (5) हिन्दू होने की ईशियत से मैं आभ्युपगता का दूर करने की न्यायपरता और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ। (6) मैं अपने धर्म और अपनी देश के लिए बिना विशेष किये जेल जाने, आघात सहने और मरने के लिए तैयार हूँ। (7) अगर मैं जन जाग्रता से अपने कुटुम्बियों और शत्रुओं की सहायता के लिए काँग्रेस से कुछ नहीं माँगूँगा।

31 जनवरी, 1922 को काँग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कर सरकार का जवाबनी दी गई निम्न नीतियों में परिवर्तन करे और उन असहयोगी कैदियों को मुक्त कर दे जो अहिंसात्मक कार्यों के लिए जेल गए हैं या जिनका मामला विचारामोचन है। सरकार से अनुरोध किया गया कि वह साक्षर ज्ञानियों में देश का अहिंसात्मक हलचल में सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दे। अहिंसा की शर्तें सदा लागू रहें। गांधी जी ने थायसराय को परबरी 1923 के अपने पत्र में लिखा कि यदि सात दिन के भीतर सरकार ने घोषणा कर दी और प्रस से कठोर प्रतिबन्ध हटा लिया तो मैं उस समय तक के लिए उम सत्याग्रह मुल्लवी काले की सलाह दूँगा जब तक सारे कैदों छूट कर नए विधे से विचार न कर लें। यदि सरकार यह घोषणा कर दे तो मैं उसे सरकार की ओर से लोकमान्य के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूँगा। मैं सलाह दूँगा कि दूसरों पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित भागों की पूर्ति के लिए ठोस लोकमत तैयार करे। उम सत्याग्रह तभी किया जाएगा जब सरकार तटस्थ रहने की नीति का पालन करेगी अथवा जब वह जन-समुदाय की माँगों को मानने से इनकार कर देगी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के वक्तव्य का जो उत्तर छपावता उसमें दमन नीति का यह बह का समर्थन किया गया कि यह नीति मुम्बई के दमो अनेक स्थानों पर उत्तमनाक और गैर-कानूनी तरीकों और स्वयंसेवक हलों द्वारा हिंसा करने धमकाने और कायका में बाधा डाने के फलस्वरूप है। सरकार ने गांधी जी की चेतावनी की परवाह नहीं की कि यदि सात दिनों के अन्दर सरकारी नीति में कोई परिवर्तन न किया गया तो कर नहीं तो आन्दोलन (No Tax Campaign) आरम्भ कर दिया जाएगा।

चौरी चौरा काण्ड और असहयोग आन्दोलन का स्थगन
गांधीजी का वक्तव्य और सत्याग्रह समिति की रिपोर्ट

असहयोग आन्दोलन से बड़ी आशाएँ थीं लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। सात दिन बीते भी नहीं थे कि गारखपुर जिले की चौरी चौरा नामक स्थान पर दुर्घटना हो गई। 5 परबरी को चौरी चौरा में काँग्रेस ने जुलूस निकाला जहाँ 21 सिपाहीयों और एक धानेवा को भीड़ ने एक धाने में खदेड़ दिया और आग लगा कर मार डाला। ऐसे ही हत्याकाण्ड 13 जनवरी को चैन्नई में तथा 17 सितम्बर को मुम्बई में हो चुके थे। आन्दोलन में हिंसात्मक प्रवृत्ति के प्रवेश से गांधीजी दुःखित हुए अतः उन्होंने आन्दोलन को 12 फरवरी, 1922 से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

गांधीजी की गिरफ्तारी और उनका वक्तव्य

आन्दोलन के समाप्त होने के बाद 22 मार्च 1923 को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में सेरान सुपुर्द कर दिया गया। यह ऐतिहासिक मुकदमा 18 मार्च को अहमदाबाद में शुरू हुआ। सराजिनी-नायडू ने एक पुस्तक की प्रीमिका में लिखा कि "जब गांधीजी की वृद्ध शान्त और अजेय देह ने अपने शिष्य और सहबन्दी शकरलाल बैकर के साथ अदालत में प्रवेश किया, कानून की निगाह में उस अपराधी के सम्मान के लिए सभी उठ खड़े हुए।" कानूनी अहलकारों ने तीन लेख छटि जिनके लिए गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था—(1) राजपत्रिका में दुखन्द (2) सपसरा और समाज हल एवं (3) गर्जन-वर्तन। जब अभियोग पढ़कर सुनाये गए, गांधी जी अपना अपराध स्वीकार किया। बैकर ने भी स्वयं को अपराधी कबूल किया। इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा।

जज ने गांधीजी को छ वर्ष की सजा सुना दी। अपने उत्तर में गांधीजी ने कहा कि उनके लिए परम तीर्णाम्य की बात है कि उनका नाम तिलक के साथ जोड़ा गया है। गांधीजी की सजा के बाद काँग्रेस मरसमिति ने असहयोग सविनय धर्य और सत्याग्रह के सिद्धान्त तथा व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करने का प्रयत्न किया, जिन्से गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ असहयोग आन्दोलन समाप्त हो चुका था। देशबन्धु दास तथा विद्वलभाई पटेल ऐसा असहयोग चाहे। वे जिसका प्रवेश नौकरशाही के गढ़ में हो सके।

काँग्रेस समिति की रिपोर्ट—गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद काँग्रेस कार्यसमिति ने असहयोगी व्यक्तियों को चेतावनी दी कि वे मुकदमों में हाथ में लें और असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करें। काँग्रेस महारसमिति ने सत्याग्रह समिति नियुक्त की जिसे देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट देनी थी। सत्याग्रह समिति ने जो विशेष सिफारिशें प्रस्तुत की, उन्हें संक्षेप में डॉ. पट्टाभिसीतारमैया ने इस प्रकार प्रस्तुत किया—

(1) सत्याग्रह—देश समूहिक सत्याग्रह के लिये तैयार नहीं है। हम सिद्धांत करते हैं कि प्रांतीय कॉमिस कमिटियों को अधिकार दे दिया जाए कि यदि महासमितियों की सत्याग्रह सम्बन्धी शर्तें पूरी हो तो वे अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मजूरी दे सकते हैं।

(2) कॉमिसल प्रवेश—कॉमिसल प्रवेश के सम्बन्ध में डॉ. एम. ए. अन्सारी, एजरोपेल्यावर्य तथा एम. कस्तुरी राय आदिकों की सिद्धांतों की कॉमिस की नीति में हलचलकी किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। इसके विरुद्ध हकीम अब्दुल खान ए. मोहम्मदलाल नेहरू और सादार वल्लभ भाई पटेल का मत था कि—(i) असहयोगियों का उन्मोचनकारी के निरपेक्ष और खिलफत की दादारी और सम्बन्ध स्वयंश्रुति के उद्देश्य से छोड़ा होना चाहिए और अधिकारिक सत्ता में पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। (ii) यदि असहयोगी अधिक सत्ता में पहुँच जायें कि उनके बाँध कोष पूरा न हो सके तो उन्हें कॉमिसल धन में जबर बँटक में रूपाँक नहीं होना चाहिए। वे कॉमिसल में केवल इस्तिस्नात जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सके। (iii) यदि असहयोगी इतनी सत्ता में पहुँचें कि अधिक होने पर उनके विरुद्ध कोष पूरा हो सकता हो तो, उन्हें प्रत्येक साकार कार्यवाही की जिम्मेदारी बरतनी चाहिए, विशेष करना चाहिए और केवल पत्र लिखना और स्वयंश्रुति सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिए। (iv) यदि असहयोगी अन्यसत्ता में पहुँचें तो इस कॉमिसल के बन को घटना चाहिए। (v) कॉमिसलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कॉमिस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(3) स्थानीय संस्थाएँ—हमारे सिद्धांतों में कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम के निरूपणनिर्देशियों, जिन्हा बेटों और लोकल बेटों की उन्मोचनकारी के लिये खड़े हैं, पानु असहयोगी सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में निदम-उपनिदम न बन जायें।

(4) स्कूल एव कॉलेजों का बहिष्कार—प्रकार बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने की सलाह नहीं देनी चाहिए।

(5) अदालतों का बहिष्कार—पंचायतें स्थानिक प्रवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए। वकीलों पर लगे प्रतिबन्ध उठाने मेंना चाहिए।

(6) आन्तरिक अधिकार—सबका मत था कि कामून आन्तरिकी की स्वतन्त्रता सबका ही मर, यथा इससे हिता की नैबत न आ जाए। धर्म के सम्बन्ध में, सिद्धों की रक्षा करने में या पुरुषों पर अनुचित आन्तरिक होने पर शारीरिक बल का प्रयोग मान नहीं है। श्री पटेल का मत था कि असहयोगियों को कामून में आन्तरिकी करने का अधिकार रहना चाहिए, पानु इससे सामूहिक हिता की नैबत न आ जाए।¹

(7) अर्थीय मजदूरी का बहिष्कार—सत्याग्रह सन्धि की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि असहयोग के पुरान और नवीन दल समान रूप से विभाजित थे। डॉ. पटेलसिद्धांतों के शब्दों में, "दोनों असहयोग के दल थे और साकार में सहयोग करने की कोई तैयारी न था। अन्तर केवल इतना था कि नवीन दल असहयोग को कामून में एक दूसरी छोड़ने बहाकर उससे नैबतग्राही के गढ़ कॉमिसल के मंदिर से दूर छोड़ने का समर्थक था।" कॉमिसलों और महासमितियों ने सन्धिनिर्देशियों और स्थानीय बेटों के निरूपण होना आत्म्य कर दिया था। मजदूरी होने पर वे असहयोगी के निरूपण और नैबतों के निरूपण की बहिष्कार के व्यवहार पर जोर देते थे। अन्तिम पर राष्ट्रीय जहाज बहने का अग्रह करते थे, सन्धिनिर्देशकों में बारा और हिन्दी के प्रकार की सिद्धांत करते थे और गवर्नर एव निरूपणों के आन्तरिकी का बहिष्कार करने पर बल देते थे। गौंधीजी ने सन्धि-बाँध काट के बाद 12 फरवरी, 1922 को असहयोग आन्दोलन की अनिश्चित काल के निरूपण कर दिया था जो गौंधीजी की सिद्धांतों के बाद सिद्धि यह चुका था और अब कॉमिसलों में प्रवेश करके साकार के काम में बाधा डालनी या साकार से असहयोग करने की नीति बन फटने लगी। इस नीति के समर्थकों ने कॉमिस से अलग होकर स्वयंश्रुति दल की स्थापना की (1 जनवरी, 1923)।

असहयोग आन्दोलन का मूल्यांकन

12 फरवरी 1922 को गौंधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन समाप्त करने से उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया आत्म्य हुई। गौंधीजी को मार्च, 1922 को निरूपण करके छ वर्ष का बन्धन दिया गया था। स्वस्थ विरुद्ध जाने के कारण उन्हें दस वर्ष बन्द छोड़ दिया गया। अनेक दुर्घटनाओं के बन्धन असहयोग आन्दोलन महासन्धि सिद्ध हुआ। यथा—1. बर पहला जन-आन्दोलन का जिसने भारत की राष्ट्रीयता में नूतन प्राण फूँके और देशवासियों में स्वतन्त्रता तथा निरूपण की भावना पैदा कर दी। 2. कॉमिस ने खरी, बाँध काटना, राष्ट्रीय शिला माल्टर चन्दा स्वदेशी अन्धि अन्य निरूपण। इससे भारतियों में स्वदेशी वस्तुओं के निरूपण प्रेरण हुआ तथा देश के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। 3. राष्ट्रीय शिला माल्टरों से देशभक्त उत्पन्न होने लगे, जिसने कॉमिस की लम्बे स्वयंश्रुति सर्प में कार्यकर्ताओं की कमी महसूस नहीं हुई।

स्वराज्य दल - उदय और अस्त

1922 में असहयोग आन्दोलन के स्थान से काँग्रेस के अधिकांश नेताओं और जनता में भारी क्षोभ फैला। चितरंजनदास ए. मोतीलाल नेहरू, ए. सी. क्लेकर सत्याग्रह समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस में नया दल बन रहा था। 1922 में काँग्रेस अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष चितरंजनदास ने अधिवेशन के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। काँग्रेस अधिवेशन की नीति को पताचय मिली। असन्तुष्ट चितरंजनदास ने अध्यक्ष पद से और मोतीलाल नेहरू ने काँग्रेस से स्वीकृति दे दिया। तदन्तर मोतीलाल नेहरू ने 'स्वराज्य दल' की स्थापना की।

स्वराज्य दल का सिद्धान्त और कार्यक्रम

स्वराज्य दल का सख्त 'स्वराज्य' प्राप्त करना था। 'स्वराज्य' से उसका अभिप्राय साम्राज्य के अन्तर्गत 'औपनिवेशिक स्थिति' (Dominion Status) उपलब्ध करना था। स्वराज्य चाहते थे कि निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवस्थापक मण्डलों की सीटों पर चुनाव कर लिया जाए। इस प्रकार व्यवस्थापक मण्डलों में पहुँच जाने के उपरान्त वहाँ सरकार के प्रति असहयोग किया जाए और सरकारी नीति में रोड़ा अटकवाया जाए। ए. मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चितरंजन दास ने 'अदंगा' शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा था, "हमने अपने कार्यक्रम में अदंगा शब्द का व्यवहार किया है जो ब्रिटिश संसद के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं, मातहत और सीमित अधिकारों वाली कौंसिलों उस अर्थ में अदंगा डालना असम्भव है, क्योंकि मुघल कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार गिने-चुने हैं पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अदंगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही द्वारा डाली गई रुकावटों का मुकाबला करना अधिक है।"¹

स्वराज्य दल के अनुसार कौंसिल प्रवेश का कार्यक्रम असहयोग सिद्धान्त के अनुकूल था। वह ठपित था कि नौकरशाही के गड़ (व्यवस्थापिका) में प्रवेश कर असहयोग का झण्डा फहराया जाए। कौंसिलों में प्रवेश करने के बचतों को रद्द करने के पक्ष में थे और उन कानूनी प्रस्तावों को अस्वीकार करना चाहते थे जो नौकरशाही की स्थिति सुदृढ़ करने वाले हों। 'अदंगा' स्वराज्य दल के कार्यक्रम का विष्वसाम्यक पक्ष था। रचनात्मक पक्ष में इसका कार्यक्रम उन प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को प्रस्तुत करना था जो राष्ट्रीय जीवन को प्राणवान बनाने वाले हों और अन्त में नौकरशाही को उखाड़ फेंकने में सहायक बनें। कौंसिलों के बाहर स्वराज्य दल ने महत्त्व गाँधी के रचनात्मक कार्यों में सहयोग देने का वचन दिया।

स्वराज्य दल का मूल्योक्त

मॉन्ट-फोर्ट सुधारों और दूध-शासन प्रणाली विनष्ट करने के अपने कार्यक्रम को सापने रखकर स्वराज्य दल ने नवम्बर, 1923 के निर्वाचनों में भाग लिया और कुछ स्थानों पर सफलता प्राप्त की। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में 145 सीटों में से 45 सीटें स्वराज्य दल के कब्जे में आ गईं। उदाहरणार्थ 1924-25 के बजट के पचासवें भाग को अस्वीकार कर दिया गया और सरकार को उसको पुनर्निश्चित करने के लिए गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा। प्रान्तों में स्वराज्य दल ने बंगाल और मध्य प्रान्त में सफलता अर्जित की। इन प्रान्तों में दूध-शासन प्रणाली की क्रियान्विति को रोक दिया गया। स्वराज्य दल की सफलता के सम्बन्ध में एच. ए. वेल्सकोर्ट ने कहा— "मेरे विचार से अदंगा संग्राम की नीति सही थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दल को न्यायल कर दिया था कि दूध शासन प्रणाली अव्यवहार्य है।"

1925 में देशबन्धु चितरंजनदास की मृत्यु के पश्चात् स्वराज्य दल की शक्ति में ह्रास होने लगा और दल सरकार के साथ सहयोग करने की दिशा में झुकता गया। "व्यवस्थापक मण्डलों को छिन्न-भिन्न कर देश की नीति का स्थान व्यवस्थापक-मण्डलों में भाग देने, उनका उपयोग करने और सरकार के साथ सहयोग तक करने की नीति लेने लगी।" बंगाल और मध्य प्रान्त में स्वराज्य दल का प्रभाव घट गया। 1926 के बाद इस दल में फूट पैदा हो गयी और वह दो दलों में विभाजित हो गया। एक दल शासन के साथ प्रतियोगी सहयोग करने की नीति का प्रतिपादक था दूसरा असहयोग करने की नीति का। 1926 के अन्त तक स्वराज्य दल अपनी शक्ति खो बैठा।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रारम्भ से पूर्व घटनाक्रम

काँग्रेस का लाहौर-अधिवेशन (1929)

1922 से 1927 तक का काल अशांति का रहा। ह्रास अधि में राष्ट्रीयता का अत्यधिक प्रसार हुआ। नवम्बर, 1927 में ब्रिटिश सरकार की ओर से 1919 के शासन विधान के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा गया। इस कमीशन के सातों सदस्य अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य नहीं रखे जाने से भारतीय जनता को असंतोष हुआ। कमीशन का भारत में पूर्ण बहिष्कार हुआ। उसे काले झण्डे दिखाये गये।

1 डॉ. कर्मण सिंह वैधानिक विकास और स्वाधीनता सर्प १७१-१८०

'साइमन वापस जाओ' के नारे लगाए गए। सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ बरसाई गईं और धोड़े दौड़ाए गये। लाहौर में पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हुए एवं चले बसे। लखनऊ में नेहरू और गोविन्द वल्लभ पंत पर लाठियाँ पड़ीं। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने दो बार यात्रा की और अपना रिपोर्ट दी जो मई, 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने देश में व्याप्त असंतोष को दौड़ा कर दिया। भारतीय नोकमन ने रिपोर्ट को टुकरा दिया जिसमें आंध्रराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वायत्त (Dominion Status) का विकल्प नहीं किया गया। केन्द्र में उन्मत्तों की सरकार की स्थापना के लिए कुछ नहीं बढ़ा गया था, प्रान्तों में रक्षा कवचों (Safeguards) के साथ उतरदायी शासन की स्थापना की बात कहकर महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नरों को अपने अधिकारों के निर्णयों का उत्तरदायन बनने की बात कही गई थी और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से स्वयं में निम्न करते हुए उसे अनिवार्य ठहराया गया। एन्ड्रूज के अनुसार साइमन कमीशन की रिपोर्ट का दोष यह था कि इसने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन से सम्पूर्ण देश में सम्मन दिये परिवर्तन और जनता की अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं की उपेक्षा की।¹

भारतीयों के विरोध ने ब्रिटिश शासन को डुबका कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने चुनौती दी कि भारतीय सम्मिलित रूप से अपना विधान नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजों को विश्वास था कि हिन्दू मुसलमान एक नहीं हो सकेगे, लेकिन सरकार को चुनौती मंजूर की गई। कॅमिशन द्वारा 1928 में रिपोर्ट में एक सर्व-दलीय सम्मेलन बुलाया गया। पं. जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बने। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भारत के प्रांतीय सविधान का ढांचा प्रस्तुत किया गया। भारत के लिए औपनिवेशिक स्वायत्त की माँग रखी गई। 1928 में लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई, लेकिन बाद में मतभेद उठ खड़े हुए। रिपोर्ट से सरकार चौंखना गई। उसने मुसलमानों को ठोड़ने की नीति अपनाई। फलस्वरूप मुस्लिम समुदाय में मतभेद हो गया। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया, किन्तु पृथक्प्रायश्चित्त तत्वों ने इसका विरोध किया। कॅमिशन द्वारा दिसम्बर, 1928 में यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया कि नेहरू रिपोर्ट में शासन विधान को जो योजना प्रस्तुत की गई है वह स्वागत-योग्य है और यदि ब्रिटिश संसद इसे 31 दिसम्बर, 1929 तक या इससे पूर्व स्वीकार कर लेगी तो कॅमिशन इस विधान को अपना लेगी। प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि 31 दिसम्बर, 1929 को ब्रिटिश संसद प्रस्तावित विधान को मंजूर नहीं करेगी या इससे पूर्व ही उसे नामंजूर कर देगी तो कॅमिशन देश को कर बन्दी को सलाह देकर अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलावेगा। पृथक्प्रायश्चित्त मुस्लिम तत्वों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के मुक़ाबले चौदह सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। मुस्लिम हितों को अनुचित रूप से सरक्षण देने वाली ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना-योजना का विरोध नहीं किया और ये शर्तें मैकडोनाल्ड के 'साम्प्रदायिक पंचाट' (Communal Award) में सम्मिलित कर ली गईं। जनता में रोष भड़क उठा और 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन के लिए वादचरण तैयार हो गया।

लाहौर-कॉमिंग (1929) का 'पूर्ण स्वायत्त' का प्रस्ताव और

26 जनवरी, 1930 का स्वाधीनता घोषणा-पत्र

सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट के टुकरा दिये जाने और पृथक्प्रायश्चित्त मुस्लिम तत्वों को प्रोत्साहन देने पर कॅमिशन ने दिसम्बर, 1929 में लाहौर अधिवेशन किया। पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में भारत के अन्तर्गत पर तीव्र क्रोध व्यक्त किया तथा भारत को स्वतंत्र बनने के अपने दृढ़ निश्चय को प्रकट किया। लाहौर कॅमिशन में 31 दिसम्बर, 1929 को मध्य-रात्रि को प. नेहरू की अध्यक्षता में 'पूर्ण स्वायत्त' सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया।

कॅमिशन के आदेश से 26 जनवरी, 1930 को देश में 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया गया। कॅमिशन की नई कार्य समिति को बैठक 2 जनवरी, 1930 को हुई, उसने 26 जनवरी, 1930 के पूर्ण स्वायत्त दिवस के लिए एक घोषणा-पत्र तैयार करके जनता के सम्मुख पढ़कर सुनाया और उस पर हाथ ठाठाकर श्रोताओं की सम्मति लेना तय हुआ।² उस दिन सुनया जाने वाला घोषणा-पत्र संक्षेप में यह था— "हम भारतीय प्रजाजन अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने अधिकार का फल स्वयं भोगें और जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, जिससे हमें विकास का पूरा मौक़ा मिले। अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का अन्वयण कर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का शोषण किया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वायत्त प्राप्त कर लेना चाहिए।"

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ

स्वाधीनता-दिवस मनाने से स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी शक्ति और आत्म-बलिदान को मध्यम विद्यमान है जिसे जाग्रत करने की आवश्यकता है। 25 जनवरी, 1930 को असेम्बली में दिया गया वाचनमय का भाषण प्रकाशित हुआ

जिसमें भारत के आजागदी और विश्वासाशील राजनीतियों की आशाओं पर पानी फिर गया। गांधीजी ने यह इंग्रहमा में लॉर्ड इर्विन के समक्ष ये शर्तें रखीं—1 सम्पूर्ण मंदिर निषेध। 2. विनियम की दर घटा कर एक। शनिवार पार पस कर दी जाए। 3. जमीन का लगान आधा कर दिया जाए और उस पर कौंसिलों का नियंत्रण रहे। 4. नमक-कर हटा दिया जाए। 5. सैनिक-व्यय में 50 फीसदी कमी कर दी जाए। 6. विदेशी वपड़े के आयात पर निषेध कर लगा दिया जाये। 7. भारतीय समुद्र तट भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाए। 8. इत्या या इत्या के प्रयत्नों में साधारण दिव्यनतों द्वारा सजा पाए लोगों के सिवाय समस्त राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाए तथा समस्त राजनीतिक मुकदमों वपस ले लिए जाएँ। 124 अ धारा और 1818 का तीसरा रेग्यूलेशन उगा दिया जाय। 9. खुदिया पुलित्त हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाए। 10. आत्म-रक्षाई हथियार रखने हेतु लाइसेन्स दिए जाएँ और उन पर जनता का नियंत्रण रहे।

महात्मा गांधी ने कहा—“अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्रप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों परंतु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक असहयोग के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा करे, अप स्वराज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का यह अपना मत और लाहस प्रदान करे।”

इसमें का अमेम्वली और कौंसिलों से त्याग पत्र—कंग्रेस के आदेश पर कौंसिलों के 172 सदस्यों ने फरवरी 1930 तक त्याग-पत्र दे दिए। इनमें से 21 अमेम्वली के और 9 राज्य परिषद के सदस्य थे। तत्कालीन शासकण भारत के अनुकूल नहीं था और गांधीजी के आन्दोलन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार थी। लॉर्ड इर्विन की धारणा स स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत को औपनिवेशिक शक्ति प्रदान नहीं करेगी।

सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश और सरकार को अन्तिम चेतावनी

दिसम्बर 1929 में ‘पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधीजी गम्भीरता से विचार कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन किस प्रकार प्रारम्भ किया जाए। 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में काप्रेत कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित करते गांधीजी को आन्दोलन शुरू करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। कुछ समय बाद अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई जिसमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। गांधीजी ने 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इर्विन को अन्तिम चेतावनी के रूप में एक पत्र लिखा जिसमें सविनय अवज्ञा का उद्देश्य स्पष्ट किया। इस पत्र की रेजिनाल्ड नागक अग्रेज मुकद दिल्ली ले गया जा कुछ समय तक आश्रम में रह चुका था। गांधीजी के इस पत्र को अन्तिम चेतावनी का नाम दिया गया। लॉर्ड इर्विन ने खूब प्रकट किया कि गांधी जी ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कानून और सार्वजनिक शान्ति भंग होगी।

गांधीजी का कृप अनिवार्य हो गया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ दाण्डी यात्रा (Dandi March) की ऐतिहासिक घटना से हुआ। 12 मार्च 1930 को अपने 79 साथियों सहित महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दाण्डी जापक प्राय के लिए प्रस्थान किया ताकि वहाँ नमक बनाकर सरकारी नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। 200 मील की लम्बी यात्रा पैदल 24 दिना में तय की गई। दाण्डी पहुँच कर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर 6 अप्रैल 1930 को आन्दोलन का उद्घाटन किया और सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हो गया।

गांधीजी द्वारा आरम्भ किए गये इस आन्दोलन को सख्य, धन और प्रभाव का बल मिला चलता गया। गांधीजी की कृप यात्रा से सरकार विचलित हो गई एवं आश्रम को लगेटी और दण्डधारी गांधीजी की पैदल यात्रा का विनियम चित्र न दिखाया जाए। गांधीजी ने घोषित किया कि स्वराज्य नहीं मिला तो मैं रास्ते में मर जाऊंगा अथवा आश्रम के बाहर रहूँगा। नमक-कर न उठा सकर तो आश्रम लौटने का इरादा नहीं है। अमेरीकी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अधिश्राप समझता हूँ और इसे नष्ट करने का प्रयत्न कर चुका हूँ। गांधीजी ने मार्मिक शब्दों में कहा—“मैंने स्वयं गाड सेव दि किंग के भी गाह और दूसरे से गहाये हैं। मुझे पिशा देहि की राजनीति में विश्वास था, पर यह व्यर्थ हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है, पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है। हम किये का भारत नहीं चाहते किन्तु इस शासन को खत्म कर देना हमारा परम कर्तव्य है। 6 अप्रैल को गांधीजी ने अपनी यात्रा की समाप्ति पर अपने साथियों सहित समुद्र तट से नमक बान कर नमक कानून तोड़ा और गांधीजी ने कहा नमक-कानून विध्वस्त भंग हो गया है। मेरी सलाह है कि सर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनटें, जहाँ उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहाँ उसे काम में लाएँ और प्रायवासियों को सिखा दें, परन्तु उन्हें यह अवश्य जता दें कि कानून छिप कर नहीं छुलकर भंग करता है।” सरकार हमारी बहिनों से लड़ाई मोल नहीं लेगी और यदि सरकार सीधोत्सधन करती है तो विनया जो खोलकर स्वाधीनता संग्राम में कूद सकती है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण

1. ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को टुकरा कर भारतीयों के निर सपर्य के अतिरिक्त कोई मांग नहीं छोड़ा।
2. देश की आर्थिक हालत निरन्तर शोचनीय होती जा रही थी और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने हालत और बिगाड़ दी थी। बस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं और किसानों की हालत दयनीय थी, वे कर लगान या कर्ब नहीं चुका सकते थे।

3. औद्योगिक समस्याओं में इढ़ताते आम बाव हो गयी थी। मेरठ इद्ययत्र केस में गिरफ्तार 36 मजदूर नेताओं को लम्बी कैद की सजा होने की घटना ने देश भर के मजदूरों में सनसनी फैला दी थी और वे सगठित होने लगे थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, 'प्रथम आन्दोलन सिद्धान्त एवं सगठन में वर्ग-चेतना खजनाक हो रही थी।'¹

4. सरकार का हर कदम अंग्रेजों को घमंदा पहुँचाने का होता था, इसनिर रूपे के मून्व में परिवर्तन कर दिया गया था, अन्त औद्योगिक और व्यावसायिक वर्ग सरकार के विरुद्ध बर्तिस द्वाप सचलित आन्दोलन में भाग लेना चाहता था।

5. वातावरण अरुन्त और उग्र था। अन्त हिसाम्यक सपर्य की सम्पन्नता अधिक हो गयी थी। बर्तिस के उचित निवेदन को टुकराने की नीति सरकार ने अपना ली थी। अन्त महत्ताप गांधी ने सपन्न निधा कि अंग्रेज जाति इक्ति द्वाप हो दब सकती है।

आन्दोलन का कार्यक्रम, प्रगति और सरकार का दमन चक्र

सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने के पहले महात्मा गांधी ने अपनी 11 शर्तों अथवा माँगों की सूची वापसपय को भेजी थी, जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम थी। इस आन्दोलन का कार्यक्रम था—सम्पूर्ण मंदिर निषेध, स्वतन्त्रतापूर्वक नमक बनाना, शावप एवं अस्त्रीय तथा विदेशी कपड़ों की दूखनों पर धरना देना, सरकारी नौकरियों तथा न्यायालयों तथा शिक्षण समस्याओं का बहिष्कार करना, चरखा चमनना आदि। जनता ने उत्साह से भाग लिया। सरकार का दमनचक्र बढ़ता गया। नेताओं को बंदी बना लिया गया, निहले सत्याग्रहियों पर सत्रियाँ बरसाई गयीं, प्रदर्शन करने वाली भीड़ों पर गोलीचर्षा चमर्ष गई और बर्तिसों को गिरफ्तार किया गया। गाँधीजी ने वापसपय को निषेध दूसरे पत्र में मूत बिनने के धारसना और छरसादा के नमक के बरखाने पर धरना करने का इत्ता जहर किया। बिना ने कहा, "हम गाँधीजी के साथ शर्मिन होने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका आन्दोलन भारत की स्वतन्त्रता के निर नहीं है अन्ति भारत के सब क्पेठ मुसलमानों को हिन्दू महासभा के अन्त्रित बना देने के सिर है, किन्तु उद्भवती और देशभक्त मुसलमानों ने बर्तिस के खर के नीचे छड़े छेकर इस आन्दोलन में भाग लिया।

जून 1930 में देश में ब्रधन्वि हिल्लों ले रही थी और अनेक सतनों पर ब्रिटिश शासन उग्र टप हो गया था। मुम्बई शहर शासन सूत्र ब्रिटिश नौकरशाही के हच से खिसककर बर्तिस के साथ जा गया था। सरकार का दमनचक्र धुरे वेग पर था। लाठी-प्रहार दिन प्रतिदिन की घटना हो गयी और लोगों के प्रगमूत अगों पर अधात किया जाने लगा। बर्तिस को अवैध सगठन घोषित कर दिया गया। महिल्लाओं को पीडित किया गया। देश को अध्यादेश शासन के अन्तर्गत कर दिया और दमन कानून का सहारा लिया गया। करबन्दी आन्दोलन को कुचमने के सिर सरकार ने सम्पत्ति के बमन्त प्रहण, हराण और नीलामी का महारा निधा। पुलिस के अत्याचारों से कई गाँव उग्रद गर।

सनझौते के प्रयास : गोल्मेज परिषद : गाँधी-इर्किन समझौता, 1931

सरकार और सत्याग्रहियों के बीच समझौते के प्रपल असम्भन रहे। जेन में महत्ताप गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन को ठब ठक जातो रखने का निश्चय प्रकट किया जब तक भारत को सत्र रूप में स्वतन्त्रता प्रदान न कर दी जाए। सङ्गन कमर्शन की जो रिपोर्ट मई 1930 में प्रकथित हुई थी उसने भारतीयों को निराश किया और सचो राजनीतिक दलों ने उसके सुझावों को अस्वीकार कर दिया। अन्त सरकार को गोल्मेज परिषद (Round Table Conference) बुलानी पड़ी।

प्रथम गोल्मेज परिषद, नवम्बर, 1930

12 नवम्बर, 1930 को सत्यन में प्रथम गोल्मेज परिषद बर्तिस के अतिरिक्त सचो भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे, पर उनका मनोमनन वापसपय ने किया था अन्त वे सरकार के विरु थे। प्रथमन्त्री मैकडोन्ल्ड ने परिषद के उद्घाटन धारण में तीन आधारभूत सिद्धान्तों की बर्ष की। प्रथम, केन्द्रीय व्यवसायनिका का निर्माण सप शासन के अधार पर होना तथा ब्रिटिश भारत के प्रान्त और देशी राज्य सप शासन की इर्काई का रूप धारण करेंगे, द्वितीय केन्द्र में बटनित उरगन्धी

शासन स्थापित किया जाएगा, लेकिन मुराण तथा वैदेशिक विभाग गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे एवं तृतीय अतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विधान (Statutory Safeguards) की व्यवस्था रहेगी।

धायसराय द्वारा मनोनीत और चुने हुए भारतीय प्रतिनिधि संघ शासन के उपरोक्त सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया। देशी नोरोहो ने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर सभ राज्य में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, सुरक्षण (Safeguards) और उताड़ायी मंत्रियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रतिनिधियों से प्रत्येक पाया गया है। जबकि एव सर तेज बहादुर सप्रू ने भारत के लिए 'शैपनिवेशिक स्वराज्य' की माँग की। जबकि के अनुसार, "भदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जायेगा तो स्वतन्त्रता की माँग स्वतः समाप्त हो जायेगी।" सम्मेलन में साम्प्रदायिकता की समस्या विवादग्रस्त रही। मुसलमान पुषक तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर अड़े रहे। जिन्ना ने अपनी चौदह सूत्री योजना स्वीकार करने की धमकी दी। डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की हितों की दृष्टि से पुषक निर्वाचक मण्डल का समर्थन किया। हिन्दू प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन पद्धति और अल्पसंख्यकों के लिए स्थान साराण के पक्ष में थे। फलस्वरूप साम्प्रदायिकता की समस्या पर मतभेद नहीं हो पाया। दूसरी ओर कॉंग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किसी घोषणा को स्वीकार नहीं किया। 9 फरवरी, 1931 को सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए बिना निर्वाचन निष्कर्ष पर पहुँचे, स्थगित हो गया। सम्मेलन की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने आशा व्यक्त की कि कॉंग्रेस पक्ष में सम्मेलन में भाग लेगी और भारत के लिए सविधान निर्माण में मदद करेगी। सरकार समझ गई कि कॉंग्रेस की अनुपस्थिति में कोई निर्णय क्लीप्त नहीं हो सकता।

गौधी-इर्विन समझौता, 1931 और आन्दोलन की समाप्ति

कॉंग्रेस के साथ समझौता करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसे शामिल करने की दृष्टि से सरकार ने महात्मा गौधी तथा कॉंग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को 26 जनवरी, 1931 को मुक्त कर दिया। महात्मा गौधी एवं लॉर्ड इर्विन ने पत्राचार हुआ। अन्ततः तेज बहादुर सप्रू एवं जबकि के प्रपत्तियों से 17 फरवरी 1931 को गौधीजी और लॉर्ड इर्विन की मुलाकात हुई। फलस्वरूप गौधी इर्विन समझौता 5 मार्च को हुआ। इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्नांकित थीं—

1. सरकार सभी अहिंसक कैदियों को मुक्त कर देगी।
2. सप्रू के समीप रहने वालों के लिए नमक एकत्र करने एवं नमक बनाने के लिए का नही देगा होगा।
3. सरकार सभी अपवाद एवं मुकदमे वापस ले लेगी।
4. शान्तिपूर्वक विदेशी सामान पर धरने देने की छूट होगी।
5. कॉंग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया जायेगा।
6. सरकार सत्याग्रहियों की जखम सम्पत्ति सौटा देगी।
7. कॉंग्रेस का बहिष्कार कार्यक्रम बन्द हो जायेगा।
8. महात्मा गौधी पुलिस की ज्यादातियों की निष्पक्ष जाँच की माँग छोड़ देंगे।
9. कॉंग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और उताड़ायी शासन को रखा कवर्तों सहित भारतीयों के हित में स्वीकार कर लेगी।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस एवं दक्षिण पक्ष के नेताओं ने समझौते को पसन्द नहीं किया। कॉंग्रेस के बाग पक्ष ने समझौते को सरकार के समक्ष आत्म-समर्पण की सजा दी, जबकि दक्षिण पक्ष ने इस पर असतोष प्रकट किया। इस समझौते के बाद संघर्ष तथा सशक्त समाज हो गया। कॉंग्रेस का झण्डा लहराने लगा।

द्वितीय गोलमेज परिषद, 1932

18 अप्रैल 1931 को लॉर्ड इर्विन ने भारत को प्रस्थान किया तथा 17 अप्रैल 1931 को नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने अपना कार्यभार संभाला। देश की स्थिति से वायसराय लॉर्ड विलिंगटन अपरिचित थे। प्रतिदिन कॉंग्रेस के दफ्तरों में उनमें समझौते की शर्तों का ठीक से पालन नहीं करने की शिकायत मिलती। इस सम्बन्ध में गौधीजी ने कॉंग्रेसियों को झगड़ा न शुरू करने की सख्त चेतावनी दी। फलस्वरूप सरकार की ओर से सहानुभूति दिखाई गई लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। गौधीजी ने सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया उससे स्पष्ट हो गया कि समझौते में टप नहीं है अतः उन्होंने द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, परन्तु अन्त में गौधीजी सहमत हो गये।

सन्धन में दूसरा गोलमेज परिषद 7 सितम्बर 1931 को शुरू हुआ। कॉंग्रेस की ओर से महात्मा गौधी ने भाग लिया। पण्डित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू व्यक्तिगत क्षमता से परिषद में सम्मिलित हुए। परिषद शुरू होने के पूर्व श्रमिक सरकार अपद्रव्य हो गई, राष्ट्रीय सरकार बनी और सर सैम्युअल होर भारत में भी नियुक्त हुए। द्वितीय गोलमेज परिषद अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी। इसमें नये सविधान के ब्यौरे निश्चित कर लिए गए। सभीय न्यायपालिका का ढाँचा, सभीय विधान मण्डल का संयोजन और भारतीय राज्यों के अधिल भारतीय सभ में प्रवेश से सम्बन्ध

नीति निश्चित हो गई। महात्मा गाँधी ने कृषि के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन किया और सुरक्षा बलों एवं वैदेशिक मामलों में पूर्ण नियन्त्रण सहित औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की, लेकिन विशेष प्रभाव नहीं हुआ। साम्प्रदायिक गतिरोध अनिर्गलित रहा। गाँधीजी ने अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समझौते की बातचीत की, लेकिन साम्प्रदायिक प्रश्न का हल नहीं निकल सका। सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने 30 नवम्बर, 1931 को अपने भाषण में बताया कि अन्य दल साम्प्रदायिक हैं तथा कांग्रेस भारत में सबके हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है। यह साम्प्रदायिक सभ्यता नहीं है तथा उसको कट्टर शत्रु है। कांग्रेस नस्ल, रंग और धर्म का भेदभाव नहीं जानती। कांग्रेस ही सारे अल्पसंख्यक (Minorities) का प्रतिनिधित्व करती है। गाँधीजी के प्रयत्न करने पर गोलमेज सम्मेलन हो सका। प्रत्येक प्रतिनिधि ने सम्मेलन में अपनी जाति के लिए माँग की। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ऐसे चुने थे जिनमें कोई समझौता न हो सके। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ गठबन्ध कर कांग्रेस के विरुद्ध उसे प्रयुक्त किया। फ्ल्याम्बुक सम्मेलन अगस्त 1931 को विफल हो गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की पुनरावृत्ति और आन्दोलन की समाप्ति

महात्मा गाँधी दिसम्बर, 1931 को इंग्लैण्ड से खाली हाथ वापस लौट आए। महात्मा गाँधी की अनुपस्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन चक्र तेज कर दिया और गाँधी-इर्विन समझौते की शर्तों का उल्लंघन होने लग्य। जब महात्मा गाँधी लौटे तब तक पंजाब, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा मध्य प्रदेश में अध्यादेशों (Ordinances) द्वारा शासन चलाया जा रहा था। बंगाल में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था।¹

28 दिसम्बर को मुम्बई में कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव में कहा गया कि देश की घटनाएँ और सरकार का रवैया यह असम्भव बना रहा है कि कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करे। कांग्रेस का सहयोग तब तक असम्भव है जब तक सरकार की नीति में अमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। प्रस्ताव में कहा गया कि नौकरगर्ही हुकूमत रौपना नहीं चाहती। इससे यह प्रकट होता है कि सरकार कांग्रेस से सहयोग को उन्मील करती है तथा उस पर विश्वास करना चाहती है। प्रस्ताव में कहा गया कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होने वाले तरक्षणों के साथ ऐसा वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित है, जरा भी कम हो कांग्रेस सतोषजनक नहीं मान सकती। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आदिनेतों तथा कृषकों के सम्बन्ध में राहत दी जाए, श्रम विचारों और परामर्श में कांग्रेस के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आवाज़ी रहे और स्वातन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सहाय से चलाया जाए तो कार्य-समिति सहयोग देने के लिए तैयार है। इन शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के सम्झौते को रद्द किए जाने की सूचना सभ्येगी। सतोषजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को निरवत शर्तों पर सविनय अवज्ञा, जिसमें लगान-बन्दी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आह्वान करती है। वायसराय ने गाँधीजी को सूचित किया कि "अपने उत्तरदायित्व का ख्याल रखने वालों सरकार राजनीतिक सभ्यता की गैर-बन्धनी कार्यवाही को घमकी युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती।" सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि दिल्ली समझौते पर सत्यधनी से अमल नहीं किया जा रहा है। सरकार का उत्तर 1 जनवरी, 1932 को तार द्वारा मिला और 3 जनवरी 1932 को गाँधीजी ने अपना उत्तर दिया कि—"प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को घमकी समझना भूल है। क्या मैं सरकार को याद दिनाई कि सत्याग्रह के जारी रहते हुए दिल्ली की सन्धि चर्चा आरम्भ हुई और चलती रही। जब समझौता हुआ सत्याग्रह स्थगित किया गया था। मेरे लन्दन जाने से पहले, 8 दिसम्बर में शिमला में इस बात पर दयालु जोर दिया गया था। अपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि सम्भव है कुछ शर्तों में कांग्रेस को सत्याग्रह जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द नहीं की थी। यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध दो दो वृष्टि मुझे लन्दन न भेजती, किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी। आपका यह कहना उचित नहीं है कि मैंने कभी दावा किया है कि सरकार को नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए। समय बतायेगा कि किसने सच्ची स्थिति प्रकट की थी। मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह को सर्वदा द्वेष रहित तरीके से चलाने का प्रयत्न किया जाएगा।"

जब वायसराय परिस्थिति को सुलझाने को तैयार नहीं हुए तो कांग्रेस कार्य-समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय कर लिया। आन्दोलन का नेतृत्व पुनः गाँधीजी के हाथ में आया जिन्होंने 3 जनवरी 1932 को राष्ट्र का इस अभिपरीक्षा का सामना करने के लिए आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार अपना दमन चक्र चलाने की तलार में थी, अब आगने दिन 4 जनवरी को महात्मा गाँधी एवं कांग्रेस को गैर-बन्धनी सभ्यता घोषित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं को जेलों में डूँग दिया गया और पुलिस को शक्ति दे दी गई कि वह सन्देश पर किसी को गिरफ्तार कर सके। कार्य-समितियों को सम्मति-जन्य कर ली गई।

सरकार ने आन्दोलन को कुत्सने के लिए 'बर्बरता' का परिचय दिया। इसका पता इसी तथ्य से चल जाता है कि नेताओं के अतिरिक्त सत्ता साधक व्यक्तियों को जेलों में रूढ़ि दिया गया था। यह आन्दोलन ढाई वर्ष तक 19 मई 1933 तक चलता रहा, जब तक महात्मा गाँधी द्वारा 12 सप्ताह के लिए स्पर्धित न कर दिया गया। 14 जुलाई 1933 को महात्मा गाँधी ने जन-आन्दोलन रोक दिया, यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक वर्ष तक चलता रहा तथापि जनता का उत्साह आन्दोलन के प्रति कम हो गया था और नैतिक पतन के चिह्न दिखाई देने लग गये थे अतः 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सम्पन्न कर दिया लेकिन ब्रिटिश सरकार जैसे एक राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने में असमर्थ रही।

1932 से 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन से पूर्व की मुख्य घटनाएँ

नवम्बर, दिसम्बर, 1932 में लन्दन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भारत में वरिष्ठ का प्रतिनिधि नहीं गया। ब्रिटेन क्रिस्ट दन ने इस सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। बि.टी. में अनुदार दल की सरकार थी। मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री नहीं थे। नई सरकार ऐसा कोई सुझाव करने को तैयार नहीं थी जिसमें भारतीयों को अधिकार हितों और भारत पर अंग्रेजों का राजनीतिक और आर्थिक अधिपत्य कमजोर पड़े। भारत के लिये नये सविधान के प्राकल्प के बारे में निर्णय लिए गए। सम्मेलन के सम्पन्न पर भारत सचिव ने घोषणा की कि प्रस्तावित सविधान में जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार (i) संसदा और आसने से आपे देशी राज्यों के सङ्ग में मिलने के लिए तैयार हो जाने पर सम्पन्न-सत्याग्रह का श्रमण हो सकेगा (ii) केन्द्रीय विधान मण्डल में ब्रिटिश भारत के स्थानों में से 3 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत स्थान भारतीय मुसलमानों को मिलेंगे एवं (iii) सिंध और उड़ीसा के दो नये प्रान्त बनाए जाएंगे।

मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जिसमें नये विधान के प्रस्तावों को लेखबद्ध किया गया। प्रस्तावों में संघामक व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। केन्द्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विशेष उच्चदायित्व और शोषण कार्यपन्निता के हाथों में सुरक्षित रहे गये। गाँधी इतिवत् समझौते में शोषण्य पार। कि सन्धि में होने थे, परन्तु इन्के-पत्र के अनुसार ये भाद और ब्रिटेन दोनों के सम्मन हित में होने थे। 'ये भारत सचिव सिम्पुल होर ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बोलते हुए 21 मार्च 1933 को कहा कि श्वेत-पत्र को योजना भारत को स्वशासन देने की योजना नहीं है, यह भारत के सौवैधानिक प्रगति की दिशा में नई दिक्कत है। इस परिवर्तन से सौवैधानिक सुधारों की योजना का सन्दर्भ बदल गया।

इन प्रस्तावों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इनसे कोई सन्तुष्ट नहीं था इसलिए इन प्रस्तावों पर आगे विचार करने के लिए तथा पूरी योजना का परीक्षण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति बनाई। समिति में बहुमत अनुदार दल का था और उसके अध्यक्ष लॉर्ड लिल्लिथगो थे। लॉर्ड लिल्लिथगो के सम्मने गवाहों के रूप में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने का निमन्त्रण दिया गया। नवम्बर, 1934 में इस समिति की रिपोर्ट में दोहराया गया कि संप्र को स्वायत्तता तभी हो सकेगी जब कम से कम 50 प्रतिशत देशी राज्य उसमें शामिल होने को तैयार हो जाएँ। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विधान-मण्डल के लिए पक्ष निर्वाचन, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का नैरीशों द्वारा न-पाकन उच्च सदन समाप्त करने की शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथों में रहने आदि के प्रत्यक्षार से जो श्वेत-पत्र में की गई योजना से छत्राव है। संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक का प्राकल्प बनाया जो संसद में पास होने और संसद की अनुमति के बाद अगस्त 1935 में बानून बन गया। 1935 का अधिनियम दोष पूर्ण था। वरिष्ठ ने इससे सहयोग करने का निश्चय किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत हुए चुनावों में बंगाल और पंजाब के अतिरिक्त अन्य सभी प्रान्तों में वरिष्ठ ने बहुमत प्राप्त किया। सरकार से यह आश्वासन लेकर कि गवर्नर सचिवों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वरिष्ठ ने जुलाई 1937 में 12 में से 8 प्रांतों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये, लेकिन ज. जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस इन मन्त्रिमण्डलों में शामिल नहीं हुए।

3 सितम्बर, 1939 को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजी सरकार ने क्विटीस मन्त्रिमण्डलों से बिना अनुमति लिए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, अतः विरोध स्वरूप क्विंस मन्त्रिमण्डलों ने अक्टूबर, 1939 में त्याग-पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग इस घटना से प्रसन्न हुई और उसने इस दिन को 'मुक्ति-दिवस' के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग अधिक सक्रिय हो गई। मार्च 1940 में जिनाने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' की प्रस्तुत करके पाकिस्तान की माँग रखी जो लीग के सहोदर अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई।

अंग्रेजी सरकार ने महसूस किया कि युद्ध काल में क्विंस का सहयोग जरूरी है अतः 3 अगस्त 1940 को एक घोषणा की गई कि युद्ध समाप्त के बाद भारत को यथा शोष औरनिवेशिक पद दे दिया जायेगा तथा इसके नवीन सविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा कराया जायेगा, लेकिन क्विंस ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गाँधी ने सांकेतिक विरोध के रूप में नवम्बर, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया जो पूर्णतः शांतिमय था। इसका उद्देश्य सरकार के युद्ध कार्यों में बाधा डालना नहीं था। सरकार ने तीकड़ों व्यक्तियों को बन्दी बना लिया। युद्ध पूर्व में फैलने लगा। जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और दिसम्बर 1941 में जापान ने पिर राहाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान भारत की सीमा पर आ डटा। इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को चिन्तित कर दिया। ब्रिटिश सरकार भारत का सहयोग करने की कोशिश करने लगी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस गांधव होकर गुप्त रूप से विदेश

चले गये। उन्होंने जर्मनी और जापान के सहयोग से 'आज़ाद हिन्द फौज' का संगठन किया और 'दिल्ली चलो' का नारा लगाया। आज़ाद हिन्द फौज के वीर सैनिकों ने असम की पहाड़ियों और मैदानों में अंग्रेजी सैनिकों से लोहा लिया।

परिस्थितियों से बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख कॅबिनेट नेताओं को जेल से रिहा कर दिया और अप्रैल 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स को कॅबिनेट से समझौता करने के लिए भारत भेजा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स 22 मार्च, 1942 को भारत पहुँचे। उन्होंने जो प्रस्ताव 30 मार्च को प्रकाशित किए, उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) भविष्य से सम्बन्धित प्रस्ताव और (2) वर्तमान से सम्बन्धित प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में भविष्य के सम्बन्ध में निम्न योजनाएँ थीं—(क) नए भारतीय सभ की स्थापना होगी जिसे स्वशासिक उपनिवेश का पद प्राप्त होगा। वह किसी भौतल या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा और यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर सकेगा। (ख) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद भारत में एक सविधान सभा की स्थापना होगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशों राजवाड़ों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। (ग) इस प्रयोजन के लिए प्रांतीय विधान मण्डलों के निम्न सदनों के सभी सदस्य एक निर्वाचक-मण्डल की स्थापना करेंगे और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सविधान सभा का चुनाव करेंगे। सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या निर्वाचक-मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग होगा। देशों राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। (घ) ब्रिटिश सरकार इस सविधान सभा द्वारा तैयार किये गये सविधान को तभी स्वीकार करेगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों—(1) यदि ब्रिटिश भारत के प्रांत नए सविधान को स्वीकार करना न चाहे, तो उसे वर्तमान संविधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यदि किसी प्रांत की विधान सभा 60 प्रतिशत बहुमत से सभ में सम्मिलित होने का निश्चय न करे, तो उसके सभ प्रवेश का अंतिम निर्णय जन-निर्णय के द्वारा हो सकेगा। नई संविधानिक व्यवस्था में सम्मिलित न होने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से नया सविधान देगी। (2) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय सविधान सभा के बीच एक सन्धि की जायेगी। इस सन्धि में उन विषयों का समावेश होगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने से उत्पन्न होंगे। सम्राट की सरकार ने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए जो बचन दिये हैं, सन्धि में उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था की जायेगी, लेकिन भारत सभ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्य राज्यों के साथ जो सम्बन्ध रखना चाहेगा, रख सकेगा। सन्धि में भारत सभ की शक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने अस्वीकार किया। गाँधीजी ने कहा कि क्रिप्स योजना ऐसी जो कि फेल होने जा रहे बैंक के पोस्ट ऑफ़िस अथवा आगे की टारिफ़ पट्टे पैक के समान थी। नेहरू जी के अनुसार उनके पुत्रों मित्र क्रिप्स 'जैतान के बर्तल' बनकर आये थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनर्गल विभाजनों की सम्भवता के दरवाजे खोल देना था। क्रिप्स योजना को मुस्लिम लीग ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इसमें साम्प्रदायिक आधार पर देश विभाजन की माँग नहीं मानी गयी थी। क्रिप्स प्रस्ताव भारतीय नेताओं—कॅबिनेट और मुस्लिम लीग दोनों को अस्वीकार्य थे, अतः उनमें परिकल्पित सविधान सभा की स्थापना नहीं हुई। दोनों दलों ने इस प्रस्तावों को फिन आधारों पर अस्वीकार किया था।

भारत छोड़ो आन्दोलन या अगस्त क्रान्ति, 1942

11 अप्रैल, 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिये गये और क्रिप्स एकराएँ भारत छोड़ गए। यह स्पष्ट हो गया कि क्रिप्स मिशन का तमारा मित्र देशों की, जो भारत की माँग के प्रति सहानुभूति रखते थे तथा भारतीयों की आँखों में धूल झोंकने का प्रयास था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासकों और भारतीय नेताओं के बीच खाई और चौड़ी हो गयी और सरकार के विरुद्ध असंतोष की लहर जोर पकड़ गयी।

महायुद्ध छिड़ने के बाद सुभाषचन्द्र बोस ने युद्ध प्रयत्नों का विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्हें जेल में डाल दिया गया था और बाद में अवस्थता के कारण जेल से निकलकर नजरबन्द कर दिया गया था। जनवरी 1941 में वे पुलिस और सरकार को चक्रमा देकर देश से बहर निकल गये। यह एक रोमांचकारी वीर गाथा है। मार्च 1942 में वे बर्लिन रेडियो से देश के नाम सुभाष बोस ने अपना पहला संदेश दिया। वे युद्ध की स्थिति से लाभ उठाकर देश की स्वाधीनता को निश्चय लाने के पक्ष में थे। अप्रैल 1942 के बाद महात्मा गाँधी के विचारों में दृढ़ता आने लगी थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का तुरन्त समाप्त होना आवश्यक है।' 'भारत छोड़ो' विचार उनके मन में जन्मे लगा और उन्होंने 'हरिजन' में एक लेखमाला लिखकर उसे विकसित किया। द्वितीय महायुद्ध के आरम्भिक दिनों में गाँधीजी का विचार था कि ब्रिटिश सरकार को उसकी मुसीबत के समय और तब न दिया जाए तथा मित्र देशों के युद्ध प्रयासों में नैतिक सहयोग दिया जाए। उस समय कॅबिनेट के बहुमतीय उग्र पक्ष ने गाँधीजी की राय नहीं मानी। जबद्वारलाल नेहरू मानते थे कि नाज़ी और तानाशाही शक्तियों को परास्त किया जाना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे मित्र देशों की शक्ति क्षीण हो और विश्व में लोकतन्त्र विरोधी शक्तियों को बल मिले। गाँधीजी का ब्रिटिश सरकार के वाद्यों से तथा देश की जापानी आक्रमण से रक्षा करने की क्षमता और तपस्या से विश्वास उठ गया था। वे चाहते थे कि अद्विज शासकों को तुरन्त भारत से चले जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए कि भारत

हजारों आदमी गोलियों के शिकार हो गए। दस हजार लोगों को जेलों में डूँस गया। देश भर में आतंक का शासन पैसावर सरकार ने नील महीने के भीतर आन्दोलन को दबा दिया, पर भूमिगत आन्दोलन चला रहा। जयप्रकाश नारायण अफगा आत्मक अन्धी तथा राममनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने मण्डलवादी दृष्टिकोण द्वारा व्यापक रूप से मार्गदर्शन किया।

भारतीय राष्ट्रीय सेना

(Indian National Army)

सुभाषचन्द्र बोस का विचार था कि द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए बरदान सिद्ध हो सकता है, यदि ब्रिटेन के विरुद्ध सरलतः युद्ध लड़ा जाए। अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में सुभाषचन्द्र बोस 26 जनवरी, 1941 को गुर्गे पठान का देश धारण करके पुलिस की कड़ी सुरक्षा से बचकर निकल भागे। 28 मार्च, 1941 को वह बर्लिन पहुँचे। जर्मनी में भारतीयों ने उन्हें 'नेताजी' कहा तथा 'जय हिन्द' के साथ अभिवादन किया।

1915 से राम बिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने 28 से 30 मार्च, 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें राजा महेन्द्र प्रताप ने भाग लिया। 16-22 जून, 1942 को बैंक्रक में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कैप्टेन मोहनसिंह के नेतृत्व में भारत के युद्धविरोधियों की ओर से 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें राम बिहारी बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इस सम्मेलन में 35 प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें से एक 'इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी' द्वारा 'इंडियन नेशनल आर्मी' का गठन करने से सम्बन्धित था। 'इंडियन नेशनल आर्मी' का गठन भारतीयों में से करना था। 'इंडियन नेशनल आर्मी' का विचार मनाया में कैप्टेन मोहनसिंह ने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1 सितम्बर, 1942 को 17,000 सदस्यों के साथ हुआ। दिसम्बर, 1942 में मोहनसिंह तथा जापानियों में अड्डा एन ए के गठन तथा कामों को लेकर मतभेद पैदा हो गए। राम बिहारी बोस के नेतृत्व में आन्दोलन चलता रहा। 5 जुलाई, 1943 को सुभाषचन्द्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी का अध्यक्ष तथा 25 अगस्त, 1943 को आई एन ए का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। सुभाषचन्द्र बोस ने आई एन ए के दो मुख्यालय एक रंगून तथा दूसरा सिंगापुर में स्थापित किए।

21 अक्टूबर, 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने मुक्त भारत की प्रोबोजनल सरकार का गठन किया। जापानियों ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ब्रिटेन से जीत कर इस सरकार को दे दिए। 30 दिसम्बर, 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने यहाँ आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अण्डमान का नाम 'शहीद' तथा निकोबार का नाम 'स्वराज्य' रखा गया। 4 फरवरी, 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्र से आक्रमण किया तथा कोहिमा पर कब्जा कर लिया। 4 जुलाई, 1944 को सुभाषचन्द्र बोस ने नारा दिया 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा'। आई एन ए को एक टुकड़ी राह नवाब खाँ के नेतृत्व में जापानियों के साथ इम्फाल में लड़ी। जापानियों की असहयोग एवं भेदभाव पूर्ण नीति के कारण यह अधिपान सफल नहीं हो सका। सुभाषचन्द्र बोस की वापसत दुर्घटना में 18 अगस्त, 1947 को मृत्यु होने की घोषणा कर दी गई। आई एन ए ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्म समर्पण कर दिया। आई एन ए के नारे 'जयहिन्द', 'नेताजी जिन्दाबाद' व 'चलो दिल्ली' थे। कर्गिस के तीव्र विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने आई एन ए के मुख्य गिरफ्तार अधिकारियों—मेजर सन्तल मेजर जनरल शाहनवाज खाँ और कर्नल दिन्नी पर खुले आम दिन्नी के ताना कर्तों में मुकदमा चलाया। नवम्बर, 1945 में मुकदमा शुरू हुआ। भूला भाई देसाई ने इनकी ओर से वकालत की, लेकिन इनको सरकार ने मृत्यु दण्ड दिया। जनमत के तीव्र विरोध के कारण सरकार को इस दण्ड को स्थगित करना पड़ा।

भारतीय नौसैनिक विद्रोह

(Indian Naval Uprising)

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की गतिविधियों यद्यपि भारत से बाहर चल रही थी, किन्तु उनका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। उनके सैन्य गतिविधियों से प्रभावित होकर 1946 में अग्नि अधिकारियों एवं भारतीय अधिकारियों के समान वेतन के प्रश्न को उठाकर मुम्बई स्थित भारत की वायु सेना की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। इनमें प्रेरित होकर अगले महीने में नौ सेना ने भी नौ सेना के 'तलवार' नामक जहाज पर विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने कई अग्नि उपकरणों को मीठ के घाट उतार दिया और भारतीय नौ सैनिक हड़ताल पर चले गए। मुम्बई की हड़ताल का प्रभाव अय बटरगाहों पर पड़ा और चेन्नई एवं कर्णची स्थित नौ सेना के जहाजों पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के झण्डे हटाकर भारतीय राजनीतिक दलों के झण्डे फहरा दिए। सैनिक इकलाव जिन्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, हिन्दू-मुस्लिम एक हो, आदि के नारे गाने लगे। जनता ने विद्रोहियों को समर्थन देना शुरू किया। ऐसी स्थिति में अग्नि सरकार ने विद्रोहियों को बुचकने के लिए सेना भेजी। भारतीय सैनिकों ने शस्त्र ठगने से मना कर दिया। इस पर अग्नि सैनिक भेजे गए। वे विद्रोह पर उदात्त सेना पर गोलियों बरसाने लगे। इस पर जनता में तीव्र रोष फैला। 20 लाख से भी अधिक ग्रेडी मजदूरों ने हड़ताल की। अग्नि पुलिस और सैनिक गोलियों बरसाना कर मजदूरों एवं जनता का दमन करने लगे। सरदार

राष्ट्रवादी आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक आयाम (Socio-Economic Dimensions of the Nationalist Movement)

साम्प्रदायिक समस्या तथा विभाजन की माँग (Communal Question & Demand for Partition)

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवाद, उग्रवाद और अतृष्णावाद का प्रभाव विशेष रूप से प्रथम विश्वयुद्ध तक रहा। गंधी युग में यह प्रवृत्तियाँ प्रभावी नहीं रहीं, लेकिन साम्प्रदायिकता की लहर राष्ट्रीय आन्दोलन पर छाई रही। इस विषमता ने अन्त में देश का विभाजन किया। भारत में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने कसर नहीं रखी। सर्वप्रथम मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय हुआ और प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू साम्प्रदायिक सभ्यता अस्तित्व में आर। मुस्लिम साम्प्रदायिकता को दावतन रूप में उभरते और अखण्ड भारत के दा टुकड़े करके 1947 में पाकिस्तान का निर्माण करने में मुस्लिम लीग का निर्णायक हाथ रहा जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी दलों को दबाने हुए मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया फलस्वरूप अगस्त 1932 में साम्प्रदायिक पंचायत 'सम्मेलन' सम्मेलन आया। साम्प्रदायिक पंचायत जिसे साम्प्रदायिक परिनिर्णय अथवा मैकडोनाल्ड पंचायत भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने की सशक्त यत्न थी। पंचायत का राष्ट्रवादियों ने एक स्तर से विरोध किया। गंधीजों ने इसके विरोध में आन्दोलन अन्तर्गत प्रारम्भ कर दिया और फलस्वरूप सितम्बर 1932 को 'पूना पैक्ट' सम्मेलन आया। मुहम्मद अली जिन्ना भारतीय राष्ट्रवाद पर दौट करके रहे उन्होंने द्विष्ट सिद्धान्त (Two Nation Theory) का विचार दिया और ऐसी परिस्थितियों पैदा कर दीं कि भारत का विभाजन अतिवश्यक हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया।

मुस्लिम लीग की स्थापना से पूर्व मुस्लिम साम्प्रदायिकता

(Muslim Communalism before the Emergence of the League)

भारत में साम्प्रदायिकता का समाप्ति धार्मिक की अपेक्षा राजनीतिक रही। भारत की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' का आश्रय लिया। हिन्दुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक-सामाजिक मतभेदों का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने इनका प्रयोग राष्ट्रीयता के प्रभाव को कम करने में किया। प्रारम्भ में अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, क्योंकि अंग्रेजों की प्रभुता का पूर्व मुसलमान इस देश के प्रायः विपक्षी थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विश्वास था कि इस घटना में प्रमुख हाथ मुसलमानों का था। इससे पूर्व बहरी आन्दोलन के बारे में भी अंग्रेजों का इसी प्रकार का विचार रहा था। सर जॉन रे के अनुसार विद्रोह के प्रमुख श्रेयस्वरूपी मुसलमान थे और एच. सी. वाउन की दृष्टि में ये मुसलमान निश्चित रूप से बन्धु थे।¹

1871 तक ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के साथ विरोध और हिन्दुओं का साथ पहचान की नीति पर आचरण किया। शासन वर्ग और उद्योगों में मुसलमानों का भाग था तो बहुत कम था अथवा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश नीति में निश्चित परिवर्तन आया। हिन्दुओं न अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति से लाभ उठाया और उनके हृदय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार घर करने लगे, अतः अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें डर लगा कि कहीं मुसलमानों पर राष्ट्रीयता का रग न चढ़ जाए। हिन्दू-मुस्लिम गठबन्धन ब्रिटिश हितों के लिए फलदायी हो सकता था। इस में सर्वोच्च सहयोग सर सैयद अहमद खान से मिला। अंग्रेज यह जान गए कि मुसलमानों की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य को कोई खतरा नहीं रह गया है। इस अनुभूति का परिणाम था कि अंग्रेजों ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित कर

अपनी ओर मिलाने की थी। डब्ल्यू एस ब्लॉट ने मुसलमानों में अपना 'हक' माँगने की अपील की और कहा—“यदि मुसलमान केवल अपनी शक्ति पहचान लें तो उनकी अवहेलना नहीं होगी तथा सरकार उनसे बुरा व्यवहार नहीं करेगी। इंग्लैण्ड से हमें बराबर भारत में मुस्लिम विद्रोह का भय बना रहता है और यदि मुसलमान एक शब्द कह देता है तो उस पर 20 हिन्दुओं से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अतः यदि मुसलमान चुपचाप बैठे रहे तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश जनता को उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होगी।”¹ अहमदिया आन्दोलन मिर्जा गुलाम अहमद क्रांती के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आन्दोलन ने सभी धर्मों में सुधार का लक्ष्य बनाया। 1885 में अनुमन-ए-हिगायत-इस्ताम की स्थापना की जिसने मुसलमानों की सामाजिक नैतिकता में वृद्धि करने की और बौद्धिक उन्नति करने की चेष्टा की। फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक जागृति फैली, उनकी शिक्षा में सुधार हुआ और उनके दृष्टिकोण में व्यापकता आई लेकिन इन मुसलमानों ने साम्प्रदायिकता की भावना को आगे बढ़ाया, कम नहीं किया।

4 **हिन्दू धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव**—19वीं शताब्दी के हिन्दू धार्मिक आन्दोलनों से मुसलमानों में जगटित होने की भावना को प्रभय मिला। हिन्दू नव-जागरण की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों में धार्मिक जागृति की भावना को बल मिला। तिलक के शिवाजी समारोह और गणपति महोत्सवों को कट्टरतावादी मुसलमानों ने विपरीत अर्थों में लिया और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को कट्टर हिन्दू धार्मिकता के साथ सम्बन्ध कर दिया। हिन्दू धर्म-सुधार आन्दोलनों उत्सवों और कार्यक्रमों से मुसलमानों में शका के भावों को सबल मिला और साम्प्रदायिकता में उभार आया। पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप जिस धार्मिक उदासीनता का विस्तार हुआ था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों और अनुष्ठानों के प्रचार के लिए बहुत सक्रियता दिखाई पड़ी। यह आन्दोलन उच्चतर वर्गों तक सीमित नहीं था। यह बहुत-सी ऐसी जातियों पर असर डाल रहा था जो अब तक छोटी समझी जाती थीं। उन छोटी जातियों ने हिन्दू समाज के ऊपर उठने की कोशिश की तथा वे हिन्दू धर्म के अनुष्ठानों में और कट्टर होते गए। हिन्दू पुनरुज्जीवनवाद ने उनमें प्राचीन परम्पराओं के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न कर दी।

दोनों सम्प्रदायों में समानान्तर आन्दोलन चले, जिनके उद्देश्य और उपाय एक-से थे। इस सम्बन्ध में उनमें कोई सहयोग नहीं हुआ कि उनके अन्दर की उदारता तथा सहिष्णुता को बल पहुँचाया जाए। वे एक-दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। वे आन्दोलन प्रतिवाद पर जोर देते थे और आक्रामक थे। दोनों आन्दोलनों में यह भावना थी कि हम सही हैं और दूसरे से श्रेष्ठता की ओर “मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ”। ये दोनों सम्प्रदाय सर्वांग स्वार्थ का रुख ग्रहण कर रहे थे। यह सरकार के भेदभाव और पक्षपात से और बढ़ गया। धार्मिक पुनरुज्जीवनवाद के कारण साम्प्रदायिक भावनाएँ बढ़ीं, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए गुजाइश नहीं थी।

इस स्थिति में दूरदृष्टि और समय की आवश्यकता थी। दोनों सम्प्रदायों के स्थायी स्वार्थ एक थे और तात्कालिक प्रभाव उनकी सामान्य पराधीनता से उत्पन्न हुए थे। हर वर्ग अपनी उन्नति करने के लिए ऐसी नीतियों का अनुकरण करता रहा, जिससे उनके बीच की खाई और चौड़ी हो गई। परस्पर दोषारोपण के कारण वे तीसरे पक्ष के हाथ में पड़ गए जिसने इन घटनाओं का दोहरा लाभ उठाया। भारत पर अंग्रेजों को पकड़ और मजबूत हो गई।

विभिन्न कारणों से 1885 से पहले साम्प्रदायिक सन्देह और अनेक्य पैदा हो गया। इस समय मुसलमानों में उग्र पृथक्तावादी थे, जो यह कहते थे कि हिन्दुओं से बिल्कुल अलग हो जाए और अंग्रेज शासकों के साथ दोस्ती की जाए। इनमें सैयद अमीर अली प्रमुख थे, जिन्होंने 1877 में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना इस उद्देश्य से की कि मुसलमान नौजवानों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए। इंग्लैण्ड में पढ़ते समय वह इस विषय में दिनचरमी रखते थे। उन्होंने तब यह कहा था कि यदि भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक प्रशिक्षण हिन्दुओं के साथ समानान्तर रखा में नहीं चलेगा तो वे निश्चित रूप से नई राष्ट्रीयता के उठते हुए ज्वर में डूब जाएंगे। सैयद अहमद खाँ ने उस समय सैयद अमीर अली के इस कार्य का समर्थन करने से इनकार किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरम्भ हुआ तो सैयद अमीर खाँ के सन्देह और भय सतह पर आ गए।

5. **ब्रिटिश नीति में परिवर्तन**—सर सैयद अहमद और वेक की धूमिका—ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक चरणों में अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई। उनका विचार था कि मुसलमान अंग्रेजी राज के राजु थे और हिन्दू मित्र लेकिन हिन्दू राष्ट्रवाद के उदय के साथ विदेशी शासकों की नीति में परिवर्तन आया। मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खाँ और प्रिंसिपल बेक ने अंग्रेजों और मुसलमानों के मेल की दिशा में प्रयास किया। सैयद अहमद को विश्वास हो गया कि जब तक अंग्रेजों से मुसलमानों का गठबन्धन नहीं होगा तब तक मुसलमानों की दशा में सुधार नहीं हो सकता, अतः उन्होंने प्रयास किया कि मुसलमानों से राजद्रोह के कर्त्तक को मिटा दिया जाए। 1857 के विद्रोह से अंग्रेज नाराज थे। विद्रोह

को विफलता हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों के लिए विपश्चिन्नक थी। सर सैयद ने 'भारत के बफादार मुसलमान' (Loyal Mohammadans of India) नामक पुस्तक का प्रकाशन कर अपने विचारों का प्रचार किया। 'पायोनियर' (Pioneer) नामक समाचार पत्र में उन्होंने ऐसे लेख प्रकाशित किए जिनसे अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच राष्ट्रभक्तता उत्पन्न हुई। सर सैयद के विचारों और कार्यों के फलस्वरूप मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर सन्देह के बादल दूर हो गए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वह एक खतरा महसूस होने लगा। प्रति-वोलन (Counter Poise) के सिद्धान्त पर आधारित करते हुए उसीही पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतिधार (Counter Weight) के रूप में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया। 'फूट डालो और राज्य करो' के इस खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए सर सैयद अहमद खाँ के सहयोग को प्राप्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। बम्बयवाले के अनुसार सर सैयद को विश्वास दिला दिया कि अंग्रेजों और मुसलमानों या गठबन्धन मुसलमानों को देश को उन्नत करने में सहायन होगा और उनका राष्ट्रवादियों से मिलना उन्हें खेद, श्रम और अप्थु में डुबा देगा। सर सैयद ने अपने मुसलमान साथियों को चेतावनी दी कि कांग्रेस ने छारतवर्ष में ब्रिटिश पद्धति के प्रतिनिध्यात्मक शासन की माँग की है उसमें मुसलमानों को सहयोग नहीं देना चाहिए। भारतवर्ष में प्रतिनिध्यात्मक शासन का अधिप्राय है बहुमत का शासन जिसका अधिप्राय है हिन्दुओं का शासन। सर सैयद अहमद खाँ का तर्क था कि चूँकि हिन्दुओं का देश के अधिकतर भाग में बहुमत है अतः वे ही सदैव शताब्द रहेंगे और मुसलमानों को उनकी अधीनता सहनी पड़ेगी।

साम्प्रदायिक धाराधरण के निर्माण में प्रिंसिपल बेक की विशेष भूमिका रही। यह अलीगढ़ कॉलेज का यूरोपीय प्रिंसिपल था। सर सैयद के साम्प्रदायिक विचारों के पीछे थियोडोर बेक ने प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया। "बेक ने विशेष रूप से प्रयास किया कि सर सैयद राष्ट्रवाद स अलग रहें और अंग्रेजों तथा मुसलमानों में निकटतम सम्पर्क स्थापित हो।" डॉ. रानेन्द्रमहाधर ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है।¹ बेक ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उत्कृष्टतम और भारत की दो महान् जातियों में फूट डालने, फूट पैदा करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान हिन्दुओं के बहुमत के अधीन हो जायें—इस स्थिति में मुसलमान कभी पुनरापत्न स्वीकार नहीं करेंगे। प्रिंसिपल बेक के प्रभाव से सर सैयद का प्रतिक्रियावादी-सम्प्रदायवादी स्वरूप अधिक उभर आया। बेक के प्रभाव से वे राष्ट्रीय आन्दोलन से विमुख हो गए और कांग्रेस से अलगहोगे करते हुए उन्होंने कांग्रेस के निर्णय में एक प्रतिक्रियावादी संगठन की स्थापना की। उनके प्रभाव के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन तथा 'मोहम्मदन लिटरी सोसाइटी' ने कांग्रेस से अलगहोगे किया। 1886 में सर सैयद ने 'मोहम्मदन एजुकेशन बोर्ड' की स्थापना की जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। 1883 में उन्होंने 'मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इण्डिया (Mohammadan Defence Association of Upper India) की स्थापना की जिसके सदस्य वे और बेक थे। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—(i) अंग्रेजों और सत्ता की मुस्लिम विचारधारा से परिचित कराना तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। (ii) ऐसे उपायों पर बल देना जिनसे भारत में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ बने। (iii) जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार करना। (iv) मुसलमानों में राजनीतिक आन्दोलन को फैलाने से रोकना।

सर सैयद ने बेक के प्रभाव से विभिन्न राष्ट्र विरोधी कार्य किए जिनमें यथा 'संयुक्त भारतीय देशभक्ति सभ' (United Indian Patriotic Association) की स्थापना। इसका उद्देश्य था—अंग्रेजी राज्य को सुदृढ़ बनाना और भारतीय जनता के हृदय में कांग्रेस द्वारा प्रचारित भावनाओं के प्रति घृणा उत्पन्न करना ताकि जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष की लहरें शान्त रहें।

6 'फूट डालो और शासन करो' की नीति—अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद के उभरते हुए खार को रोकना था। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यह महसूस किया कि हिन्दु और मुसलमानों में 'फूट डाल कर नवजात राष्ट्रवाद का मार्ग अवरुद्ध किया जा सकता है और अन्दर से विभाजित भारतीय उपनिवेश पर इच्छानुकूल शासन किया जा सकता है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में मुबई के गवर्नर एलफिन्स्टन ने कहा—'फूट डालो और शासन करो' पुराना रोमन मंत्र है और यही हमारा होना चाहिए। अशोक मेहता एवं अच्युत पटवर्धन ने लिखा कि—'अपने विख्यात कौराल से जिसने हाल तक उनकी कूटनीति को विश्व में अधिक शक्तिशाली बना दिया था, ब्रिटिश शासकों ने इस मंत्र को हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच रखकर साम्प्रदायिकता त्रिकोण (Communal Triangle) निर्माण का निश्चय किया जिसका ये आधार बने।'²

1 Mehta and Parwardhan : The Communal Triangle, p 95B

2 Rajendra Prasad India Divided p 96

3 Mehta and Parwardhan Op Cit, p 59

अंग्रेजों ने सबसे पहले मुसलमानों को सेना में उच्च पदों से वंचित करके उनका स्थान हिन्दुओं को दे दिया। सरकारी सेवाओं में यही किया गया। कुछ अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम विरोधी और हिन्दू-पक्षी नीति अपनाई गई, लेकिन 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ब्रिटिश शासकों के रुख में परिवर्तन आने लगा और यह नीति मुस्लिम पक्षी तथा हिन्दू विरोधी हो गई। अब अंधे प्रमुसलमानों से साँठगाँठ बढ़ाने लगे और उन्हें साम्प्रदायिक आधार पर विरोध राजनीतिक अधिकार देने की वकालत लगे। विधानसभाओं को पृथक् प्रतिनिधित्व देकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की जड़ मजबूत बनाई गई।

7. पृथक् शिक्षण सस्थाओं की स्थापना—भारत में नवजागरण के फलस्वरूप विभिन्न सम्प्रदाय और जातियों अपनी पृथक् शिक्षण सस्थाएँ खोलने लगे। कुछ शिक्षण सस्थाओं की प्रकृति में साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन मिला। मुसलमानों ने देवबन्द में दाखल-उलूम खाना, आर्य समाजियों ने गुरुकुल स्थापित किए और सनातनियों ने ऋषि कुलों की नींव डाली। धार्मिक आधार पर अन्वीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय का मूकनाव हुआ। इन सस्थाओं ने विभिन्न सम्प्रदायों को निकट लाने की अनेका एक-दूसरे से पृथक् करने में सहयोग दिया।

8. बंगाल का विभाजन—लॉर्ड कर्जन की कुटिल नीति ने हिन्दू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ाया। मुस्लिम साम्प्रदायिकता को तेजी से ठपारने के लिए कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। उसने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और मुसलमानों ने यह प्रचार किया कि बंगाल के विभाजन की योजना की मुस्लिम समाज के लाभ के लिए लागू किया गया है। कर्जन को अपनी कूटनीति में सफलता मिली और मुसलमानों को विश्वास हो चला कि ब्रिटिश सरकार का रुख सही है और मुसलमानों तथा हिन्दुओं के हित में कोई मैल नहीं है। डॉ. के. आर. बन्बलन के अनुसार, 'बंगाल का विभाजन' देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सम्बन्ध (Counter Poise of Natives Against Natives) के कार्यक्रम में एक कदम था। कर्जन ने शासन सचिवों सुविधाओं के आधार पर बंगाल-विभाजन का आँचित सिद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु मता यह है कि बंगाल-विभाजन के मूल में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन की छाई खोदने की प्रबल नीति थी।

इन कारणों से मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उदय और विकास को बनाना। गैर सरकारी हस्तियों में सर सैयद अहमद, अमीर अली, मिस्सिन बेक आदि की प्रमुख भूमिका रही और सरकारी हस्तियों में लॉर्ड मिन्टो एव लॉर्ड कर्जन का योग्य उल्लेखनीय रहा।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता (Muslim Communalism)

1906 से 1909 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता

दिसम्बर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के पूर्व 1 अक्टूबर, 1906 को ब्रिटिश हुकूमत के संविधानानुसार मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल लॉर्ड मिन्टो से मिला जिसके नेता सर आगा खान थे। मुस्लिम शिष्टमण्डल ने भारत के वायसराय के समक्ष एक स्वीचिप्स पेश करके निम्नलिखित माँगें पेश कीं—

1. मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था हो।
2. सुधार के बाद बने हुए विधानमण्डलों में मुसलमानों की उनकी आबादी से अधिक स्थान दिए जाएँ।
3. सरकारी नौकरियों मुसलमानों को अधिक दी जाएँ।
4. सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना में सरकारी सहयता दी जाए।
5. यदि गवर्नर जनरल को कौंसिल में किसी भारतीय को नियुक्त किया जाए तो मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाए।

मुस्लिम शिष्टमण्डल ने वायसराय को यह विश्वास दिलाया कि सरकार मुसलमानों के हितों की वृद्धि करके, उनकी राजकीय को सुदृढ़ बना सकेगी। लॉर्ड मिन्टो ने मुस्लिम शिष्टमण्डल की साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँगों को महर्षि स्वीकार किया। इन प्रकार भारतीय इतिहास में पहली बार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सरकारी स्तर पर स्वीकार कर साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया गया। लॉर्ड मिन्टो ने मुस्लिम शिष्टमण्डल को बन्दपूर्वक यह आश्वासन दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की अवगणना नहीं की जायेगी। लॉर्ड मिन्टो कौंसिल की प्रतिद्वन्द्वी सस्था चाहते थे और उनकी कूटनीति सफल हुई। ब्रिटिश सन्धि से प्रोत्साहित होकर 30 दिसम्बर, 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। यह भारतीय मुसलमानों का प्रथम साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठन था। मुस्लिम लीग की स्थापना के तुरन्त प्रभावित रहे गए—

1. भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति शक्ति हानन करना और ब्रिटिश सरकार की नीति के नाबखशी में कोई गलत धारणा हो, तो इसे दूर करना।

2. मुसलमानों की माँगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना और उनके हितों की रक्षा करना।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों के विरुद्ध न जाते हुए मुसलमानों एवं अन्य जातियों में सदासम्भव मेल-मिलाप पैदा करना।

मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से भारत के राष्ट्रवादियों को यह विश्वास हो गया कि इसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिकता और हठधर्मिता का दृष्टिकोण रहेगा। लीग का उद्देश्य विदेशी हुकूमत के प्रति राजपक्षित में वृद्धि करना और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवाह को रोकना था। कई मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध किया। एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता ने कहा था—“मेरे सहधर्मियों द्वारा भारत में असमाधेय भाव पैदा करने का प्रयत्न प्रशंसनीय नहीं है—यह पन्देरा की पेटो सिद्ध होगी और भारत को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।” 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों को आबादी से अधिक स्थान विधान-मण्डलों में दिए जाने की माँग की। यह माँग की गई कि प्रिवी-कौंसिल में यदि एक हिन्दू नियुक्त किया जाए तो मुसलमान भी अवश्य नियुक्त किया जाए तथा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1909 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पुनः इन्हीं माँगों को दोहराया और इंग्लैण्ड ने अपने सिद्ध-मण्डल भेजे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग के साम्प्रदायिक प्रयत्नों का घोर विरोध किया पर कोई परिणाम नहीं निकला। लॉर्ड रिडो के इस आग्रह पर कि भारतीय मुसलमानों को सन्तुष्ट करने के नाम पर पृथक् निर्वाचनों की माँग को मानना जरूरी है, भारत सगिव लॉर्ड मॉर्ले को अपनी इच्छा और विचारों के विपरीत यह प्रस्ताव पान लेना पड़ा और 1909 के मॉर्ले-रिडो सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् चुनावों की व्याख्या का समावेश कर दिया गया। इसके बाद हिन्दू-मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती चली गई और पृथक् चुनाव का परिणाम हुआ कि पृथक् राष्ट्रियता की विचारधारा और अन्त में देश का विभाजन तथा दो पृथक् राष्ट्रों की स्थापना।

1910 से 1929 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता

1909 के अधिनियम के उपरान्त लीग की प्रतिक्रियावादी नीति कुछ शिथिल पड़ गई। 12 दिसम्बर, 1911 को बंग-पग समाप्त कर दिया गया। दूसरी ओर 1912 में टर्की साम्राज्य के यूरोप स्थित बालकन भान्तों ने राजनीति के लिए सघर्ष आरम्भ कर दिया और अंग्रेजों ने उनकी सहायता की। टर्की में नवयुवक आन्दोलन आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य टर्की को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना था। अंग्रेजों ने इस आन्दोलन को दबाने में टर्की सम्राट को सहायता की। फलस्वरूप भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से खार खा बैठे और डॉ. अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयत्नों से कांग्रेस और लीग में सहयोग की सम्भावनाएँ प्रबल हो गईं। 1916 में लीग-काँग्रेस समझौता हो गया जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। आंशिक रूप में इस समझौते तथा खिलाफत आन्दोलन को काँग्रेसी सहायता के कारण 1920-22 के असहयोग आन्दोलन के दौरान दोनों सम्प्रदायों के बीच सहयोग चलता रहा। इस बीच अंग्रेजों की कुटिल नीति यही रही कि हिन्दू और मुसलमानों में सहयोग के सूत्रों को खलत कर दिया जाए। 1919 के अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति का विस्तार करके अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति का परिचय दिया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए प्रचलित साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति को बनाए रखा गया, पंजाब के सिक्खों के लिए साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति की व्यवस्था की गई, मुम्बई के भराठों और चेन्नई के ब्राह्मणों के लिए बहु-सदस्यीय चुनाव-क्षेत्र में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं तथा अन्य हिंदी और खगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष चुनाव-पद्धति जारी की गई। यह सब राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल कार्य था।

1922 से अगले 10 वर्षों तक भारत में साम्प्रदायिक दलों की स्थिति रही। 1916 के लखनऊ समझौते का महत्व नहीं रहा। ब्रिटिश नौकरशाही ने हिन्दू-मुस्लिम दलों को रोकने में आवश्यक सावधानी नहीं बरती तथा प्रच्छन्न रूप से इन्हें उत्तेजित और किया। 1927 में मुस्लिम लीग के दो दल हो गए—एक दल का अधिवेशन मोहम्मद शाफी के नेतृत्व में साहौर में और दूसरा जिन्ना के सभापतित्व में कोलकाता में हुआ। इसी समय देश के सविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सविधान में पृथक् निर्वाचन को कोई स्थान नहीं दिया गया अतः मुस्लिम लीग के शाफी दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। इधर जिन्ना ने इंग्लैण्ड से लौटकर शाफी दल से समझौता कर लिया और 1919 में लीग के दिल्ली अधिवेशन में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें यह आग्रह किया गया कि—

1. केन्द्रीय विधान-मण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो।
2. साम्प्रदायिक दलों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन-पद्धति से हो, परन्तु कोई सम्प्रदाय जब चाहे तब संपुक्त निर्वाचन-पद्धति स्वीकार कर सके।
3. द्विती प्रादेशिक पुनर्विभाजन द्वारा पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में मुसलमानों के बहुमत पर कोई प्रभाव न पड़े।
4. किसी विधान-सभा अपना लोक प्रतिनिधि सभा में ऐसा कोई विधेयक या प्रस्ताव स्वीकृत न हो जितना किसी सम्प्रदाय के 3/4 सदस्य अपने समुदाय के हितों के विरुद्ध बताते हुए विरोध करें।

- 5 विधान में सभी नैतिकियों में योग्यता की आवश्यकता के अन्वय में मुसलमानों को उचित भाग मिले।
- 6 मुस्लिम सभ्यता, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून और श्रमिक सत्ताओं की रक्षा एवं उन्नति के लिए संरक्षण एवं सहायता मिले।
- 7 केन्द्रीय अथवा प्रांतीय मन्त्रिमण्डल में कम से कम 1/3 मन्त्री मुसलमान रहें।

जिन्ना की इन शर्तों ने मुसलमानों की माँग का रूप धारण कर लिया। यद्यपि मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय दल ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, तथापि आगे मैक्डोनाल्ड के साम्प्रदायिक पचाट में इन्हें पूर्ण स्थान दिया गया।

1930 से 1947 तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता और विभाजन की माँग

अंग्रेज हर प्रकार से साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना चाहते थे अतः इस तर्क की आड़ में कि भारतीय स्वयं आपस में कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त, 1932 को विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व में एक पचाट प्रकाशित किया जो 'साम्प्रदायिक पचाट' (Communal Award) के नाम से जाना जाता है। इस पचाट में पृथक् निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों के ऊपर लागू कर दिया गया। मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों, आंग्ल-भारतीयों तथा महिलाओं तक के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई। श्रम, वाणिज्य, उद्योग, जमींदारों तथा विश्वविद्यालयों के लिए पृथक् चुनाव-क्षेत्र निर्धारित किए गए। निर्वाचकों को 17 विभिन्न भागों में बाँट दिया गया। स्पष्ट था कि यह साम्प्रदायिक पचाट भारतीय राष्ट्रवाद को निर्बल करने के लिए भारत के सम्प्रदायगत तथा वर्गगत मतभेदों को उग्र बनाने के लिए किया गया था। यह योजना प्रांतीय विधान-मण्डलों में ही लागू की जानी थी, केन्द्रीय विधान-मण्डल के निर्णय का प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया गया था। इस पचाट में फूट इस तथ्य की पुष्टि कर दी गई कि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यक वर्गों और विशेष रूप से मुसलमानों पर कृपातु थी। सौभाग्यवश महात्मा गाँधी के अनुरोध के कारण सितम्बर, 1932 में पूना पैक्ट हो गया। फलस्वरूप हिन्दुओं के अन्दर हरिजनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्णय लिया गया और उनका पृथक् निर्वाचन बन्द कर दिया गया।

भारत में फूट डालकर हकूमत करने की नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत विनाशकारी साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति का हरिजनों के लिए विस्तार कर दिया। मुसलमानों को केन्द्रीय विधान-मण्डल में ब्रिटिश भारत के 33½ प्रतिशत स्थान दिए गए, जबकि उनकी जनसंख्या इस अनुपात में नहीं थी। विशेष रियायतों और ब्रिटिश संरक्षण से मुसलमानों का उत्साहित हो उठना स्वाभाविक था। 1935 का अधिनियम लागू होने के बाद देश में मुस्लिम राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। मुस्लिम लीग ने प्रतीक्षा की नीति अपनाई और कॉंग्रेस तथा अंग्रेज सरकार के बीच मतभेदों से लाभ उठाने की कोशिश की। अधिनियम के अन्तर्गत हुए निर्वाचनों के फलस्वरूप अनेक प्रांतों में कॉंग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। लीग ने कॉंग्रेस के साथ मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाना चाहा, लेकिन कॉंग्रेस ने इनकार कर दिया और इस पर लीग ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि बहुसंख्यक सम्प्रदाय अपनी नीति से यह स्पष्ट करता जा रहा है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए है। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने यह नारा भी बुलन्द किया कि इस्लाम छोड़ें नहीं। यह वह समय था कि जब द्वितीय महायुद्ध के बादल अन्तर्देशीय शक्ति पर छाए जा रहे थे। मुहम्मद अली जिन्ना ने चलाचढ़ी से काम लेते हुए वायसराय के साथ सौदेबाजी की। युद्ध प्रयासों में सरकार की सहायता करने के लिए लीग की ओर से दो शर्तें रखी गईं—एक यह कि कॉंग्रेस बहुमत वाले प्रांतों में मुसलमानों के साथ न्याय हो और दूसरी यह कि भारत के लिए कोई भावी संविधान मुस्लिम लीग की अनुमति बिना न बनाया जाए।¹ अब तक मुस्लिम पृथक्तावादीयों ने अपनी माँगों को पृथक् निर्वाचक-मण्डलों, गुरु-भार और आरक्षणों तक सीमित रखा था, लेकिन 1938 में हिन्दू और मुस्लिम दो राष्ट्रों का सिद्धान्त सामने आया। मुस्लिम लीग ने यह दावा करना आरम्भ कर दिया कि भारतीय मुसलमान एक 'समुदाय' नहीं, प्रत्युत एक 'राष्ट्र' है इसलिए उन्हें 'राजनीतिक आत्म-निर्णय' का अधिकार है।²

अगस्त 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने साहसिक अधिवेशन में 'पाकिस्तान प्रस्ताव' पस किया तथा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों का एक अलग पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न मुस्लिम राज्य स्थापित किए जाने की माँग पेश की जिसमें 'भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र' जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र सम्मिलित होते।³ उल्लेखनीय है कि भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक् राज्य का विचार सबसे पहले डॉ. मुहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के एक विशेष अधिवेशन में प्रकट किया था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना की योजना प्रतिपादित की, लेकिन उस समय लोगों ने इसे दार्शनिक की कल्पना का एक चित्र समझा, अतः उनके संकेत पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, पर दूसरी ओर रहमत अली के प्रभाव में रहने वाले मुस्लिम कैम्प्रेस विचारियों में यह विचार जोर पकड़ता गया। रहमत अली ने ब्रिटिश संसद के सदस्यों को अपनी पत्रिकार्य प्रस्तुत की जिन्में कहा गया था

1. डॉ. मुहम्मद इकबाल, वही, पृ. 162.

2. डॉ. मुहम्मद इकबाल, वही, पृ. 163.

कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान का राज्य बना दिया जाए, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा-प्रान्त, काश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान के भाग मिलाए जाएँ। यूसुफ अली ने इस योजना को विचारार्थियों की देन कहा तथा जफरुल्ला ख़ाँ ने इसे स्वपत्नीकीय एवं अव्यवहार्य बताया। 1940 तक जिन्ना तक ने इस बात को नहीं माना। लन्दन से प्रकाशित पत्रिका 'टाइम एण्ड टाइड' (Time and Tide) में 19 जनवरी, 1940 को जिन्ना ने लिख—भारत में दो राष्ट्र हैं जिन्हें एक ही मातृभूमि के प्रशासन में भागीदार होना चाहिए, लेकिन तीन महीने बाद ही जिन्ना पूरी तरह पाकिस्तान की माँग का नेता बन गया।¹

जब 1942 में कॉम्रेस द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध 'भरत छोड़ो आन्दोलन' चलाया गया तो मुस्लिम लीग ने आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की, प्रत्युत प्रत्येक सम्भव तरीके से अंग्रेज सरकार की सहायता की। 1942 से 1944 तक कॉम्रेस के सभी नेता जेल में थे, अतः उनकी अनुपस्थिति का मुस्लिम लीग ने भरपूर लाभ उठाया। यह प्रचार किया गया कि कॉम्रेस एक कट्टर विरक्त सत्ता है जो भारत में हिन्दू राज्य कायम करना चाहती है। लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए पुर्णतः प्रचार किया, 1946 के अन्तरिम चुनावों में मुस्लिम लीग को 1937 के चुनावों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त हुई। चुनावों ने स्पष्ट हो गया कि कॉम्रेस और लीग दो ही बड़ी राजनीतिक सम्थाएँ भारत में हैं जो क्रमशः हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चुनावों में अपनी सफलता से प्रेरित होकर लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए आन्दोलन छेड़ दिया। लीग ने अंग्रेजों की नीति अपनाते हुए अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और 27-29 जुलाई को लीग की परिषद ने स्वतन्त्र पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए 'सीधी कार्यवाही' (Direct Action) की घोषणा की। 16 अगस्त सीधी कार्यवाही शुरू करने की तारीख निर्धारित हुई। 'सीधी कार्यवाही का उद्देश्य था हिन्दुओं की मार-काट शुरू कर साम्प्रदायिक दंगों और आतंक का बातावरण फैलाकर, यह सिद्ध करना कि हिन्दू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और देश के विभाजन के अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं।'² 16 अगस्त को देश के विभिन्न भागों में दंगे हुए और बगाल तथा सिंध में जहाँ मुस्लिम लीग की सरकारें थीं, सत्कारी छुट्टी की गई। कस्तूरबे में भीषण रक्तपात हुआ। सत्कारी अनुभवों के अनुसार 500 हिन्दू मार डाले गए और 25-20 हजार के चोटें आईं। सम्पत्ति लूटने की तथा महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार और बलात्कार करने की असंख्य घटनाएँ हुईं।³ साम्प्रदायिक दंगों की यह आग सारे देश में फैल गई और एक वर्ष से अधिक समय तक यही स्थिति रही।

परिस्थितियों से विवश होकर कॉम्रेस ने देश का विभाजन करना स्वीकार कर लिया। गाँधीजी अन्त तक विभाजन के विरुद्ध रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि "यदि सारा भारत भी आग को लपटों में फिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। भारत का विभाजन मेरे 'गब' पर ही हो सकेगा।" 3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया जिसमें दो गई योजना (माउंट बेटन योजना) में भारत के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया गया। परिणामस्वरूप माउण्ट बेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 को पास किया जिसके अनुसार 15 अगस्त, 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो दोंमोनियनों की स्थापना हो गई। टुकड़ों में विभक्त होकर भारत स्वतन्त्र हो गया।

हिन्दू साम्प्रदायिकता (Hindu Communalism)

मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने अनिवार्य रूप से हिन्दू साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया। डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार "इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता मुस्लिम साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया थी। उसने साम्प्रदायिक विद्वेष की ज्वाला उत्पन्न नहीं की, पर उसकी लपटों को अवश्य जँचा रखा जिससे मुस्लिम-नैतियों को पाकिस्तान की दिशा में झोपने की प्रेरणा मिली। पृथक्तावाद की भावना को बढ़ाने में हिन्दू साम्प्रदायिक सत्ताओं से अधिक ब्रिटिश नौकरशाही ने काम किया।"

बंगाल-विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जब मुसलमानों ने साम्प्रदायिक दंगे शुरू कर दिए, हिन्दुओं की सम्पत्ति को लूटा और हिन्दू औरतों की इज्जत पर हाथ डाले तो हिन्दुओं ने विशेषकर बंगाल और पंजाब में, स्वयं को संगठित करना शुरू कर दिया। बंगाल में हिन्दुओं द्वारा अनुशीलन समितियाँ और पंजाब में हिन्दू-सभाएँ गठित की गईं। मुस्लिम साम्प्रदायिकता के वीरस रूप ने अनेक हिन्दू बुद्धिजीवियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे हिन्दू महासभा स्थापित करके हिन्दू जाति को संगठित और शक्तिशाली बनाएँ। 1915 में हिन्दू महासभा की स्थापना हुई।

1. रामानन्द अग्रवाल, द्वापण राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सैवियानिक विकास, पृ. 274-75
2-3 डॉ. सुभाष कश्यप, वही पृ. 218.

प्राथमिक अवस्था में महासभा का नेतृत्व पण्डित मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में रहा, लेकिन धीरे-धीरे कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों ने महासभा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हिन्दू महासभा मुस्लिम लीग की अपेक्षा अधिक सयुक्त और उदार सम्यो रही है। इसका मूल उद्देश्य था कि हिन्दुओं को एक जात के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया जाए तथा मुस्लिम जाति को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर जनमत का निर्माण किया जाए। हिन्दू महासभा ने हिन्दुओं में एक राष्ट्र होने की भावना पैदा की। वीर सावरकर के प्रयत्नों से हिन्दू राष्ट्र का विचार हिन्दू महासभा का 'घोष शब्द' बन गया। यह कहा जाता है कि हिन्दू राष्ट्र के विचार की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमानों के इस दावे को प्रोत्साहन मिला कि मुस्लिम समाज हिन्दुओं से भिन्न एक पृथक् राष्ट्र है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने अपने जन्म के तुरन्त बाद ही पृथक्तावादी प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत दे दिया था। हिन्दू अपनी उदार मनोवृत्ति के कारण अपनी जन्म-सी कमी अथवा खामी को तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं और बहुधा उसे अनावश्यक रूप से महत्वपूर्ण बना देते हैं। यह मनोवृत्ति इस विचार के विकसित होने में सहायक रही है कि हिन्दू महासभा जैसे संगठनों की कार्यवाहियों में मुस्लिम-लीगियों को पाकिस्तान की दिशा में सोचने की प्रेरणा दी। यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण घटना-चक्र एक प्रतिक्रिया द्वारा दूसरी प्रतिक्रिया को और दूसरी प्रतिक्रिया द्वारा पुनः पहली प्रतिक्रिया को जन्म देने और बढ़ाने का था। यह एक विचित्र बात थी कि मुस्लिम संगठन बनने पर कोई तृप्यन खड़ा नहीं होगा था, लेकिन हिन्दू संगठन बनने पर एक तृप्यन खड़ा कर दिया जाता था।

यह अभियान चलाया गया कि जिन हिन्दुओं को मुसलमान या ईसाई बना दिया गया था उन्हें और उनके वंशजों को पुनः हिन्दू बनाया जाए। हिन्दुओं के संगठन और राष्ट्र आन्दोलन की प्रतिक्रिया यह हुई कि मुसलमानों ने तन्त्रिम और पब्लिक का अपना आन्दोलन चला दिया। अखिल इस्लामी आन्दोलन की प्रतिक्रिया हिन्दुओं पर हुई और 1936 में लाहौर के हिन्दू महासभाई अधिवेशन में जगत् गुरु शकटचार्प के अध्यक्षीय भाषण में अखिल हिन्दूवाद का स्वर उन्नत हुआ।

पिछड़ी जाति के आन्दोलन, ट्रेड यूनियन तथा किसान आन्दोलन, नागरिक अधिकार आन्दोलन

(Backward Caste Movements, Trade Union and
Peasant Movements, Civil Right Movement)

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन क्षेत्रीय दृष्टि से ही नहीं था। इसका विन्तु सामाजिक आधार था। विभिन्न सामाजिक समूह इसमें सम्मिलित हुए। भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नताएँ रही हैं। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक समूह भी हैं। ब्रिटिश शासन में यह विभिन्नता अधिक थी। समाज हिंदू और मुसलमानों में बँटा हुआ था। मुसलमानों में सामाजिक विभाजन था। समाज में विभिन्न आर्थिक समूह थे, जिनमें बहुत विषमता थी। इन समूहों के सामाजिक और आर्थिक हित भिन्न थे। राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिकाधिक समूह सम्मिलित होते गए।

बीसवीं शताब्दी तक कर्मिस एक जन आन्दोलन का रूप ले चुकी थी। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन, इसका चरम बिन्दु था, जिसमें सामाजिक-आर्थिक विभिन्नता को धुलाऊ, सभी सामाजिक समूह सम्मिलित हुए। विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लक्ष्य ने विभिन्न समूहों को एक कर दिया। विभिन्न समूहों में लक्ष्य की एकता की भावना लाने में राष्ट्रीय आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आन्दोलन ने एक ऐसे लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि विभिन्न आर्थिक समूह एक मंच पर इकट्ठे हो गए। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत दिनों से असंतोष की भावना थी, जिसके कई कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कर्मिस की स्थापना से पहले जनता के विरोध के उदाहरण निम्नलिखित हैं। बंगाल के पावना जिले में 1873 में संगठित जमींदारों के खिलाफ भूमि सम्बन्धी संगठन (Agrarian League), महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र में 1875 में साहूकरों के खिलाफ दण्ड आन्ध्र प्रदेश के 'रपा' क्षेत्र में 1879 में जनजातियों का विद्रोह, ऐसे कुछ उदाहरण हैं। किसानों और औद्योगिक श्रमिक वर्गों का अपना संगठन था। उनका विद्रोह अपने निम्नतम दमनकारी वर्गों—जमींदारों, साहूकरों और उद्योगपतियों के खिलाफ था। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इनके समूह 'ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने' का उच्च लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य के द्वारा किसान और जमींदार, श्रमिक और उद्योगपति सभी राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हो गए। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का आपसी संपर्क ब्रिटिश सरकार के निरःलाभकारी था, लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन ने इसके स्थान पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में एकता की भावना की स्थापना की। आने वाले वर्षों में यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ।

कोई भी आन्दोलन विशेष सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों की उल्लेख नहीं कर सकता। किसान, श्रमिक, उद्योगपति, जमींदार—सभी वर्गों का महान भारतीय विचारक और नेता महात्मा गाँधी जिन्होंने 1920 में 'असहयोग आन्दोलन', 1930

में 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' और 1942 में 'गांधी छोड़ो आन्दोलन' की शुरुआत की वे भारतीय स्वतन्त्रता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। उन्होंने एक अहिंसा प्रधान समाज का स्वन दिया था। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए विशेष रूप से कार्य किया। प्रसिद्ध पुस्तकें 'वीमेन एण्ड सोशल जस्टिस', 'सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका', 'इकॉनॉमिक्स ऑफ छादी' आदि पुस्तकों ने चेतना जागृत की। सभी वर्ग अपने अपने हितों को सुरक्षित रखन चाहते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इन वर्गों को संगठित करने के हितों का भी ध्यान रखा।

महात्मा गांधी ने 1917-18 में बिहार में गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए 'चंपारन सत्याग्रह' किया। इसका बाद 1919 में 'खेड़ा सत्याग्रह' हुआ। उन प्रदेश के रायबरेली और फैजाबाद क्षेत्र में 1920 में किसान आन्दोलन अधिक व्यापक थे। 1921 में मालाबार क्षेत्र में 'मोपला विद्रोह' में जो कृषि श्रमिक और कृषक शक्ति सम्मिलित हुए वे अविभक्त मुसलमान थे। किसान सभाओं की स्थापना हुई, जो बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश और बिहार क्षेत्रों में सक्रिय थीं। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना और व्यापारिक बैंकों के विस्तार के साथ ही भारतीय मध्यम वर्ग उभर आया, जिसका सम्बन्ध व्यापार और उद्योग से था। बंगाल के व्यापार संगठन—चेम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1887 में की और भारतीय व्यापारी सभ—इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर की स्थापना मुम्बई में 1907 में हुई। बोलकता में 1900 में भारतीय व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अन्ततः 1925 में एक भारतीय व्यापार मंच की स्थापना हुई। स्वदेशी आन्दोलन ने बिटेन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय उद्योगपति विशेषकर कपड़ा उद्योग के उद्योगपति इस ओर आकर्षित हुए। इसका असर यह हुआ कि भारत में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन मिला, जिसका उद्योगपतियों ने स्वागत किया। बिदला, बजाज, अबालाल, साराभाई, कस्तूर भाई जैसे उद्योगपतियों का बहिष्कार को समर्थन मिलने लगा। हितों की रक्षा के लिए संगठन जोर पकड़ रहे थे और राष्ट्रीय आन्दोलन के गुरु पर वे सम्मिलित हो रहे थे। विशेष समूहों से सम्बन्धित विषयों के साथ स्वतन्त्रता के व्यापक सत्य को सामने रखने से समूहों का सम्बन्धन ज्यादा यथार्थवादी हो गया। आन्दोलन विशेष हितों की रक्षा और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए प्रभावकारी था।

स्वतन्त्रता संग्राम के नेता समाज के विभिन्न वर्गों के समर्थन के प्रयास के साथ समाज सुधार और नागरिक अधिकारों में भी शक्य थे। स्वतन्त्रता संग्राम के कई नेता सर्वमान्य समाज सुधारक थे। राजा राममोहन राय ने जिन्हें 'भारतीय राष्ट्रीयता का पिता' कहा जाता है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह आन्दोलन हिन्दु समाज की मती प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराइयों के निषेध के लिए उत्तरदायी था। ब्रह्म समाज ने विद्यालयों की स्थापना तथा परिवारों और पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से शिक्षा के प्रसार का काम किया।

118284

महादेव गोविन्द रानाडे ने 1867 में मुम्बई में प्रार्थना सभा की स्थापना की। दयानन्द सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1886 में पहले दयानन्द एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना के बाद डी. ए. वी. स्कुल और कॉलेजों की गृहस्था प्रसिद्ध हो गई। ए. आर. देसाई के अनुसार, 'राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ में आर्य समाज ने एक प्रगतिशील भूमिका निभाई थी।' स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का लक्ष्य था—'भारत को पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवादी प्रभाव से बचाना।' श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी एक आध्यात्मिक आन्दोलन था। इसका पवित्र सम्बन्ध बाल विवाह पर्दा प्रथा और निरक्षरता जैसी कुरीतियों को मिटाने से था। कॉंग्रेस के कार्यक्रमों में विशेषतः होमरूल और स्वदेशी आन्दोलन में इसका योगदान था। मुस्लिम समुदाय में जिन सभाओं द्वारा सुधार लाए गए वे अहमदिया आन्दोलन, अनुमन ए हिमायत इस्लाम, नवदख्तल उलेमा, अलीगढ़ आन्दोलन अब्दुल गफ्फार खान का युदाई छिद्रमत्तार आन्दोलन और छाकसार आन्दोलन, सिक्कों द्वारा शिरोपणि गुरुद्वारा प्रबन्धक सुधार आन्दोलन और सिंह सभाओं की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी नेता समाज सुधार और नागरिक अधिकारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे कुछ नेताओं के नाम हैं—राजा राममोहन राय गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक, अरविन्द घोष, लाला लाजपत राय, मुहम्मद इकबाल और महात्मा गांधी।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रगतिशील विचार सुधार के तीन कार्यक्रमों से स्पष्ट होते हैं—(1) नव्य व्यवस्था (2) स्त्रियों की स्थिति एवं (3) अस्पृश्यता।

ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज सबने समाज के विभिन्न वर्गों में बंटवारे का विरोध किया। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के 'सत्य शोधक समाज' और चेन्नई के 'स्व सम्मान आन्दोलन' (Self Respect Movement) ने उच्च वर्ण के प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी और विधवाओं की दयनीय स्थिति, जैसी कुरीतियों का विरोध नारी मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। नेताओं ने नारी शिक्षा पर जोर दिया। 1919 के बाद राजनीति में अधिक महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही। महिलार्य किसान आन्दोलन में सक्रिय थीं।

छुआछूत वर्ग व्यवस्था की विकृति के रूप में प्रकट हुई। समाज सुधार और नागरिक अधिकार आन्दोलन और काँग्रेस ने छुआछूत दूर करने पर बल दिया। महात्मा गाँधी ने जिन्होंने इस समूह को 'हरिजन' की सजा दी, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बी. आर. अम्बेदकर को इनका प्रवक्ता माना गया। अछूतों के लिए आवाज उठाने में अखिल भारतीय दलित वर्ग सघ का योगदान महत्वपूर्ण था। प्रान्तों में 1937 की काँग्रेस सरकारों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं द्वारा ये प्रश्न समानता और लोकतांत्रिक अधिकार के सिद्धान्तों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये सिद्धान्त ब्रिटेन के शासन से स्वतन्त्रता की उनकी माँगों का आधार था। स्वतन्त्रता सशम के नेता उदार विचारधारा और कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते रहे। कुछ समूहों तक सीमित सकीर्ण विचारों का कोई स्थान नहीं था। नेताओं में मतभेदों की अधिव्यक्ति इस तरह हुई—नरम दल, उदारवादी और उग्रवादी, परिवर्तन न चाहने वाले, स्वराज्यवादी, काँग्रेस समाजवादी पार्टी आदि। काँग्रेस समाजवादी पार्टी के निर्माण के बाद आन्दोलन का समाजवाद की ओर स्पष्ट झुकान हो गया। इस विचारधारा को जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस जैसे प्रभावशाली नेताओं का समर्थन प्राप्त था। काँग्रेस के नेता देश की गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या के प्रति सजग थे और आर्थिक उत्थान तथा समानता पर अधिक बल देने के कारण समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। स्वतन्त्रता आन्दोलन के विस्तार के साथ भारत की जनता के विभिन्न समूहों में राजनीतिक चेतना आती गई। इस चेतना में जीवन का सामाजिक आर्थिक पक्ष और समाज के विभिन्न स्तरों का हित निहित था। भारतीय राष्ट्रवाद के अनात्म लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आई। जनता लोकतन्त्र के नताओं और कार्य विधि से परिचित हो गई। नागरिकता की इस चेतना के साथ उसमें क्रान्ति, श्रमिक और उद्योगपति जैसे वर्गीय हितों के सम्बन्ध में चेतना आई।

साँवैधानिक विकास (ब्रिटिश शासन में महत्त्वपूर्ण घटनाएँ)

(Landmarks in Constitutional Development during British Rule)

भारत में सविधानवाद के विकास में देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसका राष्ट्रीय आन्दोलन के परिप्रेष्य में अवलोकन आवश्यक है। स्वविधान के विकास और राष्ट्रीय आन्दोलन में अन्तर्क्रिया रही है। इस सन्दर्भ में दृष्टव्य है कि 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम ने अंग्रेजों को 1858, 1861, 1892, 1919, 1935 और 1947 के महत्वपूर्ण अधिनियमों को पारित करने के लिए विवश किया। भारत शासन अधिनियम 1858-1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम ने ईस्ट-इंडिया कम्पनी के प्रशासन को हस्तान्तर कर रद्द दिया था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत शासन अधिनियम 1858 पारित करना पड़ा। इससे भारतीय शासन सीधे सम्राट के नियन्त्रण में आ गया। भारत का शासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से किया जाने लगा जिसमें 8 सदस्य सम्राट द्वारा नामांकित और शेष ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशकों के प्रतिनिधि होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सहायता से कार्य करता था। इस अधिनियम में भारतीय जनता के दृष्टिकोणों और सुझावों को कोई स्थान नहीं था।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861—इस अधिनियम में लोक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का नाममात्र का समावेश किया गया था। मुख्यतः यह अधिनियम भारत के साँवैधानिक विकास में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है—(i) कानून बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग लेना प्रारम्भ किया गया। (ii) प्रांतीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता तथा गवर्नर जनरल को विधान सभा में भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मुख्य बिन्दु हैं—(i) भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया, किन्तु गैर सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने लगे। ये स्थानीय निकाय थे—विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगरपालिका। (ii) परिषदों को बजट पर विचार विमर्श करने की और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। यद्यपि इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली तथा इसमें अनेक सुधारों की निर्वाचन की पद्धति अन्यायपूर्ण थी, अतः वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे तथा सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाएँ निरन्तर विकसित हो रही थी, फलतः राष्ट्रादी 1892 के अधिनियम से पूर्णतः असन्तुष्ट थे। विधान परिषदों में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के बहुमत और बजट पर मतदान करने के अधिकार की माँग कर रहे थे।

जॉन मार्टले मिण्टो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम, 1909—नवम्बर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिण्टो भारत के वायसराय नियुक्त हुए और जॉन मार्टले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनवाये गये। मार्टले उदारवादी थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। इनके द्वारा किये गये सुधारों को मार्टले मिण्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्टले मिण्टो के सुधारों द्वारा प्रतिनिधित्व और निर्वाचित तत्व का समावेश करने का प्रयत्न किया गया। केन्द्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी जिससे परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 हो गयी। इनमें आधे 32 गैर सरकारी सदस्य तथा 37 सरकारी सदस्य थे जिनमें से 28 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और शेष 9 पदेन सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और शेष 27 निर्वाचित होते थे। निर्वाचित सदस्यों को वर्गों, हिंदों और श्रेणियों के आधार पर मनोनीत किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। अधिनियम ने सदस्यों को अवसर दिया कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर सकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन

को नीति पर प्रभाव डाल सके। सरासरी बन्द विदेश कार्य और देशों रिपब्लिट अदि विषय इसके बाहर थे। 1909 के अधिनियम में निर्वाचन की जो प्रकृति अनर्थाई गई उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। इसमें प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी थी। इसी से भारत में पृथक्त्ववाद का बीज रोपा हुआ जिसकी परिणति देश के दुखद विभाजन में हुई।

मॉन्टेनिग्रो संधार भारतीयों को उदारदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की माँग पूर्ण नहीं कर सका। परिणामस्वरूप विदेशों प्रमुख के विरुद्ध आन्दोलन तीव्र गति से बढ़ने लगा। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों का महात्वाकांक्षा को बढ़ा दिया, अतः अब अंग्रेजों के लिए कमिश्नर की माँगों के प्रति उदात्तता रहना दुष्कर हो गया। परिणामस्वरूप 1917 में भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत में अधिक सुधारों का समर्पण किया। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की कि पश्चिम में प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा ठीक ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में उदारदायित्वपूर्ण शासन का विकास होता रहे। इस घोषणा के बाद व भारत की राजनीतिक स्थिति की राय के लिए भारत आये, परिणामस्वरूप 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा चम्सफोर्ड योजना कहलाई। रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक तैयार गया जो भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया।

मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन और भारत शासन अधिनियम 1919—मॉन्टेग्यू घोषणा भारत में सविधानवाद के विकास की महत्वपूर्ण घटना है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे—

(i) प्रान्तों में द्वैध शासन अधिनियम द्वारा उदारदायी सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया गया। प्रत्येक के विषयों को दो भागों में बाँटा गया—केन्द्रीय विषय जो केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में तथा प्रान्तीय विषय प्रान्तों के लिए। प्रान्तों की सौंपे गए विषयों में से अन्तर्गत-विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के उदारदायी सदस्यों की सहायता से किया जाता था। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया। दूसरी ओर आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। इनमें विधान मंडल के प्रति कोई उदारदायी नहीं था।

(ii) भारतीय विधान मंडल को अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाया गया। केन्द्र में उदारदायी को स्थान नहीं दिया गया। भारत के लिए सेंट्रल ऑफ स्टेट ब्रिटिश संसद का उदारदायी बना रहा। पहली बार विधान मंडल द्विपक्षीय किया गया—उच्चतर सदन जिसे राज्य परिषद का नाम दिया गया 60 सदस्यों से मिलकर बनने की जिनमें 34 निर्वाचित थे। निचले सदन में जिसे विधान सभा का नाम दिया गया 144 सदस्य थे जिनमें 104 निर्वाचित थे, शेष नामांकित किये जाते थे। मंत्राधिकार का अधिकार अत्यन्त सीमित एवं संकुचित था। मंत्राधिकार की अर्हता सन्तति के अधिकार पर निर्धारित की जाती थी। सिखा को न मंत्राधिकार प्राप्त था और न वे परिषदों की सदस्यता बन सकती थी।

केन्द्रीय विधान मंडल के दोनों सदनों की समान अधिकार प्राप्त थे। वे केन्द्रीय सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकते थे। कुछ प्रान्तीय विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति से कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय विधान मंडल को प्राप्त था। केन्द्रीय कानूनों की वैधता को न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। केन्द्र और प्रान्तों में यदि कोई मतभेद उठता था तो गवर्नर जनरल निर्णय करता था कि अनुकूल विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को है या प्रान्तों को। विशेष विषयों से सम्बन्धित विधेयक बिना उसकी अनुमति के विधानमंडल में नहीं लाये जा सकते थे तथा अपने विशेषाधिकार के प्रयोग द्वारा वह किसी विधेयक को नकार कर सकता था और ऐसे किसी विधेयक को वह पास कर सकता था जिसे परिषद ने अस्वीकृत कर दिया हो। गवर्नर जनरल को अन्तःकरण में अग्रदेश जारी करन का अधिकार था। यह अधिनियम भारतीय नेतृत्वों की उदारदायी सरकार की माँग को पूरा नहीं कर सका क्योंकि केन्द्रीय सरकार का स्वरूप दृढात्मक बना रहा। समूची रक्षा केन्द्र में (गवर्नर जनरल के हाथों में सेंट्रल आरम्भ का गठन से जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उदारदायी थी) निहित थी। 1919 के अधिनियम को भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रतिनिध्यात्मक शासन के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस अधिनियम ने देश में संसदीय शासन के स्वरूप को यथार्थ और वास्तविक स्वरूप प्रदान किया।

1919 से 1935 के बीच राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ बढ़ती गई। राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धाराओं में मजदूरों गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में अग्रदूत और उनके द्वारा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन का नृत्य चल रहा है। जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के कारण समूची देश में ब्रिटिश शासन विरोधी भावना, विद्रोह आन्दोलन, स्वराज्य दल का अग्रदूत साइन कमाराज का भारत आगमन और भारतीयों द्वारा इस कमाराज के प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना, नेहरू रिपोर्ट और गेन्जेब समेतियों की राजनीति को सन्तुष्ट किया जा सकता है। इस घटनाक्रम का नतीजा था ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। 1919 से 1935 के बीच गाँधीजी का राजनीति में अग्रदूत, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, द्विपक्षीय आन्दोलन, स्वराज्य दल का अग्रदूत अदि घटनाओं ने 1935 के अधिनियम की प्रकृति तैयार की।

साइमन कमीशन (Simon Commission)

1919 के 'भारत शासन अधिनियम' की अन्तिम धारा में कहा गया था कि भारत में सांविधानिक सुधारों की छानबीन के लिए ब्रिटिश संसद दस वर्ष बाद एक 'शाही आयोग' नियुक्त होगी; इसके अनुसार नवम्बर, 1927 में ब्रिटिश संसद के द्वारा सन जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे 'साइमन कमीशन' कहा जाता है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था इसलिए भारत में इसका बहिष्कार किया गया। 7 फरवरी, 1928 को आयोग के मुम्बई उतरने से लेकर जब तक आयोग भारत में रहा उसका सभी जगह हड़तालों, बाले झण्डों और साइमन वापस जाओ' के नारों से स्वागत हुआ। जब यह लाहौर पहुँच चहाँ लाला लाजपतराय ने एक विशाल विरोध जुलूस निकाला। अंग्रेज पुलिस अधिकारी साइड्स ने लाठी चार्ज कराया। लाला लाजपतराय लाठी लागने से गम्भीर रूप से घायल हो गए परिणामस्वरूप उनका देहान्त हो गया।

साइमन रिपोर्ट

मिग विलिंकिन्सन के अनुसार, "जलियावाला बाग की दुःखान्त घटना के परचात् सम्पूर्ण देश में जितनी इस कमीशन की निन्दा हुई, उतनी अंग्रेजों के और किसी काम की नहीं हुई।" इस व्यापक विरोध के होते हुए कमीशन ने दो बार भारत का दौरा किया। इस कमीशन की रिपोर्ट मई, 1930 में प्रकाशित हुई जिसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं—

- (1) प्रान्तों में द्वैध शासन की समाप्ति—कमीशन की सिफारिश थी कि प्रान्तों में द्वैध शासन को समाप्त करके, वहाँ उदारवादी शासन स्थापित किया जाए।
- (2) केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं—कमीशन ने केन्द्र के शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने की सिफारिश की।
- (3) संघ शासन की स्थापना—इस कमीशन ने यह सिफारिश की कि भारत में संघ शासन की स्थापना की जाए।
- (4) अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की विशेष शक्ति—साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए गवर्नरों व गवर्नर जनरल के लिए विशेष शक्तियाँ दी जाएँ।
- (5) मताधिकार का विस्तार—साइमन कमीशन की रिपोर्ट में मताधिकार के विस्तार की सिफारिश की गई। अब तब 28 प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त था। अब 10 से 15 प्रतिशत जनता को मताधिकार देने की सिफारिश की गई।
- (6) बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना—साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संघ की स्थापना से पूर्व भारत में एक 'बृहत्तर भारतीय परिषद' की स्थापना की जाए, जिसमें भारत के प्रान्तों और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। इस परिषद के माध्यम से प्रान्त एवं रियासतों को अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करने की सुविधा दी जाए।
- (7) प्रान्तीय विधानमण्डलों की मद्दत सचचा में वृद्धि—कमीशन ने प्रान्तीय विधान मण्डलों के सदस्यों की सचचा में वृद्धि की सिफारिश की तथा कहा गया कि सरकारी सदस्यों की व्यवस्था समाप्त की जाए।
- (8) बर्मा भारत से पृथक्—इस कमीशन ने बर्मा को भारत से अलग करने का सुझाव दिया।
- (9) कमीशन की नियुक्ति की समाप्ति—साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1919 के अधिनियम की प्रति 10 वर्ष बाद जाँच-पड़ताल के लिए कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त की जाए तथा नया संविधान ऐसा नवीनता बनाया जाए कि वह स्वयं ही विकसित होता रहे।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकन—भारतवासियों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिसके प्रमुख कारण निम्नांकित थे—(1) भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग पूरी नहीं हुई थी। (2) केन्द्र में पूर्व की नीति ही अनुतरादीय शासन की सिफारिश की गई थी। (3) यद्यपि प्रान्तों में उदारवादी शासन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी किन्तु गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ देने की सिफारिश की गई थी।

फलस्वरूप भारतीयों ने साइमन कमीशन रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। सर शिवा स्वामी अय्यर के अनुसार, "आयोग की रिपोर्ट रही की टोकरी में फेंक देने योग्य थी।" एण्ड्रूज ने इस रिपोर्ट को निन्दा करते हुए कहा था कि "आयोग ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन से समस्त देश में उत्पन्न हुए परिवर्तन और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा की। आयोग ने उस भारत को अपने समक्ष रखा जो राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ होने से 30 वर्ष पहले था। राष्ट्रीय जागृति के फलस्वरूप उदीयमान युवक भारत का हममें परिचय नहीं मिलता।"

भारतीय शासन अधिनियम 1935—1935 के अधिनियम में मुसलमानों के अतिरिक्त भिन्नों यूरोपीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन लोगों के लिए भी पृथक् प्रतिनिधित्व था। इसके कारण राष्ट्रीय एकता के निर्माण में गम्भीर बाधाएँ उपस्थित हुईं। 1935 के अधिनियम के मुख्य संस्थापन निम्नलिखित थे—

- (1) संघात्मक व्यवस्था और प्रान्तीय स्वायत्तता—इस अधिनियम में संघात्मक शासन की स्थापना की गई जिसमें इकाइयों प्रान्त और देशी रियासतों थी। देशी रियासतों के लिए परिषदों में सम्मिलित होने का विकल्प था परन्तु देशी रियासतों के शासकों ने अपनी सहमति नहीं दी थी। 1935 के अधिनियम में जिस संघात्मक शासन की व्यवस्था थी वह

नहीं बन सकी। यद्यपि सत्यात्मक शासन से सम्बन्धित भाग निष्पत्ती रहे, तद्यपि प्रान्तीय स्वायत्तता से सम्बन्धित भाग को भारत के लिए 1937 में प्रभावी किया गया। इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों को प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान मण्डलों के बीच विभाजित किया। गवर्नर सम्राट की ओर से प्रान्त की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता था। वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं था। गवर्नर से यह अपेक्षा थी कि वह मन्त्रियों की सलाह से काम करेगा और मंत्री विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे, परन्तु कुछ विषयों में गवर्नर की स्व-विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति थी। ऐसे विषयों में गवर्नर मन्त्रिमण्डल की सलाह के बिना कार्य करता था।

(ii) केन्द्र में द्वैध शासन—केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी जिसके कार्यों को दो समूहों में बाँटा गया था—

(अ) प्रतिरक्ष, विदेश कार्य, चर्य और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नर जनरल को स्वविवेकानुसार और अपने द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं की सहायता से करना था। ये परामर्शदाता विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे।

(ब) आरक्षित विषयों से भिन्न विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल को मन्त्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करना था। मन्त्रिपरिषद् विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थी, किन्तु इन विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व निहित था। गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट के नियंत्रण और निर्देश के अधीन कार्य करता था।

विधायी शक्तियों का विभाजन—1935 के अधिनियम की विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रान्तीय विधान मण्डलों में निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया गया था—

(i) सशोध सूची—सशोध सूची पर सशोध विधान मण्डल की शक्ति थी। जैसे—विदेश कार्य, क्रांसी और मुद्रा, नौ सेना, दल सेना और जापु सेना, जनगणना आदि।

(ii) प्रान्तीय सूची—जिस पर प्रान्तीय विधान मण्डलों की अधिकारिता थी। जैसे—पुनिस, प्रान्तीय नोकमेवा और शिक्षा।

(iii) समवर्ती सूची—समवर्ती सूची पर प्रान्तीय और सशोध विधान मण्डलों को समान रूप से अधिकार था। जैसे—दण्ड और विधि एवं उसकी प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद।

गवर्नर जनरल द्वारा आपात की तद्घोषणा किए जाने पर परिसर विधानमण्डल को प्रान्तीय सूची में वर्णित विषयों पर विधान बनाने की शक्ति प्रप्त थी। सशोध विधान मण्डल उस परिस्थिति में प्रान्तीय सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति रखता था जब दो या अधिक विधान मण्डल अपने सामान्य हित में ऐसा किये जाने की इच्छा प्रकट करते थे। इस अधिनियम में अनरिश्त शक्तियों का आवटन महत्वपूर्ण था। वह न सशोध विधान मण्डल में निहित था और न प्रान्तीय विधान मण्डल में। गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई थी कि वह परिसर या प्रान्तीय विधान मण्डल को किसी ऐसे विषय में विधि अधिनियम करने के लिए प्राधिकृत करे जो विधायी सूची में नहीं है। यह अधिनियम जिस प्रान्तीय स्वायत्तता की परिकल्पना पर आधारित था वह व्यवहार में क्रियन्वित किया गया। 1937 में प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचन सम्पन्न हुए। 11 प्रान्तों में हुए चुनाव में 6 प्रान्तों में कॅंग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। ये प्रान्त थे—सयुक्त प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, चेन्नई और मध्य प्रान्त। आन्ध्र, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में कॅंग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। बंगाल, पंजाब और सिन्ध में मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल सत्तारूढ़ हुए। इन मन्त्रिमण्डलों ने उल्लेखनीय जन-कल्याणकारी कार्य किये। प्रान्तीय स्वायत्तता के इस व्यावहारिक परिष्कार के कारण कॅंग्रेस मन्त्रिमण्डलों को जनता में प्रतिष्ठित स्थापित हुई। भारतीय नेताओं की प्रशासनिक कर्तव्य के संघर्षालय का अनुभव प्राप्त हुआ तदा यह प्रमाणित हो गया कि भारतीयों में बलिष्ठ प्रशासनिक क्षमता है। प्रान्तीय स्वायत्तता के इस परिष्कार ने भारत में सत्यमेव जयते की बुनियाद को सशपागत और प्रक्रियागत स्वरूप प्रदान किया। परिणामस्वरूप प्रान्तीय स्वायत्तता से पूर्ण स्वायत्त तक भारत में सौवैधानिक विकास के विभिन्न आयाम जुड़ते चले गये। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत को पराधीन नहीं रखा जा सकता है फिर भी अन्तिम अन्तिम क्षण तक देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कृत सत्कर्म थे। इस परिदृश्य में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए विभिन्न सौवैधानिक सुधारों की योजनाएँ प्रस्तुत की, उनमें मुख्य हैं—1. अगस्त योजना, 1940 (The August Offer, 1940); 2. क्रिप्स प्रस्ताव योजना, 1942 (The Cripps Proposals, 1942); 3. वेवल योजना, 1945 (Wavell Plan, 1945); 4. कैबिनेट मिशन योजना, 1946 (The Cabinet Mission's Plan, 1946); 5. माउन्टबेटन योजना, 1947 (The Mountbatten Plan, 1947)।

क्रिप्स मिशन

(Cripps Mission)

प्रधान विरयमुक्त में जापान की निरन्तर विजय ने और निर्र टट्टों की विगड़ती स्थिति ने पश्चिम की सरकार को भारत के प्रति अपना रवैका बदलने के लिए विवश कर दिया। इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए 11 मार्च, 1942 को ब्रिटिश कॅबिनेट सभा में घोषणा की कि वे सर स्टेनोर्ड क्रिप्स को भारत भेज रहे हैं। इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च, 1942 को क्रिप्स भारत आये।

अंग्रेज सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के निम्नांकित कारण थे—

- (1) अंग्रेजों को जापान से डरता था। जापानी सेनाएँ फिलीपींस, मलाया, इण्डोनेशिया, इण्डोचाइना, सिंगापुर को विजय कर बर्मा को रौंदती हुई भारत की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी।
- (2) भारत की राजनीतिक गुन्थों को सुलझाने के लिए इंग्लैण्ड पर मित्र राष्ट्रों का भारी दबाव था।
- (3) ब्रिटिश ससद एंव जनता भारत की स्वतन्त्रता का समर्थन कर रही थी।
- (4) महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह मत व्यक्त किया कि भारत युद्ध में उसी स्थिति में सहयोग करेगा जब उसे स्वतन्त्रता की घोषणा का आश्वासन मिले।
- (5) माइकेल बेयर के अनुसार क्रिप्स मिशन का भारत आने का कारण महात्मा गाँधी का सत्याग्रह आन्दोलन था।

क्रिप्स योजना के मुख्य बिन्दु

उन्होंने अपने 20 दिन के प्रवास के दौरान बॉम्बे, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, उदारवादी दलित वर्ग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से बैठक की। इसके पश्चात् उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे जिन्हें क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव एंव (2) तुरन्त लागू होने वाले प्रस्ताव।

(अ) युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव—(1) उपनिवेश अथवा अधिराज्य की स्थापना, (2) सविधान सभा को स्थापना, (3) सविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व, (4) सविधान सभा का गठन, (5) भारतीय सविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच कुछ विषयों पर सन्धि, (6) प्रान्तों एंव देशी रियासतों को पृथक् सविधान बनाने का अधिकार एंव (7) राष्ट्रमण्डल से पृथक् होने का अधिकार।

(ब) तुरन्त लागू होने वाले प्रस्ताव—(1) युद्धकाल में भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा एंव (2) प्रस्तावों सम्बन्धी कार्य भारतीयों के सहयोग से हो सकेंगे।

क्रिप्स प्रस्तावों का मूल्यांकन

क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त, 1940 के प्रस्तावों से अच्छे थे, किन्तु वे भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं कर सके। प्रस्तावों को लेकर जब क्रिप्स महात्मा गाँधी से मिले तो उनकी प्रतिक्रिया थी—“यदि आपके पास यही प्रस्ताव थे तो अपने आने का कष्ट क्यों उठाया। यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना है, तो मैं आपको परामर्श दूँगा कि आप अगले हवाई जहाज से इंग्लैण्ड सीट जाएँ।” कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया तथा 11 अप्रैल, 1942 को ब्रिटिश सरकार ने इन प्रस्तावों को वापस ले लिया।

अन्ततः ब्रिटिश ससद द्वारा माउण्टबेटन योजना के अनुसार जुलाई, 1947 में भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य देश का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करना था। भारत में सविधान सभा द्वारा सविधान के निर्माण करने के दायित्व का निर्वाह किया गया। सविधान सभा ने देश के लिए उदार लोकतांत्रिक प्रतिमान (Liberal Democratic Model) स्वीकार किया। इसके लिए देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश उत्तरदायी है। यह सांविधानिक विकास उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को सहायक बना। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने जिस उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल को अपनाया है, उसकी जड़ें इस विज्ञान-क्रम में समाहित हैं।

भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति—लॉर्ड माउण्ट बेटन की योजना को स्वीकार कर लेने के बाद सन्दा सरकार ने 4 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक लोकसभा में पेश किया और 15 दिन के अन्दर ससद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। इस भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 (The Indian Independence Act, 1947) में 15 धाराएँ थीं। यह अधिनियम एक नवीन युग के आरम्भ का सूचक था। इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। लॉर्ड माउण्ट बेटन ने 13 अगस्त, 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान सविधान सभा को राजा सौपी और 14 अगस्त की मध्य रात्रि को सन्देशात्मक के गीत के साथ भारत को सत्ता हस्तान्तरण हुआ। डोमिनियन मंत्रिमण्डल के प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में 14 मन्त्री नियुक्त हुए और लॉर्ड माउण्ट बेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947

(Indian Independence Act, 1947)

4 जुलाई, 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए एक विधेयक वहाँ के निचले सदन “हाउस ऑफ कॉमन्स” में रखा और पास कराया। 6 जुलाई, 1947 को यह विधेयक वहाँ के उच्च सदन “हाउस ऑफ लॉर्ड्स” में पास हुआ और यह विधेयक “भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947” बना।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएँ—16 जुलाई, 1947 को पारित 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं—

1. 15 अगस्त, 1947 को भारत दो स्वतंत्र अधिराज्यों—भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। उत्तरी पूर्वी सीमा प्रान्त असम का सिलहट जिला, बलुचिस्तान, सिन्ध और पश्चिमी पंजाब का भाग पाकिस्तान अधिराज्य कहलाएगा और बाक़ों भारतीय भू-भाग भारत कहलाएगा।

2. 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतन्त्रता के लिए 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' लागू होगा।

3. पन्द्रह अगस्त, 1947 के बाद ब्रिटेन की सरकार का दोनों राज्यों, उनके प्रान्तों के किसी भाग पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

4. दोनों अधिराज्यों की संविधान समारं अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि उनके देश राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना चाहते हैं अथवा नहीं।

5. नये संविधान की रचना तक दोनों अधिराज्यों में शासन का संचालन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यकतानुसार दोनों अधिराज्य उसमें संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा अपने राज्य के लिए क़ानून बनाने के मामले में स्वतंत्र होंगे।

6. 15 अगस्त, 1947 से ब्रिटेन की सरकार का 'भारत सचिव' का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा 'इंडिया ऑफिस' को बन्द कर दिया जाएगा।

7. 15 अगस्त, 1947 से ब्रिटेन के सम्राट की 'भारत सम्राट' पदवी समाप्त हो जाएगी।

8. 15 अगस्त, 1947 से भारत के देशी राज्यों से ब्रिटेन के सम्राट की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी तथा ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत के देशी राज्यों के साथ की गई सन्धिपत्रों स्वतंत्र समाप्त हो जाएंगी। देशी राज्यों को भारत अथवा पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता होगी।

9. ब्रिटेन का सम्राट दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा, जिसकी नियुक्ति उनके (अधिराज्यों के) मंत्रिमण्डलों के परामर्श से होगी।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अनुसार भारत के स्वाधीन होने के पश्चात् नवीन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी, 1950 से इस नवीन संविधान के अनुसार देश का शासन-संचालन होने लगा। भारत के विभाजन के कारण

1. मुसलमानों में पृथक्ता की भावना का उदय—कुछ मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आकर मुसलमान हिन्दुओं से अलग ढंग से सोचने लगे। सैयद अहमद ख़ान ने इस पृथक्तावादी प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहित किया। देश के मुसलमानों में यह भावना भर दी गई कि उनके और हिन्दुओं के हित पृथक्-पृथक् हैं।

2. बहुसंख्यक हिन्दुओं के हावी होने का घप पैदा होना—मुस्लिम लीग और कट्टर एवं पृथक्तावादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव से मुसलमानों में यह विश्वास जय गया कि यदि भारत को उबरदायी शासन दिया गया ठा बहुसंख्यक हिन्दू अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे।

3. मुसलमानों में शैक्षणिक पिछड़नेपन का घप—मुसलमानों में यह विचार उठाना हुआ कि शिक्षा की दृष्टि से मुस्लिम जनता पिछड़ी हुई है, अतः वह हिन्दुओं से स्पर्धा नहीं कर सकेगी। इस कारण मुसलमान हिन्दुओं से दूर होते चले गए।

4. जिन्ना का द्विपट्ट सिद्धान्त—1940 में मुहम्मद अली जिन्ना ने द्विपट्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। अब मुसलमान इस पर अड़े हुए थे कि उनका अपना अलग देश होना चाहिए।

5. ब्रिटिश सरकार की 'फूट डालो' नीति और मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन—ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम धर्म-नीति को प्रोत्साहन दिया। 'फूट डालो और शासन कटो' की नीति का अनुसरण कर ब्रिटिश सरकार ने अन्य सम्प्रदायों को हानि पहुँचाकर मुसलमानों का पक्ष लिया। मुस्लिम जनता को प्रसन्नता के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। 1907 में मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया। विधान मण्डलों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया और इण्डिया कौन्सिल एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए। इससे हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेदों की खाई धीरे-धीरे होती गई। ब्रिटिश मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए विधायकों पेश करती रही। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कर दीं कि भारत के मुसलमान अपनी प्रतिक्रिया के लिए

ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गए। उन्हें कांग्रेस अथवा हिन्दुओं से समझौता करने में कोई रुचि नहीं रही। 1946 और 1947 में मुस्लिम लीग के आन्दोलन में ब्रिटिश नौकरशाही ने सक्रिय सहायता दी। हिन्दुओं के प्रदर्शन पर उनका दमन किया गया जबकि मुस्लिम लीग बिना सरकारी दमन के अपने उग्र और हिंसक प्रदर्शन करती रही।

6. मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति—कांग्रेस ने मुसलमानों को दुरा करने का रथैया अपनाया और उन्हें अपनी अनुचित माँगें बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की प्रबल शक्त से कांग्रेस ने अनेक बार अपने सिद्धान्तों को तिलाजलि दे दी। साम्प्रदायिक रोग आत्यधिक बढ़ गया। अन्ततः भारत का विभाजन हो गया। कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक्तावादी और आक्रामक स्वभाव को समझने की चेष्टा नही की और यह साचा कि साम्प्रदायिक समस्या अचानक दूर हो जाएगी।

कांग्रेस ने स्वयं को धोखा देने की गतती की। कांग्रेस ने कई गलत कदम उठाए। पहली गलती 1916 में लखनऊ पैक्ट में सम्मिलित होने की थी, की गई। इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की माँग स्वीकार कर ली। विधायक-सदस्यों में मुसलमानों को एक निश्चित अनुपात में स्थान देने की बात स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दूसरी गलती 1932 के साम्प्रदायिक निर्णय के बारे में हुई। कांग्रेस की नीति से मुसलमानों की पृथक्तावादी प्रवृत्ति में बल मिला। एक गलती यह थी कि मुस्लिम लीग को सविधान-सभा में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना अनारिफ सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। अनारिफ सरकार के, सीपीएम सदस्यों ने अइबोबानी की नीति अपनाई जिससे पाकिस्तान स्थापित किए जाने के वातावरण को बल मिला। अनारिफ सरकार के सीपीएम सदस्यों ने अपने विभागों के महत्वपूर्ण पदों से हिन्दुओं और सिक्ख अधिकारियों को हटाकर ऐसे मुसलमानों को नियुक्त कर दिया जिन पर पाकिस्तान के पक्ष में मिलाने का आरोप किया जा सकता था।

7. साम्प्रदायिक झगड़े—अनारिफ सरकार के समय विशाल पैमाने पर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए, अतः कांग्रेस कार्य-समिति विचार हो गई कि वह भारत-विभाजन की दृष्टि से विचार करे। फरवरी, 1947 में ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा ने कि भारतीयों को शोध सत्ता सौंपने का निश्चय कर लिया गया है, देश की साम्प्रदायिक स्थिति को बिगाड़ दिया। इस घोषणा से पाकिस्तान निर्माण के आन्दोलन को सहायता मिली।

8. कांग्रेस की भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा—देश के साम्प्रदायिक और राजनीतिक वातावरण से वाध्य होकर मई 1947 में कांग्रेस ने अनुभव किया कि भारत का विभाजन होना आवश्यक है। सरदार पटेल के शब्दों में "मैंने यह अनुभव किया कि यदि हम विभाजन को स्वीकार न करते तो भारत अनेक टुकड़ों में बँट जाता और बर्बाद हो जाता। एक वर्ष पदारीन रहने पर मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय हो गया कि जिस मार्ग पर हम जा रहे थे वह विनाश की ओर ले जा रहा था। मैंने अनुभव किया कि हमारे देश में अनेक पाकिस्तान बन जायेंगे तथा प्रत्येक दफ्तर में पाकिस्तानी सैन्य होंगे। मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि देश का विभाजन कर इन विदेशियों का यहाँ से शीघ्रतः शोध चले जाना श्रेयस्कर है। मैंने यह अनुभव किया कि देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का हल यही है कि शेष भारत को एक कर दिया जाए।"

9. अखण्ड भारत के लिए पाकिस्तान—अनेक नेताओं का विचार था कि राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक कमजोर राष्ट्र सिद्ध होगा और विषम परिस्थितियों तथा आन्तरिक कमजोरियों के कारण नहीं टिक सकेगा। उन्हें आशा थी कि अन्त में पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा और भारत एक हो जाएगा। आचार्य कृपलानी ने कहा था—“एक दृढ़ और सुखी प्रजातान्त्रिक भारत अलग होने वाले भाग को वापिस ले सकता है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता भारत की एकता के बिना पूर्ण नहीं हो सकती।” इस प्रकार की विचारधारा ने तात्कालीन परिस्थितियों में भारत के विभाजन का प्रोत्साहित किया।

10. सत्ता हस्तान्तरण की धमकी—ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा 20 फरवरी, 1947 को यह घोषणा की गई कि एक निश्चित तिथि तक भारतीयों को सत्ता शोध दी जाएगी। इस घोषणा से भारतीय नेताओं को भय हो गया कि यदि भारत विभाजन न हुआ तो सत्ता-हस्तान्तरण के समय गृह-युद्ध छिड़ सकता है और देश दो से अधिक टुकड़ों में बँट सकता है। यह आशा की थी कि यदि भारत-विभाजन के माउण्ट बैटन फार्मूले को स्वीकार न किया गया तो ब्रिटिश सरकार अपना निर्णय भारतीयों पर लाद देगी जो अधिक हानिकारक सिद्ध होगा।

11. सत्ता का सारलक्ष्य—माइकेल नेबर का विचार था कि कांग्रेसी नेता 1935 के सविधान के अन्तर्गत सत्ता अनुभव कर चुके थे और शीघ्रतः शोध सत्ता हथियाने के पक्ष में थे अतः उन्होंने भारत के विभाजन को अधिक टालना उचित नहीं समझा।

12. माउण्ट बैटन का प्रभाव—भारत के विभाजन को मनवाने में माउण्ट बैटन दम्पति का व्यक्तिगत प्रभाव सर्वाधिक रहा। माउण्ट बैटन का विचार था कि देश के विभाजन की क्रीम पर भारतीयों को आजादी से लेनी चाहिए और यह अप्रेजों के लिए हितकारी होगा। उनकी व्यावहारिक राजनीतिक चतुरता, प्रशासनिक निपुणता और धिनय व्यवहार ने महात्मा गाँधी प नेहरू आदि नेताओं के हृदय को जीत लिया। श्रीमती माउण्ट बैटन की बुद्धिमत्ता, चतुराई नेहरू और गाँधी के प्रति उनको सम्पणशीलता और आकर्षक स्वभाव ने भारत विभाजन में मुख्य भूमिका निभाई।

उपयुक्त सभी भूलों, प्रमादों और विषम परिस्थितियों ने कौमिस के सामने यह समस्या उत्पन्न प्र दी कि तो सुरक्षाओं में से एक को चुन लिया जाए अर्थात् या तो सारे देश पर मुस्लिम आधिपत्य हो जाए या भारत-भूमि का विभाजन हो जाए। कौमिस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया।

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति में सहायक तत्त्व—भारत का विभाजन जब कौमिस को मान्य हो गया तो इसे मूर्त रूप देने के लिए जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (The Indian Independence Act, 1947) पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश राज का अन्त हो गया और भारत तथा पाकिस्तान दो अधिराज्यों की स्थापना हो गई, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार दिया गया।

1. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति—भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन उपवासों, अहिंसक आंदोलनों और वैधानिक रूप लिए हुए था। सभी जातियों और वर्गों ने एक स्वर से स्वतंत्र भारत का नारा लगाया था। 1942 को 'भारत छोड़ो' आन्दोलन अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ने की चुनौती थी। आजाद हिन्द फौज और नैतिक विद्रोह न ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ें हिला दी थीं। महायुद्ध के बाद स्वतन्त्रता के बारे में भारतीयों का नारा हो गया था—'अभी नहीं तो कभी नहीं' (Now or Never)। इन परिस्थितियों में अंग्रेज यह समझ गए थे कि भारतीयों को स्वतन्त्रता देनी होगी।

2. महायुद्ध के कारण ब्रिटेन का निर्बल हो जाना—द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटेन राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए यह समभव नहीं था कि वह भारतीय साम्राज्य का भार वहन करता तथा भारत को बन्धुपूर्वक अपने अधीन रख सकता।

3. एशिया में जागरण—एशिया में जो स्वतन्त्रता आन्दोलन चल रहे थे, उनका भारत पर प्रभाव पड़ा था। राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत एशियाई राष्ट्रों में भारत आसानी था। एशिया के इस राष्ट्रीय जागरण ने ब्रिटेन को विवश कर दिया कि वह भारत को स्वतंत्र कर दे।

4. ब्रिटेन में मजदूर हनीय सरकार का निर्माण—1945 के आम चुनावों में त्रिजय प्राप्त कर मजदूर दल द्वारा सरकार का निर्माण महत्वपूर्ण घटना थी। मजदूर दल पहले ही घोषणा कर चुका था कि सत्ताह्वे होने ही वह भारतीय सौविधानिक गतिरोध को दूर कर, भारतीयों को स्वतन्त्रता प्रदान करेगा। मजदूर दल ने अपनी बात निर्भाई। मौनना आजाद के शब्दों में भारत को तेजी से और सौजन्यपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों द्वारा छोड़ने के लिए मजदूर सरकार बर्गाई की पात्र थी।

5. अन्तर्राष्ट्रीय दबाव—ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव सहायक सिद्ध हुए। जर्मन और जर्मनी को सहन नहीं था कि पराजय के बाद उनके उपनिवेश छीन लिए जाएँ और अंग्रेज अपने उपनिवेश कायम रखें। इसके अतिरिक्त अमेरिका भारत को स्वतन्त्रता देने के लिए आग्रह कर रहा था। मन अंग्रेजों के उपनिवेशवाद का घोर विरोधी था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि "अमेरिका और कम जैसी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ के दबाव के कारण भारत पर आधिपत्य कायम रखना असम्भव हो गया है।" चीन भी भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थक था।

6. भारतीय शासन अनाभकारिता—द्वितीय महायुद्ध तक भारत औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्ति कर चुका था और युद्ध के बाद इन्फ्लेण्ड भारत को अधीन रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं था। इस समय तक इन्फ्लेण्ड से भारत में आयात घट गया था। अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ के लिए भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था और अब आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने भारत को छोड़ देना उपयुक्त समझा।

7. साम्यवाद का भय—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के सविधान को पूर्ण करने और समाजवाद को यत्न करने का कार्य सम्पन्न किया गया। देश के सर्वोत्तम विचारों के लिए प्रयत्नों को यत्नपूर्वक बढ़ाया गया। साम्यवाद पर जनता का विश्वास नहीं था, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति में कौमिस की विफलता से जनता साम्यवाद की तरफ झुकने लगी थी। यह स्थिति लोकतन्त्र के लिए घातक थी और अंग्रेजों को भय था यदि सत्ता का हस्तान्तरण सौम्य नतीजा हो भारत में साम्यवाद तेजी से फैलेगा। अंग्रेज जो समय अधिराज्यत्व (Paramountacy) केन्द्रीय सरकार को नहीं दे पाए अन्त देशी रियासतों ने स्वतंत्र रहने की आकांक्षा में भारत की राजनीतिक एकता में गड़बड़ पैदा कर दिया, नैतिक उत्कलन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चतुराई से उन्हें भारतीय सविधान को मानने के लिए राजी कर लिया। देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया और देश को एकता की रक्षा की गई।

8. ब्रिटिश राज्य और भारतीय राष्ट्रीय कौमिस की देन—ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत जाने-अनजाने में ऐसे कार्य हुए जो भारत की स्वतन्त्रता के लिए ठनकायी थे—जैसे प्रशासकीय एकता, वादायत और मंदिरवाहन के सार्वजनिक विकास, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का विकास आदि। दूसरी ओर कौमिस ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का क्रान्तिकारी और सक्रिय बना दिया था।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Indian Constitution)

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दार्शनिक मान्यताएँ (Philosophical Postulates of Indian Political System)

संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में भारत के उदारवादी दार्शनिक दृष्टिकोण और मान्यताओं को स्थान दिया है। संविधान में समहित मुख्य दार्शनिक मान्यताएँ निम्नांकित हैं—

1 यह निरूप्य किया गया कि भारतीय सभ एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता सम्बन्धी उपबन्ध धर्म-निरपेक्ष राज्य की आधारशिला है। धर्म-निरपेक्ष राज्य अधार्मिक या धर्म विरोधी न होकर विभिन्न धर्मों के मध्य तटस्थ होता है और उसकी किसी धर्म विरोध में आस्था नहीं होती। यह किसी धर्म विरोध को प्रोत्साहन नहीं देता और किसी भी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता।

2. संविधान ने जाति, सम्प्रदाय, मूल वंश अथवा लिंग के भेदभाव के बिना सभी भारतीयों के लिए समता का सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में समता अथवा 'समता—सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक नहीं कह, बल्कि स्थान और अवसर की समता पर बल दिया है।

3 संविधान-सभा ने राज्य रूपी सत्य की रचना करते समय सरदीय लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। देश में सस्रीय राजनीतिक व्यवस्था ने अपनी सार्थकता और सफलता सिद्ध की है।

4 भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त हैं—बहुता और राष्ट्रीय एकता के मूल्य। भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं जातियों और रीति-रिवाजों के वादजूद एक भुनिवादी एकता है और इस एकता को दृढ़ता प्रदान करना राष्ट्र का सर्वसम्मत लक्ष्य है। संविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचनों का और अस्पृश्यता का अन्त कर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया और एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना कर देश की एकता पर बल दिया है।

5 भारतीय संविधान में सैबियनवाद की छाप विशेष रूप से प्रस्तावना तथा नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में दिखाई देती है। प्रस्तावना नीति-निर्देशक सिद्धान्तों और सामाजिक सिद्धान्तों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है।

6 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गांधीवादी दर्शन की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। संविधान में पचावती राष्ट्र कुटीर उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन, मद्य-निषेध और दुष्कार पशुओं की रक्षा आदि का उल्लेख है। यह गांधीवादी दर्शन की व्यवस्थापरक छाप है।

7 साक-कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना इसके मूलधार हैं।

(1) प्रस्तावना (Preamble)

भारतीय संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है जो संविधान-निर्माताओं के विचारों की कुजी है।¹ प्रस्तावना में संविधान का सार एवं दर्शन है। प्रस्तावना में निरूपित तथ्यों सिद्धान्तों और आदर्शों को छाप समूचे संविधान पर है और प्रस्तावना के आधार पर समूचे संविधान का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रस्तावना की शब्दावली में अनेक शब्द और

1 इन ही बेल्वादी धुनिय, ए. आई. आर. 1960 सु. को 845

पद ऐसे है जिसमें भारत की प्राचीन एवं पारंपार्य परम्पराओं के सर्वश्रेष्ठ तत्व समाहित है और जो प्रयोग की दृष्टि से सार्वभौम है। प्रस्तावना पर तीन महान क्रान्तियों का प्रभाव पड़ा है—फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी। फ्रांसीसी क्रान्ति में स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व पर, अमेरिकी क्रान्ति में राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर और रूसी क्रान्ति में आर्थिक समानता पर बल दिया गया था। भारतीय क्रान्ति के सूत्रधारों ने इन तीनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है।¹ हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है—

“हम भारत के लोग, भारत की एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक, धर्म-निरपेक्ष समाजवादी² गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता³ सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

संविधान के उपदन्तों के निर्वाचन में प्रस्तावना का महत्व

प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं दिया गया है। बेहवारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ‘इन-पे-इग्नो-पाकिस्तान एशोसिएट’ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का प्रेरणा दत्त कहा जाए, किन्तु उसे संविधान का आवश्यक अंग नहीं कहा जा सकता है। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्य में अन्तर नहीं पड़ता है। यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और न ही उस शक्ति को सक्षुब्ध करता है, किन्तु केराचन्दन भारतीय बनाने के लक्ष्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बेहवारी के मामले में दिए गए निर्णय को बदल दिया है और यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।⁴ यदि संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की ‘आत्मा’ कहा जा सकता है।

प्रस्तावना की व्याख्या

‘हम भारत के लोग’—इन शब्दों में संविधान के निर्माताओं के अनुसार अन्ततः शक्ति जनता में निहित है। सरकार की राज्यसत्ता के विभिन्न अंगों में जो शक्तिवां है, वे सब जनता से मिलती हैं। संविधान जनता के अधिकार पर आधारित है। ‘हम भारत के लोग’ से तात्पर्य है संविधान का निर्माण राज्यों के लोगों ने नहीं किया, बल्कि समूचे भारत के लोगों ने अपनी सामूहिक क्षमता से किया है इसीलिए सांविधानिक दृष्टि से न कोई राज्य अथवा राज्य-समूह हमारे संविधान का अन्त कर सकता है और न वह संविधान द्वारा निर्मित सभ से बाहर जा सकता है। प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘हम भारत के लोग’ इस संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात् जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है।

‘सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न’—प्रस्तावना के ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न’ पद से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य है और कानूनी दृष्टि से इसके ऊपर किसी आन्तरिक शक्ति का प्रतिबन्ध नहीं है और न किसी बहरी शक्ति का। प्रस्तावना के अनुसार प्रभुता समूची भारतीय जनता में अथवा भारतीय गणराज्य में निहित है। आन्तरिक क्षेत्र में भारतीय सभ के क्षेत्राधिकार पर भारतीय जनता का प्रभुत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रभुसत्ता का अधिप्राय है कि राज्य अन्य राज्यों के समदर्भ में पूर्ण स्वतन्त्र हैं और उसकी विदेश नीति पर कोई अक्रुश नहीं है।

‘लोकतन्त्रात्मक’—भारतीय संविधान के दर्शन में लोकतन्त्र को जीवनदायन की पूर्ण व्यवस्था के रूप में तथा जीवन के समस्त दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतन्त्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं। राजनीतिक पहलू में राजनीतिक समानता के आदर्श को माना गया है और राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग-विरोध का क्षेत्राधिकार स्वीकार नहीं गया है। सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतन्त्र मनुष्य में समानता का प्रतिपदन करता है। लोकतन्त्र में कोई सुविधा सम्पन्न वर्ग विशेष को नहीं हो सकती और जाति, भाषा, धर्म, धन और लिंग के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोकतन्त्र में आर्थिक पक्ष का अधिप्राय है कि समाज की आर्थिक शक्ति का ऐसा समानतायुक्त वितरण हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी एवं समृद्ध हो सके, उगे आन्विक्रम के समान अवसर मिल सकें और उसके व्यक्तिगत अधिकार एवं चुनाव में मतदान के अधिकार, उसका सम्मान और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित रह सकें। प्रस्तावना में ‘लोकतन्त्रात्मक’ शब्द ‘गणराज्य’ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें यह मन्त्र है

1. डॉ. सुभाष काश्यप: वही, पृ. 319

2. 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संशोधित।

3. बन्धुत्वपूर्ण पाठ्य: वही, पृ. 36.

सकता है कि सविधान में न केवल राजनीतिक लोकतन्त्र का प्रवर्तन किया है, पर प्रस्तावना के आगे के शब्द 'न्याय', 'स्वतन्त्रता', 'समता', 'व्यक्ति की गरिमा', 'मनुष्यता' आदि इस के समूह हैं कि सविधान-निर्माताओं का लक्ष्य देश में राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र की नींव डालना था।

'धर्म-निरपेक्ष'—यह शब्द सविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि 42वें सविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। धर्म-निरपेक्षता की उपधारणा सविधान में प्रयुक्त 'विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता' की पदावली में पहले से अन्तर्निहित है। इस संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। 'धर्म-निरपेक्ष' राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उन्हें सम्मान, संरक्षण प्रदान करता है। धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र है।¹

'समाजवाद'—यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि 42वें सविधान अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त 'आर्थिक न्याय' पदावली में समाजवाद की अवधारणा अन्तर्निहित है। सविधान-निर्माताओं ने इस 'आर्थिक न्याय' पदावली की विरिधित परिभाषा नहीं दी है। यह संशोधन इस 'आर्थिक न्याय' को एक निश्चित दिशा देता है। भारतीय सविधान में एक मध्यम मार्ग अपनाकर मिश्रित अर्धव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द के साथ 'लोकतान्त्रिक' शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। लोकतन्त्र और समाजवाद के इस अनेकौं सामंजस्य के प्रयास की परिकल्पना इस दिशा में एक नवीन कदम है।

'गणराज्य'—प्रस्तावना ने देश को एक 'गणराज्य' की सहा दी है इससे स्पष्ट है भारत में राज्य का प्रधान कोई आनुवंशिक नरेश नहीं, प्रत्युत् निर्वाचित राष्ट्रपति है। देश में विशेषाधिकार-सम्पन्न वर्ग नहीं है। राज्य के छोटे पद से लेकर राष्ट्रपति पद तक जाते, धर्म, प्रदेश या लिंग के बिना किसी भेद के सभी नागरिकों के लिए उन्मुक्त व्यवस्था है। हमारे गणराज्य में उच्चतम शक्ति सार्वभौम व्यवस्क मताधिकार से सम्पन्न भारतीय जन-समुदाय में निहित है।

'न्याय'—हमारे सविधान में मुनिवादी और मौलिक धारणा 'न्याय' की है इसलिए प्रस्तावना में 'न्याय' को 'स्वतन्त्रता' और 'समता' से ऊपर रखा गया है। भारतीय सविधान में न्याय का आदर्श है—'सर्वे भवन्तु मुजिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'। सविधान के चौथे भाग, अनुच्छेद 38 में इस आदर्श का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी मरुस्थलों को अनुप्राणित करे और लोक-कल्याण की दृष्टि का पथ प्रशस्त करे। सविधान ने न्याय को आदर्श मानकर उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर बल दिया है।

'सामाजिक न्याय'—सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हो, किसी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए, किसी परोक्ष लक्ष्य की सिद्धि का साधन-मात्र नहीं है; सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धान्त को सविधान में अनेक रूपां में मशरूता मिली है। सविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की सिद्धि के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है।

'आर्थिक न्याय'—अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इसमें राज्यों से कहा गया है कि वह अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे कि सभी नर-नारियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वाधित्व और नियन्त्रण ऐसा हो जिससे अधिकाधिक सामूहिक हित सम्भव हो सके, आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत धन का और उत्पादन एवं वितरण के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अधिकार केन्द्रीकरण न हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमारता का दुरुपयोग न हो आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी ऐसे व्यवसाय में न जाना पड़े जो उसकी आयु अथवा शक्ति के उपयुक्त न हो शौशव और किशोर अवस्था का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो। 'समाजवादी देश के समाज', 'लोकहितकारी राज्य' और 'मिश्रित राज्य नीति' जैसे पदों में व्यक्त होता है कि भारतीय राज्य आर्थिक क्षेत्र में किन्हीं प्रतीकों की ओर न जाकर, राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहता है।

'राजनीतिक न्याय'—भारतीय सविधान सार्वभौम व्यवस्क मताधिकार की स्थापना, साम्प्रदायिक निर्वाचनों के अन्त और अनुच्छेद 19 से 22 तक के अन्तर्गत विधि स्वातन्त्र्य अधिकारों तथा अनुच्छेद 32 के अधीन सौधधार्मिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है।

'स्वतन्त्रता'—विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता को व्यक्तियों तथा राष्ट्र के आर्थिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक माना है। सविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अन्तर्गत स्वातन्त्र्य-अधिकारों का विस्तार

से प्रतिपादन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19-22 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त स्वतन्त्रताओं को सामूहिक रूप से 'स्वतन्त्र अधिकारों' की सजा दी गई है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को ऐसी वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है जो उदारवादी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।

'समता'—प्रस्तावना में 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता' की बात कही गयी है। समानता का सिद्धान्त की ध्यान में रखते हुए संविधान-निर्माताओं ने प्रस्तावना में 'समता' शब्द नहीं कहा और न ही 'समानता-सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक' कहा है क्योंकि स्पष्ट 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता' पर बल दिया है। प्रतिष्ठा और अवसर का समता के कई पहलू हैं—वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। वैयक्तिक रूप से विधि के समक्ष सब नागरिकों की समता होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से धन, जाति, विद्यार्थी और वंशदि के आधार पर मनुष्य में अन्तर नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों—अल्पसंख्यकों तथा पागलों की छोड़कर—देश के शासन में समान भाग मिश्रण चाहिए। लिंग, नस्ल अथवा धर्म के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का निषेध राजनीतिक समता का अन्वयन करना है। आर्थिक समता में समता का अर्थ है कि योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन समान हो। आर्थिक समता में एक वर्ग को दूसरे वर्ग का अधिकार न होना चाहते या कोई अधिकार नहीं है।

'व्यक्ति की गरिमा' और 'बन्धुता'—प्रस्तावना में अन्य दो आधारभूत सिद्धान्त एवं आदर्श हैं—व्यक्ति की गरिमा तथा बन्धुता। संविधान में समानता के आदर्श ने 'व्यक्ति की गरिमा' को प्रतिष्ठा दिया है। सारे देश के लिए एक प्रशासन, नागरिकता, धर्म, कानून व्यवस्था आदि की स्थापना करके देश को एकता के मूत्र में बाँधने और राष्ट्रीय बन्धुता को सुदृढ़ करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में विश्व बन्धुता की भावना के प्रचार प्रसार का निरन्तर प्रयास किया है।

'राष्ट्र की एकता और अखण्डता'—प्रस्तावना में इनका मन्व्य यह है कि विभिन्न देशों के अलग-अलग देशों में एक बुनियादी एकता है जिसे दृढ़ता प्रदान करना राष्ट्र का सर्वसम्मान लक्ष्य है। अखण्डता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है।

प्रस्तावना में संशोधन

यह विवादस्पद प्रश्न है कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं? केदारबान्द भारतीय बन्धुता केन्द्र राज्य के बारे में यह प्रश्न सर्वप्रथम न्यायलय के समक्ष विचारार्थ उपस्थित हुआ था। सरकारों पर यह दावा है कि चूँकि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, अतएव अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत उसमें संशोधन किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों की ओर से कहा गया कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति सीमित है। प्रस्तावना में संविधान का आधारभूत ढाँचा सम्मिलित है जिसे संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मौलिक सिद्धि का उल्लंघन जाना निश्चित है। यद्यपि उच्चतम न्यायलय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तथापि विद्वान् न्यायाधीशों में इस प्रश्न पर मतभेद नहीं था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। न्यायाधीशों के बहुमत का विचार इसी पर है कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति प्रदत्त है, किन्तु अब तक केदारबान्द भारतीय का विनिर्णय उल्टा नहीं दिया जाता प्रस्तावना में किए गए संशोधन को कभी न्यायलय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उसमें निहित आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन है।

भारत का संविधान भारतीय शासक मूल्यों, मान्यताओं एवं आस्थाओं के समेकित दार्शनिक आधारों पर आधारित है जिनमें व्यक्ति की गरिमा, उसके प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को समाविष्ट किया गया है।

(2) मूल अधिकार और कर्तव्य

(Fundamental Rights and Duties)

विश्व के संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का समावेश हुआ है, इसलिए भारतीय संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार-पत्र (Bill of Rights) कहा गया है। संविधान के प्राग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान-निर्माताओं की विश्वास था कि भारत में पहली बार प्रजातंत्र का प्रयोग हो रहा है अतः मूल अधिकारों का उल्लेख करना व्यक्ति स्वतन्त्रता की आधारशिला के समान है।

मौलिक अधिकारों के विशेष लक्षण

(Special Features of Fundamental Rights) -

1. मौलिक अधिकार संपादक सरकार और राज्यों तथा प्रत्येक अधिकारी जिसे विधिनिर्माण की शक्ति हो, सीमा (Limitations) अल्पसंख्यकों के हैं। ये उन सभी पर बन्धनकारी (Binding) हैं।

2. ये अधिकार भारत की आधारभूत एकता (Basic Unity of India) पर बल देते हैं। भारत विभिन्न इकाइयों में बँटा है और दृक्क अधिकारियों (Separate Authorities) की व्यवस्था है, किन्तु नागरिकों को अधिकार है कि वह सभी अधिकारियों से समान व्यवहार प्राप्त करें।

3. ये अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष (Absolute) नहीं हैं। प्रत्येक मामले में संविधान में अपवादों, परिश्रमाओं और अहंताओं को बताया गया है। संविधान ने राज्य को इन अधिकारों पर सीमाएँ लगाने का अधिकार दिया है।

4. इन अधिकारों के उपयोग में संविधान ने नागरिकों (Citizens) और विदेशियों (Aliens) में अन्तर किया है। कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि अधिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए समान हैं जबकि भाषण और सम्प्रेषण की स्वतंत्रता (Freedom of Speech & Conference) तथा सौम्यकृतिक और शैक्षणिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। यह अन्तर संविधान में प्रयुक्त 'नागरिकों' (Citizens) और 'व्यक्तियों' (Persons) शब्दों से स्पष्ट है।

5. कोई व्यक्ति (Individual) मौलिक अधिकारों के बाहर राज्य के विरुद्ध किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय न्यायालयों के लिए ऐसे मौलिक अधिकार की खोज करने का अधिकार नहीं है जो संविधान में न रखे गए हों। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र पर यह प्रतिबन्ध (Restriction) है।

6. भारतीय मौलिक अधिकार प्रयोग में राज्य और उनके अधिकारणों को नहीं, निजी व्यक्तियों और संगठनों (Private Persons and Organisations) को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार व्यक्ति के लिए दण्डनीय अपराध है।

7. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उन्हें वास्तविक बनाने की दृष्टि से संविधानिक उपचारों की व्यवस्था की गई है। इन संविधानिक उपचारों के अधिकारों को मौलिक अधिकार मान लिया गया है।

8. संविधान में परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जिनमें राज्य सम्पूर्ण देश के हित में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सके या उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा सके। प्रतिबन्धिता अवधारणा निम्नांकित है—

(अ) प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के सम्बन्ध में (अनुच्छेद 33)—अनुच्छेद 33 के अनुसार ससद को विधि द्वारा यह अधिकार है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को इस सीमा तक प्रतिबन्धित किया जाये ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 33 के प्रयोग में ससद ने अनेक अधिनियम पारित किए, जैसे—सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौ सेना अधिनियम 1950।

(ब) जब मार्शल लॉ लागू हो (अनुच्छेद 33)—अनुच्छेद 34 के अन्तर्गत ससद विधि द्वारा मार्शल लॉ (सैनिक विधि) के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। मार्शल लॉ के दौरान साधारण नागरिक हेतु न्यायालयों का स्थान हो जाता है और उनके स्थान पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं। ससद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के दायित्व से उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है।

(स) संविधान में सशोधन द्वारा (अनुच्छेद 368)—अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधानिक सशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के निलम्बन को ससद की शक्ति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 में संविधान सशोधन से सम्बन्धित कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया निहित है। वह ससद को मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अन्तर्गत आती है और यदि वे भाग 3 में दिये गये उपबन्धों से असंगत है तो अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किये जा सकते हैं, किन्तु संविधान के 24वें सशोधन अधिनियम, 1971 ने इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया। चौबीसवें सशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में नया उपखण्ड 4 जोड़ा गया है और अनुच्छेद 368 में सशोधन किया गया है। इस सशोधन का उद्देश्य ससद के मूल अधिकारों में सशोधन करने की शक्ति को पुनः स्थापित (Restore) करना है। उपखण्ड 4 यह उपबन्धन करता है कि इस अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक सशोधन अनुच्छेद 13 के 'विधि' शब्द के अर्थान्तर्गत नहीं आएँगे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने चौबीसवें सशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर दिया, किन्तु ससद की संविधान-सशोधन शक्ति पर महत्वपूर्ण परिसीमा लगा दी। न्यायालय ने यह अधिनियम पारित किया है कि यद्यपि सशोधन शक्ति विस्तृत है, किन्तु असंमित नहीं है और ससद संविधान की शक्ति का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) नष्ट हो जाये। केशवानन्द भारती की निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 42वाँ संविधान सशोधन अधिनियम, 1976 पारित किया गया। इस सशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में नया खण्ड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि ससद की संविधान सशोधन शक्ति सर्वोच्च है और उस पर परिसीमा नहीं लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किये गये सशोधनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(ख) आपातकालीन घोषणा के अन्तर्गत (अनुच्छेद 352)—अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में मौलिक अधिकारों के निलम्बन की व्यवस्था है। आपात-उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालयों की शक्ति में जाने के अधिकार को निलम्बित कर दे। 1962 व चीन के आक्रमण के अवसर पर अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात को उद्घोषणा की और अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर अनुच्छेद 14, 21 एवं 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलम्बित कर दिया। सकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 (Defence of India Act, 1962) पारित किया गया। यह आपातकालीन स्थिति 10 जनवरी, 1968 तक चलती रही। पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने 3 दिसम्बर, 1971 को आपात उद्घोषणा इस आधार पर की कि बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा को खतरा था। अनुच्छेद 359 के अधीन एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 14, 21, एवं 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने के अधिकारों को निलम्बित कर दिया गया। 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अधीन पुनः आपात उद्घोषणा की कि गम्भीर आन्तरिक आपातस्थिति विद्यमान है जिससे देश को खतरा है।

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19(क) में प्रदत्त अधिकारों को देश पर 'बाह्य आक्रमण 'या' सशस्त्र विद्रोह' के कारण देश की सुरक्षा के लिए सकट उत्पन्न होने की दशा में निलम्बित किया जा सकता है, 'आन्तरिक अशांति' के आधार पर नहीं। दूसरे अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करेगा जो आपातस्थिति से सम्बन्धित हैं, अन्य कानूनों को आपातकाल के दौरान न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकारों को निलम्बित करने की शक्ति नहीं होगी। भविष्य में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलम्बित नहीं किया जा सकेगा जैसा कि 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान कथित सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोकना है।¹ आपातकाल में मौलिक अधिकारों का अवाञ्छनीय रूप से हनन न हो, इस दृष्टि से विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

9. मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ऐसी की गई है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके। मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखा गया है, वहाँ दूसरी ओर समाज और राज्य-हित में उन पर राज्य द्वारा प्रतिबन्ध आरोपित किये जा सकते हैं।

10. मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अगर राज्य इनका अपहरण करने का प्रयास करे तो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायपालिका राज्य के अतिक्रमण से इन अधिकारों की रक्षा करती है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था की गई है।

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार

(Fundamental Rights under the Constitution)

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है—

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), 2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), 3. शोषण से मुक्ति का अधिकार (अनुच्छेद 23-24), 4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28), 5. मौखिक एवं शिष्टा सम्बन्धी (अनुच्छेद 29-30) एवं 6. संविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

26 जनवरी, 1950 को मौलिक अधिकारों की जो स्थिति थी, तदनुसार 'सम्पत्ति के अधिकार' को अनुच्छेद 19(1) (च) और अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के रूप में अन्तर्निहित किया गया था किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा सम्पत्ति को मौलिक अधिकार समाप्त कर इसे अनुच्छेद 300 (अ) में सम्मिलित कर दिया गया है। सम्पत्ति का अधिकार साधारण विधिक अर्थात् चानूनी अधिकार रह गया है।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

(Right to Equality)

अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता)

इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि "भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता" से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।" यह वाक्यांश "विधि अथवा कानून के समक्ष समानता" (Equality before Law) इंग्लिश सामान्य विधि (English Common Law) का प्रयोग है, किन्तु 'कानून का

समान संरक्षण (Equal Protection of Law) यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान की दल है। इन दोनों वाक्यांशों का उद्देश्य स्तर एवं अवसर को समानता स्थापित करना है। कानून के समस्त समानता नकारा एक वाक्यांश है जिसके द्वारा सुविधा प्राप्त नहीं होती वरन् साधारण विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग को समान सजा हो सकती है। कानून का समान संरक्षण एक सकारात्मक वाक्यांश है क्योंकि यह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का आग्रह करता है। अनुच्छेद 14 एसी परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहता है जिसके अन्तर्गत स्वेच्छापूर्वी एवं भेदभावपूर्ण कानूनों की रचना नहीं हो पाएगी न कानूनों के प्रयोग में भेदभाव किया जा सकेगा।¹ अनुच्छेद 14 के अन्वय को व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित चौधरी बनाम भारत सच नामक मामले में यह व्याख्या दी थी कि—

- (क) समान संरक्षण का अर्थ समान परिस्थितियों में समान संरक्षण है।
- (ख) विधि-निर्माण करने के लिए उचित व्यक्तिगत (Reasonable) विधि के पक्ष में को जाती है।
- (ग) व्यक्तिगत होने की प्रकल्पना (Presumption of Reasonableness) वर्गीकरण कर सकता है।
- (घ) जो विधि के व्यक्तिगत होने को चुनौती देते हैं उन्हीं का दायित्व है कि वे इसके भ्रम प्रमाण (The Burden of Proof) प्रस्तुत करें।

व्यक्तिगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) के क्षेत्र (Scope) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा है कि एक निगम (Corporation) अथवा व्यक्ति समूह (A Group of Persons) को कानून बनाने के लिए वर्ग (Class) माना जा सकता है यदि ऐसा करने का उचित कारण मौजूद हो। आवेदनकर्ता (Petitioner) पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि वह उसी श्रेणी के नियम है किन्तु इस नियम के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अनुच्छेद 14 के अनुसार व्यक्तिगत वर्गीकरण के सम्बन्ध में तीन उदाहरण (1) बैंक राष्ट्रीयकरण केर² (2) के ए अन्वय बनाम भारत सच³ एवं (3) मनका गौपी बनाम भारत सच⁴ उल्लेखनीय हैं।

उक्त सिद्धान्त के अनुसार अनुच्छेद 14 मनमानेपन (Arbitrariness) के विरुद्ध संरक्षण है। यदि वर्गीकरण दो शर्तों को पूरा करता है तो उसे व्यक्तिगत माना जाता है—(1) वर्गीकरण बोधगम्य अन्तरक पर आधारित है, (2) अन्तरक और कानून के उद्देश्य में सम्बन्ध है किन्तु नए सिद्धान्त के अनुसार व्यक्तिगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) सिद्धान्त एक न्यायिक सूत्र (Judicial Formula) है जिसका प्रतिपादन इस तथ्य की जाँच करने के लिए किया गया था कि क्या कोई कार्यात्मिक या विधायक का कृत्य मनमाना है या नहीं? अनुच्छेद 14 का क्रियाशील विस्तार (Activist Magnitude) है और मनमानेपन (Arbitrariness) के विरुद्ध संरक्षण है। यदि राज्य का कार्य मनमाना है तो वह समता का अतिक्रमण होगा और उसे व्यक्तिगत वर्गीकरण के सिद्धान्त पर न्यायोचित नहीं उतराया जा सकता है।⁵ सिवर्ड⁶ ने नए सिद्धान्त की आलोचना और पुराने सिद्धान्त का समर्थन किया है। समानता का अधिकार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह विधान-मण्डलों द्वारा पारित भेदभावपूर्ण कानूनों से रक्षा करता है तथा कार्यपालिका की निरंकुशता पर अंकुश रखता है। कानून के समस्त समानता का अर्थ व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है क्योंकि व्यवहार में यह सम्भव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म, मूल धरा आदि के आधार पर व्यक्तियों को बीच विशेषाधिकारों को प्रदान करने तथा कर्तव्यों के अधिरोपण में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति, देश की साधारण विधि के अधीन होगा। इस समानता के मौलिक अधिकार ने भारत में सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

अनुच्छेद 15 (सामाजिक समानता)

इस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, मूल धरा, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर किसी नागरिक के प्रति राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं विदेशियों को नहीं जबकि अनुच्छेद 14 के अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद में की गई अन्य व्यवस्था के अनुसार धर्म धरा, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर किसी नागरिक पर निम्नलिखित विषयों पर शर्तें या प्रतिबंध नहीं होगा—

- (क) दूकानों सार्वजनिक भोजनलयों होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश,

1 2 एच बी पावली वही पृ 77-78

3 आर सी कपूर बनाम भारत सच, ए आई आर 1970 सुप्रीम कोर्ट, 564

4 ए आई आर 1971 सुप्रीम कोर्ट, 481

5 ए आई आर 1978 सुप्रीम कोर्ट, 507

6 जयनारायण पाण्डेय सुबोस्ट, पृ 90

7 एच एस सिवर्ड कनिटीडपुस्तकालय ऑफ इण्डिया, पृ 274

(ख) ऐसे कुओं, तालाबों, स्नान-घरों, सड़कों तथा सावजनिक स्थानों के, जिनकी व्यवस्था पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य की निधियों द्वारा की जाती है।

अनुच्छेद 15 की व्यवस्था राज्य की स्त्रियों, बच्चों, पिछड़ा जातियों के लिए विशेष प्रयत्न करने से नहीं राकता है। उदाहरणार्थ, यदि सरकार बच्चों एवं स्त्रियों के लिए पुस्तक पार्क बनाती है और उसमें पुरुषों के प्रवेश का निषिद्ध ठहराती है। सरकार के इस कदम को अनुचित भेदभाव पर आधारित नहीं समझा जाएगा और ऐसा विराष व्यवस्था अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। राज्य को अधिकार है कि बाल-विवाह, बहु-विवाह जैसा सामाजिक क्रूरतियों का रोकने के लिए विशेष कानून बनाए। मुसुफ अह्दल अर्रज बनाम मुबर्क राज्य¹ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय का धारा 497 को सौविधानिकता को चुनौती दी गई था। प्राचीन ने धारा 497 को सविधान के अनुच्छेद 15(1) के विरुद्ध बताया और तर्क दिया कि अपराध के लिए पुरुष को दण्डनीय मानन और ब्यधिचारिणी का गौण अभियुक्ता (Abettor) के रूप में दण्डित न करना अनुचित है। यह विभेद लिंग के आधार पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 497 को उचित माना, क्योंकि वर्गीकरण 'लिंग' के आधार पर नहीं, बल्कि समान में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कानून को संशोधित कर दिया गया है पदस्वरूप अब स्त्री समान रूप से दण्डनीय है यदि वह अपराध को उकसाने में भाग लती है।

अनुच्छेद 15 भेदभाव को खींच करता है इकहरी नागरिकता की भयना का प्रामादहन दता है और सामाजिक समानता का सबल बनाता है।² यह राज्य के न्यायोचित भेदभाव को निषेध नहीं करता, अनुचित भेदभाव की आज्ञा वर्जित है। एक नागरिक के नाते उसे जो अधिकार, सुविधाएँ और ठम्मुक्तियाँ (Immunities) प्राप्त हैं उनमें उसमें काइ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करने की दृष्टि से परमावश्यक है।

अनुच्छेद 16 (अभार की समानता)

यह अनुच्छेद पाँच भागों में विभक्त है। अनुच्छेद 16(1) में लिखा है कि "राज्याधीन नौकरियों अथवा पदाँ पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।" अनुच्छेद 16(2) में उल्लेख है कि "कवन धर्म, मूल बर, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी एक नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपभ्रता होगी और न विभेद किया जाएगा।" अनुच्छेद 16 के अन्य तीन भागों में इसके अथवा दो का उल्लेख है। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार रासद बहे विधि द्वारा किसी राज्य या स्थानीय पद को वहाँ के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, जिन जातियों का स्रोत-सवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, उनके लिए पदों तथा नौकरियों का राज्य आरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 16(5) में उपबन्धित है कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक सस्था के अन्तर्गत किसी पद का अधिकारी उस सस्था या धर्म का सदस्य हो सकता है अतः अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत नागरिक को राज्य के अधात नौकरियों में अवसर का समानता का अधिकार प्राप्त है व्यक्तिगत नौकरियों में नहीं।

अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अन्त)

इस अनुच्छेद के अनुसार सुआधूत को पूर्णतः समाप्त कर इन्हें व्यवहार में लाना अनपेक्ष घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को अन्त में उहराने वाला यह अनुच्छेद सविधान के अन्तर्गत दी जाने वाली समता का सभा अधिकारों से मूल्यवान है। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति-भेदा की देन है न कि शाब्दिक अस्पृश्यता की³—देविण देवराजी बनाम पद्मना⁴ का विनिश्चय। पंजुल्लत यूनिवर्सिटी के डेमेक्रेटिक राइस बनाम भारत सभ⁵ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है और यह राज्य का सौविधानिक बर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का अतिलघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।⁶

अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अन्त)

इस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था है ताकि जनता में कृत्रिम भेदभाव फैलान की शक्तिस्थितियाँ पर अडुरा रहे। यह अनुच्छेद चार भागों में बाँटा गया है—

18(1) के अनुसार, "सेना या शिजा सम्बन्धी उपाधि क सिवाय और कोई खिटाव राज्य प्रदान नहीं करण।"

1 ए आई आर, 1954 सुप्रीम कोर्ट, 321

2 *M. L. Pyle Constitutional Government in India*, p. 207

3 *अस्पृश्यता का अन्त*, पृ. 133.

4 ए आई आर 1958, पैग 84

5 ए आई आर 1982, सुप्रीम कोर्ट, 1473.

6 *अस्पृश्यता का अन्त*, पृ. 133.

18(2) में लिखा है, "भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई श्रिताव स्वीकार नहीं करेगा।"

18(3) के अनुसार, "कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई श्रिताव राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।"

18(4) में उल्लेख है, "राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।"

भारत सरकार हर वर्ष गणतन्त्र दिवस पर नागरिकों को 'भारत-रत्न', 'पद्म-विभूषण', 'पद्मश्री' आदि उपधियों से अलंकृत करती है। सैनिक क्षेत्र में 'परमवीर चक्र', 'महावीर चक्र' और 'वीर चक्र' तथा अन्य उपधियाँ दी जाती हैं। ये उपधियाँ उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने पर प्रदान की जाती हैं। अनुच्छेद 18 निदेशात्मक है आदेशात्मक नहीं अर्थात् इस अनुच्छेद के उपबन्धों की अवहेलना करने वालों के लिए संविधान में किसी दण्ड-व्यवस्था का उपबन्ध नहीं है।

सम्पत्त के अधिकार के सम्बन्ध में इन पाँच अनुच्छेदों से यह स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत देश में सामाजिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करने का जितना प्रभावशाली प्रयत्न किया गया है उतना आर्थिक समानता लाने की दिशा में नहीं।

स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-24)

(Right to Freedom)

सामूहिक रूप से स्वतन्त्रता के ये पाँच अनुच्छेद व्यक्ति-स्वातन्त्रता के अधिकार पत्र हैं।¹ इसमें से 19वाँ अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जो नागरिकों को ये छ स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है—(क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (ख) सभा करने की स्वतन्त्रता, (ग) संध बनाने की स्वतन्त्रता, (घ) भ्रमण की स्वतन्त्रता, (ङ) आवास की स्वतन्त्रता, (च) पेशा, व्यापार, व्यवसाय एवं वाणिज्य की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं विदेशियों को नहीं। पूर्व में ये सात स्वतन्त्रताएँ थीं, किन्तु 44वें संविधान संशोधन से सम्पत्ति के 19(1) (घ) अधिकार को 1978 में विलोपित कर दिया गया। वर्तमान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निम्नलिखित सात प्रतिबन्ध लागू हैं—(1) राज्य की सुरक्षा और भारत में प्रभुसत्ता एवं अखण्डता, (2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, (3) सार्वजनिक व्यवस्था, (4) सत्कार और श्रद्धा, (5) न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) (6) मानहानि एवं (7) हिंसा को प्रोत्साहन। वर्तमान प्रतिबन्ध संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 एवं सोलहवें संशोधन अधिनियम, 1963 के अनुसार हैं। अनुच्छेद 19(2) से (6) तक में 'युक्तियुक्त निर्बन्धन' (Reasonable Restriction) की व्यवस्था की गई है अर्थात् यदि राज्य समाज के हित में आवश्यक समझे तो नागरिकों की स्वतन्त्रताओं पर निर्बन्धन लागू सकता है बशर्ते ये निर्बन्धन युक्तियुक्त हों।

'युक्तियुक्त निर्बन्धन' शब्द इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण शब्द तथा आत्मा और प्राण है। 'युक्तियुक्त' शब्द की व्याख्या करते हुए 'रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य' नामक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था—'युक्तियुक्त निर्बन्धन का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकार-उपयोग पर स्वेच्छापूर्ण एवं सार्वजनिक हित की आवश्यकता से अधिक प्रतिबन्ध न लगाये जाये, अतः जो विधि से स्वेच्छाचारी ढंग से अथवा अत्यधिक मात्रा में एक अधिकार का अतिक्रमण करे उसे 'युक्तियुक्त' नहीं कहा जा सकता। यदि एक विधि प्रत्याभूत स्वतन्त्रता तथा 19वें अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्धारित सामाजिक नियन्त्रण में उचित सन्तुलन स्थापित नहीं करते तो उसे 'युक्तियुक्त' को सज़ा प्रदान नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद 19(1) (क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अभिप्राय है शब्दों, लेखों, चित्रों, मुद्रण, अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में प्रेस की व्याख्या सम्मिलित है। 'रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य' के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की थी कि "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता सम्मिलित है और यह स्वतन्त्रता विचारों के प्रसारण की स्वतन्त्रता द्वारा सुनिश्चित है। उस स्वतन्त्रता के लिए परिचालन की स्वतन्त्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी की प्रकाश की स्वतन्त्रता। निःसन्देह परिचालन के बिना प्रकाश का कोई महत्व नहीं होगा।"

'अभिव्यक्ति' शब्द वस्तुतः बहुत व्यापक है। "आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने अभिव्यक्ति के नये-नये साधनों का आविष्कार किया है और करती जा रही है, उदाहरण के लिए रेडियो, चलचित्र, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल आदि अतः इन सब साधनों का संविधान में उल्लेख करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 'अभिव्यक्ति' शब्द द्वारा इन सभी

साधनों की ओर संकेत हो जाता है।" सांख्य पेपर्स लि. बनाम भारत सभ में यह स्पष्ट न्यायिक व्याख्या की गयी थी कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। 'वृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि समाचार-पत्रों पर पूर्ण-अवरोध (Censorship) लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबन्ध है। 'बीन्द्र बनाम पंजाब राज्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी समाचार-पत्र को तत्कालीन महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने से रोकना वाक् तथा अभिव्यक्ति का अतिक्रमण है। प्रेस की स्वतंत्रता अप्रतिबन्धित नहीं है, किन्तु राज्य को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य के लिए आवश्यक हो सकता है।

प्रमुदत बनाम भारत सभ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार (Right to Know) शामिल है। प्रेस को व्यक्तियों से सटान्द्रा के माध्यम से सूचनाएं जानने की स्वतंत्रता है, किन्तु जानने की स्वतंत्रता असाम (Absolute) नहीं है उस पर दुरुक्त्युक्त निर्वन्धन अधिरोपित किये जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं को किसी भौगोलिक परिमिता से बांधा नहीं जा सकता। नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग भारत की सीमा में तथा विश्व के किसी भी देश की भूमि पर कर सकता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा इन अधिकारों के प्रयोग पर देश की सीमा के आधार पर रोक लागता है तो यह अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण होगा। उक्त सिद्धान्त मेनन्ध गांधी बनाम भारत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया है। इसमें वारी की विदेश जाने के लिए दिये गये पासपोर्ट को वापस करने का आदेश दिया गया था। वारी ने इस आदेश की विधि मान्यता को चुनौती दी। न्यायालय के निर्णय के अनुसार यद्यपि विदेश-भ्रमणा का अधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, किन्तु यदि नागरिक के अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा तो उसमें अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण हो सकता है। यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आधारशिला माना जाता है।

अनुच्छेद 19(1) (ख) एवं 19 (3) : एकत्रित होने का अधिकार

सविधान का अनुच्छेद 19(1) (ख) नागरिकों को शान्तिपूर्वक तथा गिगन्दर अथवा निरंतर एकत्रित होने का मूल अधिकार प्रदान करता है। सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता में समाएँ करने, सम्मेलन करने एवं जुलूस निकालने का अधिकार सम्मिलित है। जुलूस निकालने के अधिकार का स्पष्ट रूप में अनुच्छेद 19(1) (ख) में उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यह एकत्रित होने के अधिकार में सम्मिलित है। कुछ देशों के सविधानों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है।¹ यह अधिकार वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार है। यह अधिकार अप्रतिबन्धित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था को रक्षा के लिए 'दुरुक्त्युक्त प्रतिबन्ध' लगा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने 'इन्द्रेवसिंह विरुद्ध बिहार राज्य' के मामले में इस उपबन्ध को व्याख्या की थी। निम्नलिखित मर्यादाओं तथा सीमाओं में रहते हुए नागरिकों द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है—

1. सभा सम्मेलन, जुलूस शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न किये जाने चाहिए। अराजक मोह हिंसक जुलूस इस अधिकार के अधीन बाँध नहीं माने जायेंगे।

2. सभा सम्मेलन, जुलूस निराश्र होने चाहिए अर्थात् सशस्त्र सभा, सम्मेलन, जुलूस पर सविधान के अनुच्छेद 19 (ख) के अधीन प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं, किन्तु शस्त्र रखने का अधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर इस अनुच्छेद द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है, जैसे—सिन्धुओं की धार्मिक सभा आदि।

3. अनुच्छेद 19(3) के अधीन लोकव्यवस्था तथा भारत की सम्प्रभुता एवं एकता के आधार पर विधि द्वारा दुरुक्त्युक्त निर्वन्धन लगाये जा सकते हैं।

भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 8 के अनुसार यदि किसी सभा से जन शान्ति भंग होने की आशंका हो तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुच्छेद 127 के अन्तर्गत उसे भंग करने का आदेश दिया जा सकता है। इस आदेश की अवज्ञा अपराध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुच्छेद 107 के अनुसार एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति जिससे शान्ति भंग किये जाने की आशंका हो शान्ति बनाने रखने की जम्मत ले। अनुच्छेद 144 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह हिंसा एवं सृष्टि की आशंका में किसी सभा सम्मेलन तथा जुलूस को मनही कर दे। पुलिस एक्ट, 1861 के अधीन पुलिस अधिकारों सभाओं एवं जुलूसों को सन्तान करने के ढंग, समय स्थान तथा उनके जाने के मार्गों के, लोकव्यवस्था के हित में, उचित निर्देश दे सकता है। इस एक्ट की धारा 30 की व्यवस्था के अनुसार जुलूस निकालने से पहले पुलिस अधिकारों से पूर्व-अनुज्ञ लेना आवश्यक है। राज्य सरकार को यह अधिकार

है कि यह किसी प्रान्त अथवा उसके किसी भाग को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे। तत्पश्चात् उस भाग में विज्ञान विद्यापीठ या पुस्तक भण्डारण को अनुमति से कोई सभा सम्मेलन या जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19 (1) (ग) एवं 19 (4) : सत्सदा एवं सभ बनाने का अधिकार

अनुच्छेद 19(1) (ग) के अधीन भारत के सभी नागरिकों को विधि-सम्मत उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सत्सदाएँ एवं सभ बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह सत्सदाएँ या सभ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा भौतिक कार्य के लिए हो सकती हैं। इस अधिकार में सत्सदा या सभ बनाने के अधिकार के साथ ही उन्हें सम्बन्धित करने का अधिकार सम्मिलित है। अन्य स्वतन्त्रताओं की भाँति सत्सदा सभ बनाने का अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नहीं है। अनुच्छेद 19(4) के अधीन राज्य नागरिकों की इस स्वातन्त्रता पर निम्नलिखित आधारों पर दुस्क्रियता निर्बंधन स्थापित कर सकता है—1 भारत की सम्प्रभुता एवं एकता, 2 लोक व्यवस्था एवं 3 नैतिकता। किसी अथवा बहुसंख्यक उद्देश्य के लिए सभ नहीं बनाया जा सकता। सत्सदा और सभ स्थापित करने के अधिकार नागरिकों को समान रूप से प्राप्त नहीं है। सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमों से बंधे होते हैं, अतः इन नियमों के विरुद्ध जाकर सत्सदा या सभ स्थापित करने के अधिकार का अन्य नागरिकों के समान उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने 'बालकोरेटिया बनाम भारत राय' के विवाद में स्पष्ट कर दी थी।

प्रतिज्ञा सेना तथा सभ बनाने का अधिकार—ओ. के. नाया बनाम भारत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या प्रतिज्ञा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवक, जैसे—रसोइये, धोबीदार, लश्कर, नाई बर्तई मित्रो, दूता बनाने वाले, दबो आदि प्रतिज्ञा सेना के सदस्य माने जा सकते हैं जिन्हें सभ बनाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त व्यक्ति अनुच्छेद 33 के अधीन प्रतिज्ञा सेना के सदस्यों में शामिल हैं अतः सेना अधिनियम की धारा 21 के अधीन केन्द्रीय सरकार उनके सभ बनाने का अधिकार का विनाश बनाकर निर्बंधन कर सकती है। ऐसे सेवकों का कर्तव्य सेना के सदस्यों की सक्रिय सेवा पर जन्मे का अनुसरण करना या साथ रहना होता है। यद्यपि वे युद्ध में भाग नहीं लेते (Non Combatant), तथापि वे प्रतिज्ञा सेना के एफ आरथक आग हैं।

अनुच्छेद 19(1) (घ) एवं खण्ड 19(5) : भ्रमण की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 19(1) (घ) के अनुसार भारत में नागरिकों को सारे देश में स्वतन्त्र रूप से भ्रमण या संचरण का बिना किसी प्रतिबंध के भारत तथा के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने तथा राज्य की सीमा के भीतर भ्रमण करण का अधिकार है। सम्पूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के समान है। अनुच्छेद 19(5) के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक संचरण का यह अधिकार राज्य द्वारा दो परिस्थितियों में परिसीमित हो सकता है—(क) सामान्य जनता के हित में (ख) अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा में। ताकमक रोग से प्रसिद्ध व्यक्ति एवं वैर्या के संचरण का अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह कदम सामान्य जनता के हित में होगा। अनुसूचित आदिम जातियों के हित में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है ताकि उनकी अपनी सांस्कृतिक और साम्प्रदायिक संरक्षणों की रक्षा हो सके। आदिम जातियों की सुरक्षा और हित की दृष्टि से सामान्य नागरिकों द्वारा इनके क्षेत्रों में बसने अथवा सम्पत्ति रूप करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अनुच्छेद 19(1) (ङ) एवं 19(5) : निवास की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 19(1) (ङ) द्वारा सभी नागरिकों को भारत में कहीं बसने या आवास की स्वतन्त्रता है। इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है किन्तु अनुच्छेद 19(5) के अनुसार इस अधिकार पर सर्व सामान्य तथा अनुसूचित जनजातियों के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निवास और भ्रमण की स्वतन्त्रता एक-दूसरे को पूरक है क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना है। भ्रमण एवं निवास की स्वतन्त्रता को आपातकालीन स्थिति में कम अथवा निलम्बित किया जा सकता है। फ्रैंसिस एक्ट 1864 तथा 1966 के अन्तर्गत विदेशी विदेशी व्यक्ति के भ्रमण एवं निवास के अधिकार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अथवा उसे भारत से चले जाने का आदेश दे सकता है।

अनुच्छेद 19(1) (च) एवं 19(6) : व्यापार वृद्धि या उपजीविका की स्वतन्त्रता

अनुच्छेद 19(1) (च) सभी नागरिकों को कोई पेशा, व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है, किन्तु इस अधिकार पर राज्य 'दुस्क्रियता प्रतिक्रम्य अथवा निर्बंधन' लगा सकता है। खण्ड 19(6) के अधीन निम्नलिखित आधारों पर राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है—

(क) सामान्य जनता के हित में

(ख) विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित कर एवं

(ग) नागरिकों को पूर्ण एवं आंशिक रूप में किसी व्यापार से बहिष्कृत करके।

कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध बन्कि विधानमण्डल के विरुद्ध सारण प्रदान करता है। विधान-मण्डल द्वारा पारित कानून सुनिश्चुक तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप होने चाहिए अन्यथा उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है अतः भारतीय संविधान में व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) के अधीन रखा गया है। यह व्यक्तियों अमेरिकन संविधान की व्यवस्था से मेल खाती है, लेकिन दोनों व्यवस्थाओं में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली है वहीं अमेरिकन संविधान में 'विधि को उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अमेरिकन न्यायालयों ने इस पदावली का विस्तृत अर्थ लेते हुए इसको तुलना नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) से की है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'नैसर्गिक न्याय' के सिद्धान्त की अनुच्छेद 21 का आवश्यक तत्व मान लिया है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त 'दैहिक स्वतन्त्रता' पदावली विस्तृत अर्थ लिए हुए है और उस रूप में इसके उद्देश्य दैहिक स्वतन्त्रता के सभी आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इस अर्थ में इस पदावली में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान स्वतन्त्रता के सभी अधिकार आ जाते हैं।

अनुच्छेद 22 : धनीकरण तथा नजरबन्दी से बचाव

संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा बन्दी व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और निवारक नजरबन्दी (Preventive Detention) व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 (1) और 22(2) द्वारा निर्दिष्ट संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं—

- (क) किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र अवगत कराए बिना बन्दी बनाकर नहीं रखा जा सकेगा।
- (ख) उसे अपनी रचि के वकील से परामर्श करने तथा अपने पक्ष की सफाई दिलवाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
- (ग) उसे गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
- (घ) उसे न्यायालय की आज्ञा बिना 24 घण्टे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 22 में बन्दी बनाए जाने की अवस्था में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 22 (3) में उल्लेख है कि अनुच्छेद 22(1) तथा अनुच्छेद 22(2) द्वारा बन्दिषों को जो उपर्युक्त संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं वे दो प्रकार के बन्दिषों को उपलब्ध नहीं होंगे—प्रथम जिन बन्दिषों का विदेशी शत्रु राष्ट्र के साथ सम्बन्ध है। द्वितीय जिन व्यक्तियों को निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है और दोनों को सम-पढ़ा जाता चाहिए। अनुच्छेद 22 स्वयं में पूर्ण नहीं है। मेनका गाँधी के मामले में यह स्पष्ट हो गया था कि अनुच्छेद 22 के अधीन पारित विधियों को अनुच्छेद 21 में विहित सुनिश्चुक और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर जाँचा जाएगा।

निवारक निरोध—अनुच्छेद 22 (4) से 22(7) तक निवारक निरोध (Preventive Detention) की चर्चा की गई है। निवारक निरोध सकटकाल तथा साधारण काल में लागू रहता है। 'निवारक' (Preventive) शब्द दण्डात्मक (Punitive) या त्रिनीय है। 'निवारक गिरफ्तारी' दण्डात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है। दण्डात्मक गिरफ्तारी विरुद्ध व्यक्ति को दण्ड देने के उद्देश्य से की जाती है किन्तु निवारक धनीकरण का उद्देश्य दण्ड देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना या विरुद्ध व्यक्ति को किन्हीं विधित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। इसमें विरुद्ध व्यक्ति अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है। यह एहतियारी धारणा है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपनाई जाती है। इसमें व्यक्ति को सन्देह के आशय पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 22 (4-7) के अन्तर्गत निवारक निरोध कानून के उद्देश्य विरुद्ध किए गए व्यक्ति को ये रक्षण प्रदान किए गए हैं—(क) सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विचारक। (ख) गिरफ्तारी के कारण जानने एवं अध्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार। (ग) सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया।

अनुच्छेद 22(4) में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। धारा (4) (ब) में उपर्युक्त करता है कि निरोध अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो सकता है जो सप्त विधि द्वारा उस प्रकार के मामलों में निरुद्ध व्यक्तियों के वर्गों के लिए विहित होगी। आ 44वें संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि 'निवारक नजरबन्दी' सम्बन्धी कोई कानून किसी दशा में 2 महीने से ज्यादा के लिए नजरबन्द रहने का अधिकार नहीं दे सकता जब तक एक सलाहकार बोर्ड ने यह स्वीकृति न दी हो कि ऐसी नजरबन्दी के लिए पर्याप्त कारण हैं। अनुच्छेद 22(5) के अनुसार यह आवश्यक है कि निवारक निरोध के अन्तर्गत बन्दी व्यक्ति को कारणों से अवगत कराया जाए और यह अवगत दिया जाए कि वह उन कारणों को न्यायालय में चुनौती दे सके। अनुच्छेद 22(6) में व्यवस्था है कि लोकहित के आधार पर निरोध के कारण बताने से इनकार किया जा सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एव 24)

(The Right against Exploitation)

अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा जबरदस्ती किए जाने वाले श्रम को निषिद्ध किया गया है पर राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा लागू करने में रुद्धवट न होगी और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24 के द्वारा चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी में सलग्न नहीं किया जा सकता। बाल-श्रम का निषेध करने वाले अनुच्छेद 24 का राज्य के नागरिक निर्देशक सिद्धान्त से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है जिसने 14 वर्ष के बालकों को शिक्षण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताया गया है।

अनुच्छेद 23 में 'मानव दुर्व्यापार' विस्तृत शब्दावली है जिसमें न केवल मनुष्यों या स्त्रियों का बन्धुओं की शक्ति क्रय-विक्रय अथवा स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यापार को निषेध किया गया है और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उनका प्रयोग न करना शामिल है।¹ संविधान के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत ससत को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 23 द्वारा वर्जित कार्यों को करने पर कानून दण्ड की व्यवस्था करे। इस शक्ति के प्रयोग में ससत ने 'Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956' पारित किया है, जिसके अर्धेन 'मानव दुर्व्यापार' दण्डनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 का सरलता नागरिक और अनागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में 'दास प्रथा' का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु मानव दुर्व्यापार शब्दावली में यह निरिच्छत रूप से शामिल है।² 'पीपुल्स यूनिफ़ॉर्म फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनान भारत सघ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए यह निर्णय दिया कि 'बेगार' से तात्पर्य ऐसे कामों से है जिन्हें किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना परिश्रमिक ली जाती हो। अनुच्छेद 23 के अनुसार 'बेगार' ही नहीं बल्कि किसी प्रकार के सभी 'जबरदस्ती' लिए जाने वाले कार्य वर्जित हैं, क्योंकि इसमें मानव प्रतिष्ठा और गरिमा पर आधारित पहुँचता है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक प्रकार के 'बलात् श्रम' (Forced Labour) को वर्जित करता है और यह इन दोनों में कोई अन्तर नहीं करता कि बलात् श्रम के लिए परिश्रमिक दिया गया है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है चाहे उसे परिश्रमिक दिया गया हो, वह कार्य अनुच्छेद 23 के अर्धेन 'बलात् श्रम' माना जाएगा। 'बलात् श्रम' में शारीरिक दबाव, विधिक दबाव के अधिकृत आर्थिक अतिरिक्तियों से उत्पन्न दबाव शामिल है।

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(The Right of Freedom of Religion)

भारतीय संविधान के स्वातन्त्र्य अधिकारों में धर्म-स्वातन्त्र्य के अधिकार का विशेष महत्व है। अनुच्छेद 25 से 28 एव संविधान की प्रस्तावना में संविधान-निर्माताओं की इच्छा का अन्वय हो जाता है। भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता सम्बन्धी निम्नलिखित चार आदर्श हैं³—

1. राज्य स्वयं को किसी धर्म-विशेष से सम्बद्ध नहीं करेगा, न किसी धर्म-विशेष के अर्धेन रहेगा।
2. राज्य जब किसी व्यक्ति को धार्मिक मान्यता, आचरण एव प्रसार प्रसार सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्रदान करेगा तो वह किसी व्यक्ति विशेष को अपेक्षाकृत (Preferential) संविधान नहीं देगा।
3. व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध धर्म अथवा धार्मिक विश्वास के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।
4. राज्य के अर्धेन किसी पद को प्राप्त करने हेतु सभी धर्मावलम्बीयों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उद्देश्यों के अर्धेन राज्य द्वारा सभी को अन्वकरण को स्वतन्त्रता तथा धर्म के अन्वेषण रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है, लेकिन इस अनुच्छेद में ऐसे वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव इकट्ठा नहीं डाल सकती जो (क) धार्मिक आचरण से सम्बन्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक क्रियाओं को निबन्धन करती हों, (ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हों, हिन्दुओं को सार्वजनिक धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हों। संविधान में कृपाण धारण करना सिक्ख धर्म का अंग मान लिया है तथा हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख जैन या बौद्ध धर्मावलम्बीयों को निर्देश सम्मिलित कर लिया है।

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रवन्ध में व्यन्धना

एक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अर्धेन राज्य द्वारा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुपाय को

1. एकराजपुर बनान स्टेट्स रिपे, 1953, पृ. 523, बन्धन, 523

2. दुबर्ग स्टेट्स बनान एक्ट सघ, पृ. 401 अर, 1952, कलकत्ता, 496.

3. गणसंघ संघर्ष : पृ. 170.

(क) धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए सस्थाओं की स्थापना और पोषण का, (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबन्ध करने का, (ग) जगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और (घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता

किसी व्यक्ति को ऐसे करों का सदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 28 : शिक्षा सस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के सम्बन्ध में स्वतंत्रता

(1) राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा सस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

(2) खंड (1) को कोई बात ऐसी शिक्षा सस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किन्तु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता पाने वाली शिक्षा सस्था में उपस्थित व्यक्ति को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या अवश्यक होने पर उसके सरक्षक ने इसकी सहमति नहीं दी हो।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)

(Culture and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(1) 'भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के नागरिकों को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।'

(2) 'राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा-संस्थान में प्रवेश में किसी नागरिक को मात्र धर्म, मूल, बर्ण, जाति, भाषा के आधार पर बहिष्कृत न रखा जायेगा।'

अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

(1) 'धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।'

(2) 'शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।'

अनुच्छेद 29 और 30 एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, क्योंकि शिक्षा-संस्थाओं के माध्यम से यह सम्भव है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि अथवा धर्म को रक्षित कर सकें। संविधान के प्राथमिक उद्देश्यों द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया गया था। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी राज्य की भाषा को सरकारी स्वीकृति प्रदान करे। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह यह प्रयत्न करे कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृ-भाषा में दी जाए। राष्ट्रपति को ऐसे निर्देश देने का अधिकार है। उसे यह अधिकार है कि भाषायी अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं के निराकरण के लिए वह विशेष अधिकारी नियुक्त करे।

संविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

(Right to Constitutional Remedies)

संविधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण उपबन्ध है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था—'यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन-सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा तो मैं इसके (अनुच्छेद 32) सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है।'¹ ये शब्द संविधानिक उपचारों के अधिकारों के सम्पूर्ण महत्व को स्पष्ट कर देते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर उद्देश्य प्रवर्तित कराने के लिए संविधानिक उपचार उपलब्ध कराए गए हैं।² अनुच्छेद 32 जो संविधानिक उपचार का अधिकार देता है, संविधान के भाग 3 में होने के कारण मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 32(1) नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित करने के लिए अधिकार की गारंटी करता है।

1. संविधान सभा की कार्यवाही। भाग 7, पृ. 853.

2. न्यायसहाय शर्मा; पृथिवी, पृ. 187

अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार-पृच्छा और उद्देयण रिट सम्मिलित हैं, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32(3) के अधीन ससद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपनी उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

अनुच्छेद 32(4) यह उपबन्धित करता है कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा गारण्टी किए गए अधिकारों को निलम्बित किया जाएगा।¹ अनुच्छेद 32 को चार खण्डों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता संविधान का 'आधारभूत ढाँचा'² (Basic Structure) है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित करके हटा नहीं किया जा सकता है जब तक कि के.ए.वा.नन्द भारतीय का निर्णय उलट नहीं दिया जाए।³ अनुच्छेद 32 के अधीन समुचित संविधानिक उपचार देने की शक्ति विवेकीय (Discretionary) नहीं है, अर्थात् यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल अधिकार के अतिक्रमण को दिखाने में सफल होता है तो वह उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अधीन एक अधिकार के रूप में समुचित उपचार देने का अधिकारी होगा।⁴ भारतीय उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को रखा के लिए सामान्य अधिकार दिए जाने के साथ बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-warranto) तथा उद्देयण लेख (Certiorari) जारी करने जैसे विशेष उपचारों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है जिसका विस्तृत विरलेपण निम्नांकित है—

(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)—'हैबियस कॉर्पस' का शाब्दिक अर्थ है 'शरीर प्रस्तुत करना।' इस रिट द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है जिससे न्यायालय उसके कारावास के कारणों को जान सके और यदि बन्दी रखने का विधि अधिकार नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह रिट किसी व्यक्ति या अधिकारी को धर्मोपहित हो सकती है जिसकी अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है। रिट को अवहेलना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। यह स्मरणीय है कि किसी को निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत नररुध्न किया गया है तो न्यायालय उक्त लेख जारी नहीं कर सकता है।

(ii) परमादेश (Mandamus)—अंग्रेजी शब्द 'मैन्डमस' का अर्थ है 'हम आज्ञा देते हैं।' न्यायालय के द्वारा आदेश द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके कर्तव्य पालन की आज्ञा दी जाती है। यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय किसी सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक पदाधिकारी को अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए विवश करना चाहता है।

भारत में, परमादेश ठन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिया जा सकता है जो किसी स्नेह कर्तव्य के लिए आवश्यक और स्पष्ट के विरुद्ध, क्योंकि अनुच्छेद 226 और 361 में यह उपबन्ध है कि सपुक्त गारवार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियों की जा सकती है। यह रिट, अग्र, न्यायालयों, और अन्य न्यायिक निकायों के विरुद्ध, राज्य की जा सकती है। यदि वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।⁵ परमादेश निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए नहीं दिया जाएगा—

(क) राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने हेतु किए गए या किए जाने के लिए उत्तरदायित्व किसी कार्य के लिए।

(ख) परमादेश संविधान या अधिनियम कानूनी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, चाहे राज्य की प्रादेश पञ्चकार के माध्यम द्वारा सिद्ध हो क्यों न हो।

(iii) प्रतिषेध (Prohibition)—प्रतिषेध का अर्थ है 'मना करना'। यह लेख उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालय को जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य अधीन न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना होता है। प्रतिषेध और परमादेश की रिटों में अन्तर यह है कि परमादेश कुछ कार्य करने

1. बदनपदन धन्डेव; पृष्ठ 243

2. फटीलपुत्रा कॉन्सिडरेशन कमण्ड एच बदनपुत्रा एच ए, आई और 1981, सुप्रीम कोर्ट 345

3. बदनपदन धन्डेव; पृष्ठ 243

4. एचल्लै बदनपुत्रा एच ए, आई और 1975, सुप्रीम कोर्ट 623

5. दुर्गालाल बसु; एचल्लै का संविधान — एक परिचय, पृष्ठ 127

का समावेश करती है जबकि प्रतिषेध निष्क्रिय बनाती है। परमादेश न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उपबन्ध है जबकि प्रतिषेध ऐसे लोक अधिकारों के विरुद्ध नहीं दी जाती जो न्यायिक कृत्य नहीं करता।

(iv) उद्येपण लेख (Certiorari)—इस लेख का अर्थ है—'और अधिक सूचित होना'। यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा किसी अधीन न्यायालय के लिए भेजा जाता है जिसमें अधीन न्यायालय से उस मामले से सम्बन्धित कागजातों को माँगा जाता है जो अब तक उस अधीन न्यायालय में बिकाराधीन थे। प्रतिषेध लेख और उद्येपण लेख में अन्तः यह है कि प्रथम तो रोग के रूप में होता है जबकि दूसरा उपचार के रूप में होता है।

(iv) अधिकार-पुच्छा (Quo-warranto)—इस लेख का अर्थ है कि किस आज्ञा से न्यायालय इस लेख के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकता है जिसके लिए वह कानूनन योग्य नहीं है।

भारतीय संविधान में इन लेखों को सम्मिलित करके व्यक्ति को स्वतन्त्रता सुनिश्चित कर दी गई है। संविधान लागू होने पर ये अधिकार मौलिक कानून का अंग बन गए और अब संविधान संशोधन किए बिना उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किन्तु मसद किसी न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार न्यायाधिकार सीमा में प्रयुक्त करने देती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसी पीणित सङ्कटकाल को छोड़कर स्थगित नहीं किया जा सकता, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह अधिकार सम्पूर्ण भारत में स्थगित हो जाए। इन्हें स्थगित करने का अधिकार अनियंत्रित नहीं होता है। यद्यपि केन्द्र के कार्यपालक प्रधान को इन अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, तथापि यह आदेश मसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मसद इसे अस्थीकर कर सकती है। सङ्कटकाल समाप्त होते पर ये अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं।

संवैधानिक उपचार के अधिकार का निलम्बन

अनुच्छेद 32(4) के अनुसार संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित परिस्थिति को छोड़कर सरपट्टि अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति आपातकालीन स्थिति से उत्पन्न होती है जबकि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलम्बित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन जब भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता का अधिकार स्वतः निलम्बित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सम्पूर्ण भारत में अथवा भारत के किसी भाग में आपातकाल में किसी निश्चित समय के लिए भाग 3 में उपबन्धित मूल अधिकारों को प्रवर्धित करने के संवैधानिक उपचार को निलम्बित कर सकता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के निलम्बन से नागरिक स्वतन्त्रताएँ प्रभावित होती हैं। इससे देश में निरंकुश शासन की आशंका उत्पन्न हो जानी है।

मौलिक अधिकार : एक समीक्षा

(A Critical Evaluation of Fundamental Rights)

एच. वी. पायली के अनुसार मौलिक अधिकारों के आलोचकों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—प्रथम वे जिनके अनुसार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नाममात्र हैं क्योंकि जिन अधिकारों को मौलिक अधिकारों में स्थान पाना चाहिए उन्हें माना नहीं गया, जैसे काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। दूसरे वे जिनके कथनानुसार निवारक निरोध (Preventive Detention) तथा संविधानिक अधिकारों के स्थान आदि असाधारण उपबन्धों से इस अध्याय का सार विलुप्त हो चुका है। इनका कहना है कि संविधान एक हाथ से देता है वह दूसरे हाथ से छीन लेता है। तीसरे आलोचक वे हैं जो कहते हैं कि जिन अधिकारों को प्रत्याभूत करने का प्रयास किया गया है वे इतनी अर्हताओं, अपवादों में बंधे हैं कि यह सम्झना कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों में क्या मिला। एक आलोचक ने व्याघ्रपूर्वक यह कहा है कि मौलिक अधिकार अध्याय का नाम बदल कर 'मौलिक अधिकारों की परिसीमाएँ' अथवा 'मौलिक अधिकार एवं इनकी परिसीमाएँ' रख देना चाहिए।

मौलिक कर्तव्य

(Fundamental Duties)

चीन, इटली, जापान, नीदरलैण्ड्स आदि कुछ गैर साम्यवादी देशों के संविधानों में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया था लेकिन मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, इसी मन्थना के कारण कि अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग (4) के पश्चात् एक नया भाग (4-ब) जोड़कर संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट कर दिया गया है। इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है—संविधान के अनुच्छेद 51-क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि—

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, मूल्यों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अशुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत में समरसता और समान भावत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश की रूढ़ि पर आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी मिश्रित (Composite) सस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण (Environment) की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और धन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणी के प्रति दया भाव रखे।
8. वैधानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जनार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था के पक्ष में तर्क

भारतीय सविधान में नागरिकों के कर्तव्य लोकतन्त्र की व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले हैं, यदि उनका पालन किया जाए। राष्ट्रीय जीवन का उच्च-स्वरीय बनाने की दृष्टि से वैयक्तिक एवं सार्वजनिक रूप में योग्यता तथा श्रेष्ठता प्राप्त करने का कर्तव्य महत्वपूर्ण है। सविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश करने से मौलिक अधिकारों की स्थिति सुदृढ़ होगी, देश के नागरिक उचित उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। फलस्वरूप देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा में मौलिक कर्तव्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो नागरिकों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर सकत राष्ट्र की भावना साकार करती है।

मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था के विपक्ष में तर्क

डॉ. इकबाल नारायण के अनुसार¹—

1. मूल कर्तव्यों की व्यवस्था में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उससे यह सम्भव है कि शासन उसकी आह में लोगों को अनावश्यक रूप से तंग कर सके। उदाहरणार्थ, सविधान के पालन के कर्तव्य के नाम पर लोगों को उसकी व्यवस्थाओं के प्रति मतभेद व्यक्त करने से रोका जा सकता है। भारत की प्रभुसत्ता की मान्यता के नाम पर शासन द्वारा प्रभुसत्ता पर अनावश्यक बल दिया जा सकता है तथा इसके कार्यों की आलोचना एवं विरोध को सविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। 'धार्मिक, भाषायी क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नता एवं सद्भावना, मिश्रित सस्कृति, जीवधारियों के प्रति सहानुभूति तथा सुधार की भावना' आदि ऐसे विचार हैं जिनका सर्वसम्मत अर्थ नहीं तथा इनके आधार पर शासन एवं व्यक्तियों तथा विविध समुदायों एवं वर्गों में अनावश्यक टकराव हो सकता है तथा शासन की ओर से जनता के साथ कठोर व्यवहार किया जा सकता है।

2. अनेक मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें न समझा जा सकता है और न उनका पालन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता समाज के आदर्शों विविध प्रकार के हैं। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से समझ सकता है। मिश्रित सस्कृति ऐसी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता आदि से सम्बन्धित कर्तव्य ऐसे हैं जो साधारण व्यक्ति की बुद्धि से परे हैं।

3. अनेक मूल कर्तव्य व्यावहारिक न होकर आदर्शवादी हैं। उदाहरणार्थ, सौहार्द, धार्मिकता की भावना, अहिंसा तथा मानवता के सम्बन्धों को ले सकते हैं, जो आदर्शों की वस्तुएँ हैं तथा जिन्हें व्यवहार में क्रियान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

4. राष्ट्रीय आन्दोलन के आदर्शों के पालन, वैधानिक तथा मानवीय दृष्टिकोण के विकास तथा सांस्कृतिक विभिन्नता के आदर सम्बन्धी ऐसे कर्तव्य हैं, जिनका पालन कराने के लिए कानूनी व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

सविधान में जिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो उनका महत्व और कम होता प्रतीत होता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता एन. ए. पासर्कीबाला के अनुसार, "सविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों में निहित हैं अर्थात् जब कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस पर यह कर्तव्य रोपित हो जाता है कि वह उस देश के राष्ट्रीय ध्वज, गान और सविधान का आदर तथा पालन करे तथा देश की प्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाए रखे। इस दृष्टि से अनुच्छेद 51-ओ के कोष्टक क, ख, ग, घ में उल्लिखित कर्तव्यों का सविधान

1. डॉ. इकबाल नारायण : पूर्वोक्त, पृ. 269-70

में वर्णन करना अनावश्यक प्रतीत होता है।" शेष मूल कर्तव्यों में ऐसे कर्तव्य हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मूल अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ धर्म भाषा तथा प्रदेश या धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव न करना, अनुच्छेद 14, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अन्तर्गत अन्य जीव सम्मिलित हैं रक्षा करो का कर्तव्य अनुच्छेद 48 तथा एतिहासिक स्थानों को सुरक्षा करने का उदाहरणित्व अनुच्छेद 40 में पाया जाता है और यह आशा की जाती है कि सरकार नीति-निर्देशक अनुच्छेदों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण करेगी। उन कानूनों का पालन करना नागरिक का कर्तव्य होगा। नीति-निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन का स्वाभाविक परिणाम नागरिकों द्वारा उन कर्तव्यों का पालन करना होगा। मूल कर्तव्यों में एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि ये कर्तव्य अस्पष्ट अनिश्चित तथा कल्पनिक प्रतीत होते हैं।

(3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त

(The Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय सविधान की विशेषता है। इन सिद्धान्तों का वर्णन सविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 26 से 51 तक किया गया है। इनका मूल लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के आदर्श तथा देश के शासन के आधारभूत सिद्धान्त भी हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार सविधान के भाग 4 में दिए गए उपबन्ध किसी न्यायान्य द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे किन्तु इनमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये निर्देशक तत्व अपनी रूपरेखा में लचीले एवं व्यापक हैं अतः देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें ढाला जा सकता है। इन तत्वों में किसी दल-विरोध की विचारधारा को नहीं अपनाया गया है। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का उल्लेख है और देश में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर उन्हें लागू करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य और समाज के धार्मिक स्वरूप की रूपरेखा पाई जाती है जिनका मूल लक्ष्य देश में शोषणमुक्त और समतायुक्त लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्म-निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना पर लोक-कल्याणकारी राज्य की भावना को मान्य करना है।

निर्देशक सिद्धान्त सवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 36 से 51)

सविधान के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तदनुसार राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार और समद तथा राज्य सरकार और विधान-मण्डल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने पर देश के शासन में मूलभूत हैं।

अनुच्छेद 38 व्यवस्था देता है कि लोक-कल्याण की दृष्टि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 44वें सविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खण्ड (2) जोड़कर एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि राज्य प्रयास करेगा कि विशेष रूप से व्यक्तियों की आय में असमानता कम हो पद सुविधाओं और अवसरों के सम्बन्ध में व्यक्तियों में नहीं, धर्म विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले या विभिन्न व्यापार में लगे सभी वर्गों में असमानता दूर हो।¹

अनुच्छेद 39 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व

राज्य द्वारा अनुसूचित जाति, जाति, वर्ण, धर्म, स्थानीय, नीति, का, देश, संवत्स, करण, वि—

- (क) नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो
- (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार विभाजित हो ताकि सार्वभौमिक हित का साधन हो
- (ग) आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत धन और उत्पादन के साधनों का सर्व-साधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो,
- (ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो

(घ) बालकों की स्वतंत्र और गरिमायुक्त वातावरण में स्वस्थ विद्यार्थन के अवसर और सुविधाएँ दी जायें तथा शौर्य और किशोर अवस्था का शोषण से, नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

अनुच्छेद 39 क - समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा—राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ करके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्धनता के कारण कोई न्यायिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान द्वारा या किसी उचित से निःशुल्क सहायता की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 40 : प्रान पत्राप्तों का संगठन—राज्य प्रान पत्राप्तों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तिपूर्वक और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त समान का इच्छाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाये हो।

अनुच्छेद 41 कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक समर्थता और विद्यार्थन की संभावनाओं के भीतर काम, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और आश्रित तथा अन्य अपात्र की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 42 काम की न्याय रेट्टा मानवीयता दायों तथा प्रभृति सहायता उपबन्ध राज्य काम की मनोचित और मानवचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रभृति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्दोष-मजदूरी कार्य : उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा अथवा किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि उद्योग तथा अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम निर्दोष, मजदूरी, शिशु बचक-सुरा तथा अवकाश का समान उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवकाश प्राप्त करने का प्रयास करेगा तथा प्रानों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना - राज्य किसी उद्योग में नये हुए उद्योगों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य उचित से कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 44 : श्रमिकों के लिए एक समान व्यवहार सहिता - प्रारंभ में समस्त राज्य-स्तरीय में श्रमिकों के लिए राज्य समान व्यवहार-सहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध : राज्य संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की बालवर्ष के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की रक्षा - राज्य जनता के दुर्बलतम वर्गों के विशेषतया अनुसूचित आदिम-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा कर सामाजिक अन्त्यय और शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

अनुच्छेद 47 : आहार-सुष्ठु और जीवन-सुरा उर्ध्व करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य - राज्य लोगों के आहार-सुष्ठु-रक्षण और जीवन-सुरा की उर्ध्व करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार की अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पद पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शक्तिपूर्वक प्रदूषणों से अतिरिक्त उपयोग का प्रतिरोध करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुचलन का संरक्षण - राज्य कृषि और पशुचलन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से सज्जित कर गायों, बछड़ों अन्य पशुओं और बाढ़क पशुओं की नस्ल के परिष्करण और सुधारने के लिए उनके वध का प्रतिरोध करने के लिए अग्रसर होगा।

अनुच्छेद 48 क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा - राज्य रक्षा के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महान के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण - विधि के द्वारा राष्ट्रीय महान के पोषित स्मारक या ऐतिहासिक अभिधित वस्तु प्रत्येक स्मारक स्थान, वस्तु या पदार्थों, स्तूप, विष्णु, विष्णु, अमन्य, अमन्य अमन्य निर्यात से रक्षा करेगा राज्य का अन्तर्गत होगा।

अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से व्यापारपालिका का पृथक्करण : राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य अग्रसर होगा।

अनुच्छेद 51 : अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की रक्षा : (क) राष्ट्रीय के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का, (ख) संघटित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि-सन्धियों के प्रति उदार बहान का, (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रेरणा देने का प्रयास करेगा।

नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में अन्तर

नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार हमारे संविधान की अन्तरात्मा हैं जिनका सत्य देश में सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना को साकार करना है। दोनों भारतीय नागरिकों की स्वतन्त्रता के प्रताक हैं तथापि दोनों के मध्य निम्नांकित अन्तर है—

1 मूल अधिकार सकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य को किसी निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं।

2. मूल अधिकार वाद योग्य (Justiciable) हैं निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाधता नहीं दी जा सकेगी। ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि-निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग राज्य का कर्तव्य है। दूसरी ओर मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा शक्तिशाली हैं अर्थात् वे मूल अधिकार से असंगत किसी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं लेकिन कोई विधि इस आधार पर अवैध घोषित नहीं की जा सकती कि यह निर्देशक तत्वों के विरोध में है और न ही न्यायालय सरकार के इन तत्वों को कर्तव्यित करने के लिए आदेश दे सकते हैं।

3 मूल अधिकारों का विषय व्यक्ति है निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। ये राज्य को नीतिक निर्देश देते हैं कि वह सार्वजनिक हित के लिए इन्हें लागू करे।

4 मूल अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए हैं जबकि निर्देशक तत्वों का उपयोग नागरिक तभी कर सकते हैं जब राज्य विधि इन्हें कर्तव्यित करे।

5 निर्देशक तत्वों का क्षेत्र मूल अधिकार के क्षेत्र से व्यापक है। मूल अधिकारों का क्षेत्र भारत-राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत है जबकि निर्देशक तत्वों में अन्तर्देशीय महत्त्व के सिद्धान्त तथा विश्व-बन्धुत्व और विश्व शान्ति का संदेश अन्तर्निहित है। ग्लैडहिल (Gladhill) के अनुसार 'मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध आज्ञाएँ (Negative Injunctions) हैं। राज्य के निर्देशक सिद्धान्त यह बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए।

न्यायालयों का दृष्टिकोण (Judicial View)

सन् 1971 में संविधान के 25वें संशोधन के पारित होने से पश्चात् निर्देशक सिद्धान्तों के प्रति न्यायालयों के दृष्टिकोण को निम्नानुसार तीन चरणों में रखा जा सकता है—

(क) मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों से उच्च मानने का न्यायिक निर्णय—न्यायाधीशों का तर्क यह है कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं अतः ये कम महत्वपूर्ण हैं मूल अधिकारों के अधीन हैं और उन्हें अधीन रहना चाहिए। न्यायालयों के निर्णय इस सम्बन्ध में निम्नांकित मुकदमों में दिए गए थे—

1 चम्पाकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य का यह पहला मामला था जिसमें संविधान के लागू होने के बाद मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई। मद्रास राज्य ने एक आदेश जारी किया जिसमें राज्य के मेडिकल और इन्जीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए विभिन्न समुदायों के लिए स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया। आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह धर्म या जाति के आधार पर लोगों को कॉलेजों में प्रवेश का प्रावधान करता है और इसमें अनुच्छेद 15(1) तथा 29(2) में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन है। पिटीशन को बाह्य होने के तले कॉलेज में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य के आदेश का अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होने के कारण अवैध घोषित किया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों वाले अध्याय के अनुकूल होना चाहिए और उससे सहायक के रूप में रहना चाहिए। न्यायमूर्ति एस. आर. दास के अनुसार, "राज्य-नीति के निर्देशक तत्व किन्हीं स्पष्टतः अनुच्छेद 37 द्वारा न्यायालयों में वाद योग्य नहीं माना गया है संविधान के तीसरे भाग में दिए गए उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।"

2 सी. सी. आर. श्रीनिवास बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उसी प्रकार के विचार प्रकट किए जो चम्पाकम के मामले में किए थे।

3 मोलकनाथ बनाम बंजारा राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की दलील कि यह बदलती हुई जन-आवृत्तियों के अनुसार निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि "निर्देशक तत्वों को तीसरे भाग द्वारा व्यवस्थित स्वयं नियमित करने वाले यंत्र (Self Regulating Machinery) के भीतर लागू किया जा सकता है।"

4 'मुहम्मद हमीद कुतैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य' में बिहार पशु प्रारक्षण और मुगार अधिनियम, 1955 के कुछ उपबन्धों की विधि-भंग्यता पर विचार करते हुए न्यायाधीश ए. एस. दास ने चम्पाकम दोरायजन मामले में की

गई इस युक्ति का आश्रय लिया कि संविधान के चौथे भाग में निर्धारित राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मूल अधिकार और उसके अधीन रहना होता है।

(ख) मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों को एक-दूसरे के पूरक मानने सम्बन्धी निर्णय—

1. 'बिहार राज्य बनाम कामेश्वरप्रसिंह के मामले' में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 39 पर बल देते हुए यह निर्णय दिया कि जमींदारी उन्मूलन 'लोक प्रयोजन' के लिए पारित किए गए हैं अतः संविधानिक हैं। न्यायाधीश महानन के अनुसार "संविधान के चौथे भाग में दिए गए उपबन्ध तीसरे भाग में दिए गए उपबन्धों का प्रतिपूरण करते हैं और ये दोनों मिलकर कल्याणकारी लोकतन्त्रात्मक राज्य के निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करते हैं।"

2. 'सम्झौतेसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान' के मामले में न्यायाधीश मधोलकर ने कहा कि निर्देशक तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धान्त हैं और संविधान के भाग 3 के उपबन्ध इन सिद्धान्तों के साथ समझे जाने चाहिए।

3. 'घनशंकर बोर्डिंग एण्ड सोशियल वर्कर्स बनाम मैसूर राज्य और अन्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मत रहा कि "यह सोचना गिन्या धारणा है कि हमारे संविधान के अधीन अधिकारों की व्यवस्था है कर्तव्यों का नहीं, जबकि तीसरे भाग में प्रदान किए गए अधिकार मूल अधिकार हैं। चौथे भाग में दिए गए निर्देश देश के शासन में मूलभूत हैं। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में दिए गए उपबन्धों में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है, वे एक-दूसरे के पूरक हैं। चौथे भाग के उपबन्ध विधान-मण्डल और सरकार को नागरिकों पर विभिन्न कर्तव्य आरोपित करने योग्य बनाते हैं। संविधान का प्रदेश एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें हमारे राष्ट्रीय जीवन को समस्त समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्राणित करेगा। अगर हमारे नागरिकों के निम्नतम वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता तो संविधान में दी गई आशर्त और आकर्षण श्रुती सिद्ध होंगी।"

(ग) ये न्यायिक निर्णय, जिनमें मूल अधिकारों पर प्रतिबन्धों को स्थगित करने के लिए निर्देशक तत्वों का सहारा लिया गया—इस प्रकार के निर्णयों में न्यायालयों ने मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को महत्व दिया है। कुछ उल्लेखनीय मामले निम्नलिखित हैं—

1. 'एस. नारायण फुल्लैयी बनाम दी स्टेट ऑफ ट्रावन्कोर कोचीन' के मुकदमे में न्यायिक निर्णय में स्वीकार किया गया कि मर्यादित एक निर्देशक सिद्धान्त है जो अनुच्छेद 19(1) (अ) पर युक्तिपूर्ण निर्बन्धन अर्थात् प्रतिबन्ध लगाता है। मुकदमे में अनुच्छेद 19(1) छ के अनुसार कोई वृद्धि उपजाऊ, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर लगाए जाने वाले निर्बन्धों (प्रतिबन्धों) की वैधता का प्रश्न था।

2. 'जुगलकिशोर बनाम सेबर डामिनर' के मुकदमे में अनुच्छेद 19(1) (अ) पर लगाए जाने वाले युक्तिपूर्ण निर्बन्धनों के क्षेत्र का प्रश्न था। न्यायिक निर्णयों में स्वीकार किया गया कि जनहित में इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। न्यायालय ने इन प्रतिबन्धों का जिक्र करते हुए अनुच्छेद 41, 43 तथा 46 में दिए गए निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया।

न्यायालय का दृष्टिकोण समानानुसार बदलता रहा है अतः 25वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर अनुच्छेद 31-ग को जोड़ा गया। इसके दूसरे भाग में यह कहा गया कि यदि अनुच्छेद 39 (ख) और 39 (ग) में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए व्यवस्था की गई है (जिसमें यह घोषणा की गई है कि वह ऐसी नीति को प्रभावित करने के लिए है) तथा उसके कारण मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण में नहीं जा सके, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के 'केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य' वाले मामले के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31-ग के इस दूसरे भाग को अवैध ठहरा दिया। फलस्वरूप नागरिकों के लिए न्यायालय की शरण लेना सम्भव हो गया और न्यायालय यह जांच करने में सक्षम हो गया कि कोई कानून अनुच्छेद 39 (ख) एवं 39 (ग) में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 31-ग का पहला भाग वैध है जो कहता है कि 'अनुच्छेद 13 में किसी तत्व के न होते हुए भी कोई विधि जो अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावित करने वाली हो, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है उसे खानगी या न्यून करती है।' सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में 24वें, 25वें और 19वें संशोधन को वैध ठहराया (केवल अनुच्छेद 39-ग के दूसरे भाग को छोड़कर) इस मामले में अपना निर्णय देते हुए न्यायाधीशों हेगड़े और मुखर्जी ने कहा था—

"निर्देशक तत्वों के महत्व को कोई इनकार नहीं कर सकता है—संविधान का भाग 4 उस सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति को सृष्टि के लिए बनाया गया था जिसकी पूर्ति स्वतंत्रता के बाद होने की मांग थी। संविधान का उद्देश्य कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी देना से नागरिकों को ही नहीं, बल्कि सब नागरिकों को देना है। संविधान में हमारे समाज की कल्पना उसके सम्पूर्ण रूप में की गई और उसमें यह ध्यान रखा गया कि समाज का प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष स्वतंत्रताओं

में पाए जाते हैं; प्राण 4 की उपेक्षा करने का अर्थ है संविधान में उपस्थित शक्ति राष्ट्र को दिखाई गई आशाओं तथा उन आदर्शों की उपेक्षा करना है जिन पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। निर्देशक तत्वों का निष्ठापूर्वक चरित्र बनाए बिना संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति असम्भव है।”

कुछ नवीनतम न्यायिक निर्णय

‘रणधीर सिंह बनाम भारत सभ’ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि यद्यपि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, वरन् केवल निर्देशक तत्व है, किन्तु यह एक सौविधानिक लक्ष्य है और अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) है। राजन द्विवेदी बनाम भारत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्देशक तत्व प्रथमतः विधान-मण्डल और कार्यपालिका के लिए निर्देश (Directives) हैं किन्तु न्यायालय भी इस निर्देश से बाध्य है। न्यायालयों का यह परम कर्तव्य है कि वे संविधान का इस तरह निर्वहन करें ताकि निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किया जा सके और इनमें सामाजिक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत अधिकारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

निर्देशक तत्वों की आलोचना

प्रो. के. टी. शाह के अनुसार “राज्य नीति के ये निर्देशक तत्व एक ऐसे पैके के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।”¹ कुछ आलोचकों ने निर्माताओं की पवित्र भावनाओं और आकांक्षाओं का समझ-भार कहा है उन्हें ‘धोखे बचनों’ की सजा दी है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों की आलोचना में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

1. ये तत्व वाद योग्य नहीं हैं अतः इनके पीछे कोई बाध्यता नहीं है; यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन्हें कहीं तक लागू कराता है। ये राजनीतिक धोखेगा मात्र हैं।

2. इन तत्वों में वर्णित अनेक विषय अनिश्चित और अस्पष्ट हैं। उदाहरणार्थ, सभ-जवादी सिद्धान्तों में श्रमिकों और मालिकों के पारस्परिक सम्बन्धों की निश्चित व्यवस्था नहीं है और न ही राष्ट्रीय योजनाओं का कोई विवरण दिया गया है।

3. कुछ ऐसे तत्व बताए गए हैं जिनका पालन व्यवहार में असम्भव है, जैसे—मद्यनिषेध। इस प्रकार के तत्वों या सिद्धान्तों का अनुपालन न होने से अन्य सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा कम हो जाती है।

4. संविधान में कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना था। उदाहरणार्थ, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की थी, किन्तु 53 वर्षों के बाद भी सभे राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया है। इसी प्रकार उत्पादन और वितरण के साधनों की न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकी है।

5. निर्देशक तत्वों का संविधान में समावेश कुछ निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण किया गया था। देश के कुछ राज्यों की यह माँग थी कि संविधान में शिक्षा सम्बन्धी, विप्रेत सम्बन्धी और बेकारी सम्बन्धी अधिकारों को सम्मिलित कर लिया जाए तथा यथासम्भव उन्हें मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया जाए। राजनीतिक सतोंप एवं उनकी इच्छापूर्ति के लिए निर्देशक सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है।

6. कुछ निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अध्याय में रखना उचित था यथा—काम करने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा आदि।

7. संविधान-सभा में काँग्रेस का प्रचण्ड बहुमत था, अतः निर्देशक तत्वों पर काँग्रेस की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

8. मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में द्वन्द्व की स्थिति है।

9. निर्देशक तत्वों के सम्बन्धों में दिए गए न्यायिक निर्णय बदलते रहे हैं और नीकराशी तथा जनता के बीच तनाव के बिन्दु पनपते रहे हैं।

10. निर्देशक तत्वों के अध्याय में लक्ष्यों की चर्चा है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों की नहीं। जब तक साधन स्पष्ट नहीं होते हैं, तब तक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है।

11. आइब्रा जैनिंग्स के अनुसार निर्देशक तत्व किसी निश्चित और संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं हैं, ये समुचित रूप से क्रमबद्ध और धार्मिक नहीं हैं।

12. निर्देशक तत्वों की कार्यान्विति की प्रगति धीमी है, अतः संविधान में इन्हें स्थान देने की उपयोगिता सदेहास्पद हो जाती है। संविधान के लागू होने के 53 वर्षों के पश्चात् आज देश में व्याप्त गरीबी और विपन्नता की स्थिति सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न तथा आर्थिक विषमता की स्थिति नीति निर्देशक सिद्धान्तों के महत्व के आगे प्रश्न चिह्न खड़ा करती है।

13 अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि समस्त देश में एक सामान्य व्यवहार स्थापित होना चाहिए जिस मुसलमान अल्प धर्म के विपरीत मानत हैं तथा उसका प्रचलन विरोध कर रहे हैं।

निर्देशक तत्वों की उपलब्धियाँ

निर्देशक तत्वों की उपयोगिता सावधानिक महत्ता और पवित्रता निर्विवाद है जिनके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं—

(क) ये तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाने के लिए राज्य के माध्यम से हैं। संघर्ष का गुलामा और शोषण के बाद देश आजाद हुआ अतः आर्थिक और सामाजिक समृद्धि लाने में कुछ दशकों की योजना स्वाभाविक है।

(ख) निर्देशक तत्वों का कार्यनिर्वाह के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किए गए जन-हितकारी कार्य ऐसे प्रमाण हैं।

(ग) संविधान के पच्चीसवें संशोधन के बाद मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धान्तों में सुन्दर सम्मेलन हो गया है।

(घ) निर्देशक तत्व देश के कल्याण की भावना को दृष्टिगत रखकर संविधान में रखे गए हैं। ये तत्व प्रगतिशीलता के द्योतक हैं। इन पर वर्तमान में पूर्ण राष्ट्रीय सहमति का स्थिति है। देश के सभी राजनीतिक तन्त्र एक राजनीतिक ऋजुत्व इनकी उपयोगिता पर एकमत हैं।

(ङ) काम करने का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा आदि व निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों में गिनना जना इच्छित नहीं था कि भारत की आर्थिक स्थिति इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, अतः मांग-निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में हम संविधान में रखा जाना उपयुक्त है।

(च) नाति निर्देशक तत्वों के महत्त्व की उपलब्धियों के रूप में नहीं मानना चाहिए। उनका महत्त्व प्रमाण के माध्यम से आर माध्यमिक प्रकाश-मन्त्र के रूप में है।

(छ) भारतीय जनता का बहुमत इनका साथ एकदम से हुआ है। वह इनका प्रति विश्वास तथा आश्रयित है।

(ज) निर्देशक सिद्धान्त सार्वभूमिक दल के लिए व्यवहार की नियमवली (Code of Conduct) है जो विश्वास दिलाने के लिए चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ नहीं न हो वह जनता के कल्याण के लिए इन सिद्धान्तों के अनुसरण करनी चाहिए। यदि कोई सरकार अपने शक्ति में इन सिद्धान्तों का अत्याचार करती तो उसे न केवल विधान-मंडलों में बल्कि सम्पूर्ण देश में प्रचलन विरोध का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए सत्तारूढ़ बन रहना कठिन हो जाएगा। हम की परंपरा के अनुसार इन हितकारी परिणामों से डरते हुए कोई सत्तारूढ़ दल निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं कर सकता, ये उनके व्यवहार की नियमवली हैं।¹

(झ) राज्य नाति के निर्देशक सिद्धान्त इस दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण है कि ये भारत में वास्तविक लोकतन्त्र के विकास का विश्वास दिलाने हैं। इनका मूल उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतन्त्र का स्थापना करना है तद्वि राजनीतिक लोकतन्त्र स्थिर बन सके।

(ञ) कम्पना नाति के अभाव के कारण इनके पीछे भारतीय जनमत की शक्ति है।

(ट) निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रचलित अर्थों के अनुसार, "भारतीय संविधान प्रथम और शोचनीय रूप में एक सामाजिक दस्तावेज है। इसके अधिकांश उपबन्ध या तो प्रत्यक्ष सामाजिक क्रान्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दशाओं का स्वयंसेवा करत हुए सामाजिक क्रान्ति के तत्वों का उद्घाटन कर लिये या साथे उपयुक्त हैं या सम्पूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का भाव्य व्यक्त होत हुए भा सामाजिक क्रान्ति के लिए बलवत्कृत कर जा मग है वह भाग 3 और 8 के मूल अधिकारों तथा राज्य का नाति के निर्देशक तत्वों में है। ये संविधान का भाग है।"

(ठ) 25वें तथा 42वें संविधान संशोधनों ने नाति निर्देशक सिद्धान्तों के महत्त्व का असंगत रूप से दृष्टिगत कर दिया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दृष्टि नाति-निर्देशक तत्व व्यापकताओं द्वारा प्रवर्तन नहीं है, किन्तु उनकी संवैधानिक महत्ता एवं पवित्रता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है।

(4) भारतीय संघवाद : संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

(Indian Federalism : The Union and Its Territory)

संविधान के भाग-1 के प्रथम तीन अनुच्छेदों में संघ और उसके राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख है। तदनुसार—

संघ का नाम और राज्य क्षेत्र—भारत (India) राज्यों का एक सभ है। इसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किए गए हैं। भारत के दू भाग में राज्यों के राज्य-क्षेत्र और सभ राज्य क्षेत्र, जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किए गए हैं तथा दूसरे राज्य-क्षेत्र जो अंकित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।¹

नए राज्यों का प्रवेश—संसद विधि द्वारा ऐसे निर्वचनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, सभ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।²

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना—संसद विधि द्वारा—(क) किसी राज्य से उसका प्रवेश अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्य³ या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नवीन राज्य बना सकेगी, (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, (घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी, (ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी। इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद के किसी सदन में तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश न हो। यदि विधेयक किसी राज्य के इकट्ठे, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उस विधेयक को उन प्रभावित राज्यों के विधान-मण्डल को निर्दिष्ट करे ताकि वे उस पर अपने विचार प्रकट करने में समर्थ हो सकें।⁴ किसी नए राज्य को सम्मिलित करने अथवा वर्तमान राज्य की सीमाओं को बदलने के बाद संसद साधारण बहुमत से और विधान के सामान्य क्रम में, संविधान में सभी अनुसूचित परिवर्तन कर सकती है।⁵ पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए संसद का अधिनियम संविधान का संशोधन समझा जाएगा।⁶ चन्द्रनगर 9 जून, 1952 की एक सभ के आधार पर फ्रांस द्वारा भारत को अर्पित किया गया और यह भारत का अंग बन गया। आन्ध्र राज्य अधिनियम, 1953 द्वारा मद्रास राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया।

अपने राष्ट्र का कोई भाग किसी विदेशी राष्ट्र को अर्पित करना—भारत और पाकिस्तान के बीच मेरुवारी युनिनन न. 12 के विभाजन और पुराने कृष्ण-बिहार क्षेत्र के विनियम के सम्बन्ध में कटार हुआ। इसको लागू करने में यह संदेह उठा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार एक संसदीय कानून द्वारा वैधानिक कार्यवाही उपेक्षित है अथवा संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन अपेक्षित है। उच्चतम न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि मामला सीमा-निर्धारण का नहीं बल्कि एक भारतीय भू-भाग के अर्पण या हस्तान्तरण का है अतः संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 को संशोधित करने वाला कानून पारित करना चाहिए ताकि किसी विदेशी राज्य के पक्ष में भारत के किसी भू-भाग के अर्पण के मामले उसमें शामिल हो जाएँ। इस पर संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, 1960 के द्वारा सीमा-विवाद सम्बन्धी 10 सितम्बर, 1958, 23 अक्टूबर, 1959 और 11 जनवरी, 1960 को हुए भारत-पाकिस्तान समझौतों की शर्तों को कार्यान्वित करने और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तान्तरण करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया।⁶

भारतीय संघ के राज्य—भारत संघ के क्रमिक विकास के साथ राज्यों की संख्या बढ़ी है। इसका प्रारम्भ 1 नवम्बर, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से हुआ। वर्तमान में भारत 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित क्षेत्रों का एक सभ है।

भारतीय सघवाद की प्रकृति : सिद्धान्त और व्यवहार
क्या भारत एक सभ है?

(The Nature of Indian Federalism : Theory & Practice
Is India a Federation?)

भारतीय सभ की प्रकृति के सम्बन्ध में विभिन्न सविध-संवेत्ताओं राजनीतिक टीकाकारों समीक्षकों तथा शोधकर्ताओं ने अपने दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। संविधान में भारत 'राज्यों का सभ (Union of States)' कहा गया है किन्तु भारतीय सघवाद विद्वानों के लिए एक प्रश्न-चिह्न बना हुआ है। इसका कारण यह है कि भारतीय सघवाद अपनी

- 1 भारत का संविधान (सर्वतृतीय संस्करण) अनुच्छेद 1, पृ. 1
- 2 पूर्वोक्त अनुच्छेद 2 पृ. 1
- 3 पूर्वोक्त अनुच्छेद 3 पृ. 1 एवं 2
- 4 भारत का संविधान (सर्वतृतीय संस्करण) अनुच्छेद 4(1), पृ. 2
- 5 पूर्वोक्त अनुच्छेद 4(2) पृ. 3
- 6 सुभाष काश्यप पूर्वोक्त पृ. 355

प्रकृति में अनोखा है। इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। समय और आवश्यकता के अनुमत यह अपने स्वप्न में शिथिल और कठोर हो जाता है, शक्तिशालि में सघन प्रभावी रहता है आमतौर पर एकामक स्वरूप गह्रा कर लेता है। सविधान-निर्माताओं ने देश के अंदर को ध्यान में रखकर एक विशिष्ट प्रकार के सघनवाद को जन्म दिया जो ससदीय प्रणाली के प्रमुख लक्षणों को और एकामक शासन-व्यवस्था के गुणों को अपनाकर हुए है। एच. बी. पाटमकर के अनुसार "हमने सघन ढाँचे को बनाए रखा है, लेकिन उसकी अन्तर्वर्तु में परिवर्तन कर दिया है।" सविधान-गमा में देश की शासन-व्यवस्था के स्वरूप पर खुलकर बहस हुई और एक ऐसा सविधान अपनाया गया जो 'स्वल्प में सघनक, किन्तु आत्मा में एकामक' है। सविधान-सभा में डॉ. राजगुप्त की टिप्पणी थी कि "भारतीय सघन न तो सघनक है न एकामक।" कुछ सदस्यों का मत था कि सविधान में सघनक सिद्धान्त को हल्ला कर दी गई है। कुछ के द्वारा यह तर्क दिया गया कि भारत का सविधान 75 प्रतिशत एकामक और 25 प्रतिशत सघनक है।

भारतीय सविधान में सघनक और एकामकता का सम्बन्ध—भारतीय सविधान स्वरूप में सघनवाद के प्रमुख लक्षण प्रकट किए गए हैं, किन्तु एकामकता की ओर उसका झुकाव है। भारतीय सघन की विशेषताओं को निम्नतुम्पर रखा जा सकता है—

1. लिखित और सर्वोपरि प्रलेख के रूप में—सघनीय सिद्धान्त के अनुरूप भारतीय सविधान 'लिखित का सबसे बड़ा और लिखित सविधान' है। यह देश की सर्वोपरि विधि है और सविधान के उपबन्ध जो सघनीय व्यवस्था में व्यवस्था रखते हैं, कम से कम अपने राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तित या सशोधित नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार सविधान अमेरिका के सविधान की भाँति न कठोर है और न ब्रिटिश सविधान की भाँति लचीला है। सविधान की प्रथम प्रक्रिया (संसद के साधारण बहुमत द्वारा सशोधन लाने वाली) सविधान की सुपरिर्वर्तनीयता का दोषक है और शेष दोनों प्रक्रियाएँ (संसद के विशेष बहुमत वाली तथा संसद के विशेष बहुमत के साथ अपने राज्यों की स्विकृतिकर वाली) सविधान की सुपरिर्वर्तनीयता को प्रकट करती हैं। इस प्रकार लचीलेपन और कठोरता के आदर्श का सम्बन्ध किया गया है।

2. दोहरी शासन प्रणाली—सघनक शासन-व्यवस्था के अनुरूप भारतीय सविधान में दो प्रकार की सरकारों और दोहरे शासन-तंत्र की व्यवस्था है। सघन का शासन केन्द्र तथा राज्यों से चलाया जाता है और दोनों सरकारों का शासन तंत्र अलग है, लेकिन यह विशेषता पूर्ण तरह सघनक नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा एकामकता का लक्षण उपस्थित करती है।

3. शक्तियों का विभाजन—सघनीय सिद्धान्त के अनुरूप केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीन सूचियों—सघन सूची, राज्य सूची तथा सन्तरी सूची का निर्माण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को सौंपी गई हैं। सिद्धान्त रूप में यही लगता है कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि है और एक-दूसरे की सहयोगी है। सघन-सूची के विषयों पर संसद का और राज्य-सूची के विषयों पर राज्य विधान-मण्डलों का अनन्य क्षेत्राधिकार है। सन्तरी सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधान-मण्डल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन बान्धकता यह है कि शक्तियों के इस विभाजन में केन्द्र को शक्तिशाली बनाकर एकामकता की प्रकृति अपेक्षित की गई है। सघनीय सिद्धान्त के अनुकूल शक्ति-विभाजन इस तरह किया जाता चाहिए कि केन्द्र की शक्तियों को गिना दिया जाए और अवशिष्ट शक्तियाँ इकट्ठी में निहित की जाएँ, केन्द्र को इतनी अधिक शक्तियाँ भी न दी जाएँ कि राज्यों के पास कुछ नहीं रहे जैसा कि संयुक्त सोवियत सघन में किया गया था। भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति-विभाजन के इन मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। इनमें महत्वपूर्ण शक्तियाँ सघन सूची में हैं तथा विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय संसद को राज्यों के अनन्य क्षेत्र में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद राज्यों के अनुपप पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है तथा जो विषय दोनों में से किसी सूची में नहीं आते उन पर संसद को शक्ति प्राप्त है। सघनीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में किसी सूची के किसी विषय पर पहले वह राज्य-सूची में ही संसद कानून बना सकती है। विधान बनाने में हर प्रकार से संसद की सर्वोप्यता पर बल दिया गया है। राज्य का कानून ठाँकी सीमाओं से बाहर लागू नहीं हो सकता जबकि संसद का कानून न केवल सारे भारत में बल्कि उसके बाहर भी प्रभावी हो सकता है।¹ यदि संसद किसी ऐसे विषय पर कानून बनाती है जिसको उसे शक्ति प्राप्त है और उसी विषय पर किसी राज्य द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह संसद के कानून के प्रतिकूल है तो संसद का कानून ही प्रभावी होगा, जिस सीमा तक राज्य का कानून ससदीय कानून के प्रतिकूल है, तब तक वह प्रभावी नहीं हो जाएगा।² इस नियम का एक अपवाद है कि "यदि सन्तरी सूची के किसी विषय पर किसी राज्य का कानून संसद के किसी पहले कानून के प्रतिकूल हो, तो वही प्रभावी होता है, बशर्ते कि वह राष्ट्रपति के विचार के निरूपण पर

1 अनुच्छेद 245, चौत एव सशोधन. पूर्वक, पृ. 2

2 अनुच्छेद 245(1); चौत एव सशोधन: पूर्वक, पृ. 4

रखा गया है और उस पर राष्ट्रपति को अनुमति मिल गई हो परन्तु इस विषय में संसद चाहे तो राज्य विधान-मण्डल द्वारा वास किए गए कानून में संशोधन कर सकती है और चाहे तो उसका निरसन (Repeal) कर सकती है।¹ पुनश्च जब आपात उद्घोषणा लागू हो तो संसद की विधायी क्षमता इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह राज्य-सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। शक्ति-विभाजन अपने ढाँचे में सप्तात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति लिए हुए है और संविधान की सखलता एकात्मकता का द्योतक है।

4 स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका—सप्तात्मक व्यवस्था की माँग के अनुरूप भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो संविधान की संरक्षक है। देश का उच्चतम न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, केन्द्र और राज्यों के विवादों का निरद्वारा करने वाला और संविधान का व्याख्याकर्ता है किन्तु यहाँ संविधान का एकात्मक संरक्षण बना रहता है क्योंकि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक नहीं रहता जबकि अमेरिका में संवैधानिक परिस्थिति के दौरान वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक बना रहता है। हमारा संविधान न्याय की दोहरी व्यवस्था स्थापित नहीं करता अर्थात् ऐसा नहीं है कि केन्द्र और राज्य न्यायालयों के अपने उच्चतम न्यायालय हों और सौवैधानिक मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों की अपील केन्द्र के उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सके। भारत का संविधान एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है जिसमें सौवैधानिक मामलों के अतिरिक्त दोहरी और सौवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध (विशेष शर्तों को पूरा करने के उपरान्त) अपील की जा सकती है। संविधान की सप्तात्मक प्रवृत्ति इससे स्पष्ट होती है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सारे देश के लिए एक ही दण्ड-महिता और प्रक्रिया महिता है।

5. राज्यपालों की नियुक्ति—राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (अनुच्छेद 155, 156) और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमण्डल के प्रति नहीं परन्तु राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता है। कुछ विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है² और अन्य में वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है।³ ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान की उक्त व्यवस्था सृष्टीय सिद्धान्त के प्रतिवृत्त है और इससे राज्यों की स्वायत्तता पर आघात पहुँचता है लेकिन यह आरोप उचित नहीं है क्योंकि राज्यपाल एक सौवैधानिक प्रमुख है जो सर्वदा मन्त्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करता है। व्यवहार में ऐसे उदाहरण नगण्य हैं जबकि राष्ट्रपति ने राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कानूनों पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। केरल एजुकेशन बिल में केन्द्र ने पहले उच्चतम न्यायालय को परामर्श प्राप्त किया था उसके पश्चात् ही उसमें उचित संशोधन के लिए राज्य विधान मण्डल को पुनः विचारार्थ भेजा था।⁴ राज्यपाल 'केन्द्रीय एजेंट' या अधिकारों के रूप में अपनी भूमिका का मुखरित रूप से निर्वाह करता है।

6 आपातकालीन स्थिति—आपातकाल में केन्द्र की शक्तियों में भारी वृद्धि हो जाती है। केन्द्र आपातकाल में राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है। युद्ध और राष्ट्रीय आपात काल में केन्द्र की शक्ति में वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर राज्यों की स्वायत्तता को स्थगित किया जा सकता है और इस दिशा में राष्ट्रपति राज्य का सारा कार्य अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से चला सकता है।⁵ राष्ट्रपति वितीय आपात की घोषणा करके राज्यों के वितीय क्षेत्र में संसद का नियंत्रण स्थापित कर सकता है और सभी पदाधिकारियों के वेतनों में कटौती कर सकता है। आपातकाल में जब आवश्यक हो राष्ट्रपति सच तथा राज्यों में शक्ति-विभाजन को परिवर्तित कर सकता है।

7. नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने की संसद की शक्ति—संविधान का अनुच्छेद 3 संसद की नवीन राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों को बदलने की शक्ति देता है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व केन्द्र की इच्छा पर निर्भर है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर आघात पहुँचाती है।

8. इकाईयों (राज्यों) के मुख्य संविधान का अभाव—अमेरिकन और जिस सघोष व्यवस्थाओं के विपरीत भारत की संघीय व्यवस्थाओं में राज्यों के लिए मुख्य संविधान नहीं है। यद्यपि जम्मू और कश्मीर की स्थिति अनुच्छेद 370(2) के कारण अपवाद है, तथापि इसका संविधान भारतीय संविधान के मुख्य ढाँचे के विपरीत नहीं हो सकता है। यह संविधान

1 अनुच्छेद 254(2) काल एवं शब्दार्थ; पूर्वोक्त पृ 2

2 अनुच्छेद 201(3) 258(2) और (31)

3 अनुच्छेद 163

4 जयनारायण राष्ट्रीय पूर्वोक्त पृ 33

5 मुख्य कार्य; पूर्वोक्त पृ 346

देश को समूची शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। संविधान का भाग 6 (अनुच्छेद 152 से 237) राज्यों के प्रशासनिक ढाँचे की व्यवस्था करता है।

9. इकट्ठी नागरिकता और एक राष्ट्रध्वज—संविधान देश भर में एक नागरिकता और एक राष्ट्रध्वज की व्यवस्था करता है। अमेरिका की भाँति संघ की इकाइयों (राज्यों) की कोई पृथक् नागरिकता नहीं है। 'भारतीय नागरिकता' का यह तत्व 'एक देश एक लोग' (One Country One People) के आदर्श की पूर्ति करता है और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बल प्रदान कर क्षेत्रीय भावना को निर्मूल बनाता है।

10. द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं—भारत में संघीय व्यवस्था की परम्परागत विशेषता को नहीं अपनाया गया कि द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। भारत में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में है, अतः बड़े राज्यों से अधिक और छोटे राज्यों से कम प्रतिनिधित्व निश्चित किए गए हैं।

11. संविधान की एकात्मकता बढ़ाने वाले कुछ अन्य सौविधानिक तत्व—(i) देश में संघीय भू-भागों अथवा केन्द्र-शासित प्रदेशों की स्थिति ऐसी है जैसे एकात्मक राज्यों में उनके प्रदेशों की होती है। संघीय भू-भागों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। वह इन क्षेत्रों के प्रशासकों को नियुक्ति अपने ऐजेन्ट के रूप में करता है। सदन को अधिकार है कि वह किसी भू-भाग के लिए उचित व्यवस्था करे। अर्द्धमान-निरोधक, लक्षदीप, गिनिकाय और अर्धनदीय द्वीपों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति को विनियमों (Regulations) के निर्माण का अधिकार है जिन्हें ससदीय कानून जैसी मान्यता प्राप्त होती है।

(ii) अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का क्याण राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। उसे विशेष आयोग नियुक्त करने का अधिकार है जो अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करके अपने मुझावों सहित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इन जातियों और वर्गों के क्याण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे।

(iii) सम्पूर्ण भारत के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था एकात्मकता के तत्व को सम्बन्ध प्रदान करती है।

(iv) एकात्मक व्यवस्था वाले देशों की भाँति सारे देश की वित्तीय शासन व्यवस्था को भारत में निष्पन्नक महानेखा परीक्षक के अधीन रखा गया है।

(v) राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है जो केन्द्र और राज्यों के राजस्व वितरण के मुझाव देता है।

(vi) एकात्मक शासन-व्यवस्था के अनुरूप भारत में राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को समन्वयकारी शक्ति प्राप्त है। इसी उद्देश्य से केन्द्र को अन्तर्राज्यिक परिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया है।

(vii) संविधान में संशोधन के फलस्वरूप एकात्मकता के तत्व जुड़ते रहे हैं।

(viii) क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था—क्षेत्रीय परिषदों और प्रादेशिक समितियों के माध्यम से केन्द्र राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यप्रणाली पर धरती नियन्त्रण रखा है। देश में राज्य और संघीय क्षेत्र (उन्हें छोड़कर जो कि पूर्वोत्तर प्रदेश में है) कई क्षेत्रों में बाँट दिए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सलाहकार सभा होती है जिसे 'क्षेत्रीय परिषद' कहा जाता है। क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों और संघीय क्षेत्रों के समान हितों पर विचार-विमर्श का अग्रसर भित्ता है। उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चण्डीगढ़ और दिल्ली संघीय क्षेत्र शामिल हैं। मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल हैं। गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोआ राज्य, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघीय क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघीय क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्रीय परिषद की तरह एक संस्था है जो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जैसे राज्यों के समान हित के मामलों पर विचार करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केन्द्रीय मंत्री को नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 371 को संशोधित करके आन्ध्र प्रदेश और पंजाब के विधान-समझौतों में प्रादेशिक समितियों की व्यवस्था की गई है, जिनके गठन, कार्य आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

12. वादा सौविधानिक तत्व—भारत में सघवाद और एकात्मकता के सम्बन्ध को दर्शाने वाले तीन बड़ा सौविधानिक तत्व हैं—

(i) भारत की एक सघीय राज्य व्यवस्था का केन्द्रवाद की ओर हड़ान योजना आयोग से प्रकट है जो कि एक सविधानेतर सम्यो है। अनेक चन्दा के अनुसार "योजना न भारत में लोकतन्त्र और सघवाद दोनों को भात दे दी है।" योजना आयोग ने केन्द्र की शक्तिगतों में भारी वृद्धि की है।

(ii) राष्ट्रीय विकास-परियोजना का स्थापना योजना आयोग की प्रति एक प्रशासकीय आदेश द्वारा हुई है तथापि इसके फैसलों का प्रभाव भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पर पड़ता है। दोनों सरकारों इसके फैसलों को मानती है। यह अन्तर्गत लगाया जाता है कि इस परिषद का उपयोग राज्यों के मुख्यमन्त्रियों पर दबाव डालने के लिए किया जाता है।

भारत का सविधान न तो विशुद्ध सघातक और न विशुद्ध एकात्मक, बरिक्त दोनों का सम्मिश्रण है।¹ यह अपने ढंग का अनाछा सघ है जो इस भिन्नता को प्रतिष्ठापित करता है कि सघवाद के बावजूद देश का हित सर्वोपरि है। यह अमेरिकी सघीय सविधान की अपेक्षा कनाडा के सविधान के समीप है। भारत में केन्द्र राज्य सम्बन्धों को इस प्रकार स विरुद्धित किया जा सकता है—(क) सविधान की व्यवस्थाएँ—(i) विधायी सम्बन्ध (ii) प्रशासनिक सम्बन्ध (iii) वित्तीय सम्बन्ध (iv) न्यायिक सम्बन्ध (ख) जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्था (ग) आयेजग में केन्द्र राज्य सम्बन्ध (घ) केन्द्र राज्य सम्बन्धों का मूल्यकन (ङ) क्या राज्यों का स्थिति नगरपालिकाओं जैसा है? (च) केन्द्र राज्य विज्ञान के मुख्य वर्णन और (छ) केन्द्र राज्य मतभेदों को दूर करने के लिए मुद्दाव।

(क) सविधान की व्यवस्थाएँ

(i) विधायी सम्बन्ध (Legislative Relations)

सविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक भारतीय सविधान में केन्द्र राज्य सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए विधायी शक्तिदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—1 विधान-विस्तार की दृष्टि से 2 विधान-विषय की दृष्टि से।

विधान विस्तार की दृष्टि से—राज्य-क्षेत्र के सदर्थ में अनुच्छेद 245 यह उपबन्धित करता है कि इस सविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ससद भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उनके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा तथा किसी राज्य का विधान-मण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के भाग के लिए विधि बना सकेगा। छण्ड (2) यह उपबन्धित करता है कि ससद द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण स अमान्य नहीं समझी जायेगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर लागू होती है। ए आई वर्डिया बनाम इन्वम टैक्स कमिश्नर बम्बई² के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रभुसत्ता सम्बन्ध विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि को देश के न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं ली जा सकती है कि वह भारत राज्य-क्षेत्र के बाहर लागू होती है। ऐसा विधान जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर सकता है विदेशों न्यायालय द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता था। उन्हें लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं लेकिन ये सब नीति के प्रश्न हैं जिन पर देश के न्यायालयों में विचार नहीं किया जा सकता है।³ ससद की विधायी शक्ति एक परिपूर्ण (Plenary) शक्ति है। सविधान में उपबन्धित परिशोमाओं के अधीन विधान-मण्डल को भूतलक्षी और भविष्य-रक्षी शक्तों प्रकार की विधियों को बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।⁴ भारतीय सविधान में शक्तियों के वितरण की योजना और वितरण के सिद्धान्त 1935 के भारत सरकार अधिनियम के समान ही हैं। 1935 के अधिनियम में तीन सूचियाँ का समावेश किया गया था—सघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची।

(i) संघ सूची (Union List)—इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे जा गए हैं, जिनका महत्त्व अखिल भारतीय है या जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं और जिन पर सघीय सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं जिनमें प्रमुख हैं—भारत की सुरक्षा, देशीयकरण, सैन्य, अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारूद, परमाणु शक्ति, नैदेशिक राज्य, राजनयिक सम्बन्धों रेलें, देशी जल-मार्गों पर जहाजगामी तथा नौ परिवहन, वायुमार्ग डाक एव तार, टेलीफोन एव टेलीग्राफ, मुद्रा निर्माण, लाक ऋण, विदेशी ऋण, भारत का रिजर्व बैंक, विदेशी व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव वाणिज्य नियमन तथा उनका विनियमन, आयात-निर्यात, तन्पाकू एव अफीम आदि पर महसूल, बैकिंग, बीमा, शेष काजग, तोन तथा अन्य मार्गों के प्रतिमानों को निर्धारित करना, उद्योग-नियन्त्रण, खानों खनिज पदार्थों तथा रेल ससाधनों का विनियमन तथा विकास, राष्ट्रीय सघालयों का आरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक, भारत का सर्वेक्षण, सघीय लोक सेवाएँ, ससद एव राष्ट्रपति के निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जकागणन, शान्ति निकतन, सोमा शुल्क तथा निर्वात शुल्क, निगम बर, उत्पादन शुल्क, सम्पदा

1 भारतीय सरकार एवं एजनीवि छण्ड 1 पृ 130

2 Jennings Some Characteristics of Indian Constitution p 63

3 ए आई आर 1925 फैडरल कोर्ट, 1825

4 जन्मरापण पाण्डेय : भारत का सविधान 1985 पृ 394

5 बरी पृ 374 सविधान गौधी बनाम एजनाएरण ए, आई आर 1975 सुधीम कोर्ट, 2229 आन्ध प्रेश सरकार बनाम हिन्दुस्तान

मशीन टून्स ए आई आर 1957 सुधीम कोर्ट, 2037

शुल्क, समाचार-पत्रों के द्रव्य-विक्रय पर कर, अलीगढ़, बनारस एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है।

(2) **राज्य सूची (State List)**—राज्य सूची में 66 विषय हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। राज्यों की विषयी शक्ति के क्षेत्र में प्रमुख विषय हैं—सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल तथा सुधारालय, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, मादक पेय, शिक्षा, पुस्तकालय, अनाजवपन, कृषि, सिंचाई, पशु-पालन, मछली व्यवसाय, अस्पताल एवं औषधालय, जंगली पशुओं की रक्षा, ग्राम सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, गैस एवं गैस-निर्माण, मण्डियों और मेलों, साहूकार, राज्यगत व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि आवक कर, भूमि कर, मनोरंजन कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, स्थानीय क्षेत्र के माल पर प्रवेश कर, समाचार-पत्रों को छोटकर अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर, विज्ञान पर कर, व्यापार-कर, वस्तुओं की उत्पत्ति और उनका वितरण, नाटकपर आदि।

(3) **समवर्ती सूची (Concurrent List)**—इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व के 47 विषय सम्मिलित हैं। इस सूची में प्रमुख मदें हैं—फौजदारी कानून एवं प्रणाली, व्यवहार प्रणाली निवारक निरोध, क्लाइड और विवाह-विच्छेद, दिवालियापन तथा ऋण शोधन समिति, पागलपन, ठेके और साझेदारी, मजदूर सभ, आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन, सामाजिक सुरक्षा और बीमा, शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास, छात्र पदार्थों में मिलावट, राजगार और बेरोजगारी, विधि और विधायी जन्म-मरण के आंकड़े, श्रम-कल्याण, मूल्य-नियंत्रण, कारखाने, बिजली, समाचार पत्र, पुस्तकें तथा मुद्रणालय आदि। संविधान का तृतीय संशोधन (1954) द्वारा समवर्ती सूची के तृतीय विषय 'व्यापार-वाणिज्य' का अर्थ निश्चित और व्यापक करते हुए उसमें स्पष्ट रूप से आवश्यक वस्तुओं के व्यापार-वाणिज्य का समावेश कर दिया गया है। समवर्ती सूची में ये विषय हैं जिन पर समस्त देश के सामान्य कानून को होना चाहनीय है, किन्तु अनिवार्य नहीं, इसलिए इन विषयों को केन्द्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सातवीं अनुसूची को संशोधित किया गया है। तदनुसार 'सभ सूची में सभ और सशस्त्र बल पर सभ का नियंत्रण' विषय जोड़ा गया है और राज्य से 'शिक्षा' को निकालकर समवर्ती सूची में समाविष्ट कर दिया गया है ताकि शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जा सके।

(4) **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)**—जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है वे अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत प्रदान की गई हैं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं। भारत में इस व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र ऐसे कर लगा सकता है जिनका राज्य और समवर्ती सूचियों में उल्लेख नहीं है। सभ सूची के विषयों पर निर्मित विधि के उपयुक्त प्रशासन की दृष्टि से संसद नये न्यायलय स्थापित कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह किसी देश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सभ्या से की गई संधि, कर अथवा उपसन्धि की क्रियान्विति के लिए आवश्यक विधि-निर्माण कार्य कर सकती है।

विषयी शक्तियों का समीक्षणत्मक अध्ययन : संधीय सर्वोच्चद्वारा—शक्ति-विभाजन को उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि भारत में कनाडा के संविधान में समाविष्ट सबल केन्द्र की प्रणाली का अनुसरण किया गया है। यह निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध है—

1. साधारणतया जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं वे केन्द्र को तथा स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को सौंपे गए हैं। समवर्ती सूची के विषय केन्द्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखे गये हैं, किन्तु दोनों सरकारों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति (Conflict) की स्थिति में केन्द्रीय विधि मान्य होती है। नियम का एक अपवाद है और वह यह है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर किसी राज्य का कानून संसद के किसी पहले कानून के प्रतिद्वन्द्व हो तो वह प्रभावी होता है, बशर्ते कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए अर्पित रखा गया हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी हो, परन्तु इस विषय में संश्लेषण चाहे तो राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित कानून में संशोधन कर सकती है और चाहे तो उसका परिवर्तन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। [अनुच्छेद 245(2)]

2. संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून इस प्रकार अमान्य नहीं हो सकता है कि वह भारत राज्य-क्षेत्र से बाहर लागू होता है। कोई राज्य अपने-आप क्षेत्रीय (उस राज्य-क्षेत्र से बाहर) विधि नहीं बना सकता। राज्य की विधायिनी शक्ति का विस्तार राज्य-क्षेत्र तक सीमित है।

3. कुछ अनपार्यों को छोड़कर संसद निर्मित विधियों और राज्य विधान-मण्डलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति की स्थिति में संसद निर्मित विधि प्रभावी होती है।

4. कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान के अन्तर्गत संसद को राज्यों के अन्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। उदाहरणार्थ, जब राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत विशेष बहुमत से संकल्प प्राप्त करने पर संसद कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विशिष्ट विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक या अनिवार्य है।

तो शासक उस विषय पर कानून बना सकती है। आपात उद्घोषणा के दौरान शासक की विधायी शक्ति है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है।

5 शक्ति-सूचियों की व्याख्या में छठे विधायन के सिद्धान्त (Doctrine of Colourable) का महत्व है। यदि संविधान केन्द्र और राज्यों में विधायन शक्ति का विभाजन करता है और मूल अधिकार रूप में उन पर आवश्यक सीमाएँ निर्धारित करता है जैसे हमारे संविधान के अन्तर्गत है तो ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या विधायिका ने इस शक्ति के प्रयोग में संविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है या अपनी शक्ति से बाहर कार्य किया है? इस प्रकार का अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। यद्यपि विधायिका किसी कानून में अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करती है तथापि यद्यपि में वह संविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करती है। ऐसे प्रत्यक्ष विधायन को छठे विधायन कहते हैं। ऐसे मामलों में अधिनियम का सार (Substance) महत्वपूर्ण होता है उसका बाह्य रूप या आकृति (Form) नहीं। यदि किसी विधान की विषय-वस्तु सारतः उस विधान-मण्डल की शक्ति के बाहर है तो उसका बाह्य रूप उसे न्यायलय द्वारा अमान्य घोषित करने से नहीं बचा सकेगा। विधानमण्डल अप्रत्यक्ष या पराक्ष तरीका अपनाकर संविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। कम्पेन्सरीस बराम बिहार के वाद में इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का विवरण है जिसमें छठे विधायन के सिद्धान्त पर किसी अधिनियम को अवैध घोषित किया गया है। इसमें बिहार लेण्ड्स एक्ट, 1950 की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी।

6 सप्त सूची में कुछ प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जिनमें शासक को अधिकार है कि वह कानून द्वारा आवश्यक घोषणा करने के बाद राज्यों के क्षेत्र के कार्य या विषय अपने हाथ में ले ले। केन्द्रीय सरकार की नियंत्रण शक्ति को बढ़ाकर सभ्य सम्बन्धों का स्थिति की गई है। सप्त सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रख सकती है। इनमें उल्लेखनीय है—राज्य विधानसभाओं के चुनाव शासक के नियंत्रण में हैं और राज्यों के संसदों की जांच केन्द्र का विषय है।

7 शासक किसी देश के साथ की गई सन्धि कारा या अधिसमय किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सभा में किए गए निर्णय को लागू करने के लिए कानून बना सकती है चाहे उसका विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता हो। जब अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य विरोध के शासन को अपने हाथ में ले लेता है तो राज्य विधान मण्डल के अधिकार शासक को प्राप्त हो जाते हैं।

8 सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से सप्त की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम भारतीय सभ्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल की सरकार के राज्यों की सम्पत्ति के अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत विषयों पर दावे को अमान्य करते हुए शासक की शक्ति को वैध ठहराया है।

9 संविधान के कुछ संशोधनों ने शासक की विधायी शक्तियों को बढ़ाया है। उदाहरणार्थ 24वें संशोधन ने गोलकुण्डा मामले को दूर नहीं किया वरन् शासक की संशोधन शक्ति को और विस्तृत करने के लिये ये शब्द जोड़ दिये कि संशोधन की शक्ति में किसी उपबन्ध के जोड़ने परिवर्तित करने और निश्चित करने की शक्ति सम्मिलित है।

(ii) प्रशासनिक सम्बन्ध (Administrative Relations)

संविधान के भाग 11 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से 263 तक केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों की चर्चा की गई है। केन्द्र को राज्यों की तुलना में कर्तव्य और दायित्व सौंपे गये हैं। संविधान की धारा 73 के अनुसार केन्द्र की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक सीमित है जिन पर शासक को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार है। यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन विषयों पर राज्य विधान मण्डल और शासक को विधि-निर्माण की शक्ति है उनमें राज्य को कार्यपालिका शक्तियाँ सप्त की उन कार्यपालिका शक्तियों से परिष्कृत रहेगी जो संविधान द्वारा अथवा किसी संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त हैं। यह अनुच्छेद जम्मू करमौर राज्य के लिए लागू नहीं है।¹

भारत में प्रशासन के लिए केन्द्र और राज्य-स्तरीय पर अलग-अलग सम्पूर्ण अधिकारों की स्थापना नहीं की गई है। एक ओर राज्यों का यह उदात्तदायित्व है कि वे सभ्य कानूनों को लागू करें और दूसरी ओर सभ्य सरकार को अधिकार है कि राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश के चहुँमुखी विकास में सप्त और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाकर तथा दोनों सरकारों को एक होकर कार्य करने की प्रेरणा देना है। केन्द्र राज्य प्रशासन सम्बन्धों को अमलस्थित भागों में बाँट सकते हैं—

(1) सभ द्वारा राज्यों को निर्देश—सभ सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था सघीय सिद्धान्त के विरुद्ध है और भारतीय संविधान को छोड़कर अन्य सघीय संविधान में नहीं पाई जाती है। इनके सर्वप्रथम निर्देशों में 1935 के अधिनियम के अनुच्छेद 126 से इस विचार को प्रहा किया है। अपाठकाल की उद्देश्यता के दौरान केन्द्र राज्य सरकारों को आदेश दे सकता है, शक्तिफल में यह अपेक्षित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो कि वह ससद निर्मित विधियों के अनुकूल हो। ऐसा करने के लिए केन्द्र राज्यों को वांछित निर्देश दे सकता है।

(क) अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था है कि "प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे ससद द्वारा विधियों तथा राज्य विधियों का पालन सुनिश्चित रहे तथा सभ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे।" राष्ट्रिय सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि केन्द्रीय विधान के प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(ख) अनुच्छेद 257(1) में केन्द्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है—"प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे सभ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़घन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा सभ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे।" इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि राज्य की कार्यपालिका सत्ता का सभ की कार्यपालिका सत्ता से सघर्ष न होने पाये।

(ग) अनुच्छेद 257 (2), (3), (4) द्वारा कुछ अवस्थाएँ निर्धारित की गई हैं जिनमें राज्यों पर सभ का नियंत्रण प्रयुक्त होता है। संपरिक महत्व की सड़कों तथा सभर साधनों की देखभाल, मामूद निर्माण आदि के लिए केन्द्र राज्य सरकार का निर्देश दे सकता है। ससद राज्य-पक्षों या जन-पक्षों को बड़ी सड़कों या नहरों को नौकागम्य नदियों का उद्देश्य महत्व का घोषित कर सकती है। सघीय कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत रेल-पथ की रक्षा के लिए उस राज्य को आवश्यक निर्देश दे। इनकी सुरक्षा, मरम्मत या निर्माण पर जो अतिरिक्त व्यय होगा वह सभ सरकार द्वारा व्यय किये जाने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 256 और 257 का समुक्त रूप में लागू करने पर भारत सरकार की शक्तियाँ व्यापक हो जाती हैं और राज्यों का अधिकार क्षेत्र में प्रवेश बढ जाता है। ये अनुच्छेद राज्यों की कार्यपालिका सत्ताओं पर विषेपालक (Positive) और निषेधक (Negative) प्रतिबन्ध लाते हैं। ये भारत सरकार को विस्तृत अधिकार प्रदान करते हैं कि वे राज्यों में किसी प्रकार के प्रशासनिक कृत्य निर्बाध रूप से कर सकें। राज्यों द्वारा केन्द्र के निर्देशों को अवहेलना न कर सकें, इसके लिए संविधान में उपबन्ध हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य इन निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार संचालित नहीं की जा सकती है वह राज्य की समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है।

अनुच्छेद 339(2) में उल्लेख किया गया है कि "सभ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य का उस प्रकार के निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों।"

(2) सघीय कृत्यों को राज्यों को सौंपना—केन्द्र राज्यों को दो प्रकार कार्य सौंप सकता है—प्रथम राज्य सरकार को सलाह से और द्वितीय ससद के माध्यम से। अनुच्छेद 258(1) के अनुसार, "ससद किसी राज्य सरकार की सहमति से सघीय कार्यपालिका शक्ति से सम्बन्धित किसी विषय को उस सरकार को अथवा उसके पराधिकारियों को सौंप सकती है।" अनुच्छेद 258(2) के अनुसार ससद को सघीय विभागों के संचालन के लिए राज्य के प्रशासनिक या प्रयोग करने का शक्ति प्रत्येक है और उस प्रयोजन के लिए राज्य अथवा उसके पराधिकारियों को ऐसी शक्ति सौंप सकता है जिससे सघीय कानूनों को उस राज्य में समुचित रूप से लागू किया जा सके। इस अनुच्छेद के खण्ड 1 और खण्ड 2 में मुख्य अन्तर है कि जहाँ खण्ड 1 के अन्तर्गत राज्यों को शक्तियाँ राज्य सरकारों की सहमति से सौंपी जाती हैं वहीं खण्ड 2 के अन्तर्गत राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है।

राज्य सरकार अपने कृत्यों को सभ सरकार को सौंप सकती है। अनुच्छेद 258 (अ) यह उपबन्धित करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सम्मति से ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य जिस पर राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है भारत या बिना शर्त के ठम सौंप सकता है। यह स्पष्ट है कि जहाँ किसी सरकार के लिए अपने प्रशासनिक कार्यों के साथे संचालन में अनुविधा हाहा हो दो वह दूसरी सरकार द्वारा उसे संचालित करवा सकता है, किन्तु राज्य केन्द्र को अपने कार्य केन्द्र का सहमति से दे सकते हैं जबकि केन्द्र अपने कार्यों को राज्यों को उनकी सहमति से बिना सौंप सकता है। संविधान ने प्रशासकीय सम्बन्धों में केन्द्र की प्रमुखता स्वीकार की है।¹

क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन बुलाए जाने की परम्परा महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन राजनीतिक, प्रशासकीय और व्यावसायिक स्तरों पर आमंत्रित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्मेलन उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दूर राज्य सम्बन्धों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। निम्न सूची में इन सम्मेलनों को प्रस्तुत किया गया है—

1 सैट्टल कौंसिल ऑफ लोकल सैल्फ गवर्निमेंट (स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद) 2 दि सेट्टल कौंसिल ऑफ हेल्थ (केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद), 3 दि फूड मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (खाद्य मन्त्री सम्मेलन), 4 दि काँग्रेस ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर्स (राज्यीय गृहमन्त्री सम्मेलन), 5 दि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स (राज्यीय वित्तमन्त्री सम्मेलन), 6 दि काँग्रेस ऑफ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स (राज्यीय शिक्षामन्त्री सम्मेलन) 7 दि कॉन्फ्रेंस आफ मिनिस्टर्स आफ एग्रीकल्चर (कृषि मन्त्री सम्मेलन), 8 दि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ को-ऑपरेशंस (राज्यीय सहकारिता मन्त्री सम्मेलन), 9 दि स्टेट लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (राज्यीय श्रममन्त्री सम्मेलन) 10 दि काँग्रेस आफ स्टेट मिनिस्टर्स आफ कम्युनिटी डेवलपमेंट (राज्यीय समुदाय विकास मन्त्री सम्मेलन) 11 दि कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ रोशियल वेल्फेयर एण्ड वेल्फेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज (समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्ग सम्बन्धी मन्त्री सम्मेलन) 12 दि स्टेट एडरिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (राज्यीय गृह निर्माण मन्त्री सम्मेलन) 13 दि कॉन्फ्रेंस आफ स्टेट मिनिस्टर्स आफ इरिगेशन एण्ड पावर (राज्यीय सिंचाई तथा बिजली मन्त्री सम्मेलन) 14 दि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स (राज्यीय मूद्रा मन्त्री सम्मेलन), 15 दि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स फॉर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (राज्यीय प्रादेशिक विकास, देशीय योजना मन्त्री सम्मेलन), 16 दि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ कल्चरल अफेयर्स (राज्यीय सांस्कृतिक मन्त्री सम्मेलन) आदि।

(6) योजना आयोग तथा संघ राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध—भारतीय संघ में योजना आयोग के कारण केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। हानियों की तुलना में इस व्यवस्था से लाभ कहीं अधिक हुआ है और राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजनाबद्ध रूप से लागू किए जा सके हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों की तुलना में केन्द्र की स्थिति प्रभावी और शक्तिशाली है। केन्द्र आपातकाल तथा शांतकाल में राज्यों पर वर्चस्व स्थापित कर सकता है। इस स्थिति के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों में अविश्वास और शक की मनस्थिति के वातावरण का विकास होता है। अगर केन्द्र और राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें सत्तारूढ़ हों तब यह स्थिति और विकट बन जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान तक के इतिहास को देखने से पता चलता है कि कुछ मतभेदों के बावजूद भारतीय संघ की दोनों सरकारों ने पारस्परिक सहयोग और समन्वय की भावना से कार्य करके राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है तथा सघातक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त हुई है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों से साझादारी की भावना विकसित हुई है।

(iii) वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 291 केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन करता है। केन्द्र और राज्य में राजस्व वितरण की व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण मात्र है। संविधान निर्माताओं द्वारा वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य संविधान में रखा गया है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार कर संशोधन एवं परिवर्तन के सुझाव देता है। यह व्यवस्था भारत का अपना मौलिक योगदान है जिसने केन्द्र और राज्यों के 'जटिल वित्तीय सम्बन्धों' का सरलीकरण कर 'देवा है'।¹ संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व 'साधना' के विभाजन के वित्तीय आधार तीन सिद्धान्तों पर अपनाए गए हैं—कार्यक्षमता पर्याप्तता और उपयुक्तता। इन उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति कठिन कार्य है अतः हमारे संविधान में समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाई गई है। तदनुसार विनियम को दो भागों में विभक्त किया गया—प्रथम संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन द्वितीय सहायक अनुदानों का वितरण। संघ एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

(1) विधि के प्राधिकार के बिना करारोपण का निषेध—अनुच्छेद 265 में स्पष्ट लिखा गया है—विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त कोई कर न तो आरोपित और न एकत्र किया जाएगा।" इसका अर्थ है कि कोई वर्य विधि द्वारा आरोपित और एकत्र किया जा सकता है किसी कार्यपालिका आदेश द्वारा नहीं। यदि संविधान के उपबंध द्वारा करारोपण का निषेध है वह वर्य विधि अवैध होगी। उदाहरणार्थ वह वर्य विधि नहीं मानी जाएगी जो संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समता के मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 265 में निहित व्यवस्था करों के सम्बन्ध में लागू होती है शुल्क के सम्बन्ध में नहीं।

(2) संघ और राज्यों में राजस्व वितरण—अनुच्छेद 268 संघ और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था करता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को और संघ सूची के विषयों पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में कुछ करों का उल्लेख है। संघ सरकार के राजस्व स्रोत निम्नलिखित हैं—कृषि आय को छोड़कर अन्य

2 अनुच्छेद 273 में पटसन अथवा पटरान से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क स आगे बाली कुल राशि के किसी भाग को असम उड़ीसा पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों को सहायक अनुदान के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय अनुदान की राशि राष्ट्रपति वित्त आयोग के परामर्श से नियत करता है।

3 यदि राज्य केन्द्र की स्वीकृति से अनुसूचित जाति एवं आदिम जातियों के कल्याण के लिए कोई योजना प्रारम्भ करे उसकी पूर्ति के लिए केन्द्र वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

4 केन्द्र ऐसे विषय में अनुदान दे सकता है जिस पर विधिनिर्माण का अधिकार ससद के पास नहीं है। ऐसे विधेकाधीन अनुदानों का अनुपात दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और राज्यों के बजटीय घटौ की पूर्ति के लिए केन्द्र से अनुदान दिये जा रहे हैं। वित्तीय अनुदान महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में नियन्त्रण करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा केन्द्र राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में राज्यों से सहयोग प्राप्त करने में समर्थ होता है।

(4) केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उधार लेने की शक्ति—सविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार कन्द्रीय सरकार ससद द्वारा निर्धारित सीमाओं में भारत की संचित निधि की गारण्टी पर धन उधार ले सकती है और इन सीमाओं तक ऋण की गारण्टी दे सकती है। अनुच्छेद 292 के अनुसार कोई राज्य भारत की सीमाओं के अन्दर राज्य विधानमण्डल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर रहते हुए राज्य की संचित निधि की गारण्टी पर धन उधार ले सकता है और इन्हीं सीमाओं के भीतर किसी ऋण की गारण्टी दे सकता है लेकिन राज्यों की धन उधार लेने की शक्ति पर यह प्रावधान्य है कि (i) कोई राज्य भारत से बाहर के कर्ज नहीं ले सकता, (ii) किसी ऐसे राज्य को केन्द्रीय सरकार तब तक उधार देने से इनकार कर सकती है जब तक राज्य ने पिछला उधार लौटा नहीं दिया है (iii) यदि पिछला कर्ज शेष रहते हुए राज्य धन उधार लेने का आग्रह करे तो केन्द्र सरकार को अधिकार है कि वह उन शर्तों के साथ धन उधार दे जिन्हें लगाना वह उचित समझे। भारत में राज्य सरकारों सघ सरकार के ऋण भार से दबी हैं अतः उन्हें सघ सरकार की शर्तों को मानना पड़ता है लेकिन यह सत्य है कि सघ सरकार अवाञ्छनीय शर्तें लादने से हमेशा बचती रही है।

(5) वित्त आयोग—सविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सविधान लागू होने के दो वर्ष बाद और तत्पश्चात् प्रति पाँचवें वर्ष अथवा जरूरत पड़ने पर इससे पूर्व वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है। आयोग में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नियत समयोपरान्त पदाधिकारियों की नियुक्ति होने से आयोग के कार्य में अविच्छिन्नता आ जाती है। प्रत्येक आयोग पूर्ववर्ती आयोग के कार्य से लाभ उठाता है।¹ अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है—

(क) सघ और राज्यों के उन कर्तव्यों की शुद्ध प्राप्ति के वितरण के सम्बन्ध में जो सघ एवं राज्यों में विभाजित होते हैं। (ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के लिए सहायक अनुदान देने में किन सिद्धान्तों पर चला जाए। (ग) अन्य विषय राष्ट्रपति, सुव्यवस्थित वित्त-व्यवस्था के हितों में आयोग को सौंपे उनके सम्बन्ध में। वित्त आयोग यद्यपि वित्तीय प्रावधानों में परिवर्तन की सिफारिश नहीं कर सकता, तथापि केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों के क्षेत्र में आयोग का प्रभाव अधिक है क्योंकि सविधान यह बताता है कि उनको किस प्रकार वितरित किया जाएगा और वितरण सिफारिश वित्त आयोग द्वारा ही की जाती है। सामारणतया वित्त आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं। केन्द्र राज्य सरकारों के बीच जटिल वित्तीय समस्याओं को सुलझाने वाले एक सौवैधानिक उपकरण के रूप में वित्त आयोग की भूमिका प्रमुख रही है। वित्त वितरण-व्यवस्था वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग के कार्य का मुख्य महत्व इसमें है कि वह सघात्मक शासन पद्धति की वित्त-व्यवस्था को स्थिर बनाने में निष्पक्ष तथा तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है। वित्त-वितरण के प्रश्न को सघ तथा राज्यों के मध्य अन्य राजनीतिक विवादों से दूर रखने का श्रेय इसी को प्राप्त है। वित्त आयोग राज्यों तथा सघ के मध्य एक प्रत्यावरोध का कार्य करता है जो एक ओर निरन्तर अधिक वित्त की माँग करने वाले राज्यों में राजनीतिक दबाव से सघ की रक्षा करता है दूसरी ओर आवश्यकताप्राप्त राज्यों को यथासम्भव सहायता प्रदान करने के लिए सघ को विवश करता है।

(6) अन्य वित्तीय व्यवस्थाएँ—सविधान के अन्तर्गत ऐसे विशिष्ट उपबन्ध हैं जिनके अनुसार सघ और राज्य एक-दूसरे की सम्पत्ति तथा आय पर कर नहीं लगा सकते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकालीन शक्तियाँ केन्द्र की निर्णायक शक्ति की परिचायक हैं। भारत में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (The Comptroller and Auditor General

of India) द्वारा केन्द्रीय सरकार अपना नियन्त्रण रखने में समर्थ है। यह अधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकारों के लेखा रखने के दाय और हिमांक-कितब की जाँच करता है। इन अधिकारों के माध्यम से सराद राज्यों की आय पर नियन्त्रण रखती है।

(b) न्यायिक सम्बन्ध (Judicial Relations)

भारतीय सविधान ने अनेक सभ्य शासन-प्रणालियों की न्यायिक व्यवस्था के विपरीत, देश में एक न्यायिक व्यवस्था (A Single Judicial System) की स्थापना की है। एकल न्यायिक व्यवस्था में भारत में न्यायिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी एकता स्थापित कर समूचे देश के लिए एकल न्यायिक सर्वर (Cadre) की स्थापना कर दी है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह राज्य के उच्च न्यायालयों को निर्देश दे; उच्चतम न्यायालय के निर्णय नजीरों के रूप में राजकीय न्यायालयों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करना राजकीय अधिकारियों का सार्वजनिक कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया लेख समूचे देश में और विधि के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है।

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष व्यवस्था

यद्यपि जम्मू-कश्मीर राज्य साधारणतया भारतीय सभ के अन्य राज्यों की तरह है पर उसके विषय में हमारे सविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं—

1. जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में विधि-निर्माण के विषय में संसद की शक्ति सीमित है। इस राज्य के सम्बन्ध में सभ्य संसद उसी प्रकार विधि-निर्माण नहीं कर सकती जिस प्रकार वह भारतीय सभ के अन्य राज्यों—राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि के विषय में कर सकती है। जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में संसद राष्ट्रीय सूची और स्थानीय सूची में उन विषयों पर कानून बना सकती है जिन्हें उस राज्य से शासन के परामर्श में राष्ट्रपति उन विषयों के अनुसार घोषित कर दे, जिनका उल्लेख राज्य द्वारा भारतीय उपनिवेश में प्रविष्ट होने के समय प्रवेश पत्र में भारतीय उपनिवेश के संसद की विधि-निर्मात्री शक्ति के अधीन विषयों के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त संसद उन विषयों पर विधि-निर्माण कर सकती है जिनके विषय में राज्य के शासन की स्वीकृति से राष्ट्रपति अपने आदेश में ऐसा निश्चय कर दे।¹

2. सविधान के अन्य उपबन्धों की व्यवस्था अपवादों संग्रहनों सहित राज्य के शासन की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए हुए आदेश के अनुसार लागू होती है।

(ग) आयोजना में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

भारतीय सभवाद पर नियोजन के प्रभाव के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। अशोक चन्दा के अनुसार योजना आयोग ने सभवाद का स्थान ले लिया है; मोरिस जेम्स का मत है कि योजना आयोग ने सभवाद का स्थान न लेकर केन्द्रीकरण को बढ़ाया है। नियोजन ने व्यवहार में केन्द्र राज्य सम्बन्धों को प्रभावित किया है।² व. सन्धानम् का विचार है कि आयोजना ने सभवाद को स्थानान्तरित न करके केन्द्रीकरण को बढ़ा दिया है और नीति तथा वित्त-विषयक मामलों में राज्यों की स्वायत्तता को छाय का रूप प्रदान किया है।³ कुछ आलोचक कहते हैं कि योजना आयोग समानान्तर सरकार (Parallel Government) है सुपर कैबिनेट (Super Cabinet) है गाड़ी का पाँचवाँ पहिया (The Fifth Wheel of the Coach) है आदि।

भारत में नियोजन इस प्रकार का है जिससे राष्ट्रीय योजना और राज्तीय योजनाएँ कार्यान्वित होती हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है और प्रांतीय एवं स्थानीय हितों की भी। मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों एक-दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर एक-दूसरे के पूरक बनें। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति में केन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और केन्द्र तथा राज्य सम्बन्ध एकत्वकता के लक्षणों से प्रभावित होते हैं तो इसमें अशुभ या अनुचित जैसा कोई तत्व नहीं है। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को खेदजनक नहीं कहा जा सकता है। योजना आयोग परामर्शात्मक विकास है जो केन्द्र और राज्यों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय पर पहुँचता है।

नियोजन की विषय-वस्तु की प्रकृति, योजना-निर्माण का स्वरूप, वित्तीय पहलु, राष्ट्रीय नीति, विदेशी सहायता योजना का कार्यान्वयन, योजना आयोग की सदस्यता आदि ऐसे पक्ष हैं जिनमें केन्द्र राज्य सहयोग और समन्वय का बीच केन्द्र की

1 डॉ. इब्राहिम नारायण पूर्वोक्त, पृ. 312-13

2 Morris Jones Op Cit p 115

3 K Santhanam Democratic Planning, Problems and Pitfalls p 20

प्रधानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद् केन्द्र एव राज्यों के मध्य समायोजन के लिए स्थापित की गई है, में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय सरकार के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। कोई मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक में उपस्थित न हो सके तो उसे अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार होता है। परिषद् में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता और योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों की ओर से पूर्ण-स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। योजना निर्माण में, राष्ट्रीय विकास परिषद् में परामर्श लिया जाता है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों एव राज्य सरकारों से परामर्श के बाद योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है, वह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष, जो सहकारी सघनवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करती है, आवश्यक सुझाव हेतु प्रस्तुत किया जाता है। परिषद् की सिफारिशों के आधार पर योजनाओं तथा कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किया जाता है और उन्हें केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास प्रारम्भिक निर्देशों सहित भेज दिया जाता है। योजना-निर्माण को अन्तिम रूप देने से पूर्व परिषद् की सिफारिशें ली जाती हैं और योजना अन्तिम स्वरूप और आकार प्रहण करती है जिसे ससद द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रकाशित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की योजना-निर्माण के सन्दर्भ में निर्णायक भूमिका होती है इसलिए उसे 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) कहा जाता है। इसके उच्च स्वरूप के कारण इसके परामर्श को केन्द्रीय और राज्य सरकारों सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है। परिषद् के सदस्य सरकारी नीति के निर्माता होते हैं अतः योजना आयोग व कैबिनेट द्वारा परिषद् के दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं की जाती है, लेकिन अनेक अवसरों पर असहमति के मामले उपस्थित हुए हैं जिन्हें आपसी सहयोग से सुलझाया जाता है।

योजना क्षेत्र की प्रमुखता और एकात्मकता की प्रवृत्ति इस विचार से प्रेरित है कि योजना को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से संचालित करने, उसे राष्ट्रीय स्वरूप देने और सम्पूर्ण देश में नियोजन को समान गति में चलाने के लिए माध्यम-सामान केन्द्र का निर्देशन और नियंत्रण उपयुक्त है। स्थानीय योजनाओं और राष्ट्रीय योजनाओं का प्रारम्भिक उतरदारमूल्य राज्यों पर है, लेकिन केन्द्र को राज्यों के कार्य में सहायता, समायोजन, और निर्देशन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन और विद्यमान संतोषजनक ढंग से हो सके। यह आरोप अतिरिक्त है कि योजना क्षेत्र में राज्य सरकारों की स्थिति केन्द्र के हाथ में कठपुतलियों जैसी हो गई है। इसके विपरीत पल एगलकी जैसे विद्वानों का मत है कि विद्यमान के सम्पूर्ण क्षेत्र में केन्द्र वास्तविक शक्तियों का उपयोग नहीं करता। उसका कार्य 'स्टाफ फंक्शन्स' (Staff Functions) का है न कि 'लाइन फंक्शन्स' (Line Functions) का। समय की माँग है कि हम केन्द्र की प्रमुखता या राज्यों की प्रमुखता के विवादों में पड़ने के बजाय यह मानकर चलें कि योजना एक राष्ट्रीय दृष्टि है जिसे राजनीतिक संदेबादी और दबावों से दूर रखा जाना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के सहयोग पर ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है।

(घ) केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों का मूल्यांकन

(ङ) क्या राज्यों की स्थिति 'नगरपालिकाओं' जैसी है?

संविधान में केन्द्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं और योजना आयोग जैसी शक्तिशाली संविधानगत सच्चा केन्द्र-राज्यों पर अपना प्रभाव जमाव रखती है, तथापि यह आरोप अतिशयोक्तिपूर्ण है कि "राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समान हो गई है।" सघात्मक शासन-व्यवस्था में शक्तियों का केन्द्रीकरण होना अथवा केन्द्र का राज्य सरकारों की अपेक्षा शक्तिशाली होना कोई महत्व नहीं रखती है। संविधान सभा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अत्यधिक केन्द्रवाद सम्बन्धी आलोचना का उत्तर देते हुए कहा था—"राज्यों को नगरपालिकाओं का स्तर देकर संविधान ने केन्द्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं यह गम्भीर शिक्कपत्र है। यह दृष्टिकोण अत्युक्तिपूर्ण है, तथा संविधान के उद्देश्यों के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा पर आधारित है।" "केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करने समय इन अन्धकारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए कि सघात्मक शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वितरण स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है, केन्द्र-निर्मित विधि द्वारा नहीं। हनरा संविधान यह कार्य करता है इसलिए राज्य अपनी विधायी तथा कार्यपालिकाओं की शक्तियों के लिए किसी प्रकार केन्द्र पर अतिरिक्त नहीं है। राज्य तथा केन्द्र एक स्तर पर हैं।"

"सघात्मक सरकार का मुख्य लक्ष्य संविधान द्वारा विधायी तथा कार्यपालिका की मता का केन्द्र और एकदो में वितरण करना है। इस सिद्धान्त का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है, अतः यह कथन असत्य है कि राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा गया है। केन्द्र अपनी इच्छा से विधायन रखा बदल नहीं सकता। इन्में कोई न्यायनय परिवर्तन नहीं ला सकते। वे संशोधन कर सकते हैं, किन्तु इस विचार को बदल नहीं सकते हैं। नई सुझावों तथा दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर न्यायनय इन उपबन्धों की व्याख्या में अन्तर्लक्षित सकता है। उपबन्ध मामलों (Marginal Cases) में

सीमानरेखा को इधर उधर कर सकता है किन्तु विपरीत सत्ता द्वारा ऐसी सीमानरेखा बन जाती है जिसे वह नाबं नहीं सकता शक्ति का पुनर्विभाजन नहीं कर सकता है। सत्ता-वितरण की वर्तमान व्यवस्था को व्यापक रूप न्यायालयों द्वारा दिया जा सकता है किन्तु एक अधिकारी को दो गई शक्तियाँ वे दूसरे अधिकारों को नहीं सौंप सकते हैं।¹

हैं अमेरिकन के उपर्युक्त विचारों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों की साम्राज्यता सिद्धि को स्वीकार किया है। वे अपने अस्तित्व के लिए केन्द्र की कृपा के मोहताज नहीं हैं। संविधान निर्माताओं ने उन्हें व्यापक अधिकार प्रदान किये हैं। राज्य-सूची में उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए हैं। राज्यों द्वारा समवर्ती सूची पर कानून बनाया जा सकता है और शक्ति-विभाजन में केन्द्र को सर्वोच्चता दी गई है किन्तु राज्य पूर्णतया शक्ति-हीन नहीं है। वे अपने अधिकारों का शक्तियों का प्रयोग करके लोक-कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में दृष्टि केन्द्र की तुलना में राज्यों के आर्थिक समाधान बहुत कम हैं अगर राज्य वित्तव्यय से बच्य करें और अपने समाधान जुटाने का प्रयास करें तो केन्द्र पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है और आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग कर राज्यों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकता है उन्हीं राज्यों में लोकतांत्रिक सरकार अनिवार्य रूप से बहाल करनी ही पड़ती है। एक निश्चित स्तरपर्यंत पूरी होने के बाद राज्य विधानसभाओं के चुनाव अनिवार्य रूप से कराने पड़ते हैं। केन्द्र राज्यों के सम्बन्ध में स्वरूप को न तो समाप्त कर सकता है और न ही लोकतांत्रिक सरकार के सिद्धान्त को समर्थन दे सकता है। निष्कर्षतः राज्यों का स्थिति नगरपालिकाओं जैसी नहीं है। यह एक अतिरिक्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण दावता है।

(च) केन्द्र-राज्य विवाद के मुख्य कारण

तनाव के सांविधानिक कारण

1. भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण केन्द्र के पक्ष में अधिक है। सभ-सूची और समवर्ती सूची में केन्द्रीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि राज्यों की स्वायत्तता पर आंच आ सकता है। 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त राजमन्तार समिति ने सिफारिश की थी कि—(i) सभ-सूची और समवर्ती सूची में से कुछ शक्तियाँ निकाल कर राज्य-सूची में डाल देनी चाहिए, (ii) वित्त आयोग को एक स्थायी अधिकार बना देना चाहिए, (iii) केन्द्रीय राजस्व स्त्रोतों को घटा कर राज्यों को हस्तांतरित कर देना चाहिए ताकि केन्द्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता कम हो।

2. राज्य पक्ष अनुभव करते हैं कि उनकी विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ इतनी सीमित हैं कि उन्हें अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में केन्द्र का मुँह तकना पड़ता है। जब केन्द्र और राज्यों में एक दल की सरकार रहती है तब समस्या नहीं होती, लेकिन विपरीत स्थिति में तनाव प्रायः बढ़ जाता है।

3. राज्यपाल केन्द्र द्वारा नियुक्त अधिकरण हैं जो राज्यों में केन्द्र का वर्चस्व बनाने रखने में सहयोग देते हैं। संविधान उन्हें अधिकार देता है कि समवर्ती सूची से सम्बद्ध विधेयकों को वे राष्ट्रपति को अनुपति के लिए सुरक्षित रख लें और केन्द्रीय सरकार को यह अवसर प्रदान करें कि वह राष्ट्रपति द्वारा विधेयक या विधेयकों को अस्वीकृत करा दें। केन्द्र के राज्यपाल ने ई एम एम नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार को प्रगतिशील भूमि सुधार विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लिया था। बाद में केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत करा दिया। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन टी रामाराव ने उन्हें केन्द्रीय जामूस की सजा दी थी। अनेक अवसरों पर राज्य सरकारों द्वारा राज्यपाल पद को समाप्त करने की माँग की गई है। राज्यपाल पद ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों में यथचित तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की है।

4. आपातकालीन उपबन्धों ने संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान कर दिया है और आपातकाल के दौरान राज्य सम्पूर्णतः केन्द्र निर्देशित इकाइयों बन जाते हैं। यह स्थिति कुछ राज्य सरकारों के लिए अप्रिय रही है। तनाव के सांविधानिक कारणों का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाये तथा उन पर केन्द्र का अकुश न रहे।

तनाव के व्यावहारिक कारण

केन्द्र राज्य सम्बन्धों में तनाव के लिए व्यावहारिक कारण उत्तरदायी रहे हैं जिनका उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है—

1. केन्द्र और राज्यों में यह तनाव पैदा हो जाता है कि राज्य द्वारा आर्थिक अनुदान या आर्थिक सहायता माँगने पर केन्द्रीय सरकार एक ओर उदार रवैया न अपनाकर यह आरोप लगाती है कि राज्य सरकारें स्वयं के राजस्व स्त्रोतों का

समुचित विदोहन नहीं करती। केन्द्र का यह आरोप रहा है कि कुछ राज्य सरकारों ठपलभ्य राशि का विक्रम योजनाओं पर उचित समय पर व्यय नहीं करती।

2. ओवर-हूम्पट को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच संपर्न और तनाव की स्थिति बनी रहती है।

3. अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की निष्पत्ता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाय जाते रहे हैं।

तनाव के राजनीतिक कारण

1. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक-दूसरे पर सचोप दलबन्दी की भावना के आरोप लगाए जाते हैं। केन्द्र में कीर्त्सी शासन के समय जब कभी किसी राज्य में गैर-कीर्त्सी सरकार बनी तो उसका आरोप रहा है कि केन्द्र राज्य सरकार को गिगने या नीचा दिखाने को प्रयत्नशील है। दूसरी ओर केन्द्र का आरोप रहा है कि राज्य सरकार केन्द्र के साथ असहयोग की राजनीति खेल रही है। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोपों से पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव पैदा होता है।

2. कुछ विपक्षी दल क्षेत्रीय साम्प्रदायिक भावनाओं की मदद से जनता में लोकप्रिय होना चाहते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य के बीच तनाव पैदा करते हैं। धामपदी दल, जिनकी लोकप्रियता कुछ क्षेत्रों तक सीमित है निर्वाचन नीति के रूप में केन्द्र के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करते रहते हैं।

(छ) केन्द्र-राज्य मतभेदों को दूर करने के सुझाव

1. भारतीय संविधान स्वरूप में सघात्मक, किन्तु आत्मा से एकसमक है, अतः इसे आत्मा से सघात्मक बनाया जाए, इस हेतु समकाली सूची के विषयों का पुनर्विभाजन इस प्रकार हो कि शक्ति-विभाजन का सन्तुलन राज्यों के पक्ष में हो जाए।

2. राज्यों को लचीले वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएँ ताकि उनकी आय बढ़ सके। राज्यों को अपने वित्तीय सधनों में वृद्धि तथा अपने प्रशासनिक व्यय में निक्क्यपदा के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

3. केन्द्र के पास राज्यों को विवेकानुसार अनुदान देने की शक्ति न रहे।

4. वित्त आयोग को स्थायी सस्था के रूप में परिवर्तित किया जाए और इस आयोग का परामर्श केन्द्र के लिए बन्धनकारी होना चाहिए।

5. योजना आयोग को स्वायत्त सांविधानिक स्तर प्रदान किया जाए।

6. राज्यों की आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए स्थायी, किन्तु गैर-राजनीतिक समिति गठित की जाए जो केन्द्र एवं राज्यों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध का कार्य करे।

7. अनुच्छेद 263 के अनुसार अन्तर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) स्थापित की जाए तो उद्घर्षों को सलाह देने का कार्य करे।

8. उद्घर्षित एवं राज्यपाल सम्बन्धी सांविधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके उनकी शक्तियों में वृद्धि की जाए ताकि वे किसी विवशता से हटकर स्वविवेक से काम कर सकें।

9. किसी व्यक्ति को एक बार राज्यपाल नियुक्त किया जाए, भौल-मुक्त होने पर न तो उसे लम्ब का पद दिया जाए और न उसे राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र छोड़ा जाए। राज्यपाल को हटाने के लिए महाधियोग की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यपाल पद पर राजनीतिक आधार पर नियुक्ति नहीं की जाए, योग्यता के आधार पर उचित नागरिक को नियुक्त किया जाना चाहिए।

10. उद्घर्षों के परामर्श के लिए एक समिति बनाई जाए, जिसके परामर्श पर राज्यपालों, न्यायाधीशों, योजना आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति हो। इससे इन पदों पर अतिसत दर्जे के नागरिकों के स्थान पर योग्यतम नागरिक प्रतिष्ठित हो सकेंगे।

11. केन्द्र राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप न करे। राज्य-सूची के विषयों सम्बन्धी कार्यक्रम लागू करने उन पर धन व्यय करने आदि का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर रहे। अपवाद रूप में राष्ट्रीय हितों की भाग पर राज्य सूची पर केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए।

12. प्रशासन, वित्त और विधायी सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय निदन्त्रण की व्यवस्थाएँ सिद्धिनी की जाएँ। इससे राज्यों को अपना विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त होगा।

13. अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकार उन्स-सेवा में, रहें उन पर पूरा निदन्त्रण राज्य सरकार का हो।

14. अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के अन्वया प्रत्येक राज्य के लिए सांविधानिक सलहकार समिति की स्थापना हो, यह समिति सधाय प्रश्नों पर राज्य को परामर्श दे।

15 संविधान के अनुच्छेद 249 पर पुनर्विचार किया जाए।

16 सम्बन्धी सूची के ऐसे विषय राज्य-सूची में रख दिए जाएँ जिनसे राज्यों के अधिकारों में वृद्धि होती हो लेकिन केन्द्र की शक्ति पर कोई आरंभ न आती हो। इन विषयों को सशर्त राज्यों को सौंपा जाए।

17 राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श के लिए एक उच्च-स्तरीय सौंधिधानिक सलाहकार समिति स्थापित की जाए जो राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखापाल, योजना आयोग के सदस्य आदि को नियुक्ति न, मन्त्रिमण्डल निर्माण के समय अनुपालनीय अभिप्रायों में, व्यवस्थापिका को भंग करने और विधेयकों को राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु आरक्षित करने के सम्बन्ध में और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर सलाह दे। इस समिति में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, भूतपूर्व राष्ट्रपतियों, देश के सौंधिधानिक बनोंलों को अवश्य स्थान दिया जाए। प्रधानमंत्री की सिफारिशों के महत्व को किसी रूप में कम न करते हुए सौंधिधानिक सलाहकार समिति की नियुक्ति को ध्वनस्प विचारणीय हो सकता है। व्यावहारिक राजनीति की आवश्यकता है कि समिति की सलाह प्रधानमंत्री अथवा मन्त्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित हो।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें—9 जून, 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था जिसे 'सरकारिया आयोग' के नाम से जाना जाता है। श्री शिवरामन् और एम. आर. सेन की इस आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की गई। आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों और संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन देते हुए अपना मत प्रकट किया। 30 जनवरी, 1985 को आयोग के प्रतिवेदन को मुख्य सिफारिशों का प्रकाशन किया गया जिनमें उल्लेखनीय ये हैं—

1. आयोग के प्रतिवेदन में सुदृढ़ केन्द्र की अवधारणा पर बल दिया गया है।
2. आयोग का यह मत है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की जो व्यवस्थाएँ संविधान में की गई हैं उनमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. आयोग ने राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में केन्द्र और राज्यों की श्रुमिक को महत्वपूर्ण मानते हुए 'सहकारी सघवाद की अवधारणा' का समर्थन किया है।
4. आयोग ने सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट किया है।
5. आयोग ने यह सिफारिश की है कि किसी राज्य को उपद्रव-ग्रस्त घोषित करने और किसी राज्य में केन्द्र द्वारा सुरक्षा बलों को भेजने से पूर्व राज्य सरकार से सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि आयोग का यह स्पष्ट मत है कि केन्द्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है।
6. आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। आयोग के मत में इसका नाम 'राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद' कर देना चाहिए।
7. आयोग ने केन्द्र और राज्यों के बीच विकासों का समाधान करने हेतु एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के पक्ष में विचार व्यक्त किया है।
8. आयोग का यह सुझाव है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी का नेता राज्यपाल न बने और राज्यपाल पद से निवृत्त होने के बाद उसे लाभ का पद नहीं दिया जाना चाहिए।
9. आयोग का मानना है कि अनुच्छेद 356 का सहारा सोच विचार कर लिया जाना चाहिए।
10. आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को सुदृढ़ और सशम बनाने की वकालत की है।
11. आयोग ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर केन्द्र के अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा है कि इन्हें प्रतिदिन के मामलों का संचालन करने के लिए उचित सीमा तक 'विकेंद्रीकरण' की स्थिति प्रदान करनी चाहिए।
12. राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने वाले विधेयकों की समय सीमा निश्चित करने में आयोग ने कहा है कि इस में अनावश्यक विलम्ब को रोका जाना चाहिए।

सरकारिया आयोग ने 'सुदृढ़ केन्द्र' की अवधारणा पर बल दिया है। भारत की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के लिए केन्द्र का सुदृढ़ होना परम आवश्यक है, अतः सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू कर केन्द्र राज्य सम्बन्धों में नये युग का सूत्रपात किया जा सकता है।

राज्य स्वायत्तता की उठती माँग (Demand for State Autonomy)

राज्य-स्वायत्तता का प्रश्न भारतीय सघवाद का मुख्य प्रश्न बिन्दु है। 1967 के पूर्व केन्द्र तथा राज्यों में एक दल की सरकारों के सत्तारूढ़ होने के कारण यह समस्या कभी नहीं उठी, लेकिन 1967 के बाद केन्द्र राज्य सम्बन्धों के स्वरूप

में परिवर्तन हुए। अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के सत्कारुद्ध होने के कारण केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। केन्द्र और राज्यों में तनाव का मुख्य बिन्दु यही है कि राज्य चाहते हैं कि उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए उन पर केन्द्र का अक्रुश न रहे। चौथे आम चुनावों के बाद चेन्नई में तत्कालीन द्रमुक-मन्त्री अन्नादुराई ने कहा था—“हमें सविधान-निर्माताओं द्वारा निर्धारित राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धान्त को अपनाया चाहिए। सजातीय सविधान में केन्द्र द्वारा उतनी शक्तियाँ व्यवहार में लाई जानी चाहिए, जिससे कि देश की सम्प्रभुता और एकता की रक्षा हो सके। राज्यों को सविधान की ओर से स्वायत्तता प्राप्त है और उनके साथ नगरपालिकाओं जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।” इस मौंग को पश्चिमी बंगाल में अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार और पंजाब में सरदार गुलामसिंह के नेतृत्व वाली अकाली सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ। मार्च, 1977 में कांग्रेस शासन के पराभव के बाद स्वायत्तता की मौंग जोर-शोर से उठी। पश्चिमी बंगाल के वामपंथी मोर्चे की सरकार के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने एक फीसपत्र तैयार कर सभी राज्यों को भेजा जिसमें निम्नलिखित मौंग रखी गई—

(1) केन्द्र के पास प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, व्यापार, मुद्रा संचार तथा आर्थिक समन्वय जैसे विषय रहें। शेष सभी विषय राज्यों को सौंप दिए जाएँ। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दे दी जाएँ। (2) सविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर दिया जाए और राज्यपाल के पद को पूर्ण सांविधानिक बनाया जाए। (3) सविधान की प्रस्तावना में ‘यूनियन’ (Union) शब्द के स्थान पर ‘फ़ेडरेशन’ (Federation) शब्द रखा जाए। (4) राज्य विधान-मण्डल जो कानून पारित करे उसे किसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुर्धित न रखा जाए। (5) योजना आयोग व स्वरूप और गठन का निरचय राष्ट्रीय विकास परिषद करे। (6) केन्द्रीय सरकार की आय का 75 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाए। (7) राज्य-सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाए। उसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। (8) ससद के दोनों सदनों के अधिकार समान हों।

जम्मू-कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला तथा अन्य द्वारा ज्योति बसु की मौंगों का समर्थन किया गया। जम्मू-कश्मीर राज्य को देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। जनता पार्टी द्वारा शासन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दबे स्वर में इस प्रकार का विचार व्यक्त किया कि राज्यों को अधिक वित्तीय साधन प्रदान किए जाने चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देना आवश्यक नहीं है। यद्यपि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के स्वरूपों पर विचार किया जा सकता है। सरकारिया आयोग ने इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सुदृढ़ केन्द्र की अवधारणा पर बल दिया है। इस प्रसंग में नया आधार तब जुड़ गया जब जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने 26 जून, 2000 को राज्य की स्वायत्तता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूर कर केन्द्र के सामने एक सख्त खड़ा कर दिया। इस प्रस्ताव को केन्द्र ने नमंजूर कर दिया है किन्तु ध्यान में रखने योग्य यह है कि जम्मू-कश्मीर में सत्तापंथी दल की तत्कालीन केन्द्र सरकार में सङ्केतार्थ थी।

व्यवहार में सहकारी संघवाद

(Co-operative Federalism in Practice)

भारत में सघवाद के सैद्धांतिक और कार्यकरण सम्बन्धी संपूर्ण विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान को ‘सहकारी सघवाद’¹ (Co-operative Federalism) को सहा दी जाए। सहकारी सघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली होती है, किन्तु राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं होती हैं। सहकारी संघवाद का यह मुख्य लक्षण है कि दोनों सरकारें एक-दूसरे की पूरक तथा निर्भर होती हैं। राष्ट्रीय और राज्य सरकार शासन की एक व्यवस्था के र्वाँचिक परस्परक अंग (As Mutually Complementary Part of a Single System of Government) समझी जाती हैं जिनकी शक्तियों का प्रयोग संपूर्ण राज्य के सामान्य उद्देश्यों (Common Objectives) को प्राप्त करना होता है।² सहकारी सघवाद में केन्द्र और राज्य कानूनी रूप से एक-दूसरे से सघर्षों में न उलझकर, स्वयं को जनता की सेवा करने वाली सत्कार्य मानते हैं।

ग्रेनविन आस्टिन के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर सहकारी सघवाद के उपरोक्त लक्षण भारत पर लागू होने हैं।³ परिस्थितियों, सांविधानिक प्रावधानों, सविधान-बद्ध संस्थानों (Extra-Constitutional Institutions) और स्वाधीनता-संग्राम के साक्षियों द्वारा प्रशासनिक उन्मुक्तिकरण सम्बन्धों के कारण व्यवहार में भारत में सहकारी सघवाद का

1 A. H. Brich - Federalism, Finance and Social Legislation in Canada, Australia and United States p 305

2 M. V. Pylee - Constitutional Government in India, p 601

3 Granville Austin Op Cit, p 187

विकास हुआ है। इसको व्यवहृत करने में जिन व्यवस्थाओं का योग है वे हैं—1 योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 वित्त आयोग और वित्तीय सहायता, 3 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 4 क्षेत्रीय परिषदें, 5 राष्ट्रपति की आपात शक्तियों का सभ के रक्षार्थ व्यवहारिक प्रयोग एवं 6 अन्य व्यवस्थाएँ। सामुदायिक विकास योजना, अखिल भारतीय शिबिर, एक्सल न्यायिक व्यवस्था आदि।

1 योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद—योजना आयोग की रचना संविधानेतर सभा (An Extra Constitutional Body) के रूप में हुई है। यह देश में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों का विनियमन और निर्देशन करती है। इसे राज्यों पर केन्द्र के नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन कहा जाता है परन्तु यह सर्वैधानिक स्थिति नहीं है। यदि कोई राज्य कहे कि योजना आयोग को संवैधानिक स्थिति नहीं है अतः वह निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है तो भारत सरकार उसे संवैधानिक प्रावधान से विचार नहीं कर सकती।¹ सम्पूर्ण नियोजन व्यवस्था ऐसी है कि भारत सरकार परचामी योजना स्वीकार करने में राज्यों की सहमति और सलाह का पूरा आदर कर, योजनाओं का पूर्ण के लिए उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता देती है। नियोजन राज्यों के हित में है और इस कल्याण कार्य में जनता का विमुख होना किसी रूप में सम्भव नहीं है अतः राज्य केन्द्र की भारी वित्तीय सहायता प्रप्त करने हेतु आयोग के निर्देशों को स्वीकार करते हैं।

योजना आयोग राज्यों पर अपना निर्देश लागू करने का प्रयत्न नहीं करता है। राज्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) की स्थापना की गई है जिसका गठन प्रधानमंत्री केन्द्रीय मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया गया है। योजना आयोग के निर्णयों का अनुसरण राष्ट्रीय विद्यमान परिषद द्वारा किया जाता है। परिषद के सभी निर्णयों को केन्द्र और राज्य सरकारें मानती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थिति सम्पूर्ण भारतीय सभ के लिए एक सर्वोपरि कैबिनेट (Super Cabinet) की है—जम से कम आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में यह ऐसी कैबिनेट है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए कार्य करती है।² योजनाओं को कार्यरूप देने का उत्तरदायित्व राज्य वहन करते हैं किन्तु सभ सरकार के मन्त्रालय राज्य सरकारों के समानतर मन्त्रालयों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। केन्द्रीय मन्त्रालय राज्यों के सम्मेलन आयोजित करके उनसे समानतर मन्त्रालयों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। योजना के निर्माण में केन्द्र अथवा योजना आयोग राज्यों के विचारों की कार्यक्रमों को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। योजना के निर्माण में केन्द्र अथवा योजना आयोग राज्यों के विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। नियोजन कार्य में सहयोग और समायोजन के लिए राज्यों के मंत्रियों विभागाध्यक्षों के होने वाले सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जिनमें लिए गए निर्णय एक पर्ययी नहीं होते। इससे सहकारी सभवाद केन्द्र और राज्यों में सारतम्य की भावना विकसित होती है।

2 वित्त आयोग और वित्तीय सहायता—सभ और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के निर्धारण में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभ के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध जाना असम्भव है। वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकारों को कर आय और अनुदान के रूप में भारी धनराशि केन्द्र से प्राप्त होती रही है। वित्त आयोग की भूमिका सहकारी सभवाद को आगे बढ़ाने वाली है।

3 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक—भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्र और राज्य सरकारों के सहयोग को रखने तथा फंड के आवश्यक नियंत्रण सहित सहकारी सभवाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सभ के राज्यों के हिसाब उसी प्रकार रखे जाते हैं जैसा पदाधिकारी राष्ट्रपति की स्वीकृति से निर्धारित कर। इसके प्रतिवेदनों का राष्ट्रपति समक्ष प्रत्येक सदन में रखवाता है और राज्य के हिसाब एवं जांच की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा राज्य विधान-मण्डल के सामने रखी जाती है। सम्पूर्ण देश के हिसाब को जांच आदि के लिए सभ द्वारा संगठित व्यवस्था है। पदाधिकारी केन्द्र और राज्य सरकारों वित्तीय सहयोग के सूत्र में बंधी है। भारत में इकहरी नागरिकता है और कानूना के हित की सुरक्षा की दृष्टि से इस पदाधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण है।

4 क्षेत्रीय परिषदें—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) तीन दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं—प्रथम वे राज्यों और संघीय क्षेत्रों के बीच तय केन्द्र और राज्यों के बीच सामान्य समस्याओं में शक्ति सहयोग के लिए मिलन-भूमि तैयार करती हैं। इस दृष्टि से सभ सरकार के स्वाराष्ट्र मन्त्री को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। द्वितीय प्रत्येक क्षेत्र (Zone) में आने वाले राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं प्रशासनिक समन्वय को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। ये परिषदें विकास कार्यक्रमों के उचित एकीकरण में सहायक होती हैं। तृतीय ये परिषदें पृथक्तावादी प्रवृत्तियों और असह्य प्रतिद्वन्द्विताओं पर रोक का कार्य करती हैं। ये परिषदें सहकारी सभवाद (Co operative Federalism) की भावना का प्रतीक हैं।

राज्यसभा के उप-सभापति का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। यह अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन सत्रों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटा सकती है।¹ इसी प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा अपने सभापति (उप-राष्ट्रपति) को हटा सकती है। राज्यसभा को किंग बैटक में उप-राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचारणीय हो तब उप-राष्ट्रपति उस सभा का अध्यक्षता नहीं करेगा।²

राज्यसभा का स्थाई और निरन्तर चलने वाला सभा बनाकर हमारे सविधान-निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। सत्रों के अर्धवर्ष (Rotation) की पद्धति के कारण न केवल सदन की निरन्तरता बनी रहती है वरन् हर राज्य की विधानसभा को यह अवसर मिल जाता है कि वह इस सदन में कुछ नए सदस्यों का निर्वाचन कराता रहे। राज्यसभा में वर्तमान दलीय शक्ति और प्रत्येक राज्य में व्यापक समकालीन दृष्टिकोण और मनावृत्ति परिलक्षित होता रहती है परिणामस्वरूप राज्यसभा में सदैव नवीनता व्याप्त रहती है। फलतः राज्यसभा में अनुभवी और योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व संभव हो पाता है।

लोकसभा की रचना एवं अर्थात्—लोकसभा (House of the People) एक लोकप्रिय सदन है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को दिए गए स्थानों और उसकी जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो एक जैसा बना रहे परन्तु यदि किसी राज्य की संख्या 60 लाख से कम है तो उपर्युक्त विधि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सविधान के अनुच्छेद 82 के अनर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात् विधान राज्यों में लोकसभा के स्थानों का आवंटन करने सम्बन्धी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करने के लिए समद को अधिकृत किया गया है। यह इस विषय पर विधि की संरचना को तथा समुचित निर्देशन प्रदान करे, परन्तु 2020 तक ऐसे किसी पुनः समायोजन की आवश्यकता नहीं है। 2020 तक 1971 की जनगणना के आधार पर प्रतिस्थापित व्यवस्था ही प्रभावी बनी रहेगी।³

लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 42वें सविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए जनसंख्या से व्यत्यय 1971 में की गई जनगणना पर आधारित जनसंख्या है और यह 2020 तक वैसे बनी रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण 2020 तक 1971 की जनगणना के आधार पर बना रहेगा।

अवधि (Period)—लोकसभा यदि पहले विघटित न कर दी जाए तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से पाँच वर्ष तक चालू रहेगी। राष्ट्रपति इस अवधि से पहले उसे विघटित कर सकता है।⁴ संकटकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल में एक समय में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है परन्तु घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के बाद यह अवधि छ मास के लिए बढ़ायी जा सकती है। 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1977 के प्रारम्भ में कार्यकाल को एक बार बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। 1971 1980 1991 1996 और 1998 2004 में ऐसा किया गया था, अतः इस सदन की अवधि निश्चिन्ता हो ही अनिश्चित है।

लोकसभा की अर्हताएँ एवं अनर्हताएँ—लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में ये अर्हताएँ होनी चाहिए—(1) वह भारत का नागरिक हो (2) 25 वर्ष से कम का न हो (3) वे सब अन्य अर्हताएँ हानी चाहिए जो संसद निश्चित करे। उसे भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता के प्रति शपथ लेनी होती है। जो व्यक्ति (1) भारत में किसी सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर हो जिस पर होना संसद के कानून द्वारा अनर्हता ठहराई गई हो (2) विकृत मतिस्थिति का हो (3) ठगपट्टा दिखाने वाला हो (4) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक बन गया हो एवं (5) संसद द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो तो वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। सदस्यों को अनर्हता सम्बन्धी प्रत्येक प्रश्न, निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सूचित जाएगा, किन्तु इन मामलों में उसे निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार ही कार्य करना होगा।

1 अनुच्छेद 90

2 अनुच्छेद 92

3 गंगासहाय शर्मा पूर्वोक्त पृ 239

4 अनुच्छेद 83(2)

एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता वर्जित

कोई व्यक्ति ससद के दोनों सदनों (एकसभा एन एन्यसभा) का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ससद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो ससद विधि द्वारा यह व्यवस्था करेगी कि उनका किन सदन का स्थान रिक्त माना जाए।

ससद सदस्यों के विशेषाधिकार

भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं और ससद के स्थानी आदेशों तथा नियमों के अनुकूल ससद सदस्यों के लिए वास्तु स्वतंत्रता निश्चित की गई है। फलतः उनके द्वारा दिए गए किसी भाषण अथवा मत के सम्बन्ध में देश की किसी न्यायपालिका में कोई शर्यतवाही नहीं की जा सकती है। यह सरलता सदन के नियन्त्रण में प्रदर्शित सदन का कार्यवाहियों के लिए लागू होता है। ससद सत्र के प्रारम्भ होने के 40 दिन पूर्व और परचाह किसी सदस्य को पौज्याते विधियों के सम्बन्धित अपराधों के अतिरिक्त बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। किसी ससद सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को दिया जाना आवश्यक है। यदि ससद का अधिवेशन चल रहा हो तो अध्यक्ष को अनुमति के बिना किसी सदस्य को ससद भवन के परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि कोई अधिकारी ससद सदस्य का अमान को अथवा दुर्व्यवहार करे और यदि वह इसकी शिवायत अध्यक्ष से करे तो उसे दण्डित किया जा सकता है। ससद अपनी विधि द्वारा सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के नियम बना सकता है। ससद सदस्यों के ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे अपने दायित्वों का निर्भीकता से पालन करने में सक्षम होने हैं। इनके दुरुपयोग किये जाने की आशंका भी बनी रहती है।

ससद सदस्यों के वेतन-भत्ते

ससद सदस्यों के वेतन-भत्तों के निर्धारण करने का अधिकार ससद को है। ससद द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाता रहा है। ससद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (सरोपन) अधिनियम, 1993 (1993 का 28) के द्वारा ससद सदस्यों का वेतन एक हजार पाँच सौ रु से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमास, दैनिक भत्ते को दो सौ रुपये से बढ़ाकर चार सौ रुपये, एक वर्ष में एक लाख रुपये की जाने वाली एकल यात्राओं की सख्या को 28 से बढ़ाकर 32 करे, जिन्के साथ यह उपबन्ध है कि वायुमार्ग द्वारा वर्ष में त्रिविनी यात्राएँ नहीं की जाएँगी ठन्ने परचतवर्ती वर्ष में अनर्गत कर दिया जाएगा। इसी के साथ सड़क एवं रेल द्वारा यात्रा की सुविधा उपलब्ध है, न्यूनतम पेंशन को एक हजार चार सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमास ऐसे सदस्य के रूप में सेवा के पाँच वर्ष से अधिक प्रति वर्ष के लिए दो सौ पचास रुपये की अतिरिक्त पेंशन को बढ़ाकर पाँच सौ रुपये, किसी ऐसे ससद सदस्य की जिन्की मृत्यु ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान हो जाती है, पत्नी या पति की या ऐसे सदस्य के आश्रित को पेंशन की राशि को पाच सौ रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर एक हजार रु कर दिया गया है।

प्रतिवर्ष सामनों की दो करोड़ रुपये के विकास कार्य के मुझाव देने का अधिकार

23 दिसम्बर, 1993 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने ससद में घोषणा की कि स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की विकास योजनाएँ कार्यान्वित करा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ससद अपने राज्य के चुनीदा क्षेत्र में अपनी ससद की विकास परक योजनाएँ मुझाव सकेंगे। कोई परियोजना दस लाख रुपये से ज्यादा की नहीं होगी तथा एक साल में अधिकतम एक करोड़ रुपये तक की योजनाएँ मुझाव जा सकेंगी। प्रधानमंत्री ने उन व्यक्तियों की सूची जारी की, जिन्हें इस योजना के तहत लाया जा सकता है। इसमें अल्पसंख्यक एवं स्कूल भवनों का निर्माण, नलकूप जैसे पेयजल स्रोत उपलब्ध कराना, गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाना, वृद्ध लोगों के लिए आश्रयस्थल तथा ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, सामाजिक कनिष्के, तालाबों की सफाई, नए तालाबों की खुदाई और नहरें बनाना आदि शामिल हैं। इनके अलावा गोबर गैस सप्लों एवं छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, गन्दी बस्तियों में शौचालय, इमारत स्थल बस स्टैण्ड और ब्रॉडवा स्थल बनाने का काम इस योजना के तहत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सूची में परिवर्तन किया जा सकता है। इस योजना को व्यवहार में कार्यान्वित दिया जा चुका है। इससे ससद सदस्यों की शक्ति में वृद्धि हुई है। इस योजना के अन्तर्गत जो कार्य हाथ में लिये जाते हैं, उनका निष्पत्तन प्रारम्भ करता है। वर्तमान में यह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रु कर दी गई है।

ससद के दोनों सदनों के पदाधिकारी

राज्य-सभा—पारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति का आसन प्रदान करते समय वह राज्यसभा का सभापतिवत् नहीं कर सकता और न ही इस पद में सम्बन्धित वेतन अथवा अन्य भत्ते ले सकता है।

सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापतिव्य उस-सभापति करता है जो सदन का सदस्य होता है और सदन के सभ्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा का सचिवालय होता है जिसका प्रधान एक सचिव होता है। राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति का वेतन भारत की सचिव निधि से दिया जाता है। उनको ये अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्यतया विधान-सदस्यों के अध्यक्षों को प्राप्त रहते हैं। यथा—सदस्यों को भाषण की अनुमति प्रदान करना, कार्य प्रणाली सम्बन्धी प्रश्नों को तय करना, वाद-विवाद को अनुरक्षित और सुसंगत बनाए रखना, विचारार्थी प्रश्नों पर मतदान करना और मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। सभापति का कार्यकाल पाँच वर्षों का है किन्तु उप-सभापति को छ वर्षों के लिए चुना जाता है। सदन के सदस्यों के वोट बाबर रहने पर सभापति अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करता है किन्तु अपने मतधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

लोकसभा—लोकसभा अपने सभ्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का निर्वाचन करती है। सदन के प्रत्येक सभ्य को अपना सचिविक कर्मचारीवृन्द (Secretarial Staff) रखने का अधिकार है। लोकसभा के सचिवान्वय का प्रमुख एक सचिव (Secretary) होता है जो स्थायी पदाधिकारी होता है और अध्यक्ष की ओर से सदन के कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक तथा कार्यपालक (Executive) कर्तव्यों का पालन करता है। कई मामलों में वह सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा साधारण सदस्यों का परामर्शदाता है। सदन की सभ्यीय प्रणाली में सदन में प्रत्येक दल का संगठन होता है। उसके कई अधिकारी होते हैं जिन्हें सचेतक (Whips) कहा जाता है। ये दल के सदस्यों में से चुने जाते हैं। सभ्यीय लोकतंत्र का मुख्य रूप और बिना किसी बाधा के का चलना सत्कारुण्य दल तथा विरोधी दलों के सचेतकों पर निर्भर करता है।¹ लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक ससदीय-कार्यपालक होता है।

लोकसभा का अध्यक्ष

(Speaker of the House of the People)

भारत के लोकसभा-अध्यक्ष का पद प्रतिष्ठ गौरव और गरिमा का है। लोकसभा के सभी अध्यक्षों ने अभी तक अपना निष्पत्ता और गरिमा को बनाए रखा है। अध्यक्ष राजनीतिक दल से जुड़ा होता है परन्तु अध्यक्ष चुने जाने के बाद दल की सभ्यता से त्याग पत्र दिये जाने के उपरान्त है। भारत में अध्यक्ष शासक दल से और उपाध्यक्ष विपक्ष से चुने जाने की परम्परा विकसित हो जा रही है। इसका उद्देश्य अध्यक्ष की निष्पत्ता को बनाये रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों और प्रभाव में ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स के अध्यक्ष से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा अध्यक्ष सभा की शक्तियों का प्रतीक है। लोकसभा का अध्यक्ष-पद जिसे 1947 से पहले सभापति कहा जाता था, 1921 से चला आ रहा है। जब मॉन्टेग्यू चैम्बरलैंड सुधारों के अन्तर्गत पहली केंद्रीय विधानसभा बनी थी, उससे पहले विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर जनरल किया करते थे।² स्वतंत्र भारत के सविधान में अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है।

अध्यक्ष का निर्वाचन (Election of the Speaker)—निश्चित विधि पर अध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसके पूर्व प्रस्तावक, अनुमोदक तथा प्रत्याशी की सहमति के साथ नामांकन किया जाता है और निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत दल अर्थात् शासक दल की ओर से प्रधानमंत्री प्रस्तावक होते हैं। बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो जाता है। इस सन्दर्भ में यह स्मरणीय तथ्य है कि चाहे प्रत्याशी एक ही हों, प्रस्ताव विधिवत पारित होता है और निर्वाचन की घोषणा की जाती है। निर्वाचन क उपरान्त प्रधानमंत्री और मुख्य विरोधी दल के नेता मनेनीत अध्यक्ष के पास जाते हैं उसका अधिवादन करते हैं तथा उसे अध्यक्ष के आसन तक ले जाते हैं।

अध्यक्ष का कार्यकाल, उसकी पदमुक्ति, वेतन एवं भत्ते

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य रहने तक पद पर बने रहते हैं तत्पश्चात् उन्हें अपना पद रिक्त करना होता है किन्तु लोकसभा के विघटित हो जाने के बावजूद अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। ये लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किए गए एक प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक उसे प्रस्तावित करने के अधिप्राय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो। लोकसभा

1. कौल एवं शकधर पूर्वोक्त, पृ 128-129

2. कौल एवं शकधर पूर्वोक्त, पृ 72

की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव विदापधीन हो, तब अध्यक्ष और जब वह उपाध्यक्ष के विरुद्ध हो तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में वह भाग ले कर अपना मत दे सकता है, किन्तु मत समान होने की दशा में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिसे ससद विधि द्वारा नियत करे। जब तक कोई विधि पारित नहीं की जाती है, तब तक उसे वही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।¹

अध्यक्ष पद की गरिमा²

लोकसभा का औपचारिक प्रधान लोकसभा का अध्यक्ष है। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है और उस अपने अधिकार का प्रयोग निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह उटस्थता से करना चाहिए। निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी सचिवालय ने उम पर डाली है। मत-साम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अध्यक्ष के कठिन कर्तव्यों के निर्वहन में उसे न्याय तथा आश्रय की भावना से प्रेरित होकर सभा को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह स्वयं को सभा की अन्तर्गतता और रक्षक समझता है। सभा का प्रमुख बचना होने के नाते वह उसकी सामूहिक अगुवाई है और बाहर की दुनियाँ के लिए सभा का एकमात्र प्रतिनिधि। राष्ट्रपति से लोकसभा के नाम जो सन्देश आते हैं वे अध्यक्ष के माध्यम से आते हैं। वह उसे सभा को पढ़कर सुनाता है और उस सन्देश में उल्लिखित विषयों पर विचार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश देता है। राष्ट्रपति को जो सन्देश भेजे जाते हैं वे अध्यक्ष के माध्यम से भेजे जाते हैं। राज्यसभा के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधि होता है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम लोकसभाध्यक्ष जी की भावलंकर थे। उनको इस पद पर रहते हुए असाधारण रूप से सम्मान प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य³

1. अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके संचालन का नियन्त्रण करता है। सभा के सदस्य उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और जब वह बोलने के लिए उठता होता है तो उसे सभी खामोशी से सुनते हैं। उस समय सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सदन से उठकर नहीं जाएँ। अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अध्यक्ष के निर्णयों को भविष्य में मार्गदर्शन के लिए एकत्र कर लिया जाता है।

2. लोकसभा का अध्यक्ष अन्तिम निर्णय देता है कि कोई विधेयक वित्त-विधेयक है अथवा नहीं। वित्त-विधेयक जब राज्यसभा को भेजा जाता है तो उसके साथ अध्यक्ष का प्रमाण पत्र होता है कि वह वित्त-विधेयक है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाने वाले वित्त-विधेयक के साथ यही प्रमाण पत्र होता है।

3. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बैठक के सम्बन्ध में प्रक्रिया-नियम उसके निर्देशों तथा आदेशों के अन्तर्गत लागू होते हैं, किन्तु लोकसभा की बैठक यदि अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के किसी सकल्प पर विचार कर रही हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ऐसे विकल्प पर वह परन्तु मत दे सकता है, पर निर्णायक मत देने का उसे अधिकार नहीं रहता है।

4. लोकसभा की बैठक स्थगित करने या गणपूर्ति (कोरम) पूरा न होने की स्थिति में बैठक निरन्वित करने की शक्ति उसे प्राप्त है। वह किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी भली-भाँति नहीं बोल सकता अपनी मातृ-भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

5. अध्यक्ष सभा की बैठक के प्रारम्भ और समाप्त होने का समय तथा दिन नियत करता है। वह सभा स्थगित करने के निश्चित समय से पहले उसे बुला सकता है और अनिश्चित काल के लिए सभा को स्थगित करने के बाद परन्तु सत्रावसान से पहले उसे बुला सकता है।

6. वह शासक पक्ष के नेता से परामर्श करके सरकारी कार्यों का क्रम निर्धारित करता है। निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन के निश्चित एवं ठोस आधार ज्ञात होने पर वह उसमें संशोधन कर सकता है।

7. किसी विषय पर पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर हों तो वह निर्णायक मत देता है।

8. वह सदन में दलों तथा समूहों की मान्यता प्रदान करता है।

9. लोकसभा की गुप्त बैठकों की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार किया जाए तथा ऐसे अवसरों पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है।

1. असाधारण पाठ्यक्रम : पूर्वोक्त, पृ. 302-303

2. कौल एवं शक्यर : पूर्वोक्त, पृ. 103-105.

3. कौल एवं शक्यर : पूर्वोक्त, पृ. 105-114.

10 वह लोकसभा में विचारार्थ प्रश्न प्रस्तावित कर उस प्रश्न को सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है तथा निर्णयों के परिणाम की घोषणा करता है। सदस्य जो व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं उन पर अंतिम निर्णय देता है।

11 वह अपने विवेक से निर्णय लेता है कि प्रस्तावित विषय सदन में विचार करने योग्य है अथवा नहीं? मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आते हैं उनके विषय में वह यह सुनिश्चित करता है कि वे नियमानुसूल हैं अथवा नहीं? अनुदानों के प्रश्न पर जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं उनके विषय में वह निर्णय देता है कि प्रस्ताव नियमानुसार है अथवा नहीं?

12 उसे अधिकार है कि वह विधेयको तथा सक्त्यों के सम्बन्ध में जो संशोधन रखे गुर है उनमें से किसी को सदन के विचारार्थ रखे अथवा नहीं।

13 वह याचिकाएँ प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है। वह सदन के नेता से परामर्श करके बजट आदि विधेयको पर विचारार्थ तिथि एवं समय निर्धारित करता है। उसकी महत्त्व के बिना विशेषाधिकार भंग के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

14 वह सदन की समितियों के अध्यक्षों को मनोनीत कर उन्हें परामर्श देता है उनका मार्गदर्शन करता है तथा समितियों की कार्य-प्रणाली निर्धारित करता है। वह 'कार्य भन्वणा समिति', 'सामान्य प्रयोजनार्थ समिति' तथा 'नियम समिति' का पदेन स्थापित होता है जो उसके प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन में कार्य करती हैं।

15 वह सविधान तथा नियमों की व्याख्या करता है। जो विचार वह अध्यक्ष पद से व्यक्त करता है उनके विषय में वह सार्वजनिक रूप से किसी विवाद में नहीं पड़ता। वह पारित विधेयक की प्रत्यक्ष अशुद्धियों को दूर कर स्वीकृत श्लोकाओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करने का अधिकार रखता है।

16 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजने के पूर्व किसी पारित प्रस्ताव को वह प्रमाणित करता है।

17 अध्यक्ष का सचिवालय होता है जो उसके निर्देशन एवं नियन्त्रण में कार्य करता है। लोकसभा के कर्मचारियों उसके परिसर तथा सुरक्षा विषयक अधिकार उसे प्राप्त हैं। लोकसभा परिसर में सभी उसके आदेशों का पालन करने को बाध्य है।

18 लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों के अधिकारों की रक्षा तथा उसकी समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करता है। उसकी अनुमति के बिना लोकसभा परिसर में किसी सदस्य को बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। फौजदारी अथवा दौबन्दी कानूनों के अनुसार कोई आदेशिका सदस्य को उस समय तक नहीं दी जा सकती जब तक अध्यक्ष अनुमति न दे।

19 सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उनकी श्राद्धता का निर्णय करता है। मन्त्री द्वारा उत्तर न देने की स्थिति में अध्यक्ष उसे उत्तर देने का आदेश दे सकता है।

20 अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन स्थापित है जो कि भारत में अन्तर्सदनीय संघ के राष्ट्रीय समूह के रूप में और राष्ट्रमण्डल संसदीय संस्था की मुख्य शाखा के रूप में काम करता है। वह राज्यसभा के स्थापित से परामर्श करके विदेशों को जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधि-मण्डलों के लिए सदस्यों का नाम निर्देशित करता है। वह स्वयं इन प्रतिनिधि-मण्डलों का नेतृत्व करता है। अध्यक्ष भारत की विधायिनी संस्थाओं की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों के सम्मेलन का स्थापित है। वह लोकसभा की अबाधि सभापत होने पर और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अनार्राष्ट्रीय धटनाओं के औपचारिक अवसरों पर भाषण देता है। नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष पारित विधेयक में व्याप्त प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध कर सकता है तथा उसमें अन्य ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो सदन द्वारा स्वीकृत संशोधनों के अनुसंग हो। विधेयक सदन द्वारा पास कर अध्यक्ष उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए उस पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करता है।

21 52वाँ दल-बदल विरोधी सविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका को शक्तिशाली बना दिया है। दल-बदल सम्बन्धी विवाद में वह वह व्यवस्था देता है कि दल का विधिवत रूप से विभाजन हुआ है अथवा नहीं? वह दल-बदल कानून के अन्तर्गत सदस्यों को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार दे सकता है। दल-बदल विधेयक ने लोकसभाध्यक्ष की शक्तियों में विस्तार कर उसकी भूमिका को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यहाँ अध्यक्ष की नियमिता पर उसकी साख और प्रतिष्ठा निर्भर करती है। अध्यक्ष को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

हाउस ऑफ कामन्स के अध्यक्ष से तुलना

इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ कामन्स का अध्यक्ष एक बार अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। वह सदन में और सदन के बाहर पूर्णरूपेण निर्दलीय रूप में व्यवहार करता है। एक बार अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वह बहुत सम्बन्धी अबाधि तक अपने पद पर बना रहता है। वह निर्विरोध रूप से निर्वाचित होता है। विपक्षी दल उसके विरुद्ध अपना प्रत्याशी चुनना नहीं करते हैं तथा उसके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य का सम्पादन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सदन में सत्ताकूट और विपक्षी दल और उसके गौरव और प्रतिष्ठा को बचाये रखने

निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ—संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान-मण्डलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल की रचना करते हैं। इस सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपअध्यक्ष का निर्वाचन करती है। राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है।

प्रशासकीय शक्तियाँ—संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा का देश की कार्यपालिका पर वास्तविक नियन्त्रण नहीं है। उत्तरदायित्व का अधिप्राय है कि लोकसभा की विश्वासपात्र बने रहने तक सत्तारूढ़ रहेगी। लोकसभा का दायित्व है कि यह शासन के विभिन्न क्रिया-कलापों पर दृष्टि रखे। लोकसभा के पास नियन्त्रण के कई उपाय हैं, जैसे शासन के विभिन्न कार्यों की सूचना माँगना, शासन कार्यों को आन्वेषण करना, मंत्रियों से प्रश्न पूछना, सार्वजनिक महत्व के विषय में आंकड़े माँगना, संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका से विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त करना आदि। यद्यपि राज्यसभा कार्यपालिका से प्रश्नों के उत्तर माँगती है कार्यपालिका को आलोचना करती है और लोकसभा के समान स्थान प्रस्ताव का अधिकार रखती है तथा ऐसा प्रस्ताव पास कर सकती है कि जिसमें आग्रह किया हो कि शासन को विशेष प्रकार की नीति पर चलना चाहिए।

संवैधानिक शक्तियाँ—संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति से सविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन विधेयक किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है पर यह आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन में सम्पूर्ण सदस्य सभा के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 (दो-तिहाई) मतदान से यह संशोधन विधेयक पारित हो तथा राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे। सविधान में कुछ ऐसे विषय रखे गये हैं जिनमें संशोधन करने से पूर्व राज्य विधान-मण्डलों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है और अकेले संसद संशोधित कर सकती है। सविधान (सौबीसवें संशोधन अधिनियम, 1971) के द्वारा केशवानन्द भारती वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संसद को मूल अधिकारों सहित सविधान के किसी भाग में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है लेकिन यह सविधान के मूलभूत या आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

दोनों सदनों के परस्पर सम्बन्ध

(Mutual Relations of Both the Houses)

विधायी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का मिल-जुलकर कार्य करना आवश्यक है किन्तु निर्मातिरहित मामलों में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा को श्रेष्ठता प्रदान की गई है—

1 प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से और मंत्रि-परिषद के निर्णय के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है जो यथार्थ में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद में उठाए गए शासन सम्बन्धी प्रश्नों के विषय में पूर्ण विवरण प्राप्त करने का राज्यसभा को अधिकार है परन्तु तत्कालीन सरकार के विरुद्ध सिन्डा प्रस्ताव (Censure Motion) पारित करने का अधिकार राज्य सभा को नहीं है। संसद के विश्वास का तात्पर्य लोकसभा के विश्वास से ही कार्यपालिका का उत्तरदायित्व इस प्रकार लोकसभा के प्रति है। इस सिद्धान्त का आधार लोकसभा का भारतीय जनता पर आधारित होना है।¹ लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

2 वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में राज्यसभा की सत्ता नगण्य है। प्रत्येक वित्त विधेयक की पुनर्स्थापना (Introduction) लोकसभा में हो सकती है किन्तु सविधान द्वारा वित्त विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें राज्यसभा को जींच करने की रोक नहीं लगाई गई उसे परामर्श देने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है। इसे प्राप्त के चौदह दिन के भीतर राज्यसभा उसके सम्बन्ध में उचित निर्णय कर सकती है। यदि वह उसे पारित कर दे तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि इस विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत करे अथवा संशोधित कर दे तो वह लोकसभा के पास वापस भेज दिया जाता है जहाँ उस पर पुनः विचार किया जाता है और सधारण बहुमत द्वारा पारित कर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा का कार्य परामर्श देने तक सीमित है तथा अन्तिम निर्णय लोकसभा लेती है।

3 अन्य विधायी कार्यों में जिनमें संविधानिक संशोधन सम्मिलित है राज्यसभा की सत्ता लोकसभा के बराबर है। विधेयक की पुनर्स्थापना लोकसभा या राज्यसभा में हो सकती है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाये तो इसका निर्णय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बहुमत द्वारा किया जाता है।

4. आवश्यकतानुसार संसद के दोनों सदनों को एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है जिसके अन्तर्गत एक सदन लिखित सन्देश दूसरे सदन को भेजता है। सम्पर्क के अन्य तरीके हैं सदनों की सयुक्त समितियों की बैठकों और दोनों सदनों की बैठकें।

5. भारतीय राज्यसभा न अमेरिका की सीनेट के समान निम्न सदन से श्रेष्ठ है, न आस्ट्रेलिया की सीनेट के समान शक्तियाँ रखती है, परन्तु यह कनाडा की सीनेट से शक्तिशाली है। कुछ मामलों में सविधान लोकसभा को राज्यसभा को अपेक्षा वरीयता प्रदान करता है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में नहीं। सविधान के संशोधन के लिए राज्यसभा को समानाधिकार प्राप्त है। यह विशेष महत्व का विषय है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा की सम्मति के बिना सविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस उपबन्ध से स्पष्ट है कि सविधान-निर्माता राज्यसभा को महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते थे। उदाहरणार्थ जनता सरकार ने सविधान का जो 44वाँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया उसमें मूलरूप में 54 खण्ड थे। लोकसभा ने जिस मूल संशोधन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजा वहाँ 44वें संशोधन विधेयक के बहुमत ने पाँच खण्डों को स्वीकार नहीं किया और फलस्वरूप 44वाँ संशोधन विधेयक 49 खण्डों का ही पारित हुआ। सविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं में संशोधन करने के सम्बन्ध में अनुच्छेद 368 में जनमत-संग्रह की व्यवस्था करने, दूसरे विषयों के लिए उच्च न्यायालय के स्थान पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण से सम्बन्धित भाग 14-ए को निकालने, मूलाधिकारों को राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के ऊपर रखने के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए अनुच्छेद 31-सी में संशोधन करने, प्रस्तावना में उल्लिखित 'धर्मनिरपेक्ष' और समाजवादी शब्दों के महत्व को ध्यायना के लिए अनुच्छेद 366 में संशोधन करने तथा शांति को पुनः राज्य सूची में शामिल कर देने सम्बन्धी प्रस्तावों को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा राज्यसभा द्वारा अनुसूचित विधेयक को लोकसभा ने फिर स्वीकृति प्रदान की। इससे राज्यसभा की शक्तिशाली भूमिका प्रकट हुई।

6. राज्यों की प्रतिनिधि सभा होने के नाते राज्यसभा को सविधान के अन्तर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत यह सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि मसद राज्य सूची (State List) में दिए गये किसी विषय पर जो कि उक्त प्रस्ताव (Resolution) में बताया गया है, विधि निर्माण करे। उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर संसद के लिए उस विषय पर भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए विधि निर्माण किया जा सकता है।

7. राज्यसभा का दूसरा अधिकार राष्ट्रपति के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) स्थापित करने से सम्बन्ध है। इस प्रस्ताव को उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत से पारित किया जा सकता है। लोकसभा दोनों स्थितियों में तभी कार्य कर सकती है जब पहले राज्यसभा सम्बन्ध द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है।

8. सरकारों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सविधान ने संसद के दोनों सदनों को समानता का दर्जा दिया है यथा—(i) राष्ट्रपति के निर्वाचन और उस पर महाभियोग के सम्बन्ध में दोनों सदनों के समान अधिकार, (ii) उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में समान अधिकार, (iii) संसदीय विशेषाधिकार की परिभाषित करने और अपमान के लिए दण्ड देने के मामलों में समान अधिकार, (iv) आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत) और राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल होने पर (अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत) उद्घोषणाओं का अनुमोदन करने के मामलों में लोकसभा के समान अधिकार एवं कुछ मामलों में एकाधिकार एवं (v) विभिन्न सांविधानिक अधिकारियों से प्रतिवेदन और पत्र प्राप्त करने का लोकसभा के समान अधिकार यथा—(क) वार्षिक वित्तीय विवरण, (ख) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से लेखा प्रतिवेदन, (ग) सप्त लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विशेष पदाधिकारियों के प्रतिवेदन, (ङ) पिछड़े वर्गों के आयोग का प्रतिवेदन की जाँच एवं (च) भारतीय अंतरसहस्रकों के विशेष पदाधिकारियों का प्रतिवेदन।

9. सविधान के अन्तर्गत मंत्रियों के चयन में दोनों सदनों में कोई भेद नहीं किया गया है और कुछ मंत्री राज्यसभा के लिए जाते हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी सर्वप्रथम प्रधानमंत्री राज्यसभा से थीं। संसदीय लोकतन्त्र के अन्तर्गत संसद का कोई सदन जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं से अप्रभावित नहीं रह सकता और राज्यसभा के प्रतिवेदनों से यह प्रतीत होता है कि इसने लोकमत के प्रति पर्याप्त जागरूकता प्रदर्शित की है। राज्यसभा में उच्च-कोटि के सासदों ने अपनी प्रेरणास्पद उपस्थिति से इस सदन को गरिमा प्रदान कर अपने आचरण से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है।

राज्यसभा की तुलना अमेरिकी सीनेट या ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से की जा सकती है, किन्तु अपनी शक्तियों और अपने स्थान की दृष्टि से यह इन दोनों से भिन्न है। व्यवहार में राज्यसभा न अमेरिकी सीनेट जितनी शक्तिशाली है और न ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स जितनी प्रभावशाली। उदाहरणार्थ राज्यसभा को वित्त विधेयक के सम्बन्ध में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं जबकि अन्य मामलों में इसकी विधायी शक्तियाँ उच्च सदन के समान हैं। वित्तीय मामलों के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों पर राज्यसभा में विधेयक लाए जा सकते हैं और दोनों सदनों के मतभेद हो जाने पर किसी प्रश्न विशेष पर निर्णय करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त सभा की व्यवस्था है। लोकसभा राज्यसभा की उपेक्षा नहीं कर सकती। संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत राज्यसभा महत्वपूर्ण पारामर्श देती है। यह ठोस सलाह दे जो स्थायी होने के कारण विचार एवं कार्यों में स्थिरता तथा निरन्तरता ला सकती है।

भारतीय संसद की सर्वोच्चता

(Supremacy of the Indian Parliament)

संविधान निर्माताओं के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि संसद की स्थिति के विषय में ब्रिटेन की व्यवस्था को अपनाते हुए उसे पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सस्था बनाए जाए या अमेरिका की व्यवस्था को अपनाते हुए एक सीमित शक्तियों वाली सस्था बनाए जाए। ये ब्रिटेन में प्रचलित संसद की सर्वोच्चता के आदर्श को अपनाता चाहते थे, किन्तु सभ्य व्यवस्था, लिखित संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था आदि के कारण संसद की शक्ति को ब्रिटेन की तरह सर्वोच्च नहीं बनाया जा सकता था तथा इन विषयों से सम्बन्धित संसद की शक्तियों के लिए न्यायिक पुनर्विदोषण (Judicial Review) की व्यवस्था का रखा जाना अत्यावश्यक था अतः भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्यों के विधान-मण्डलों की तुलना में संसद को अधिक शक्तियाँ प्रदान करके, उसे एक शक्ति-सम्पन्न सस्था के रूप में प्रतिष्ठित अवश्य किया, परन्तु उसकी विधि-निर्माण की शक्ति पर न्यायिक पुनर्विदोषण का अंकुश रखा। यद्यपि न्यायिक पुनर्विदोषण की व्यवस्था उस प्रकार असंमित नहीं रखी जिस प्रकार यह अमेरिकी की संविधानिक व्यवस्था में है। दुर्गादास के अनुसार भारतीय संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की व्यवस्था एवं संसदीय सम्प्रभुता ने इंग्लैंड के सिद्धान्तों के मध्य मार्ग को अपनाया गया है।

भारतीय संसद की सर्वोच्चता के पक्ष में तर्क

- 1 संसद सभ सूची एवं सभ्यवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। किसी राज्य को प्रार्थना पर उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने में यह सक्षम है। राज्यसभा 2/3 के बहुमत से ऐसे विषय को जो राज्य सूची में है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तत्पश्चात् संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
2. भारत की संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकतन्त्र में जनता सर्वोपरि है।
3. भारत के राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। आपातकाल की स्थिति में देश में शासन का इकात्मक हो जाता है और उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सकता है। इन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल तब तक पदासीन रह सकता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त है अतः संसद का 'कार्यपालिका' पर 'पूर्ण' नियन्त्रण है।
- 4 संविधान में संशोधन करने में संसद पूर्णतः सक्षम है।
- 5 संसद संविधान के 9वें परिशिष्ट में उल्लिखित किसी विषय को सम्मिलित करके उसे न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से घुथकू करने में सक्षम है।

संसद की सर्वोच्चता पर सीमाएँ

- 1 जिस देश में लिखित संविधान होगा वहाँ शासन के अगो की रचना, उसके कार्य एवं शक्तियाँ संविधान के अनुसार सम्भव होती हैं और संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का उल्लंघन संसद नहीं कर सकती है।
- 2 भारतीय संसद सहायक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है। वह राज्य के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपातकाल में स्थिति भिन्न हो सकती है, किन्तु राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन सम्बन्ध स्थिति के आधार पर किया जाता है।
- 3 भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं जिनकी प्रकृति निषेधात्मक है अतः राज्य नागरिक के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इन अधिकारों में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था है। संसद हाए अपने अधिकारों को सीमित किये जाने पर नागरिक न्यायपालिका की राह में जा सकते हैं।

संसदीय समितियाँ

(Parliamentary Committees)

भारतीय सदन विरोधकर लोकसभा अपना कार्य-संचालन करने के लिए समितियों का प्रयोग करती है। विभिन्न विधेयकों पर विचार-विमर्श करने वाली समितियाँ विधेयकों पर विस्तृत वाद विवाद करती हैं। वे सभी प्रकार के रिपोर्टों एवं गवाहों को गाना सकती हैं और आवश्यक छान-बीन करती हैं। उनमें बैठकों की कार्यवाही गुप्त रहती है। वे अपने विचारार्थीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट निरचित अवधि के भीतर तैयार करती हैं जिस पर बाद में सदन द्वारा विचार किया जाता है।

भारतीय लोकसभा में समितियों के सदस्य सदन द्वारा निर्वाचित होते हैं या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। किसी सदस्य का नाम किसी समिति में प्रस्तुत करने से पूर्व उस सदस्य की स्वीकृति ली जाती है। किसी समिति की कार्यवाही के लिए एक तिहाई सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। समस्त प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जाते हैं। बराबर मत आने पर समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होता है। समिति की बैठकें सदन-भवन की सीमा के अन्तर्गत होती हैं। लोकसभाध्यक्ष या स्पीकर किसी समिति को उसकी प्रक्रिया में निर्देश दे सकता है। सदन अपने विधेयकों पर रिपोर्टें प्रवर समितियों (Select Committees) अथवा संयुक्त प्रवर समितियों द्वारा प्राप्त करता है। प्रवर समिति विशेष विधेयक हेतु बनाई जाती है और रिपोर्ट देने के बाद उसका अन्त हो जाता है। ऐसी समिति के निर्माण का प्रस्ताव उसके सदस्यों की संख्या और उनकी सदस्यता का निर्णय प्रस्तावक पर सदन करता है। विधेयक के प्रस्तावक (Mover) और कानून-मन्त्री ऐसी समिति के सदस्य अवश्य होते हैं। प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष करता है।

लोकसभा समितियाँ

लोकसभा में समितियों की संगठित व्यवस्था है। समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य तथा समिति का कार्य चलाने के लिए प्रक्रिया को मुख्य दिशाओं का विनियमन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत और उन नियमों के उद्देश्य अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है। संसदीय समितियों के तीन नियम हैं—“सामान्य नियम” जो समितियों पर लागू होते हैं, “विशेष नियम” जिनमें विशेष समितियों के लिए विशेष उपबन्ध दिए गए हैं और “आन्तरिक नियम” जिनके माध्यम से प्रत्येक संसदीय समिति की आन्तरिक प्रक्रिया का विनियमन किया जाता है। पहले दो प्रकार के नियम प्रक्रिया नियमों तथा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों में दिए गए हैं। “आन्तरिक नियम” सम्बद्ध समितियों द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से बनाए जाते हैं और वे कार्य करने की विस्तृत प्रक्रिया से सम्बन्धित होते हैं। इन्हें नियमों द्वारा ‘निर्देशों’ के उपबन्धों के अनुसार बनाया जाता है।¹

मुख्य वर्गीकरण—लोकसभा की समितियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है²—
(अ) स्थायी समितियाँ (ब) तदर्थ समितियाँ (स) नवीन विषयगत स्थायी समितियाँ।

(अ) स्थायी समितियों को निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा जा सकता है—

(i) जाँच करने वाली समितियाँ (उदाहरणार्थ, याचिका समिति और विशेषकर समिति)

(ii) सवीक्षा करने वाली समितियाँ (उदाहरणार्थ सरकारी आवासनों सम्बन्धी समिति और अधीनस्थ विधान समिति)

(iii) सभा के दिन-प्रतिदिन के कार्य सम्बन्धी समितियाँ (उदाहरण के लिए सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति समिति, कार्य-प्रणाली समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकलपणे सम्बन्धी समिति और नियम समिति)

(iv) सदस्यों को सुविधाएँ दिलाने वाली समितियाँ (उदाहरण के लिए सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति और पुस्तकालय समिति)

(v) सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों पर नियन्त्रण करने वाली समितियाँ (उदाहरण के लिए प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति)।

इन समितियों का गठन नियमों के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक समिति के निर्धारित कार्यकाल के अनुसार दशास्थिति, प्रतिवर्ष या कालान्तर में पुनर्गठित की जाती है।

(ब) तदर्थ समितियों को दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वे तदर्थ समितियाँ हैं, जो लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पास कर या अध्यक्ष द्वारा बनाई जाती हैं जिसे कि वे विशेष विषयों की जाँच करके अपनी रिपोर्ट दे सकें।

समिति के सदस्यों के रूप में अपने सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करते समय यह ध्यान रखें कि जहाँ तक सम्भव हो परन्तुविशेष सदस्य प्रतिवर्ष नियुक्त हो जाएँ और दो-तिहाई समिति के सदस्य फिर चुने जाएँ, परन्तु जो सदस्य नियुक्त हो जाते हैं, उनका एक वर्ष बाद फिर नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। किसी मन्त्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जाता। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य चुने जाने के बाद मन्त्री नियुक्त हो जाए तो वह मन्त्री नियुक्त होने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता।¹

सभापति—समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है। वह ससदीय समितियों के सभापतियों के साथ-साथ दूसरे काम करता है, जिनका सम्बन्ध समिति के काम से है। इस बात का निर्णय सभापति करता है कि कोई विशेष दस्तावेज या जानकारी सरकार से माँगी जानी चाहिए या नहीं और ऐसी जानकारी या दस्तावेज समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए या नहीं। सभापति यह निर्णय करता है कि बजट में 'भारित' मदों के वर्गीकरण से सम्बन्धित मामलों की समिति द्वारा जाँच की जानी आवश्यक है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो यह विशेष मामलों के सम्बन्ध में मन्त्रियों या मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करता है।

शक्तियाँ एवं कार्य²—समिति ऐसे प्राक्कलनों की जाँच करती है जो सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष जाँच के लिए माँगे गए हों, जिससे कि

- (i) यह रिपोर्ट दी जा सके कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या बचत की जा सकती है तथा सगठन कार्यकुशलता या प्रशासनिक व्यवस्था में और क्या सुधार किए जा सकते हैं,
- (ii) प्रशासन में कार्यकुशलता तथा बचत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया जा सके,
- (iii) यह पता लगाया जा सके कि प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं में रातों हुए सारी धनराशियों का उपयोग ठीक ढंग से किया गया है या नहीं और
- (iv) यह सुझाव दिया जा सके कि प्राक्कलनों को किरा रूप में संसद के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

समिति प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकाल के प्रारम्भ में, किसी मन्त्रालय या सरकारी उपक्रमों के प्राक्कलनों के किसी अंश से सम्बन्धित विषय आगले वर्ष जाँच के लिए चुन लेती है जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को उस वर्ष न हाँपे गए हों। जाँच के लिए प्राक्कलनों का चुनाव इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है कि सभी मन्त्रालयों के महत्वपूर्ण प्राक्कलन, प्रत्येक शोकसभा की अर्थात् में कम से कम एक बार समिति के सामने आ जाएँ। समिति चाहे तो भारत की संचित निधि पर भारत व्यय का ब्यौरा माँग सकती है और इसकी जाँच कर सकती है कि 'भारित' और 'मजूर' को जाने वाली खर्च की मदों का वर्गीकरण संविधान तथा संसद के अधिनियमों के उपबन्ध के अनुसार किया गया है या नहीं। वित्त मन्त्रालय समिति को उन निर्णयों की सूचना देता है जो सरकार समय-समय पर खर्च की किसी 'भारित मद' को पहली बार बजट में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में करे या जब तक खर्च की किसी मद को 'भारित' की श्रेणी से निकाल कर 'मजूर' खर्च की श्रेणी में डाले या किसी 'मजूर' होने वाले खर्च को 'भारित' मदों की श्रेणी में डाल दे।

विशेष रूप से उन मामलों की समिति जाँच करती है जिनका सम्बन्ध यद्यपि विशेष प्राक्कलनों से नहीं होता, परन्तु समिति यह समझती है कि उनकी ओर सरकार का ध्यान दिखाना चाहिए। जब समिति विषयों का चुनाव कर लेती है तो सम्बद्ध मन्त्रालय से कह, जाता है कि वह अपने सगठन व्यवस्था, कार्यकुशलता, प्राक्कलनों सम्बन्धी स्पीरि निहित प्रपत्र में जानकारी दे। इस प्रकार प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने के बाद सदस्य अपने सुझाव भेजते हैं, जिनके सम्बन्ध में कोई और जानकारी चाहिए। ये सुझाव एक प्रस्तावली के रूप में समेकित कर दिए जाते हैं और उन पर समिति, उप-समिति या अध्ययन दल विचार करता है। सभापति द्वारा उनका अनुमोदन होने के बाद उसे उत्तर हेतु मन्त्रालय के पास भेजा जाता है। समिति की जाँच का मूल उद्देश्य यह है कि प्रशासन में मितव्ययिता और कार्यकुशलता व्याप्त हो तथा प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं में रहते हुए धनराशियों का उचित ढंग से उपयोग किया जा सके। समिति संसद द्वारा अनुमोदित नीति की जाँच नहीं करती, किन्तु किसी अवाञ्छनीय नीति पर धन व्यय होने की स्थिति में समिति का यह कर्तव्य है कि वह सभा का ध्यान इस ओर दिलाए कि नीति में परिवर्तन करना वाञ्छनीय होगा। समिति को इसका अधिकार प्राप्त है कि वह संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों से अलग कोई निष्पारित नीतियाँ नहीं हो। समिति ने कई बार प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दिया है।

महत्त्व—प्राक्कलन समिति की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। समिति स्वेच्छा से सरकार के किसी विभाग को परीक्षा के लिए चुन लेती है। इस समिति के निर्माण में कुछ त्रुटियाँ होने के कारण वह अपने कार्य को अधिक सुन्दरता से नहीं कर पाती है। समिति को सौंपा जाने वाला कार्य विशेषज्ञों का कार्य (Expert's Job) होता है, लेकिन इस समिति के

सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते और अपने कार्य में विशेष अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है। इस समिति को किसी विशेषज्ञ जैसे कम्पट्रोलर तथा आडिटर जनरल की सहायता नहीं मिलती। यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो समिति की कार्य-क्षमता में निश्चित ही और अधिक वृद्धि हो सकती है।

6. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—लोक लेखा समिति प्राक्कनन समिति के भाई के समान है। प्राक्कनन समिति प्राक्कनन (Estimates) का परीक्षण करती है तो लोक लेखा समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इस समिति के महात्त्व के सम्बन्ध में ब्रैल एव शकषर ने लिखा है—“लोक लेखा समिति करदाताओं की राशि के खर्च की मजूरी देने के बाद करदाताओं के हित में आशा करती है कि उचित समय पर ब्यौरवार हिसाब कर दिया जाए कि वह धन किस प्रकार खर्च किया गया है। लोकसभा को अपना समाधान करना पड़ता है कि उसने जिन धनराशियों के खर्च की मजूरी दी थी वे उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च हुई है और गिनतव्यता तथा विवेकशीलता से खर्च हुई या नहीं, जिनके लिए मजूरी दी गई थी। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक सरकार के वार्षिक लेखों का पड़ताल करता है और पड़ताल के बाद लेखों का प्रभावपर देता है। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उन्हें ससद के सामने रखवा देते हैं। लोकसभा के लिए इन लेखों की जाँच करना असम्भव नहीं तो कठिन अवसर है, क्योंकि वे बड़े जटिल और तकनीकी ढंग के होते हैं और विस्तृत जाँच के लिए समय नहीं है इसलिए लोकसभा ने यह समिति बनाई है, जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है। इन लेखों की ब्यौरवार जाँच का काम लोक लेखा समिति का सौभाग्य है।”

सरचना—समिति में ससद के अधिकतम 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कोई मन्त्री समिति का सदस्य नहीं चुना जाता है और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य निर्वाचित होने के बाद मन्त्री हो जाता है तो उस नियुक्ति की तिथि से वह समिति का सदस्य नहीं रहता है। सामान्यतया समिति प्रत्येक वर्ष मई में बनाई जाती है और उसका कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति सम्बन्धित सभा में प्रस्ताव पास करके की जाती है। लोकसभा में यह प्रस्ताव समिति के सभापति द्वारा रखा जाता है और राज्यसभा में उसके किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो समिति का सदस्य हो। आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए चुने हुए सदस्य समिति के बाकी कार्यकाल में कार्य करते हैं। जब समिति का कोई राज्यसभा का सदस्य सविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत, राज्यसभा की सेवा से निवृत्त होता है तो उस सेवानिवृत्ति के कारण समिति में हुई रिक्तता की पूर्ति उस सभा के किसी अन्य सदस्य का नाम निर्दिष्ट करके की जाती है। ऐसे मामलों में लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें राज्यसभा से सिफारिश की जाती है कि वह राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य का नाम निर्दिष्ट करना स्वीकार कर ले, जिसे समिति के शेष कार्यकाल में समिति में सम्मिलित किया जाए। उस सभा द्वारा नियुक्त सदस्य के नाम की सूचना लोकसभा को दी जाती है। राज्यसभा की सेवा से निवृत्त होने के बाद चुन लिए जाने पर वह पुनः समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। उसके पद का कार्यकाल समिति की तरह एक ही वर्ष का होता है।

शक्तियाँ एव कृत्य (Powers and Functions)—लोकसभा की प्रक्रिया नियम 24(1) के अनुसार, “यह समिति भारत सरकार के व्यय के लिए लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखों और लोकसभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जाँच करती है।” भारत सरकार के विनियोग लेखे और इनमें नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय लोक लेखा समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर दे कि—(क) लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उन सेवा प्रयोजनों के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिनमें वह लगाया गया है या धारित किया गया है। (ख) व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। (ग) पुनर्वित्त सहाय अधिकारी द्वारा नियमित नियमों के अन्तर्गत एव किए गए उपबन्धों के अनुसार किया गया है। (घ) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण-योजनाओं और परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेख-विवरणों की तथा सन्तुलन पत्रों (Balance Sheets) अर्थात् लाभ-हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जाँच करना, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति ने अपेक्षा की हो जो किसी खास निगम, व्यापार सन्स्था परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था निर्धारित करने वाले सर्वविध नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करना। (ङ) स्वयंशशासित और अर्द्ध-स्वयंशशासित निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले विवरणों की जाँच करना जिसकी लेखा-परीक्षा, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के अन्तर्गत या ससद की किसी सतिधि के अनुसार की जा सके। (च) उन मामलों में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किसी प्राप्तिपत्रों की लेखा-परीक्षा करने की या मन्हार के और स्वरूप के लेखों की परीक्षा की अपेक्षा की हो।

यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस प्रयोजन के लिए ससद द्वारा अनुदत्त राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो तो समिति प्रत्येक मामले जिसके कारण अधिक व्यय हुआ हो के तथ्यों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों को जाँच कर आवश्यकतानुसार सिफारिशें करता है। यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति अतिरिक्त खर्चों के सम्बन्ध में अलग रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में विभिन्न अतिरिक्त खर्चों के सम्बन्ध में कारण बताए जाते हैं और यदि इनकी मजूरा पर अर्जित हो तो यह बताई जाती है। यदि समिति ने यह सिफारिश की हो कि अतिरिक्त खर्चों को नियमित रूप दिशा जाए तो अतिरिक्त अनुदानों की सीमा सभा के सामने पेश की जाती है और वित्त मन्त्र राधा से प्रार्थना करता है कि अतिरिक्त खर्चों को पूरा कराने के लिए अनुदान/निधियों स्वीकृत कर लिए जाएँ। समिति का महत्वपूर्ण कार्य वित्तिय अनुशासन और सिद्धान्त पर ध्यान देना है।

व्यापक अर्थों में नागरिक प्रश्नों से समिति का कोई सम्बन्ध नहीं है सामान्य नीति पर कोई विचार प्रकृत नहीं करती परन्तु यह बताना समिति के अधिकार क्षेत्र में है कि उस नागरिक कार्यक्षेत्र के समय फिजूलखर्चों हुई हैं या नहीं क्योंकि समिति का एक काम यह है कि खर्चों के अर्थव्यवस्थागत तरीकों पर नियंत्रण रखा जाए इसलिए उसे इस बात की रक्षा प्रदा है कि यदि यह आवश्यक समझ तो प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप कर उन व्ययस्थाओं को जाँच करे कि उन अनर्गत मात्रालय काम करते हैं लेकिन हस्तक्षेप के मामले बहुत कम हैं। समिति सामान्यतया धिक्कृतता लाने के लिए सामान्य नियंत्रण पर रक्षा केन्द्रित करती है और आन्तरिक प्रशासन के प्रश्न सम्बन्ध मात्रालय के लिए छोड़ देता है परन्तु यह प्रशासन की कार्यशैलियों को और ध्यान आकृष्ट कर सकती है और मात्रालय से कर सकती है कि वह उनका उपचार करे। समिति लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के ससद में पेश किए जाने से पहले उसकी जांच करती है परन्तु उसके सम्बन्ध में तब तक सभा कोई रिपोर्ट नहीं दे सकती जब तक कि तत्सम्बन्धी लेख और लेखा परीक्षा रिपोर्ट औपचारिक रूप से सभा के सामने पेश नहीं कर दी गई हो। समिति भारत सरकार द्वारा विभिन्न गैर सरकारी कम्पनियों व अन्य गैर सरकारी संस्था के साथ बिना गए करार के कार्यान्वयन की जाँच प्रारम्भ करती है तथा आवश्यकतानुसार वह अपनी या यथासंभव गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को अवसर दे सकती है कि वे उनके सामने पेश होकर वायान्वयन से सम्बन्धित शास्य हैं जिसके सम्बन्ध में समिति और आगे जानकारी चाहती हो या प्रतिनिधि स्वयं कुछ और स्पष्टीकरण देना चाहते हो।

जहाँ तक इस समिति की उपलब्धियों का प्रश्न है इसी सारांश कहा जायेगा। अपने गठन से लेकर आज तक समिति ने अपनी ओर से बहुत-सी अनियमितताओं की जाँच की है। समिति ने विभिन्न उपकरण विधियों की कार्यान्विति की परीक्षा की है। यदि समिति यह अनुभव करे कि न्यायालय के निर्णयधोत मामलों की जाँच से उस मामले पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, समिति उस मामले पर विचार स्वर्णित कर देती है। वास्तव में ससद की लोक लेखा समिति एक विशेषज्ञ संस्था है जिसके सदस्य मुख्यतः महालेखापाल से निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं। यह समिति अपनी कार्यकारी एक न्यायालय के समान कर। हुई अपने काम को दलीय विचारों से पुष्ट कर बनाए रखती है। सारांश में लोकलेखा समिति ससद के आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है।

7 विशेषाधिकार समिति (The Privilege Committee)—15 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति सदन में लोकसभा के स्पाकर की जाती है। इस समिति का कार्य सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges) का निरीक्षण करना करना है। सदस्यों के विशेषाधिकारों को ठेस पहुँचाने वाले मामले इसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उन पर वह अपना निर्णय देती है।

8. सब ऑर्डिनेट लैजिस्लेशन समिति (The Committee of Sub ordinate Legislation)—इस समिति का उद्देश्य मंत्रियों के प्रदत्त व्यवस्थापन (Delegated Legislation) सम्बन्धित अधिकारों का निरीक्षण करना और उसके सम्बन्ध में सदन का रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। 15 सदस्यीय इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए स्पाकर द्वारा की जाती है। भ्रष्टी इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते।

9 सरकारी आश्वासना सम्बन्धी समिति (The Committee on Government Assurances)— मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन को दिए गए आश्वासनों, वचनों अथवा प्रतिज्ञाओं की ध्यानदीन कलने और इन पर प्रतिवेदन देने के लिए 15 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए स्पाकर द्वारा की जाती है। इस समिति के प्रमुख कार्य ये हैं—(क) मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि का कहीं तक परिपालन किया गया है एवं (ख) जहाँ परिपालन किया गया है वह उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समय के भीतर हुआ है या नहीं।

10 सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों हेतु समिति (The Committee on Absence of Members from Sitting of the House)— इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनमें 1 वर्ष के लिए स्पाकर मनानीत करता है। यह समिति अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की छुट्टी के प्रार्थना पत्रों पर विचार करती है और 60 दिन या इससे अधिक दिनों तक सदन की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की स्थिति पर विचार करके सदन को सूचित करती है कि उसकी अनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाए अथवा उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाए

11 नियम समिति (The Rules Committee)—यस समिति के 15 सदस्यों का नियुक्ति स्पाकर द्वारा होता है। स्पाकर अपने पद के कारण इस समिति का पत्रन सम्पादक (Ex officio Chairman) होता है। समिति का प्रमुख कार्य सदन का प्रक्रिया और कार्य-संचालन सम्बन्धी विषयों पर विचार करना और उनसे सम्बन्धित नियमों में आशयक संशोधन आदि का सुझाव देना है।

12 लोक व्यवस्था समिति (Public Enterprises Committee)—इस समिति का पत्रन कृष्ण मंगल सिंह के अनुशासन पर 1963 में किया गया था। समिति के पत्रन लाकसभा एवं राज्यसभा के सम्मेलन में कार्य करता है। समिति में लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं जो एक-एक सप्ताह के लिए कार्य करते हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है तथा 1/3 सदस्य बार-बार स प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त होते हैं। समिति के कार्यक्षेत्र में व सभा व्यवस्था या भारतीय कम्पना अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित हैं तथा व सरकारी उद्योग विनियम अधिनियम 1956 का धारा 619 का उपबन्ध (1) के अन्तर्गत गठित हैं मन्त्र के अध्यक्ष रहता है।

(म) नवम भारतीय स्थायी समितियाँ—संसद का प्रतिवर्षीय कार्य अधिक कारण बनता तथा कार्य-निष्पत्ति का विषयों के प्रति अधिक जवाबदारी बनने के लिए 1989 में अठारवीं लोकसभा के कार्यकाल में तीन विभागों (1) कृषि, (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा (3) पर्यावरण एवं वन के प्रत्येक विषय में सम्बन्धित समितियों का गठन करने का शुभकाल का गढ़ था। इन संविधानों के राजनीतिक कार्यों का देखते हुए 21 मार्च, 1993 का दरम लोकसभा द्वारा पारित नियमनवा समिति का कृषि प्रतिवर्षीय सम्बद्ध स्थायी समितियों के लिए 17 विभागों की संख्या का मांग प्रस्तुत किया किन्तु अधिकतर केंद्रों पर सरकार के सभा मंत्रालय/विभाग आ जाते हैं। पिछला तीन समितियों का स्थान भी इन स्थायी समितियों ने ले लिया है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(1) कृषि समिति, (2) गुरु सम्मेलन की समिति, (3) मानव संसाधन विकास समिति, (4) उद्योग समिति, (5) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन समिति, (6) परिवहन एवं पर्यटन समिति, (7) कृषि समिति, (8) संचार समिति, (9) रक्षा समिति, (10) ऊर्जा समिति, (11) शिक्षा मन्त्रालय सम्बन्धित समिति, (12) वित्त समिति, (13) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक विद्युत समिति, (14) श्रम एवं कल्याण समिति, (15) पैदायित्व एवं रसायन समिति, (16) नगर एवं विकास समिति एवं (17) खेल समिति।¹

नई समिति संख्या का उपबन्धन 31 मार्च, 1993 को उपरोक्त के अन्तर्गत द्वारा किया गया। समितियों ने गठन होने के बाद कार्य करने प्रारम्भ कर लिया।

स्थायी समितियों का संगठन—प्रत्येक समिति में अधिकतम 45 सदस्य नियत किये जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से 30 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और 15 सदस्य राज्यसभा द्वारा नियत किये जाते हैं। किसी मन्त्र की समिति का सदस्य नमस्कार नहीं किया जाता है और यदि कोई समिति सदस्य मंत्री नियुक्ति हो जाता है तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता है। लोकसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विनियमों का पठना अनुसूची के भाग प्रथम में आकर 6 समितियों के सम्पादक अध्यक्षता के सम्पादक द्वारा नियत किये जाते हैं और शेष 11 समितियों के सम्पादक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। समितियों का कार्य-काल एक वर्ष होता है। राज्यसभा के सम्पादक और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समितियों के सदस्यों का नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित व्यक्तियों में से का जाता है। सामान्यतः समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिनिधित्व सदन में उनके प्रतिनिधित्व के अनुभव में होता है।² समितियों के कार्य

- (अ) सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग की अनुदान का मांगों पर विचार करना और सभा का अपना राय देना। समिति अपने प्रतिवेदन में कठोरता प्रस्ताव का श्रम के सुझाव नहीं दे सकता।
- (आ) राज्यसभा सम्पादक अथवा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभे में सम्बन्धित विभाग के विधायकों का परामर्श का प्रतिवेदन करना।
- (इ) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और सभा का अपना राय देना।
- (ई) सदन में प्रस्तुत ठन नतिगत विषयों पर विचार करना जो कि सम्पादक अथवा अध्यक्ष द्वारा समिति का सौंपे जाये।

मंत्रालय/विभागों के निम्नलिखित के प्रारम्भ में सभे में समितियों के अध्यक्ष स सुझाव रखा गया है। इन स्थायी समितियों का उपलब्ध यह होगा कि सरकार के मंत्रालय/विभागों की अनुदान मांगों पर सभा के कार्य में

¹ नवम गणतन्त्र (अध्यक्ष, विधानसभा) का लेख सन् 1993 प्रथम में सभा समितियों का सूचीय विषय-सूची, विधानसभा दुलाई-दिसम्बर 1994 पृ. 31

क्रम 45 सदस्यों द्वारा छानबीन की जाएगी तथा नीतिगत एवं कार्यक्रम योजनाएँ परियोजनाएँ, सिद्धान्तों तथा संस्कार द्वारा उनके कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करने में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। अब बजट पर सामान्य चर्चा के समाप्त होने के बाद लोकसभा निर्वाचन अर्थात् के लिए स्थगित हो जाएगी और समितियों इस मध्यावकाश के दौरान अनुदान माँगों पर विचार करेगी। तत्पश्चात् इन समितियों के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखी हुए लोकसभा द्वारा अनुदान माँगों पर विचार विमर्श किया जायेगा। वास्तव में कार्यपालिका को आम व्यक्ति के प्रति जवाबदेर बनाने के लिए निरन्तर विकसमशील ससदीय निगमों की नवीनतम उपलब्धि स्थायी समिति प्रणाली है। अतः समिति प्रणाली प्रशासन पर ससदीय निगरानी रखने का महत्वपूर्ण प्रयत्न है।

(6) संशोधन प्रक्रिया

(Amending Procedure)

संघीय संविधान एक कठोर संविधान होता है, इसके संशोधन की प्रक्रिया प्रायः जटिल होती है किन्तु भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई गई है। भारत के संविधान के अध्याय 20 का शीर्षक है—“संविधान संशोधन और इसमें एक ही अनुच्छेद 368 है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है।” डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था—“जो संविधान तो असन्तुष्ट है उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे ब्यस्य मत के आधार पर निर्वाचित ससद में दो तिहाई मत भी नहा पा सकते तो यह सर्वज्ञ जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असन्तोष में तनता उनके साथ नहीं है।”¹

संशोधन का प्रयत्न

संशोधन पद से मूल दस्तावेज की रूपरेखा में ऐसा परिवर्धन या परिवर्तन विवक्षित है जो उसमें सुधार करेगा या उस प्रयोजन को जिसके लिए वह बनाया गया था अधिक अच्छी तरह से कार्यान्वित करेगा।² उच्चतम न्यायालय ने संविधान में परिवर्तित संशोधन के तीन प्रकार बताए हैं जिनके द्वारा उसके उपबन्धों में संशोधन किया जा सकता है—

पहला वे जिन्हें बहुमत द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है जो साधारण विधि से पारित किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 4, 169 और 240 के अन्तर्गत वर्णित विषयों के संशोधन इस वर्ग में आते हैं और वे विनिर्दिष्ट रूप से अनुच्छेद 368 की परिधि से निरस्त दिए गए हैं।³

दूसरा वे जो विशेष बहुमत से कार्यान्वित किए जा सकते हैं जैसा कि अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है।

तीसरा वे जो अनुच्छेद 368 में उल्लिखित विशेष बहुमत के अतिरिक्त अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट कम से कम आधे राज्यों द्वारा पारित व कल्पों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हैं लेकिन ससद संविधान की आधारित संरचना में कोई संशोधन नहीं कर सकती।

संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया

(क) ससद की शक्ति—अनुच्छेद 368(1) के अनुसार इस संविधान में किसी प्रावधान के होते हुए भी ससद अपनी संविधानी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरक्षण के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।

(ख) विशेष बहुमत—अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान के सभी संशोधन ससद के प्रत्येक सदन का कुल सख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा।

(ग) विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन (By Special Majority and Ratification by the States)—इस श्रेणी में संविधान के वे उपबन्ध आते हैं, जो सभात्मक ढंग से सम्बन्धित हैं और जिनमें संशोधन के लिए ससद के प्रत्येक सदन के दो तिहाई बहुमत तथा 50 प्रतिशत राज्यों के विधाया मण्डलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। निम्नलिखित उपबन्धों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है—

(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54 55), (2) सभ एवं राज्यों की कार्यपालिका (अनुच्छेद 73 162) (3) सभ एवं राज्य कार्यपालिका (अनुच्छेद 124 147, 214 231, 241) (4) सभ और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति का विभाजन (अनुच्छेद 245 255) (5) ससद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुसूची 4) एवं (6) अनुच्छेद 368 के उपबन्धों में।

1 सी ए डी दिन 25 11 1947 पृ 225-226.

2 शकरी प्रसाद बनाम भारत सभ ए आई आर 1951 एच सी 458

3 डॉ. जय राम उपाध्याय भारत का संविधान पृ 560

4 जयन्तशरण पाण्डेय भारत का संविधान पृ 425

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिना किये बढियाई के सम्मन हो गये। एलेक्जेंडरिच के अनुसार, भारतीय संविधान को दुर्भाग्यविरहीत बनना पड़े रहा है।"

(2) भारत एक सघनक राज्य है फिर भी राज्यों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करार का अधिकार नही दिया जाया गया। राज्य सरकार के अधिकार हैं अतः राज्यों का संविधान संशोधन प्रस्तावित किये जाने का अधिकार दिया जाया चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में इस पहलू का ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान और राज्य सरकार व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य-विधानमण्डलों की स्वीकृति का प्रावधान रखा गया है अतः राज्यों को संविधान संशोधन का महत्व है।

(3) संशोधन प्रणाली में अपने राज्यों का अर्थ पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्यों की जवाबदाारी को पहलू को ताफ ध्यान नहीं दिया गया है। यह हो सकता है कि किस संविधान संशोधन की तरह प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा और गुजरात के विधानमण्डलों से पुष्टि प्राप्त होगी जिन जो देश के गैर-सोपाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या छत्र, 18 राज्यों के विधानमण्डलों के अनुसूचकों से पुष्टि किये गये संविधान संशोधन की वैधता और औचित्य पर प्रश्न-चिह्नक सिद्ध नहीं होना चाहिए। संशोधन विधानमण्डलों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नही हुआ था। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होना ही चाहिए कि जिस संशोधन संशोधन का अनुसूचकों करन वाले राज्य विधानमण्डल देश की आधी जगह का प्रतिनिधित्व करे इससे यह काम दूर हो जायगा।

(4) संशोधन प्रणाली में सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनिवार्यता के प्रावधान की यह व्यवस्था आलोचना की जाय है कि जिन का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत और राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति के बाद संशोधन को पास किया जाय चाहिए और राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नही होनी चाहिए जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। वहीं संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति का स्वीकृति का प्रावधान नही है अतः भारत में राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान राष्ट्र आरक्षण नही होना चाहिए।

(5) स्वतंत्रता के परवाना दश में किये गये संविधान संशोधन के अध्याप्य क्रम में संशोधन पद्धति की असफलता का उदाहरण कर दिया है। आन्ध्रप्रदेश के अनुसार ही व्यापक संविधान संशोधन के कारण मूल संविधान प्रायः समाप्त हो गया है बतान संशोधन योही रह गया है।

सिद्धान्त तथा व्यवहार में कार्यपालिका प्रणाली (The Executive System in Theory and Practice)

भारत सभ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल से मिलकर बनती है। मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत में शासन का स्वरूप संसदीय प्रणाली का है, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति राज्य का और साक्षर का प्रारंभिक अध्यक्ष है। सभ साक्षर के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

राष्ट्रपति

(The President)

संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार सभ को कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और यही इन शक्तियों का स्रोत है। अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार राष्ट्रपति व्यवहार में संवैधानिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करेगा यही अनुच्छेद 75 यह व्यवस्था देता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।

राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ (Qualifications for Election of President)—अनुच्छेद 58 के अनुसार यही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र है जो—

- (1) पात्र का नागरिक हो,
- (2) 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो,
- (3) लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो,

(4) पात्र साक्षर या राज्य साक्षर के अधीन या इन दोनों में से किसी से नियुक्त किसी स्थानों का अन्य अधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किए हो, लेकिन अनुच्छेद 59(2) में उल्लिखित व्यक्तियों के अनुसार भारत सभ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल, सभ एवं राज्यों के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के उत्तरदाता के रूप में योग्य माना गया है।

अनुच्छेद 58 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति न दो सप्ताह के किसी सदन और न किसी राज्य के विधान मंडल के सदन का सदस्य होगा। यदि ऐसे सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो यह संभव होगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद धारण की टाइटिल से रिक्त कर दिया है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया (Election Process of the President)—भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष (Indirect) निर्वाचन द्वारा चुना जाता है (अर्थात् अनुसूचित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सार्वजनिक मत के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा)।

निर्वाचक मंडल—अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित की शामिल किया गया है—

- (क) सभ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा
- (ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अर्थात् सभ तथा राज्यों की विधान-सभाओं में यदि कोई स्थान राष्ट्रपति के चुनाव के समय रिक्त हो तो इससे निर्वाचक मंडल अधूर्ण नहीं माना जाता है तथा रिक्तता के अन्वय पर राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में आरंभ नहीं की जा सकती।

नामांकन—राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होगा उसे 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा कराये होंगे तथा उसका नामांकन पत्र कम से कम 10-10 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जागा आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है कि केवल वे ही चुनाव लड़ सकें जिनका सामाजिक अनाधार है तथा ऐसे लोग निर्वाचन में भाग न ले सकें जो केवल अपना नाम सगाचार बरतों में देखने हेतु चुनाव में भाग लेते हैं। यदि किसी प्रत्याशी को कुल मतों के छोटे भाग के बराबर मत नहीं मिलेंगे तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

निर्वाचन-पद्धति एवं मतों के मूल्यांकन—राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक-गणदल प्रणाली के अन्तर्गत संसदीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 'न्यूनतम वोट' (Quota) प्राप्त करना होता है। इस न्यूनतम वोट को निर्धारित करने का सूत्र इस प्रकार है—

$$\text{न्यूनतम वोट} = \frac{\text{दिए गए मतों की संख्या} + 1}{\text{निर्वाचन होने वाले प्रत्याशियों की संख्या}}$$

न्यूनतम वोट की व्यवस्था ऐसी है जिससे मतदाताओं के स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सके तथा वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में परम्परा राज्य के सदस्यों के मतों में एकरूपता लाने के लिए तथा एकत्रित रूप से राज्यों तथा संघ के मतदाताओं के मतों में समानता लाने के लिए प्रत्येक संसद-सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों के मूल्यांकन की एक विशेष व्यवस्था है। इसका सूत्र इस प्रकार है—

1. विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य—

$$\text{राज्य की संख्या} = \frac{\text{राज्य की संख्या}}{\text{राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} + 1000 = \text{उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचन के मतों की संख्या}$$

एक हजार के उक्त गुणितों को गिनने के बाद यदि शेष 500 से कम न हों तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा।

इस प्रकार सब राज्यों के मतों की संख्या प्राप्त हो जाए तो उन सब के योग को समस्त के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मतसंख्या होगी। अपूर्ण संख्या जो आधे से अधिक है, एक मानी जायेगी और आधे से कम संख्या छोड़ दी जायेगी।

2. संसद सदस्य के मत का मूल्य—

$$\frac{\text{सब राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से प्राप्त मतों की संख्या}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} = \text{संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या}$$

इस प्रकार से निर्वाचित मतों के मूल्यांकन के आधार पर दिए गए मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता (First Preference) के मतों की गणना में प्रत्याशी को निर्वाचित होने के लिए आवश्यक प्रथम प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं होते तो द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतों की गणना की जाती है, जिसमें प्रथम मतगणना में सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी के मतों का हस्तान्तरण किया जाता है तथा यह क्रम इसी प्रकार चलता जाता है।

निर्वाचन पद्धति का मूल्यांकन—संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सांघैधानिक अग्र्यता होता है, अतः भारत में अमेरिका की भाँति सभी निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन (वास्तविक प्रणाली) की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई, पर यह ध्यान दिया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जहाँ तक हो सके जाता पर ही आधारित रहे। भारत में राष्ट्रपति की वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था से ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। पुनश्च राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक गणदल में लिये जाने का विशेष महत्त्व है। यदि राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों का मत लीते हैं तो संसद में बहुमत प्राप्त दल द्वारा अपने प्रत्याशी का सफलता से निर्वाचन सम्भव रहता, किन्तु राज्य विधान सभाओं द्वारा निर्वाचन में भाग लेने से स्थिति में आधारभूत अन्तर आ गया है। यह सम्भव है कि संसद में जो बहुसंख्यक दल है उसे अधिकांश राज्यों में बहुमत न मिलता हो; ऐसी स्थिति में संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्य विधानसभाओं के समर्थन के बिना अकेला ही अपने प्रत्याशी को राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं करवा सकता अर्थात् राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के जन-प्रतिनिधित्व को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में देश की जनता ही भाग लेती है।

(छ) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा सक्तप पारित न किया गया हो।

जब आरोप समद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या बरगणना और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा।

यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट करने वाला सक्तप कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे सक्तप का प्रभाव उसके पारित किये जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। [अनुच्छेद 61(4)]

भारतीय और अमेरिकन संविधानों में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अन्तर्गत या अतिरिक्त के लिए लगाया जा सकता है वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग 'राजद्रोह, धूम लेना तथा अन्य अपराध' करने के आधार पर लगाया जा सकता है।

महाभियोग प्रणाली का मूल्योक्तन—इस प्रणाली में अनेक कठिनाई हैं। सर्वप्रथम यह याच का स्थापित सिद्धान्त है कि 'न नियुक्त करता है वही पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में समद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं परन्तु उसके महाभियोग में निर्वाचित समद ही भाग ले सकते हैं जो न्याय संगत नहीं है। द्वितीय निर्वाचन में केवल निर्वाचिता समद एवं विधायक भाग लेते हैं परन्तु महाभियोग में मतोन्नीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं जो भ्रष्टियुक्त है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार—संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रदान करता है—

1 राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए आवश्यक कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, किन्तु अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग के आरोप की जांच के लिए समद के सदन द्वारा नियुक्त या निर्दिष्ट न्यायालय न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विचार किया जा सकेगा।

2 राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी प्रकार की दण्डनीय कार्यवाही न्यायालय में स्मिथ (Insulted) नहीं की जाएगी और न चालू लगी जाएगी।

3 राष्ट्रपति की पदावधि में उसे बन्दी या कारावास के लिए न्यायालय से कोई आदेशिका देने की शक्ति नहीं है अर्थात् राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बन्दी नहीं बनाया जा सकता है।

4 राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने के पूर्व या पश्चात् अपने वैयक्तिक रूप में किए गए अथवा कृपि अतिशय किसी कार्य में राष्ट्रपति के विरुद्ध अनुलोष (Relief) वाली कोई दीखनी कार्यवाही उसके कार्यकाल में स्मिथ (Insulted) नहीं की जाएगी जब तक कि (क) इसकी लिखित मूचना राष्ट्रपति को न दे दी गई हो (ख) ऐसी मूचना के बाद दो माह बीत न गए हों एवं (ग) इस मूचना में उस कार्यवाही की प्रकृति, बाद कारण, पक्षधर का नाम, निवास-स्थान तथा माँग किए जाने वाले अनुलोष का विवरण न दिया गया हो।

राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ लेना—अनुच्छेद 60 में लिखा है "प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है अपने पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिकारि अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राथम अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निरा रूप में शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।"

"मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अष्टापूर्वक भारत का राष्ट्रपति पद का कार्यपालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।"

पूर्व में ईश्वर की शपथ का प्रावधान था, परन्तु बाद में संविधान निर्माता सभा ने सत्यनिष्ठा शब्द यह शोध कर जोड़ दिया कि यदि सदस्य नास्तिक हुआ तो वह ईश्वर की शपथ कैसे लेगा।

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति

- (i) पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर
- (ii) मृत्यु से
- (iii) पद त्याग से
- (iv) महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर
- (v) उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से [अनुच्छेद 65(1)]

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों के सम्यन्ध में व्यवस्थाएँ

(क) जब रिक्ति राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले कर लिया जायेगा। [अनुच्छेद 62(1)]¹ यदि उसे पूरा करने में विलम्ब हो जाता है तो 'राज अन्तराल' न होने पाए, इसलिए यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। [अनुच्छेद 56(1)]। ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।²

(ख) पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न परिस्थिति में नवीन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पर्याप्त यथाशीघ्र प्रत्येक दश में छह माह पूर्व कर लिया जाएगा। ऐसी रिक्ति होने पर यथा राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा [अनुच्छेद 65(1)], लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से पूरे पाँच वर्ष की पदावधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

(ग) स्थायी रिक्ति के अतिरिक्त सम्भव है कि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। यह भारत से बाहर अनुपस्थिति नीमापे या अन्य कारण से हो सकता है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का उस तारीख तक निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कृत्यों को फिर से पुनः सम्भालता है। [अनुच्छेद 65(3)]³

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

(Powers of the President)

राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की सविधान-प्रदत्त विस्तृत और प्रभावशाली शक्तियों को चार शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है—(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ब) विधायी शक्तियाँ, (स) वित्तीय शक्तियाँ एवं (द) मकतकालीन शक्तियाँ।

राष्ट्रपति की शक्तियों पर सौंघैधानिक मर्यादा—राष्ट्रपति की शक्तियों का विरलेषण करने से पूर्व हमें उन सौंघैधानिक मर्यादाओं को देखना होगा जिसके अधीन वह कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है।

राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग सविधान के अनुसार करना चाहिए [अनुच्छेद 53(1)]। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करेगा। यदि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिसको सलाह प्रधानमंत्री ने नहीं दी है तो यह सविधान का उल्लंघन होगा।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार किया जा सकेगा। [अनुच्छेद 74(1)]। 42वें सविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था है कि 'राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।' 'कार्य करेगा' शब्द के प्रयोग से राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, लेकिन, 44वें सविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परन्तु जोड़ा गया जो इस प्रकार है—'परन्तु राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पर्याप्त की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।'⁴

अतः राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने से इनकार करने पर उस पर सविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकेगा, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मन्त्रिपरिषद के पास भेज सकता है। यदि मन्त्रिपरिषद अपनी पूर्व सलाह पर टिकी रहती है तो राष्ट्रपति के पास उसके अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है। भारतीय सविधान उपर्युक्त मर्यादाओं के अधीन राष्ट्रपति को निम्नांकित शक्तियाँ प्रदान करता है—

(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ—सविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार सभ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है जिसका प्रयोग वह सविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है फिर भी सभ के सभी अधिकारों उसके 'अधीनस्थ' होंगे। [अनुच्छेद 53(1)] और उसे सभ के कार्यकलाप को जानकार पाने का अधिकार होगा। [अनुच्छेद 78 (ख)]।

1. भारत का सविधान 1996, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, पृ. 18.

2. वही, पृष्ठ 17 एवं दुर्गादास बसु, भारत का सविधान : एक परिचय, 1994, पृ. 163.

3. वही, पृ. 163.

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में प्रशासनिक, राजनीतिक, सैनिक और न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक शक्तियाँ शामिल हैं। सशोध अधिकारियों को नियुक्त करने की उसे व्यापक शक्तियाँ हैं। जिन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है उनमें से मुख्य हैं—प्रधानमंत्री तथा अन्य सशोध मंत्री, महाधिवक्ता, निपन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, राजदूत एवं अन्य राजनयिक अधिकारी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, अनुसूचित वर्गों के लिए विशेष अधिकारी आदि। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करता है जैसे—वित्त आयोग, योजना आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं भाषा आयोग आदि। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों, राज्यपालों, महाधिवक्ता, उच्च सैनिक अधिकारियों आदि को पदच्युत करने का अधिकार है। यह प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है और राज्य का अध्यक्ष होने के नाते सभी राजनयिक विशेषाधिकारों का उपयोग करता है। देश के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है और विदेशी राजदूत अपने पद के प्रमाण-पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों या समझौते उसी के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिकों को भारत-रत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों के द्वारा सम्मानित एवं अलंकृत करता है। कुछ नियुक्तियाँ करने में संविधान में यह अपेक्षा है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भिन्न व्यक्तियों से परामर्श करेगा जैसे—उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे [अनुच्छेद 124] (2)। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की राष्ट्रपति शक्ति संविधानिक औपचारिकता मात्र है यह औपचारिक शक्ति तब व्यावहारिक बन जाती है जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति को अपने विवेक को प्रयोग में लाने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं।

(ब) विधायी शक्तियाँ—संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अधिभंग करता है। सय की विधायी शक्तियों को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों में निहित माना गया है। राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का अधिभंग करता है क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित अथवा भंग करने तथा गतिरोध हो जाने पर संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक आहूत करने की उसे शक्ति प्राप्त है। उसमें भाग देने और सन्देश भेजने का अधिकार है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में से किसी क्षेत्र का विशिष्ट व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो-इण्डियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि इस सम्प्रदाय को संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। संविधान में एंग्लो-इण्डियन को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी के माता-पिता में से कोई योरोपीय नस्ल का हो, वह एंग्लो-इण्डियन कहलायेगा। एंग्लो-इण्डियन वही व्यक्ति है जिसका पिता अंग्रेज तथा माता भारतीय मूल की हो।

संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम का रूप दे सकता है। संविधाने संशोधन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है अथवा विधेयक को अपने सन्देश या संशोधन सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समुख प्रस्तुत हो जाए तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। इस प्रकार राष्ट्रपति को विलम्बन विशेषाधिकार है पूर्ण विशेषाधिकार नहीं है। विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण आज्ञा के बिना संसद में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, जैसे—वित्त विधेयक, राज्य की सोमा अथवा नाम को बदलने से सम्बन्धित विधेयक, व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत संसद के विभ्रान्तिकाल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, किन्तु ऐसे अध्यादेश को संसद के सत्र प्रारम्भ होने से 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना पड़ता है और ऐसा न करने पर अथवा संसद द्वारा उसे 6 सप्ताह के भीतर अस्वीकृत कर देने पर अध्यादेश अवैध हो जाता है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को अपनी इच्छानुसार वापस ले सकता है। राष्ट्रपति को अगहमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिजोराम और अर्मानन्दोव द्वीप समूह आदि सशोध क्षेत्रों को शान्ति, विकास और अनुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

(स) वित्तीय शक्तियाँ—संविधान में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्त विधेयक संसद के समक्ष केवल उनकी सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसे आकस्मिक निधि पर नियन्त्रण प्राप्त है क्योंकि वह ऐसे व्यय के लिए इस निधि से धनराशि निकालने का अधिकार दे सकता है जिसके सम्बन्ध में संसद की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न हुई हो, इस पर कालान्तर में संसद की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग नियुक्त करता है जिसकी सिफारिशों के आधार पर अथवा अन्य कारणों से विभाजन किया जाता है। राष्ट्रपति यह निश्चित करता है कि पटसन के निर्यात कर की माय में से कुछ राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए।

(8) **न्यायिक शक्तियाँ**—संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियों का प्रदान की गई है। वह उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह धनदायक करने की शक्ति के अन्तर्गत अपराधियों के दण्ड को कम करने, स्थगित करने या धना करन का अधिकार रखता है। वह ममद की स्वीकृति स देश में आम फरस (General Amnesty) की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति के सामान्यकालीन कार्यों और अधिकारों का सूचीबद्धन—सामान्यकाल में राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल का प्रमुख के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति के कहने पर मंत्रिमण्डल पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य है तथापि राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद मंत्रिमण्डल द्वारा दी गई मन्त्रों का मनने के लिए बाध्य है।¹ अतः राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्त के रूप में संमित शक्तियाँ हैं। वह प्रपनमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल की सहायता और सल्लाह के अन्तर्गत कार्य के लिए बाध्य है। वह देश का औपचारिक शासक है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers of the President)

जर्मनी के राष्ट्रपति संविधान की धरि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को तीन आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) युद्ध या आक्रमण अथवा 'सशस्त्र विद्रोह' से उत्पन्न अज्ञान (अनुच्छेद 352)—

1. अनुच्छेद 352, यह उपलब्ध करता है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि मद्राज अथवा सिन्धु विधानन है, जिसमें युद्ध, बन्ध आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा संभव है या ऐसा सक्क सम्भव है या वह उद्घोषणा द्वारा इस तथ्य की घोषणा, 'सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में या उस ऐसे भाग के सम्बन्ध में कर सकेगा जो उद्घोषणा में उल्लिखित किया जाए।' ऐसी घोषणा का राष्ट्रपति उनतर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस (Revoked) ले सकता है या परिवर्तित (Vared) कर सकता है, लेकिन मार्च 1988 में पारित 59वाँ संविधान संशोधन ने किसी व्यवस्था की दोषों के लिए पञ्च पर लागू होगी है, आन्तरिक उपद्रव की शब्दावली को पुनः अनुच्छेद 352 में जोड़ दिया गया है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के माध्यम से नये अनुच्छेद 359 (क) में यह व्यवस्था निहित की गई है कि भारतीय मूल का राष्ट्रपति देश में आन्तरिक उपद्रव होने की स्थिति में देश का एकता और अखण्डता के सक्क को ध्यान में रखकर सारे देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर सकता है। ऐसे पञ्च में आपातकाल लागू करने हेतु किया गया था।

2. राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी कराया जब उसे मंत्रिमण्डल का विनिश्चय लिखित रूप में समुचित किया जाएगा अर्थात् पूरे मंत्रिमण्डल के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं जैसा 1975 में हुआ था। (खण्ड 3)

3. ऐसी उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के सभ्य नहीं जाएंगे और 1 मस (44वें संशोधन के पूर्व 2 मस) का समर्थन पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस कालवधि की समाप्ति के पहले संसद के दोनों सदनों के सक्क द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो। यदि ऐसी उद्घोषणा उस समय की गई है जब लोकसभा का विघटन हो चुका है या उमद्य विघटन खण्ड (2) के अन्तर्गत बिना कार्य सक्क्य परित किए 1 मस की अवधि के भीतर हो जाता है जबकि राज्यसभा ने सक्क्य का अनुमोदन कर दिया है तो वह उद्घोषणा पुनर्गठित संसदों की प्रथम बैठक का तत्पश्च में 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी, जब तक उद्घोषक 30 दिन की समाप्ति के पूर्व उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला सक्क्य परित न कर दिया गया हो। उद्घोषणा का अनुमोदन वाला सक्क्य सदन के विशेष बहुमत से परित किया जाता चाहिए अर्थात् कुल सदस्यों के बहुमत से उल्लिखित तथ्य मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से परित होना चाहिए। 44वें संशोधन के पूर्व ऐसा सक्क्य सदन के संधारण बहुमत से परित किया जा सकता था। (खण्ड 6)

4. संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपात-उद्घोषणा दूसरे सक्क्य के परित होने की निधि में 6 मस की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगी, यदि इससे पहले प्रलिसहता (Revoke) न कर दी गई हो। उ-मस की अवधि से अधिक रखने के लिए प्रत्येक छ मस पर संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि छ मस की अवधि के भीतर आपात-उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उद्घोषणा पुनः के परचान नहीं लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि इस अवधि के पूर्व उद्घोषणा का रदन द्वारा अनुमोदन न कर दिया गया हो। यह उद्घोषणा के अनुमोदन का सक्क्य बहुमत से परित किया जाता है। (खण्ड 5)

5. खण्ड (7) उल्लिखित करता है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को प्रलिसहता (Revoke) करना पण्डा यदि लोकसभा संधारण बहुमत से इस संसद करने के विषय में सक्क्य परित कर देती है। खण्ड (8) उल्लिखित करता है

कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस उद्घोषणा की समाप्ति के आशय का संकेत (क) स्वीकर करे, यदि सदन वा सभा चल रहा है या (ख) राष्ट्रपति को यदि सदन वा सभा नहीं चल रहा है दिया गया है तो उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति या स्पीकर वा 14 दिनों में सदन वा विशेष सत्र बुलाना होगा। खतरे की आशंका से आपात की घोषणा का जा सकता है। अतः आपातस्थिति के अस्तित्व में राष्ट्रपति का समाधान (Satisfaction) पर्याप्त है। यह एक कि भागान्त उद्घोषणा के लिए पर्याप्त परिस्थितियों विद्यमान हैं या नहीं अथवा संसद की आशंका सही है या नहीं विचार करने की सुरक्षा खतरे में है राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है। न्यायालय राष्ट्रपति के समाधान का आलोचना कर नहीं कर सकता है।

6 खण्ड (9) स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 352(1) के अधिन विभिन्न आपातों पर आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति शामिल है फिर भले ही इसके अन्तर्गत घोषणा करने की जा चुकी हो और वह प्रवर्तन में हो।

7 42वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया है कि आपात-उद्घोषणा देश के किसी भाग में परिस्थिति की जा सकती है या सम्पूर्ण भारत में लागू है तो उसे एक भाग से हटाया जा सकता है जहाँ स्थिति सामान्य हो गई है। इस प्रयोजन से प्रस्तुत संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शब्दावली—“सम्पूर्ण भारत का सम्बन्ध में या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में” जोड़ी गई है तथा शब्द (क) में परिवर्तित (Varied) शब्द जोड़ा गया है। इस संशोधन के पूर्व आपात का उद्घोषणा भारत के सम्बन्ध में की जा सकती थी।

8 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद आपात उद्घोषणा 6 माह के लिए प्रवर्तन में रहेगी। इस अवधि का बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा।

आपात उद्घोषणा का प्रभाव—अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात-उद्घोषणा के निम्नलिखित परिणाम होते हैं—

1 सभ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है कि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति में करें। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केन्द्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है।

2 संसद को राज्य-सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह ऐसे विषय पर कानून बना सकती है जो सभ या उसके पदाधिकारियों को कर्तव्य प्रोत्साहित हो, भले ही वह विषय सभ-सूची में वर्णित न हो। आपातकालीन स्थितियों में केन्द्र तथा राज्यों के बीच विधान-शक्ति का विभाजन नाममात्र का रहता है। आपातकाल के दौरान अन्य विधानमण्डल की कानून बनाने की शक्ति निलम्बित कर दी जाती है। राज्य विधानमण्डल राज्य-सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं जो संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन होते हैं।

3 राष्ट्रपति उचित समझे तो आदेश द्वारा अनुच्छेद 268 से 279 में उपबन्धित केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश को राष्ट्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4 संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और आपात-उद्घोषणा का समाप्त हो जाने के पश्चात् 6 माह बाद स्वयं समाप्त हो जाएगी।

5 एम ए शत्रुघ्न वगैरह भारत सभ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनियमित किया कि आपात-उद्घोषणा के प्रभाव से अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलम्बित नहीं होते हैं बल्कि उनका प्रवर्तन करने का अधिकार निलम्बित रहता है। अतः विधिक दावे आपात-उद्घोषणा से रद्द नहीं हो जाते हैं। उनको केवल 358 और 359 (1) के प्रवर्तन काल में विधि बनाकर निलम्बित किया जा सकता है।

6 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रपति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार को गौरीलम्बा नहीं कर सकता तथा आपात के दौरान उन्हीं विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से रक्षण प्राप्त होगा जो आपात उद्घोषणा से सम्बन्धित है। अन्य विधियों की विधि-मान्यता को आपात के दौरान चुनौती दी जा सकती है।

अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को काफी व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। विश्व के किसी संघसत्क संविधान में आपात उपबंध को समावेश नहीं किया गया है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि राष्ट्रपति इस व्यापक शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है किन्तु डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस आशंका को निर्मूल बताने हुए कहा था कि संविधान में निम्नलिखित उपबन्ध राष्ट्रपति की शक्ति पर पर्याप्त अंकुश रखते हैं—

राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की सहायता और परामर्श से करता है। लोकसभा के विघटन के बाद ही मन्त्रपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बनी रहती है अतः वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रपरिषद में निहित होती है।

(2) राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल होने में उद्भव आपात (अनुच्छेद 356) — सच सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार सविधान के उपबन्धों के अनुसार चलती रहे (अनुच्छेद 355)। इसलिए यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है या राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है जब सच की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में राज्य असफल रहता है (अनुच्छेद 365)। राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा द्वारा—

- (क) उस राज्य की कार्यपालिका के या अन्य प्राधिकारी के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा।
- (ख) यह घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग ससद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जा सकेगा, परन्तु ऐसी घोषणा द्वारा उच्च न्यायालय के कृत्य नहीं लिए जा सकेंगे। जब उद्घोषणा द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निम्नित किया जाता है तब—
- (i) ससद उस राज्य के लिए विधान बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन राष्ट्रपति को या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कर सकती है।
- (ii) जब लोकसभा सत्र में न हो तब राष्ट्रपति ससद द्वारा ऐसे व्यय की मजूरी दिए जाने तक राज्य की सचिव निधि से व्यय प्रधिकृत कर सकेगा।
- (iii) जब ससद सत्र में न हो तब राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के लिए अध्यादेश प्रज्ञापित कर सकेगा (अनुच्छेद 357)।

ऐसी उद्घोषणा की अवधि दो मास की होगी, किन्तु यदि जब उद्घोषणा की गई थी तब लोकसभा का विघटन हो गया था या उपर्युक्त दो मास की अवधि के भीतर विघटन हो गया है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठित होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगी जब तक कि ससद ने उद्घोषणा का अनुमोदन न कर दिया हो। ऐसी उद्घोषणा की दो मास की अवधि का ससद के दोनों सदनों द्वारा पारित सकल्प द्वारा विन्यत किया जा सकता है। यह विस्तार एक बार में छह मास की अवधि के लिए होगा और अधिकतम तीन वर्ष होगी। [अनुच्छेद 356 (3) (4)], किन्तु तीन वर्ष की अवधि तभी बढ़ाई जा सकती है जब—

- (क) ऐसे सकल्प के पारित करने के समय सम्पूर्ण भारत में या सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवृत्त में है।
- (ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खण्ड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा की प्रवृत्त बनाये रखना सम्बन्धित राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाई के कारण आवश्यक है।

उद्घोषणा दुर्भाव से भी की गई है या उद्घोषणा में प्रकृत किये गये कारणों का राष्ट्रपति के समाधान से कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं अर्थात् इस सम्बन्ध में न्यायालयों को 1971 मसौदा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 352 और 356 में अन्तर—

(1) अनुच्छेद 352 राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यथावत कार्य करती रहती है। केवल केन्द्र को राज्य-सूची के विषयों पर विधान और प्रशासन की समस्त शक्ति मिल जाती है जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल को निम्नित अथवा विघटित कर दिया जाता है और राज्य की प्रशासनिक एवं विधायी शक्तियाँ केन्द्र सरकार में निहित हो जाती हैं।

(2) अनुच्छेद 352 की व्यवस्थाएँ समान रूप से सभी राज्यों पर लागू होती हैं, जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्र और केवल एक राज्य (जिसमें सांविधानिक तन्त्र विफल हो गया हो) के सम्बन्धों में परिवर्तन होता है।

(3) अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार निरालम्बित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 356 में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(3) वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)—अनुच्छेद 360 उपबन्ध करता है कि यदि राष्ट्रपति को 'समाधान' हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साध (Stability or Credit) संकट में है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। वह राज्य के सेवारत कर्मचारियों के वेतन तथा भतों में कमी करने और धन-विधेयक तथा वित्तीय विधेयक स्वीकृति के लिए अपने पास भेजने के निर्देश दे सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों व केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों के वेतन तथा भतों में कमी करने का आदेश दे सकता है।

अनुच्छेद 360 की उपयोगिता को कारावाची 2 महीने की होगी। यदि उक्त दो महीने की समाप्ति के पहले सप्तराज्य पारित संकल्प से अनुमोदित नहीं की जाती है तो 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी।

राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियाँ अधिकतर प्राप्त हैं तथापि वह उनका मनमाना उपयोग नहीं कर सकता। वह अपने पद के ही कारण गणराज्य का प्रधान है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है तथा मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है।

भारतवर्ष में इस प्रकार के वित्तीय संकट की घोषणा अद्यतन नहीं की गई है।

राष्ट्रपति का आपात शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग

(1) राष्ट्रीय संकटकाल—अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत बाह्य आक्रमण की स्थिति में इस शक्ति का प्रयोग अक्टूबर 1962 और दिसम्बर 1971 में हुआ तथा आन्तरिक अशांति की स्थिति में इसका प्रयोग जून 1975 में किया गया। सितम्बर 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण होने पर 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति डॉ. राजाकृष्णन ने जो आपात-उद्घोषणा की वह 10 जनवरी 1968 तक चली। राष्ट्रपति की उद्घोषणा में कहा गया कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे बाह्य आक्रमण से भारत की सुरक्षा संकट में है। 3 नवम्बर 1962 को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 21 एवं 22 स्थगित किए गए और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शक्ति लेने के अधिकार को भी स्थगित किया गया और 14 नवम्बर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित किया गया। 26 अक्टूबर 1962 को ही भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश जारी किया गया। भारत प्रतिरक्षा नियम, सैन्यिक प्रतिरक्षा सेवा नियम, भारतीय प्रतिरक्षा (सम्पूर्ण अर्जन एवं अधिग्रहण) नियम आदि भी इसी अधिनियम के आधार पर बनाए गए। विधेयक को बाद में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

इसी प्रकार दिसम्बर 1971 में पूर्वोक्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने पर 3 दिसम्बर को आपात-स्थिति की घोषणा पुनः की गई। 1971 में पाकिस्तान-आगतकाल तो लागू था इसके साथ ही आन्तरिक अशांति की स्थिति में 25 जून 1975 से आपात-स्थिति लागू की गई वह 21 मार्च 1977 तक चली। 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार आपात-स्थिति लागू करने के पश्चात् सविधान की सभी व्यवस्थाओं का प्रयोग किया गया। 27 जून को राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया जिसके अनुसार सविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 में दिए गए अधिकारों को लागू करने के अतिरिक्त में किसी नागरिक विनये विदेशी नागरिक शामिल है, द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के अधिकार को निलम्बित किया गया। इस अतिरिक्त में अदालतों में विचाराधीन मामलों को आपात-स्थिति की अवधि तक स्थगित किया गया। यह आदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत सच पर लागू हो गया। इन 19 महीनों के दौरान श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए जिनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर गम्भीर प्रभाव पड़ता था। इस अवधि में राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा नागरिक अधिकारों का निलम्बित किया गया, अदालतों और अधिव्यक्ति को स्वतन्त्रता को सविधान संशोधन के द्वारा सीमित किया गया।

मार्च 1977 में जनता सरकार बनी और लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। 25 जून 1975 और 3 दिसम्बर 1971 की राष्ट्रपति की आपात-उद्घोषणाएँ क्रमशः 21 और 27 मार्च 1977 को रद्द किए जाने से देश में आपात-स्थिति औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। तदनुसार भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों 26 दिसम्बर, 1977 तक उपलब्ध रही, पर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाए और केन्द्र सरकार से पहले सलाह-मशवर्तियों के बाद। आन्तरिक सुरक्षा अनुसंधान अधिनियम, 1971 कानूनों में बना रहा, परन्तु राज्य सरकारों को नजरबन्दियों को कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बन्दियों को छोड़कर रिहा करने की सलाह दी गई। बाद में इस कानून के स्थान पर निवारक नजरबन्दियों के सम्बन्ध में कानून बनाए गए इसका निरसन करने के लिए निर्णय किया गया। राजनीतिक सम्बन्धता अथवा विश्वास के लिए हिंस्रता में रूढ़े गए व्यक्तियों को रिहा करवाने के लिए प्रयत्न किए गए और तथाकथित नवसम्बन्धियों के लिए नई नीति तैयार की गई। महत्वपूर्ण नीतियों तथा प्रशासकीय आदेशों को वर्तमान सरकार का नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनकी समीक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई।

नागरिक स्वतन्त्रताओं को बहाल करने की 1977 में आरम्भ की गई प्रक्रिया का अन्तिम चरण 1978-79 में सम्पन्न हुआ। आन्तरिक सुरक्षा कानून 3 अगस्त, 1978 से रद्द किया गया और आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन सभी नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा किया गया।

(2) राज्य में संकटकाल—राज्यों में सार्वभौमिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में राज्य प्रशासन का संचालन करता है। राज्य प्रशासन पर सप्तराज्य का नियन्त्रण स्थापित हो जाता है।

(3) वित्तीय संकटकाल—अभी तक देश में वित्तीय संकटकाल की घोषणा नहीं की गई है।

आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन (Evaluation of Emergency Powers)—राष्ट्रपति को सङ्कटकालीन शक्तियों की सविधान-सभा में कड़ी आलोचना की गई थी। कुछ सदस्यों ने यह मत प्रकट किया था कि इन विधान शक्तियों का आश्रय लेकर भारत का राष्ट्रपति भविष्य में तानाशाही स्थापित कर सकेगा जैसे की हिटलर ने जर्मनी में सविधान की धारा 48 का लाल टटोते हुए की थी। बी. दास (B Das) के अनुसार "ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को दक्षिण अफ्रीका के उन प्रधानों की तरह बना देंगी जो वित्तीय शक्तियों सहित समस्त शक्तियों को हड़प सकते थे और प्रान्तों को वित्तीय सङ्कट में डाल सकते थे।" आलोचकों के अनुसार भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रवर्तन और प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहता—

1. राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सङ्कटकालीन घोषणा पर दो मास तक (44वें सविधान संशोधन के बाद एक मास) कोई प्रतिबन्ध नहीं है और प्रतिबन्धहीन अवस्था में राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का निर्वाह रूप में दुरुपयोग कर सकता है।

2. राष्ट्रपति को सङ्कटकालीन परिस्थितियों में निर्णय करने का अधिकार है जिसको न्यायपाल्य में चुनौती नहीं दी जा सकती। (44वें सविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई निश्चित सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी)।

3. 'युद्ध के कारण आपात' और 'राष्ट्रकालीन आपात' तथा 'अन्तरिक अशांति के कारण आपात' में भारतीय सविधान में भेद नहीं किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक हड़ताल होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस घोषणा के परिणाम वही हो सकते हैं जो युद्ध सम्बन्धी आपात घोषणा के हो सकते हैं (जून, 1975 की आपात-घोषणा के बाद ऐसा हुआ था। अब 44वें संशोधन द्वारा निरिधाय किया गया है कि सरासरी विद्रोह के अन्तर्गत अन्य प्रकार के अन्तरिक उपद्रवों पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जायेगी)।

4. राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा के दौरान सप्ताहिक सत्र में भी इच्छाओं की सरकारें स्थापित कर दी जायें।

5. केन्द्र में सतत-रुद्ध शासन यदि चाहे तो किसी राज्य में जहाँ मन्त्रिमण्डल की स्थिति बहुत सुदृढ़ है दर्शनीय स्वयं ही या पूर्व-ग्रहों के आधार पर सांविधानिक तंत्र के असञ्जन होने की घोषणा कर उस राज्य सरकार को अपदक्ष्य कर सकता है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग स्पष्ट प्रमाण है।

6. यदि राज्य केन्द्रीय सरकार के निर्देशन का पालन न करे तो इस पर राष्ट्रपति राज्य में सांविधानिक तंत्र के असञ्जन होने की घोषणा कर सकता है। किसी इच्छाई राज्य में शासनतंत्र की विघ्नता की घोषणा की जा सकती है जब वहाँ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाय। सन् 1994 में एम. आर. बोम्बई बनाव भारत सरकार नामक बन्द में सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति को सीमित कर इनके दुरुपयोग को बर्तन कर दिया है।

जून, 1975 की आपात-उद्घोषणा के अनुभवों के परिधि में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आपातकाल के विरुद्ध कुछ और सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गयी है। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई निश्चित सलाह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी तबकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह घोषणा उपद्रवपूर्ण और पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद की गई है। 44वें संशोधन द्वारा सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई कि आपात-उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा ठमो बहुमत से स्वीकार किया जाना होगा जिनका बहुमत सविधान में संशोधन के लिए आवश्यक होता है और यह स्वीकृति एक महीने की अवधि के भीतर दी जानी होगी। अतः नवीन परिस्थिति में यह विचार उपयुक्त नहीं है कि आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाय। राष्ट्र की सुरक्षा का अन्तिम उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है, अतः सङ्कटकाल में राज्य की समस्त शक्तियों को अपने नियंत्रण में लाने का अधिकार उसे होना चाहिए। संसद और जनमत को संतुष्ट राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग की सम्भावनाओं को समाप्त कर सकती है। भारत के राष्ट्रपतियों की आपातकाल की कार्य-शैली इस तथ्य की पुष्टि करती है कि वे सांविधानिक शासक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। उनमें तानाशाही शासक के रूप में आचरण करने की मानसिकता दृष्टिगत भी नहीं है। उन्होंने यह माना कि वे औपचारिक सांविधानिक अध्यक्ष हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद में निहित है, अतः भारत में कभी राष्ट्रपतीय तानाशाही की सम्भावना किसी दृष्टि में भी नजर नहीं आती है।

राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति

(Constitutional Position of the President)

राष्ट्रपति की शक्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति को स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है, तबकि वह एक सांविधानिक उपाध्यक्ष (Constitutional Head) है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद को सन्धि से बरत है अर्थात् कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, बल्कि मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका नया प्रधानमंत्री

होता है। राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में सविधान-सभा में अनेक बार वाद-विवाद हुआ और प्रत्येक वाद-विवाद में राज्याध्यक्ष के सार्वधानिक गुणों पर बल दिया गया। राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यंकन करने के लिए और यह देखने के लिए कि सविधान द्वारा उसे सार्वधानिक अध्यक्ष बनाया गया है अथवा वास्तविक अध्यक्ष, राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद् के पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 74, 75 और 78 विशेष महत्व रखते हैं जिनके अनुसार यह निर्धारित किया गया है—

- 1 राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता एवं मन्त्रणा देने के लिए मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।
- 2 राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा के अनुसार चलेगा।
- 3 राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से उसकी मन्त्रणा पर पुनर्विचार की माँग कर सकते हैं। ऐश पुनर्विचार के बाद जो मन्त्रणा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है उसे वह उसी रूप में स्वीकार करेगा।
- 4 क्या मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को मन्त्रणा दी? और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की व्याख्यान में जाँच नहीं की जाएगी।
- 5 प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मन्त्रणा पर करेगा।
- 6 राष्ट्रपति के अनुग्रह-पर्यन्त मन्त्री पद धारण करेंगे।
- 7 मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में (Collectively) उत्तरदायी होगी।
- 8 प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) मन्त्रिपरिषद् के द्वारा सभ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी समस्त विनिश्चयों तथा प्रस्तावित विधान सम्बन्धी सभी सूचार्ण राष्ट्रपति को दे।
- (ख) सभ कार्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान-विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिन जानकारीयों को राष्ट्रपति माँगदाए, वह प्रदान करे।
- (ग) ऐसे विषयों को जिसे मन्त्री ने विनिश्चय किया हो, किन्तु इस पर मन्त्रिपरिषद् ने विचार न किया हो राष्ट्रपति की इच्छा पर मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करे।

इन उपबन्धों के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय सविधान निर्माता भारत में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाती है। राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकारों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति 'राष्ट्र का प्रतीक' है, राष्ट्र का शासक नहीं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पदों पर रहते हैं लेकिन राष्ट्रपति का 'प्रसाद' वास्तव में प्रसाद का ही प्रसाद है और प्रसाद के ही प्रसाद पर्यन्त मन्त्रिपरिषद् पदासीन रहते हैं। मन्त्रिपरिषद् को यदि स्वीकृति या विश्वास प्राप्त है तो कोई राष्ट्रपति उसे अपदस्थ करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य असार्वधानिक होगा और इस दुस्साहस का परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद को खो बैठे। प्रसाद के लिये यह असाहय होगा कि राष्ट्रपति प्रसाद की विश्वासपात्र मन्त्रिपरिषद् को अपदस्थ करके प्रसाद की राजनीतिक और सार्वधानिक सत्ता को चुनौती दे दे। अर्थात् भारत का राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों का आलोचक है, परामर्शदाता है और मित्र है। परामर्शदाता के रूप में वह अपने विचारों को मन्त्रिपरिषद् के समक्ष रख सकता है। आलोचक के रूप में वह उस मन्त्रणा पर आपत्ति कर सकता है जो मन्त्री ने उसे किसी विषय पर दी हो, किन्तु उसे जिद या हठ नहीं करने चाहिए और आन्तग उपचार के रूप में यदि मन्त्री राष्ट्रपति की बात को 'मानना' चाहे तो उसे मान लेना चाहिए। मन्त्रिपरिषद् के निम्न के रूप में राष्ट्रपति को सावधानी बतानी चाहिए कि वह अपनी जिद पर बर्बर में अड़ा रहे जिसके फलस्वरूप शासन का शक्तिहीन हो खतरे में पड़ जाए। जब तक राष्ट्रपति ऐसी मन्त्रिपरिषद् की मन्त्रणा पर चलता है जिसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, वह कोई असार्वधानिक कृत्य नहीं कर सकता है।

भारतीय न्यायपालिका ने 'राम जवाहा बन्साल भारत सभ¹, 'यू. एन. राव बन्साल इन्दिरा गाँधी², 'शमशेर सिंह बन्साल स्टेट ऑफ पंजाब³ आदि मामलों में जो निर्णय दिए हैं उनसे इसी मत की पुष्टि होती है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सार्वधानिक प्रधान होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिपरिषद् में निहित होती है।

42वें और 44वें संशोधन के पर्याप्त यह सोचना की राष्ट्रपति एक कठपुतली मात्र है असत्य है। यद्यपि उसके विशेषाधिकार (Prerogatives) का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो गया है, तथापि ऐसी परिस्थितियों हैं जहाँ राष्ट्रपति की शक्ति

1 ए. आई. आर. 1955, सुप्रीम कोर्ट, 549
 2 ए. आई. आर. 1971, सुप्रीम कोर्ट, 1002
 3 ए. आई. आर. 1974, सुप्रीम कोर्ट, 2192

पर उपर्युक्त सरोपणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वह इन मामलों में मन्त्रिमंडल के पदमंत्रों से कार्य करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं—

(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति—अनुच्छेद 75(1) यह उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने स्व-विवेक के आधार पर कर सकता है तथा अन्तर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सहायक पर करेगा। भारत में यह रुढ़ि स्थापित हो चुकी है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मन्त्रपरिषद लोकसभा के प्रति जम्माईक रूप में उत्तरदायी होगी। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता चहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत दल का नेता या उच्चसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, वहाँ उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो और वे उसे अपना नेता चुनें। 1966 में श्रीमती इन्दिरा गान्धी जब पहली-पहल प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी तो वे उच्चसभा की सदस्य थीं, शायद यह उचित एवं लोकतन्त्रीय प्रणाली का अनुरूप माना जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति का कोई संदेह नहीं होता कि जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, वह केवल विशेष परिस्थिति में जबकि किसी दल की लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, अपने विवेकपूर्णता का प्रयोग कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसके अनुसार लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो और एक स्थानी सरकार बना सके। ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न होती है किन्तु संविधानसंशोधनों के अनुसार ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को स्व-विवेक के प्रयोग का कम अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि तब पार्लियामेंट के अनुसार कार्य करना होगा। संविधान में इसके लिए अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं हैं। इम्पीड की शक्तियाँ भारतीय परिस्थिति में लागू नहीं की जा सकती हैं। विभिन्न राज्यों में जो मानने उत्पन्न हुए वे उनके आधार पर निर्मात सिद्धान्त हमारे समक्ष आ रहे हैं—

1. सदन के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चहिए।

2. चुनाव के पहले बने सविद (Coalition) के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चहिए।

संवैधानिक विशेषता के अनुसार यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति का सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चहिए। इन परिणाम के अनुसार कार्य करने से राष्ट्रपति का कार्य सरल हो जाएगा और वह अनलोचना का पात्र नहीं होगा। यदि चुनाव के पूर्व कई दल मिलकर संयुक्त दल (Coalition) बनाते हैं तो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चहिए। इसके परन्तु चुनाव के बाद बनने गए संयुक्त दल (Coalition) के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता चहिए। सबसे बड़े दल के नेता और चुनाव के परन्तु बने संयुक्त दल के बीच में यदि अन्तर कम हो तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चहिए। यह निर्णय करना राष्ट्रपति का कार्य होगा कि दोनों में से किसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यह विकल्प तब समय अन्याया जा सकता है ज. सरकार अविश्वास के प्रस्ताव में पराजित हो जाती है और उपर्युक्त दोनों विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। यह रुढ़ि ब्रिटेन में सुस्थापित है। ब्रिटेन में केवल दो राजनीतिक दल हैं, एक सरकार बनाने हेतु दूसरा विरोधी पक्ष होता है। ऐसी दशा में विरोधी पक्ष के नेता को आमन्त्रित देना उचित है, किन्तु भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, अतः इस रुढ़ि को लागू नहीं किया जा सकता है।

(2) लोकसभा का विघटन—अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करती है, इस हेतु राष्ट्रपति मन्त्रपरिषद की सहायता व सहायता पर लोकसभा का विघटन करता है। राष्ट्रपति स्वयंसेवक से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है राष्ट्रपति उसके पदमंत्रों से लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य है।

क्या राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री के पदमंत्रों से लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य है जो लोकसभा का बहुमत को चुका है (दल-बदल के कारण अथवा अन्य कारण से) अथवा लोकसभा में पराजित हो गया है? इस प्रश्न पर संविधान विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। एक मत है कि राष्ट्रपति प्रत्येक दशा में प्रधानमंत्री के पदमंत्रों को मानने के लिए बाध्य है। यह मत ब्रिटेन की एक सुस्थापित रुढ़ि (Convention) पर आधारित है। ब्रिटेन में स्वच्छ स्वयंसेवक प्रधानमंत्री की सहायता पर राज्य अर्थ बॉम्बेस का विघटन करता है कि चाहे वह सदन में बहुमत को चुका है अथवा उसके विश्वास अविश्वास पर प्रस्ताव पारित हो चुका हो। दूसरा मत है कि राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री के पदमंत्रों से लोकसभा के विघटन करने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है। अधिकांश संवैधानिक जेम्सों के अनुसार दूसरा मत अधिक उपयुक्त है। राज्यों में इसके अनेक उदाहरण हैं जब राज्यालय ने ऐसे मुख्यमन्त्रियों के पदमंत्रों को मानने से इनकार कर दिया था जो सदन में अल्पमत हो गए थे अथवा विश्वास मत प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। अतः अन्तिम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के पदमंत्रों को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है—

(1) जब वह सदन में अपना बहुमत छो देता है या (2) जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है या (3) जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या (4) जब वह लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है और राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत है कि सरकार का बहुमत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति को वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि संविधान-सभा में डॉ. अम्बेडकर ने यह विचार व्यक्त किया था कि लोकसभा को भंग करने का निर्णय सबसे अन्तिम विकल्प होना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, बार-बार चुनाव करना इस देश के लिए अहितकर है। जहाँ तक भारत में लोकसभा भंग करने सम्बन्धी प्रश्न का आचरणगत प्रश्न है अभी तक सभी राष्ट्रपतियों ने प्रधानमंत्रियों की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करने का निर्णय लिया है। आशा है कि आने वाले वर्षों में भारत में इस सम्बन्ध में स्वस्थ परम्परा विकसित होगी।

राष्ट्रपतियों का आचरणगत पक्ष

स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक भारत में अनेक राष्ट्रपति सत्तारूढ़ हो चुके हैं। इन राष्ट्रपतियों की कार्य-शैली और भूमिका का विश्लेषण करने पर कतिपय निष्कर्ष सामने आते हैं—

(1) भारत का राष्ट्रपति पद देश के संविधान की सुरक्षा का प्रतीक बन गया है जिसको लोकतान्त्रिक-गणराज्य के स्वरूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका रही है। सभी राष्ट्रपतियों ने संविधान निर्माताओं की मूल धारणाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण किया है। उन्होंने अपनी ओर से संविधान का अनादर करने अथवा उसका अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है।

(2) राष्ट्रपतियों ने अपने आपको औपचारिक-संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में मानते हुए कार्य किया है, अतः स्पष्ट है कि वह मात्र संविधानिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद में निहित हैं। इससे देश के समद्रीय लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं।

(3) राष्ट्रपति पद पर आसित होने वाले उल्लेख व्यक्तियों ने इस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को चार चोंद लगाये हैं। प्रथम तीन राष्ट्रपति सर्वश्री डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, डॉ. राजाज्यन्त और डॉ. जवाहर हुसैन जैसी महान् विभूतियों द्वारा इस पद को धारण करने के कारण इस पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। ये तीनों ही विभूतियों भारतीय जनता में अत्यन्त आदर की पात्र रही हैं। धाद में सत्तारूढ़ हुए राष्ट्रपति भी इन महान् विभूतियों सदृश सिद्ध हुए हैं।

(4) राष्ट्रपतियों ने अपनी भूमिका से इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है। उन्होंने अपनी कार्य शैली से देश में संवैधानिक गत्यावरोध और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। यह देश के समद्रीय लोकतन्त्र के हित में रहा है।

(5) समय-समय पर राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बीच मतभेदों की स्थिति उत्पन्न हुई है जो कि अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने इस स्थिति को इतना विस्फोटक नहीं बनने दिया कि वहाँ से लौटना ही संभव नहीं हो सके।

(6) राष्ट्रपतियों ने मन्त्रिपरिषद के सलाहकार, मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका का निर्वाह किया है और अपने उपयोगी सुझावों से उनको सांगठिक किया है।

(7) शक्तिशाली पद पर होते हुए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के मतभेदों का सामना करना पड़ा है और सुदृढ़ सरकार के अभाव में उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, किन्तु उसने अपनी भूमिका का मर्यादित पालन किया है अतः उसे कभी महर्षिभोग का सामना नहीं करना पड़ा।

(8) राष्ट्रपति का शक्तिशालक वी शक्तियाँ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। लोकसभा को किसी दैन अथवा दार्शन गठबन्धन के स्पष्ट बहुमत के अभाव में प्रधानमंत्री से विश्वास मत प्राप्त करने की परम्परा विनमित हो रही है।

उपराष्ट्रपति

(The Vice President)

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा (अनुच्छेद 63)। यद्यपि भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति का पद प्रत्यक्ष महत्त्व का अधिक नहीं है। उपराष्ट्रपति पद भारत का सम्मानित एवं गरिमापूर्ण पद है जिसमें प्रायः भावी राष्ट्रपति की सम्भावनायें छिपी रहती हैं।

उपराष्ट्रपति की योग्यतायें—संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है।

(ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

भी सदन के सदस्य नहीं थे। मई, 1996 में जब राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. देगौड़ा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया तो वे भी ससद के सदस्य नहीं थे। यद्यपि ब्रिटिश परम्परानुसार अपेक्षा की जाती है कि उसे ससद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वह नियुक्ति के समय ससद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अन्तर्गत ससद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए। यदि वह वांछित समय में ससद में स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। साथ ही उसे लोकसभा के बहुमत दल का विकास और समर्थन प्राप्त होना चाहिये, क्योंकि वह सांविधानिक दृष्टि से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इंग्लैण्ड में परम्परा है कि प्रधानमंत्री को साधारण बॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। भारत में ऐसी कोई परम्परा स्थापित नहीं हुई है। केन्द्र और राज्य दोनों ही स्थानों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति उच्च सदन से सम्बन्धित व्यक्तियों में से हुई है।¹

यदि लोकसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो एव वह दल अपना सर्वमान्य नेता रखता या निर्वाचित कर सकता हो तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कोई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि सविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परन्तु व्यावहारिक राजनीति में ब्रिटिश सम्राट की तरह उसे बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमन्त्रित करना पड़ता है। असाधारण परिस्थितियों में इंग्लैण्ड के राजा की भाँति भारतीय राष्ट्रपति भी स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, या बहुमत प्राप्त दल अपना कोई सर्वमान्य नेता न रखता हो अथवा नेता पद का दावा एक से अधिक व्यक्ति करते हो तो उसे स्वविवेक के अधिकार के प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।²

प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति—सविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के सम्पादन में सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद की व्यवस्था है। 44वें सविधान संशोधन के उपरान्त इस अनुच्छेद का पाठ इस प्रकार है—“राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और परामर्श देने के लिए मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के निर्वहन में उसके परामर्श के अनुसार चलेंगे। राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद से उसकी मंत्रणा पर पुनर्विचार की माँग कर सकते हैं। ऐसे पुनर्विचार के बाद जो भी परामर्श या मंत्रणा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, उसे वह उसी के अनुसार स्वीकार करेंगे।” इस नवीन व्यवस्था ने यह अनिवार्य कर दिया है कि राष्ट्रपति किसी परामर्श या मंत्रणा को मन्त्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार में यदि मन्त्रिपरिषद मूल मंत्रणा में कोई परिवर्तन नहीं करती तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार कर लेना पड़ता है। सविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई मंत्रणा के सम्बन्ध में किसी विषय पर न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।

सविधान के 42वें संशोधन से पहले मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपति के अधीन एक परामर्शदात्री समिति जो तभी तक अपने पद पर रह सकती जब तक राष्ट्रपति चाहें। उसका कार्य केवल राष्ट्रपति को मंत्रणा प्रदान करना था और राष्ट्रपति उसके लिए स्वतंत्र है कि वह मंत्रणा को माने या न माने। 42वें संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के सम्पादन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मन्त्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार चलेगा। 44वें संशोधन में यह शर्त लगा दी गई है कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद से अपने परामर्श पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है, किन्तु इस पुनर्विचार के पश्चात् दिए हुए परामर्श के अनुसार उसे कार्य करना होगा।

प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि भारत सभ के कार्यों के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद के निर्णयों से तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत करए तथा अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया हो, परन्तु जिस पर मन्त्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो, मन्त्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करे।

व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की स्थिति तब अधिक मजबूत होती है जब राष्ट्रपति भवन में मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व विराजमान हो। एक मैत्रीविहीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। अतः आवश्यक है कि प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति एक दूसरे को सहयोग देते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करें। सांविधानिक व्यवस्था की माँग है कि राष्ट्रपति बही करे जो प्रधानमंत्री परामर्श दे। प्रधानमंत्री का शक्तिशाली व्यक्तित्व और व्यापक प्रभाव किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर आसीन बनाने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, पद पर आसीन होने के बाद वह व्यक्ति राजनीतिक तटस्थता रखते हुए उत्तरदायित्वों को निभाता है। भारत के राष्ट्रपतियों ने इस व्यवस्था और परम्परा से महमति प्रकट की है कि राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। राम जवाया बनाम भारत सभ, यू. एन. राव बनाम इन्दिरा गाँधी, रामशेर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब के सार्वों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से भी उपरोक्त मत की पुष्टि होती है। सविधान राष्ट्रपति की गरिमा प्रस्थापित करता है।

संविधान राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है जबकि कोई दलील नीति के किसी प्रश्न पर मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखे बिना स्वयं निर्णय से लेता है। राष्ट्रपति ऐसे निर्णय को मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ रखने की अपेक्षा कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफ़सला से कार्यन्वित करना इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का क्षेत्र सीमित हो गया है मगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ राष्ट्रपति की शक्ति पर इन संशोधनों का प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा लोकसभा के विघटन के मामले में मन्त्रिमण्डल के पामाशों से कार्य करने के लिए राष्ट्रपति विधिक रूप से बाध्य नहीं हैं।

प्रधानमंत्री : अधिकार और उत्तरदायित्व

(The Prime Minister : Powers and Responsibilities)

भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार व्यापक हैं, क्योंकि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति के व्यापक अधिकारों का प्रयोग करता है। आपात-स्थिति में मन्त्रिमण्डल के अधिकार और व्यापक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री इसमें सर्वोपरि होता है।

प्रधानमंत्री को असाधारण शक्तियों पर दिखाने करते हुए संविधान सभा में प्रो. के. टी. शहा ने कहा था—“उसकी विशाल शक्तियों के देखते हुए यह भय लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का अधिनायक बन सकता है।” प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति उसके व्यक्तित्व, चरित्र और उसकी नेतृत्व क्षमता में निहित है। यह इस बात पर निर्भर है कि उसका चयन किस प्रकार हुआ है? यदि प्रधानमंत्री का चयन उसके व्यक्तित्व तथा दल में सुदृढ़ स्थिति के कारण हुआ है तो प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चय ही मजबूत होती है। यदि प्रधानमंत्री के चयन में दलील नेताओं, मुख्यमंत्रियों आदि का विशेष हाथ है तो वे एक कमजोर प्रधानमंत्री का चयन करने को तालाबद्ध हो सकते हैं। जब सातबहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया तब कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने कहा था कि प्रधानमंत्री ‘समकक्षों में प्रथम’ से अधिक नहीं होगा।¹

1996 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के चयन में कांग्रेस के ‘सिण्डीकेट गुट’ की प्रमुख भूमिका होने के कारण उनकी स्थिति कमजोर रही, लेकिन 1971 ई के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में लोकसभा में दो तिहाई बहुमत मिलने से उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। सन् 1977 में जनता पार्टी के ‘मटकवाद’ के कारण प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की स्थिति सुदृढ़ रही। अल्पमतीय प्रधानमंत्रियों—चौधरी चरणसिंह, धी. पी. सिंह, चन्द्रशेखर, पी. वी. जसिमहापाय (अल्पमतीय स्थिति में) एच. डी. देवेगौड़ आदि के गुजराल तथा अटलबिहारी वाजपेयी की स्थिति सुदृढ़ नहीं रही है।

(क) निर्वाचन का स्वल्प और उत्तक प्रधानमंत्री की भूमिका पर प्रभाव—प्रधानमंत्री की शक्ति के निर्धारण में उसकी चयन-प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। भारतीय प्रधानमंत्रियों की चयन-प्रक्रिया का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

वं जवाहरलाल नेहरू का चयन—15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने तक प. नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, परन्तु सरदार पटेल के दल में शक्तिशाली प्रभाव एवं नियन्त्रणकारी स्थिति के कारण उनका नेतृत्व विवादों एवं चुनौतियों युक्त था। दिसम्बर, 1950 में पटेल के निघन के पश्चात् वे ससदीय दल और समूहों के निर्विवाद नेता हो जाने के कारण 1952, 1957 और 1962 के आम निर्वाचनों में कांग्रेस ससदीय दल के निर्विरोध नेता चुने जाते रहे। उनका सम्प्रान्तीय पारितोषिक परिवेश, शैक्षणिक योग्यता, स्वतंत्रता-संघर्ष में निःस्वार्थ त्याग, अपार लोकप्रियता, चरमकारिक व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति, चारित्रिक ईमानदारी एवं नियन्त्रणकारी नेतृत्व उन्हें प्रधानमंत्री पद पर निरंतर 18 वर्षों तक अधिकार बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुआ। उनके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री पद का प्रारम्भ, विकास एवं ससदीय प्रजातन्त्र की परम्पराओं की स्थापना हुई।² वे भारत के सर्वोच्च शक्तिशाली और करिश्माई प्रधानमंत्री हुए हैं।

प्रधानमंत्री पद की अन्तर्गत व्यवस्था—27 मई, 1964 को प. नेहरू की मृत्यु के कुछ घण्टों के अन्दर ही कैबिनेट की आपातकालीन समिति को अनुसूचा पर राष्ट्रपति डॉ. राजकृष्ण द्वारा कैबिनेट के परिष्कृत सदस्य गुलजारीलाल नन्दा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। माइकेल बेचर के अनुसार कृष्णमनन ने इस अस्थायी व्यवस्था को असौविधानिक मानते हुए कहा था “व्यवस्था द्वारा सिद्धान्ततः इन असामान्य परिस्थितियों में विशेष शक्तियों का प्रयोग करना असौविधानिक था।” एच. एम. जैन इसे सौविधानिक मानते हैं। राष्ट्रपति ने गुलजारीलाल नन्दा को अन्तर्गत कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर देश को नेतृत्वहीनता के संकट से बचाकर एक स्वस्थ परम्परा की स्थापना की। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री शास्त्री की मृत्यु के उपरान्त पुनः ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति ने पूर्ण परम्परा का अनुसरण

1 C. S. Bhargava 'New Leader', The Times of India, June 3, 1964

2 डॉ. विमला मुक्ता पूर्विक, पृ. 49

की निर्वाण नहीं हुआ था इसलिए 20 अगस्त 1979 को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही उन्हें अपनी सरकार का त्यागपत्र दे देना पड़ा। नए मध्यावधि चुनाव होने तक के लिए उन्हें कामचलाऊ सरकार का प्रधानमंत्री बने रहने दिया गया।

श्रीमती इंदिरा गांधी का पुनः चयन—जनवरी 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और श्रीमती गांधी पुनः प्रसिद्ध बहुमत के साथ जीतकर प्रधानमंत्री बनीं। इस अवधि में मार्च 1971 की भांति प्रधानमंत्री के चयन में कोई समस्या नहीं थी।

राजीव गांधी—31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। यज्ञ की यात्रा को बीच में ही स्थगित करके राष्ट्रपति इंदीरा जैलसिंह स्वदेश लौटे। उसी दिन ज्ञान को राष्ट्रपति इंदीरा जैलसिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। पहले की तरह कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। कांग्रेस (इ) राष्ट्रीय कार्यवाहक समिति से राजीव गांधी को अपना नेता चुना और वे प्रधानमंत्री बना दिए गए। 1 नवम्बर 1984 का कांग्रेस (इ) कार्यवाहक समिति की एक आपात बैठक में राजीव गांधी को भारतीय दल का नेता घोषित करने सम्बन्धी भारतीय संसदीय बोर्ड के निर्णय के आधार पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में नियुक्त करने के निर्णय की विमर्श करने में बड़ी आलोचना की। अनेक सर्वविधानवेत्ताओं ने राष्ट्रपति के निर्णय को 'सर्वविधान सम्मत' बताया। निःसन्देह, तन्त्रालय परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना सही था क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण विश्वास दल में भारी समर्थन प्राप्त था।

विश्वनाथ प्रतापसिंह—सन् 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चे के नेता के निर्वाचन के पहले जनता दल का नतुल का प्रश्न उद्भूत बन गया। जनता दल में विश्वनाथ प्रतापसिंह, चन्द्रशेखर और चौधरी देवीलाल नेता पद के दावेदार थे। विश्वनाथ प्रतापसिंह और चन्द्रशेखर के बीच चौधरी देवीलाल के नाम पर सहमत हुई। जनता संसदीय दल की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री और सामग्री चौधरी देवीलाल को सर्वसम्मति से नेता निर्वाचित किया गया। एक निर्वाचित नेता चौधरी देवीलाल ने विश्वनाथ प्रतापसिंह का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इससे चौधरी देवीलाल की 'किंग मेकर' की भूमिका उभार कर सामने आई। चौधरी देवीलाल के निर्णय से जनता दल के अतिरिक्त नेता चन्द्रशेखर हतप्रभ हुए। राष्ट्रीय मोर्चे ने भी विश्वनाथ प्रतापसिंह को अपना नेता निर्वाचित कर लिया। विश्वनाथ प्रतापसिंह के चयन में उनकी इच्छा एवं अखिल भारतीय छद्म राष्ट्रीय मोर्चे के प्रतिकूलता को स्वीकार्य व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी तथा कामधेयी दलों जैसे समर्थक दलों की सहानुभूति तथा समर्थन की मूल्य भूमिका रही। राष्ट्रपति आर. वैकटरमण ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

चन्द्रशेखर—नवम्बर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पतन के बाद जनता दल का विभाजन हुआ। चन्द्रशेखर व चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल (समाजवादी) की स्थापना हुई। चन्द्रशेखर को सर्वसम्मति से जनता दल (समाजवादी) का नेता निर्वाचित करने तथा कांग्रेस (इ) द्वारा उन्हें समर्थन देने की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति आर. वैकटरमण ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।

पी वी नरसिम्हाराव—मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पी वी नरसिम्हाराव को कांग्रेस (इ) का कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनेत किया गया। जून में लोकसभा के चुनाव के द्वितीय चरण में कांग्रेस (इ) सास बड़े दल के रूप में उभार कर सामने आई। कांग्रेस (इ) संसदीय दल के नेता पद के लिए तीन मुख्य दावेदार उभार कर सामने आये—कार्यवाहक अध्यक्ष पी वी नरसिम्हाराव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का राव की तरफ झुकाव, कांग्रेस (इ) में दक्षिण भारत के सांसदों की अधिक संख्या, शरद पवार की गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि, अर्जुनसिंह द्वारा उम्मीदवारी को धास्य लेने नरसिम्हा राव के दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव और गुटवादिता से दूर रहने की मनोवृत्ति तथा उनकी विवाद रहित छवि से राव कांग्रेस (इ) संसदीय दल के नेता के रूप में निर्वाचित हुए। देश में पहला अवसर था जबकि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मध्य का सदस्य नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वैकटरमण ने पी वी नरसिम्हाराव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस (इ) का प्रतिमण्डल सतारूढ़ हुआ।

अटलबिहारी वाजपेयी—सन् 1996 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने अटलबिहारी वाजपेयी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनाव में यह पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने उन्हें लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन उनकी सरकार लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीत सकी।

एच डी देवेगौड़ा—13 दलीय समुक्त मोर्चे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी देवेगौड़ा को अपना नेता निर्वाचित किया। अटलबिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने देवेगौड़ा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। देवेगौड़ा 16 96 को प्रधानमंत्री बने तथा 16 4 97 को कांग्रेस के समर्थन वापस लेने पर लोकसभा में विश्वास मत हारने से उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

इन्द्रकुमार गुजराल—कॉंग्रेस ने अपना निराना देवेगौडा को बनाया। उनके हटने पर उन्होंने नई सरकार को पुनः समर्थन दे दिया जिससे 21.4.97 को गुजराल नये प्रधानमंत्री बने, परन्तु उनका कार्यकाल 19.3.98 को समाप्त हो गया। जैन आयोग के विवरण को लेकर कॉंग्रेस ने माँग की कि डी. एम. के मंत्रियों को मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया जाय। इसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए कॉंग्रेस ने अपना समर्थन पुनः वापस ले लिया तथा गुजराल सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। पुनः चुनाव 1998 में कराये गये।

अटलबिहारी वाजपेयी—19.3.98 को दूसरी बार एक 19 दलीय मिनी-जुली सरकार के प्रधानमंत्री बनये गये। पाञ्च सरकार के एक घटक अनाद्रमुक की नेता जयललिता के द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद राष्ट्रपति ने सरकार से विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया। सदन में सरकार अपने घटक नेशनल कॉंग्रेस के सातद सीजुदीन सोज के एक मत से पराजित हो गई। परिणामस्वरूप सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा।

अटलबिहारी वाजपेयी—13 अक्टूबर, 1999 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

डॉ. मनमोहन सिंह—14वाँ लोकसभा के चुनावों में सफुट प्रगतिशिल गठबन्धन को जीत हुई और 22 मई, 2004 को कॉंग्रेस के डॉ. मनमोहनसिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद्—प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता है और मंत्रियों में विभागों का विवरण करता है। संवैधानिक रूप में इस क्षेत्र में जितनी स्वतन्त्रता प्राप्त है, उतनी व्यवहारिक रूप में नहीं। मंत्रियों की नियुक्ति करते समय दलीय आवरणकटाओं, विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय सन्तुलन आदि का ध्यान रखना पड़ता है। संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है जिससे अपने सदियों के चयन में प्रधानमंत्री की छूट मर्यादित हो।

प्रधानमन्त्री को मन्त्रिपरिषद् में मनपाहो परिवर्तन करने तथा किसी मंत्री को अपदस्थ करने का अधिकार प्राप्त है जो वह राष्ट्रपति को सिफारिश करके करता है। ठमकी सिफारिश को दुकृपा नहीं जा सकता है। यदि कोई प्रधानमंत्री की इच्छा के प्रतिकूल चले तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र की माँग कर सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है अथवा अपना त्यागपत्र देकर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को भग कर सकता है। वह बहुमत दल का नेता होता है, अतः राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त करता है। यदि उसकी दलीय स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री प्रायः विशेष स्थिति में ही किसी मंत्री को अपदस्थ करने की सिफारिश करता है। मन्त्रिपरिषद् में कोई अल्पसंख्यक पक्ष बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री को स्वतन्त्र अपने विवेक के प्रयोग में बाधा पहुँचती है। ऐसी स्थिति प्रथम प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू और दत्तकालीन उप-प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के बीच तथा जनता शासन काल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और उप-प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह एवं प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर एवं उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बीच बनी रही।

प्रधानमन्त्री के रूप में नेहरू का स्थान ब्रिटिश परम्परा के अनुरूप सुदृढ़ रहा जिस में कहा गया है कि कैबिनेट का हर मंत्री प्रधानमंत्री का सहायक होता है। प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च सत्ता—संसद के प्रति सौंपे रूप से उत्तरदायी है। एकदलीय प्रधानमंत्री का अपनी मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण और वर्चस्व होता है, लेकिन अल्पसंख्यक और सविद सरकारों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्रियों की स्थिति इस सम्बन्ध में सुदृढ़ नहीं होती, क्योंकि उसे अपने समर्थक और घटक दलों की इच्छाओं के अनुरूप मन्त्रिमण्डल का निर्माण करना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के बीच विभागों का विवरण करते समय उसके सम्मुख राजनीतिक बाध्यात्मकता आती है।

प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के सम्बन्ध : आचरणगत अन्वयण—राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री भारत की संसदीय व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। भारत में डॉ. राजेन्द्रप्रसाद से अन्तुल क्लृप्तता तक राष्ट्रपतियों की एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू से डॉ. मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्रियों की एक परम्परा रही है। स्वतन्त्रता से लेकर अब तक राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के आचरणगत पक्ष के परिदृश्य में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते जा सकते हैं—

(1) राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बीच अनेक अनसों पर तनाव के बिन्दु उभर कर सामने आये हैं, लेकिन ये 'खुले सपथ' का रूप धारण नहीं कर सके। पंडित नेहरू के कार्यकाल में 'हिन्दू कोड बिल' को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद के बीच व्याप्त मतभेद की, के. वृष्णमेनन को केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् से हटाने के प्रश्न को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बीच मतभेद सन् 1966 में गांधी दिवस पर राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्र को दिये गये अपने संबोधन में की गई टिप्पणियों से प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को कथित नराजगी, 1974 में रेल इद्दतल के प्रकरण को लेकर की गयी और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के बीच मतभेद आचरणगत पक्ष में सरकार की कारगुजारियों के प्रति राष्ट्रपति फज्जुद्दीन अली अहमद की नाराजगी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा नौ राज्यों की कॉंग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने सम्बन्धी उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में दृष्टान्तन राष्ट्रपति

की ही जती को आना-बानी और विलम्ब से किए गए इलाखर का प्रकरण, मोरारजी देसाई और नीलम संजीव रेड्डी के बीच बर्षित कठु सम्बन्ध और देसाई सरकार के पतन तथा चरणसिंह के नेतृत्व में जनता (एन) की सरकार को प्रतिष्ठित करने में श्री रेड्डी की भूमिका जैलसिंह और राजीव गाँधी के बीच कठु सम्बन्ध चर्चाओं तथा धर्म की राजनीति से अलग करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति डॉ. शंकरदत्त शर्मा और नरसिंहाबाब के नेतृत्व वाली सरकार के दृष्टिकोण में कथित अंतर के सन्दर्भ में इस तथ्य को देखा जा सकता है, लेकिन कालान्तर में सभी प्रकरण शान्त हो गये। प्रधानमन्त्रियों ने भी राष्ट्रपतियों की भावनाओं को समझकर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए निर्णय लिये हैं। दोनों ने लचीले दृष्टिकोण का परिचय दिया है। इससे देश का लोकतान्त्रिक ढाँचा अभ्युपगम बना रहा है।

(2) प्रधानमन्त्रियों और राष्ट्रपतियों के सम्बन्धों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपतियों ने स्वयं को औपचारिक सार्वधानिक अध्यक्ष की भूमिका के रूप में सीमित कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमन्त्री की भूमिका शक्तिशाली हो गई।

(3) राष्ट्रपतियों की सार्वधानिक अध्यक्ष की भूमिका तक ही स्वयं को सीमित कर लेने के कारण 'प्रधानमन्त्री' पद का राष्ट्रीयकरण हो गया।

(4) भारतीय संसदीय व्यवस्था को 'प्रधानमन्त्री व्यवस्था' (Prime Ministerial Form of Government) के रूप में उन्मुख करने की दिशा में राष्ट्रपतियों की सीमित भूमिका उतरदायी रही है। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री के आगे सारी सत्कार्य गौण हो गई तथा प्रधानमन्त्री पद की स्थिति शक्तिशाली बन गई।

प्रधानमन्त्री की शक्तियों में वृद्धि के कारण—विगत वर्षों में प्रधानमन्त्री की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमन्त्री की स्थिति उनके अन्य कैबिनेट सहयोगियों की अपेक्षा उनके पद में निहित सार्वधानिक एवं परम्परागत विशेषाधिकारों के कारण सर्वोच्च है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—(1) अपने सहयोगियों की नियुक्ति-वर्खास्तियों के अभिव्यक्ति द्वारा वह उन्हें नियंत्रित कर, सामूहिक उतरदायित्व के अनुरासन में बाँधे रख सकता है। (2) राष्ट्रपति के सतत और प्रत्यक्ष सम्बन्धों के कारण यह कैबिनेट और राष्ट्रपति के मध्य सम्पर्क की एकमात्र सर्वोच्च कड़ी के रूप में सम्पूर्ण कैबिनेट का प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता होता है। (3) अपने पद त्याग की धमकी द्वारा सम्पूर्ण कैबिनेट के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखने के कारण वह अपने विशेषी-सहयोगियों की आलोचनाओं को अवरोध कर सकता है। (4) वह दल का नेतृत्व करता है। यह शक्ति उसके अन्य सहयोगियों को प्राप्त नहीं है। (5) संसद के विघटन की अपनी शक्ति द्वारा वह अन्य मन्त्रियों को कैबिनेट से ही नहीं, बल्कि संसद सदस्यता से भी वंचित कर मुक्त निर्वाचन के वृष्ट्र-खोजीले कठिनाईपूर्ण स्थिति में भेज सकता है। (6) आधुनिक युग में समाजवादी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, युद्ध से उत्पन्न समस्याओं, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन, प्रशासन की जटिलताओं एवं प्रधानमन्त्री के विशेष उतरदायित्वों ने उसकी शक्ति एवं भूमिका को अन्य सहयोगियों की अपेक्षा व्यापक एवं अत्यन्त प्रभावपूर्ण बना दिया है।

(ख) शक्ति के निर्याक तन्त्र—शक्तिशाली प्रधानमन्त्री की भूमिका के परिपालन के लिए प्रधानमन्त्री का प्रभावपूर्ण घनत्वपूर्ण व्यक्तित्व, नियन्त्रणकारी स्वभाव एवं कार्यशैली, परिस्थितियों और उचित अवसर पर उचित निर्णय लेने की क्षमता, व्यावहारिक मूल-बुद्ध, राजनीतिक ध्युह-कौशल-चातुर्य तथा अपने सहयोगियों में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने की क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनके अभाव में उसकी भूमिका सामान्य रूप से मन्त्रिमण्डलीय 'समकक्षों में प्रथम' मात्र ही होगी। वह अपने सहयोगियों की इच्छाओं, दबावों, प्रभाव एवं नियन्त्रण के अधीन होकर कार्य करेगा। इन सब गुणों और क्षमताओं से सम्पन्न प्रधानमन्त्री भी राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता, अपने अस्तित्व की असुरक्षा, विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं के दबाव के फलस्वरूप कुछ समय के लिए मन्त्रिमण्डलीय भूमिका सम्पन्न करने को बाध्य हो सकता है।

विशेष राजनीतिक घटनाएँ, युद्ध सन्धि इत्यादि प्रधानमन्त्री की शक्ति, प्रभाव और सत्ता को घटाने-बढ़ाने में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ 1962 के भारत-चीन युद्ध की असफलता ने नेहरू की प्रतिष्ठा को अघात पहुँचाकर उनके साथियों तथा देशवासियों की प्रत्यक्ष आलोचनाओं को मुखरित कर दिया था। 1965 के भारत-पाक युद्ध एवं 1971 के भारत-पाक बांग्लादेश युद्ध के कुशल नेतृत्व एवं सफल संचालन के कारण कमरार लालबहादुर शास्त्री और इन्दिरा गाँधी की शक्ति, प्रभाव एवं प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व अधिवृद्धि हुई थी।

(ग) लोकसभा का नेता—प्रधानमन्त्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होने के कारण संसद का नेतृत्व और मन्त्रिमण्डल की नीति निर्धारण करता है। विधेयक किस प्रकार के हों तथा कब सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँ, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वह सदन में शासन का प्रमुख वक्ता होता है तथा प्रतिपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देता है। राज्यसभा के 12 नामजद किये जाने वाले सदस्य उसकी इच्छानुसार मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का कार्यक्रम निश्चित करने उसे स्थिति अथवा संग करने के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री की निर्णायक भूमिका होती है। इंग्लैण्ड में लोकसभा को धंग करने की सिफारिश करना प्रधानमन्त्री का विशेषाधिकार है।

सकटवालीन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के सङ्कटकालीन अधिकारों का उपयोग व्यवहार में वहाँ करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसे अंकुश लगा दिए गए हैं जिनसे सकटवालीन शक्तियों का दुुरुपयोग नहीं हो सके, पर यदि सकटकाल की घोषणा हो जाए तो संविधान प्रदा सभी शक्तिवर्दी का उपयोग व्यवहार में प्रधानमंत्री करता आया है। लोकसभा की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को कायम रखने का दायित्व उन्हीं का है। लोकसभा के सङ्घन सणत्तन में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्गोदक होती है।

(घ) प्रमुख प्रशासक एवं संरक्षण प्रदानकर्ता—प्रधानमंत्री प्रमुख शासक है। देश में अधिकांश उच्च पदों पर नियुक्ति सप लाक सेवा आयोग करता है, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन पर नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, राज्यपालों का पत्राचार, कम्प्लेक्स एण्ड आर्किटेक्चर जनरल, एडवोकेट जनरल, सप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, आयोगों के सदस्यों, सार्वजनिक निर्माणों के प्रबन्धकों आदि पदों पर नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। प्रशासकीय पदों का सूजन एल टा पर नियुक्ति का अधिकार भी उसे है। वह सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष एवं नौ सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करने में भी सक्षम है। भयान सङ्घर्ष के अनेक अलकरण (भारतखल, पटवर्धभूषण, पदमभूषण एवं पद्मश्री) आदि देन ँ क्षेत्र में भा उतसम प्रभत्व स्पष्ट रूप में दिखायी पड़ता है।

(ङ) प्रधानमंत्री, विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति—प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विदेश नीति निर्धारित की जाती है यथा विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, शान्ति, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों करना आदि प्रधानमंत्री विदेश मन्त्रालय को चाहे अपने अधीन रख अथवा किसी दूसरे मंत्री को सौंपे, लेकिन वह विदेश मन्त्रालय में लगभग सम्पूर्ण में रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश का वास्तविक प्रवक्ता बने होता है। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण मामलों का अन्तिम निर्णय वही करता है। प्रधानमंत्री प. नेहरू ने विदेश नीति के निर्माण में इतना योगदान दिया है कि भारतीय विदेश नीति का नेहरू की नीति कहा जाने लगा।

सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर प्रधानमंत्री का निर्णय होता है। रक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री के निकट सम्बन्ध और पूर्ण नियंत्रण में रहकर कार्य करता होता है। युद्ध में देश की डार-जीव का श्रेय प्रधानमंत्री को मिलता है। किम गणराज्य में क्या सहायता लेनी है? किम एण्ड के प्रति क्या नीति अपनावनी है? किस प्रकार शान्ति-मार्गमार्गे करने है? सयुक्त राष्ट्र सप में क्या कूटनीतिक पैसेर दिखाने है? सभी निर्णय अन्तिम रूप से प्रधानमंत्री के होते हैं। समस्त सैनिक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार किया जाता है। 1962 में चीन के साथ पराजय का कलक नेहरू जी के उतर लगा था जबकि 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान को शिकस्त देने का श्रेय क्रमशः राजसी जी एवं श्रीमती इन्दिरा गौपी को मिला।

(च) प्रधानमंत्री और अर्थनीति—विनीय नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। वह कार्यरत्न निर्धारित करता है और क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होने के कारण सिद्धोक्ति विकास उसके मार्गदर्शन में होता है। देश की औद्योगिक नीति उसकी इच्छाओं का प्रतिबिम्ब है। जनहित की दृष्टि में वह शासन-प्रशासन का मार्ग-प्रदर्शन करता है। देश के अर्थतंत्र की सङ्घन-आसङ्घनता का ठनरदाग्नि प्रधानमंत्री पर होता है। वित्त मंत्री कोई राष्ट्रीय महत्व का फैसला स्वयं नहीं कर सकता। बजट निर्माण का कार्य तथा एजेंडे की निर्देश सहायता देने सम्बन्धी अन्तिम निर्णयों के पीछे प्रधानमंत्री का परामर्श होता है। योजनाओं के सञ्चल सञ्चालन का भार उसे उठाना पड़ता है।

(छ) प्रधानमंत्री और विधि-निर्माण—विधि-निर्माण समद का अधिकार और कृत्य है, लेकिन व्यवहार में इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की तब निर्णायक भूमिका होती है जब वह बहुमत का सिद्धान्त अर्जित किए हुए हो। सामद में बहुमत दल के नेता होने के कारण कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आता है और बहुमत के बल पर वह समद से मन्त्रालय बनान बनवा सकता है, संविधान में संशोधन करा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री यह सब करते समय जनता और विरोधी दलों के रुख का ध्यान रखता है। अपना उल्लेखनीय सम्पत्त बाला कोई प्रधानमंत्री निरंकुशता के मार्ग पर नहीं चलता। भारत में अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शों और परम्पराओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग किया है।

(ज) राज्य सङ्घर्ष और प्रधानमंत्री—केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के प्रमुख श्रेण-श्रेण, प्रवक्ता एवं सूत्रपादकर्ता प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री हैं, तथापि सैद्धान्तिक दृष्टि में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एवं उनके माध्यम द्वारा अग्रन्त्य रूप से केन्द्र और राज्यों के प्रमुख वास्तविक अधिकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। उनके सौवैधानिक सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं। व्यवहार में दोनों वास्तविक प्रमुख अधिकारियों के सम्बन्ध अन्वैधिक प्रत्यक्ष हो गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। वस्तुतः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू

कान में प्रधानमंत्री को मुखा भूमिका होती है। सांकेतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री को न तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है और न ही मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री को नियुक्ति में कोई भूमिका निभाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु व्यवहारिक राजनीति में दोनों परस्पर नियुक्ति की पद्धति को प्रभावित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हैं।

राज्यपाल को अनेक व्यवस्थाएँ राज व्यवस्था के क्षेत्र में प्रधानमंत्री को प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप का अधिकार देती हैं। उदाहरणार्थ रामवती सूची पर केन्द्रीय और प्रांतीय कानून में भतपेद पैदा होने पर केन्द्रीय कानून को मान्यता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में लोकसभा के सत्र के चालू होने पर राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के अनिर्णय बहुमत से किसी विषय को राज्य-सूची से केन्द्र सूची में एक वर्ष के लिए ले सकती है और आवश्यकतापूरता इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संकटकाल में केन्द्रीय सत्ता शीघ्रे राज्य के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत राज्यों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुझाव कर सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य परम्परा सभाओं का केन्द्र का राज्य-सूची पर कानून बनाने का अधिकार स्वयं दे सकते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री को राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने तथा राष्ट्रीय नीतियों सिद्धान्तों एवं कानूनों की सम्पन्नता के लिए निर्देश प्रदान करने के अनेक साधन प्राप्त अधिकार प्राप्त हैं।

(इ) प्रधानमंत्री और दल—प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने में उसका दल सहयोग प्रदान करता है, किन्तु कार्यात्मकता यह है कि वह अपने दल का प्रेषित अथवा अप्रोचित नेता होता है। सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन है। प्रत्यासिद्धों के पक्ष में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दल के सदस्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियाँ निरूपण करते हैं।

दल की शक्ति भूमिका एवं प्रधानमंत्री से उससे सम्बन्धों को सिद्धान्त के अन्तर्गत वही पर सुपरिभाषित कर पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं किया गया है। इन्हें सांकेतिक सरचना के रूप में परम्पराओं, परिस्थितियों और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित एवं परिभाषित किया जाता रहा है। वही ये विवाद सरकार और दल के दोनों प्रमुखों प्रधानमंत्री बनाम दलीय अध्यक्ष के मध्य और कभी संसदीय बनाम सगठनात्मक पक्ष के मध्य चर्चित रहे हैं। प नेहरू के समय शक्ति दल से सरकार के हाथों में हस्तान्तरित की गई, किन्तु उनकी पुन्यु के बाद स्थिति बदल गई है। अब तक ध्यावहारिक रूप से दलीय अध्यक्ष का पवन प्रधानमंत्री काग था, परन्तु अब प्रधानमंत्री के चयन में दल के अध्यक्ष की आवश्यकता हुई है। 1971 के बाद ही प्रधानमंत्री के पद पर दलीय अध्यक्ष के पद को आच्छादित कर दिया गया और 'औपचारिक शक्ति' ही नहीं बनी। प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से दल और सरकार का नेता बन गया। 'जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री और दल के अध्यक्षों के सम्बन्धों में स्पष्ट स्थिति नहीं रही, पर ऐसा लगा कि दल का अध्यक्ष अपनी सांकेतिक शक्तियों और अधिकारों के प्रति जागृत रहेगा। जनता सरकार अल्पकालिक रही और जनता, 1980 में श्रीमती गौधी विराल बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी तथा दल अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के द्वारा उसी प्रकार आच्छादित हो गया है जिस प्रकार 1971 के बाद हुआ था। 31 अक्टूबर, 1984 को उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गौधी प्रधानमंत्री बने। वे तब से प्रधानमंत्री और दल के अध्यक्ष दोनों ही पदों को धारण किए रहे और दल और सरकार पर उनका सर्वोपरि प्रभाव बना रहा। विशेषतः प्रतापसिंह के समय राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष ए. टी. रामराव थे। प्रधानमंत्री नरसिंहराव कोरेस (इ) के अध्यक्ष थे जबकि अदलविहारी वाजपेयी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुरामाऊ डाकरे, बंगरू लक्ष्मण जगदूषण और नायडू के पास रहा है।

(ज) प्रधानमंत्री और जनमत—डॉ. विमला शुक्ला के अनुसार, "प्रधानमंत्री और जनता दोनों परस्पर अन्तर्सम्बन्धित और अन्वेष्यप्रति हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका उनके कार्यों एवं नीति का प्रभाव जनता पर पड़ता है और जनमत के समर्थन एवं निरोध का प्रभाव प्रधानमंत्री पर पड़ता है। प्रधानमंत्री सत्कारण दल का ही नहीं, सम्पूर्ण दल का नेता होता है अतः जनमत के विश्वास, बहुमत एवं लोकप्रियता को अपने पक्ष में कर, वह शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीय भूमिका सम्पादित कर सकता है।" जिस दल को ऐसे व्यक्तित्व एवं नेतृत्व वाला व्यक्ति मिल जाता है, जिसे जनता की प्रशंसा एवं विश्वास प्राप्त हो, उसे लम्बे समय तक सत्ता में बने रहने का लाभ तथा साम्राज्य बनने तक की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसी शक्ति जनता अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधियों, विभिन्न सगठनों, संस्थानों, प्रभावक और हितार्थित गुटों, अल्पसंख्यकों, आन्दोलनों, प्रदर्शनों एवं हड़तालों इत्यादि के द्वारा अपनी भाँगी, शिकायतों, इच्छाओं एवं असन्तोष को सरकार तक पहुँचा सकती है। अन्तिम रूप से जनता मतपत्रों द्वारा प्रधानमन्त्रियों की नीतियों को समर्थित या असमर्थित कर, सत्कारण या

अपदस्थ करने का अपना निर्णय देती है अतः प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह ऐसे कार्य सम्पादित करे जिससे जनमत उसके विरुद्ध समर्थित न हो, अपितु उसकी कार्य शैली से प्रभावित हो सके।

(द) प्रधानमंत्री और राजनीतिक स्थिति—भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति उसकी राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करती है। 1989 के लोकसभा के निर्वाचन के उपरान्त किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न आने से प्रधानमंत्री के प्रभाव में कुछ कमी आयी है। 1989 में गठित जन मोर्चा सरकार का नेतृत्व वी. पी. सिंह कर रहे थे। यह सरकार बाहर से समर्थन पर आश्रित थी तथा कई दलों की सरकार होने से आन्तरिक दबावों से प्रसिद्ध थी। प्रधानमंत्री का प्रधिकार और शक्ति सदन में उसके दल के बहुमत पर निर्भर करता है। बहुमत का अभाव सरकार के जीवन को कम कर देता है। 1991 में कॉंग्रेस की अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हाएव अपने कार्यकाल में सरकार को बचाये रखने के लिए जोड़ोड़ोड़ का सहाय लेते रहे, परिणामस्वरूप सांसदों के खण्ड से सम्बन्धित प्रकरणों में न्यायालय में उन्मत्त गए।

1996 में अटलबिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे लोकसभा में विश्वासमन नहीं जीत सके परिणामस्वरूप तेरह दिन में ही सरकार से बाहर होना पड़ा। इस सरकार के विफल के रूप में समुक्त मोर्चा के एच. डी. देवेगौड़ा 31 मई, 1996 को प्रधानमंत्री बनाए गए। यह सरकार कॉंग्रेस के बाह्य समर्थन पर टिकी हुई थी, देवेगौड़ा राष्ट्रीय नेताओं में से नहीं थे जिससे तालुमसाद यादव, रावद यादव आदि नेता उनमें विरोध रखते थे जिसके कारण जनता दल अन्तःक्रम से लगातार जुड़ा रहा। परिणामतः कॉंग्रेस ने मोर्चे पर दबाव बनाकर एच. डी. देवेगौड़ा को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। कॉंग्रेस के सरकार बनाने में आग्रह हो जाने के बाद समुक्त मोर्चा ने इन्द्रकुमार गुजराल को अपना नेता चुना। मोर्चे के नेताओं के निजी अहम् और विवादों के कारण समझौते के रूप में गुजराल को यह पद प्राप्त हो गया। 21 अप्रैल, 1997 को गुजराल को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह सरकार अल्पजीवी रही। जैन आयोग की रिपोर्ट के नाम पर कॉंग्रेस ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस रिपोर्ट में राजीव गाँधी की हत्या में डी. एम. के. की भूमिका पर सन्देह किया गया था। अतः गुजराल ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। किसी अन्य दल द्वारा सरकार बनाने की पेशकश न किये जाने पर राष्ट्रपति महोदय ने 17 मई 19 दिन में लोकसभा को भंग कर दिया।

12वीं लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, उसके नेतृत्व में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सविद सरकार की मजबूरियों को समझते हुए अपने गठबन्धन में सम्मिलित सभी दलों को सरकार में सम्मिलित करने तथा अन्य सभी प्रकार से समुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन अनाद्रमुक की नेता जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय ने सरकार से सदन में विश्वास मत करने का आदेश दिया, परिणामस्वरूप सरकार सदन में एक पत्र से पराजित हो गई। अन्य किसी भी दल द्वारा विफल के रूप में सरकार नहीं बताई जा सके। तत्पश्चात् लोकसभा को भंग कर दिया गया।

13वीं लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के पश्चात् मोर्चे के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार 13 अक्टूबर, 1999 को देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार सभाला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन में भाजपा को छोड़कर 17 अन्य दलों तथा क्रॉसनी मेनका गाँधी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला है। इस सरकार का भविष्य भाजपा की मौलिक नीतियों की विलाजलि तथा क्षेत्रीय दल की आकांक्षाओं और उनकी राजनीतिक मजबूरियों में समन्वय और प्रवृत्त पर निर्भर रही है। अतः 1989 से 1999 के दशक में प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्थिति कमजोर रही है। इसका प्रमुख कारण किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न होना तथा अल्पमत या सविद सरकारों का गठन है परिणामस्वरूप सरकारों का भविष्य क्षेत्रीय दलों के हाथों में सिमट गया है तथा प्रधानमंत्री की स्थिति राजनीतिक मजबूरों बनकर रह गयी है।

भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रथम अथवा शासनाध्यक्ष, लोकसभा में अपने दल का नेता, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रवक्ता आदि सभी पद एक साथ समुक्त रूप से अपने व्यक्तित्व में समाहित करता है। सभ सरकार एवं इकई राज्यों की सरकारों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना उसी का उल्लेखित है। इन सभी पदों का एक व्यक्ति में समाहित हो जाने के कारण प्रधानमंत्री का पद शक्ति, प्रतिष्ठा, गौरव एवं गरिमा का पद होता है।

प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति

(Actual Position of the Prime Minister)

भारत का प्रधानमंत्री कितने भी शक्तिशाली व्यक्तित्व का हो, संवैधानिक व्यवस्था और अधिसमय प्रधानमंत्री पद को जो शक्ति प्रदान करते हैं, उससे प्रधानमंत्री निकुश नहीं बन सकता है। देश में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अग्रणी अकुश बने रहते हैं—

1. लोकसभा का निपटारा—कोई भी प्रधानमंत्री लोकमत को डुकरा नहीं सकता। प. नेहरू जनमत के समर्पण पर निर्विवाद नेता बने रहे।

2. लोकसभा में बहुमत का प्रतिबन्ध—प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत के बल पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। निरंकुश आचरण करने पर प्रधानमंत्री बहुमत का विश्वास खो सकता है और अपनी स्थिति को खतरे में डाल सकता है।

3. सारी मंत्रियों का अंकुरण—प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले साधियों की रक्षा के निरन्तर कार्य करते से बचता है ताकि उसकी स्थिति में दुर्बलता उत्पन्न न हो।

4. दलीय प्रतिबन्ध—अपने दल के बारे में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठता है, अतः उसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने सप्ताहीय दल का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है।

5. राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें—राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें प्रधानमंत्री की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुरा लगा सकती हैं। यदि केन्द्र और सभी राज्यों में एक दल सत्तारूढ़ हो तो भी राज्य सरकारों की इच्छा का सम्मान प्रधानमंत्री को करना पड़ता है।

6. मुख्यमंत्रियों का दबाव—प्रधानमंत्री को अपनी नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उनके युक्तिगत दबाव को वह सहन करता है। उदात्तनीति के प्रति सजग मुख्यमंत्री अपने सद्परामर्श से प्रधानमंत्री को निरंकुशता की ओर नहीं जाने देते।

7. राष्ट्रपति का परामर्श—यद्यपि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणासुर अपनी शक्तियों और कार्यों का निर्वाहन करता है लेकिन वह अपने सद्परामर्श, अपनी सामयिक चेतावनी आदि के माध्यम से प्रधानमंत्री के ऐसे कदमों पर प्रभाव डाल सकता है जो निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हों। प्रधानमंत्री को एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है।

8. विरोधी दल—विरोधी दलों की रचनात्मक आलोचना प्रधानमंत्री को निरंकुशता की ओर जान से रोकती है।

9. बहुदलीय व्यवस्था—यदि केन्द्र में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या जो बहुमत मिले वह बहुमत कम सदस्यों का हो तो यह स्थिति प्रधानमंत्री को नियन्त्रित रखती है।

10. न्यायपालिका—सविधान-विरोधी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को होती है वह प्रधानमंत्री को बड़ी सीमा तक नियन्त्रित रखती है।

11. निष्पक्ष निर्वाचन आयोग—सविधान में एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूपों में चुनाव सम्बन्धी मामलों में प्रधानमंत्री को निरंकुशता पर प्रतिबन्ध लगाती है अतः प्रधानमंत्री 'तानाशाह नहीं बन सकता। वह संवैधानिक सीमाओं के भीतर रह कर अपनी शक्तियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है।

अतः भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बहु-आयामी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। 'उसे राष्ट्र या नेता या नायक' माना जा सकता है। प्रधानमंत्री की शक्तिशाली भूमिका उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है अतः उसके व्यक्तित्व में धैर्य, साहस, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, अच्छी वक्तुत्व कला, मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों से काम लेने एवं उन्हें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, नीकरशाही पर नियंत्रण करने की योग्यता, आकर्षक व्यक्तित्व तथा सभ्य एवं संसद के बाहर विपक्षी दलों से निपटने की क्षमता का होना परम आवश्यक है।

मन्त्रिपरिषद्

(The Council of Ministers)

भारतीय मन्त्रिमण्डल शासन पद्धति (The Indian Cabinet System)

1. राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रधान है जो मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर शासन करता है अर्थात् वह वास्तविक कार्यपालिका है। सविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 उतरदायी शासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। मन्त्रिमण्डलीय शासन-पद्धति के त्रिावयव में रुढ़ियों और परम्पराओं के लिए स्थान है।

2. मन्त्री आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के मन्त्री बनने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जो संसद का सदस्य न हो, तथापि सविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मन्त्री जो निरन्तर छ मास तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे, वह उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री पद पर नहीं रह सकता।

3. प्रधानमंत्री की स्थिति अन्य सभी मंत्रियों से गौरवपूर्ण और अधिकारपूर्ण होती है। उसकी स्थिति 'समकक्षों में प्रथम' (First Among Equals) मानी जाती है लेकिन व्यवस्था में उसकी स्थिति सर्वोच्च होती है। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों में विभागों का वितरण किया जाता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रियों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है तथा उनमें समन्वय स्थापित करता है। वह अपने

मंत्रियों से त्यागपत्र माँग सकता है और इनकार करने पर वह राष्ट्रपति से उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। वह संसद में और संसद के बाहर अपने मंत्रियों का बचाव करके उनमें आत्म-विश्वास की भावना का विकास करता है। उसका त्यागपत्र समस्त मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

4. मन्त्रिमण्डलीय शासन-पद्धति का सार मन्त्री का उत्तरदायित्व है। इसके दो अर्थ हैं—व्यक्तिगत स्तर का मंत्री, प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है और विभाग के क्रियाकलापों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

5. सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को प्रभावशाली रूप से प्रवर्तित करने के लिए भारतीय मन्त्रिमण्डल में गोपनीयता के सिद्धान्त को पूर्ण मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 74(4) में उल्लेख है कि 'किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उससे पद तथा गोपनीयता की शपथ कछाएगा।' मनभेद की अवस्था में किसी मन्त्री द्वारा त्याग-पत्र देने पर स्पष्टीकरण के लिए सदन में कोई व्यक्तिगत बक्तव्य स्वीकार की सहमति से दिया जा सकता है। भारतीय संसद को कार्य-प्रणाली के नियमों में ब्रिटिश अभिसमयों (हदियों) का सरल प्रयोग हो रहा है।

6. राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान के रूप में दलीय राजनीति से ऊपर है, वह देश की व्यावहारिक राजनीति से दूरस्थ रहता है, वह मन्त्रिमण्डलीय बैठकों में भाग नहीं लेता, यहाँ तक की उन बैठकों में भी उपस्थित नहीं होता जिनमें मन्त्री यह निर्णय करते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति को क्या सलाह देनी है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के निर्णयों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सूचना देता है।

6. मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यह संसद के 'विश्वासपर्यन्त' अथवा संसद के विश्वास तक अपने पद पर बनी रहती है। यदि लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

8. मन्त्रिपरिषद् पर संसदीय नियन्त्रण की व्यवस्था है। संसद प्रश्नोत्तर, काम ठेकी प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव और कठिनी प्रस्ताव के माध्यम से मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रखती है। विविध संसदीय मन्त्रित्वों मन्त्रिपरिषद् की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखती है। यह संसदीय नियन्त्रण मन्त्रिपरिषद् को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण (Formation of the Council of Ministers)—संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् होगी। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके परामर्श में होगी जो राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यन्त' अपने पदों पर बने रहेंगे। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनिश्चित नहीं हैं। वह लोकसभा में बहुमत दल के नेता की अनिवार्य प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्ति करता है, लेकिन निम्नांकित परिस्थितियों में वह स्वविवेक के आधार पर ही निर्णय ले सकता है—

(क) जब लोकसभा में किसी दल या गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, (ख) जब लोकसभा में सबसे बड़ा दल राष्ट्रपति के समुख सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करे, (ग) जब दो या दो से अधिक, या अनेक दलों का गठबन्धन मिलकर राष्ट्रपति के समुख सरकार बनाने का दावा करे, (घ) जब दलीय विरोध के कारण अलग-अलग दल गठन के नेता को कोई दल या एक या कुछ दल, गठबन्धन सरकार में शामिल हुए बिना बाहर रहकर ठोस सरकार निर्माण करने में सहायता करे, (ङ) यदि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल में नेतृत्व के प्रश्न पर फूट पड़ जाये तो दो प्रतिद्वन्दी नेता दल में अपने बहुमत का दावा राष्ट्रपति के समुख प्रस्तुत करें, (च) यदि कोई प्रधानमन्त्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पारित हो जाये और वैकल्पिक सरकार के गठन के सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित हो।

उपर्युक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में वह लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर सकता है। वह अल्पमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री के रूप में नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है। वह ऐसे प्रधानमन्त्री को एक निश्चित अवधि में लोकसभा का 'विश्वास-पत्र' प्राप्त करने का 'निर्देश' दे सकता है।

मन्त्रिपरिषद् का गठन करना प्रधानमन्त्री का अपना विशेषाधिकार माना जाता है। वह अपनी पसन्द के लोगों को मन्त्रिपरिषद् में शामिल कर सकता है। इसके बावजूद, वह मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करने में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होता है। उस पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध होते हैं—

(क) प्रधानमन्त्री को अपने दल के प्रभावशाली सहयोगियों को मन्त्रिपरिषद् में स्थान देना पड़ता है, वह इनके ठोसता नहीं कर सकता, (ख) उसे मन्त्रिपरिषद् का गठन करते समय देश के सभी भागों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना पड़ता है, (ग) अगर वह संसद सरकार का नेतृत्व करने वाला हो तो अपने साझेदार फटक और फटकों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, (घ) वह अपनी मन्त्रिपरिषद् में देश के सभी समुदायों, वर्गों और हिन्दू-समुहों को भी प्रतिनिधित्व देता है एवं (ङ) वह अपनी मन्त्रिपरिषद् में प्रशासनिक दृष्टि से कुशल और विशेषज्ञ लोगों को स्थान देता है।

मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रि मण्डल में अन्तर

(Difference between the Council of Ministers and the Cabinet)

अनेक बार मन्त्रिपरिषद् और मन्त्रिमण्डल का समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन मन्त्रि परिषद् और मन्त्रिमण्डल में अन्तर है। मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों की सभी श्रेणियाँ आ जाती हैं जबकि मन्त्रिमण्डल में केवल मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री होते हैं। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् एक बृहत्तर संस्था होती है जबकि मन्त्रिमण्डल की संख्या उसकी तुलना में सीमित होती है। मन्त्रिमण्डल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल होते हैं जो मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागीय मामलों का संचालन करते हैं। राज्यमंत्री, उपमंत्री और ससदीय मन्त्रि, मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्रियों की सहायता करते हैं। मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्री मन्त्रिपरिषद् की धुरी होते हैं।

मन्त्रिपरिषद् के कार्य और शक्तियाँ (Junction and Powers of the Council of Ministers)—भारतीय संविधान में मन्त्रिपरिषद् का देश की कार्यपालिका शासन माना जाता है। भारत में मन्त्रिपरिषद् के कार्य ब्रिटिश मन्त्रिपरिषद् के समान निम्नलिखित हैं—

(1) मन्त्रिपरिषद् का प्रमुख कार्य देश के लिए नीति-निर्धारण करने का है। वह देश की गृह वितीय, औद्योगिक, रीति, विदेश नीति आदि का निर्धारण करती है।

(2) व्यवहार में राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों और शक्तियों का उपयोग मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् वास्तविक शक्तियों का उपयोग करने वाली संस्था है।

(3) मन्त्रिपरिषद् द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा सैनिक और असाैनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तथा सार्वद्वारा पारित सभी कानूनों को लागू किया जाता है।

(4) मन्त्रिपरिषद् द्वारा देश के लिए कितने सम्बन्धों का सम्पादन किया जाता है। इसके द्वारा वज्रत का निर्माण किया जाता है। देश की औद्योगिक और व्यापारिक नीति का निर्धारण करती और उसको क्रियान्वित करने का दायित्व मन्त्रि परिषद् का होता है।

(5) मन्त्रिपरिषद् द्वारा ध्वस्तस्थापन सम्बन्धी कार्यों का निर्वाह किया जाता है। यद्यपि कानून निर्माण करने का कार्य संसद का माना जाता है, लेकिन व्यवहार में मन्त्रिपरिषद् द्वारा कानून बनाये जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन प्रक्रिया में इस क्षेत्र में मन्त्रि परिषद् की शक्तियों को अधिक विस्तृत कर दिया है।

(6) मन्त्रिपरिषद् संसद में प्रश्नोत्तर, शून्यकाल सभास्य वादविवाद में प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। अविश्वस प्रस्ताव एवं वाग रोमो प्रस्ताव के समय इसकी निर्णायक भूमिका होती है।

मन्त्रिपरिषद् द्वारा अपने कार्यों का संचालन करने के लिए विविध प्रकार की समितियों का सहारा लिया जाता है। इन समितियों में 'राजनीतिक मामलों की समिति' (Political Affairs Committee) सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मन्त्रिमण्डलीय समितियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है—स्थायी (स्टैण्डिंग) तथा अस्थायी (एडहोक)। स्थायी समितियों में प्रतिक्षेत्र, विदेशी प्रशासनिक संगठन, ससदीय एवं विभिन्न विभागीय समितियों की गणना होती है। अस्थायी समितियों का निर्माण सम्बन्धानुसार तब किया जाता है जब आवश्यक और तभीन समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के कारण (Reasons for the Growth of Powers of the Cabinet)—स्वातंत्र्य के पर्यन्त भारत में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। आज स्थिति यह है कि संसद मन्त्रिमण्डल को नियंत्रित नहीं करती, अपितु मन्त्रिमण्डल संसद को नियंत्रित करता है। मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में होने वाली वृद्धि में निम्नलिखित कारणों का योगदान है—

(1) ससदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति तो औपचारिक-संवैधानिक अध्यक्ष मात्र है, मन्त्रिमण्डल वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है।

(2) दलीय अनुशासन के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में भारी वृद्धि हो गई है। संसद दलीय अनुशासन में बंध रहती है, अतः वे अपनी 'अन्तरालता' को मारकर मन्त्रिमण्डल के निर्णयों का समर्थन करते हैं। दलीय सचेतन (व्हीफ) की अवहेलना करने को अनुशासनहीनता समझा जाता है। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन 1985 के पारित होने के बाद दलीय अनुशासन का शिकंजा कड़ा हो गया है। अब दल से प्रयुक्त होकर नया दल गठन करने के लिए एक-तिहाई सदस्यों का दल से विद्रोह करना आवश्यक है अन्यथा विद्रोह करने वाले सदस्यों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है अतः अब दल से विद्रोह करना सरल कार्य नहीं है।

(3) प्रधानमन्त्रियों का 'जतिमवादी नेतृत्व' मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहा है। पं. जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गाँधी और राजीव गाँधी के प्रधानमन्त्रीत्व काल में मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में असीम वृद्धि हुई है।

(4) भारतीय निर्वाचन को प्रभावित करने में प्रधानमंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्वाचनों में दल को विजयी बनाने में प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व की अहम भूमिका रहती है। साथ ही समसदीय निर्वाचन में यह तय होता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्रियों की इस भूमिका के कारण मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि हुई है।

(5) मन्त्रिमण्डल के पास 'लाभ और अनुग्रह पहुँचाने' की व्यापक शक्तियाँ हैं, फलतः वह अपने समर्थकों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, स्थानान्तरणों, कोटा, नाइलेंस, परमिट और विविध प्रकार से लाभ पहुँचा सकता है। इससे मन्त्रिमण्डल की भूमिका शक्तिशाली हो गई है।

(6) प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ससद के निम्न सदन (लोकसभा) को भंग कराने की शक्ति ने मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में वृद्धि की है। इस शक्ति के माध्यम से मन्त्रिमण्डल सासदों को इस दृष्टि से भयभीत रखता है कि अगर उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह करने का दुससाहम किया तो वह लोकसभा को भंग करने का निर्णय लेकर उनके सासदों के रूप में अस्तित्व को संकट में डाल देगा। इससे सासद असामान्य परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। जब भारत में मन्त्रिमण्डलों के विरुद्ध विद्रोह हुआ तो उसकी परिणति लोकसभा का विघटन और मध्यावधि चुनाव के रूप में हुई है।

(7) वर्तमान में निर्वाचन सञ्चाले हो गये हैं, अतः समयावधि के पूर्व सासद निर्वाचन से बचने का प्रयास करते हैं अतः यह स्थिति मन्त्रिमण्डल की शक्तियों को बढ़ाने में सहायक बनी है।

(8) ससद के सत्र अन्वेषण के लिए होते हैं। इसमें उसे व्यापक कार्य निपटाने पड़ते हैं। ससद तो रूपरेखा पर विचार करती है और वास्तविक कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

(9) प्रगत व्यवस्थापन प्रक्रिया ने मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में दृढ़ता वृद्धि की है और व्यवस्थापन की निर्णायक शक्ति मन्त्रिमण्डल के पास केन्द्रित हो गई है।

(10) राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति ने मन्त्रिमण्डल की शक्तियों में अपार वृद्धि की है।

(11) राष्ट्रीय बित्त पर मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण होने से इसकी शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे वार्षिक शक्ति मन्त्रिमण्डल के पास केन्द्रित हो गई है।

(12) वर्तमान में शासन कार्यों का संचालन करना जटिल बन गया है। सामान्य सासद प्रशासन की बाधाओं को सभ्रने में अधम होते हैं। परिणामस्वरूप वे मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण नहीं कर पाते हैं।

धन्य भारतीय मन्त्रिमण्डल तानाशाह बन सकता है?

जब मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और ससद की शक्तियों में ह्रास हो रहा है तो क्या ऐसी परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल तानाशाह या अधिनायक बन सकता है। भारतीय मन्त्रिमण्डल पर निम्नांकित प्रतिबन्ध हैं, जिसके कारण वह अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करने को बाध्य है—

(1) भारतीय संविधान मन्त्रिमण्डल को तानाशाही को रोकने में सक्षम है। साधारण निर्माताओं ने भारत को 'सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य' का दर्जा प्रदान किया है, फलतः कोई सरकार या मन्त्रिमण्डल देश के इस बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संविधान निर्माताओं की भावनाओं और अपेक्षाओं को नकारने की शक्ति किसी मन्त्रिमण्डल में नहीं है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल ससद में अपने बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन तो कर सकता है, तथापि इसके 'आधारभूत' या 'बुनियादी स्वरूप' में परिवर्तन नहीं कर सकता है।

(2) विपक्षी दलों का मन्त्रिमण्डल पर प्रभावशाली नियन्त्रण रहता है। वे ससद में प्रश्नोत्तर, काम रांको प्रस्ताव, ध्यानार्थक प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, आचरणवाचक प्रस्ताव और कटीती प्रस्तावों के माध्यम से मन्त्रिमण्डल को नियंत्रित करते हैं। समसदीय समितियों के द्वारा विपक्षी दल मन्त्रिमण्डल पर अकुश स्थापित करते हैं। ससद के बाहर विपक्षी दलों द्वारा प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों और सभाओं के माध्यम से मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। विपक्षी दल जनमत ज्ञापन करने का कार्य करते हैं।

(3) राष्ट्रीय निर्वाचन मन्त्रिमण्डल की शक्तियों पर अकुश लगाते हैं। पाँच वर्ष की समाप्ति के बाद मन्त्रिमण्डल को मतदाताओं का सामना करने के कारण वह अमर्यादित या तानाशाही आचरण करने से स्वयं को बचाता है। वह जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए कार्य करता है। उसकी कार्य-शैली लोकतांत्रिक बनी रहती है। जिस किसी मन्त्रिमण्डल ने अमर्यादित आचरण किया, जनता ने उसे सत्तायुक्त कर दिया है।

(4) स्वतन्त्रता के पश्चात् देश की जनता की राजनीतिक चेतना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। एक के बाद एक समसदीय और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों में उसने भारत राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है, अतः प्रधानमंत्री और

मन्त्रिमण्डल के सदस्य जनता की अपेक्षाओं और सवेदनाओं के प्रति चौकन्ने रहते हैं और उसकी शक्ति से वाकिफ रहते हैं। यह स्थिति मन्त्रिमण्डल को सदैव नियंत्रित करता रहती है।

(5) समाचार पत्रों के निष्पक्ष एवं जागरक प्रकाश न के कारण तानाशाही प्रवृत्तियों पर अकुश लागता है।

(6) भारत में न्यायिक पुनरवलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा का सिद्धान्त प्रचलित है जिसका तात्पर्य है मन्त्रिमण्डल और संसद द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा सकती है। यदि न्यायपालिका को यह प्रतीत हो कि मन्त्रिमण्डल और संसद के किसी कार्य से सविधान का अतिक्रमण हुआ है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा 'केसवानन्द भारती' विवाद में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा कि संसद सविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मौलिक या आधारभूत स्वरूप (Basic Structure) में परिवर्तन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय मन्त्रिमण्डलीय अधिनियमवाद पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित करता है। हाल ही में 'न्यायपालिका की सत्क्रिया' ने मन्त्रिमण्डल की शक्ति को नियंत्रित किया है।

(7) संसदीय समितियाँ—लोकसभा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति और अनुमान समिति और अन्य समितियाँ मन्त्रिमण्डल पर निरीक्षण स्थापित कर उन पर अकुश स्थापित करती हैं।

(8) लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) मन्त्रिमण्डल की भूमिका पर अकुश लगते हैं। प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को इन पंठासी अधिकारियों की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कृत-सक्त रहना पड़ता है। ये अधिकारी संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। ये मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को आचार्यक 'निर्देश' देते हैं जिनकी उनके द्वारा अनुपालना की जाती है।

राज्यपाल

(The Governor)

सविधान सभा में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि राज्यपालों की प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाए या राज्यपालों की जनता द्वारा वयस्क मतधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए? गहन विचार विमर्श के बाद सविधान निर्माताओं ने निर्वाचित राज्यपाल के विचार को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया—

- 1 निर्वाचित राज्यपाल की अवधारणा संसदीय शासन व्यवस्था से मेल नहीं खाने की है। यह सम्भव है कि राज्यपाल सार्वजनिक राज्याध्यक्ष के रूप में कार्य न कर, राज्य सरकार का प्रमुख बन जाए।
- 2 एक निर्वाचित राज्यपाल में और राज्य के मुख्यमंत्री में संघर्ष की सम्भावनाएँ उत्पन्न हो जाएँगी क्योंकि मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है।
- 3 एक निर्वाचित राज्यपाल राजनीतिक दलबन्दी के वातावरण के दलदल में फँस जायेगा और निरपेक्ष रूप से सार्वजनिक कार्यपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
- 4 राज्यपाल के निर्वाचन की व्यवस्था भारत की केन्द्रीभूत संघीय व्यवस्था के अनुकूल सिद्ध नहीं होगी। सभ और राज्य में विवाद की स्थिति में राज्यपाल केन्द्र सरकार का हित-साधक नहीं होगा और न सभ सरकार का कार्य करने के लिए विश्वसनीय उपकरण सिद्ध होगा।

राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं—

- 1 यह पद्धति कम खर्चीली है। राज्यपाल के निर्वाचन कराये जाने पर भारी धन राशि व्यय करनी पड़ेगी। 2 इस पद्धति से अल्पसङ्ख्यक समुदाय को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 3 इसमें राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अतः ऐसा राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्ड के रूप में कार्य करता है। ऐसे राज्यपाल पर केन्द्र का प्रभुत्व बना रहता है। 4 इस व्यवस्था में राज्य के अन्य दाय्य व्यक्तियों और सार्वजनिक जीवन के योग्यतम एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 5 नामजद व्यक्ति को राज्यपाल पद से हटाया जाना सरल होता है। राष्ट्रपति उसे बिना कारण बताये अपने पद से अलग कर सकता है। 6 ऐसा राज्यपाल मात्र सार्वजनिक अध्यक्ष के रूप में आचरण करेगा। उसमें और राज्य मन्त्रिपरिषद में संघर्ष की सम्भावना अपवाद रूप में रहती है। 7 राज्यपाल का दूसरे राज्य में स्थानान्तरण संभव है। 8 ऐसी स्थिति में एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में परम्पराएँ

(Traditions Regarding Appointment of the Governor)

1 राज्यपाल पद पर अधिकारशक्त ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो अनुभवी हों राजनीति के क्षेत्र में जिनका प्रभाव हो और उन्हें राजनीति तथा प्रशासन की नीरक्षियों का ज्ञान हो, अतः राज्यपाल पद पर कुशल राजनीतियों और वृश्ल प्रशासकों को नियुक्त किया जाता रहा है।

के विपरीत अथवा केन्द्र द्वारा सुनाये गये नाम पर राज्य सरकार की सूची आपति के बन्दूक उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति केन्द्र राज्य सम्बन्धों तथा राज्यपाल-मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्धों की दृष्टि से कदापि उचित नहीं रहेगा। इससे सभी पक्षों में जहाँ 'रीतिबद्ध' या 'तनाव' की स्थिति का विकास होगा वहाँ राज्यपाल के प्रति सम्मान में निरिजत कमी आयेगी।

(4) किसी राज्य में बड़े व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

(5) राज्यपाल पद पर नियुक्ति को और अधिक अविवादास्पद बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसा समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्षी दल का नेता लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित हों। इस समिति द्वारा सुझाये गये व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये जा सकेंगे और उनकी नियुक्ति के बारे में अनावश्यक विवाद भी उत्पन्न नहीं होंगे।

(6) राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकारी आयोग की सिफारिशों को व्यवहार में अनुसरण करना चाहिए। इससे विपक्षों से मुक्ति मिल सके।

राज्यपाल की शक्तियाँ

(Powers of the Governor)

संविधान में राज्यपाल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल की बड़ी स्थिति है जो केन्द्र में राष्ट्रपति की है। संविधान के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गादास के अनुसार 'राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संवैधानिक अधिकारों को छोड़कर।' राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। सार्वधानिक रूप से उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता है। वह अपने कार्य के प्रति राष्ट्रपति के सिवाय अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सन्तुष्ट देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होती है और व्यावहारिक रूप से राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से कार्य करता है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

1. कार्यकारी शक्तियाँ—राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं जिन्हें वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्पादित करता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को अथवा विधानसभा में सर्वाधिक सभ्य का समर्थन करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनमें विभागों का वितरण करता है। अगर निर्वाचन में राज्य विधानसभा में किसी दल की स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है।

राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राज्य सूची में उल्लिखित विषयों तक है। समस्त सूची के विषयों पर वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण अयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्य सेवाओं में की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। उच्च न्यायालय के प्रधान और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल आन्त-भारतीय (ईन्ट्रो इन्डियन) समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है यदि उसका राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व न हो। राज्यपाल शासक के विषय में मन्त्रिपरिषद् से किसी रूप में और किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल के निर्णयों से अवगत कराए। राज्य में केन्द्र सरकार की आज्ञाओं के पालन करने का दायित्व राज्यपाल का है अतः उसका यह दायित्व बन जाना है कि वह राज-प्रशासन को जानकारी से केन्द्र सरकार को अवगत कराता रहे।

राज्य में सार्वधानिक सभ्य उपस्थित होने अथवा राजनीतिक अस्थिरता या अन्य किसी कारण से सार्वधानिक तंत्र की अकार्यक्षमता पर वह राज्य की स्थिति के विषय में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रेषित करता है। सामान्यतः उसके प्रतिवेदन के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल की भूमिका शक्तिशाली बन जाती है और वह वास्तविक शासक की भूमिका का निर्वाह करता है। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद् का मार्गदर्शक और अधिभावक होता है अतः वह अपनी मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को चेतावनी, सलाह और प्रोत्साहन देने की शक्ति रखता है।

राज्यपाल की स्व-विवेकीय शक्तियाँ

(Discretionary Powers of the Governor)

सविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनके दो रूप हैं—(1) सविधान-प्रद स्व-विवेकीय शक्तियाँ, (2) परिस्थितिजन्य स्व-विवेकीय शक्तियाँ। सविधान के कुछ विशेष मामलों में विशेष रूप से असम के राज्यपाल को स्व-विवेकीय अधिकार दिए गए हैं। असम के राज्यपाल को यह विशेषाधिकार है कि वह प्रजातीय क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ प्रशासकीय मामलों तथा असम सरकार एवं स्वायत्त जिला परिषद के बीच खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के बारे में निर्णय करे। नागालैण्ड के राज्यपाल को विद्रोही नागाओं से निपटने के लिए स्व-विवेकीय अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है। तत्काल के राज्यपाल को वहाँ के सभी क्षेत्रों के लिए नौगों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए समुचित प्रबन्ध करने की दृष्टि से विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। सविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ऐसे उपनयनों का निर्माण कर सकता है जिनमें राज्यपालों को स्व-विवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अधिक अवसर मिल सकें। राज्यपाल को स्व-विवेक से निर्णय लेने का अधिकार सविधान के अनुच्छेद 163(1) की भाषा से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि "जिन बातों में सविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्देशन में सहायता और सन्तुष्टि के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।" राज्यपाल को कुछ स्व-विवेकीय शक्तियाँ निम्नांकित विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होती हैं—

- (1) किसी एक दल को राज्य विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
- (2) संयुक्त सरकार का गठन और आपसी फूट के कारण शासन का सुचारु रूप से संचालन करना कठिन हो रहा है।
- (3) दलबदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए।
- (4) राज्य में शान्ति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया हो या उसकी सम्भावना हो।
- (5) मन्त्रिमण्डल में विधानसभा के अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई हो।
- (6) दलीय विद्रोह के कारण मन्त्रिमण्डल अल्पमत में आ गया हो और विपक्षी दल वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे।

राज्यपाल को स्व-विवेकीय शक्तियों को डॉ. एम. वी. पायली ने निम्नानुसार गिनाया है—

(1) मन्त्रिपरिषद् को स्थापना से पूर्व मुख्यमंत्री का चुनाव, (2) मन्त्रिमण्डल को पदच्युत करना, (3) विधानसभा का विघटन करना, (4) मुख्यमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों के सम्बन्ध में सूचना माँगना, (5) किसी मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय (जिस पर मन्त्रिपरिषद् ने विचार न किया हो) को मन्त्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री को आदेश देना, (6) विधानमण्डल द्वारा पारित किए विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, (7) राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, (8) किसी अध्यादेश को प्रख्यात करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश (Instructions) की याचना करना, (9) राष्ट्रपति को आपात पारामर्श देना तथा घोषणा करना, (10) असम तथा पूर्ववर्ती राज्यों के राज्यपालों के लिए आदिभ-जाति क्षेत्रों की कुछ प्रशासनिक समस्याओं को हल करना एवं (11) असम राज्य तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों की जिला परिषदों के खनिज स्वामित्व सम्बन्धी विवादों का निर्णय करना।

राज्यपालों की स्व-विवेकीय शक्तियों का क्षेत्राधिकार विस्तृत है। राज्यपाल को स्व-विवेकीय शक्तियों के प्रयोग करने में मन्त्रिपरिषद् की सहायता या उसके किसी पारामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। अपने कार्यों के इस क्षेत्र में राज्यपाल वस्तुतः सभ्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे सकता है। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनके आदेश का पालन करे फिर चाहे इसमें उते राज्य की मन्त्रिपरिषद् के पारामर्श की अवहेतना ही क्यों न करने पड़े। राज्यपाल की ये स्व-विवेकीय शक्तियाँ उनकी भूमिका को उग्र विवाद या आलोचना का विषय बना देती हैं।

केन्द्रीय अधिकतों के रूप में भूमिका

(Role as an Agent of the Centre)

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः उसे राज्यों में केन्द्र का अधिकता या एजेंट कहा जाता है। केन्द्र के अधिकता या प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को जो कार्य करने पड़ते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति (प्रधानमन्त्री के पारामर्शानुसार) ही राज्यपालों को निर्देश-आदेश देता है। यदि राज्य का मन्त्रिमण्डल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के

विरुद्ध कार्य करने की सलाह दे तो वह ऐसी किसी मलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति का आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि राज्य मन्त्रिमण्डल केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता है तो राज्यपाल इसे सविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक सक्त घोषित करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रेषित कर सकता है और तत्परिणत सक्त की उद्घोषणा के पश्चात् राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों को संचालित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के अधिकतम के रूप में राज्यपाल प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करता है और वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का संचालन करता है। इस भूमिका में वह पूर्व की लोकप्रिय सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को बदलने या उनके क्रियान्वयन को रोकने की कार्यवाही कर सकता है। वह प्रशासन में फेर-बदल कर सकता है। इस काल में नीकरशाह उसके मुख सलाहकार बन जाते हैं।

राज्यपाल केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में एक 'सम्पर्क कड़ी' (Connecting Link) का कार्य करता है। उसका सम्बन्ध भूमिका से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में उठने वाले विवादों का समाधान कर सम्भावनापूर्ण वतावरण का विकास हो सकता है। वह राज्य में केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। उस पर यह दायित्व आ जाता है कि वह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने में कहीं तक रुकी नहीं है तथा असंतुष्ट होने पर वह सरकार को चेतावनी अथवा आवश्यक निर्देश दे सकता है। अगर राज्य सरकार का व्यवहार प्रतिबन्ध हो तो वह केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाली अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन में वस्तुस्थिति से अलग कर सकता है। केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राष्ट्रपति को सुझाव सहित रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल पर ग्रहण करते समय सविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और यदि वह राष्ट्रपति को संवैधानिक-रूप की दिव्यता की सूचना देता है तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्य विधान-मण्डल द्वारा पठित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु कुछ मामलों में यह राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति अर्थात् केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह दर्शाता है कि राज्य सरकार सर्वोपरि प्राथमिकता के तहत अपना काम समस्त सच के तहत का ध्यान रखे। केन्द्रीय अधिकारों के रूप में सीमावर्ती राज्यों के राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आतंकवादी, पृथक्वादी, राष्ट्र-विरोधी, तस्करी तथा विदेशी पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को सतत रूप से अवगत कराते रहें। केन्द्रीय अधिकारों के रूप में राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्यमंत्री, मन्त्रिपरिषद के सदस्यों तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियान्वयनों से केन्द्र को निरन्तर अवगत कराते रहें। केन्द्रीय अधिकारों के रूप में उसका गृह मन्त्रालय से प्रत्यक्ष और सीधा सम्पर्क होता है।

सविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं पर दृष्टिगत करने से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल की प्रमुख भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की है तथा उसकी गौण भूमिका केन्द्रीय सरकार के 'अधिकृत' या 'एजेंट' की है। लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्यपालों के आचरण या भूमिका से मुखरित होता है कि उन्होंने राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की तुलना में 'केन्द्रीय अधिकृत' की भूमिका को अधिक महत्व दिया है।

राज्यपाल की भूमिका : गिरती छवि

सन् 1967 के पूर्व केन्द्र और सभी राज्यों (कुछ अपवादों को छोड़कर) में कॉमिंस दल की सरकारों के सतत गिरावट होने के कारण राज्यपालों की भूमिका औपचारिक मात्र थी। उनके सम्मुख विशेष चुनौतियाँ उपस्थित नहीं हुईं। वे राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष और केन्द्र के अधिकृत की औपचारिक भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह करते रहे। उनका भूमिका के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं हुआ।

सन् 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद देश के राजनीतिक परिवर्तन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में केन्द्र में कॉमिंस का बहुमत कम हो गया और अनेक राज्यों में पश्चात् विद्रोह, टहलाना, परिषदों बगाल, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख की एकदलीय सरकार को छोड़कर सभी गैर-कॉमिंस सरकारें सविद या मिश्र-जुनों सरकारें थीं। फलस्वरूप इन राज्यों के राज्यपालों की भूमिका दुरुह बन गई। विपक्ष में बैठे कॉमिंस इन गैर-कॉमिंस राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के लिए कृत-सकल्य थी। कॉमिंस के केन्द्रिय नेतृत्व की अपने प्रदेशिक नेतृत्व का इस कार्य में शक्यता थी। केन्द्र के प्रतिनिधि या अधिकृत के रूप में राज्यपालों की नियमिता पर शक्यता की जड़ें लगीं। दृश्य और दलबन्धन के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की कॉमिंस सरकारों का पतन हुआ। इनके स्थान पर दलबन्धन-जुनों के नेतृत्व में सविद सरकारें गठित हुईं। राज्यों में सरकारों के बनने, मिटने के क्रम में राज्यपालों द्वारा अल्पमत-मुमुक्षुत्व की प्रतिष्ठा राज्य में मन्त्रिमण्डलों की बर्दाश्तशी, अल्पमतीय और सदिग्ध बहुमत का समर्थन रखने वाले मुख्यमंत्रियों की सलाह पर विधानसभाओं के विघटन, राज्यपालों द्वारा मन्त्रिपरिषद द्वारा तैयार किये गये अधिनियमों के अल्पमतजनक अर्थों के पढ़ने से इनकार करके संवैधानिक विवाद की जन्म देना, राज्यपालों द्वारा बहुमत प्राप्त नेताओं को मुख्यमंत्री पद की

शपथ दिलाने के स्थान पर अल्पमतोय नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के निर्णय दलीय विद्रोह की स्थिति में मुख्यमंत्री के राज्य विधानसभा में बहुमत का निर्धारण करने के स्थान पर 'राजभक्तियों' में करने की प्रवृत्ति, प्रजाचार, अनैतिक आचरण, शान्ति और व्यवस्था तथा दलीय विद्रोह के नाम पर मुख्यमंत्रियों की बर्खास्तगी, राजभक्तियों में बैठकर सक्रिय राजनीति में भाग लेना, राज्यपाल रहते हुए दलीय कार्यक्रमों में भाग लेना, राष्ट्रपति शासन के समय अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग तथा राज्य में निर्वाचन की समयावधि में ही विवादास्पद नियुक्तियाँ करने, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निरस्त करने, राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा अपने पुत्र के कथित चुनाव प्रचार को लेकर दिये गये त्यागपत्र जैसे घटनाचक्रों ने राज्यपालों की 'जनता में छवि को गिरा दिया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति शासन के लिए की गई अभिशप्तियों ने इस पद पर गंभीर आपत्तिजनक आरोप लगाने के लिए जन मतस को उद्देक्षित किया है। उनकी मुश्किल विवादास्पद हो गई। ससद, राज्य विधानसभाओं और सार्वजनिक सभाओं में राज्यपालों के आचरण की निन्दा को गई। उन्हें 'केन्द्रीय जासूस' कहकर इस पद को समाप्त करने की माँग की गई।

राज्यपाल सभा को अविवादास्पद बनाने के लिए विभिन्न आयोगों ने सार्थक सुझाव दिये हैं। इस दिशा में तमिलनाडु की एम. कृष्णनिधि वाली द्रमुक सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल समिति राष्ट्रपति श्री वी. गिरी द्वारा राज्यपाल सहायक सहाय के नेतृत्व में गठित 'सहाय समिति या राज्यपाल समिति' एवं सरकारी आयोग प्रमुख रहे हैं। इनमें सरकारी आयोग ने अनेक सुझाव दिये हैं जैसे राज्यपाल को हटाने से पूर्व उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपना पक्ष अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध प्रस्तुत कर सके तथा उसे ससद में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि यह सुझाव मान लिया जाये तो राज्यपाल एक स्वतन्त्र प्रणाली के रूप में कार्य कर सकेगा।

मुख्यमंत्री तथा राज्य मंत्रिपरिषद

(Chief Minister and the State Council of Ministers)

राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है जो राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार "उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे पहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रथम मुख्यमंत्री होगा।"

राज्य मंत्रिपरिषद का गठन

(1) मुख्य मंत्री की नियुक्ति—मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है लेकिन यदि राज्य की विधान सभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या विभिन्न दलों के संयुक्त मोर्चे का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग कर सकता है।

(2) अन्य मंत्रियों की नियुक्ति—अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। अन्य मंत्रियों का अपने मंत्रिमण्डल के लिए चयन करते समय मुख्य मंत्री क्षेत्र, दल, प्रभाव, विश्वास, योग्यता आदि कई बातों को ध्यान में रखता है।

(3) मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य—राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं—(1) शासन को नीति निर्धारित करना, (2) उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना, (3) विधान मण्डल में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, (4) कानून निर्माण की व्यवस्था करना एवं (5) बजट तैयार करना।

मुख्यमंत्री की स्थिति—मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन की 'पुत्री' कहा जाता है। वही राज्य के सभी कार्यों का संचालन करता है। उसकी भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य विधानसभा में उसके दल को कितनी बहुमत का समर्थन प्राप्त है? राज्यपाल के साथ उसके सम्बन्ध कैसे हैं? केन्द्र में उसके दल की सरकार है या नहीं? प्रधानमंत्री के साथ उसके सम्बन्धों का स्वरूप कैसा है? दल के उच्च-कमान के साथ उसके सम्बन्ध कैसे हैं? आदि के आधार पर मुख्य मंत्रियों की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है—प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में पश्चिमी बंगाल के विपिनचन्द्र राय और ज्योति बसु, उत्तर प्रदेश के पंडित गोविन्द वल्लभ पंत और चन्द्रभान गुप्त महाराष्ट्र के पशवन्तराव चव्हाण, बसन्तराव नाईक और शरद पवार, गुजरात के नलवन्तराय मेहता, राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया और भीरोसिंह शेखावत, बिहार के श्रीकृष्ण सिन्हा और तालू प्रसाद यादव, मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल तथा दार्जिलिंगप्रसाद मिश्र तमिलनाडु के अन्नादुराई एम. जी रामचन्द्रन और कु. जयललिता, कर्नाटक के निजलिगण्ण, आंध्र प्रदेश के एन. टी. रामाराव, चन्द्रबानू नायडू, उड़ीसा के बीजू पटनायक, पंजाब के सरदार प्रतापसिंह कैतों और प्रकाशसिंह बादल, जम्मू कश्मीर के मोहम्मद शेख अन्दुल्ला, हिमाचल प्रदेश के यशवन्तसिंह परमार, केरल के ई. एम. ए. नम्बूद्रीपद, त्रिचिक्कम में नरबहादुर गुण्डारी तथा असम के विमलप्रसाद चलिहा के नाम गिनाये जा सकते हैं। यह सब अपने राज्यों के प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता रहे हैं।

और इनकी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में अहम भूमिका रही है। केन्द्र द्वारा इनकी आवाज और उय को महत्व दिया गया है।

दुर्बल मुख्यमंत्रियों में उन मुख्यमंत्रियों को रखा जा सकता है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री या दल के उच्चक्रमान की कृपा के आधार पर हुई तथा जिन्हें अपने राज्यों में विधानमण्डलीय दल का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने में दल के उच्चक्रमान की तरफ देखते रहे हैं। पंडित नेहरू से लेकर चावरेयी तक के कार्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर, जिनका उल्लेख (शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों के रूप में) किया जा चुका है, ऐसे ही मुख्यमंत्रियों का अस्तित्व रहा है। इन दुर्बल मुख्यमंत्रियों की सम्पागत और आचरणगत स्थिति पर प्रधानमंत्री तथा दल के उच्चक्रमान का पूर्ण वर्चस्व रहा और उन्हें जब चाहे अपने पदों से हटा दिया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो उनके पद की गरिमा और प्रतिष्ठा के प्रतिबन्धन का साक्ष्य हो सकता है। इस स्थिति के कारण मुख्यमंत्रियों की सम्पागत स्थिति प्रभावित हुई और वे 'मुख्यमंत्री' के स्थान पर 'मुख्य सन्देशवाहक' (Chief Messengers) में परिवर्तित हो गये। सन् 1967 के बाद दलबदल भारतीय राजनीति की एक ज़ासदी बन गया। इस प्रक्रिया में ऐसे अल्पमतीय मुख्यमंत्रियों की परम्परा को जन्म दिया, जिनकी किसी एक प्रमुख दल तथा दलों के गठबन्धन ने मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए, बिना बाहर से समर्थन दिया। ऐसे मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में पूर्णरूपेण 'दलबदलसूत्री' के मन्त्रिमण्डल सत्ताकाण्ड हुए। ऐसे पराश्रित मुख्यमंत्री शक्तिहीन, अल्पमतीय या कमजोर थे। ऐसे मुख्यमंत्रियों में आन्ध्र प्रदेश में नन्देला भास्करराव, बिहार में विधेश्वरी प्रसाद मण्डल, पश्चिमी बंगाल में डॉ. प्रफुल्लचन्द्र घोष, पंजाब में डॉ. लक्ष्मणसिंह गिल, जम्मू-कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह, केरल में मोहम्मद एन. कोया तथा त्रिक्कम में बी. बी. गुहगु, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरणसिंह मध्य प्रदेश में भोविन्दारायण सिंह, हरियाणा में एच. वी. वी. सिन्हा और मजबूत, उत्तर प्रदेश में सुश्री माधवजी की गिनाया जा सकता है। ये अल्पमतीय मुख्यमंत्री दीर्घजीवी नहीं हुए और उनका समय रहते ही पतन हो गया।

श्रेष्ठिय दलों के मुख्यमंत्रियों की भूमिका शक्तिशाली बनो रही, क्योंकि वे अपने दलों की शक्ति का मुख्य आधार रहे। ऐसे मुख्यमंत्रियों में जम्मू-कश्मीर में नैशनल कॉन्ग्रेस के मोहम्मद शेख अब्दुल्ला और घासक अब्दुल्ला, आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम के एन. टी. रामाराव, चन्द्रबाबू नायडू, त्रिक्कम में त्रिक्कम सद्मान परिषद के नरहरामु रंगारी तमिऴनाडु में सद्गुन द्रमुक के सी. एन. अन्नादुरै, द्रमुक के एम. वरुणनिधि, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक के एम. जी. रामचन्द्रन और कु. जयप्रसन्न, पंजाब में अकाली दल के प्रकाशसिंह बादल, अकाली दल (लोगीवाल) के सुरजीतसिंह बलाना तथा गोवा में महाएष्टवादी गोमन्तक पार्टी के दयानन्द बान्दोडकर तथा श्रीपती शक्तिशाली काकोदकर, असम में असम गण परिषद के प्रफुल्लकुमार महन्त तथा हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के नेता चौधरी बशीरलान की भूमिका राष्ट्रीय दलों के मुख्यमंत्रियों की तुलना में शक्तिशाली रही है।

मुख्यमंत्रियों के कार्य तथा शक्तिपूर्ण—मुख्यमंत्रियों की शक्तियों की प्रकृति बहुत व्यापक है। यह राज्यपाल से राज्य मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करवाता है और उनमें विभागों का वितरण करता है, मन्त्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है और राज्य प्रशासन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेता है, मंत्रियों को वरिष्ठ नेतृत्व और निर्देश देता है तथा मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के कामकाज की समीक्षा कर मन्त्रिमण्डल को एक संगठित टीम के रूप में कार्य करवाने की अहम भूमिका निभाता है। यह मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन कर सकता है तथा अयोग्य और अक्षम मंत्रियों को अपने पद से हटा सकता है।

मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन के संचालन में अहम भूमिका होती है। उसके द्वारा ही राज्य प्रशासन के लिए वरिष्ठ नीतियाँ और दिशानिर्देश दिये जाते हैं। राज्य सचिवकाल पर उसके नियन्त्रण होता है और मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय शासन सचिव राज्य मन्त्रिमण्डल द्वारा ली गई नीतियों तथा निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए तयार रहते हैं। राज्य में की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में मुख्यमंत्री की निर्णायक भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की नीतियों का प्रवक्ता माना जाता है। यह विधानसभा में और उसके बाहर राज्य सरकार के निर्णयों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमण्डल का नेता माना जाता है। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को क्षय रखने का दावित उसी का है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को रक्षा करने के दावित का निर्वाह करता है। मुख्यमंत्री पर राज्य में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने तथा प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास और आस्था को बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है। राज्य में साम्प्रदायिक, अलगाववादी, पृथकतावादी और आतंकवादी शक्तियों को नियंत्रित करने का दावित्व मुख्यमंत्री का है।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों की दृष्टि से मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह केन्द्र के सम्मुख राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री सम्मेलन में वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों तथा जन विवादों के समाधान खोजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो सम्मेलन बुलाये जाते हैं उनमें वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य की योजना की योजना आयोग से स्वीकृत करने का कार्य करता है। यह मुख्यमंत्री की कुरतला पर निर्भर

करता है कि वउ धारा के सम्मुख राज्य का पक्ष कितनी प्रबलता के साथ प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग के सम्मुख राज्य के पक्ष को प्रस्तुत करने का दायित्व मुख्यमंत्री का है। इससे वह राज्य के लिए अधिक सहायन जुटाने में सक्षम बन सकता है। मुख्यमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) तथा राष्ट्रीय एकाता परिषद (National Integration Council) की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अन्तर्-राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु भी मुख्यमंत्री की भूमिका सर्वोपरि तथा निर्णायक होती है। मुख्यमंत्री की जननायक माना जाता है। वह राज्य की जनता की आशाओं एवं अपेक्षाओं का प्रतीक होता है।

मन्त्रिपरिषद

(Council of Ministers)

सविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को सलाह पर राज्यपाल द्वारा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः मन्त्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य होते हैं। अगर सरकार का स्वरूप सविधान सरकार का है तो दा या दो से अधिक राजनीतिक दलों के सदस्य तथा सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय सदस्य हो सकते हैं। मन्त्रिपरिषद के सदस्य अनिवार्य रूप से राज्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं। वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। अगर कोई सदस्य मन्त्रिपरिषद में शामिल करते समय राज्य विधानमण्डल का सदस्य न हो तो उसे सदस्य बनने से 6 महीने की समावधि में राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। इसमें असमर्थ रहने पर उसे मन्त्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व और निर्देशन में मन्त्रिपरिषद कार्य करती है। वह जब चाहे मन्त्रिपरिषद में फेर बदल कर सकता है। यह मंत्रियों को हटा कर नये मंत्रियों को शपथ दिला सकता है उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है मंत्रियों को पदोन्नत कर सकता है उनसे त्यागपत्र माँग सकता है और ऐसा करने से इनकार करने वाले मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त करवा सकता है। वह मन्त्रिपरिषद के पुनर्गठन के लिए एक साथ सारी मन्त्रिपरिषद का त्यागपत्र माँग सकता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

मन्त्रिपरिषद के सदस्य राज्य विधानमण्डल के प्रति व्यक्तित्व और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। गीत सम्बन्धी प्रश्नों पर सामूहिक उत्तरदायित्व की शक्ति लागू होती है। यदि मन्त्रिपरिषद किसी नीति सम्बन्धी प्रश्न पर राज्य विधानसभा में पराजित हो जाती है तो मन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरत और दूधते हैं। मन्त्रिपरिषद पर विधायी और न्यायिक नियन्त्रण है। राज्य विधानमण्डल के विश्वास-परीक्षा मन्त्रिपरिषद अपने पद पर बनी रह सकती है। यदि राज्य विधानसभा मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमण्डल प्रश्नोत्तर कार्यक्रमों के प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा कटीला प्रस्ताव में मन्त्रिपरिषद पर नियन्त्रण रखती है।

मन्त्रिमण्डल की बैठकों में मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्री भाग लेते हैं। सामान्यतः मन्त्रिमण्डलाय स्तर के मन्त्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभाग के संचालन का दायित्व मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्री करते हैं। राज्य मंत्रियों का भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्र कार्यभार सौंपा जाता है तथा उन्हें मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। सामान्यतः राज्यमन्त्री उपमन्त्री और ससदीय सचिव अपने मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों को कार्य सम्पादन में सहयोग देते हैं।

मन्त्रिपरिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष का होने के बावजूद अनिश्चित होता है। यदि वह विधानसभा का विश्वास खो दे तो अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद का बर्खास्त करने का निर्णय ले तो मन्त्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

मुख्यमंत्री को राज्य मन्त्रिमण्डल के निचले सदन अर्थात् राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन रखने वाले मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया जाता है लेकिन राज्य विधानसभा में पराजित सदिग्ध बहुमत और अल्पमतों मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। मन्त्रिपरिषद को गोपनीयता के सिद्धान्त का पालन करना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद द्वारा निरदे गये निर्णयों को जब तक सार्वजनिक नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें गुप्त रखना पड़ता है। अगर मन्त्रिपरिषद के सदस्य उनका रहस्योद्घाटन कर देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। मन्त्रिपरिषद के सदस्य सविधा की सराभा की शपथ लेते हैं अतः वे अपने कर्त्यों से सविधान का सारक्षण करने के लिए बचनबद्ध होते हैं। मन्त्रिपरिषद के सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं अतः विभागों का संचालन करना उनका आधुनिक कार्य माना जाता है। वे अपने विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

भारतीय सविधान मन्त्रिपरिषद् को कार्यपालिका विधायी और वितीय क्षेत्र में आने वाली सभी शक्तियाँ प्रदान करता है। मन्त्रिपरिषद् राज्य नशासन का संचालन करती है और सभी महत्वपूर्ण निष्क्रियता करती है। मन्त्रिपरिषद् द्वारा सभी विधेयकों का प्रारूप तैयार किया जाता है और उन्हें विधान-मण्डल से पारित कराया जाता है। मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही बजट का निर्माण करके उसे पारित कराया जाता है। राज्य के विकास सम्बन्धी और अन्य सभी नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिये जाते हैं। इसके द्वारा अन्तरराज्यीय विवादों के सदर्भ में निर्णय लिये जाते हैं। मन्त्रिपरिषद् राज्य में केन्द्रीय निर्णयों को लागू करती है। मन्त्रिपरिषद् को शासन का 'संचालनकर्ता' माना जा सकता है।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध

(The Relationship between the Governor, the Chief Minister and the Council of Ministers)

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सम्बन्धों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें अनेक बिन्दुओं के लिए राज्यपाल को सूचित करने का संवैधानिक दायित्व है। इन दायित्वों को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

1. मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य-कार्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् द्वारा लिये गए समस्त विनियमों तथा विधान बनाने सम्बन्धी समस्त प्रस्थानार्थी राज्यपाल को प्रदान करे।

2. वह राज्यपाल को समस्त जानकारी प्रेषित करे जो उसने राज्य-प्रशासन के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् के तत्सम्बन्धी विनियमों तथा विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रस्थानार्थियों के सन्दर्भ में चहो है।

3. ऐसे किसी विषय पर जिस मन्त्री ने अपना विनियम पदान कर दिया है लेकिन उस मन्त्रिपरिषद् के समस्त विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है उसके सम्बन्ध में मुख्यमंत्री पर यह दायित्व अधिप्रेषित किया है कि ऐसे विनियमों को राज्यपाल को अपेक्षा करने पर मन्त्रिपरिषद् का विचारार्थ प्रस्तुत करे।

4. अनुच्छेद 167 में सम्बन्धित किये गये मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

5. राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। दोनों राज्य की कार्यपालिका के अभिन्न अंग होते हैं। जैसा कि सविधान में उल्लेख किया गया है—“राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह अप्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से तथा सविधान के अनुसार करेगा।”

नौकरशाही

(Bureaucracy)

भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही भारतीय प्रशासन नौकरशाही प्रधान रहा है। अंग्रेजों ने आई सी एस अफसरों का ऐसा हुजूम तैयार किया जो शक्ति और दण्ड के बल पर देश के शासन को चलाता रहा। स्वतन्त्रता के बाद आई सी एस के स्थान पर आई ए एस वर्ग के अफसरों की पृथक् जमात तैयार हो गई जिसे कुरान और सखन प्रशासन का प्रतिरूप मान लिया गया।

भारतीय नौकरशाही की विशेषताएँ—(1) भारत की नौकरशाही में स्थायित्व है। (2) यहाँ की नौकरशाही राजनीतिक रूप से उदात्त रहती है। (3) यहाँ लोकसेवा एक पेशा है। (4) भारत में लोक सेवाओं का सगठन पद सोपान के सिद्धान्त पर होता है।

भारत की नौकरशाही में ये विशेषताएँ भी व्यवहारिक जानकारी से दृष्टिगत होती हैं—(1) भारत की नौकरशाही में प्रत्याघर व्याप्त है। (2) भारत के नौकरशाह परोक्ष रूप से राजनीति में सलामत रहते हैं। (3) लोकसेवा में सदन-संगठन है। (4) नौकरशाही में शासन का अह रहता है। (5) लोकसेवा में विशेषज्ञों की उपेक्षा है। (6) भारत में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर अलग-अलग सेवाओं की व्यवस्था है। (7) लोक सेवाओं में अभिन्नता प्रचलित है। (8) सेवा सरचना ऐसी है जो उत्तरदायित्वहीन करी जा सकती है।

लोक सेवाओं के कार्य—(1) नति निर्माण करना, (2) राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देना, (3) सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करना, (4) विधि निर्माण कार्य करना, (5) अर्द्ध न्यायिक कार्य करना एवं (6) विकास कार्यों को संपादित करना।

संसद तथा संसदीय समितियों की भूमिका तथा कार्य

(Role and Function of the Parliament and Parliamentary Committee)

भारत में लोकतन्त्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया गया है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थात् संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसद के विश्वासपर्यन्त अपने पद पर बनी रह सकती है अतः कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने वाला नातियों तथा लोकसेवकों द्वारा उन नीतियों को क्रियान्वित करने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया पर संसद का नियन्त्रण होता है। भारतीय संसद प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखती है।

पारस्परिक सम्बन्ध के आधार

(The Basis of Correlatioship)

(1) **संसदीय बहस**—संसद में लोकप्रशासकों के कार्यों पर बहस की जाती है ताकि यह जाना जा सके कि अनुमोदित नीतियों को किस मापा तक सम्पन्न किया गया है। बहस के दौरान यह अधिकारियों को आवश्यक निर्देश, आदेश तथा चेतावनी दे सकती है। संसद द्वारा प्रशासकों पर ऐस' पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण रखा जाता है ताकि वे कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित कर सकें।

(2) **संसदीय व्यवस्थापन**—संसद द्वारा पारित कानून लोक-सेवकों के व्यवहार का स्वरूप एवं मापदण्ड परिचित करते हैं। लोक-सेवकों के कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण संसदीय कानूनों द्वारा किया जाता है।

(3) **संसद वित्तीय शक्ति का स्रोत है**—प्रशासनिक विभागों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद यदि धन की स्वीकृति न दे तथा आवश्यकता से कम की स्वीकृति दे तो लोक-सेवक अपने कार्य सन्तोषजनक रूप में सम्पन्न नहीं कर सकते। यह वित्तीय नियन्त्रण द्वारा लोक-सेवकों को जन-व्ययण के कार्यों की ओर प्रवृत्त रखती है।

(4) **व्यवस्थापिका शक्तियों का हस्तान्तरण**—संसद अपनी कानून बनाने की शक्ति को कार्यलयों के लिए हस्तान्तरित करती है और यह लोक-सेवकों को नया दायित्व सौंपती है। प्रदत्त-व्यवस्थापन प्रक्रिया इसी बात का परिणाम होती है किन्तु इस दायित्व के निर्वाह के लिए वे सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते बल्कि मंत्रियों के माध्यम से उत्तरदायी होते हैं। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन अथवा हस्तान्तरित व्यवस्थापन कहा जाता है।

संसदीय नियन्त्रण

(Parliamentary Control)

संसद द्वारा लोक-सेवकों के कार्यों पर नियन्त्रण रखा जाता है ताकि जनहित विरोधी कार्यों को रोका जा सके। भारत के सन्दर्भ में लोक-सेवकों पर संसदीय नियन्त्रण का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ गया है—

(1) **सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन**—स्वतन्त्रता के पश्चात देश में हुए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण भारतीय जनता के रहन-सहन, जीवन-स्तर एवं विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन ने प्रशासन को प्रकृति और लक्ष्य के प्रति जनता के दृष्टिकोण को बदल दिया है। इन परिवर्तनों के कारण आज का लोक-सेवक स्वेच्छाजारी जन-हित-विरोधी परिकुश एवं समाज के मूल्यों तथा आदर्शों की अवहेलना करने वाला नहीं हो सकता है। जब कभी लोक-सेवक जनहित के कार्यों में अक्षम एवं उदासीनता दिखाते हैं तभी व्यापक जन-विरोध उठ खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में लोक-सेवाओं पर संसद का नियन्त्रण अनिवार्य बन जाता है। संसद में लोकसेवकों के आचरण पर बहस होती है और उन्हें अनुशासनहीन होने पर प्रताड़ित किया जा सकता है।

(2) सरकार के कार्यों का विस्तार—स्वतंत्रता के बाद सरकार के कार्यों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। यह पुनः राज्य के दायित्वों के साथ नागरिक कल्याण के कार्य सम्पन्न करती है। उसके कार्यों की प्रकृति बहुमुखी है। आज भारत सरकार नागरिकों की संरक्षक, भिन्न और सहयोगी है। सरकार के कार्यों के क्षेत्र-विस्तार के बड़ने के साथ प्रशासन के दायित्व बढ़ गये हैं। इसके लिए प्रशासन को नए अधिकारों और शक्तियों से सुसज्जित किया गया है। इन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ससलीय नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है।

(3) प्रजातांत्रिक समाजवाद—भारत ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के मार्ग को अपनाया है और आज सरकार को यह दायित्व हो जाता है कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे नागरिकों के अधिकार और स्वातंत्र्य पर नुकसान हो जाय अथवा समाजवाद का मार्ग अवलोक्य हो जाय। इसके लिए संसद द्वारा प्रशासन पर निरन्तर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखा जाता है।

(4) नयीन निरक्षरता के खतरे—प्रशासन पर संसद के प्रभावशाली नियंत्रण के अभाव में लोक-सर्वकार स्वयंसेवक बन जाते हैं, जन्ता में असन्तोष पैदा होता है, प्रशासन में अनियमितता बढ़ती है भाई भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार का प्रदूषण फैलता है तथा मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक नीतियों का अन्वयन करने लग जाती है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक तत्त्वहीनता का विकास होता है विकास-योजनाएँ स्थगित हो जाती हैं प्रशासनिक अकर्मण्यता से जनता का नैतिक चरित्र और उत्साह क्षीणित पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के कानून महत्वहीन बन जाते हैं। उनकी अवहेलना, उपेक्षा और विरसकार किया जाता है। इन सभी बुराइयों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन पर संसद का नियंत्रण रचना अत्यावश्यक बन जाता है।

संसदीय नियंत्रण के साधन (Tools of Parliamentary Control)

(1) नीति का निर्धारण—संसद द्वारा प्रशासन की व्यापक नीति का निर्धारण किया जाता है। नौक भवक जिन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, वे संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। संसद द्वारा उन्म परिवर्तन, परिवर्तन या संशोधन किया जाता है।

(2) बजट पर चर्चा—बजट संसद द्वारा परित किया जाता है। उसकी अनुमति के बिना लोक प्रशासनिक पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। बजट पर चर्चा के समय संसद के सदस्य प्रशासन की सम्पूर्ण गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं। लोक-सेवकों एवं उच्च पदाधिकारियों के कार्यों का पुनरावलोकन किया जाता है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों की अनियमितता का पर्दाफाश होता है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। अनुदान की माँग पर मतदान करा समय संसद सदस्य लोक-सेवकों के व्यवहार की विराट् चर्चा करते हैं। कठोरी प्रस्ताव के रूप में लोक-सेवकों के व्यवहार पर पूरा तरह टिप्पणियाँ और समीक्षा की जाती है। वित्त विधेयक पर विचार के समय संसद सदस्य लोक प्रशासन का अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अन्य दोषों का उल्लेख करते हैं।

(3) राष्ट्रपति का अभिभाषण—संसदीय अधिवेशन के प्रारम्भ पर राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण देते हैं तो वे लोक-सेवकों के कार्यों एवं उपलब्धियों की प्रशंसा एवं अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते हैं। जब संसद सदस्य इस बात पर विचार विमर्श करते हैं तो लोक-सेवकों के कार्यों की आलोचना का विषय बनाया जाता है। संसद में हुई बहस समाप्त पर, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से उनकी गतिविधियाँ जन-सामान्य तक पहुँच जाती हैं। इस प्रकार संसदीय चर्चा विवाद से प्रशासन के प्रति जनमत निर्माण करने में सहायता मिलती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी जनमत जाग्रत कराने का प्रभावशाली साधन बन गये हैं।

(4) प्रश्न-काल—संसद की कार्यवाही का पहला घण्टा प्रश्न-काल के लिए नियत है। इस काल में संसद सदस्य मंत्रियों से उनका प्रशासनिक नीतियों एवं कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रशासन पर सन्तोष-नियंत्रण दृष्टिकोण से स्थापित होता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रत्येक मन्त्री सजग रहता है। मन्त्रा का यह अधिकार है कि वह किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा टाल दे किन्तु ऐसा करना उसकी लोकप्रियता को नुकसान पहुँचाता है। प्रत्येक प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से मन्त्री लोक-सेवकों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। वह अपने विभागीय अधिकारियों में व्यक्तिगत रुचि नेता है। किसी अधिकारी द्वारा की गई गलतियों के प्रति भारत में जागरूक होने के कारण मन्त्री स्वयं यह प्रयास करता है कि ऐसे अवसर पैदा न हों। स्वयं अधिकारी ससलीय प्रशासन अपनी बाजूओं को बचाकर कार्य करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री एटली के मतानुसार "संसद में खुले रूप में मन्त्रियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण नागरिक सेवा को चौकन्ना रहना पड़ता है।"

(5) बहस एवं विचार-विमर्श—प्रश्न-काल के अतिरिक्त समय में संसद सदस्य लोक-सेवकों के कार्यों पर टीका-टिप्पणियाँ करते रहते हैं। ऐसा मुख्यतः तीन अवसरों पर होता है—

(क) नया विधेयक प्रस्तावित होने पर—जब नया विधेयक संसद में प्रस्तावित किया जाता है तो कई सदस्य प्रशासनिक लोक-सेवकों के कार्यों की पुनरीक्षा अथवा पुनरावलोकन कर देते हैं। ऐसे वाद-विवाद के समय प्रशासनिक सगठन की सफलता, उपयुक्तता एवं कार्य-कुशलता सामने आती है।

(ख) आगे पष्टे के विचार-विमर्श के लिए समय बौगना—ऐसा प्रावधान है कि यदि प्रश्न-काल में कोई सदस्य सरकार के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो पाते हैं अथवा उसके सम्बन्ध में ठोसे सन्देश रहता है तो उसके निवारणार्थ वह प्रश्न काल के तुरन्त बाद अफ्यस से आगे पष्टे के विचार विमर्श की अनुमति माँग सकता है और इस विचार-विमर्श में लोक-सेवकों के कार्यों को कटु आलोचना होती है।

(ग) अल्पकालीन विचार-विमर्श के समय—अत्यावश्यक लोकहित के विषय पर विचार करते हुए संसद सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को वाद-विवाद का विषय बनाया जा सकता है। यह वाद-विवाद अफ्यस की अनुमति से अधिक से अधिक ढाई घण्टे का हो सकता है। उक्त अवसरों पर संसद में विचार-विमर्श एवं आलोचना के लिए प्रशासन उतरदायी रहता है।

(6) स्थान प्रस्ताव—संसद सदस्य किसी विभाग के अधिकारियों के अत्याचार एवं ज्यादतियों के विरुद्ध संसद में स्थान प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की संसद में कटु आलोचना की जाती है जिससे जनता में इन अधिकारियों की बदनामी होती है।

(7) अविश्वास प्रस्ताव—इसे संसद का अनोप शस्त्र माना जाता है। यदि नागरिक सेवकों के कार्यों के प्रति गहरा असन्तोष है तो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोक-सेवकों की कटु आलोचना की जाती है। प्रशासनिक कमजोरियों, असफलताओं एवं ज्यादतियों पर प्रकाश डाला जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित होने पर सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

(8) संसदीय समितियाँ—संसद की समितियाँ लोक प्रशासन पर नियन्त्रण रखने का सबल साधन हैं। कई संसदीय समितियों का मूल उद्देश्य विस्तृत अध्ययन के बाद यह जानकारी प्राप्त करना है कि कौन अनियमितता बरती जा रही है? कौन अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है? किसके द्वारा जनहित विरोधी कार्य किए जा रहे हैं? तथा कौन जनता के धन का अपव्यय कर रहा है? संसद की इन नियन्त्रकारी समितियों के तीन नाम उल्लेखनीय हैं। आरवासन समिति, जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति। आरवासन समिति के नियन्त्रण के कारण मंत्री आश्वासन देते समय सजग रहते हैं।

(9) सेखा परीक्षण—पात का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) विभिन्न सरकारी विभागों के लेखों की जाँच करता है तथा अनियमितताओं का पाता लगाता है। लोक सेवक लेखा परीक्षा के भय से आतंकित रहते हैं तथा जनता के धन का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं।

संसदीय नियन्त्रण की समस्याएँ एवं सीमाएँ
(Problems and Limitations of Parliamentary Control)

प्रो. एपलबी (Prof. Appleby) के मतानुसार प्रशासनिक कार्यों में संसद का हस्तक्षेप नियन्त्रण की परिधियों में सीमित न रहकर महत्वाकांक्षी बन जाता है, इससे लोक-सेवकों के कार्य प्रतिबन्धित हो जाते हैं। भारत में सामन्तवादी परम्पराएँ, जनता और अधिकारियों के मध्य दूरी तथा शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण संसदीय नियन्त्रण वाञ्छनीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसकी प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) गैर-विशेषज्ञता—संसद के सदस्य गैर-विशेषज्ञ होने के कारण लोक-सेवकों की ठोस रचनात्मक आलोचना नहीं कर पाते हैं। लोक-सेवक स्वेच्छाजती शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि वे सासदों की पकड़ में नहीं आते हैं। परिणामस्वरूप संसदीय नियन्त्रण का क्षेत्र सन्कुचित हो जाता है। अधिकार सासद गैर अनुभवी होते हैं, फलतः संसदीय नियन्त्रण की उपयोगिता कम हो जाती है। इस प्रकार संसदीय नियन्त्रण प्रभावशाली एवं सार्थक नहीं हो पाता है।

(2) आलोचना के लिए आलोचना—सासदों द्वारा प्रशासन की आलोचना उसमें सुधार करने या कार्य कुशलता लाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि दार्शनिक दृष्टियों के लोगो को प्रभावित करने, समाचार-पत्रों में फोटो सहित नाम प्रकाशित करवाने तथा जनता में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए की जाती है। उनकी आलोचना के पीछे पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत मनमुटाव उतरदायी रहते हैं। यह स्थिति लोक-सेवकों के मनोबल को गिराती है। आलोचना के लिए की गई आलोचना सार्थक नहीं होती है और लोक-सेवकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(3) उतरदायित्व का प्रश्न—संसदीय नियन्त्रण के कारण मन्त्रिण अपने कन्धे से लोक-सेवकों के कार्यों का दायित्व उतार देते हैं। जब प्रशासनिक अनियमितता का दोष मन्त्री पर डाला जाता है तो मन्त्री उसे लोक-सेवकों की गलती बताकर बच निकलता है अथवा बच निकलने का प्रयास करता है। सासदों द्वारा की गई नीति की आलोचना के उतर में मन्त्री कहते हैं कि नीति ठीक थी, मगर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सही रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इससे लोक-प्रशासन अकार्यकुशल तथा प्रष्ट बन जाता है।

(4) **एकपक्षीय आलोचना**—संसद में लोक-सेवकों की आलोचना एकपक्षीय होती है, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर नहीं दिया जाता है। इस भय से लोक-सेवक प्रभावशाली सासदों को खुश रखने की नीति अपनाते हुए जनहित और ईमानदारी को ताक पर रख देते हैं। उनकी राजनीतिक निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। सासदों का आशय एव सारक्षण प्राप्त करने के लिए वे अवैध या अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाते हैं।

(5) **दलगत राजनीति**—मंत्रियों के अधीन होने के कारण लोक-सेवाओं को बहुमत दल का अंग मान लिया जाता है और जिस प्रकार सत्ताधारी दल की आलोचना करना विरोधी दलों का धर्म होता है उसी प्रकार लोक-सेवकों के प्रत्येक कार्य की आलोचना करना उनका कर्तव्य मान लिया जाता है। वे आलोचक निष्पक्ष नहीं होते हैं। वे दलीय पक्षपात के कारण लोक-सेवकों के चरित्र और व्यवहार पर लाठन लगाते हैं। लोक-सेवक प्रत्येक दल की सरकार को समर्थन देने के लिए बाध्य होते हैं।

(6) **सौंघ्यात्मिक स्थिति**—भारतीय सविधान के अनुगार विपणीय कार्यों का उतरदायित्व मन्त्री पर होता है। विभाग में होने वाली प्रत्येक गड़बड़ी, अनियमितता, भ्रष्टाचार एव ज्यादती के लिए मन्त्री को जवाबदेह टहराया जाना चाहिए, लोक-सेवकों को नहीं। रासदीय बहस के समय मन्त्री के विरुद्ध तर्क-वितर्क प्रस्तुत कर, वह किराी लोक-सेवक पर प्रत्यक्ष रूप से लाठन नहीं लगाए।

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन

(Changing Socio-Economic Profile)

संसदीय नियन्त्रण का प्रशासनिक जीवन पर प्रभाव (Effects of Parliamentary Control over Administrative Vitality)—सिद्धान्त रूप में संसदीय नियन्त्रण के अच्छे उद्देश्य हैं, लेकिन व्यवहार में अपनी अनेक सीमाओं एव समस्याओं के कारण संसद प्रभावशाली नियन्त्रण रखने में समर्थ नहीं है। जो नियन्त्रण वास्तव में उभरता है उसका प्रभाव प्रशासन, प्रशासकों के व्यवहार, विचार एव स्थिति तथा संगठन की रचना एव कार्यकुशलता पर निम्नलिखित प्रकार से है—

(1) **प्रशासन में हस्तक्षेप**—नियन्त्रण की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए संसद प्रशासनिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। प्रशासनिक तकनीकों से अनभिज्ञ सासदों तक यह पक्षपातपूर्ण होता है। पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होकर वे लोक-सेवकों को भ्रष्टाचारी बना देते हैं। कर्तव्य भावना, ईमानदारी तथा जनहित को भावना से कार्य करन वाला कर्मचारी निन्दा का पात्र बनता है और दुराचारी स्वार्थी और भ्रष्टाचारी चमचांगिरी में सिद्धहस्त व्यक्ति प्रशाना और पुरस्कार प्राप्त करता है, फलतः राजनीतिक हस्तक्षेप से गर्भार प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

(2) **अनामता असम्भव बन जाती है**—लोक-सेवक प्रायः अनाम रहकर कार्य करता है। वह मन्त्री द्वारा हस्तान्वित शक्तियों का उपभोग करता है। उसके निर्णय तथा कार्य पर सम्बन्धित मन्त्री के हस्ताक्षर होते हैं। यदि उनकी कोई आलोचना या विरोध करे तो मन्त्री उसका जवाब देता है और लोक-सेवक पदों के पीछे रहकर कार्य करना रहता है। संसदीय नियन्त्रण में उसकी यह अनामता समाप्त हो जाती है। संसद में उस पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाये जाते हैं, उसकी खुले रूप में आलोचना की जाती है। इससे अनामता के सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं और नई प्रशासनिक उलझने पैदा हो जाती हैं, परिणामस्वरूप प्रशासक भय अनुभव करते हैं।

(3) **जनता में बदनामी**—संसदीय नियन्त्रण लोक-सेवकों के व्यवहार की गली-गली की दर्या का विषय बन देता है। संसद में जब मन्त्री पर आरोप लगने हैं तो वह बचाव के लिए लोक-सेवकों पर सारे दोष मढ़ देता है। पद की मर्यादा और सेवा के नियमों का पालन करते हुए जब लोक-सेवकों पर इस प्रकार के दोषारोपण होते हैं तब वे एक गर्भीर उलझन में पँस जाते हैं।

(4) **निष्पक्षता असम्भव हो जाती है**—संसदीय नियन्त्रण के कारण लोक-सेवक यह मानते हैं कि उनको यदि ईमानदारी से कार्य किया तो दण्ड मिलेगा, यदि निष्पक्षता बरती तो बदनाम होना पड़ेगा, यदि सज्जनतापूर्ण व्यवहार किया तो कमजोर माना जाएगा और राजनीतिक प्रभाव की अवहेलना की तो पद से हटाया होगा, फलतः वे राजनीतिक हस्तक्षेप को सहर्ष स्वीकार करके स्वार्थ-सिद्धि का प्रयत्न करता है।

(5) **कार्य-कुशलता की क्षति**—संसदीय आलोचना के भय से लोक-सेवक व्यक्तिगत परत करक निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। वे नीतिवै, निर्णयों के लिए संसद की तरफ देखते रहते हैं, फलतः निर्णय उस समय लिए जाते हैं जबकि इनका महत्व एव उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता घटती है और प्रशासन बन्धनमय नहीं रह पाता है।

(6) **लोकसेवाओं में भ्रष्टाचार**—निर्णायक शक्ति के अभाव में लोक-सेवकों की प्रशासनिक कार्यों में व्यक्तिगत निर्णय (निष्पक्षता) नहीं रह पाती है। उनमें असन्तोष और निराशा बढ़ती है तथा उत्साह और प्रेरणा तुल्य हो जाती है। अनेक कार्यों को सही ढंग से सम्पन्न करने में बाधा उत्पन्न होती है। यह अपने जीवन में 'छात्रों और छात्रों दो' का सिद्धान्त अपना लेता है, संगठन का पतन हो जाता है।

वित्त पर संसदीय नियन्त्रण : लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति (Parliamentary Control over Finance : Public Accounts Committee and Estimates Committee)

वित्त पर संसदीय नियन्त्रण प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। सरकारी व्यय पर प्रभावशाली संसदीय नियंत्रण आवश्यक है। अतः आवश्यक है कि संसद स्वयं इसे इस बात के प्रति आश्चर्य करे कि विभिन्नानुओं का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए अनुदानों की सीमा में किया जा रहा है और यह (संसद) सरकार के वार्षिक बजट अनुमानों का समुचित परीक्षण करती रहे ताकि वित्तीय नियंत्रण बना रहे और बजट अनुमानों में निहित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के परिपालन में मितव्ययता सम्बन्धी सुझाव दिए जा सकें। प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाओं में संसद अग्रगण्य व्यवस्थापिका की रचना एसी होती है कि उसके पास इन कार्यों को पूरा करने के लिए न तो समय होता है और न आवश्यक शक्ति। इसीलिए इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए संसदीय समितियों और संस्थाओं का विचार हुआ है।

सन् 1921 में केन्द्रीय व्यवस्था में निर्वाचित बहुमत का प्रावधान किया गया है और उसे पूर्ति पर मत देने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार के साथ लोक लेखा समिति का स्मरण आवश्यक हो गया जिसमें निर्वाचित और सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों का स्थान दिया गया। प्राक्कलन समिति की रचना 1950 में हुई। इसका उद्देश्य वार्षिक बजट के अनुमानों का विस्तृत परीक्षण करना है ताकि वह नये निहित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मितव्ययता का सुझाव दे सकें। दोनों वित्तीय समितियों प्रारम्भ में ग्रेट ब्रिटेन के मॉडल पर निर्मित की गईं किन्तु बाद में इनकी रचना और कार्यों में कुछ परिवर्तन आ गए। इन समितियों के माध्यम से संसद के प्रति कार्यपालिका का उतरदायित्व स्थापित किया जा सकता है।

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)

लोकसभा कारदाताओं के पैसे की बहुत बड़ी धनराशि के खर्चों की स्वीकृति देने के बाद, कारदानाओं के हित में इस बात की आशा करती है कि उचित समय पर व्यौरवार हिसाब दिया जाए कि वह पैसा किस प्रकार खर्च किया गया है। लोकसभा को समाधान करना पड़ता है कि उसने जित धनराशियाँ के खर्चों की स्वीकृति दी थी, वे मञ्जूरी दी गई प्रयोजनों के लिए खर्च हुई हैं और मितव्ययता से तथा विवेकशीलता से खर्च हुई हैं या नहीं। नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक सरकार के वार्षिक लेखों की पड़ताल करता है और इसके बाद लेखों का प्रमाण-पत्र देता है और उस सम्बन्ध में जो राय उचित समझता है देता है। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के सामने रख देता है। लोकसभा के लिए इन लेखों की जाँच करना बर्धन कार्य है क्योंकि वे बड़े जटिल और तकनीकी होते हैं और उसके पास विस्तृत जाँच के लिए समय नहीं है। इसलिए लोकसभा ने लोक लेखा समिति बनाई है। इन लेखों की आँखेंवाँच जाँच का काम लोक लेखा समिति को सौंपा गया है।¹

संरचना—सन् 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही लोक लेखा समिति में से सरकारी तत्व हट गए हैं और यह एक सच्ची संसदीय समिति बन गई है। आरम्भ में इसमें 15 सदस्य थे जो लोकसभा के सदस्य होते थे, किन्तु 1954-55 से राज्यसभा के 7 सदस्यों को भी समिति में लिया जा रहा है। अतः वर्तमान में समिति में कुल 22 सदस्य हैं। समिति में उच्च सदन के सदस्यों का लिया जाना ब्रिटिश परम्परा के विपरीत है, क्योंकि वहाँ लोक लेखा समिति में लॉर्ड्स सभा का कोई सदस्य नहीं होता। स्पेकर द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है जो प्रायः सनाधारी दल का होता है। समिति में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व सदन में उनके अनुपात के अनुसार होता है। समिति दलगत भावना से उपर उठकर कार्य करती है। समिति में राष्ट्रिय का कार्य संसदीय राष्ट्रिय द्वारा किया जाता है। समिति की बैठकों में वित्त मन्त्रालय की ओर से एक पर्यवेक्षक उपस्थित होता है ताकि नए परिवर्तनों और विकास से मन्त्रालय को परिचित रख सकें।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता। समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, प्रत्येक वर्ष नई समिति का निर्वाचन किया जाता है। यह पुरानी समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही कार्य सम्भालती है। सामान्यतया समिति प्रत्येक वर्ष मई में बनाई जाती है और उसका कार्यकाल अगले साल 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष या सभापति का कार्यकाल भी एक वर्ष का होता है।

कार्य—संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार लोक लेखा एवं लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं। लोकसभा के समान राज्यसभा को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक लेखाओं के परीक्षण के लिए निजो लोक लेखा समिति गठित कर ले, परन्तु यदि एक ही क्षेत्र में एक-सी बातों के लिए दो समितियाँ

पहुँचने वस्तु नियंत्रण की व्यवस्था के डिब्बों से है सम्बन्ध व्यक्तियों से नहीं। समिति के मुझावों पर की गई कार्यवाही से विभाग समिति को अवगत कराते हैं और यह इसकी पर्याप्तता के सम्बन्ध में मत प्रकट करती है। इन्हे सिफारिशों सिम्पलित कराने का शक्ति प्राप्त नहीं है जिससे इसकी प्रभावशालता में कमी नहीं आती है। इसका द्वारा की गई आलोचना का नैतिक प्रभाव होता है।

दोष—जन-लेखा समिति के सम्बन्ध से संसद के वित्तिय नियंत्रण में कुछ कठिनाइयाँ कमियाँ और दोष आ जाते हैं। समिति का घण्टन एवं कार्य-प्रणाली को आलोचकों ने दोषपूर्ण माना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

1. सी. ए. ए. जी. के प्रतिवेदन आने तक समिति निष्क्रिय रहती है, क्योंकि कार्य प्रतिवेदन आने के बाद प्रारम्भ होता है।

2. समिति केवल उन्हीं प्रश्नों का परीक्षण कर सकती है जो सी. ए. ए. जी. के प्रतिवेदन में उठाए गए हैं।

3. समिति के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते। वे मुख्यतः राजनीतिज्ञ होते हैं और हमेशा बहुरंग दवाकों में धिर रहते हैं इसलिए निष्पक्ष नहीं रह पाते। वे राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। ये केवल अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर पूर्णता करते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रश्न पूछने होते हैं जो अपने विषय के पूरे जानकार तथा विश्वज्ञ होते हैं।

4. समिति नियुक्त करने के बाद संसद वित्तिय नियंत्रण के कार्य में कुछ उदासीन बच जाती है जिससे सरकार समिति की सिफारिशों को आसानी से मूला सकती है।

5. समिति का नियंत्रण परवर्ती होता है। यह पार्लामेंटरी अध्ययन करता है। जैसे सौं के बने जाने के बाद उसकी लकार को पोट्ट रहना। अर्थात् प्रशासनिक विभागों द्वारा अपव्यय, अनियमितता आदि की जा चुकी जाती है तब समिति उस पर विचार करती है।

6. समिति के कार्यों पर नैतिक-सम्यन्धी आपत्ति उल्लेखनीय है अर्थात् समिति प्रशासनिक अपव्यय को रोकने में लाभदायक हो सकती है किन्तु लोकसभा द्वारा प्रतिपादित अपव्ययपूर्ण नितियों के सामने यह असक्षय बन जाती है।

महत्त्व—उपर्युक्त आलोचनाओं के महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद समिति का महत्त्व कम नहीं है। इसके सदस्य नियन्त्रण कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव तथ्यों एवं गवाहों की जाँच करते समय पर्याप्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह विभागों का आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका ब्ययांतर (पोस्टमार्टम) अध्ययन निरपरागी नहीं है। सिटनी वेर के बयानानुसार "पोस्टमार्टम अध्ययन यदि मृत को जिन्दा नहीं कर सकता तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इससे हत्याएं नहीं रुकती।" समिति की सिफारिशों पर सरकार को विचार करना होता है। कोई विभागीय अधिकारी यह नहीं चाहता कि उसका विभाग समिति की आलोचना का शिकार बने। व्ययकारी विभाग जन-लेखा समिति से अधिक भयभीत रहते हैं क्योंकि समिति को गहरी छाँबीन से कुछ भी बचने की सम्भावना नहीं रहती है।

स्वतंत्रता के बाद इस समिति के कार्य पर्याप्त सन्तोषजनक रहे हैं। प्रशासन द्वारा समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता है। संसद में प्रश्न पूछते समय तथा सरकारी व्यय की आलोचना करते समय सासदों द्वारा समिति के प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों का पूरा लाभ उठाया जाता है। जन-लेखा समिति रचनात्मक भावना से कार्य करती है। इसका नियंत्रण का प्रभाव प्रतिरोधायक है। मोरिस बॉन्स (Morris Bones) के मतानुसार जन-लेखा समिति तीन दशाओं में मुख्य रूप से सफल रही है—

1. यह प्रशासन के उन दोषों को जना के सामने रखती है जिनके बारे में प्रशासन का जानकारी तो रहता है किन्तु वह उन्हें पूरी तरह दूर नहीं कर पाती है।

2. समिति और सी. ए. ए. जी. का अस्तित्व अधिकारियों को सचेत रखता है कि उनके कार्यों का सक्षम परीक्षण किया जाएगा। यद्यपि यह परीक्षण व्यय होने के बाद किया जाता है तथापि व्यय की प्रकृति में निरन्तरता रहने के कारण यह महत्त्वपूर्ण रहता है।

3. यह समिति अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों को एक-दूसरे के निकट लाती है। यह दोनों का मार्गदर्शन करता है। यह अधिकारियों की जनमत के अनुसार चलने का तथा राजनीतिज्ञों को रचनात्मक आलोचना करने का अवसर देती है।

प्रायकलन समिति (Estimates Committee)

लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि बजट के किसी भाग को स्वीकृति प्रदान करे तथा स्वीकृति देने से इनकार कर दे या उसमें निश्चित रकम की कटौती सहित पास कर दे तथा भारत की सचिव निधि पर धारित खर्च के सम्बन्ध में प्रायकलनों पर विचार करे। यद्यपि लोकसभा प्रायकलनों पर काफी लम्बे समय तक विचार करती है, परन्तु शासक के पास न तो समय है और न ही इतनी गुंजाइश कि प्रायकलनों के ब्यौरे तथा उनके तकनीकी पहलुओं पर विचार कर सके।

के सक्रिय निरीक्षण से सरकारी बजट में यह चेठना जायज हो जाती है कि उसके प्रस्तावों की गहराई से छानबीन की जायगी।" यह कार्यकारिणी एवं प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध है। इसकी अब तक की सिफारिशों को देख कर विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह पर्याप्त उपयोगी समझाओं को अपने विचार का विषय बनाती है।

दोष एवं कमियाँ—प्राक्कलन समिति की कार्य-प्रणाली एवं संगठन के बारे में आलोचकों ने मुख्यतः निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है—

(क) जन-सेवा समिति की भाँति यह समिति संसद द्वारा समर्पित नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती।

(ख) यह समिति सी. एवं ए. जी. के सहयोग तथा परामर्श से स्थापनित नहीं हो पाती। इसका कोई परामर्शदाता नहीं है।

(ग) यह समिति जिस विभाग का परीक्षण कर लेती है वह कई वर्षों तक के लिए निरिच्छ हो जाता है। पलत उस विभाग में असावधानी और लापरवाही घनपने लगती है।

(घ) यह प्रशासन में केवल उन्हीं परिवर्तनों का परामर्श देती है, जो अनुमानों को प्रभावित करते हैं। सरकार इनकी सिफारिशों की अवहेलना कर सकती है।

(ङ) अशोक चन्दा के मतानुसार समिति के कार्यों का विस्तार एवं उनका कार्य करने का ढंग पर्याप्त दोषपूर्ण है।

विभिन्न कमियाँ और दोष होते हुए भी यह एक मान्य तथ्य है कि संसद की ये दोनों समितियाँ प्रशासन पर वित्तीय नियन्त्रण का प्रभावपूर्ण साधन हैं। इनके सदस्य अपने सन्ने अनुभव के बाद कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इनकी सिफारिशों की अवहेलना नहीं कर पाती और ध्वयकारी विभागों के सिर पर ये 'डेमोक्रेसीज की तन्बा' की भाँति लटकी रहती हैं। प्राक्कलन समिति भारत में प्रशासन की योग्यता तथा उसके स्तरों को उन्नत करने में महत्वपूर्ण योग दे रही है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय (The Supreme Court & the High Courts)

उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधारों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधारा से पर्याप्त परामर्शों द्वारा का जरा है। मुख्य न्यायाधारा का नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के दून न्यायाधारों के साथ परामर्श करना आवश्यक समझा गया है जिनके साथ परामर्श करना वह अधिक समझे।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधारा नियुक्त किये जाने के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा किरा एक उच्च न्यायालय या दा से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या दो अथवा दो से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक सगाचार वकालत रह चुका हो या वह राष्ट्रपति का राय में कानून का प्रबन्ध पढित हो। यह व्यवस्था देश के उच्चतम विधि-विशारदों का आकर्षित करने के लिए रखा गई है। न्यायाधारों का नियुक्ति करने का राष्ट्रपति का शक्ति व्यवहार में औपचारिक है क्योंकि वह मन्त्रिमंडल को सलाह स काय करता है।

मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति और उपस्थित होने वाले विवाद

मुख्य न्यायाधारा की नियुक्ति क सम्बन्ध में अनुच्छेद 124 में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधारा को ही मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया जा सकता है। सर्विधान में एसा वाद्यता न होने के बवजूद उच्चतम न्यायालय क वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त करने की परम्परा रही। सन् 1956 में विधि आयोग ने यह सुझाव दिया था कि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर हा नहीं बरन् न्यायाधारों के गुण और उपयुक्तता क आधार पर की जाना चाहिए। प्रथम बार 1964 में वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया जब जज इमान को मुख्य न्यायाधारा नहीं बनाया गया यद्यपि वे वरिष्ठता में सर्वोच्च थे। ऐसा ठनक स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों का दृष्टिगत रखकर किया गया था। इससे कोई उच्चतम विवाद उपस्थित नहीं हुआ था। 1973 में इस प्रश्न पर सार्वैधानिक विवाद ठठ खड़ा हुआ। 25 अप्रैल, 1973 का केशवानन्द भारती के मामले पर दिए गए निर्णय के कुछ धन्दों के पश्चात हा सरकार न अप्रत्यक्ष ढग से वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करके न्यायाधारा अजितनाथ राय को भारत का मुख्य न्यायाधारा नियुक्त किया। उच्चतम न्यायालय क तीन वरिष्ठ न्यायाधारों—जे. एम. शैलट, क एम. इगडे तथा एस. एन. शैवर ने केन्द्र सरकार के निर्णय से शुक्य होकर पदों से त्यागपत्र दे दिया। सरकार के इस रवैय की बड़ी तात्र आलाचना हुई और उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन ने बहुमत से पारित कर एक प्रस्ताव में आरोप लगाया कि उपरोक्त नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक आधार पर की गई थी जिसका योग्यता तथा वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं था।

दुमरी आर लक्षभा में सरकार के कर्म का समर्पन करते हुए दत्तकानान विधि मन्त्री एच. आर. गोखले ने कहा कि राय की नियुक्ति पूरा रूप से सार्वैधानिक था। इस हतु निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये—(1) सार्वैधानिक उपबन्ध (Constitutional Proviso) (2) विधि आयोग की सिफारिशों (Recommendations of Law Commission) (3) अन्य देशों का नज़ारे (Precedents of Other Countries) (4) न्यायाधारों का सामाजिक दर्शन (Social Philosophy of Judge), (5) न्यायाधिपतियों क कार्यकाल की अवधि (Time Period of Judges)। 1977 में न्यायाधारा अजितनाथ राय की सार्व-निवृत्ति क बाद पुनः वरिष्ठता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया। वरिष्ठतम न्यायाधारा एच. आर. खन्ना क स्थान पर ठनक कानट एच. एम. बेग का मुख्य न्यायाधारा बनाया गया। इसक विरोध में खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। 1978 में मुख्य न्यायाधिपति एच. एम. बेग क सेवा निवृत्त होने पर

यह प्रश्न फिर से उठा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश की नियुक्ति की कसौटी क्या 'नी चाहिए? जनता सरकार ने पुनः बरिष्ठता की कसौटी के आधार पर न्यायाधिश चन्द्रचूड को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर इस विवाद को समाप्त कर दिया।

न्यायाधीश की पदावधि और पदव्युत्ति

न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर बने रहते हैं।¹ कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित सम्बोधित द्वाए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसे दुर्घटनग्रस्त करने तथा कार्य में महाम होने के प्रमाणित आधार पर पदव्युत्त किया जा सकता है। व्यवस्था है कि "उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा प्रमाणित दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यथा इस आशय का प्रस्ताव न मिल जाए।"² सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामास्वामी के विरुद्ध स्थापना गया महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसा प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। पदव्युत्ति की कठिन प्रक्रिया अपनाते व्य कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है।

न्यायाधीशों के वेतन और विशेषाधिकार

संविधान की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमास वेतन दिया जाना निश्चित किया है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये प्रतिमास वेतन और निराल्प शासकीय निवास दिया जाता है। न्यायाधीशों को यह वेतन भारत की संपित निधि से देय होता है तथा उनके कार्यकाल में उनके वेतन-प्रसों को कम नहीं किया जा सकता है।

उन्मुक्तियाँ (Immunities)

भारत में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कार्यों और निर्णय के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है तथापि न्यायालय के किसी निर्णय अथवा किसी न्यायाधीश की किसी सम्पत्ति की शीघ्रगण्ड दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। संसद महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं कर सकती है। न्यायालय को अधिकार है कि वह अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपना रक्षा करने के लिए तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही कर सके।

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार

(Jurisdiction of the Supreme Court)

भारत के उच्चतम न्यायालय को विरुद्ध के सम्भवतः अन्य किसी भी न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जिन्हें निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(क) अभिलेख क्षेत्राधिकार (Court of Records) अनुच्छेद 129

अभिलेख न्यायालय के सभी कृत्य एवं कार्यवाहियाँ सदैव के लिए यादगार एवं प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा जाती हैं। इन अभिलेखों पर न अँगुली डटाई जा सकती है और न कोई न्यायालय इन अभिलेखों के विरुद्ध जा सकता है यद्यपि अभिलेख न्यायालय अपने अभिलेखों की लिपि सम्बन्धी भूलों में सुधार कर सकता है। अभिलेख न्यायालय का इस दृष्टि से भी महत्व है कि वह अपने अवमानना (Contempt of Court) के लिए दण्ड देने की शक्ति रखता है जो उसे संविधान द्वारा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संसद ने 'न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971' (Contempt of Court Act, 1971) पारित करके 'न्यायालय अवमानना' की एक निश्चित परिभाषा कर दी है। न्यायालय-अवमानना के लिए 6 महीने की सजा या 2,000 रु का जुर्माना या दोनों विधे जा सकते हैं। न्यायाधीशों को भी अपने न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित किया जा सकता है।

44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यदि चाहे तो उच्च न्यायालय से मामलों का अपने पास मंगा सकता है। इस संशोधन के पूर्व न्यायालय ऐसा केवल एटार्नी जनरल के आवेदन पर ही कर सकता था। अब यह ऐसा स्वयं कर सकता है।

1 अनुच्छेद 124(2)

2 अनुच्छेद 124 (1) (ख) एवं (4)

(ग) अपीलिय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) अनुच्छेद 132 से 136

उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलिय न्यायालय है अर्थात् उसे देश के राज्यों के उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अपीलिय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (अ) सार्वजनिक मामले (अनुच्छेद 132) (ब) दीवानी मामले (अनुच्छेद 133)
(स) फौजदारी मामले (अनुच्छेद 134) (द) विशिष्ट पुनर्विचार (अनुच्छेद 136)

(अ) सार्वजनिक मामले (Constitutional Cases)—अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में सविधान की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्निहित है तो उस निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया है किन्तु उच्चतम न्यायालय को यह विश्वास हो कि विवाद में सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो वह स्वयं अपील को अनुमति प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय में अपील उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के विरुद्ध की जा सकती है। अन्तिम आदेश यह आदेश होता है जो पक्षकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निपटारा करता है। यदि आदेश के बाद भी मुकदमा जीवित है अर्थात् जिसमें अधिकारों का अभी निपटारा किया जाना शेष है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इलेक्शन कमोरान बनाम वीकटरल के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

(ब) दीवानी मामले (Civil Cases)—अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को दीवानी अधीनस्थ अधिकार प्राप्त हैं। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि—(क) मामले में सार्वजनिक महत्व का कानूनी प्रश्न निहित है, (ख) उच्च न्यायालय के अनुसार इस प्रश्न का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना अधिक है। ये उपर्युक्त अनुच्छेद 133 में सविधान के 30वें संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़े गए हैं, परन्तु उच्च न्यायालय के प्रमाण-पत्र मिल जाने पर भी सर्वोच्च न्यायालय अपील सुनने को बाध्य नहीं है तथा वह ऐसे प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है।

(स) फौजदारी मामले (Criminal Cases)—अनुच्छेद 134 के अनुसार फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जबकि

(क) उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की मुक्ति का आदेश रद्द करके उसे मृत्यु दण्ड सुना दिया हो या आजीवन कारावास का या कम से कम दस वर्ष के कारावास का दण्ड दिया हो।

(ख) उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय का मामला सुनवाई के लिए अपने पास भेजा कर अभियुक्त को मृत्यु दण्ड सुना दिया हो या आजीवन कारावास का या कम से कम दस वर्ष के कारावास का दण्ड दे दिया हो।

(ग) उच्च न्यायालय ने यह प्रमाण पत्र दे दिया हो कि मुकदमा इस लायक है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सबसे फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है। फौजदारी अथवा दण्डित विषयों में अपील का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार है, किन्तु उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता है। इस विवेकाधिकार का प्रयोग सुविशेष एवं मन्व्य सिद्धान्तों के आधार पर, जो इन मामलों को विनियमित करते हैं, न्यायिक ढंग से किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय को केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रमाण-पत्र देना चाहिए। तथ्य के प्रमाण पर अपील करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 134 में उच्चतम न्यायालय, आपराधिक मामलों में एक साधारण न्यायालय की भांति है। इसका आपराधिक अपीलिय अधिकारिता सीमित है और वह उसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करता है अर्थात् जहाँ न्याय इसकी अपेक्षा करता है कि उसे हस्तक्षेप करना ही चाहिए। साधारणतया उच्चतम न्यायालय साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं करता है जब तक कि यह न सिद्ध हो जाए कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में अवैधता या अनियमितता का सम्भार लोप हुआ है। उच्च प्रदेश राज्य बनाम राजनाथ¹ के मामले में अभियुक्त को एक मात्र आधार पर विमुक्त कर दिया गया था कि उसके मतो में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य मानने लायक नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने यह निष्पत्ति दी कि अभियुक्त की विमुक्ति से घोर अन्याय हुआ था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य को भली भाँति मूल्यांकन किए बिना ही उसे क्यों आधारहीन समझा है, अपना निर्णय दिया था। अतः मामले को पुनः निर्णय के लिए उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया गया²।

¹ ए आई आर 1983 सुप्रीम कोर्ट, 187
² जयनारायण पाण्डेय पूर्वोक्त पृ 227

(द) विशिष्ट पुनर्विचार (Special Appeals)—अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों विशिष्ट या अवशिष्ट (Special or Residuary) शक्तियों की प्रकृति की हैं। संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था है। कुछ ऐसे मामले जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते उनमें उच्चतम न्यायालय का इन्स्टेपे अवसरपक्ष होता है। अनुच्छेद 136 यह व्यवस्था करता है कि उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी बात या विषय में दिए हुए किसी निर्णय, आदेश, निर्णय, दण्डादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। इसमें अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है।

न्यायाधिकरण (Tribunals)¹—अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की अपील सुनने की शक्ति केवल न्यायालयों तक ही सीमित नहीं है। वह 'न्यायाधिकरणों' से भी अपील सुन सकता है। 'न्यायाधिकरण' शब्द के अन्तर्गत वे सभी निम्नलिखित हैं जिनमें न्यायिक शक्तियाँ निहित हैं और जिनके निर्णय नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत वे न्यायाधिकरण शामिल नहीं हैं जो विशुद्ध रूप से केवल प्रशासनिक और कार्यकारणों के कृत्य करते हैं या जो केवल विवादी कृत्य करते हैं। उदाहरणार्थ, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, लेबर आर्बिटर ट्रिब्यूनल्स, चुनाव आयोग, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल्स आदि न्यायाधिकरण हैं जो यद्यपि सही मामले में न्यायालय हैं, किन्तु उनमें न्यायालय के कुछ कृत्य निहित हैं। न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय या निर्णयों में यह निम्नलिखित अपार्यों पर ही इन्स्टेपे करेगा—

(1) जहाँ न्यायाधिकरण उस क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करता है जो उसे सृजित करने वाले अधिनियम या विनियम के अधीन प्रदान किया जाता है या जहाँ वह किसी प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल हो जाता है, (2) जहाँ कि निर्णय में प्रत्यक्ष रूप से कोई भूल की गई हो, (3) जहाँ कि न्यायाधिकरण के निर्णय (Awards) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध किया है जिससे पक्षधरों के साथ घोर अन्याय हुआ है, (4) जहाँ न्यायाधिकरण ने सुम्पचित प्राकृतिक सिद्धान्तों की गलत ढंग से लागू किया है, उदाहरणार्थ कर्मकता दायित्व बनाम कर्मकता दायित्व के लिए का निर्णय।

(घ) परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) अनुच्छेद 143

उच्चतम न्यायालय के कतिपय महत्वपूर्ण परामर्श सम्बन्धी कार्य भी हैं। सार्वजनिक महत्व का कोई कानूनी प्रश्न अथवा तथ्य तथा वे बातें जिनका सम्बन्ध सन्धियों, करारों आदि की व्याख्या से होता है और जो न्यायालय के मूल न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते, सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है।

कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी परामर्शकारी शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 का निर्माण करते समय हमारे संविधान-निर्माताओं ने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया। अनुच्छेद 143 के निर्वाचन पर उच्चतम न्यायालय का मत समान नहीं रहा। सर्वप्रथम इन री एजूकेसनन बिन (1957)² के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उस पर ऐसा कोई सौविधानिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया गया है कि आवश्यक रूप से राष्ट्रपति को अपने परामर्श भेजे। अनुच्छेद 143(1) में 'प्रयुक्त कर सकेगा' (May) शब्दावली यह दर्शाती है कि उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी राय दे या न दे। उच्चतम न्यायालय को बौनसे प्रश्न सौंजे जारें इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के इस निर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय यद्यपि सम्मान के योग्य है, परन्तु वह न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। सन् 1993 में राष्ट्रपति ने 'अयोध्या विवाद' के मामले में उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगा था, किन्तु उपर्युक्त निर्णय के विपरीत इन री स्पेशल बोर्डर बिन 1978³ में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व विनिश्चयों की बदलते हुए यह अधिनियमित किया कि अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है।⁴ न्यायालय ने यह सलाह दी कि राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि जिन प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय के

1 जयनारायण एग्जेंस : पूर्वोक्त, पृ. 227.

2 ए. आई. आर. 1947, सुप्रीम बोर्ड, 2192.

3 ए. आई. आर. 1958, सुप्रीम बोर्ड, 956.

4 ए. आई. आर. 1978, सुप्रीम बोर्ड, 956.

5 ए. आई. आर. 1979, सुप्रीम बोर्ड, 478.

परामर्श की आवश्यकता है उन्हें स्पष्ट एवं निर्दिष्ट रूप से संदर्भित किया जाए। न्यायालय ने अपनी अग्रगण्य ध्येय करते हुए कहा है कि यदि ऐसे प्रश्न अस्पष्ट हैं तो उच्चतम न्यायालय या अधिरोपित सौविधानिक बाध्यता का महत्व नहीं रह जाता। यह सर्वविदित है कि प्रस्तुत मामले में राष्ट्रपति ने विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु उच्चतम न्यायालय की राय माँगी थी। विशेष न्यायालयों की स्थापना से सम्बन्धित विषयों को सिद्धान्तक स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विधेयक में तीन अन्य शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक बताया था, जिसे राष्ट्रपति ने यथावत् स्वीकार कर लिया। अन्ततोगत्या विशेष न्यायालय विधेयक पारित कर दिया गया। सविधान समूह होने के दिन से अभी तक निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय ने परामर्श दिया है—

(1) 1951 में 'द देहली सॉज एक्ट अजमेर मेरणाडा से सम्बन्धित अधिनियम और फॉर्ट सी अधिनियम की वैधता के प्रश्न पर, (2) 1957 में केरल शिक्षा विधेयक के प्रश्न पर, (3) 1956 में एन.टी. बेरुवारी के प्रश्न पर, (4) 1962 में एन.टी. डि.सी. कस्टम्स एक्ट के प्रश्न पर, (5) 1965 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से सम्बन्धित राष्ट्रीय विशेषाधिकार के प्रश्न के संदर्भ में, (6) 1974 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय पर, (7) 1978 में विशेष न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में, (8) 1993 में अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में।

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बन्धनकारी स्वरूप

इस सम्बन्ध में प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. पाण्डेय के अनुसार "अनुच्छेद 141 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों में आबद्धकारी होगी। प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व-निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 141 में प्रयुक्त सब न्यायालय पदावली से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें उच्चतम न्यायालय सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और दायित्व मामलों में वह अपने पूर्व-निर्णयों को बदल सकता है।"

भंगाल इम्प्युनिटी कम्पनी बनाम बिहार राज्य¹ के बाद में यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। सविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को अपना दोषपूर्ण निर्णय बदलने का अधिकार प्राप्त है। "उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर पुनर्विचार नहीं करता है जब उसका यह समझाया हो जाता है कि उसने पूर्व विनिश्चयों में गलती की है। अथवा यह कि ऐसा विनिश्चय सामान्य सार्वजनिक हित पर प्रतिबन्धन प्रभाव डालता है अथवा वह हमारे सविधान के विविध दर्शन के प्रतिबन्धन है और सविधान सम्बन्धी विषयों में उच्चतम न्यायालय ऐसे पूर्व विचार अधिक तत्परता से खरेगा, किन्तु विधि की अन्य शलाओं के सम्बन्ध में इतनी तत्परता नहीं बरती जाएगी। वस्तुओं के निर्णयानुसरण के सिद्धान्त की व्यापकता को प्रस्तुत मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है और कोई स्पष्ट विवशता के सामने आ जाए तो पूर्ववर्त विनिश्चयों को उलट दिया जाना चाहिए।" प्रस्तुत बाद उच्चतम न्यायालय ने यूनाइटेड मोटर्स बनाम बम्बई राज्य² के बाद में दिए गए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार किया था और उसे बदल दिया था।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य³ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने दो महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती निर्णयों—शकरो प्रसाद और सज्जनसिंह⁴ को उलट दिया था। उक्त दोनों विनिश्चयों में न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया था कि सविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में निहित है और उसके अन्तर्गत पारित किए गए सौविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अन्तर्गत नहीं आते हैं किन्तु गोलकनाथ⁵ के बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में नहीं बल्कि ससद की अवशिष्ट शक्ति में निहित है अतः अनुच्छेद 368 के अधीन पारित सौविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है। केशवानन्द भारतीय बनाम केरल राज्य⁶ के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया है। न्यायालय ने कहा है कि सौविधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा सविधान में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में निहित है।

अतः भारत में पूर्वोदाहरण (Precedents or Stare Decisions) के सिद्धान्त का बहुत सीमित रूप से अनुसरण किया जाता है। यह आधुनिक प्रवृत्ति के अनुकूल है। इलाहाबाद और बम्बई उच्चतम न्यायालयों ने अधिनिर्धारित किया है कि उच्चतम न्यायालय की हातोक्ति (Obiter Dicta) अनुच्छेद 141 के अर्थात् अन्तर्गत एक विधि है और इस

1 ए.आई.आर. 1955 सुप्रीम कोर्ट 661
 2 ए.आई.आर. 1953 सुप्रीम कोर्ट, 252.
 3 ए.आई.आर. 1967 सुप्रीम कोर्ट, 1043
 4 ए.आई.आर. 1951 सुप्रीम कोर्ट, 458
 5 ए.आई.आर. 1955 सुप्रीम कोर्ट, 805
 6 ए.आई.आर. 1973, सुप्रीम कोर्ट, 1461

पुनरावलोकन के क्षेत्र की धली आ रही आसहता दूर हो गई। 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानन्द धारती विवाद के सम्बन्ध में दिए गये अपने निर्णय में इस संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार कर लिया गया।

(क) अनुच्छेद 246 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति—यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को प्रकट करता है। इसके अन्तर्गत सप अथवा राज्य द्वारा विधायी सीमा का उल्लंघन एवं असंवैधानिक कार्य हैं और उच्चतम न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तीनों सूचियों में शक्ति-वितरण की स्पष्ट व्यवस्था है और सभी परिस्थितियों का संविधान में बचासम्भव उल्लेख कर दिया गया है अतः उच्चतम न्यायालय को अपना 'विवेक' प्रयोग करने के अवसर बहुमन बच मिल पाते हैं। उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी कार्य की वैधता की जांच करनी होती है। दूसरी ओर अमेरिकन उच्चतम न्यायालय को 'स्व-विवेक' प्रयोग करने के अनेक अवसर प्राप्त हैं। परिणामस्वरूप अमेरिकन उच्चतम न्यायालय की भाँति भारतीय उच्चतम न्यायालय के लिए 'दृतीय सदन' के अवसर नहीं हैं।

(ख) अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति—इस अनुच्छेद में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। तदनुसार कोई भी नागरिक अपने किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय को शरण ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह देखने का अधिकार होगा कि क्या राज्य के किसी कार्य या कानून से नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, उद्देक्षण और अधिकार पुच्छा लेख निकालने का अधिकार है। ये लेख या आदेश 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के उल्लंघन पर ही निकाले जाते हैं, अमेरिका की तरह 'प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्तों' के अनुसार नहीं। इन रिटों (Writs) के रूप में न्याय प्रशासन की एक नई शाखा का विकास हुआ है। इस नई शाखा का जनता ने किस उत्साह के साथ उपयोग किया है, वह इससे प्रकट है कि अनेक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में सौ से दो सौ प्रतिशत तक (कहीं-कहीं उससे भी अधिक) वृद्धि करनी पड़ी है फिर भी विचारधीन मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका द्वारा रिट-अधिकारिता के प्रयोग से जन-साधारण के मन में यह विश्वास जाग गया है कि उस पर कानून का शासन है।

(ग) अनुच्छेद 131 एवं 132 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति—अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार का और अनुच्छेद 132 में सौविधानिक मामलों में उसके अपोलोय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है अर्थात् ये दोनों अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को सपीय और राज्य सरकार द्वारा निमित्त विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं।

38वें संविधान संशोधन से 43वें संविधान संशोधन तक की स्थिति

संविधान के 38वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के राष्ट्रपति के अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा उद्घोषित आपातकालीन स्थिति वाले अध्यादेशों को न्यायालय की सुनवाई के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया। 39वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष के चुनावों पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार समाप्त कर दिए गए। 40वें संविधान अधिनियम, 1976 के द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और राज्यपालों की तरह दायित्व तथा दीवानी कार्यवाहियों से विमुक्ति प्रदान कर दी गई। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को और सीमित कर दिया गया, लेकिन 43वें संवैधानिक संशोधन ने न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवधानों को समाप्त कर दिया और न्यायिक पुनरावलोकन के सम्बन्ध में वही स्थिति हो गई जो 42वें संविधानिक संशोधन के पूर्व थी। 43वें संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और गरिमा को बहाल कर दिया।

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की समीक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह किया है। देश में संवैधानिक विवादों की दृष्टि से न्यायालयों ने सृजनात्मक भूमिका का निर्वह किया है। कई बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग से न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधानपालिका के बीच विवाद एवं तनाव उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए निजी सम्पत्ति के सम्बन्धों, विधायी विशेषाधिकारों एवं संवैधानिक संशोधन के क्षेत्रों में दिए गए कुछ निर्णयों के कारण विवाद उत्पन्न हुए हैं। परिणामस्वरूप, संविधान में संशोधन कर उन न्यायिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया जिन्हें सरकार नहीं चाहती थीं। ऐसा करने का औचित्य यह कहकर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इन निर्णयों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।

इन विचारों के अतिरिक्त, भारत में न्यायिक पुनर्रचलक प्रक्रिया को संविधान का अनुमोदन प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास बनाम राव के वाद में यह अभिमत व्यक्त किया है कि संविधान में कई धाराएँ न्यायालयों को यह शक्ति देती हैं कि वे यह कार्य विधानमण्डल पर प्रहार करने की इच्छा से न करें, किन्तु संविधान द्वारा साहचर्य प्रदत्त कर्तव्यों को निवाहने के लिए उसे यह करना पड़ता है। गोपालन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है : "भारत में, संविधान सर्वोच्च है और किसी विधि के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि यह हर स्थिति में सौविधानिक अपेक्षाओं के समनुरूप हो और यह निर्णय करना न्यायालय का कार्य है कि अधिनियम सौविधानिक है अथवा नहीं।" यदि विधानपरिषद किसी सौविधानिक परिषदीय कानून को उल्लंघन करती है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधि को असौविधानिक घोषित कर दे क्योंकि "अपनी शपथ के कारण न्यायनय संविधान की रक्षा करने के लिए बाध्य है।" न्यायिक पुनर्रचलक संविधान द्वारा सीपा गया है। न्यायालय इस कार्य को करने में स्वयं को उल्लंघन और असमब्रसता की स्थिति में पाव है परन्तु वे अपने सौविधानिक उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं हो सकते।

असौविधानिक का प्रभाव—जब उच्चतम न्यायालय किसी विधि को असौविधानिक घोषित करता है तो अनुच्छद 141 के अन्तर्गत उसका निर्णय भारत के प्रत्येक न्यायालय पर लागू होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हर व्यक्ति पर सर्ववन्धी निर्णय के रूप में लागू हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप किसी के लिए उस अधिनियम की असौविधानिकता स्थापित करना आवश्यक नहीं है। किसी असौविधानिक विधि का अवज्ञा करने में न्यायालय बाध्य है। जब किसी विधि का एक अंश अवैध ठहराया जाता है तो उसके उपेक्षा की जाती है। असौविधानिक अंश निकाल देने पर शेष विधि सौविधानिक बनी रहती है, परन्तु यदि अलग न किया जा सके तो पूर्ण विधि असौविधानिक मानी जाती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार

उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छद 137 के अन्तर्गत अपने निर्णयों और आदेशों का पुनर्रचलक करने की शक्ति प्राप्त है। "यह कहा जाता है कि निम्न न्यायालय का सम्बन्ध तथ्यों से है, उच्च न्यायालय का सम्बन्ध त्रुटियों (निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय की त्रुटियों) से है तथा उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध विवेक बुद्धि (Wisdom) से है किन्तु उच्चतम न्यायालय गलती कर सकता है इसलिए आवश्यक है कि उस त्रुटि को ठीक करने की राह खुली रहें।" ऐसा करके न्यायालय कानूनों की अशुद्धियों और शक्तियों में सुधार के साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों की समीक्षा करके उन्हें सामयिक तथा जीवन्त स्वरूप प्रदान कर सकता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

(Independence of the Judiciary)

1. **प्रदायि की सरक्षा**—एक बार नियुक्त किए जाने के उपरान्त न्यायाधीशों को उनके स्वैच्छिक त्याग-पत्र के अलावा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जो एक कठिन प्रक्रिया है। आज तक एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सका है।
2. **न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि विधायिका के अधिकार से परे होना**—उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संविधान द्वारा नियत और भारत के सन्विध विधि पर धारित हैं जिन पर ससद में मतदान नहीं हो सकता है तथा कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वितीय आपातकाल की स्थिति अपवाद है।
3. **कार्य-प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति**—उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्य-प्रणाली के नियम बनाने का अधिकार है। ये नियम ससद द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत निर्धारित होते हैं और इन पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश भारत एजन्ड-क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को मान्य होंगे।
4. **कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण**—उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण सीपा गया है ताकि उनकी स्वतन्त्रता को अघात न पहुँचे। न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
5. **ससद क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती**—ससद को उच्चतम न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है, घटाने का नहीं। उच्चतम न्यायालय को ससदीय दबाव से मुक्त रखा गया है। उसके अधिकार क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है।
6. **उन्मुक्तिपत्र**—अपनी आधिकारिक क्षमता से हटकर न्यायालयों के निर्णय और कार्यों को अलोचना नहीं की जा सकती। ससद न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों पर जिसे उन्होंने कर्तव्यपालन करते हुए किया हो, विचार विमर्श नहीं कर सकती है।

7. अवकाश प्राप्त करने के बाद वकालत करने पर प्रतिबन्ध—अवकाश प्राप्त के बाद न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायपालिका या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते, किन्तु संविधान विरोध प्रकार के कार्य-सम्पादन के लिए उनकी नियुक्ति भी अनुमति देता है, उदाहरणार्थ विरोध जॉर्ज-पद्मलाल तथा अन्वेषण करना आदि।

इस तरह हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थिति मजबूत है और उसकी स्वतंत्रता पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, किन्तु सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को आयोग एवं समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की वर्तमान प्रथा से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।¹ भारतीय विधि आयोग ने इस प्रथा के सफाई की ओर संकेत करते हुए इसे समाप्त करने की सरकार से सिफारिश की है। अभी तक सरकार ने विधि आयोग को इस सिफारिश को लागू नहीं किया है। इस पर अमल होना चाहिये।

उच्च न्यायालय (High Courts)

संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं। संविधान का पौचर्चा अध्याय राज्यों के उच्च न्यायालय और अध्याय छठा अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था रखी गई है, किन्तु कानून द्वारा संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या दो से अधिक राज्यों तथा एक संघीय क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में देश में 17 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं जिनमें से दो ऐसे हैं जिनका न्यायाधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उठाने अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनमें की राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त करे। संविधान के सातवें संशोधन के अनुसार अतिरिक्त और कर्देकारी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से और राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की दशा में उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पदभरण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके पूर्व निम्नलिखित रीति से अपना पद त्याग कर सकेगा—

- (क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा
- (ख) साक्षित बकाया या असमर्पता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा (उपस्थित सदस्यों क दो तिहाई मत से निर्णयित) समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा,
- (ग) राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर या किसी उच्च न्यायालय में अन्तर्गति किए जाने पर।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ—संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और

- (क) भारत के राज्य क्षेत्र में दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या
- (ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशों के वेतन आदि—संविधान के अनुच्छेद 221(1) में व्यवस्था है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का सदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निर्मित इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का सदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 30,000/- रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 26,000/- रुपये प्रति माह वेतन 1 जनवरी, 1996 से दिया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के कार्य और अधिकार—

राज्य के उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विरोध प्रकार के मुकदमों सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय बसीयत, विवाह, कम्पनो बान्धन के मामलों पर विचार कर सकते हैं, उच्च न्यायालयों में अपमान सम्बन्धी मुकदमों सुने जा सकते हैं, भूमि-कर तथा

उसकी वसूली से सम्बन्धित मामले उच्च न्यायालय में सीधे लार् जा सकते हैं। उच्च न्यायालयों को मौखिक अधिकारों को रखा के लिए शक्तियों प्रदान की गई हैं। वे इन अधिकारों को रखा के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। मौखिक अधिकारों सम्बन्धी मुकदमों उच्च न्यायालय अथवा सीधे उच्चतम न्यायालय में पेश किये जा सकते हैं। अपीलीय अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय दोबानी, फौजदारी और मान सम्बन्धी मुकदमों को अपीलें सुनते हैं। कुछ न्यायालय दोबानी मामलों में प्रायः जिला न्यायालय के विरुद्ध, फौजदारी मामलों में सब न्यायालयों के विरुद्ध और माल (राजस्व) सम्बन्धी मामलों में राजस्व मण्डल के विरुद्ध अपीलें सुनते हैं।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने का अधिकार है। ये ऐसे न्यायालयों से न्यूनतम मांग सकते हैं, उनकी कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए सामान्य नियम बना सकते हैं और आदेश जारी कर सकते हैं। किसी अधीन न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो जिसमें सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमों को अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी मुकदमे को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय को स्थानांतरित कर दे। उच्च न्यायालय एक अधिनेतृ न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। वह अपना निकाई कयम रखता है। उसकी कार्यवाहियों और निर्णय छोपे जाते हैं तथा अन्य मुकदमों में उनका हवाला दिया जा सकता है। सविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन केन्द्रीय कानून या राज्य-कानून को अर्धसैनिक घोषित कर दे जो सविधान के शक्तियों के विपरीत हो। 42वें संशोधन संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संशोधित कर दिया गया था और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया को खटन बना दिया गया था, किन्तु 43वें संशोधन संशोधन, 1977 द्वारा उच्च न्यायालयों को अब न्यायिक पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में बड़ी स्थिति और शक्ति प्राप्त हो गई है जो 42वें संशोधन से पूर्व की। इससे उच्च न्यायालयों की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है।

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

अधीनस्थ न्यायालय भारत की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। कुछ विभिन्नताओं को छोड़कर सारे देश में अधीनस्थ न्यायालयों का सम्भाव्य स्वरूप तथा ढाँचा समान सा है। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है और हर जिला एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में चलता जा रहा प्रमुख दोबानी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधीन रहता है। अगर जिला न्यायाधीश उसकी सहायता करते हैं। जिला न्यायाधीश के चारों दोबानी न्यायालयों के विभिन्न पद क्रमों के बहुत से कार्यवाही होते हैं। मुकदमों की सुनवाई करने के अतिरिक्त दोबानी न्यायालय मध्यस्थ-निर्णय, अधिभावकता, विवाह-विच्छेद और प्रमाणित दस्तावेज जैसे अनेक मामलों को अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन रखते हैं। अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण जो आम न्यायालयों से अलग हैं, कुछ दोबानी अधिकारों को निश्चित करने के लिए अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए हैं। कुछ मामलों में इनके निर्णय के विरुद्ध आम न्यायालयों में अपील को जा सकता है। ऐसे अधिकार न होने पर सविधान के अनुसार वे उच्च न्यायालय के अधीन हैं।

फौजदारी अदालत का विधान और गठन दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 के अधीन किया जाता है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1968 के स्थान पर 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुआ। संहिता में कार्यपालिका और न्यायपालिका से सम्बन्धित कार्यों के लिए अलग-अलग मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था है। कार्यपालिका से सम्बद्ध मजिस्ट्रेट राज्य सरकारों के और न्यायपालिका के सम्बद्ध उच्च न्यायालय के अधीन हैं। कार्यपालिका में हर जिले के लिए एक मजिस्ट्रेट और उसके अधीन कई अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होते हैं। ये मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अग्रगण्य टैकने की समस्याओं से निपटते हैं। न्यायपालिका में जिला स्तर पर सबसे ऊपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। अन्त मजिस्ट्रेटों से सम्बन्धित वे कार्य जो प्रमुखतया न्यायिक प्रकृति के हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जिम्मे हैं। दस लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों में महानगरीय मजिस्ट्रेट है, जिनके पास मुकदमों को शीघ्र निरन्तरी के लिए इससे अधिक अधिकार होते हैं।

व्यवस्थापिका न्यायपालिका सम्बन्ध (Legislative Judiciary Relations)

भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति का विशेषण करने की दृष्टि से व्यवस्थापिका न्यायपालिका के सम्बन्ध के स्वरूप के बारे में जानना अत्यन्त सामयिक और प्रासंगिक बन जाता है। अनेक बार 'व्यवस्थापिका बनाम न्यायपालिका' को सर्वोच्चता का मुद्दा खिंचा हुआ है और व्यवस्थापिका के प्राथमिकीय व्यवस्थापन की आड़ में न्यायपालिका को शक्तियों को सीमित करने और अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न सविधान

सरोपण पारित करने का मुख्य सत्य था। दूसरी ओर न्यायपालिका ने संविधान के बुनियादी स्वरूप (Basic Structure of the Constitution) में परिवर्तन करने की व्यवस्थापिका को शक्ति प्रदान करने जैसी अपराधना या प्रतिपादन पर व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को सीमित करने का प्रयत्न किया है। भारत में संवैधानिक उपबन्धों ने न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त बनाकर उसकी स्वतंत्र स्थिति को प्रतिष्ठापित किया है पर यह व्यवस्था ही है कि यदि कोई न्यायाधीश संविधान के प्रतिकूल आचरण करता है तो उससे विरुद्ध या कार्यवाही की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा करके व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है।

न्यायपालिका का संविधान के प्रतिकूल संसद के किसी कानून में या उसके अंश को असंवैधानिक धरणा में का अधिनियम है। यद्यपि न्यायपालिका ने इस अंकुश ने भारतीय संसद को बहुत कुछ नियंत्रित कर रखा है लेकिन राम ने न्यायपालिका की निर्णयकारी शक्ति को अपनी मर्जी के अनुकूल प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः अर्थात् ही होती है जब उसके निर्णय को किसी कानून अथवा संविधान से निरस्त किया जा सकता है। भारत में न्यायपालिका के निर्णयों का निरस्तार संसद ने दो तरह से किया है—

1. न्यायालय के किसी निर्णय द्वारा किसी विधि के सम्बन्ध में की गई आपत्ति अथवा रोष का दूर बरा के लिए तुरन्त अध्यादेश अथवा विधि का निर्माण करके,
2. न्यायपालिका द्वारा किसी कानून के असंवैधानिक घोषित किये जाने पर स्वयं संविधान में संशोधन करके।

भारतीय संविधान में किए जाने वाले संशोधनों का उद्देश्य उन वृत्तियों को दूर करना था जिनके कारण न्यायपालिका ने सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति अथवा कानून को असंवैधानिक घोषित किया था। इसका व्यावहारिक अर्थ यह निकलता है कि न्यायपालिका सरकार की शक्तियों पर समुचित अंकुश लगाने में ज्यादा प्रभावी नहीं हो सका है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने वाले अनेक कानूनों को संसद ने संविधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जैसा प्रयोग किया गया है उससे पाठ ग्राहक दल की नीतियों को कार्यान्वित करने की भावना विद्यमान रही है और जहाँ तक संविधान दल के हितों अथवा रिश्तों में जरा भी बाधक हुआ है उतने निरसकार रूप से संविधान को ही बदल दिया है। संविधान के 42वें संशोधन के संविधानिक संशोधन को परिधि से बाहर कर यह व्यवस्था कर दी है कि किसी संवैधानिक संशोधन को किसी न्यायमय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान के मूल स्वरूप को ही बदलने हुए संसद की सर्वोच्चता स्पष्ट कर न्यायपालिका को पंगु बना दिया था, किन्तु 43वें और 44वें संशोधन ने उस स्थिति को समाप्त करने न्यायपालिका को पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः विस्तृत किया जिसमें विधानमण्डल पर न्यायपालिका का नियंत्रण और प्रभाव बहुत बढ़ गया है और न्यायपालिका की शक्ति को पुनः महत्ता तथा दृढ़ता मिली है।

न्यायिक सक्रियता का युग

विगत कुछ वर्षों से भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी सक्रियता से भारत के जनसाधारण में अपनी गई छवि बनाई है। जनसाधारण ने केवल संविधान की रक्षा करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही न्यायपालिका को ओर निहारते हैं अतः देश में कार्यपालिका के सदस्यों के अनियंत्रित तथा अपरिमित आचरण पर रोक लगाने तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका को ओर देखने लगे हैं। जहाँ जहाँ न्यायिक दायर करके न्यायपालिका से घोटालों को उजागर करने में सफल हुई है जिसकी पूर्व में धारणा नहीं की जा सकती थी। अनेक राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य के आगे प्रश्नचिह्न लगा दिया। इन घोटालों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की भूमिका ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान की है। चन्दन सरकार विराम के प्रकण में दिखलाई गई न्यायिक सक्रियता के कारण तो न्यायपालिका की पूरे देश में प्रशंसा हुई है। न्यायिक सक्रियता के इतिहास में दिनांक 29 सितम्बर, 2000 को एक नया अध्याय जुड़ गया जब केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी रहे गुनासिंह मोर्चा संसद रिश्तत मामले में निर्णय देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी रहे गुनासिंह को अविरवास प्रस्ताव के खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग सरकार को बचाने के इरादे से सांसदों के वोट जुटाने के लिए अपराधिक बहुरज रचने और भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्यों का अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगा है और वे बचाने लगे हैं। देश के लोकतांत्रिक के लिए यह सुखद स्थिति है। इस न्यायिक सक्रियता के आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार की शक्तियों से मुक्त करने के खतरनाक परिणाम निकलेगे और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की भूमिका के आगे प्रश्नचिह्न चिह्न लग जायेगा।

न्यायिक सक्रियता और भारतीय राजनीति

न्यायपालिका राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है जो सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण की उपशमन और लोकतान्त्रिक धांधलियों से जनता का बचाव करने को प्रतिबद्ध है। इसी कारण न्यायधीन और न्यायानुसंगत समाज राजनीतिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा न्यायपालिका के अलावा अन्य सत्पातक संरचना द्वारा संभव नहीं होती। इस प्रकार जन साधारण के लिए न्यायपालिका संरक्षक के रूप में है। जो कार्य विधायिका एवं कार्यपालिका का है उस कार्य को न्यायपालिका सम्पादित कर रही है। न्यायपालिका इन दोनों शक्तियों को नियंत्रित करने में अपनी ऊर्जा लगा रही है जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए पाठक है। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक लॉर्ड ब्राइस के अनुसार "न्यायपालिका राज्य के लिए एक आवश्यकता ही नहीं है, अपितु उसकी समता से बढ़कर सरकार की उद्यमता की कोई कसौटी ही नहीं है।" न्यायपालिका केवल नागरिकों के मध्य उत्पन्न विवादों का ही निराकरण नहीं करती, अपितु वह उन विवादों का भी निर्णय करती है जो नागरिक एवं राज्य के मध्य उत्पन्न होते हैं। अनेक विचारक इसको राजनीतिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग से अधिक एवं आधारभूत स्वम्भ मानते हैं। भारतीय संविधान का जो सामाजिक दर्शन है उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही न्यायपालिका को सरकार के एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान निर्माता इस बात से भलीभाँति परिचित थे कि यदि न्यायपालिका का उचित स्थान प्राप्त नहीं होता है तो समाज से परतंत्रता के भावों का ठगूलन नहीं किया जा सकेगा और जन साधारण के समक्ष सत्रस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार तथा राज्य के नैतिक-निर्देशक तत्वों का प्रवधान करके जन सामान्य की पांदा एवं निराशा को दूर करने का प्रयास किया गया। आज जब न्यायपालिका सार्वजनिक परिधि में रहकर जन साधारण का कष्टों एवं असुविधाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है तो इसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जा रही है। इस दृष्टि से न्यायिक सक्रियता प्रजातंत्र में जन कल्याण की अपरिहार्यता है। एक स्वतंत्र निष्पक्ष एवं निर्भय न्यायपालिका लोकतंत्र का प्रतीक होती है। विश्व में जहाँ कहीं न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है वहाँ जनता को अपार कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि सन् 1980 के दशक की देन है, परन्तु इसका अकुरुण संविधान लागू होने के बाद से देखा जा सकता है यथा—(1) सन् 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री फजल अली ने 'गोपालन बनाम मद्रास राज्य' प्रकरण में न्यायिक सक्रियता की आधाररिखा रखी जिसमें निराकरण विधेय अधिनियम का खण्ड 14 को अवैध ठहराया गया। (2) मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं। 'रमेशा पत्तन बनाम मद्रास राज्य' विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 32 उन्हें मौलिक अधिकारों के संरक्षण की स्थिति प्रदान करता है। (3) बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और कहा कि सामान्य शान्तिस्थिति स्थिति में प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है। (4) इरी ब्रेणी में महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है—(क) बम्बई राज्य बनाम बम्बई गिण्टा समाज, (ख) रसंद अहमद बनाम केन्द्रीय सरकार, (ग) रिब्यन्ड सलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (घ) गैलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967। इन चारों प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संभित या सरोधित नहीं किया जा सकता है। (5) केशवानन्द भारतीय बनाम केरल राज्य (1973) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31-C के द्वितीय खण्ड को निरस्त कर दिया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों पर आपात पहुँचता था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय को दोहराते हुए मिनर्वा पिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार के प्रकरण में 9 मई, 1980 को निर्णय देते हुए 42वें संविधानिक संशोधन की धारा 4 और धारा 5 को निरस्त कर दिया।

न्यायिक सक्रियता का वास्तविक प्रारम्भ सन् 1980 में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के द्वारा हुआ। इण्डियन एक्सप्रस में सम्पादक के नाम एक पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें बिहार के अधिवक्तियों की आरा की जेल में दुर्घटना एवं उनकी रहन-सहन की शोचनीय स्थिति का विवरण प्रकाशित हुआ। इसके आधार बनाकर विधि संचयक के दो प्राथमिकों ने संविधान की धारा 21 के अन्तगत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। इसके बाद मध्य प्रदेश में महिलाओं की हो रही ध्वंसिक खण्ड फरोखा समाप्त करने के लिए पत्रकार अरुण शौरी, कुमो क्यूर तथा अश्विनी सतीन न सद्युक्त रूप से याचिका दाखल की। बिहार राज्य के भागलपुर काठमार में बन्द कैदियों की आँखों में पुतिल ने तेजाब डाल कर आँसु पीड़न का उपाय कृत्य किया, जिसे अख्येन्द्रका काण्ड के नाम से जाना जाता है।

संविधान की कोई धारा स्पष्ट न्यायिक पुनर्निर्माण का अधिकार नहीं देती है। पर धारा 13, 32, 131, 132 एवं 246 में यह अधिकार अन्तर्निहित है। न्यायिक सक्रियता न केवल भारतीय संविधान को सत्य रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह पूरी राजनीतिक व्यवस्था में अनेक गंभीर विचारों के निदान करने के लिए प्रयत्नशील है।

जनहित याचिका

(Public Interest Litigation : PIL)

न्यायाधीशों की स्थानान्तरण के बारे में अपने वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की सविधान पंक्ति ने निर्णय दिया कि जनता का कोई भी व्यक्ति, भले ही उसका वाद से सीधा सम्बन्ध न हो पर उसमें उसकी पर्याप्त रुचि हो, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में न्याय के लिए मौजूद कर सकता है अथवा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिये जो "गरीबी, लाचारी या असमर्थता या सामाजिक एवं आर्थिक विषमता" के कारण न्यायालय तक नहीं जा सकते, उच्चतम न्यायालय में धरियाद कर सकता है।¹ ऐसे मामले में एक पत्र के द्वारा न्यायालय के द्वार तक पहुँचा जा सकता है। एस. पी. गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति ए आई आर 1982, एस पी 149 के बाद में दिए निर्णय से लोक सेवा ब्यक्ति अथवा नागरिक को या समाज सेवा संगठनों को धृष्ट मिल गई है कि वे आम जनता के हित में न्याय की माँग कर सकें।

बभुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सभ ए आई आर 1984 ए सी 803 के बाद में बभुआ-मुक्ति के श्रेय क प्रति समर्थित संगठन ने एक पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित पत्थर की खानों का सर्वे किया और पाया कि उन खानों में बहुत बड़ी सख्खा में मजदूर "अमान्य तथा असह्य परिस्थितियों" में काम कर रहे हैं जिनमें से बहुत से बभुआ मजदूर हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने याचिका की कि सविधान के विभिन्न उपबन्धों तथा कानूनों के समुचित परिपालन के लिए एक रिट जारी की जाए, जिससे कि उन मजदूरों का दुख, कष्ट एवं लाचारी दूर हो सके। न्यायालय ने इस पत्र को रिट याचिका माना और एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में दो अधिवक्ता थे। उनसे कहा गया कि वे इन पत्थर की खानों पर जाएँ और वहाँ जाँचकर न्यायालय को रिपोर्ट दें।

लक्ष्मीकान्त पाण्डे बनाम भारत सभ में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। उसका आधार एक पत्र था। इसमें शिकायत की गई थी कि विदेशियों को भारतीय बच्चे गोद देने के काम में सगी समाज सेवाी संस्थाएँ और संगठन कलाचार कर रहे हैं। पत्र में आरोप था कि मुकुमार दय के बच्चों को गोद लेने की आद में उन पर अत्याचार किया जाना है। उनका दूर देशों की लम्बी और भयावह यात्रा करनी ही पड़ती है तथा उनको जान को भारी जोखिम रहता है। उनका आश्रय तथा भविष्य अंध में लटक जाता है। मुख्य न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने बच्चों का कल्याण धुँधिलता बरने के लिए कुछ सिद्धान्त तथा मानदण्ड निर्धारित किए। उन्होंने सरकार तथा मामले से सम्बद्ध एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे सिद्धान्तों का पालन करें। इस प्रकार वर्तमान में न्याय की दृष्टि से न्याय की दुनियाँ में जनहित मुकदमों का महत्वपूर्ण स्थान है।

□□□

साँवैधानिक संस्थाएँ/आयोग (Statutory Institutions/Commissions)

संघ लोक सेवा आयोग (U. P. S. C.)

भारत में लोक सेवाओं की भर्ती करने वाले मुख्य अधिकरण में है—संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, रेलवे सेवा आयोग तथा साँवैधानिक नियमों के अन्तर्गत निजी भर्ती-मण्डल अथवा आयोग। ये आयोग गवर्नरेंटिक एव अन्य प्रणवों को भर्ती की प्रक्रिया से दूर रखते हैं तथा योग्य कर्मचारियों के चयन को सम्भव बनाते हैं। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था।

लोकवर्तनिक राज्यों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों को जगते हैं। इसके अनुसार भारतीय सविधान में अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत केन्द्र तथा सभी राज्यों के लिए एक-एक लोक सेवा आयोग को व्यवस्था की गई है, किन्तु इसमें दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए समुक्त लोक सेवा आयोग को भी अनुमति दी गई है, बशर्ते कि राज्यों के विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया हो। इस मामले में समद कानून द्वारा इन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुक्त सेवा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था कर सकता है। राज्य केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से भी कार्य करने का अनुबंध कर सकते हैं और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की स्वीकृति से ऐसा कर सकता है। सविधान में लोक सेवा आयोग के बारे में धारा 145 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 में दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग का संगठन एवं फंदावधि

सविधान के अनुच्छेद 313(1) में व्यवस्था है कि "लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य" की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या समुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य आयोग है तो राज्यपाल द्वारा की जायेगी।"

यद्यपि सविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तथापि सदस्यों की संख्या तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। संघीय लोक सेवा आयोग की पद संख्या अध्यक्ष सहित कुल नौ है। वर्तमान में संघीय लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य हैं। इसका कार्यालय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है।

सविधान के अन्तर्गत स्थानीय अध्यक्ष अध्यक्षता लेने पर अथवा किसी भी कारण से कार्य न करने की स्थिति में रिक्त स्थान पर आयोग के अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है जिसे राष्ट्रपति (संघीय आयोग या समुक्त आयोगों की सिफारिशों में) नियुक्त करें। राज्य आयोग की अवस्था में राज्यपाल ऐसे कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पद-भार दहन करने की तारीख से 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। राज्य आयोग या समुक्त आयोग की स्थिति में 65 के स्थान पर 60 वर्ष की आयु का प्रावधान है। संघीय लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद-त्याग कर सकता है। कदाचार के आधार पर भी आयोग के सदस्य को हटाने का या निम्नचित किए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया का विवरण अनुच्छेद 317 के खण्ड (1), (2), (3), (4) में दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है—(1) यदि वह व्यक्ति दिवानिया हो, (2) यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान पद से भिन्न कोई सार्वजनिक पद स्वीकार कर ले, (3) यदि राष्ट्रपति के विचार में वह मन अथवा शरीर की असमर्थता एव अस्वस्थता के कारण पद पर कार्य करने

के लिए असहम हो गया हो एवं (4) यदि शासक सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा इनकी ओर से किए गए किसी ठेके अथवा कन्ट्रैक्ट के साथ उसका एक निर्णय। कम्पन के साधारण सदस्य को छोड़ अन्य कोई सम्बन्धित अथवा उससे वह कोई लाभ प्राप्त करता है।

संघीय आयोग या समुक्त आयोग के सन्दर्भ में राष्ट्रपति और राज्य आयोग के सन्दर्भ में राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग की संरचना, उनकी सेवा-शर्तों आदि का निर्धारण करता है। आयोग के सदस्य की सेवा-शर्तों में ठामा नियुक्ति के बाद ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाते जो उसके लिए अलापकारी हों।

अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्य को, उसकी पदावधि की समाप्ति तक, उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।

लोक सेवा आयोग का सचिवालय

संघीय लोक सेवा आयोग का सचिवालय है जिसमें सचिव अनेक उप-सचिव और अवर सचिव तथा अनुपालाधिकार्य और सामान्य कार्याधी वर्य हैं। आयोग की अनेक शाखाएँ हैं जिनका सम्बन्ध उसके प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों से है। इनके अतिरिक्त संघीय लोक सेवा आयोग का वार्षिकाल निम्नांकित शाखाओं से संगठित है—(1) परीक्षा शाखा, (2) भर्ती शाखा, (3) सेवा शाखा, (4) नियुक्ति शाखा एवं (5) गुप्त शाखा।

लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ, कार्य एवं धूमिका

लोक सेवा आयोग के कार्य सचिवालय के अनुच्छेद 320 में दिए गए हैं, किन्तु अनुच्छेद 321 में भी यह व्यवस्था है कि संसद/राज्य विधान-मण्डल क्रमशः विधि द्वारा संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों को सभाओं के पदों में तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के अतिरिक्त कार्य सौंप सकते हैं।

संघीय लोक सेवा आयोग के प्रमुख भागों का विवरण डॉ. भाग्यती ने निम्नानुसार किया है—

- 1 भर्ती के तरीकों, सिविल व असेनिक सेवाओं तथा असेनिक पदों पर सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने में अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना।
- 2 नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण आदि के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में परामर्श देना।
- 3 सेवाओं पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना।
- 4 लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध में परामर्श देना।
- 5 लोक सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्य पालन के लिए किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई भी कर्तव्य-वाहियों में जो छूटें उत्ते करना पड़ता है उसके दाये के सम्बन्ध में तथा किसी लोक सेवा द्वारा नियुक्ति-वेतन अथवा पेंशन के लिए किए जाने वाले उस दाये के सम्बन्ध में परामर्श देना जो वह अपने उदात्तविरा का पालन करते समय करता है।

6 अन्य कोई ऐसा मामला जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से उनको सौंपा जाए।

संसद द्वारा अथवा राज्य विधान-मण्डल द्वारा केवल सरकारी सेवाओं के ही सम्बन्ध में नहीं बल्कि उन सेवाओं के सम्बन्ध में जो कि स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities), निगमों (Corporations) अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के अधीन हों, आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता।

आयोग के कार्यक्षेत्र में कुछ पदों को अलग करके उसका अधिकार क्षेत्र कम किया जा सकता है। निम्नलिखित नियुक्तियों के चुनाव के सम्बन्ध में आयोग से कोई परामर्श नहीं किया जाता—

(क) न्यायाधिकरण (Tribunals) अथवा आयोग की सदस्यता अथवा अध्यक्षता।

(ख) उच्च राजनयिक प्रकृति के पद पर।

(ग) वृत्तीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी, बर्माधी, जिनकी संख्या केन्द्र सरकार के बर्माधारियों की कुल संख्या का 98 प्रतिशत है आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

निन्दा, पदोन्नति या वेतन-वृद्धि रोकने, लापरवाही या आदेशों का उल्लंघन करने से सरकार को आर्थिक हानि होने से बचाव, अनिर्वाह सेवा-नियुक्ति, सेवा पदस्थिति आदि कोई भी दाये देने की शक्ति में राष्ट्रपति द्वारा मूल आदेश जारी करने के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श किया जाता है। आयोग सरकार को अन्य जिन मामलों में सलाह देता है वे हैं—भर्ती के तरीके, नियुक्ति, पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले सिद्धान्त और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्याशियों की उपयुक्तता। आयोग निम्नांकित मामलों के सम्बन्ध में भी सरकार को परामर्श देता है—

का कार्य प्रशासनिक प्रवर्तित का अधिक है अतः सचिवालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) के रूप में एक ऐसे अधिकारी की व्यवस्था की है जो प्रभावशाली हो, राजनीतिक दबाव से मुक्त हो और जिसके आदेशों का पालन अधीनस्थ अधिकारी निष्पक्ष के साथ करें।

निर्वाचन तंत्र के प्रमुख कार्य—निर्वाचन तंत्र के अथवा निर्वाचन की व्यवस्था करन यात प्रशासकाय तंत्र के बिनासमें निर्वाचन आयोग और उनके अधिकारी राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग आदि सम्मिलित है। प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—(1) निर्वाचन क्षेत्रों का परिमोमन, (2) मतदाताओं की सूचियाँ तैयार करन तथा उनका प्रकाशन करन, (3) चुनाव-चिह्नों की व्यवस्था करन, (4) निर्वाचन-समयों का प्रबन्ध करन, जैसे—मतदान, मतदान पेटो, स्वादी मोहर आदि की व्यवस्था, (5) निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करन, (6) नामजदगियों की व्यवस्था करन, (7) अधिकर्ता व्यवस्था, (8) मतदान व्यवस्था, (9) गणना और परिणाम की उद्घाष्टन, (10) मतदान सामान जमा करन एवं उसका प्रबन्ध, (11) निर्वाचन व्यय पर लेण एवं (12) याचिकाओं के लिए प्रबन्ध आदि।

निर्वाचन तंत्र का गठन—निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यों के सम्पादन के लिए जिस स्वतन्त्र प्रशासकाय तंत्र का गठन किया गया है वह इस प्रकार है—(क) निर्वाचन आयोग एच (ख) राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग।

(क) निर्वाचन आयोग (Election Commission)

सचिवालय के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है तथा सचिवालय सुनिश्चित करता है कि यह सर्वोच्च उच्च न्यायालयों की प्रति कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहकर स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सक।

निर्वाचन आयोग का संगठन—अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, "निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे।" इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा एक से अधिक निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति किया जाना अनिवार्य नहीं है और इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना राष्ट्रपति के अधिकार में है किन्तु यदि अय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाए, तो सचिवालय की व्यवस्था है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति राष्ट्रपति ससद द्वारा विहित कानून के अन्तर्गत करन है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों (Regional Commissioners) की नियुक्ति कर सकता है जैसे कि वह आवश्यक समझे।

सेवा शर्तें, कार्यकाल तथा पदयुक्ति—अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, आयुक्तों आर प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदाधिकार्य (कार्यकाल) ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। स्पष्ट है कि उनका कार्यकाल सचिवालय द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है तथा इसका निर्धारण राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों और शर्तियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और शर्तियों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिक या क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात् मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलापकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार सचिवालय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की पदाधिकार्य अथवा कार्यकाल को पूर्ण संरक्षण प्रदा करता है जिससे वे अपने कार्यों को निरन्तर निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप से कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय क न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त की स्थिति में अन्तर केवल इतना है कि प्रथम को 65 वर्ष की आयु तक के लिए जबकि द्वितीय को केवल एक निर्धारित कालावधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

सचिवालय—चुनाव अथवा निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय होता है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपनिर्वाचन आयुक्त, सचिव, अवर सचिव, अनुभाग-अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। निर्वाचन आयोग प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से अनेक शाखाओं में विभाजित है, यथा— निर्वाचन शाखा I, II, III, IV आदि, परिमोमन शाखा प्रशासकीय शाखा I एवं II, टंकन एवं प्रेषण शाखा आदि।

निर्वाचन आयोग के कार्य एवं अधिकार—निर्वाचन तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त है। आयोग से अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर सरकार को कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेजता रहेगा और निर्वाचन-प्रक्रिया को व्यवस्थित तथा कुशल बनाने के लिए सुझाव देता रहेगा।

निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों की देखरेख, संचालन और नियन्त्रण से सम्बन्धित हर विषय का अधिकार दिया गया है। आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1 निर्वाचन क्षेत्रों का परिमोमन या सीमांकन करन।

2. मतदाताओं की सूचियाँ तैयार करवाने और उन्हें नवीनतम बनाए रखने हेतु निर्देशन करना।
3. ससद राज्य विधानमण्डलों, राष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना।
4. निर्वाचनों का सचानन करना।
5. ससद तथा राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचित न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना।

6. ससद तथा राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना।

7. निर्वाचन आयोग को अधिकार है कि वह राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए मान्यता जिन आधारों पर प्रदान की जाए, इसका निर्णय निर्वाचन आयोग ही करता है। आम चुनाव के परचाय् दलों को मिले मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की सूची में संशोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, पहले आम चुनाव के बाद आयोग ने निश्चय किया था कि राष्ट्रीय दल के रूप में केवल उस दल को मान्यता दी जायेगी, जिसे लोकसभा चुनाव में कुल मतों के 13 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों। उसी प्रकार राज्य-स्तरीय दल के रूप में केवल उन दलों को मान्यता देने का निश्चय किया था, जिनके सम्बन्धित राज्य के विधान सभा चुनाव में दिए गए कुल मतों के कम से कम 3 प्रतिशत मत प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति पद्धति पर चुनाव आयोग इसमें समय-समय पर परिवर्तन भी कर सकता है।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दो श्रेणियाँ हैं—एक 'राष्ट्रीय दल', दूसरे 'राज्यीय दल'। यदि किसी दल को चार या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है तो उसे 'राष्ट्रीय दल' माना जाता है। यदि किसी दल को चार से कम राज्यों में मान्यता मिले तो उसे राज्य का या जिन राज्यों में मान्यता प्राप्त हों 'राज्यीय' दल माना जाता है।

8. राजनीतिक दलों को आरक्षण चुनाव-चिह्न प्रदान करना आयोग का कार्य है। यदि किसी दल को मान्यता मिलनी है तो उसे एक चुनाव चिह्न दिया जाता है। कुछ चिह्न सुरक्षित हैं और अन्य 'मुक्त', सुरक्षित जिन मान्यता प्राप्त दलों के ठम्बीद्वारा को दिए जाते हैं। 'मुक्त' चिह्न अन्य सब के लिए होते हैं। यदि चुनाव चिह्न के सम्बन्ध में कितने दो राजनीतिक दलों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो आयोग निष्पत्ता के ढंग से विवाद का निश्चय करने का प्रयास करता है। समय-समय पर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनाव चिह्न सम्बन्धी विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। सन् 1969 के बाद सगठन काँग्रेस तथा काँग्रेस (आई) के मध्य भी काँग्रेस के चुनाव चिह्न को लेकर ऐसा ही विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें निर्वाचन आयोग ने काँग्रेस का चिह्न 'दो बैलें की जोड़ी' काँग्रेस (आई) को दिये जाने का निर्णय किया था।

9. राजनीतिक दलों को आकरशाखाणी तथा दूरदर्शन द्वारा चुनाव-भाषणों के प्रसारण की सुविधाओं की व्यवस्था करना, आधार संहिता का निर्माण करना, प्रत्याशियों द्वारा कुछ व्यय की राशि का निर्धारण करना, निर्वाचन याचिकाओं के बारे में सरकार को आवश्यक परामर्श एव सुझाव देना।

10. आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 14वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिमूचना से होता है, जिसमें राष्ट्रपति मतदाताओं में विधायक के निर्वाचन का प्रावधान करते हैं।

11. निर्वाचन आयोग ससदीय और विधानसभादी चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में व्यय की गई राशि का विवरण माँगता है तथा उस विवरण की जाँच करवा सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग ने जिन निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं कि वे प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में व्यय की गई राशि की जाँच-पड़ताल करें। इसमें प्रत्याशियों की सतर्क कार्य करना पड़ता है।

12. निर्वाचन आयोग चुनाव आधार संहिता को लागू करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियाँ करता है तथा इसका उल्लापन करने वाले राजनेताओं और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करता है।

13. निर्वाचन आयोग की अनुमति के परचाय् ही निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाते हैं।

14. निर्वाचन आयोग द्वारा ही उपचुनावों को सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।

15. निर्वाचन आयोग जल्दी मतदान को रोकने के लिए तथा मतदाताओं की पहचान को निश्चय करने के लिए उनके 'फोटो' के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर सकता है। इस मुद्दे ने केन्द्र और राज्य सरकारों को उद्देनित कर रखा है। वे इस दिशा में गभोरता से सोचने लगे हैं।

(ख) राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग

प्रशासनिक तंत्र में दूसरा स्थान राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग का है। सविधान में प्रावधान है कि 'विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व अथवा अन्य निर्वाचन से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके निर्वाचन आयोग को नामित करेगा। आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।' प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioners) को सेवा-शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति समझ दे कानून के अन्तर्गत करेगा और उन्हें आयोग की सलाह पर ही हटाया जा सकेगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन आयोग प्रार्थना पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल निर्वाचन अथवा प्रादेशिक आयुक्त को आयोग के कार्यों को करने के लिए आवश्यक कर्मचारी ब्यवस्था करारेंगे।

राज्य स्तर पर जिस निर्वाचन विभाग का निर्माण किया गया है उसके अध्यक्ष को 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' कहा जाता है। उसकी नियुक्ति प्रशासनिक सेवाओं में से अथवा न्यायिक सेवाओं में से निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। उसका स्तर राज्य-सचिव के समान होता है और उसके मुख्य कार्य हैं—आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण तथा नियन्त्रण में मतदाता सूचियों का तैयार करवाना, उन्हें नवीनतम रखना और प्रकाशित करवाना। किसी राज्य में पूर्णकालिक निर्वाचन अधिकारी होगा है तो किसी में अंशकालिक। डॉ. एम. पी. राय ने लिखा है "आम चुनावों में प्रत्येक राज्य में निर्वाचन विभाग रूप लिए होता है। किसी राज्य में पूर्णकालिक (Whole Time) निर्वाचन अधिकारी होता है तो किसी में अंशकालिक। पूर्णकालिक अधिकारी के अधीन अन्य कर्मचारी होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने के लिए तीन स्टाई उपकरणों की व्यवस्था है—(i) निर्वाचन आयोग, (ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं (iii) निर्वाचन सम्बन्धी पंजीयन अधिकारी। विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक पंजीयन अधिकारी होता है जो प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम अंकित करता है और मृत लोगों के नाम निकाल देता है। प्रत्येक सप्ताहिक एवं विधानसभायी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन पदाधिकारी (Returning Officer) नियुक्त होता है जिसके कार्यों में सहायता देने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। वास्तविक मतदान अनेक अधिकारियों और अध्यक्षों के संचालन में सम्पन्न होता है। प्रत्येक मतदान क्षेत्र के लिए एक प्रशासक ऑफिसर और अनेक मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिनके सहायता के लिए पुलिस तथा अन्य कर्मचारी आवश्यकतानुसार दिए जाते हैं।"

अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी—अधीनस्थ अधिकारी दो प्रकार के होते हैं—प्रथम वे अधिकारी जो स्टाई रूप से निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त होते हैं और द्वितीय वे अधिकारी तथा कर्मचारी जो चुनाव के समय कार्य विशेष के लिए अस्थाई रूप से निर्वाचन पदों पर रखे जाते हैं। प्रथम प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(i) **जिला निर्वाचन अधिकारी**—प्रत्येक जिले में निर्वाचन अधिकारी होता है जिसको नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। सामान्यतः यह पद जिलाधीरा को ही दिया जाता है। जिसा निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यों में सम्बन्ध करता है। उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करना होता है। जिले में चुनाव कर्मचारियों के लिए बाहनों के प्रबन्ध करने, चुनाव के लिए आवश्यक सामान इकट्ठे करवाने, मतदान केन्द्र दल की नियुक्ति करने, चुनाव एवं पंजीयन से सम्बन्धित कार्यों पर नियन्त्रण रखने आदि का उत्तरदायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी पर ही होता है।

(ii) **उप-मण्डलीय निर्वाचन अधिकारी**—जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए उप-मण्डलीय निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वे अधिकारी अंशकालिक होते हैं। इनकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। एम. पी. ओ. अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को उप-मण्डलीय निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है। जहाँ पूर्णकालिक नियुक्तियाँ होती हैं वहाँ नीचे स्तर के अधिकारी ही रख दिए जाते हैं।

(iii) **निर्वाचन पंजीयन अधिकारी**—निर्वाचन आयोग द्वारा एम. पी. ओ. को ही निर्वाचन पंजीयन अधिकारी बनाया जाता है। वह जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखना, नए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना, मृत्यु तथा अन्य किसी कारण से मतदाता सूची से नाम हटाना, नाम स्थापन-निरत करना आदि कार्य निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को निभाने पड़ते हैं। पंजीयन का कार्य समय-समय पर सशोधित किया जाता रहना है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार इस प्रकार का सशोधन तीन अवसरों पर हो सकता है—लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन से पहले, किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन से पहले एवं निर्वाचन आयोग के आदेश पर। पंजीयन कार्य में सहयोग के लिए निर्वाचन पंजीयन अधिकारी किसी भी कर्मचारी को रख सकता है।

(iv) सहायक, निर्यातन पर्यवेदन अधिकारी—यह अधिकारी भी निर्वाचन पर्यवेदन अधिकारियों के कार्यों में सहायक करना है, पर विशेष रूप में इस पर्यवेदन के विरुद्ध शिकायतें सुन्ने का दायित्व सौंपा जाता है अधिकारिता रहमानन्दार को इस पद पर रखा जाता है।

(v) अन्य पर्यवेदन अधिकारी—पर्यवेदन के कार्य के लिए निर्वाचन पर्यवेदन अधिकारियों आवश्यकतापूर्वक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। परिणाम के पद पर पर्यवेदन को नियुक्त किया जाता है।

दूसरे प्रकार के अर्थात् अस्थाई रूप से निर्वाचन-पदों पर रखे जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रमुख ये हैं—

(i) चुनाव अधिकारी—निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव अथवा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उसके कार्यों में सहायक देने के लिए सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कभी-कभी एक अधिकारी के नीचे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र भी रख दिए जाते हैं। सहायक क्षेत्र के लिए सामान्यतः जिलाधीश को ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी को चुनाव अधिकारी बना दिया जाता है। चुनाव अधिकारियों का मुख्य कार्य मतदान केंद्र के कर्मचारियों को आवश्यक सूचना तैयार करना, निर्वाचन कार्यक्रम और वितरित प्रकथनों की रूपरेखा तैयार करना, मतदान-पत्र तैयार करना तथा उनका परीक्षा करना, चुनाव सड़ने वाले उम्मीदवारों को अन्तिम सूची तैयार करना, अन्तिम क्षेत्र में चुनाव का पूरा प्रबंध करना और मतगणना तथा परिणाम की घोषणा करना आदि है।

(ii) मतदान केंद्र दल के कर्मचारियों—इन्हें नियुक्ति बिना निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाती है। मतदान केंद्र दल में एक अधिकारी अधिकारी, छह मतदान अधिकारियों और दो चयनस्थ होते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र दल के दल पुनित की ओर से एक हवनदार और दो सिगार रखे जाते हैं। मतदान अधिकारियों को, नियुक्ति बिना निर्वाचन अधिकारियों, अधिकारी अधिकारियों द्वारा की जाता है। किसी मतदान अधिकारियों के कर्तव्य में सम्मिलित न हो राजन पर अधिकारी अधिकारियों को उसके स्थान पर अन्य नियुक्ति का अधिकार हो जाता है। मतदान केंद्र दल का कार्य मतदान केंद्र का मतदान का कार्य पूरा करना है। अधिकारी अधिकारियों के पद पर उपस्थित अधिकारी हो रखे जाते हैं पर नीचे के स्तर के कर्मचारियों को भी रखा जा सकता है। मत-पत्रों को छपाने आदि के लिए कुछ सहायक निर्वाचन अधिकारियों की एक लिफ्ट, चैकर, नम्बरमैन, पर्यवेदन, सहायक कर्मचारियों आदि भी रखे जाते हैं। चुनाव कार्य के पर्यवेदन के लिए कुछ पर्यवेदकों को भी नियुक्त किया जाता है। कानून और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कुछ मजिस्ट्रेटों की विशेष नियुक्ति की जाती है।

स्थानीय सभाओं का निर्वाचन

स्थानीय सभाओं के निर्वाचन व्यवस्था आदि का उदाहरणित राज्य सरकार का है, अतः इनके निर्वाचन प्रणाली का दायित्व राज्य सरकारों पर है। इनके राज्य के निर्वाचन विभाग को दो शाखाओं में विभक्त किया जाता है—प्रथम व्यवस्था-सभाओं के लिए और द्वितीय स्थानीय सभाओं के लिए। व्यवहार में दोनों शाखाओं का सम्पर्क स्थानित कर दिया जाता है। जिला स्तर पर भी निर्वाचन कर्मचाल में ये दोनों शाखाएँ होती हैं, तदर्थ वे निकट सहायता में कार्य करती हैं। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही सरकार के निर्वाचन विभाग का निदेशक होता है और स्थानीय सभाओं के निर्वाचन कार्य उसी के अधीन होते हैं। स्थानीय सभाओं के लिए चुनाव अधिकारियों तथा निर्वाचन पर्यवेदन अधिकारियों बिनापारा होता है।

निर्वाचन आयोग की अल्पोचना

निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित आधारे पर आलोचना की जाती है—

(1) एकल सदस्यीय निर्वाचन अधुक्त की व्यवस्था दोषपूर्ण है। वह मुख्य निर्वाचन अधुक्त को अल्पधिकार शक्तिशाली बनाती है जिससे वह अमान्यत व्यवहार भी कर सकता है।

(2) बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की अपनी समस्या है। मुख्य निर्वाचन अधुक्त तथा अन्य निर्वाचन अधुक्तों के बीच क्षेत्रधिकार और शक्तियों को लेकर भी अनुरित विवाद खड़े हो सकते हैं। इससे निर्वाचन आयोग की प्रविष्टि को नुकसान पहुँचता है। अतः मुख्य निर्वाचन अधुक्त तथा अन्य अधुक्तों के बीच अपनी विश्वास और सम्बन्ध न होने की भी समस्या बनी रहती है।

(3) निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन सम्पन्न करने के लिए स्वयं की महारतों या प्रशमन-कर नहीं है। अतः उसे इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे भी निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव सम्पन्न करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेक बार केंद्र तथा राज्य सरकारें निर्वाचन आयोग के प्रति अमान्यता का व्यवहार करती हैं।

(4) निर्वाचन आयोग की कार्य-शैली भी आता-पना का विषय है। विपक्षी दलों की यह शिकायत रहती है कि निर्वाचन आयोग की कार्य-शैली से सत्ताह्व दल को अनुचित लाभ पहुँचता है। दूसरी ओर, सत्ताह्व दल भी निर्वाचन आयोग की कार्य-शैली से असन्तुष्ट रहता है। अतः निर्वाचन आयोग को इस दुविधा का समाधान करना पड़ता है।

(5) निर्वाचन आयोग के देश में निर्वाचनों की स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने की सहायता है। उसके सामने जाली मतदाता को रोकने, हिंसक घटनाओं को रोकने, कालेधन का बढ़ता विस्तार, मतदान केन्द्रों पर जबरन कब्जा करने की घटनाएँ, मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सभ और राज्यों में निर्वाचन तंत्र को स्वतन्त्र और निष्पक्ष बनाये रखने जैसी समस्याएँ आती हैं जो निर्वाचन आयोग के सम्मुख अनेकानेक चुनौतियाँ उपस्थित कर रही हैं।

(6) मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सब व्यवस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान नहीं है। उसके लिए यह व्यवस्था नहीं है कि वह जज की तरह एक निश्चित ठप्प तक अपने पद पर बना रहेगा। उसकी नियुक्ति केवल दो तीन वर्ष के लिए भी हो सकती है अतः इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नियुक्ति होने की आशा में वह सत्ताह्व साक्षात् और दल का पक्षपात करे। सरकार को खुश करने पर उसे यह आशा रहती है कि रिटायर होने के बाद वह दूसरे अध्ये पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस बात की भी सम्भावना रहती है कि मंत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति किसी दलीय नेता को चुनाव आयुक्त बना दे।

निर्वाचन आयोग की सहायत बनाने की दिशा में कतिपय सुझाव

निर्वाचन आयोग को सहायत बनाने की दिशा में निम्नलिखित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं—

(1) निर्वाचन आयोग को शासन से पूरी तरह से स्वतन्त्र बनाया जाए तथा उसे अपना स्वतन्त्र कार्यवाही वर्ग दिया जाए ताकि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यकारी वर्ग पर आयोग की निर्भरता न रहे।

(2) निर्वाचन आयोग को शक्ति-सम्पन्न बनाया जाए और आयोग में कुछ स्वतन्त्र निरीक्षक रखे जाएँ जो निर्वाचन के समय आबासिक छपा मारकर अनियमितताओं का पता लगा सकें।

(3) निर्वाचन आयोग को वांछित शक्तियाँ दी जानी चाहिए जिससे कि वह स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन सम्पादित कर सके तथा अनियमितताओं को रोक सके।

भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक

(Comptroller and Auditor General of India)

लोकहित पर नियन्त्रण के लिए विभागीय व्यय के लेखों का परीक्षण कार्यपालिका के स्वतन्त्र निकाय द्वारा किया जाता है। भारत में यह कार्य नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया गया है। यहाँ लेखा-परीक्षण विभाग की रचना 1753 में हो चुकी थी, किन्तु स्वतन्त्र निकाय के रूप में इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत की गई। सन् 1935 के अधिनियम द्वारा उसका स्तर बढ़ा दिया गया। सन् 1947 के स्वतन्त्र अधिनियम में उसको शक्तियाँ सौंपी गईं। जब देशी रियासतें भी भारत सभ में शामिल हो गईं तो लेखा-परीक्षा के क्षेत्र में सारा देश आ गया। सन् 1950 के नए संविधान में महालेखा परीक्षक के पद का नाम बदल कर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए. जी.) कर दिया गया। उसे सर्वोच्च न्यायाधीशों की भाँति एक सर्वैधानिक अधिकारी का पद दिया गया।

नियुक्ति एवं सेवा शर्तें (Appointment and Conditions of Service)—सी. एण्ड ए. जी. की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा युक्त अधिवक्त्र द्वारा करता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की भाँति अपने कार्य की शपथ लेता है। इसका वेतन तथा सेवा की शर्तें संसदीय कानून द्वारा निश्चित की जाती थी किन्तु जब तक ऐसा न हो तब तक ये संविधान की द्वितीय अनुसूची के अनुसार रहेंगी। इसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सन् 1953 में संसद ने इसके कार्यकाल तथा पेंशन सम्बन्धी अधिकारों का नियमित करने के लिए व्यवस्थापन किया और अन्ना शर्तों को पूर्ववत् करने दिया।

वर्तमान में इसका कार्यकाल छ वर्ष का है। इस पद पर ठग का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितना वेतन पाता है उतरी सेवा-नियुक्ति की विशेष दर का इकरार होता है। यह पद से हटने के बाद सभ या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता। इसके कार्यकाल का प्रशासनिक व्यवहार की शक्ति निधि से दिया जाता है। उसके वेतन, भत्ते पेंशन आदि पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में संसद मतदान नहीं कर सकती। संविधान द्वारा इसकी सेवा-शर्तें कर्तव्य एवं अधिकार उरी प्रकार से स्पष्ट करने का कार्य संसद को दिया गया है। संसद ने उसके कार्यों की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित नहीं की है फलतः इसके अधिकार तथा पद सम्बन्धी अस्पष्ट स्थिति कई बार सन्देह उत्पन्न कर देती है।

लिए गठन करेंगे। यह आयोग एक अध्यक्ष और छह सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा यात्रा और सत्यानन्द व्यक्तियों में से चयन किया जाएगा, पानु अध्यक्ष को मिलाकर पाँच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का पद एक वर्ष का होगा। यह पद प्रथम कक्षा है तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य केंद्रीय सरकार को सम्बोधित अपन हस्ताक्षर सहित सचिव द्वारा या राज्य सरकारों से सम्बोधित अपन हस्ताक्षर सहित सचिव द्वारा किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से विराम देना या उसे देना यदि वह व्यक्ति—

- (क) दिवंगत हो जाता है
- (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार को शक में नैतिकता अथवा अन्यायिता है उसे पकड़ और बन्धनवास से दण्डित किया जा रहा है
- (ग) विराम देने पर किसी सक्षम न्यायपालिका द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है
- (घ) कार्य करने में असमर्थ अथवा इनकार करने
- (ङ) स्वीकृति के बिना लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है
- (च) केंद्रीय सरकार को शक में अध्यक्ष या सदस्य के पद का दुरुपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या सार्वजनिक के लिए हानिकारक हो गया है।

पानु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस मामले में सुनावाई का अधिकार नहीं दे दिया जाता है।

(4) उपधारा (2) के अधीन होने वाली रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य विवरण और शर्तें वे होंगी जो राज्य की जाएँ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी—(1) केंद्रीय सरकार आयोग के लिए एक सचिव और तीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्था करेगी जिनसे इस अधिनियम के अधीन आयोग के कर्मचारियों का सम्पूर्ण फलन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य विवरण और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएँ।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना—(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनियम सचिव द्वारा या नियमित सचिव द्वारा प्रामाणिक आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिए जाएँगे।

आयोग के कृत्य—(1) आयोग निम्नलिखित मामलों पर शिष्टाचार करने का पालन करेगा—

- (क) राज्य और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विचारों का मूल्यांकन करण।
- (ख) संविधान में संसद तथा राज्य विधान-मण्डलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपस्थित रक्षाधर्मों के कार्य को करना,
- (ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सिफारिश करना,
- (घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,
- (ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उनका दूर करने के लिए सिफारिश करना,
- (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण करना,
- (छ) किसी अल्पसंख्यक के सम्बन्ध में ऐसे समुचित सुझाव देना जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने चाहिए,

(क) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी विषय पर और विशिष्टता उनके सामने आने वाली बर्तनस्थितियों पर, केंद्रीय सरकार को विशेष रिपोर्ट देना और

(ख) कोई अन्य विषय जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस निर्दिष्ट किया जाए।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक प्रश्न के साथ रखवाएगी जिसमें सभ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और किसी ऐसी सिफारिशों का, यदि कोई हो, स्वीकार न किया जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सिफारिश या उसके कोई भाग, किसी राज्य सरकार से सम्बन्धित है वहाँ आयोग ऐसी सिफारिश या उसके भाग को एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष एक प्रश्न के साथ रखवाएगी जिसमें राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और किसी ऐसी सिफारिशों या उनके भाग को, यदि कोई हो, स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।

(4) आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (क), (ख) और (घ) में वर्णित कार्यों में से किसी का पालन करते समय और विचित्रता निम्नलिखित विषयों की वास्तु, किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ हानी नहो—

(क) भारत क किसी भी भाग से व्यक्तियों को समन भेजना और हजरि करना तथा शपथ पर उसको पेश करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकट और पेश करने का अपेक्षा करना,

(ग) शपथपत्रों पर मध्य गड़ना करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी मोड़ अधिलेख या ठमके प्रतिनिधि की अपेक्षा करना,

(ङ) सशस्त्रों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना और

(च) कोई अन्य विषय जो निर्दिष्ट किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग

(National Commission for Women)

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन—(1) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से नियुक्त का गठन करेगी जो 1990 के अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो,

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से पाँच सदस्य जिन्हें विधि, व्यवसाय तथा आन्दोलन महिलाओं के निर्देजन की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबन्ध स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अन्तर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं) प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव।

परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा एक सदस्य-सचिव जो—

(i) प्रबन्ध, संगठनात्मक सचयता या सामाजिक आन्दोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, या

(ii) ऐसा अधिकारी जो सच की सिविल सेवा का या अधिन भारतीय सेवा का सदस्य है अपना सभ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।

अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि और सेवा की शर्तें—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य (ऐसे सदस्य-सचिव से भिन्न जो सभ की सिविल सेवा का या अधिन भारतीय सेवा का सदस्य है अपना सभ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है) केंद्रीय सरकार को सम्बोधित लेख द्वारा किसी भी समय यथासंमति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

(क) दिवानिया हो जाता है,

- (छ) किसी अपराध के लिए सिद्धोप उरराया और कारावास से दण्डादि किया गया हो तथा जिसमें केन्द्रीय सरकार के अनुसार नैतिक क्षमता अनार्यस्त हो,
- (ग) विकृतचिन्तन का हो जाता है और न्यायानुष की ऐसी घोषणा जितमन है,
- (घ) कार्य करने में असमर्थ इन्कार करना
- (ङ) स्वीकृति लिए बिना आपोग के लगाता तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहना
- (च) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुर्हपयान किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोकाहित के लिए अनितकर है

परन्तु इस खण्ड के अधीन विरुद्ध व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति या इस विषय मुद्दाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन होने वाली रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को धनन एवं भत्ते और उनकी सेवा के अन्य नियमन और शर्तों वे होंगे जो विहित की जाएँ।

अध्याय के अधिकारों और अन्य कर्मचारियों—(1) केन्द्रीय सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य नियमन और शर्तों वे होंगी जो विहित की जाएँ।

आयोग के कृत्य—(1) आयोग निम्नलिखित सभी या कहीं कृत्यों का पालन करेगा अर्थात्—

- (क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबन्धित रक्षाकार्यों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना,
- (ख) उन रक्षाकार्यों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना,
- (ग) महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षाकार्यों के लिए सिफारिशें करना,
- (घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विचार करना और उनके सशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कर्म अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके,
- (ङ) संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के महिलाओं से सम्बन्धित अतिव्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,
- (च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर शिक्षावृत्तों का जांच करना और स्वदेखना से ध्यान देना—
 - (i) महिलाओं के अधिकारों का बचन,
 - (ii) महिलाओं को सरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का क्रियाव्यवहार,
 - (iii) महिलाओं को कठिनाइयों को दूर करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुसूचित उपबन्धन करने के नीतिगत, मार्गदर्शक सिद्धान्तों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों का समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना,
- (छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से सम्बन्धित समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन करना या करना और भाषाओं का पता लगाना जिससे उनको दूर करने की योजनाओं की सिफारिश की जा सके,
- (ज) सर्वजन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में विघ्न डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और नुनियारी सेवाओं की प्राप्ति में आने वाली उबाउपन और उपजोबिका स्वास्थ्य परिसंकटों को दूर करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता,
- (झ) महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना में भाग लेना और सलाह देना
- (ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास का मूल्यांकन करना,

- (2) किसी जेल, मुफार गृह महिलाओं को सख्खा या अधिरा के अन्य स्थान वहाँ महिलाओं को यन्त्रों के रूप में रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और औपचारिक कार्यवाही के लिए यदि आवश्यक हो सम्बन्धित प्रधिकारियों से बातचीत करना,
- (2) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध करना,
- (2) महिलाओं में सम्बन्धित किमो बात के और विशिष्ट तथा उन विभिन्न परिस्थितियों के बारे में किमो अपील महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना,
- (2) कोई अन्य विषय जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को सात ७ प्रत्येक सदन के समय रखी जाएगी और उसके साथ साथ से सम्बन्धित सिफारिशों पर भी गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अन्वीकृत की गई हैं तो आवेदनपत्र के कारणों को स्पष्ट करने काया प्रयास भी होगा।

(3) जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या टिप्पणी कोई पाग किमो ऐसे विषय में सम्बन्धित है जिसका किमो राज्य सरकार से सम्बन्ध है वहाँ आयोग ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग को एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजगा जो उसे राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखनी होगी और उसके साथ राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर भी गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अन्वीकृत की गई हैं तो अन्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला होगा।

(4) आयोग की उपधारा (1) के खण्ड (क) (घ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विनिश्चया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियाँ होंगी जो बन्ध का विचारण करने वाले निम्नलिखित शक्तियों को हैं, अर्थात्—

- (क) भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन भेजना और हाजिर कराना तथा राज्य पर उसकी परीक्षा करना,
- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करना,
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अधिनेत्र या उसके प्रतिनिधि को अर्कन करना,
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों को परीक्षा के लिए कर्माहल निकालना और
- (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

पिछड़ा वर्ग आयोग

(Backward Class Commission)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 340(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति तथा उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में अनुसंधान के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की शक्ति है। आयोग इन वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के लिए या इसके लिए दिए जाने वाले अनुदान या अनुदान की शर्तों आदि के बारे में सच या राज्य सरकारों को अपनी सिफारिश भेजेगा।

आयोग दिए गए विषयों का अनुसंधान करेगा और उसकी रिपोर्टें राष्ट्रपति को भेजेगा तथा उसमें पाये गए तथ्यों का समावेश करेगा और ऐसी सिफारिशें करेगा जिसे आयोग उचित समझे। राष्ट्रपति आयोग द्वारा दिए गए सिफारिशों को उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं मंजूर करके प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा। आयोग के प्रतिवेदन भ्रम होने व परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा पिछड़े वर्गों को उन्निश्चित करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति आदिम जनजातों के लिए नियुक्त विशेष पदाधिकारों पिछड़े वर्गों के लिए भी कार्य करेगा।

संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक दो आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। एक 1953 में बरक काबेलकर की अध्यक्षता में और दूसरा 1978 में बी. पी. मन्डल की अध्यक्षता में। पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में निम्न समझ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 पारित किया जिसके अधीन आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1993 में की गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(National Human Rights Commission)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत केंद्र की सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं।

आयोग के कार्य—राज्य गण। संधिका आयाग भई निर्या की गरा 12 में आयाग १ कामों का उत्तर । कि १
 भया है । व इय प्रकर है -

1. गान्धिकारों का उत्तरदायित्व दिया गया हो या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उत्तरदायन में विवरण में सापत्तारी
 पत्ती गई हो ता उस पोटिडि व्यवहार की विवरण अगला व्यवस्था से जीव करण ।
2. मानवधिकारों के उत्तरदायन से सांधिका किसी न्यायालय में स्थिता सामान में १९१५ करता ।
3. १९१५ सरकार को सुनिा करे हुए राज्य सरकार के विवरणधो। कितो ऐसी जेम अथवा संस्था वा विविधान
 करण विधानों व्यक्तियों को विविदा। सुधार अपना कारण में प्रयोजनार्थ विरुद्ध किया जाता है ।
4. संविधान अथवा अन्य किसी विधि के गनसंधिकारों के संरक्षण के लिए प्राविधान रसोपायों को समाप्त
 करना एवं उनकी प्रभावी क्रियान्विति के सुझाव देता ।
5. मानवधिकारों के उपयोग को अवरुद्ध करने वाले आधिकारी बानों की संरक्षा करता तथा उनके उपचार
 क सुझाव देता ।
6. मानवधिकार से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करता तथा उसी प्रभावी क्रियान्विति के लिए
 सुझाव देता ।
7. मानवधिकारों के क्षेत्र में शोध करता एवं शोध कार्य को प्रोत्साहन देता ।
८. समाज के विभिन्न वर्गों को मानवधिकारों से अवगत करता ।
9. मानवधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता ।
10. मानवधिकारों को प्रोत्साहित के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाता ।

राजनीतिक दल व्यवस्था एवं दबाव समूह (Political Party System & Pressure Groups)

लोकतन्त्र के लिए राजनीतिक दल अर्थरह्य है।¹ वर्तमान में देश के आधारभूत लोकतांत्रिक ढाँचे के राजनीतिक दल महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। दल-प्रणाली के बिना लोकतन्त्रात्मक शासन का कार्य ही नहीं चल सकता अतः दलों का महत्व सर्वविदित है।

दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार (Ideology and Social Basis of Parties)

समस्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की विशिष्ट भूमिका है। भारत एक बहु-दलीय व्यवस्था वाला देश है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय स्तर के तथा अनेक क्षेत्रीय और पञ्जीकृत दलों का अस्तित्व है। देश की राजनीतिक व्यवस्था व मंचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वतन्त्र भारत में राजनीतिक दलों का विकास

(Development of Political Parties in Independent India)

देश में राष्ट्रीय स्तर के दो दल थे—भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा मजदूरवादी दल। काँग्रेस ने राष्ट्रीय पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। यथार्थ में काँग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में दल नहीं एक मय था जबकि साम्यवादी दल का संमित रूप में प्रभाव था। इनके अतिरिक्त दक्षिण में द्रविड़ कड़गम तथा उत्तर में हिन्दू महासभा जैसे दल विद्यमान थे। स्वतन्त्रता के बाद राजनीतिक दलों का विकास आरम्भ हुआ। सन् 1948 में रामजय परिषद की स्थापना हुई। 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उदय हुआ जो द्रविड़ कड़गम से पुनर्द् रूप कुछ व्यक्तियों द्वारा गठित किया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने भारतीय समाजवादी दल की और आचार्य कृष्णानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1951 में डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की।

1952 में भारतीय समाजवादी दल तथा किसान मजदूर पार्टी के विलय के फलस्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (प्रतोप) का जन्म हुआ। 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रेरणा से स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्व में आई। 1967 के चुनावों से पूर्व काँग्रेस से विद्रोह करके अनेक काँग्रेसियों ने क्षेत्रीय दलों की स्थापना की। इनमें जन काँग्रेस, बंगला काँग्रेस, प्रमुख थे। इन असंतुष्ट काँग्रेसियों ने काँग्रेस को पराजित करने की दृष्टि से विपक्षी दलों के साथ चुनावी गठबन्धन किये जिससे देश में काँग्रेस विरोधी बालाचरण बना।

1969 में काँग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ—नई काँग्रेस (श्रीमती गाँधी के नेतृत्व वाली काँग्रेस) एवं सगठन काँग्रेस (जिस पुरानी काँग्रेस कहल जाता था और बिमका नेतृत्व निजलिगप्पा बामराज, मोरारजी देसाई आदि के हाथों में था)। 1971 में श्रीमती गाँधी को पराजित करने के लिए स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और सगठन काँग्रेस ने 'महापटवन्धन' का निर्माण किया, लेकिन इन दलों को पराजय का सामना करना पड़ा। नई काँग्रेस को लोकप्रियता में दो-विहाई स्थान प्राप्त हुए। 1972 में सोशलिस्ट पार्टी एवं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पुनर् मिला गई, फलस्वरूप सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के नाम से नया दल अस्तित्व में आया। कुछ समय परन्तु इसमें भी फूट पड़ गई और सगठन काँग्रेस और उनके समर्थकों ने 31 दिसम्बर 1972 को लखनऊ में संपुष्ट सोशलिस्ट पार्टी (सगठन) को पुनर्जीवित किया तथा

1 Byer "Parties are inevitable. No free country has been without them. No one has shown how representative government could be worked without them."

एए एन गठन इन्फे अघ्यत बरे। बनमर से निष्कासित होने के बाद वरिष्ठ नेता बलराज मधोकर ने अर्धद 1973 में राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गमक नए दल का निर्माण किया। वरिष्ठ विभाजन के बाद अगस्त 1974 में 'भारतीय लोकदल' का उदय हुआ जिसमें भारतीय वरिष्ठ दल के अलावा स्वतंत्र पार्टी (पिन्नु मोदी गुट), उच्छल वॉरिस (बीजू पटनायक) किर्सान मजदूर पार्टी (चौधरी), समुद्रन सोशलिस्ट पार्टी (राजारायण) और पत्राव खेतवाड़ी जमोदारी वृत्तियन त्याग महोदारी) जैसे दल मिल गए। चौधरी वरिष्ठ इस दल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

अप्राप्त्यत में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा मार्च में चुनाव करवाने की घोषणा के दूसरे दिन चार गैर-साम्यवादी दल (संगठन वॉरिस, जनता, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल) ने 'जनता पार्टी' के नाम से नया दल बना। इस नए संगठित दल में विद्रोही वीरभद्र शक्तिन होने लगे। 2 फरवरी, 1977 को भारतीय राजकीय में उस समय एड नए वरिष्ठन हुआ जब जयशंकरप्रसाद ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल और वरिष्ठ से त्यागपत्र देकर 'लोकतान्त्रिक वॉरिस' नाम से नए दल की घोषणा की तथा इसके दूसरे प्रमुख सदस्य देववती नन्दन बहुगुणा थे। लोकतान्त्रिक वॉरिस ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। मार्च 1977 के चुनावों में भाजपाओं ने श्रीमती गांधी और उनके दल की बुझे तह में पराजित करते हुए जनता पार्टी का सत्कार होने का अवसर दिया। मई, 1977 में जनता पार्टी में शामिल होने वाले ने अपना विधिवत विनय कर लिया और चुनाव आयोग ने मन्थना देते हुए पार्टी के लिए 'चक्र-हस्ताक्षर' चुनाव-चिह्न प्रदान कर दिया।

जुलाई, 1979 में जनता पार्टी में विभाजन हुआ। राजनारायण की अध्यक्षता में जनता (सिन्धुल) नामक एक नए दल का गठन हुआ और 15 जुलाई को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया। 26 सितम्बर, 1979 को जनता (एम) अर्थात् सिन्धुल, सोशलिस्ट पार्टी तथा उड़ीसा की जनता पार्टी को मिलाकर दिल्ली में एक नई पार्टी लोकदल की घोषणा की। प्रधानमंत्री चरणसिंह लोकदल के प्रथम अध्यक्ष और जनता (एम) के अध्यक्ष राजनारायण उसके कार्यवाही अध्यक्ष चुन गये। वॉरिस पार्टी अविभाजित नहीं रह सकी। इन्दिरा गांधी के समर्थकों और विरोधियों के बीच सत्ता-संघर्ष के कारण 2 जनवरी, 1978 को वॉरिस का पुनः विभाजन हुआ और दो वॉरिस अखिल में अर्ध-इन्दिरा वॉरिस एवं प्रधान-रेड्डी की अध्यक्षता वाली वॉरिस। श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाली वॉरिस का प्रथम बंटना गया। मई 1980 के लोकतान्त्रिक चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में वॉरिस (१) को दो-तिहाई स्थान प्राप्त हुए और वह पुनः प्रधानमंत्री बनीं।

जनवरी, 1980 के आम चुनावों के बाद विपक्षी दलों में विघटन की प्रक्रिया चलती रही। जनता पार्टी के विभिन्न धरतें दल से अलग हो गए और उन्होंने अपना पृष्ठ अस्तित्व कायम कर लिया। फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी और जयशंकरप्रसाद के नेतृत्व में वॉरिस (२) नाम से नए दल अस्तित्व में आए। 1984 के लोकसभा के चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में वॉरिस (१) ने लोकसभा में 401 स्थान प्राप्त करके सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों—विशेषकर गैर साम्यवादी दलों का अन्त हो गया। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि तेलगूदेश में जैसा क्षेत्रीय दल लोकसभा में दूसरे बड़े दल के रूप में उभरा।

1987 के बाद वॉरिस (१) का सरासरी बिकल्प खड़ा करने के उद्देश्य से चौधरी देवीलाल ने गैर साम्यवादी विपक्ष को संगठित करने के प्रयास किये। इसका परिणाम था—जनता पार्टी में लोकदल (अ) और श्रीमती मेनका गांधी के नेतृत्व वाले 'राष्ट्रीय सत्य विचार मन्च' का विलय। इसी बीच विश्वनाथ प्रतापसिंह के समर्थकों ने वॉरिस (१) छोड़कर 'जन मोर्चे' की स्थापना की। चौधरी देवीलाल के प्रयत्नों से वॉरिस (१) विरोधी दलों के एकीकरण की दिशा में प्रयास चलते रहे। उनके प्रयासों का परिणाम था कि जनता पार्टी, लोकदल (ब), जनमोर्चा और वॉरिस (एम) का विलय हुआ तथा 'जनता दल' नाम से नये दल का गठन। विश्वनाथ प्रतापसिंह को जनता दल का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जनता दल का अध्यक्ष महत्वपूर्ण घटना थी। 1989 के लोकसभा के चुनाव में इस दल के अध्यक्ष दल में वॉरिस (१) के समुल्ल चुनाई उपस्थित की। इन गैर साम्यवादी विपक्षी दलों ने 17 सितम्बर, 1988 को मद्रास में राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। तेलगूदेश के नेता और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन टी रामय्यर को 'मोर्चे' का अध्यक्ष तथा विश्वनाथ प्रतापसिंह को सयोजक बनाया गया। मोर्चे में शामिल प्रमुख दल थे—जनता दल, प्रमुक, असम गण परिषद, तेलगूदेश और वॉरिस (एम)। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय मोर्चे' की सरकार सत्कार हुई। 1990 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण इसका पतन हो गया।

नवम्बर 1990 में केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पतन के बाद जनता दल का विभाजन हो गया। देवीलाल और चन्द्रशेखर के समर्थकों ने जनता दल में अलग होकर जनता दल (समाजवादी) की स्थापना की। वॉरिस (१) ने चन्द्रशेखर की सरकार बनाने में सहायता दी परन्तु मार्च, 1991 में वॉरिस (१) द्वारा इस सरकार से समर्थन वापस लेने

के कारण उसका पतन हो गया। 1991 के लोकसभा चुनावों में जनता दल (भाजवर्दी) को पञ्जब का सामना करना पड़ा। इसके बाद दल को शक्ति नगण्य रह गई। जनता दल (बोम्बई) को शक्ति पटवरी गई। अजीतसिंह के नेतृत्व में अनेक सामनों ने जनता दल छोड़कर जनता दल (अ) का गठन किया। नवम्बर, 1992 के राज्य विधानसभा चुनावों से पूर्व जनता दल के पूर्व सदस्यों—जनता दल मण्डली चन्द्रशेखर के समर्थकों, अजीतसिंह के नेतृत्व वाले जनता दल तथा जनता दल (बोम्बई) ने एकत्रित जनता दल के पुनर्निर्माण करने का निर्णय किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजीतसिंह के समर्थकों के परभाव जनता दल (बोम्बई) के नेताओं और अजीतसिंह के समर्थकों के मध्य मतभेद बढ़ गये। अजीतसिंह ने पुनः जनता दल (अ) को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके बाद दिसम्बर, 1993 को अजीतसिंह ने समर्थकों सहित कांग्रेस (४) में शामिल होने का निर्णय लेकर सक्के छोड़ा कर दिया। इससे जनता दल (अ) का वास्तविक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 1996 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस (४) को पञ्जब का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में ठहर कर सामने आई। राष्ट्रीय मोर्चे और वामपंथी मोर्चे और कतिपय क्षेत्रीय दलों को मिलकर 'दोसरे मोर्चे' का गठन किया गया। बाद में 'वीरप्रे मोर्चे' को 'सयुक्त मोर्चे' का नाम दिया गया।

1985 के बाद क्षेत्रीय दल ठहर कर सामने आये हैं। उनमें बंशीराम के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में मुलायमसिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, असम गण परिषद अखिली दल (लोगोवाल), अखिली दल (धानू नरबहादुर सिंह घण्टारी के नेतृत्व में) सिक्किम सभाग परिषद तथा मिजोरम में तालिंगों के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट भी शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के रूप में ठहर कर सामने आये हैं। 1994 के चुनाव में मद्रास में शिवसेना ने भाजपा से गठबन्धन कर सत्ता पर कब्जा हो गई। 1994 में आन्ध्रप्रदेश में एन टी रामराव के नेतृत्व में तेलगुदेशम को वीरिहार्थ समर्थन प्राप्त हुआ। रामराव पुनः राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वे अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सके। उनके दामाद चन्द्रबाबु नायडू के नेतृत्व में तेलगुदेशम के अनेक विधायकों ने उनके विरुद्ध विरोध कर दिया। इस पर रामराव को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। चन्द्रबाबु नायडू राज्य के नये मुख्यमंत्री बने। तेलगुदेशम को (नायडू गुट) की सत्ता दी गई। इसके रामराव को सभी घटक लगा और कुछ ही समय बाद उनका देहावसान हो गया। उसके बाद रामराव की विधवा पत्नी लक्ष्मी पार्वती ने तेलगुदेशम (रामराव) का नेतृत्व किया, लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में तेलगुदेशम (नायडू गुट) को सफलता प्राप्त हुई और लक्ष्मी पार्वती गुट का पूरी तरह से सङ्घना हो गया। केन्द्र में एच. डी. देवेगौडा का प्रधानमंत्री बनवाने में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबु नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तमिलनाडु कांग्रेस (१) का इन्दिरा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस (१) अध्यक्ष नरसिम्हायन द्वारा अन्ना द्रमुक के साथ चुनावी गठबन्धन करने के निर्णय से पुनः होकर विद्रोह कर दिया। श्री के. मुन्नायन तथा पी. रिदम्बाम के नेतृत्व में एक नया क्षेत्रीय दल 'तमिल मनीला कांग्रेस' का गठन किया। इस दल ने एम. करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक के साथ चुनाव गठबन्धन करके सफलता अर्जित की। द्रमुक तथा 'तमिल मनीला कांग्रेस' को केन्द्र में सयुक्त मोर्चे की सरकार को प्रतिष्ठित करने में भूमिका रही। पञ्जाब में अखिली दल (बादल) एक शक्तिशाली राजनीतिक दल बनकर उभरा। हरियाणा में चौधरी बशीराला की 'हरियाणा विकास पार्टी' एक प्रभावशाली क्षेत्रीय दल के रूप में उभरी। जर्जर फार्मिडस के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को अखिली सफलता प्राप्त हुई। इनके अतिरिक्त फारवर्ड ब्लाक, आरएसएम, केएल, असम गण परिषद, मुस्लिम लीग, नाग नेशनल काँग्रेस (नागलैण्ड), मिजो नेशनल फ्रंट (मिजोरम), अन्ना पीपुल्स हिल लीडर्स कॉन्ग्रेस (मिघालय) तथा सिक्किम गण परिषद (सिक्किम) आदि प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं।

भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का विश्लेषण विभिन्न क्रमों में विभाजित करके निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है—

मार्च, 1977 के पूर्व तक दलीय व्यवस्था

मार्च, 1977 को एक विभ्रान्तरेखा माना जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के 30 वर्षों के बाद पहली बार केन्द्र में गैर कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई। भारतीय देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का सत्ता में आना एक घटना थी। 1952 से मार्च, 1977 के पूर्व की दलीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ दृश्य हैं—

1. भारत में बहुदलीय व्यवस्था चलती रही और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर 80 से ऊपर राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहे।

2. बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद एकदलीय प्रभुत्व वाली दलीय व्यवस्था कार्य करती रही। कतिपय राज्यों में 1967 से 1970 तक के समय को छोड़कर एकमात्र कांग्रेस दल ही सत्ता में बनी रही।

3. 1967 के आम चुनाव ने जो स्थिति उत्पन्न की वह बहुदलीय व्यवस्था का परिणाम है—कॉंग्रेस दलों ने गठबन्धन किये। चेन्नई (तमिलनाडु) केरल और उड़ीसा में चुनावों से पूर्व गठ इन राज्यों में गैर कॉंग्रेस सरकारें सत्तारूढ़ हुईं। पंजाब, बिहार और पश्चिमी बंगाल में कॉंग्रेस को रोक्ने के लिए गैर कॉंग्रेसी दलों ने समुक्त मोर्चे गठित किये। इन्में शामिल दलों की विचारधारा में भिन्नता थी। एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकारें गठित की गईं। वैचारिक विभिन्नता, सत्ता के लिए राजनीतिक दलों के दृढ़ और विपरीत दलों के रूप में कॉंग्रेस की इन सरकारों को अपदरय करने की भूमिका के कारण इन सरकारों का पतन हुआ। अनेक राज्यों में मध्यवर्धि चुनाव हुए और कॉंग्रेस पुनः सत्तारूढ़ हुई। इस संविद राजनीति ने भारतीय दलीय व्यवस्था की कमजोरियों और अशक्तताओं को ही दर्शाया।

4 एकदलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था होने के बावजूद कॉंग्रेस की संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक संरक्षण और परम्पराओं में आस्था और विश्वास बना रहा। उसकी इस कार्य-शैली से भारत में राष्ट्रीय लोकतन्त्र को शक्ति और स्वायत्त प्राप्त हुआ। यह एक सञ्चरतमक योगदान माना जा सकता है।

5 सत्तारूढ़ दल में अन्तःदलीय गुटीय प्रतिवोगिता बनी रही। 'विशुद्ध या असन्तुष्ट गुट' राज्यों में मुख्यमन्त्रियों के विरुद्ध अभियान चलाते रहे। सन् 1967 के आम चुनावों के पूर्व असन्तुष्ट कॉंग्रेसियों ने दल से पृथक् हंकर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गठन करते हुए निपक्षी दलों के साथ गठबन्धन किये। सत्तारूढ़ कॉंग्रेस के अलावा गैर-साम्यवादी विपक्षी दलों में गुटबन्धित और आन्तरिक छोपला की स्थिति बनी रही। साम्यवादी दल का भारतीय साम्यवादी और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के रूप में विभाजन होने के कारण इसकी शक्ति में हास हुआ तथा कॉंग्रेस के भी सगठनात्मक पक्ष में उत्तरोत्तर शिथिलता आती रही।

6. 26 जून 1975 को देश में आन्तरिक आपातकाल की घोषणा की गई। इस निर्णय ने देश में प्रतिस्पर्धी दलीय व्यवस्था का अन्त कर दिया। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाये जेलों में डाल दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगाने के कारण सत्तारूढ़ दल की कार्यवाही से विपक्षी दलों के नेताओं के भाषणों के अन्त अर्थों का प्रकाशन संभव नहीं हो पाता था, जिनमें सत्तारूढ़ दल की आलोचना की जाती थी। विपक्षी दलों के कार्यकर्तों पर छापे मारे गये। गुजरत और तमिलनाडु की विपक्षी दलों की सरकारों को अपदरय किया गया। जून 1975 से जनवरी, 1977 तक यह स्थिति बनी रही। लोकतन्त्रा के चुनावों की घोषणा के बाद ही इस स्थिति का अन्त हुआ।

7. 1977 के आम चुनावों के पूर्व विपक्षी दलों का स्वरूप दयाव सफूर्तों जैसा था।

8 अनेक राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दलों के रूप में गठित रहे, यथा—अकाली दल, द्रविड मुनेत्र कडगम्, हिन्दू महासभा, मजदितस मुस्लिम, मुस्लिम लीग, परिगणित जाति सघ आदि।

9. अधिकांश राजनीतिक दलों में कार्यक्रम की अपेक्षा नेतृत्व को प्रमुखता दी जाती रही। इससे देश में राजनीतिक दलों की गतिविधियों व्यक्ति विशेषों पर केन्द्रित हो गईं।

10 एक ही दल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः अलग-अलग नीतियों का अनुसरण होता रहा अर्थात् दल में समरूप नीति न अपनाये की नीति प्रबल रही।

11. दल-बदल भारतीय राजनीति का अभिशाप बन गया। राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना।

12. लोकसभा और राज्य विधान-सभाओं में निर्दलीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक रही। निर्दलीय सदस्य अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाते रहे।

13. राजनीतिक दलों के विभाजन और धुवीकरण की प्रक्रिया चलती रही।

मार्च, 1977 से मितम्बर, 1979 तक दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

मार्च, 1977 के आम चुनावों में सभी विरोधी दलों ने पहली बार सत्तारूढ़ कॉंग्रेस के विरुद्ध मोर्चा जमाया और द्वि-दलीय व्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और कॉंग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। इन ऐतिहासिक चुनावों के बाद 1978 के मध्य भारतीय दलीय व्यवस्था का जो चित्र उभर कर सामने आया उसके विशिष्ट बिन्दुओं को निम्नवत् रखा जा सकता है—

1. भारतीय राजनीति में 30 वर्षों से कॉंग्रेस के एकछत्र प्रभुत्व का अन्त हो गया और जनता पार्टी का अन्तुदय हुआ।

2 पहली बार विपक्ष के रूप में कॉंग्रेस ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई।

3. मार्च, 1977 के चुनावों के बाद कॉंग्रेस के रूप में विरोधी दल के उदय की सम्भावना हो गई थी, किन्तु 2 जनवरी, 1978 को कॉंग्रेस के पुनर्विभाजन ने इस सम्भावना को धक्का पहुँचाया। इससे कॉंग्रेस की शक्ति कमजोर हो गई।

4 राजनीतिक धुवीकरण की दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये। 1977 में लोकसभा के चुनावों की घोषणा के बाद कुछ दलों का जनता पार्टी में विलय हुआ। 1979 में भारतीय लोकदल का गठन हुआ। 1977 राजनीतिक धुवीकरण का वर्ष रहा, वहीं 1978 में पुनः इस दिशा में अग्रगति के वर्ष रहे।

2. गैर-भाष्यवादी विपक्षी दल असंगठित और फूट का शिकार रहे।
3. जनता दल का गठन तथा 1990 के बाद इसका विघटन इस काल की प्रमुख घटना है।
4. गैर-भाष्यवादी विपक्षी दलों को 7 दलीय 'राष्ट्रीय मोर्चा' अस्तित्व में आया। इसके प्रमुख घटक रहे—जनता दल, लोकदल (ब) समाजवादी कमिश्नर जनमोर्चा, तेलगुदेशम, असम गण परिषद और द्रमुक।
5. क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। 1996 में 13 दलीय संयुक्त मोर्चे का सत्ता में आना क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और उत्कर्ष की परिणति रही है। आंध्र के पास पञ्जीकृत क्षेत्रीय दलों की संख्या 37 है। वर्तमान में भारत की राजनीति पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव इयाधित हो गया है।
6. मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व में घामपथी शक्तियाँ संगठित हुईं हैं। घामपथी मोर्चा, 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 के चुनाव में अपनी स्थिति को बनाये हुए रहा तथा पश्चिमी बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा को अपना प्रभाव-क्षेत्र बनाये रखने में सफल रहा। मई, 2004 में हुए चौदहवें लोकसभा के चुनावों में 'स मोर्चे' ने अपनी स्थिति में और भी सुधार किया।
7. भारतीय जनता पार्टी ने 'अकेला चलो' की नीति को अस्वीकृत कर गठबन्धन में स्वयं को शामिल किया। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में इसकी शक्ति में सुधार हुआ और सत्ता पर वाजिब हुई किन्तु मई 2004 के लोकसभा के चुनावों के बाद इसे सत्ता से हटाना पड़ा।

समग्र रूप से भारतीय दल प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ

1. बहुदलीय दल प्रणाली—स्वतंत्रता से वर्तमान तक भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली कार्य कर रही है। वर्तमान में छ सौ से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं।

2. भारत में संविद राजनीति के युग का श्रीगणेश—1996, 1998 तथा 1999 के लोकसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को न तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और न ही वे कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का युग समाप्त हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति राजनीति हो एकमात्र विकल्प दिखाई देता है।

3. राजनीतिक धुवीकरण का अभाव और विघटन की प्रक्रिया—भारत में राजनीतिक दलों के धुवीकरण के प्रयास तो हुए लेकिन ठन प्रयासों को दीर्घकाल तक स्थायी नहीं किया जा सका। 1977 में जनता पार्टी का गठन और उसमें विघटन 1988 में जनता दल का गठन और बिछराव के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों में धुवीकरण के स्थान पर विघटन की प्रवृत्ति है। वे 1977 के पश्चात् एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं और उसके बाहर संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। इन दलों में बिछराव की प्रवृत्ति नदी के बतार है। 1996 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए 'धर्मनिरपेक्ष दलों' ने एकजुट होकर सरकार गिरा दी। संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन इसी क्रम परिणाम रहा है, परन्तु इसे धर्म निरपेक्ष दलों का धुवीकरण नहीं माना जा सकता है। 1998 में भाजपा गठबन्धन की सरकार का पतन गठबन्धन सरकार के लिए एक सबक था। 1999 के निर्वाचन में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को सम्भाव्य रूप देने का प्रयास किया। मई, 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठ बन्धन ने कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई।

4. दल-बदल की प्रवृत्ति—दलीय-व्यवस्था लम्बे समय तक विकृत रही है। इसका लाभ सभी दलों ने उठाया है। यह केवल राज्यों तक सीमित थी, परन्तु अब यह केन्द्र को प्रभावित करने लगी है। केन्द्र में देनाई सरकार के पतन के लिए मुख्यतः दल-बदल ही उत्तरदायी रहा। दल-बदल को सीमित करने के लिए भारतीय संविधान का 32वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में 1973 में प्रस्तुत किया था परन्तु वह पारित नहीं हो सका। 1977 के लोकसभा के चुनावों में भी दल-बदल हुआ। राजीव सरकार ने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दल-बदल पर वैधानिक रोक लगाकर भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1985 के बाद नागालैण्ड, मणिपुर, हरियाणा में दलबदल की घटनाएँ घटित हुईं। 1991 में कमिश्नर (र) ने शिवसेना, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जनता दल और तेलगुदेशम को विभाजित करते हुए लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त किया था। 1995 में तेलगुदेशम का विभाजन हुआ। 1998 में भाजपा सरकार का पतन दल बदल की श्रेणी में आता है। सत्ता में दल-बदल या दल-विभाजन की प्रवृत्ति चलती रहेगी।

5. आन्तरिक गुटबन्दी—भारत की दल-प्रणाली में आन्तरिक गुटबन्दी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे-छोटे गुट हैं—वह एक गुट जो सत्ता में है और दूसरा गुट अशक्त गुट। इन गुटों में पारस्परिक मातृपेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी-कभी निर्वाचन में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवारों को दूसरे गुट के सदस्य पराजित कराया जा सकता है। इससे सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है। इस तरह सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में यह स्थिति बनी हुई है।

6. व्यक्तियों का महत्व और अवसरवादिता—भारतीय दलीय प्रणाली नीतियों एवं कार्यक्रमों की अपेक्षा व्यक्ति एवं व्यक्तिगत तत्वों को महत्व दिया जाता है तथा इसके कारण अवसरवादिता पनपती है। उदाहरणस्वरूप कांग्रेस में

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं स्वाधीनता संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। १८८५ में स्थापित कांग्रेस ने देश को राजनीतिक स्वायत्त प्रदान करके लोकतांत्रिक पथ की ओर अग्रसर किया।

कांग्रेस का संगठन—भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है कि जहाँ शासन का दायरा सभ्यता है वहाँ राजनीतिक दलों का ढाँचा एकात्मक। कांग्रेस की सभी इकाइयाँ, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय तक हाईकमान के नेतृत्व में आती हैं। ग्राम या मोहल्ला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस संगठन की आधारभूत इकाई (Basic Unit) है जिसके ऊपर तहसील या तालुका समितियाँ, जिला समितियाँ और उन पर प्रदेश या प्रान्तीय कांग्रेस समितियाँ होती हैं। प्रदेश या प्रान्तीय कांग्रेस समिति के अन्तर्गत प्रत्येक प्रांत में जिला और मध्यम समितियाँ होती हैं जिनका क्षेत्र प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा निर्धारित करता है। प्रान्तीय कांग्रेस समितियों के ऊपर कांग्रेस का राष्ट्रीय अथवा अखिल भारतीय संगठन होता है जो अध्यापक कार्यकारिणी समिति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कांग्रेस के सुले वार्षिक अधिवेशन से मिलकर बना है। कार्यकारिणी समिति दल की मजबूत कार्यपालिका काग है। इनमें अध्यक्ष मुख्य है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति (Congress Working Committee) में केवल कांग्रेस को कार्यकारिणी है बल्कि एक छाया मन्त्रिमण्डल (A Shadow Cabinet) है। कार्यकारिणी समिति में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वह पण्डित नेहरू इन्दिरा गांधी और नरसिम्हाय्यक सम्बन्ध में रहा है।

कांग्रेस के ससदीय कार्यों के नियंत्रण और समन्वय के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति एक ससदीय बोर्ड की स्थापना करती है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य रहते हैं। इसके अतिरिक्त ससदीय बोर्ड के सम्बन्धी और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा चुने गए सदस्यों को मिलाकर केन्द्रीय निर्वाचन समिति का गठन किया गया है जो देश में केन्द्र और राज्यों की विधान-सभाओं का चुनाव करने के लिए योग्य प्रत्याशियों की छंटनी में अग्रणी निर्णय देती है। दल में महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस की इकाइयाँ होती हैं जिनके अध्यक्ष और कार्यकारिणी होता है।

कांग्रेस का सक्षिप्त इतिहास—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास अनेक उतार चढ़ाव का लक्ष्य कहलया है। १८८५ में डब्ल्यू सी बनर्जी (W C Banerjee) की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन गुवाँ में हुआ। कांग्रेस की स्थापना संगठन के रूप में हुई जिसका उद्देश्य भारतीयों का गौरवकारी सार्वभौमिक रूप में काम करने के लिए तैयार करना था। स्थापना के वर्षों में इस संगठन को ब्रिटिश शासन की सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त थी लेकिन धीरे धीरे उनके हक में परिवर्तन हुआ क्योंकि कांग्रेस ने सामान्यवाद की आलोचना तथा स्वशासन की माँग शुरू कर दी थी। वास्तव में कांग्रेस एक राजनीतिक दल कम तथा राष्ट्रीय आन्दोलन अधिक था। कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ए नेहरू कांग्रेस दल के नेता तथा भारत के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। २७ मई १९६४ को निधन होने से पूर्व तक वह कांग्रेस दल का नेतृत्व करते रहे। नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा लगभग डेढ़ वर्ष का ही रहा। शास्त्री के बाद जावहर १९६६ में श्रीमती इन्दिरा गाँधी कांग्रेस दल की नेता और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनीं। अनेक राजनीतिक घटनाओं तथा दल के विभाजनों के बावजूद अपनी मृत्यु तक उनका दल पर पूरा आधिपत्य रहा। १९६९ में उनके नेतृत्व में पहली बार चुनौती का सामना करना पड़ा जो अपने सहयोगी कांग्रेसी नेताओं द्वारा दी गई थी लेकिन उनकी विजय हुई। दिसम्बर १९६९ में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई—संगठन कांग्रेस तथा कांग्रेस या इन्दिरा कांग्रेस। १९७१ में मन्थनविधि लोकतन्त्र का सुतन्त्र प्रयोग श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में इन्दिरा कांग्रेस की विजय को उन्हे दल और सरकार का नेता बना दिया। १९७७ के आम चुनावों में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी (स्वयं) की तथा कांग्रेस दल को हार हुई और केन्द्र तथा राज्य में जनता पार्टी की विजय हुई। आपसी फूट तथा कुछ अन्य कारणों से अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन अधिक सम्भव नहीं टिक पाया। १९७९ में इसका विघटन हो गया।

जब श्रीमती गाँधी सत्ता में नहीं थी तब जनवरी १९७८ में कांग्रेस का एक और विभाजन हुआ। २ जनवरी १९७८ को लगभग आठ वर्ष बाद कांग्रेस की दूसरी बार विभाजन श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोहवादी फेसल भवन में इसी स्थान पर हुआ जहाँ पहले १९६९ में हुआ था। अब दो कांग्रेस अस्तित्व में आ गई—बहादुर देसाई की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कांग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस के अधिकांश नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही बने रहे। १९७८ में दक्षिणी राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की और बलरामन्द देसाई की अध्यक्षता वाली कांग्रेस का सफाया हो गया। जनवरी १९८० के चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की और उसे धार विजय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कांग्रेस (ए) ससदीय दल ने श्रीमती गाँधी को नेता मान उस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। वे ३१ अक्टूबर १९८४ तक कांग्रेस सरकार और दल का नेतृत्व करता रहा। ३१ अक्टूबर

1984 को श्रीमती गाँधी को हत्या के बाद राजीव गाँधी कांग्रेस दल के नेता और भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में दिसम्बर, 1984 के आम चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस ने विजय के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए और सन् 1985 में राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उनमें कुछ अपवादों को छोड़कर रोष सभी राज्यों में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई। 1991 में कांग्रेसी नेता पी. वी. नरसिम्हावर ने 5 वर्षों तक अल्पमत सरकार चलाई।

कांग्रेस दल की चुनावी राजनीति का इतिहास—भारत में अब तक 14 ससदीय निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं, उनमें से आठ में कांग्रेस की सफलता मिली। सन् 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) बड़े दल के रूप में उभरी और सरकार बनाने में सफल रही। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी, 1989 में विश्वनाथ प्रतापसिंह, 1996 में मयूकत मोरेश के देवेगौड़ा एव गुजरात तथा भाजपा के वाजपेयी के नेतृत्व में तथा 1998, 1999 में पुनः भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई, लेकिन ये सरकारें पूरे समय सना में नहीं रहीं। दलबदल या दल-विभाजन के कारण सरकारों का पतन हो गया। सन् 1999 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे मात्र 114 स्थान ही प्राप्त हुए। साथ ही कांग्रेस (इ) को लोकसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा। अक्टूबर-मई, 2004 में हुए लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को 145 स्थान मिले तथा उसके नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आया।

कांग्रेस की नीतियाँ और कार्यक्रम—पांडित नेहरू से लेकर नरसिम्हावर तक के कार्यकाल में कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद इस दल की नीतियों के तीन आधार स्तम्भ रहे हैं। 1952 से लेकर 1996 एव 1999 तक के ससदीय चुनावों में जहाँ घोषणापत्र से कांग्रेस की नीतियाँ और कार्यक्रम स्पष्ट होते हैं। कांग्रेस की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव, अल्पसंख्यक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और गुटनिरपेक्षता को गिनना जा सकता है।

स्वतन्त्रता से लेकर वर्तमान तक कांग्रेस की उपलब्धियाँ रही हैं। देश में स्थिरता, ससदीय लोकतन्त्र का क्रियान्वयन, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवाद का आदर्श, नियोजित आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, सामन्तवाद, जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, देश में मतदाताओं को शिक्षित करने का प्रयास, नौकरशाही का लोकशाहीकरण, देश में आधुनिकीकरण का सूत्रपात, भारत में सघातक व्यवस्था, विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा राषट्रेय के विरुद्ध बातावरण तैयार करने तथा विश्व शान्ति में योगदान जैसे अनेक ऐसे कार्य हैं जो इस दल के योगदान को दर्शाते हैं।

इन उपलब्धियों के साथ-साथ इस दल की असफलताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक बन जाता है। स्वतन्त्रता के पर्याप्त मार्च 1977 से जनवरी, 1980 तथा नवम्बर, 1989 से जून 1991 एव 1996-1998 के संसित काल के विपरीत शासन को छोड़कर ग्यारहवीं लोकसभा के गठन के पूर्व तक यही दल सत्ता में रहा। इतने वर्षों में देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाये तो अनेक कमजोरियाँ स्पष्ट होती हैं। कांग्रेस ने जिन नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाया, उससे जनसाधारण के जीवन में कोई नया परिवर्तन नहीं आया। धनिक और निर्धन वर्ग के बीच अन्तर बढ़ा है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले अत्याचार सामाजिक न्याय की भावना पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। कांग्रेस द्वारा दलबदल का सहण लेकर विपक्षी दलों की शक्ति को सदैव कमजोर करने के प्रयास किये गये, जिसका परिणाम एक सशक्त विपक्ष का अभ्युदय नहीं हो सका। समाजवाद का नाट तो धुलन्द किया गया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक घरानों का एकाधिकार तथा प्रभुत्व स्थापित होता चला गया। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का विकास होता गया है। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का संकट बढ़ा है। नौकरशाही का पूरा तरह से जनताजीकरण नहीं हो सका। जम्पू-कर्मचारी तथा पनाब, उत्तर-पूर्वी राज्यों की अराजक स्थिति के लिए इस दल को ही उत्तरदायी माना जाता है।

भारतीय जनता पार्टी

(Bhartiya Janta Party : BJP)

भारतीय जनता पार्टी 1980 के चुनावों से नया संस्करण है। भारतीय जनसभ की स्थापना प्रथम आम चुनावों के कुछ समय पूर्व 1951 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ जिसमें सात्सापक डॉ. रघुनारायण मुकुर्जी को अध्यक्ष चुना गया। इसके कुछ समय पूर्व पंजाब, पेश्मू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि जालधर में मिलकर एक और 'जनसभ' का सूत्रपात कर चुके थे। दोनों के बीच 1 अक्टूबर, 1951 को विलय सम्पन्न हो गया और मुकुर्जी अखिल भारतीय जनसभ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1952 के बाद के चुनावों में जनसभ ने सफलता अर्जित की। लोकसभा में 1957, 1962, 1967 और 1971 (मध्यस्थि) में क्रमशः 4, 14, 35 और 22 सीटें प्राप्त कीं। जनसभ अग्रे एकता की बनाए नहीं रख सका। दल से निष्कासित होने के बाद बरिष्ठ नेता बलराज मणिक ने अक्टूबर, 1973 में राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक सभ नामक दल का निर्माण कर लिया जो भारतीय लोकदल में विलीन हो गया। 18 जनवरी, 1977 को छठी लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद जनसभ ने 'जनता पार्टी' में अपने विलय की घोषणा की। 1980 के

लोकसभा के चुनावों में जनता पार्टी की पराजय के बाद जनसभ घटक के लोगों ने इस पार्टी से सम्बन्ध तोड़कर 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में 'भारतीय जनता पार्टी' नाम से नये दल का गठन किया। अटलबिहारी वाजपेयी को दल का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में वाजपेयीजी ने निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर दिया—(1) भारतीय जनसभ को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। (2) भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता और गैर-मजहबो राज्य में विश्वास करती है। (3) आर्थिक नीति का मूलतः गाँधीवादी अर्थव्यवस्था होगी। उनके मत में ए दीनदयाल उपाध्याय ने पूर्व जनसभ के लिए जो आर्थिक नीति तैयार की थी वह पूर्णतया गाँधीवाद के अधिक निकट थी। (4) भारतीय जनता पार्टी ने भी आन्दोलन और सम्पूर्ण ज्ञानि के उद्देश्यों की प्रेरणा का आधार मानकर चलेगी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी की 'जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण ज्ञानि का आदर्श और गाँधीवादी अर्थदृष्टि' को विरासत के रूप में स्वीकार किया।

नीति एवं कार्यक्रम—26 से 29 दिसम्बर, 1980 को मुम्बई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में दल द्वारा नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस प्रस्ताव में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को स्वीकार करते, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में विरोध नहीं मानने निर्धनता दूर करने के लिए विरोध कोष की स्थापना करने, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिकरण करने, निजी क्षेत्र पर कुछ न्यूनतम सामाजिक नियन्त्रण रखने, कुषकों को उत्पादन के लाभकारी मूल्य देने, पाँच वर्षों में सबको काम अथवा बेरोजगारी भत्ता दिलवाने और श्रमीक क्षेत्रों में रोजगार को योजना को लागू करने जैसे विषय पर बल दिया गया। पार्टी ने गाँधीवाद समाजवाद के प्रति आस्था ध्यक्त की।

1986 के पराजित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में अपनी नीतियों पर पुनर्घाच करने हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक सभ के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुई। इससे गाँधीवादी समाजवाद को कायम रखने का आधार कमजोर हो गया। 1989 में सम्पन्न होने वाले लोकसभा के चुनाव में दल के अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी ने चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र में धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 370 की समाप्ति आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वायत्तता को कायम करने के लिए एक स्वायत्तशासी नियम की स्थापना, एक समान नागरिक संहिता (Common Code) का निर्माण करने, 'रोजगार गारण्टी' की योजना का आरम्भ करने जैसे विषयों पर बल दिया गया।

1989 के लोकसभा चुनाव और 1990 4 राज्य विधानसभा के चुनाव में मिली सफलता से दल ने 'हिन्दू काई' को नीति का मुख्य आधार बना लिया जिसका 'रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद' विवाद में दल ने खुले रूप से प्रयोग किया। अपने दल के लिए इतनी घात में हिन्दू मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लालकृष्ण अडवाणी ने 'सोमनाथ से अयोध्या' तक रथयात्रा प्रारम्भ की जिसे रोकने के लिए सभी दलों ने भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध किया, लेकिन जनता पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया। यात्रा के दौरान बिहार में जनता दल को सरकार ने अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस पर भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, परिणामस्वरूप विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का पतन हो गया और मार्च 1991 में लोकसभा भंग हो गई। मई जून 1991 में लोकसभा के मध्यावधि निर्वाचन कराने की घोषणा हुई। भाजपा ने अधिक आक्रामक होकर हिन्दू मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए रामजन्म भूमि पर 'राममन्दिर निर्माण' करने को अपनी नीति का आधार बना लिया। दल द्वारा अयोध्या में 'बाबरी मस्जिद' या उसके अनुसार तथाकथित विवादस्थल दोनों को वहाँ से अन्यत्र स्थानान्तरित करने को कहा गया। मई-जून 1991 में लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण अडवाणी द्वारा जो घोषणा-पत्र जारी किया गया, उसमें 'राम, रोटी और इनाम (न्याय)' का नारा लगाया गया। दल द्वारा अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण को 'राष्ट्रीय अस्मिता' का प्रतीक कहकर मन्दिर निर्माण करने हेतु मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की गई। दसवें लोकसभा के लिए जारी किये गये घोषणा-पत्र में धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, केन्द्र राज्य सम्बन्धों में 'अन्तर्राज्यीय आयोग की स्थापना करने, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करने जन्म तथा लहाख के लिए 'क्षेत्रीय विकास परिषद' का गठन करने, आणविक हथियारों का उत्पादन करने, सारे देश में सम्पन्न नागरिक संहिता का निर्माण करने के लिए एक 'न्यायिक आयोग' की स्थापना करने, मूल्य-वृद्धि पर रोक लगाने, सारे देश में अन्त्येदय योजना और रोजगार गारण्टी का प्रारम्भ तथा महिलाओं और युवकों के उत्थान के लिए अलग कार्यक्रम प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया गया।

सन् 1991 से 1993 की अवधि के मध्य दल की नीति में कोई अन्तर नहीं हुआ। जयपुर में आयोजित अधिवेशन में डॉ. मुरलीमनोहर जोशी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उत्तर प्रदेश में कल्याणसिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने धुले आम अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त करने का सक्त्प किया। इसके बाद 'यात्राओं' की राजनीति का सहारा लेकर भाजपा दल के अध्यक्ष डॉ. मुरलीमनोहर जोशी ने 'कल्याणमुराी से कश्मीर' तक की यात्रा प्रारम्भ की जिसका मुख्य तत्त्व दल की नीतियों के प्रति दक्षिण से लेकर उत्तर तक जन-सामर्थन जुटाना

था। वतिपय स्थानों पर यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ भी घटित हुईं। अन्त में 26 जनवरी, 1992 को श्रोनगर के लाल चौक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉ. मुरलीमनोहर जोशी द्वारा 'तिरगा झण्डा' फहराने के साथ ही इस यात्रा की समाप्ति हुई। इस यात्रा को ठटना जन-समर्पण प्राप्त नहीं हुआ, जितना की लालकृष्ण अडवाणी की रक्ष-यात्रा को। 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में कारसेवकों द्वारा 'बाबरी मस्जिद' को गिराये जाने की घटना से दल को अज्ञात लगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की चारों भाजपा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर लालकृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे भाजपा के सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते हुए इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जनता में प्रभाव स्थापित करने की दृष्टि से 'जनदेश यात्राओं' का सहारा लिया। 11 सितम्बर, 1993 से मैसूर, पोरबन्दर, कोलकाता और जम्मू से खाना होने वाली यात्राओं का नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, कल्याणसिंह तथा पीतेशिंह शोखावत ने किया। इन यात्राओं में लगभग 15 हजार किमी की दूरी तय की गई और 25 सितम्बर, 1992 को गोपाल ने एक साथ रानापन हुआ।

ग्यारहवीं लोकसभा के चुनावों में जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में 'रामरज्य की स्थापना' को पार्टी का लक्ष्य माना गया। घोषणा पत्र में उतावखण्ड, वनाञ्चल, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ नये राज्य बनाने, अयोध्या में जन्मस्थान पर भव्य राममन्दिर का निर्माण करने, सविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, एक समान नागरिक संहिता बनाने, कश्मीर घाटी छोड़कर आये लोगों को विस्थापितों का दर्जा प्रदान करने तथा उम्मीद सम्पत्ति की रक्षा करने, चुनाव में काले धन से दूषित हुई निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने, सरकारी खर्च पर चुनाव लड़ने तथा गोस्वामी समिति की सिफारिशों को लागू करने, राजनीतिक दलों को खुलेआम कम्पनियों से घन्टा लेने के लिए प्रोत्साहित करने, दलबदल कानून में मशीन बनाने, मनदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का सहारा लेने, भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए लोकपाल की स्थापना करने, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति का घोषणा करने की बी. आई. का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोकने, सरकार मुक्त बाजार नीतियों को प्रोत्साहित करने, विदेशी पूँजी निवेश का स्वागत, लेकिन उभयोक्तता चलुओं में इस प्रोत्साहन नदी देने, कर ढाँचे तथा आयकर की सीमा को साठ हजार रुपये करने, लघु उद्योगों को पूर्ण प्रोत्साहन देने, भ्रष्टाचार तथा काले धन के विरुद्ध सघर्ष की दृढ़ता से जारी रखने, पाक-अधिकृत कश्मीर पर भारत की सम्मति के अतिरिक्त, सेनाओं का आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, पृथ्वी गृहला के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण कार्य तेज करने, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा सेनाओं को घुट देने, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ससाधनों का 60 प्रतिशत खर्च, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, सभी निर्वाचित निधियों में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं को प्रदान करने तथा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन को राष्ट्रीय एजेंडा में रखने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया।

दल का चुनावी इतिहास—भाजपा की स्थापना के बाद मई, 1980 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाग लिया, जिसमें उसे 2,242 स्थानों में से 147 स्थान प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में 60 और राजस्थान में 32 स्थानों पर विजय प्राप्त कर इस दल ने मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया। मई 1982 में सम्पन्न होने वाले लोकसभा के 7 उपचुनावों में से 2 पर विजय प्राप्त करके इस दल ने उपस्थित दर्ज कराई। सन् 1983 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व वाले लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ सर्वाधिक स्थानों पर विजय प्राप्त करके बड़े गठबन्धन के रूप में उभरा। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए निराशाजनक रहे और इसे मात्र दो स्थान ही प्राप्त हुए। मार्च, 1985 में सम्पन्न 11 राज्य विधानसभाओं की कुल 2,534 सीटों में से भाजपा को 171 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस दल को सफलता प्राप्त हुई और इन राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का स्थान प्राप्त हुआ। सन् 1987 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में लोकदल (ब) और भाजपा का गठबन्धन सफल रहा। देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल (ब) और भाजपा की मिली-जुली सरकार सत्तारूढ़ हुई। सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में इस दल को सफलता प्राप्त हुई। लोकसभा में इसकी सदस्य संख्या 2 से बढ़कर 86 हो गई और चन्द्रशेखर के काल में भाजपा लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बन गया। लालकृष्ण अडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। जनवरी, 1990 में राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भाजपा को सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में यह बड़े दल के रूप में उभरा। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ हुए। गुजरात में चिमनभाई पटेल के नेतृत्व में जनता दल के साथ सविद सरकार में शामिल हुई। जब केन्द्र में भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो राजस्थान में जयदल दल ने पीतेशिंह शोखावत मन्त्रिमण्डल से समर्थन वापस ले लिया। गुजरात में चिमनभाई मन्त्रिमण्डल से अलग हो गई। राजस्थान में पीतेशिंह शोखावत ने जनता दल को विघटित कर कर अपनी सरकार की बचा लिया। 1991 के लोकसभा

चुनाव में भाजपा ने शक्ति में वृद्धि करते हुए अपनी सदस्य संख्या 86 से बढ़ाकर 119 कर दी। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः सानुकूल अट्रवाणी और सिक्कर बल विपक्ष के नेता बने। उक्त प्रदेश विधान सभा के चुनाव भी सम्पन्न हुए। उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कल्याणसिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार राज्य में सत्तारूढ़ हुई। 1991 में कर्नाटक और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनावों में भाजपा गानाधार विस्तृत करने में सफल रही। दिसम्बर, 1992 में चारों भाजपा सरकारों की खर्चास्तनी इस दल के लिए एक आपात था। नवम्बर, 1993 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली विधानसभाओं के चुनावों में भाजपा ने आत्म-विश्वास के साथ चुनाव सफल में उतारते हुए 'आज पाँच प्रदेश कल सार देश' बलना नाप लगीया था, लेकिन चुनावी परिणाम अपेक्षा के अनुकूल नहीं आए। हिमाचल प्रदेश में पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मुट्यमनो शान्ताकुमार भी पराजित हो गये। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रही। उत्तर प्रदेश में पहले से अधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के बावजूद यह राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल रहा। यद्यपि यह राज्य विधानसभा में बड़े दल के रूप में उभरी और जोड़ तोड़ की राजनीति के माध्यम से सरकार बनाने में सफल रही। दिल्ली विधानसभा में सफलता मिली। इस धरार से 1993 के राज्य विधानसभा चुनावों ने भाजपा को देश में लोकसभा मध्यस्थी चुनाव कक्षा की भाँग को त्कार दिया। साथ ही 'मन्दिर भूरे' शीतल पड़ जाना भी दल के लिए प्रमुख चिन्तनीय विषय बन गया।

1994 में सम्पन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। नहा भग विधान सभा में इसके मात्र 5 स्थान थे, वे बढ़कर 40 हो गये। 1995 में सम्पन्न हुए गुजरात विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी को विशाल जनश्रेय प्राप्त हुआ और यह दल राज्य में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में सफल रहा। महाराष्ट्र में दल की शक्ति में वृद्धि हुई और तिवतोन के साथ मिलकर इसने मिली जुली सरकार बनाई। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सफलता महत्वपूर्ण इसलिए थी कि ये दोनों ही राज्य भारत के सम्पन्नतम राज्य हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 स्थान प्राप्त कर बड़े दल के रूप में उभरी। इसके नेता अटलबिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिनाई गई किन्तु उनकी सरकार अल्पमतीय रही। 1996 में आम चुनावों में उपरान्त सबसे बड़े दल (गजबन्धन) के नेता के रूप में चुने जाते के परचात वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने। भाजपा सरकार के घटक अनास्युक नेता जयललिता के इस समर्थन कापस लेने के बाद राष्ट्रति ने सरकार को विश्वास में प्राप्त करने का आदेश दिया। सरकार एक मत से पराजित हो गई। परिणामस्वरूप सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। तेरहवाँ लोक सभा के चुनाव हुए और राष्ट्रीय जनताधिक गठबंधन के नेता के रूप में अटलबिहारी वाजपेयी का पुनः तीसरा बार 13 अक्टूबर, 1999 को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तेरहवीं लोक सभा के चुनावों में इस दल का 182 स्थान प्राप्त हुए। अप्रैल-मई, 2004 में हुए चौदहवाँ लोकसभा के चुनावों में इस दल को 139 स्थान मिले तथा उसके हाथ से सत्ता चली गई।

भारतीय साम्यवादी दल

(Communist Party of India : CPI)

भारतीय साम्यवादी दल देश का राष्ट्रीय दल है। इस दल के संस्थापक नेताओं में श्रीपद अमृत दाँगे भूपश गुप्त जे ए अहमद और सी राजेश्वरराव के अलावा इन्द्रजीत गुप्ता और चतुरान मिश्रा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दल का संगठन पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी दल की तरह त्रिकोणात्मक रहा है। दल का आधार इकाई का समूह है। दल की सबसे छोटी इकाई सेल (Cell) कहलाती है, जिसकी स्थापना किसी कारखाने या अन्य स्थान में की जा सकती है। साम्यवादी दल में संगठन की सोझी में ग्राम, नगर, जिला और प्रांतीय समितियों एक के ऊपर एक होती हैं। प्रत्येक स्तर पर कार्यकारिणी समिति होती हैं। राष्ट्रीय संगठन के रूप में साम्यवादी दल की एक अखिल भारतीय कार्यभार है जो अपने वार्षिक अधिवेशन में दल का महासचिव निर्वाचित करता है जो दल का शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। दल के महासचिव को दल की गतिविधियों के संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह दल की नीतियों का अधिकृत प्रवक्ता एवं सन्वयकर्ता माना जाता है जो संगठनात्मक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। दल की अखिल भारतीय परिषद द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन किया जाता है। इस केन्द्रीय समिति का अनारग समूह होता है जिसे उसी परम्परा के अनुसार 'पोलिट ब्यूरो' (Polit Bureau) कहा जाता है जिसकी दल में शीर्षस्थ भूमिका होती है। यह दल के लिए नीतियों का निर्माण एवं सभी गतिविधियों का संचालन करता है। पोलिट ब्यूरो साम्यवादी नेतृत्व परम्परा का प्रतीक होता है। इसमें महासचिव के अतिरिक्त वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिनकी दल में महत्वपूर्ण स्थिति होती है। दल में भर्ती के नियम कठोर हैं। अनुशासित लोग साम्यवादी दल के सदस्य बन सकते हैं। कोई 18 वर्ष का या इससे अधिक का व्यक्ति इस दल का सदस्य बन सकता है। जहाँ तक दल में शक्ति और स्थिति का प्रश्न है सारी शक्ति दल के 'पोलिट ब्यूरो' में केन्द्रित होती है। साम्यवादी दल का नेतृत्व अन्य दलों की अपेक्षा 'बुजुर्ग' नेताओं के हाथ में रहा है। बहुत लम्बे समय तक श्रीपद अमृत दाँगे और सी राजेश्वरराव का दल पर वर्चस्व रहा है।

साम्यवादी दल सगठनों और सदस्यों को दल द्वारा जारी पत्रिकाओं, पैम्फलेटों तथा पार्टी पत्रों का माध्यम से गिड़ित करता रहता है। एक पार्टी पत्रिका (उदाहरणार्थ 'पार्टी लाइफ') भारतीय तथा जिला समितियों और महत्वपूर्ण सम्मेलनों को भेजी जाती है। विदेशी पत्र-पत्रों केवल केन्द्रीय समिति के सदस्यों के लिए होता है। पार्टी की इस सचर-व्यवस्था तथा सैद्धान्तिक शिक्षा का बड़े-से सदस्यों में सेना की तरह अनुशासन उत्पन्न करना है। इसमें रक्षा, आक्रमण, युद्ध (युद्ध, लड़ाई, पिछली सेना, युद्ध विराम, सेनाएं, सैनिकों, छापामार युद्धकला, हथियारबन्द स्पर्ष आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साम्यवादी दल का अनुशासन सदस्यों के निजी तथा सार्वजनिक जीवन तक फैला हुआ है। दल विनाश या टनाक को आशा दे सकता है। दल सदस्यों से पूर्ण निष्ठा की माँग करते हुए समय-समय पर आदेश तथा निदेश दल के लिए पाठशालाओं का प्रबन्ध भी करता है।¹

भारतीय साम्यवादी दल की नीतियों और कार्यक्रम मार्क्सवाद तथा लेनिनिवाद से प्रेरित हैं। यह समाजिष्ठ एवं आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जो मार्क्सवाद तथा लेनिनिवाद पर आधारित हो। यह दल मजदूरों और किसानों के हितों के संरक्षण का पक्षधर है। समाज के कमजोर वर्ग के अध्याय जमींदारों और जागीरदारों तथा काठमूल, भूमि सुधारों को लागू करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राज्यों के विशेषाधिकार और निष्कर्षों को समाप्त करने, सम्पत्ति पर पूँजीपतियों के एकाधिकार को समाप्त करने, सम्पत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों में हटाने, किसानों को क्रम और सिंचाई की सुविधा तथा उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान कर न्यूनतम मजदूरी का माँग का निधारण करने, श्रमिकों को अधिकार प्रदान करने, प्रयोग विधायक को महत्व देने, दलबदल पर एक न्याय, जबरन परिवार नियोजन कार्यक्रम का अन्त करने, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को सुरक्षित करने, अल्पसंख्यकों का सुरक्षा का प्रतिबन्धों को समाप्त करना का दर्जा प्रदान करने, साम्यवादीक शक्तियों का दमन करने, वामपंथी और लोकतांत्रिक शक्तियों को प्रशस्त, एमज्जमभूमि बावरी मस्जिद विवाद का समाप्त और अगर ऐसा नहीं हो सक तो न्यायनिका के निर्णय का साथ पार्टी को स्वीकार करने, उदारोकरण के साथ पर निरोक्षण की प्रक्रिया का विरोध करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ स स्वीकार करने, इत्यादि प्रमुख विषय पर दम देता है। नवम्बर, 1989 के लोकसभा चुनाव में 33-सदस्यीय प्रयोग पंचवर्ष में वामपंथी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष एकजुटता का अङ्गन किया गया था। 1991 के लोकसभा के चुनाव में दल द्वारा जारी किये गये घोषणापत्र में साम्यवादीकता पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा धर्म-स्थलों की स्थिति का बचाव रखने की वकालत की गई। 1998 एवं 1999 के आम चुनावों में जारी घोषणापत्र में पूर्व की नीतियों का मार्गदर्शन करने का साथ दल द्वारा वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से एकजुट होकर साम्यवादीक शक्तियों का परिष्कार करने की अपील की गई।

भारतीय साम्यवादी दल का चुनावी इतिहास—देश में साम्य होने वाले ससदीय और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में भारतीय साम्यवादी दल बखर भाग लेता रहा। सन् 1952 के प्रथम आम चुनाव में सभ में 27 और राज्य विधानसभाओं में 187 स्थानों पर विजय प्राप्त करके कॉंग्रेस के बाद इसी दल की स्थान प्राप्त हुए। 1957 के द्वितीय आम चुनाव में दल को प्राप्त मतों और स्थानों की संख्या दुगुनी हो गई। इसे लोकसभा में 27 स्थान तथा केन्द्र विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। ई एन एस मजदूरवाद के नेतृत्व में, एम. ए. प्रेम और कॉंग्रेस साध्य मन्त्रालय हुई जिसे 1959 में बर्खास्त करके राज्य में एचएच रासन लागू कर दिया गया। सन् 1962 के वृद्धि आम चुनाव में दल को जन-समर्थन प्राप्त हुआ और इसका मत 3.30 से बढ़कर 9.96 प्रतिशत हो गया।

1962 के चीनी आक्रमण के बाद इस दल में दरार होने लगी और नम्बूद्रापाद, टी. राजगोपाल स्वामी, इरविन्दरामिह मुज्जीव के नेतृत्व में एक बड़ा वर्ग दल से अलग हो गया जिसने पृथक् से 1964 में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का गठन किया। इसमें दल की स्थिति कमजोर हो गई। 1967 के आम चुनावों में 23 स्थान गिने और विहार, कर्नाट तथा पश्चिमी बंगाल विधानसभाओं में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। 1971 के लोकसभा चुनावों में विराय पाठान नहीं हुआ और उसे 23 स्थान प्राप्त हुए जबकि पंच लोकसभा में इसके 24 सदस्य थे। 1969 के कॉंग्रेस विधानसभा के पश्चात् इस दल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कॉंग्रेस को समर्थन दिया। 1977 के चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कॉंग्रेस-भारतीय साम्यवादी दल के गठजोड़ ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल का पक्ष का हमना करना पड़ा। उसे लोकसभा में मात्र 7 स्थान और केवल 2.87 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। इस पक्ष में साम्यवादी दल का कॉंग्रेस के प्रति विश्वास कम हो गया तथा अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए मार्क्सवादी साम्यवादी दल और अन्य वामपंथी दलों के साथ सद्बुद्धि मोर्चे में अपने को शामिल कर लिया। पश्चिमी बंगाल और कर्नाट की राजनीति में साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व वाले वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकारों में शामिल हुआ। 1980 के लोकसभा चुनाव में इस दल को 11 स्थान और 2.61% मत प्राप्त हुए। 1980 के राज्य विधानसभाओं

के चुनाव में इसे मात्र 57 स्थान प्राप्त हुए। 1984 के लोकसभा चुनाव में इसको शक्ति पुनः घट गई तथा इसे 6 स्थान प्राप्त हुए। 1989 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल की स्थिति में सुधार हुआ और उसे 12 स्थान प्राप्त हुए। राष्ट्रीय मोर्चे तथा अन्य वामपथी दलों के साथ चुनावी गठबन्धन करने के कारण ही इस दल की सफलता प्राप्त हो सकी। 1991 के लोकसभा चुनावों में इस दल को 13 स्थान प्राप्त हुए। मई 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल को 11 स्थान प्राप्त हुए जो 1991 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दो स्थान कम है। 1996 के लोकसभा के साथ सम्पन्न हुए केरल विधानसभा के चुनावों में 18 स्थान प्राप्त हुए। परिषदी बंगाल विधान सभा में 6 स्थान प्राप्त हुए। दोनों ही गठनों में यह दल मार्क्सवादी दल के नेतृत्व वाले वामपथी लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार में शामिल है। इस दल को 1998 में बारहवीं लोक सभा में 9 तथा 1999 में तेरहवीं लोक सभा में 4 स्थान प्राप्त हुए। 2004 में हुए चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 9 स्थान मिले।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी)

[Communist Party of India : CPI (M)]

1964 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल के एक बड़े वर्ग ने कम्युनिज्म के सैद्धान्तिक मतभेद के परिदृश्य में एक नवीन दल का गठन किया जो सोवियत संघ के 'सशोधनवाद' का विरोधी था। इस नवीन दल का नाम 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी' रखा गया और घोषणा की गई कि यह दल देश में समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उन भारतीय श्रमजीवियों का संगठन होगा जो कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रति आस्था रखते हैं तथा जो प्राथमिक चरण में इस देश में जनवादी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्सवादी साम्यवादी दल दक्षिणपथी साम्यवादी दल की तुलना में उग्र वामपथी दल है। इसके सस्थापक नेताओं में प्रमोददाम गुप्ता, ज्योति बसु ई एच एम नम्बूदीपद, हरिकिरणसिंह सुरजीत ए के गोपाल, पी. राममूर्ति और टी. रणदिवे का नाम उल्लेखनीय है। हरिकिरणसिंह सुरजीत दल के महासचिव तथा मुख्य नीति निर्धारकों में से हैं। 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जवाहर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन और कंग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया में मार्क्सवादी दल ने श्रीमती गाँधी का समर्थन किया था, परन्तु बाद में 1970 के अन्त में दल में इस विचार ने जोर पकड़ा कि इससे मार्क्सवादी दल कंग्रेस से दब जाएगा और उसका क्रान्तिकारी स्वरूप समाप्त हो सकता है। इस कारण दल ने कंग्रेस के सम्बन्ध में नीति बदल ली।

दल की चुनावी इतिहास

1964 में स्थापना के पश्चात् दल ने 1967 के उत्तुर्ध आम चुनाव में भाग लिया। लोकसभा में इसने 19 स्थान प्राप्त किये। केरल और प. बंगाल में इस दल को सफलता मिली। केरल में नम्बूदीपद मुख्यमंत्री और पश्चिमी बंगाल में ज्योति बसु उपमुख्यमंत्री बने। इन दोनों ही राज्यों में वस्तुतः मार्क्सवादी साम्यवादी दल ही प्रभुत्ववादी दल था। 1971 के लोकसभा के चुनाव में इसे 25 स्थान प्राप्त हुए। मई 1972 के चुनाव में परिषदी बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को पराजय का सामना करना पड़ा। 1977 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने जनता पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया, उसके फलस्वरूप उसे 22 स्थान प्राप्त हुए। जून 1977 में राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को पश्चिमी बंगाल में सफलता प्राप्त हुई। इसे विधानसभा में 178 स्थान प्राप्त हुए, जो स्पष्ट बहुमत का परिचायक था। दल के मुख्य स्तम्भ ज्योति बसु के नेतृत्व में संविद सरकार गठित हुई। ज्योति बसु के नेतृत्व में मार्क्सवादी नेतृत्व वाला वामपथी लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार 1982, 1987, 1991 तथा 1996 में सम्पन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने में सफल रहा। इन चारों चुनावों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। चारों ही अवसरों पर ज्योति बसु को वामपथी लोकतांत्रिक मोर्चे का नेता निर्वाचित किया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर सयुक्त मोर्चे के सभी घटक दलों में आम सहमति थी। अगर ज्योति बसु द्वारा सयुक्त मोर्चे का नेता पद स्वीकार कर लिया जाता तो ये देश के पहले साम्यवादी प्रधानमंत्री बनते, लेकिन बसु ने नेता पद स्वीकार नहीं किया। इस दल को 1998 के बारहवीं लोकसभा के चुनाव में 32 तथा 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनाव में 33 स्थान प्राप्त हुए। 2004 में चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 44 स्थान प्राप्त हुए।

जनता दल

(Janta Dal)

अक्टूबर, 1998 में जनता दल का गठन भारतीय राजनीति की एक घटना थी। 1987 में हरियाणा में सत्तारूढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री देवीलाल गैर साम्यवादी विपक्ष को संगठित करने के लिए प्रयास करते रहे। इस समय बोफोर्स लेप सौदे और अन्य रक्षा घोटालों में चिरी कमिश्न (छ) की 'छवि' क्षुब्ध हो रही थी। ससद में और ससद के बाहर विपक्षी दल प्रहार कर रहा था। तत्कालीन रक्षामंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के कंग्रेस (इ) से त्यागपत्र देने के साथ देश के राजनीतिक पर्यावरण में परिवर्तन हुआ। उनके साथ सासदों ने कंग्रेस (इ) से अलग होकर 'जनमोर्चा' की स्थापना की।

जनता दल (समाजवादी) के लिए अल्पमत निर्वाहजनक रहे। इसे लोकसभा में मात्र 5 स्थान ही प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर तो सफल रहे लेकिन उपप्रधानमन्त्री चौधरी देवीलाल सहित अनेक मन्त्री और सांसद चुनाव में पराजित हो गए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव में भी दल को पराजय का सामना करना पड़ा। जबकि उत्तर प्रदेश में मुलायमसिंह यादव और गुजरात के चिपनभाई पटेल ने अन्ना सव्यन्ध तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी और गुजरात जनता दल का गठन किया। इससे जनता दल (समाजवादी) वस्तुविक रूप से हरियाणा तक ही सीमित रह गया। म्यू 1996 के लोकसभा चुनाव में जार्ज फर्नांडीस के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी तथा चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता दल (समाजवादी) ने आपस में विलय कर समाजवादी पार्टी का गठन किया, लेकिन चुनावों के बाद इस दल में फूट पड़ गई। जहाँ जार्ज फर्नांडीस और नीतिश कुमार के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी के गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबन्धन किया और वाजपेयी सरकार का समर्थन किया, वहीं चन्द्रशेखर और ओमप्रकाश चौटाला ने इसका समर्थन नहीं किया। इससे समाजवादी पार्टी का विभाजन हो गया। 2004 के लोकसभा चुनावों में यह दल गृहत्वहीन रहा। इसे मात्र 1 स्थान प्राप्त हुआ।

विखण्डन तथा क्षेत्रीयकरण

(Fragmentation and Regionalism)

भारत में तीन प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं—पहले वे क्षेत्रीय दल हैं जो वास्तव में जति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण—तमिलनाडू में द्रविड़ मुनेत्र कडगम, अन्ना द्रमुक, तमिल मनीला कॉंग्रेस, पंजाब में अकाली दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र में शिव सेना, बिहार में झारखण्ड पार्टी आदि प्रदेशों में तेलंगुदेशम्, असम में असम गण परिषद, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी तथा हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी हैं। दूसरे प्रकार के क्षेत्रीय दल वे हैं जो किसी समस्या विशेष को लेकर अथवा सदस्यों की क्षुब्धता के कारण राष्ट्रीय दलों से अलग हैं। इनमें से अधिकतर दल कुछ समय के लिए राष्ट्रीय रहे हैं। ऐसे दलों में भारतीय क्रान्ति दल, बंगला कॉंग्रेस, उत्कल कॉंग्रेस, केरल कॉंग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, विशाल हरियाणा तथा हरियाणा विकास पार्टी इत्यादि दल सम्मिलित किए जा सकते हैं। तीसरे वे दल हैं जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के आधार पर तो राष्ट्रीय दल हैं परन्तु उनका समर्थन केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलों में कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इस प्रकार के दल फारवर्ड ब्लाक, सोशलिस्ट यूनियो सेन्टर, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग, क्रान्तिवादी सांग्रालस्ट पार्टी इत्यादि हैं। प्रमुख क्षेत्रीय दलों को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

द्रविड़ मुनेत्र कडगम (DMK)—तमिलनाडू का द्रविड़ मुनेत्र कडगम क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय दलों में अपना प्रभाव रखता है। 1949 में सी. एन. अन्नादुराई ने द्रविड़ कडगम से अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कडगम दल की स्थापना की जिसका उद्देश्य द्रविड़ परम्परा और संस्कृति को रक्षा करना और तमिल समुदाय को राजनीतिक क्षेत्र में भावी स्थिति प्रदान करना है। 1965 में सम्पूर्ण मद्रास राज्य का नामकरण (वर्तमान में चेन्नई) हिन्दी विरोध के साथ ही 'राज्यों के लिए स्वायत्तता' इस दल की नीति एवं कार्यक्रम का आधार रहा है। द्रमुक औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली में आमूल-मूल परिवर्तन कर, लाइसेंस बाँटने का कार्य राज्यों को देना चाहता है। यह गिरोह अर्थतन्त्र का समर्थक है और चाहता है कि देश की योजना में त्रिपक्षीय साझेदारी होनी चाहिए जिसमें सरकार, मालिक और श्रमिक सम्मिलित हों।

द्रमुक आरोप लगाता रहा है कि दक्षिण की निर्धनता का कारण औद्योगिककरण का सीमित विकास है और इसके लिए उत्तर भारतीय व्यापारियों द्वारा दक्षिण पर आर्थिक नियन्त्रण जिम्मेदार है। द्रमुक ने कई अवसरों पर उत्तर भारत को दक्षिण का शोषण करने वाली साम्राज्यवादी शक्ति की मद्दत दी और कहा कि केन्द्रीय सरकार दक्षिण के लोगों की आर्थिक स्थिरता के प्रति उदासीन है। इस प्रकार दक्षिण की आर्थिक स्वतन्त्रता का प्रश्न उत्तर के राजनीतिक प्रभुत्व से मुक्ति तथा द्रविड़ सभ्यता की आर्य संस्कृति के नियन्त्रण से पृथक्ता के साथ जोड़ा गया। संकुचित एवं स्थानीय निर्धारण का समर्थक होने के कारण दल को तमिलनाडू की जनता का समर्थन प्राप्त रहा है। 1967 में दल ने चरई राज्य विधानसभा के चुनावों में विजय प्राप्त कर सी. एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रमुक मंत्रिमण्डल ने शपथ ली। इसके बाद द्रमुक ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए पृथक् 'द्रविड़स्थान' की माँग को छोड़ दिया। 1967 में राज्य विधानसभा के 234 में से 138 स्थान और लोकसभा के 25 में से 25 स्थान प्राप्त किए। अन्नादुराई की मृत्यु के बाद के. कृष्णामिथि की मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया। अक्टूबर 1972 में दल का विभाजन हो गया और ए. जी. रामचन्द्रन ने अन्ना-द्रमुक की स्थापना की। 1967 से 1975 तक इस दल का राजनीति पर बर्षस्व बना रहा। 1975 में तमिलनाडू की द्रमुक सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मार्च 1977 के छठे लोकसभाई चुनावों में द्रमुक का जनता पार्टी के साथ गठबन्धन होने के कारण सारी पूर्ण सफलताएँ समाप्त हो गईं और उसे केवल 1 ही स्थान प्राप्त हुआ। जून 1977 में तमिलनाडू विधान सभा के चुनाव हुए और 234 स्थानों में से द्रमुक को केवल 48 स्थान प्राप्त हुए। अन्ना द्रमुक ने द्रमुक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गौण स्थिति में ला दिया। 1980 में मध्यावधि लोकसभा चुनावों में द्रमुक

ने कॅबिनेट (3) के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति में सुधार साकर 16 स्थान प्राप्त किए। कॅबिनेट (3) को तमिलनाडु में 39 में से 20 स्थान मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि तमिलनाडु में किसी राष्ट्रीय दल की अपेक्षा क्षेत्रीय दल का प्रभाव है। मई 1980 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में द्रमुक को पुनः पताजय हुई और दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनावों में द्रमुक केवल 1 सीट जीत सकी। लोकसभा के चुनावों के साथ ही तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा को 234 सीटों में से द्रमुक केवल 20 सीटें जीत सकी। कर्णानिधि प्रभासी व्यक्तित्व के बन्दूट पार्टी को जिता नहीं सके। उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बंध एवं श्रीलंका में तमिलों की दुरावस्था के मामले उठाए, लेकिन गांधीदास दोहरी भावुकता के साथ सात्वापी दल से जुड़ा रहा। 1988 के बाद द्रमुक 7 दलीय राष्ट्रीय मोर्चे का घटक अंग बन गया। जनवरी, 1989 में तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव में द्रमुक को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। एम. करणानिधि मुख्यमंत्री बने। 1990 में इस दल को सरकार की बर्खास्त किया गया। 1991 में संसदीय और विधानसभा चुनाव में दल का सफाया हो गया। 1993 में विघटन हो गया।

1996 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व द्रमुक की स्थिति कमजोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री कु. जयन्तिलिंगा की नीतियों के रिहट जन-रीए जी के सुधार के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कॅबिनेट के साथ गठबंधन तथा फिल्म अभिनेता राजनीकृत के द्रमुक और तमिल मनीला कॅबिनेट के गठबंधन को समर्थन देने के कारण राजनीतिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया। तमिलनाडु की जनता ने द्रमुक-तमिलनाडु मनीला कॅबिनेट के गठबंधन को पूर्ण समर्थन दिया। द्रमुक को लोकसभा में 17 स्थान तथा राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 234 सदस्यीय राज्य विधानसभा में द्रमुक को अकेले ही 168 स्थान प्राप्त हुए। एम. करणानिधि के नेतृत्व में राज्य में द्रमुक सरकार सत्ताह्वद हुई। द्रमुक 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में सहभागी रहा। इसे 1999 में लोकसभा के चुनावों में 12 स्थान प्राप्त हुए। 2004 में हुए चौदहवें लोकसभा के चुनावों में इस दल को 15 स्थान प्राप्त हुए।

अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम (A. D. M. K.)—अविभाजित द्रमुक (D. M. K.) के अध्यक्ष करणानिधि और बोधाय्य एम. जी. रामचन्द्रन के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाने पर नवम्बर, 1972 में रामचन्द्रन ने पृथक् दल अन्ना द्रमुक (A. D. M. K.) का निर्माण किया जिसका पूरा नाम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कडगम है। यह क्षेत्रीय दल है जिसका प्रभाव तमिलनाडु और पाण्डिचेरी में है। इस दल की नीति राज्य में सत्ताह्वद होने और अपने हित में सत्ता सुरक्षित रखने की लिए आवश्यक है कि केन्द्र में शासक दल के साथ अच्छे सम्बंध बनाए रखे जाएं। अपाठकाल के दौरान अन्ना द्रमुक श्रीमती गौरी का समर्थक रहा और जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई तो दल ने समर्थन की घोषणा की। अन्ना द्रमुक ने कोई चुनावी घोषणा-पत्र प्रकाशित नहीं किया, लेकिन प्रामाण्य महिलाओं और युवकों में दल और उसके नेता रामचन्द्रन की लोकप्रियता रही है। इस कारण तमिलनाडु की राजनीति को 'तिनेमार्ई राजनीति' कहा जाता है। अन्ना द्रमुक का नीति केन्द्र में सत्ताह्वद दल के साथ सहयोग करने की है। अपनी नीति के अनुसार जून 1975 से 1976 तक के अपाठकाल में उस समय केन्द्र पर सत्ताह्वद कॅबिनेट का तथा जनता पार्टी का तथा बाद में चरणसिंह को मिनी-जुली सरकार का समर्थन ही नहीं किया अपितु अन्ना द्रमुक के दो सदस्य के बाला पञ्जर और श्रीमती सत्यावणी मधु मन्त्री भी बने। दिसम्बर, 1984 के चुनाव में केन्द्र में सत्ताह्वद कॅबिनेट और अन्ना द्रमुक के बीच सहयोग बना रहा।

मार्च 1977 के लोकसभा चुनावों में जहाँ द्रमुक ने केवल 1 स्थान प्राप्त किया, वहाँ अन्ना द्रमुक ने कॅबिनेट के साथ गठबंधन कर 19 स्थान जीते। जून 1977 में तमिलनाडु विधानसभा के 234 स्थानों में से द्रमुक ने केवल 48 स्थान जीते, वहाँ अन्ना द्रमुक ने 120 स्थान प्राप्त कर सरकार बनाई। पाण्डिचेरी विधानसभा में 30 में से 14 स्थान अन्ना द्रमुक ने जीते। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कॅबिनेट, अन्ना द्रमुक ने प्रतियोगिता को महत्व दिया, फलतः तमिलनाडु की जनता ने सभी नीतियों को अस्वीकृत कर प्रतियोगिता को ही स्वीकार किया। जनता पार्टी ने विधानसभा को 234 सीटों के लिए 233 उम्मीदवार खड़े किए थे, पर उसे केवल 10 सीटों पर सफलता मिली। कॅबिनेट के 198 प्रत्याशियों में से केवल 27 जीते। अन्ना द्रमुक के 200 प्रत्याशियों में से 129 ने विजय प्राप्त की। मत-प्रतिशत को लें तो अन्ना द्रमुक को 37.5, द्रमुक को 21, कॅबिनेट को 20 और जनता पार्टी को 10 प्रतिशत के लगभग मत मिले। जनवरी 1980 के आम चुनावों में लोकसभा में अन्ना द्रमुक ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। फलस्वरूप दल को पताजय का साधना करना पड़ा। अन्ना द्रमुक ने केवल 2 स्थानों पर विजय प्राप्त की। वह मार्च 1977 के साथ को खा बंदी। लोकप्रियता और विजय की दृष्टि में द्रमुक ने अन्ना द्रमुक को पछाड़ दिया, लेकिन मई, 1980 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक पुनः विजयी हुआ और सरकार बनाई। दिसम्बर, 1984 के आम चुनावों में लोकसभा में अन्ना द्रमुक ने 12 सीटें जीतकर द्रमुक को पुनः परास्त किया। द्रमुक को केवल एक सीट मिली। राज्य विधानसभा के चुनाव साथ ही हुए जिसमें बहुमत से विजय प्राप्त कर अन्ना द्रमुक ने सरकार बनाई।

अन्ना द्रमुक का विभाजन—दिसम्बर, 1987 में मुख्यमंत्री एम. जी. रामचन्द्रन के देहावस्था के परचात् उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर अन्ना द्रमुक में फूट पड़ गई। बी. आर. नेदुन चैङ्गियन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करने दिया गया अतः श्रीमती जालाई रामचन्द्रन का मुख्यमंत्री के

अकाली दल—अकाली दल पंजाब का प्रमुख ऐरोय दल तथा मिर्कटों का सामाजिक-राजनीतिक संगठन है। इस दल के संस्थापकों में मास्टर चारणसिंह, सन्त फोतेसिंह, जस्टिस गुलामसिंह के नाम हैं। 1960 के दशक के बाद शिरोमणी अकाली दल का विभाजन हो गया और यह अकाली दल मास्टर चारणसिंह तथा अकाली दल सन्त फतेहसिंह में विभाजित हो गया। सन्त फतेहसिंह और चाननसिंह के नेतृत्व में अकाली दल ने प्रथम 'पंजाबी सूबे' के लिए आन्दोलन चलाया। परिणामस्वरूप पंजाब का विभाजन कर पंजाब और हरियाणा नाम के दो अलग-अलग राज्यों का गठन कर वण्डोड़ग को केन्द्र-शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 'पंजाबी सूबे' का निर्माण शिरोमणी अकाली दल को उपस्थिति थी।

1967 के आम चुनाव में अकाली दल और भारतीय जनसंघ ने मिलकर चुनाव लड़ा। यह गठबन्धन राज्य विधानसभा में शक्ति का रूप में उभरा। सरदार गुलामसिंह के नेतृत्व में अकाली दल भारतीय जनसंघ की सविद सरकार सत्ताह्वित हुई जिसने राज्य में हिन्दू-सिक्ख एकता की स्थापना की दिशा में कार्य किया। कांग्रेस ने सरकार को अस्वस्थ करने के लिए दलबदल का सहाय लिया। इस सविद सरकार के शिक्षा मंत्री डॉ. अस्पृशसिंह गिल के नेतृत्व में अनेक अकाली सदस्यों ने विद्रोह करके कांग्रेस के सहयोग से अस्पृशसिंह सरकार बनाई। यह सरकार दलबदलपूर्वकों को अस्पृशसिंह सरकार थी। कांग्रेस द्वारा इस सरकार को समर्थन वापस लेने से इस सरकार का पतन हो गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन शुरू किया गया। 1969 में राज्य में मध्यावधि चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें सरदार गुलामसिंह के नेतृत्व में अकाली दल भारतीय जनसंघ के गठबन्धन को पुनः बहुमत मिला। गुलामसिंह पुनः मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनमें और सन्त फतेहसिंह के बीच मतभेद होने के कारण उन्हें अकाली दल के नेता पद से हटा दिया। उनके स्थान पर प्रकाशसिंह बादल को अकाली दल का नेता निर्वाचित किया गया। उनके नेतृत्व में अकाली दल भारतीय जनसंघ की सविद सरकार कार्य करती रही, लेकिन सीमा ही राज्य में सत्ता-समूहकरण बदल गया। भारतीय जनसंघ बादल सरकार से अलग हो गई। इन पर कांग्रेस ने वादन्त सरकार का समर्थन किया, लेकिन यह स्थिति लम्बे समय तक नहीं चली। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में इन्दिरा कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। अकाली दल को विपक्ष में बैठना पड़ा। जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में जब बिहार आन्दोलन चलाया गया तो अकाली दल ने उसका समर्थन किया। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो सभी प्रमुख अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के विरुद्ध सफर किया। फलतः उन सब को जेलों में डाल दिया गया। 1977 के आम-चुनाव में अकाली दल ने जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबन्धन किया और केन्द्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी को सरकार बनने पर उसमें शामिल हुआ। जून 1977 में पंजाब विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें अकाली दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। प्रकाशसिंह बादल की अकाली दल और जनता पार्टी की सविद सरकार सत्ता में आई जिसने राज्य को नियर शासन प्रदान किया। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (इ) ने दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया, परन्तु अकाली दल के समर्थन और आग्रह में विशेष बन्धी नहीं आई। जहाँ 1977 में दल ने जनता पार्टी के सहयोग से लोकसभा में मतदानपूर्ण स्थान प्राप्त करने की 1980 के लोकसभा चुनावों में ठोरे केवल एक स्थान ही प्राप्त हो सका तथा शेष स्थान कांग्रेस (इ) को प्राप्त हुए।

जून 1980 के लोकसभा चुनावों में पंजाब के बंद अकाली दल कई भागों में बँट गया। मुख्य भाग का नेतृत्व सन्त हरचन्दसिंह लोंगोवाल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल ने किया। दूसरा गुट जगदेवसिंह तलवण्डी के नेतृत्व हुआ। कई विधायी को लेकर उन्होंने पंजाब की कांग्रेस (इ) सरकार तथा भारत सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में उठाया। अकाली दल ने मुख्य मंत्रियों—(i) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में शामिल किए जायें, (ii) चण्डीगढ़ को अकेले पंजाब की राजधानी स्वीकृत किया जाय, (iii) पाठशा नायल जैसे विद्युत केन्द्र पंजाब के नियन्त्रण में रहें, (iv) पंजाब में उद्योगों की स्थापना की जाय, (v) मुख्यमंत्रियों की प्रथम समितियों तथा सिट्टी के अन्य धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप न करे। इन माँगों को लेकर अकाली दल ने धरान, प्रदर्शन आदि कार्यवाहियों का ही सहाय नहीं लिया, बल्कि 'राशन टोके, रेल टोके,' जैसे आन्दोलन भी चलाए। पंजाब की स्थिति अत्यन्तस्थित बाली गई और अकाली दल में उग्रवादियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई जो 'खालिस्तान' अर्थात् 'सम्पूर्ण अव्यवस्थित बाली राज्य' की स्थापना कर आई। अकाली दल इस प्रयास में था कि 'आनन्दपुर साहब' प्रस्ताव को प्रभुत्व सम्पन्न सिट्टा राज्य' की स्थापना कर आई। अकाली दल इस प्रयास में था कि 'आनन्दपुर साहब' प्रस्ताव को गठन सरकार मान ले। 11 सितम्बर, 1972 को अकाली दल के सरदार सुजीतसिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने 16 अक्टूबर, 1973 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को ही 'आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव' कहा जाता है। उस समय अकाली दल के प्रधान जयदेवदा जगदेवसिंह तलवण्डी थे। अक्टूबर, 1978 में प्रस्ताव को अकाली दल के सचिव सरदार अजमेरसिंह ने प्रकाशित किया। इस बीच हरचन्दसिंह लोंगोवाल ने मजबूर होकर तलवण्डी था। दोनों नेताओं में एक-दूसरे से बाजी ले जाने के लिए मुकाबला हो रहा था। सन्त लोंगोवाल ने मजबूर होकर तलवण्डी के आन्दोलन को अपना लिया। अब मुकाबला उनमें और सन्त जयनैतसिंह भिण्डरावाले में होने लगा। पंजाब समस्या के आन्दोलन को अपना लिया। अब मुकाबला उनमें और सन्त जयनैतसिंह भिण्डरावाले में होने लगा। पंजाब समस्या को स्वस्थान में केन्द्र सरकार ने जो नीतियाँ अपनायीं उससे अकाली दल के नरम भाग निकल कर मामला आतंकवादियों

के हाथ में चला गया और आनन्दपुर साहब प्रस्ताव एक बुनियादी मुद्दा बन गया। आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव में जहाँ लिखा है कि अकाली दल सिखों के 'बोल बाला' के लिए समर्थ करेगा वहाँ यह भी लिखा है कि इसके लिए टैक्स इन्कवा होना चाहिए। इसमें वर्तमान में पंजाब के साथ डलहौजी, चन्दीगढ़, मिर्जापुर, कालका, अम्बाला, ऊना, नानकगढ़, जिला कराना के शाहबाद और गड़ला ब्लाक, सिरसा तहसील, टोहना ठम-तहसील, जिला हिसार का गठिया ब्लॉक, राजस्थान के श्रीगंगानगर की 6 तहसील और इसके साथ लगने वाले अन्य पंजाबी भाषी इलाके शामिल किए जाए।

धरि-धरि अकाली दल पर उपवासियों का शिकवा मजबूत होता गया और स्वर्ण मन्दिर सिखों का 'युद्ध मोर्चा' बन गया तथा यहाँ की आतंकवादी गतिविधियों की चुनौती राष्ट्र की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया अतः स्वर्ण मन्दिर में जून, 1984 में सेना को प्रवेश करना पड़ा और भिड़ट्टावले सहित अनेक उपवासियों मारे गये। इसे 'आनंदरतन बन्दू स्टार' कहा गया। पंजाब की समस्या अनसुलझी रही, हिंसा और अराजकता जापो 'बी अर अकाली दल अपनी पुण्य मॉर्चों के साथ-साथ नर-नर मसले उठाता रहा। 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी को हत्या उनके मित्र अण्णासैबी द्वारा की गई। उपवादी गतिविधियाँ तेजी बढ़ती गईं और अकाली दल आतंकवादियों के सामने देवम हो गया। अकाली दल के उपवादी तत्व नरम तत्वों पर बुरे तरह हावी हो गए। इन उपवादी तत्वों का आतंकवादियों से स्पष्ट गठबन्ध था। एनोव सात्कार ने पंजाब समस्या को प्राथमिकता दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अरुणसिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया और अकाली दल के नेताओं की रिहाई के साथ-साथ एक के बाद एक बंदम उठाए गए जिनमें अकाली दल के नरम पक्ष को प्रोत्साहन मिला और तब पक्ष ठंडा होता गया। अक्टूबर 24 जुलाई, 1985 को पंजाब समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचन्दसिंह लोंगोवाल के बीच एकमुरत हस्ताक्षर समझौता सम्पन्न हुआ। 26 जुलाई को अकाली दल ने समझौते पर मोहर लगा कर 'धर्म युद्ध' मोर्चा वापस लेने का घोषणा की, किन्तु 'सयुक्त अकाली दल' और 'अखिल भारतीय सिख छात्र सभ' ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। दोनों समझौतों को 25 जुलाई, 1985 को अलग-अलग बैठकों में यह निर्णय लिये गये। सयुक्त अकाली दल की बैठक को अध्यक्षता दिवंगत जर्नेलसिंह भिण्डरवाले के वृद्ध पिता बन्ना जोगेंद्रसिंह ने की। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद सन् हरचन्दसिंह लोंगोवाल की उपवासियों द्वारा हत्या कर दी गई। अकाली दल ने सुरजोतसिंह बरानला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर समझौते पर चलने का निश्चय दोहराया।

दिसम्बर, 1984 में पंजाब के 13 लोकसभा स्थानों के लिए चुनाव नहीं कराए गए थे। पंजाब विधानसभा भाग्यी और राज्य में राष्ट्रपति शासन था। पंजाब समस्या पर ऐतिहासिक समझौते के बाद 25 सितम्बर, 1985 को लोकसभा की 13 सीटों तथा पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। लोकसभा की 13 सीटों में से अकाली दल को 7 एवं कांग्रेस (इ) को 6 सीटें मिलीं। पंजाब विधान सभा की 117 सीटों में से 115 सीटों पर चुनाव में अकाली दल ने 72 सीटों पर विजय प्राप्त कर सुरजोतसिंह बरानला के मुख्यमन्त्रित्व में अकाली दल की सरकार का गठन किया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन का अन्त हो गया। सुरजोतसिंह बरानला और प्रकाशसिंह बादल के बीच चलने वाले समर्थ ने अकाली दल (लोगोवाल) का विघटन कर दिया। मई, 1987 में राज्यपाल द्वारा सुरजोतसिंह बरानला मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसी बीच अकाली दल के विभिन्न गुटों में एकता स्थापित कर एकिकृत अकाली दल को स्थापना की गई। 9 जुलाई, 1988 को पटियाला में अकाली दल के नर-बन्द अध्यक्ष सिमरनजोतसिंह मान के पिता और पंजाब विधान सभाध्यक्ष जोगेंद्रसिंह मान की पार्टी का संघर्षक बनाया गया। इसके बाद पुनः अकाली दल में फूट पड़ गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल (मान गुट) को लोकसभा में 6 स्थान प्राप्त हुए। सिमरनजोतसिंह मान लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए लेकिन उन्हें अपने को लोकसभा में कृपाग सहित नहीं जाने देने के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिया। 1990 से 1992 के बीच अकाली दल गुटों में विघटित हो गया। अकाली दल (मान गुट), अकाली दल (लोगोवाल गुट) या बरानला गुट, अकाली दल (तलवट्टी गुट) और अकाली दल (कानुल गुट) जैसे प्रतिद्वन्द्वी गुट सामने आये। 1992 के राज्य विधानसभा चुनाव का अकाली दल (कानुल गुट) को छोड़कर सभी प्रमुख अकाली गुटों ने बहिष्कार किया। इस चुनाव में कांग्रेस (इ) को राज्य से होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त हुई। अकाली दल अनेक गुटों में विघटित हो गया। उपवादी तत्व प्रकाशसिंह बादल के नेतृत्व में संगठित हुए और उनके नेतृत्व वाला दल अकाली दल (बादल) कहलाया। दूसरी ओर उपवादी तत्वों का नेतृत्व सिमरनजोतसिंह मान के हाथ में आ गया जिसे अकाली दल (मान) की संज्ञा दी गई। 1996 के लोकसभा चुनाव में प्रकाशसिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबन्धन किया जिसका परिणाम था चुनाव में सफलता। 1998 के लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने लोकसभा के 8 स्थानों पर विजय प्राप्त की। केन्द्र में यह राष्ट्रीय जनता पार्टी का समर्थक दल था, जिसने 'विधान सभा' पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। तेरहवीं लोकसभा में वर्ष 1999 में इस दल को 2 स्थान प्राप्त हुए। वर्ष 2004 में हुए चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 8 स्थान प्राप्त हुए।

तेलंगुदेश—तेलंगुदेश आन्ध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। 1893 के राज्य विधानसभा के चुनावों से पूर्व स्थापित क्षेत्रीय दल ने राज्य में जहाँ जमा कर राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया। इस दल की सफलता का मूलाधार इसके संघायक नेता और तेलंगु फिल्मों में लोकप्रिय कलाकार एन. टी. रामाराव के 'व्यक्तित्व' को जाता था। उन्होंने चुनाव प्रचार कर तेलंगु भाषा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का नारा देकर तेलंगु भाषी लोगों में लोकप्रियता प्राप्त की। 1984 के लोकसभा चुनाव में इस दल को काँग्रेस (I) के बाद सबसे बड़ा दल होने का गौरव प्राप्त हुआ। राज्य विधानसभा के चुनाव में इसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सत्ता के सूत्र वापस अपने हाथ में ले लिए। 1989 तक यह दल राज्य सत्ता में रहा। 1983 से 1989 तक का समय तेलंगुदेश के चरमोत्कर्ष का काल कहा जा सकता है। इस अवधि में यहाँ इस दल को राज्य के मतदाताओं का उत्तरोत्तर समर्थन प्राप्त होता गया, वहीं इसके नेता एन. टी. रामाराव का व्यक्तित्व ऊँचाईयाँ प्राप्त करता गया और वे विपक्षी राजनीति के मुख्य केंद्र बिन्दु बन गये। 1984 में लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करते तेलंगुदेश में सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। इस नीच राज्यपाल गमलाल हाट्ट एन. टी. रामाराव को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने, नादेला भास्करराव को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के निर्णय का देश-व्यापी विरोध हुआ, फलतः गमलाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉ. शंकरदास शर्मा ने एन. टी. रामाराव को पुनः मुख्यमंत्री बना दिया।

1989 के लोकसभा के चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने तेलंगुदेश के इस सुदृढ़ गढ़ को ध्वस्त कर दिया। इसे राज्य में मात्र 2 स्थान प्राप्त हुए। राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही सम्पन्न हुए। इसमें तेलंगुदेश को पचास का स्थान करना पड़ा। काँग्रेस (I) पुनः सत्ता में आई। 1991 के लोकसभा चुनाव में तेलंगुदेश को 13 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन इसके सदस्यों के दल-बदल कर काँग्रेस (I) में शामिल होने से इस दल की शक्ति में कमी आई। इसके आलावा एन. टी. रामाराव के 'विवाह प्रकरण' से इस दल की प्रतिष्ठा में कमी आई। 1994 के राज्य विधानसभा चुनाव में समर्थित एन. टी. रामाराव के नेतृत्व में तेलंगुदेश को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनकी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की भूमिका से रुष्ट होकर उनके दामाद एन. चन्द्रबाबु नायडू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने उनके प्रति विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप रामाराव सरकार अल्पमत में रह गई। रामाराव को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इस सन्दर्भ को वे सहन नहीं कर सके अतः उनका देहावसान हो गया। इसके साथ ही राज्य की राजनीति से अन्त हो गया। 1998 की लोकसभा में इसके 12 सदस्य निर्वाचित हुए। 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल के 29 सदस्य चुने गये। 2004 में गठित चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 5 स्थान प्राप्त हुए।

तेलंगुदेश (नायडू)—1995 में चन्द्रबाबु नायडू के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश में तेलंगुदेश के अधिसंख्यक विधायकों ने एन. टी. रामाराव से विद्रोह करके उन्हें सत्ता से अपदस्थ कर दिया। एन. चन्द्रबाबु नायडू ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एन. टी. रामाराव के देहावसान के बाद तेलंगुदेश (नायडू) ही वास्तविक शक्ति बचकर उभरी। यद्यपि रामाराव की विधवा पत्नी लक्ष्मी पार्वती ने चन्द्रबाबु नायडू का विरोध जारी रखा। सन् 1996 के लोकसभा चुनाव में चन्द्रबाबु नायडू के नेतृत्व में तेलंगुदेश को 16 स्थान प्राप्त हुए। इसने ही इसे वास्तविक तेलंगुदेश दल सिद्ध कर दिया। इस विजय में चन्द्रबाबु नायडू का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व अधिक बढ़ा दिया। केन्द्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार को सतर्क करने में चन्द्रबाबु नायडू की भूमिका रही है। बारहवीं लोकसभा में 1998 के चुनावों में तेलंगुदेश के 12 सदस्य थे। तेरहवीं लोकसभा में तेलंगुदेश को 29 स्थान मिले तथा उनमें से एक जी. एच. सी. बोलयोगी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। चौदहवीं लोकसभा के मई, 2004 में प्राप्त हुए परिणामों में इस दल की निराशा जनक स्थिति रही।

समाजवादी पार्टी—अक्टूबर, 1992 में मुलायमसिंह यादव ने जनता दल (समाजवादी पार्टी) से अलग होकर 'समाजवादी पार्टी' नामक क्षेत्रीय दल का गठन किया। मुलायमसिंह ने मुसलमानों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जाटों और नर्जरी जैसे जातियों में जनधार विस्तृत किया। अपने को चौधरी चरणसिंह का शासकिक उत्तराधिकारी और 'भासपुर' बना कर जनता दल (अजीत) के समर्थक वर्ग को आकृष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देकर मुस्लिम मतों के आधार पर राजनीति करने वाले इनामों की फतवा राजनीति का विरोध किया। बारीराम के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबन्धन करके समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे मजबूत 'राजनीतिक शक्ति' बनकर सामने आई। सन् 1993 के राज्य विधानसभा चुनाव के समय अपने दल का चुनावी घोषणा-पत्र जारी करते हुए मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने, सत्ता में आते ही नकल विरोधी कानून को रद्द करने, अयोध्या प्रकरण का शान्तिपूर्ण समाधान करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने, विज्ञान को समर्थन देने तथा साम्प्रदायिक दंग होने की स्थिति में सम्बन्धित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को उत्तरदायी बनाने जैसे मुद्दों को दोहराया गया। चुनाव परिणाम में समाजवादी दल और बहुजन समाज पार्टी (सम-भसपा) गठबन्धन को स्पष्ट बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 171 स्थान प्राप्त दूसरे स्थान पर रहा। काँग्रेस (I) जनता दल और निर्दलीय सदस्यों द्वारा किया शर्त गठबन्धन का समर्थन करने की घोषणा के साथ ही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। दिसम्बर, 1993 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समा-भसपा की संविद सरकार सत्तारूढ़ हुई जो लम्बे समय तक नहीं चल सकी। बसपा द्वारा मुलायम सिंह सरकार का

समर्थन वापस लेने के कारण उनकी सरकार का पतन हो गया। इसके बावजूद मुलायमसिंह यादव राज्य में अपना जनाधार सुदृढ़ करने की दृष्टि से धुआधार दीर करते रहे। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की 17 स्थान प्राप्त हुए तथा 1998 में 20 स्थान प्राप्त हुए। जिससे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक शक्ति है। 1999 में हुए तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 26 स्थान प्राप्त हुए। चौदहवीं लोकसभा में गई, 2004 में प्राप्त हुए परिणामों में इस दल को 35 स्थान मिले।

बहुजन समाज पार्टी—14 अप्रैल, 1984 को कांशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। इस दल का वर्तमान में न तो कोई संविधान ही है और न कोई औपचारिक सगठन ही है। कांशीराम को छोड़कर न तो दल में कोई प्रभावशाली नेता ही है और न ही कोई प्रादेशिक नेता ही। राणू दल कांशीराम के व्यक्तित्व पर आधारित है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की नीतियों और कार्यक्रम का सम्बन्ध है यह यथार्थ, राजपूत और ब्राह्मणवाद का विरोध, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण तथा 'मनी' (धन), माफिया और मीडिया के विरोध करने के कार्यक्रम पर आधारित है। इसके आलोचक बसपा पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब इसके प्रमुख प्रभाव क्षेत्र हैं।

1989 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 3 स्थान प्राप्त हुए, वहाँ 1991 के लोकसभा चुनाव में इस दल को मात्र 11 स्थान प्राप्त हुए। इसके बाद 1993 के राज्य विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में 67 स्थानों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। बसपा के सदस्यों ने मुलायमसिंह मन्त्रिमण्डल में भाग लिया, लेकिन दल की महासचिव सुश्री मायावती और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता ने बसपा को यादव के नेतृत्व वाले मन्त्रिमण्डल से समर्थन वापस लेने के लिए बाध्य किया। बाद में सुश्री मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन जून 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती की कार्य-शैली तथा उतेजक बयानों से नाराज होकर इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस पर मायावती ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। राज्य में विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 11 स्थान प्राप्त हुए और दल के अध्यक्ष काशीराम विजयी हुए। कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने विश्वास मत के समय अटलबिहारी वाजपेयी और एच. डी. देवेगौड़ा का विरोध किया। 1998 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 5 स्थान प्राप्त किए। 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 14 स्थान प्राप्त हुए हैं। मई, 2004 में प्राप्त चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल ने 20 स्थान किये।

नेशनल कॉंग्रेस—नेशनल कॉंग्रेस जम्मू-कश्मीर का मुख्य क्षेत्रीय दल है। इसके स्थापना करमौर के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा की गई थी। इसकी नीतियों और कार्यक्रमों में जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को बनायें रखने, भारतीय संघ में विलय को अन्तिम मानने और इसे भारत का अधिन अंग मानने, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। इसके नेता शेख अब्दुल्ला का राजनीतिक इतिहास अनेक उतार-चढ़ावों में भरा हुआ है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गान्धी और उनके बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इसके आधार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सैयद मीर कासिम ने शेख अब्दुल्ला के लिए मुख्यमंत्री का पद खाली कर दिया। शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद कांग्रेस और उनके सम्बन्ध बिगड़ गये। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। 1977 में मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को सलाह पर राज्यपाल एल. के. झा ने राज्य विधानसभा को भंग कर पुनः निर्वाचन करवाया। राज्य में नेशनल कॉंग्रेस की एकदलीय सरकार सत्ताकूट हुई। इसके बाद राज्य में कांग्रेस (इ) कभी अपनी एक दलीय सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। शेख अब्दुल्ला के देहावसान के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉ. फारूख अब्दुल्ला को दल का नेता निर्वाचित किया गया। ये राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इससे नेशनल कॉंग्रेस में सत्ता संपर्ष प्रारम्भ हो गया। डॉ. फारूख अब्दुल्ला और उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के बीच संपर्ष चलता रहा। डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस (इ) के विरुद्ध विपक्षी दलों को समर्थन देने की नीति अपनाई। श्रीनगर में विपक्षी दलों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इससे कांग्रेस (इ) का रुठ होना ही था। 1984 में कांग्रेस (इ) की शह से राज्य में दलबन्धन क्रायण गया। गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में विधायकों ने नेशनल कॉंग्रेस छोड़ते हुए नेशनल कॉंग्रेस (खालिद) के गठन की घोषणा की। इससे फारूख मन्त्रिमण्डल अल्पमत में आ गया। मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने राज्यपाल जगमोहन से राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा करने के स्थान पर फारूख अब्दुल्ला को बर्खास्त करके गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जिसकी देशव्यापी निन्दा हुई। साम्यवादी, गैर साम्यवादी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने केन्द्र के इस कदम का विरोध किया। इसके बाद डॉ. फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉंग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अल्पमतिय सरकार को हटाने का प्रयास किया। इस बीच राजीव गान्धी के नेतृत्व में कांग्रेस (इ) और नेशनल कॉंग्रेस के बीच मतभेदों को कम करने के प्रयास किये जाते रहे। केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलोट ने इसमें मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। इससे नेशनल कॉंग्रेस और कांग्रेस (इ) में गठबन्धन बनने का आधार बना। इसके आधार पर ही 1986 में राज्यपाल जगमोहन द्वारा गुलाम

मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अल्पमतीय सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा को भंग किया गया। इसके बाद राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में डॉ. फारूख अन्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्ग्रेस और काँग्रेस (ए) गठबन्धन ने तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त किया। फलतः उनके नेतृत्व में नेशनल कॉन्ग्रेस और काँग्रेस (ए) की संविद सरकार सत्तारूढ़ हुई। इसके पूर्व जम्मू-कश्मीर में राजीव और डॉ. फारूख अन्दुल्ला के बीच समझौता हुआ। 1989 में केन्द्र में सत्ता-परिवर्तन हुआ। विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ हुई। इस सरकार ने जगमोहन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की। इसके विरोध में डॉ. फारूख अन्दुल्ला के नेतृत्व वाली संविद सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। सितम्बर, 1996 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। नेशनल कॉन्ग्रेस के नेता डॉ. फारूख अन्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार कार्यरत है। 1999 की तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में इस दल को 4 स्थान प्राप्त हुए। मई, 2004 में प्राप्त चौदहवीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में इस दल ने 2 स्थान मिले।

असम गण परिषद (अगप)—असम गण परिषद असम का क्षेत्रीय दल है। असम से विदेशियों की निष्कासित करने के लिए अखिल असम छात्र सभ और असम गण सभा परिषद के तत्वावधान में एक प्रबल जन-आन्दोलन चलाया गया। देश के गैर साम्यवादी विपक्षी दलों तथा जनता द्वारा आन्दोलन को समर्थन देने से आन्दोलन के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ। राज्य में बन्द का आयोजन करना इस आन्दोलन के प्रमुख अंग थे। अन्त में 1985 में राजीव गाँधी और असम के आन्दोलनकारियों के बीच 'असम समझौता' हुआ जिसके अन्तर्गत राज्य विधानसभा को भंग कर नये चुनाव कराये जाने की व्यवस्था थी। इस पर दिनेश्वर सैकिया के नेतृत्व वाली काँग्रेस (ए) की सरकार द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। इसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अखिल असम छात्रसभ और अखिल असम गण परिषद ने अपना विन्यय करते हुए 'असम गण परिषद' (अगप) के रूप में संगठित किया। इस दल को राज्य विधानसभा में समर्थन प्राप्त हुआ। प्रफुल्लकुमार महन को असम गण परिषद का नेता निर्वाचित किये जाने पर मुख्यमंत्री बनाया गया। वे देश में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री बने, साथ ही दल के अध्यक्ष भी बने रहे। असम गण परिषद की नीतियों में असम की सांस्कृतिक विरासत और घोड़र की सुरक्षा और राज्य में अवैध रूप से आये विदेशियों की पहचान करके उन्हें बाहर निकालने तथा राज्य का विकास करने जैसे मुद्दे शामिल थे। सत्तारूढ़ होने के बाद असम गण परिषद में अन्तर्कलह और गुटबन्दी की स्थिति चलती रही। यह मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार महन और गृहमंत्री भृगुकुमार फुक्न के नेतृत्व में दो प्रतिद्वन्दी गुटों में विभाजित हो गई। इससे जहाँ दल में गुटबाजी और अनुरक्षणहीनता की गटनाई घटित हुई, वहाँ सरकार की कार्य-शैली के कारण जनता में दल की छवि गिरी। राष्ट्रीय राजनीति में असम गण परिषद ने राष्ट्रीय मोर्चे के साथ अपने को सम्बद्ध कर लिया। विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में दिनेश गोस्वामी दल के मंत्री रहे। नवम्बर, 1990 में चन्द्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल (समाजवादी) की सरकार ने प्रफुल्लकुमार महन के नेतृत्व वाले मन्त्रिमण्डल का बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इसके पश्चात् दल का विभाजन हो गया। भृगुकुमार फुक्न के समर्थकों ने महन के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए अलग से नये दल का गठन किया। सन् 1991 के राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में असम गण परिषद की भारी पराजय हुई। इस चुनाव के बाद इस दल ने राष्ट्रीय मोर्चे से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। असम गण परिषद ने राज्य में सरावत विपक्ष की भूमिका को बनाये रखा। 1996 में लोकसभा के चुनाव के साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचन सम्पन्न हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री और काँग्रेस (ए) नेता दिनेश्वर सैकिया के देहावसान के कारण राज्य में काँग्रेस को आधार लगा। 126 सदस्यीय राज्य विधानसभा में असम गण परिषद को 59 स्थान प्राप्त हुए। प्रफुल्लकुमार महन ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। असम गण परिषद केन्द्र में गठित संयुक्त मोर्चे का एक अभिन्न अंग रही। चौदहवीं लोकसभा में मई, २००४ को प्राप्त हुए परिणामों में इस दल को 3 स्थान प्राप्त हुए।

शिवसेना—शिवसेना महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल है। बाल ठाकरे इसके संस्थापक हैं। प्रारम्भ में शिवसेना ने 'महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए है' का नारा लगाकर गैर महाराष्ट्रियों में दहशत उत्पन्न कर दी थी। बाद में शिवसेना के नजरिये में परिवर्तन हुआ और इसने राष्ट्रीय परिस्थिति में सोच विकसित करके इस नारे का व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। शिवसेना 'हिन्दुत्व विचारधारा' की कट्टर समर्थक है। सन् 1989 से इस दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी गठबन्धन है। 1995 के महाराष्ट्र के सम्पन्न हुए चुनाव में शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी के गठबन्धन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। शिवसेना के नेता मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्य में पहला अवसर था कि शिवसेना का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हो। इससे शिवसेना की शक्ति और प्रतिष्ठता में वृद्धि हुई। 1996 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र में 15 स्थानों पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। इस दल को 1998 की बारहवीं लोकसभा के चुनावों में 6 तथा 1999 में तेरहवीं लोकसभा के चुनावों में 15 स्थान प्राप्त हुए हैं। चौदहवीं लोकसभा के अप्रैल-मई, 2004 के चुनावों में इस दल को 12 स्थान प्राप्त हुए।

हरियाणा विकास पार्टी—हरियाणा विकास पार्टी हरियाणा का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। चौधरी बशीराल इमक सत्पाक है। सन् 1996 में लोकसभा के साथ-साथ हरियाणा विधानसभा के निर्वाचन सम्पन्न हुए। इन चुनावों में हरियाणा विकास पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबन्धन किया। चौधरी बशीराल के नेतृत्व में इस गठबन्धन ने 90 सदस्यीय सदन में 44 स्थान प्राप्त किये। बशीराल को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिनाई गई। फरवरी 2000 के विधानसभा निर्वाचन में हरियाणा विकास पार्टी की पाठ्यप हुई तथा ओम्प्रकाश चौटाना मुख्यमंत्री बने।

दमिल मनीला कॉग्रेस—यह दमिलनादू का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 1996 के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा कॉग्रेस (I) के अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक के साथ चुनावी गठबन्धन करने का निर्णय से यह होकर श्री. के. मूनार, पी. पिदम्बार्म तथा एम. अशाफलम् के नेतृत्व में राज्य के अनेक कॉग्रेसजनों ने कॉग्रेस (I) से त्यागपत्र देकर 'दमिल मनीला कॉग्रेस' नाम से एक क्षेत्रीय दल का गठन किया। इस दल ने द्रमुक के साथ चुनावी गठबन्धन किया। इस दल को लोकसभा में 20 तथा राज्य विधानसभा में 39 स्थान प्राप्त हुए। कन्न में सद्गुण मोर्चे की सरकार को सत्तारूढ करने में इस दल की अहम भूमिका रही थी। वर्तमान में इस दल की निधि अनेककृत कमजोर है।

अन्य क्षेत्रीय दल—अन्य मुख्य क्षेत्रीय दलों में बिहार में झारखण्ड पार्टी, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, नागालैण्ड में नागा नेशनल फ्रंट, असम में प्लेस ट्राइबल्स क्वार्टर्स, सिक्किम में सिक्किम प्रगाम परिषद्, त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजाति सभा, महाराष्ट्र में पीपेन्ट एण्ड वर्कर्स पार्टी, गोवा दमन एव दीव में महाराष्ट्रवादी गोपबन्धक पार्टी, केरल में केरल कॉग्रेस (मणि गुट और मुस्लिम लीग) और मेघालय में आल पार्टी हिन लीडर्स कॉन्ग्रेस, हिल स्टेट यूनियन, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम गिनाये जा सकते हैं।

सात क्षेत्रीय दलों की मान्यता समाप्त—29 जून 2000 को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करके हरियाणा विकास पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) समेत सात पार्टियों को क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता समाप्त कर दी थी।

भारत में विपक्ष की भूमिका

(Role of Opposition in India)

भारतीय लोकतन्त्र का दुर्भाग्य ही है कि देश में चौदह सदीय निर्वाचनों के सम्पन्न होने के पर्यन्त अब भी सशक्त विपक्ष विकास के क्रम में है। सन् 1967 के आम चुनावों के बाद विभिन्न राज्यों में सत्ता में आई सरकारें केन्द्र में जनता शासन के 1977-79 का काल 1989 से 1990 तथा 1996 से आज तक के काल को छोड़कर देश में कॉग्रेस का शासन रहा। ग्यारहवीं लोकसभा के चुनाव के बाद कॉग्रेस (I) का शासन समाप्त हुआ। समय-समय पर देश में कॉग्रेस और कॉग्रेस (I) को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के मोर्चे संगठित होते रहे हैं। ऐसे मोर्चों को साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी दोनों ही रूपों में रखा जा सकता है। साम्यवादी दलों के मोर्चों में मार्क्सवादी दल के नेतृत्व में गठित कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक मोर्चा प्रमुख है, जो पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और केरल में कार्य करता रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली साम्यवादी दल के नेतृत्व में भारतीय साम्यवादी दल आर. एम. या और चारवर्ड ब्लॉक का 'व्यपपी मोर्चा' अस्तित्व में है। यह ससद में और ससद के बाहर कार्य कर रहा है लेकिन इसका प्रभाव-टोत्र सीमित है। यह पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल और त्रिपुरा में ही प्रभावशाली है। अप्रैल-मई 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाला राज विपक्षी की भूमिका में आ गया।

गैर-साम्यवादी दलों के मोर्चे—गैर साम्यवादी दलों ने भी कॉग्रेस को चुनौती देने के लिए अनेक मोर्चे बनाये। राष्ट्रीय स्तर पर 1971 में स्थापित सगठन कॉग्रेस भारतीय जनसत्ता स्वतन्त्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का 'जीगुटा' (Grand Alliance), 1977 के चुनाव के समय स्थापित की गई जनता पार्टी, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का लोकतान्त्रिक गठबन्धन तथा राष्ट्रीय मोर्चे हैं। समय-समय पर राज्य स्तर पर अनेक मोर्चे गठित किये गये। इनमें परजब में अम्बुली दल और भारतीय जनसत्ता का सपुक्त मोर्चा, उड़ीसा में स्वतन्त्र पार्टी का सद्गुण मोर्चा, तमिलनाडू में द्रमुक एव मनीला कॉग्रेस, महाराष्ट्र में शिवसेना एवं भारतीय जनता पार्टी का गठबन्धन, असम में असम गण परिषद तथा कम्युनिस्ट दलों का गठबन्धन, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के गठबन्धन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

भारत में आज तक स्वस्थ और शक्तिशाली विपक्ष का विकास नहीं हो सका है, इसके लिए निम्नलिखित कारणों को ठहरावही ठहराया जा सकता है—

1. अरिजों से सदा भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस को फ्राट हुई थी और वह राजनीतिक दल के रूप में बनी रही। यद्यपि गौधीजी ने कॉग्रेस के राजनीतिक स्वरूप को समाप्त करना चाहा था तथापि स्वार्थ की राजनीति तथा सत्ता की

लोकप्रियता ने भीषणता का मत नहीं माना। भारत की जनता काँग्रेस को स्वतन्त्रता से पहले राष्ट्रीय आन्दोलन था और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो राजनीतिक दल बना, उसके अन्दर को नहीं समझ सकी। चुनावों में काँग्रेस को इसका लाभ मिलता रहा है।

2. काँग्रेस ने शक्तिशाली राजनीतिक संगठन के रूप में, सत्ता के चमत्कार से, विरोधी पक्ष को चक्रवर्ती कर दिया और सत्ता के आकर्षण में विरोधी पक्ष के बहुत-से सदस्य काँग्रेस में आ गए। इस प्रकार स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद काँग्रेस की छत्रछाया में प्रत्येक विचारधारा के लोग एकत्रित हुए। काँग्रेस के भीतर समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी थे और काँग्रेस की नीतियाँ सबके मन्थन से तय होती थीं। अतः जो कार्य विपक्ष को करना था, वह काँग्रेस के भीतर विद्यमान विरोधी पक्ष द्वारा कराया गया है।

3. काँग्रेस के बाहर जो राजनीतिक दल थे, वे छोटे छोटे भागों में विभाजित रहे हैं जो स्वयं को एक-दूसरे का विरोधी करते रहे हैं और एक छत्रछाया में आने को भी तैयार नहीं होते हैं। विपक्ष की स्थिति का लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलता रहा है।

4. विपक्ष का विकास धीमा एवं प्रभावहीन रहने के कारण विभिन्न दलों की समान प्रवृत्ति है। अधिकारशक्त विभिन्न दलों का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं जो कभी काँग्रेस में थे और शीर्षस्थ नेताओं में मतभेद के कारण वे विपक्ष में चले गए हैं। ऐसा विपक्ष लोकतन्त्र की जिम्मेदारी को निभाने की बजाय अपना समय शीटों की हेरफेरों में व्यतीत कर देता है या जाति और उपजाति की 'अपील' की तलाश में समस्त विपक्ष को कैंकमेले करता रहता है।

5. धन और प्रभाव की राजनीति सत्तारूढ़ दल को प्रभावशाली और विपक्ष को कमजोर बना रही है। चुनावों के समय जब मन्त्रियों के साथ करिष्ठ शासन अधिकारी भूमते हैं तो इसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है, विरोधकर तब जनता के साथ घड़ी दल सत्तारूढ़ है जो केन्द्र में है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य नियमों के बाहर अपने समर्थकों का कार्य करने में सफल हो जाते हैं जबकि विपक्ष के सही कार्यों में नित्य नई बाधा उपस्थित होती है।

6. स्वयं विपक्ष के मार्ग में आने वाली रुकावट 'धन की शक्ति' है जो सत्तारूढ़ दल के पास स्पेशलकृत अधिकार है। उसे विपक्ष की तुलना में खुले हाथ से चन्दा प्रदान कर बदले में अनियमित परामित, लाइसेंस और ठेके आदि लिए जाते रहे हैं।

7. विपक्ष को प्रभावहीन बनाने में देश की वर्तमान चुनाव प्रणाली सहायक रही है, जिसके द्वारा काँग्रेस अल्पमतों पर सत्तारूढ़ होती रही।

8. इन सभी का यह अर्थ नहीं है कि विपक्ष दुर्बल एवं प्रभावहीन स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है। विपक्ष के पास राजनीतिक विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव रहा है। विपक्षी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सस्ती लोकप्रियता के साधनों को अपनाते हैं साथ ही सत्तारूढ़ दल के भीतर एवं बाहर ही तमना करने, शोरगुल करने, छोटाकाता करने में ही अधिक दिलचस्पी लेते हैं।

स्वयं विपक्ष के विकास के लिए सुझाव

1. विपक्ष को देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक मामलों की जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे उन मामलों पर मार्ग निर्देशन का स्वयं एवं प्रबुद्ध जनमत तैयार कर सके। अमेरिका में 'वाटरगेट काण्ड' का भण्डाफोड प्रेस की स्वतन्त्रता के कारण ही सम्भव हो सका था।

2. निर्वाचनों में धन का अधिक व्यय जनता को भ्रम में डालता है। चुनावों में लाखों रुपये खर्च करना फिर कई गुना अधिक कमजोर राजनीति का एक मात्र सिद्धान्त बन चुका है। निर्वाचन सम्बन्धी व्यय सरकार द्वारा ठेकाकर या राजनीतिक दलों को उनकी प्रतिनिधित्व शक्ति के आधार पर निर्वाचन व्यय के लिए आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है।

3. हिटलरीय प्रणाली के विकास के लिए प्रयास किया जाए। समान विचारधारा वाले दलों का बुद्धीकरण होना चाहिए। राष्ट्रीय दल होने के लिए मापदण्ड में परिवर्तन करके दलों की सज्जा कम की जा सकती है।

4. विपक्षी दलों को सुस्पष्ट कार्यक्रम और विचारधारा के आधार पर मिलकर एक हो जाना चाहिए।

5. दल-बदल का सहारा लेकर विपक्ष की शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिये।

6. विपक्ष को अपने दृष्टिकोण एवं महत्वाकांक्षा में परिवर्तन लाना होगा। 'विरोध के लिए राजनीति को छोड़कर' उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाया चाहिए। सदन की कार्यवाही को रोककर अदार्शित किया गया विरोध जहाँ धातक और नकारात्मक है वहीं घोर प्रतिक्रियावादी विध्वंसक एवं लोकतन्त्र विरोधी भी है।

दबाव समूह

(Pressure Groups)

राजनैतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक काल में दबाव तथा हित समूहों को लोकतंत्र का परिपोषक एवं सहयोगी माना जाता है। वर्तमान में दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सामूहिक मांगों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और राजनैतिक शक्ति के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। राजनैतिक दल न होते हुए भी वे दलों की भाँति शक्ति-संगठन हैं जिनकी सदस्यता उदरव्य, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं। सामान्यतः हि-दलौय व्यवस्था में ये अधिक जगत्क और शक्ति-सम्पन्न रहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था में राजनैतिक दलों का अन्तर इतना प्रष्ट और स्पष्टता हो जाता है कि वे खुद दबाव समूहों से लगते हैं। आधुनिक दबाव समूह दम्पुः आंग्लोसिक युग की देन है। इनके सदस्य विरिष्ट हित-सम्पन्न फर्मो, प्रान्त-दलों, संयुक्त कर्मियों, विविध उद्योगों अर्द्ध के ऐसे अङ्गठनों होते हैं जो विविध तर्कों अन्तःकर विषयों को अपने पक्ष में करते हैं। इसी कारण लगे इन दबाव समूहों को प्रशासन का केन्द्र कहते हैं। अमेरिका में दबाव-समूहों के प्रतिनिधियों को 'लॉबीस्टर्स' (Lobbyists) कहा जाता है। प्रत्येक व्यवस्थापिका सदन के साथ लगे हुए कम्मे अथवा बल्लेदे को 'लॉबी' (Lobby) अर्थात् 'प्रबोध' कहा जाता है जहाँ विधायक अवकाश के समय आकर बैठते हैं। वहाँ दबाव समूहों के प्रतिनिधि अपने सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा उन्हें अपने पक्ष में प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। यह प्रभाव न केवल प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा वार्त् जनमत और प्रचार द्वारा भी दाला जाता है तथा धनदाता व्यय की जाती है। अपने उद्देश्यों की प्रति के लिए जगत्ता में मदभावना पैदा करने के लिए तथा उद्देश्य-प्रति में सहायक सिद्ध होने वाले लोगों के दृष्टिकोण को अपने अनुकूल करने के लिए दबाव समूह अथवा वार्त् एवं अर्द्धिक हितों के प्रभावशाली संगठन, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक प्रकल्प विरोधों की सेवाओं अर्द्ध का उपयोग करते हैं। वे अन्ना सहित्य विटर्न करते हैं और अपने हितों से विरोध दालों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पारचाय देरों के दबाव समूह आधुनिक तकनीक के कारण ही प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन गये हैं।

दबाव समूह और राजनीतिक कार्य-व्यवहार अथवा दबाव-समूहों की तकनीक

(Pressure Groups and Political Action or The Technique of Pressure Groups)

दबाव अथवा हित समूह लगभग असंख्य विविधताओं (Almost Endless Varieties) के साथ व्यवहार में क्रियाशील रहते हैं। दबाव समूहों की तकनीक को निम्नानुसार रखा जा सकता है—

दबाव समूह और चुनाव (Pressure Groups and Elections)

दबाव समूह निर्वाचनों के माध्यम से हितों के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करते हैं। यह सहायक अथवा अर्द्धिक-शक्ति के बल पर राजनैतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की 'अप्रत्यक्ष दबाव नीति' (Indirect Pressure Policy) है। दबाव समूह चुनाव के समय उन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करके उन्हें सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं जिनसे उनके अन्ना होरी है कि वे विधान-सभाल, कानून, साक्षर, में पहुँच कर उनके हितों का पोषण करेंगे। दबाव समूहों का प्रयत्न रहता है कि वे अपने अनुकूल राजनैतिक दल को धन-दान से समर्थन प्रदान करें, उसके विचारों काकार साकार में अपने अनुकूल शासकों (मन्त्रियों अर्द्ध) को भिखारों, विधान सभाल में अपने अनुकूल सदस्यों को बहुमत में लाने का प्रयत्न करें टर्कि राजनैतिक सत्ता उनके पक्ष में झुकी रहे या उनके हितों का काल रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा फारत के दबाव समूह ऐसा ही करते हैं। फारतवर्ष में छोटे दल जो सत्ता में अपने में अन्तर होते हैं, दबाव समूह के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

दबाव समूह और विचार-शक्ति तथा प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया—दबाव समूह अथवा प्रभावक गुट एक 'गन्तव्य शक्ति' (Dynamic Force) है। वे प्रकृतिक के हृदय में निरन्तर स्पन्दन काकार रहने में सहयोग देते हैं। वे सरकारों के अन्तर्गत में तथा निर्वाचनों की प्रविधि में शक्ति का रोकेते हैं तथा जन-जीवन में राजनैतिक के प्रति शक्ति अन्तर्गत करते हैं। निर्वाचनों के परिणाम अपने अनुकूल विरोधता तथा सार्वजनिक हितों को सहायता से प्रभावक गुट विधान-सभाल एवं सार्वजनिक के कक्षों में प्रतिनिधियों को केन्द्रित करके व्यवस्थापन को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दबाव समूहों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में व्यक्ति इन्हीं गुटों के माध्यम से नैतिक-निर्णय शक्ति को प्रभावित करके अपने निजी हित रक्षित करते हैं। दबाव समूह प्रत्यक्षियों के नानाकन में विशेष योग देते हैं।

1. Stephen L. Wasby : Political Science : The Discipline and its Dimensions, p. 365

2. Charles R. Adams : The American Political Process, p. 221.

दबाव समूह और गोपिचयी (Pressure Groups and Conference etc.)—विश्व में अनेक साधन-सम्पन्न दबाव समूह विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद के लिए समयानुसार गोपिचयी, सेमिनारों, व्याख्यान मालाओं और कार्यालयों का आयोजन करते हैं जिनमें विधायकों और प्रशासकों को आमंत्रित किया जाता है। इन गोपिचयों, कार्यालयों आदि का उद्देश्य अपने मत को लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करना तथा विधायकों को अपने पक्ष में प्रभावित करना होता है। इस कार्यकारी का प्रमुख रूप में काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आमंत्रित और भाग लेने वाले व्यक्तियों की प्रभावशाली सूची विधायी और कार्यकारी क्षेत्र दबाव समूह के प्रभाव से परिचित हो जाते हैं और ऐसे बंदम उठाने से बचते हैं जिनसे उन दबाव समूहों से टकटो की स्थिति आए।

दबाव समूह और लॉबींग (Pressure Groups and Lobbying)—लॉबींग का आशय है कि दबाव एवं हित समूहों के कार्यकर्ता व्यावसायिक सभा-पत्र के कक्षों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से विधायकों से सम्पर्क स्थापित कर उन पर विभिन्न उपायों से दबाव डालते हैं कि वे ऐसी विधि का निर्माण करें जिससे उनके (समूहों) हितों का संरक्षण मिले। इस कार्य हेतु चतुर यत्नशील और विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है जो विधायकों पर तार्किक दबाव से प्रभाव डालकर उन्हें महसूस कराते हैं कि अमुक विधि या अमुक धारा अमुक दृष्टि से सार्वजनिक हित के अनुकूल या प्रतिकूल है। दबाव समूहों के कार्यकर्ता विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और हर सम्भव उपाय से प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। कनिष्ठता में जहाँ सौकरों हित समूह कार्यरत हैं, सम्भवतः एक हजार से अधिक उच्चकोटि कांग्रेस के प्रत्येक सत्र में सक्रिय लाबीस्ट (Active Lobbyists) के रूप में मौजूद रहते हैं।¹ यह तो केवल एजिस्टर्ड लाबीस्ट की संख्या है और जो कानून के अन्तर्गत एजिस्टर्ड नहीं हैं उन लाबीस्टों की गतिविधियाँ भी कम नहीं रहती हैं।

मुख्य कार्यपालिका पर दबाव (Pressure on Chief Executive)—बहुत उच्च या महत्वाकांक्षी उद्देश्य से प्रति राजनीतिक समूह सीधे मुख्य कार्यपालिका पर दबाव डालने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भारत में राजतन्त्रशाली औद्योगिक धारण, व्यावसायिक समूह जैसे—बिड़ला समूह, डालमिया समूह, अम्बानी समूह, रिलायन्स समूह, बाँबे इण्डियन समूह, टाटा समूह किसी नीति-विरोध के पक्ष में प्रधानमंत्री को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रभावित करने के प्रयास किये जाते हैं।² वास्तव में कार्यपालिका पर विभिन्न प्रकार के दबाव बने रहते हैं और दृढ़ विरोधी तथा शक्तिशाली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन दबावों के मध्य सन्तुलन बनाये रखता है। अखिर मुख्य कार्यपालिका राजनीतिक ही होते हैं, उन्हें चुनावों का सामना करना पड़ता है अतः वे दल के प्रभावशाली व्यक्तियों, देश के संपर्क गुटों, मंत्रिमण्डल के अपने वरिष्ठ सदस्यों से अप्रभावित नहीं रह पाते। अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव इण्डियन हाउस स्टैंड के माध्यम से डाला जाता है। हित समूह राष्ट्रपति की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों तक पहुँच जाते हैं। मैकलिन डी. रूजवेल्ट बहुधा अपने पति से उदार दबाव समूहों के हितों (Concerns of Liberal Groups) की चर्चा किया करती थीं और सक्रिय रूप से उनके हितों की बकावत करती थीं। इसी प्रकार की दबाव नीति भारतीय प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री या फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर लागू होती है।

जब दबाव समूह सम्पर्कों के माध्यम से कार्यपालिका को प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो वे प्रचार, मद्रसीन, इडलाल, पोप, विरोधी दलों का आश्रय आदि तकनीकी के माध्यम से कार्यपालिका पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। उनका उद्देश्य दबावकारी अज्ञानता कातावरण पैदा कर देना होता है जिससे कार्यपालिका यह सोचने पर विवरा हो जाये कि कहीं घटनायें तुल न पकड़ जायें और उसका या उसके राजनीतिक दल का भविष्य अस्पष्टता में न पड़ जाये अथवा उसके राजनीतिक हितों का अभाव न पहुँचे। कार्यपालिका को किसी कानून को लागू करने के लिए श्रमिकों उद्योगपतियों कर्मचारियों आदि के रायों की पाँगों के आगे झुकना पड़ता है। कई बार दबाव समूह जब अन्य दबावकारी तत्वों से संयोग कर लेते हैं तो कार्यपालिका के आगे कठिन परिस्थितियाँ, पैदा हो, जाती हैं।

दबाव समूह और कर्मचारी-तन्त्र (Pressure Groups and Bureaucracy)—प्रत्येक व्यवस्था में सरकारी कार्य अधिकारिक जटिल होते जा रहे हैं। विस्तृत विधान अथवा प्रदत्त व्यवस्थापन (Detailed Legislation or Delegated Legislation) कम व्यावहारिक (Less Practicable) बन गया है अतः विधान मण्डल कानूनों में विस्तार के विस्तार क्षेत्र प्रशासकीय विवेक पर छोड़ देते हैं और दबाव समूहों के लिए सारकारी कर्मचारी तन्त्र को प्रभावित का सन-ग्राह्य आमन्त्रण दे डालते हैं। प्रदत्त विधान ने नौकरशाही को इतना समर्थ बना दिया है कि दबाव या हित समूह उसे अपने प्रभाव में लेकर अपने हितों का संरक्षण करते हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में दबाव समूह नौकरशाही को प्रभावित करने के लिए सभी नीतियों अपनाते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका में स्वतन्त्र निदानकीय आयोग (Independent Regulatory Commissions) सत्ता सम्पन्न है और उनके निर्णयों में कानून जैसी शक्ति और प्रभाव होता है। इन आयोगों के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव समूह सघन प्रयास करते हैं। विभिन्न कर्मचारी तन्त्र भी एक प्रकार के दबाव समूह ही होते हैं।

राज्य एक पट्टीयाने का भाग प्रदान करते हैं और राजसन्ध्यावास्था को जनता के प्रति श्वेदी (Responsive) बनाते हैं। दबाव समूह वास्तव में राजनीतिक सत्तापण के दब हैं जिनके आधार पर नीतिनिर्माता अपनी नीतियों का निर्माण और मूल्यांकन कर सकते हैं।

भारत में दबाव समूह : विकास और विशेषतायें

(Pressure Groups in India : Development and Characteristics)

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव-समूह का विनिर्माण मजदूर रहा है। इनका निर्माण ऐसे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले आरम्भ हो चुका था। 1885 में कांग्रेस को स्थापना ऐसी तात्का के रूप में हुई थी जिसका उद्देश्य राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार से अधिकतम सुविचार प्राप्त करना था। कोलकाता में इण्डियन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से यह माँग करना था कि भारतीय लोक सेवा में भाग लेनेवाले लोगों को भी सहायता दी जाए तथा इस सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा को भी बढ़ाया जाए। 1920 में गांधीजी ने भारत में राजनीति में प्रवेश कर कृषक तथा श्रमिक वर्ग को संगठित कर कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दिया। प्रथम विश्वयुद्ध से पहले कुछ श्रमिक संगठनों का निर्माण हो चुका था। उदाहरण के लिए 1880 में मुम्बई में एक ट्रेड यूनियन 'दि बम्बे मिल इंडस एसोसिएशन' के नाम से संगठित हुई। 1918 से श्रमिक आन्दोलन तेजी से शुरू हुआ और केवल एक वर्ष में ही सात ट्रेड यूनियनों का स्थापना हुई। श्रमिक संगठनों के निर्माण में गांधीजी ने विशेष रुचि ली। 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेड यूनियन 'एल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस' के नाम से संगठित हुई जिसके अध्यक्ष कांग्रेस दल के तत्कालीन अध्यक्ष साना सायब आप को बनाया गया। 1936 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का संगठन 'अखिल इण्डिया किसान सभा' के नाम से स्थापित किया गया जिसे कांग्रेस का निर्देशन तथा समर्थन प्राप्त था। इस संस्था की ओर से जमींदारी उन्मुक्त तथा भूमि के पुनर्वितरण की माँग की गई।¹

स्वतन्त्रता के बाद भारत में दबाव समूहों की संख्या और उनके प्रभाव क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई। इसका कारण व्यवस्थापक पदाधिकार, राजनीतिक समानता, सरकार के कार्य क्षेत्र में विस्तार और सविधान द्वारा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता के अधिकारों का दिया जाना है। भारतीय सविधान में राजनीतिक सत्ता का अन्तिम स्रोत जनता को माना और सरकार के निर्माण का अधिकार जन-साधारण को प्रदान किया। प्रतिनिधिक राजसन्ध्यावाली को स्थापना के परिणामस्वरूप राजनीतिक दल अधिक क्रियाशील हो गए और व्यावहारिक राजनीति में जन-साधारण के भाग लेने के कारण स्वयं राजनीतिक दलों ने विभिन्न वर्गों को हितों के आधार पर संगठित करना आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप भारत में व्यावसायिक, श्रमिक, व्यापारिक, जातीय तथा सम्प्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का निर्माण हुआ। रॉबर्ट एल. हाडमिच ने भारत में दबाव समूहों की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं—

1. भारत में दबाव समूहों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ है और जो दबाव समूह विद्यमान हैं वे बहुत कमजोर हैं।
2. कांग्रेस दल के भीतर पाए जाने वाले समूहों ने विभिन्न हितों के एजेंट के रूप में कार्य किया है।
3. अधिकतर भारतीयों में राजनीतिक सत्ता निम्न स्तर की है। उनके मतानुसार सरकारी पदाधिकारी सामान्यतः अनुसरदायी और प्रष्ट हैं। दूसरी ओर सरकारी पदाधिकारियों में दबाव-समूहों की गतिविधियों के प्रति सदैव आशंका बनी रहती है।

भारत में दबाव समूहों के विभिन्न प्रकार और उनका प्रभाव

(Kinds of Pressure Groups in India and their Influence)

- पारचात्य देशों की भाँति स्वतन्त्र भारत में आर्थिक हितों के अनुसार दबाव समूहों के चार प्रकार हैं—
1. व्यावसायिक—जैसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल सभ। इस क्षेत्र में इनकी सबसे बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग व्यवसायों की विभिन्न राज्यों में सैकड़ों संस्थाएँ हैं जिनका अपने-अपने व्यवसाय से सम्बन्ध है।
 2. श्रमिक—जैसे अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस आदि।
 3. कृषि सम्बन्धी—जैसे भारत में कृषक समाज, किसान सभा, किसान पचावत, समुक्त किसान सभा, किसान मजदूर यूनियन आदि।
 4. राज्य कर्मचारी संघ—जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि विभिन्न व्यवसायों और कार्यों से सम्बन्धित जैसे—मेट्रिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस, इण्डियन लॉ इन्स्टीट्यूट, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था सभ, अखिल भारतीय यूनियर्सिटीज एण्ड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, युवा कांग्रेस, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, सिविल सर्विस एसोसिएशन आदि।

ये समूह प्रायः सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में दो और विशेष प्रकार के समूहों का संगठन हुआ है जो अन्यत्र नहीं हैं—1. धर्म, जाति अथवा सम्प्रदाय सम्बन्धी, जैसे अकाली दल, परिगणित जाति सभ, वैश्य महासभा आदि। 2. गांधीवाद और सर्वोदयी विचारों से प्रेरित सम्पूर्ण, जैसे—गांधी ज्ञानि प्रतिष्ठान, सर्वसेवा सभ, अखिल भारतीय हरिजन मेचन्स-सभ, गांधी स्मारक निधि अखिल भारतीय चर्खा सभ आदि। ये सम्पूर्ण साधारण दबाव समूहों से इस हद तक भिन्न हैं कि ये राजनीतिक जोड़-तोड़ में विश्वास नहीं रखती और दलगत राजनीति से अलग रहकर सामंशों के साथ अपना कार्य करती हैं। इसीलिए इनके साधनों को देखते हुए इनका नैतिक प्रभाव दूसरे समूहों को अपेक्षा कहीं अधिक होता है। रॉबर्ट एल. हार्डेन ने हिन्दू-समूहों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया है—1. सामुदायिक सभ (Communal Association), 2. कृषि एवं ग्रामीण समूह (Agriculture and Rural Groups), 3. श्रमिक सभ (Labour Unions), 4. विद्यार्थी संगठन (Students Organisations) एवं 5. व्यावसायिक समूह (Business Groups)। इनके अतिरिक्त गांधीवादी जैसे कुछ विशिष्ट संगठनों को अलग से लिया जा सकता है। एक अन्य दृष्टि से भारत में विद्यमान दबाव समूहों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) भारत में परम्परागत दबाव समूहों (Traditional Pressure Groups) में जाति एवं धर्म पर आधारित दबाव समूहों का उल्लेख किया गया है जो मूलतः सामाजिक-सांस्कृतिक सम्प्रदाय हैं। यद्यपि राजनीति में इनकी भूमिका नगण्य होनी चाहिए, तथापि भारत के सार्वजनिक जीवन में धर्म और जाति के तत्वों का विशिष्ट स्थान है और इन पर आधारित दबाव समूह अनेक अवसरों पर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक दबाव समूहों के रूप में विगत वर्षों में भारत-चौन मैत्री समाज अखिल भारतीय ज्ञानि परिषद आदि सांस्कृतिक संगठन विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। जातीय एवं धार्मिक दबाव समूहों में उल्लेखनीय हैं—भारतीय ईसाईयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, ऑक्स-भारतीय एसोसिएशन, सनातन धर्म दक्षिणी सभ, आर्य प्रतिनिधि सभ, मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक सभ, जाट सभ, वैश्य महासभा, बंगाली समाज आदि। ये सभी दबाव एवं हित समूह अपनी जाति और सदस्यों के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा देश की राजनीति और चुनाव अभियानों में महत्त्व रखते हैं। कुछ राजनीतिक दलों तथा—अवधानी दल, द्रविड़ मुनेत्र कडगम, मुस्लिम मजलिस, जमीयत उलउन्नेम-ए-हिन्द, इन्डियन नेशनल पार्टी, परिगणित जाति सभ आदि का उदय मुख्यतः दबाव समूह के रूप में ही हुआ था और आज अपने स्वरूप और कार्य की दृष्टि से वे कमतरता में राजनीतिक दल और अधिक सीमा तक दबाव समूह माने जा सकते हैं। शिवसेना भी जातीयता पर आधारित एक दबाव-समूह ही है। अनुसूचित जातियों के समूह अपने हितों की रक्षा के लिए शसन पर निरन्तर दबाव डालते रहते हैं। उनका यह प्रयत्न रहता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकधिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद प्राप्त हों। महाष्ट्र में एक शक्तिशाली दबाव समूह के रूप में 'दलित-सेवा' का उदय हुआ है।

(ख) भारत में आधुनिक दबाव समूहों (Modern Pressure Groups) में व्यावसायिक एवं औद्योगिक दबाव समूह, श्रमिक सभ, किसान संगठन, शिक्षित वर्ग के संगठन आदि तो हैं ही, गांधीवादी संगठन भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारत में ये दबाव समूह व्यवस्थान समितियों को प्रभावित करते हैं। ये दबाव समूह मन्त्रिमण्डलों के निर्णय तक बदल देने की क्षमता रखते हैं।

प्रमुख दबाव समूह—भारत में प्रमुख रूप से निर्माकृत दबाव समूह कार्यरत है—

(1) व्यापारिक दबाव समूह (Trade Pressure Group)

भारत में अनेक व्यावसायिक समूह दबाव समूह कार्यरत हैं, जिनमें देश के व्यापार और व्यवसाय को केन्द्रित कर रखा है। ये परिवार राजनीतिक दलों को चन्दा देकर, सार्वजनिक क्षेत्रों में दान देकर औद्योगिक तथा शिक्षण संस्थाओं में उचित वेतन देने पर देकर, समर्थक प्रत्याशियों को निर्वाचन में विजयी बनाकर सार्वजनिक नीति को मद्दतपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन औद्योगिक समूहों अथवा धरुणों के अतिरिक्त विभिन्न व्यापारिक उद्योगों सार्वजनिक नीति को प्रभावित करती हैं, जैसे—मारवाड़ी, जैन, पारसी, दक्षिण भारत में चेन्नियर आदि। इसके अतिरिक्त अनेक व्यापारिक संगठन हैं जिनमें कुछ तो बर्दों के आधार पर संगठित हैं, जैसे—एम्प्लायर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (Employers Federation of India), बीमा बिल ओनर्स एसोसिएशन (Insurance Bill Owners Association) आदि एवं कुछ धर्म अथवा जाति के आधार पर संगठित हैं जैसे—मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कॉमर्स। ये संगठन व्यापारिक दृष्टिकोण में एकरूपता लाने और व्यापार के स्तर की वृद्धि करने में कार्यरत रहते हैं। इन सभी व्यापारिक संगठनों के शीर्ष पर 'फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री' (Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry) है। इन व्यापारिक दबाव समूहों का सार्वजनिक नीति पर दबाव बना रहता है। सभी क्षेत्रों में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं पर इन्होंने का नियंत्रण है। इससे व्यापारिक दृष्टिकोण के प्रचार और प्रसार में कोई बाधा नहीं होती है।

भारत के मुख्य पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, कॉमर्स कैम्पेडल्, इण्डियन फाइनेन्स, ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट आदि पर इन्हीं कुछ व्यापारिक पत्रों का अधिपत्य है। अधिकांश वेब्स ऑफ कॉमर्स भी अपने-अपने पत्र अलग-अलग निबालते हैं। समाचार एजेन्सियाँ इन्हीं के द्वारा विद्यमान होती हैं। हमारे यहाँ सचिवालयों में नियुक्त उच्च अधिकारियों को पृष्ठभूमि भी इन्हीं पत्रों से पूर्णतया प्रभावित है। यहाँ तक कि भारतीय मसद में भी इन पत्रों का प्रभाव व्याप्त है और इस प्रकार देश के राजनीतिक प्रयोग में इन्हीं का हाथ रहता है। इन्हीं विचारों के अनेक समर्थकों जैसे टी. टी. कृष्णायाचारी, होमी मोदी, ए. बी. सहाय, पुरुषोत्तमदास, टाकुरदास, जी. एन्. मेहता आदि ने प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं। वर्तमान में सरकार में अनेक ऐसे व्यक्ति प्रशासकीय और प्रभावशाली राजनीतिक पदों पर रहे हैं जो पूर्वीपंथियों के समर्थक रहे हैं। महात्मा दल में होने के कारण उन्हीं देश की नीतियों पर पूर्णतया वर्ग के हित में अपना प्रभाव डाला है। साइरोस प्रान्त करने, अपने अनुकूल कानून बनवाने तथा मुक्तिपत्रक नीतियों को बनवाने के लिए सरकार पर अनेक प्रकार के दबाव निरन्तर डालते रहते हैं। इन व्यापारिक संगठनों का प्रभाव सरकार तथा सरकारी नीतियों पर पूरी तरह से रहता है।

वर्तमान एवं व्यापार समूह किस प्रकार दबाव नीति का प्रयोग करते हैं, इनके पास कितनी धन-शक्ति है और इस वर्ग ने देश की राजनीतिक व्यवस्था में अपना विवाह स्थान किस स्तर तक बना रखा है आदि प्रश्नों के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि देश की सम्पूर्ण औद्योगिक नीति (Industrial Policy) के निर्धारण में इन व्यापारिक दबाव समूहों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

(2) सामुदायिक संघ (Communal Association)

सामुदायिक संघों (Communal Associations) में रॉबर्ट एल. हार्दग्रेव (Robert L. Hardgrave) ने गर्भ धारण जाति, कबीलों के विभिन्न समूहों आदि पर आधारित और इनके प्रति दबाव एवं हित समूहों को सम्मिलित किया है। क्षेत्रवाद और साम्प्रदायवाद भारतीय राजनीतिक समुदाय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पुनरीत रहे हैं, अतः इन पर आधारित और हित समूहों के विद्यमान को देश के लिए स्वयं नहीं माना जा सकता। मुस्लिम लीग और स्वतन्त्रता आन्दोलन के दबाव एक पृथक् सम्प्रदाय राज्य की माँग की और इसे लेकर रही। स्वतन्त्र भारत में भी मुस्लिम लीग छत्रवेश में अपने पुराने एक में उभर रही है। सिक्खों का अकाली दल भी एक राजनीतिक दल की अपेक्षा सिक्खों में एक दबाव समूह के रूप में अधिक गतिमान रहा है और 'पंजाबी राज्य' बनाने में सम्मिलित हुआ है। द्रमुक और छोटा नागपुर के कबीलों के संघों ने राष्ट्रीय एकता के हितों को हानि पहुँचाई है। नागाओं के समूह अपनी अलग पहचान की माँग करते हैं। भाषायी आन्दोलन ने राज्यों के पुनर्गठन और बहुत क्षेत्रीय स्वायत्तता की विधित पैदा की और अन्य भी रह-रह कर ये आन्दोलन राष्ट्रीय एकीकरण पर कुटारलान करते रहते हैं। जातीय समुदाय और समूह व्यवस्थापिका संघों में प्रतिनिधित्व के लिए प्रशासकीय सेवाओं में पदों के लिए कॉम्पेन्स में सौदों के बढ़ाने के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास में सरकारी प्रयत्नों से होने वाले लाभों में अधिकारिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की दबावकारी नीति का आग्रह करते रहे हैं। बहुत से जातीय-समुदाय सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास के सत्य की पूर्ति की दिशा में सफल रहे हैं, उनकी राजनीतिक पहुँच (Political Approach) बहुत प्रभावशाली रही है। सबसे घटे और सकल जातीय संघों में तमिलनाडु के नाडार समुदाय का नाम है जिसका राजनीतिकरण करने में 'नाडार महान् संघ' की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 1910 में स्थापित नाडार जाति संघ (Nadar Caste Associations) नाडारों के एकीकरण और उत्थान के लिए विभिन्न स्तरों पर क्रियाशील रहा है। वर्तमान में उत्तर में यादव कुर्मी तथा दक्षिण में ईडवाह जाति के व्यक्तियों ने अपने-अपने सामुदायिक संघ बना रखे हैं।

सामुदायिक संघों में ही धार्मिक समूहों को सम्मिलित किया गया है जो अपने धर्मावलम्बियों के हितों के लिए काम करते हैं। भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, पारसी रोन्दल एसोसिएशन एण्ड पब्लिशिंग लीग, सार्वभौमिक आर्य प्रतिनिधि संघ, मनातन धर्म-रक्षिणी संघ, ईंग्लो-इण्डियन एसोसिएशन आदि इस प्रकार के दबाव समूह माने जा सकते हैं। हरिजन रोक्क संघ, गारवाड़ी एसोसिएशन, वैश्य महासंघ, त्यागी संघ, जाट संघ आदि जातीय समूहों के अन्य उदाहरण हैं। अनुसूचित जातियों के विभिन्न समूह हैं जो सरकार पर अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव डालते आए हैं।

(3) ट्रेड यूनियन्स (Trade Unions) या श्रमिक संघों की राजनीति

विक्रमचन्द्र देसी की भाँति भारत में भी श्रमिक संघ बहुत अधिक राजनीति (Highly Political) में सक्रिय रहे हैं। श्रमिक संघों में से अनेक निम्नलिखित में से किसी एक या दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ सम्बद्ध हैं— (1) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (2) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (3) हिन्दू मजदूर संघ (4) संयुक्त श्रमिक संघ कॉन्ग्रेस (5) सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (6) भारतीय मजदूर संघ (7) राष्ट्रीय मजदूर संगठन (8) संयुक्त श्रमिक संघ कॉन्ग्रेस (एल. एच.) (9) भारतीय श्रमिक संघों का राष्ट्रीय मीची और (10) श्रमिक-संघ सम्मेलन केन्द्र।

(6) भारत में शिक्षित वर्ग के प्रमुख व्यवसाय

(Main Business of Educated Class in India)

प्रधानतः सरकारी सेवा, डाक्टरी शिक्षा, इंजीनियरिंग और शिक्षित वर्ग के प्रमुख व्यवसाय है। अन्य देश के समान भारत में भी शिक्षित वर्ग के लोगों ने अपना इन व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों ने अपने-अपने सगठनों का निर्माण किया है। इन समूहों में अधिन भारतीय मेडिकल कॉलेज, अधिन भारतीय टेलीमेनस एसोसिएशन, अधिन भारतीय बर एसोसिएशन, अधिन भारतीय पोस्टल एंड टेलीग्राम्स युनियन, प्रोफेसरों का या अधिन भारतीय युनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और विरोध रूप से उन्मुखता है। बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ तथा डॉक्टर कॉलेज के साम्य शिक्षण-विभाग प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने को सदैव रहे हैं। शिक्षक संघों। अपने राज्य को राजनीति में सक्रिय भाग लिया है। छात्रों के महत्वपूर्ण सगठनों में अधिन भारतीय बारछात्रों का सगठन तथा एसोसिएटेटेड जेन्स ऑफ इंडिया उल्लेखनीय है। इनमें से प्रथम सगठन समुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैनुफैक्चरर्स के समकक्ष है। दूसरे सगठन में विभिन्न और अन्य विदेशी स्वामित्व के अर्थात् वर्गों विशेष रूप से सक्रिय रही हैं।

(7) महिला सगठन (Women Organisations)

महिलाओं के दबाव-समूह और सगठन भी सक्रिय हैं। अधिन भारतीय महिला सम्मेलन की शाखाएँ देरा पर घे घेती हुई हैं। एक दबाव समूह के रूप में यह सम्मेलन स्रो समाज के बन्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और उनकी व्यापक व सामाजिक अवस्था को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। भारतीय सभ्य में हिन्दू बोर्ड विन पर विचार होने समय इस सम्मेलन ने एक दबाव समूह के रूप में सक्रिय कार्य किया। विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध महिला सगठन भी दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। ये महिला सगठन भी महिलाओं को शिक्षित व सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वर्तमान में विद्या लोकरसभा तथा विधानसभा में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु सपर्याप्त है।

(8) सांस्कृतिक समूह (Cultural Organisations)

भारत में अनेक सांस्कृतिक समूह अपना सगठन विवक्षित हुए हैं। भारत की सांस्कृतिक उद्वि विदेशों में जाता रही है और विदेशों से भारत में आती रही है। भारत-चीन मैत्री समाज, भारत-रूस सांस्कृतिक समूह सभ, अधिन भारतीय शक्ति परिषद और सांस्कृतिक सगठन विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। भारत-सोवियत और भारत-चीन मैत्री सगठन प्रायः साम्यवादी नीति के समर्थक रहे हैं तो भारत ब्रिटिश एवं भारत-अमेरिका सगठन पारंपारिक पूँजीवादी देशों की भावियों के समर्थन करते रहे हैं। इन सगठनों को प्रत्यक्ष रूप से विदेशों से सहायता मिलती है और ये देरा की राजनीति पर प्रभाव डालने में प्रयत्नशील रहते हैं।

(9) गांधीवादी सगठन (Gandhian Organisations)

गांधीवादी सगठनों में गांधी शक्ति प्रोचन, स्वोदय सभ, सर्वसेवा सभ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, तालीमी सभ, भूदान आन्दोलन आदि प्रमुख हैं। ये दबाव-समूह नारायणी, बुनियादी शिक्षा, सामाजिक नीतियों आदि के सम्बन्ध में सरकार पर निरन्तर दबाव डालते हैं। गांधीवादी सगठन औपचारिक रूप से अन्य दबाव-समूहों की तरह राजनीतिक सत्याओं को प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं रखते। इनका प्रयास रहता है कि समाज में नैतिक जागरण पैदा कर वांछित परिवर्तन लाया जाए। जैसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से पणित वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा ये सरकारी नीतियों पर गहरा प्रभाव डालने में सक्षम हैं।

भारत में दबाव समूहों की प्रकृति, भूमिका, विशेषतायें और पाश्चात्य हित सगठनों में उनकी भिन्नता

भारत में हित एवं वर्गों सगठनों तथा उनकी राजनीति पर और पश्चिमी देशों से उनकी भिन्नता पर डॉ. राजनी ने अच्छा प्रकाश डाला है। तदनुसार --

1. राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य माध्यम सरकार रही है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों, सरकारी नौकरियों और सरकारी पार्टी के विभिन्न गुटों के द्वारा हुआ है। वस्तुतः इस देश में इतने अधिक और विविध प्रकार के शक्ति और वर्ग हैं कि उनकी अभिव्यक्ति विभिन्न दलों और उनके क्षेत्रीय व स्थानीय गुटों के द्वारा हो सकी है। इन दलों का आधार चाहे व्यापक हो अथवा सीमित, फिर भी विभिन्न वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इन्हीं दलों के द्वारा होता है किन्हीं अलग सगठनों के द्वारा नहीं।

1. जातिवाद अथवा जातिगत राजनीति—यद्यपि जातिवाद का तथ्य भारत के सभी राज्यों में प्रभावी है, तदपि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरल में इसका प्रभाव सर्वाधिक है। मतदान व्यवहार में जातिवाद और जातिगत राजनीति का प्रभाव प्रायः उन जातियों से अधिक पाया जाता है जो किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुसंख्यक हैं और जो अपने मतों के बल पर किसी जाति के उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में होती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है।

2. आर्थिक स्थिति—लोगों की आर्थिक स्थिति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। एक सामान्य निष्कर्ष यह है कि र्घट लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो प्रायः मतदान शासक दल के पक्ष में होता है अन्यथा मतदान उम्मेदक विरुद्ध होता है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है और शासक दल की चेष्टा रहती है कि चुनाव 'अच्छी कृषि' के वर्ष में हो।

3. सत्तारूढ़ दल का आचरण—सत्तारूढ़ दल के आचरण और क्रियाकलापों का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल यदि जनहित के कार्यों में अधिक रुचि लेता है, लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि व्यवस्था करता है और शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है तो मतदान सामान्यतः शासक दल के पक्ष में और विरोधी दलों के विपक्ष में होता है।

4. नेतृत्व—मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रधान तत्व नेतृत्व है। भारत में इस तत्व के आधार पर देश के अब तक चुनाव परिणामों की व्याख्या की जा सकती है। प्रथम तीन आम चुनावों में मुख्यतः प. नेहरू के नेतृत्व के कारण कांग्रेस की मत गिने, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की आर्थिक पारायव इतिहास हुआ कि कांग्रेस के पास प. नेहरू जैसा कोई समन्वयी नेतृत्व नहीं था। 1971, 1972, 1980 के चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के विनम्र और आकर्षक नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को कांग्रेस के पक्ष में किया तो 1977 में कांग्रेस इतिहास हारी क्योंकि कुछ अरविचर बयों के कारण श्रीमती इन्दिरा गाँधी के व्यक्तित्व की छवि धूमिल हो चुकी थी। सत्तारूढ़ दल जनता पार्टी का नेतृत्व आपसी तर्काई का शिकार रहा और जनता में विश्वास खो बैठा। दिसम्बर, 1984 के चुनावों में राजीव गाँधी के व्यक्तित्व का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा। 1996 एवं 1998 के चुनावों में कांग्रेस (इ) की पञ्चम में पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व की मुख्य भूमिका रही। उनके नेतृत्व में 'करिना' के अभाव के कारण वे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सके।

5. राजनीतिक स्थिरता तथा सुदृढ़ सरकार की आवश्यकता—भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान व्यवहार में स्पष्ट कर दिया है कि वे केन्द्र में ऐसी सरकार चाहते हैं जो मजबूत और सक्षम हो, जो एक इकाई की भाँति काम कर सके और देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करते हुए, उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित कर सके। 1977 के पूर्व में चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान का यह एक प्रमुख कारण रहा है। देश के मतदाताओं की विश्वास रहा है कि देश में शासन सम्हालने योग्य दल केवल कांग्रेस है और इसके पास सुयोग्य नेतृत्व है, जबकि विरोधी दल अपनी फूट का शिकार हैं एवं सुयोग्य नेतृत्व कांग्रेस की तुलना में उनके पास बहुत कम है। जब मार्च, 1977 के चुनावों के समय कुछ प्रमुख विरोधी दल जनता पार्टी के रूप में संयुक्त हो गए तो मतदाताओं की आशा हुई कि अब कांग्रेस का शक्तिशाली विकल्प मौजूद है और इसे अवसर देना चाहिए। जनता की विरक्ति हो गया कि जनता पार्टी स्वामी और कुशल शासन दे सकेगी, अतः कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी को सत्ता प्रदान की गई, लेकिन जब जनता पार्टी फूट के करार करण देश के पतों की तरह बिखर गई और देश में राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता छा गई तो मतदाताओं ने पुनः कांग्रेस का और श्रीमती गाँधी को सत्ता में स्थान दे दिया। 1984 में कांग्रेस (इ) की विराट विजय के पीछे यही तथ्य उत्तरदायी रहा। 1991 में कांग्रेस (इ) की विजय में स्थिरता का तत्व प्रमुख था, लेकिन 1996 एवं 1998, 1999 तथा 2004 में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्रदान नहीं करने तथा उन्हें अपने बन्धुवृत्त पर सरकार बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करके भारतीय मतदाताओं ने पूर्व की तुलना में विपरीत व्यवहार किया। उन्होंने 'संविद राजनीति' के पक्ष में मतदान किया। मतदाताओं का व्यवहार पूर्व की तुलना में अलग ही दिखाई देता है।

6. युद्ध में सफलता-असफलता—युद्ध में सफलता-असफलता मतदान व्यवहार को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। 1962 में चीन के द्वारा पञ्चम को मतदाता भूले नहीं और 1967 में कांग्रेस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। 1971 में कांग्रेस सरकार की यौद्धिक सफलता ने 1972 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता को अतिरिक्त बना दिया।

7. श्रेष्ठवाद की प्रवृत्ति—भारतीय राजनीति के कुछ क्षेत्रों में श्रेष्ठवाद मतदान को बहुत कुछ प्रभावित करता रहा है। उदाहरणार्थ कई अवसरों पर पंजाब में अकाली दल ने, तमिलनाडु में डॉ. एम. के. अन्ना द्रुक तथा तमिल मर्मन कांग्रेस ने, बिहार में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादीयों ने श्रेष्ठवाद के आधार पर ही सफलता प्राप्त की है। आन्ध्र प्रदेश में तेलंगूदेशम् असम में असम गण परिषद मेघालय और नागालैण्ड में भी श्रेष्ठवाद दलों ने उन्मेच्छनीय सफलता प्राप्त की है।

8. दलीय विचारधारा, कार्यक्रम और नीति—डॉ. इकबाल नरपण्य का यह निष्कर्ष ठीक ही है कि भारतीय मतदाताओं का सामान्य वर्ग कम तथा प्रबुद्ध वर्ग राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति से अधिक प्रभावित होता है। चुनाव से पूर्व विविध दलों के जो चुनावी घोषणापत्र प्रकाशित होते हैं वे प्रायः जनसंघर्ष के समझने की

बन्तु न होकर केवल पड़े निचे एवं प्रमुद वर्ग के समझने की बन्तु होते हैं। उदाहरणार्थ, विविध दलों के कार्यक्रमों में सम्मिलित 'समाजवादी समाज की स्थापना', 'धर्म निरपेक्षता', 'लोकतंत्र एवं समाजवाद के प्रति आस्था', 'गौधीवादी सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता', 'अर्थतंत्र एवं सामन का विकेन्द्रिकरण' तथा 'अन्त्योदय' आदि ऐसी शब्दावलि हैं, जिन्हें जनता नहीं, बल्कि प्रमुद वर्ग के लोग ही समझ सकते हैं। इसका परिणाम होता है कि दलों की विचारधारा, नीति एवं उनके कार्यक्रम केवल प्रमुद वर्ग के मतदान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं तथा उनका प्रभाव जनसाधारण के मतदान व्यवहार पर नहीं पड़ता।

9. भाषाई प्रेम या लगाव—भारत में भाषा का तत्त्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करता रहा है। उदाहरणार्थ 1967 और 1981 के चुनावों में तमिलनाडू में द्रमुक को जो भारी समर्थन मिला उसके मूल में हिन्दी निरोध का हाथ था। 1977 में लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का मुख्य कारण यह रहा है कि दक्षिण भारत के मतदाता जनता पार्टी की भाषा-नीति के सम्बन्ध में पूरी तरह आस्था नहीं थे और उन्हें आशाका थी कि वहाँ उन पर हिन्दी घोषणे का प्रयत्न न किया जाये। बाद के ससदीय तथा अन्य विधानसभा के चुनावों में तमिलनाडु में भाषाई तत्त्व नगण्य हो रहा और अब यह कोई प्रमुख मुद्दा नहीं रहा है।

10. सामन्तशाही का प्रभाव—मतदान व्यवहार पर सामन्तशाही व्यवस्था अथवा राज-महाराजओं और जागीरदारों का प्रभाव रहा है किन्तु 1971 के ससदीय चुनाव के पर्याप्त क्रमसे कम होता गया। अब सामन्तशाही का प्रभाव लगभग सा हो गया है। मध्यप्रदेश के सिन्धिया राजघराने को इसका अपवाद माना जा सकता है जिसके किसी सदस्य को अब तक चुनावों में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा।

11. राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप—विभिन्न राजनीतिक दलों के अतीत के क्रियाकलाप मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, वामिस को पहले तीन आम चुनावों में अधिक मत प्राप्त के मूल में एक मुख्य कारण यह रहा है कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

12. आर्थिक साधन—आर्थिक साधन मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जनवरी, 1980 के चुनावों में इन्दिरा वामिस को अधिक सफलता प्राप्त होने का कारण यह रहा है कि दल विपक्ष की तुलना में बहुत अधिक साधन-सम्पन्न था तथा सुगठित और व्यापक स्तर पर अपना चुनाव अभियान चला सका, लेकिन 1977 के चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक साधन सम्पन्नता चुनावों को निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। दिसम्बर, 1984 के चुनावों में वामिस (I) को अतुल साधन-सम्पन्नता ने उरुकी विजय को आसान बना दिया। सन् 1989 और 1991, 1998, 1999 में भाजपा की सफलता के पीछे उसके प्रभु साधन ही थे। 2004 के ससदीय चुनावों में अन्य दलों की तुलना में वामिस (I) के पास सोनिया गांधी का प्रभावी नेतृत्व तथा भारतीय जनता पार्टी के पास साधनों की प्रचुरता थी।

13. दल अगुवा प्रत्याशी की जीत की सम्भावना—कौनसा राजनीतिक दल अपना कौनसा प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा, इसकी सम्भावना मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। जिसके पक्ष में चुनाव-तुल्य बह रही हो उमें प्रायः लोग मत देते हैं ताकि उनका पक्ष विजय न जाए। सन् 1971 के बाद के सभी ससदीय निर्वाचनों में इस तथ्य को देखा जा सकता है।

14. धर्म और साम्प्रदायिकता—धर्म और साम्प्रदायिकता दलों की सफलता का महत्वपूर्ण कारक रहा है। 1989, 1991, 1996, 1998 तथा 1999 में भाजपा की सफलता में धर्म और साम्प्रदायिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन वर्षों में आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 'हिन्दू कार्ड' का सफलता के साथ प्रयोग कर अपनी शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।

कतिपय राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसी धारणा व्याप्त है कि भारत की जनता अपने मतदाधिकार का प्रयोग औचित्य अथवा विवेक के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि वह अशिशा, गैरीबी जातिगत द्वेष, धर्यान्धता आदि की शिकार है लेकिन प्रथम आम चुनाव से लेकर अब तक भारतीय जनता का जो मतदान व्यवहार रहा है उससे इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि उपरोक्त धारणा कम मत केवल उन्हें लोगों का है जो भारतीय जनता के मन-पसिन्दे को नहीं समझते, जिन्हें भारत के मतदाताओं के चरित्र एवं चिन्तन का बोध नहीं है। अभी तक भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान में जिस विवेक, सूझबूझ और कुशलता का परिचय दिया है, और कतिपय अपवादों को छोड़कर अनुशासन-प्रियता प्रदर्शित की है और गलाधिकार को कौमत् समझी है इससे भारत में ससदीय लोकतन्त्र का भविष्य सुरक्षित है।

राजनीतिक दल और नेता जातिवाद और जातीय राजनीति को हेम मानते हैं, किन्तु आन्तरिक रूप से सभी दल और नेता जातीय आधार पर अपने दल और दलीय प्रत्याशियों के लिए समर्पण मांगते हैं। यही नहीं दलीय प्रत्याशियों का चयन जातीय आधार पर ही किया जाता है, यही तक कि सरकार निर्माण प्रक्रिया भी जातीय-प्रभाव से मुक्त नहीं रहती।¹ भारत को राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि अशिक्षित और दूरा छात्र व्यक्ति जातिगत प्रभाव के कर्षों पर चढ़कर विधानसभाओं और मसद में प्रवेश करते हैं तथा जातिवादी राजनीति के बल पर मन्त्री-पद हाथिया लेते हैं। जातियों में प्रतिद्वन्द्विता रहती है और भ्रष्टासन जातिवाद से प्रभावित रहता है।

जाति का राजनीतिक रूप²—जाति व्यवस्था और राजनीति में अन्तःक्रिया (Interaction between Caste and Politics) के सन्दर्भ में डॉ. रजनी कोठारी ने जाति-प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किए हैं—

(क) लौकिक पक्ष (The Secular Aspect)—जाति-प्रथा के तथ्यों पर सबका ध्यान गया है, वैसे—जाति के अन्दर विवाह, रिक्ति-रिवाजों में जाति की पुष्क इकाई को बनाये रखने का प्रयत्न, लेकिन इसकी उपेक्षा कर दी जाती है कि जातियों में आपस में प्रतिद्वन्द्विता रहती है और वे लगातार अपनी प्रतिष्ठा और पद बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। जाति के लौकिक संगठन के दो रूप थे—एक शासकीय रूप यानी जाति और गाँव की पंचायत और चौधराहट, दूसरा रूप राजनीतिक था यानी जाति की आन्तरिक गुटबन्दी और अन्य जातियों से गठजोड़ और प्रतिद्वन्द्विता। इन संगठनों का बदलवर्धन या बलहास इस बात पर निर्भर था कि स्थानीय नेताओं के समाज की केन्द्रस्थ सत्ता में कैसे सम्बन्ध थे। धर्म, व्यवसाय और प्रदेश के आधार पर जातियों की स्थिति बनती या बिगड़ती थी। अब भी इनका महत्व है, यद्यपि सन्दर्भ बदल गये हैं। जाति या सम्प्रदाय को किसी राजा से सम्बन्ध रखना पड़ता था और स्थानीय मामलों का प्रबन्ध जाति या गाँव की पंचायत स्वयं करती थी। अब राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार और जातीय पंचायतों की बजाय स्थानीय और प्रांतीय विधान सभाएँ हैं। यह परिवर्तन एक साथ नहीं बल्कि क्रमशः हुआ है।

(ख) एकीकरण पक्ष (The Integration Aspect)—जाति का दूसरा पहलू एकीकरण का अर्थात् व्यक्ति को समाज से अलग का है। जाति जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का लगाव पैदा हो जाता है और आपस में एक-दूसरे से बंधा रहता है। व्यक्ति का लगाव और निष्ठा अपने छोटे-से समूह, बिरादरी या जाति में रहता है, किन्तु इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि बड़ी या उच्चतर निष्ठाओं की प्रेरणा व्यक्ति को जातिगत झोंके से ही प्राप्त होती है। एक लोकतन्त्रीय राष्ट्र के निर्माण में जाति-प्रथा का बड़ा प्रभाव नकारअन्कार नहीं किया जाना चाहिए। लोकतन्त्र के अन्दर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्विता होती है, इससे विभिन्न समूहों या जातियों में एक दूसरे से मिलने और गठबन्धन की प्रेरणा होती है। भारत की प्रवृत्ति हमेशा अनेकता में एकता को प्राप्त करने की रही है और आज लोकतन्त्रीय राजनीति में इस पर बहुत बल दिया जाता है।

(ग) चेतना पक्ष (The Consciousness Aspect)—जाति-प्रथा का तीसरा तत्व चेतना बोध है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाति विरोध की स्थिति बदलती है। श्रेणीय वर्ग के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ग का दावा किया है। कुछ जातियों ने इस प्रकार ब्राह्मण पद का दावा किया है। इसमें कम आकर्षण वैश्य वर्ग का है। एक ओर जाति किसी वर्ग से जुड़ी रहती है और दूसरी ओर किसी व्यवसाय मठ या रिक्ति-रिवाज से। सामाजिक व्यवहार में अलग-अलग स्तर पर विभिन्न रूप धारण करने के कारण जाति-व्यवस्था में शोच और परिवर्तनशीलता आ जाती है।

समाज में उर्ध्वगमिता की इच्छा के अनेक रूप हैं। एक प्रवृत्ति ब्राह्मणीकरण या सस्कृतिकरण की है और दूसरी प्रवृत्ति पाहजातीयकरण और लौकिकीकरण की। आर्थिक उन्नति, राजनीतिक एकता और बुद्धिवाद की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर ब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मणों को नकल करने की प्रवृत्ति छोड़ देती हैं और अन्य अबाह्मण जातियों से मिलकर राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करने और अपनी स्थिति सुधारने की चेष्टा करती हैं। इसके अलावा कभी-कभी जाति अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना सन्ध्या पीठगणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती है जैसे—गुजरात के पाटीदार, बंगाल के महिष्य और राजस्थान के जाट आदि। कुछ इलाकों में जहाँ ब्राह्मणों ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व नहीं किया, वहाँ अधिकार सीधे कुछ शक्तिशाली कृषक जातियों के हाथ में आए, इसलिए वहाँ ब्राह्मणीकरण या ब्राह्मणवाद की जरूरत नहीं पड़ी और यह जातियाँ सीधे आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगीं और इन्होंने समाज में उच्च स्थिति प्राप्त की। आन्ध्र प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं। यहाँ राजनीति जातियों की गुटबन्दी या गठजोड़ पर आधारित है। सम्कृतिकरण की प्रवृत्ति कुछ सामाजिक तनाव और अस्थिरता उत्पन्न करती है, जैसे—धरु

1 इन्दिरा गांधी पत्रिका, पृ. 754-55

2 Rajni Kohari Caste in Indian Politics, p 8 13

और नीचे, गौरे या यूरोपीय लोगों की नक़ल करते हुए भी मन में उनके प्रति विरोध, ईर्ष्या या नक़ल का भाव रखते हैं उसी प्रकार के भाव छोटी जातियों ब्राह्मणों के प्रति रखती हैं। नीची जातियों के आगे बढ़ने की क्रिया जारी रहती है और यह हिन्दू समाज की शक्ति का स्रोतक है। आगे बढ़ने में सफलता, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। वास्तव में हिन्दू समाज में लौकिक शक्ति के आधार पर जातियों की स्थिति ठट्ठी और गिरती है इस प्रकार अपने परिवर्तनशीलता रहती है।

जाति और राजनीति में अन्तःक्रिया के तीन चरण — जाति का राजनीतिक रूप दर्शाने के बाद डॉ. रजनी घटाए ने जाति और राजनीति में अन्तःक्रिया के तीन चरणों (Three Stages) का वर्णन कर यह बताया है कि किस प्रकार पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के कठोर आया। इसके विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं—

प्रथम चरण—प्रथम शक्ति और प्रभाव की स्पर्दा एवं समाज की प्रतिष्ठा जमी हुई जातियों (Entrenched Castes) तक सीमित रही। शुरु में नई शिक्षा का लाभ दोढ़ी-सौ बुद्धिजीवी जातियों के लोगों ने उठाया। जहाँ नई शिक्षा और उससे प्राप्त होने वाली पद प्रतिष्ठा केवल एक जाति या उपजाति तक सीमित रहा, वहाँ अन्य जातियों में जो पढ़ने से समाज में अपना प्रभावपूर्ण स्थान रखती थी, उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई और इन ऊँची जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन बना लिया। इससे दो उंची जातियों के मध्य प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ हुई। चेन्नी और महाष्ट्र में ब्राह्मण-अब्राह्मण, राजस्थान में राजपूत-जाट, गुजरात में बनिवास-ब्राह्मण-पारदार, आन्ध्र में कम्मा-रेड्डी और केरल में एरवा-नारर इन्द्र इसके उदाहरण हैं। इस क्रिया में अक्सर एक जाति की प्रधानता प्राप्त कर लेने पर दूसरे से उसके इन्द्र खड़े हो जाते हैं जैसे—गुजरात में पाटीदार क्षत्रिय और महाष्ट्र में मराठा-महार इन्द्र। इन इन्द्रों के परिणामस्वरूप नर और पंचेद्वी गठबन्धन बन रहे हैं।

द्वितीय चरण—इस चरण में पद और लाभ के आकर्षणों का सहायक बढ़ जाती है और भिन्न जातियों में स्पर्दा के साथ-साथ जाति के मध्य प्रतिस्पर्दी गुट बन जाते हैं जिनमें विभिन्न जातियों का लोग आते हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की सहायता ला जाती है जो अब एक दायरे से बाहर थीं। जाति-व्यवस्था की शक्ति और पद का ढाँचा ज्यादा से ज्यादा जटिल हो जाता है। पारस्परिक आर्थिक सहायता, जैसे—अपने परिवारों को काम-धन्धा या नौकरी दिलाना या विपत्ति में सहायता करना, आश्रय-आश्रित सम्बन्ध तथा जातियों के सप और महसूसों का संगठन इस नई व्यवस्था के अंग बन जाते हैं।

तिसरे चरण में जमीन या अन्य आर्थिक आधार पर जातियों में पहले से सम्बन्ध रहता है वहाँ राजनीति को नर जातीय संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले से विद्यमान जाति-सूत्रकारों को जो त्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है। दूसरी जातियों के प्रभावशाली लोगों को दल या संगठन में लेने में अपना होती है। नई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना से जातियों की गुटबन्दी और प्रतिद्वन्द्विता नर-नर रूप ले लेती है। जिले और प्रान्त की राजनीति में प्रभावशाली जातियों में प्रतिद्वन्द्विता प्रकट होती है, जैसे—आन्ध्र में कम्मा और रेड्डी, गुजरात में पाटीदार और अनविन्दु, कर्नाटक में लिण्णट और वोक्कन्निगा और मद्रास तथा बिहार में विभिन्न जातियों में राजनीतिक गुटबन्दी। जाति या वर्ग सम्बन्धों के कारण नर संगठन जन्म लेते हैं जिनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों तक का प्रभाव बढ़ता है। द्वितीय चरण में, प्रारम्भ में शक्ति और प्रभाव की होड़ दोढ़ी-सौ ऊँची जातियों तक ही सीमित रही किन्तु धीरे धीरे प्रतिस्पर्दी नेताओं ने अपना गुट मजबूत करने के लिए नीची जातियों को भी राजनीति में खींच लिया। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए इन नीची जातियों के लोगों को छोटे राजनीतिक पदों और लाभ में कुछ हिस्सा दिया गया।

चतुर्थ चरण—इस चरण में जहाँ राजनीतिक गुटों की प्रधानता हुई है तथा जाति-भेद स लगाव कम हुआ, वहाँ दूसरी ओर शिक्षा नर शिल्प, प्रतिष्ठा के परिवर्तित पैमाने और शहरीकरण के कारण समाज में परिवर्तन आया है। जाति की भावना कम पढ़ने लगी है। सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित नहीं रहा। राजनीति में व्यपकता आई है। नई शिक्षा और नर सामाजिक व्यवहार स उठाने होने वाली नई प्रवृत्तियाँ व्याप्त होनी लगी हैं। आपुनिकता का एक आवश्यक तत्व है—विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों का स्पष्ट पृथक्करण। पहले राजनीतिक, शैक्षिक और औद्योगिक संचार के बाद सामाजिक वर्ग या जाति के अन्दर ही होते थे, अब इनका अलग-अलग क्षेत्र बन गया है। राजनीति अभी प्रभावशाली तत्व है, परन्तु अब इसकी आपुनिकता के एक साधन के रूप में माना जाता है। इसे जाति को नष्ट करने या उसके स्थान लेने वाली शक्ति के बजाय नर समाज की स्थापना में सहायक माना जाता है। अब राजनीतिक संस्थाओं का ढाँचा व्यपक होता जा रहा है जिसमें जाति की भावना को नया रूप मिलता है और उसके पीछे-पेटी बना आपार कमजोर हो गया है। दूसरी ओर राजनीतिक प्रवृत्तियों ने नर संगठन और नई निष्ठाओं को जन्म दिया है, जो पुरानी निष्ठाओं का समाप्त

करती है। जाति अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एक मात्र आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति-प्रथा पर प्रथमतः की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा बाद में जाति-भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी। आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ कि आज के युग में केवल जाति और सम्बन्ध से काम नहीं चल सकता। जहाँ जाति बड़ी होती है, वहीं इसमें एकता का अभाव होता है, उसमें जातियों के भेद होते हैं और जब सख्ता छोटी होती है तब तो वह अपने प्रमुख पर चुनाव जीत नहीं सकती। फिर भी यदि कोई उम्मीदवार अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो ऐसी स्थिति में दूसरी जातियाँ उसके खिलाफ हो जाती हैं। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना पड़ता है। इससे विभिन्न जातियों में एकता होती है। राजनीतिक दल की शक्ति तभी बनी रहती है जब समाज के सभी प्रमुख वर्ग अर्थात् सभी जातियों के लोग उसको समर्थन दें। अस्तु राजनीति में आने के कारण जाति की भावना कमजोर पड़ जाती है और अनेक नई एकताजन्म निष्पत्तियों का उदय होता है।

राज्यों की राजनीति के सन्दर्भ में जातिवाद और राजनीति पर आलोचकों के विचार—राज्यों की राजनीति जातियों के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। यद्यपि भारत में जाति-व्यवस्था का प्रभाव एक लम्बे ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल है, तथापि आधुनिक भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव बहुत उन्मुक्त रूप से पड़ रहा है। रजनी चौधरी के अनुसार, "राजनीति में जातिवाद और जाति का राजनीतिकरण दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ दिखाई पड़ती हैं।" एक अन्य लेखक के अनुसार जातिवाद भारतीय समाज में ठानी गहराई से बैठ रहा है—जितना कि साम्प्रदायिकतावाद, स्थानीयवाद और भाषावाद। रजनी चौधरी के अनुसार जाति के तीन प्रमुख स्वरूप हैं—धर्म-निर्पेक्ष स्वरूप, एकीकरण स्वरूप और चेतनात्मक स्वरूप। सैद्धान्तिक दृष्टि से राजनीति और जाति के संगठनों को तीन स्तरों पर देखा जा सकता है—

(1) प्रजातांत्रिक राजनीति को संगठित करने के लिए जाति एक शक्तिशाली आधार प्रदान करती है। भारतवर्ष में जाति सामाजिक व्यवस्था के संगठन एवं क्रियाकलापों का आधार मानी जाती है। ये जातिगत संगठन प्रभावशाली माध्यम का कार्य करते हैं जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्वाचन एवं राजनीतिक समर्थन संचालित होता है। रजनी चौधरी ने इसको ध्येयक करते हुए कहा है—“वह राजनीति नहीं है जो जाति पर सवार होती है, बल्कि जाति वह है जो राजनीति पर हावी रहती है।”

(2) जाति ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती है; शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीयता, भाषावाद, वर्ग और ध्यावसायिक हित जाति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं, किन्तु जातिगत तत्व पूर्णतः शून्यविहीन भी नहीं होते।

(3) जातिगत सम्बन्ध अन्तरिक रूप से सामाजिक-आर्थिक तत्वों के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में एक संगठित कदम उठाना उनके लिए असम्भव हो जाता है अतः इसका लाभ राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न जातिगत समूहों के हितों को उभारने के लिए किया जाता है।

चुनावों में जातिवाद का प्रभाव प्रत्येक स्वरूप में रहता है—उम्मीदवार का नामांकन, उसका चुनाव प्रसार और अन्त में मतदान जातिवादी भावनाओं से प्रेरित होता है। उदाहरणार्थ, प्रत्याशी निश्चित करते समय राजनीतिक दल उम्मीदवार की जाति एवं चुनाव क्षेत्र के लोगों की जाति के मध्य सादरत्व स्थापित करने का प्रयत्न प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार जातिगत भावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता है फलतः क्षेत्र में आरक्ष्यजनक गुटबन्धियाँ बन जाती हैं। राज्यों के चुनाव प्रचार के समय सरोजक जातिवाद का पूरा ध्यान रखते हैं। सामान्य धारणा यह होती है कि जिस जाति या समुदाय का उम्मीदवार है वह उसकी सफलता को तप करेगा। उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को जाति के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं और तदनुसार चुनाव के लिए कार्यकर्ता तप करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए जाति के नेताओं को देखा जाता है। अन्य जाति के विरुद्ध बात नहीं की जाती, क्योंकि प्रत्याशी उनका भी मत प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आम सभाओं में दिए जाने वाले भाषण जातिवाद से परे और जातिगत एकता के समर्थक होते हैं, किन्तु घटने के पीछे वास्तविक चुनाव प्रचार अन्य प्रकार का होता है। मतदाताओं को जातिगत गुटबन्धियों को प्रकृति समझाई जाती है और उनकी भावनाओं को इतना उभारा जाता है कि मतदान के समय जातिवादी तत्व अपना निर्णायक प्रभाव डाल सकें। एक सामाजिक अन्वेषणकर्ता ने चुनाव में जाति का अध्ययन करते हुए अपने परिणाम में बतलाया है कि प्रायः मतदान के लिए निम्न दृष्टिकोण सामाजिक मतदाताओं द्वारा अपनाए जाते हैं—स्वयं का जाति के लिए मतदान, अपनी जाति के हितों की अधिकतम रक्षा करने वाले दल के लिए मतदान, उस दल के लिए मत जिसका नेता अपना जाति का ध्येयक है, दूसरी जातियों के द्वारा बर्नाक मतदान, अपनी जाति के लिए व्यवस्थापिकाई संरक्षण एवं हित के लिए जाति के नेता की स्वीकृति पर विशेष दल के लिए मतदान। राज्यों की राजनीति में जाति की अग्रगण्य प्रवृत्तियों देखने को मिलती हैं—

(1) जातिवाद व्यक्ति के परोपकारत्मक कार्यों का दृष्टिकोण लिए रहता है। राज्यों के राजनीतिक संघर्ष का ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं जो जातिवाद के विरुद्ध प्रारम्भ हुए और अन्त में एक नवीन जाति के रूप में परिणित हो गए। उदाहरणार्थ, दक्षिण में लिगायत और कबीर पंथों और उत्तर में सिक्ख, जिन्होंने ब्राह्मण-हिन्दूवाद के विरुद्ध सिक्खवाद को अपनाया।

(2) राजनीति में ज्यों-ज्यों आपुनिकीकरण और सामाजिकीकरण होता जा रहा है उसके साथ-साथ जाति का प्रभाव कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति बन रही है। मोरिस जोन्स ने कहा है कि भारतीयों में ज्यों-ज्यों राष्ट्रियकरण बढ़ रहा है वहाँ के लोग प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से जातिगत सामाज्यों में अधिक बढ़ रहे हैं।

(3) राज्यों की राजनीति में जाति ने अपना पारम्परिक स्वरूप बदल दिया है। इसके पीछे शक्ति महत्वपूर्ण बन रही है। इसीलिए राजनीति के उचित ही कहा है, "वह राजनीति नहीं है जो जातिपरस्त हो गई है, बल्कि जाति है जो राजनीति हो गई है।"

(4) आज राज्यों की राजनीति में जातिवादो सिद्धान्त का महत्व हो गया है। यह प्रमुखशाली जातिवादी सिद्धान्त कई स्वरूपों में प्रकट हुआ है। कैरोलिन एम. इलियट ने अन्ध में रेडोज और कम्माज के सम्बन्ध में प्रमुख जाति राष्ट्र का प्रयोग किया है और सिलस्की ने प्राचीन नेतृत्व के सम्बन्ध में इसी सिद्धान्त को उद्धरित किया है। प्रमुख जाति आपुनिक भारत में ऐतिहासिक विनाश का परिणाम है, जिसमें बढती हुई सदस्यता, पूंजीगत श्रेष्ठ आदि ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(5) राजनीति में जाति समुदाय का प्रभाव राजनीतिक निर्णयों पर है। उदाहरणार्थ, 1952 में पदयाची ने राजगोपालाचारी मन्त्रिमण्डल में उस समय तक सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया जब तक कि बनीयार जाति की मांगें सशुद्ध ने ध्यायवित करने का वादा नहीं किया।

(6) जाति समुदाय एक संगठन के रूप में राज्यों में सशक्त हो रही है। उदाहरण के लिए, नया महाजन संगम ने 1956 में एक राजत जयन्ती मनाई। इसी तरह के अन्य समूह हैं—बनीयार क्षेत्रीय संगम, गुजरात क्षेत्रीय सभा आदि।

(7) जाति को राजनीति में प्राथमिकता देने से नेतृत्व उन लोगों के हाथों में आने लगा है जो जाति की रक्षा कर सके। इससे जातिगत नेतृत्व में आपुनिकीकरण होने लगा है।

(8) राजनीति में जाति समुदाय दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं। कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जैसे—गुजरात एवं राजस्थान के वैश्य एवं महाजन और कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो जाति की संख्या के आधार पर राजनीति को प्रभावित करती हैं, जैसे—पंजाब में सिक्ख।

(9) राज्य स्तर पर जातिगत भेद-भाव अनेक अभिकरणों के माध्यम से बनते और फलपते हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक संस्थाएँ जाति के होस्टल जाति पंचायतें और जाति-क्लब आदि। जातिगत समुदाय या सभारें किसी न किसी रूप में राज्यों की राजनीति को निरन्तर प्रभावित करते रहते हैं।

भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव—राजनीति को प्रभावित करने में जातीयता की भूमिका को निम्नानुसार रूप से विश्लेषित किया जा सकता है—

1. भारत में सभी निर्वाचनों में जातीयता की भूमिका रही है साथ ही इसने निर्वाचन परिणामों को प्रभावित किया है। यद्यपि 1977, 1980 और 1984 के संसदीय निर्वाचनों में जातिवादी राजनीति को धक्का लगा है और इसका प्रभाव नाग्य हो रहा है, यद्यपि 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के संसदीय चुनावों में इसका प्रभाव बढ़ा है।

2. सन् 1977 के पश्चात् चरणसिंह के नेतृत्व में देश की पिछड़ी जातियों उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में शक्ति-मुँज बनकर सामने आईं। जय, अहोरा, गुजर, यादव, लोधा और कुर्मी जातियों की राजनीति में पहचान हुई। राममोश यादव, मुलादमसिंह यादव, चौधरी देवीलाल और कर्नूरी टांडुर इन जातियों के प्रमुख प्रवक्ता बने। वर्तमान में कशीराम, मायावती, मुलादमसिंह यादव, लालूजसाद यादव, रामविलास पासवान, जयद यादव आदि पिछड़ी जातियों के मुख्य नेता हैं।

3. केन्द्र और राज्यों में मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें सभी प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाए।

4. प्रशासनिक ढाँचे और उसकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में जातिवादी राजनीति की भूमिका रहती है। अनेक बार जातिगत हितों की पूर्ति करने के लिए प्रशासनिक निर्णय भी लिए जाते हैं।

5. जातीयता से हिंसात्मक घटनाएँ घटित हुई हैं। बिहार की राजनीति इसका ज्वनन्त उदाहरण है। बेल्थी और जहाँनाबाद की हिंसक घटनाएँ रंगे छड़े कर देती हैं। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में ऐसी हिंसात्मक घटनाएँ प्रायः घटित होती रहती हैं।

6. आरक्षण की राजनीति ने जातिगत विद्वेष को बढ़ाकरा है। गुजरात का आरक्षण विरोधी हिंसक आन्दोलन इसका उदाहरण है। 1990 में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद भी देश में जगह-जगह इसके विरोध में हिंसक घटनाएँ घटित हुईं हैं।

7. देश में सभी राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवादी राजनीति का सहारा लिया है।

भारत की राजनीति में वर्ग (Politics of Class in India)

भारतीय समाज के वर्गों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1. उच्च वर्ग (Higher Classes)—अगढ़े वर्ग को उच्च वर्ग की श्रेणी दी जाती है। इसमें बाह्य, राजन्य, वैश्य, नायर, नाडार और कायस्थ वर्गों को शामिल किया जाता है। इन्हें 'सर्वण वर्ग' के रूप में जाना जाता है। सामन्तों, जमींदारों, पूँजीपतियों, उद्योगपतियों बड़े किसानों, मध्यम श्रेणी के व्यापारियों और व्यावसायिक, धार्मिक मन्तव्यों को इस वर्ग में रखा जाता है। इन वर्गों का अल्प संख्या में होने के बावजूद देश की राजनीति, व्यवसाय प्रशासन तथा देश के संसदघनों पर इसका प्रभुत्व है। राजनीतिक दलों द्वारा इन्हीं वर्गों के हितों की पूर्ति में श्रम में कार्य किया जाता रहा है। जब पिछड़े और निम्न वर्गों ने इनके प्रभुत्व को चुनौती देने अपना इनके स्वार्थों पर, धीरे-धीरे कार्य प्रयत्न किया तो इस 'अगढ़े वर्ग' ने उन्हें कुचलने हेतु उन पर निर्गम अत्याचारों का बहर बरसाया है।

2. पिछड़े वर्ग (Backward Classes)—देश में जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों का है। इन्हें सामान्यतः पिछड़े वर्ग की श्रेणी दी जाती है। यह वर्ग महिलाओं से उच्च वर्ग के अत्याचारों, उत्पीड़न और शोषण की प्रत्याशा या शिकार होने के कारण 'पिछड़ा रहा है। जो स्वतन्त्रता के पश्चात् भी जारी है। आगे दिन उच्च या सर्वण वर्गों के अत्याचारों की घटनाओं की गूँज ससद् राज्य विधनसभाओं और समाचार पत्रों में सुनाई पड़ती है। पिछड़े वर्ग को आर्थिक विपन्नता, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, दरिद्रता आर्थिक विपन्नता तथा आर्थिक अभावों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह वर्ग सामाजिक अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न तथा सामाजिक दृष्टि से हीनता की मनोदशा से ग्रस्त है।

सविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इस वर्ग के उत्थान के लिए प्रावधान निर्धारित किये गए हैं। इसी देश में 'सामाजिक और आर्थिक न्याय' की स्थापना की दिशा में आधार-भूमि निश्चित हुई है। स्वतन्त्रता के पश्चात् पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। देश में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। राज्यों द्वारा भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के अतिरिक्त ग्रामिणों को उनके अधिकार प्रदान किये हैं। इन वर्गों के आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। विभिन्न प्रकार के आरक्षणों के माध्यम से इन वर्गों का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व और पदोन्नति व्यवस्था लागू करने के प्रयास किये गये हैं। देश की राजनीति में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन वर्गों पर अत्याचारों को रोकने की दिशा में सार्थक कदम उठाये गये हैं जिससे इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और व्यवस्थापिका, सभाओं और प्रशासन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। इन वर्गों की राजनीतिक जागरूकता में अभिवृद्धि हुई है। कतिपय वर्गों में प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व का अभ्युदय हुआ है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर, बाबू जे.जी.वसन्तराव, चौधरी चरणसिंह, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने इन वर्गों को संगठित करके एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना दी है। अंतर्गत में कर्नाटकराज्य मुलायमसिंह शर्मा, सत्यभद्र यादव, रामचन्द्रास पांडेकर, शारद यादव, सुश्री मध्यावती इन वर्गों के प्रमुख नेता हैं। विश्वनाथ प्रतापसिंह भी इस वर्ग के हितों के प्रवक्ता हैं। इन नेताओं ने पिछड़े वर्गों को संगठित करने में योगदान दिया है। इसीसे इन वर्गों में तथा आत्म-विश्वास और गौरव की भावना का विकास हुआ है। इस वर्ग ने अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। सभी राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों में अपना जनाधार सशक्त करने के लिए इन वर्गों को अपने पक्ष में करने हेतु प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर को राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मान प्रदान करने और उनके विचारों का प्रचार करने की होड़ लगी हुई है।

साम्प्रदायिकता की राजनीति

(Politics of Communalism)

साम्प्रदायिकता भारतीय राजनीति की प्रमुख समस्या है। यद्यपि सविधान ने भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया है, इसके बावजूद देश में अभी तक धर्म-निरपेक्ष समाज की स्थापना नहीं की जा सकी है।

साम्प्रदायिकता की समस्या के कारण—भारत में साम्प्रदायिकता के विकास में तनाव, घोट की राजनीति, साम्प्रदायिक दलों और व्यक्तिगत की भूमिका, बहुसंख्यकों में अविश्वास और धर्म की मनोवृत्ति, मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन, हिन्दू और

4. धर्मनिरपेक्षता का प्रचार—धर्मनिरपेक्षता का प्रचार लोगों के विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सुलभ संचार माध्यमों का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का प्रचार करने तथा साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय शान्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

5. शिक्षकों की भूमिका—छात्र-छात्राओं के विचारों को प्रभावित करने में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन व्यवसाय से सम्बद्ध रहने वाले को किसी धर्मनिरपेक्षता विरोध या समाज में वैमनस्य पैदा करने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए।

6. राष्ट्रीय एकता को बल देना—भारतीय संस्कृति अथवा इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है। परस्पर विरोधी धारणाओं वाली ऐतिहासिक घटनाओं से देश में अनेक बार सघर्षों की स्थिति पैदा हुई है। पाठ्य-पुस्तकों में ऐतिहासिक घटनाओं को असांख्यदायिक जामा पहनाकर देश हित में किया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास की सभी घटनाओं को पुरे सामोसा की जाए ताकि उनमें से राष्ट्रीय एकता विरोधी सामग्री को निकाला जा सके।

7. नैतिक शिक्षा—बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें साम्प्रदायिक भावनाओं और क्षेत्रीय तथा विदेशी विघ्नों से दूर रखा जाना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किए जाए ताकि बच्चे सभी धर्मों के महानुभावों की जीवनी पढ़ सकें और उनमें सहिष्णुता की भावना पैदा की जा सके।

8. आचार-संहिता—छात्रों के लिए आचार-संहिता तैयार करना लाभदायक हो सकता है। इस आचार-संहिता को हिंसा और साम्प्रदायिक संघर्ष से दूर रखने के लिए छोटें मार्ग निर्देशन का समावेश किया जाना चाहिए। छात्र सघर्षों को इस दिशा में अवरुद्ध देना सर्वोत्तम नीति होगी।

9. राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम—राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारें गोष्ठियाँ एवं वाद-विवाद समारोह आयोजित कर सकती हैं जिनमें भारत की सांस्कृतिक एकता पर बल दिया जाए।

10. नवयुवकों के लिए कार्यक्रम—नवयुवकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें सभी सम्प्रदायों के नवयुवक भाग लेकर आपसी सद्भावना बढ़ा सकें।

11. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा—अल्पसंख्यकों को सरकारों नौकरियों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और दूसरे निष्ठाओं तथा संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है।

12. धार्मिक सहिष्णुता के लिए मेल-जोल—गाँवों और मोहल्ला स्तर पर विभिन्न सम्प्रदायों के लोग विरोधकर हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने के लिए तथा उनमें एक-दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी सम्प्रदाय विरोध के धार्मिक उत्सवों में दूसरे सभी सम्प्रदायों के लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना लाभदायक हो सकता है।

13. राजनीतिक दलों के लिए आधार संहिता—राजनीतिक दलों के लिए आधार संहिता तैयार कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के बीच वर्तमान मतघटकों को बढ़ाने या आपसी घृणा पैदा करने के लिए कोई काम न करें।

14. धार्मिक स्थलों की सुरक्षा—धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग रोकने के सख्त प्रयास किये जाने चाहिए।

15. अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों को लागू करना—जहाँ तक सम्भव हो अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

16. जिलाधिकारियों की उत्तरदायी बनाना—साम्प्रदायिक दंगे होने की स्थिति में जिलाधिकारियों को उत्तरदायी बनाना जाना चाहिए।

17. धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध—जबल धर्म-परिवर्तन पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

18. पिछड़ेपन को दूर करना—मुस्लिम लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। उनमें शिक्षा का प्रचार भी किया जाना चाहिए और उन्हें परिवार नियोजन के लाभों से अवगत कराते हुए 'सोमिव परिवार सुख का आधार' को अपनाने पर बल देना चाहिए।

क्षेत्रवाद

(Regionalism)

क्षेत्रीयता भारतीय राजनीति का प्रमुख निर्धारक तत्व है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। फलस्वरूप लोग भारतीय संघ की अपेक्षा उस क्षेत्र एवं राज्य विशेष को अधिक महत्व देते हैं जिसमें वे रहते हैं। प्रांतीयता और क्षेत्रवाद की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने और सभी को एक 'राष्ट्र' के प्रति निष्ठावान बनाने की भावना से सविधान द्वारा एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में 'भारतीय नागरिक' होने की अपेक्षा बंगाली, बिहारी,

4 सविधान के 16वें संशोधन द्वारा संसद को ऐसे कानून के निर्माण का अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा भारत का सम्पूर्णता और अखण्डता को सुनिश्चित देने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके। साथ ही संसद अथवा राज्य विधान-मण्डल के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि सविधान के प्रति निष्ठा तथा देश की प्रभुमता और अखण्डता की रक्षा को वे राखें। क्षेत्रीय स्वतंत्रता की धारणा प्रकृति पंजाब के सिक्खों के एक अन्यत्र छोटे से वर्ग के नेता जलजीतसिंह चौहान के उन प्रस्तावों के रूप में दिखाई दी जिनके अन्तर्गत उन्होंने विरव के अनेक देशों का द्रव्य करके स्वतंत्र सिद्धिस्तान के पक्ष में विरव लोकमत तैयार करने का असफल प्रयास किया था। मुझे यह सोचने में क्षमता नहीं थी कि गौण प्रबल को, वन-पूर्व को आदिम जातियों के क्षेत्रों में ऐसे माँग मिजोरम और नागालैण्ड में भी की गई थी। नागालैण्ड में विद्रोही नागा नेता फिजो के नेतृत्व में पृथक्तावादी तत्व 1950 से ही सक्रिय थे, यद्यपि नागालैण्ड क्षेत्र का अधिकांश भाग तब भारत से अलग होने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी क्षेत्र को महत्वाकांक्षी 1960 में भारत सरकार और नागा जन-सम्मेलन के बीच हुए समझौते के अनुसार 1962 में सविधान के 13वें संशोधन द्वारा नागालैण्ड को भारतीय सभ के एक पूर्ण राज्य का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है।"

भारतीय सभ से पृथक्ता की ऐसी माँग लालटोंगा के नेतृत्व में 'मिजो नेशनल फ्रंट' द्वारा भी उठाई गई थी। सन् 1985 में मिजो नेता लालटोंगा और राजीव गाँधी के बीच हुए समझौते ने मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। मिजोरम में पृथक्तावादी तत्वों ने बड़े पैमाने पर हथियार दाल दिए। मिजोरम में हुए चुनाव में लालटोंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने से इतना दल को सरकार नहीं मिली। उसने राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कड़े कदम उठाए। इस सबके बावजूद इन क्षेत्रों में पृथक्तावादी तत्व पूर्णतया समाप्त नहीं हुए हैं और अब भी अनेक बार कानून और व्यवस्था को सुलुी सुनीती देते रहते हैं।

2. अपने लिए पृथक् राज्य की माँग—कुछ क्षेत्रों द्वारा पृथक् राज्य की माँग के आन्दोलन भारतीय राजनीति को उद्विग्न करते रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब राज्यों की स्थापना मुख्यतः ऐसे ही आन्दोलनों का परिणाम है। असम के कुछ कर्नाटकी लोगों ने पृथक् राज्य के लिए आन्दोलन किया। 'आसम पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस' के नेतृत्व में गाँवो, खारी, जयन्तिया, मित्र और उत्तरी कछार के क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई। समय-समय पर पृथक् विदर्भ राज्य और बिहार उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की विनाशकर पृथक् झारखण्ड राज्य की स्थापना की माँग इसी क्षेत्रीयता की भावना के प्रदर्शन के रूप में रही है। कछार की पहाड़ीयों में रहने वाले बंगालियों को शिकायत है कि असम सरकार के हथों में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं, इस कारण उनकी एक पृथक् राज्य की माँग है। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पृथक् झारखण्ड राज्य की माँग करता रहा है। उत्तराखण्ड की माँग और पकड़नी गई है। इसी के परिणाम स्वरूप में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा उत्तरांचल (उत्तराखण्ड) व झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो चुकी है।

3. क्षेत्रीय भाषायी विवाद—भारत में भाषायी दंगे होते रहे हैं। असम और मुम्बई में भी भाषायी आधार पर हुए तो कोलकाता में गैर-बंगालियों के प्रति द्वेष की भावना इसी आधार पर हुई है। क्षेत्रीय भाषायी दंगों में कुछ विचारकों का मत है कि 'केवल भाषा के अन्वय' को इसका मुख्य आधार नहीं माना जा सकता। भाषा तो मात्र एक बहाना है। वास्तव में प्रदेश विरोध का शिक्षित वर्ग राजगार पाने में पहले से जमे हुए बाहर वालों से घात खाला है तो उसे बड़ी बेवैनी होती है। वह सोचता है कि वह अपने क्षेत्र में 'बेरोजगार' है जबकि 'बाहर वाले' यहाँ अच्छी नौकरियों पर जमे बैठे हैं। अतः वह 'बाहर वालों' के विरुद्ध सवर्ण शुरू करता है, जिसका आधार शैक्षिक या तकनीकी योग्यता न होकर भाषा का मानना है, जिसमें वह क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता को अपने साथ ले सकता है। क्षेत्र विरोध के निहित स्वार्थों और बाहर के निहित स्वार्थों के अन्तर्गत एकदम इस स्थिति को उद्विग्न करते रहते हैं।

4. अन्तर्राज्यीय विवाद—क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व अन्तर्राज्यीय विवाद है। इस सम्बन्ध में उदाहरण महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद का है। महाराष्ट्र की माँग है कि कर्नाटक राज्य में बेलगाँव शहर, कावा, हलिवान्त एवं सुपर ताल्लुका के मराठी भाषा जिले में एक हजार से ऊपर गाँव और लगभग 10 हजार लोग रहते हैं, उन्हें महाराष्ट्र में मिला दिया जाए तो इसके बदले में कर्नाटक को लगभग सवा तीन लाख जनसंख्या के 260 गाँव महाराष्ट्र से दिलवाया जाए। कर्नाटक महाराष्ट्र की इस माँग से सहमत नहीं है। केन्द्र द्वारा नियुक्त 'महाज-मायोम' ने महाराष्ट्र की माँग के औचित्य को स्वीकार नहीं किया है। इसी कारण यह विवाद आन्दोलनात्मक राजनीति तथा तोड़ फोड़ एक हिंसा का कारण रहा है जो आज भी अनिर्णित रहा है। दूसरा सीमा विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच रहा है जो सम्मिलित पंजाब के समय से वहाँ की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। इस विवाद के समर्थन के लिए 29 जनवरी, 1970 को यह घोषणा की गई थी कि चण्डीगढ़ को पंजाब में मिला दिया जाएगा तथा हरियाणा को इस नगर के बदले फाजिल्का तहसील के फाजिल्का सहित 114 हिन्दी भाषी गाँव तथा अमोहर एवं चण्डीगढ़ के सभ्य क्षेत्र के 6 गाँव दे दिए जाएँ। इस घोषणा में यह कहा गया था कि 5 वर्ष तक केन्द्र-शासित क्षेत्र रहने के बाद चण्डीगढ़ पंजाब में शामिल

पर संशयता का दुष्प्रकृ चल्ता रहा है। भाषाई विवाद जो लग्ने अतों स दने रहे वह फिर उभरने लग है। कुछ राज्या में भाषा अक्षर अन्य आधार पर टुकड़े कर पुष्क राज्य बनाए जाने की माँग उठाई जा रही है। कई बकायती और आदिवादी क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। उड़ीसा तथा बिहार में वहाँ के कुछ दिशा-प्रभित तत्वों द्वारा उत्तर भारतीयों, विशेष रूप से पारयादिहियों के खिलाफ चलाया गया आन्दोलन क्षेत्रीयता का उदाहरण है। ऐसे आन्दोलनों को निन्दा करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें शक्ति से दबाना भी जाना चाहिए, संशयता की आड़ में हिंसा की स्थिति को बदलना सहन नहीं किया जा सकता है।

विगत वर्षों में क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली रूप में अभ्युदय और राष्ट्रीय राजनीति में उनके बढ़ते वर्चस्व ने क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया है। इससे राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर के विपरीत दलों को प्रभावित कमजोर हुई है, जिसे देश की समशीय व्यवस्था के लिए शुभ कारण नहीं माना जा सकता है। रायक मोघे के नेता देवगौड़ा सरकार के गठन और संयन्त्रन में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भूमिका ने केन्द्र में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति को कमजोर बना दिया। अनवरक्षक क्षेत्रीय दल इस नवीनतम राजनीतिक स्थिति में अपने को बर्ती तक उत्तरदायी ढंग से आचरण करने के लिए तैयार कर पायेंगे, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय लोकतन्त्र के लिए यह अत्यन्त सुन्दर स्थिति होगी।

क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय—देश में क्षेत्रीयतावाद को रोकने की दिशा में निम्नलिखित उपाय सार्थक बन सकते हैं—

1. सभी उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों (Sub-Cultural Regions) में समुचित आर्थिक विकास की प्रयासों की नीति पर अमल किया जाए।
2. सभी क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ताकि उनमें अन्तर्ग्रह ईर्ष्या और आन्दोलन न फैले।
3. नियोजन का साथ पिछड़े और गरीब तबके के साथ-साथ, सामान्य जन को अधिकारधक मिलने और कुछ ही हाथों तथा कुछ ही क्षेत्रों में धन का सञ्चयन न हो।
4. भाषाई विवादों के समाधान हेतु सभी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी जाए।
5. हिन्दी भाषा प्रचार और विस्तार ऐसे किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे सम्पर्क भाषा (Link Language) के रूप में स्वीकार कर लें।
6. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व हो ताकि क्षेत्रीय पर्याप्तपूर्ण नीतियों का सञ्चयन हो सके।
7. अन्तर्राज्यीय नदी विवादों का शीघ्रतरीय हल किया जाये। राष्ट्रीय जल-नीति का निर्माण हो।
8. देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो।
9. शिक्षा में भारतीयता का समावेश हो।
10. क्षेत्रीयतावाद तथा सम्प्रदायिकता से जुड़े राजनीतिक दलों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए जायें।

पिछड़ा वर्ग तथा दलित आन्दोलन (Backward and Dalit Movements)

जन्म के आधार पर श्रेणीबद्ध समाजमानता वर्णाश्रम समाज व्यवस्था का निषेध दलित चेतना का केन्द्र बिन्दु रहा है। दलित चेतना का निर्माण उस ऐतिहासिक परिदृश्य में होना है, जहाँ सामाजिक संरचना दलित समुदाय को एक नियमित स्थान पर स्थापित कर देती है तथा उस नियमित स्थान से मुक्ति की आकांक्षा ही-इस विशिष्ट सामाजिक श्रेणी की चेतना का निर्माण करती है। दलित चेतना जहाँ परम्परागत सामाजिक संरचना का निषेध करती है, वहाँ, विकल्प के रूप में एक मानवीय समतापरक तथा गतिशील समाज के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखती है। दलितों के बौद्धिक प्रतिबन्धन में 'मानवीय', 'समता परक', 'गतिशील' आदि उद्बोधन प्रयुक्तता से होते हैं। यानी दलित चेतना और दलितों के आन्दोलन बहुआयामी स्वरूप में यह स्पष्ट संदेश होता है कि परम्परागत वर्ण व्यवस्था वाला समाज आन्तरिक रूप से अमानवीय एवं अन्यायपरक है।

पिछड़े और दलितों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—वर्णाश्रम या जातुर्वर्ण व्यवस्था चार सामाजिक समूहों के एकीकृत संयोग से बनती है। ये चार समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जिस जातुर्वर्ण समाज की वर्णना की गई है, उनमें इन्हीं चार सामाजिक श्रेणियों का उल्लेख है जो एक दूसरे से अविभाज्य रूप से संबद्ध हैं तथा एक दूसरे की पूरक हैं। यद्यपि श्रेणी बद्धता जातुर्वर्ण समाज की मौलिक रूपरेखा है, ब्राह्मण सर्वोच्च तथा शूद्र सबसे नीचे, पर इनमें न कोई अछूत है और न ही कोई 'सखूत' है।

इससे स्पष्ट है कि वर्गों के भीतर गैर बराबरी तो है पर असुद्धता, शुद्धता का प्रावधान नहीं है। अतः एव आदिवासी ही ऐसी दो सामाजिक श्रेणियाँ हैं जो चातुर्य वर्ग व्यवस्था के बाहर हैं। व्यवस्था के बाहर होने मात्र में ही इन दो सामाजिक श्रेणियों में स्वाभाविक एकता उत्पन्न नहीं होती है। हालांकि, अतृप्त व्यवस्था से बाहर होने के बावजूद व्यवस्था में बंध रहें तथा आदिवासी टेनोप्राधिक रूप में व्यवस्था से दूर रहे पर इन दोनों में एक और समानता है कि ये दोनों ही सामाजिक श्रेणियों की व्यवस्था की भौतिक उपलब्धियों से घबराती रही है तथा आज भी ये जातियों उत पीड़ा को महान कर रही हैं।

दलित चेतना और आन्दोलन—दलित समाज जिन चपलाओं का शिकार रहा है और जिस तरह हिंसा जन्म ममत्त ज्ञान रूपों का भोगी है। इसके बावजूद इनका अस्तित्व में धने रहना किसी अद्भुत मयोग से कम नहीं है। कुछ मौलिक कारण रहे हैं जिनमें आन्तरिक रूप से सशक्त होना दलित समाज की प्रवृत्ति रही है। दलित मन से मजबूत, सोच से न्याय प्रिय तथा सामाजिक व्यवहार से विद्रोही रहा है और ये सभी विशेषताएँ दलित चेतना में परिलक्षित होती हैं।

इसके महामत रविदास, अम्बेडकर पूर्व के दलित समाज में दलित चेतना के श्रेष्ठतम वाहक रहे हैं। इस महान् दलित विद्रोही को दण्डित करने की कोशिश उनके जीवन काल में की गई थी, उसी प्रकार सत्त रविदास के प्रभाव की क्य करने के लिए कोशिश की गई थी। रविदास दलित चेतना के मन्त्र वाहक थे। सत रदास रविदास की प्रति हो महात्मा कबीर ने भी जाति-परिधि का विरोध करके दलित और पिछड़ों के उत्थान का महान् कार्य किया था।

इसी प्रकार सत नामदेव, यन्तू, पोषा व अन्य सतों ने दलितों के उत्थान के लिए काम किया था। इन कवियों के बाद महात्मा ने ज्येति या राम फूल ने दलितोत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा गाँधी ने तो अतृप्तों के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया था तथा उन्होंने उनका नाम हरिजन रखा। 'हरिजन' का नाम से उन्होंने पत्र भी निकाला।

अम्बेडकर और दलित आन्दोलन—आधुनिक भारत में दलित चेतना का कार्य एव ध्वनित अम्बेडकर के वर्गों में महत्वपूर्ण है। उनके प्रयत्नों से दलित समाज आज कार्य अन्वी स्थिति में आ गया है। अम्बेडकर ने सशिक्षित के माध्यम से दलितों की उत्थान के लिए अनेकानेक मार्ग खोले। भारत का दलितोत्थान आन्दोलन महत्वपूर्ण रूप से सकल मान जा सकता है क्योंकि देश के उच्चतम श्रेष्ठतम से लेकर पंचायतों में तथा राजकीय सेवाओं में दलितों का महत्वपूर्ण स्थान एव भूमिका है।

लिंग न्याय हेतु संघर्ष

(Struggle for Gender Justice)

भारत तथा अन्य देशों में पुरुष-प्रधान समाज में स्त्रियों की एक वस्तु मानकर उनके साथ व्यवहार किया है, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विभेदों का सामान्य प्रतिमान नहीं है। भारत में दलित वर्गों की उत्थान के माध्यम वर्गों के प्रादुर्भाव और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 वर्ष बाद भी अनेक महिला संगठनों द्वारा चलाने गए महिला उत्थान के बहुतेरे आन्दोलनों के बावजूद पुरुष प्रधान सुदृढ़ है। दलित महिलाओं का जाति और वर्ग-समूहा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है।

महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में जार पहलुओं का विद्युत अध्ययन किया गया है— (1) उत्पन्न (2) प्रजनन (3) लैंगिकता और (4) बच्चों का सामाजिकरण। भारत के संदर्भ में माक्सवादी और समाजवादियों ने उत्पन्न पर ज़रूरत से ज्यादा बल दिया है। भारत में इन चारों पहलुओं में पुरुषों का प्राधान्य है जबकि इन्हीं क्षेत्रों में स्त्रियों का मुख्य उत्तरदायित्व है। पुरुष की सन्तोष्यता जाति, वर्ग, पुरुष-तन्त्र और पुरुष कामुकता से उत्पन्न होती है।

परिवार में स्त्री अपने साम-समूह यहाँ तक कि अपने पति द्वारा दलित की तरह समझी जाती है। स्त्रियों की स्थिति उन सब जातियों और वर्गों के परिवारों की स्त्रियों के बारे में सही है जिन पर आज सामन्तवाद का प्रभाव है या जिनकी जीवन-प्रणाली और मूल्य सम्मन्ती है। गाँवों में जब-जब-किस नौगाँव ने स्त्रियों पर उच्च शिक्षा प्रदान करने, प्रवसन और नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लग रहे हैं। सही बात तो यह है कि पुरुषों और उनके द्वारा निर्मित बलात्कार ने स्त्रियों को पराधीन बना दिया है। स्त्रियों की पुरुषों के साथ समता की खोज समझने की दृष्टि से पुरुषों महिला संगठनों की भूमिका, विधान, सामाजिक आन्दोलन और स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है।

समानता की खोज—स्त्री द्वारा पुरुष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिकता बन चुकी है। इस माँग के कारण महिला आन्दोलनों, नारीशक्तियों और संगठनों का जन्म हुआ है। नारीवाद की उत्पत्ति सत्तर में सामाजिक संरचना के रूप में हुई है। पुरुष और स्त्री में असमानताएँ और स्त्रियों के प्रति भेदभाव आदि की कठिनाईयें मनुष्यों स चली आ रही समस्याएँ हैं। सन्धे समय तक स्त्रियों धर्म की चारदीवारी के भीतर रही हैं तथा पुरुषों पर वे पूर्ण रूप से निर्भर रही हैं। जब शिक्षित महिलाओं ने घर से बाहर रोजगार करने की आवश्यकता महसूस की तब विगत कुछ वर्षों से मध्यमवर्गीय महिलाओं ने घर से बाहर के कार्यों में अपना वर्षस्व बढ़ाया है और महंगाई की मार से खोमतों में निरन्तर बढ़ती-चढ़ती के प्रश्न को उठाया है और भारत के विभिन्न शहरों में कीमते-वृद्धि विरोधी आन्दोलन शुरू किए हैं। घर के भीतर भी स्त्रियों ने पुरुषों के साथ समानता की माँग की है। जो वस्तुएँ पुरुषों की प्राप होती हैं उनकी माँग स्त्रियों ने भी की है जो पुरुषों के निकुरा आधिपत्य की अवधारणा का टोक है।

व्यक्ति के रूप में स्त्रियों की पहिचान (Women As an Individual Identity)—परिवार में स्त्री की पहिचान उसकी भूमिका से परिभाषित की जाती है। उसकी पहिचान एक पुत्री, पुत्रवधु, माता, सास, पत्नी आदि के रूप में की जाती है न कि एक व्यक्ति के रूप में। परिवार के बाहर मित्र, सम्बन्धी और अन्य स्वतन्त्र सम्पर्क नहीं है। उसके अन्य मित्र, सम्बन्धी और अन्य सम्पर्क वही है जो परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से उसे मिले है। इन सम्बन्धों के लिए उसकी स्वतन्त्र पसन्द का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए परिवार में स्त्री की प्रस्थिति अधीनतम प्रस्थिति है। स्त्रियों की पहिचान के कई अस हैं जो उसके परिवार की जातीय और वर्गीय पृष्ठभूमि पर निर्भर हैं।

क्या स्त्री एक व्यक्ति है? न चाहेते हुए भी स्त्री अपने पति की इच्छाओं के सामने झुकती है। स्त्री को 'यौन न्याय' या पुरुष के साथ समानता प्राप्त नहीं है। जब स्त्री ने व्यक्ति के रूप में पहिचान प्रकट की है, उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। "जबतन यौन सम्बन्ध" या 'वैवाहिक अधिकारों का पुनर्स्थापन' बहुत हद तक स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा है। देहेज उर्पाइडन और दुल्हन जलाना स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा का रूप है। सयुक्त परिवार और अनुलोम विवाह को पुनर्नियोजित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सयुक्त परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पुत्रवधु को परिवार में "बाहरी" और "नैकर" माना जाता रहा है। परिवार में उसको प्रत्येक सदस्य डॉट-डपट और मर्दान का पात्र समझता है। अनुलोम विवाह का अर्थ है कि अन्तर्जातीय और बहिर्गोत्र के सन्दर्भ में लड़की के साथ उच्च प्रस्थिति परिवार के लड़के के साथ विवाह किया जाता है। अनुलोम विवाह के कारण हिन्दुओं में लड़के का मूल्य बढ़ गया है और इसीलिए देहेज बड़ी समस्या बन गई है।

सविधान में समानता और धर्म, प्रजाति, जाति और यौन पर आधारित भेद-भाव के विरुद्ध जो भी कहा गया है उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद विवाह, सम्पति के उत्तराधिकार, तलाक, देहेज और बलात्कार आदि के बारे में अनेक कानून पारित किए हैं। भारत में सामाजिक विधान अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। देहेज अधिनियम और बलात्कार कानून पिछले कुछ वर्षों से अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर चर्चित रहे हैं। बलात्कार की घटनाएँ निरन्तर हो रही हैं। गरीब और दलित स्त्रियों विशेषकर इसका शिकार होती है। देहेज उर्पाइडन और यातनाएँ, घर-बढ़ को जलाना और यतनाओं के कारण आत्म-हत्याएँ निरन्तर हो रही हैं। शहरों और कस्बों में देहेज उर्पाइडन अधिक है तथा इस यातना की शिकार उच्च जातियों, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाएँ हैं। अनुलोम विवाह की प्रथा उच्च और उच्च मध्यम जातियों और वर्ग समूहों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अपनी पुरी के लिए उच्चतर परिवार के लड़के ढूँढने की एक अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता अधिभावकों में उत्पन्न हो गई है। ऐसी लड़के की शैक्षणिक योग्यता और सफेद-पोश नैकरी के सन्दर्भ में प्रस्थिति उच्च होनी चाहिए।

यद्यपि महिलाएँ पुरुषों से किसी तर्क से कमजोर नहीं हैं। भारत के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया तथा बहुत से सामाजिक कार्य किये। राष्ट्रीय हित में स्त्रियों के योगदान के बावजूद उनका शोषण किया जाता है। स्त्रियों का दमन और शोषण इसलिए होता है क्योंकि वे प्रायः असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। तकनीकी विकास का महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवार के ससाधनों और अपने रोजगार के अन्य भागों पर उनका अब नियन्त्रण कम है। कृषि, दुग्धशाला विकास, मछली पालन और घरेलू प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रगति के परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्य प्रस्थिति और आर्थिक हीनता में कमी आई है। घरेलू कार्यों में पुरुष स्त्रियों पर कम निर्भर हो गए हैं। पुरुष और स्त्री के बीच अन्तर और अधिक बढ़ गया है। उदाहरण के लिए पुरुषों और स्त्रियों के बीच अन्तर के प्रमुख क्षेत्र साक्षरता, शिक्षा और प्रशिक्षण, रोजगार, स्त्री नस्वरता, स्वस्थ रक्षा और चिकित्सा सेवाएँ आदि हैं। स्त्री नस्वरता विरासत और पितृसत्तात्मकता और पुरुष प्रधान्य की दृष्ट परम्परा के कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई हैं।

समाज सुधार आन्दोलन (Social Reform Movements)—वैदिक काल की स्त्रियों की उत्तम अवस्था से लेकर निरन्तर होता जा रहा पतन जब स्वार्थ, अन्याय और शोषण की पराकृष्टता पर पहुँच गया तब इनके विरुद्ध आवाज उठाना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय समाज परिवर्तन के दौर में आने लगा जिसमें अनेक प्रभुत्व सम्पन्न एवं चिन्तनशील लोग स्त्रियों की निम्न स्थिति से चिन्तित रहने लगे एवं उन्होंने उसे ऊँचा उठाने के विचार प्रथाम किये। यद्यपि इस प्रयास में अंग्रेज सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ था। 1813 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने यह आदेश दिया था कि वह भारत में सभी वर्गों में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार करे तथापि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किये।

1. राजा राममोहन राय—सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज (Brahm Samaj) की स्थापना की तथा इस समाज ने सबसे पहले सती-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर इसे रोकना पड़ा। राजा

राममोहन राय ने बाल-विवाहों के निरुद्ध एवं स्त्री-शिक्षण के प्रसार के पक्ष में भी आन्दोलन प्रारम्भ किया था और सुधार आन्दोलन की नींव रखी। उन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि विधवा-पुनर्विवाह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। वर्गीय में भी दबजपूर्ण वैधव्य की अनुमति नहीं है। जब राती-प्रथा जैसे अमानवीय रिवाज के निरुद्ध भंगुन बना तो राजा राममोहन राय पूरी शक्ति के साथ साकार के साथ रहे और अन्त में राती प्रथा की समाप्ति हुई।

2. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए कार्यों के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अनुयायी थे। विधवा समास्था से सम्बन्धित कार्य को विद्यासागर ने प्राथमिकता दी, उन्होंने राजा राममोहन राय की कार्यप्रणाली अपनाई तथा विशिष्ट कार्य किया। उनके कार्य का मूल्योत्कण उनके काम के परिणाम से आँका जा सकता है। इसी विशिष्टता है कि सुधार का मोझा उठाते आते शोचनियों के कार्यों का तत्काल कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ता। जनता में उनके कार्य से जितनी जागृति पैदा हुई तथा भावों का वर्धन-सर्तियों ने कार्य को जितना आगे बढ़ाया गयी कमौटी विरती बार्वी के मुक्त-विवाह के निमित्त उपयोग में लाई जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यासागर विशेष सक्रिय थे। स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ प्रचार उमाका प्रकृत प्रमाण था। बलकृता विश्वाविद्यालय की प्रथम स्त्री स्नातिका धन्त्रमुखी धनु वैष्णु महाविद्यालय की छात्रा थी।

विधवा-विवाह के समर्थन में दिए गए आवेदन-पत्र पर 21,000 हस्ताक्षर करवाए गए थे। विद्यासागर ने जब प्रथम विधवा का पुनर्विवाह करवाया तब अनेक मित्रों ने विवाह प्रसंग पर उपस्थित होकर उसका समर्थन किया था। 'विश्वतः पुनर्विवाह' में उन्को पुस्तकों का भारती और गुजराती में अनुवाद हुआ था।

उनके आँकड़े एकरिता करने की पद्धति अन्य समान सुधारकों ने अपनाई। 1891 में राजीवरो तपक मासिक पत्रिका में एक से अधिक विवाह करने वाले पुरुषों की सूची प्रकाशित की थी तथा उसकी गणना के अनुसार प्रति पुरुष विवाह का औसत 4.5 पत्नियों का था। विद्यासागर के काल में विवाह का औसत 5.5 था। गणना की शुरूआत स्त्री-शिक्षण के प्रारंभ के बाद ही हुआ तो कहना ही पड़ना कि इस क्षेत्र में मोझा सुधार अवश्य हुआ। अतः यह कहना अविशयोक्ति है कि विधवा नई समास्थाओं में विद्यासागर का योगदान अमूल्य था।

3. महाराज जी मल्लभारी—ब्रह्मण जी मल्लभारी का नाम बालविवाह की समास्था को सुलझाने से सम्बन्धित है। बाल विवाह के कारण प्रायः बाल-विधवाओं की समास्था पैदा होती है। इस प्रकार बाल-विवाह तथा बाल-शिक्षण के प्रसार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विधवा द्वारा अपने बालक को हावा की पटना में मल्लभारी के हृदय को झकझोर दिया। महाराज जी मल्लभारी का नाम बाल-विवाह, विधवा-विवाह तथा सहर्षि आयु बालू एका ऑफ कमेंट ऑफ गज के साथ जुड़ा हुआ है। उनके सार्विक प्रयासों का जीतना-जागत प्रतीक मुम्बई की 'रोवा सदन' नामक संस्था है जो विधवाओं के विविध समास्थाओं को हल करने का प्रयास करती है।

महादेव गोविन्द रानडे—राजों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि समाज-सुधार तथा विधवाओं की प्रगति के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रचार से वह पूर्णतः परिचित थे। प्राथमिक काल में गुला बंगाल आन्दोलन अंग्रेजी राज्य का अधानुकरण कर रहा था, किन्तु रानडे ने तो परिष्करी सभ्यता के अंग अनुकरण के ही पक्ष में थे और न ही पुनरुद्धारवादिधियों की भीति भात के भूत काल के ही परधती थे। उन्होंने इन दोनों प्रथाओं का समन्वय करके नई दृष्टि प्रदान की। समाज-सुधार आन्दोलन में उनकी दृढ़ भागीदारी थी कि यदि समाज-सुधार व्यवस्थित रूप से करता हो उाणों गतिशीलता लानी हो तो राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का संगठन देश में विद्यती हुई सामाजिक सुधार की गतिधियों को एक धागे में पिरो सकेगा। रानडे के महत्त्व में उनकी स्त्री-दृष्टि का दर्शन होता है। सामाजिक समास्थाओं को हल करने का जो प्रयत्न अब तक स्थानीय स्तर पर होता था, उसे उन्होंने राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुधार आन्दोलन को असाधारणिक रूप दिया। रानडे के समाज-सुधार भावों की समीक्षा करने समय शब्द उनके द्वारा स्थापित बोर्ड स्त्री शिक्षा संस्था दिखाई न भी पड़े या विद्वि जीवन में पुनर्विवाह करने समय विधवा-विवाह करने की निवृत्ता के दर्शन न हों फिर भी सामाजिक सुधार के इतिहास में उनका नाम स्वर्णशरी में लिखा जाएगा। समाज-सुधार आन्दोलन उस समय ऐसी अवस्था में था कि शासकीय समास्था की स्थापना आन्दोलन की प्रगति के लिए अनिवार्य थी। महादेव गोविन्द रानडे ने इस धर्मी को पुरा करने समाज सेवा कार्य को आगे बढ़ाया।

महर्षि घोड़े केशव धर्मे—समाज-सुधारकों तथा स्त्री प्रगति आन्दोलन के अधिनियों में महर्षि धर्मे का विशिष्ट स्थान है। धर्मे का कार्यकाल 19वीं शताब्दी से आरम्भ होकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक फैला हुआ है। अन्य सुधारकों के साथ उनका स्थान अद्वितीय है। भारतीय नारी के उत्कर्ष के विविध क्षेत्रों में घोड़े केशव धर्मे का स्थान अग्रणी है। यह कहना अविशयोक्ति न होगी कि विधवा स्त्री की ओर तत्कालीन समाज की विरक्तपूर्ण दृष्टि में परिवर्तन करने का श्रेय धर्मे को ही देना चाहिए। उस जमाने में बड़े बड़े धर्मों में पुनर्विवाह का समर्थन सामाजिक पाप माना जाता था। आज

दो छोटे-से-छोटे गाँव में भी दंड के भय से मुक्त वातावरण में विधवा-पुनर्विवाह का प्रचार किया जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन लाने में कर्षे का योगदान अमूल्य है। प्रश्न चाहे स्त्रियों के कार्य क्षेत्र का हो या मतपेदों के बावजूद विरिष्ट पार्श्वक्रम का कर्षे ने स्त्रियों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और इस कार्य के लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कर्षे अपना परिचय धनी व्यक्ति के रूप में देते हैं। उनके जीवन का प्रधान स्वर था—नारी की प्रगति। मानव मुक्ति और प्रगति के बदले हुए चरण को ऐसे कर्मनिष्ठ और पुनी व्यक्ति ही मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। उनके निरक्षर ग्रामीणों के समक्ष समाचार-पत्र पढ़ने से समाज-सुधार का श्रीगणेश हुआ। कर्षे की विनम्र शुरुआत की पूर्णाहुति एक ऐसे महिला महाविद्यालय के रूप में हुई जिसने हजारों नारियों के अज्ञान को दूर किया।

स्वामी विवेकानन्द—पुनरुद्धारवादियों में स्वामी विवेकानन्द का स्थान विरिष्ट है। विवेकानन्द परिचयी शिवा पद्धति के घनिष्ठ सम्पर्क में आए। एक समय तो ऐसा आया कि वह नास्तिक हो गए थे। इस अद्वितीय प्रतिभाशाली वैदानी ने समाज-सुधार एवं स्त्री-उत्थान के प्रति तनिक भी उदासीनता नहीं बरती।

रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द ही सबसे प्रभावशाली थे। विवेकानन्द ने अपने गुरु की स्मृति को बनाये रखने हेतु रामकृष्ण के नाम से अनेक संस्थाएँ स्थापित कीं। स्वामीजी को अपने गुरु से दो सिद्धान्तों की मोख मिली थी—एक तो विचारों और कार्यों की स्वतन्त्रता तथा दूसरी मानवता के प्रति सहानुभूति। विवेकानन्द ने सामाजिक सेवा पर विशेष बल दिया। एक स्थान पर उन्होंने कहा है, "जिन्होंने प्रजा के धन से शिक्षा प्राप्त की हो और लाखों व्यक्तियों को धुंधला से मरते देखा हो फिर भी उनका हृदय प्रजा की व्यथा से द्रवित न हो, वे सब देशद्रोही हैं।"

विवेकानन्द की दृष्टि से भारत में दो बुझाईयाँ थीं—एक स्त्रियों का भारतीय समाज में पराधीन स्थान तथा दूसरी हिन्दू समाज में असमानता को जन्म देने वाली तथा लोकतन्त्र के सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाली जाति-व्यवस्था। नारी उद्धार के सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द के कार्यों का मूल्यांकन करते समय विवेकानन्द की नारी के प्रति सम्मान एवं आदर भावना की ओर सहज जाता है। उन्होंने स्त्रियों की पराधीनता के ऐतिहासिक कारणों का अन्वेषण कर नारी के प्रति आदर भावना को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। समाज राष्ट्र को ही नहीं, बल्कि विश्व के उत्थान में शिक्षित भारतीय नारी अपना निरिचल योगदान दे सकेगी, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता थी। अन्य सुधारकों की तुलना में विवेकानन्द का स्थान इस दृष्टि से विरिष्ट है कि अन्य सुधारक नारी उत्थान को एक विभाग की दृष्टि से देखते थे जबकि स्वामीजी ने इस कार्य को प्राथमिकता दी। उनकी ऐसी धारणा थी कि अन्य देशों की पंक्ति में अपना स्थान लेने के लिए स्त्रियों की उन्नति एवं सम्मान भी आवश्यक है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती—हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले दूसरे पुनरुद्धारवादी, जिनका स्मरण किया जा सकता है, वे हैं—स्वामी दयानन्द सरस्वती। स्वामी दयानन्द ने अपने निजी प्रयासों से तथा मुख्यतः आर्य समाज की विविध संस्थाओं के माध्यम से स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया तथा विवाह की न्यूनतम आयु बढ़वाने का प्रयास किया। आर्य समाज ने पश्चिम के अंधे अनुकरण के प्रवाह को रोकने का प्रयास अवश्य किया, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता में धर्म का सम्मिश्रण था। वेद धर्म अटल हैं इस मान्यता के आधार पर उन्होंने वर्गों को स्वीकार किया। विरुद्ध उदारवादियों की स्त्री-समानता की तुलना में दयानन्द और आर्य समाज द्वारा स्त्री स्वातन्त्र्य की माँग का आधार समानता नहीं, बल्कि वेदकालीन समाज में व्याप्त स्वतन्त्रता वर्तमान नारी को मिलनी चाहिए थी। उनका प्रयास सीमित होते हुए भी स्त्रियों के उत्थान में स्वामी दयानन्द का नाम स्मरण किया जाएगा।

श्रीमती एनी बेसेन्ट—भारतीय नारी की स्थिति सुधारने में थियोसोफिकल विचारधारा की सस्थागत श्रीमती एनी बेसेन्ट का योगदान प्रमुख है। 19वीं शताब्दी के सब सुधारक तथा कार्यकर्ता पुरुष थे। प्रथम स्त्री-सुधारक के रूप में श्रीमती एनी बेसेन्ट इतिहास के रंगमंच पर आईं। अभी तक अधिकांश विदेशी विचारक तथा कार्यकर्ता भारतीय समाज व्यवस्था को या तो कृपादृष्टि से देखते थे या आलोचनात्मक रूप अनजाने थे। श्रीमती एनी बेसेन्ट एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने भारत के गौरवमय अतीत की प्रशंसा की और साथ ही साथ घोषणा की कि भारत के समान सभ्यताएँ में समृद्ध दूसरा देश कोई नहीं है। राष्ट्रीय आत्मसम्मान को ज्ञापित करने में श्रीमती एनी बेसेन्ट का योगदान अमूल्य था। तत्कालीन भारत में होने वाली सभी समस्याओं पर एनी बेसेन्ट ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। भारत के अतीत के संस्कारों को उन्होंने प्रशंसा की है। भारत के स्वतन्त्र तथा कल्याणकारी नवसंस्करण में जिन अनेक विभूतियों ने अपना बलिदान दिया है उनमें श्रीमती एनी बेसेन्ट का योगदान उल्लेखनीय है। "थियोसोफिकल सोसायटी" के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेन्ट ने भौतिक तथा बौद्धिक अन्वेषणों को दूर करने का प्रयास किया। एक महिला होने के नाते स्त्रियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा करने में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारत के सामाजिक रिवाजों को भी प्रोत्साहन दिया। भारतीय प्रजा अनजाने में ही पश्चिम का अंधानुकरण न करे। इस हेतु भारत के गौरवशाली अतीत की उन्नति धुरि-धुरि प्रशंसा की।

मुस्लिम सुधारक—मुस्लिम स्त्री सुधार का बीड़ा सर सैयद अहमद खान ने उठाया। उन्होंने स्त्री-शिक्षा के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए, किन्तु उनके मतानुसार शिक्षा का क्षेत्र एवं स्थान तो घर ही होना चाहिए, स्कूल नहीं। बदरुद्दीन तैयब ने पर्दे की प्रथा खत्म करने की हिमायत की। सैयद इमाम ने जनाने मरदसे स्थापित करने में मदद की तथा इस बात पर जोर दिया कि जबतक स्त्रियों की प्रगति नहीं होगी तब तक भारत की जनता अन्य देशों की जनता के समकक्ष नहीं हो सकेगी। हैदरी स्त्री-शिक्षा में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने सच ही कहा है कि एक स्त्री की शिक्षा सारे परिवार के मानस और नैतिक जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकती है।

लैंगिक समानता : एक ज्वलन्त प्रश्न

(Gender Equality : A Burning Question)

लैंगिक समानता पर चर्चासिंह मेहता ने अपने लेख, 'मानव विकास और महिलाएँ' में कहा है कि विश्व में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, पर उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। विश्व के गरीबों में 70 प्रतिशत और निराश्रितों में दो-तिहाई महिलाएँ ही हैं। वे केवल 14 प्रतिशत प्रशासनिक पदों पर हैं और 10 प्रतिशत संसद-विधानसभा सदस्य हैं। कानूनी दृष्टि से यह असमानता निरन्तर बनी हुई है। महिलाओं को पुरुषों से अधिक समय काम करना पड़ता है तथा उन्हें अधिकांश कार्य की कोई क्षमता भी नहीं दी जाती।

महिलाओं के सर्वत्र असमान अवसर—समान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर प्राप्त नहीं है। स्त्री-पुरुष में प्रकृति द्वारा ज्ञान, व्यवहार आदि आवश्यक स्थितियों में परिवर्तन होता है। पुरुष लैंगिक समानता में मुख्य भूमिका अदा करता है। सगण सभों समाजों में पुरुष जीवन के सभी स्तरों में अपना निर्णय सर्वोपरि रखता है। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री-पुरुष में लैंगिक समानता पर आपसी समझ और संयुक्त सहयोग की भावना हो। पुरुष को यह दायित्व स्वीकार करना पड़ेगा कि स्त्री-पुरुष जीवन-साथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में समान हैं। ऐसा करने पर ही लैंगिक समानता में सुधार होगा तथा परिवार एवं सामाजिक जीवन के अन्दर में वृद्धि होगी। दुर्भाग्य यह है कि विश्व के सभी देशों में लैंगिक समानता पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। यद्यपि लैंगिक समानता का स्तर विश्व के सभी देशों में अलग-अलग पाया जाता है, तथापि विश्व के 130 देशों में स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे और डेनमार्क लिंग समानता और महिला अधिकारों में सबसे ऊँचे हैं। यहाँ साक्षरता की दर पुरुष और महिलाओं में समान है और शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं का नामांक पुरुष से अधिक है। औसत आय में महिलाएँ पुरुषों से काफी आगे हैं, परन्तु आय पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तीन-चौथाई ही है। महिला-विकास में स्वीडन विश्व में प्रथम होते हुए भी स्वीडन में महिला विकास सूचकांक 0.92 ही है। यदि यह अंक 1.00 हो तो पूर्ण समानता होती। कई देश समग्र मानव-विकास-सूचकांक में ऊँचे हैं, किन्तु उनमें से ही कई देश महिला-विकास-सूचकांक में नीचे हैं। कनाडा का स्थान सभी देशों में समग्र मानव-विकास सूचकांक में पहला है, परन्तु महिला विकास सूचकांक में 7वें स्थान पर है।

राष्ट्रीय आय का समानता से नगण्य सम्बन्ध—आय महिला-पुरुष समानता के लिए महत्वपूर्ण घटक नहीं है। विश्व के कई गरीब देशों ने महिला साक्षरता दर में वृद्धि की है। आय कम होते हुए भी राजनीतिक प्रविष्टता के कारण चीन, ब्रिटेन और जर्मनी ने महिला साक्षरता दर 70 प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर ली है। यदि मानव-विकास सूचकांक की तुलना आय स्तर से करें तो ज्ञात होगा कि महिला असमानता दूर करने के लिए उच्च आय होना आवश्यक नहीं है। चीन की महिला विकास सूचकांक सऊदी अरब से 10 क्रमांक ऊपर है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय सऊदी अरब का चौथाई भाग ही है। फारलैंड, स्पेन से महिला विकास सूचकांक में ऊँचा है, जबकि आय केवल आधी ही है। सीरिया और पोलैण्ड की आय साधारण समान है, पर पोलैण्ड का महिला विकास सूचकांक सीरिया से 50 क्रम ऊपर है।

प्रथम स्तर परन्तु असमानता कायम—यद्यपि हर देश ने महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास प्रयत्न किया है, परन्तु अभी भी असमानता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले दो दशकों में पुरुष-महिला असमानता में कमी आई है, परन्तु यह प्रगति कई क्षेत्रों और देशों में समान नहीं है। पिछले दो दशकों में महिलाओं की औसत आय में पुरुषों की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जन्म-दर प्रति महिला 1970-75 में 4.7 थी जो 2004 में 2.9 हो गई है। 1990 में सगण चौथाई दम्पति गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग करते थे, जिनकी संख्या 2004 में आधी से भी कम हो गई। विकासशील देशों में महिला साक्षरता 1990 से 2000 के बीच दुगुनी हो गई। महिलाओं की साक्षरता व बालिकाओं को स्कूल जाने की संख्या 1970 से 2004 के बीच दुगुनी से भी अधिक हो गई, जो पुरुषों की वृद्धि दर से काफी अधिक है। विकासशील देशों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं की संख्या 1990 में 38 प्रतिशत थी, जो 2004 में 80 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1990 में पुरुषों से आधी संख्या महिलाओं की थी, जो 2004 में 75 प्रतिशत तक हो गई। 32 देशों में तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से उच्च शिक्षा में अधिक हो गई।

• महिलाओं के लिए असमान दुनियाँ है। विकासशील देशों में 90 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं, जिनमें दो-तिहाई महिलाएँ हैं। 13 करोड़ छात्र-छात्राएँ प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, उनमें 60 प्रतिशत तो केवल छात्राएँ हैं। भारत में इनका प्रतिशत और अधिक है। कई विकासशील देशों में प्रसूति-पूर्व और प्रसूति-बाद की पूरी सुविधाएँ नहीं हैं और प्रसूति के दौरान अधिकारा महिलाओं को मृत्यु हो जाती है। विकासशील देशों में भी प्रतिवर्ष 5 लाख महिलाओं की मृत्यु प्रसूति के दौरान हो जाती है।

आर्थिक क्षेत्र में बीबी प्रगति—शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार हुआ है, परन्तु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी है। विश्व में 130 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिनमें 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह स्थिति उनकी बाजार और परिवार में क्रम के कारण हुई है। यद्यपि महिला मजदूरी दर में दो-तिहाई वृद्धि हुई है, तथापि ग्रामियों में इनकी वृद्धि केवल 4 प्रतिशत ही हुई है। बैंकों से भी उन्हें बहुत कम सहायता में ऋण मिलता है, क्योंकि ऋणाधार के लिए कोई सम्पत्ति उनके नाम नहीं होती। 55 देशों में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार महिलाओं को मजदूरी पुरुषों की तुलना में तीन-चौथाई प्रतिशत ही मिलती है। सभी स्तरों पर महिलाएँ अधिक सहायता में बेरोजगार होती हैं। इन 55 देशों में कोई महिला संसद सदस्य नहीं है और है भी तो 5 प्रतिशत से कम। इन देशों में गरीब देश भी हैं, जैसे—भूटान और इथियोपिया और उच्च आय वाले देश भी हैं, जैसे—चीन, कुवैत कोरिया, गणतन्त्र और सिंगापुर।

मानव विकास सूचकांक के अन्तर्गत पहली बार महिला-शक्ति माप (जेन्डर एम्पावमेन्ट मेजर) निर्धारित किया गया है। महिला विकास सूचकांक (जेन्डर डवलपमेन्ट इन्डेक्स) में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सम्मिलित किया गया है, वहीं महिला शक्ति-माप में महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागीदारी और व्यवसायों में उनके स्तर और आय को सम्मिलित कर मापा गया है।

महिलाओं को आय की गणना ही नहीं—महिलाओं को आय बहुत कम आँकी जाती है। अनुमान है कि महिलाओं को आय 11 लाख करोड़ डॉलर का कम अंकन होता है। कारण यह है कि एक तो पुरुषों से महिलाओं को अधिक समय काम करना पड़ता है। औद्योगिक देशों में पुरुष का 2/3 समय आय वाले कामों में लगता है एवं 1/3 समय बिना आय के कामों में जबकि महिलाओं की स्थिति इससे विपरीत होती है। विकासशील देशों में पुरुष का 3/4 समय आय वाले कामों में लगता है, जबकि महिलाओं का सारा ही समय घर के कामों एवं बच्चों के लालन-पालन में ही व्यतीत होता है जिसका कोई मूल्य नहीं आँका जाता। यदि जिना मूल्य के कार्य को भी आय में परिवर्तित किया जाए तो महिलाओं की आय पुरुषों से ज्यादा अथवा उनके समान तो होगी ही, साथ ही ऐसा करने से परम्परा में चली आ रही मान्यताओं को दोहा धक्का तो लगेगा, परन्तु सम्पत्ति के अधिकार, वलाक के समझौते और बैंक के ऋणों के लिए साथ ही क्षेत्रों में परिवर्तन आएगा। महिलाओं को अदृश्य आय को आँकड़ों में परिवर्तन किए जाने पर राष्ट्रीय नीतियाँ भी प्रभावित होंगी।

कानूनी भेदभाव एवं अत्याचार—समाज में महिलाओं का स्थान निम्न होने का एक कारण कानून में भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं हिंसा का है। महिलाओं के अधिकार एवं भेदभाव की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1979 में चार्टर जारी किया था परन्तु अभी तक 41 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, 6 ने हस्ताक्षर तो किए हैं, परन्तु अनुमोदन नहीं किया है, 43 ने अनुमोदन कुछ शर्तों के साथ किया है। दूसरे शब्दों में 90 देशों में महिला समानता के सभी पहलुओं को स्वीकार नहीं किया गया है।

महिलाओं के प्रति भ्रष्टाचार एवं शारीरिक हिंसा जन्म से मृत्यु तक बचकर होती रहती है। कुछ देश में तो गर्भ में ही लिंग की जाँच कर ली जाती है और यदि स्त्रीलिंग है, तो गर्भपात कर दिया जाता है। मनुष्यित जागरूकता के कारण भारत में तो इसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। कनाडा, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नार्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में तो एक-तिहाई बच्चियों एवं किशोरियों के साथ यौन-दुर्व्यवहार किया जाता है। एशिया में अनुमानतः 10 लाख बालिकाओं को बेरिवायुति के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि चिनी, रीमिको, पापुआ, न्यूगिनी और कोरियाई गणतन्त्र में दो-तिहाई किशोरियों के साथ परिवार में हिंसक व्यवहार किया जाता है। जर्मनी में अनुमानतः चारोंस लाख महिलाएँ इस हिंसा का शिकार होती हैं। कनाडा, न्यूजीलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 में से एक महिला के साथ जीवन में एक बार बलात्कार होता है। महिलाओं की जितनी हथारों होती हैं उनमें बॉम्बेरा, ब्राजील, केन्या, पापुआ, न्यूगिनी और थाइलैण्ड में आधी से अधिक महिलाओं की हत्या वर्तमान या भूतपूर्व पतिवों द्वारा की जाती है। महिलाओं को आत्महत्या का अप्तिक, दक्षिणी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बढ़ा कारण वैवाहिक झगड़े एवं हिंसा का होना है।

कुछ प्रस्ताव—महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित पाँच सूची प्रस्ताव दिए गए हैं—

1. कानूनी समानता के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले दस वर्ष तक पूरे प्रयत्न किए जाएँ। महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए एवं विधिक ज्ञान प्रसार के कार्य किए जाएँ। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग की स्थापना हो। महिलाओं के प्रति अत्याचार को युद्ध-अपराध की तरह मानकर अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय किए जाएँ।

2. महिलाओं की आर्थिक एवं सहायता महायत्न में निरन्तर वृद्धि की जाए। इसमें महिला के प्रसूती अवकाश में वृद्धि की जाए साथ ही पुरुष को भी अवकाश दिया जाए। जपान ने 1992 से यह व्यवस्था की है। सयुक्त राज्य अमेरिका में यह व्यवस्था तो है परन्तु बिना वेतन पिता को अवकाश दिया जाता है। बाल्टिक सागर में कई देशों में छोटे बच्चों के लालन-पालन के लिए पुरुष के अवकाश की भी व्यवस्था है। सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार के कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. 1990 में महिलाओं के स्तर के लिए सयुक्त राष्ट्र सच के आयोग ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का हिस्सा कम-से-कम 30 प्रतिशत होना चाहिए। अभी तक विश्व में बहुत ही कम देश इस लक्ष्य तक पहुँचे हैं। सऊद एवं मॉरिशस में इस लक्ष्य तक पहुँचने एवं पार करने वाले देश डेनमार्क, फिनलैण्ड, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन और स्लोवन ही हैं। प्रशासन के क्षेत्र में 15 देशों ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है और नगरपालिका क्षेत्र में केवल 8 देशों ने। भारत में पचासवें राज सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर इस ओर पहल की गई है जिससे महिलाएँ सशक्त एवं समानता की ओर अग्रसर रही हैं।

4. सार्वजनिक शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए ऋण सुविधा में वृद्धि की जाए ताकि महिलाओं के अवसरों में वृद्धि हो सके। इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कई बाधक तत्व हैं जिनके लिए सरकारों को पूरे प्रयत्न करने चाहिए।

5. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों एवं विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। कोपनहेगन में सामाजिक शिक्षा सम्मेलन में सिफारिश की थी कि विकासशील देशों को मानव विकास कार्यक्रमों के लिए अपने बजट की 20 प्रतिशत राशि मानव सहायन विकास, जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, पौधे का पानी, परिवार कल्याण एवं पोषाहार आदि कार्यक्रमों के लिए चिन्हित कर देनी चाहिए। इसी प्रकार गरीब त्तोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा मिलनी चाहिए। भारत में उदारीकरण की नीति के बाद सामाजिक क्षेत्रों में ध्यान की राशि में असातोत वृद्धि हुई है।

विश्व इक्कोसवीं सदी में प्रवेश कर चुका है। नई विश्व-व्यवस्था में महिला और पुरुषों के समान अवसरों से उन्नति प्राप्त हो सकती है। जब तक विश्व में महिलाओं की आधी आबादी इस त्रासदी से मुक्त होकर पुरुषों के समान अवसर युक्त जीवन यापन नहीं कर सकेगी, विश्व-विकास का सपना अधूरा ही रहेगा। अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार इन क्षेत्र में महिलाओं को जब समान अवसर उपलब्ध होंगे, तभी सही विकास होगा। यद्यपि विश्व में और खासकर भारत में पिछले वर्षों में काफी प्रयत्न हुए हैं पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है।¹ भारत में संविधान, विभिन्न कानूनों, पंचवर्षीय योजनाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए धरमक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

□□□

आयोजन तथा आर्थिक विकास (Planning & Economic Development)

स्वतंत्रता पूर्व देश का नियोजित विकास करने पर विचार किया गया था। इर्जीनिया एम. विह्वेस्वरीया ने 1934 में अपनी पुस्तक 'Planned Economy for India' में नियोजित विकास पर बल दिया था। पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया गया। सन् 1944 में भारत सरकार ने 'नियोजन एवं विकास' नामक विभाग का गठन किया। सन् 1946 में 'प्लानिंग बोर्ड' एवं 'नियोजित समिति' स्थापित की गईं। इससे स्पष्ट है कि योजना आयोग का निर्माण पूर्व प्रयत्नों एवं चिन्तन की परिणति मात्र था। 15 मार्च, 1950 को योजना आयोग का विधायक गठन किया गया। सविधान सभा ने 'योजना आयोग' को वैधानिक सस्था का स्वरूप प्रदान नहीं किया, अपितु यह आयोग एक शासकीय आदेश के द्वारा स्थापित किया गया है।

योजना आयोग (The Planning Commission)—योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक सस्था है। शक्ति एवं कार्य-क्षमता की दृष्टि से 1950 से लेकर आज तक योजना आयोग ने सभी क्षेत्रों में और विशेषतः ग्रामों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अपने आपको विकसित किया है।

योजना आयोग का संगठन—मार्च 1950 में नियुक्त योजना आयोग के संगठन में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। जनवरी, 1985 में एन.वी. गौधी के नेतृत्व वाली सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. मनमोहनसिंह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। अब तक योजना मंत्री ही आयोग का उपाध्यक्ष होता था। जून 1991 में के.ए. बोरिस (K) सतारूद हुए। प्रधानमंत्री नरसिंहराव योजना आयोग के अध्यक्ष बने। प्रणव मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 17 अगस्त 1991 को योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सात पूर्णकालीन सदस्य तथा मंत्रियों को शामिल किया गया। आयोग के कार्यों के संकलन के लिए आन्तरिक संगठन की दृष्टि से आयोग को चार भागों में विभाजित किया गया है—

1. **समन्वय विभाग (Co-ordination Department)**—इसके दो उप-विभाग हैं—योजना समन्वय विभाग (**Plan Co-ordination Department**) तथा कार्यक्रम प्रशासन विभाग (**Programme Administration Department**)। जब योजना आयोग को विभिन्न विभागों में सहयोग की आवश्यकता होती है तो समन्वय विभाग अपनी भूमिका निभाता है। प्रशासन विभाग के कार्य वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं में समन्वय अविर्कमित क्षेत्रों का पता लगाना, प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के तरीकों तथा योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के साधन में परामर्श देना है।

2. **सहायक विभाग (General Department)**—योजना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए अनेक साधारण विभाग हैं। प्रत्येक विभाग का अपना निदेशक होता है। मुख्य साधारण विभाग ये हैं—दीर्घकालीन योजना विभाग, आर्थिक विभाग, ग्राम एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग, सांख्यिकीय तथा सर्वेक्षण विभाग, प्रबन्ध एवं प्रशासन विभाग।

3. **विषय विभाग (Subject Division)**—आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विषय विभाग हैं, जो विषय से सम्बन्धित योजना के लिए कार्य और शोध करते हैं।

4. **विशेष विकास कार्यक्रम विभाग (Special Development Programmed Division)**—कृषि विविध विशेष कार्यक्रम पर जोर देने की दृष्टि से विशेष विभाग बनाए गए हैं। ये दो हैं—ग्रामीण विभाग एवं सहकारिता विभाग। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन—देश में समुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए 1952 में यह एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसने अपने कार्यक्रमों की विधिकृत किया और कृषि मन्त्री

उद्योग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, माधौय योजना आदि से सम्बन्धित अन्य योजनागत कार्यक्रमों को अपने कार्य में शामिल किया। कतिपय वर्षों से इस संगठन ने (क) योजना-कर्ताओं को आवश्यक प्रतिपुष्टि देने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के 'त्वरित मूल्यांकन अध्ययन', (ख) केन्द्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन समूहों और राज्य मूल्यांकन समूहों के बीच समुक्त मूल्यांकन अध्ययन और (ग) विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रारम्भ किया है।

योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं दृष्टिकोण—योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. देश के साधनों का अनुमान लगाना है। योजना आयोग देश के भौतिक, पूँजी सम्बन्धी और मानवीय साधनों का अनुमान लगाता है। यह ऐसे साधनों के विकास की सम्भावना का पता लगाता है, जिसका देश में अभाव होता है। साधनों का अनुमान और उनमें अभिवृद्धि का प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कोई नियोजन सम्भव नहीं है।

2. योजना आयोग का कार्य योजना-निर्माण करना है। योजना आयोग देश के ससाधना के प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना का निर्माण करता है।

3. योजना आयोग के दो कार्य हैं—योजना को पूरा किए जाने की अवस्थाओं को परिभाषित करना तथा योजना की प्राप्ति-कक्षाओं का निर्धारण करना।

4. योजना आयोग देश के साधनों का समुचित आवंटन करता है।

5. योजना आयोग योजना क्षेत्र का निर्माण करता है। आयोग योजना की प्रत्येक अवस्था के सभी पहलुओं की क्रियाविवृति के लिए योजनात्मक की प्रवृत्ति निर्धारित करता है।

6. समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन में की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर यह नीतियों और प्रयत्नों में परिवर्तन या समायोजन की सिफारिश करता है।

7. योजना आयोग का कार्य सुस्थ और दिशा-निर्देश देने से सम्बन्धित है। योजना आयोग आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाले पदकों को इंगित करता है और योजना की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्धारण करता है। योजना निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, विकास कार्यक्रमों आदि पर योजना आयोग सरकार को सुझाव देता है। यदि राज्य या केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुझाव माँगे तो आयोग उस समस्या विशेष के समाधान के लिए अपने सुझाव देता है।

8. अन्य—अपने कार्य के सफल सम्पादन की दृष्टि से योजना आयोग को कतिपय निम्नलिखित कार्यों में सहायता मिलनी पड़ती है—

1. सामग्री और पूँजी साधनों का मूल्यांकन संरक्षण तथा उनमें वृद्धि की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर, इस सम्बन्ध में योजना आयोग का कर्तव्य यह है कि वित्तीय साधनों, मूल्य-स्तर, उपयोग प्रक्रिया, ऋण और निरन्तर अध्ययन करता रहे।

2. साधनों के सन्तुलित प्रयोग की दिशा में योजना आयोग को ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिसे देखते हुए क्षेत्रों को विकास की अधिकतम दर प्राप्त की जा सके तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय की स्थितियों को ध्यान में रखा जा सके।

3. योजना आयोग योजनाओं की सफलता के लिए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता रहता है।

4. योजना आयोग आर्थिक एवं अन्य नीतियों का सामाजिक मूल्यांकन करता है और यदि नीतियों में किसी तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता हो तो इसके लिए मन्त्रिमण्डल को सिफारिश करता है।

5. नियोजन की तकनीक का आवश्यक अध्ययन करते हुए उनमें सुधार का प्रयत्न करता है।

6. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन-सहयोग प्राप्त करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना हाथिय महसूस करते हुए योजना आयोग के कार्यों में भागीदार बन सके।

उपर्युक्त कार्यों का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि योजना आयोग की योजना निर्माण प्रक्रिया में बहु-आवामी भूमिका है और इसे इस दिशा में विविध प्रकार के कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है।

योजना आयोग के प्रमुख सम्भाग और समितियाँ—योजना आयोग के तीन प्रमुख सम्भाग (Divisions) हैं—कार्यक्रम परामर्शदातागण (Programme Advisors), सामान्य सचिवालय (General Secretariat) तथा तकनीकी सचिवकक्ष (Technical Secretariat)। इसकी तीन महत्वपूर्ण समितियाँ भी हैं—अनुसन्धान कार्यक्रम समिति (Research Programme Committee), कार्यक्रम मूल्यांकन समिति (Programme Evaluation Committee) तथा योजना उपक्रम समिति (Committee on Plan Project)। कार्यक्रम परामर्शदातागण क्षेत्र अध्ययन (Field Study) तथा विभिन्न गतिविधियों एवं प्रायोजनओं के पर्यवेक्षण तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति के विषय में योजना आयोग को सहायता देते हैं। सामान्य सचिवालय तथा तकनीकी सचिवालय आयोग के आन्तरिक अनुभागों

(Sections) से सम्बन्धित है। अनुसन्धान कार्यक्रम समिति सामाजिक तथा आर्थिक विकास की समस्याओं पर जोष-कर्म संचालित करती है। कार्यक्रम मूल्यांकन समिति समुदायिक विकास आन्दोलन के अन्तर्गत कार्यों का मूल्यांकन करती है। योजना उपक्रम समिति महात्वापूर्ण योजना उपक्रमों के कार्य की जाँच करती है जिससे अधिकतम कार्यकुशलता एवं निरन्तरता को प्राप्त की जा सके।¹

योजना आयोग के प्रभागों के कार्यकलाप—योजना आयोग के सभी 27 प्रभागों के मुख्य कार्य-कलाप निम्नलिखित हैं—

1. प्राथमिक योजना प्रभाग—यह पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में ठरनीय टिप्पणियों को अंतिम रूप देता है। यह प्रभाग गरीबों और क्षेत्रीय असमानता की दृष्टि से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए विभिन्न अध्ययन करता है। विभिन्न क्षेत्रों की कीमतों पर आधारित कीमतों, निर्देशित कीमतों और बतों की दरों में परिवर्तन के प्रभाव तथा शोच कोमनों के मूल्यांकन में वृद्धि के प्रभाव की जाँच करने के लिए आगत-निर्गत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी निर्देशन का अध्ययन इस प्रभाग द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग दिल्ली और आगामी वार्षिक योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों के निर्गत उत्पादन स्तरों का अनुमान लगाता है।

2. आर्थिक प्रभाग—यह कृषि और औद्योगिक उत्पादन आधारित सार्वजनिक क्षेत्रों के निष्पादन, शोच और उपरोक्त क्षेत्रों की प्रवृत्तियों, मुद्रास्फीति और बैंक ऋण भुगतान क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और समीक्षा करता है। इसके अन्तर्गत प्रभाग दूरस्थ और आगामी क्षेत्रों में उचित कीमतों पर वस्तुओं और बंधनों पर निगरानी में सम्बन्धित समिति, खानों के तलों से सम्बन्धित संचितों की स्थायी समीक्षा समिति और केंद्र, बैंक और सार्वकारी वित्तिय सहायकों द्वारा निवेश के अन्तर्गत स्थिर स्वरूप से सम्बन्धित कार्यकारी दल के कार्य से घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध रखता है।

3. अन्तर्गामी आर्थिक प्रभाग—यह प्रभाग देश के व्यापक और भुगतान शर के विभिन्न तन्त्रों की समीक्षा करत तथा जाँच से उभरने वाली समस्याओं पर विचार करने के कार्य में लगा रहता है। विद्यमान और विकसित उद्योगों के रूप घनिष्ठ आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी सहयोग स्थापित करने के लिए अनेक टिप्पणियाँ देता करता है। नई अन्तर्गामी आर्थिक व्यवस्था, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक अभिकरण तथा अन्य अन्तर्गामी आर्थिक सहायकों में सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार और कार्य करता है।

4. वित्तीय सहायन प्रभाग—यह प्रभाग क्षेत्रीय और राज्य सरकारों के बजटों का विश्लेषण, वार्षिक योजनाओं के लिए क्षेत्रीय और राज्य सरकारों के सहायकों का आवधिक मूल्यांकन, लागत अर्थात् अधिक अर्थिक बचने उद्योगों के सहायकों की माध्यमिक समीक्षा और प्राथमिक वार्षिक योजना के वित्त व्यवस्था करने में बजट के शर की ध्यानपूर्वक और परिवर्तनीय तथा पारो की वित्त-व्यवस्था, रिजर्व बैंक से अधिकारों पर अनावश्यक रूप से निर्भर रहे बिना वार्षिक योजना को सक्षम और स्वनिर्भर करने के लिए आवश्यक प्रमुख देता करता है।

5. परियोजना का मूल्यांकन—यह प्रभाग उन क्षेत्रीय सरकार के निवेश प्रस्तुतियों का विश्लेषण करता है जिन पर सरकार निवेश बोर्ड और अन्य वित्त समिति द्वारा विचार किया जाता है।

6. प्रयोग और सूचना प्रभाग—यह प्रभाग उद्योग और खनिज, ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई, जलान विकास और शिक्षा आदि के विभिन्न उप-क्षेत्रों के योजनागत परियोजनाओं की प्रगति और लक्ष्यों की प्रगति के विश्लेषण करता है और विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जुने हुए क्षेत्र से सम्बन्धित उर्वरक, इस्पात, खनिज, विद्युत और रेलवे में उत्पादन, निष्पादन और परियोजना कार्य-बचन के सम्बन्ध में विभिन्न रिपोर्ट देता करता है। परियोजनाओं के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण करता है, समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाता है और उनके सम्बन्ध में सुधारक उपाय आगम करने के लिए कार्यकारी के विषयों की रूपरेखा देता करता है। यह प्रभाग सिंचाई परियोजनाओं के प्रयोग और विश्व बैंक की सहायता प्राप्त वन-उद्योग कार्यक्रमों के प्रमुख सूचना व्यवस्था का विकास करने में सहायता करता है।

7. कृषि प्रभाग—यह प्रभाग कृषि के विकास के लिए उपयोगी सुझाव देता है।

8. प्राथमिक विकास और सहकारिता प्रभाग—यह प्रभाग प्राथमिक विकास और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करता है।

9. सिंचाई और निष्पन्न क्षेत्र विकास प्रभाग—यह प्रभाग सिंचाई, बाढ़-निष्पन्न और बहु-उद्देशीय परियोजनाओं पर विचार करता है। छोटी सिंचाई और निष्पन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। इस प्रभाग ने सहायक अनुभव देता करने के लिए एक समिति बनाई है।

10. बहुस्तरीय योजना प्रभाग—यह प्रभाग बहुस्तरीय योजनाओं से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में यह विभिन्न सहायकों के सहयोग से कार्य करता है और पाठ्यक्रम चलाता है।

1. डॉ. सी. वी. शर्मा: लोक सभान्त, विकास एवं व्यवहार, पृ. 272-273.

11 विद्युत और ऊर्जा प्रभाग—यह प्रभाग विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की सतत समीक्षा करता है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कर्मियों के लिए उन्नतदायित्व क्षेत्रों, उत्पत्तियों का पता लगाने के लिए उपकरणों की वितरण, समय-अनुसूची और निर्माण कार्यक्रमों सहित बड़ी स्कोपों की स्पष्टीकरण देने की गति बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

12 उद्योग और खनिज प्रभाग—इस प्रभाग द्वारा उद्योग और खनिज में सम्बन्धित सरकारी उद्यमों के साथ उनकी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है। विशेष रूप से अन्तर-मन्त्रालय सम्बन्ध और दीर्घकालीन योजना के सम्बन्ध में होने वाली विभिन्न समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए निष्पत्ति समाप्ति बैठकें आयोजित की जाती हैं।

13 ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग—यह प्रभाग ग्राम और लघु उद्योगों के लिए अँकड़ों की प्रगति की अपेक्षाओं के प्रश्न पर विचार करता है और सुधारणक उपाय सुझता है तथा एशियाई ढंग-रकता संगठन अथवा अन्य संगठनों द्वारा प्रायोगिक उद्योगों के लिए आयोजित संगठितियों में भाग लेता है।

14 आवास, शहरी विकास और जन आर्ति प्रभाग—इस प्रभाग द्वारा ग्रामीण मकान बनाने की जगहें और मकान निर्माण स्वीकृति गन्दी बस्तियों का पर्यवेक्षण सुधार और ग्रामीण जल-अपूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं जिनमें उन समस्याओं और प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है जिन्हें क्षेत्रीय स्तर पर हल करना आवश्यक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल-अपूर्ति स्कीमों के लिए मानक निर्धारित करने और उन स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर ध्यान दिया जाता है और उनके बारे में निर्माण और आवास मन्त्रालय को सुझाव दिया जाता है।

15 परिवहन प्रभाग—यह प्रभाग परिवहन सम्बन्धी परियोजनाओं के मूल्यांकन और उनको स्वीकृति से सम्बन्धित है। विस्तृत विचार विमर्श द्वारा परियोजनाओं के सम्बन्ध में बाधाओं का पता लगाकर, सुधारणक उपायों का सुझाव देकर इसका कार्य है। परिवहन परियोजनाओं से सम्बन्धित अध्ययन दल भी यह गठित करता है।

16 शिक्षा प्रभाग—यह प्रभाग देश के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा परियोजनाओं विशेषकर जौड़ शिक्षा, महिला शिक्षा एवं सम्पूर्ण साक्षरता पर विशेष रूप से ध्यान देता है। शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित अँकड़ों का समीक्षात्मक ढंग से मूल्यांकन करना, शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकारी दलों की रिपोर्टों पर विचार करना तथा शिक्षा और रोजगार के सम्बन्ध में शिक्षापरिषद् करना आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं।

17 विज्ञान और शिल्प-विज्ञान प्रभाग—विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी तकनीकी सहायता के लिए जो परियोजनाएँ भेजी जाती हैं उनकी जाँच इस प्रभाग द्वारा की जाती है। मंत्रालयों विभागों के विज्ञान और शिल्प विज्ञान योजना-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विचार करता है।

18 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण—यह प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित है। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में इस प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। कुष्ठ रोग निवारण तथा अश्वेतन की रोकथाम में विशिष्ट भूमिका होती है।

19 समाज कल्याण प्रभाग—यह प्रभाग समाज कल्याण परियोजनाओं पर विचार करता है। साथ ही पिछड़ी जातियों की महिलाओं और विकलांगों के उद्धार के लिए कार्य करता है।

20 पिछड़ा प्रभाग—यह प्रभाग पिछड़े वर्गों की परियोजनाओं से सम्बन्धित है। जनजातीय उपयोजनाओं और अनुसूचित जातियों के लिए सफ्टक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल स्वीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और तथ्य निर्धारित करना मुख्य कार्य है।

21 श्रम, रोजगार और जन शक्ति प्रभाग—यह प्रभाग ग्रामीण असंगठित श्रमिकों बन्धुआ मजदूरों और बाल मजदूरों से सम्बन्धित कार्य और श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं, हस्तशिल्प कार्यों के सम्बन्धित उच्च-केन्द्र सांख्यिक अर्थशास्त्र और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा प्रस्तावित एवं विभिन्न योजना-सम्बन्धी कार्यक्रमों में रोजगार मण्डलों की जाँच करने तथा जन-शक्ति से सम्बन्धित विविध पहलुओं की जाँच करने राज्य-स्तरीय जन-शक्ति की रूपरेखा तैयार करने सम्बन्धी दायित्वों का निर्वाह करता है।

22 सांख्यिकी और सर्वेक्षण प्रभाग—यह प्रभाग सांख्यिकी और सर्वेक्षण पाठ्यक्रम केन्द्रीय सांख्यिकी मण्डल के माध्यम से आयोजित करता है। यह सांख्यिकी और सर्वेक्षण प्रकाशन विकसित करता है।

23 संचार, सूचना तथा प्रसारण प्रभाग—योजना प्रसार के कार्य कलापों की प्रगति को यह प्रभाग सूचना प्रसारण मन्त्रालय के माध्यम से एकत्रित से सम्पर्क बनाए रखता है। यह विभाग/प्रभाग योजना और सम्बन्ध विषयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज छपवाता है।

24 भारत-जपान अध्ययन समिति—इस समिति का कार्य भारत और जपान के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित विविध पहलुओं का अध्ययन करना है ताकि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध प्रगाढ़ हो सकें।

25. सामाजिक-आर्थिक अनुसन्धान एकांक—यह एकक विभिन्न नए अनुसंधान, अध्ययन अनुसंधान करता है। विभिन्न अनुसन्धान अध्ययन के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। अनेक अनुसन्धानों के लिए विनीय सहायता दी जाती है।

26. हिन्दी का प्रयोग—उजभाषा नीति और उजभाषा, 1976 के अनुसरण में योजना आयोग में सरकारी कामकाज विशेष रूप से पत्र-व्यवहार, सामान्य आदेशों और द्विभाषक फार्मों में हिन्दी के प्रयोग में लगातार प्रगति होती रही है। योजना आयोग द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण कागज़-पत्र हिन्दी में निकाले जाते हैं।

27. पुस्तकालय—योजना आयोग पुस्तकालय अन्य संगठनों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय आदि के अनुसन्धानकर्ताओं, विद्वानों और अधिकारियों को परामर्श सुविधाएँ देने के अलावा योजना आयोग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सन्दर्भ सेवा और पुस्तकें देने की सुविधाएँ देता है।

योजना आयोग का भारतीय संसदीय प्रणाली पर प्रभाव

(Impact of Planning Commission on Parliamentary System of India)

योजना प्रणाली तथा योजना आयोग ने भारत की संसदीय व्यवस्था के स्वरूप तथा कार्य-प्रणाली को प्रभावित किया है। इसका सारगर्भित विवेचन डॉ. पी. डी. शर्मा एवं अन्य ने इस प्रकार किया है—“योजना आयोग की व्यवस्था ने भारत की संसदीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। अनेक विचारकों ने इसी आधार पर योजना आयोग को अग्रोचना का आधार बनाया है। इस सम्बन्ध में अशोक चन्दा द्वारा योजना आयोग की प्रभावशाली रूप से आलोचित किया गया। उनकी दृष्टि में भारत में नियोजन के परिणामस्वरूप संसदीय प्रणाली समाप्त हो गई है। केन्द्रीय सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर योजना आयोग छाया रहता है तथा राज्य सरकारों को भी योजना आयोग के निर्देशों के आधार पर ही चलना पड़ता है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को कोई निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तथापि योजना आयोग अपना प्रत्येक निर्णय इन पर लागू करने में समर्थ होता है जबकि आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों को सौहार्दपूर्ण प्रति उत्तरदायी है और न ही उन्होंने बड़ी व्यवस्थापिका सभा के प्रति। संसदीय व्यवस्था का मूल मंत्र ही उत्तरदायित्व की व्यवस्था है जिसे योजना आयोग ने अपनी सरलतः स्थिति के कारण समाप्त कर दिया है।”

यद्यपि योजना आयोग केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के निर्णयों को प्रभावित करता है, किन्तु यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं जा सकता कि योजना आयोग के अस्तित्व में आने से संसदीय व्यवस्था का आधार-बिन्दु उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि केन्द्र के स्तर पर योजना मंत्री तथा राज्य के स्तर पर नियोजन मंत्री राज्य की विधान सभा के प्रति उन सभी निर्णयों के लिए उत्तरदायी हैं जो उन्होंने स्वयं अथवा योजना आयोग के परामर्श से लिए हैं।

योजना आयोग के संसदीय व्यवस्था पर एक अन्य प्रभाव की ओर संकेत करते हुए यह कहा जाता है कि योजना आयोग के अस्तित्व में आने से एक समाधानतर सरकार की स्थापना हो गई है। योजना आयोग में लगभग वे सभी विभाग पार जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर पार जाते हैं अथवा राजकीय स्तरों पर पार जाते हैं। योजना आयोग का अधिकारिक यह प्रयास रहता है कि वह इन विभागों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर अपन कार्य संपन्न कर सके। वह यह आवश्यक नहीं समझता है कि इन विभागों से केन्द्र पर प्रधानमंत्री, राज्य पर मुख्यमंत्री अथवा सम्बन्धित मंत्रियों के माध्यम से इन विभागों से सम्पर्क स्थापित करे। इसलिये ‘साम्राज्य के अन्दर साम्राज्य’ का जन्म हो गया है। योजना आयोग के इस अनुचित प्रभाव के विचार को अनेक विचारकों द्वारा खंडित किया गया है। यद्यपि यह ठीक है कि योजना आयोग में मुख्य रूप से विचारस से सम्बन्धित सभी विभाग पार जाते हैं जो केन्द्रीय या राज्य के स्तर पर उपलब्ध हैं, किन्तु जो व्यावहारिक अध्ययन हुए हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता है कि योजना आयोग द्वारा सम्बन्धित मंत्रियों को उपेक्षा कर विभागों से सम्पर्क स्थापित करना चाहता हो और उन पर प्रभाव जमाने की एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति निहित रही हो।

योजना व्यवस्था ने संसदीय व्यवस्था को प्रभावित किया है तथा नियोजन की प्रक्रिया का सफाद पर प्रभाव एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। इस सन्दर्भ में विभिन्न विचारकों के विभिन्न मत रहे हैं। अशोक चन्दा की मान्यता है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में योजना आयोग की भूमिका सफाद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी क्रियाओं के अनुचित प्रभाव के कारण सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था ही समाप्त हो गई है। इस विचारधारा के विपरीत एक अन्य विचारधारा यह है कि नियोजन व्यवस्था के होते हुए हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था बनी हुई है या सफाद का स्वकार सहयोगी सफाद के रूप में उभरा है। यद्यपि इससे भारतीय सफादी व्यवस्था में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, किन्तु सफाद के आधारभूत तत्व इसमें विद्यमान हैं। एक अन्य विचारधारा के अनुसार यद्यपि सफाद नियोजन की व्यवस्था के कारण समाप्त नहीं हुआ कि भी केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा आ गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में एकलपक्षता का पक्ष इससे अधिक मजबूत हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा एक भौगोलिक सभ की स्थापना की गई, किन्तु योजना आयोग के अनुकूल अनुदान की प्रक्रिया ने ‘वर्तिकल सभ’ स्थापित कर दिया अर्थात् राज्यों के सम्बन्धों में

असमानता का प्रयोग किया जाने लगा तथा यह असमानता गैर-संवैधानिक सत्ता योजना आयोग द्वारा आरम्भ की जाती है। इस स्थिति के होते हुए के सम्बन्ध में स्वीकार है कि योजना व्यवस्था में होते हुए भी यह कहना गलत होगा कि अन्य पूर्णतः अवाहिक हो गए अपना केन्द्र के अधीन हो गए क्योंकि योजना-निर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को बनाने तथा वित्त की रूपरेखा तैयार करने में और विशेषकर योजनाओं को लागू करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए केन्द्र से सौदे के बाद सहयोग की स्थिति बनी रहती है।

नियोजन व्यवस्था से सघ एव राज्य सरकारों पर जो प्रभाव पड़ता है इसी के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के माध्यम से राज्यों पर संविधानिक नहीं अपितु आर्थिक दबाव अधिक पड़ता है, क्योंकि सविधान में नियोजन के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया गया तथा नियोजन समझौते सूची में रखा गया, इसलिए योजना आयोग का निर्माण केन्द्रीय सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर किया गया। इस आधार पर योजना आयोग कानूनी दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उसके किसी प्रभाव के पीछे संविधानिक शक्ति नहीं हो सकती, किन्तु राज्यों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता के कारण आयोग के प्रभाव को स्वीकार करना पड़ता है। यदि कोई राज्य यह तर्क देता है कि यह योजना आयोग का आदेश मानने को बाध्य नहीं है, क्योंकि यह कोई कानूनी शक्ति नहीं रखता, संविधानिक दृष्टि से उसका पछा सही कहा जा सकता है तथा केन्द्रीय सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है जिसके आधार पर वह राज्यों को आयोग का निर्णय मानने को बाध्य कर सके, किन्तु यहाँ राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ कानूनी यथार्थ की अपेक्षा अधिक प्रभाव रहता है। इसी दबाव शक्ति के कारण राज्य आयोग के निर्णयों का विरोध करने में समर्थ नहीं हो पाते। जहाँ तक योजनाओं के निर्णय का सम्बन्ध है, मुख्य रूप से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि नियोजन की दिशा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। योजना का सत्य क्या होगा तथा प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी, इसके निर्धारण का कार्य योजना आयोग ही करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। यदि योजना-निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया देखी जाए तो बिना किसी विरोध के यह नहीं स्वीकारा जा सकता है कि योजना-निर्माण में राज्यों का कोई सहयोग नहीं रहता। प्रत्येक योजना के निर्माण से पूर्व एक योजना सम्बन्धी आलेख तैयार किया जाता है। योजना का यह आलेख निर्मित कर राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है। कभी इससे पूर्व तथा कभी इसके पश्चात् दलील स्तर पर भी आलेख पर विचार किया जाता है। इसके बाद यह आलेख राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, योजना एव वित्त मंत्री होते हैं। इस स्तर पर योजना-निर्माण में राज्यों का दृष्टिकोण ज्ञान लिया जाता है और इस दृष्टिकोण के आधार पर आलेख को सरोपण के साथ अथवा बिना सरोपण के स्वीकृति दे दी जाती है तथा इसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है।

संसद की स्वीकृति के पश्चात् यह आलेख योजना-निर्माण के लिए पुनः योजना आयोग के पास भेज दिया जाता है और इस आलेख के आधार पर विभिन्न राज्यों से योजना के निर्माण के लिए सुझाव मांगे जाते हैं। राज्य अपने स्तर पर जिलों से एवं जिला पंचायत समिति प्राप्त पंचायतों से सुझाव माँगकर अपनी योजना की रिपोर्ट योजना आयोग को भेज देते हैं। इसके बाद योजना आयोग विभिन्न राज्यों के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनसे निरन्तर बातचीत के माध्यम से एक नवीन प्रलेख तैयार करता है जो पुनः राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद एवं संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। योजना की इस प्रक्रिया का सम्बन्ध बहुत कुछ उन विषयों से होता है जो राज्य-सूची के होते हैं। इसलिए जब योजना आयोग द्वारा राज्य सूची के विषयों का नियोजन किया जाता है तथा जब राज्यों का परामर्श पूरी तरह नहीं स्वीकारा जाता है तो कुछ मात्रा में उनकी स्वतंत्रता अवश्य सीमित की जाती है, किन्तु राज्यों के परामर्श अथवा उनकी भूमिका को गौण स्थान नहीं दिया जाता। योजना निर्माण में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी नियोजन की प्रक्रिया केन्द्र तथा योजना आयोग की प्रतीक बनी जा सकती है।

नियोजन के सन्दर्भ में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण राज्यों की आर्थिक व्यवस्था असन्तुष्ट हो जाती है, क्योंकि राज्यों पर ऋण इतना बढ़ जाता है कि अपनी आय का अधिकांश भाग उन्हें ऋण के रूप में केन्द्र को देना पड़ता है। इसी असन्तुष्टि अर्थ-व्यवस्था के कारण राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है फलतः भारतीय सघीय व्यवस्था में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

आर्थिक नियोजन की चुनौतियों के सन्दर्भ में प्रशासनिक सुधार

(Administrative Improvements in View of the Challenges of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन में प्रशासन को नए दायित्व सौंपे हैं। विकास कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए नई चुनौतियों उपस्थित हुई हैं। इनका सामना करने के लिए प्रशासन को तदनुकूल ढाला जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने नियोजन के सन्दर्भ में भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इनमें से अधिकांश का सम्बन्ध योजना आयोग से है।

चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें योजना आयोग का अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष तथा योजना आयोग का उपाध्यक्ष सदस्य हों। औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों का चयन करते समय इण्डियन कैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज के अध्यक्ष की सहायता ली जानी चाहिए। जहाँ आवश्यक प्रतीत हो वहाँ समिति के पारमर्श के लिए विशेषज्ञों को भी सह्युत किया जा सकता है।

10. प्रशासनिक सुधार आयोग ने ग्लोबल को रूनिशगन्ने बनाने हेतु यह सुझाव दिया है कि प्रसिद्ध योजना कार्यक्रमों को प्रगति प्रतिवेदन द्वारा प्रस्तुत की जाए। ये प्रतिवेदन छ माह के अन्दर-अन्दर समद में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य नियोजन मण्डल योजना कार्यक्रमों की प्रगति सम्बन्धी सूचना एकत्रित करें तथा एक प्रतिवेदन तैयार कर उसे राज्य विधान-मण्डल के सामने रखें। योजना आयोग में पृष्ठ से एक मूल्यांकन शिष्टा स्थानों की जानी चाहिए जिसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन रचना चाहिए। यह शिष्टा महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यों का अध्ययन करेगी जिससे राज्यों में मूल्यांकन कार्य का पक्ष-दर्शन हो सकेगा। योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाने वाला कार्यक्रम भारतीय संसद के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक मन्त्रालय का योजना सभाग (सेक्टर) अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों के मूल्यांकन का कार्य भी करेगा जहाँ वर्तमान में योजना आयोग द्वारा यह नहीं किया जा रहा है। राज्य नियोजन मण्डलों में मूल्यांकन इकाइयों होनी चाहिए जो राज्य योजनाओं के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकेंगी और इनके प्रतिवेदन राज्यों को ध्यावदायिकाओं के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे।

11. प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि लगभग 25 सदस्यों की एक विशेष समन्वय समिति गठित की जा सकती है जो योजना कार्यों की वार्षिक प्रगति की जाँच कर सकेगी। राज्य स्तर पर ऐसी समिति उपयुक्त होगी। प्रस्तावित समिति अनौपचारिक पारमर्शदात्री समिति का कार्य कर सकती है।

12. प्रशासनिक सुधार आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री तथा कृषि-मन्त्री, औद्योगिक विकास मंत्री, वाणिज्य मंत्री, श्रम तथा रोजगार मंत्री, गृह-मन्त्री, विवाद एवं शक्ति मन्त्री, योजना आयोग के सभी सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाने चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग को ठकान विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन कर दिया।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव—

(1) सर्वप्रथम योजना आयोग के सगठन में परिवर्तन करना आवश्यक है। योजना आयोग पूर्णतः नैर राजनीतिक पारमर्शदात्री संस्था होनी चाहिए। आयोग में गति नहीं होने चाहिए। आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य सभी अपने विषय के विशेषज्ञ होने चाहिए। कभी-कभी यह कहा जा सकता है कि विशेषज्ञों को पुस्तकीय ज्ञान होता है और व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में आयोग किसी अन्य वैधानिक संस्था के अधिकारों का विकल्प नहीं हो सकता है। वह मात्र पारमर्शदात्री संस्था ही होगी। इससे इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि होगी।

(2) केन्द्रीय मंत्री अपने-अपने विभागों की योजना बनाकर आयोग को प्रस्तुत करें।

(3) योजना का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। प्रत्येक राज्य विकेन्द्रीत आधार पर योजनाएँ तैयार करें। ब्लॉक स्तर पर अथवा किसी अन्य निर्धारित स्तर पर योजनाएँ बनाई जायें। इन योजनाओं पर राज-मन्त्रिमण्डल विचार करें और राज्य को समन्वित योजना तैयार करें। योजना आयोग प्रत्येक क्षेत्र एवं स्तर से प्राप्त योजनाओं का अध्ययन करे, समन्वित योजना तैयार करे और फिर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल स्तर पर विचार करे और निर्णय ले। जिन राज्यों की योजना में कमी को जाये उसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसके विरुद्ध यह तर्क दिया जा सकता है कि इस प्रकार की समन्वित व्यापक आधार पर योजना तैयार नहीं की जा सकती। इस सम्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि योजना आयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दे एवं समाप्तों के विषयों में स्थिति स्पष्ट कर दे। तभी सभी वास्तविक आधार पर योजनाएँ प्रस्तुत करेंगे और स्वोक्ति एवं साधन प्राप्त होने पर सही ढंग से उन्हें वापस-वित्त करेंगे।

(4) केन्द्र सरकार केन्द्रीय विषयों पर तथा राज्य सरकारों राज्य-विषयों पर योजनाएँ बनाये।

(5) जाता से सुझाव माँगे जायें। साधनों की पूर्ति के सुझाव जनता से माँगे जाने चाहिए।

यदि उपर्युक्त आधार पर योजना आयोग कार्य करे तो बहुल-सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो सकेगा। राजनीतिक पक्षपात का अवसर समाप्त हो जायेगा और राज्यों को पूर्ण सहभागिता बढ़ेगी, उनका उत्तरदायित्व एवं महत्व बढ़ेगा और जनता भी रुचि ले सकेगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद

(National Development Council)

भारत में योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य लक्ष्य योजना के निर्माण में राष्ट्रीय सहमति का लक्ष्य प्राप्त करना रहा है।

राष्ट्रीय विकास योजना का संगठन

योजना सम्बन्धी मामलों में केन्द्र और राज्यों के मध्य समायोजन (Co-ordination) के लिए योजना आयोग की सिफारिश पर अगस्त, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय सरकार के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। यदि किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उपस्थित न हो सके तो उसे अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री की सदस्यता और योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों की ओर से पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। योजना के निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद से अनिवार्यतः परामर्श लिया जाता है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करने के बाद योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष जो कि सहयोगी सभवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करती है, आवश्यक सुझाव हेतु प्रस्तुत किया जाता है। बाद में परिषद की सिफारिशों के आधार पर योजनाओं में तथा उनके कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किया जाता है। इसके बाद मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास शारम्भिक निर्देशों सहित भेज दिया जाता है और उनसे केन्द्रीय योजना निर्माण की वे सभी प्रक्रियाएँ पूरी करवाई जाती हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। योजना-निर्माण को अन्तिम रूप देने से पूर्व पुनः परिषद की सिफारिशें ली जाती हैं और तब योजना अपना स्वरूप और आकार ग्रहण कर लेती है जिसे बाद में ससद द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रकाशित कर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना-निर्माण के सन्दर्भ में बहुत कुछ निर्णायक भूमिका होती है इसीलिए उसे 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) तक कहा जाता है। इसके उच्च स्वरूप के कारण ही इसके परामर्श को केन्द्रीय और राज्य सरकारों महत्व प्रदान करती हैं। परिषद के सदस्य शासकीय नीति के निर्माता होते हैं, अतः योजना आयोग एवं मंत्रिमण्डल द्वारा परिषद के दृष्टिकोण की प्रायः अवहेलना नहीं की जाती। राष्ट्रीय विकास परिषद का इतना दबदबा होता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री उसके निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अनेक अवसरों पर असहमति के मुद्दे भी उठते हैं जिन्हें आपसी सहयोग से सुलझा लिया जाता रहा है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य

राष्ट्रीय विकास परिषद योजना की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

- (i) सम्पन्न-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-संचालन का पर्यावलोकन करना।
- (ii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
- (iii) राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना।
- (iv) जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- (v) प्रशासनिक सेवाओं की कुशलता में वृद्धि करना।
- (vi) समाज के अल्प-विकसित वर्गों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए सहायता का निर्माण करना।
- (vii) समस्त नागरिकों के समान त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए सहायता का निर्माण करना।

योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद के पीछे सार्वधानिक या कानूनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसकी सिफारिशों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पालन अवश्य किया जाता है। इसके कार्यों को प्रकृति का विश्लेषण करने + स्पष्ट हो जाता है कि यह उन बहुमुखी कार्यों का निष्पादन करती है, जिन्हें योजनाओं के निर्माण तथा उनकी सफल क्रियान्विति के लिए आवश्यक समझा जाता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रकृति

राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रकृति का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं—

(1) राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में सप्तात्मक व्यवस्था की एक प्रतीक संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें केन्द्र और राज्यों के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व होता है। यह सपवादी अवधारणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है।

(2) राष्ट्रीय विकास परिषद 'सहकारी सभवाद' (Co-operative Federalism) की भावना को क्रियान्वित करती है। केन्द्र और राज्यों के बीच योजनाओं के प्रारूप के सम्बन्ध में सुलभ विचार-विमर्श होता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय मन्त्र है जहाँ सभी पक्ष राष्ट्रीय प्रतिपक्ष में विचार-विमर्श करते हैं। योजना के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों में उठने वाले विवाद का समाधान हो जाता है। इससे 'सहकारी सभवाद' की भावना सुदृढ़ होती है।

(3) राष्ट्रीय विकास परिषद देश में नियोजन तंत्र की 'सर्वोच्च या सर्वोच्च संस्था' है।

(4) राष्ट्रीय विकास परिषद के संगठन का विरचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका राष्ट्रीय स्तर है। इसमें प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इससे सम्पूर्ण राष्ट्र के परिवेश में योजनाओं का निर्माण होता है।

(5) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा है अतः इस परिषद का वह नेतृत्व नियोजन और निर्देशन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्य-प्रणाली पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहता है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गान्धी तथा राजीव गान्धी जैसे वरिष्ठ और शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों का इस परिषद पर पूरा वर्चस्व रहा। पण्डित इन्दिरा गान्धी के शासन के अन्तिम वर्षों में उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में नैर कार्यसौ मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनी जाती थी। फिर भी राष्ट्रीय विकास परिषद की गतिविधियों पर उनका वर्चस्व बना रहा। संविद सरकार तथा अल्पमतीय सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री की स्थिति राष्ट्रीय विकास परिषद में उनकी सरलता और सुदृढ़ नहीं होती है।

(6) राष्ट्रीय विकास परिषद में केन्द्र में सतारक राजनीतिक दल की सक्रिय भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्बन्ध सतारक दल से होता है, फलतः इस परिषद की कार्यवाही को प्रभावित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(7) राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने-अपने राज्यों के लिए अधिक रिपायों प्राप्त करने की दृष्टि से दबाव की राजनीति का सहारा लिया जाता है और इसमें शक्तिशाली और जनप्रिय रहने वाले मुख्यमंत्री सफल भी रहते हैं।

(8) राष्ट्रीय विकास परिषद का सम्बन्ध देश के नियोजन से है, अतः सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका प्राथमिक तथा सर्वोपरि लक्ष्य है। यह परिषद देश का अधिक विकास करने, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने, क्षेत्रीय असमन्वय को समाप्त करने, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने, देश में विकास की दूर को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इस तरह से इसको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है।

साधारण में यही कहा जा सकता है कि भारत की सफलता और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रीय विकास परिषद उत्प्रेक्षणीय भूमिका का निर्वाह कर रही है।

उदारिकरण के युग में आयोजना एवं आर्थिक सुधारों के राजनीतिक आयाम

(Planning in the Era of Liberalisation and Political Dimensions of Economic Reforms)

नीचे से योजना का निर्माण—भारत में केन्द्र द्वारा योजना बनाने के साथ-साथ संगठन की निचली इकाइयों की आवश्यकताओं, उनके लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा सुझावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या समायोजन करती है। विभिन्न राज्यों, जिलों और विकास खण्डों द्वारा योजना के शुरुआत में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना-निर्माण में उसका समायोजन कर लिया जाता है। उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन काके सम्बन्धित योजना में समायोजन कर लिया जाता है। योजना आयोग राज्यों, जिलों और पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, प्रस्तावों और कार्यक्रमों की आर्थिक और तकनीकी से सावधानीपूर्वक जाँच करता है और उसके आधार पर सम्बन्धित योजना का निर्माण करता है। इस प्रकार से योजना आयोग द्वारा सभी स्तरों पर योजना निर्माण का कार्य किया जाता है।

नियोजन की तकनीक और योजना आयोग की भूमिका—भारत में योजना आयोग मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में जिस तकनीक का उपयोग करता है, वह निम्नानुसार है—

1. अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के आधार पर भूतकालीन प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा मुख्य आर्थिक समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थान सहायता देते हैं। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आँकड़ों तैयार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापक मौद्रिक और वित्तीय आँकड़े एकत्रित करता है। योजना आयोग को अनुसंधान कार्यक्रम समिति विभिन्न समस्याओं के बारे में अध्ययन-अनुसंधान करती है। आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन प्राथमिक अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा कई अन्य विशिष्ट संस्थाएँ सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होती हैं। प्रत्येक मन्त्रालय में सांख्यिकी कक्ष होते हैं जो अपने-विषय पर सब प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करते हैं। योजना आयोग इन सब स्रोतों द्वारा प्राप्त सांख्यिकीय आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करता है तथा योजना-निर्माण के कार्य में आगे बढ़ता है।

2. उपयुक्त विश्लेषण, निरीक्षण एवं अध्ययन के आधार पर आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जाता है तथा यह भी देखा जाता है कि विकास की वांछनीय गति क्या होनी चाहिए? नियोजन की माध्यम-मंटी प्रयत्निकाओं और नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय किया जाता है। विकास की वांछनीय गति के आधार पर योजनावर्ष में बचत और विनियोग की आवश्यकताओं पर निर्णय लिया जाता है। यह सब कुछ करने के बाद विद्यमान साधनों की छानबीन की जाती है। निजी क्षेत्र के वित्तीय साधनों का अनुमान रिजर्व बैंक द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के साधनों का अनुमान योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय द्वारा लगाया जाता है।

3. नियोजन तर्कों में मुख्य आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके निर्धारण में उपलब्ध समय तथा भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। इन दोनों ही उद्देश्यों में समायोजन किया जाता है।

4. मुख्य उद्देश्यों के निर्धारण के बाद विभिन्न क्षेत्रों, यथा—कृषि, उद्योग, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, समाज-सेवा आदि के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यह कम बर्दाश्तपूर्ण दल (Working Groups) करते हैं। उपर्युक्त योजना आयोग सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के इन लक्ष्यों की उपयुक्तता की जाँच करता है और देखता है कि इनमें परस्पर असंगति तो नहीं है।

5. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्यों के निर्धारण के बाद इन सबको समन्वित किया जाता है और उनकी तुलना मूल अनुमानों से की जाती है। उपलब्ध पूंजीगत साधनों और विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में लक्ष्यों का विचार किया जाता है। उपर्युक्त साधनों की अधिक गतिशील बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है। योजना क समी पक्षों पर पूरा विचार विमर्श करके सरकार और योजना आयोग द्वारा योजना का नीति, योजना के अन्तर्गत योजना के क्षेत्र, विनियोगों के आवंटन, प्रयत्निकाओं के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं और योजना का अन्तिम रूप दे दिया जाता है।

समन्वय पर नियोजन का प्रभाव (Impact of Planning on Federalism)

भारतीय समन्वय पर नियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। अनेक चर्चा के अनुसार योजना आयोग ने समन्वय का स्थान ले लिया (Suprecede) है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और इसे प्रभावित करने में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में सम्पूर्ण नियोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय योजना कार्यान्वित होती है और राज्य योजनाएँ भी। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है और प्रांतीय एवं स्थानीय हितों की भी। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य यही रहना है कि दोनों एक-दूसरे को पूरक बनें। अन्य इस उद्देश्य की पूर्ति से केन्द्रीकरण को कुछ बढ़ावा मिलता है और केन्द्र राज्य सम्बन्ध एकाधिकता के लक्षणों से प्रभावित होते हैं। समन्वय पर नियोजन के प्रभाव को अध्ययन की सुविधा से निम्नलिखित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है—

1. **नियोजन की विषय-वस्तु की प्रकृति**—भारत जैसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत शासन का विषय केन्द्र और राज्यों के मध्य विभक्त होते हैं, अतः किसी राष्ट्रव्यापी नियोजन में राज्यों को 'केन्द्रीय निर्देशों' को प्राथमिकता देने पड़ती है। शासन के सभी विषयों पर योजना आयोग योजना बनाता है अर्थात् राज्य-मूली के विषयों पर उसका एक सीमा तक अधिकार होता है। इस प्रकार योजना आयोग के माध्यम से देश में एकात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होना स्वाभाविक है।

2. **योजना-निर्माण का स्वभाव**—भारत में राज्यों की समसन्दर्भ अलग-अलग होना है और उनके निष्कर्षण के निरपेक्षता होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुदलीय समसन्दर्भ केन्द्र और राज्यों में लागू होने पर प्रकृति की होना है अतः इस प्रकार की समसन्दर्भों के निष्कर्षण में केन्द्र की अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण स्थिति है। योजना-प्रकार का अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सार्व के अधिकार में है। राज्यों के पास अपने प्राथमिक योजना-बोर्ड नहीं है, अतः केन्द्र द्वारा स्मृति और शक्ति योजना आयोग का राज्य सरकारों पर व्यक्त प्रभाव होता है। प्रसन्निक सुधार आयोग ने राज्यों में योजना बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य इस आकाश से सहमत नहीं हुए कि योजना बोर्ड को राज्य में समन्वय सार्व जैसी शक्ति प्रदान न कर ले। योजना-निर्माण प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि राज्य-सरकार से व्यक्त विचार विमर्श किया जाता है और इस बात में अन्तिम निर्णय लेते समय राज्य के मुख्यमंत्रियों को सलाह का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार यद्यपि केन्द्र की प्रमुखता होती है, यद्यपि राज्यों की सलाह की उपेक्षा भी नहीं की जाती। केन्द्र 'मिक्चर' नहीं बनाता बल्कि 'अगुआ' अवस्था बना रहता है। वह निर्णय 'दीपने' की अपेक्षा 'दूरान नेतृत्व' करता है।

3. **राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रभाव**—योजना सम्बन्धी मामलों में केन्द्र और राज्यों के मध्य समन्वयन अथवा समन्वय (Co-ordination) स्थापित करने के निर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है। योजना क निर्णय में राष्ट्रीय विकास परिषद से अनिवार्य परामर्श लिया जाता है। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्य-सरकारों

से परामर्श करने के बाद योजना का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वह केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष आवरणक सुझाव हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

4. योजना आयोग की सदस्यता—प्रधानमंत्री आयोग की अध्यक्षता करता है। इसका एक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा कतिपय विशेषज्ञ व्यक्तियों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग की रचना भारतीय संप्रवाद को केन्द्र के अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

5. वित्तीय पहलू—परामर्श आयोग अपनी प्राथमिकताओं को राज्यों पर अपनी वित्तीय शक्ति के आधार पर घोषित भी सहम है, तथापि सामान्य प्रवृत्ति 'सहयोग और सहमति' की रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है वह इतनी अधिक मात्रा में होती है कि प्रारम्भिक स्तर पर कोई राज्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता है। राज्य सरकारों किस स्तर तक केन्द्रीय अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। योजनाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं—प्रथम राज्य योजनाएँ जिनके लिए केन्द्र कुछ आर्थिक सहायता देता है, द्वितीय केन्द्र निर्मित और अनुदानित योजनाएँ जिनमें राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में लागू करना पड़ता है और केन्द्र से प्राप्त धन-राशि का उपयोग उन योजनाओं को पूरा करने में करते हैं तथा जो धन प्रदान करता है उसकी नीति माननी पड़ती है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आय स्रोत बढ़ाने की भाँग करते हैं। समय-समय पर वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन केन्द्र का कुछ सामान्यतः सहानुभूतिपूर्ण रहा है। दूसरी ओर राज्यों की एक बड़ी कमी यह रही है कि वे उपलब्ध वित्तीय साधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सके हैं। राज्यों ने अपने प्रशासनिक व्यय में अनाप-शनाप वृद्धि की है, किन्तु केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं किया है। राज्यों को वित्तीय सहायता की दृष्टि से केन्द्र पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, अतः एकत्वकता के लक्षणों का विकास हुआ है जिससे संप्रवाद की वास्तविक प्रकृति पर प्रतिबल प्रभाव पड़ा है।

6. अन्य दृष्टियों से केन्द्र की साधन-सम्पन्नता—इन सब के अतिरिक्त परामर्श, तकनीकी विशेषज्ञता आदि विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की तुलना में केन्द्र बहुत अधिक सम्पन्न है, अतः योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के सन्दर्भ में राज्य केन्द्र पर निर्भर करते हैं।

7. राष्ट्रीय नीति—सविधान में निहित राज्य-नीति के निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। राष्ट्रीय नीति का अनुपालन करने से राज्य इनकार नहीं कर सकते हैं अतः केन्द्र निर्मित और केन्द्र निर्देशित योजनाओं को राज्यों को स्वीकार करना पड़ता है।

8. विदेशी सहायता सम्बन्धी पहलू—योजनाओं के कुछ पक्षों की पूर्ति के लिए जो विदेशी सहायता ली जाती है, उसके समुचित उपयोग का दायित्व केन्द्र सरकार पर ही है। विदेशी सहायता का कुशल उपयोग हो, इसके लिए केन्द्र के पास राज्यों को समुचित निर्देश देने का अधिकार रहता है।

9. योजना का कार्यान्वयन—राज्य केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने वाले अधिकरण हैं। राष्ट्रीय योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्र राज्यों को दिशा-निर्देशन देता है और राज्यों में देखभाल के लिए विभिन्न नियुक्तियाँ करता है, जैसे—विकास आयुक्त आदि। इसीनिष्ठ प्रायः राज्य किसी भी असफलता का दायित्व केन्द्र पर डालने का प्रयास करता है। योजना आयोग अपनी नीतियों में एकरूपता लाने की कोशिश करता है, यद्यपि यह एक अति कठिन कार्य होता है, क्योंकि अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। अपने कर्तव्यों के अनुपालन में योजना आयोग को एक परामर्शदात्री समया के रूप में कार्य करने के साथ-साथ कुछ कार्यकारी कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। वास्तव में नियोजन द्वारा यह एक दोहरी प्रशासकीय मशीनरी की स्थापना हुई है।

योजना का क्रियान्वयन तथा आर्थिक नियोजन के प्रशासकीय परिणाम

योजना के क्रियान्वयन तथा आर्थिक नियोजन के प्रशासकीय परिणामों का सार रूप में संकेत करते हुए डॉ. सी. पी. बाम्बरी लिखते हैं—“योजना के निर्माण के बाद उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रशासकीय विभागों पर आती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योजना भी निरर्थक है, यदि उसे उचित रूप से क्रियान्वित न किया जा सके। योजना में सर्वाधिक बल क्रियान्वयन, व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने में गति एवं पूर्णता तथा अधिकतम उत्पादन, रोजगार एवं मानवीय स्रोतों के विकास के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ पैदा करने पर होना चाहिए।”

आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप भारतीय प्रशासनिक पत्र को शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण चुनौती मिली है। भारत में लोक प्रशासन की गतिविधियों का क्षेत्र तथा उनके दायित्वों का क्षेत्राधिकार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में प्रशासन को उसके समस्त उपस्थित होने वाली चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

यद्यपि योजना के सम्बन्ध में भारत में सत्प्रोत्साहन व्यक्त किया गया है, तथापि योजना के क्रियान्वयन के दौरान उपस्थित होने वाली कठिनाइयों के लिए प्रशासनिक अकर्मण्यता, विलम्ब, अकार्यकुशलता तथा दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली, इत्यादि उत्पत्तायी

कारण है। जिनमें मुख्य दोष निम्नलिखित हैं—(अ) क्रियान्वयन की मन्द गति (ब) समय-सिमा का उल्लंघन एवं खर्च में कटि (स) उचित स्तर तथा अनुभव वाले प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग का अभाव (द) अर्धव्यवस्था के परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों में विस्तृत समायोजन का अभाव (प) समाज के व्यापक समर्थन एवं सहयोग प्रदि में असफलता। इन दोषों को समर्थ करने के लिए नई कार्य-प्रणालियाँ बनानी आवश्यक है जिससे कि देश प्रशासनिक यंत्र एवं आर्थिक नियोजन की पुनर्गठना का सामना कर सके। इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं—(क) कार्य-प्रणालियों का सरलीकरण (ख) विनियम की प्रवृत्ति का उन्मूलन (ग) व्यक्तिगत दायित्व का उचित स्पष्टीकरण (घ) काम के स्तरों में कमी (ङ) प्रशासनिक अनुसंधान तथा मूल्यांकन पर उचित बजट (च) वित्त मन्त्रालय को कार्य-प्रणालियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन (छ) मन्त्रालय की वित्तीय शक्तियों का अधिक हस्तान्तरण (ज) बजट पूर्व नियोजना पर बजट (झ) मन्त्रालयों का पुनर्गठन (ञ) भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा विभागों में श्रेष्ठतर समायोजन (ट) जन-सम्पर्क का विकास (७) निर्णय लेने का प्रक्रिया में गतिशीलता (६) सिविल अधिकारियों का उचित प्रशिक्षण (३) लोक प्रशासन में नेतृत्व के साधन पर उचित बजट (ण) प्रत्येक स्तर पर कार्य को उचित तथा प्रभावी ढंग से देखरेख (त) प्रशासन में रीति-रिवाज की भावना पर बजट (थ) प्रशासन में स्पष्ट व्यवस्था के महत्व की अनुभूति (द) सार्वजनिक सेवाओं को कम करने के माध्यमों का विकास इत्यादि। ये सब प्रशासनिक सुधार योजना के क्रियान्वयन को सफल बनाने में सहायता देंगे।

नियोजन प्रणाली की अन्वेषणा

भारत में नियोजन प्रणाली की अनेक अघातों पर अन्वेषणा की जाती है। नियोजन स लोकायुक्त की प्रतिकूल दृष्टि से प्रभावित होता है। योजना के निर्माण में जनता का कोई सहयोग नहीं है। समस्त निष्पत्ति है तथा मन्त्रिपरिषद् के नियम ही प्रभावित होते हैं। मन्त्रालय स्वेच्छा से कार्य करने में असमर्थ हैं अर्थात् टिप्पणी लोकायुक्त का दिशानिर्देश मात्र बना देते हैं। इस तरह की अतिम स्वैच्छित समझ ही प्रदान करती है, परन्तु स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं करता। योजना अयोग का कोई उदरदायित्व नहीं है। प्रकृत का अभाव विकेंद्रीकरण है केन्द्रीकरण नहीं। आर्थिक नियोजन से वित्त अयोग के निर्णय प्रभावित होते हैं इससे इस अयोग का महत्व कम हो जाता है।

आर्थिक नियोजन से संधीय व्यवस्था को प्रतिकूल दृष्टि से प्रभावित किया है। यद्यपि सचिव विकेंद्रीकरण का पर्यायवाची है, यद्यपि केन्द्रीकृत नियोजन से राज्य सरकारों की स्थिति को नगरपालिका के सदस्य बना दिया है। भारतीय सभ में शक्ति विभाजन केन्द्र के पक्ष में है। राज्य पहल से ही असहाय है, शक्ति और संपन संश्लेषण है और उनका महत्व नगण्य है। योजना अयोग ने उन्हें पूर्णतः निष्कारण बना दिया है। योजना के निर्माण में वह सहभागी नहीं है फिर अपने क्षेत्र में वह क्या करके दिखा सकते हैं? यदि राज्यों में विपरीत दलों की सरकारें हैं तो केन्द्र राज्य सम्बन्ध विषयों का रूप धारण कर लेते हैं। केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण स्वयंसेवक रूप से पर्यटकों ही होता है और वह प्रत्यक्ष सम्बन्ध उपाय से राज्य सरकार को अनुपलब्ध सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। इस काम को दूर करने के लिए 'शुद्ध विद्यमान परिषद्' की स्थापना की गई है। यह परिषद् ही योजना को स्वैच्छित प्रदान करती है।

योजना अयोग के कारण केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हुई है जिसके कारण जनसहभागिता का प्रश्न समाप्त हो जाता है। वास्तविकता यह है कि कई योजनाएँ तो बनती हैं, किन्तु जो लाभ जनता को प्राप्त होने चाहिए वे प्राप्त नहीं हुए। आर्थिक विषयों में कमी नहीं आई अन्तु वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असन्तुलन एवं विषमता बढ़ी है। राज्य का रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिरत आँकड़ों की दृष्टि से घटा है किन्तु व्यवहार में वह देखने का नहीं मिलता। बेरोजगारी की सख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है किन्तु मूल्यों में वृद्धि के कारण उसका मुक्त साधारण जनता को नहीं मिला है। व्यक्तिगत आय की स्थिति भी कुछ भिन्न नहीं है अतः वह नहीं क्या कर सकता है कि योजनाएँ अपने उद्देश्य में सफल हुई हैं, किन्तु यह कहना असत्य ही होगा कि योजनाएँ पूर्णतः विफल हुई हैं। जनता के कुछ क्षेत्रों में निरन्तर ही प्राप्ति हुई है अर्थात् विकास हुआ है उदाहरण में वृद्धि हुई है खेती में अन्तःनिर्भरता प्राप्त हुई है। फिर भी अनेक समस्याएँ परिलक्षित होती हैं।

भारत में नियोजन की समस्याएँ—व्यवहार में भारत में नियोजन सम्बन्धी निम्नलिखित समस्याएँ उभर कर सामने आई हैं—

1. यद्यपि भारत में योजनाओं का निर्माण सौच-समन्वय और बड़े विरोधों द्वारा किया जाता है यद्यपि इसके बावजूद भी ये योजनाएँ जनता के असहयोग एवं उदात्तता के कारण सफल नहीं हो पाती। सामान्य जनता का कार्य के प्रति बहुत अधिक उदात्तता है।
2. सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता को सार्वजनिक समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न नहीं किया जाता है।
3. भारतीय जनता के नैतिक चरित्र में बहुत अधिक गिण्टक आ रहा है। जन प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत भेदभाव एवं शक्ति का दुरुपयोग अर्थात् अनेक बाधों योजनाओं के विकास में आ रही हैं।

4 योजना आयोग के समय हथ्य और आँकड़े तो होते हैं, वे काफी हद तक मिथ्या होते हैं। इन आँकड़ों के कारण सारी योजनाएँ असफल हो जाती हैं तथा योजना के वास्तविक लक्ष्य धूमिल हो जाते हैं।

5 भारत में सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर पाया जाता है। योजना-निर्माताओं के सामने विदेशी कल्पनाएँ और उच्च आदर्श होते हैं जो कि भारतीय यद्यपि से कहीं अधिक दूर होते हैं। योजना के क्रियाव्ययन के समय सारी कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं।

6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा होता है। इनकी हानि को कम करने के लिए दरें बढ़ाई जाती हैं जिसका कुप्रभाव अन्य उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर पड़ता है। फलतः ये उपक्रम 'सफेद हार्न' सिद्ध हो रहे हैं।

7 विकास कार्यों हेतु योजनाओं में निर्धारित राशि का शहरो पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। गाँवों में बहुत कम विकास किए जाने के कारण गरीब लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं पहुँचता। चूँकि प्रामाण्य लोग उपेक्षित हैं, फलतः प्रयोग लागू देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं।

8 उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाओं में निर्धारित धन का 40 से 50 प्रतिशत धन ही वास्तव में खर्च हो पाता है। शेष धन नेता इन्वन्वियर, टेक्नर, कर्मचारियों आदि की जेबों में चला जाता है। इससे जनसाधारण को योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है और अन्तर ही अन्तर भ्रष्टाचार पनपता रहता है।

9 उत्पादन का 50 से 60 प्रतिशत तक भाग उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

10 अन्तर्वर्षीय अने बानी बाढ़ों, सूख, अकाल और महामारियों के कारण उत्पादन ठप हो जाता है।

निम्नानुसार समस्या निवारण के उपाय

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई है अतः कुछ ऐसे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं जिसे योजनाओं के लक्ष्यों को साकार किया जा सके। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम प्रयोज्य रहेंगे—

1 योजना की कार्य प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विलम्बकारी प्रवृत्ति को दूर किया जाना चाहिए।

2 नियोजन में विभिन्न उतरदायित्वों का स्पष्टीकरण होना चाहिए जिससे कि उतरदायी व्यक्ति या संस्था का आसानी से पता लगाया जा सके।

3 प्रशासन में आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है अतः प्रशासन में अनावश्यक व्यय पर कठोरता से नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए।

4 प्रशासन में दूत-गति से अनुसंधान किया जाना चाहिए। अनुसंधान के पर्याप्त उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

5 जनसम्पर्क का कार्य प्रभावशाली ढंग से सम्पादित किया जाना चाहिए। इससे जनता का योजनाओं की सफलताओं में सहयोग मिल सकेगा और उनकी योजनाओं में रुचि पैदा हो सकेगी।

6 नौकरशाही में अनुशासन और ईमानदारी की भावना का विकास करना चाहिए क्योंकि उस पर ही योजना को सफलता निर्भर करती है।

7 योजना कार्यों का प्रभावशाली सम्पादन तथा निरीक्षण किया जाना चाहिए।

8 प्राकृतिक साधनों के विदोहन पर पूरा ध्यान देना चाहिए और ऐसे कुशल प्रबन्धक वर्ग का विकास करना आवश्यक है जो योजनाओं के धन से इन साधनों का देश के विकास हेतु समुचित प्रयोग कर सके।

9 सार्वजनिक उपक्रम यदि लाभ और कुशलता से चलते जाएँ तो इनसे प्राप्त लाभों से देश की विकास-दर को बढ़ाया जा सकता है।

10. योजनाओं में व्यय हेतु रखा गया धन यदि यथासमय व्यय किया जाए तो उत्पादन की वृद्धि दर 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित धन के सदुपयोग हेतु भ्रष्टाचार का जन्मूलन आवश्यक है जो सर्वप्रथम ऊपर अर्थात् जन प्रतिनिधि स्तर से ही प्रारम्भ होना चाहिए।

11 भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है अतः जनसंख्या नियन्त्रण अत्यावश्यक है।

12 बिजली, कच्चा माल, औद्योगिक शक्ति आदि को प्रभावो सुविधाएँ प्रदान की जाएँ कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

13 देश में बहने वाली नदियों के पानी की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि गाँव या सूखे का प्रभाव अर्धव्यवस्था पर न पड़े तथा देश के सभी राज्यों की जनता को उसका लाभ मिले। किसी का एकाधिकार न रहे।

14. विकसित उत्पादक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके।
15. मूल्य-वृद्धि पर सख्त तथा प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रण किया जाना चाहिए।
16. गैर विकास व्यय को मात्रा घटाकर विकास व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए।
17. वित्तासिता को जगह आवश्यक बस्तुओं की उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए और योजनाओं में परिचयी

देशों का अन्धानुकरण पूरी तरह त्यागना चाहिए।

18. विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जानी चाहिए।
19. सभी स्तरों व्यापक प्रवृत्तियों को कारण ढंग से समाप्त किया जाना चाहिए।

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में उदात्तकरण के कारण घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर आए परिवर्तनों की छाँव में भारत के वित्तीय क्षेत्र में प्रारम्भ किए गए सुधारों का उद्देश्य भारत के वित्तीय क्षेत्र में पिछले दशकों में आई कमगैरियों का पता लगाकर बैंकों एवं विकास वित्त संस्थानों की लाभ प्रदत्तता को बढ़ाते हुए उनकी वित्तीय स्थिति तथा परिचालनात्मक पारदर्शिता और कार्यकारी दक्षता लाकर उन्हें औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र के विकास तथा परिमाण में उत्सर्जित कारोबार परिमाण को उत्पन्न करने के साथ संभाल लेने लायक बनाते हुए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रतिस्थापित करना था। इस दिशा में विशेषज्ञों के विचार जानने के लिए निम्नांकित समितियाँ गठित की गई—

- (1) वित्तीय क्षेत्र हेतु सुधारों पर नरसिंहम समिति, 1991
- (2) बैंकिंग क्षेत्र में सेवा सुधारों पर गोहोपेरिया समिति, 1992
- (3) बैंकों एवं विकास संस्थानों की एकरूपता तथा एकीकरण पर खान समिति, 1998
- (4) गैर निष्पादनीय आस्तियों पर सेत्च्य समिति, 1998
- (5) कमजोर बैंकों की पुनर्गठना पर वर्मा समिति, 1999

इन समितियों की सिफारिशों को कड़ी पूर्णरूपेण तो कहीं आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार लागू किए गए हैं, उनके परिणामस्वरूप काफी सुधार हुआ है। फिर भी अभी तक ये चुनौतियाँ देश में विद्यमान हैं—

- (1) बैंकों के पास उपलब्ध उच्च तरलता तथा बढ़ी मात्रा में अत्यंत साख्त माँग के बीच परस्पर विरोधाभास।
- (2) उधार देने से उत्पन्न व्यवधान।
- (3) राजनीतिक हस्तक्षेप।
- (4) नौकरशाही की मजबूत पकड़।
- (5) औद्योगिक सम्बन्धों की जटिलता।
- (6) नियन्त्रक और मालिक की दोहरी भूमिका में रिजर्व बैंक।
- (7) निरपेक्ष रूप से गैर निष्पादनीय आस्तियों का उच्च स्तर।
- (8) ऋण देने के प्रति बैंक अधिकारियों का उदासीन व्यवहार।
- (9) तेजी से विकास वाली सूचना प्रौद्योगिकी, पचासवीं राज संस्थाओं आदि को साख्त मुहैया करने में उदासीनता।

इन चुनौतियों का सामना किए बिना वित्तीय क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का भला नहीं कर सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय आय का प्रश्न है वर्ष 2003-2004 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 1999-2000 में 209.8 मिलियन टन, 2000-2001 में 195.9 मिलियन टन एवं वर्ष 2001-02 में 209.2 मिलियन टन रहा तथा वर्ष 2003-04 में भी यह लगभग 210.0 मिलियन टन ही रहा। वर्ष 2003-04 में देश में मूल्यों की स्थिति नियंत्रित रही। भारत पर कुल विदेशी ऋण सितम्बर, 2004 में 5,11,861 करोड़ रुपये था। भारत को कम ऋणग्रस्त राष्ट्रीय की सूची में विश्व बैंक ने अनुसूचित किया है।

आधार स्तर पर प्रजातन्त्र (Democracy of Grassroots)

भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सैद्धान्तिक अवधारणा को व्यवहार में 'पंचायती राज' व्यवस्था एवं जनसहभागिता के द्वारा साकार किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था

(Panchayati Raj System)

भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पंचायती राज की परिकल्पना केवल स्वतंत्र भारत की ही उपज है बल्कि इसकी जड़े इतिहास में निहित हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के अनुसार वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। उस जमाने में राजा पंचायतों के माध्यम से राज करता था। ग्राम के प्रमुख को उस समय ग्रामिणों बड़ा जाता था तथा ग्रामिणों ही पंचायत का प्रमुख कार्यकर्ता होता था। बौद्धकाल में भी ग्राम परिषदें होने का उल्लेख मिलता है। बौद्धकालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि ग्राम परिषदों का प्रमुख कार्य ग्राम भूमि की व्यवस्था करना, शान्ति एवं सुरक्षा में सहयोग करना था। स्मृति ग्रन्थों में भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इस तरह वैदिक एवं बौद्धकाल में पंचायतें प्राचीण जनहित के कार्यों में सतान थीं। रामायण एवं महाभारत काल में इनका विस्तार एवं विकास हो चुका था। पंचायतें गाँव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हुआ करती थीं, लेकिन इतना अवश्य है कि वर्तमान पंचायती राज की कल्पना स्वाधीनता सपनों के दौरान रखी गई थी। महात्मा गाँधी के स्वराज्य की अवधारणा में पंचायती राज व्यवस्था को परिकल्पना निहित थी।

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की धारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया है—“राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।”

पंचायती राज व्यवस्था के सिद्धान्त—भारत में पंचायती राज व्यवस्था के सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। सत्ता को दिल्ली की लोकसभा अथवा राज्यों के विधान मण्डलों तक ही यदि सीमित रखा जाए तो देश समृद्ध नहीं हो सकता, अतः यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर गाँव से जिला और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढाँचा बनाया जाए। इस व्यवस्था से देश का हर गाँव और गाँव का हर परिवार दिल्ली की लोकसभा से जुड़ जाएगा।

(2) पंचायती राज की संस्थाएँ सामुदायिक विकास की एजेंसी बनें सहकारिता को प्रोत्साहन दें, स्वयं की कोई नीति न बनाकर सरकारी नीति को काम में लाएँ।

(3) सरकार अपने कुछ कार्यों का दायित्व ऐसी संस्थाओं को दे जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए स्व-प्रेरणा से काम लें। इसके लिए उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किए जाएँ।

(4) संस्थाओं को काम करने के लिए साधन और नियंत्रण के इतने अधिकार दिए जाएँ कि वे सौचि ग्य कार्यों को समुचित रूप से कर सकें।

(5) इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में अधिकार सौंपने में सुविधा हो।

स्वातंत्र्यता के पश्चात् पंचायती राज के स्वरूप के विकास में बलवन्तराय मेहता समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी सिफारिशों के आधार पर देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था—जिला परिषद, पंचायत समिति

और ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया। इस तरह से देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो सत्यागत दावा है, वह बतवन्तएव मेहता समिति के अनुरूप है। 1957 में बतवन्तएव मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन पारल सभार के समुच्च प्रस्तुत किया और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस पर स्वीकृति प्रदान की। लोकार्थिक विकेन्द्रीकरण को व्यावहारीक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में यह एक महान् कदम था। उपस्थान पहला राज्य था, जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल मेहता ने नगौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया।

1. 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज का मूल्यंकन करने के लिए अरोंक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में बिहार, पंजाब तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य तथा सत्तद सदस्य शामिल थे। उपस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रो. इकबाल गहलवा को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया गया। इस समिति ने सारे देश में घूमन करके पंचायती राज के सम्बन्ध में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके अलावा समिति ने एक प्रस्तावनी अर्पण की, जिसे पंचायती राज में रचित रखते वाले लोगों के पास भेजी। समिति को एक हप्ता से अधिक उतर प्राप्त हुए। इस समिति ने 21 अगस्त, 1978 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री भारतीय देसाई को प्रस्तुत की। समिति ने पंचायती राज के विविध पहलुओं पर विस्तार में अपनी 132 सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इनमें मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं—

(1) समिति ने 'महान पंचायती' के निर्माण को सिफारिश की जिसमें 15,000 से 20,000 को अग्रवर्ती और 10-15 गाँव शामिल हों।

(2) जिन्हा स्तर पर 'योजना सेना' हो, जिसमें एक अर्पणकारी, सांख्यिकीविद्, भू-सूचना, मानचित्रकार, कृषिशाली इन्जिनियर और कम योजना अधिकारी हों।

(3) यह इकाई जिन्हा परिषद के अन्तर्गत होगी और इसका पदेविहान मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(4) विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की योजना तैयार करना जिन्हा परिषदों की जिम्मेदारी होगी और उनका कार्यान्वयन मडल पंचायतों की जिम्मेदारी होगा।

(5) पंचायती राज निधियों का चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

अरोंक मेहता समिति की ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण थीं लेकिन व्यवहार में इनको लागू नहीं किया गया, अरु इनका केवल 'अकार्यमिक महत्त्व' ही रह गया।

2. बी. के. एच. की अध्यक्षता में गठित समिति का भी पंचायती राज व्यवस्था को दृष्टि से महत्त्व है। इसकी सिफारिशों में हैं—

(1) राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो। जिन्हा स्तर पर मौजूदा जिला परिषद बनी रहे। राज्य सरकार के सभी मंत्री और जिन्हा परिषद के अध्यक्ष राज्य विकास परिषद के सदस्य होंगे और विकास आयुक्त इसके सचिव हो सकते हैं।

(2) जिला स्तर पर जिन्हा परिषद के समस्त कार्यों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जिन्हा स्तर पर सभी विकास विभाग उनके अर्पणकारी कार्यपालकों सहित जिन्हा परिषद के अधीन स्तर आरंभ होंगे। जिन्हा स्तर का बजट बनाने के लिए इन विभागों में समुचित बजट प्रवर्धन का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए।

(3) एक नमूने में खण्ड स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निष्ठाप अर्पण पंचायत समिति हर्नी चाहिए, जो जिन्हा परिषद के मार्ग-निर्देशन में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उतरदारवाँ हो। क्षेत्रीय विभाग खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायत समिति के कार्यकर्तों कार्य रहने चाहिए।

(4) दूसरा नमूना वर्तमान ग्राम पंचायतों के बढ़ने 15,000 से 20,000 तक की अग्रवर्ती के गाँवों के समूह के लिए महत्त्व पंचायत का गठन है। यह एक कार्यपालक निष्ठाप होगी, जिसे इस स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की सूची आरंभ होगी। राज्य इस नमूने के अन्तर्गत सहायक और सन्वयकरीय निष्ठाप के रूप में खण्ड स्तर पर पंचायत समिति भी बना सकता है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम सभा होने चाहिए, जिसमें उस गाँव के सभी सदस्य मतदाता हों। गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसे—एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के लाभार्थियों की पड़चान ग्राम सभा की बैठकों में होनी चाहिए।

(6) ग्राम पंचायत समिति और ग्राम मण्डल की उप-समिति होने चाहिए जिसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं पर विचार करने एक ठनका कार्यन्वयन करने के लिए मुख्य रूप से महिला सदस्य हों।

एक-समिति की ठकत सिद्धांतों पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका भी व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा देश में पंचायती राज को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए 1989 में संविधान में संशोधन करने का एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया गया, जो पारित नहीं किया जा सका। 1991 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस (ए) ने चुनावी घोषणा-पत्र में पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य के अनुरूप नरसिम्ह राव की कांग्रेस (ए) सरकार ने सितम्बर, 1991 में संविधान का बहुतरावी संशोधन विधेयक 1991 लोकसभा में पेश किया, जिसे विचारार्थ ससद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने 22 दिसम्बर, 1992 को इसे स्वीकृति दी। 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 17 राज्य की विधानसभाओं ने इस विधेयक का अनुमोदन कर दिया। फलतः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर इसे 24 अक्टूबर, 1993 से अधिनियमित कर दिया गया और इसे संविधान के 73वाँ संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। 25 अक्टूबर 1993 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इस संविधान का मूल पाठ निम्नानुसार है—

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

संक्षिप्त नाम और श्राव्य—भारतीय गणराज्य के तैतलीसवें वर्ष में ससद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो—

- (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान तैरुतरावी संशोधन अधिनियम, 1992 है।
(ख) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- संविधान के भाग 8 के पंचमाद् निम्नलिखित भाग अदृष्ट्यापित किया जाएगा अर्थात्—

'भाग 9' पढायते

243 इस भाग में जब तक कि सदर्स से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- 'जिला' से किसी राज्य का जिला है,
- 'ग्राम सभा' से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत ध्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है,
- 'मध्यवर्ती स्तर' से ग्राम और जिला स्तरों के मध्य का ऐसा स्तर है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाए,
- 'पंचायत' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243-ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (यहै यह किसी भी नाम से ज्ञात हो), अधिप्रेत है,
- 'पञ्चवर्ष क्षेत्र' से पञ्चवर्ष, वर, शैक्षिक क्षेत्र अधिप्रेत है,
- 'जनसंख्या' से ऐसी अतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अनिश्चित की गई जनसंख्या है जिसके आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं,
- 'ग्राम' से राज्य द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

243 क ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे मूल्यों का निर्वहन कर सकेगी, जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा ठपबन्धित किए जायें।

पंचायतों की गठन

243 ख(1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के ठपबन्धों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अल्पसंख्यकों के पदों की कुल संख्या एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे;

परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी।

(5) खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अल्पसंख्यकों के पदों के लिए आरक्षण (जो महिलाओं के आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों के अल्पसंख्यकों के पदों के आरक्षण के लिए नोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

पंचायतों का कार्यकाल

243 इ (1) प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ठहरे पहले से ही विघटित नहीं कर दिया जाता है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर पर ऐसी प्रजापत का जो ऐसे संशोधन के पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं करेगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन—

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा किया जाएगा,

परन्तु जहाँ वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित पंचायत खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

सदस्यता के लिए निर्हतार्य

243 ए (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए निर्हत होगा—

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हत कर दिया जाता है, परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हत नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हत कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) में जर्जित किन्हीं निर्हतार्यों से मुक्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसा राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबन्धित करे, विनिरचय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

246 छ सविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर देशी राज्यों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ। निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे—

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना,

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें शौचोपकरण, जिसके अन्तर्गत वे स्कीमों भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं क्रियान्वित करना।

पचाशत्तों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पचाशत्तों की नियियाँ

243 ज राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा—

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे कर, शुल्क, पदकर और घाँस उदग्रहीत, सगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पचाशत को प्रधिकृत कर सकेगा,

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उदग्रहीत और सगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पदकर और घाँस किसी पचाशत को दे सकेगा,

(ग) पचाशतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा और

(घ) पचाशतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनो के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहण करने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ या की जाएँ।
 निम्नलिखित के पुनर्विनोक्तन के लिए विनियम आयोग का गठन

243 इ (1) राज्य का राज्यपाल, समिधान का देहदरवाँ समिधान अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर पदावकाश लेने और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँचवें वर्ष के अन्ततम पर, पचाशतों की विनियम स्थिति का पुनर्विनोक्तन करने के लिए और—

(क) उन सिद्धान्तों को जो निम्नलिखित को शक्ति करेंगे, अर्थात्—

(i) राज्य द्वारा उदग्रहीत ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों और घाँसों के शुद्ध आगमों का राज्य और पचाशतों के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किए जा सकेंगे और पचाशतों के बीच सभी स्तरों पर अपने-अपने अर्थों का आवंटन,

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पदकरों और घाँसों की अवधारणा या पचाशतों को निर्दिष्ट किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे,

(iii) राज्य की संचित निधि में से पचाशतों को सहायता अनुदान,

(ख) पचाशतों की विनियम स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अनुदान,

(ग) किसी अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा पचाशतों के दोम विनियोजन के हित में वित्त उपयोग को निर्दिष्ट किया जाए, इस बावजूद राज्यपाल को सिद्धारित करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

(2) राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा आयोग की सरकार, अर्थात्, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्पित होगी और ऐतिहासिक उनका चयन किया जाएगा का उपबन्ध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिद्धारित और उसके बारे में की गई कार्यवाही का सार्थककरण-ज्ञान राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखेगा।

पचाशतों के सेवकों की भयरीक्षा

243 ज राज्य का विधानमण्डल, पचाशतों द्वारा सेवे बन्ना रखने और ऐसे सेवकों की सन्तुष्टि करने की बावजूद, विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगा।

पचाशतों के लिए निर्वाचन

243 ट (1) पचाशतों के लिए कएर जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नमात्रणों तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के सफलता का अधीक्षण, निर्देशन और निदयन एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आदुक्त होगा।

(2) राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आदुक्त की सेवा की शर्तों और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल निम्नो द्वारा अवधारित होगा। परन्तु राज्य निर्वाचन आदुक्त को उसके पद से उसी शर्तों से और उसी आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस शर्तों से और जिस आधारों पर उच्च न्यायलय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आदुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अनाधिकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुपेक्ष करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को अपने कार्यवाहीवृत्त उपबन्ध करेगा जिसके खण्ड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) इस सविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से सम्बन्धित सभी विषयों बाबत उपबन्ध कर सकेगा।
राज्य क्षेत्रों को लागू होना

243 ड इस भाग के उपबन्ध संघ राज्य-क्षेत्रों पर लागू होंगे और किसी एक राज्य-क्षेत्र को ठाके लागू होने में उनका यह प्रभाव होगा मानो राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिदेश 239 के अधीन नियुक्त किए गए सच राज्य-क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश है और राज्य के विधानमण्डल या विधानसभा के प्रति निर्देश; उस संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिनमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश है।

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग में उपबन्ध किसी सच राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और उपातणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना

243 ड (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित में लागू नहीं होगी—

(क) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्य

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं।

(3) इस भाग की—

(क) जिन्ना स्तर पर पंचायतों के सम्बन्ध में, पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जिन्के लिए तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदें विद्यमान हैं।

(ख) किसी प्राक्पान का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(4) इस सविधान में किसी प्राक्पान के होते हुए भी—

(क) खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खण्ड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों, यदि कोई है के सिवाय, उस राज्य पर कर सकेगा, यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है।

(ख) समस्त विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपातणों के अधीन रहते हुए कर सकेगा, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ और एसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस सविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

243 ड इस भाग में किसी प्राक्पान के होते हुए, सविधान संशोधन संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, तब तक जब तक कि सक्षम विधानमण्डल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारों द्वारा उसे संशोधित नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त बना रहेगा।

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी यदि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिनमें विधान-परिषद है उस राज्य के विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा, पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता।

निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

243 ए इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद 243 ड के अधीन बनाई गई या बनाए जाने के लिए किसी ऐसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिशिष्ट या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित है, विधि मान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारों को ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपलब्ध है अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 280 का मसौदा

3. सविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (घ) के पर्याप्त निम्नलिखित उपखण्ड और स्थान दिया जाएगा, अर्थात्—

“(ख) उच्च के विद्युत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उच्च में पदावतों के मसौदों की अनुसूची के निम्नलिखित उच्च की संविधान विधि के संवर्धन के निम्न अंश एक अनुसूची।”

ग्राहकों अनुसूची का जोड़ा जाता

4. सविधान की दसवीं अनुसूची के पर्याप्त निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

ग्राहकों अनुसूची (अनुच्छेद 246-ए)

1. कृषि एवं कृषि-वितरण।
2. भूमि विज्ञान, भूमि सुधार का कार्यक्रम, दककरी और भूमि सारथन।
3. लघु सिंचन, जन प्रबन्ध और जन-आवाहन विज्ञान।
4. पर्यटन, दुग्ध-उद्योग और कुक्कुर-पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. जलचक्र कनेक्शन और धर्म कनेक्शन।
7. लघु वन उद्योग।
8. लघु उद्योग, बिल्के अन्तर्गत खाद्य प्रसस्करण उद्योग भी है।
9. खेती, मत्त और कुटीर उद्योग।
10. प्रयोग कालान्त।
11. पेट वन।
12. ईंधन और बाग।
13. मछली, पुनर्जा, पुनर्जा, पुनर्जा तथा मछली के अन्य मसौदा।
14. प्रयोग विद्युत-उद्योग, बिल्के अन्तर्गत विद्युत का विद्युत भी है।
15. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, बिल्के अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक भी विद्यमान है।
18. उच्च-शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा।
19. शैक्षिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक कार्यक्रम।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिल्के अन्तर्गत अस्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल है।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल विकास।
26. स्मृति कार्यक्रम, बिल्के अन्तर्गत विकल्पों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शिक्षा है।
27. दुर्बल वर्गों का और विविध-उद्योग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सांस्कृतिक विद्युत प्रणाली।
29. सामुदायिक अस्तित्वों का अनुसंधान।

सविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियम पर सभी उच्चों में समान बन्धन रहेगी। इनकी कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(क) पदावत क्षेत्र में रहने वाले बिल्के भी वसन्त क्षेत्रों का नाम मसौदा सूची में दर्ज है वे सब मत्त मत्त के सदस्य होंगे।

(ख) पदावतों का एक विशेष क्षेत्र होगा—सर्वे मसौदाओं और बिल्के मत्त पर। बिल्के उच्चों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें वह विकल्प क्षेत्र कि मसौदाओं स्तर न रहे।

(ग) सभी क्षेत्रों सभों की पदावतों की संख्या सभे पुराने द्वारा भी रहेगी। इनके अधिनियम में पदावतों के अन्तर्गत मसौदाओं स्तर की पदावतों के सदस्य बनाने का अधिकार है और मसौदाओं स्तर की पदावतों के अन्तर्गत बिल्के मत्त

की पंचायतों के सदस्य बनाए जा सकते हैं। सदर सदस्य विधान सभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य भी मध्यवर्ती या जिला स्तर की पंचायतों के सदस्य बनाए जा सकते हैं।

(प) सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें सुरक्षित होंगी। कुल एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी।

(द) सभी स्तरों की पंचायतों के अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में सुरक्षित रहेंगे। सभी स्तरों की पंचायतों के अध्यक्ष पदों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे।

(ए) राज्य के विधान-मण्डल को यह अधिकार होगा कि पंचायतों की सीटों में और अध्यक्ष पदों में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे।

(उ) हर पंचायत की अवधि एक-से अर्धाब्द पाँच वर्ष की होगी और नई पंचायतों के लिए चुनाव पुरानी पंचायतों की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरे हो जाएँगे। पंचायत भंग किए जाने की स्थिति में छ महीने के भीतर निरिचयत रूप से चुनाव कराए जाएँगे। नई पंचायत पाँच वर्ष की अवधि के शेष समय के लिए काम करेंगी।

(ज) किसी अधिनियम में संशोधन करके अपनी अवधि पूरी होने से पहले किसी पंचायत को भंग नहीं किया जा सकेगा।

(झ) यदि कोई व्यक्ति किसी कानून के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है या राज्य के किसी कानून के अन्तर्गत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह पंचायत का सदस्य बनने का अधिकारी नहीं होगा।

(ञ) हर राज्य में चुनाव प्रक्रिया के संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार करने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग स्थापित किए जाएँगे।

(ट) पंचायतों को यह विहित जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि ग्राहकों अनुसूची में वर्णित विषयों के बारे में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करें। विकास योजनाएँ कार्यान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जाएगी।

(ठ) पंचायतों को अपने कार्य पूरे करने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पंचायतों के केष का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, परन्तु राज्य सरकारों से यह आशा की जाएगी कि वे कुछ करों का राजस्व पंचायतों को सौंप देंगे। कुछ मामलों में पंचायतों को यह भी अनुमति होगी कि अपने द्वारा लगाया गया राजस्व इकट्ठा कर सकें और उसे अपने काम रख सकें।

(ड) हर राज्य में एक वर्ष के अन्दर-अन्दा एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा और उसके बाद फिर हर पाँचवें वर्ष गठित किया जाएगा जिसका काम ऐसे सिद्धान्त तय करना होगा जिनके आधार पर पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन सुनिश्चित किए जाएँ।

(ड) जो पंचायत 24 अप्रैल, 1993 को काम कर रही थी, उन्हें अपनी पूरी अवधि के लिए काम करने दिया जाएगा बशर्ते कि सदन अपने विरती प्रस्ताव द्वारा उन्हें भंग न कर दे।

उपर्युक्त सविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की स्थिति बहुत सुदृढ़ होकर उन्हें नई शक्ति प्राप्त हुई। इस सविधान संशोधन के लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों ने वर्तों से सन्वित इन सस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न कराये हैं। अब राज्य सरकारों इनकी ओर अधिक ध्यान दे रही है।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्त व्यवस्था—पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं कर लगाने का अधिकार होता है। वे घरों पर तथा कुछ प्रकार की जमीनों पर मेलों और ठक्सों तथा माल की बिक्री पर कर लगाती हैं और चुगी वसूल करती हैं। वे आर्थिक लाभ वाली सामुदायिक परिस्मृतियों का निर्माण भी करती हैं। पंचायतों राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व न केवल अपने-अपने राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त होते हैं, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं से भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इन संस्थाओं को बहुत व्यापक दायरे के कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकारों द्वारा उन्हें आर्थिक अनुदान भी प्रदा किया जाता है।

पंचायती राज का संगठन—पंचायत राज संगठन में सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसके ऊपर खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है जिसमें एक गाँव या छोटे-छोटे कई गाँवों के सब वयस्क निवासी एका होकर गठन करते हैं और यदि गाँव सभा का क्षेत्र अल्प-व्यक्त चुनाव क्षेत्रों में विभक्त है तो अपने-अपने क्षेत्र में मतदान करते हैं। यह सभा वार्षिक बैठक या विचार धरती है और यह तय करती है कि आने वाले सत्र में क्षेत्र की उपर का क्या नक्ष्य रखा जाए। पंचायत के सभी सदस्यों का निर्वाचन जाता द्वारा किया जाता है। सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

पंचायत समिति

पंचायत समिति का संगठन सभी राज्यों में एकसा नहीं है। विधानसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य मन्त्रालय सब पंचायतों के सरपंचों के अधिकृत सहकारी समितियों और छोटी नगरपालिकाओं एवं नोटिफाइड क्षेत्रों के प्रतिनिधि, खण्ड से निर्वाचित या खण्ड में रहने वाले, पञ्च विधानपरिषद और राज्यसभा के सदस्य, खण्ड से चुने हुए जिला परिषद के सब सदस्य विकास एवं अर्थोद्यम में रुचि रखने वाले दो सहयोगी सदस्य और महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के कुछ सहयोगी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। विकास अधिकारी इसका सचिव होता है। अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित प्रधान होता है और इसका सहायक के लिए उपपंचायत भी चुने जाते हैं। इन सभी योजना में पंचायत समिति सरस अधिक महत्व की सहा है। खण्ड की सब ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय रचना और समस्त विकास कार्यों की सुचारु रूप से चलाया इला का काम है। राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वह इसी के द्वारा ग्राम पंचायतों को बाँटा जाता है। जिला परिषद

जिला परिषद का संगठन भी पंचायत समिति के अनुसार ही रखा गया है। इसके सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अधिकृत जिले के सब विपक्षक, सन्द सदस्य राज्य विधान परिषद के सदस्य और कुछ महिलाओं और अनुसूचित जातियों के सहयोगी सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद में एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है जिसे जिला प्रमुख कहते हैं और एक उपप्रमुख होता है जो उपनिष्ठा प्रमुख होता है।

पंचायती राज सत्ताओं के कार्य—पञ्चप राज सत्ताओं के कार्यों की निम्नोक्त विस्तारित किया जा सकता है—

जिला परिषद के कार्य—जिला परिषद ग्रामों मन्वयत शासन की सर्वोच्च इकाई है, अतः उसका प्रमुख कार्य समन्वयकर्ता और पञ्चसंस्था विकास का है। साथ ही उससे यह अंश की जाती है कि वह राज्य सरकार या निम्नस्तरीय पञ्चयतों के बीच की भूमिका निपाएगी। यदि प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया जाए तो जिला परिषद पंचायती राज सत्ताओं की व्यवस्था पर प्रभाव डालकर स्थिति परिवर्तन ला सकती है।

पंचायती समिति के कार्य—पंचायती राज की वर्तमान योजना के अर्धन पंचायत समिति वह चुप है जिसके चारों ओर पंचायती राज की सभी प्रवृत्तियाँ केन्द्रित है। जिला परिषद केवल एक सन्द देने वाली और निगरानी रखने वाली सत्ता है। कार्यपालिका के सभी वास्तविक अधिकार और वर्तमान पञ्चयत समितियों में ही स्थित हैं। पंचायत समितियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1. सामुदायिक विकास कार्य—पंचायत समिति अधिक उपकरण उपदान और सुख-सुविधाएँ प्रत्य करने के लिए ग्राम सत्ताओं का संगठन करती है। ग्राम समुदाय में स्वावलम्बन की प्रोत्साहन देने तथा लोक कल्याणकारि गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।

2. कृषि मन्वयता कार्य—पञ्चयत समिति को कृषि से सम्बन्धित अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे—अधिक कृषि उपदान के लिए योजनाएँ बनाना और क्रियान्वित करना, धूमि एवं जन-सत्ताओं का प्रयोग करना, नवीनतम रीति पर आधारित कृषि को सुधारे हुए सिंचित का प्रसार करना, लघु सिंचाई कार्य का निर्माण करना, सिंचाई के कुँडों तथा बाँधों का निर्माण और मंटे बाँधने में सहायता देना, धूमि की कृषि योग्य बनाना तथा कृषि धूमियों पर धूम-संरक्षण करना, उठान बीच विद्युत करना, स्वच्छ एवं स्वस्थ सफाई का विकास करना, सुधारे हुए कृषि उपकरणों के प्रयोग और निर्माण को प्रोत्साहन देना, पौध-साधन करना, राज्य अर्थोद्यम में बाँड़े हुए नीति के अनुसार व्यापारिक फर्मों का विकास करना, सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करना आदि।

3. पञ्चयत—पञ्चयतन के क्षेत्र में कृषि गन्धन केन्द्र स्थापित करना, स्थानीय परगणों की सन सुधारण सुधार हुआ पञ्चयतन उपलब्ध करना, धूमि की बेगारियों को ऐक्या, पञ्चयतिकासनों की स्थापना करना, दुग्ध-सत्ताओं की स्थापना और दुग्ध पेशे की प्रबन्ध करना, तन की प्रोत्साहन करना, चरागाहों की स्थापना को सुलभता एवं पंचायतों के अर्धन टन्गनों में मन्वय पन्वय का विकास करना इत्यादि पंचायत समिति के कार्य हैं।

4. स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई—पंचायत समिति के कार्य हैं—टोके लगाने सहित स्वस्थ सेवाओं का विस्तार और असाध्य रोगों की रोकथाम, पीने योग्य सुरक्षित पानी की सुविधाओं का प्रबन्ध परिहार नियोजन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, औषधालयों तथा प्रसूति केन्द्रों का निरीक्षण, व्यापक स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए अधिगान चलाना और पोषक अहार तथा छूत की बीमारियों के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करना।

5. शिक्षा तथा सामाजिक कार्य—इस क्षेत्र में पंचायत समितियों का कर्तव्य है—प्राथमिक शालाओं की स्थापना करना, प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्तियों और आर्थिक सहायता प्रदान करना, सड़कियों में शिक्षा का प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, अध्यापकों के लिए क्वार्टरों के निर्माण करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, युवक सघटन कायम करना तथा समुदाय और विनोद केन्द्रों की स्थापना करना है।

6. संचार साधन—पंचायत समितियों का इस दिशा में मुख्य कार्य है—अन्तःपंचायत सड़कों तथा ऐसी सड़कों पर पुनो का निर्माण और उनका संचारण करना।

7. सहकारिता कार्य—पंचायत समितियों का दायित्व है कि वे ग्राम सेवा सहकारी समितियों को औद्योगिक, सिंचाई कृषि तथा अन्य सहकारी समितियों की स्थापना में सहयोग दें तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने में सहायता देकर प्रामाण्य क्षेत्र में सहकारी कार्यों को प्रोत्साहन दें।

8. कुटीर उद्योग—इस क्षेत्र में पंचायत समितियों का कर्तव्य है कि वे रोजगार के अवसर उपलब्ध करने और आय-निर्भरता को बढ़ाने के लिए कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, उद्योग और नियोजन सम्बन्धी सम्पन्नित साधनों का सर्वोत्तम उत्पादन तथा प्रसारण केन्द्रों की स्थापना और संचारण, बाजारों तथा शिल्पकारों की कुशलता को बढ़ावा, सुधे हुए औजारों को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल करें।

9. पिछड़े वर्गों के लिए कार्य—पंचायत समितियों को दायित्व दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध करें। उनका यह भी दायित्व है कि वे स्वयंसेवी सघटनों को प्रवृत्त बनाकर समाज-कल्याण की गतिविधियों में वाञ्छित सम्बन्ध स्थापित करें। पंचायत समितियों में प्रचलित तथा समाज-सुधार सम्बन्धी प्रचार भी करते हैं। जनजातियों के विकास में भी पंचायत समिति की महती भूमिका है।

10 अन्य कार्य—पंचायत समितियों के अन्य प्रमुख कार्य ये हैं—1. आग, बाढ़, महामारियों तथा अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओं की दशा में आगतकालिक सहायता का प्रबन्ध, 2. ऐसे आँकड़ों का संग्रह तथा सकलन जो कि पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाएँ, 3. ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए न्यायों का प्रबन्ध जिसके लिए पंचायत समितियों की निधि का प्रयोग किया जाए, 4. ग्राम भवन-निर्माण, 5. पंचायत की समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा उनका पत्र-परिचय एवं ग्राम पंचायत योजनाओं का निर्माण, 6. धूम्रपान, ध्यानक अथवा हासिकारक व्यायाम, पद्यों तथा रिवाजों का नियन्त्रण, 7. शब्दी बस्तियों का पुनर्र्धार, 8. हाटों तथा अन्य सार्वजनिक सभ्यताओं, उदाहरणार्थ—सार्वजनिक पार्कों, बागों, पत्तोदाने एवं फलों की स्थापना, प्रबन्ध संचारण तथा निरीक्षण, 9. रागनों की स्थापना तथा प्रबन्ध, 10. छण्ड में स्थित दरिद्रालयों, आश्रमों, अनाथालयों, पशु-चिकित्सालयों तथा अन्य सभ्यताओं का निरीक्षण, 11. अल्प-वयत तथा बीमा के जरिए भित्तव्ययता को प्रोत्साहन, 12. लोक-कला तथा सस्कृति को प्रोत्साहन तथा 13. पंचायत समिति के मेलों का आयोजन एवं प्रबन्ध।

पंचायत समिति विकास सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करती है। अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने का भार पंचायत समिति पर होता है। अपने कार्यों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए वह अनेक स्थायी समितियों का निर्माण करती है। पंचायत समिति अपने अधिकारों को इन स्थायी समितियों को उनके कार्यों के अनुसार सौंप देती है, अतः समितियों के निर्णय पंचायत समिति के निर्णय माने जाते हैं, लेकिन अन्तिम अधिकार और उत्तरदायित्व पंचायत समिति के ही होते हैं। इस दृष्टि से पंचायत समिति को अधिकार होता है कि वह स्थानीय समितियों के निर्णय को रद्द कर दे या उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर दे।

पंचायत के कार्य—पंचायत पंचायतों राज की आधारशिलाएँ हैं। पंचायतों की सुदृढ़ता और शक्ति पर ही पंचायतों राज का सफल और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन निर्भर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार किया गया है। पंचायत की शक्तियों का अधिनियम में विस्तार से उल्लेख किया गया है। पंचायत के कार्य विविध और बहुमुखी होते हैं जो इस प्रकार हैं—

1. सफाई एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य—इनमें पीने के पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक गलियों, नालियों तथा तालाबों आदि की सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उन्नति एवं चिकित्सा प्रबन्ध, मुर्दों को जलाने एवं गाड़ने के स्थानों का प्रबन्ध, सार्वजनिक शौचालयों का प्रबन्ध, इमारतों के निर्माण पर नियन्त्रण, चाय-दूध आदि की दूकानों को लाइसेंस देना, प्रसूति-गृह तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

इतनी विकसित नहीं हुई हैं जितनी शक्ति एवं शक्ति हथियाने के रूप में। नेतृत्व में सत्ता के लिए दौड़ पचायती राज सत्थाओं के अधिष्ठान के लिए अहितकर है।

सरकारी एवं सरकारी अधिकारियों का प्रशासनिक सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। जिला-स्तरीय अधिकारियों में अपेक्षा की जाती है कि वे भ्रष्ट, दारिद्र्य और अहितकर के रूप में प्रभावशालियों के साथ कार्य करेंगे, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे अधिकारियों को प्रभावशालियों पर अपनी राय घोषित करने का प्रयास करते हैं। पचायती राज व्यवस्था में दलगत राज्यों का प्रवेश, चुनावों पर होने वाले भ्रष्टाचार और कटुता का वातावरण तथा पचायती राज व्यवस्था के दुर्घटना में इन सत्थाओं की स्थिति का कमजोर किया है। राज्य सरकारों द्वारा इनके चुनाव निर्मित सम्बन्ध पर नहीं करने तथा राजनीतिक भावों से इन सत्थाओं को पंगु करने के निर्णय भी पचायती राज सत्थाओं को कमजोर बनाते हैं। पचायती राज सत्थाओं द्वारा घटिया निर्माण कार्य तथा सार्वजनिक धन का दुर्घटन भी इनकी स्थिति को कमजोर बनाते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सुझाव

पचायती राज सत्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में निम्नलिखित सुझाव सिद्ध हो सकते हैं—

1 पचायती राज सत्थाओं को प्राणवान बनाने और शोकाहित करने के लिए उन्हें अधिक कार्यकारी अधिकार दिए जाने चाहिए।

2 वे परियोजनाएँ और कार्य जो जिला परिषद को सौंपे जा सकते हैं राज्य स्तर से जिला परिषद को सौंप दिए जाने चाहिए। पंचायत समितियों में वे परियोजनाएँ वापस ली जानी चाहिए जो जिला परिषद स्तर पर अधिक कुशलता के साथ कार्यान्वित की जा सकती हैं।

3 जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कर्मचारियों में अनुशासन स्थापित करने और उनसे काम लेने के लिए प्रभावपूर्ण शक्तियाँ दी जानी चाहिए। कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसके सीक्रेटरी के उस अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए जिसके अधीन वे कर्मचारी कार्य कर रहे हों। उस रिपोर्ट को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4 जिला स्तर के अधिकारियों को समूह भाव में काम करना चाहिए। उनका प्रमुख दायित्व जिला परिषद, पंचायत समितियों, एण्ड विकास अधिकारियों तथा विस्तार अधिकारियों को सरकारी नीतियों और निर्देशों के अनुसार तकनीकी दृष्टि से योजनाएँ बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता देना है।

5 लोगों की आम समस्याओं को हल करने के लिए पचायती को अधिकार और सौजन्य प्रदान किये जाएँ। लोगों को अधिक से अधिक समस्याएँ पंचायत के क्षेत्राधिकार में लाई जाएँ ताकि लोग अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें तथा समस्याओं का समाधान पा सकें।

6 नियम और कार्यवाही सुगम बनाई जाए। नियम ऐसे होने चाहिए जिनको आम आदमी भली-भाँति समझ सके।

7 राज्यस्व और पुलिस सेवाओं का सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

8 ग्राम सभा की कार्यवाही जनता की भावनाओं के अनुसार चलाई जानी चाहिए। ग्राम जीवन को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम सभा में विचार विमर्श होना चाहिए। ग्राम सभा के विचारणा व्यवस्था में पंचायत का बजट, पंचायत के काम का विवरण, योजनाओं की प्रगति, ऋण और अनुदानों का उपयोग, स्कूल और सहकारी समितियों की व्यवस्था, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आदि शामिल की जानी चाहिए।

9 पचायती राज में सत्थाओं के मार्ग-निर्देशन, देख-रेख और नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकारें, उनके तकनीकी अधिकारियों और जिला अधिकारियों को पचायती राज सत्थाओं को समुचित एवं उदार ढंग से मार्ग-निर्देशन कर उन्हें शोकाहित करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रीय सत्थाओं के भ्रष्ट, दारिद्र्य तथा पक्ष-प्रदर्शक के रूप में आगे आना चाहिए। उनका कार्य सही ढंग से सकारात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए।

10 राजनीतिक दलों को पचायती राज के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा इन सत्थाओं के चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर हों।

11 पचायती राज सत्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पचायती राज सत्थाओं के पास स्वयं के सौजन्य विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि कर अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यों का पालन कर सकें। राज्य सरकार द्वारा इन सत्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों में वृद्धि करनी चाहिए। राज्य सरकार को पंचायत राज सत्थाओं को व्याप्त रहित ऋण देकर अपने खुद के लाभकारी व्यवसाय चलाने के लिए अभिवृत्ति करना चाहिए। कर वसूल करने वाली मशीनरी को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

12 प्रशासनिक व्यय में हर स्तर पर मितव्ययिता होनी चाहिए।

13 पंचायती राज सस्थाओं के निर्वाचन नियत समय पर कराये जाने चाहिए।

14 राज्य सरकारों द्वारा अकारण पंचायती राज सस्थाओं को समयवधि के पूर्व ही भंग करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

पंचायती राज की उपनियमियाँ

नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार पंचायती राज को अस्तित्व दिया गया था। इस व्यवस्था का सफल परिणाम भी हुआ है। यद्यपि पंचायती राज अपनी कमियों और दुर्बलताओं के बावजूद प्रामाणिकता की जीवन पद्धति बनाता जा रहा है, यद्यपि अस्ति-जनता में जटिल और घर्षित अर्थ-व्यवस्था, सामुदायिक अन्वेषण-व्यवस्था, सामाजिक और परिवारिक ढाँचे, परिपक्व राजनीतिक प्रवृत्तियों की कमी के कारण पंचायती राज को अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। अथवा पंचायती राज को अस्तित्व देने की एक सामान्य प्रवृत्ति विकसित हो गई है अथवा इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायती राज व्यवस्था ने देश के राजनीतिक, तथा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायत चुनावों और पंचायती राज सस्थाओं के कार्य-कलापों ने प्रामाणिकता में एक नया जगह पैदा किया है। अब गाँव वालों का उस प्रकार से शोषण नहीं किया जा सकता जिस प्रकार पहले मजदूर और जमींदार वर्ग करण था। वोट की बौद्धिक समझी जाने लगी है। ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रित मन्त्रालय स्वरूप की इकाइयों के रूप में विकसित हो रही है। ग्राम नेतृत्व पनपता जा रहा है। गाँवों की स्थितियों में राजनीतिक कार्य-कलापों में भाग लेने लगे हैं। राजनीतिक जागृति के साथ सामाजिक चेतना बढ़ा है। लुआ-पुआ, अस्पृश्यता और भेदभाव की दीवारों को पंचायती राज ने जबरदस्त धक्का पहुँचाया है। मजदूर और नौकर कहा जाने वाला व्यक्ति अब पंचायत या पंचायत समिति की अध्यक्षता करता है और बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ बैठता है तो क्या इसे गाँवों में सामाजिक और राजनीतिक प्रगति नहीं कहेंगे? गाँवों की जागरूकता राज्य स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम है। जहाँ-जहाँ घर्षित और अन्य प्रकार के हित स्थानीय दबाव-समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। दबाव-समूह की राजनीति अब गाँवों की बनती नहीं रह गई है। ग्रामीण जनता की अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जागरूकता मिली है। पंचायती राज नये विकास सोपानों को जन्म देकर गाँवों को आगे बढ़ा रहा है जिससे गाँव वालों में आत्म-विश्वास की भावना जाग्रत हो रही है साथ ही ठीक-ठीक स्थिति सुधारने के लिए कार्य-योजनाएँ बनाकर, कुछ कर मुरारने की प्रवृत्ति पनप रही है। पंचायती राज ने गाँवों में यद्यपि कुछ सीमा तक सामाजिक, प्रशासनिक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षण, मनोरंजन आदि को बढ़ावा दिया है, लेकिन इनकी तुलना में पंचायती राज के लाभ बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। गाँवों में आराओं भंग अन्ततः पैदा हुआ है जिसे दबाया नहीं जा सकता है।

ग्रामीण स्थानीय सस्थाओं पर राज्य नियन्त्रण (State Control over Rural Local Bodies)

ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय निकायों पर पर्यटन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। टिक आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करके इन्हें कुशल एवं प्रभावशाली बनाया जा सके। पंचायत राज सस्थाओं के क्षेत्र में नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था का अनेककृत अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि ग्राम्य स्तर पर स्थानीय जनता का जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करने वाले लोग प्रतिभित एवं पर्याप्त योग्य नहीं हैं और उनके द्वारा सत्य का दुरुपयोग की सम्भावनाएँ प्रायः अधिक रहती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासनिक सस्थाओं की शक्ति हस्तान्तरित करने के बाद सरकार जनता के विकास एवं कल्याण के उत्तरदायित्वों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। यह राज्य का एक स्वाभाविक अधिकार एवं सक्रिय उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार को यह देखना पड़ना है कि ये स्थानीय सस्थाएँ एक निश्चित रूप के अनुसार कार्य करती रहें। पंचायती राज प्रशासन के दृष्टिकोण से राज्य के रूप में विकसित होनी है तथा ये राष्ट्रीय नीतियों एवं राज्य के सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम देती हैं। जब इन सस्थाओं पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की एक विकसित व्यवस्था लागू की जाती है तो वे स्वयं लाभान्वित होंगी हैं और नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान होंगे हैं।

नियंत्रण की विधियाँ—ग्रामीण स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है—

1. राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी वहाँ पंचायती राज सस्थाओं के निर्देशन का कार्य करते हैं। यदि कोई सस्था ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो निर्देशक का दायित्व है कि वह उसे उचित प्रकार से कार्य करना सिखाए। निर्देशक स्थानीय निकायों की समस्त निम्नानुसार कार्य, कार्य-योजना, स्टोर आदि का निर्देशन करते हैं। इन्हें अधिकार प्राप्त है कि रिपोर्ट, लेख-पत्रों आदि की संशोधन करें। निर्देशक अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रकार में अपने विभाग का देते हैं।

राज्य स्तर पर पचायती राज सभ्याओं के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए कहीं तो स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग है और कहीं पचायती राज विभाग है। कहीं-कहीं पर इसे पचायती राज निदेशालय कहा जाता है। निदेशालय की सहायता के लिए स्थान-स्थान पर परामर्शदात्री बोर्ड हैं जो पचायतों की समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार को पचायतों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर परामर्श देते हैं एवं पचायतों को उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर सलाह देते हैं आदि।

2. राज्य सरकार पचायती राज सभ्याओं से रिपोर्ट माँगती है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अनेक प्रकार के विवरण-पत्र और प्रतिश-पत्र माँगे जाते हैं और इन सभ्याओं का कर्तव्य होता है कि वे निर्धारित प्रश्नों में लेख प्रस्तुत करें। विभाग आवश्यक अध्ययन के बाद ब्रिटिशों की ओर स्थायी विकास का ध्यान आकर्षित करता है और उन ब्रिटिशों को ठीक करने के लिए समुचित निर्देश भेजता है। कुछ रिपोर्ट ऐसी हैं जो नियमानुसार समय-समय पर भेजी जाती रहती हैं किन्तु विभाग को अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार अन्य रिपोर्ट और सूचना भी माँग करे।

3. ऐसे मामलों में जहाँ अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को स्वीकृति, सहमति या अनुमोदन आवश्यक हो, राज्य सरकार उचित जाँच का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह आवश्यक समझे जाने पर अन्य किसी मामले में जाँच का आदेश दे तथा जाँच अधिकारी को वह अधिकार होता है कि वह आवश्यक समझने पर किसी व्यक्ति को अपने सामने पेश होकर बयान देने का आदेश दे। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करके निर्णय देना सरकार का काम है।

4. राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह पचायत समितियों के निर्णयों, प्रस्तावों या आज्ञाओं को अनुचित समझने पर रद्द कर दे, लेकिन ऐसा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि राज्य सरकार पचायत समिति को उत्तर में अपनी सफाई देने का उचित अवसर दे। राज्य सरकार की ओर से अधिकार का प्रयोग जिला-कलेक्टर भी कर सकता है यदि वह आवश्यक समझे कि जनहित और शान्ति की दृष्टि से अखिलत्व कार्यवाही अनिवार्य है। जिला-कलेक्टर को अपने कार्य की रिपोर्टें शीघ्र ही राज्य सरकार को भेजनी होती हैं और राज्य सरकार का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होता है।

5. राज्य सरकार जिला परिषद एवं पचायत समितियों के निर्णय में परिवर्तन कर सकती है। यह पचायत समिति या जिला परिषद के किसी निर्णय या आदेश सम्बन्धी कारणों को भेगाकर देख सकती है और अपना निर्णय दे सकती है। निर्णय देने से पूर्व जिला परिषद या पचायत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर दिए जाते हैं।

6. जिला-कलेक्टर को अधिकार होता है कि वह पचायत समिति की अचल सम्पत्ति और उसके कार्यों आदि का निरीक्षण करे। पचायत समिति के निपटण में चलने वाली किसी सभ्या के कागजत आदि के निरीक्षण करने का उसे अधिकार है।

7. कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पचायत या पचायत समिति राज्य सरकार की स्वीकृति से ही कर सकती है। राज्य सरकार को सहमति के अभाव में किए गए ऐसे कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राज्य सरकार को अधिकार होता है कि वह प्रशासकीय आदेशों द्वारा ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दे।

8. महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकार है कि यदि पचायत राज सभ्याएँ अपना कार्य न करें तो राज्य सरकारें अपने अधिकारियों से कार्य करवा लें। राज्य सरकार कार्य-व्यय इन सभ्याओं से घसूल कर सकती है। प्रायः इस प्रकार का कदम तभी उठाया जाता है जबकि पचायती राज सभ्याएँ निरन्तर गलती करती रहें और राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद कार्य पूरा न करें अथवा निर्धारित समय के भीतर अपनी गलती न सुधारें।

9. यदि राज्य सरकार समझे कि कोई समिति या परिषद अपने कार्य सुचारु ढंग से नहीं कर रही है तो वह उसे भंग करके प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। चेन्नई, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के अधिनियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह समिति या परिषद को भंग करने के बजाय उसे तुल्य नए चुनाव की आज्ञा दे।

10. यदि पचायत राज सभ्याएँ अधिनियमों नियमों और उपनियमों का समुचित रूप से पालन न करें तो राज्य सरकार को अपीलें सुनने का अधिकार है। ऐसी अपीलें पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होता है। ये निर्णय न्यायालयों की अधिकार सामं से परे होते हैं।

11. पचायत राज सभ्याओं पर राज्य सरकार का पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण रहता है। इन सभ्याओं की आय का अधिकांश भाग राज्य सरकारों अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती हैं अतः सभ्याओं का कर्तव्य है कि वे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आचरण करें। राजस्थान राज्य को लें तो राज्य सरकार के निरीक्षक प्रतिवर्ष उनके हिसाब-किताब की जाँच करते हैं। पचायत को अपने वार्षिक बजट पर भ्रूरी लेनी पड़ती है। बजट के अलावा कोई धन राशि पचायत समिति को पूर्व अनुमति के बिना ध्यय नहीं की जा सकती। राज्य सरकार के

नियमों का पालन न करने या राज्य सरकार द्वारा सन्तुष्ट न होने की स्थिति में सरकारी अनुदान रोका जा सकता है। सरकारी अनुदान के बिना पचायत राज सम्साओं का कार्य सम्भवतः नहीं चला सकता, अतः विनीय नियंत्रण व्यवहार में प्रभावी होता है। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं के बजट निर्माण, कर्पोरेण, ऋण सम्बन्धी शक्तियों आदि पर नियन्त्रण रखा जाता है। कर्षों की दर और उनकी वसुली के नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।

12. जहाँ मुख्य पचायत अधिकारी की शक्ति है वहीं वह पचायत के किसी आदेश या प्रस्ताव को रोक सकता है। इस अधिकार को आज्ञा में आवश्यक सरोधन या परिवर्तन राज्य सरकार कर सकती है।

13. राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अधिनियमों में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों को हटा दे जो पचायत राज व्यवस्था के कानून और नियमों का उल्लंघन करते हों। स्पष्टता के लिए यदि राजस्थान राज्य की व्यवस्था को लिया जाए तो राज्य सरकार को पंच, संपन्न पचायत समिति के सदस्य, न्याय पचायतों के सदस्यों और अध्यक्ष तथा पचायत समिति के प्रधान को कतिपय परिस्थितियों में हटाने का अधिकार है। राज्य सरकार ऐसा कदम प्राप्त करने डटती है जब शक्तियों के दुरुपयोग, अधिकार-संभोग का उल्लंघन, कदाचार आदि के स्पष्ट आरोप हों।

नगर शासन

(Municipal Government)

नगरीकरण और आंदोलन के विकास के साथ नगरीय शासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत में वर्तमान नगरीय शासन में नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिकाएँ, नगर-क्षेत्र समितियाँ, अधिमूर्धित क्षेत्र-समितियाँ, छावनी-बोर्ड आदि सम्मिलित हैं।

महानगर

(Metropolitan City)

एक महानगर क्षेत्र केवल बड़े आकार के नगर का ही टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अधिक है। महानगर क्षेत्र की अपनी विशेषताएँ होती हैं, जैसे—अत्यधिक भाड़भाड़, अस्थिर विकास, व्यापक दृष्टिकोण आदि जहाँ के निवासियों में घन, जटिल, विश्वास, रग, रधि, व्यवसाय आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएँ होती हैं। यज्ञे खतरा है कि ऐसे क्षेत्रों में प्रशासनिक समस्याएँ अत्यन्त जटिल होती हैं। अत्यधिक समस्याएँ होने के कारण सरकार के संचालन का प्रभावित व्यय भी अधिक होता है। इस क्षेत्र में प्रशासनिक निकायों के बीच समन्वय की समस्या भी उत्पन्न होती है।

भारत में भी बड़े-बड़े नगरों में इसी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। वैसे तो भारत में प्रशासन नगर निगमों द्वारा चलाया जाता है, किन्तु इनमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई का विशेष स्थान है। इन चारों को महानगर क्षेत्र कहा जाता है। इन महानगरों का प्रशासकीय ढाँचा उनके अपने अधिनियमों पर आधारित है। देहली नगर निगम अधिनियम 1957 में बना था। कोलकाता नगरपालिका अधिनियम 1952 में, चेन्नई नगरपालिका अधिनियम 1919 में (1951 में संशोधित) तथा मुम्बई नगरपालिका अधिनियम 1888 में (यह 1955 में परिवर्तित किया गया) पास किए गए। इन अधिनियमों में चेन्नई तथा मुम्बई के अधिनियम अनेकजुट अधिक पुजने हैं और इनमें समय-समय पर सरोधन किए जाते रहे हैं। देहली नगर निगम का अधिनियम भारतीय संसद द्वारा प्रशासित होता है, जबकि अन्य तीनों ही अधिनियम अपनी-अपनी व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रशासित होते हैं।

नगर निगम

(Municipal Corporation)

नगर निगम शहरी क्षेत्र में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। उसके सर्वोच्च होने का आशय है कि यह अन्य प्रकार के नगर शासनों पर अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। नगर निगमों की स्थापना राज्यों में राज्य सरकार के तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार के विशेष नियम के अन्तर्गत की जाती है, इनका अस्तित्व एवं अधिकार राज्य या केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है।

नगर निगम की स्थापना का आधार—नगर निगम बनाने से पूर्व प्राप्त उस स्थान से प्राप्त वार्षिक आय स्थानीय जनता को अधिक सुविधाएँ देने की क्षमता आदि का आकलन किया जाता है। नगर निगम स्थापित करने के निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किए जा सकते हैं—

1. घना बसा हुआ क्षेत्र
2. नगरपालिका का वर्तमान विद्यमान और उसके भावी विद्यमान की सम्भावनाएँ
3. नगरपालिका की वर्तमान और सम्भावित वित्तीय स्थिति

सरकार के बाध सभी पत्र-व्यवहार मेयर के माध्यम से होगा, लेकिन मेयर किसी पत्र को एक कर नहीं रख सकता। मेयर पत्र-व्यवहार के समय अपना टिप्पणी लिख सकता है। मध्यप्रदेश में यद्यपि मेयर को आपातकालीन मामलों में क्रियान्वयन करने या क्रियान्वयन को रोकने के लिए निर्देश देने का अधिकार है लेकिन यह निर्देश उसे निगम परिषद को अपना बैठक में कारण सहित रखने होते हैं जिसमें परिषद का निर्णय हा मान्य समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में मेयर को वारंट अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियाँ सौंपी गई हैं किन्तु ये सभी नियुक्तियाँ राज्य लाक सवा अयाग क परामर्श से की जाती हैं। यद्यपि मेयर निगम का अध्यक्ष होता है और निगम में कार्यपालिका शक्तियाँ उसे सौंपी जग है तथापि अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण मयर वस्तविक कार्यपालिका नहीं है। मयर निगम का प्रभाव नता न हाकर औपचारिक अध्यक्ष ही रह जाता है।

निगमों में मेयर या महापौर क नीचे टपमहापौर (Deputy Mayor) होता है। उसका लिए परिषद का सत्य होना अनिवार्य है और उसका निर्वाचन पाच वर्ष के लिए किया जाता है। टपमहापौर, महापौर के कार्यों और उतरदायित्वों का पूर्ण में सहायता करता है।

3 समितियों (Committees)—जिन कार्यों से केन्द्रीय एव राज्य व्यापकता को विभिन्न कार्यों का देखभाल के लिए अपन सदस्यों की समितियाँ बनान पड़नी है वे करण स्थानीय स्तर पर भी विद्यमान रहते हैं। नगर निगम परिषद की बैठकें महाने में प्राय एक या दो बार से अधिक नहीं हो पाती, अतः निगम क लिए यह सम्भव नहीं होता कि वह स्वयं अपने सभी काय सम्पन्न करे। निगम परिषद अपने बड़े आकार के बाग अपने उतरदायित्वों की मरुततापूर्वक करने में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में परिषद लोकन्याय पद्धति क अनुरूप अपनी नदियों क सफन सचालन, क्रियान्वयन एव पर्यवेक्षण क लिए कुछ समितियों का गठन करती है। समितियों के निमाण स अक्षिगत शक्ति दृश्यभाग का सम्भवन कम हो जाती है। निगम परिषद टाप नियुक्त समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—(i) सौविधिक समितियाँ (ii) गैर सौविधिक समितियाँ।

(i) सौविधिक समिति—सौविधिक समिति वह है जिसका रचना उस सत्रिय टाप की जाता है जिसका टाप निगम का निमाण होता है। सौविधिक समितियाँ प्रत्येक नगर निगम में बनाया जाना आवश्यक है क्योंकि इनका उल्लेख अधिनियम के अन्तर्गत होता है। ये समितियाँ साधे गण-निगम सावधि या अधिनियम स सता प्राप्त करती हैं। इनके गठन, शक्तियों कायों और अधिकारों की रूपरेखा अधिनियम में दी जाती है।

शक्तियों और कार्यों की व्यापकता की दृष्टि से परिषद का स्टाई समिति महत्वपूर्ण होती है। स्टाई समिति एक मार्गदर्शक समिति के रूप में कार्य करता है जिसके हाथों में कार्यकारी, पर्यवेक्षण, वित्तिय एव कर्मचार वर्ग स सम्बन्धित शक्तियाँ हाता हैं। वास्तव में स्टाई समिति निगम की कार्यकार समिति के रूप में कार्य करता है। इस समिति का काय सम्पूर्ण नगर प्रशासन पर निगड रहना है। स्थाया समिति उन सभी शक्तियों का प्रदाय करती है जो अधिनियम टाप उसे सौंपे गए हैं। स्थानीय समिति परिषद और नगरपाल के मध्य की कड़ी है। वह दानों का प्रभावकारिता को निदन्त्रित और प्रभावित करता है। यद्यपि स्टाई समिति अनेक मामलों में अपने निगदों के लिए परिषद की स्वीकृति लेता है, लेकिन यह स्वीकृति सामान्यतः औपचारिकता मात्र होती है।

(ii) गैर सौविधिक समिति—इन समितियों का गठन परिषद टाप अपने उतरनियमों क अन्तगत किया जाता है। परिषद अपने कार्यों के सुचारू एव सफल क्रियान्वयन के लिए इन समितियों का निमाण करती है। ये समितियाँ भिन्न-भिन्न विषयों और कार्यों में परिषद की सहायता करती हैं। सभी नगर निगमों में समितियों का गठन किया गया है, लेकिन उनका संख्या, संगठन और कार्यों में एकसूत्रता नहीं है। पृथक-पृथक निगमों में उनका स्वरूप या पृथक-पृथक ही देखने को मिलता है। इन प्रमुख समितियों में 1. वित्तिय एव स्थाना समिति, 2. शिक्षा समिति, 3. स्वास्थ्य एव बस्ती विकास समिति, 4. जनपूर्ति एव सफाई समिति एव 5. निमाण एव कस्बा समिति को शामिल किया जाता है।

सौविधिक एव स्टाई समितियों क अतिरिक्त निगमों में सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विरहित समितियों तथा अस्थाई समितियों का भी गठन किया जाता है। अस्थाई समितियाँ उदेश्य-विशेष के लिए बनाई जाती हैं और निगम टाप प्रदत्त कार्य का सम्पादन करती हैं। कुछ निगम अपने काय का सतत और सुगम बनने के लिए क्षत्रीय समितियों का गठन करते हैं। कतिपय समितियों में क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाता है। कुछ नगर निगमों ने अपन सम्पूर्ण क्षेत्र को अनेक छोटे-छोटे उपक्षेत्रों में विभाजित कर दिया है ताकि जनता को सुविधार् असाठों से उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय शासन के लिए एक क्षेत्रीय समिति गठित की जाती है जो उस क्षेत्र के निवासियों को समसूत्रों का सम्भालन करती है।

4 नगर आयुक्त (Municipal Commissioner)—नगर आयुक्त अथवा नगरपाल निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वास्तव में उसे निगम का प्रमुख प्रशासनिक कार्यकर्ता समझना चाहिए। नगर आयुक्त उन कार्यों

का निर्वाह करता है जो अधिनियम द्वारा उसे सौंपे गए हों। सङ्घकाल में यह कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझता हो। नगर परिषद की नीतियों को और सविधि के प्रावधानों को कार्यान्वित करना नगर आयुक्त का उत्तरदायित्व है।

नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वह प्रायः उच्च स्तर पर पेशेवर प्रशासक होता है जिसे राज्य सरकार नगर का प्रशासन करने के लिए नियुक्त करती है। वह अपना वेतन निगम से प्राप्त करता है। नगर आयुक्त का कार्यकाल भिन्न-भिन्न नगर निगमों में भिन्न-भिन्न है। चेन्नई और मुंबई नगर निगमों में उसका कार्यकाल तीन वर्ष का है तो बोलवता और दिल्ली नगर निगमों में पाँच वर्ष का है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वह उसके कार्यकाल में वृद्धि कर दे। निगम के पार्षदों की शिकायत अथवा उसके अयोग्य सिद्ध होने पर राज्य सरकार नगर आयुक्त को अपने पद से हटा सकती है। यद्यपि गैर-सरकारी व्यक्ति को नगर आयुक्त पद पर नियुक्त करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है तथापि सरकार प्रायः सेवारत लोक सेवक को ही इस पद पर नियुक्त करती आई है। नगर आयुक्त की नियुक्ति की अवधि का प्रायः सविधि या अधिनियम में उल्लेख रहता है। नगर आयुक्त को शक्तियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

(i) वे शक्तियाँ जो उसे नगर निगम अधिनियम द्वारा प्राप्त होती हैं एवं

(ii) वे शक्तियाँ जो उसे नगर निगम परिषद अथवा उसके स्थाई समिति द्वारा प्रदान की जाती हैं।

कार्य—नगर आयुक्त को विविध प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। प्रशासनिक, वित्तीय और निबंधन सम्बन्धी क्षेत्रों में उसके विभिन्न उत्तरदायित्व हैं। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उसे निगम परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में बोलने का अधिकार है, किन्तु वह मतदान नहीं कर सकता। निगम के सभी कर्मचारी नगर आयुक्त के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, तथापि नियुक्ति, पदोन्नति एवं अनुशासन के मामलों में परिषद तथा उसके समिति भी नगर आयुक्त की शक्ति में भागीदार होती है। यह स्थिति निगम कर्मचारियों के सम्बन्ध में नगर आयुक्त की शक्ति को कमजोर करने वाली है। नगर परिषद कर्मचारियों पर इस प्रकार का दोहरा नियंत्रण अनुशासन को क्षीण करता है। नगर आयुक्त निगम और स्थाई समितियों के निर्णय के लिए नीति-प्रारूप तैयार करता है। कुछ नगर निगम अधिनियमों में नगर आयुक्त को अन्तिम अधिकार दिए गए हैं।

नगर आयुक्त को पर्याप्त वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि विधि के अनुसार यद्यपि निगम का बजट पहले स्थाई समिति द्वारा स्वीकृत एवं बाद में परिषद द्वारा पारित किया जाता है, तथापि बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व नगर आयुक्त का ही है। व्यवहार में नये करों के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभिक्रम चली करता है। परिषद द्वारा बजट पारित कर देने के पश्चात् नगर आयुक्त स्थाई समिति के पास यह अधिकार प्राप्त करने के लिए जा सकता है कि वह बजट अनुदानों के अन्तर्गत किसी राशि को एक छोटी मद में से दूसरी में अन्तर्गत कर सके। कुछ छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति का भी उसे अधिकार है। वह निगम के सभी दस्तावेजों और कागजातों का प्रभारी अधिकारी होता है। आपतकाल में नगर आयुक्त को अधिनियम की विशिष्ट और असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

नगर आयुक्त नगर परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह परिषद की बैठकों में भाग लेता है और पार्षदों के प्रश्नों के जवाब देता है। वह परिषद के प्रस्तावों का क्रियान्वयन करता है। नगरीय सेवाओं के अधिनियमों, नियमों, उपनियमों के प्रावधानों के निष्पादन का उत्तरदायित्व नगर आयुक्त का है। परिषद और नगर आयुक्त के मध्य सम्बन्ध कुछ इस प्रकार के हैं जैसे कि एक प्रमुख तथा उसके अधिकारों के बीच हुआ करते हैं। परिषद का उस पर नियंत्रण रहता है। परिषद यह निर्धारित करती है कि नगर आयुक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करेगा। वह प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार से उसे वापस बुलाने की माँग भी कर सकती है।

नगर निगम के कार्य (Functions)—स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए नगर निगम को अनेक कार्य करने होते हैं—

अनिवार्य कार्य (Obligatory Functions)

1. पीने योग्य जल की व्यवस्था और उसका वितरण करना।
2. नालियाँ एवं ऐसी ही अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण तथा सफाई व्यवस्था करना।
3. बिजली का वितरण करना।
4. सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करना।
5. कौच तथा मल को इकट्ठा करना और हटाना।
6. गन्दी बस्तियों की सफाई करना।
7. शय्याशय भूमि का नियमन एवं देखभाल करना।

- 8 जन तथा मृत्यु को पंजीकृत करना।
- 9 बीमारियों की ऐक्यता के लिए टीका लगवाना।
- 10 छतरनाक बीमारियों को ऐक्यता।
- 11 अस्पताल, डिस्पेंसरी तथा अनाथों के लिए कल्याण केंद्र खोलना।
- 12 अग्नि-शमन सेवा की व्यवस्था करना।
- 13 छतरनाक एवं घातक व्यापारों पर नियंत्रण रखना।
- 14 छतरनाक भवनों को हटा देना।
- 15 सार्वजनिक सड़कें, गलियाँ एवं पुलिया बनवाना।
- 16 खेत पहाड़ों तथा भोजनानुपेक्षक नियमन तथा नियंत्रण करना।
- 17 सार्वजनिक गलियों में प्रकाश एवं सड़कें का प्रबंध करना।
- 18 गलियों एवं पुलियाओं पर से बचकर चारों ओर हटाना।
- 19 गलियों एवं सड़कों को नम्बर लगाना तथा गलियों एवं सड़कों को नया रखना।
- 20 प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलना।
- 21 बिजली विद्युत, मरिहक यानायात्रा एवं जल-विद्युत सवाओं के लिए ठगनों की रचना, स्थान एवं प्रबंध करना।
- 22 नगरपालिका कार्यालय एवं निगम की अन्य सम्पत्तियों का रचना एवं मालिकता।
- 23 गृह कर एकत्रित करना।
- 24 सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना।
- 25 सड़कों एवं पुलियाओं से अधिकतम हटाना।

ऐच्छिक कार्य (Discretionary Functions)

- 1 अन्य संपत्तियों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ाना देना।
- 2 पुस्तकालयों, अग्रयणघरों, कला-प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।
- 3 सार्वजनिक पार्क, बाग़ों, अखाड़े तथा मनोरंजन-गृह बनाना।
- 4 धर्मों का निर्माण करना।
- 5 भवनों एवं भूमि का सर्वेक्षण करना।
- 6 शान्तियों का पंजीकरण करना।
- 7 अपान-गृह, गौशाला-गृह, बालक-गृह, वृद्ध गृह, रैन बसेरा आदि का प्रबंध करना।
- 8 अनाथ पशुओं को पकड़ना।

नगर निगम की आय के सधन (Income Resources)—नगर निगम का आय के मुख्य सधनों में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, व्यापारिक प्रोत्थनों से प्राप्त आय, घास द्वारा प्राप्त आय, करों द्वारा प्राप्त आय तथा ऋण हैं।

नगर निगम पर निदन्त्रण-केंद्र स्थित प्रदेशों वाले नगर निगमों पर केंद्र सरकार तथा राज्य में विद्यमान नगर निगमों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है। निगमों को ठगों कायों को सम्पत्ति करने का स्वतंत्रता हाटी है किन्तु के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित अधिनियमों के अन्तर्गत ठगें अधिकृत किया गया है। नगर निगमों के कार्य-कलाओं को न्यायन-नियंत्रण में चुनौती दी जा सकती है।

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

नगरीय स्थानीय स्वशासन के विद्वान में उस समय एक महत्वपूर्ण पृष्ठ जुड़ गया, जबकि भारतीय संसद ने 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वाँ अनुसूची का इच्छा करी या नगरीय क्षेत्रों के स्वशासन की समस्याओं को सार्वजनिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन के मुख्य प्रवर्धनों में—सभी संसदों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किये जाने, मुख्य निर्वाचन अधिकारों के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में प्रति 5 वर्ष बाद इन संसदों के निर्वाचन सम्पन्न कराने, मन्त्रियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इन संसदों में स्थानों को अधिष्ठित किये जाने तथा जनसंख्या के अनुसार में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों का सके है।¹ निम्नलिखित नगरीय क्षेत्रों के स्वशासन की समस्याओं को सार्वजनिक दर्जा

प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण घटना है। इससे जहाँ इन समस्याओं को एक नई शक्ति प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर सारे देश में एकलपता की स्थिति बनेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं की इन समस्याओं में प्रभावशाली साझेदारी होगी। इस सभियान सरोधन के पारित होने के बाद अनेक राज्यों में इसका अनुसरण किया है। इससे देश में एकलपता की स्थिति बनी है।

नगरपालिका (Municipality)

भारत के नगरों में नगरपालिकाओं का उदय किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासकाल के दौरान में ही हुआ था। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ ऐसा नियम न हो। राजस्थान के मुख्य शहरों में नगरपालिका को नगर परिषद उदाहरण है जबकि सामान्यतः छोटे शहरों अथवा कस्बों में उन्हें नगरपालिकाएँ या म्यूनिसिपल बोर्ड कहा जाता है। नगर परिषद और नगरपालिका के संगठन, कार्यों तथा अधिकारों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं पाया जाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन को इन समस्याओं का नामकरण नगर की जनसंख्या पर निर्भर करता है।

नगरपालिकाओं की स्थापना—नगरपालिकाओं का गठन ऐसे नगरों में किया जाता है जहाँ शहर में रहने वाले लोगों के लिए जन-सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है फिर भी नगरपालिका के गठन के लिए जनसंख्या की एक निश्चित सीमा का होना आवश्यक है। कुछ राज्यों में नगरपालिका को कम से कम 500 लिये जनसंख्या एवं आय दोनों ही कर्षाटियों निर्धारित की हैं। आय की बात को अनुचित नहीं कहा जा सकता। नगरपालिका से अपेक्षा है कि वे नगरपालिका की स्थापना तथा रख-रखाव के लिए आवश्यक साधनों को व्यवस्था करें। नगरपालिका की स्थापना तभी की जानी चाहिए जब वहाँ की जनता उसके लिए समुचित साधन जुटाने के योग्य और इच्छुक हो। आय की कर्षाटी तब महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है जबकि कम जनसंख्या वाले स्थान में नगरपालिका बना दी जाती है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका की आय के स्रोतों का बड़ा भाग राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है।

राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वह नगरपालिका का अधिकार क्षेत्र को परिभाषित कर सके। दानून द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह नगरपालिकाओं को अधिनियम के उन उपबन्धों से मुक्ति प्रदान कर दे जो उसके लिए अनवश्यक हैं। कुछ नगरपालिकाएँ अर्द्धांकित भी हैं। सरकार कभी भी आदेश निकाल कर उन्हें किसी श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में नगरपालिका बनाने या किसी क्षेत्र में नगरपालिका समाप्त कर देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। राजस्थान प्रान्त में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञापित निकाल कर—

- (i) किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है।
- (ii) किसी भी नगरपालिका की सीमाएँ निर्धारित कर सकती है।
- (iii) किसी भी नगरपालिका में कोई भी क्षेत्र शामिल कर सकती है या उससे पूर्णतः अलग कर सकती है।
- (iv) किसी भी नगरपालिका की सीमाओं में अन्य प्रकार से परिवर्तन कर सकती है।
- (v) यह घोषित कर सकती है कि किसी भी निश्चय विधि से किसी स्थानीय क्षेत्र में नगरपालिका नहीं रहेगी।

नगरपालिकाओं का संगठन (Organisation)—नगरपालिका जनता की सभा है जो नगरपालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर शासन के लिए नियमो-उपनियमों का निर्माण करती है। प्रत्येक नगरपालिका में एक परिषद होती है जिसमें वयस्क मतदाताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य (पार्षद) सम्मिलित होते हैं। परिषद वह सर्वोच्च सत्ता है जो उन सभी कर्मों के लिए उत्तरदायी है जो नगरपालिका को सौंपे गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में नगरपालिकाओं के संगठन, कार्यकाल आदि में भिन्नता मिलती है तथापि सामान्य रूपरेखा मिलती-जुलती है।

1 नगरपालिकाओं का निर्वाचन—राजस्थान में नगर परिषद या नगरपालिका मण्डल के सदस्यों की संख्या का निश्चय सरकार द्वारा किया जाता है। चुनाव वयस्क मतदाताधिकार के आधार पर प्रति पंचसरे वर्ष किए जाते हैं। चुनाव मुक्त मतदान द्वारा होते हैं। चुनाव के लिए कस्बे या नगर को विभिन्न क्षेत्रों अथवा वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सीटों तथा वार्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विधिपरिष्कार जारी होती रहती हैं। नगर परिषद या नगरपालिका-मण्डल में स्त्रियों और पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जिस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या जनजातियों का बहुमत होता है उस क्षेत्र को प्रायः इन जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है अर्थात् ऐसे क्षेत्रों में केवल इन जातियों के प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते हैं। यदि कोई स्त्री चुनाव जीत कर नहीं आई हो तो स्त्रियों के प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य अपने बहुमत से दो स्त्री सदस्यों को मनोनीत करते हैं।

2. सदस्यों के लिए योग्यताएँ—राजस्थान में नगरपालिका के सदस्य होने के लिए निम्नांकित योग्यताओं का होना आवश्यक है—

- (i) वह व्यक्ति उस पालिका के क्षेत्र में मतदाता हो।
- (ii) वह पौजदारो अदालतों में एक वर्ष से अधिक सजा पाया हुआ न हो। (ऐसा व्यक्ति तीन वर्ष समाप्त होने के बाद चुनाव लड़ सकता है।)
- (iii) वह व्यक्ति राज्य या स्थानीय सत्स्था की नौकरी में न हो अथवा कदाचार के आरोप में निन्दाला न गया हो। (पदधुत व्यक्ति तीन वर्ष बाद चुनाव लड़ सकता है।)
- (iv) वह दिवालिया अथवा पागल न हो।
- (v) वह नगरपालिका की ओर से या उसके विरुद्ध किसी मामले में दक़ील न हो अथवा नगरपालिका से किसी भी रूप में ठेके या व्यापार आदि से सम्बन्धित न हो।

सदस्य चुन लिए जाने के बाद किसी प्रकार की अयोग्यताएँ पाई जाएँ तो निर्वाचित सदस्य को अपना पद त्याग करना पड़ता है।

3. पदावधि—नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यद्यपि सरकार को अधिकार है कि वह नगरपालिका को अवधि से पूर्व ही भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दे।

4. एक वार्ड से अधिक के लिए निर्वाचन में खड़े होने पर प्रतिबन्ध—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 25 में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उमने अपना नामांकन पत्र एक से अधिक वार्डों के लिए प्रस्तुत किया है तो उसे निर्वाचन के लिए निश्चित तिथि से पूर्व विवाय एर वार्ड के अन्य समस्त वार्डों से अपना नामांकन पत्र वापस लेना आवश्यक होता है।

5. पद की शपथ और त्यागपत्र—अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्यों का पालन करने से पूर्व जिलाधीश अथवा सरकार द्वारा मनोनित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रश्न में शपथ लेनी होती है और उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यह व्यवस्था भी है कि कोई सदस्य नगरपालिका की प्रथम बैठक की तिथि से तीन मास की अवधि में शपथ ग्रहण नहीं कर पाता तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। अधिनियम के अनुसार, कोई भी सदस्य लिखित रूप में अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र का नोटिस अध्यक्ष को दे सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र नोटिस के 15 दिन बाद प्रभावशाली होगा। यह आवश्यक है कि नोटिस प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप में प्रमाणित हो। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार ऐसा त्याग-पत्र उसके प्रभावशाली होने से पूर्व वापस लिया जा सकता है। अधिनियम में दिए गए कुछ प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार समुचित आधारों पर किसी सदस्य को हटा भी सकती है।

6. पदाधिकारी—अधिनियम की धारा 65 में व्यवस्था है कि प्रत्येक नगरपालिका मण्डल के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा जिनका चुनाव नियम के अनुसार मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने स्वयं में से ही किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक नगर परिषद के लिए एक सभापति और एक उप-सभापति होगा जिनका चुनाव नियम के अनुसार परिषद के पार्षदों द्वारा स्वयं में से ही किया जाएगा। ये पदाधिकारों नगरपालिका के कार्यकाल और अपनी सदस्यता-पर्यन्त अपने पद पर काम करते हैं। दैनिकी बहुत से अविश्रवास प्रस्ताव द्वारा सदस्य उन्हें हटा सकते हैं। वे स्वयं भी त्याग-पत्र दे सकते हैं और सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने कार्य की लागतवाही के लिए उन्हें हटा सकती है। बड़ी नगरपालिकाओं में एक कर्मचारी ऑफिसर अथवा सचिव भी होता है। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। नगरपालिका की आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, इन्वीनियर, ओवरसियर, स्वास्थ्य अधिकारी, सैनेटरी इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। इनकी नियुक्ति बोर्ड करता है।

7. समितियाँ—कार्य की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका में विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक समिति को अलग-अलग कार्य सौंपा जाता है। सभी समितियों बोर्ड अपना कौन्सिल के नियंत्रण में और उसके आदेशानुसार अपना कार्य करती हैं। बोर्ड अथवा कौन्सिल को यह पूरा अधिकार होता है कि वह उनके निर्णयों में परिवर्तन या सशोधन कर दे।

अधिनियम की धारा 73 में व्यवस्था है कि प्रत्येक कौन्सिल अर्थात् नगर परिषद की कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें ये सदस्य सम्मिलित होंगे—(i) परिषद का सभापति, (ii) परिषद का उप-सभापति, (iii) परिषद द्वारा निर्वाचित परिषद के 7 सदस्य (पार्षद) तथा परिषद द्वारा निर्मित समितियों के अध्यक्ष। परिषद का नगरपालिका आयुक्त कार्यकारिणी समिति का पदेन सचिव होता है।

कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक परिषद धारा 73(3) के अनुसार निम्नलिखित समितियों का निर्माण भी करती है—(i) वित्त समिति, (ii) स्वास्थ्य और सफ़ाई समिति, (iii) भवन तथा निर्माण समिति, (iv) नियम तथा उप-नियम

समिति (v) सार्वजनिक धाहन समिति। कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियाँ ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को प्रयोग में ला सकेंगी तथा उनका पालन और निष्पादन कर सकेंगी जो परिषद द्वारा उन्हें प्रदान किए गये हैं। उल्लेखनीय है कि कार्यकारिणी समिति का गठन केवल शहरी नगरपालिकाओं अर्थात् नगर परिषदों में ही अनिवार्य है, नगरपालिका ग्रन्थलों में नहीं। उपर्युक्त पाँचों समितियों का शहरी नगरपालिकाओं अर्थात् नगर परिषदों में होना अनिवार्य है। साथ ही अन्य समितियाँ नगर परिषदों को सुविधानुसार गठित की जा सकती हैं।

8. नगरपालिका की बैठकें—अधिनियम की धारा 70 के अनुसार, कार्य निपटाने के लिए प्रत्येक माह में नगरपालिका को कम से कम एक साधारण बैठक होनी चाहिए। अध्यक्ष का दायित्व है कि वह इन सामान्य बैठकों के लिए तिथियाँ नियत करे। अध्यक्ष जब भी उचित समझे, एक विशेष सामान्य बैठक आमंत्रित कर सकता है। ऐसी विराय सामान्य बैठक अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को कुल सख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर की जाती है। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुपस्थिति में उस समय उपस्थित सदस्यों में से किसी एक ऐसे सदस्य द्वारा की जाती है जिसे बैठक में उस अवसर पर अध्यक्ष चुन लिया जाए। समस्त प्रार्यों का निर्णय उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों (अध्यक्ष सहित) के बहुमत से किया जाता है। बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को द्वितीय मत देने का अधिकार होता है। बैठक को गणपूर्णा के लिए सदस्यों की सम्पूर्ण सख्या के एक-तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

नगरपालिका की शक्तियाँ (Powers)—सभी राज्यों में नगरपालिकाओं को शक्तियाँ और अधिकार एक जैसे हैं। राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

1. नियम बनाने की शक्ति—प्रत्येक नगरपालिका को ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धारा 297 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विरुद्ध नहीं होंगे। नगरपालिका को कार्य संचालन के बारे में तथा अपनी शक्तियों या कर्तव्यों को सौंपने के सम्बन्ध में, समितियों को नियुक्तियों एवं निर्माण के सम्बन्ध में भी अनेक अधिकार होते हैं। नगरपालिका सामान्यतः अपने पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के पक्ष-प्रदर्शन के लिए नगरपालिका के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त विषयों पर नियम बना सकती है। किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी, जिसको प्रतिभूति (सिन्डिकेटिड) लेना उचित समझा जाए, प्रतिभूति की राशि तथा आकृति का निश्चय भी नगरपालिका द्वारा किया जाता है। किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को नियुक्त करने, दण्ड देने या विमुक्त करने के तरीकों और शर्तों का निश्चय किया जाता है। ये सभी शक्तियाँ नगरपालिका (याहे म्युनिसिपल बोर्ड हो या म्युनिसिपल कांसिल हो) को अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, लेकिन इस धारा के अन्तर्गत किसी नगरपालिका द्वारा बनाया गया नियम तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो जाए।

प्रत्येक नगरपालिका को समय-समय पर ऐसी उपविधियाँ बनाने का अधिकार है जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रतिबन्धन नहीं हैं। अधिनियम की धारा 90 में उन विषयों की व्यवस्था है जिनके सम्बन्ध में नगरपालिका को सामान्यतः उपविधियाँ बनाने की शक्ति प्राप्त है, परन्तु नगरपालिका द्वारा बनाई गई कोई भी उपविधि तब तक प्रभावशाली नहीं होगी जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं कर दी जाए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 91 में यह व्यवस्था कर दी गई है कि उपर्युक्त नियम और उपविधियाँ मुद्रित होंगे तथा सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए नगरपालिका कार्यालय में भूले रखे जाएँगे और उनकी मुद्रित प्रतियाँ लागत मूल्य पर विक्रय के लिए रखी जाएँगी।

2. सम्पत्ति को अयत्न और धारण करने की शक्ति—अधिनियम की धारा 92 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को साधन कर सकती है, फिर चाहे वह नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर हो या बाहर।

नगरपालिका को प्राप्त अथवा नगरपालिका के द्वारा निर्मित की गई समस्त धनराशियाँ नगरपालिका कोष का अंग होंगी अर्थात् राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अथवा लगाए गए समस्त कर, मार्ग कर तथा अन्य कर जुमले, शुल्क, नगरपालिका द्वारा बेची गई भूमि या अन्य सम्पत्ति से प्राप्त रकमें तथा उससे प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण किराया आदि नगरपालिका निधि का अंग होती हैं परन्तु शर्त यह है कि कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा तय की गई किसी योजना द्वारा स्वीकृत या आरोपित किसी दायित्व पर किसी प्रकार से प्रभाव न डाले। नगरपालिका अपनी निधि तथा सम्पत्ति का प्रयोग राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे काम में ला सकती है जो सार्वजनिक हित में हो, तथापि इस सम्बन्ध में कुछ शर्तें धारा 94 में निर्धारित की गई हैं। धारा 96 के अन्तर्गत नगरपालिका को अतिरिक्त कोषों को जमा करने अथवा उनका विनियोग करने की शक्ति दी गई है और धारा 97 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नगरपालिका को रकम उधार लेने की शक्ति भी प्राप्त है।

नगरपालिकाओं के कार्य (Functions)

(क) प्राथमिक एवं अनिवार्य कार्य—अधिनियम की धारा 98 के अनुसार प्रथम कार्य निम्नानुसार है—

- 1 सार्वजनिक स्थानों और भवनों में प्रवेश की व्यवस्था करना तथा सड़कें का प्रबन्ध करना तथा गन्दगी हटाना ।
- 2 सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर जन्म छिड़कना ।
- 3 हानिकारक वनस्पति को हटाना और सभ्य सार्वजनिक बाधाओं को कम करना ।
- 4 आग बुझाना और आग से नाशिकों को जान-भयन बचाए रखना ।
- 5 उद्देश्यकारी अथवा खतरनाक व्यक्तियों या वृत्तियों का नियन्त्रण करना ।
- 6 सार्वजनिक गलियों, बाजारों, नालियों, स्नान-घर, बूझड़ानों, तालाबों, कुँआँ, कण्डे धाने के स्थान आदि का निर्माण और उनकी व्यवस्था करना एवं सफाई करना ।
- 7 सार्वजनिक शौचालयों और भूतलियों का प्रबंध करना ;
- 8 सार्वजनिक मार्गों अथवा स्थानों और ऐसे स्थानों से जो निजा समिति नहीं है जो जनता के हितों के लिए मुक्त है, स्वामियों और आगे निकल हुए भागों को हटाना ।
- 9 खतरनाक भवनों को सुरक्षित करना या हटाना तथा अस्वस्थकर वस्तुओं या स्थानों का उद्धार करना ।
- 10 मूर्तों को जमाने या तोड़ने के स्थानों का प्रबन्ध करना ।
- 11 जन्म और मरण का हिसाब रखना ।
- 12 अनाथों और अशक्तों के निवास का प्रबन्ध करना ।
- 13 सार्वजनिक अधिष्ठाणियों की स्थापना और व्यवस्था करना और जनसहायण को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देना ।
- 14 सार्वजनिक टीकों का प्रबन्ध करना ।
- 15 पगल कुत्तों को पकड़ने और ऐसे कुत्तों द्वारा काट गए लोगों को चिकित्सा का प्रबन्ध करना ।
- 16 मन और बूढ़े-कर्म में निहित खराब तैयारी करने के लिए प्रबन्ध करना ।
- 17 सार्वजनिक वास्तुओं को स्थाना आदि ।

विशेष कार्य—प्रत्येक नगरपालिका को दो विशेष दायित्व निम्न होते हैं—

(क) भयंकर बीमारी जै अवस्था में विशेष चिकित्सा की व्यवस्था करना और बीमारों को उपचार के लिए आवश्यक मदद देना ।

(ख) अकाल या अतिवृष्टि के समय अनाहात लोगों की सहायता करना ।

(घ) गौश या ऐच्छिक कार्य—प्रत्येक नगरपालिका के मुख्यतया ऐच्छिक या गौश कार्य निम्नलिखित हैं—

- 1 नई सड़कें एवं गलियों का निर्माण करना तथा सड़कों पर दूषण समाप्त करना ।
- 2 सार्वजनिक पार्कों, बगीचों, पुस्तकालयों, अज्ञानघरों, धर्मशालाओं, विद्यालयों आदि का निर्माण एवं प्रबन्ध करना ।
- 3 गन्दी वस्तुओं को सफाई करना तथा ऐसे कार्य करना जो जनता के स्वास्थ्य, शिष्टा या सुविधा के लिए आवश्यक हैं ।
- 4 प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करना और उनकी व्यवस्था करना ।
- 5 पशु घरों की स्थापना करना ।
- 6 नैन और श्रमिकों को सजाना ।
- 7 सार्वजनिक स्वच्छता समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का प्रबन्ध करना ।
- 8 स्थानीय कला और उद्योग-धर्मों के लिए कर्म देना आदि ।

उच्च सरकार अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, किसी भी नगरपालिका को प्राथमिक और विशेष कर्तव्य सम्बन्धी आवश्यकता से मुक्त कर सकती है कि अमुक प्राथमिक या विशेष कार्य नगरपालिका के विवेकानुसार किया जाने वाला कार्य समझा जाएगा ।

आप के साधन—नगरपालिकाओं को विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार है, जैसे—मकान एवं जमीन पर कर, सवारी टैगि, नाम, टैगि, सड़क कर आदि पर कर, सीमा में अग्ने बत्ती बत्तुओं और परतुओं पर कर, सार्वजनिक सड़कें कर, सार्वजनिक पोखरी कर, सार्वजनिक जल-व्यवस्था कर, व्यापार एवं पेशा कर, अग्ने प्रदीप कर, दूकानों और व्यापारिक सभ्यताओं पर कर आदि लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि नगरपालिका वर्तमान सभी करों को

संगठन, आवास कर, सामान के आवागमन पर कर, व्यवसाय एवं पशु कर आदि करों को लगाना तो आवश्यक है, यद्यपि कुछ कर ऐसे हैं कि जिन्हें लगाना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, नगरपालिका चाहे तो मोटरों पर कर, नशों पर कर एवं आवागमन के अन्य साधनों पर कर लगा सकती है। घर लगाने से पूर्व बोर्ड को उसके सम्बन्ध में आवश्यक विषय आदि बताने पड़ते हैं और सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। नगरपालिकाओं को कुछ खाद्य सामग्रियों के विप्रेषण का लाइसेंस देने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर सहायता दी जाती है। नगरपालिकाएँ सरकार की सहायता से ऋण ले सकती हैं। लाइसेंस फीस, जुर्माना आदि से भी नगरपालिकाओं को आय होती है।

नगरपालिकाओं पर नियन्त्रण—यद्यपि नगरपालिकाएँ बहुत कुछ स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करती हैं तथापि इन पर राज्य सरकार का नियन्त्रण रहता है। सरकार इन्हें सहायता अनुदान और ऋण आदि देती है अतः सरकार के लेखा परीक्षक इन सम्पत्तियों के हिसाब-किताब की जाँच-पड़ताल करते हैं। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि नगरपालिका द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर या अपना कार्य ढग से न करने पर वह उसे बग कर दे और उसकी जगह प्रशासक नियुक्त कर दे। राज्य सरकार नगरपालिका के पदाधिकारियों को हटा सकती है, यदि वे अपने पदों का दुरुपयोग करें अथवा नगरपालिकाओं के कार्य में गड़बड़ी करें।

अधिस्थित क्षेत्र समितियाँ एवं नगर क्षेत्र समितियाँ

(Notified Area Committees & Town Area Committees)

राज्यीय स्थानीय स्वशासन में जहाँ नगरपालिकाओं की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहाँ 'अधिस्थित क्षेत्र समिति' एवं 'नगर क्षेत्र समिति' बनाई जाती है।

अधिस्थित क्षेत्र समितियाँ

कुछ बड़े कस्बों और उन नगरों में जहाँ नगरपालिकाएँ स्थापित नहीं की जा सकती, अधिस्थित क्षेत्र समितियों स्थायी प्रबंध का कार्य करती हैं तथा इन समितियों का निर्माण नए विकासशील नगर के लिए किया जाता है। समिति के निर्माण की सूचना राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिस्थित कर दी जाती है, इसलिए इसको 'अधिस्थित क्षेत्र समिति' कहते हैं। यह समिति राज्य नगरपालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित ढाँचे के अन्तर्गत कार्य करती है, किन्तु इन पर अधिनियम के केवल नौ प्रावधान ही लागू होते हैं जो गजट में अधिस्थित कर दिये जाते हैं। सरकार को अधिकार है कि वह समिति को ऐसी शक्तियाँ सौंपे जिनका प्रयोग किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत न किया जा सकता हो। अधिस्थित क्षेत्र समितियों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के होते हैं। प्रायः राज्य सरकार ही उसके सदस्यों तथा अध्यक्ष को मनोनीत करती है। इस प्रकार यह पूर्णतः शासित सभा होती है। इन समितियों के कार्य, अधिकार, आय स्रोत आदि लगभग ठीक प्रकार के होते हैं जैसे नगरपालिकाओं के होते हैं। बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बर्नार्टक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में अधिस्थित क्षेत्र समितियाँ विद्यमान हैं। प्रायः इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

नगर-क्षेत्र समितियाँ

छोटी जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों अर्थात् छोटे कस्बों में नगर क्षेत्र समितियाँ स्थापित की जाती हैं। भारत में असम, केरल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में नगर क्षेत्र समितियाँ हैं। नगर क्षेत्र समितियों का सबसे अधिक प्रचलन उत्तर प्रदेश में है। इन समितियों का शासन राज्य सरकार द्वारा पारित सूक्ष्म अधिनियमों के अन्तर्गत चलता है। जिलाधीश को नगर क्षेत्र समिति के सम्बन्ध में नियन्त्रण की पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनके सदस्यों की संख्या प्रायः कम होती है। इन समितियों के कार्य-क्षेत्र और आय क्षेत्र नगरपालिकाओं की तुलना में सीमित होते हैं। इन्हें छोटी नगरपालिका कहा जा सकता है।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट एवं छावनी बोर्ड

(Improvement Trust, Port Trust and Cantonment Boards)

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

बड़े नगरों की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए नगरपालिका के साथ-साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किए जाते हैं। इनके कार्य नगरपालिकाओं के कार्यों से कुछ भिन्न होते हैं। ये ट्रस्ट इमारतों को अव्यवस्थित रूप से बनने से रोककर, नगर का व्यवस्थित रूप से विकास करते हैं। नगरों में खुले स्थानों, पार्कों, चौड़ी सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था करना इस ट्रस्ट का कार्य है। इन ट्रस्टों में कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ मनोनीत होते हैं। जिन नगरों में ये ट्रस्ट नहीं होते, उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य नगरपालिकाएँ ही करती हैं।

पोर्ट ट्रस्ट

बढ़-बढ़े बन्दरगाहों तथा कोलछाया, मुम्बई पोर्ट, विशाखपट्टनम, वार्डो आदि स्थानों पर स्थानीय सस्माओं के रूप में पोर्ट ट्रस्ट है। इसके सदस्य वारिज्य और वन्दार सस्माओं द्वारा चुने जाते हैं तथा सरकार भी मनोनीत करती है। इनका सविधान भारत सरकार के द्वारा वन्दार गणों पर आधारित होता है। इनका सम्पत्ति सरकारों व्यक्ति द्वारा होता है। इनका मुख्य कार्य है—बन्दरगाह से सम्बद्ध मामलों का प्रबन्ध, बन्दरगाह की रक्षा, माल का प्रबन्ध, सम्पत्ति उदरना एवं पड़ना, परिवहनों को सुविधाएँ प्रदान करना आदि।

छावनी बोर्ड

छावनी क्षेत्रों में छावनी बोर्ड स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य इन क्षेत्रों के निवासियों को नगरिक सुविधाएँ और कल्याण सेवार्थ प्रदान करना है। सम्बद्ध कमान के जनरल आफिसर कमान्डिंग इन्-चीफ और केन्द्र सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि इन बोर्डों में निर्वाचित और नामबद्ध सदस्यों का संख्या जा 1 से लेकर 7 सम्मन रखी जाती है तथापि कम्युनी प्रावधानों के अनुसार नामबद्ध सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों का संख्या से एक से अधिक हो सकती है। इन बोर्डों को कर लगाने का अधिकार है जो इनके राजस्व का मुख्य स्रोत है। बोर्डों का द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमानों की जाँच-पड़ताल और उनकी स्वकृति जनरल आफिसर कमान्डिंग-इन-चाफ द्वारा होती है। छावनी बोर्ड हान श्रेणियों में संगठित हैं—

1 प्रथम श्रेणी की छावनियाँ—इनकी असैनिक जनसंख्या 10,000 से अधिक है। ये संख्या में 30 हैं।
2 द्वितीय श्रेणी की छावनियाँ—इनकी असैनिक जनसंख्या 2500 और 10,000 के बीच में है। ये संख्या में 19 हैं।

3 तृतीय श्रेणी की छावनियाँ—इनकी असैनिक जनसंख्या 2500 से कम है। ये संख्या में 13 हैं।
कार्य—कार्यों की दृष्टि से छावनी बोर्ड नगरपालिका जैसा ही होता है किन्तु इन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। छावनी क्षेत्र में सड़कें एवं सैन्य दुराचार के दमन पर विशेष बल दिया जाता है। छावनी बोर्ड के कार्य अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों प्रकृति के हैं। इनमें प्रमुख अनिवार्य कार्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

- 1 मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश को व्यवस्था।
- 2 मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव।
- 3 मार्गों, नलियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का मरम्मत।
- 4 धूमानिक तथा खतरनाक व्यवसायों, उद्यमों एवं परिपटियों का नियमन।
- 5 लोक-सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधा के आधार पर मार्गों तथा अन्य स्थानों से अवरोधकों का हटाना।
- 6 खतरनाक इमारतों एवं स्थानों को सुरक्षित बनाना अथवा हटाना।
- 7 मृतक-क्रिया के स्थल का आ्युष्टा एवं नियमन।
- 8 मार्गों, पुलियों, झरोके, गड्ढाखानों, जन निकास व्यवस्था, गालियाँ का निर्माण तथा मल निष्कारण की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।
- 9 सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना एवं उनकी अनुरक्षण करना।
- 10 शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- 11 जन्म एवं मरण का पञ्जीकरण।
- 12 सार्वजनिक टैंकों की व्यवस्था तथा सार्वजनिक चिकित्सालयों की स्थापना।
- 13 प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना।
- 14 जग्गि से बचाव।

छावनी बोर्डों के ऐच्छिक कार्य इस प्रकार हैं—1 सार्वजनिक उपदेशिका की चांको, तालकों तथा कुँडों का निर्माण।
2 अस्वास्थ्यकर स्थानों की निजस योग्य बनाना। 3 जनगणना करना। 4 सर्वेक्षण करना। 5 बिजली का प्रबन्ध करना।
6 सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का प्रबन्ध।

छावनी बोर्डों के प्रशासन का रूप यद्यपि सैनिक ही बना हुआ है किन्तु भी निर्वाचित टलों को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक परिवर्तन किए गए हैं जैसे—(i) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के छावनी बोर्डों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या बराबर कर दी गई है (ii) तृतीय श्रेणी के छावनी बोर्डों में प्रथम एक निर्वाचित और एक मनोनीत सदस्य होता है (iii) ध्वन-कर निर्धारण समिति में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया है, (iv) इमारतों और सीमा दीवारों पर नियंत्रण रखने एवं सड़सेस के सम्बन्ध में असैनिक क्षेत्र समिति के अधिकारों में वृद्धि की गई है।

विशेष—नगरीय शासन व्यवस्था में छावनी बोर्डों की उपस्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। इसे केवल एक लोकतांत्रिक देश में स्थानीय स्तर पर सैनिक शासन का ही प्रचलन रूप कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिभूत छावनिर्वाह नगरों के निकट स्थित हैं और इतने निकट स्थानीय शासन के दो रूपों का चलना लोकतांत्रिक स्थिति से उचित नहीं होता है।

भारत में नगरीय स्वशासन की प्रमुख समस्याएँ

भारत में नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को विविध पुनर्गठनों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. वी. एच. सिन्हा ने भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं की प्रमुख समस्याओं को निम्नांकित प्रकार से बताया है—

1. जनसाधारण की उदासीनता—इन संस्थाओं को जनसाधारण से जो सम्पर्क मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाता जिसके कारण इसमें असमर्थ, अकार्यकुशलता तथा ईमानदारी की कमी बनी रहती है।

2. पेशेवर राजनीतिज्ञों की मनपानी—बड़े शहरों में जनता की उदासीनता तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों की मनपानी का एक कारण यह है कि इन शहरों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बाहर से आए हैं, जिनका स्थानीय जनता तथा शहर से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। शहर को अच्छा बनाने की भावना इनके मस्तिष्क में आती ही नहीं है।

3. अशिक्षा—जनसाधारण का काफी बड़ा भाग अशिक्षित है। अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के विषय में जागरूक नहीं है। पढा-लिखा वर्ग अपनी ही समस्याओं में उलझे रहने के कारण नगर प्रशासन की समस्याओं के प्रति उदासीन रहता है। फलतः वहाँ ऐसा कोई प्रभावशाली वर्ग नहीं होता जो नगर प्रशासन में सुधार के लिए सक्रिय प्रयत्न करे।

4. व्यक्तिगत तथा दलगत लाभ—निर्वाचित पदाधिकारी अपना अधिकांश समय अपने व्यक्तिगत तथा दलगत लाभ के लिए दाव-पेचों तथा अखाड़ेबाजों में व्यतीत करते हैं। इससे नगर प्रशासन का हित तथा जनता का हित भंग हो जाता है।

5. दलगत राजनीति—इन संस्थाओं का प्रशासन दलगत राजनीति का शिकार हो गया है। व्यक्तिगत, दलगत तथा राजनैतिक कारणों से धिक्कात कार्यक्रमों की अकहेलना की जाती है। दिन-प्रतिदिन के प्रशासन पर जैसे-करोँ की घमूली, साइनेस जारी करना, संस्था के उपनिषदों की लागू करना आदि पर राजनीति हावी रहती है।

6. ईमानदारी का अभाव—जनसाधारण की उदासीनता तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों के कारण अच्छे ईमानदार व्यक्ति इन संस्थाओं की ओर आकर्षित नहीं होते। परिणामस्वरूप इन संस्थाओं की बागडोर क्षेत्र के अच्छे ईमानदार व्यक्तियों के हाथों में न होकर, पेशेवर राजनीतिज्ञों के हाथों में होती है।

7. अर्भतोजनक वित्तीय स्थिति—इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति असन्तोषजनक है जिसके मुख्य कारण हैं—(क) मुद्रा-स्फीति तथा इसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि। (ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की समर्थि एव वाइन कर से छूट। (ग) समर्थि कर का आधार वार्षिक किराया है। किराया नियन्त्रण वाले क्षेत्रों में किराया नहीं बढ़ाया जा सकता अतः इन संस्थाओं को कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना होता है। (घ) कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि। (ङ) प्रशासकीय व्यय का विस्तार। (च) कर बढ़ाने सम्बन्धी आय के साधन न होना। (छ) करों की घमूली में झील तथा बढ़ती हुई बकाया राशि। (ज) इन संस्थाओं द्वारा धन का अपव्यय।

8. वित्तीय स्थिति में सुधार के प्रयासों का अभाव—इन संस्थाओं ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। नए कर लगाने अथवा चालू करों में बढ़ोतरी करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया गया है। निर्वाचित सदस्यों को यह आशंका रहती है कि इससे उनकी लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फलतः इन संस्थाओं का सतत प्रयास यह रहता है कि राज्य सरकारों से अनुदान अथवा ऋण के रूप में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर ली जाए।

9. करों के प्रति जनता का दुष्टिकोण—करों के विषय में स्थानीय जनता के विचार गलत हैं। यदि नगर प्रशासन में सुधार लाना है नयी सेवाएँ उपलब्ध करवानी हैं तो इनका व्यय-भार नगर निवासियों को उठाना ही होगा। नगर निवासी नयी सेवाओं की तथा चालू सेवाओं में सुधार की माँग करते हैं, पर इससे धन्य के लिए करारोपण अथवा करों की दर में वृद्धि का विरोध करते हैं।

10. सुविधाओं का दुरुपयोग—सार्वजनिक समर्थि, सेवाओं एव सुविधाओं के दुरुपयोग के कारण इनका उपयोग अत्यधिक हो रहा है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुड़ा-कचरा फेंक देना, जहाँ-तहाँ धुक देना, नल के उपयोग के बाद बन्द न करना, सड़क के किनारे बच्चों को मलमूत्र ध्याग के लिए बैठाना आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इससे एक ओर तो गन्दगी फैलती है तथा दूसरी ओर इन सेवाओं पर इन संस्थाओं का व्यय-भार बढ़ता है।

11. **शामीय क्षेत्रों का दबाव**—बड़े शहरों में आस-पास के प्राचीन क्षेत्रों के लोगों का दबाव रहता है। ये लोग नगरपालिका की आय में कोई योगदान नहीं करते, पर नगरपालिका की सेवाओं तथा यातायात, बाजार, अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाओं आदि का लाभ अवश्य उठाते हैं।

12. **राजनीतिक आधार पर नियंत्रण**—राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण के अधिकारों का उपयोग कई बार राजनीतिक आधारों पर किया जाता है। विरोधी दलों द्वारा प्रभावित संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाता है। विरोधी दल के चेयरमैन को पद से हटा दिया जाता है अथवा उसे अधिकार विहीन बना दिया जाता है। अनेक बार न्यायालयों ने इस प्रकार के आदेशों को अवैध ठहराया है।

13. **राज्य सरकारों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग**—राज्य सरकारें अनेक बार अपने नियंत्रण के अधिकारों का समय रहते उचित रूप से उपयोग नहीं करती हैं। यदि समय पर उचित मार्गदर्शन हो जाए तो कई अवसरों पर संस्था को अधिकृत अथवा भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही न हो।

14. **द्वितीय प्रशासन में त्रुटियाँ**—लेखा-परीक्षण के फलस्वरूप इन संस्थाओं के द्वितीय प्रशासन में प्रायः कई त्रुटियाँ पाई गई हैं, जैसे—(क) समय पर करों का वसूल न होना तथा बकाया कर की राशि एकत्रित न होना। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में प्रयास काफी कम हो गये हैं तथा बकाया राशि का मात्रा में वृद्धि हुई है। (ख) बजट की निर्धारित राशि से अधिक व्यय की प्रवृत्ति। (ग) आय के स्रोतों के अनुमान से कम आय की प्राप्ति। (घ) भुगतान में अनियमितताएँ तथा दुबारा भुगतान बिना यथेष्ट जाँच-पड़ताल के भुगतान दूबड़े यात्रा विलों के भुगतान आदि। (ङ) स्टॉक एजिस्टर में अनियमितताएँ। (च) अनुदानों का दुरुपयोग - जिस उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त किए गए हों उस पर व्यय न करके अन्य मदों पर व्यय करना। (ज) टेण्डर स्वीकार करने के नियमों का उल्लंघन तथा कम दर वाले टेण्डरों को बिना उचित कारण के रद्द कर देना। (झ) निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बिना किसी प्रशासनिक औचित्य के दौरे करना। (झ) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के वर्षों में इन संस्थाओं ने अधिक से अधिक राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। योजनावद्ध विकास के लिए उपलब्ध धनराशि में से इन संस्थाओं को अनुदान आदि दिए गए, फलतः इन संस्थाओं ने धीरे-धीरे स्वावलम्बन की भावना को एकदम मुला दिया है और अपने सभी कार्यालयों के व्यय के लिए वे राज्य सरकार से सहायता की अपेक्षा करती रहती हैं।

15. **निम्नकोटि की कुशलता**—इन संस्थाओं में प्रशासनिक कुशलता का स्तर निम्न कोटि का रहा है। इन संस्थाओं में अच्छे कर्मचारियों का अभाव है। वैसे ही प्रत्येक इन संस्थाओं की ओर अकर्षित होते हैं, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अच्छे प्रतिष्ठानों द्वारा हाँट दिए गए हैं।

16. **कर्मचारियों में कर्तव्य पालन का अभाव**—कर्मचारियों में ईमानदारी तथा कर्तव्यपालन की भावना की प्राप्ति कमी पाई जाती है। अधिकतर कर्मचारी किसी तरह राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आकर अपना स्वार्थ सीधा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। उन्हें कार्यालय में आकर ईमानदारी से काम करने का न तो अवसर मिलता है और न इसमें उनकी रुचि ही होती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान बहुत कम होता है अतः रिश्वत, दस्तूरी आदि का बड़ा जोर रहता है।

भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव

डॉ. सिन्हा ने नगरीय स्थानीय प्रशासन में सुधार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं—

1. **ईमानदार नेता एवं कर्मचारी**—इन संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि उचित एवं ईमानदार नेता तथा कर्मचारी इन संस्थाओं की ओर आकर्षित हों और यह तभी सम्भव है जब इन संस्थाओं के प्रति जनता की सम्मान भावना बड़े तथा सरकार का रवैया पुरुषार्थपूर्ण न हो। यदि अच्छे लोग इन संस्थाओं की ओर आकर्षित होंगे तो निम्न श्रेणी के राजनीतिक नेता अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे।

2. **सेवा शर्तों राज्य सरकार के समान**—इन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान तथा सेवा शर्तों राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समकक्ष होनी चाहिए। यदि राजकीय स्तर पर इनकी सभी सेवाओं को एकीकृत करने की अथवा सेवाओं की व्यवस्था हो जाए तो इस दिशा में अच्छी प्रगति हो सकती है।

3. **नेतृत्व तथा कार्मिक व्यवस्था में सुधार**—कोई भी संस्था बिना उचित प्रश्न के नेतृत्व तथा अच्छे कर्मिकों के समुदायपूर्वक कार्य नहीं कर सकती। वर्तमान स्थिति आत्यन्त ही असन्तोषजनक है। इस दिशा में सुधार के बिना इन संस्थाओं का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।

4. **दलगत राजनीति से दूरी रखना**—इन संस्थाओं के निर्वाचनों को यदि दलगत राजनीति से पुरे रखने का प्रयत्न किया जाए तो अच्छा हो। स्थानीय संस्थाओं के प्रशासन में दलगत राजनीति का स्थान नहीं होना चाहिए। इन संस्थाओं का निर्वाचन निर्दलीय आधार पर किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों में यह समझौता किया जा सकता है कि वे स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचनों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में स्थानीय जनता प्रवृत्तियों का चुनाव उनकी योग्यता

के आधार पर कर सकेंगी तथा इन संस्थाओं को उचित प्रकार का नेतृत्व प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही इन संस्थाओं के निर्वाचन व्यवस्था को सीमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि योग्य प्रत्यक्षी धनाभाव के कारण चुनाव में पागल सेने से बचि न टा जाई।

5. आचरण संहिता—यह आवश्यक है कि निर्वाचित नेताओं तथा अन्य राजनीतिकों के लिए एक आचरण संहिता बनार् तथा कठोरता के साथ उसका पालन किया जाना चाहिए।

6. आय वृद्धि के प्रयास—इन संस्थाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

7. मास्टर प्लान—यह निरन्तर प्रयास किया जाना चाहिए कि नगर सुन्दर एवं योजनाबद्ध रूप से विकसित हो। नगरी के बहुमुखी विकास के लिए मास्टर प्लान का निर्माण किया जाना चाहिए और भूमि का उपयोग उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। शहरों के पुराने भागों में यद्यपि अब मूलभूत सुधार सम्भव न हों, पर नगर के नए भागों को पूर्णतया नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

8. नगरीय समस्याओं के समाधान के प्रयास—नगर निगम तथा नगरपालिका प्रशासनों को औद्योगिकरण तथा उममे उत्पन्न शहरीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया जाना चाहिए। शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि यह शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का मुकाबला कर सके।

9. सामुदायिक विकास—देशीय क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी शहरी सामुदायिक विकास योजनाएँ लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय जनता के सहयोग से शहर में रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाना होना चाहिए। ऐसी योजनाओं से लोगों का नगर-प्रशासन से निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा तथा वे प्रशासन के कार्यक्रमों में रुचि से सकेंगे। उस स्थिति में प्रशासन द्वारा संचालित कार्यक्रम उनके कार्यक्रम होंगे।

10. प्रशासन का विकेंद्रण—जनता से निकट सम्पर्क के लिए आवश्यक है कि बड़े निगमों एवं नगरपालिकाओं के प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर विकेंद्रित किया जाए।

11. जनता का सहयोग—इन संस्थाओं के प्रशासन के प्रति जनता बड़ी उदासीन है, अन्त जनसाधारण का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि वादों में जाकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को समझें तथा उनके निराकरण का प्रयास करें, जिससे लोगों को विश्वास हो कि नगर प्रशासन मात्र कर वसूल करने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि उनके सुख-दुख के साथ काम आने वाली संस्था है। यदि ऐसी सभाओं का गठन हो सके जिनमें नगर प्रशासन तथा निर्वाचित सदस्य जनसाधारण से मिल सकें तो इस दिशा में प्रगति हो सकती है।

12. उचित समन्वय—कई बार नगर प्रशासन में असुविधा तथा समन्वय सम्बन्धी कठिनाइयाँ इस कारण उत्पन्न हो जाती हैं कि शहर या प्रशासकीय उत्तरदायित्व अनेक संस्थाओं के मध्य विभाजित रहता है। नगरपालिका नगर का प्रशासन सम्हालती है। नगर विकास न्याम शहर के आसपास अविकसित क्षेत्रों को विकसित करता है। अतएव इनमें प्रशासकीय समन्वय होना चाहिए, अतः यह उचित होगा कि शहर का सारा प्रशासकीय उत्तरदायित्व एक ही संस्था के रूप में हो।

13. धर्गीकरण का वस्तुनिष्ठ मापदण्ड—नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों की स्थापना एवं धर्गीकरण अधिक वस्तुनिष्ठ मापदण्ड से किया जाना चाहिए। सारे देश में इस सम्बन्ध में एक ही मापदण्ड की स्थापना होनी चाहिए। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कुछ राज्यों में नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की स्थापना की होड़-सी लग गई है। नगरपालिका या नगर निगम शहर की सम्पदा का मापदण्ड बन गया है, यह अनुचित है।

14. समन्वय की उचित व्यवस्था—अनेक शहरों में नगर प्रशासन का उत्तरदायित्व अनेक संस्थाओं के बीच विभाजित है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उनमें पारस्परिक समन्वय तथा उनके सन्तुलित विकास के लिए प्रयास किए जाएँ। इसके अतिरिक्त इस बात की आवश्यकता है कि नगर प्रशासन से सम्बन्धित राज्य की सभी संस्थाओं में समन्वय हो, अतः राज्य स्तर पर एक उच्च शक्ति प्राप्त शहरी विकास बोर्ड अधिकरण की स्थापना की जाए जो विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर सके।

15. राज्य सरकार के निष्पक्ष नियन्त्रण—राज्य सरकारों को अपने नियन्त्रण के अधिकार को निष्पक्ष रूप से उपयोग में लाना चाहिए। प्रजातन्त्र में निर्वाचित सदस्यों को बिना उचित कारण के केवल दलगत आधार पर हटा देना या पदच्युत कर देना उचित नहीं कहा जा सकता।

16. जनता का उत्तरदायित्व—नगर प्रशासन के लिए जनता को अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। यदि नगर प्रशासन अकार्यकुशल, भ्रष्ट और अक्षम है तो यह जनता का उत्तरदायित्व है कि वह उसे सुधारे। यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है—एक ओर जनता स्वयं निबन्धानुसार ईमानदारी से काम करे, अपने लिए किसी ऐसे लाभ के लिए

प्रवास न करे जो नियमानुसार उसे नहीं मिलना चाहिए दूसरे ओर जहाँ कहीं निर्वाचित सदस्य प्रशासक, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई व्यक्ति निगमों के विरुद्ध अपनी स्वायत्त-सिद्धि के लिए कार्य करे तो उसे चुनौती दी जानी चाहिए लेकिन जनता जागरूक नहीं है, अतः स्वार्थी तन्त्र सक्षिप्त हो जाते हैं। यदि स्वार्थी तन्त्रों को यह आपास हो जाए कि जनता जागरूक हो गई है तथा उनकी अपनी सफलता की सम्भावनाएँ घट रही हैं तो वे स्वयं ऐसा करना बन्द कर देंगे। अन्ततः नगर प्रशासन का वही रूप होगा जो जनता उसे देगी।

17. जनसम्पर्क—इन सत्ताओं की बिगड़ी स्थिति का एक कारण यह भी है कि निर्वाचन के बाद सदस्यों से जनता का न कोई सम्पर्क रहता है और न उस पर कोई नियन्त्रण हो रहता है। जनता के सदस्यों द्वारा निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के लिए दो प्रकार के मुद्दाएँ दिए जा सकते हैं। पहला यह कि सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्षों के लिए हो तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाए। इस प्रकार की पद्धति से यह लाभ होगा कि बदलते हुए लोकमत को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। नगरपालिका क्षेत्र को तीन सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिवर्ष एक सदस्य निर्वाचित किया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प इस दिशा में यह हो सकता है कि निर्वाचित सदस्यों को वापस चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए (जैसा कि 1999 में मध्य प्रदेश सरकार ने किया)। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के 1/10 मतदाता प्राधान्य-पत्र प्रस्तुत करें कि सम्बन्धित सदस्य का 'रिकॉल' होना चाहिए तो इस सम्बन्ध में मतदान किया जाना चाहिए। यदि मतदान में पाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत तब निर्वाचित सदस्य के विरुद्ध हो तो उसे मरदास्यता से हटा दिया जाना चाहिए।

18. समिति पद्धति को शक्ति देना—इन सत्ताओं को समिति-पद्धति को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए।

19. अन्य—कुछ सेवाओं के लिए म्युनिसिपल कॉमिन्स बोर्ड अथवा निगम का क्षेत्र शायद छोटा रहे। उदाहरण के लिए बस सेवा, होटल, विनियोग आदि। अतः यह किया जा सकता है कि एक क्षेत्र की सभी समस्याएँ मिलकर अपना क्षेत्रीय समन्वय बना लें ताकि इन सेवाओं की व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पर की जा सके। इससे दो लाभ होंगे—प्रथम यह कि इससे क्षेत्र की समस्याओं के कार्यक्रमों में व्यापकता नहीं होगी तथा उनमें पारस्परिक होड़ के स्थान पर एक-दूसरे से मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होगा। द्वितीय, यदि कई समस्याएँ मिलकर काम करेंगी तो कुछ इतक ठक पड़ना ही नहीं समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दो या तीन समस्याएँ निर्धारित अनुपात में पूँजी सागरक औद्योगिक प्रतिष्ठान, बाजार आदि की स्थापना कर सकती है।

20. नीति और उद्देश्य में सीमा रेखा—इन सत्ताओं में नीति-निर्धारण तथा कार्यकारी उद्देश्यों के बीच सीमा रेखा खींची जानी चाहिए।

21. सर्वसाधारण का हित—इन सत्ताओं के शासन-संयोजन से सम्बन्धित सभी लोग यदा निर्वाचित सदस्य इन सत्ताओं के कार्यकारी, राज्य सरकार तथा राजनीतिक दल सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका प्रशासन सर्वसाधारण के हित में चलाया जाना है, अतः इनमें इस प्रकार का कोई काम नहीं उठाना चाहिए जिससे जनसाधारण के हितों का उपेक्षा हो।

नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियन्त्रण

(State Control over Urban Local Bodies)

भारत में विभिन्न राज्यों के नगरीय स्थानीय निकायों का राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखा जाता है। इस नियंत्रण की मात्रा एवं प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है, तथापि जिन क्षेत्रों में और जिन दलों से यह नियंत्रण रखा जाता है उसमें बहुत कुछ एकरूपता परिलक्षित होती है।

नियंत्रण की विधियाँ—राज्य सरकार नगरीय स्थानीय निकायों पर प्रायः निम्नलिखित विधियों से नियंत्रण रखती है—

1. सख्त नियंत्रण करना—स्थानीय सत्ताएँ राज्य सरकार का एक अविभाज्य अंग हैं तथा उनके द्वारा हस्तक्षेपित शक्तियों का प्रयोग स्थानीय सत्ताएँ करती हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जब कोई स्थानीय निकाय प्रशासन की मूलभूतता की अवहेलना करे या जनता के हितों का दुरुपयोग करे तो कोई उच्च सत्ता निम्नलिखितपूर्वक उसमें हस्तक्षेप करे। पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की सामान्य शक्तियाँ राज्य कार्यपालिका में निहित रहती हैं। कार्यपालिका स्थानीय शक्तियों की विनियमित के लिए उत्तरदायी सत्ताओं के भिन्न-भिन्न, दारोन्निक, उत्तराह्वयक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। वह तुलनात्मक अध्ययन, आलोचना एवं समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रस्ताव, सामान्य एवं विशेष स्मृति-पत्र आदि के माध्यम से विभिन्न नगरपालिका परिषदों को विशेषज्ञानपूर्ण परामर्श प्रदान करती है। विभिन्न आयोगों, समितियों एवं जैसी के माध्यम से नवीन व्यवस्थापन के अपाओं का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार कार्य एवं शक्तियों के सम्बन्ध में

नई नीतियों सुझाने में समर्थ होती है। नगरपालिका प्रशासन के सभी पहलुओं की कार्यपालिका के पास सुचना रहती है इसलिए नगरपालिका परिषदों को व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप से कभी भी निर्देशित कर सकती है। स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ये शक्तियाँ सरक्षण शक्तियाँ कहलती हैं।

2. कानून को लागू करना—अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होता है कि वह अधिनियम लागू करने के सम्बन्ध में आदेश सभी नगरपालिकाओं अथवा कुछ विशेष नगरपालिकाओं के लिए जारी किए जा सकते हैं। नियम और आदेश राज्य में प्रकाशित किए जाते हैं और प्रकाशन-तिथि के उपरान्त एक निश्चित अवधि के बाद लागू कर दिए जाते हैं। राज्य सरकार स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए अधिनियम आदि ठीकी लागू समझे जाते हैं जब राज्य सरकार द्वारा उनका अनुमोदन कर दिया जाए। किसी अधिनियम में कोई परिवर्तन राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है।

राज्य सरकार को विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। नगरपालिका या नगर परिषद द्वारा सम्पत्ति प्रदाय एवं स्थानान्तरित किए जाने की शर्तों में शक्ति-निधि की क्रियान्विति में कर नगाने, वित्त एवं अनुमोदन से सम्बन्धित विषयों में राज्य एवं नगरपालिका सत्ताओं के मध्य सम्पर्क रखने कल कार्यलय के सम्बन्ध में परिषद द्वारा तीव्रता की गई योजनाओं एवं अनुमानों में, नगरपालिका परिषदों द्वारा रखे जाने काने लेखों में, जिस ढंग से राज्य सरकार के अधिकारी नगरपालिका परिषद को अधिनियम के हस्तियों के सम्बन्ध में महापता, परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेंगे, तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से विषयों में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। ये विभिन्न विषय स्पष्ट रूप से अधिनियम में दिए होते हैं किन्तु राज्य सरकार चुनाव, पार्षद के चयन एवं नामजदगी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष छात्र होने काने उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने काने धन आदि ऐसे विषयों पर नियम बन सकती है जो अधिनियम में नहीं दिए गए हैं।

सरकार को नियम बनाने की शक्ति नगरीय स्थानीय प्रशासन में एकरूपता लाती है। यह लोक सेवकों को, इनके उदात्तमूल्यों का निर्वाह करने में सहयोग देती है। अकेलकों को लेखों की परीक्षा करने में मदद करती है और स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग को उसके प्रतिवेदन तैयार करने तथा नगर परिषद कार्यों में पुनरीक्षा करने में सहायता करती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं अधिनियम राज्य के स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

3. निरीक्षण करना—राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी नगरीय स्थानीय शासन निकायों का निरीक्षण करते हैं तथा इन निकायों या सभाओं की सम्पत्ति, निर्माण कार्य, रिकार्ड आदि का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण ब्रिटिशों की ओर स्थानीय शासन अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करते हैं और ब्रिटिशों को दूर करने के उपाय सुझाते जाते हैं। निरीक्षण का अधिकार मुख्य रूप से जिलाधीश एवं सभागीय आयुक्त को प्राप्त होता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी नगरपालिका या अन्य स्थानीय शासन निकाय के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है और रिकार्ड आदि को अपने समस्त पैत्र किए जाने का आदेश दे सकता है। जिलाधीश की शक्तियाँ व्यापक होती हैं। यदि उसका अभिमत होता है कि नगरपालिका या परिषद की किसी आज्ञा प्रस्ताव या कार्य को क्रियान्विति से जिले की शक्ति को हस्तगत है तो वह उस पर रोक लगा सकता है। नगरपालिका द्वारा सञ्चालित विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं शिक्षा सम्बन्धी साधन्य नीति पर शिक्षा विभाग का धर्षवेक्षण एवं नियन्त्रण रहता है। सफाई से सम्बन्धित विषयों का निरीक्षण करने के लिए जिले का सिविल सर्जन होता है और जन-स्वास्थ्य विभाग का सञ्चालक वार्षिक निरीक्षण करता है।

4. सुचना प्राप्त करना—राज्य सरकार को नगरीय स्थानीय शासन निकायों से सुचना प्राप्त करने का अधिकार है। अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन और विवरण राज्य सरकार को नियमित रूप से भेजना स्थानीय संस्थानों, कल कार्यलय, राज्य सरकार को, सञ्चाल, आन्वयक, समझे, धर, सफलता करने, का आदेश किसी स्थानीय निकाय को दे सकती है। जब अधिकारी किसी व्यक्ति को, जो उसकी राय में आवश्यक हो, अपने समस्त उपस्थित होने, बयान देने तथा दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।

5. स्वीकृति देने का अधिकार—अनेक ऐसे कार्य हैं जो स्थानीय निकाय राज्य सरकार की स्वीकृति से ही वैध रूप से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐच्छिक कर राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता। स्थानीय निकायों के अधिनियम सभी लागू हो सकते हैं जब राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान कर देती है।

6. वित्तीय नियन्त्रण—राज्य सरकार स्थानीय शासन निकायों पर वित्तीय नियन्त्रण रखती है। सभी नगरपालिकाओं से अपेक्षित है कि वे अपने आय-व्यय का वार्षिक बजट प्रस्तुत करें। राज्य सरकार नगरपालिका के बोध को लागू और नियमित करने सम्बन्धी नियम बनाती है। नियमों के आधार पर वह यह करती है कि कितनी लागत काने अनुमान एवं योजनाएँ किसके द्वारा तय होंगे, नगरपालिका के खर्च एवं भुगतान की आज्ञाओं पर कितने हस्ताक्षर होंगे तथा यह भुगतान किस प्रकार किए जाएँगे आदि। नगरपालिका द्वारा किसी भी रूप में सरकार की स्वीकृति के बिना कोई धन व्यय नहीं

किया जा सकता। नगरपालिका के कोष को किसी ऐसे बैंक में नहीं रखा जा सकता जो राज्य सरकार द्वारा मान्य नहीं है। नगरपालिका अपनी सीमाओं से बाहर खर्चा केवल तभी कर सकती है जबकि राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ले। उसकी सीमाओं के खर्च पर राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा नगरपालिका के कर निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकार कर लगाने तथा उसकी अधिक से अधिक मात्रा निश्चित करने के नियम बना सकती है। कर लगाने समय राज्य सरकारों की स्वीकृति लेनी होती है। कई बार अनिवार्य करों की दरें, वसूली की तिथि आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वसूली के नियम भी राज्य सरकार ही बनाती है। राज्य सरकार स्थानीय निकायों को ऋण देती है। ऋण राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कुछ निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दिये जा सकते हैं। ऋण से सम्बन्धित कार्यों एवं लेखाओं का परीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार को है। जब ऋण के रूप में कोई धन नगरपालिका को दिया जाता है तो राज्य सरकार उससे सम्बन्धित कार्य पर पर्यवेक्षण रखती है। यदि कार्य पूरा हो जाने के बाद ऋण में से कोई धन बच जाता है तो उसे राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है। गैर-सरकारी ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार यह निर्देशित कर सकती है कि खर्च न किए गए धन को ऋण कम करने के काम में लाया जाए।

राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के लेखों का अन्वेषण करने के लिए अधिकृत नियुक्त किए जाते हैं। राज्य सरकार लेखों को उचित रूप से रखने के नियम बना सकती है और परिषद द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न रजिस्ट्रियों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत कर सकती है।

7. **राज्य सरकार द्वारा कार्य अपने स्तर पर करवाना**—यदि नगरपालिका या अन्य नगरीय स्थानीय निकाय अपना कार्य न करें तो राज्य सरकारों को अधिकार होता है कि अपने अधिकारियों से यह कार्य कराया ले और कार्य-व्यय स्थानीय निकायों से वसूल कर ले। जय वसूल करना या न करना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ अधिनियमों के द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय निकायों को जनहित में कुछ कार्य करने के लिए निर्देश दे। ऐसे निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है।

8. **अपील कराना**—अनेक अवसरों पर नगरपालिका के अधिकारियों के निर्णय एवं आदेश विरोध का कारण बन जाते हैं। इनके विरुद्ध की गई अपीलें राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। यदि कानून का संचालन सही ढंग से न किया जाए और नगरपालिका परिषद उनकी अवहेलना करें तो राज्य सरकार से इसकी अपील की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक विषयों का उल्लेख कर दिया गया है कि जिन पर दी गई आज़ाएँ अपील का विषय बन सकती हैं। सामान्य रूप से परिषद की आज़ाओं के विरुद्ध की गई अपील तथ्य के विषयों से सम्बन्ध रखती हैं न कि कानून के विषयों से। अपील सुनने वाली सभा का निर्णय प्रत्येक स्थिति में अन्तिम माना जाता है तथा कोई न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता तथा विषय को पुनरीक्षा या पुनरावलोकन के लिए नहीं मँग सकता है। साधारणतः लाइसेंस देने या न देने या रद्द करने, भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमों को लागू करने में एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध राज्य सरकार से अपील की जा सकती है।

9. **परिषदों को भंग कर नये चुनाव करवाना**—अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नगरपालिका अथवा नगर परिषद को भंग कर दे या उसका अधिक्रमण कर दे। यदि परिषद अपने कर्तव्यों की पूरी तरह अवहेलना करती है या मतभेद के कारण प्रशासनिक कार्य अवरोध हो जाता है या परिषद अपनी शक्तियों का उल्लंघन या दुरुपयोग करने लगती है तो राज्य सरकार को अधिकार है कि परिषद को भंग करके, नए निर्वाचन की आशा दे। इस प्रकार की आशा देने से पहले साधारणतः सभा को आरोप पर दिया जाता है, जौच समिति द्वारा आरोप की जाँच कराई जाती है और संस्था को अवसर दिया जाता है कि वह जाँच समिति के समक्ष अपनी सच्चाई पेश करे। कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत जाँच समिति की उच्च मानता अनिवार्य होता है। उदाहरणार्थ राजस्थान में जाँच समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अधिक्रमण या भंग किये जाने का आदेश अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाना चाहिए अन्यथा सम्बन्धित सभाएं ऐसे आदेश को न्यायालय में चुनौती दे सकती है। न्यायपालिका राज्यादेश को आवश्यक सुनवाई के बाद वैध या अवैध घोषित कर सकती है।

10. **सेबीवर्ग पर शक्तिदाता**—नगरपालिका स्तर पर अधिकारी एवं गैर-अधिकारी दोनों प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं। जहाँ तक गैर-अधिकारी सदस्यों का प्रश्न है राज्य सरकार पार्षदों की संख्या निश्चित करती है, परिषद में निर्वाचित, चयन किए हुए एवं मनोनीत सदस्यों का अनुपात निश्चित करती है और उनके चुनाव का नियमन करने के लिए नियम बनाती है। जहाँ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान होता है वहाँ पार्षदों की कुल संख्या का सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। पंजाब में सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी निर्वाचित सदस्य का पद रिक्त होने पर उस पद को रिक्त रखने या नियुक्ति द्वारा भरणे के लिए निर्देश जारी कर सकती है। वह निर्वाचित या नियुक्त किसी विशेष सदस्य

को सीट को खाली करा सकती है। राज्य सरकार को यद्यपि यह शक्ति है कि वह परिषद के किसी सदस्य को हटा सके किन्तु इस शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित पार्टी को स्पष्टीकरण का अवसर न दे दिया जाए। यदि किसी नगरपालिका के सदस्य को बार्थोलोम से बिना किसी कारण के हटा दिया जाए तो वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हटाने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि वह उचित कारणों से ही हटाया गया है। वेन्ड्रि आन्ध्र प्रजाय और केरल राज्य में सरकार अध्याय को शक्ति के दुरुपयोग या कर्तव्यों के पालन में स्वभावगत असफलता के लिए हटा सकती है। राज्य सरकार शिक्षा, जन कार्य मेडिकल, स्वास्थ्य एवं अन्य तकनीकी विभागों के लोगों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए तथा उनके विभागों को प्रभावित करने वाले विषयों पर बोलने के लिए आमन्त्रित कर सकती है। नगरपालिका के लोक सेवकों की दृष्टि से राज्य सरकार की विभिन्न शक्तियाँ सौंपी गई हैं। उसे अधिकार होता है कि शालीय अधिनियम, स्वास्थ्य अधिनियम, सफाई निरीक्षण, लेखाधिकार, भोवरासीय, नर्स आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम बना सके।

11 न्यायिक नियन्त्रण—राज्य सरकार का प्रमुख अंग न्यायपालिका है जो स्थानीय निकायों पर न्यायिक नियन्त्रण की भूमिका निभाता है। न्यायिक नियन्त्रण प्रशासनिक नियन्त्रण से भिन्न होता है। कोई न्यायालय तब तक स्थानीय निकायों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उनके द्वारा अपनी शक्तियों को घातक रूप में अधिनियम के प्रतिकूल और बुरे विश्वास के साथ न अपनाया गया हो। न्यायाधीश स्वयं अपनी तरफ से पहल करके कदम नहीं उठा सकता, पहल अन्य पक्षों द्वारा होनी चाहिए। न्यायिक नियन्त्रण स्थानीय सत्ताओं को सीमा में रखता है इसलिए नागरिकों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। नगरपालिकाओं पर न्यायालय का नियन्त्रण तीन प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम न्यायालय अधिनियम और कानूनों की व्याख्या करता है और उन्हें कानून का स्तर देता है। द्वितीय न्यायालय नगरपालिका की सलाहों को गैर-कानूनी कार्य करने से मना करता है। तृतीय अधिनियम के अधीन न्यायालयों को नगरपालिका के कार्यों एवं प्रशासन पर अपील सुनने का अधिकार होता है।

नियन्त्रण व्यवस्था के दोष—उपरोक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की नियन्त्रणकारी शक्तियाँ विस्तृत और व्यापक हैं पर व्यवहार में वर्तमान नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार का नियन्त्रण कुल मिलाकर स्थानीय शासन निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सफल नहीं हुआ है। इस नियन्त्रण व्यवस्था के मुख्य दोष निम्नानुसार हैं—

1 नियन्त्रण के साधन नकारात्मक हैं। नियन्त्रण का उद्देश्य समुचित मार्गदर्शन न होकर दण्डात्मक होता है। राज्य सरकार को नगरपालिका एवं नगरपरिषद को भंग करने का निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार होता है, लेकिन इसे सुधारात्मक उपाय नहीं बना जा सकता है। उचित तो यह होता है कि सरकारी विभाग को देख-रेख में प्रभावों निर्देश देकर, स्थानीय सत्ता को अपने का सुधारा का अवसर दिया जाए।

2 स्थानीय शासन समस्याओं को बार-बार भंग करने अधिक्रमण करने सदस्यों एवं चेयरमैन को निष्कासित करने से न केवल सार्वजनिक धन और शक्ति का अपव्यय होता है, बल्कि स्थानीय समस्याओं से जनता का विश्वास उठने लगता है।

3 ऐसे अनेक अधिकरण हैं जिनके द्वारा परिवर्तन पर राज्य का नियन्त्रण किया जाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सफाई, पशु चिकित्सालय आदि पर विभिन्न सरकारी, तकनीकी विभाग अपने कार्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखते हैं। सामान्य प्रशासन एवं विद्युत के क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार मंत्रालय, आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों के माध्यम से नियन्त्रण रखती है किन्तु ये औपचारिकी राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं और इनको स्थानीय प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं मिलता है। वे अन्य कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण स्थानीय निकायों में अधिक समय नहीं दे पाते फलतः स्थानीय निकायों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण अत्यन्त अपर्याप्त रहता है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वायत्त सरकार समिति ने बताया था कि जिला अधिकारियों एवं आयुक्तों द्वारा सरकार की ओर से स्थानीय निकायों पर जो नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रखा जाता है उसमें वे पर्याप्त हवि नहीं लेते, क्योंकि उन पर उनके अपने ही कार्यों का भार रहता है।

4 कई बार नियन्त्रण की कठोरता से स्थानीय पहल को ठेस पहुँचती है। राजस्थान में वित्तीय सहायता और ऋण प्राप्ति के नियम कठोर और जटिल हैं।

5 ऐसी शिकायतें प्रायः सुनने में आती हैं कि नियन्त्रण-शक्तियों का प्रयोग दलगत राजनीति के व्यक्तिगत लाभ अथवा बदले की भावना से किया जाता है। एक ही आधार की परिस्थितियों में कुछ नगरपालिकाएँ भंग कर दी जाती हैं जबकि अन्य को कुछ नहीं कहा जाता है।

6 कई बार स्थानीय शासन समस्याओं का अधिक्रमण वर्षों तक चलता रहता है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। यह आवश्यक है कि अधिनियम के अन्तर्गत अधिक्रमण की अधिवर्तमान सीमा निर्धारित कर दी जाए।